

निदेशक सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19
भाग-2

पैतालिस हजार आठ सौ तीन एवं पैसा पैतीस मात्र) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु0 3345803.35 को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। व संस्था द्वारा किये गये उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख श्री विक्रान्त अकेला उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत-बछरावों जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-18)

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम की प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित/मरम्मत की गयी सड़के दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़के थी। एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण/मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किये गये ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र अधिकारी में कार्य करना था, दो या दो अधिक ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था। परन्तु वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराये है जैसे सी0सी0 रोड, खण्डजा मार्ग, इंटरलाकिंग आदि कार्य कराये गये है जिन पर 61.64 लाख व्यय हुआ, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	2	3
1	सी0सी0 रोड शिवदयाल खेड़ा (खैरहनी) राजेन्द्र यादव राजा खेड़ा तक इंटरलाकिंग	879399.50
2	राम सिंह के दरवाजे तक निरंजन के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	863442.60
3	मेन रोड कलूई खेड़ा रोड से ठकुराईन खेड़ा रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	876822.40
4	राजाराम रजबहा से ग्राम सरोरा राम विलास के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	885813.00
5	खण्डजा निर्माण उदरहरा से मदा खेड़ा तक	883789.00
6	सुदौली भरवैश्वर मार्ग पर डों0 त्रिपाठी के घर से चमनगंज तक इंटरलाकिंग कार्य	882312.00
7	ग्राम पंचायत चुरुवा से राम पाल पुरवा मार्ग तक इंटरलाकिंग कार्य	892823.00
योग		6164391.50

जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1839/33-3-2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार मिश्रा, ब्लाक प्रमुख श्री विक्रान्त अकेला उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत-बछरावों जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-20)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेन्सी में रु0 2908303.10, मनरेगा सोशल आडिट में रु0 27000.00, इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी में रु0 42.00, प्रधानमंत्री आवास कंटीजेन्सी में रु0 251176.00 व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रु0 1564308.00 कुल रु0 4750829.10 (रु0 सैतालि लाख पचास हजार आठ सौ उनतीस एवं पैसा दस मात्र) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु0 4750829.10 को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। व संस्था द्वारा किये गये उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख श्री विक्रान्त अकेला उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत-सरेनी जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-24)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर-2 के अनुसार समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरण अनुसार कुल ₹0 6865250.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है,विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1	2	3	4
1	2015-16	रालपुर, आबेपुर में राजेश के घर से राम लाल के घर तक इंटरलाकिंग	412548.00
2	2015-16	सिद्धौरतारा, गणेश निषाद के घर से श्यामू निषाद के घर तक इंटरलाकिंग	255237.00
3	2014-15	रासीगाँव में अवैध सिंह के दरवाजे से लखनगाँव खण्डजा निर्माण	523184.00
4	2015-16	पल्टीखेड़ा में पुल के पास से जागेश्वर मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग	495674.00
5	2015-16	पूरे मुन्नू में पक्की सड़क से अमरेन्द्र भदोरिया के घर तक इंटरलाकिंग	448693.00
6	2014-15	पहुरी में रानू बी०डी०सी० के घर से डोमन टोला तक इंटरलाकिंग	268543.00
7	2014-15	विजय शंकर त्रिवेदी के घर से औसेरी के पासी के घर तक इंटरलाकिंग	440305.00
8	2014-15	सूर्य प्रसाद के घर से सिद्धनाथ के घर तक इंटरलाकिंग	279901.00
9	2015-16	मीटिंग हाल नवीनीकरण	230019.00
10	2014-15	दुधवन में बंसत के घर से देवी मंदिर तक इंटरलाकिंग	623047.00
11	2016-17	मीटिंग हाल नवीनीकरण	498376.00
12	2015-16	लेखपाल के घर से शीतला मंदिर तक इंटरलाकिंग	261773.00
13	2016-17	पशु चिकित्सालय सिद्धौरतारा मरम्मत	223212.00
14	2016-17	सरेनी मस्जिद से दरियार खेड़ा तक खण्डजा मरम्मत	1229763.00
15	2016-17	खण्डजा मरम्मत खोयामण्डी सेमरी सरेनी रोड	139740.00
16	2016-17	पशु चिकित्सालय सरेनी मरम्मत	142347.00
17	2016-17	बरवलिया में पक्की सड़क से मंदिर तक इंटरलाकिंग	392888.00
योग			6865250.00

किन्तु उक्त व्यय के सम्बन्ध में पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा जाँच/समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे समीक्ष्य वर्षों में अनुदान रजिस्टर दो एवं तीन में दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि ₹0 6865250.00 अपुष्ट रही। लेखा मैनुअल के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि गबन मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत-खीरो जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-2.1)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त अनुदान से सम्पादित इंटरलाकिंग कार्य दीन दयाल के घर से राम लखन के घर तक की निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष में दिलीप कुमार दीक्षित के मांग पत्र दिनांक 04.01.2018 बिल ₹0 79800.00 के सापेक्ष चेक सं०-000060 दिनांक 16.02.2018 द्वारा ₹0 81225.00 का भुगतान में दिलीप कुमार दीक्षित को किया गया है इस प्रकार ₹0 81225-79800 =1425.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त फर्म से किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी कमला कान्त व लेखाकार श्रीराम किशुन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार कार्य प्रभारी श्री सतीषचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों मांग पत्र/बिल-42 दिनांक 10.11.2017 ₹0 58905.00 व बिल-04.11.2017 ₹0 300.00 तथा मजदूरी ₹0

25375.00 कुल रु0 84580.00 के सापेक्ष चेक सं0-61 दिनांक 16.02.2018 द्वारा रु0 87072.00 का भुगतान किया गया है इस प्रकार रु0 87072-84580 =2492.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सतीश चन्द्र से किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलाकान्त व लेखाकार श्री राम किशुन से किया जाना अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भुगतान फर्म व श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी के माध्यम से नगद किया गया है जो कि अनियमित है इस लिए खण्ड विकास अधिकारी कमलाकान्त व लेखाकार श्री राम किशुन पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत-खीरो जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-2.2)

आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त अनुदान से सम्पादित इंटरलाकिंग कार्य आधार का पुरवा रायबरेली खीरो मार्ग से दीनदयाल के घर तक की निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 2104ए/नि0वि0/आकिक/2014-15 दिनांक 02.11.2017 द्वारा उक्त कार्य में 80एम0एम0 इंटरलाकिंग ईट की आपूर्ति हेतु 81225.00 का ठेका मे0 सुशीला देवी को दिया गया है। (साक्ष्य कोटेशन का तुलनात्मक विवरण पत्र पत्रांक 2104ए की छायाप्रति) किन्तु चेक सं0-000063 दिनांक 16.02.2018 द्वारा 81225.00 का भुगतान 80 एम0एम0 इंटरलाकिंग ईट की आपूर्ति हेतु उक्त कार्य में मे0 दिलीप कुमार दीक्षित को उनके मांग पत्र दिनांक 04.01.2018 के क्रम में कर दिया गया है स्पष्ट है कि अधिकृत फर्म मे0 सुशीलादेवी से सामग्री खरीद व भुगतान न करके गलत ढग से अन्य फर्म मे0 दिलीप कुमार दीक्षित से सामग्री की खरीद व भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है अतः भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि रु0 81225.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलाकान्त व लेखाकार श्री राम किशुन उत्तरदायी है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत-खीरो जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-2.3)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त अनुदान से निम्न विवरण के अनुसार सम्पादित कार्यों में कुछ मात्रा में सामग्री खरीद का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं नगद किया गया है जबकि भण्डार क्रय के नियम बिन्दु 17 वित्त पथ का आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के प्राविधानों व लेखा मेनुअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु0 2000.00 अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था नगद भुगतान का विवरण इस प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम/पता	भुगतान हेतु जारी चेक का विवरण			कार्य प्रभारी द्वारा किये गये नगद भुगतान का विवरण			टिप्पणी
1	2	चेक संख्या व दिनांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम व पदनाम जिसे चेक जारी किया गया है।	प्रमाणक/ बिल का नम्बर	फर्म का नाम	धनराशि	
1	ख०म०खीरों निहस्था मार्ग से बलभद्रखेजा होते हुए मिर्जापुर तक	0037 / 20.06.2017	214115	श्री सतीश चंद्र ग्रा०वि०अधि०	— / 15.05. 2017	मे० साईं इंटर प्राइजेज	10940	ह्यूम पाइप, फोटो का भुगतान
2	खण्डजा निर्माण राम नारायण के घर से शंकर पासी के घर तक	0056 / 25.01.2018	166414	श्री सतीश चन्द्र ग्रा०वि०अधि०	020 / 10. 11.2017	मे० साईं इंटर प्राइजेज	12000	ह्यूम पाइप का भुगतान
3	खण्डजा निर्माण रामपुरवा से श्रीपाल के घर तक	0056 / 25.01.2018	166414	श्री सतीश चन्द्र ग्रा०वि०अधि०	021 / 05.11. 2017	मे० साईं इंटर प्राइजेज	12000	ह्यूम पाइप का भुगतान
4	खण्डजा निर्माण बसहानाला से बैजनाथ खेड़ा तक	0056 / 25.01.2018	166414	श्री सतीश चन्द्र ग्रा०वि०अधि०	022 / 02.11. 2017	मे० साईं इंटर प्राइजेज	12000	ह्यूम पाइप का भुगतान

5	खण्डजा निर्माण मटेहना तालाब से आधार का पुरवा तक	0056 / 25.01.2018	166414	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	023 / 31.10. 2017	मे0 साईं इंटर प्राइजेज	12000	ह्यूम पाइप का भुगतान
6	खण्डजा निर्माण बजाज की दुकान से राम भूषण के घर तक	0056 / 25.01.2018	166414	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	030 / 05.11. 2017	मे0 साईं इंटर प्राइजेज	12000	ह्यूम पाइप का भुगतान
7	इंटरलाकिंग कार्य नौगवों रोड से गंगा कुरील के घर तक	0059 / 16.02.2018	86065	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	मांग पत्र दिनांक 10. 11.2017	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित	60340	सामग्री खरीद का भुगतान
8	इंटरलाकिंग कार्य दीनदयाल के घर से राम लखन के घर तक	0061 / 16.02.2018	84580	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	मांग पत्र दिनांक 10. 11.2017	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित	59205	सामग्री खरीद का भुगतान
9	इंटरला किंग कार्य रायबरेली रोड से अशोक पाण्डेय के घर तक	0068 / 08.03.2018	82072	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित मांग पत्र दिनांक अंकित नहीं	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित	55822	सामग्री खरीद का भुगतान
10	इंटरला किंग कार्य रायबरेली खीरों मार्ग से दीनदयाल के घर तक	0064 / 16.02.2018	87072	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित मांग पत्र दिनांक 03. 11.2017	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित	60822	सामग्री खरीद का भुगतान
11	इंटरलाकिंग कार्य धुन्नार पाण्डेय के घर से सलिल पाण्डेय के घर तक	0069 / 08.03.2018	85342	श्री सतीश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित मांग पत्र दिनांक 14. 11.2017	मे0 दिलीप कुमार दीक्षित	57312	सामग्री खरीद का भुगतान
योग							364441	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रम सं०-1 से 11 तक अंकित कार्यों में कुल ₹ 364441.00 का नगद भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री खरीद हेतु किया गया है जो अनियमित एवं अपुष्ट रहा इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलाकान्त व लेखागार श्री राम किशुन उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत-खीरो जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-2.4)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त अनुदान से सम्पादित कार्य विकास खण्ड सभागार को जीर्णोद्धार में मे० दीप बिल्डर्स को चेक नं०-000076 दिनांक 04.06.2018 व 000086 दिनांक 23.02.2019 से क्रमशः ₹ 532688.00 व 316321.00 कुल ₹ 849009.00 का शुद्ध भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में राजकीय करों की गणना में पया गया कि कुल राजकीय कर दायित्व (टी०डी०एस०जी०एस०टी० 2 प्रतिशत व टी०डी०एस० आई०टी० 1 प्रतिशत) ₹ 14912.00 के सापेक्ष केवल ₹ 5327 की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹ 9585.00 (टी०डी०एस०जी०एस०टी० 2 प्रतिशत ₹ 6390 व टी०डी०एस० आई०टी० 1 प्रतिशत ₹ 3195 कुल ₹ 6390+3195 त्र 9585) की कटौती सम्बन्धित फर्म से कम करके अनियमितता की गयी है जिसे राजकीय राजस्व की हानि हुई है जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमला कान्त व लेखाकार श्री राम किशुन उत्तरदायी है। अतः मे० दीप बिल्डर्स से ₹ 9585 की वसूली करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलाकान्त व लेखाकार श्री राम किशुन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत-डलमऊ जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-2)

आय कर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आय कर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है अन्यथा की स्थिति में संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है अलोच्य वर्ष 2018-19 में प्रिंस ब्रिक फील्ड से कुल ईट की खरीद पर की गयी आय कर कटौती का विवरण इस प्रकार है-

वर्ष में ईट खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹०	टी०डी०एस० कटौती जो की जानी थी (2 प्रतिशत)	टी०डी०एस० कटौती जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० जो जमा कराया जाना अपेक्षित है
2058545.00	41171.00	35205.00	5960.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि अलोच्य वर्ष में कुल ₹ 5960.00 की स्रोत पर कर कटौती नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जो अनियमितता है ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति संख्या-19)

निम्नलिखित व्यय का विवरण प्रिया साफ्ट पर फीड की गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त वर्ष में निम्नलिखित व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक व व्यय पत्रावली आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं-

वर्ष 2011-12

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1.	23.08.11	923271	रामसुफल सोनकर	15000.00
2.	23.08.11	923272	रामसुफल सोनकर	30000.00
3.	23.08.11	923273	हरीश कुमार	20000.00
4..	23.08.11	923274	रामबोधन सिंह	45000.00
5.	23.08.11	923275	रामबोधन सिंह	15000.00
6.	28.08.11	727603	रामसुफल सोनकर	50000.00
7.	20.09.11	923280	मॉ संकटा ब्रिक फील्ड	126228.00
8.	20.09.11	923281	राम बोधन सिंह	22455.00
9.	20.09.11	923276	कृष्णा ब्रिक फील्ड पूरे मलंगा	90402.00

10.	20.09.11	923277	भगवानदीन सिंह	20640.00
11.	20.09.11	923278	कृष्णा ब्रिक फील्ड पूरे मलंगा	36198.00
12.	20.09.11	923279	भगवानदीन सिंह	10287.00
13.	23.09.11	923282	अजय ब्रिक फील्ड	155929.00
14.	23.09.11	923283	हरीश कुमार	19993.00
15.	23.09.11	923284	अजय ब्रिक फील्ड	29701.00
16.	23.09.11	923285	रामसुफल सोनकर	8850.00
17.	27.09.11	923286	अजय ब्रिक फील्ड	122518.00
18.	27.09.11	923287	अजय ब्रिक फील्ड	122516.00
19.	27.09.11	923288	रामसुफल सोनकर	16698.00
20.	27.09.11	923289	रामसुफल सोनकर	16935.00
21.	12.10.11	923290	नेशनल आर0सी0सी0 स्पन पाइप	50964.00
22.	12.11.11	923291	बी0डी0ओ0	24900.00
23.	18.11.11	923292	अजय ब्रिक फील्ड	48099.00
24.	18.11.11	923293	राम बोधन सिंह	397400.00
25.	19.11.11	923294	कृष्णा सिंह	21000.00
26.	03.12.11	923295	बी0डी0ओ0	18188.00
27.	19.12.11	727604	नेशनल आर0सी0सी0 स्पन पाइप	5412.00
28.	29.12.11	727605	अजय ब्रिक फील्ड	78492.00
29.	29.12.11	727607	रामसुफल सोनकर	50401.00
30.	02.01.12	727608	श्री निवास सिंह	113918.00
31.	07.02.12	727609	बी0डी0ओ0	5428.00
योग—				1395126.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं —

क उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि0का0-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ0प्र0 क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं —

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में उपरोक्त शीर्षों का व्यय अनियमित रहा।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। रुपये 1395126०0 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत लालगंज

जनपद रायबरेली

(आपत्ति संख्या-20)

निम्नलिखित व्यय का विवरण प्रिया साफ्ट पर फीड की गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य विता आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त वर्ष में निम्नलिखित व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक व व्यय पत्रावली आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं—

वर्ष 2012-13

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1.	11.04.12	923297	बी०डी०सी० सैलरी	24900.00
2.	04.04.12	.	—	194.00
3.	14.04.12	923298	श्रीमती कृष्णा सिंह	15000.00
4..	11.04.12	.		137.00
5.	17.04.12	.	बी०डी०सी० सैलरी	19800.00
6.	12.06.12	923299	रामसुफल सोनकर	125000.00
7.	09.07.12	923300	मां संकटा ब्रिक फील्ड	316841.00
8.	12.07.12	446451	रामसुफल सोनकर	92334.00
9.	18.07.12	446452	रामसुफल सोनकर बी०डी०ओ० आवास मरम्मत	150000.00
10.	07.08.12	446453	मां संकटा ब्रिक फील्ड खड़जा मरम्मत	346688.00
11.	07.08.12	446454	अजय ब्रिक फील्ड	489037.00
12.	07.08.12	446455	ब्रजदीप ब्रिक फील्ड	438526.00
13.	07.08.12	446456	रामसुफल सोनकर	88096.00
14.	07.08.12	446457	रामसुफल सोनकर	80000.00
15.	01.09.12	.	कलेक्शन चार्ज	191.00
16.	11.10.12	.	इनकमटैक्स कलेक्शन चार्ज	37458.00
17.	12.10.12	446459	दिलीप कुमार मिश्रा ब्रिक फील्ड	250259.00
18.	12.10.12	446460	रामसुफल सोनकर	53875.00
19.	12.10.12	446461	दिलीप कुमार मिश्रा ब्रिक फील्ड	459190.00
20.	12.10.12	446462	रामसुफल सोनकर	75000.00

21.	30.10.12	446463	दिलीप कुमार मिश्रा प्रिय फील्ड	222707.00
22.	30.10.12	446464	रामसुफल सोनकर	72736.00
23.	02.11.12	446465	रामसुफल सोनकर	135490.00
24.	02.11.12	446466	दिलीप कुमार मिश्रा ब्रिक फील्ड	30424.00
25.	07.11.12	727611	रामसुफल सोनकर	49029.00
26.	08.11.12	446468	रामसुफल सोनकर	259068.00
27.	08.11.12	446471	रामसुफल सोनकर	318709.00
28.	11.01.13	001721	स्वास्तिक ग्रीन एड प्लाईवुड आलमबाग, लखनऊ	167058.00
29.	15.01.13	.	कलनेक्शन चार्ज	83.00
30.	19.01.13	.	कलेक्शन चार्ज	17.00
31.	19.02.13	.	इनकमटेक्स डिडक्शन	26509.00
32.	21.02.13	001724	स्वास्तिक ग्रीनेड एड प्लाईवुड आलमबाग, लखनऊ	84080.00
33.	24.02.13		ट्रांसफर	507.00
34.	05.03.13	001724	स्वास्तिक ग्रीनेड एण्ड, प्लाईवुड आलमबाग लखनऊ	31648.00
35.	23.03.13	1728	अजय ब्रिक फील्ड	24093.00
36.	28.03.13		इनकम टैक्स डिडक्शन	2384.00
			योग—	4487068.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं —

क उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि०का०-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08

के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ०प्र० क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर

वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं –

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में उपरोक्त शीर्षों का व्यय अनियमित रहा।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

रुपये 4487068 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-21)

निम्नलिखित व्यय का विवरण प्रिया साफ्ट पर फीड की गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य विता आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त वर्ष में निम्नलिखित व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक व व्यय पत्रावली आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं—

क्र० सं०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	27.04.13	001730	श्रीमती कृष्णा सिंह	36000-00
2	29.04.13	001732	स्वास्तिक ग्रेनाइड एण्ड प्लाईवुड आलमबाग, लखनऊ	44857-00
3	10.05.13		बी०डी०सी०	17200-00
4	22.05.13	001733	स्वास्तिक ग्रेनाइड एण्ड प्लाईवुड आलमबाग, लखनऊ	146556-00
5	22.05.13	727612	रामसुफल सोनकर	64219-00
6	27.05.13	001731	रामसुफल सोनकर	59680-00
7	12.08.13	001734	गजानन मारबल	36390-00
8	08.10.13	617051	हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर लालगंज	56670-00
9	08.10.13	617052	रस्तोगी मशीनरी स्टोर	125470-00
10	08.10.13	617053	हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर लालगंज	9200-00
11	08.10.13	617054	रामसुफल सोनकर	3489-00
12	10.10.13	617055	अजय ब्रिक फील्ड	54712-00
13	10.10.13	617056	हिन्दुस्तान मशीनरी स्टोर लालगंज	12020-00
14	10.10.13	617057	रामसुफल सोनकर	127674-00
15	23.10.13	001735	गजानन मारबल	99220-00
16	23.10.13	446472	रामसुफल सोनकर	20000-00

17	29.10.13	617059	रामसुफल सोनकर	68181-00
18	29.11.13	617060	शंकर ब्रिक फील्ड	83709-00
19	29.11.13	617062	श्याम रेडियोज	65650-00
20	29.11.13	617061	रामसुफल सोनकर	84031-00
21	29.11.13	617063	रस्तोगी मशीनरी स्टोर	15529-00
22	29.11.13	617064	रामसुफल सोनकर	2800-00
23	2.12.13	617065	रामसुफल सोनकर	11150-00
24	3.12.13	617066	रामसुफल सोनकर	57188-00
25	3.12.13	617067	रामसुफल सोनकर	147503-00
26	5.12.13	617068	रामसुफल सोनकर	80000-00
27	5.12.13	617069	रामसुफल सोनकर	4512-00
28	7.12.13	617070	रामसुफल सोनकर	136997-00
29	7.12.13	617071	रामसुफल सोनकर	100042-00
30	7.12.13	617072	शंकर ब्रिक फील्ड	54712-00
31	3.01.14	617073	रामसुफल सोनकर	120000-00
32	3.01.14	617074	रामसुफल सोनकर	80000-00
33	3.01.14	617075	रामसुफल सोनकर	80000-00
34	03.01.14	617076	आनन्द टाइल्स, नेहरू नगर, रायबरेली	4000-00
35	18.01.14	617073	शंकर ब्रिक फील्ड	164136-00
36	29.1.14	446473	रामसुफल सोनकर	30000-00
37	29.1.14	617079	शंकर ब्रिक फील्ड	136780-00
38	29.01.14	617080	रामसुफल सोनकर	140000-00
39	29.01.14	617081	रामसुफल सोनकर	165000-00
40	29.01.14	617082	रामसुफल सोनकर	140000-00
41	29.01.14	617083	रामसुफल सोनकर	130000-00
42	29.01.14	617084	रामसुफल सोनकर	135000-00
43	29.01.14	617085	शंकर ब्रिक फील्ड	109424-00
44	15.02.14	001736	श्रीमती कृष्णा सिंह	38000-00
45	15.02.14		टैक्स डिडक्शन	3972-00
46	15.02.14		टैक्स डिडक्शन	4547-00
47	15.02.14	617087	रामसुफल सोनकर	3000-00
48	03.03.14	001738	मां वैष्णों ब्रिक फील्ड	79225-00
49	3.3.14	001739	रामसुफल सोनकर	5362-00
50	03.03.14	617088	शंकर ब्रिक फील्ड	47599-00
51	03.03.14	617089	रामसुफल सोनकर	30695-00
52	03.03.14	617092	रामसुफल सोनकर	120000-00
53	03.03.14	617093	शंकर ब्रिक फील्ड	22432-00
54	03.03.14	617094	रामसुफल सोनकर	64382-00
55	03.03.14	617095	शंकर ब्रिक फील्ड	142251-00
56	03.03.14	617096	मां वैष्णों ब्रिक फील्ड	109424-00
57	03.03.14	617099	शंकर ब्रिक फील्ड	37498-00
58	03.03.14	617098	रामसुफल सोनकर	98466-00
59	03.03.14	677100	मां वैष्णों ब्रिक फील्ड	59964-00
60	03.03.14	473886	रामसुफल सोनकर	43985-0
61	03.03.14	473887	शंकर ब्रिक फील्ड	162385-00
62	03.03.14	473888	रामसुफल सोनकर	395961-00
63	04.03.14	001740	रामसुफल सोनकर	60000-00
64	04.03.14	446474	रामसुफल सोनकर	25000-00
65	04.03.14	446475	रामसुफल सोनकर	25000-00
66	04.03.14	446476	रामसुफल सोनकर	50000-00

67	04.03.14	473889	रामसुफल सोनकर	140000-00
68	04.03.14	473890	रामसुफल सोनकर	140000-00
69	04.03.14	473892	रामसुफल सोनकर	50,000-00
70	04.03.14	473893	रामसुफल सोनकर	160000-00
71	04.03.14	473894	रामसुफल सोनकर	35000-00
72	04.03.14	473895	शंकर ब्रिक फील्ड	82068-00
73	04.03.14	473896	शंकर ब्रिक फील्ड	82068-00
			योग—	5577985.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं —

क उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि०का०-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ०प्र० क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं —

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

रूपये 5577985 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-18)

वर्ष 2014-15 अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार विभिन्न शीर्षों में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में अभिलेख एवं सुसंगत प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1	मनरेगा कन्टीजेन्सी	1374680.00
2	कम्प्यूटर आपरेटर	112000.00
3	तकनीकी सहायकों का मानदेय	280000.00
4	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा	280000.00
5	बायोगैस अनुदान	8000.00
6	इन्दिरा आवास प्रासंगिक व्यय	130486.00
7	ग्राम रोजगार सेवक मानदेय	598587.00
8	स्मग्र ग्राम रेवाती पलिया खेड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	475000.00
9	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	564.00
	योग	3259317.00

क उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख, प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन के व्यय को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

ख उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेख) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जबतक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बिल बाउचर लेखा में अप्राप्त रहा। सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-19)

वर्ष 2015-16 अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार विभिन्न शीर्षों में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में अभिलेख एवं सुसंगत प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1	मनरेगा कन्टीजेन्सी	55030.00
2	कम्प्यूटर आपरेटर	80000.00
3	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा	200000.00
4	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	283449.00
5	ग्राम रोजगार सेवक मानदेय	775086.00
6	विधायक निधि	183154.00
7	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1380175.00
	योग	2956894

क उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख, प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन के व्यय को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

ख उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेख) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बिल बाउचर लेखा में अप्राप्त रहा। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में अपेक्षित है।

प्रस्तर— 29 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेल (आपत्ति संख्या-20)

वर्ष 2015-16 अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार विभिन्न शीर्षों में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में अभिलेख एवं सुसंगत प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	मनरेगा कन्टीजेन्सी	221383.00
2	कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय	88000.00
3	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा मानदेय	220000.00
4	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	89139.00
5	ग्राम रोजगार सेवक मानदेय	1468440.00
6	विधायक निधि	3374688.00
7	ब्याज की धनराशि	47655.00
8	सोशल आडिट मानदेय	137000.00
9	इनफ्लाइटिस	10000.00
	योग	5656305.00

क उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख, प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन के व्यय को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

ख उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेख) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बिल बाउचर लेखा में अप्राप्त रहा। सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-21)

वर्ष 2014-15 के खर्च का विवरण प्रियासाफ्ट पर फीड किये गये सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त वर्ष में निम्नलिखित व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक व पत्रावली आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण एवं सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं।

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	27.05.2014	446477	सेल्फ	1865.00
2	06.08.2014	446478	सेल्फ	11544.00
3	19.09.2014	446479	सेल्फ	60000.00
4	21.11.2014		इलाहाबाद बैंक	75.00
5	01.01.2015	473930	सामग्री भुगतान	120000.00
6	01.01.2015	473928	सामग्री भुगतान	200000.00
7	01.01.2015	473929	सामग्री भुगतान	90000.00
8	01.01.2015	473927	सामग्री भुगतान	60000.00
9	13.01.2015	473931	सामग्री भुगतान	150000.00
10	13.01.2015	473932	सामग्री भुगतान	120000.00
11	03.03.2015	473937	सामग्री भुगतान	115853.00
12	03.03.2015	473944	सामग्री भुगतान	73157.00
13	03.03.2015	473942	सामग्री भुगतान	56029.00

14	03.03.2015	473741	सामग्री भुगतान	53068.00
15	03.03.2015	473935	सामग्री भुगतान	119732.00
16	03.03.2015	473933	सामग्री भुगतान	64776.00
17	03.03.2015	473939	सामग्री भुगतान	446.00
18	04.03.2015	473945	सामग्री भुगतान	136594.00
19	04.03.2015	473940	सामग्री भुगतान	176876.00
20	04.03.2015	473943	सामग्री भुगतान	94495.00
21	14.03.2015	473936	सामग्री भुगतान	209283.00
22	14.03.2015	473934	सामग्री भुगतान	354504.00
23	14.03.2015	473938	सामग्री भुगतान	89126.00
24	23.03.2015	473946	सामग्रीमजदूरीभुगतान	6000000.00
				8357423.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं –

क उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि०का०-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ०प्र० क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं –

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में उपरोक्त शीर्षों का व्यय अनियमित रहा।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

रुपये 8357423०00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-22)

वर्ष 2015-16

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	28.05.2015		ट्रानजेक्शन चार्ज	175.00
2	10.06.2015	473957	सामग्रीमजदूरीभुगतान	22808.00
3	10.06.2015	473953	सामग्री	43104.00
4	10.06.2015	473950	सामग्री भुगतान	65786.00
5	10.06.2015	473947	सामग्री भुगतान	115124.00
6	10.06.2015	473959	सामग्री भुगतान	131676.00
7	10.06.2015	473963	सामग्री भुगतान	322776.00
8	11.06.2015	473952	सामग्री भुगतान	23982.00
9	12.06.2015	473958	सामग्री भुगतान	452498.00
10	13.06.2015	473962	सामग्री भुगतान	308371.00
11	16.06.2015	473960	सामग्री भुगतान	871093.00
12	16.06.2015	473948	सामग्री भुगतान	143294.00
13	25.06.2015	473966	सामग्री भुगतान	103248.00
14	26.06.2015	015503	सामग्री भुगतान	200000.00
15	26.06.2015	473965	सामग्री भुगतान	16120.00
16	27.06.2015	473967	सामग्री भुगतान	443235.00
17	30.06.2015	473949	सामग्री भुगतान	31801.00
18	30.06.2015	473954	सामग्री भुगतान	183305.00
19	30.06.2015	473955	सामग्री भुगतान	181575.00
20	30.06.2015	473961	सामग्री भुगतान	198683.00
21	30.06.2015	473970	सामग्री भुगतान	44188.00
22	30.06.2015	473951	सामग्री भुगतान	52699.00
23	01.07.2015	015501	सामग्री भुगतान	421087.00
24	08.07.2015	473964	सामग्री भुगतान	68109.00
25	09.07.2015	015502	इक्सलेन्ट	56817.00
26	20.07.2015	015504	रामसुफल सोनकर	150000.00
27	22.07.2015	473971	सामग्री भुगतान	23982.00
28	23.07.2015	473972	सामग्री भुगतान	30415.00
29	23.07.2015	015505	सामग्री भुगतान	315815०00
30	06०8०2015	473973	सामग्री भुगतान	109033०00
31	19०8०2015	015507	सामग्री भुगतान	123800०00
32	19०8०2015	015508	अजय ब्रिक फील्ड	47679०00
33	25०8०2015	473976	सामग्री भुगतान	96000०00
34	31.08.2015	473974	सामग्री भुगतान	33129.00
35	03.09.2015	015506	रामसुफल सोनकर	10128.00
36	03.10.2015	015510	सामग्री भुगतान	22256.00

37	08.10.2015	015509	सामग्री भुगतान	27864.00
38	08.10.2015	473975	सामग्री भुगतान	156039.00
39	11.01.2016	003351	सामग्री भुगतान	857806.00
40	01.02.2016	924862	सामग्री भुगतान	127000.00
41	01.02.2016	924295	सामग्री भुगतान	960000.00
42	08.02.2016	003352	सामग्री भुगतान	892871.00
43	18.03.2016	015513	सामग्री भुगतान	70500.00
44	19.03.2016	015512	रामसुफल सोनकर	69123.00
45	31.03.2016	015511	अपर मुख्य अधिकारी	4554.00
				8629548.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं –

क उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि०का०-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ०प्र० क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं –

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में उपरोक्त शीर्षों का व्यय अनियमित रहा।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

रूपये 8629548.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली (आपत्ति संख्या-23)
वर्ष 2016-17

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	07.04.2016	558286	श्रीमती कृष्णा सिंह सैलरी	17967.00
2	07.04.2016	558287	सी एम वाई के टेन्डर नोटिस प्रिन्टेड लिमिटेड	8361.00
3	23.04.2016	558293	जागरण प्रकाशन लिमिटेड	9168.00
4	07.05.2016	558291	सुनील श्रीवास्तव-प्रमुख पर्दा कुर्सी-इत्यादि	22669.00
5	07.05.2016	558292	रवी एजेन्सी लालगंज मीटिंग हाल पंखा इत्यादि	21000.00
6	07.05.2016	558288	टेन्डर नोटिस-हिन्दुस्तान मीडिया लिमिटेड	10683.00
7	07.05.2016	558289	श्री अनिल शुक्ला-प्रमुख के कमरे की स्टेशनरी	1290.00
8	07.05.2016	558290	रामसुफल सोनकर प्रमुख के कमरे की स्टेशनरी	7472.00
9	02.06.2016	558297	सइन बोर्ड पेमेन्ट-जे०पी० इंजीनियरिंग वर्क्स	94395.00
10	02.12.2016	003354	विज्ञापन चार्ज-यूनाइटेड भारत लखनऊ	3500.00
11	24.12.2016	003355	??? एस०बी०आई०	248142.00
12	30.12.2016	003356	रामसुफल सोनकर	233997.00
13	30.12.2016	003357	राजेन्द्र उद्योग जमुरावा	298972.00
14	30.12.2016	003358	एक्सलेंट ब्रिक फील्ड, जमुरावां	53090.00
15	02.01.2017	003359	रामसुफल सोनकर	80000.00
16	02.01.2017	003360	रामसुफल सोनकर	60000.00
17	02.01.2017	810276	रामसुफल सोनकर	60000.00
18	07.01.2017	810277	अन्तेश सिंह ब्लाक प्रमुख मानदेय	66033.00
19	19.01.2017	810278	??? एस०बी०आई०	51823.00
20	31.03.2017	810282	सी०एम०वाई०के०प्रिन्टेड लिमिटेड	4646.00
21	03.03.2017	810279	रामसुफल सोनकर	146061.00
22	03.03.2017	810280	एक्सलेंट ब्रिक फील्ड	58425.00
23	03.03.2017	810281	कम्प्यूटर खरीद-केयर कम्प्यूटर रायबरेली	68925.00
24	10.03.2017	810283	श्री बाला जी रिफिल स्टेशन	7660.00
25	10.03.2017	810285	रामसुफल सोनकर	219494.00
26	10.03.2017	810286	राजेन्द्र उद्योग जमुरावां	394137.00
27	10.03.2017	810287	एक्सलेंट ब्रिक फील्ड	61536.00
28	10.03.2017	810288	इनकम टैक्स-एस०बी०आई०	10728.00
29	27.03.2017	810290	पंखा खरीद-प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक ए.ड रिपेयरिंग	3305.00
				2323479.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं -

क उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा

बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। किन्तु उपरोक्त व्ययों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बिल, बाउचर, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 27 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत ठेकों को प्रपत्र संख्या-नि0का0-04 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सभी ठेकों के विलेख पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त रजिस्टर एवं ठेकों के विलेख पत्र अप्राप्त रहे। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-06 एवं 08 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि नियमावली के अनुसार ब्योरेवार नक्शे (प्लान) और अनुमान न तैयार कर लिए जाए तथा नियम संख्या-16 के अनुसार (यथा संशोधित) उनकी प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाए। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित ब्योरेवार नक्शे (प्लान) अनुमान एवं प्राविधिक स्वीकृति अप्राप्त रही।

ग उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-35 के अनुसार कराए गए निर्माण कार्य की माप की जाएगी और नियम संख्या-38 के अनुसार उक्त माप को माप पुस्तिका में ब्योरेवार अंकित किया जाएगा। माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

घ उ0प्र0 क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-37 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निर्माण/मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

च उक्त व्यय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त सुसंगत अभिलेख व्यय की पुष्टि के लिए न उपलब्ध कराना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिससे व्यय प्रमाणक विहीन, सिद्ध होता है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार, सहायक अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं -

छ उक्त मदों से सम्बन्धित किए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय अपुष्टित/अप्रमाणित होने के कारण राजकीय अनुदान के अपहरण एवं दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। अभिलेख प्रमाणक एवं पत्रावली बार-बार लिखित अनुरोध के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त धन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में उपरोक्त शीर्षों का व्यय अनियमित रहा।

ज लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखा परीक्षा में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना एवं लेखा परीक्षक के द्वारा दी गयी अन्तरिम आपत्ति का जवाब न देना, गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में एवं उक्त व्यय की गयी धनराशियों के सन्दर्भ में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा न तो सुसंगत अभिलेखों और न ही सुसंगत बिल बाउचर एवं अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार समस्त व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। राजकीय धन का कूट रचित तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

रूपये 2323479.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार, तकनीकी अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। इनसे समान मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-16)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेन्सी में ₹0 122547.00 राज्य वित्त में ₹0 823965.00, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण ₹0 2200000.00, रोजगार सेवक मानदेय ₹0 2353830.00 ए0पी0ओ0 ₹0 336000.00 कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय 126400.00 प्रधानमंत्री आवास कंटीजेन्सी में ₹0 319359.00, व विधायक निधि ₹0 1913600.00 कुल ₹0 8195701.00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख,

प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु0 8195701.00 को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। व संस्था द्वारा किये गये उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह उत्तरदायी है। सम्बन्धित उत्तरदायी से समान मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-17)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेन्सी में रु0 109212.00 विधायक निधि रु0 47979.00 प्रधानमंत्री आवास कंटीजेन्सी में रु0 216144.00, ब्याज में रु0 376095.05 रोजगार सेवक मानदेय रु0 1856082.00 ए0पी0ओ0 मानदेय रु0 364000.00 कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय 134400.00 कुल रु0 31095912.05 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु0 31095912.05 को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। व संस्था द्वारा किये गये उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह उत्तरदायी है। सम्बन्धित उत्तरदायी से समान मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-18)

प्रमुख कक्ष मरम्मत एवं रंगार्ष पुताई राज्यवित्त वर्ष 2018-19

कार्य-प्रमुख कक्ष मरम्मत एवं रंगार्ष पुताई कार्य

क्र0सं0			
1-	दिनांक	धनराशि	फर्म/व्यक्ति का नाम-ग्लोबल इण्टरप्राइजेज ग्लोबल इण्टरप्राइजेज अशोक कुमार पाण्डेय
2-	12.01.19	22199.00	
3-	14.03.19	210730.00	
4-		43925.00	
		276854.00	

उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं:-

(क) उक्त कार्य की अनुमानित लागत 2.95 लाख रुपये है। जबकि वास्तविक व्यय 276854.00 रु0 है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना जरूरी था। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)861 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु0 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में 12-01-19 को रु0 22199.00 तथा 14-03-19 को 210730.00 रु0 मूल्य की सामग्री का क्रय ग्लोबल इण्टरप्राइजेज से किया गया। इस प्रकार कुल रुपये 232929.00 की सामग्री की खरीद के लिए विधिक निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन कर जानबूझकर सम्बन्धित फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त व्यय में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। उक्त गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राकेश तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव एवं क्षेत्रपंचायत प्रमुख श्री अन्नतेश सिंह जिम्मेदार है। (ख) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का कार्य जॉब कार्ड धारकों से लिया जायेगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खाते में न देकर श्री अशोक कुमार पाण्डे द्वारा स्वयं के नाम रुपया नकद रु0 43925.00 प्राप्त किया गया है और नकद वितरण किया गया। मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये हैं। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना सन्देह की स्थिति को बढ़ाता है। इस अपहरण/ अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय लेखाकार श्री राकेश त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री अन्नतेश सिंह जिम्मेदार है। सम्बन्धित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर मात्रा में इनसे की जानी अपेक्षित है। रु0 276854.00 रु0 उपरोक्त कार्य में खर्च हुए। उक्त धनराशि सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्रपंचायत प्रमुख तथा कार्य प्रभारी से बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली

(आपत्ति सं0-19)

सभागार हाल की मरम्मत साज-सज्जा एवं रंगाई-पुताई का कार्य—
उक्त क्रय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम	
1—	22896.00	781395	20.02.19	ग्लोबल इण्टर प्राईजेज—	
2—	61000.00	781444	-----	ग्लोबल इण्टर प्राईजेज	
3—	80676.00	781446	-----	ग्लोबल इण्टर प्राईजेज	
4—	114000.00	781446	-----	अन्नया ट्रेडिंग लालगंज	
5—	55650.00	781446	-----	अशोक कुमार पाण्डे	
योग—	334222.00				

उक्त क्रय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं:-

(क) उक्त कार्य पर कुल व्यय रु० 334222.00 है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना जरूरी था। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)861 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा।

उक्त कार्य में रु० 22896 रु० 61000 रु० 80676 की सामग्री का क्रय ग्लोबल इण्टरप्राईजेज से किया गया। इस प्रकार कुल रुपये 165472-00 की खरीद ग्लोबल इण्टरप्राईजेज से की गयी। चूंकि सामग्री की खरीद 1 लाख रुपये से अधिक है। नियमतः निविदा आमन्त्रित कर सम्यक विधिक प्रक्रिया का पालन कर सामग्री की खरीद करनी थी। उक्त के क्रम में ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी और अपनी पसन्द के फर्म को जानबूझकर लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। इसी प्रकार 114000.00 रुपये सामग्री की खरीद अन्नया ट्रेडिंग कम्पनी से की गयी। उक्त क्रय के लिए भी निविदा आमन्त्रित करना था। लेकिन ऐसा नहीं करके अपनी पसन्द के फर्म को लाभ पहुंचाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार श्री राकेश त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा अवर अभियन्ता तकनीकी पयवेक्षक श्री राजबली जिम्मेदार हैं। इन सभी से बराबर मात्रा 278572 रु० की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ख) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का कार्य जॉब कार्ड धारकों से लिया जायेगा और उनके खाते में भुगतान किया जायेगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का परिश्रमिक उनके खाते में न देकर श्री अशोक कुमार पाण्डेय जो कार्य प्रभारी रहे हैं उनके नाम चेक संख्या-781448 से रु० 55650.00 का भुगतान किया गया। तत्पश्चात मजदूरों को नकद वितरण किया गया। मस्टर रोल क्रमांक संख्या-57 पर समस्त मजदूरों के हस्ताक्षर न होकर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। जो नियम विरुद्ध है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के अर्न्तगत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डे, लेखाकार श्री राकेश त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री अन्नतेश सिंह उत्तरदायी हैं। बराबर मात्रा में इनसे रु० 55650.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-20)

रामकुमार कोरी के घर से उमाशंकर के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण—

आपत्ति के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति	चेक संख्या
1—	13.01.19	38773.00	त्रिमूर्ति ईट उद्योग (ईट) मे०	781428
2—	13.01.19	133670.00	त्रिवेदी ट्रेडर्स गोविन्दपुर	
3—	-----	62150.00	बलौली (सामग्री) शोएब आलम (मजदूरी)	

उक्त कार्य की अनुमति लागत 356278.00 रु० है। वास्तविक व्यय 344705.00 रु० है।
क.उक्त कार्य में पत्रांक 1547/5-1-19 द्वारा मे० त्रिमूर्ति ईट उद्योग चेहरा अहमदपुर रायबरेली को सामग्री का आदेश निर्गत किया गया है। जिसके क्रम में उक्त फर्म द्वारा प्रमाणक संख्या-53/13-1-19

को रु0 38773.00 ईट एवं ईट गिट्टी की आपूर्ति की गयी है। किन्तु उक्त प्रमाणक पर जी0एस0टी0एन0 नं0 नहीं है। बिना जी0एस0टी0एन0 नं0 के बिल पर भी भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है।

ख. उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री कीमत रु0 133670.00 है। जिसकी खरीद मे0 त्रिवेदी ट्रेडर्स गोविन्दपुर वलौली से की गयी है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना जरूरी था। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)861 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में दिनांक 13.01.2019 को मे0 त्रिवेदी ट्रेडर्स गोविन्दपुर वलौली से 133670 रु0 की सामग्री क्रय की गयी है। शासनादेश के अनुसार 1 लाख से ऊपर सामग्री की खरीद के लिए निविदा आमन्त्रित करना जरूरी था। लेकिन ऐसा न करके कूटरचित तरीके से मे0 त्रिवेदी ट्रेडर्स को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। शासनादेश का उल्लंघन करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है और राजकीय धन की क्षति की गयी है।

ग. उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान श्री शुएब आलम को रु0 52150.00 किया गया। इनके द्वारा मजदूरों को नकद वितरण किया गया। कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत के अनुसार कार्य जाब कार्ड धारक से कराया जायेगा। अधिकतर मजदूरों के खाते मनरेगा योजना अन्तर्गत बैंक में खुल चुके हैं इसके बावजूद भी मजदूरों के खाते में भुगतान न करके रु0 52150.00 कार्य प्रभारी श्री सोएब आलम के द्वारा क्षेत्र पंचायत से भुगतान अपने खाते में लेकर नगद वितरण किया गया इस प्रकार नगद वितरण मजदूरी नियम विरुद्ध है। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है।

(घ) उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है लेखा परीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिसे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कार्य दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश सं0-17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये कार्य या नये कार्य कराये जायेगे जबकि उक्त कार्य में इस शासनादेश का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा का यह मानना है कि उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण धनराशि रु0 224593.00 के व्यय में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर अनियमितता बरती गयी एवं धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, एवं कार्य प्रभारी, उत्तरदायी है। इन सभी से बराबर मात्रा में उक्त धनराशि रु0 224593.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-21)

कोरिहरा ग्राम पंचायत में कल्लू का पुरवा में बच्चन के घर से सी0सी0 रोड से बाल्हे यादव के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण-

क्रमांक	दिनांक	फर्म/व्यक्ति	धनराशि
1	2	3	4
1	12.01.2019	ग्लोबल इण्टर प्राइजेज	33679.00
2	06.03.2019	ग्लोबल इण्टर प्राइजेज	27216.00
3	12.01.2019	अनन्या ट्रेडिंग कम्पनी	111622.00
4	06.03.2019	अनन्या ट्रेडिंग कम्पनी	119929.00
5	---	श्री इन्द्रजीत	58675.00

(क) उक्त कार्य के मस्टररोल में दर्शित है कि कार्य दिनांक 06.03.2019 से 19.03.2019 के मध्य सम्पन्न हुआ जबकि प्रथम बिल भुगतान हेतु मापन पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.01.2019 तथा मापन तिथि 18.01.2019 दर्शित है।

महत्वपूर्ण यह है कि जब कार्य 06.03.2019 को प्रारम्भ हुआ तो सामग्री की आपूर्ति दिनांक 12.01.2019 को क्योंकि गयी अर्थात् 2 माह पूर्व सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर एवं बिल का भुगतान कर सरकारी धन खर्च कर अपहरण किया गया।

(ख) उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री जिसकी कीमत रु0 231611.00 की खरीद अनन्या ट्रेडिंग कम्पनी से की गयी है उक्त सामग्री की खरीद बिना निविदा आमन्त्रित किये हुए की गयी है जबकि सामग्री की कीमत 1 लाख रु0 से अधिक है। इसी लिए निविदा आमन्त्रित करके खरीदारी करना आवश्यक था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 शासनादेश सं0-ए-1-864/10-08-15(1) 861

दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना जरूरी होगा। इस प्रकार उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अनन्या ट्रेडिंग कम्पनी से दिनांक 12.01.2019 को ₹0 111622.00 एवं 06.03.2019 को ₹0 119989.00 की सामग्री की खरीद में उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। यह गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

(ग) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारको से लिया जायेगा, जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खाते में न दे कर श्री इन्द्रजीत कार्य प्रभारी द्वारा ₹0 58675.00 का भुगतान नगद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नगद वितरण किया गया है वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है।

(घ) उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है लेखा परीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिसे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कार्य दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश सं0-17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 को प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये कार्य या नये कार्य कराये जायेगे जबकि उक्त कार्य में इस शासनादेश का उल्लंघन हुआ है।

(च) ईट की आपूर्ति के लिए किसी ब्रिक फील्ड से ईट क्रय न करके ग्लोबल इंटर प्राइजेज से ईट दिनांक 12.01.2019 को ₹0 33679.00 एवं 06.03.2019 को ₹0 27216.00 क्रय की गयी जबकि ईट का क्रय ब्रिक फील्ड से ही किया जा सकता है। ग्लोबल इंटर प्राइजेज फर्म ईट का उत्पादक नहीं है और न ही ईट के व्यापार के लिए पंजीकृत है इस प्रकार ₹0 33679.00 एवं ₹0 27216.00 का कुटर्चित बिल लगाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। उक्त क्रय कुटर्चित एवं प्रमाणक विहीन है पूरी तरह से जानबूझकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, कार्यप्रभारी एवं तकनीकी अवर अभियन्ता जिम्मेदार है।

उपरोक्त आपत्तियों के अलोक में लेखा परीक्षा का यह मत है कि उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण धनराशि ₹0 351181.00 में से 60895.00 का अपहरण करते हुए शेष राशि 290286.00 के क्रय में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख, कार्य प्रभारी, तथा तकनीकी अवर अभियन्ता जिम्मेदार है। वसूली बराबर मात्रा में अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-22)

विकास खण्ड लालगंज कार्यालय में शौचालय की मरम्मत/पुनरुद्धार

क्रमांक	धनराशि	दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	2	3	4
1	81978.00	12.01.2019	ग्लोबल इंटर प्राइजेज
2	15050.00	02.02.2019	अशोक कुमार पाण्डेय

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित आपत्तियों निम्नलिखित हैं:-

(क) दिनांक 12.01.2019 को बाउचर सं0-74 से ₹0 81978.00 की खरीद हुई बाउचर पर जी0एस0टी0एन0 नम्बर अंकित नहीं है, और भुगतान करते समय जी0एस0टी0 की कटौती भी नहीं हुई बाउचर कुटर्चित तरीके से तैयार करके भुगतान किया गया है। भुगतान बाउचर हाथ से भरा गया है कम्प्यूटर से बिल नहीं निकाला गया है। फर्जी बाउचर लगाकर ₹0 81978.00 का अपहरण किया गया है।

(ख) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारको से लिया जायेगा, जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खाते में न दे कर श्री अशोक कुमार कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं ₹0 15050.00 का भुगतान नगद प्राप्त किया गया है, और मजदूरों को नगद वितरण किया गया है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा का यह मत है कि उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण धनराशि रु0 97028.00 में से 81978.00 का अपहरण एवं रु0 15050.00 का नकद आहरण कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, तथा कार्य प्रभारी, जिम्मेदार है। इन सब से बराबर मात्रा में धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-23)

क्षेत्र पंचायत लालगंज वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उदवामऊ में होरी लाल के घर से गुलाम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण किया गया है जिसमें रु0 145257.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं-

क्रमांक	धनराशि	फर्म का नाम	दिनांक
1	2	3	4
1	113127.00	एस0डी0एस0 ट्रेडर्स	12.01.2019
2	32130.00	जगदीश ब्रिक फील्ड	13.01.2019

(क) उक्त कार्य हेतु एस0डी0एस0 ट्रेडर्स को दिनांक 12.01.2019 को रु0 113127.00 सी0सी0 रोड निर्माण सामग्री के लिए भुगतान किया गया। सामग्री की कीमत 1 लाख रु0 से अधिक है। शासनादेश सं0-ए-1-864/दस- 08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु रु0 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। लेकिन उक्त व्यय के संदर्भ में बिना निविदा आमंत्रित किये एस0डी0एस0 ट्रेडर्स से रु0 113127.00 की सामग्री क़य करके अपने चहेते फर्म को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है। जानबूझकर शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(ख) उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहा है जबकि शासनादेश सं0-17/19/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार राज्य वित्त के अनुसंशा से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले मार्गों के रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा। उक्त व्यय के संदर्भ में शासनादेश के उल्लंघन करके नियम विरुद्ध कार्य किया गया है इस प्रकार उपरोक्त आपत्तियों के आलोक से लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उक्त कार्य में रु0 145257.00 खर्च हुआ है जो शासनादेश का उल्लंघन है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी नीरज श्रीवास्तव, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख, एवं लेखाकार श्री राकेश त्रिपाठी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-24)

सी0सी0 रोड निर्माण पूरे नोखे राय से प्राथमिक विद्यालय बेहटा कला में व्यय से सम्बन्धित आपत्तिया निम्नलिखित हैं:-

(क) उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री जिसकी कीमत रु0 224726.00 है की खरीद दिगम्बर स्वामी इंटर प्राइजेज से की गयी है इसकी खरीद बिना निविदा आमंत्रित किये हुए की गयी है जबकि सामग्री की कीमत 1 लाख रु0 से अधिक है इसलिए उक्त क़य के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित करके खरीदारी करना आवश्यक था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि शासनादेश सं0-ए-1-864/दस- 08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क़य हेतु रु0 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

(ख) उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान 50829.00 रु0 श्री अमर बहादुर सिंह द्वारा नगद प्राप्त कर मजदूरों को वितरण किया गया। कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत के अनुसार कार्य जॉब कार्ड धारक से कराया जायेगा। अधिकतम मजदूरों के खाते मनरेगा योजना के अन्तर्गत बैंक में खुल चुके हैं इसके बावजूद भी मजदूरों के खाते में भुगतान न करके 50829.00 रु0 कार्य प्रभारी श्री अमर बहादुर सिंह के द्वारा क्षेत्र पंचायत से भुगतान अपने खाते में लेकर नगद वितरण किया गया है इस प्रकार नगद मजदूरी वितरण नियम विरुद्ध है। अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में व्यय कुल रु0 328435.00 में से रु0 275555.00 के व्यय में कई स्तरों पर शासनादेश का उल्लंघन हुआ है और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अवर अभियन्ता, एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-25)

सी0सी0 रोड निर्माण सेठ के दरवाजे से जनेवा कटरा डामर रोड तक

क्रमांक	धनराशि	मद	प्राप्त कर्ता फर्म
1	2	3	4
1	118348.00	सामग्री	एस0डी0एस0 ट्रेडर्स

उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं:-

(क) उक्त कार्य में सामग्री खरीद रु0 118348.00 का भुगतान करके की गयी है। यह भुगतान नियम विरुद्ध किया गया है। शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 01.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु0 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 118348.00 की बिना निविदा आमंत्रित किये एस0डी0एस0 ट्रेडर्स से की गयी इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य करके एस0डी0एस0 ट्रेडर्स को लाभ पहुँचाने का कृत्य तत्कालीन लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी, एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा किया गया है। अतः स्पष्ट है कि शासनादेश का उल्लंघन करके सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया।

इस प्रकार लेखा परीक्षा का मानना है कि उपरोक्त व्यय कुल धनराशि रु0 118348.00 व्यय में कई स्तरों पर शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-26)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मीठापुर बड़ैया में शिवशंकर पासी के घर से रमेश पासी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य राज्य वित्त अनुदान की राशि से सम्पन्न हुई इनसे सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं:-

(क) उक्त कार्य में रु0 112806.00 का भुगतान चेक सं0-781401 से दिगम्बर स्वामी इंटर प्राइजेज को किया गया। उक्त सामग्री की खरीद बिना निविदा आमंत्रित किये हुए की गयी है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 शासनादेश सं0-ए-1-864/10-08-15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना जरूरी होगा। जबकि दिगम्बर स्वामी इंटरप्राइजेज से बिना निविदा आमंत्रित किये रु0 112806.00 की सामग्री क्रय करके अनुचित लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया

(ख) उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है लेखा परीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिसे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कार्य दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश सं0-17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 को प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये कार्य या नये कार्य कराये जायेंगे जबकि उक्त कार्य में इस शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत-औरास

वर्ष-2018-19

जिला-उन्नाव

प्रस्तर संख्या 1. निम्नलिखित चेकों के माध्यम से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद व 14वें वित्त प्रशासनिक मद से पैसा निकाला गया है। ग्रांट रजिस्टर 02 के अनुसार कोई कार्य नहीं कराया गया है। और न कोई समान खरीदा गया है।

क्र0 सं0	मद	दिनांक	चेक नं0	नाम	रूपये
1	मनरेगा कन्टीजेन्सी	24.07.17	295045	श्रीविवेक अस्थाना	11879.00
2	मनरेगा कन्टीजेन्सी	24.07.17	295046	श्री विवेक अस्थाना	7290.00
3	मनरेगा कन्टीजेन्सी	25.05.17	295035	श्री विवेक अस्थाना	3925.00
4	मनरेगा कन्टीजेन्सी	25.05.17	आरटीजीएस	श्री संदीप कुमार	43560.00
5	मनरेगा कन्टीजेन्सी	25.05.17	आरटीजीएस	श्री विनीत कुमार	29040.00

6	11वे वित्त व प्रशा0	14.12.17	613536	श्री विवेक अस्थाना	3550.00
7	11वे वित्त व प्रशा0	09.04.18	613544	श्री विवेक अस्थाना	7690.00
				योग	106934.00

उपरोक्त निकासी के व्यय वाउचर भी लेखा परीक्षा में नहीं रखे गये हैं। अतः उपरोक्त धनराशि का गबन किया गया है। अतः इसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी व लेखाकार श्री छेदी लाल व खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या 02. वर्ष 2018-19 में चौदहवां वित्त एवं प्रशासनिक मद से गौरव फर्नीचर से टुकड़ों में खरीद कर कुल 244732.00 के फर्नीचर खरीदे गये हैं। इस खरीददारी में टेण्डर प्रक्रिया का पालन न कराके अनियमित भुगतान किया गया है। स्टाक रजिस्टर में उपरोक्त सामग्री की पुष्टि नहीं करायी गयी है।

दिनांक	चेक नं0	मद	रूपये
27.12.2018	613565	गौरव फर्नीचर	90200.00
27.12.2018	613566	गौरव फर्नीचर	76700.00
06.03.2019	613580	गौरव फर्नीचर	47318.00
06.03.2019	613577	गौरव फर्नीचर	30514.00
		योग	244732.00

अतः 244732.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0के0 सिंह व श्री उमेश वाजपेयी लेखाकार से की जाए।

क्षेत्र पंचायत – हिलौली

जिला – उन्नाव

प्रस्तर संख्या 3. दिनांक 31.03.2019 तक निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न मदों से सम्बन्धित पक्षों में निर्गत चेकों का खातों से आहरण समयान्तर्गत न होने के कारण कालातीत हो गयी:-

क्र0सं0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि
1	888966	16.03.2016	25000.00
2	970237	14.04.2016	12692.00
3	165494	25.04.2016	14965.00
4	165500	30.05.2016	1238.00
5	165503	20.07.2016	19480.00
6	165495	25.04.2016	50760.00
7	820243	18.10.2016	3541.00
8	405310	18.11.2016	5792.00
9	165529	02.03.2017	12210.00
10	597602	04.06.2017	100437.00
11	597607	18.04.2017	15886.00
12	597609	18.04.2017	32947.00
13	597614	07.06.2017	49449.00
14	165567	05.12.2017	4331.00
15	165566	16.10.2017	6300.00
16	108868	17.01.2018	26185.00
17	176234	05.01.2018	4000.00
18	708671	06.02.2018	5611.00
19	108876	05.05.2018	143936.00
		योग	534760.00

उपरोक्त पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 4. राजकीय अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं ब्याज राशियों का व्यय/वापसी का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में वापस/व्यय ब्याज	वापसी की धनराशि	वर्षान्त में शेष
2017-18	352072.86	3787.75	—	1651374.49
2018-19	562469.00	37893.94	रु0 34610—डीडीओ उन्नाव	2175949.55
योग	914541.86	41681.69	34610.00	—

शासनादेश सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो इस अर्जित ब्याज को राज्य सरकार की आय मानते हुए राज्य कोष जमा किया जायेगा।

अतः आलोच्य वर्ष में अर्जित ब्याज रु० 914541.86 राज्य कोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय/शेष रखा गया है जो अनियमित है। क्षेत्र पंचायत के उक्त शीर्ष में रु० 31.03.2019 को रु० 2175949.55 शेष पुष्टित किया गया जिसे राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5—क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान चतुर्थ रा० वि० अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्य बाबत हुये भुगतान पत्रावली अप्राप्त होने के कारण अपुष्टित रहे। अपुष्टित भुगतान रु० 1972001.00 हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री छेदीलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	कार्य का विवरण	भुगतान की गयी धनराशि
1	06.04.2017	597605	ग्राम चौधरिन खेड़ा में मिट्टी व खडन्जा कार्य	590808.00
2	18.04.2017	597606	ग्राम मईनपुर में सी०सी० रोड व नाली निर्माण	205115.00
3	18.04.2017	597608	ग्राम पारा में सी०सी० रोड निर्माण कार्य	425036.00
4	30.06.2017	597611	तदैव	335782.00
5	18.04.2017	597610	ग्राम अहेंसा में सी०सी० रोड व नाली निर्माण	415260.00
			योग	1972001.00

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 6—वर्ष 2017-18 में आयकर बिक्री कर एवं लेवर सेस बाबत खण्ड विकास अधिकारी हिलौली के नाम भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार चेक निर्गत किये गये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग को भुगतान की पुष्टि में जमा रसीद/प्रमाणक अप्राप्त रहे, भुगतान अपुष्टित होने के कारण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	06.04.2017	597602	100437.00
2	18.04.2017	597607	15886.00
3	18.04.2017	597609	32947.00
4	07.06.2017	597612	49449.00
		योग	198719.00

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 7— वर्ष 2017-18 में चतुर्थ रा० वि० योजना अर्न्तगत चेक सं० 597616 दिनांक 23.08.2017 द्वारा रु० 44500.00 एवं चेक सं० 597617 द्वारा रु० 25000.00 कुल रु० 69500 का भुगतान श्री विनीत कुमार कैशियर को क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु अनियमित रूप से किया गया सदस्यों के मानदेय भुगतान किस आधार पर किया गया अपुष्टित रहा।

भुगतान निराधार एवं अपुष्टित होने कारण रु० 69500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनीत कुमार कैशियर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 8—वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रधान मंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद से श्री विनीत कुमार कैशियर को निम्नानुसार भुगतान किया गया भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा व्यय अपुष्टित होने के कारण निम्नानुसार कुल धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु० 29716.00 श्री विनीत कुमार कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	16.10.17	176223	5800.00	जनरेटर मरम्मत भुगतान
2	11.12.17	176229	7000.00	जनरेटर मरम्मत भुगतान
3	13.04.18	708677	10000.00	जीप डीजल भुगतान
4	06.07.18	708685	6916.00	जनरेटर ईंधन भुगतान
		योग	29716.00	

प्रस्तर संख्या 9—चौदहवां वित्त योजना कन्टीजेन्सी शीर्ष अन्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में श्री विनीत कुमार कैशियर को निम्न विवरणानुसार चेक निर्गत किये गये, भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। पुष्टि के अभाव में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	23.04.17	175707	11000.00	डीजल बिल का भुगतान
2	11.08.17	175112	13081.00	डीजल एवं कार्यालय सामग्री
3	27.07.18	108889	19189.00	टेलिफोन बिल भुगतान
4	23.08.18	108897	3000.00	जनरेटर मरम्मत
		योग	46270.00	

प्रस्तर संख्या 10—वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री योजना आवास योजना प्रशासनिक मद से श्री छेदी लाल लेखाकार को निम्नानुसार भुगतान किया गया भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जा सके। पुष्टि के अभाव में निम्नानुसार कुल धनराशि रु० 35200.00 की ब्याज सहित वसूली श्री छेदीलाल लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	17.03.18	708674	10500.00	जीप ईंधन बिलों का भुगतान
2	17.03.18	708675	24700.00	प्रचार वाहन आदि का भुगतान
		योग	रु० 35200.00	

प्रस्तर संख्या 11—क्षेत्र पंचायत के चौदहवां वित्त योजना कन्टीजेन्सी शीर्ष अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में निम्न भुगतान विवरणहीन दर्शाये गये हैं जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा कैशियर उत्तरदायी हैं अतः विवरणहीन भुगतान की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	24.11.17	108663	6500.00	श्री राम सजीवन सफाईकर्मी
2	17.01.18	108868	26185.00	निदेशक पंचायती राज उ०प्र०
		योग	रु० 33685.00	

प्रस्तर संख्या 12—क्षेत्र पंचायत के चौदहवां वित्त योजना कन्टीजेन्सी शीर्ष अन्तर्गत निम्नानुसार सामग्री/फर्नीचर क्रय हेतु भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में निम्नानुसार कोटेशन, बिल/रसीद एवं स्टॉक रजि० प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः भुगतान अपुष्टित होने के कारण तत्कालीन लेखाकार श्री छेदीलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण	पक्ष को भुगतान
1	28.12.17	108865	78199.00	इन्वर्टर	आस्था इण्टरप्राइजेज
2	25.05.18	108877	97260.00	फर्नीचर क्रय	राजपाल इण्टरप्राइजेज
3	25.05.18	108879	99670.00	फर्नीचर क्रय	राजपाल इण्टरप्राइजेज

क्षेत्र पंचायत – मियांगंज

जिला – उन्नाव

प्रस्तर संख्या 13—शासनादेश सं० 313 (1)/सैंतीस-2-2018-5 (53) 2018 टी०सी०-1 दिनांक 11, फरवरी 2019 के क्रम में वर्ष 2018-19 में गौवंश आश्रय स्थल व भरण पोषण के मद में प्राप्त रु० 1,00,000 (एक लाख) के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय/उपभोग दर्शित है –

चेक सं० 045326 दि० 14.3.19—	रु०14,280	ग्राम पंचायत मल्लीमऊ
चेक सं० 045327 दि० 15.3.19	5,760	ग्राम पंचायत औराई
चेक सं० 045328 दि० 29.3.19	20,000	ग्राम पंचायत मल्लीमऊ
चेक सं० 045329 दि० 29.3.19	20,000	ग्राम पंचायत बिनैका
चेक सं० 045330 दि० 29.3.19	6,000	ग्राम पंचायत ताजपुर
चेक सं० 045331 दि० 29.3.19	5,000	ग्राम पंचायत फखरुद्दीनपुर

योग—71,040

शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप उपरोक्त मद में भुगतानित धनराशि रु० 71,040 से सम्बन्धित केन्द्रवार संरक्षित गौवंश का विवरण, सम्बन्धित मांगपत्र, क्षेत्रपंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रपत्र अप्रस्तुत रहे। भुगतान हेतु आहरित धनराशि अपुष्टिकृत है। अतः ₹ 71040.00 की वसूली संबंधित पक्षों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 14—क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए पृथक से मानदेय पंजिका नहीं बनाई गई है, वर्ष 2017-18 व 2018-19 की अवधि में निम्न विवरणानुसार मानदेय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत दर्शित है।

दि० 14.9.2017 चेक सं० 008292—रु० 70,000	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय
दि० 2.5.2018 चेक सं० 023707 रु० 29,400	ब्लाक प्रमुख का मानदेय
दि० 18.5.2018 चेक सं० 023708 रु० 70,000	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय
दि० 18.5.2018 चेक सं० 023716 रु० 80,000	"
दि० 2.1.2019 चेक सं० 023706 रु० 1,48,400	ब्लाक प्रमुख का मानदेय
दि० 7.1.2019 चेक सं० 023718 रु० 78,400	"
योग—4,76,200	

मानदेय पंजिका के अभाव में उपरोक्त आहरित धनराशियों के भुगतान स्थिति अपुष्ट रही है भुगतान किस अवधि से सम्बन्धित है, जानकारी न हो सकी। अतः ₹ 476200.00 की वसूली संबंधित पक्षों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 15—वर्ष 2017-18 में 4जी एस एफ सी चतुर्थ राज्य वित्त (टेण्डर वर्क) के भुगतान बिल मैनुअल फार्म 123/18 उ० प्र० पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट चैप्टर 6 पैरा 144 की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदार के बिलों से आयकर, सेलटैक्स तथा लेबर सेस कटौती की गई है परन्तु (आयकर को छोड़कर) सेलटैक्स तथा लेबर से सम्बन्धित धनराशि, कटौती से प्राप्त आय को ग्रांट रजि०-3 में मदवार अंकित नहीं किया न ही उक्त धनराशि को राजस्व देयता के रूप में वर्षान्त जमा की गई, यह स्थिति आपत्तिजनक रही है। विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सेलटैक्स/वाणिज्य कर कटौती की धनराशि :	लेबर सेस कटौती की धनराशि :
1	डामर रोड से लोकमन में मटरी धानुक के दरवाजे से पंकज दुबे के घर तक सी०सी०रोड निर्माण -60मी०	रु०- 6,350	रु०-1,584
2	मियांगंज तोपखाना में मुशीर पुत्र नन्हू के घर से मो० आरिफ के घर तक सी०सी० रोड निर्माण -100मी०	13,222	3,306
3	डामर रोड से अरविन्द कुमार के मकान से सूरजपाल के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण -100मी०	15,076	3,769
4	हंसाखेड़ा में रामनारायन के घर से देविन मन्दिर तक सी०सी०रोडनिर्माण-200मी०	21,993	5,493
योग—		56,641	14,152

इस प्रकार क्षे० पं० मियांगंज में वर्ष 2017-18 की अवधि में प्राप्त सेलटैक्स/वाणिज्य कर रु० 56,641.00 तथा लेबर सेस रु० 14,152.00 कुल रु० 70,793.00 राजस्व देयता की हानि रही है, इसके लिए तत्कालीन संस्था प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 16—वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्षेत्र पंचायत मियांगंज कार्यालय लेखाकार द्वारा ग्रांट रजि० प्रमें अंकित निम्नांकित चेकें 14 वां वित्त कान्टीजेन्सी से सम्बन्धित आहरित दर्शित की गई है परन्तु इनके आहरण के सापेक्ष बिल/ बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे प्रमाणक विहीन व्यय स्पष्ट होता है विवरण इस प्रकार है:—

चेक सं० तथा दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
चेक सं० 031503 दि० 22.5.17—रु० 12,000		श्री वेद प्रकाश	बिल/बाउचर केअभाव में कार्य काप्रयोजन तथा वास्तविक व्यय के सदुपयोगकी स्थिति अज्ञात, है।
चेक सं० 031504 दि० 22.5.17 19,400		श्री भानुप्रताप ए०पी०ओ०	
चेक सं० 015168 दि० 23.9.17 21,580		श्री विनित कुमार मिश्र, ए०डी०ओ०(पं)	
चेक सं० 015169 दि० 23.9.17 14,800		श्री आनन्द कुमार	

चेक सं० 015174 दि० 22.3.18	12,000	स्टेशनरी क्रय
चेक सं० 015175 दि० 22.3.18	2,700	स्टेशनरी क्रय
चेक सं० 031518 दि० 9.7.18	10,000	श्री रतन कुमार
चेक सं० 031523 दि० 8.8.18	1,45,789	फर्नीचरक्रय
चेक सं० 036655 दि० 15.2.19	5,590	श्री विनित कुमार मिश्र, ए०डी०ओ०(पं)
योग—	2,43,859	

2—इसी प्रकार आलोच्य वर्षों में पी एम जी ए वाइ कॉन्टीजेन्सी के मद में निम्नांकित चेकों का आहरण प्राप्त किया गया है जिसके व्यय पुष्टि में बिल/ बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे अतः प्रमाणक विहित व्यय का होना स्पष्ट होता है। विवरण इस प्रकार है:—

चेक सं०	तथा दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
चेक सं० 034227 दि० 19.7.17—रु०	9,700	श्री योगेश कुमार	बिल / बाउचर	
चेक सं० 023176 दि० 23.9.17	4,150	श्री वेद प्रकाश	केअभाव में कार्य	
चेक सं० 023177 दि० 23.9.17	11,750	विद्युत मरम्मत कार्य	काप्रयोजन तथा	
चेक सं० 034338 दि० 29.8.18	2,500	श्री पी०पी० मल्होत्रा	वास्तविक व्यय के	
चेक सं० 034339 दि० 29.8.18	11,650	स्टेशनरी क्रय	सदुपयोगकी स्थिति	
चेक सं० 034242 दि० 29.8.18	2,500	प्रशिक्षण नाश्ता	अज्ञात, है।	
चेक सं० 034250 दि० 27.12.18	3,320	स्टेशनरी क्रय		
योग—	45,570			

आलोच्य वर्ष में 14 वां वित्त कान्टीजेन्सी के मद में रु० 2,43,859 तथा पीएम जी ए वाइ कॉन्टीजेन्सी के मद में रु० 45,570 कुल धनराशि रु० 2,89,429 का व्यय संदिग्ध है, लेखा परीक्षा मानको के अनुसार बिल/ बाउचर अप्राप्त रहने की स्थिति में उक्त धनराशि को अपहरण माना जाता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली संबंधित पक्षों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप—03

जनपद का नाम— बागपत

मण्डल का नाम—मेरठ।

(क्षेत्र पंचायत खेकड़ा की वर्ष 2011—12 से 2018—19 तक की सम्बन्धित आपत्तियाँ)

वर्ष 2011—12 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष 2011—12 में राष्ट्रीय बायो गैस अनुदान मद के अन्तर्गत रु. 32000.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची, निर्मित बायो गैस संयंत्र का लाभार्थी के साथ फोटोग्राफ, संयंत्र के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र, वर्षवार इनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—03)

प्रस्तर संख्या—02 आलोच्य वर्ष 2011—12 एस०जी०एस०वाई० अनुदान के अन्तर्गत रु. 738000.00 मनरेगा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत रु. 227713.00 मनरेगा ग्राम पंचायत प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रु. 48577.50 व्यय किया गया दर्शित है। व्यय की पुष्टि हेतु सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—04)

प्रस्तर संख्या—03 दिनांक 09—05—11/07—06—11 को चैक संख्या 581818 द्वारा रु. 74905.00 का फर्नीचर क्रय क्षेत्र पंचायत खेकड़ा द्वारा किया गया दर्शित है। उक्त क्रय से सम्बन्धित कुटेशन पत्रावली, क्रय की स्वीकृति, स्टॉक लेखा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है, जिससे क्रय सामग्री की नियमानुसार खरीद तथा स्टॉक लेखे में आमद की पुष्टि की जा सकें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—06)

प्रस्तर संख्या-04 दिनांक 19-11-11 को गायत्री इलैक्ट्रिकल खेकड़ा को रु. 19600.00 का भुगतान चैक संख्या 572987 द्वारा किया गया, जोकि इन्वर्टर बैटरी का किया गया था। उक्त क्रय से सम्बन्धित कूटेशन पत्रावली तथा स्टॉक लेखा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। जिससे क्रय सामग्री की नियमानुसार खरीद तथा स्टॉक लेखे में आमद की पुष्टि की जा सके। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर संख्या-05 आलोच्य वर्ष 2011-12 के बैंक स्टेटमेंट व निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न चैक के माध्यम से कर से सम्बन्धित धनराशियों का आहरण जमा कराया जाना दर्शित है जो अनौचित्यपूर्ण तथा गम्भीर आपत्ति का विषय रहा। प्रिया सॉफ्ट कैंश बुक अनुसार उक्त धनराशियों का आहरण बी0डी0ओ0 द्वारा किया गया दर्शित है, तथा सम्बन्धित मदों में दर्शाया गया। उक्त भुगतानों की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नहीं किये गये। किसी भी प्रकार के कर का भुगतान चैक के माध्यम से शाखा प्रबन्धक के नाम से होना चाहिए था।

इस प्रकार उक्त आहरित धनराशि रु.अ 146434.00 से लिये गये विभिन्न प्रकार के करों (टैक्स) के जमा की पुष्टि नहीं होती है। स्पष्ट है कि चालान प्रस्तुत कर जमा करों की पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की दशा में बी0डी0ओ0 द्वारा उक्त धनराशि का आहरण मानते हुए उक्त धनराशि तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर संख्या-06 आलोच्य वर्ष 2011-12 में मैड़ापुर में तालाब से रटौल सिगौली तगा मार्ग तक खडंजा निर्माण का कार्य श्री संजय त्यागी कोंट्रेक्टर द्वारा कराया गया दर्शित है, जिसमें कुल भुगतान रु. 575296.00 का किया गया। चैक संख्या 581824 द्वारा रु. 23012.00 बिक्री कर, रु. 13232.00 चैक संख्या 581823 द्वारा आयकर का तथा रु. 475769.00 फर्म को भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में मात्र कोंट्रेक्टर के बिल संलग्न पाये गये। इन बिलों पर टिन नम्बर भी अंकित नहीं था। अन्य कोई पत्रावली उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त पत्रावली पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर संख्या-07 वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा प्रारूप 01 से 05 में दो ऐसे निर्माण कार्यों का विवरण दिया गया जोकि 2010-11 से सम्बन्धित है। गढ़ीकलजरी में खेमराज से नदी की ओर मार्ग में खडंजा निर्माण (487600.00) तथा बड़ागोंव में मंशा देवी से यमुना नहर तक मार्ग में अवशेष खडंजा निर्माण कार्य (359900.00) के भुगतान 2011-12 में किये गये। उक्त दोनों कार्यों से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। समस्त पत्रावली प्रस्तुत कर दर्शित व्यय रु. 847500.00 की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या-08 ग्राम भगौट में भोपाल सिंह पब्लिक स्कूल से मन्दिर मार्ग पर खडंजा कार्य में जमानत राशि ठेकेदार से जमा न कराकर बिल से काटी गई है जो कार्य के प्रारम्भ में ठेकेदार से काटी जानी थी। बी0डी0ओ0 के द्वारा लिखा गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। उसके बावजूद जमानत की धनराशि वापस कर दी गई, आवश्यक कार्यवाही की जाये, इसी कार्य में सैस की धनराशि रुपये 3633.00 काटी गई थी जिसे चैक संख्या 819846 दिनांक 03-04-2012 को ठेकेदार के अनुरोध पर वापस कर दिया गया। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-47)

प्रस्तर संख्या-09 ग्राम अहमदनगर में राजपाल के खेत से काशीराम की ट्यूबवैल तक खडंजा कार्य में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

1. मिट्टी कार्य रु. 755.00 का कराया गया है रॉयल्टी नहीं काटी गई है।
2. बिल साधारण है टिन नम्बर के नहीं है।
3. सैस की धनराशि रु. 5528.00 काटी गई थी जिसे चैक संख्या 819849 दिनांक 15-04-13 के द्वारा वापिस ठेकेदार को दे दिया गया है। उक्त की रॉयल्टी व सैस की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट (तत्कालीन) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-48)

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम मसूरी में अब्दुल्ला मार्ग पर पुलिया निर्माण में निम्न आपत्तियां पाई गई:-

1. जमानत की धनराशि ठेकेदार से जमा न कराकर बिल से काटी गई है।
2. मिट्टी कार्य 37.35+247.9+57.35 कुल 342.8 क्यूबिक मी. कराया गया है, रॉयल्टी नहीं काटी गई जो 9.00 रुपये प्रति क्यूबिक मी. से 3083.00 बनती है।
3. सैस पहले बिल में 674.00 जोड़ा गया फिर काटा गया तथा दूसरे बिल में नहीं जोड़ा गया और न काटा गया, दूसरे बिल की सैस धनराशि 207.00 बनती है। कुल 881.00 होती है। उक्त रॉयल्टी व सैस की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-49)

प्रस्तर संख्या-11 खेल में मुख्य मार्ग पर सी0सी0 रोड़ कार्य में निम्न आपत्तियां पाई गई हैं:-

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
 2. मिट्टी कार्य 1 किमी0 ढलाई रॉयल्टी के साथ लिखा है, परन्तु बिल से रॉयल्टी नहीं काटी गई। 57 क्यूबिक मी0 की 9 रुपये प्रति क्यूबिक के हिसाब से 513.00 होता है।
 3. सैस नहीं काटा गया है, कुल बिल रु. 156162.00 व 1562.00 सैस बनता है।
- उक्त की रॉयल्टी व सैस की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-52)

प्रस्तर संख्या-12 महारामपुर शमशान घाट की चार दीवारी कार्य पर रॉयल्टी नहीं काटी गई तथा सैस रु. 4248.00 बिल में जोड़ा गया है। रॉयल्टी रु. 513.00 व सैस रु. 4248.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-53)

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम लहचौड़ा में ओमपाल से अमीलाल नाली निर्माण कार्य में सैस रु. 1572.00 जोड़ा गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-54)

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम सहवानपुर में खजान के घर से जयराम के घर तक नाली निर्माण में सैस रु. 967.00 जोड़ा गया है तथा मिट्टी कार्य 77.09 क्यूबिक मी0 पर रॉयल्टी नहीं काटी गई है सैस की धनराशि व्यय रॉयल्टी की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-55)

प्रस्तर संख्या-15 अब्दुलपुर तगा के पूरब में नाले की पुलिया निर्माण में मिट्टी कार्य 61.13 क्यूबिक मीटर पर रॉयल्टी नहीं काटी गई तथा प्रथम बिल में सैस 424.00 जोड़ा गया, दूसरे बिल में रु. 26699.00 पर सैस न जोड़ा न काटा गया जो रु. 264.00 होना था। इस प्रकार रॉयल्टी 550.00 तथा सैस 424+267 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-56)

प्रस्तर संख्या-16 क्षेत्र पंचायत द्वारा आयकर 39973.00 व्यापार कर 69588.00 व सैस 10106.00 से सम्बन्धित कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित विभागों में भेजने के बजाय बी0डी0ओ0 महोदय को सेल्फ चैकों के द्वारा दिया दर्शाया है। उक्त धनराशि का आहरण कर किसे दी गई है। प्रमाणक व खातें उपलब्ध न होने के कारण जाँच न हो सकी। जाँच उपरान्त यदि धनराशि सम्बन्धित विभागों नहीं भेजी गयी है तब सम्बन्धित बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-57)

प्रस्तर संख्या-17 ठेकेदारों से लाईसेन्स शुल्क रसीद संख्या 13553 दिनांक 01-10-2011 के द्वारा रु. 500.00 ली गई है परन्तु उसे आय में नहीं जोड़ा गया है, इसकी ब्याज सहित वसूली कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-68)

प्रस्तर संख्या-18 बड़ागाँव मंशा देवी मन्दिर से यमुना नहर खड़जा कार्य में प्रथम व द्वितीय दो बिल क्रमशः रु. 156870.00 तथा 200507.00 के बनाये गये। जिसमें आयकर 4212.00 तथा व्यापार कर 4476.00 कुल 8688.00 काटा गया। जबकि दोनों बिलों पर आयकर रु. 8220.00 व्यापार कर 14295.00 व सैस रु. 3574.00 कुल रुपये 26089.00 काटा जाना था। जिस प्रकार रुपये 17401.00 कम काटा गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, कैशियर व जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-69)

प्रस्तर संख्या-19 गाँव भैड़ापुर से सिंगौली तगा व रटौल मार्ग पर खड़जा कार्य में निम्न कमियां पायी गयी:-

(क) मिट्टी कार्य कराया गया परन्तु रॉयल्टी नहीं काटी गई है।

(ख) कार्ययोजना में कार्य की लागत 4.36 लाख थी जिसे बढ़ाकर 585000.00 कर दिया गया। बिल 575296.00 का बनाया गया। यह नियम विरुद्ध है। 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिये अलग निविदा निकाली जानी चाहिए थी। जो नहीं निकाली गई।

(ग) सैस की धनराशि 5753.00 काटी गई थी। जिसे चैक संख्या 819835 दिनांक 4-03-2013 के द्वारा वापस ठेकेदार को कर दिया गया। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-70)

वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-20 आलोच्य वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय बायो गैस अनुदान मद के अन्तर्गत रु. 8000.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची, निर्मित बायो गैस संयंत्र का लाभार्थी के साथ फोटोग्राफ, संयंत्र के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र, वर्षवार इनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-21 आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि के अन्तर्गत रुपये 1152285.00 की धनराशि का व्यय किया गया, जिससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसी प्रकार एस0जे0आर0वाई0 दुलाई भत्ता के अन्तर्गत रुपये 81938.00 मनरेगा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत रुपये 89936.00 मनरेगा प्रा0पं0 अंश प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत रु.73045.00 एस0जे0आर0वाई0 अनुदान के अन्तर्गत रु. 297500.00 एस0जे0आर0वाई0 मानदेय (सुविधादाता) के अन्तर्गत 120120.00 तथा एस0जे0आर0वाई0 अनुदान के अन्तर्गत रु. 90000.00 की धनराशि का व्यय दर्शित है, जिनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः कुल रुपये 1606724.00 की धनराशि का व्यय अपुष्ट रहा, जिससे वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-22 दिनांक 16-03-2013 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार चैक संख्या 819839 द्वारा रु. 20800.00 का आहरण किया गया। सेल्फ एकाउन्ट द्वारा तथा 25-03-2013 को रु. 9200.00 का कैश डिपोजिट किया गया। उक्त आहरण से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सेल्फ के आहरण का औचित्य स्पष्ट हो सका। अतः उक्त धनराशि रुपये 20800-9200=11600.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाये। अन्यथा की दशा में रुपये 11600.00 की ब्याज सहित वसूली एकाउन्टेन्ट/बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर संख्या-23 आलोच्य वर्ष 2012-13 के बैंक स्टेटमेन्ट व निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न चैक के माध्यम से कर से सम्बन्धित धनराशियों का आहरण जमा कराया जाना दर्शित है जो अनऔचित्यपूर्ण तथा गम्भीर आपत्ति का विषय रहा। प्रिया सॉफ्ट कैश बुक अनुसार उक्त धनराशियों का आहरण बी0डी0ओ0 द्वारा किया गया दर्शित है, तथा सम्बन्धित मदों में जमा कराया गया दर्शित है। उक्त भुगतानों की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नहीं किये गये। किसी भी प्रकार के कर का भुगतान चैक के माध्यम से शाखा प्रबन्धक के नाम से होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त आहरित धनराशि रु. 104484.00 से लिये गये विभिन्न प्रकार के करों के जमा की पुष्टि नहीं होती है। स्पष्ट है कि चालान प्रस्तुत कर जमा करों की पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की दशा में बी0डी0ओ0 द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या-24 आलोच्य वर्ष 2012-13 के बैंक स्टेटमेन्ट की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत एकाउन्टेन्ट श्री हवा सिंह द्वारा विभिन्न तिथियों में चैक के माध्यम से रु. 12712.00 आहरण किया गया जोकि अनऔचित्यपूर्ण तथा गम्भीर आपत्ति का विषय रहा। उपरोक्त धनराशियों से सम्बन्धित कोई भी विवरण/प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभिलेख/प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री हवा सिंह एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या-25 आलोच्य वर्ष में दिनांक 03-10-2012 को चैक संख्या 819524 द्वारा अंकन रु. 15000.00 तथा दिनांक 28-01-2013 में चैक संख्या 819831 द्वारा रु. 7418.00 कुल रु. 22418.00 का भुगतान हिस्दुस्तान इक्वेट्रीनिक्स कारपोरेशन को किया गया। जिससे सम्बन्धित कोई भी विवरण/प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति सम्बन्धित से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत द्वारा भैड़ापुर तालाब पर रटौल-सिंगौली मार्ग तक अवशेष खडंजा कार्य पर ठेकेदार से सैस रु. 5753.00 काटा गया था जिसे चैक संख्या 819835 दिनांक 04-03-2013 के द्वारा वापस ठेकेदार को कर दिया गया। इस धनराशि की वसूली बी0डी0ओ0 व कैशियर से की जानी अपेक्षित है। इस कार्य पर आयकर व व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी जो क्रमशः 13232.00 व 23012.00 बनती है। उक्त से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-62)

प्रस्तर संख्या-27 बड़ागाँव में अद्वैत तपस्वी परिसर में सी0सी0 टाईल्स कार्य के आयकर व बिक्री कर का चैक संख्या 819833 दिनांक 05-02-2013 व रु. 17916.00 का सेल्फ बी0डी0ओ0 के नाम से दिया गया है। यह धनराशि सम्बन्धित विभाग को भेजी गई या नहीं, की पुष्टि नहीं हो पायी है। प्रमाणक उपलब्ध कराया जाये अन्यथा की दशा में तत्कालीन बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-63)

प्रस्तर संख्या-28 ग्राम खैला में शमशान घाट की चार दीवारी एवं शेड़ निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

1. सैस नहीं काटा गया जो रु. 1616.00 बनता है। इसकी वसूली बी0डी0ओ0 व कैशियर से की जाये।
2. कार्य की आयकर व व्यापार कर की कटौती रु. 10180.00 सेल्फ चैक संख्या 819836 दिनांक 04-03-2013 के द्वारा दिया दर्शाया है। इस धनराशि का आहरण कर किसे दिया गया है विवरण नहीं दिया गया है। सम्बन्धित को भेजने का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-66)

प्रस्तर संख्या-29 बड़ागाँव में अद्वैत तपस्वी आश्रम परिसर में सी0सी0 टाईल्स कार्य पर सैस रु. 2844.00 ठेकेदार से कटौती नहीं की गयी। जबकि भुगतान के समय बी0डी0ओ0 महोदय द्वारा 01 प्रतिशत सैस काटकर पेमेन्ट की बात लिखी थी। इस प्रकार रु. 2844.00 की राजस्व की हानि कैशियर के द्वारा की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली कैशियर श्री हवा सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-77)

प्रस्तर संख्या-30 ग्राम शरफाबाद में कब्रिस्तान से राज सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

(क) मिट्टी कार्य रु. 23037.50 व 13400.00 कुल रु. 36437.50 का कराया गया जिसकी रॉयल्टी नहीं काटी गई है। रॉयल्टी की गणना कर जे0ई0 से वसूली की जाये।

(ख) सैस रु. 4089.00 काटा जाना था जो नहीं काटा गया। इसकी वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(ग) इस कार्य के आयकर व बिक्री कर के चैक सेल्फ बी0डी0ओ0 के नाम से चैक संख्या 819843/45 दिनांक 25-03-2013 के द्वारा किया गया। इसकी सम्बन्धित विभाग में जमा होनी की पुष्टि खातों व प्रमाणक के अभाव में नहीं हो सकी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-78)

वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-31 आलोच्य वर्ष 2013-14 में विभिन्न तिथियों में रु. 110953.00 का आहरण किया गया। प्रिया सॉफ्ट कैश बुक की जांच में पाया गया कि उक्त धनराशि का आहरण बी0डी0ओ0 द्वारा किया गया तथा इनकम टैक्स/सेल टैक्स मद में जमा किया गया जो आपत्ति जनक रहा। उक्त करों का भुगतान चैक द्वारा किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में चालान/पुष्टि पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भुगतान इनकम टैक्स/सेल टैक्स का किया गया। वांछित प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये अन्यथा की दशा में धनराशि की बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या-32 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार रु. 24974.00 का भुगतान इनकम टैक्स/सेल टैक्स का रु. 24600.00 का भुगतान गद्दीकलंजरी में नाली निर्माण रु. 13400.00 का भुगतान दुर्गापुर

नांगलबाडमी में साइन बोर्ड निर्माण का भुगतान किया गया तथा रु. 26380.00 इनकम/सेल टैक्स का भुगतान किया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी चालान/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, स्थिति संदिग्ध रही। सम्भवतः बी0डी0ओ0 द्वारा धन का अपहरण किया गया। अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर संख्या-33 क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम अहमद नगर में राजपाल के खेत से काशीराम की ट्यूबवेल तक खड़जा कार्य में सैस रु. 5528.00 भारत कंस्ट्रक्शन बागपत के बिल से काटी गई थी। जिसे चैक संख्या 819849 दिनांक 15-04-2013 के द्वारा वापस ठेकेदार को कर दिया गया जबकि सैस की धनराशि सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी थी। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा कैशियर से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-83)

प्रस्तर संख्या-34 डरपुर जू0हा0 से राजू तक अवशेष कार्य में सैस 01 प्रतिशत रु. 3064.00 नहीं काटा गया इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, कैशियर तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-85)

प्रस्तर संख्या-35 ललियाना में जहान सिंह से खेमचन्द्र तक सी0सी0 टाईल्स के कार्य में सैस रु. 4187.00 ठेकेदार के बिल से नहीं काटा गया जो काटा जाना था। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, कैशियर तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-86)

प्रस्तर संख्या-36 क्षेत्र पंचायत द्वारा चैक संख्या 704315 दिनांक 15-06-2013 को रु. 2520.00 बिक्री कर, आयकर व विकास खण्ड की रंगार्ड-पुतार्ड कार्य हेतु सेल्फ चैक के रूप में दिया है, किया गया पेमेन्ट संदिग्ध प्रतीत होता है। इसकी आयकर/बिक्री धनराशि की जमा की पुष्टि अभिलेखों से कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-87)

प्रस्तर संख्या-37 क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न बिलों से सैस की धनराशि की कटौती न करके अपने तरफ से जोड़ी गई। जो निम्न प्रकार है:-

(क) भगौट में मनोज से काशी प्रधान तक नाली व सी0सी0 टाईल्स कार्य में सैस धनराशि 2237.00 जोड़ी गई।

(ख) विनयपुर में चन्दर के मकान से यशपाल के मकान तक सी0सी0 टाईल्स कार्य में सैस की धनराशि 1252.00 जोड़ी गई।

(ग) गढ़कलंजरी में सोनू के मकान से सिरौरा मार्ग खड़जा कार्य में सैस की धनराशि रु. 1170.00+5573.00 जोड़ी गई।

(घ) घोटरा रेलवे क्रॉसिंग पर सी0सी0 टाईल्स रास्ता निर्माण में दूसरे बिल में सैस की धनराशि रुपये 5021.00 जोड़ी गई। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-87)

प्रस्तर संख्या-38 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों में ठेकेदार से सैस कटौती की गई, जो निम्न प्रकार है:-

(क) घोटरा रेलवे क्रॉसिंग सी0सी0 टाईल्स निर्माण प्रथम बिल सैस रु. 2470.00 नहीं काटा गया।

(ख) फिरोजपुर कान्ति त्यागी से मण्डौला सम्पर्क मार्ग नाली निर्माण कार्य एक बिल से सैस रु. 2380.00 नहीं काटा गया।

(ग) गौना में ईश्वर प्रधान के खेत से जगवीर के खेत तक खड़जा निर्माण में सैस रु. 5476.00 नहीं काटा गया।

(घ) विनयपुर राजीव से तालाब तक नाली निर्माण कार्य में सैस रु. 3800.00 नहीं काटा गया है।

(ङ) विनयपुर यशपाल के घर से खेत की ओर खड़जा पर सैस रु. 773.00 नहीं काटा गया इस प्रकार कुल रुपये 14899.00 की कटौती न कर राजस्व की हानि की गई है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, कैशियर तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-90)

प्रस्तर संख्या-39 क्षेत्र पंचायत द्वारा गढ़ी कलंजरी मार्ग से रमेश के मकान तक इन्टर लॉकिंग कार्य में कुल बिल सैस को जोड़कर रु. 518838.00 बनाया गया। जिसमें से सैस रुपये 5188.00, आयकर रु. 11815.00, व्यापार कर रुपये 20548.00, रॉयल्टी रु. 5208.00 व 08 प्रतिशत जमानत रुपये 41096.00

काटी गयी। कटौती के पश्चात् धनराशि 434983.00 बचती है, जबकि फर्म को चैक 440242.00 दिया गया है। इस प्रकार रु. 5259.00 का अधिक पेमेन्ट किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0, जे0ई0 व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-91)

प्रस्तर संख्या-40 गढ़ी कलंजरी सोनू के मकान से सिरौरा मार्ग तक खड़जा कार्य के बिल दो में आयकर 2.3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत काटा गया है जबकि एक बिल में ठीक 2.3 प्रतिशत काटा गया था। इस प्रकार आयकर रु. 12692.00 के स्थान पर रु. 5518.00 काटा गया। जिससे रुपये 7174.00 के राजस्व की हानि हुई तथा ठेकेदार को अनुचित तरीके से फायदा पहुँचाया गया इस धनराशि रु. 7174.00 की ब्याज सहित वसूली जे0ई0 व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-92)

प्रस्तर संख्या-41 दिनांक 11-06-2014 में 21 साईन बोर्डों के लिये रु. 3350.00 प्रति बोर्ड की दर से कुमार इन्टरप्राइजेज लोनी गाजियाबाद को रु. 70350.00+710.00 (सैस) कुल 71060.00 का पेमेन्ट दिया गया। इस प्रकार सैस की धनराशि बिल से काटने के बजाये बिल में जोड़ कर पेमेन्ट कर दी गयी। सैस की धनराशि रु. 710.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 और कैशियर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-94)

प्रस्तर संख्या-42 विकास खण्ड खेकड़ा के कार्यालय के जिर्णोद्धार के दूसरे बिल में बिक्र कर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी। बिल रु. 283220.00 का था। जिस पर 4 प्रतिशत बिक्री कर रुपये 11329.00 बनता है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, कैशियर व जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-95)

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-43 दिनांक 23-06-2014 को चैक संख्या 39646122 द्वारा रु. 58000.00 का आहरण श्री हवा सिंह द्वारा किया गया दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट कैशबुक अनुसार उक्त चैक संख्या 39646122 द्वारा रुपये 35715.00 का भुगतान बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय का किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई धन प्राप्ति रसीद, बी0डी0सदस्यों का विवरण, कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण व्यय की गई रु. 58000.00 धनराशि गबन की गई प्रतीत होती है। स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की श्री हवा सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या-44 दिनांक 10-02-15 को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार चैक संख्या 46104418 द्वारा रु. 57500.00 का आहरण बी0डी0ओ0 द्वारा किया गया दर्शित है जबकि प्रिया सॉफ्ट कैश बुक में उक्त चैक से आहरित धनराशि रु. 35450.00 दर्शित है। उक्त धनराशि का भुगतान बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय का किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी धनराशि प्राप्ति रसीद, बी0डी0सी0 सदस्यों का विवरण, कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। व्यय की गई धनराशि गबन की गयी प्रतीत होती है। पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाये। अन्यथा उक्त धनराशि की बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर संख्या-45 दिनांक 11-10-2014 को चैक संख्या 47766394 द्वारा श्री सत्यप्रकाश को रु. 33400.00 का भुगतान 03 बैट्री तथा इन्वर्टर ट्राली का किया गया दर्शित है। क्रय की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, स्टॉक लेखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण व्यय संदिग्ध रहा। अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर संख्या-46 दिनांक 06-08-2014 को हवा सिंह द्वारा चैक संख्या 290039646130 से रु. 14298.00, सेल्फ चैक से (47764192) रु. 14505.00 तथा दिनांक 15-09-2014 को बी0डी0ओ0 द्वारा चैक संख्या 46104052 से रु. 21434.00 का आहरण कार्यालय व्यय हेतु किया गया, परन्तु व्यय से सम्बन्धित प्रपत्र/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है। अन्यथा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-31)

प्रस्तर संख्या-47 वर्ष 2014-15 में विकास खण्ड परिसर में क्वार्टरों एवं विकास खण्ड कार्यालय के रास्तों पर इन्टरलॉकिंग कार्य कराया गया, जिसमें टी0डी0एस0 2.4 प्रतिशत रु. 11,416.00, वैट 4 प्रतिशत रुपये 19027.00, रॉयल्टी रु. 1364.00 तथा सैस 4757.00 कुल धनराशि 36564.00 को एक ही चैक संख्या 766405 द्वारा जमा किया गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। उक्त से सम्बन्धित चालान भी लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण उक्त धनराशि के सम्बन्धित खाते में जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। चालान प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-33)

प्रस्तर संख्या-48 वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कुछ निर्माण पत्रावलियों मात्र प्राक्कलन तथा तुलनात्मक चार्ट ही संलग्न थे। इस प्रकार कराये गये कार्यों पर रु. 1382626.00 का भुगतान किया गया, परन्तु निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र, फार्म/ठेकेदार का बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 टेण्डर पत्रावली, साइन बोर्ड, साईट फोटोग्राम परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। कृत निर्माण कार्य तथा व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। पुष्टि हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये जायें। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-34)

प्रस्तर संख्या-49 वर्ष 2014-15 की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड अधिकारी द्वारा विभिन्न गाँवों में सौलर स्ट्रीट लाईट स्थापना पर रु. 1768000.00 का भुगतान बालाजी इलैक्ट्रिक गोयला (मु0नगर) को दर्शाया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां रही:-

1. पत्रावली में गाँवों की सूची तथा क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव संलग्न नहीं था।
2. किस गाँव में किस स्थान पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना करनी है, के सम्बन्ध में कोई सूची/पत्र संलग्न नहीं था।
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में सौलर लाईट की स्थापना की आवश्यकता के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों अथवा गाँव वासियों के पत्र संलग्न नहीं रहे हैं।
4. सौलर लाईट (यदि आवश्यकता थी) के क्रय नेडा, जो सरकारी विभाग है से लाईट क्रय क्यों नहीं की गयी जबकि प्राथमिकता नेडा ही होना चाहिए था, वहाँ सौलर लाईट की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बाहर से क्रय की जा सकती थी इस सम्बन्ध में नेडा का कोई पत्र संलग्न नहीं रहा, जो आवश्यक था।
5. उक्त कार्य कराने हेतु पंचायत द्वारा कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन निकलवाया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया।
6. मनमर्जी से कार्य का ठेका दिया गया है। तीन ठेकेदार बालाजी इलैक्ट्रिक गोयला (मु0नगर), कमल इलैक्ट्रिक कम्पनी बागपत व दुर्गा इलैक्ट्रिक खतौली (मु0नगर) से टेण्डर बिक्री फार्म जिसकी कीमत कम से कम रुपये 300.00+वैट तथा 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा नहीं कराई गयी। ठेकेदारों का बिजली विभाग में कार्य करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
7. उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है जिस कारण कार्यों की पुष्टि नहीं होती साथ ही कार्यों की पुष्टि हेतु लाईटों के फोटोग्राफ तथा जिनके यहाँ लाईट लगी है उनके प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहे।

उक्त कारणों से कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित से उक्त की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-35)

प्रस्तर संख्या-50 दिनांक 25-02-2015 को चैक संख्या 214603 द्वारा रु. 499200.00 का भुगतान बालियान इलैक्ट्रिक वर्क्स श्रद्धापुरी कंकरखेड़ा, मेरठ को 25 सौलर स्ट्रीट लाईट का किया गया है तथा चैक संख्या 214602 द्वारा रु. 20800.00 टी0डी0एस0 का भुगतान किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय संदिग्ध रहा। व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित से उक्त की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-36)

प्रस्तर संख्या-51 रुपये 210138.00 फर्नीचर क्रय दर्शित है। क्रय की स्वीकृति, क्रय से सम्बन्धित कोई पत्रावली, स्टॉक लेखा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण क्या फर्नीचर क्रय किया गया जानकारी व जाँच नहीं हो सकी। व्यय संदिग्ध रहा। व्यय पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जायें अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-37)

प्रस्तर संख्या-52 आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम रटौल में रटौल सम्पर्क मार्ग से रामबीर के घर तक एवं शाखाओं में सी0सी0 टाईलस कार्य कराया दर्शित है। सम्बन्धित पत्रावली में मात्र कॉन्ट्रेक्टर संजय कुमार त्यागी का बिल संलग्न पाया गया। जिस पर टिन नम्बर अंकित नहीं था। अन्य कोई भी प्रपत्र प्रश्नावली

मे संलग्न नहीं पाया गया। उक्त बिल के आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक संख्या 46104423 से रु. 426388.00 का भुगतान संजय त्यागी को बैंक संख्या 46104422 से रु. 4917.00 सैस, बैंक संख्या 46104420 से रु. 19668.00 वैट तथा बैंक 46104419 द्वारा रु. 4917.00 टी0डी0एस0 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल रु. 454268.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया परन्तु कृत कार्य तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध रहा। समस्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-41)

प्रस्तर संख्या-53 क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण बिलों का सैस की धनराशि जोड़कर भुगतान किया गया है। इस प्रकार कराये गये निर्माण कार्यों से सैस की धनराशि रु. 47530.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार से कटौती न करने बिल में जोड़कर भुगतान किया गया तथा ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 तथा कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-45)

वर्ष 2015-16 व 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-54 वर्ष 2015-16 व 2016-17 में निम्नलिखित कार्यों की लागत रु. पाँच लाख से अधिक थी। किन्तु शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-03-15 के बिन्दु 04(घ) के अनुसार कराये गये कार्यों की कार्ययोजनाओं का जिला अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया और न ही उक्त शासनादेश के बिन्दु पाँच के अनुसार अभियन्ता जिला पंचायत से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई अतः शासनादेश के विरुद्ध कार्य कराने के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (रुपये)
1.	घिटौरा में तालाब के तीन तरफ सी0सी0 इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	86100.00
2.	गढ़ी कलंजरी में बली के मकान से पाली के मकान तक सी0सी0 रोड़।	582300.00
3.	डूडाहेड़ा में धर्म कॉटें से इलम के खेत तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	628000.00
4.	सिंगौली तगा में हकीकत मोहम्मद से विनोद जगनपाल तक सी0सी0 रोड़।	828000.00

योग

2899300.00

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-55 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की 01 प्रतिशत धनराशि (लेबर सैस) का प्रावधान एस्टीमेट व बिलों में किया गया। तत्पश्चात् 01 प्रतिशत की धनराशि काट कर जमा करायी गई है। जोकि गम्भीर अनियमितता रही है। वर्ष 2015-16 में रु. 3209276.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु. 7401192.00 के कार्य कराये गये। जिन पर रुपये 32092.00 रु. 74011.00 कुल रु. 106103.00 लेबर सैस की कटौती केवल ठेकेदारों के बिलों से कर राजकीय कोष में जमा करायी जानी थी परन्तु ऐसा न कर अनियमित रूप से रु. 106103.00 का बिलो में प्रोविजन किया गया जिससे राजकीय धन की क्षति हुई। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रु. 106103.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0आ0 एवं लेखाकारों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-56 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों 2015-16 व 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल 16 निर्माण कार्य कराये गये निर्माण कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित की गई तथा प्रत्येक कार्य के लिये न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त के अनुसार कुल 48 निविदा प्राप्त हुई जिस पर रु. 300.00 की दर से निविदा शुल्क के हिसाब से कुल रु. 14400.00 की आय क्षेत्र पंचायत द्वारा दर्शायी जानी चाहिए थी। परन्तु उक्त धनराशि जमा करने की पुष्टि न हो सकी। इसके अतिरिक्त 02 प्रतिशत धरोहर राशि भी एन0एस0सी0/एफ0डी0/नकद के रूप में जमा करानी आवश्यक होती है। धरोहर राशि के बिना टेण्डर स्वीकार नहीं होते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान धरोहर राशि के जमा होने की पुष्टि नहीं हुई। अतः या तो टेण्डर फार्म राशि एवं धरोहर राशि जमा करने की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा रु. 14400.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-57 आलोच्य वर्ष 2015-16 व 2016-17 में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2015-16 में व्यय (रुपये)	वर्ष 2016-17 में व्यय (रुपये)
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रशिक्षण।	-	2860.00

2.	क्षेत्र निधि ब्याज।	280.00	1449.00
3.	मनरेगा प्रशासनिक मद।	231861.00	194826.00
4.	भीम राव अम्बेडकर जन्मदिवस।	4030.00	3880.00
5.	महान विभूतियों का जन्मदिवस।	—	4850.00
6.	पंचायत निर्वाचन बूथ निर्माण।	—	66008.00
7.	सी0सी0एल0 ऑडिट सभा जलपान।	2000.00	—
8.	कार्यालय विद्युत बिल।	—	28198.00
योग		238171.00	302071.00

उपरोक्त कुल व्यय रु. 540242.00 (238171+302071.00) क सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे लेखा परीक्षा स्तर पर किये गये उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त समस्त व्यय रु. 540242.00 अपहृत रहा। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर संख्या-58 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान पर कुछ बिलों पर टी0डी0एस0 कटौती 2 प्रतिशत की दर से की गयी है तथा कुछ बिलों पर यह कटौती 2.4 प्रतिशत या 2.24 प्रतिशत की दर से की गयी है जबकि शासकीय निर्देशानुसार टी0डी0एस0 कटौती की अनुमत्य दर 2 प्रतिशत ही है। ऐसा न करके निर्देशों की अवमानना की गयी है जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार जिम्मेदार है। उपरोक्त निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	टी0डी0एस0 (रु.)	आकलित दर	टी0डी0एस0 (रु.) / 2 प्रतिशत	अन्तर (रु.)
1.	सिंगौली तगा में हकीकत मोम्मद से विनोद के यहाँ तक सी0सी0 रोड कार्य।	19376.00	2.24 प्रतिशत	16146.50	3229.50 (अधिक)
2.	सांकरौंध मंदिर के बाहर खडंजा निर्माण।	4830.00	2.4 प्रतिशत	4024.50	805.50 (अधिक)
3.	बोरिंग एवं समर्सिबल स्थापना।	शून्य	—	1276.00	1276.00 (कम)
4.	ग्राम डगरपुर में बिटटू के खेत से जगदीश की टूबवेल तक खडंजा निर्माण कार्य।	996.00	1 प्रतिशत	1992.00	996.00 (कम)
5.	ग्राम गढ़ी कलंजरी में विजय के मकान से बाल्मीकि बस्ती तक नाली निर्माण।	3897.00	1 प्रतिशत	7794.00	3897.00 (कम)
6.	ग्राम घिठौरा में तालाब के तीन तरफ सी0सी0 इन्टरलॉकिंग कार्य।	6166.00	1 प्रतिशत	12332.00	6166.00 (कम)
7.	ग्राम विनयपुर में राजेश पूर्व बी0डी0सी0 से मनोज प्रधान के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	25872.00	2.4 प्रतिशत	21560.00	4312.00 (अधिक)
8.	ग्राम डगरपुर में सोहनलाल के मकान से प्रा0पाठशाला नं0-3 तक सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य।	4663.00	1 प्रतिशत	9326.00	4663.00 (कम)
9.	ग्राम गढ़ी कलंजरी में बली के मकान से पाली के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	4992.00	1 प्रतिशत	9984.00	4992.00 (कम)

इस प्रकार कुल भुगतान पर रु. 13643.00 कम टी0डी0एस0 कटौती करके उक्त धनराशि से राजस्व की हानि पहुँचाई गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-59 आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी0डी0ओ0 आवास पर एक किलोवॉट का इन्वर्टर क्रय किया गया। उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियों पाई गई:-

1. उक्त इन्वर्टर बी0डी0ओ0 आवास हेतु क्रय किया गया। बी0डी0ओ0 आवास में इन्वर्टर प्रयुक्त किये जाने हेतु कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त क्रय की स्थिति संदेहास्पद रही।
2. पत्रावली में विवरणानुसार बी0डी0ओ0 आवास हेतु एक ही इन्वर्टर का इंडेंट किया गया जबकि संलग्न सेल्स इनवॉइस अनुसार रु. 8646.00 के दो इन्वर्टर क्रय किये गये। अतः उक्त अनियमित क्रय के लिये

खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली तथा आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या-60 आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम सांकरौध में शमशान घाट छत्तरी/खड़जा निर्माण हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना अनुसार रु. पाँच लाख का व्यय सम्भावित था। किन्तु वर्ष 2016-17 में ग्राम सांकरौध में शमशाट में चार दीवारी निर्माण पर कुल व्यय रु. 801410.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य योजना से इतर कार्य कराना व रु. 301410.00 अधिक व्यय किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या-61 क्षेत्र पंचायत खेकड़ा द्वारा रु. 10.00 लाख से अधिक आगणन की तकनीकी स्वीकृति शासन से नहीं गई है जबकि जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार रु. 10.00 लाख के आगणना की तकनीकी स्वीकृति शासन से लिया जाना आवश्यक है। वर्ष 2016-17 में कराये गये रु. 10.00 लाख से अधिक आगणन के कार्य निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (रु.)
1.	साकरौध में शमशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य।	1254000.00
2.	मर्वीकला में कश्यप बस्ती में चौपाल निर्माण कार्य।	1353000.00
3.	विनयपुर में राजेश पूर्व बी0डी0सी0 से मनोज प्रधान के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	1097000.00

योग

3704000.00

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रु. 3704000.00 लागत के तीन कार्य शासन से स्वीकृति के लिये बिना कराये गये हैं। इस गम्भीर अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभिन्यता तथा ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर संख्या-62 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान प्राप्त हुआ:-

अनुदान पंजिका के अनुसार	रु.	5680701.47
लेखा आंकलन (आय व्यय अनुसार)	रु.	5678529.21
अन्तर	रु.	2172.26

इस प्रकार अनुदान पंजिका में रु. 2172.26 अधिक प्राप्त होना दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त धनराशि का भुगतान चैक संख्या 1908145 दिनांक 17-11-2016 द्वारा लेखाकार श्री हवा सिंह को किया गया है, परन्तु बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार उक्त भुगतान चैक द्वारा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है अर्थात् उक्त भुगतान लेखाकार को नकद किया गया है जोकि लेखा नियमों के विपरीत है व आपत्तिजनक है। अनुदान पंजिका प्राप्ति का योग बढ़ाकर दिखाया जाना गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या-63 वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा में ग्राम गढ़ी कलंजरी विजय के मकान से वाल्मीकि बस्ती तक नाली निर्माण कार्य के लिये किये गये भुगतान में रु. 14354.00 वैट की कटौती की गई है जोकि रु. 15433.00 होनी चाहिए थी। अतः रु. 1079.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। उक्त अन्तर का सुधार किया जाना अपेक्षित रहा। दायित्व का निर्धारण कर सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर संख्या-64 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में पाया गया कि निम्नानुसार कुल अर्थवर्क 1819.59 क्यूबिक मीटर का भुगतान रु. 202681.82 क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदारों को किया गया है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	ई/डब्लू (क्यूबिक मीटर.)	भुगतान (रु.)	रॉयल्टी (रु.)
1.	ग्राम सिंघोलितगा में हकीकत मोहम्मद के घर से विनोद नागपाल के यहाँ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण।	62.63 दर 150	9374.00	1875.90
2.	ग्राम सांकरौद मंदिर के बाहर खडंजा निर्माण।	785.75 दर 125	98125.75	23572.50
3.	विकास खण्ड परिसर में गेट निर्माण।	15.35 दर 75	1151.25	460.50
4.	ग्राम मवीकला में कश्यप बस्ती में चौपाल निर्माण।	65.80 दर 85 54.90 दर 75	5559.00 4124.25	3611.70
5.	ग्राम डगरपुर में सोहनलाल के मकान से प्रा0पाठशाला नं03 तक सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स।	240.47 दर 109	26211.23	7214.10
6.	घिटौरा में तालाब के तीन तरफ सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स।	225.83 दर 109	24615.47	6774.90
7.	ग्राम बड़ागाँव में मन्दिर के बाहर इन्टरलॉकिंग टाईल्स।	115.39 दर 120	13846.80	3461.70
8.	ग्राम सांकरौद में शमशान घाट की चारदीवारी निर्माण।	190.47 दर 125	9389.95	5714.10
9.	ग्राम गढ़ी कलंजरी में विजय के मकान से वाल्मीकि बस्ती तक नाली निर्माण।	63 दर 163.29	10284.12	1890.00
योग		1819.59	202681.82	54575.40

परन्तु उपरोक्तानुसार रॉयल्टी मद में रुपये 54575.40 (1819.59X30) की दर से ठेकेदारों के बिल से कटौती न करके उक्त धनराशि से राजस्व की क्षति पहुँचायी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार जिम्मेदार है तथा सम्बन्धित सेव्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-31)

वर्ष 2017-18 व 2018-19 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-65 ग्रांट रजिस्टर दो के अनुसार श्री इरशाद अली को माह जून-18 से मार्च-19 तक विविध तिथियों में कुल 10 माह हेतु रु. 112000.00 कम्प्यूटर कार्य हेतु मानदेय का भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	माह	मानदेय दर	दिनांक	चैक संख्या	भुगतान धनराशि
1.	जून-18 से सितम्बर-18 तक	11200.00	01-10-2018	301208	44800.00
2.	अक्टूबर-18	11200.00	03-11-2018	301220	11200.00
3.	नवम्बर-18	11200.00	03-12-2018	301223	11200.00
4.	दिसम्बर-18	11200.00	02-01-2019	301232	11200.00
5.	जनवरी-19	11200.00	06-02-2019	786966	11200.00
6.	फरवरी-19	11200.00	02-03-2019	786973	11200.00
7.	मार्च-19	11200.00	31-03-2019	786988	11200.00
योग	10 माह	11200.00 प्रतिमाह			112000.00

उपरोक्त सम्बन्धी निम्न आपत्तियाँ दृष्टव्य है:-

(क) कार्मिक श्री इरशाद अली की नियुक्ति किस आदेश के तहत की गई इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण उक्त व्यय के वैधानिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

संस्था द्वारा इससे सम्बन्धित समस्त आदेशों, पत्रावलियों को प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-66 दिनांक 01-06-2017 व 26-12-2018 को श्री इरशाद अली को प्रिया सॉफ्ट की फिडिंग हेतु क्रमशः रु. 6500.00 (द्वारा चैक संख्या 190907) तथा धनराशि रु. 7000.00 (द्वारा चैक संख्या 301227) कुल अंकन रु. 13500.00 का भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री इरशाद अली को जब कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे तो उनको इस कार्य हेतु किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रिया सॉफ्ट फिडिंग हेतु किये गये भुगतान की दर भी मानक अनुरूप नहीं है। इससे सम्बन्धित प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहें हैं। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। इस प्रति आवश्यक पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मानदेय हेतु क्रमशः रु. 114500.00 व 109000.00 का भुगतान एकाउन्टेन्ट श्री नीरज अरोड़ा व श्री सुनील वर्मा के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। ग्रान्ट रजिस्टर दो के अनुसार इस धनराशि का उपयोग क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय के वितरण भुगतान बावत किया गया था। परन्तु कब-कब, किन-किन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कितनी-कितनी धनराशि दी गयी इस बावत कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं रहा है। जिस कारण उपरोक्त धनराशि का भुगतान संदिग्ध है। जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि तत्कालीन बी0डी0ओ0 और एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-68 राज्य वित्त के अर्न्तगत आलोच्य वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नेड़ा प्रोजेक्ट बागपत को क्रमशः 150 व 100 सौर लार्डों हेतु क्रमशः रु. 2295000.00 (2145000+150000) तथा रु. 1548000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की तिथि	धनराशि
1	150 सौर लार्ड का रुपये 14300.00 की दर से।	08-02-2018 / 673278	2145000.00
2.	150 सौर लार्डों के सापेक्ष अनुशांगिक व्यय रुपये 1000.00 की दर से।	22-05-2018 / 301179	150000.00
3.	100 लार्ड हेतु रुपये 15480.00 की दर से।	01-10-2018 / 301210	1548000.00
योग			3843000.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां रही:-

(क) उपरोक्त सौर लार्डों के सम्बन्ध में मॉग एवं सूची उपलब्ध नहीं रही।

(ख) उक्त सौर लार्डों किस-किस गाँव में और कहाँ-कहाँ लगी, सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं रही।

(ग) इन सौर लार्डों की प्रविष्टि का स्टॉक लेखन/स्टॉक रजिस्टर तथा लगाये जाने सम्बन्धी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, स्थापना पत्रावली आदि के अभाव में उक्त व्यय अनियमित प्रतीत होता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में यह धनराशि तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-69 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत खेकड़ा द्वारा दिनांक 02-02-2018 को चैक संख्या 673277 द्वारा प्रिन्टर खरीद हेतु भुगतान अंकन रु. 16500.00 किया गया। इसके अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष में दिनांक 16-03-2019 को चैक संख्या 726975 द्वारा अंकन रुपये 17500.00 का भुगतान प्रिन्टर खरीद हेतु किया गया। उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित निम्नवत् आपत्तियां रही:-

(क) क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रिन्टर खराब होने अथवा आवश्यकतानुसार खरीदारी हेतु समक्ष अधिकारी से अनुमति नहीं प्राप्त की गई।

(ख) प्रिन्टर खरीद से पूर्व निम्नतम दरों की पुष्टि हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है।

(ग) उपरोक्त सम्बन्धी प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रही, जिससे यह भी स्पष्ट न हो सका कि पुराने प्रिन्टर की स्थिति क्या है।

(घ) लगातार वर्षों में दो प्रिन्टर खरीदने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त खरीदारी संदिग्ध है, इस प्रति आवश्यक पुष्टि कराई जाये, अन्यथा की स्थिति में धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है।

(आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-70 आलोच्य वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्षेत्र पंचायत खेकड़ा द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई निर्माण कार्य पत्रावलियों का जांच में मिट्टी भराव एवं जी0एस0टी0 भुगतान सम्बन्धी निम्न विवरण दर्शित है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कुल मिट्टी भराव कार्य (घन मीटर में)	संस्था द्वारा किया गया जी0एस0टी0 का भुगतान (रु.)
1.	ग्राम डुगरपुर में सी0एम0सी0 स्कूल से नहर की पटरी पर इन्टरलॉकिंग कार्य	577.50	79200.00
2.	ग्राम सांकरौद में वकील के मकान से महक सिंह के मकान तक खड़जा कार्य।	302.40	18584.00
3.	सांकरौद में गफूर के घर से श्री राजबीर पुत्र दलेल के खेत तक खड़जा व नाली निर्माण।	1372.50	79247.00
4.	ग्राम सांकरौद में उदयवीर के मकान से सहकारी समिति तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण।	310.50	57738.00
5.	ग्राम सांकरौद में ओमवीर के मकान से शौकत के मकान तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण।	366.00	60396.00
6.	सांकरौद में शौकत के मकान से गफूर के मकान तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण।	474.00	66552.00
7.	ग्राम गौठरा में धर्मवीर के खेत से श्री चरण सिंह के खेत तक खड़जा कार्य।	1161.00	112548.00

8.	ग्राम सांकरौध में गुजर के मकान से गुलाब के घर तक खड़जा निर्माण कार्य।	302.40	8678.00
9.	ग्राम सांकरौध में आलीमान धोबी के घर से रामपाल पंडित के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	669.90	107649.00
10.	ग्राम पंचायत रटौल में ईदगाह के बाहर इन्टरलॉकिंग कार्य।	—	65902.00
11.	ग्राम पंचायत काठा में सहदेव के मकान से सुमित/हरदेव के मकान तक इन्टरलॉकिंग कार्य	421.50	62512.00
योग		5957.70	719006.00

उपरोक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां हैं:-

(क) उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39वाँ संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77-लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापन खन्ना एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी (19 जनवरी 2016 से 14 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है, लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है। इसप्रकार कुल 5957.7 घनमीटर पर रुपये 30.00 प्रति घनमीटर की दर से कुल रु. 178731.00 रॉयल्टी कटौती की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, जिससे राजस्व की क्षति हुई है। इसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तत्कालीन अधिकारियों से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-07-क)

प्रस्तर संख्या-71 उपरोक्त विवरणानुसार संस्था द्वारा कुल रु. 719006.00 का जी0एस0टी0 भुगतान ठेकेदार को बिल भुगतान के साथ किया गया। जिसे ठेकेदार द्वारा निर्धारित शीर्षान्तर्गत जमा कर उसकी रसीद/चालान प्रति बी0डी0ओ0 कार्यालय में ससमय जमा कराया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त चालान/रसीद की प्रति अनुपलब्ध रही जोकि उक्त कटौती के जमा होने की पुष्टि में अपेक्षित थी। जबकि ठेकेदार को विभिन्न चैकों के माध्यम से भुगतान कर दिया गया था। यह भुगतान अनियमित रहा तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-07-ख)

प्रस्तर संख्या-72 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत खेकड़ा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्रमशः रु.300000.00 व रु. 600000.00 की धनराशि प्राप्त हुई है। विवरण के अनुसार दोनों

वर्षों में क्रमशः 279400.00 तथा 620600.00 का व्यय उक्त मद के अन्तर्गत किया गया। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली एवं विवरण लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रहा, जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर इस व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-73 आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत खेकड़ा द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी निर्माण पत्रावलियों में दर्शाये गये निर्माण कार्य एवं उस पर दर्शित व्यय तथा उससे सम्बन्धित एस्टीमेट एवं दी गयी निविदा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	एस्टीमेट	जारी की गई निविदा (लाख में)	कार्यपूर्ति पश्चात् किया गया कुल भुगतान
1.	ग्राम डूंगरपुर में सी0एम0सी0 स्कूल से नहर की पटरी पर इन्टरलॉकिंग कार्य।	963200.00	9.97	745800.00
2.	ग्राम सांकरौद में वकील के मकान से महक सिंह के मकान तक खड़जा कार्य।	229000.00	2.45	154864.00
3.	सांकरौद में गफूर के घर से श्री राजबीर पुत्र दलेल के घर तक खड़जा व नाली निर्माण।	882173.00	8.82	660392.00
4.	ग्राम सांकरौद में उदयवीर के मकान से सहकारी समिति तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण।	518000.00	5.18	481154.00
5.	ग्राम सांकरौद में ओमवीर के मकान से शौकत के मकान तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण।	605202.00	6.05	503302.00
6.	सांकरौद में शौकत के मकान से गफूर के मकान तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	787179.00	7.87	554604.00
7.	ग्राम गोठरा में धर्मवीर के खेत से श्री चरण सिंह के खेत तक खड़जा कार्य।	972218.00	9.72	937900.00
8.	ग्राम सांकरौद में गुर्जर के मकान से गुलाब के घर तक खड़जा निर्माण कार्य।	241748.00	5.18	72320.00
9.	ग्राम सांकरौद में आलीमान धोबी के घर से रामपाल पंडित के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य।	1177600.00	11.77	989718.00
10.	ग्राम पंचायत रटौल में ईदगाह के बाहर इन्टरलॉकिंग कार्य।	561977.00	5.10	549180.00
11.	ग्राम पंचायत काठा में सहदेव के मकान से सुमित/हरदेव के मकान तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	585000.00	5.85	520930.00
योग		7523297.00	77.96	6170164.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत एस्टीमेट, जारी की गयी निविदा एवं कार्य समाप्ति पर किये गये भुगतान धनराशि में गम्भीर विरोधाभास है। उपरोक्त दर्शित 11 कार्य हेतु एस्टीमेट, धनराशि अंकन रु. 7523297.00 थी, जबकि निविदा, जो आमंत्रित/जारी की गई वह 77.96 लाख हेतु थी, वही कार्यपूर्ति पश्चात् किया गया भुगतान रु. 6170164.00 का ही था, जो एस्टीमेट व निविदा के आंकड़ों से काफी धन दर्शित है। इन आंकड़ों के विश्लेषण पश्चात् इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि या तो एस्टीमेट तथा निविदा फर्जी ढंग से तैयार व जारी किया गया अथवा बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया, जैसे क्रम संख्या 08 पर अंकित कार्य की निविदा 5.18 लाख पर आमंत्रित हुई, उसी कार्य हेतु एस्टीमेट 241748.00 का प्रस्तुत

हुआ, जबकि कार्य समाप्ति पर कुल लागत एवं भुगतान 72320.00 हुआ है, से स्पष्ट है कि यह कार्य हुआ ही नहीं और फर्जी ढंग से भुगतान किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित कार्यों एवं उन पर दर्शाये गये कुल व्यय अंकन रु0 6170164.00 बिना कार्य कराये ही फर्जी भुगतान किया गया है। जिस प्रति सम्बन्धित से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-18)

प्रारूप-3 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम— बुलन्दशहर मण्डल का नाम— मेरठ।
वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायतों की गम्भीर आपत्तियों का सारांश —

प्रस्तर संख्या 1 — क्षेत्र पंचायत गुलावठी द्वारा वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षा हेतु तीन निर्माण कार्यों की फाइलें प्रस्तुत की गयीं, जिनकी जांच में प्रकाश में आया, कि तीन निर्माण कार्यों में लेबर सेस में 1% की कटौती नहीं की गई है, जो निम्न है:-

	कुल लागत	1% सेस
1. भटौना ग्राम तल्ला प्रेम नगर में गाँव के बाहर सड़क से बीघेपुर वाले रास्ते सरकारी टयुबेल तक टीसी/खडन्जा कार्य	928000.00	9280.00
2. बिसाईच में विजय सिंह के मकान के सामने से मन्दिर तक नाली निर्माण।	137371.00	1373.00
3. बिसाईच खडन्जे से कुरली नाले वाले खडन्जे तक अवशेष खडन्जा कार्य।	708987.00	7089.00

योग 17742.00

इस प्रकार शासन के मंशा के अनुरूप किसी भी निर्माण कार्य पर मजदूरों की सुरक्षा स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण हेतु 01 प्रति सेस की कटौती अनिवार्य है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा इसकी अनदेखी कर शासन की मंशा के विरुद्ध कार्य किया गया है। अतः वर्ष 2012-13 में कुल 17742.00 गम्भीर अनियमितता की राशि की वसूली श्री खण्ड वि० अधिकारी एवं श्री तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार क्षेत्र पंचायत गुलावठी वर्ष 2011-12 में लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की गयी फाइलों पर अंकन 7420.00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। अतः वर्ष 2011-12 की 7420.00+17742.00 (2012-13) की कुल 25162.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2 —वित्तीय वर्ष 2011-12 की क्षेत्र पंचायत गुलावठी की लेखा परीक्षा दौरान जॉब में पाया गया, कि निम्नांकित निर्माण कार्यों में नियमानुसार तीन-तीन निविदाएँ, 'टेण्डर' लिये बिना ही मात्र 02 निविदाओं पर ही निर्माण कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इस सम्बन्ध में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः अंकन 1393815.00 राशि के कराये गये निर्माण कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए श्री सियाराम वाष्णेय, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री ज्ञान चन्द वर्मा अभियन्ता से समान रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

जैसे —

1— ग्राम नत्थूगढी में मैन सड़क से बाबा के मन्दिर तक नाली व खडन्जा निर्माण कार्य।	95406.00
2— ग्राम भटौना में प्रेमनगर "ताल्ला" से भोगपुर की ओर अवशेष निर्माण कार्य।	292088.00
3— ग्राम कुरली में जाटव बस्ती कुम्हारों की चौपाल का निर्माण कार्य।	277668.00
4— ग्राम बिसाईच में सरकारी टयुबेल तथा खडन्जा कार्य।	383379.00
5— ग्राम नत्थूगढी में रावतों की मढैया में नाली व खडन्जा निर्माण से गाँव तक खडन्जा कार्य।	128279.00
6— ग्राम नत्थूगढी की मढैया में नाली व खडन्जा निर्माण।	95430.00
7— ग्राम भोगपुर बाला देवी के मकान से रोहताश के मकान तक टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	121570.00

योग — 1393815.00

(आपत्ति सं० — 2)

प्रस्तर संख्या 3 —क्षेत्र पंचायत डिबाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 निर्माण कार्य ग्राम सतोहा में कलियान से तक पर अंकन 471751.00 का व्यय किया गया है जिस पर 10850.00 के रुथान पर 9435.00 रुपये टी०डी०एस० काटा गया है जो कि अंकन 1415.00 से कम काटा गया है अतः 1415.00 टी०डी०एस० की

वसूली ब्याज सहित श्री अनिल कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0जी0 बंसल अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 4 — वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम उमरारी जरारी रोड से गणेशपुर तक निर्माण कार्य पर अंकन 23529.00 का व्यय किया गया है जिस पर टी0डी0एस0 कटौती 5412.00 के स्थान पर 5270.00 की गयी है अतः अन्तर रुपये 142.00 कम टी0डी0एस0 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री बलराज सिंह खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5 — वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त के अन्तर्गत नगला बागी से पेसरी तक खडन्जा निर्माण पर 1164404.00 का व्यय किया गया है जिस पर 26786.00 के स्थान पर 26545.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। अतः रुपये 241.00 से कम टी0डी0एस0 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली की श्री खजान सिंह खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0जी0 अभियन्ता से समान रूप में किये जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 6— वित्तीय वर्ष 2012-13 में नंगला बंजारा से इन्टर लाकिंग टायलस खडन्जा निर्माण कार्य पर अंकन 105208.00 का व्यय किया गया जिस पर अंकन 2420.00 के स्थान पर 2357.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। अतः अन्तर रुपये 63.00 टी0डी0एस0 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री खजान सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0जी0 बंसल अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 7— वित्तीय वर्ष 2013-14 में जरगंवा कुढ़ैनी मार्ग आबादी से आग्र अलीगढ सीमा तक खडन्जा एवं आर0सी0 पुलिया निर्माण पर अंकन 2482179.00 का व्यय किया गया जिस पर वैट कटौती 9927.00 के स्थान पर 97689.00 की गयी है एवं टी0डी0एस0 कटौती 57090.00 के स्थान पर 48845.00 की गयी है अतः अन्तर रुपये 1598.00 कम वैट एवं 8245.00 कम टी0डी0एस0 कुल 9843.00 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0जी0 बंसल अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 8— वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य ग्राम कुढ़ैनी में बघेलों तक सी0सी0रोड़ कार्य पर कुल 650183.00 का व्यय किया गया है जिस पर टी0डी0एस0 कटौती 14954.00 के स्थान पर 13004.00 की गयी है। अतः अन्तर रुपये 1950.00 कम टी0डी0एस0 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0जी0 बंसल अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 9— वर्ष 2011-12 से 2013-14 की क्षेत्र पंचायत, डिबाई की लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पाया गया, कि निम्नांकित निर्माण कार्यों में नियमानुसार तीन-तीन कुटेशन लिये गये बिना ही टेण्डर्स "निविदाएँ" न लेकर मात्र 2 निविदाओं पर ही निर्माण कार्य कराने हेतु स्वीकृत प्रदान कर दी गयी। इस प्रकार टेण्डर "निविदा" स्वीकृत करने में गम्भीर अनियमितता बरती गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार व्यक्ति श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जैसे—

1— नगला बागी से कुढ़ैनी रोड पर कुल व्यय	—	791058.00
2— उमरारी से लाल सिंह मैमो रियल स्कूल तक खडन्जा निर्माण	—	198710.00
3— कुढ़ैनी कल्याणपुर मार्ग पर खडन्जा निर्माण व्यय	—	852402.00
4— पिलखना में खडन्जा निर्माण व्यय	—	456956.00
5— हीरापुर नहर से तलवार जक खडन्जा निर्माण व्यय	—	128834.00
6— जरगंवा में चन्द्रपाल के घर से कुढ़ैनी मार्ग खडन्जा निर्माण व्यय	—	694332.00
7— बैलोन में नाला निर्माण व्यय	—	610708.00
8— रामघाट सांकरा मार्ग से न0 बैनी खडन्जा निर्माण व्यय	—	552182.00
9— कर्णवास से बदापुर ग्राम तक व्यय	—	678965.00
10— नवीपुर खेडिया में न0 तुरसी तक व्यय	—	717715.00
11— पिलकना में पुल से तलवार तक व्यय	—	950870.00
योग	—	6632732.00

प्रस्तर संख्या 10— वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पया गया कि तत्कालीनब्लाक प्रमुख के कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र पंचायत डिबाई खाते से धनराशि आहरित करके अंकन 30520.00 रुपये फर्नीचर व कपडा आदि गिफ्ट के रूप में देकर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। अतः अंकन 30520.00(अनियमित राशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सगीर अहमद लेखाकार से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 11—क्षेत्र पंचायत डिबाई की वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पाया गया, कि अंकन 13500.00 विभिन्न तिथियों में बी0डी0सी0 सदस्यों को ब्लाक मीटिंग में भाग लेने हेतु मानदेय भत्ता दिये जाने हेतु बैंक से आहरित किये गये, जिसमें से मात्र 90800.00 रुपये का वितरण मीटिंग में भाग लेने वाले बी0डी0सी0 सदस्यों में वितरित किया गया। अतः अवशेष बची राशि अंकन 44200.00 को जमा न करना गम्भीर आपत्ति जनक रहा। अतः अंकन 44200.00 ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री जयप्रकाश लेखाकार से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 12—वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत ढक नगला में श्री मखमल के मकान से बलवीर की ओर सी0सी0 रोड निर्माणकार्य पर अंकन 157011.00 का व्यय कियाग गया, जिस पर टी0डी0एस0 कटौती 3611.00 रुपये के स्थान पर 3140.00 रुपये की गयी है । अतः अन्तर रुपये 471.00 कम टी0डी0एस0 कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0 के0 उपाध्याय अभियन्ता से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 13— वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत डिबाई द्वारा मै कृष्णा एन्टर प्रईजेज प्रा0लि0 अलीगढ से 110 नग सौलर स्ट्रीट लाईटों के कय हेतु माँग पत्र जारी किया गया परन्तु 100 सौलर स्ट्रीट लाईट (मात्र) दर 25350.00 प्रति नग से कय पर अंकन 2535000.00 का व्यय कोषाकित किया गया। सौलर लाईट कय हेतु ली गयी निविदाओं से पुष्टि नहीं करायी गयी। 13वें वित्त आयोग के अनतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त से सम्बन्धित शासनादेश सं0 2066/1/33-1-2010 दिनांक 23.9.2010 के प्रस्तर 104 के अनुसार स्ट्रीट लाईट के रख रखाव अनुरक्षण पर उपभोग किया जायेगा। जबकि क्षेत्र पंचायत डिबाई द्वारा रख रखाव के स्थान पर नई सौलर स्ट्रीट लाईट कय हेतु व्यय किया गया जिसकी अनुमति मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थी। अतः यह गम्भीर अनियमितता है। यू0पी0 नेडा से सौलर स्ट्रीट लाईट लगवाने पर 5 वर्ष की वारन्टी का लाभ भी लाभार्थी संस्था को होता है जिससे उक्त लाभ से क्षेत्र पंचायत वंचित रही।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा अनुसार निष्कर्ष निकला, कि अनुदान हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त का विचनल तथा सौलर स्ट्रीट लाईट पर मिलने वाली राशि 7900.00 राज्य सरकार एवं 4200.00 केन्द्र सरकार कुल 11900.00 सब्सिडी से नजर अन्दाज कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी, अतः 100 नग कय सौलर स्ट्रीट लाईट कय में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। अतः अंकन 2535000.00 अनियमित रूप से कय की गयी राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड वि0 अधिकारी एवं श्री आर0के0 उपाध्याय अभियन्ता से पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानते हुए समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 14—क्षेत्र पंचायत अरर्निया द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 (निर्माण कार्य का नाम ग्राम वाजिदपुर में काली सडक से शराफत के खेत तक सीमेन्ट कंक्रीट कार्य हेतु निविदा मै0 ओ0पी0 कंसट्रक्शन को स्वीकृत की गयी, जिसकी कुल लागत 100633.10 की भी, जिस पर टी0डी0एस0 2315.00 के स्थान पर अंकन 2256.00 की कटौती की गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 15—वित्तीय वर्ष 2011-12 निर्माण कार्य का नाम ग्राम अगौरा में ईदगाह तक शेष रास्ते में मिट्टी/ खडंजा पर अंकन 128798.00 का व्यय किया गया, जिस पर जिस पर टी0डी0एस0 2962.00 के स्थान पर अंकन 2891.00 की कटौती की गयी, अतः अंकन 71.00 की टी0डी0एस0 कटौती कम की गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 16—वित्तीय वर्ष 2011-12 निर्माण कार्य का नाम ग्राम क्यौली खुर्द में मुख्य खडंजा मन्दिर मार्ग पर नाली निर्माण एवं इन्टालाकिंग टायल्स कार्य पर अंकन 725561.00 रुपये का व्यय किया गया, जिस पर जिस पर टी0डी0एस0 कटौती 16688.00.00 के स्थान पर 16269.00 की कटौती की गयी, जो

अंकन 419.00 से कम काटी गयी, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 17—वित्तीय वर्ष 2012-13 निर्माण कार्य ग्राम झमका में खुर्जा पहासू मार्ग से नरेश सोलंकी के मकान तक इन्टर लाकिंग टायल्स एवं नाली निर्माण कार्य पर अंकन 235692.00 का व्यय किया गया जबकि निर्माण कार्य के प्रारूप - 1 पर राज्य वित्त व्यय 184918.00 का है। दर्शाया गया है। इस प्रकार अंकन 235692.00 व्यय हिसाब से जमानत राशि भी अंकन 3569.00 से कम प्राप्त की गयी है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर अंकन 50774.00 का व्यय अधिक किया गया है जिसकी विभागीय स्वीकृति से पुष्टि नहीं करायी गई। अतः अंकन 50774.00 अधिक व्यय एवं 3569.00 जमानत राशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप में खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 18—वित्तीय वर्ष 2012-13 निर्माण कार्य ग्राम कहरौला में नाले से वेदीराम इन्टर कालिज तक इन्टर लाकिंग कार्य पर अंकन का व्यय दर्शित है, जिस पर टी0डी0एस0 कटौती 39728.00 के स्थान पर 39695.00 की गयी है जो अंकन 33.00 से कम की गयी है। अतः अंकन 33.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप में खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 19—वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य ग्राम अटरेना में विकास राघव के मकान से अभिशेख रघुवंशी के घर तक इन्टरलाकिंग टायलस कार्य पर अंकन 254069.00 का व्यय किया गया, जिस पर 10 प्रतिशत की दर से अंकन 25407.00 जमानत राशि जमा करायी जानी थी। जबकि मात्र 22022.00 मात्र ही जमानत राशि जमा करायी गयीं अतः अन्तर रुपये 3385.00 जमानत राशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 20—वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य न्याय वाजिदपुर में डा0 खुर्शीद से नरेश के घर तक इन्टर लाकिंग टायलस निर्माण कार्य पर अंकन 139258.00 का व्यय किया गया, जिसपर 10 प्रतिशत की दर से जमानत राशि 13926.00 के स्थान पर 12113.00 मात्र ही जमा करायी गयी। अतः अंकन 1813.00 कम जमानत राशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 21—वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य ग्राम मुनी में नगलिया सारसौल रोड से उमा शंकर प्रधान के खेत तक मिटटी कार्य पर अंकन 329986.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्य पर अंकन 32999.00 जमानत जमा करायी जानी थी, किन्तु त्यागी कन्सट्रक्शन से मात्र 29924.00 जमानत राशि जमा करायी गयी। अतः अंकन 3075.00 कम जमा जमानत राशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 22—वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य ग्राम रनियावली में चरन सिंह के कमरे से पोकपाल के मकान तक इन्टर लाकिंग टायल्स व नाली निर्माण कार्य पर अंकन 319449.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य पर मौ0 इस्लाम से जमानत रशि 30832.00 जमा करायी गयी, जबकि 31945.00 रुपये जमानत राशि जमा करायी जानी थीं अतः कम जमानत राशि अंकन 1113.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, एवं अभियन्ता से समान रूप में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 23—वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य ग्राम शाहपुर पहासू में काली से अमीचन्द के घर तक खडंजा निर्माण पर अंकन 170088.00 तेरहवा वित्त से व्यय किया गया, किन्तु उक्त कार्य का भुगतान राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त राशि से दर्शाया गया है इस सम्बन्ध में विभागीय स्वीकृति पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर आपत्ति जनक अतः इस सम्बन्ध में अनियमित रूप से किये गये भुगतान की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 24—क्षेत्र पंचायत अरनिया की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा दौरान निर्माण कार्य की जाँच में पाया गया, कि निम्नांकित कार्यों में ठेकेदारों से कुल जमानत राशि 10 प्रतिशत कम जमानत राशि जमा दर्शित है। जैसे—

कार्य विवरण	कुल जमानत धनराशि	जमा की गयी जमानत राशि	शेष जमानत राशि
1—ग्राम नगलिया नारायणपुर में हाहिद अली के कमान से मस्जिद मोड तक इन्टर लाकिंग कार्य	27747.00	19426.00	8321.0
2—ग्राम झमका में काली सड़क से नरेश सौलनकी	7782.00	5700.00	2082.00

के घर तक इन्टर लाकि कार्य			
3-ग्राम शाहपुर पहासू में काली सडक से अमीचन्द के घर तक खडंजा कार्य	17009.00	11906.00	5103.00
4- ग्राम सारसौल में शमशाद खों के मकान से शराफत खों के मकान तक	31360.00	21980.00	9380.00
5- ग्राम नगर में मोरध्वज के मकान से पोखर तक नाली/नाला निर्माण	25073.00	17936.00	7137.00
			32023.00

इस प्रकार अंकन 32023.00 जमानत राशि का कम जमा किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः अंकन 32023 कम जमानत राशि की ब्याज सहित वसूली श्री खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 25- वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत, अरर्निया बु0शहर द्वारा 60 नग सौलर स्ट्रीट लाईट के कय हेतु सूचना जारी की गयी, परन्तु शासनादेश का उल्लंघन करते हुए सौलर स्ट्रीट लाईट को "यू0पी0नेडा" से न खरीद कर मै0 कृष्णा इन्टर प्राईजेज प्रा0लि0 अलीगढ से कय कर अनुचित लाभ पहुंचाने के साथ-साथ जन सामान्य को शासन द्वारा प्रदत्त लाभ से वंचित किया गया है।

60 नग सौलर स्ट्रीट लाईट की अनुमानित लागत 1515600.00 धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुए 5 प्रतिशत जमानत राशि को अनुबन्ध पत्र के साध्य जमा करना था, परन्तु 1 प्रतिशत जमानत राशि 15156.00 पर ही टेन्डर मनमाने ढंग से स्वीकृत कर फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी। जमानत राशि जमा न कराकर फर्जी ढंग से टेन्डर स्वीकृत किया गया। इस निहित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। फर्म को अंकन 1421512.00 का भुगतान फर्म को अनियमितता रूप से किया गया, जो वसूली योग्य है। अतः अनियमित भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 26- क्षेत्र पंचायत अरर्निया द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 40 नग सौलर स्ट्रीट लाईट कय हेतु मै0 कृष्णा इन्टर प्राईजेज प्रा0लि0 अलीगढ को अंकन 865913.00 का भुगतान किया गया। सौलर स्ट्रीट लाईट का कय यू0पी0 नेडा से न करके विहित प्रक्रिया से तर जाकर किया गया। अतः सौलर स्ट्रीट लाईट कय प्रक्रिया में पारदर्शिता व प्रक्रिया का पालन न करके अनुचित लाभ को अपने मनमाफिक फर्म को पहुंचाने की प्रक्रिया अपनायी गयी। अतः इसके लिये श्री शिव सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रोहताश कुमार अभियन्ता जिम्मेदार है। अतः श्री शिव सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रोहताश कुमार अभियन्ता से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 27- वर्ष 2015-16 में कुल 58 नग सौलर स्ट्रीट लाईट के कय हेतु सारे नियम कानून को नजर अन्दाज करके, न तो इस प्रस्तावित कार्य का टेण्डर जारी कराया गया, न ही एम0बी0 करायी गयी, न ही अन्य रिकार्ड तैयार किये गये बल्कि सरकार के एक शासनादेश को आधार बनाकर 35 स्ट्रीट लाईट मै0 कृष्णा इन्टर प्राईजेज प्रा0लि0 अलीगढ एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 अलीगढ को 23 नग सौलर स्ट्रीट लाईट कय का अंकन 1342880.00 भुगतान अपने खास फर्म का किया गया, जो अत्यन्त गम्भीर आपत्ति जनक है। अतः अंकन 1342880.00 श्री राजेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रोहताश कुमार अभियन्ता से समान रूप में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 28- वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यों में "लेवर" सेस लगाने की प्रक्रिया संदिग्ध है, अर्थात् पहले 1 प्रतिशत सेस जोडकर पुनः 1 प्रतिशत सेस को घटाया गया है अर्थात् ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया है। विवरण जैसे 9952+7468+8137+8697 कुल 34254.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सत्यवीर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रोहताश कुमार अभियन्ता से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 29- क्षेत्र पंचायत अरर्निया बु0शहर द्वारा वर्ष 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों में कुछ ग्राम पंचायत जैसे ग्वरौली, जरारा, सारसौल, दशहरी झमका में कराये गये निर्माण कार्यों के भुगतान में 1 प्रतिशत सेस की कटौती न करके 1 प्रतिशत सेस को जोड़ दिया गया है अर्थात् ठेकेदार को 1 प्रतिशत सेस का अधिक भुगतान कर दिया गया है। इन पॉचों ग्राम पंचायतों में क्रमशः 504.01, 550.74, 5522.00, 2143.44, 2056.66 कुल 10777.00+10777.00= 21554.00 सेस का भुगतान ठेकेदार को किया गया है।

अतः अनियमितता रूप से किये गये सेस की ब्याज सहित वसूली श्री सत्यवीर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रोहताश कुमार अभियन्ता से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 30— वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत अरर्निया बु0शहर द्वारा ग्राम सूरतपुर कला में गोपाल के घर से रणवीर के मकान तक सी0सी0रोड/नाली निर्माण कार्य के अनुमानित लागत 219800.00 तथा कुल भुगतान 211337.00 रू0 किया गया है, परन्तु इस कार्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है जो कार्य की प्रमाणिकता को संदिग्ध बनाता है। अतः इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियन्ता पूर्णतः जिम्मेदार है। अतः सम्बन्धित से समान रूप में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 31—क्षेत्र पंचायत बी0बी0नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पालीखेड़ा में ब्रह्म सिंह मकान से इन्टर लाकिंग नाली निर्माण कार्य पर अंकन 103139.00 का व्यय किया गया है। इस निर्माण कार्य हेतु नियम टेण्डर “निविदा” प्रक्रिया अपना कर मात्र एक ही अखबार में निविदा प्राप्त कर औपचारिकता पूर्ण की गयी है तथा कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। निर्माण कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस से भी पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता की रही है। अतः अंकन 103139.00 गम्भीर अनियमितता राशि की ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हैं।
(सा0आ0स0-02)

प्रस्तर संख्या 32— वर्ष 2014-15 की क्षेत्र पंचायत बी0बी0नगर की लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पाया गया कि स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अंकन 60780.00 अंशदान के रूप में लाभार्थियों को दिया गया जबकि शौचालय निर्माण में अंशदान लाभार्थियों को स्वयं वहन किया जाना था। इस प्रकार अंकन 60780.00 अनियमित रूप से अंशदान किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः अंकन 60780.00 गम्भीर अनियमितता राशि की ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री तत्कालीन लेखाकर से समान रूप में करने हेतु विभाग स्तर कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0स0-03)

प्रस्तर संख्या 33— वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत, बी0बी0नगर द्वारा ग्राम महीउददीनपुर में मैन सडक से शीशपाल के मकान तक इन्टर लाकिंग टायल्स कार्य पर अंकन 273089.00 का व्यय किया गया है। इस निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार तीन-तीन टेण्डर “निविदा” न लेकर नियम विरुद्ध टेण्डर निकलवाकर मात्र एक ही अखबार में निविदा प्राप्त कर औपचारिकता पूर्ण की गयी है। और कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस से भी पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता की रही। अतः अंकन 273089.00 गम्भीर अनियमितता राशि की ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0स0-04)

प्रस्तर संख्या 34— वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत, बी0बी0नगर द्वारा ग्राम ग्राम डारौली में गुलाब सिंह के मकान के पास खडंजा निर्माण कार्य पर अंकन 101414.00 का व्यय किया गया है। इस निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार तीन-2 टेण्डर “निविदा” न लेकर नियम विरुद्ध मात्र एक ही अखबार में निविदा प्राप्त कर, औपचारिकता पूर्ण की गयी है और कार्य करने की स्वीकृति प्रदान दी गयी। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफस से भी पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर आपत्ति जनक रही। अतः अंकन 101414.00 गम्भीर अनियमितता राशि की ब्याज सहित वसूली श्री खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0स0-05)

प्रस्तर संख्या 35— क्षेत्र पंचायत गुलावठी द्वारा वर्ष 2016-17 में ग्राम देवली में विरेन्द्र के घर से लहरी सिंह के खेत के कोने तक नाली व मिट्टी खडंजा कार्य पर अंकन 125838.00 का व्यय किया गया है। निर्माण कार्य का प्रारम्भ दिनांक 24.12.16 को और कार्य का दिनांक 10.1.17 में समाप्त किया गया। कार्य की निविदा का प्रकाशन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में न निकलवाकर नियम विरुद्ध मात्र एक ही अखबार में प्रकाशन कराया गया है। इस प्रकार निविदा प्रकाशन हेतु मात्र औपचारिकता पूर्ण की गयी है। निर्माण कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहें। अतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति संदिग्ध रही। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता की रही। अतः अंकन 125838.00 गम्भीर अनियमितता राशि की ब्याज सहित वसूली श्री एजाज अहमद रिजवी खण्ड विकास

अधिकारी एवं श्री राजेश कुमार अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0स0- 2)

प्रस्तर संख्या 36—क्षेत्र पंचायत डिबाई द्वारा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कुढैना की विभिन्न गलियों में सी0सी0रोड निर्माण पर अंकन 1545930.00 का व्यय किया गया जिसपर वैट 61233.00 के स्थान पर 60437.00 एवं टी0डी0एस0 एवं टी0डी0एस0 35209.00 के स्थान पर 34749.00 की कटौती की गयी है। अतः वैट 796.00 टी0डी0एस0 460.00 कुल 1256.00 कम कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0के0 उपाध्याय अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 37— वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य मौ0पुर कला में रिसेन्द्र सिंह के मकान से काली सडक तक मिट्टी भराव/खडंजा कार्य पर अंकन 993729.00 का व्यय किया गया, जिस पर वैट कटौती 39356.00 के स्थान पर 38012.00 की गयी है। अतः अन्तर रू0 1344.00 कम वैट कटौती राशि की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री वी0के0 सिंह अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 38—वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य ग्राम पंचायत रामघाट में श्मशान मार्ग से जयपाल के मकान तक मिट्टी/खडंजा कार्य पर अंकन 463441.00 का व्यय किया गया है, जिसपर वैट कटौती 18354.00 के स्थान पर 18063.00 रू0 की गयी है। अतः अन्तर रू0 291.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री वी0के0 सिंह अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 39—वित्तीय 2016-17 में ग्राम पंचायत नयागाँव बांगर में योगेन्द्र के मकान से ओमप्रकाश के खेत तक मिट्टी / खडंजा निर्माण कार्य पर अंकन 565493.0 का व्यय किया गया है, जिस पर वैट 22396.00 के स्थान पर 20891.00 की गयी है। अतः अन्तर रू0 1505.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त कुमार खण्ड वि0 अधिकारी एवं श्री वी0के0 सिंह अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 40— वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम नगला कोठी, में रामबाबू के मकान से पोखर तक नाला एवं कार्य पर अंकन 151968.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य का प्रारम्भ दि0 22.5.17 और कार्य को दि0 में समाप्त किया गया। निर्माण कार्य प्रकाशन नियम विरुद्ध स्थानीय अखबार में न निकालकर मात्र पंचाब केसरी पानीपत में प्रकाशन कराया गया। निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से भी पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर आपत्ति जनक एवं अनियमितता रही है। अतः निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि 151968.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री वी0के0 सिंह अभियन्ता से किये जाने हेतु विभाग स्तर से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 41— वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत, डिबाई द्वारा विकास खण्ड परिसर में मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत दिनांक 31.3.2015 को 1000000.00 मानते हुए कार्य प्रारम्भ करा दिया गया, किन्तु अनुमानित लागत धनराशि से कहीं अधिक धनराशि 1733000.00 व्यय कर दी गयी। दिनांक 29.06.2015 को 13 वॉ वित्त आयोग से अंकन 1300000.00 धनराशि राज्य वित्त खाते में ट्रान्सफर कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पुष्टि नहीं करायी गयी।

इसी प्रकार बिना बजट के प्राकलन कैसे बना, वित्तीय स्वीकृति बिना कार्य करना, मनमाने ढंग से कार्य कराना गम्भीर आपत्ति जनक रहा। उक्त कार्य पर कुल व्यय धनराशि 2043773.00 की गयी, जबकि अनुमानित लागत 1000000.00 थी। अतः विकास खण्ड परिसर में कार्य करने में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी। अतः अंकन 2043773.0 राशि को अनियमित भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री वी0के0 सिंह अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 42— वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम धारकपुर से नं0 धारकपुर तिराहे तक मिट्टी कार्य दिनांक 4.7.2016 को प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 18.9.2016 को कार्य समाप्त होने दर्शाया गया। निर्माण कार्य की पत्रावली में फोटो ग्राफस प्रति दिनांक 23.8.2016 की लगी है। यह स्थिति कार्यपूर्ण होने की संदिग्ध बनाती है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि 1804928.00 की ब्याज सहित

वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं वी०के० सिंह अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 43— वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक क्षेत्र पंचायत डिबाई में बी०डी०सी० सदस्यों को ब्लाक मीटिंग में भाग लेने एवं मानदेय भुगतान हेतु क्षेत्र पंचायत खाते से अंकन 261000.00 आहरित की गयी। बी०डी०सी० सदस्यों में अंकन मानदेय 217000.00 का भुगतान उपरान्त अवशेष बची राशि 44000.00 को वापिस बैंक में जमा नहीं करायी गयी। अतः अंकन 44000.00 शेष बची धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री तत्काल खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री जयप्रकाश लेखाकार से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 44— वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास खण्ड डिबाई में आंगनवाडी केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानक क्रमशः कार्य के मस्टर रोल न बनाना, निर्माण कार्य का महिला मजदूरों से न कराना, कार्य का मनरेगा योजना के अन्तर्गत न कराना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र से पुष्टि न कराना आदि का पालन नहीं कराया गया। यह स्थिति गम्भीर आपात्ति जनक एवं अनियमितता रही अतः निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि 418769.00 की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर०के० अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 45— वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम नया बांगर में योगेन्द्र के मकान से ओमप्रकाश के खेत तक मिट्टी/खडंजा निर्माण कार्य पर अंकन 565493.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य का प्रारम्भ दि० 22.5.15 और कार्य का दिनांक 22.8.2017 में समाप्त किया गया। निर्माण कार्य का प्रकाशन नियम विरुद्ध स्थानीय अखबार में न निकालकर मात्र पंजाब केसरी पानीपत में प्रकाशन में कराया गया। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र से भी पुष्टि नहीं करायी गयी। यह स्थिति गम्भीर आपात्ति जनक एवं अनियमित रही। अतः निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि 565493.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री वी०के० अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 46— वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत, डिबाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर “सेस” की कटौती

1— ग्राम धारकपुर में चामुण्डा मन्दिर से दरिया पोखर तक नला निर्माण	—	1258970.00	12465.00
2— ग्राम रतनपुर में कमलेश के मकान से भूले सिंह के मकान तक नाली	—	109376.00	1094.00
3— ग्राम बझौडा में धीरज सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण।	—	392777.00	3478.00

इस प्रकार वर्ष 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों 1 प्रतिशत सैस की वसूली 17537.00 है जिसकी वसूली प्रक्रिया गलत है। अतः अंकन 17537.00 अनियमित सैस राशि भुगतान की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर०के० उपाध्याक्ष अभियन्ता से समान रूप में विभाग स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 47—वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की क्षेत्र पंचायत, डिबाई की लेखा परीक्षा दौरान जाँच में पाया गया, कि कतिपय निर्माण कार्यों में व्यय की धनराशि में 1 प्रतिशत सैस जोड़कर पुनः भुगतान करते समय 1 प्रतिशत सैस की कटौती की गयी है। इससे स्पष्ट है कि सैस की कटौती की ही नहीं गयी हैं अतः यह प्रक्रिया गम्भीर आपात्ति जनक एवं वित्तीय हितों के विपरीत रही जैसे—

1—गढिया माजरा नवीपुर खेडिया में मुख्य खडंजा से टिन्कू एवं सतीश शर्मा के मकान तक	—	515000.00	5150.00
2— वैलोन मन्दिर में पास लल्लू जी तिराहे मैन खडंजा	—	432000.00	4320.00
3— घुसराना गैल में नरेन्द्र के मकान से राकेश के मकान तक	—	362023.00	3620.00
4— सतोहा में अलाउद्दीन के घर से ब्रह्मदेव के घर की ओर	—	661948.00	66119.00
5— ऊँचागाँव बागर से खेडा पुर की तरफ अलीगढ की सीमा तक खडंजा कार्य	—	512517.00	5125.00
6— कुढैली पुल से आगे अलीगढ सीमा तक अवशेष खडंजा कार्य	—	388000.00	3880.00
7— कुढैली की विभिन्न गलियों में सी०सी०रोड निर्माण	—	152966.00	15209.00
8— ग्राम गालिव ने प्रीतम सिंह के मकान से महावीर के मकान तक—	—	676428.00	6764.00
9— मौहम्मद पुर कला में रिसेन्द्र सिंह के मकान से काली सडक तक			

खडंजा कार्य	—	993639.00	9936.00
10- चौदेरा में सुखवीर के खेत पुलिया से राजू के खेत तक मिट्टी खडंजा—980807.00			980.00
11- ग्राम रामघाट में श्मशान मै0 से जयपाल के मकान तक मिट्टी खडंजा—463441.00			463.00
योग—			75065.00

अतः अंकन 75065.00 अनियंत्रित भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार शर्मा खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0के0 उपाध्याक्ष अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या 48— वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम रायपुर माजरा से कार्यवाही अपेक्षित हैं इन्द्रपाल के मकान से नरौरा लिंक मार्ग पर वाकेलाल के ट्यूबवैल तक मिट्टी कार्य पर अंकन 421863.00 व्यय किया गया। उक्त कार्य का प्रारम्भ दिनांक 31.12.2016 और कार्य का दिनांक 31.3.2017 में समाप्त किया गया निर्माण कार्य का प्रकाशन नियम विरुद्ध स्थानीय अखबार में न निकलकर पंजाब केसरी पानीपत में प्रकाशन कराया गया। निर्माण कार्य प्रमाण पत्र से भी पुष्टि नहीं करायी गयी, यह स्थिति गम्भीर आपत्ति जनक एवं अनियमित रही। अतः निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि अंकन 421863.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं री बी0के0 सिंह अभियन्ता समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 49—क्षेत्र पंचायत दानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निम्नलिखित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 शासनादेश संख्या 2974/86-2012-200/77 टी0सी0-11 लखनऊ/दिनांक 2.11.2012 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (39 वां संशोधन) नियमावली 2016 शासनादेश सं0 243/86-2016-200/77 टी0सी0 11/लखनऊ /दिनांक 19.01.216 की अनदेखी कर ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार रायलटी की वसूली न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई हैं विवरण निम्नवत हैं:-

वर्ष	कार्य का नाम	खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दर	रायल्टी की राशि
2014-15	1-इंदोरखेड़ा में अनूपशहर रोड से शिव मंदिर तक इ0ल0 काय	75.00	14.00	1050.00
	2-रहीमकोट में सरदार के खेत से बेमबे तक मि0/खंड0 कार्य	916.251	14.00	12827.00
	3-नगला खेड़ा में शिवसिंह के मकान से मिट्टी खंडजा पुलिया	2392.98	14.00	33502.00
2015-16	4-पूठरी कला में धर्मपाल के मकान से माँ दुर्गा मंदिर तक	86.25	14.00	1207.00
2016-17	5-शेरपुर में दानपुर धर्मपुर मार्ग से मंदिर तक मिट्टी खंडजा	1466.10	30.00	43983.00
	6-शहदवा में मंगल भाई के खेत से फतेह सिंह तक मि0/खंड0	938.18	30.00	28145.00
	7- बगठारी से चिमावली संपर्क मार्ग पर मिट्टी खंडजा कार्य	3920.00	30.00	117600.00
	8- रंघौरा में जयपाल सिंह के घर से धर्मदास घर तक इ0ल0	131.00	30.00	3930.00
	9- शहदवा में रहीमकोट मार्ग से श्मशान तक मिट्टी खंडजा	443.42	30.00	13303.00
	10- शेरपुर में रहीमकोट मार्ग से स्कूल तक मिट्टी खंडजा	989.57	30.00	29687.00
	11- धर्मपुर स्टेशन से शेरपुर मंदिर तक मिट्टी खंडजा	564.16	30.00	16985.00

	12- बगदारी से चिमावली संपर्क मार्ग से मिट्टी खंडजा	936.28	30.00	28088.00
	13- खुशहा फतेहबाद में मिट्टी खंडजा	1358.17	30.00	40745.00
	14- नारायण पुर में कालूराम के घर से मि0 / खंड0 पुलिया कार्य	3355.14	30.00	100654.00
	15- खुदादियां में सुरेन्द्र की दुकान से मिट्टी खंडजा	108.32	30.00	3250.00
	योग-			474956.00

अतः उपभावक्तानुसार मिट्टी खनन पर रायल्टी की वसूली नहीं किये जाने के दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 , जे0ई0 एवं लेखाकार से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या 50- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य से निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार प्रत्येक निर्माण पर श्रमिकों को कल्याण हेतु (सेस) 1 प्रतिशत काटे जाने का प्रावधान है का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर नियानुसार ठेकेदार के बिलों से उपकर (सेस) नहीं काटा गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	कुल लागत / भुगतान	1 प्रतिशत सैस की राशि
2014-15	1-इंदोरखेड़ा में अनूपशहर रोड से शिव मंदिर तक इ0ला0 काग्र	1071783.00	10718.00
	2-रहीमकोट में सरदार के खेत से बेमबे तक मिट्टी / खंडजा कार्य	193925.00	1939.00
	3- बगठारी मं दयानन्द के घर से चामुंडा मंदिर तक इ0ला0 कार्य	344338.00	3443.00
	4- नगला खेडा में शिवसिंह के मकान से रामचन्द्र के ट्यूबेल तक मिट्टी / खंडजा कार्य	827227.00	8272.00
	5- कुशहाफतेहाबाद में रामप्यारी के मकान से नैनसिंह की मडैया तक इ0ला0 कार्य	740803.00	7408.00
	6-कनहैरा में मुंशी के कटैरे के मकान से नाले तक यूटाई नाली कार्य	405407.00	4054.00
	7- चमेडी में कोठारी के मकान से गेन्दालाल के मकान एवं भोपसिंह के मकान से जीवन दत्त शर्मा के मकान तक इ0ला0 कार्य	157902.00	1579.00
	8-ईशनपुर में मैने रोड से प्रधान के घर की ओर इ0ला0 कार्य	519342.00	5193.00
	9-पोखरपुर में नानक लोधी के घर से मनोहर तक इ0ला0 कार्य	739329.00	7393.00
	10- भीमपुर दौराहा के पास ओमप्रकाश मिस्त्री के मकान से मदन लाल नाई के मकान तक इ0ला0 कार्य	423984.00	4240.00
	11- शहदवा में मंगल नाई के खेत से फतेह सिंह के घर तक मिट्टी खंडजा कार्य	652473.00	6525.00
	12- बगठारी में चिमावली संपर्क मार्ग पर मिट्टी खंडजा कार्य	745740.00	7457.00
	13- रंघौरा में जयपाल सिंह के घर से धर्मपाल सिंह के घर तक मिट्टी खंडजा कार्य	847535.00	8475.0
	14- खुदादिया में सुरेन्द्र की दुकान से प्रमोद प्रधान के घर होते हुए दीनदयाल सिंह के घर की ओर इ0ला0 कार्य	809351.00	8093.00
	योग-		84789.00

अतः उपरोक्तानुसार उपकर (सेस) की वसूली नहीं किये जाने पर दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं जे0ई0 एवं लेखाकार से कुल रू0 84789.00 की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(आ0सा0 -02)

प्रस्तर संख्या 51- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से निर्मित ग्राम भीमपुर दौराहा में ओम प्रकाश मिस्त्र के मकान से मदन लाल नाई के मकान तक इ0ला0 कार्य हेतु ठेकेदार गौरव एण्ड संस को किये गये द्वितीय बिल के भुगतान में रू0 2864.00 से अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है। बिल का विवरण निम्नवत है:-

बिल की सकल राशि —	167120.00		
आयकर	—	469.00	
वैट	—	816.00	
जमानत	—	1632.00	
ठेकेदार को शुद्ध भुगतान —		167067.00	
योग	—	169984.00	

इस प्रकार बिल की सकल राशि से रु0 28642.00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है। (आ0सा0 —06)

प्रस्तर संख्या 52— वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सननिर्माण कार्यभार व कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार कुल निर्माण लागत का 1 प्रतिशत (सेस) के रूप में जो धनराशि ठेकेदारों के बिलों से वसूल की जानी थी के स्थान पर पहले ठेकेदारों के बिलों में सेस की धनराशि को जोड़ा गया है। पुनः बाद में उसकी कटौती की जानी दर्शाई गई हैं जो नियमों का सरासर उल्लंघन है इस प्रकार लेवर से इसकी कटौती ठेकेदारों के बिलों से न करके स्वीकृत निविदा की राशि में अलग- से लेवरसेस 1 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर जोड़ी गई है। और तदुपरान्त छदमरूप से उसे ठेकेदारों के बिलों से काटा गया है। ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। जबकि वास्तव में लेवरसेस की कटौती क्षेत्र पंचायत कोष से ही की गई है। विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	कार्य का नाम	1 प्रतिशत सेस राशि जो पहले जोड़ी गई	1 प्रतिशत सेस जो बाद में बिलों से काटी गई
2014-15	1— पूठरी कला में धर्मपाल के मकान से माँ दुर्गा मंदिर तक इ0ला0 कार्य	9768.00	9568.00
	2— सबलपुर में पोपसिंह के मकान से प्रा0विधायल तक इ0ला0 कार्य	7308.00	7308.00
2016-17	3—शहदवां में मंगल नाई के खेत से फतेह सिंह के घर तक मिट्टी/खडंजा कार्य (प्रथम बिल)	6525.00	6525.00
	4— बगठारी में चिमावली सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/ख0 कार्य (प्रथम बिल)	7457.00	7457.00
	योग	31058.00	31058.00

अतः उपरोक्तानुसार अंकन रु0 31058.00×2 = 62116.00 की वसूली हेतु दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 जे0इ0 एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सा0 —07)

प्रस्तर संख्या 53— आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 की निर्माण पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया की ठेकेदारों द्वारा कृत कार्य के विरुद्ध भुगतान के समय कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत काटी गई जमानत राशि 8 प्रतिशत कर ठेकेदारों को निर्धारित समय 6 माह से पूर्व ही भुगतान कर दिया गया है। जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम	कार्य का नाम	कार्य समाप्ति	जमानत राशि	वापसी दिनांक	समय
	वर्ष 2014-15 में ईशनपुर में मैन रोड से प्रधान के घर की ओर इ0ला0 कार्य	11.11.14	41547.00	12.2.15	2 माह
	वर्ष 2016-17 में कुशहाफतेहाबाद में रामनगर से प्रा0 पाठशाला तक मिट्टी/खडंजा कार्य	3.8.16	65334.00	16.9.16	43 दिन
	योग—		106881.00		

अतः इस गम्भीर अनियमिता हेतु बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सा0 —09)

प्रस्तर संख्या 54—क्षेत्र पंचायत ऊंचागांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (चौतिसवा संशोधन) नियमावली 2012 (शासनदेश संख्या — 2974186-2012-200/77 टी0सी0 11 लखनऊ दिनांक 2.11.12) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (39 वां संशोधन) नियमावली 2016 (शासनदेश संख्या —

243/86-2016-200/77 टी0सी0 11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016)की अनदेखी कर मिट्टी , खनन, पर रायल्टी नहीं वसूल की गई। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	जमानत राशि	रायल्टी की धनराशि
2014-15	वर्ष 2014-15 में काचरौठ में रामकिशन के मकान से शिवराज मास्टर तक इ0ला0 कार्य	64.22	14.00	899.00
	वर्ष 2014-15 अमरगढ में गाला सिंह सावित्री देवी स्कूल के गेट से नीमनदी तक नाला निर्माण	440.00	14.00	6160.00
	फरीदाबांगर में बम्बा के यात्री शैज का निर्माण	19.44	14.00	272.00
	मडैया कला में राममहेश में घर से बम्बे की तरफ मिट्टी खंडजा निर्माण	151.39	14.00	2119.00
	मौ0पुर बरबाला में तिराहे से थान की तरफ इ0ला0 कार्य	57.72	14.00	808.0
	नैमसिंह के मकान से चरन सिंह के मकान तक नाला निर्माण	300.56	14.00	4208.00
	यूनिसपुर में चरनसिंह के मकान से दौलतपुर की तरफ नाला निर्माण	81.60	14.00	1142.00
	शादीपुर बनवोई में हरिचन्द्र के मकान से हरवीर के मकान तक नाली निर्माण	102.78	14.00	1439.00
2015-16	ग्राम वसीबांगर में नालक के अवशेष भाग का निर्माण	69.24	14.00	969.00
	कनौना में हरिओम के मकान से काली सड़क तक नाले की अवशेष भाग का निर्माण	71.40	14.00	1000.00
	दौलतपुर कला में कब्रिस्तान वाले नाले का अवशेष भाग का निर्माण	59.15	14.00	828.00
	ऊपर कार्य का अतिरिक्त भाग	54.42	14.00	762.00
	थाना गजरौला में अड्डे पर मंदिर से रजवाहे तक नाली निर्माण	83.59	14.00	1170.00
	योग-			21776.00

उपरोक्त विवरण अनुसार अंकन रू0 21776.00 की ब्याज सहित वसूली रायल्टी मद में न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गई हैं जिस प्रति दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं जे0ई0 एवं लेखाकार से इस धनराशि की वसूली कर राजकीय कोषागार में सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या 55:- 1-वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम दौलतपुर कला में प्रमोद के घर से रमेश के घर तक मिट्ट/ख0 निर्माण कार्य हेतु निविदा ठेकेदार जगदेव सिंह को स्वीकृत की गई बिल एवं क्वान्टिटी एवं एम0बी0 के अनुसार कुल मिट्टी खनन कार्य 135.49 घन मीटर का कराया गया जिसपर रू0 169.80 की दर से भुगतान किया गया है। स्वीकृत प्राकलन अनुसार 169.80 की दर रायल्टी के साथ की है जबकि बिना रायल्टी की दर 155.80 की हैं इस प्रकार 1896.86 रायल्टी की राशि बिल में जोड़ें जाने के बावजूद रायल्टी की वसूली ठेकेदार के बिल से नहीं की गई है। जिस प्रति दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 , जे0ई0 एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

2-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमरगढ में मैन रोड से सामुदायिक भवन तक ई0ला0 कार्य हेतु निविदा सविन्द्र कुमार की स्वीकृत की गई जिसमें बिल और क्वान्टिटी एव एम0बी0अनुसार कुल मिट्टी खनन कार्य 98.73 घन मीटर का किया गया है। जिसका भुगतान रू0 190.80 की दर से किया गया है जिसमें रायल्टी की राशि शामिल थी परन्तु ठेकेदार के बिल से रायल्टी की राशि की कटौती नहीं की गई है। अतः रायल्टी की राशि रू0 2962.00 की ब्याज सहित वसूली इस हेतु दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है और संबंधित धनराशि को तत्काल राजकीय कोष में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 56:— वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्य उपकार अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत सैस के रूप में गयी धनराशि ठेकेदारों से वसूली जानी थी, के स्थानपर पहले ठेकेदारों के बिलों में सैस की धनराशि को जोड़ा गया है फिर बाद में उसकी कटौती की जानी दर्शायी गई है जोकि नियमों का सरासर उलंघन है। विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	कार्य का नाम	1 प्रतिशत सैस राशि जो पहले जोड़ी गई	1 प्रतिशत सैस जो बाद में बिलों से काटी गई
2014-15	काचरौट में रामकिशन के मकान से शिवराज मास्टर जी तक इ0ला0कार्य	4097.00	4094.00
	अमरगढ मे भोला सिंह सावित्री देवी से स्कूल के गेट से नीमनदी तक नालानिर्माण	7910.51	7910.00
	फरीदाबांगर में बम्बे के पास यात्री शेज का निर्माण	1471.00	1756.0
	मडैया कला में राममहेश के घर से बम्बे की तरफ मिट्टी/ खडंजा कार्य	1773.00	1773.00
	मो0पुर0 बरबाला में तिराहे से थान की तरफ इ0ला0 कार्य	5118.00	5118.00
	नैमसिंह के मकान से चरन सिंह के मकान तक नाला निर्माण	7418.42	7492.00
	यूनिसपुर में चरनसिंह के मकान से दौलतपुर की तरफ नाला निर्माण	1980.00	1980.00
	शादीपुर बनवोई में हरिचन्द्र के मकान से हरवीर के मकान तक नाली निर्माण	3514.89	3471.00
2015-16	दौलतपुर कला में कब्रिस्तान वाले नाले का अवशेष भाग का निर्माण	1931.00	1931.00
	ग्राम वसीबांगर में नालक के अवशेष भाग का निर्माण	1869.00	1869.00
	कनौना में हरिओम के मकान से काली सड़क तक नाले की अवशेष भाग का निर्माण	1977.00	1977.00
		5526.00	5526.00
	दौलतपुर कला में कब्रिस्तान वाले नाले का अवशेष भाग का निर्माण	1369.00	1369.00
	थाना गजरोला में अड़डे पर मंदिर से रजवाहे तक नाली निर्माण	1659.00	1659.00
2016-17	लड़ाना में गिरौरा संपर्क मार्ग पर मिट्टी/खडंजा	2572.00	2572.00
	विकास खंड कार्यालय ऊचांगांव का जी गौसर कार्य	1856.00	1856.00
	अमरगढ में मैनरोड से सामुदायिक भवन तक इ0ला0 कार्य	3812.00	3812.00
	योग—		56165.00

उपरोक्त समस्त कार्यों में लेबर सैस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से न करके स्वीकृत निविदा की राशि अलग से लेबर सैस 1 प्रतिशत बढ़ाकर जोड़नी गई है। और तदुपरान्त रूप में उसे ठेकेदारों के बिलों से काटा गया है, दिखाने का प्रयास किया गया है जबकि वास्तव में , लेबरसैस की कटौती क्षेत्र पंचयत कोष से ही की गई है। इस प्रकार , अंकन रू0 56165.00×2=112330.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0इ0 एवं लेखाकार से इसकी वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0स0- 06)

प्रस्तर संख्या 57:— वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (34 वा संशोधन) नियमावली 2012 (शासनदेश संख्या - 2974186-2012-200/77 टी0सी0 11 लखनऊ दिनांक 2.11.12) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (39 वां संशोधन) नियमावली 2016 (शासनदेश संख्या - 243/86-2016-200/77 टी0सी0 11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016)की अनदेखी कर मिट्टी , खनन, पर रायल्टी की वसूली ठेकेदारों से नहीं की गई। विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा	दर	रायल्टी की धनराशि

		(घन मीटर में)		
2014-15	चंदियाना में मैन सड़क से मुबारिक के घर एवं चौक से सलमान के घर तक इ0ला0 कार्य	185.85	14.00	2602.00
	ढलना में शीषपाल के मकान से अजय के खेत तक नाली निर्माण	116.84	14.00	1636.00
2015-16	नरेन्द्रपुर में मुख्य खडंजा से पंचायत भवन तक इ0ला0 सड़क कार्य	95.80	14.00	1341.0
	नगला मदारीपुर में कुंदन सिंह के मकान से आशाक सैजवाल के मकान तक इ0ला0 कार्य	115.96	14.00	1623.00
	दौलतपुर में घुंगरावली काली सड़क से चंदियाना मार्ग पर फतेहसिंह के खेत से शिब्बा के खेत तक मिट्टी खडंजा	650.16	14.00	9102.00
	करियारी में खेम चंद के घर से राजकुमार शर्मा के मकान से इ0ला0 कार्य	110.98	14.00	1554.00
2016-17	कपसाई महमूदपुर में शंकर लोधी के ट्यूबल से भेजपुरा संपर्क मार्ग पर मिट्टा खडंजा निर्माण	165.00	30.00	4950.00
	पियाना कला से कल्यानपुर संपर्क मार्ग पर मिट्टी खडंजा निर्माण	2227.00	30.00	66810.00
	कल्यानपुर में रमेश शर्मा के मकान से पोखर तक नाला निर्माण	162.54	30.00	4876.00
	योग-			92858.00

उपरोक्त विवरण अनुसार अंकन रु0 92858.00 की वसूली रायल्टी मद में न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई गयी है दस प्रति दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 एवं लेखाकार से इस धन की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

प्रस्तर संख्या 58:- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में उ0प्र0 एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार कुल निर्माण लागत का 1 प्रतिशत सैस के रूप में जो धनराशि ठेकेदारों से वसूली जानी थी के स्थान पर पहले ठेकेदारों के बिलों में सैस की धनराशि को जोड़ा गया है फिर बाद में उसकी कटौती की जानी दर्शायी गयी है जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	1 प्रतिशत सैस जो बिल में पहले जोड़ा गया	1 प्रतिशत सैस जो बिलों से बाद में काटी गयी
2014-15	चंदियाना में मैन सड़क से मुबारिक के घर एवं चौक से सलमान के घर तक इ0ला0 कार्य	7005.00	7005.00
2015-16	नरेन्द्रपुर में मुख्य खडंजा से पंचायत भवन तक इ0ला0 सड़क कार्य	4099.00	4099.00
	थाना गजरौला में पुलिया मोहन सिंह के मकान तक इ0ला0 कार्य	8023.00	8023.00
	नगला मदारीपुर में कुंदन सिंह के मकान से आशाक सैजवाल के मकान तक इ0ला0 कार्य	749.00	749.00
	करियारी में खेम चंद के घर से राजकुमार शर्मा के मकान से इ0ला0 कार्य	4076.00	4076.00
2016-17	कपसाई महमूदपुर में शंकर लोधी के ट्यूबल से भेजपुरा संपर्क मार्ग पर मिट्टा खडंजा निर्माण	2519.00	2519.00
	पियाना कला से कल्यानपुर संपर्क मार्ग पर मिट्टी खडंजा निर्माण	2247.00	2247.00
	कल्यानपुर में रमेश शर्मा के मकान से पोखर तक नाला निर्माण	9611.00	9611.00
	योग-		38329.00

उपरोक्त समस्त कार्यों में लेबर से इसकी कटौती ठेकेदारों के बिलों से न करके स्वीकृत निविदा की राशि में अलग से लेबर सैस 1 प्रतिशत बढ़ाकर जोड़ी गई है और तदपरान्त छदम रूप से उसे ठेकेदारों के बिलों से काटा गया है ऐसा दिखने का प्रयास किया गया है जबकि वास्तव में लेबर से इसकी कटौती क्षेत्र पंचायत कोष से ही की गई है। इस प्रकार अंकन रु0 38329.00×2=76658.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 एवं लेखाकार से इसकी वसूली कराई जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर संख्या 59:- क्षेत्र पंचायत जहाँगीराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में (निर्माण कार्य का नाम ग्राम खालौर में ईश्वर के घर से बिचौला संपर्क मार्ग तक खडंजा निर्माण) कार्य हेतु निविदा मेसर्स एम0एस0

कन्सट्रक्सन की स्वीकृत की गई थी जिसकी कुल लागत 492199.00 की थी। एम0एस0 कन्सट्रक्सन के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.11 द्वारा रू0 250000.00 एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 27.7.11 द्वारा रू0 100000.00 का अग्रिम का भुगतान किया गया हैं परन्तु अंतिम भुगतान में मात्र रू0 250000.00 अग्रिम को ही घटाया गया है। भुगतान पूर्ण विवरण निम्नवत है।:-

कुल धनराशि	—	492199.00
(-) 8 प्रतिशत जमानत	—	39376.00
(-) 2.3 प्रतिशत आयकर	—	10415.00
(-)4.5 प्रतिशत व्यय कर	—	19908.00
(-)अग्रिम भुगतान	—	250000.00
ठेकेदार को शुद्ध भुगतान —		172500.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्य हेतु अंकन रू0 100000.00 से अधिक भुगतान धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या 60:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में विनियम कार्यों। के भुगतान में निम्न विवरण अनुसार कुल रू0 24406.00 की रायल्टी एवं सैस की वसूली न कर राजकीय कोष के क्षति पहुचायी गई है जिसका विवरण निम्नवत है—

कार्य का नाम	मिट्टी खनन की माप घन मीटर मे	रायल्टी की राशि	कुल लागत का 1 प्रतिशत सैस
जुगसाना कला में श्मशान कार्य खडंजा से चामुंडा मंदिर तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	118.82	1663.00	1215.00
ग्राम भरी में छोटेला शर्मा के मकान से बम्बे की पटरी तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	197.73	2768.00	1745.00
ग्राम शेखपुर में उदयवीर मास्टर के ट्यूबेल से रविपाल के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	218.93	3065.00	2881.00
ग्राम कुदेना जयरमपुर के कछिद के मकान से हेडपंप तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	171.54	2402.00	1506.00
ग्राम शेखपुर में मुकेश के खेत से हरिसिंह के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	92.47	1295.00	1300.00
ग्राम भिसरौली में आंजनी के रास्ते पर सुभाष यादव के खेत से श्मशान तक मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण कार्य	216.98	3038.00	1528.00
योग—		14231.00	10175.00

इस प्रकार रू0 14231.00 की रायल्टी एवं रू0 10175.00 का सैस कुल रू0 24406.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-3,4,5,6,7,8)

प्रस्तर संख्या 61:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में ब्लाक परिसर में समरसीबलपंप, टैनेटरी मरम्मत कार्य बावत अंकन रू0 104420.00 का भुगतान निम्नानुसार किया जाना दर्शित है।

कुल स्वीकृत भुगतान रू0	—	104420.00
(-) 2.3 प्रतिशत आयकर	—	2111.00
(-)4.5 प्रतिशत व्यय कर	—	4323.00
(-) 8 प्रतिशत जमानत	—	8354.00
(-)अग्रिम भुगतान	—	25000.00
ठेकेदार को शुद्ध भुगतान	—	64632.00

उपरोक्त कार्य हेतु अग्रिम भुगतान 25000.00 के साथ-साथ दि0 14.9.2011 को चेक संख्या 879541 द्वारा रू0 50000.00 का भुगतान किया गया था जिसे ठेकेदार के बिल से समायोजित न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री ज्ञान सिंह, लेखाकार तेजसिंह एवं तत्कालीन जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित हैं।
(सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या 62:- वित्तीय वर्ष 2012-'13 एवं 2013-14 में ग्रांट रजि0- 2 के अनुसार विविध व्यय के रूप में दर्शित निम्न व्ययों के प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच हेतु अप्राप्त है जिस कारण दर्शित व्ययों की सुचित पुष्टि नहीं की जा सकी अतः भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली

तत्कालीन बी०डी०ओ०, लेखाकार एवं राजेश राघव ए०डी०ओ० पं० से करायी जानी अपेक्षित है व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैं।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	कार्य का नाम	कैसे भुगतान किया गया
14.8.13	548184	9150.00	ए०सी० मरम्मत	मजदूरी इलेक्ट्रनिक्स
11.6.13	548172	20000.00	प्रिया सॉफ्ट हेतु	राजेश राघव ए०डी०ओ० पं०
11.6.13	548170	9150.00	ए०सी० मरम्मत	मैसर्स जय एयर वंडिसन से
		योग— 38300.00		

(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या 63:— वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में विभिन्न कार्यों में मिट्टी खनन, पर रायल्टी की वसूली न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई गई है:—

कार्य का नाम	मिट्टी खनन की माप (घन मीटर में)	रायल्टी की धनराशि
मनिया टीकरी में बलवंत के टूयबवैल से जवासे वाले मार्ग तक मिट्टी / खडंजा कार्य	149.19	2089.00
नवीनगर में डबकौरा से खनपुरा वाले मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य	218.25	3055.00
जसर में नानक के मकान से हरिराम के खेत तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	80.41	1126.00
जुगसाना कला में श्मशासन वाले लेखा खडंजा से श्मशान के दिन तक मिट्टी खडंजा निर्माण	60.99	854.00
इमामाबाद में मैनरोड से हरिसिंह लोधी के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण	147.00	2058.00
योग:—		9182.00

अतः अंकन रु० 9182.00 की रायल्टी की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० लेखाकार एवं जे०इ० से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या 64:—क्षेत्र पंचायत पहासू द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कराये गये निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भुगतान किये गये बिलों के सापेक्ष 8 प्रतिशत जमानत राशि की कटौती नहीं की गई है जो कि गंभीर रूप से वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। नियमानुसार जमानत राशि कार्य की गुणवत्ता के विरुद्ध की जाती है एवं कार्य की गुणवत्ता में 6 माह से पूर्व कमी पायी जाती है तो उसका समायोजन जमानत राशि के किये जाने का प्रावधान है परन्तु निम्न निर्माण कार्यों में तो जमानत राशि की कटौती ही नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शित कार्य मात्र कागजों में ही दर्शायी गई है अतः इस गंभीर कृत्य के प्रति कठोरतम कार्यवाही हेतु तत्कालीन जे०इ० श्री सूरजपाल सिंह, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार समान रूप से उत्तर दायी है जिनके विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है कार्य का विवरण निम्न अनुसार है:—

वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कुल लागत	8 प्रतिशत जमानत राशि जो वसूली की गई
2011-12	ग्राम सरभन्ना में हरिओम के मकान से पोखर तक एवं रुमाली से पं० घर तक यू०टाईप नाली निर्माण का अंतिम बिल	160077.00	12806.00
2011-12	ग्राम अहमगढ में बड़ी मस्जिद से पोखर तक यू० टाईप नाली का निर्माण	296120.00	23690.00
2011-12	ग्राम कस्बा डड्डू में सकीर के मकान से प्रा० स्कूल तक मिट्टी/ खडंजा का निर्माण	363644.00	29092.00
	योग—		65588.00

(सा०आ०सं०-01)

प्रस्तर संख्या 65:— वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों भुगतान में व्यापार कर 4.5 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई है जिस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सूरजपाल शर्मा, खंड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार समान रूप से दोषीगण है जिनसे राजकीय राजस्व को पहुंची क्षति की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:—

कार्य का विवरण	कुल लागत	व्यापार कर 4.5 प्रतिशत जो वसूली की जानी थी

समसपुर में पंझावस पहासू मार्ग पर मि०/खंड० कार्य	584531.00	26304.00
दीघी में महेन्द्र के खेत से रामप्रसाद के घर तक मि०/खंड० कार्य	118991.00	5355.00
सरभन्ना में हरिओम से पोरखर तक यू० टाईप नाली निर्माण का प्रथम बिल (462302.00)	622379.00	20804.00
बान में कृपान सक राजकुमार तक मि०/खंड० कार्य पुलिया	194041.00	8732.00
थाना अहमदगढ परिसर में सी०सी०इ०ला० वर्ष	413856.00	18624.00
ग्राम अहमदगढ में बड़ी मस्जित से पोखर तक यू० टाईप नाली	296120.00	13325.00
कस्बा डड्डू में छत्रपाल से बद्धसेन तक सी०सी० इ०ला० कार्य	224915.00	10121.00
कस्बा डड्डू में रनवीर से प्रा० पा०शाला तक मि०/खंड० कार्य पुलिया	363644.00	16364.00
योग—		119629.00

(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर संख्या 66:— वित्तीय वर्ष 2011-12 ये 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ०प्र० उपखनिज (परिसर) (34 वां संशोधन) नियमावली 2011 (शासनादेश सं० 7338/86-2011-183-2011/दिनांक 1 दिसम्बर 2011) एवं उ०प्र० उपखनिज (परिसर) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 (शासनादेश सं० 2954286-86-2012-200/77) टी०सी०-2 लखनऊ दिनांक 2.11.12 की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की कटौती नहीं की गई की गई है जिस कारण राजकीय राजस्व में क्षति पहुंची है जिस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सूरजपाल शर्मा, तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं लेखाकार दोषी है, जिनसे ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जातना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है।—

वर्ष	वर्ष एवं कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दर	धनराशि
2011-12	समसपुर में पंझावस पहासू मार्ग पर मि०/खंड० कार्य	555.50	9.00	5000.00
	दीघी में महेन्द्र के खेत से रामप्रसाद के घर तक मि०/खंड० का	288.00	9.00	2592.00
	सरभन्ना में हरिओम से पोरखर तक यू० टाईप नाली निर्माण	222.40	9.00	2002.00
	रिसालू में चामुंडा मंदिर से श्मशान तक मि०/खंड०/पुलिया	315.00	9.00	2835.00
	बान में कृपान सक राजकुमार तक मि०/खंड० कार्य पुलिया	500.00	9.00	4500.00
	अहमदगढ में बड़ी मस्जित से पोखर तक यू० टाईप नाली	197.28	9.00	1776.00
	कस्बा डड्डू में छत्रपाल से बद्धसेन तक सी०सी० इ०ला० कार्य	98.00	9.00	882.00
	कस्बा डड्डू में रूवीर से प्रा० पा० शला तक मि०/खंड०/पुलिया	480.00	9.00	4320.00
2012-13	लालगढी में प्रा०पा०शाला से रजवाटा संपर्क मार्ग पर बायीं तरफ यू०टाईप नाली एवं इ०ला०	89.70	14.00	1256.00
	कसूमी में देवस्थान से सुखवीर तक इ०ला० नाली निर्माण	31.50	14.00	441.00
2013-14	नौरंगाबाद में विजेन्द्र से मंदिर तक यू० टाईप नाली निर्माण	106.87	14.00	1496.00
	लालगढी में जू० हा०स्कूल से सिद्धगढी संपर्क मार्ग पर मि०/खंड०/पुलिया कार्य	2892.50	14.00	40495.00

	लालगढी में रजवाहे के पुल से सुरेन्द्र फौजी के खेत सहार मार्ग तक मि०/ख० कार्य	6230.00	14.00	87220.00
	योग—			154815.00

उपरोक्तानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से राजकीय राजस्व की क्षति की ब्याज सहित वसूली भू संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

प्रस्तर संख्या 67:— वित्तीय वर्ष 2011-12 ये 2013-14 में उ०प्र० भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर सैस निम्नलिखित निर्माण कार्यों में नहीं वसूल किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों यथा सूरजपाल शर्मा जे०ई०, बी०डी०ओ० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	वर्ष एवं कार्य का नाम	कुल लागत	1 % सैस
2011-12	समसपुर में पंझावस पहासू मार्ग पर मि०/ख० कार्य	584531.00	5845.00
	दीघी में महेन्द्र के खेत से रामप्रसाद के घर तक मि०/ख० कार्य	118991.00	1190.00
	सरभन्ना में हरिओम से पोरखर तक यू० टाईप नाली निर्माण	622379.00	6224.00
	रिसालू में चामुंडा मंदिर से श्मशान तक मि०/ख०/पुलिया	323074.00	3231.00
	बान में कृपान सक राजकुमार तक मि०/ख० कार्य पुलिया	194041.00	1940.00
	अहमदगढ थाना परिसर में सी०सी०इ०ला०कार्य	413856.00	4139.00
	अहमदगढ में बड़ी मस्जित से पोखर तक यू० टाईप नाली	296120.00	2961.00
	कस्बा डड्डू में छत्रपाल से बद्धसेन तक सी०सी० इ०ला० कार्य	224915.00	2249.00
	कस्बा डड्डू में रूवीर से प्रा० पा० शला तक मि०/ख०/पुलिया	363644.00	3644.00
2012-13	लालगढी में प्रा०पा०शाला से रजवाटा संपर्क मार्ग पर बाची तरफ यू०टाईप नाली एवं इ०ला०	489464.00	4895.00
	कसूमी में देवस्थान से सुखवीर तक इ०ला० नाली निर्माण	638785.00	6388.00
2013-14	नौरंगाबाद में विजेन्द्र से मंदिर तक यू० टाईप नाली निर्माण	242950.00	2430.00
	लालगढी में जू० हा०स्कूल से सिद्धगढी संपर्क मार्ग पर मि०/ख०/पुलिया कार्य	478693.00	4787.00
	लालगढी में रजवाहे के पुल से सुरेन्द्र फौजी के खेत सहार मार्ग तक मि०/ख० कार्य	1931989.00	19320.00
	योग—		69243.00

(सा०आ०सं०-04)

प्रस्तर संख्या 68:— वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ०प्र० उपखनिज (परिसर) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 (शासनादेश सं० 2974/86-2012-200/77) टी०सी०-11/ लखनऊ 2.11.12 की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की कटौती नहीं की गई की गई है जिस कारण राजकीय राजस्व में क्षति पहुंची है इस प्रति उत्तरदायी/दोषीगण तत्कालीन बी०डी०ओ०, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है।—

वर्ष	वर्ष एवं कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	रायल्टी की दर	धनराशि
2012-13	जगदीश सिंह में कूडे सिंह के घर से होषियार सिंह स के घर तक इ०ला० कार्य	43.02	14.00	602.00
	सरभन्ना में ठाकुर किशनलाल के घर से विजेन्द्र शर्मा के घर की ओर इ०ला० कार्य	52.90	14.00	741.00
	सरभन्ना में पप्पू ठाकुर के घर से गाला कुंआ तक यू०टाईप नाली	133.73	14.00	1872.00
	लालगढी में प्रा० वि० से रजभाहे तक दाहिनी ओर इ०ला०	213.49	14.00	2989.00
	वि०ख० पहासू परिसर में इ०ला०कार्य	240.67	14.00	3369.00
	लालगढी में राज्यदये के पुल से ठाकुर महेन्द्र सिंह के घर तक इ०ला० कार्य	101.15	14.00	1416.00

	लालगढी में मंदिर से वसंत के घर तक इ0ला0कार्य	137.97	14.00	1932.00
	दलपतपुर में खेल मैदान से सतवीर राघव की ओर मि0/खं0/पुलिया	3612.33	14.00	50573.00
	तुर्की पुरावास में अजुद्दीन प्रसाद शर्मा के प्लास से तालाब तक यू0 टाईप नाली निर्माण	33.35	14.00	467.00
2013-14	सहारा में हितेश के घर से पवन के घर तक इ0ला0 कार्य	322.31	14.00	4512.00
	अमरपुर में श्री निवास के मकान से चमुंडा मंदिर तक यू0टाईप नाली की निर्माण	320.49	14.00	4487.00
	योग-			72960.00

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या 69:- वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर सैस निम्नलिखित निर्माण कार्यों में नहीं वसूल किया गया है जिस प्रति दोषीगण तत्कालीन जे0इ0,, बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा करायी जानी अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	वर्ष एवं कार्य का नाम	कुल लागत	1 प्रतिशत सैस
2012-13	जगदीशपुर में कुडे सिंह के घर से होशियार सिंह के घर तक इ0ला0	139751.00	1398.00
	सरभन्ना में ठाकुर किशनलाल के घर से विजेन्द्र शर्मा के घर की ओर इ0ला0 कार्य	205375.00	2054.00
	सरभन्ना में पप्पू ठाकुर के घर से गाला कुंआ तक यू0टाईप नाली	248317.00	2483.00
	लालगढी में प्रा0 वि0 से रजभाहे तक दाहिनी ओर इ0ला0	858233.00	8582.00
	वि0ख0 पहासू परिसर में इ0ला0कार्य	920841.00	9208.00
	लालगढी में राज्यदये के पुल से ठाकुर महेन्द्र सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	463634.00	4636.00
	लालगढी में मंदिर से वसंत के घर तक इ0ला0कार्य	559043.00	5590.00
	दलपतपुर में खेल मैदान से सतवीर राघव की ओर मि0/खं0/पुलिया	676943.00	6769.00
	तुर्की पुरावास में अजुद्दीन प्रसाद शर्मा के प्लास से तालाब तक यू0 टाईप नाली निर्माण	179155.00	1792.00
	सहारा में हितेश के घर से पवन के घर तक इ0ला0 कार्य	1125564.00	11256.00
	अमरपुर में श्री निवास के मकान से चमुंडा मंदिर तक यू0टाईप नाली की निर्माण	943048.00	9430.00
	योग-		63198.00

(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर संख्या 70:-क्षेत्र पंचायत ऊंचागांव की वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2011 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 (शासनादेश संख्या-2954/86-2012-200/77 टी0सी0-11 लखनऊ दिनांक 2.11.12) की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर रायल्टी की वसूली ठेकेदारों से नहीं की गई है। विवरण निम्नवत है:-

कार्य नाव एवं वर्ष	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दर	रायल्टी की राशि
चठेरा में रामरतन के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक इन्टर लाकिंग कार्य (11-12)	72.85	9.00	656.00
महुआखेड़ा में काली के घर के सामने गली में उच्ची करम एवं मिट्टी खडंजा कार्य (11-12)	51.60	9.00	464.00
दौलतपुर कला में आबादी भाग से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण (13-14)	448.80	14.00	6283.00
बसी बांगर में मास्टर आरीफ के मकान से जयचन्द के मकान तक इ0ला0 कार्य (13-14)	45.52	14.00	595.00

मंगलपुर रौसला में अमरसिंह के घर से गुलीली पोखर तक नाला निर्माण (13-14)	345.18	14.00	4833.00
चठेरा में भूपाल सिंह के मकान से सतपाल सिंह के मकान तक इ0ला0 कार्य (13-14)	32.84	14.00	460.00
शकरपुर में मैन रोड से रामदीप के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य (13-14)	17.80	14.00	250.00
रघुनाथपुर में चांद के खेत से कब्रिस्तान तक संपर्क र्मा तक मिट्टी/खडंजा निर्माण (13-14)	369.70	14.00	5176.00
योग-			18717.00

उपरोक्तानुसार मिट्टी खनन की रायल्टी की वसूली नहीं किये जाने के दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ, जे0इ0 एवं लेखाकार से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या 71:- वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निर्माण कार्यों पर श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर सैस 1 प्रतिशत काटे जाने का प्रावधान है, का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और ठेकेदार के बिलों से उपकर सैस नहीं काटा गया है विवरण निम्नवत है:-

कार्य नाव एवं वर्ष	कुल लागत/भुगतान	1 प्रतिशत सैस की धनराशि
चठेरा में शमर तक के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक इन्टर लाकिंग कार्य (11-12)	862342.00	8623.00
महुआखेड़ा में काली के घर के सामने गली में उच्ची करम एवं मिट्टी खडंजा कार्य (11-12)	46000.00	460.00
थौना में काचरोट वाले रास्ते पर तालाब के टी0 पाईप से ग्राफ की तरफ इ0ला0 कार्य (11-12)	7976.00	7976.00
वि0ख0 कार्यालय एवं आवासीय भवन की रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य (11-12)	11639.00	11639.00
ऊंचागांव में भूकंप वद शाला में भवन की मरम्मत कार्य (12-13)	268050.00	2680.00
चठेरा में भूपाल सिंह के मकान से सतपाल सिंह के मकान तक इ0ला0 कार्य (13-14)	295800.00	2958.00
शकरपुर में मैन रोड से रामदीप के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य (13-14)	289300.00	2893.00
रघुनाथपुर में चांद के खेत से कब्रिस्तान तक संपर्क र्मा तक मिट्टी/खडंजा निर्माण (13-14)	255900.00	2559.00
योग:-		39788.00

अतः उपरोक्तानुसार उपकर (सैस) की वसूली नहीं किये जाने के दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0इ0 एवं लेखाकार से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या 72:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम दौलतपुर कला में आबादी भाग से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण हेतु किये गये भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि 3 रनींग बिल का भुगतान करते समय कुल रू0 9576.16 बिल में सैस को जोड़ा गया है फिर उसकी कटौती की गई है। सैस की कुल कटौती 9673.00 की है। यह कटौती नियमानुसार गलत है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्यपर कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर सैस वसूली जाने का प्रवधान है आधे यह वसूली ठेकेदार से की जानी है परन्तु यहां ऐसा नहीं किया गया है। अतः उपकर कटौती राशि रू0 9673.00×2=19346.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0इ0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर संख्या 73:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम मंगलपुर रौसला में अमर सिंह के घर से गुलीली पोखर तक नाला निर्माण कार्य हेतु कुल भुगतान रू0 743320.00 का किया गया है जो चार अलग-अलग बिलों के विरुद्ध किया गया है जिसपर क्रमशः रू0 5019.00, 897.00, 3153.00 एवं 2402.00 कुल रू0 11471.00

आयकर की कटौती की गई है जबकि आयकर 2.3 प्रतिशत की दर से ₹0 17096.00 की कटौती की जानी थी। इस प्रकार, कुल ₹0 5625.00 से कम कटौती की गई है जिसप्रति दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 , जे0इ0 एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार, इस कार्य हेतु कुल लागत ₹0 743320.00 का 1 प्रतिशत सैस ₹0 7433.00 के स्थान पर मात्र ₹0 4354.00 की सैस की कटौती की गई है जिसप्रति अंतर की राशि ₹0 3079.00 की ब्याज सहित वसूली दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0 , जे0इ0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या 74:- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार का व्यय उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर सैस निम्नलिखित निर्माण कार्यों के भुगतान में नहीं वसूला गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:-

कार्य नाव एवं वर्ष	कुल लागत/भुगतान	1 प्रशित सैस की धनराशि
ग्राम रघुनाथपुर में राजवीर के मकान से नेपाल के मकान तक नाला निर्माण (11-12)	1142399.00	11424.00
सबदलपुर में श्री करनसिंह के मकान से नाली सड़क तक इ0ला0 कार्य (12-13)	180768.00	1808.00
महुआखेडा में तेजपाल के मकान से श्री निवास के मकान तक इ0ला0 कार्य (13-14)	234468.00	2345.00
योग-		15577.00

उपरोक्तानुसार विवरण अनुसार सैस की वसूली न किये जाने दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0इ0, एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर संख्या 75:- कतिपय निर्माण कार्यों में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (33 वां संशोधन) नियमावली 2011 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 (शासनादेश संख्या-2974/86-2012-200/77 टी0सी0-11 लखनऊ दिनांक 2.11.12) के प्रावधानों का उल्लंघन कर मिट्टी खनन पर रायल्टी की राशि नहीं वसूल की गई हैं विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दर	रायल्टी की राशि
2011-12	ग्राम रघुनाथपुर में राजवीर के मकान से नेपाल के मकान तक नाला निर्माण	602.41	9.00	5422.00
2013-14	महुआखेडा में तेजपाल के मकान से श्री निवास के मकान तक इ0ला0 कार्य	48.92.00	14.00	685.00
2012-13	सबदलपुर में श्री करनसिंह के मकान से नाली सड़क तक इ0ला0 कार्य	69.00	14.00	966.00
2013-14	विकास खंड कार्यालय एवं आवासीय भव का मरम्मत कार्य	27.78	14.00	388.00
2013-14	सौंजना रानी में मैनरोड से इ0ला0 अवशेष भाग पर इ0ला0 कार्य	1.64	14.00	23.00
2013-14	मायापुर में प्रा0पा0 से मंदिर तक नाला निर्माण	135.21	14.00	1893.00
2013-14	ग्राम मवई में रतिराम के मकान से राजश्री के मकान तक इ0ला0 कार्य	237.01	14.00	3318.00
2013-14	ग्राम सबदपुर में श्री शराम के मकान से तालाब तक नाली निर्माण	99.63	14.00	1395.00
2013-14	मवई में वहोरी के मकान से जगवीर के मकान तक इ0ला0 कार्य	66.67	14.00	933.00
2013-14	खंदोई में रामकुमार के घर से ज्ञान सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	57.22	14.00	801.00
2013-14	रघुनाथपुर में पशु चिकित्सालय से अन्तन खां के मकान तक एवं कुंवरपाल के गजराज तक	47.50	14.00	665.00
	योग-			16489.00

उपरोक्तानुसार रायल्टी की वसूली किये जाने वखत, दोषीगण, तत्कालीन बी0डी0ओ0 , जे0इ0 एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली कर तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर संख्या 76:- क्षेत्र पंचायत दानपुर की वित्तीय वर्ष 2011-12 ये 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यो की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिसर) (33 वां संशोधन) नियमावली 2011 (शासनादेश सं0 7338/86-2011-183-2011/दिनांक 01.12.2011) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिसर) (34 वां संशोधन) नियमावली 2012 (शासनादेश सं0 2974 / 86-2012-200/77) टी0सी0-11 लखनऊ दिनांक 02.11.12 की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों से रायल्टी नहीं वसूली गई है। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दर	रायल्टी की राशि
2011-12	उमरारा में नरेश शर्मा से सर्विस रोड तक मि0/खडंजा	490.00	9.00	4410.00
	खरिकवारी में खरिकवारी से डिबाई मार्ग तक मि तक मि0/खडंजा	900.00	9.00	8100.00
	उदयपुर कला में डिबाई घर्मपुर मार्ग से गावदेन तक मि0/खडंजा	247.00	9.00	2223.00
	कन्हैरा में नाले के पुल से गोपाल के घर तक मि0/खडंजा	293.00	9.00	2637.00
	शेखपुर में गांव से नहर तक मि0/खडंजा	1202.00	9.00	10818.00
	न0 सिद्ध में दानपुर घर्मपुर मार्ग से अखिलेश के मकान तक यू0 टाईप नाली निर्माण	160.74	9.00	1447.00
	घर्मपुर में घर्मपुर रोड से किशन वाल्मीकि तक यू0टाईप नाली निर्माण	164.16	9.00	1477.00
	वीरपुर में सुरेन्द्र शर्मा के ट्यूबेल से बम्बे तक नाली निर्माण	389.92	9.00	3509.00
2012-13	अफजलपुर में भजन लाल के मकान से खचेडू के मकान तक मि0/खडंजा	356.50	9.00	3209.00
	दौलतपुर खुर्द में दौलतपुर गेट से डालचन्द के घर तक इ0ला0 कार्य	90.00	9.00	810.00
	उदयपुर कला में जयपाल सिंह के घर से रमेश टीला तक इ0ला0कार्य	162.07	9.00	1459.00
	चौगानपुर में रामनगर संपर्क मार्ग के अवशेष मार्ग पर मि0/खडंजा कार्य	1540.00	9.00	13860.00
	शहीदगंज में लाल बहादुर से रा0 पाली तक मि0/खडंजा	408.60	9.00	3677.00
	चौगानपुर में मोहरसिंह की झोपडी से डालचन्द तक मि0/खडंजा	980.00	9.00	8820.00
	नगला छट्ट में नारायण सिंह से डालचन्द के ट्यूबेल की और मि0/खडंजा	497.00	9.00	4473.00
2013-14	अकबरपुर में दुलारी के घर से तालाब की ओर यू0टाईप नाली निर्माण	73.60	14.00	1030.00
	कोटला में महेश के घर से दज सहाय के बाग तक मि0/खडंजा	669.00	14.00	9366.00
	देकी नगला-1 में डा0 भूप सिंह के मकान से वासुदेवी सिंह के मकान तक इ0ला0 कार्य	44.25	14.00	398.00
	दानगढ से दानपुर संपर्क मार्ग पर तक मि0/खडंजा	3423.00	14.00	47922.00
	अफजलपुर में नन्दकिशोर के मकान से डोरीलाल तक तथा मैनरास्ते से सूरजपाल सिंह के घर तक इ0ला0कार्य	146.45	14.00	1318.00
	योग-			130963.00

अतः उपरोक्तानुसार, मिट्टी खनन की रायल्टी की वसूली न किये जाने के दोषीगण तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०इ० एवं लेखाकार से इस धनराशि की मय ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखाशीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-०२)

प्रस्तर संख्या 77:- वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार निर्माण कार्यों पर श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर सैस 1 प्रतिशत काटे जाने का प्रावधान है, का स्पष्ट उलंघन कर नियमानुसार ठेकेदार के बिलों से उपकर नहीं काटा गया है विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	कुल लागत/भुगतान	1 प्रतिशत सैस की राशि
2011-12	उमरारा में नरेश शर्मा से सर्विस रोड तक मि०/खडंजा	808357.00	8084.00
	दानपुर में तेजवीर से भगतसिंह तक सी०सी० रोड एवं इ०ला० कार्य	376953.00	3770.00
	खरिक्बारी में डिबाई मार्ग से महदेव पाठक तक मि०/खं०कार्य	559683.00	5597.00
	उदयपुर कला में डिबाई -धर्मपुर मार्ग से गोवेर्द्धन तक मि०/खं०काय	185730.00	1857.00
	कन्हैया में नाले के पुल से गोपाल के घर तक मि०/खडंजा	137674.00	1377.00
	शेखपुर में गांव से नहर तक मि०/खडंजा	413822.00	4138.00
	धर्मपुर में धर्मपुर रोड से किशन वाल्मीकि तक यू०टाईप नाली निर्माण	501032.00	5010.00
	वीरपुर में सुरेन्द्र शर्मा के ट्यूबेल से बम्बे तक नाली निर्माण	1065685.00	10657.00
2012-13	दानपुर में अलीगढ अनुपशहर मार्ग से इ०ला० परिसर में सी०सी०इ०ला०कार्य	773688.00	7737.00
	अफजलपुर में भजनलाल के मकान से खचेडू के मकान तक मि०/खं० कार्य	310362.00	3104.00
	दौलतपुर खुर्द में दौलतपुर गेट से डालचन्द के घर तक इ०ला० कार्य	793781.00	7938.00
	रहीमकाट में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से गांव की ओर सी०सी० इ०ला० कार्य	663938.00	6639.00
	उमरारा में ब्रजभूषण की दुकान से रौनक अली तक इ०ला० कार्य	231164.00	2312.00
	उदयपुर कला में जयपाल सिंह के घर से रमेश डीलर तक इ०ला० कार्य	710188.00	7102.00
	शहीदगंज में लाल बहादुर से रा०पाली तक मिट्टी/खडंजा कर्मा	201124.00	2011.00
	चौगानपुर में रामनगर संपर्क मार्ग के अवशेष मार्ग पर मि०/खडंजा कार्य	455977.00	4560.00
	चौगानपुर में मोहरसिंह की झोपडी से डालचन्द तक मि०/खडंजा	290965.00	2910.00
	नगला छट्ट में नारायण सिंह से डालचन्द के ट्यूबेल की ओर मि०/खडंजा	530779.00	5308.00
2013-14	बादौर में घनानन्द की दुकान से रामगोपाल के घर तक इ०ला० कार्य	469362.00	4694.00
	अकबरपुर में दुलारी के घर से तालाब की ओर यू०पाईप नाली निर्माण	389633.00	3896.00
	फूलदारी में ओमदत्त के मकान से काली सड़क तक इ०ला०कार्य	673059.00	6731.00
	इछावरी में विजय के मकान से नादरसिंह के मान की ओर इ०ला० कार्य	511121.00	5111.00
	खुशरूपुर में मैनरोड से नीरजा देवी के घर तक इ०ला० कार्य	167030.00	1670.00
	कोटला में महेश के घर से दान सहाय के बाग तक मि०/खं० कार्य	620110.00	6201.00
	वि०ख० कार्यालय में शौचालय निर्माण	209394.00	2094.00
	धर्मपुर चौराहे के पास शौचालय निर्माण	87114.00	871.00

	देवी नगला-1 में डा0 भूपसिंह के मकान से वासुदेवसिंह तक इ0ला0कार्य	488802.00	4888.00
	दानगढ से दानपुर संपर्क मार्ग पर तक मि0/खडंजा	710901.00	7109.00
	दानपुर में पखवारी से कब्रिस्तान तक इ0ला0कार्य	190286.00	1903.00
	पोखरपुर में धर्मपाल के मकान से महेशचन्द तक इ0ला0कार्य	516630.00	5166.00
	अफजलपुर में नन्दकिशोर के मकान से डोरीलाल के मकान तक इ0ला0 कार्य	399697.00	3997.00
	इंदौरा खेड़ा में नत्थीमल शर्मा के मकान से श्री निवास तक इ0ला0 कार्य	515403.00	5154.00
	सुल्तानपुर बिलौनी में कालीचरन के घर से खेड़ा की ओर इ0ला0कार्य	566097.00	5661.00
	उमरारा में मेनरोड से अच्छेभ के मकान तक इ0ला0कार्य	289148.00	2891.00
	बरारी में कब्रिस्तान से मस्जिद तक इ0ला0 कार्य	345519.00	3455.00
	योग-		161603.00

अतः उपरोक्तानुसार उपकर (सैस) की वसूली नहीं किये जाने वादत दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0इ0 एवं लेखाकार से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या 78:- वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 की निर्माण पत्राविलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठेकेदारों द्वारा कृत कार्य के विरुद्ध भुगतान के समय कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत काटी गई जमानत राशि का ठेकेदारों को निर्धारित समय 6 माह से पूर्व ही कर दिया गया है जो शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है और गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कार्य का नाम	कार्य समाप्ति तिथि	जमानत राशि	जमानत वापसी का दिनांक	समय
2011-12	उमरारा में नरेश के मकान से सर्विस रोड तक मि0/खं0 कार्य	2.5.12	64632.00	1.6.1	1 माह
	दानपुर में तेजवीर से भगतसिंह तक इ0ला0 कार्य	1.12.11	30156.00	12.4.12	4 माह
	धर्मपुर में धर्मपुर रोड से किशन वाल्मीकि तक यू0टाईप नाली निर्माण	24.2.12	40085.00	19.5.12	3 माह
	वीरपुर में सुरेन्द्र शर्मा के ट्यूबेल से बम्बे तक नाली निर्माण	1.12.11	85257.00	12.4.12	4 माह
2013-14	वि0ख0 कार्यालय में शौचालय निर्माण	23.7.13	16752.00	23.8.13	1 माह
	धर्मपुर चौराहे के पास शौचालय निर्माण	21.6.13	6970.00	23.8.13	2 माह
	देवी नगला-1 में डा0 भूपसिंह के मकान से वासुदेवसिंह तक इ0ला0कार्य	11.7.13	39104.00	16.7.13	5 दिन
	दानपुर में पखवारी से कब्रिस्तान तक इ0ला0कार्य	15.7.13	15223.00	23.8.13	1 माह
	सु0 बिलौनी में कालीचरन के घर से खेड़ा की ओर इ0ला0कार्य	22.4.14	45288.00	5.5.14	13 दिन
	उमरारा में मेनरोड से अच्छेभ तक इ0ला0 कार्य	30.3.14	23132.00	24.4.14	25 दिन
	बरारी में कब्रिस्तान से मस्जिद तक इ0ला0कार्य	20.4.17	27722.00	5.5.14	15 दिन
	योग-		394321.00		

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के प्रति तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0- 04

प्रस्तर संख्या 79:— वित्तीय वर्ष 2013-14 में कतिपय निर्माण कार्य की पत्राविलं की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठेकेदारों द्वारा नियमानुसार फार्म- 27 पर बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा एम0बी0 रजि0 के आधार पर जे0ई0 द्वारा भुगतान की संस्तुति उपरांत ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया गया है जो स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। अतः दोषी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

वर्ष	कार्य का नाम	भुतान राशि
2013-14	विकास खंड कार्यालय में शौचालय का निर्माण	209394.00
	देवी नगला-1 में डा0 भूपसिंह के मकान से वारुदेव सिंह की ओर इ0ला0कार्य	488802.00
	योग—	698196.00

(सा0आ0सं0— 06)

प्रस्तर संख्या 80:— क्षेत्र पंचायत जहागीराबाद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत (जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया है) ग्राम इलना में भजन लाला की ट्यूबवेल से होते हुए मेन रोड तक इंटर लांकिंग कार्य जिसकी लागत 11.40 लाख स्वीकृत किया गया है। निविदा के अनुसार धरोहर राशि 57000.00 के सापेक्ष मात्र 50000.00 वसूल किया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन से पहले 01 प्रतिशत सैस को जोड़ा गया है, पुनः भुगतान करते समय 01 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस कार्य हेतु एम0बी0 अनुसार साधारण मिट्टी खनन का कार्य 25.50 घन मीटर का किया गया है जिस पर रू0 30 प्रतिघन मी0 की दर से रायल्टी नहीं काटी गई है।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर (सैस) जुटाने का जो बोझ ठेकेदार की बटन करना था उससे ठेकेदार को बचाया गया है तथा समस्त बोझ क्षेत्र पंचायत निधि कोष पर शिफ्ट कर दिया गया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यभार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम 1966 एवं भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यभार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य पर कार्य की लागत का 01 प्रतिशत उपकर वसूले जाने का प्रावधान है जबकि ऐसा नहीं किया गया है और प्राक्कलन में जोड़ कर फिर बाद में काटा गया है। अतः ठेकेदार के बिलों में किया गया उपकर भुगतान रू0 11281.00×2= रू0 22562.00 एवं रायल्टी की धनराशि रू0 765.00 कुल रू0 23327.00 की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 81:— वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न निर्माण कार्यों में मिट्टी खनन का कार्य एम0बी0 अनुसार दर्शित है, परन्तु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (34 वां सशोधन) नियमावली 2012 के अनुसार साधारण मिट्टी के खनन पर रू0 30/मी घन की दर से खनन की रायल्टी ठेकेदार से वसूल न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गई है। विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	कार्य का नाम	खनन की माप घन में	दर	रायल्टी की धनराशि
1	गिनौरा नगली में कुवरपाल के घर से शील के खेत तक	105.12	30.00	3154.00
2	मर्मा में प्रा0 पाठशाला से बड़ चौक तक	35.58	30.00	1067.00
3	जुगसाना कला में विजय प्रधान के मकान से सहकारी डेयरी तक	36.75	30	1102.00
4	नवीनगर में रामदत्त शर्मा के मकान से अमीचन्द तक	19.78	30	593.00
5	जटवाई में मूलचन्द के मकान से इ0ला0 तक	48.50	30	1457.00
6	सूरजपुर टिकरी में पन्नलाल से शांति स्वरूप तक	20.54	30	616.00
	योग			6922.00

अतः उपरोक्त रायल्टी की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 82:— वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्य का नाम : ग्राम आंजनी में खनपुरा मार्ग से भिरौली मार्ग तक 800 मी0 मिट्टी/खंडजा निर्माण कार्य, कार्य की निविदा ठेकेदार अरुण कुमार को स्वीकृत किया गया। जिसका कार्य समाप्ति उपरान्त निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:—

बिल की सकल धनराशि 1472164.00
(+) 1% सैस 14722.00

	1486886.00
(-) आयकर दर 2.3 %	29443.00
(-) वैट दर 4.5 %	73608.00
(-) सैस दर 1 %	14722.00
(-) जमानत दर 8 %	118000.00

ठेकेदार को शुद्ध भुगतान 1251113.00

उपरोक्त कार्य हेतु एम0बी0 अनुसार मिट्टी खनन कार्य 6010.70 घन मी0 का किया गया है, जिस पर उ0प्र0उपखनिज (परिहर) (34 वां सशोधन) नियमावली 2012 के अनुसार साधारण मिट्टी के खनन पर दर 30 रु0 प्रति घन मी0 की दर से (शासनादेश संख्या 2974/86-2012-200/77 टी0 सी0 11, लखनऊ दिनांक 02.11.12) रायल्टी कुल रु0 180321.00 की वसूली ठेकेदार से न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली भुगतान हेतु जिम्मेदार लोगों से करायी जानी अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर (सैस) जुटाने का जो बोझ ठेकेदार पर पड़ना था उससे ठेकेदार को बचाया गया है और समस्त वित्तीय भार — क्षेत्र पंचायत निधि कोष पर शिफ्ट कर दिया गया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य पर कार्य की कुल लागत का 1 % उपकर ठेकेदारों से वसूले जाने का प्रावधान है, परन्तु ऐसा न कर पहले बिल में 1 % को जोड़ा गया है, फिर बाद में कटौती दर्शायी गयी है जो कि गलत है। अतः ठेकेदार के बिल में किया गया भुगतान में से सैस की राशि रु0 14722.00 x 2 = रु0 29544.00 एवं रायल्टी की धनराशि रु0 180321.00 कुल रु0 209865.00 की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 83:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत एवं टेण्डर किये गये कार्य ग्राम गिनौरा नगली में कुवरपाल के खेत से गोल्डी के खेत तक नाली निर्माण का ठेका श्री सुरेन्द्र पाल सिंह को दिया गया था, जिसका भुगतान जिसका भुगतान वर्ष 2015-16 में किया गया है। भुगतान कुल रु0 247463.00 का किया गया है। जिसमें निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी है:-

क- कार्य का प्रारंभ 19.07.13 से प्रारंभ होकर 18.09.13 तक समाप्त हो जाना चाहिए था और कार्य का निरीक्षण तभी किया जाना था। दिनांक 06.06.15 को बी0डी0ओ0 जहांगीराबाद द्वारा जे0ई0 श्री चन्द्रशेखर को इस कार्य हेतु निरीक्षण का आदेश निर्गत किया गया। जे0ई0 श्री चन्द्रशेखर द्वारा 29.06.15 को इस कार्य का निरीक्षण किया गया अर्थात् कार्य का निरीक्षण 649 दिवसों के पश्चात किया गया।

ख- जे0ई0 चन्द्रशेखर ने 29.06.15 के निरीक्षण में ग्रामीणों के मौखिक उत्तर एवं पूर्ववर्ती जे0ई0 श्री राजेश एवं श्री क्षेत्रपाल से मौखिक वार्तालाप के आधार पर नाली का निर्माण 02 वर्ष पूर्व का बता दिया जबकि उक्त तिथि तक निर्माण कार्य की प्रारम्भ तिथि से 02 वर्ष पूरा नहीं हुआ था।

ग- जे0ई0 श्री चन्द्रशेखर द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में नाली की गुणवत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात् मनमाने ढंग से कार्यकर अंकन रु0 247463.00 से क्षेत्रपंचायत निधि कोष को क्षति पहुंचायी गई है। जिसमें दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से समान रूप से मय ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 84 :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम बदरखा में आंगनवाडी केन्द्र के निर्माण बाबात अंकन रु0 399022.00 का भुगतान ठेकेदार मेसर्स सिंह कन्सट्रक्सन को किया गया है, परन्तु उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली विकास खंड कार्यालय पर उपलब्ध ही पायी गई। लेखाकार विनय कुमार द्वारा बताया गया कि संबंधित कार्य की पत्रावली तत्कालीन जे0ई0/कार्य प्रभारी अपने साथ चले गये हैं। अतः किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह एक प्रकार से वित्तीय अनियमितता के क्षेत्रपंचायत निधि कोष की क्षति एवं तथ्यों को छुपाने जाने का प्रकरण है। जिसमें दोषीगणों से अंकन रु0 399022.00 की मय ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दोषीगणों का नाम-तत्कालीन बी0डी0ओ0 लेखाकार जे0ई0 /कार्य प्रभारी

प्रस्तर संख्या 85 :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नविवरण अनुसार लेबर सैस की कटौती की जानी दर्शित है:-

क्र0स0	कार्य का नाम	वास्तविक	1 % लेबर सैस	1 % लेबर सैस

		बिल	जोड़ा गया	जो काटा गया
1	गिनौरा नगली में कुवरपाल के घर से गोल्डी के खेत तक नाली निर्माण कार्य	245013.00	2450.00	2450.00
2	ग्राम भर्सा में प्रा0 पाठशाला से बड़ चौक तक सी0ई0टाईल्स कार्य	121913.00	1219.00	1219.00
3	ग्राम इमामाबाद में मेन सड़क से हरी सिंह लोधी के मकान तक नाली एवं सी0 इण्टर टाईल्स का निर्माण कार्य	67343.00	673.00	673.00
4	ग्राम गिनौरा नगली में मोड़ से रामकुमार की डी0सी0 के मकान तक एवं ओमप्रकाश ड्राइवर तक साईड गलियों में सी0ई0टाईल्स कार्य	860768.00	8608.00	8608.00
5	ग्राम बदरखा में आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	399022.00	3990.00	3990.00
	योग		16940.00	16940.00

उपरोक्त कार्यों में श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर (सैस) जुटाने का बोझ ठेकेदार पर पड़ना था उससे ठेकेदार को बचाया गया है तथा उपकर का समस्त बोझ क्षेत्रपंचायत निधि कोष पर शिफ्ट किया गया है। उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्यों पर कुल लागत का 1% की धनराशि बिलों में जोड़ी गई है। पुनः बाद में कटौती दर्शायी गयी है जो कि अनियमित है। अतः ठेकेदारों के बिलों में दिया गया भुगतान एवं कटौती रु0 16940×2 = 33880.00 की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 86:- बी0डी0ओ0 कार्यालय के पत्रांक 502/एन0आर0ई0पी0/निविदा/ निर्माणकार्य / 2016-17/दिनांक 08.11.16 द्वारा कुल 07 निर्माण कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से पद का दुरुपयोग कर टेन्डर जारी एवं स्वीकृत किये गये :-

क्र0स0	कार्य का नाम	अनु0 लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि
01	विकास खंड भवन एवं प्रमुख कक्ष का द्वारा एवं मरम्मत कार्य	3939400.00	91200.00	06 माह
02	वि0ख0 कार्यालय के मेन गेट से विपणन केन्द्र तक इंटर लोकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण	2943000.00	58900.00	03 माह
03	ग्राम साखनी में आहर रोड से फिरदोस मार्ग तक मिटटी/खंडजा निर्माण कार्य	1905400.00	38200.00	03 माह
04	आंजनी मं खनपुरा मार्ग से गिरौली मार्ग तक मटटी/खंडजा निर्माण कार्य	1487000.00	29800.00	02 माह
05	सौझना रोड से ग्राम इलना में वृजपाल के टयूबेल तक इ0ल0 टयल्स निर्माण कार्य	3668500.00	73400.00	3 माह
06	इलना में पीर रोड से टयूबेल तक मटटी/खंडजा निर्माण कार्य	872900.00	17500.00	02 माह
07	वि0ख0 कार्यालय में विट्रीफाइडटाईल्स लगाने एवं ऐग्रन निर्माण कार्य	695500.00	13900	03 माह

उपरोक्त टेन्डर स्वीकृत करते समय निम्न अनियमितता बरती गई है -

1 -निविदा स्थानीय दैनिक में न प्रकाशित कर पंजाब केसरी के पानीपत संस्करण में प्रकाशित किया गया है।

2 -निविदा पानीपत संस्करण में 17.12.16 रखी गई तथा निविदा जमा किये जाने की तिथि 19.12.16 रखी गई। दिनांक 18.12.16 को रविवार अवकाश था अर्थातः निविदा बिक्री के लिए 01 दिन एवं जमा किये जाने हेतु 02 दिन का समय दिया गया। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0 21 के अनुसार इस कार्य हेतु 21 दिन का समय दिया जाना अनिवार्य है।

शासनादेश सं० -751(1)/33-3-2001/दि० 23 मई 2001 के अनुसार किसी भी टेन्डर प्रक्रिया के लिए तीन सप्ताह से कम समय नहीं दिया जा सकता।

3 -टेन्डर के लिए बंधक पत्र निविदा तिथि से 03 माह पूर्व का होना चाहिए लेकिन ग्राम आंजनी में मि०/खंड० कार्य हेतु अरुण कुमार ठेकेदार का बंधक पत्र 17.12.16 को जारी हुआ जिसे स्वीकार कर रु० 1487000.00 का टेन्डर स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना कर समस्त टेन्डर प्रक्रिया विधिविरुद्ध अवैध एवं पूर्ण नियोजित तरीके से अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। अतः इस टेन्डर द्वारा वर्ष 16-17 में किया गया ठेकेदार अरुण कुमार को भुगतान रु० 1486886.00 अवैध एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिससे दोषीगणों से मय ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा आप० सं०)

प्रस्तर संख्या 87 :- क्षेत्र पंचायत पहासू में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ०प्र० उपखनिज (परिहर) (34 वां संशोधन) नियमावली-2012 ((शासनादेश संख्या 2974/86-2012-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 02.11.12) एवं उपखनिज (परिहर)(39 वां संशोधन) नियमावली-2016 (शासनादेश संख्या 243/86-2016-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 19.01.16) की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली नहीं की गई है जिस कारण राजकीय राजस्व को क्षति पहुंची है। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, अवर अभियंता एवं लेखाकार दोषी है। जिनसे मय ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	क्र०स०	कार्य का नाम एवं वर्ष	मिट्टी खनन की मात्रा घन में	दर	रायल्टी की धनराशि
2014-15	01	कसूमी मे शेरपाल से देवभूमि तक मि०/खंड०	1112.50	14.00	15575.00
	02	छटारी मंदिर के सामने नरेश की दुकान से इंटर कालेज क गेट तक इंटर लोकिंग कार्य	81.18	14.00	1137.00
	03	बनैल में प्रेमपाल सि के खेत से बबे वाली नाली तक मि०/खंड० कार्य	924.00	14.00	12936.00
2015-16	04	बमनपुरी बरौल में कल्याण सिंह के घर से ज्ञानप्रकाश तक मि०/खंड० कार्य	260.00	30.00	7800.00
	05	सुरजावली में शिकारपुर पहासू मार्ग से जयवीर के घर तक इंटर लोकिंग कार्य	64.40	30.00	1932.00
	06	वि०खंड० कार्यालय में प्रमुख कक्ष की मरम्मत एवं शौचालय निर्माण	16.58	30.00	497.00
	07	वि०खंड० कार्यालय में पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत एवं शौचालय का निर्माण	32.30	30.00	969.00
	08	अजीजाबाद में सतवीर राघव के चौपाल से धर्मवीर मास्टर के घर तक इंटर लोकिंग कार्य	59.55	30.00	1786.00
2016-17	09	पापड़ी मे नहर के पुल से पापड़ी के खडंजा तक मि०/खंड० कार्य	1287.00	30.00	38610.00
	10	वि०खंड० कार्यालय में प्रमुख कक्ष का निर्माण	58.63	30.00	1759.00
	11	बाद में बाद से नगला बरौला संपर्क मार्ग पर मि०/खंड० कार्य	3272.50	30.00	98175.00
		योग			181176.00

प्रस्तर संख्या 88 :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में छटारी मंडी के सामने नरेश की दुकान से देवीचरन इंटर कालेज के गेट तक इंटर लोकिंग कार्य पर कुल भुगतान राशि रु० 410911.00 का भुगतान ठेकेदार को किया जाना दर्शित है, किन्तु इस कार्य हेतु किये गये भुगतान मे से लेबर सैस दर 1 % रु० 4109.00 की कटौती नहीं की गई है, जबकि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल लागत का 1 % उपकर (सैस) वसूला जाना अनिवार्य है। अतः कुल भुगतान राशि का 1 % अर्थात रु० 4109.00 की मय ब्याज सहित वसूली दोषीगण तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 89 :- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उ०प्र० उपखनिज (परिहर) (34 वां संशोधन) नियमावली-2012 ((शासनादेश संख्या 2974/86-2012-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 02.11.12) एवं उपखनिज (परिहर) (39 वां संशोधन) नियमावली-2016 ((शासनादेश संख्या 243/86-2016-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 19.01.16) की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर रॉयल्टी की वसूली ठेकेदारों के बिलों से न कर राजकीय राजस्व को गंभीर रूप से क्षति पहुंचायी गई है, जिस प्रति उत्तरदायी/दोषीगण - तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से उसकी मय ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में संगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	क्र०स०	कार्य का नाम वर्ष	मिट्टी खनन की मात्रा घन में	दर	रॉयल्टी की धनराशि
2014-15	01	बीखूपुर में काली सड़क से योगेश के खेत तक मि०/खं० पुलिया निर्माण	1296.05	14.00	18145.00
	02	सोही में प्रा०पा० नं०2 से प्रेमपाल सिंह के मकान तक मि०/खं० पुलिया निर्माण	968.26	14.00	13556.00
	03	लालनेर में कनैनी मार्ग से भूपेन्द्र सिंह के खेत कि मि०/खं० निर्माण	419.22	14.00	5869.00
	04	छटारी मंडी से बरकतपुर मार्ग तक व खुशहाल से वैरमनगर संपर्क मार्ग पर मि०/खं० निर्माण	2790.27	14.00	39064.00
	05	पहासू छटारी मार्ग से लालगढ़ प्रा० पाठशाला तक संपर्क मार्ग का इ०ला० कार्य द्वारा चौड़ीकरण	1182.18	14.00	16551.00
2015-16	06	पढ़ा में ब्रह्म सिंह के घर से कुवरपाल सिंह के बाग तक मि०/खं० पुलिया निर्माण	801.68	14.00	11224.00
2015-16	07	कस्बा डड्डू में राजपाल के मकान से राधेश्याम के मकान तक मि०/खं०, नाली निर्माण	208.17	14.00	2914.00
	08	बरकातपुर में हरि सिंह के घर से कोमल के मकान तक मि०/खं०, नाली निर्माण	130.79	14.00	1831.00
	09	अलीगढ़ अनुपशहर मार्ग से छटारी थाने कार्यालय तक इ०लो०	46.19	14.00	647.00
	10	लालगढ़ी में प्रा०पाठशाला के पास से मनोज कुमार के घर तक इ०लो० कार्य	374.55	14.00	5244
	11	पहासू लालगढ़ी संपर्क मार्ग पर राजवाहे के पुल से विजय पाल के खेत तक मि०/खं०, पुल व नाली निर्माण	1640.07	14.00	22961.00
	12	करियावली में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	84.95	14.00	1189.00
	13	अकबरवास (माजरा कनैनी) में राम किशोर मास्टर के खेत से दलेलगढ़ी संपर्क मार्ग तक मि०/खं०, पुलिया	1249.81	14.00	37494.00
	14	उटरावली से नंगला असरौली मुख्य मार्ग तक संपर्क मार्ग पर मि०/खं०, पुलिया कार्य	2232.81	14.00	66984.00
		योग-			243674.00

उपरोक्तानुसार रू० 243674.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से कराकर सुसंगत लेखाशीर्ष के राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 90:- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार लागत का 1 % सैस के रूप में जो धनराशि ठेकेदारों के बिलों से वसूल की जानी थी के स्थान पर पहले ठेकेदार के बिलों में 1 % की धनराशि को जोड़ा गया है, फिर बाद में उसकी कटौती की जानी दर्शायी गई है, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) नियम 2009 के नियम संख्या -4 (3) के अनुसार "ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 % धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोजक द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में

कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। प्राविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।”

इस प्रकार सैस का जो भार ठेकेदारों को वहन कराना था उसे क्षेत्रपंचायत कोष पर शिफ्ट कर राजकीय कोष को क्षति पहुँचायी गई है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम एवं वर्ष	1% राशि जो बिल में जोड़ी गई	1% राशि जो बिलों से सैस के नाम पर काटी गई
01	ग्राम बीखपुर में काली सड़क से योगेश के खेत तक मि०/खं०, पुलिया निर्माण	4271.00	4271.00
02	लालनेर में कनैनी मार्ग से भूपेन्द्र सिंह के खेत तक मि०/खं०, कार्य	2635.00	2635.00
03	छटारी मंडी से बरकतपुर मार्ग तक न०खुशहाल से बैरमनगर संपर्क मार्ग पर मि०/खं०, पुलिया कार्य	7992.00	7992.00
04	पढ़ा में ब्रह्म सिंह के घर से कुंवरपाल के घर तक मि०/खं०, पुलिया कार्य	3619.00	3619.00
05	कस्बा डड़डू में काली सड़क से राजपाल एवं राधेश्याम के मकान तक मि०/खं०, नाली	1835.00	1835.00
06	बरकतपुर में हरि सिंह के घर से कोमल के मकान तक मि०/खं०, नाली निर्माण	1397.00	1397.00
07	अलीगढ़ अनूपशहर मार्ग से छटारी थाने तक इ०ल० कार्य	3152.00	3152.00
	योग	24901.00	24901.00

उपरोक्त समस्त कार्यों के लेबर सैस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से न करके स्वीकृत निविदा की राशि में अलग से लेबर सैस बढ़ाकर जोड़ी और तदुपरान्त छद्म रूप से उसे ठेकेदारों से काटा गया है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है जबकि वास्तव में लेबर सैस की कटौती क्षेत्र पंचायत कोष से की गई है। इस प्रकार अंकन रु० 24901.00 × 2 = 49802.00 की मय ब्याज सहित वसूली इस प्रति दोषीगण तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 91:- आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निर्माण कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों से प्राप्त 8% जमानत राशि जो कार्य की गुणवत्ता के विरुद्ध प्राप्त की जाती है तथा जो प्रत्येक दशाये कार्य समाप्ति के दिनांक से 06 माह के बाद ही वापस की जाती है, की अनदेखी कर कतिपय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों से प्राप्त जमानत राशि का भुगतान 06 माह से पूर्व ही कर दिया गया है जो शासनादेश के विपरित है। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन बी०डी०ओ०, अवर अभियंता एवं लेखाकार पूर्ण रूप से दोषी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	क्र०सं०	कार्य का नाम एवं वर्ष	कार्य समाप्ति तिथि	जमानत वापसी की दिनांक	जमानत की धनराशि
2014-15	01	रनाईच में चामंड मंदिर से शमशान घाट तक मि०/खं०, कार्य	30.4.15	08.06.15	48923.00
	02	लालनेर में कनैनी मार्ग से भूपेन्द्र सिंह के खेत तक मि०/खं०, कार्य	19.03.15	08.06.15	26479.00
	03	छटारी मंडी से बरकतपुर मंडी मार्ग पर न० खुशहाल से बैरमनगर संपर्क मार्ग पर मि०/खं०, पुलिया कार्य	18.05.15	06.06.15	63937.00
	04	पहासू छटारी मार्ग से लालगढ़ प्रा० पा० तक इ०ल० कार्य	18.05.15	08.06.15	213139.00
2015-16	05	ग्राम पढ़ा में ब्रह्म सिंह के घर से कुंवरपाल के बाग तक मि०/खं०, पु० कार्य	08.01.16	01.02.16	28949.00
	06	कस्बा डड़डू में काली सड़क राजपाल के मकान से राधेश्याम के मकान तक मि०/खं०, नाली कार्य	14.3.16	2.6.16	18683.00
	07	बरकतपुर में हरि सिंह के घर से कोमल के मकान तक	13.3.16	2.6.16	11174.00
	08	अलीगढ़ अनूपशहर मार्ग से छटारी थाने तक	9.6.15	12.8.15	30913.00

		इ0लॉ0 कार्य			
	09	लालगढ़ी में प्रा0पाठशाला के पास गली से मनोज के घर तक इ0लॉ0 कार्य	15.3.16	2.6.16	78121.00
	10	सहार लालगढ़ी संपर्क मार्ग पर रजवाहे के पुल से विजयपाल के खेत तक मि0/खं0,पु0 कार्य	24.2.16	2.6.16	94192
2016-17	11	अकरवास (माजरा कनैनी) में रामकिशोर मास्टर के खेत से दलेल गढ़ी संपर्क मार्ग तक मि0/खं0,पु0	19.6.17	10.11.17	92005.00
	12	करियाली में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	31.3.16	9.6.16	45530.00
		योग			752045.00

प्रस्तर संख्या 92:—क्षेत्र पंचायत अनूपशहर में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहर) (34 वां संशोधन) नियमावली-2012 ((शासनादेश संख्या 2974/86-2012-200/77 टी0 सी0 11, लखनऊ दिनांक 02.11.12) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहर) (39 वां संशोधन) नियमावली-2016 ((शासनादेश संख्या 243/86-2016-200/77 टी0 सी0 11, लखनऊ दिनांक 19.01.16) की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली नहीं की गई है जिस कारण राजकीय राजस्व को क्षति पहुंची है। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन बी0डी0ओ0,जे0ई0 एवं लेखाकार दोषी है जिनसे मय ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	क्र0स0	कार्य का नाम	मिट्टी खनन की मात्रा घन में	दर	रायल्टी की राशि
2014-15	01	किशनपुर में मुख्य मार्ग से शमशान तक मि/खं0	516.00	14.00	7224.00
	02	भईपुर में पेट्रोल पंप से सल्फर प्लांट तक नाला निर्माण	367.20	14.00	5141.00
	03	रूपवास से जगेश के घर से प्रदीप तक सी0सी0रोड	170.11	14.00	2382.00
2015-16	04	कतियावली में नाला निर्माण	172.14	30.00	5164.00
	05	मैलई में मि/खं0 कार्य	120.00	30.00	3600.00
	06	डुंगरा जाट में नाला निर्माण	202.80	30.00	6084.00
	07	भईपुर में सी0सी0रोड निर्माण	94.65	30.00	2840.00
	08	जटपुरा में नाला निर्माण	32.40	30.00	972.00
	09	बोढ़ा में खडंजा से काली सड़क तक मि/खं0	1615.70	30.00	48471.00
	10	बगसरा में नाला निर्माण	108.11	30.00	3243.00
	11	मौ0 बांगर में मि/खं0 कार्य	756.00	30.00	22680.00
	12	भईपुर में बु0शहर -अनूपशहर रोड पर सी0सी0रोड निर्माण	197.53	30.00	5926.00
	13	नंगला हरनाम सिंह में नाला निर्माण	83.46	30.00	2504.00
	14	मलकपुर में नाली निर्माण	92.64	30.00	2779.00
2014-15	15	अंधियार में नाली निर्माण	97.96	14.00	1371.00
	16	खिदराबाद में गन्ना मील रोड से चामड़ के पास सी0सी0रोड	100.66	14.00	1409.00
	17	डुंगरा जोगी में नाला निर्माण	88.51	14.00	1239.00
	18	किशनपुर में मदूरा तक मि/खं0 कार्य	306.95	14.00	4297.00
	19	अमरपुर डरौरा काली सड़क से मौजपुर तक मि/खं0	4582.29	14.00	64152.00
	20	अंधियार में मि/खं0 निर्माण कार्य	2094.18	14.00	29319.00
2016-17	21	सुनाई के पैठ के पास मि/खं0 निर्माण कार्य	3179.00	30.00	95370.00
	22	पतरामपुर में करियावली संपर्क मार्ग पर खंडजा	473.21	30.00	14196.00

		योग		330363.00

अतः उपरोक्तानुसार कुल रायल्टी की राशि रू0 330363.00 की क्षतिपूर्ति हेतु दोषीगण तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 एवं लेखाकार से इसकी मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 93:- वित्तिय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में तत्कालीन डिबाई विधायक माननीय श्री जयभगवान शर्मा द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत निम्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य/निर्माण कार्य हेतु निम्नप्रकार राशि स्वीकृत की गई थी -

क्र0स0	ग्राम पंचायत का नाम	दिनांक	स्वीकृत/निर्गत धनराशि
01	रूपवास	14.10.15	1075000.00
		23.03.17	687124.00
02	बगसार	31.3.16	1363000.00
		31.3.16	478265.00
03	राजौर	31.03.16	1428000.00
		30.01.17	947625.00
		30.01.17	327000.00
04	हरचंदपुर	31.03.16	698000.00
		30.01.17	450396.00
05	गरहरा	28.07.16	349000.00
06	लौघई	28.07.16	786000.00
	योग		8589410.00

इसके विरुद्ध निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु विभिन्न ठेकदारों को भुगतान किया गया है -

क्र0स0	कार्य का नाम	ठेकदार का नाम	दिनांक	भुगतान की राशि
01	रूपवास से उमेश शर्मा के घर से पुरुषोत्तम शर्मा के मकान तक सी0सी0रोड	मै0गौरव एंड संस मै0गौरव एंड संस	05.05.16 04.04.17	1075000.00 681674.00
02	बगसार में इ0लों0 कार्य	मै0गौरव एंड संस मै0गौरव एंड संस	28.07.16 09.03.17	1362419.00 475782.00
03	राजौर में लक्ष्मी नारायण शर्मा के घर से मेन रोड तक सी0सी0, इ0लों0 कार्य	मै0गौरव एंड संस मै0गौरव एंड संस मै0गौरव एंड संस	18.06.16 09.03.17 16.03.17	1428000.00 940891.00 326331.00
04	हरचंदपुर में जगपाल सिंह मीणा के घर से कोल्हू तक इ0लों0 कार्य	मै0गौरव एंड संस मै0गौरव एंड संस	21.07.16 09.03.17	693824.00 454321.00
05	गरहरा में सी0सी0, रोड का निर्माण	जितेन्द्र सिंह	28.10.16	338764.00
06	लोघई में इ0लों0 कार्य	मै0गौरव एंड संस	29.11.16	769503.00
	योग			8546509.00

उपरोक्तानुसार भुगतान ग्रांट रजि0 द्वितीय के अनुसार खारिज किये गये हैं परन्तु इससे संबंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच हेतु अप्राप्त है। उपरोक्त कार्यों की कार्यपूर्ति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः इस हेतु उत्तरदायी दोषगणों - तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 एवं लेखाकार से इसकी मय ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 94:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 28.03.15 को डी0आर0डी0ए0 से ग्राम पंचायत अधियार में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु 475000.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान निम्न विवरण अनुसार ग्रांट रजि0 द्वितीय में खारिज किया गया है:-

दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
01.08.15	गुप्ता ट्रेडर्स (विज्ञापन हेतु)	6071.00
10.09.15	मै0एन0एस0 इंटिरियल एण्ड कंन्सट्रक्सन	256533.00
23.04.16	मै0एन0एस0 इंटिरियल एण्ड कंन्सट्रक्सन	181852.00
04.04.17	मै0एन0एस0 इंटिरियल एण्ड कंन्सट्रक्सन	30544.00

	योग	475000.00

उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण से संबंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच हेतु अप्राप्त रही, लेखाकार द्वारा बताया गया कि संबंधित जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा पत्रावली ब्लाक में जमा नहीं किया गया है। अतः किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है जिस प्रति तत्कालीन बी0डी0ओ0,जे0ई0 एवं लेखाकार से इसकी मय ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 95:—वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निम्न विवरण अनुसार रा0 वि0 एवं 13 को वित्त की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक एस0बी0आई0 खाते से निजी बैंक एच0डी0एफ0सी0 के खाते में बिना किसी आदेश एवं विभागीय निर्देश के ट्रांसफर कर दिया गया है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विवरण निम्नप्रकार है:—

दिनांक	चेक सं0 (एस0बी0आई0)	धनराशि जो एच0डी0एफ0सी0 ट्रांसफर की गई
11.11.14	197926	10,00000.00
11.11.14	197927	10,00000.00
11.11.14	197928	10,00000.00
23.05.15	197973	10,00000.00
23.05.15	197974	5,00000.00
	योग	45,00000.00

उपरोक्त धनराशि का ट्रांसफर किसके आदेश पर किया गया, इससे संबंधित आदेश की प्रति एवं पत्रावली बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखाकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए दोषीगणों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 96:—वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत अनूपशहर की ग्रांट रजि0 द्वितीय की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण अनुसार विभिन्न दिनाकों में धनराशि खारिज किया गया है, किन्तु व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है:—

दिनांक	चेक सं0	विवरण	धनराशि
01.08.14	244696	प्रिंटर क्रय	13200.00
08.09.14	5320208.03	मानदेय हेतु आहरण	50000.00
09.03.15	327493.3803	मानदेय हेतु आहरण	56000.00
23.01.16	000012	मानदेय हेतु आहरण	35000.00
	000013	मानदेय हेतु आहरण	10000.00
07.01.16	097369	पदों का भुगतान	7330.00
22.04.16	097386	मानदेय हेतु आहरण	52839.00
28.09.16	4225617.03	मानदेय हेतु आहरण	38161.00
03.01.17	097412	मानदेय हेतु आहरण	28000.00
01.04.17	097418	मानदेय हेतु आहरण	32200.00
		योग —	322730.00

अतः

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि नहीं होने के कारण उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 97:—वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम अधियार में रोहताश शर्मा के घर से विविद्याना मोड़ की तरफ नाली निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार जितेन्द्र सिंह को भुगतान किया गया है। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पर जे0ई0 द्वारा संस्तुति उपरांत बिल की सकल राशि (जो पास की गई है) एवं कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रथम रनिंग बिल		द्वितीय बिल	
सकल राशि —	345120.00		61652.00
आयकर— 7731.00		1381.00	
वैट— 15530.00		2774.00	
एस0डी0— 27610.00		4932.00	
सैस— 3451.00		617.00	
नैट— 294249.00		52565.00	
योग— 348571.00		62269.00	

उपरोक्त बिलों में सैस 1 प्रतिशत की दर से प्राक्कलन में प्राविधित लिखकर सीधा भुगतान किया गया है जिस कारण स्वीकृत भुगतान से रु०(3451.00 + 617.00) कुल रु० 4068.00 से अधिक भुगतान कर दिया गया है। जिस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 98:- क्षेत्र पंचायत खुर्जा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निम्नलिखित निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उ०प्र० उपखनिज (परिहर) (34 वां संशोधन) नियमावली-2012 (शासनादेश संख्या 2974/86- 2012-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 02.11.12) एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहर) (39 वां संशोधन) नियमावली-2016 (शासनादेश संख्या 243/86-2016-200/77 टी० सी० 11, लखनऊ दिनांक 19.01.16) की अनदेखी कर मिट्टी खनन पर ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली नहीं की गई है जिस कारण राजकीय राजस्व को क्षति पहुंची है। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन बी०डी०ओ०,जे०ई० एवं लेखाकार समान रूप से दोषी है जिनसे मय ब्याज सहित वसूली कर संबंधित लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	क्र०स०	कार्य का नाम	खनन की मात्रा घन में	दर	रायल्टी की धनराशि
2014-15	01	ग्राम किशतवारी में श्रीपाल से नरेन्द्र तक इ०ल० कार्य	84.00	14.00	1176.00
	02	टैना गौसपुर में ओम प्रकाश से रमेश तक इ०ल० कार्य	78.42	14.00	1098.00
	03	रामगढ़ी में वीरपाल से रामवीर तक सी०सी० रोड	188.52	14.00	2639.00
	04	क्वासी में अमीचंद से जगत सिंह तक सी०सी० रोड	83.25	14.00	1166.00
	05	सनौता में तालाब से जी०टी० रोड तक सी०सी० रोड	24.15	14.00	338.00
	06	गंगथला में सतेन्द्र से रामचन्द्र जाटव तक सी०सी० रोड	111.76	14.00	1565.00
	07	सौंदा में श्रीनिवास से मनोज शर्मा तक सी०सी० रोड	191.45	14.00	2688.00
	08	गोठनी में अरविन्द से लाला तक सी०सी० रोड	42.67	14.00	597.00
	09	नैकपुर में वीरेन्द्र से इन्द्रजीत तक सी०सी० रोड	159.34	14.00	2231.00
	10	रामपुर में अम्बेडकर पार्क से प्रमोद तक सी०सी० रोड	101.82	14.00	1425.00
	11	नगला शेखू में पुरुषोत्तम से महेन्द्र तक सी०सी० रोड	69.75	14.00	977.00
	12	खुर्जा जंक्शन पर पंकज से भूदेव तक सी०सी० रोड	128.30	14.00	1796.00
	13	खुर्जा जंक्शन पर मानसिंह नगर में सी०पी० सिंह डा० नीरज तक सी०सी० रोड व नाला निर्माण	218.64	14.00	3069.00
	14	अख्यारपुर में नैन सिंह से लालू तक तता नब्बे सिंह से लालू तक सी०सी० रोड व नाला निर्माण	185.52	14.00	2597.00
	15	क्वारसी में हरवीर से मंदिर तक सी०सी० रोड	25.00	14.00	350.00
	16	कलाखुरी में बगीचे के पास परौरी नाले पर पैदल पुलिया	39.68	14.00	556.00
2015-16	01	फराना में फुल्ली के मकान से प्रा० पा० तक मि०/खं०	360.75	30.00	10823.00
	02	खुर्जा देहात में न्यू मुरारी नगर में आदर्श कुमार के मकान से गजेन्द्र फौजी एवं जी०टी० रोड तक सी०सी० रोड व नाला निर्माण	127.00	30.00	3810.00
	03	खुर्जा बाईपास से बारौली प्रा० पाठशाला तक खडंजा	365.08	30.00	10952.00
	04	अगवाल में बुद्धा के घर से सुरेश के घर तक सी०सी० रोड व नाला निर्माण	92.46	30.00	2774.00
	05	डासौली में देवदत्त के मकान से राजभर तक सी०सी० रोड व नाला निर्माण	54.21	30.00	1626.00

	06	खलसिया में श्यौदन खां से मंदिर तक 30.00	141.97	30.00	4259.00
	07	रामपुर में होली से कालू तक सी0सी0 रोड.....	161.96	30.00	4858.00
	08	भिन्दोर में मंदिर से देवदत्त शर्मा तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	129.72	30.00	3892.00
	09	असरारपुर में इरफान के घर से सुआतक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	176.19	30.00	5286.00
	10	न0 मोहिददीनपुर में रामसिंह से भानूप्रताप तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	75.14	30.00	2254.00
	11	मुन्ना जाटान में राजेन्द्र से मनवीर तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	175.24	30.00	5257.00
	12	हरभजन माजरा अरनिया में मंदिर से स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	91.69	30.00	2751.00
	13	मीरपुर में एन0एच091 से मस्जिद तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	91.56	30.00	2747.00
	14	मुबारकपुर में स्कूल से बीजेन्द्र तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	56.55	30.00	1697.00
	15	दोस्तपुर दाउदपुर में ओमप्रकाश से जाफर तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	98.49	30.00	2955.00
	16	रामगढ़ी में हरिशंकर से शिवचरण तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	207.93	30.00	6238.00
	17	सनौता में अमरपाल से रामप्रताप तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	110.63	30.00	3319.00
	18	घरारी में लेखराज से नानक तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	161.12	30.00	4834.00
	19	शाहपुर में होली चौक से गोदाम तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	177.74	30.00	5332.00
	20	अख्यारपुर में प्रजापति की पुलिया से नीरज तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	334.11	30.00	10023.00
	21	बीघेपुर में मुख्य मार्ग से गोदाम तक खडंजा	348.07	30.00	10442.00
2016-17	01	बलराउ में राजबीर से जाफर तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	10.50	30.00	315.00
	02	खुर्जा जंक0 में विवके बिहार कालोनी में सोनू पंडित से राम नरेश तक खडंजा	1065.94	30.00	31978.00
	03	किलामेवई में सिद्धेश्वर मंदिर के पास खडंजा निर्माण	135.70	30.00	4071.00
	04	समसपुर में शिव मंदिर से सतवीर तक खडंजा	193.20	30.00	5796.00
	05	बीघट में ककोड़ सी0सी0 मार्ग से पाटशाला तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	77.81	30.00	2334.00
	06	भदौरा में कौसर के घर से हजन तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	115.00	30.00	3450.00
	07	मौ0 नार में सी0सी0रोड से सुखपाल तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	159.38	30.00	4781.00
	08	हजरतपुर में गजेन्द्र से मनवीर तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	100.52	30.00	3016.00
	09	मुन्ना जाटान मे प्रताप सिंह से आबादी की तरफ इ0ल0, नाला	74.83	30.00	2245.00
	10	खुर्जा जं0 पर मुख्तार से विनोद तक नाली निर्माण	62.10	30.00	1863.00
	11	समसपुर में खुर्जा झांझर रोड से रविकिशन तक खडंजा	384.49	30.00	11535.00
	12	फिरोजपुर में शाहपुर खडंजा मार्ग से पंकज चौ0 तक खडंजा	203.10	30.00	6093.00
	13	समसपुर में श्रीपाल से मंदिर तक इ0 लॉ0	118.63	30.00	3559.00
	14	उस्मापुर में प्रमोद से लालाराम तक इ0 लॉ0 व नाला	176.22	30.00	5287.00

	15	क्योलि कलां में सुरेन्द्र से अली खां तक इ0 लो0 व नाला	125.72	30.00	3773.00
	16	मुन्ना जाटान में विनोद से सुरेन्द्र तक इ0 लो0	64.26	30.00	1928.00
	17	जर्वों में करनपाल से ओमपाल फौजी तक खडंजा	483.00	30.00	14490.00
		योग —			236911.00

अतः उपरोक्तानुसार कुल रायल्टी की धनराशि रू0 236911.00 की वसूली ठेकेदारों से न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0,जे0ई0 एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 99:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कतिपय निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से न तो जी0एस0टी0 और न ही वैट की वसूली की गई है, क्योंकि बिलों से जी0एस0टी0 शीर्ष में की गई कटौती 2 प्रतिशत की दर से ठेकेदारों को वापस कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	क्र0स0	कार्य का नाम	2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 जो वापस की गई	4 प्रतिशत की दर से जो वसूल की जानी थी
2016-17	1	मुन्ना जाटान में इ0लो0व नाला (द्वितीय बिल)	2008.00	4016.00
	2	समसपुर में श्रीपाल के घर से मंदिर तक इ0लो0 एवं नाला	2711.00	5421.00
	3	उरमापुर में इ0लो0 एवं नाला	9553.00	19107.00
	4	क्योलिकलां में इ0लो0 एवं नाला	3730.00	7460.00
		योग —		36004.00

इस प्रकार क्रमांक 1 से 4 तक कुल रू0 36004.00 का वैट न वसूल कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गई है, जिस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से इसकी क्षतिपूर्ति की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 100:- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों को मिट्टी कार्य का भुगतान (रायल्टी के साथ) किया गया है , किन्तु संबंधित के बिलों से रायल्टी की कटौती नहीं की गई है। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	क्र0स0	कार्य का नाम	खनन मात्रा घन में	दर	रायल्टी जो राशि जानी थी
2014-15	01	मुबारकपुर में अंबेडकर पार्क से मिश्री लाल गौतम तक सी0सी0 रोड एवं नाला	123.05	14.00	1723.00
	02	भदौरा में देवेन्द्र से लखपत तक सी0सी0 रोड एवं नाला	28.80	14.00	403.00
	03	रामगढ़ी में मंदिर से हरवीर तक सी0सी0 रोड एवं नाला	132.44	14.00	1854.00
	04	मूडाखेड़ा में रोड से चौक बाजार तक सी0सी0 रोड	8.85	14.00	124.00
	05	बिचौला में रविन्द्र से कालू प्रधान तक सी0सी0 रोड	121.61	14.00	1703.00
	06	समसपुर में सिरोज से आजमपुर की तरफ मि/खं0	2216.37	14.00	31029.00
	07	सरावा में जुम्मा के मकान से फतेह मोहम्मद तक इ0लो0	23.29	14.00	326.00
	08	क्वार्सी में जी0टी0 रोड से प्रा0 स्कूल तक मि/खं0	911.57	14.00	12762.00
2015-16	09	न0शेखू में आई0टी0आई0 गेट से चौक तक सी0सी0 रोड एवं नाला	137.31	14.00	4119.00
	10	खुर्जा देहात में पहासू रोड जगदीश भंडार तक इ0लो0	110.77	30.00	3323.00
	11	परौरी में प्रा0 स्कूल से संजय प्रधान तक सी0सी0 रोड एवं नाला	137.47	30.00	4124.00
	12	क्वार्सी में अमीचंद के मकान से पोखर तक खडंजा	1391.78	30.00	41753.00
	13	सिरियाल में शिव मंदिर से पपुआ तक सी0सी0 रोड एवं नाला	78.46	30.00	2354.00

	14	नई तहसील खुर्जा के पास विजयनगर जी०टी० रोड तक सी०सी० रोड एवं नाला	137.34	30.00	4120.00
	15	सारंगपुर में गंगो पंडित सहकारी डेरी तक सी०सी० रोड	172.27	30.00	5168.00
	16	रोहिन्दा में पेंटिंग रोड से ईदगाह तक मि/खडंजा	138.25	30.00	4148.00
	17	क्योलि कलां से शहवाजपुर संपर्क मार्ग पर मि/खडंजा	687.78	30.00	20633.00
	18	क्योलि कलां में ओमवीर से प्रेमवीर तक इ०ला० व नाला	14.44	30.00	433.00
	19	न०कोठी बोरोली में भगवत से शेरसिंह तक इ०ला०	143.84	30.00	4315.00
	20	रखैड़ा में नहर के पुल तक संपर्क मार्ग मि०खं०	962.13	30.00	28864.00
	21	कलाखुरी में सुखवीर से विक्रम तक मि/खडंजा	1000.35	30.00	30011.00
	22	बलैना में राजू से राजेन्द्र की तरफ इ०ला०	181.31	30.00	5439.00
	23	किर्वा में देवराज से सुभाष तक इ०ला० एवं नाला	110.46	30.00	3314.00
	24	मीरपुर में मनीउददीन से प्यारेलाल तक इ०ला० एवं नाला	185.05	30.00	5552.00
	25	ढाकर में सुन्दर पाल से शाहिद खां तक इ०ला० एवं नाला	105.42	30.00	3163.00
	26	खुर्जा देहता में अलीगढ़ चुंगी के पास इ०ला० एवं नाला	200.65	30.00	6020.00
	27	अधेना खुर्द में विशंभर सिंह से चन्द्रपाल तक इ०ला० एवं नाला	131.80	30.00	3954.00
	28	इब्राहिमपुर में जानी रोड चौराहे से मंदिर तक इ०ला० एवं नाला	29.19	30.00	876.00
	29	इब्राहिमपुर में प्रमाल सिंह से राजकुमार तक इ०ला० एवं नाला	43.12	30.00	1294.00
		योग –			232901.00

अतः उपरोक्तानुसार रायल्टी की धनराशि रु० 232901.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 101:—वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार कुल निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर सेसैस के रूप में जो धनराशि ठेकेदारों के बिलों से वसूल की जानी थी के स्थान पर पहले ठेकेदार के बिलों में 1 प्रतिशतकी दर से धनराशि को जोड़ा गया है, फिर बाद में उसकी कटौती की जानी दर्शायी गई है, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) नियम 2009 के नियम संख्या –4 (3) के अनुसार “ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर सेधनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोजक द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। प्राविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।”

इस प्रकार उपकर (सैस) का जो भार ठेकेदारों को वहन करना था उसे क्षेत्र पंचायत कोष पर शिफ्ट कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोषीगण – तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे० ई० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	क्र०स०	कार्य का नाम	1 प्रतिशतराशि जो पहले बिल में जोड़ी गई है फिर बाद में उसकी कटौती दर्शायी गई है।
2015–16	01	परौरी में प्रा० स्कूल से हनुमान मंदिर एवं संजय प्रधान तक सी०सी० रोड एवं नाला	8467.00
	02	क्वारसी में अमीचंद से पोखर तक खडंजा	7685.00
	03	मधुपुरा में हवेली के सामने से महेशपाल तक सी०सी० रोड एवं नाला	3409.00
2016–17	04	रोहिन्दा में पेंटिंग रोड से ईदगाह तक मि०/खं०	1622.00
	05	खुर्जा जं० रोड से चौ०चरन सिंह कल्याण भवन तक	6715.00

		इ०लो०	
	06	क्योलि कलां से शहबाजपुर माल संपर्क मार्ग पर मि०/खं०	2989.00
2014-15	07	रामगढ़ी में मंदिर के कोने से हरवीर तक सी०सी० रोड एवं नाला	4174.00
	08	सरावा में जुम्मा से फतेह मौहम्मद तक इ०लो०	806.00
2016-17	09	कलाखुरी में सुखबीर से विक्रम तक मि०/खं०	5454.00
	10	विकास खंड कार्यालय की मरम्मत एवं इ०लो०	18029.00
		योग-	59350.00

उपरोक्त समस्त कार्यों में लेबर सैस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से न कर स्वीकृत निविदा की राशि में 1 प्रतिशत की दर से पहले जोड़ी गई है तदुपरान्त छद्म रूप से उसे ठेकेदारों के बिलों से काटा गया ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तव में सैस की कटौती क्षेत्र पंचायत कोष से की गई है। अतः अंकन रू० 59350.00 × 2 = 118700.00 की क्षतिपूर्ति की ब्याज सहित वसूली दोषीगणों तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० एवं लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 102:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण उपकर अधिनियम 1966 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्यों पर श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर सैस 1 प्रतिशत की दर से काटे जाने का प्रावधान है, का स्पष्ट उल्लंघन कर नियमानुसार ठेकेदारों के बिलों से उपकर 1 प्रतिशत की दर से नहीं काटा गया है जिसका कर्मकार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	क्र०स०	कार्य का नाम	कुल लागत	1 प्रतिशत की दर से सैस की राशि
2014-15	01	किस्तवारी में श्रीपाल से नरेन्द्र तक इ०ला०	23707.00	237.00
	02	टेना में ओमप्रकाश से रमेश तक इ०ला०	187860.00	1879.00
	03	रामगढ़ी में वीरपाल से रामवीर तक सी०सी०रोड एवं नाला	610560.00	6106.00
	04	क्वार्सी में अमीचंद से जगत सिंह तक सी०सी०रोड एवं नाला	538124.00	5381.00
	05	सनौता में तालाब से जी०टी० रोड तक सी०सी० रोड	90694.00	907.00
	06	गंगथला में सतेन्द्र से रामचन्द्र तक सी०सी०रोड एवं नाली	1293637.00	12936.00
	07	सौदा में श्रीनिवास से मनोज शर्मा तक सी०सी०रोड एवं नाली	737592.00	7376.00
	08	गोठनी में अरविन्द से लाला तक सी०सी०रोड एवं नाली	200959.00	2010.00
	09	नेकपुर में वीरेन्द्र से इन्द्रजीत तक सी०सी०रोड एवं नाली	461193.00	4612.00
	10	रामपुर में अम्बेडकर पार्क से प्रमोद तक सी०सी०रोड	329402.00	3294.00
	11	न०शेखू में पुरुषोत्तम से महेन्द्र तक सी०सी०रोड एवं नाली	188772.00	1888.00
	12	खुर्जा जं० पर पंकज से भूदेव तक सी०सी०रोड एवं नाली	621790.00	6218.00
	13	खुर्जा जं० पर सी०पी० सिंह से डा० नीरज तक सी०सी०रोड एवं नाली	688614.00	6886.00
	14	अख्यारपुर में नैन सिंह से लालू तक सी०सी०रोड एवं नाली	832060.00	8321.00
	15	क्वार्सी में हरवीर से मंदिर तक सी०सी०रोड	990642.00	9906.00
	16	कलाखुरी में बगीचा के पास परौरी नाले पर पैदल पुलिया	71486.00	715.00
	17	गोविला में चामड मंदिर से कृष्णा तक इ०ला०	62800.00	628.00
	18	गंवा में नरेश त्यागी से पप्पू तक सी०सी०रोड एवं नाला	1005008.00	10050.00

	19	मुबारकपुर में अम्बेडकर पार्क से मिश्रीलाला तक सी0सी0रोड एवं नाली	656188.00	6562.00
	20	भदोरा में देवेन्द्र से लखपत तक सी0सी0रोड एवं नाली	117400.00	1174.00
	21	मूड़ा खेड़ा में रोड़ से चौक बाजार तक सी0 सी0 रोड	33782.00	338.00
	22	बिचौला में राकेश से भानू प्रधान तक सी0 सी0 रोड	641811.00	6418.00
	23	समसपुर में गिरोज से आजमपुर की तरफ मि/खं0	467096.00	4671.00
	24	क्वासी में जी0 टी0 रोड से प्रा0 स्कूल तक मि/खं0	479369.00	4793.00
2015-16	01	फरहाना में कुल्फी के मकान से प्रा0 पा0 तक मि/खं0	295187.00	2952.00
	02	खुर्जा ज0 में मुरारी नगर से जी0 टी0 रोड़ तक सी0सी0रोड एवं नाला	413404.00	4134.00
	03	खुर्जा बाईपास से बारौली तक खडंजा मरम्मत	338374.00	3384.00
	04	अगवान में बुद्धा से सुरेश तक सी0सी0रोड एवं नाला	313087.00	3131.00
	05	डासौली में देवदत्त से राजकरन तक सी0सी0रोड	192076.00	1921.00
	06	खलसिया में श्योदान खां से आयुब तक सी0सी0रोड	558413.00	5584.00
	07	रामपुर में हौली से कालू तक सी0सी0रोड एवं नाला	620619.00	6206.00
	08	भिन्डौर में हौली मंदिर से देवदत्त शर्मा तक सी0सी0रोड एवं नाला	475823.00	4758.00
	09	असगारपुर में इरफान से हाजी ननुआ तक सी0सी0रोड	619862.00	6199.00
	10	न0मोहिददीनपुर में रामसिंह से भानूप्रताप तक सी0सी0रोड	265395.00	2654.00
	11	मुन्ना जाटान में राजेन्द्र से मनवीर तक सी0सी0रोड एवं नाला	595134.00	5951.00
	12	हरभजन माजरा अरनिया में मंदिर से स्कूल तक सी0सी0रोड	393193.00	3932.00
	13	मीरपुर में एन0एच0 91 से मस्जिद तक सी0सी0रोड एवं नाला	369743	3697.00
	14	मुबारकपुर में स्कूल से बिजेन्द्र तक सी0सी0रोड एवं नाला	642640.00	6426.00
	15	दोस्तपुर दाउदपुर में ओमप्रकाश से जाफर तक सी0सी0रोड एवं नाला	239721.00	2397.00
	16	रामगढ़ी में हरिशंकर से शिवचरन तक सी0सी0रोड एवं नाला	689067.00	6891.00
	17	सनौता में अमरपाल से रामप्रताप तक खडंजा/इंटर लोकिंग	511823.00	5118.00
	18	घरोरी में लेखराज से नानक तक सी0सी0रोड एवं नाला	614598.00	6146.00
	19	शाहपुर में होली चौक से गोदाम तक सी0सी0रोड	680987.00	6810.00
	20	अख्यारपुर में प्रजापति की पुलिया से धीरज तक सी0सी0रोड	656053.00	6561.00
	21	बीघेपुर में मुख्य मार्ग से गोदाम तक खडंजा	389368.00	3894.00
	22	हसनपुर में शहिद से प्रा0पा0 तक सी0सी0रोड एवं नाला	296380.00	2964.00
	23	गंवा में अंगद मगत से मंगल त्यागी तक सी0सी0रोड एवं नाला	513845.00	5138.00
	24	न0शखू में आई0टी0आई0 गेट से चौक तक सी0सी0रोड एवं नाला	683343.00	6833.00
	25	खुर्जा देहात में पहासू रोड़ पर महिपाल से जगदीश तक इ0ला0	259993.00	2600.00
	26	नेकपुर में देवेन्द्र पुजारी से सुरेश देवानिया तक इ0 ला0 एवं नाली	354835.00	3548.00
	27	क्वासी में इश्क सिंह के मकान से हरवीर तक सी0सी0रोड	1006239.00	10062.00
	28	सारंगपुर में गंगो पंडित जी के मकान से सहकारी डेरी तक सी0सी0 रोड	570605.00	5706.00
2016-17	01	बलराऊ में राजबीर से जफर तक सी0सी0रोड एवं	358889.00	3589.00

		नाला		
	02	खुर्जा देहात में विवके बिहार कालोनी में मोनू पंडित से रानरेश तक खडंजा	528405.00	5284.00
	03	किला मेवई में सिद्धेश्वर मंदिर के पास खडंजा निर्माण	241977.00	2420.00
2016-17	04	समसपुर में शिवमंदिर खुर्जा झाझर रोड से सतवीर तक खडंजा निर्माण	253979.00	2540.00
	05	बीघट में ककोड़ सी0सी0 मार्ग से प्रा0पा0 की तरफ सी0सी0रोड	476598.00	4766.00
	06	भदौरा में कौसर से हज्जन तक सी0सी0रोड एवं नाला	432417.00	4324.00
	07	मौ0पुरमार में सी0सी0 रोड से सुखपाल तक सी0सी0रोड एवं नाला	576207.00	5762.00
	08	हजरतपुर में गजेन्द्र से मनवीर तक सी0सी0रोड एवं नाला	152326.00	1523.00
	09	मुन्ना जाटान में प्रताप सिंह से आबादी की तरफ इन्टर लोकिंग काय	263623.00	2636.00
	10	खुर्जा ज0 पर मुख्तार से विनोद तक नाली	356569.00	3566.00
	11	समसपुर में खुर्जा झाझर रोड से रवि किशन की तरफ खडंजा कार्य	186062.00	1861.00
	12	फिरोजपुर में शाहरपुर मार्ग से पथवारी तक खडंजा निर्माण	320378.00	3204.00
	13	समसपुर में श्रीपाल से मंदिर की तरफ इ0ला0 कार्य	414463.00	4145.00
	14	उस्मापुर में प्रहलाद से लालाराम तक इ0ला0 व नाला	1182700.00	11827.00
	15	क्योलि कला में सुरेन्द्र से अली खां तक इ0ला0 नाला	467496.00	4675.00
	16	मुन्ना जाटान में विनोद से सुरेन्द्र तक इ0ला0	251395.00	2514.00
	17	जवां में करनपल से ओमपाल तक खडंजा	384844.00	3848.00
	18	क्योलि कला में ओमवीर से प्रेमसिंह तक इ0ला0	487023.00	4870.00
	19	रखैड़ा में नहर के पुल तक मिट्टी/खंड0	513218.00	5132.00
	20	कलैना में राजू के घर से राजेन्द्र तक इ0ला0	543152.00	5431.00
	21	किर्रा में देशराज की बैठक से सुभाष तक इ0ला0	436000.00	4360.00
	22	मीरपुर में मतीउददीन से प्यारेलाल तक इ0ला0 एवं नाला	510127.00	5101.00
	23	ढाकर में सुन्दर पंडित से शाहिद खां तक इ0ला0	384833.00	3849.00
	24	खुर्जा देहात में अलीगढ़ चुंगी के पास मंदिर रोड से बाबी शर्मा के घर तक इ0ला0 एवं नाला	584352.00	5843.00
	25	अछैजा खुर्द में विशंभर से चन्द्रपाल तक इ0ला0 एवं नाली	455971.00	4560.00
	26	इब्राहिमपुर में काली रोड़ चौराहे से मंदिर की तरफ इ0ला0	243823.00	2438.00
	27	इब्राहिमपुर में प्रभास सिंह के घर से रामकुमार तक इ0ला0	171029.00	1711
		योग —		360681.00

अतः उपरोक्तानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से रू0 360681.00 सैस की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 103 :-वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 की क्षेत्र पंचायत बी0बी0नगर की लेखा परीक्षा दौरान ग्राम नीमापाटी "सैदपुर" में मुख्य खडंजे से किशनपाल के मकान तक मिट्टी/खडंजा कार्य व वर्ष 2013-14 में अंकन 167545.00 का व्यय किया। निर्माण कार्य का समापन 27.07.2013 हुआ। कार्य का टेंडर/निविदा का प्रकाशन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में निकलवाकर नियम विरुद्ध मात्र एक ही अखबार में प्रकाशन करा गया है। इस प्रकार निविदा प्रकाशन हेतु मात्र औपचारिकता पूर्ण की गयी। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफ्स लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः कार्य पूर्ण होने की संदिग्ध रही। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता की रही। अतः अंकन 167545.00 गम्भीर अनियमितता राशि की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप में किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0स0-2)

प्रस्तर संख्या 104 :- विकास खण्ड बी0बी0नगर में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 में ग्राम बैनीपुर में नीम नदी पर आर सी सी के ह्यूम पाइप 1200 एम एम पुलिया का मूल्य 100000.00 से उपर होने के फलस्वरूप बिना टेण्डर/निविदा जारी किये ही क्रय किया गया, जो कि शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार मनमाने ढंग से निविदा बिना ह्यूम पाइप क्रय का गम्भीर अनियमिता बरती गयी है। अतः ह्यूम पाइप पर व्यय की धनराशि अंकन रु0 125709.00 की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु से कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0स0-3)

प्रस्तर संख्या 105 :- वित्तीय वर्ष 2011-12 की क्षेत्र पंचायत लखावटी की लेखा परीक्षा दौरान जांच में पाया गया कि निम्नांकित निर्माण कार्यों में नियमानुसार तीन तीन निविदाओं "टेण्डर" लिए बिना ही मात्र दो निविदाओं पर ही निर्माण कार्य करने हेतु स्वीकृती प्रदान कर दी गयी। इस सम्बन्ध में गम्भीर वित्तीय अनियमिता बरती गयी है। अतः अंकन 3696459.00 राशि के कराये गये निर्माण कार्यों हेतु गम्भीर अनियमिता बरती गयी है। अतः अंकन 3696459.00 धनराशि को गम्भीर अनियमिता मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री डी0के0 तंवर अभियन्ता से समान रूप से वसूली किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। जैसे -

1. ग्राम किशनपुर सूरज से सुखवीरी तथा श्रीपाल से लेखराज तक इण्टर लाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य	376912.00
2. ग्राम चरौरा में सैनी मंदिर/बुन्दू खां के घर कब्रिस्तान तक मिट्टी/खडण्जा कार्य	154577.00
3. ग्राम नौबतपुर में नवाब के घर से कब्रिस्तान तक मिट्टी/खडण्जा कार्य	149037.00
4. ग्राम सहकारी नगर में सड़क से आश्रम तक सी0सी0रोड का निर्माण	247020.00
5. ग्राम किशनपुर में रविन्द्र प्रधान के घर से मैन खडण्जा तक सी0सी0रोड कार्य	368004.00
6. ग्राम मकनपुर में काली सड़क से अशोक मावी के सी0सी0रोड कार्य	293581.00
7. ग्राम मैथना उर्फ रसूलपुर तेलिया में काली सड़क से जाटवों की ओर बस्ती में सी0सी0रोड कार्य।	297840.00
8. ग्राम बालका में लोकपाल के मकान से फतेह सिंह के मकान तक एवं छीतर के मकान से लहलाधर के मकान तक सी0सी0रोड कार्य	301168.00
9. ग्राम किशनपुर में वीर सिंह पुत्र लीला के घर से रामपाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	353499.00
10. दौलतबाद में प्रमोद के मकान से दिनेश के मकान तक एवं सुमन के मकान से जोहड़ की ओर नाली निर्माण।	178426.00
11. ग्राम पौथ में सुम्मेर सिंह के मकान से धर्मपाल के खेत तक नाली निर्माण	244964.00
12. ग्राम मांगलौर ग्राम रोड से टयुबवैल तथा मिट्टी/खडण्जा कार्य।	231980.00
13. ग्राम राजगढ़ी महेन्द्र छत्र सिंह के मकान से रामबल के मकान तक सीमेन्ट/इन्टरलाकिंग कार्य।	267635.00
14. ग्राम आलमगीरपुर नेनसुख में शमशान घाट से मुख्य सड़क तक मिट्टी/खडण्जा कार्य।	211316.00
	3696459.00

(सा0आ0स0-2)

प्रस्तर संख्या 106 :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत लखावटी द्वारा ग्राम महेशपुर में काली सड़क मंदिर के पास से सी0सी0रोड तक इण्टर लाकिंग कार्य पर अंकन 227267.00 का व्यय किया गया। कार्य का प्रारम्भ दिनांक 19.02.2014 को और कार्य को दिनांक 08.03.2014 को समाप्त किया गया। कार्य की निविदा का प्रकाशन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में न निकलवाकर मात्र एक ही अखबार हिन्दुस्तान बुलन्दशहर में ही प्रकाशन कराया गया है। इस प्रकार निविदा प्रकाशन को मात्र औपचारिकता पूर्ण की गई है। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र से पुष्टि नहीं करायी गई है। अतः निर्माण कार्य की स्थिति संदेहात्मक रही है। अतः अंकन रु0 227267.00 गम्भीर अनियमिता राशि की मय ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हाकिम सिंह अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0स0-3)

प्रस्तर संख्या 107 :- क्षेत्र पंचायत लखावटी के वर्ष 2012-13 के अनुदान रजिस्टर व बैंक खातों के विवरण के अनुसार निम्न अन्तर पाये गये। प्रारम्भिक अवशेष

अनुदान रजिस्टर	बैंक खाता संख्या	अन्तर
5009853.79	5084121.00	(-) 74237.21
जमा राशि 4930632.00	4092195.50	838436.50

आहरित राशि	3708979.00	2936810.50	772168.50
अन्तिम शेष	6231506.79	6239506.00	(-) 7999.21

इन सभी अन्तर धनराशियों का कुल योग 1528339.00 है। इतनी बड़ी धनराशि का अन्तर बहुत ही लापरवाही व अनियमितता का द्योतक है। अतः अन्तर रु0 1528339 की मय ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार से समान रूप में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 108 :-क्षेत्र पंचायत लखावटी द्वारा वर्ष 2013-14 में ग्राम शिवाली में महेन्द्र के घर से रणवीर के घर तक मिट्टी/खड़ण्जा कार्य पर अंकन 100581.00 का व्यय किया गया है। कार्य का प्रारम्भ दिनांक 18.04.2013 को और कार्य को दिनांक 17.06.2013 में समाप्त किया गया। निर्माण कार्य हेतु निविदा का प्रकाशन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में न निकलवाकर मात्र एक ही अखबार में ही प्रकाशन कराया गया है। इस प्रकार निविदा प्रकाशन को मात्र औपचारिकता पूर्ण की गई है। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस से पुष्टि नहीं करायी गई है। अतः निर्माण कार्य की स्थिति संदेहात्मक रही है। अतः अंकन रु0 100581.00 गम्भीर अनियमितता राशि की मय ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार वर्मा अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 109 :-क्षेत्र पंचायत लखावटी द्वारा वर्ष 2013-14 में ग्राम किशनपुर में मेहर चन्द के खेत से सिद्ध बाबा मन्दिर तक मिट्टी/खड़ण्जा कार्य पर अंकन 115146.00 का व्यय किया गया है। निर्माण कार्य का प्रारम्भ दिनांक 07.06.2013 को और कार्य को दिनांक 03.07.2013 में समाप्त किया गया। कार्य की निविदा का प्रकाशन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में न निकलवाकर मात्र एक ही अखबार में ही प्रकाशन कराया गया है। इस प्रकार निविदा प्रकाशन को मात्र औपचारिकता पूर्ण की गई है। निर्माण कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस से पुष्टि नहीं करायी गई है। अतः निर्माण कार्य की स्थिति संदेहात्मक रही है। अतः अंकन रु0 115146.00 गम्भीर अनियमितता राशि की मय ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार वर्मा अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 110 :-क्षेत्र पंचायत लखावटी द्वारा वर्ष 2014-15 में ग्राम पौथ में यशवीर के मकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर अंकन 806807.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्यों में नियमानुसार तीन तीन निविदाओं (टेण्डर) न निकलवाकर नियम विरुद्ध मात्र एक ही अखबार में निविदा मांगी गई, इस प्रकार निविदा हेतु मात्र औपचारिकता पूर्ण की गई है। निर्माण कार्य के प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफस से भी पुष्टि नहीं करायी। यह स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक रही। अतः अंकन रु0 806807.00 को गम्भीर अनियमितता राशि की मय ब्याज सहित वसूली श्री तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हाकिम सिंह अभियन्ता से समान रूप से किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2018-19 प्रारूप-3

जिला-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-1 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2010-11 में मनरेगा योजना के अवशेष धनराशि रु0 6030.00 थी। जिसे वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दिखाया गया जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में 31.03.2012 में जो धनराशि अवशेष है। उस बैंक में पासबुक व ग्रांट रजिस्टर में अंकन पृथक-2 है। इस प्रकार इसमें रु0 429665.50 कर अन्तर पाया गया। जो गम्भीर अनियमितता है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 को 13वा वित्त आयोग की अवशेष धनराशि में बैंक खाते में जमा राशि व अनुदान पंजिका में दर्शित राशि में रु0 73197.50 का अन्तर परिलक्षित होता है। अतः यह प्रत्यक्ष अपहरण है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 में 31.03.2012 को विधायक निधि को अवशेष धनराशि में बैंक खाते व ग्रांट रजिस्टर रु0 8043.00 का अन्तर पाया गया।

जोकि निश्चित रूप से धन का दुरुपयोग है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक बैंक के विभिन्न खातों में जमा अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज रु0 242469.00 शासन को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 बैंक से आहरण की गयी धनराशि रु0 345275.00 को व्यय किये जाने सम्बन्धित विवरण उपलब्ध न कराया जाना तथा रु0 2345611.00 विभिन्न कार्यों पर हुये खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियों उपलब्ध न कराया जाना उक्त धनराशि का अनियमितता व्यय है। जबकि रु0 345275.00 का विवरण न होना धन का अपहरण है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 से 2014-15 राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये विभिन्न कार्यों का पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना /अथवा कम किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार रु0 13846.00 की गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक विभिन्न निर्माण कार्यों पर काटे गये आयकर रु073630.00 का कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त जमा अपुष्ट रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक में रु0 561267.00 का निर्माण कार्य कराया गया। जिसमें शासनादेशानुसार प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति लिये जाने से बचने के लिये एक ही कार्य को दो टुकड़ों में कराया गया। जोकि गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 में बैंक से आहरण की गयी धनराशि में से केवल 06 कार्यों पर हुये खर्च का विवरण है। अन्तर की राशि रु0 344101.00 को व्यय किये जाने से सम्बन्धी कोई भी विवरण उपलब्ध न होने के कारण उक्त रु0 344101.00 का व्यय अपुष्ट रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु01097599.00 के कराये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलिया वर्क रजिस्टर व प्रमाणक अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं हो सकी। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में विकास खण्ड कार्यालय के चैनल की मरम्मत दो माह से भी कम की अवधि में दो बार करना दिखाया गया है। इस प्रकार दूसरी बार में रु0 12851.00 किया गया, जो अनियमित रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक युवक मंगल दल हेतु प्राप्त अनुदान के रु0 20000.00 व्यय की पुष्टि में प्रमाणक पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रांट रजिस्टर 03 में माह सितम्बर 2012 का ब्याज अवशेष रु0 52079.50 अक्टूबर 2012 में कम ग्रांट फारवर्ड किया गया। जो कि अनियमित रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रंट रजिस्टर 03 में विधायक निधिमाह नवम्बर 2012 में रु0 49823.00 कम ग्रंट फारवर्ड किया गया। तथा रु0 41273.00 से कराये गये कार्यों की पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जोकि धन का दुरुपयोग है। तथा रु0 49823.00 की धनराशि को अपहरण किया गया जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में काटे गये आयकर की धनराशि रु0 1986.00 को राजकोष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में शासन से अवमुक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज रु0 323572.00 को शासन को वापिस न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त आयोग व 13वा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु0 114199.00 के व्यय सम्बन्धी प्रमाणक व पत्रावली अनुपलब्ध रही। (अपहरण)जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-19 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में मनरेगा कन्टीजेन्सी व्यय की गयी धनराशि रु0 43992.00 की पुष्टि न होना (अपहरण)जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रन्ट रजिस्टर में रु0 11731.00 व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया है। परन्तु उसकी पुष्टि में प्रमाणक पत्रावली प्राप्त न होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 रु0 30000.00 के बायोगैस कार्यक्रम बायोगैस व युवक मंगल प्रोत्साहन भत्ते की राशि के उपभोग की पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु0 17400.00 पेयजल निगरानी मद के उपभोग में लाये गये हैं। परन्तु इसकी पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु0 25100.00 पेयजल सप्ताह दिवस हेतु प्राप्त अनुदान में से उपभोग किया गया। परन्तु उक्त धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध न रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में से राज्य सरकार की स्वीकृति से बचने के लिये 1000000.00 की लागत से अधिक का कार्य टुकड़ों में कराया गया। इस प्रकार रु0 1035838.00 का कार्य अनियमित रूप से कराया गया जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु0 1706943.00 की धनराशि के कार्य कराये गये। जिसमें सभी कार्य पाँच लाख कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी से नहीं ली गयी। जो कि अनियमिति रहा इस प्रकार रु0 1706943.00 का भुगतान अनियमित रहा जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों पर काटे गये टीडीएस/वैट को विभाग के खाते में जमा की पुष्टि में रु0 299695.00 टीडीएस व्यय रु0 401144.00 वैट इस प्रकार कुल धनराशि रु0 700839.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर टीडीएस वैट एवं सेस की कटौती की गयी है। परन्तु उन कटौती की संगत शीर्ष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण रु0 996037.00 वर्ष 2017-18 रु0 539728.00 व 2018-19 में रु0 456309.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2018-19 को कार्य योजना में निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि रु0 83598.00 व्यय किया जाना जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में क्रमशः 10303084.39 व रु0 12859007.39 कुल रु0 23162091.78 की धनराशि अवशेष रही। अतः शासन से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग न करके व अनुदान की धनराशि को वापस न करके अवशेष के रूप में रख कर की गयी अनियमितता दृष्टिगत होती है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 का जे आर वाई का प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रु0 2896.00 थी। जिसे प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दिखाया गया जबकि 31.03.2014 अन्तिम अवशेष में दर्शित था। अतः अभिलेख में सुधार के साथ सम्बन्धित से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था। जोकि अनियमित रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में पेयजल निगरानी मद में गत वर्ष का शेष रु0 7540.00 व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया तथा पेयजल सप्ताह दिवस मद का रु0 24900.00 वर्ष 2013-14 में उपभोग दिखाकर धनराशि शून्य दिखा दी गयी। परन्तु इससे सम्बन्धित प्रमाणक न मिलने के कारण दर्शित कुल व्यय रु0 32440.00 की स्थिति संदिग्ध है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण सप्ताह मद में प्राप्त धनराशि रु0 4000.00 का उपयोग साल दौरान ही दिखाकर अवशेष शून्य दिखाया गया है। परन्तु इसकी पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में बैंक में जमा रही धनराशि पर प्राप्त ब्याज रु0 41046.00 सरकार को वापिस नहीं किया गया। व प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 174054.00 को अनियमित रूप से व्यय किया गया जोकि अनियमित रहा। धन का दुरुपयोग रहा जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में मनरेगा कन्टीजेन्सी व्यय दिखाकर धनराशि रु0 23052.00 का व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में बैंक में जमा अवशेष अनुदान की धनराशि पर अर्जित ब्याज रु0 177358.00 सरकार को वापस न किया जाना जो अनियमित

रहा जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में 207209.00 की सेस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि कोषागार में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में शासन से व्यय निमाण हेतु प्राप्त रु० 20000.00 को साल दौरान ही करवाया गया। परन्तु पत्रावली/प्रमाणक के अभावा में उक्त धनराशि अपुष्ट रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में रु० 500000.00 से अधिक आगणन वाले 08 कार्य रु० 5978893.00 में कराये गये। परन्तु इनके कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी। जोकि अनियमित रहा जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में रु० 1000000.00 से अधिक आगणन के नौ कार्य रु० 14157674.00 में कराये गये। परन्तु इन कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं ली गयी। अतएव उक्त निर्माण कार्य अनियमित रहे जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में रु० 113568.00 की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान बिना मस्टर रोल के कार्य प्रभारी को किया गया। जोकि अनियमित रहा। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्यों पर टीडीएस की कटौती रु० 59684.00 की गयी। उक्त धनराशि को कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावलिया अपुष्ट रहने के कारण पुष्टि नहीं की सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में जो टीडीएस की कटौती की गयी, वह निर्धारित धनराशि से रु० 6805.00 कम कटौती की गयी। अतः राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर की जाने वाली वैट की कटौती निर्धारित धनराशि से रु० 57101.00 कम की गयी। जोकि प्रत्यक्ष राजस्व की क्षति है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में कराये गये मिट्टी खंडजा कार्य के दौरान की जाने वाली रायल्टी की कटौती रु० 54084.00 नहीं की गयी। जो अपेक्षित थी। इस प्रकार रायल्टी न काटकर राजस्व की हानि की गयी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों पर रु० 38849.00 की टीडीएस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि को कोषागार में जमा हेतु सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में जो टीडीएस की कटौती की गयी है। वह निर्धारित धनराशि से रु० 3325.00 कम की गयी है। इस प्रकार राजस्व की क्षति पहुँचाई

गयी है। इसी क्रम में वैट की कटौती भी ₹0 53.00 की गयी है। जोकि राजस्व की क्षति है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्य मिटटी पर रायल्टी की कटौती ₹0 119923.00 की जानी थी। परन्तु उक्त रायल्टी की कटौती नहीं की गयी। तथा राजस्व की हानि हुई। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में निर्माण सम्बन्धी सामग्री मद के भुगतान पर ₹0 51898.00 की टीडीएस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि को कोषागार में जमा होने सम्बन्धी पत्रावली/ अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में टीडीएस की जो कटौती की गयी है। वह निर्धारित कटौती से ₹0 11717.00 कम की गयी। इस प्रकार कम कटौती कर राजस्व की हानि पहुँचाई गयी है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में आपूर्ति की गयी मिटटी पर ₹0 76470.00 रायल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। उक्त धनराशि की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्य में सामग्री भुगतान पर काटे गये टीडीएस की धनराशि के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त होने के कारण व टीडीएस की धनराशि कम जमा करने के कारण ₹0 (130056+27458)=157514.00 की धनराशि अनियमित रही। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में सामग्री भुगतान पर काटी गयी टीडीएस की धनराशि के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त होने के कारण उक्त धनराशि अपुष्ट रही। टीडीएस की धनराशि कम जमा करने के कारण (क्रमशः ₹0 172817+38282)=211099 की धनराशि अनियमित रही। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में सामग्री भुगतान पर काटी गयी टीडीएस की धनराशि ₹126500 के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण धनराशि अपुष्ट रही। तथा टीडीएस की धनराशि ₹0 18241.00 कम जमा की गयी है। जिससे राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार कुल ₹0 144741.00 की धनराशि अनियमित रही। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद की वर्ष 2014-15 की कुल सामग्री क्रय पर ₹0 278786.00 की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण धनराशि अपुष्ट रही। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय पर ₹0 350673.00 की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि अपुष्ट रही। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय पर ₹0 256179.00 की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहने के

कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 475008.00 राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग से कमशः (260152\$214256) की कटौती की गयी। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 727336.00 (राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग) से कमशः (649051+78285) की कटौती की गयी। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 514511.00 (राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग) की कटौती की गयी। परन्तु इसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्यों पर मिटटी की रायल्टी रु0 163733.00 काटी जानी चाहिये थी। परन्तु रायल्टी की कटौती न करके राजस्व की क्षति की गयी है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों पर मिटटी की रायल्टी रु0 233392.00 काटी जानी चाहिये थी। परन्तु उक्त धनराशि की कटौती न करके राजस्व की हानि करायी गयी जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यों पर मिटटी की रायल्टी रु0 50457.00 काटी जानी अपेक्षित थी। परन्तु उक्त धनराशि की कटौती नहीं की गयी इससे राजस्व की हानि हुई जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्यों पर निविदा फर्म क धनराशि कुल रु0 37500.00 (25+3+500) प्राप्त हुई। परन्तु उक्त धनराशि को आय में सम्मिलित नहीं किया गया। तथा इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कराये गये 17 निर्माण कार्यों पर निविदा फर्म की धनराशि कुल रु0 25500.00 (17×3×500) प्राप्त हुई। परन्तु उक्त प्राप्त धनराशि को आय में सम्मिलित नहीं किया गया। जोकि धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में रु0 8,40,000.00 की लागत से इन्डिया मार्क-2 हैडपंप कोटेशन के आधार पर नियम विरुद्ध क्रय किये गये। जोकि पूर्णतः अनियमित भुगतान है जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में रु0 546000.00 की लागत से इन्डिया मार्क-2 हैडपंप कोटेशन के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से क्रय किये गये। जोकि पूर्णतः

अनियमित भुगतान है। जिस हेतु सचिव/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष –2018–19 प्रारूप-03
जनपद का नाम—हापुड, मण्डल का नाम—मेरठ

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर, जनपद—हापुड, वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आयकर, व वैट के रूप में कटौती की धनराशि को नियमानुसार 30 दिन के अन्दर संबंधित विभाग में जमा किया जाना चाहिए। जमा से संबंधित अभिलेख (पुष्टि प्रमाण पत्र) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण कटौती की गयी धनराशि के जमा की पुष्टि न हो सकी। उक्त मदों का लेजर खाता बनाकर रखें जाने के साथ साथ जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। यह तथ्य उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जा रहा है।

क्र०	वर्ष	कटौतियों का विवरण			योग
		टी०डी०एस० 2.33 प्रति.	वैट 4 प्रति.	लेबर शैस 1 प्रति.	
01	2011-12	88710	128101	—	216811
02	2012-13	107870	192653	—	300523
03	2013-14	210338	434072	84786	729196
	योग	406918	754826	84786	1246530

वर्ष-2011-12 एवं 2012-13 में लेबर शेष की कमशः 29140+45347=74487 की कटौती नहीं की गयी है तथा वर्ष 2013-14 में केवल रु० 84786.00 की ही कटौती की गयी है। जबकि रु० 111190.00 होनी चाहिये थी। इस प्रकार रु० 26404.00 कम कटौती की गयी है। उपरोक्तानुसार रु० 74487.00 की कटौती नहीं करने एवं रु० 26404.00 की कटौती कम करने हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित लेखाकार जिम्मेदार हैं। कुल कटौती रु० 100891.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से कर राजकीय कोषागार में जमा कराये जाना चाहिये। साथ ही टी०डी०एस० व वैट के रूप में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की गयी कुल कटौती कमशः रु० 406918.00 व 754826.00 के संबंधित विभाग को जमा की पुष्टि नहीं करायी गयी, पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद—हापुड, लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में टेन्डर फार्म की बिक्री से प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा किया गया या नहीं उसकी पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसकी पुष्टि न हो सकी। इसके अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी पुष्टि अपेक्षित है। अतः पुष्टि न होने पर संस्था सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। संबंधित से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

क्र०	वर्ष	वर्ष का कुल कार्य	दर 150 (लगभग)	कुल धनराशि
01	2011-12	21	21×3=63×150	9450.00
02	2012-13	16	16×3=48×150	7200.00
03	2013-14	28	28×3=84×150	12600.00
	योग :—	—	—	29250.00

प्रस्तर संख्या-03 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद—हापुड, लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में मेसर्स अरिहन्त फर्नीचर हाउस, हापुड से दिनांक 09.07.2012 को खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा निम्न प्रकार कार्यालय फर्नीचर क्रय करना दर्शाया गया है :—

तिथि	चेक संख्या	धनराशि	नाम दुकानदार
09.07.2021	154884	81940.00	अरिहन्त फर्नीचर हाउस, हापुड
09.07.2021	992251	88975.00	अरिहन्त फर्नीचर हाउस, हापुड

उक्त भुगतानों से संबंधित निम्न आपत्तियाँ रहीं हैं:-

01. उक्त से संबंधित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
02. कोटेशन / टेन्डर लिये गये अथवा नहीं। कम से कम तीन फर्मों से कोटेशन लिये जाने चाहिये।
03. फर्नीचर की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न पटलों के प्रार्थना पत्र नहीं रहे हैं।
04. पुराना फर्नीचर का क्या हुआ, पूर्व का होते हुए नये की आवश्यकता नहीं थी।
05. एक ही तिथि में दो अलग अलग खातों से भुगतान का कोई औचित्य नहीं है। एक चेक से किया जा सकता था।
06. डेड स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण क्रय सामान की पुष्टि न हो सकी।
07. क्या क्या सामान क्रय किया गया है अज्ञात रहा।
08. ब्याज की धनराशि सरकार को वापस की जानी चाहिए थी।
09. सामान क्रय हेतु प्रस्ताव सं०, तिथि एवं स्वीकृति नहीं है।

उपरोक्त कारणों से भुगतानों की पुष्टि नहीं होती है एवं सामान आने की पुष्टि नहीं होती है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा पुष्टि न होने की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पर दायित्व निर्धारित की जाय। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि व्याज से प्राप्त धनराशि जिसपर उ०प्र० सरकार का अधिकार है कि धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से राज्य वित्त एवं 13 वित्त खातों में हस्तान्तरित कर व्यय किया गया। इस प्रकार से कुल रु० 1,14,569.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। अनियमित भुगतान के लिये संस्था सचिव व लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	दिनांक	धनराशि	मद
01	26.10.2013	71,760.00	राज्य वित्त खातों में।
02	16.02.2014	20,000.00	राज्य वित्त खातों में।
03	26.10.2013	22,809.00	13वां वित्त खातों में।
	योग :-	1,14,569.00	

प्रस्तर संख्या-05 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19.01.2013 को जिला सहकारी बैंक खाता संख्या 3992 द्वारा पूजा ट्रेडर्स गाजियाबाद से रु० 13,266.00 का आर्थिक रजिस्टर क्रय किया गया है, जिसकी पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही स्टेशनरी स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिसके अभाव में व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। जो गम्भीर आपत्ति जनक है। इसके दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार हैं। इसकी पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर संख्या-06 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक प्रस्तुत नहीं की गयी लेखा परीक्षा के समस्त आकलन एवं गणना क्षेत्र पंचायत के रजिस्टर तीन को आधार मान कर की गयी है। बैंक पासबुक के अनुसार किसी आहरण का लेखा रजिस्टर तीन में अंकित न होने की स्थिति में लेखाकार का पूर्ण दायित्व होता है। बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा के समय वर्षवार जमा एवं आहरण की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। बैंक पासबुक एवं स्टेटमेन्ट के अभाव में अनुदान रजिस्टर दो में अंकित चेक संख्या व धनराशि की पुष्टि न हो सकी। निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्षों अंतिम शेष धनराशियों को शासन को वापिस न कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार हैं। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	12 वॉ व 13वॉ वित्त	राज्य वित्त	योग
2011-12	1408559.00	71152.00	1479711.00
2012-13	328364.00	2071049.00	2399413.00
2013-14	1340574.00	703283.00	2043857.00

प्रस्तर संख्या-07 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य समाप्ति अवधि के पश्चात कुछ काम विलम्ब से पूर्ण किया गया

है। जिसके बिलम्ब शुल्क का प्राविधान टेण्डर शर्तों में रहने के पश्चात भी अवर अभियन्ता/सचिव एवं एकाउन्टेन्ट द्वारा विलम्ब शुल्क की कटौती न कर संस्था को क्षति पहुचाने के साथ कार्य विलम्ब से किये जाने को प्रोत्साहित किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। इस आधार पर समस्त कार्यों की सूची तैयार कर जो कार्य विलम्ब से हुए है उस पर निर्धारित विलम्ब शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	कार्य का क्रमांक	वर्ष	कान्ट्रैक्टर	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त किया गया	विलम्ब की अवधि
01	09	2014-15	उमेश चन्द्र गुप्ता	15.07.2014	16.02.2015	150 दिन
02	10	"	" " "	28.11.2014	16.02.2015	19 "
03	20	2015-16	" " "	17.08.2015	02.11.2015	16 "
04	21	"	" " "	15.09.2015	03.12.2015	18 "
05	22	"	" " "	15.09.2015	02.12.2015	17 "
06	24	"	" " "	15.09.2015	03.12.2015	18 "
07	26	"	" " "	15.09.2015	27.01.2016	72 "
08	27	"	" " "	15.09.2015	28.01.2016	73 "
09	28	"	" " "	15.09.2015	28.01.2016	73 "
10	29	"	" " "	15.09.2015	29.01.2016	74 "
11	30	"	" " "	15.09.2015	30.01.2016	75 "
12	31	"	" " "	15.09.2015	02.02.2016	77 "
13	32	"	" " "	15.09.2015	07.02.2016	82 "
14	33	"	" " "	15.09.2015	09.02.2016	84 "
15	34	"	" " "	15.09.2015	10.02.2016	86 "
16	42	"	" " "	19.09.2015	28.02.2016	105 "

विलम्ब अवधि की धनराशि की कटौती की जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी (लेखाकार) जिम्मेदार हैं। अनुबंध पत्र निर्धारित बिलम्ब शुल्क के अनुसार निर्धारित करते हुए शुल्क संबंधित से ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. आलोच्य वर्ष में किसी भी कार्य पर रायल्टी नहीं काटी गयी है जबकि स्टीमेट एवं मेजरमेन्ट में मिटटी का प्रयोग किया जाना दर्शित है। इस प्रकार से वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये गये कार्यों पर मिटटी की गणना कर रायल्टी न काटकर सरकार को रायल्टी के रूप में लाखों रुपये की क्षति पहुँचायी गयी। जो गम्भीर अनियमितता है। मिटटी पर रायल्टी की गणना कर ठेकेदार से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है, ठेकेदार से वसूल न होने की दशा में इस कृत्य हेतु उत्तरदायी कर्मचारी अवर अभियन्ता /सचिव एवं लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। जिससे रायल्टी के रूप में हुई क्षति की पूर्ति की जा सकें। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार रहा :-

क्र0	वर्ष	कार्य की कुल संख्या	राज्य वित्त में व्यय की धनराशि	13 वॉ वित्त में व्यय की धनराशि
01	2014-15	21	4593885	2897466
02	2015-16	16	10969116	1783093
03	2016-17	28	3077855	-----

उपरोक्त विवरणानुसार कार्य का नाम, एम0बी0 के अनुसार प्रयुक्त मिटटी एवं संबंधित अवधि में रायल्टी की दर के आधार पर गणना कर रायल्टी प्राप्त कर जमा किया जाना अपेक्षित हैं, एवं किसी भी निर्माण पत्रावली में फार्म 11 ठेकेदार से प्राप्त कर नहीं लगाया गया है। लगाया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आयकर, व्यापार कर, व वैट के रूप में कटौती की धनराशि को नियमानुसार 30 दिन के अन्दर संबंधित विभाग में जमा किया जाना चाहिए। जमा से संबंधित आभिलेख (पुष्टि प्रमाण पत्र) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण कटौती की गयी धनराशि के जमा की पुष्टि न हो सकी। उक्त मदों का लेजर खाता बनाकर रखें जाने के साथ साथ जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	वर्ष	कटौतियों का विवरण		
		टी०डी०एस०	वैट	लेबर शैस
01	2014-15	130762.00	266273.86	59389.00
02	2015-16	249194.00	498388.00	124621.00
03	2016-17	58710.00	117420.00	29355.00
	योग:-	438666.00	882081.86	213365.00

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 में टेन्डर फार्म की बिक्री से प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा किया गया या नहीं उसकी पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसकी पुष्टि हो सके। इसके अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी पुष्टि अपेक्षित है। पुष्टि न होने की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार सचिव व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

क्र०	वर्ष	वर्ष का कुल कार्य	दर 150 (लगभग)	कुल धनराशि
01	2014-15	23	23×3=69×150	10350.00
02	2015-16	43	43×3=129×150	19350.00
03	2016-17	06	06×3=18×150	2700.00
	योग :—	—	—	32400.00

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड.वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि 13 वॉ वित्त खाते में ब्याज से प्राप्त धनराशि जिस पर उ०प्र० सरकार का अधिकार है कि धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके हस्तान्तरित कर व्यय किया गया। इस प्रकार से कुल रु० 23555.00 का अनियमितता की गयी। जिसके लिये सचिव खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर जनपद-हापुड.क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक प्रस्तुत नहीं की गयी लेखा परीक्षा के समस्त आकलन एवं गणना क्षेत्र पंचायत के रजिस्टर तीन को आधार मान कर की गयी है। बैंक पासबुक के अनुसार किसी आहरण का लेखा रजिस्टर तीन में अंकित न होने की स्थिति में लेखाकार का पूर्ण दायित्व होता है। बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा के समय वर्षवार जमा एवं आहरण की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। बैंक पासबुक एवं स्टेटमेन्ट के अभाव में अनुदान रजिस्टर दो में अंकित चेक संख्या व धनराशि की पुष्टि न हो सकी। निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्षों अंतिम शेष धनराशियों को शासन को वापिस न कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	12 वॉ व 13वॉ वित्त	राज्य वित्त	योग
2014-15	—	1833598.00	1833598.00
2015-16	—	1112482.00	1112482.00
2016-17	—	11265627.00	11265627.00

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड. वर्ष 2012-13 में सी.डी.ओ. परिसर डायर परिसर पंचशीलनगर में स्थापित कार्यालय कक्षों का प्रयोग करने हेतु मरम्मत,रंगाई,पोताई बिजली फिटिंग आदि कार्य हेतु राज्य/वित्त आयोग की धनराशि पर अर्जित व्याज की धनराशि से भुगतान (रु० 75628.00) दिया गया इस कार्य हेतु तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने पत्र में सचिव पंचायती राज,उत्तर प्रदेश 2566/33.03.2010-142/2010 दिनांक 23.12.2010 13 वॉ वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के उपभोग हेतु मार्ग दर्शन सिद्धान्तों का निर्धारण जारी किया, जिसमें ब्याज से भुगतान के संबंध में कोई बिन्दु नहीं है, तथा चेक सं० 736334 दिनांक 13.07.2012 को अंकन रु० 75628.00 तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री रामसिंह के नाम जारी कर दिया गया।अतः तत्कालीन बी.डी.ओ. श्री सत्यनारायण सिंह और तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री राम सिंह रु० 75628.00 कका दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही,साथ ही बैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड. वर्ष 2012-13 में ग्राम फरीदपुर गुसाई में शिव मंदिर से संत गिरी के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण का कार्य ठेके पर कराया गया । रु0 4.47 लाख धनराशि से कराये जाने वाले इस कार्य के लिये के.पी.कन्सल्टन्स को दिनांक 19.12.2011 को अधिकृत किया गया कार्य समाप्ति के लिए टेण्डर प्रपत्र में अधिकतम 3 माहका समय निर्धारित था। परन्तु कार्य का समान 15.04.2012 को हुआ। स्पष्ट है कि अनुमन्य सीमा से लगभग 25 दिन बिलम्ब से कार्य पूरा हुआ। अनुबंध पत्र के अनुसार समय ठेके का सारतत्व है। समय अधिक लगने पर खण्ड विकास अधिकारी अनुमानित लागत का 1 से 10 प्रतिशत तक ठेकेदार से प्रतिकर के रूप में कटौती करने हेतु अधिकार संपन्न हैं । विलम्ब शुल्क का प्रावधान टेण्डर प्रपत्र में रहने के बावजूद बी.डी.ओ./ अवर अभियन्ता/एकान्टेंट द्वारा बिलम्ब शुल्क की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड. वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों की जाँच में से रु0 32.5 लाख की गम्भीर अनियमितता पायी गयी जिसके सापेक्ष जाँच पत्रावलियों पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया कि संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य हैं। पत्रावलियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत ही कराये गये हैं। पत्रावलियों में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा एक ही कार्य पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय दिखाकर राजकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिससे की इस तरह की अनियमितता पर रोक लग सके। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड. वर्ष 2012-13 में किये गये कुल 13 निर्माण कार्य सिर्फ एक ही ठेकेदार मेसर्स के.पी.ओ.कान्स्ट्रक्चर्स को आवंटित हुए । दाखिल दो ठेकेदार मेसर्स प्रेम सिंह व मेसर्स सुदेश यादव भी सभी 13 टेण्डर में आवेदन कर्तारहे। प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारी व एकाउन्टेंट आदि की दुरमि संधि के तहत सिर्फ एक ही ठेकेदार मेसर्स के.पी.ओ.कान्स्ट्रक्चर्स से डील कर ली गयी और दो अन्य डमी ठेकेदार खड़ाकर दिए गये। स्थिति संदिग्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित पर कार्यवाही अपेक्षित है। ताकि भविष्य में ठेकेदारी व निर्माण में पारदर्शिता व निष्पक्षता प्रदर्शित हो। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार आदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। परन्तु वर्ष 2011-12 व 2012-13 के दौरान अर्जित ब्याज रु0 294380.00 खाता संख्या 1263000100341115 अंकित हुआ। यह धनराशि राजकोष में जमा न करके शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इस धनराशि को राजकिय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अर्जित ब्याज का सभी वर्षों में उपभोग किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार आदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। परन्तु वर्ष 2014-15 व 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज रु0 431483.00 यह धनराशि राजकोष में जमा न करके शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इस धनराशि को राजकिय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अर्जित ब्याज का सभी वर्षों में उपभोग किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों की जाँच में अंकन रु0 31.24 लाख की गम्भीर अनियमितता पायी गयी, जिसके सापेक्ष प्रस्तुत जाँच पत्रावलियों पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का

प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया है कि संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। पत्रावलियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्य ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत ही कराये गये हैं। पत्रावलियों में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा एक ही कार्य पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय दिखाकर राजकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिससे कि इस तरह की अनियमितता पर रोक लग सकें। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत हापुड, जनपद-हापुड उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार आदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। परन्तु वर्ष 2011-12 व 2013-14 के दौरान अर्जित ब्याज रु0 459000.00 यह धनराशि राजकोष में जमा न करके शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इस धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अर्जित ब्याज का सभी वर्षों में उपभोग किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 क्षेत्र पंचायत हापुड, जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों की जांच में अंकन रु0 17.9 लाख की गम्भीर अनियमितता पायी गयी, जिसके सापेक्ष प्रस्तुत जाँच पत्रावलियों पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया है कि संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। पत्रावलियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्य ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत ही कराये गये हैं। पत्रावलियों में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा एक ही कार्य पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय दिखाकर राजकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिससे कि इस तरह की अनियमितता पर रोक लग सकें। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 क्षेत्र पंचायत हापुड, जनपद-हापुड उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार आदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। परन्तु वर्ष 2014-15 व 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज रु0 496303.00 यह धनराशि राजकोष में जमा न करके शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इस धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अर्जित ब्याज का सभी वर्षों में उपभोग किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 क्षेत्र पंचायत हापुड, जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों की जांच में अंकन रु0 36.85 लाख की गम्भीर अनियमितता पायी गयी, जिसके सापेक्ष प्रस्तुत जाँच पत्रावलियों पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया है कि संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। पत्रावलियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्य ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत ही कराये गये हैं। पत्रावलियों में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा एक ही कार्य पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय दिखाकर राजकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिससे कि इस तरह की अनियमितता पर रोक लग सकें। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में शासन से प्राप्त अनुदान का वर्ष में उपभोग नहीं और न ही शासन को वापस की गयी। रु0 1325652.00

की गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज शासन को न भेज कर उसको खर्च कर ब्याज की धनराशि रु0 3265.00 का अपहरण। जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यो का भुगतान चेक से न करके नकद रु0 88122.00 किया जाना और प्रमाणक/निर्माण पत्रावली न प्रस्तुत किया जाना। जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में 5 लाख से अधिक के लागत कार्यो की कार्य योजना का अनुमोदन जिला अधिकारी व तकनीकी परीक्षण अभियन्ता से जिला पंचायत का न पाया जाना। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में रु0 10 लाख से अधिक लागत कार्य की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली गयी है या नहीं लेखा परीक्षा के दौरान नहीं पायी गयी। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में कराये गये कार्यो में मिटटी का उपभोग किया गया परन्तु रायल्टी न काटा जाना। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में टी0डी0एस0 कम काटा जाना व काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि रु0 66326.00 संबंधित विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाणक (व्यय प्रमाणक) न पाया जाना। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार सचिव व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-31 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में काटे गये वैट की धनराशि रु0 130298.00 कोषागार में जमा का चालान न पाया जाना। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार सचिव व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-32 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्यो की लागत भुगतान पर सैस की धनराशि रु0 36454.00 का न काटा जाना। जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः जिम्मेदार व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्यो की कार्य निर्माण पत्रावली न प्रस्तुत कर रु0 2927593.00 का अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 1739125.00 का वर्ष में न तो उपभोग किया गया और न ही शासन को वापस किया गया। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गयी। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि शासन को न भेज कर उसको खर्च कर ब्याज की धनराशि रु0 1801.24 व्यय तथा 27256.40 को शासन को वापस न कर अपहरण किया

गया जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्यों अंकन रु0 29,27,593.00 से संबंधित पत्रावलियों आडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में 5 लाख से अधिक के लागत कार्यों की कार्य योजना का अनुमोदन जिला अधिकारी व तकनीकी परीक्षण अभियन्ता से जिला पंचायत का न पाया जाना। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में रु0 10 लाख से अधिक लागत कार्य की धनराशि रु0 840313.00 की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली गयी है या नहीं लेखा परीक्षा के दौरान नहीं पायी गयी। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गयी। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्यों की लागत भुगतान पर लेबर सैस की धनराशि रु0 48571.00 का न काटा जाना। अतः ठेकेदार से वसूली कर जमा कराया जाय, अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-40 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में टी0डी0एस0 कम काटा जाना व काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि रु0 88879.00 संबंधित विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाणक (व्यय प्रमाणक) न पाया जाना। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित से कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-41 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 1,77,649.00 काटे गये वैट की धनराशि को वाणिज्य कर विभाग को जमा किया गया या नहीं इसकी पुष्टि में प्रमाण नहीं मिला। जमा की पुष्टि करायी जाय। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न होने की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-42 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में रु0 4634.00 काटी गयी रायल्टी के संबंधित विभाग में जमा का प्रमाण न होना। गम्भीर अनियमितता। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न होने की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-43 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में धनराशि रु0 2225.00 लेबर सैस कम काटा गया है। गम्भीर अनियमितता। अतः उक्त धनराशि के लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-44 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 में धनराशि रु0 29097.00 लेबर सैस न काटा जाना। गम्भीर अनियमितता। अतः उक्त धनराशि के लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-45 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 4306583.00 का वर्ष में न तो उपभोग किया गया और न ही शासन को वापस किया गया। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गयी। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि शासन को न भेज कर उसको खर्च कर ब्याज की धनराशि रु0 480.00व्यय तथा 52085-26 को शासन को वापस न कर अपहरण। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्यों की पत्रावलियों धनराशि रु0 4306584.00 को न प्रस्तुत किया जाना। पत्रावली न प्रस्तुत होने के कारण उसकी जाँच न की जा सकी। गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में वर्ष 2013-14 में 5 लाख से अधिक के लागत कार्यों की कार्य योजना का अनुमोदन जिला अधिकारी व तकनीकी परीक्षण अभियन्ता से जिला पंचायत का न पाया जाना। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में धनराशि रु0 10412.00 व रु0 48475.00 लेवर सैस काटा जाना। व काटा गया सैस संबंधित विभाग को भेजे जाने का प्रमाण पत्र न पाया जाना। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-50 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में धनराशि रु0 124856.00 टी0डी0एस0 के जमा होने की पुष्टि न होना। गम्भीर अनियमितता। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-51 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में धनराशि रु0 41639.00 वैट कम काटकर राजस्व की हानि पहुँचाना। गम्भीर अनियमितता। इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-52 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 में धनराशि रु0 1664871.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अंदर कराया जाना। गम्भीर अनियमितता। इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में कार्य समाप्ति अवधि के पश्चात विलम्ब से पूर्ण कराये गये कार्यों पर विलम्ब शुल्क न लेकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना। अतः बिलम्ब शुल्क ज्ञात कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 77410.15 शासन को न भेज कर। गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में रु0 5 लाख से अधिक लागत की कुल धनराशि रु0 5365900.00 के कार्यों का अनुमोदन व तकनीकी परीक्षण सक्षम अधिकारी से न कराया जाना। गम्भीर अनियमितता। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में रु0 45965.00 रायल्टी का जमा का प्रमाण न होना। अम्भीर अनियमितता। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-57 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में धनराशि रु0 19839.00 टी0डी0एस0 के जमा होने की पुष्टि न होना। गम्भीर अनियमितता। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-58 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में धनराशि रु0 40501.00 वैट कम काटा जाना तथा काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 3,17,291.00 के कोषागार में जमा का चालान न होना। गम्भीर अनियमितता। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशियों के लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-59 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में लेबर सेस की कटौती कम किया जाना व काटे गये सैस की राशि रु0 9207.00 उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजे जाने का प्रमाणक न होना। गम्भीर अनियमितता। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-60 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज व अवशेष ब्याज की धनराशि रु0 107448.20 शासन को न भेज कर। गम्भीर अनियमितता, जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों की पत्रावलीयों न प्रस्तुत किया जाने के कारण रु0 75,27,540.00 के व्यय की पुष्टि न हो सकी। अपहरण से इनकार न किया जा सकता है। कार्य पत्रावली के अभाव में किये गये कार्य के व्यय की पुष्टि न हो सकी। जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 में वर्ष 2015-16 में 5 लाख से अधिक लागत कार्यों का अनुमोदन व तकनीकी परीक्षण सक्षम अधिकारी से न कराया जाना। धनराशि रु0 4004579.00 की गम्भीर अनियमितता। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 लेबर सेस की रु0 81852.00 की कटौती की गयी है जबकि 92,893.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। कम काटी गयी धनराशि 11,041.00 की वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से की जाय। तथा काटी गयी धनराशि 81,852.00 के जमा की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि न हो सकी। गम्भीर अनियमितता। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में रु0 11,041.00 व 81,852.00 कुल 92,893.00 जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-64 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 175705.00 टी0डी0एस0 के कोषागार में जमा होने की पुष्टि न होना। गम्भीर अनियमितता। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-65 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 67872.00 वैट कम काट कर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। गम्भीर अनियमितता जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-66 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में काटी गयी धनराशि रु0 39241.00 रायल्टी के कोषागार में जमा का प्रमाण न होना। गम्भीर अनियमितता जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-67 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 151694.03 शासन को न भेज कर दुरुपयोग किया गया जिसके लिये सचिव व लेखाकार जिम्मेदार है। अतः जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्यों की पत्रावलीयों न प्रस्तुत किया जाने के कारण रु0 7228045.00 के व्यय की पुष्टि न हो सकी। अपहरण से इनकार न किया जा सकता है जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बराबर बराबर वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-69 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 में काटी गयी धनराशि रु0 23577.00 रायल्टी के कोषागार में जमा का प्रमाण न होना। गम्भीर अनियमितता जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-70 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 लेबर सेस की रु0 87301.00 की कटौती की गयी है जबकि 90,176.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। कम काटी गयी धनराशि 2875.00 की वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से की जाय। तथा काटी गयी धनराशि 87,301.00 के जमा की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि न हो सकी। गम्भीर अनियमितता जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में रु0 2875.00 व 87,301.00 कुल 90,176.00 जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-71 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 में धनराशि रु0 174798.00 टी0डी0एस0 के कोषागार में जमा होने की पुष्टि न होना। गम्भीर अनियमितता जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जमा की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-72 क्षेत्र पंचायत धौलाना जनपद-हापुड वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 में धनराशि रु0 6143.00 वैट कम काटा जाना गम्भीर अनियमितता जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। अतः जिम्मेदार से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित को जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम-मेरठ

मण्डल का नाम-मेरठ।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-01:- क्षेत्र पंचायत रोहटा में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में निम्न प्रकार निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है-

वर्ष-2011-12

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	ग्राम शाहपुर जैन में अरनावली वाले रास्ते पर छज्जू की ट्यूबवेल से कालू के खेत तक मिटटी खडन्जा कार्य।	3.77	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुमनेश कुमार 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम,
2	ग्राम जटौला मामराज के मकान से शुगर मिल तक मिटटी खडन्जा कार्य	3.83	
3	ग्राम कैथवाडी में ओरेन्द्र के मकान से तालाब तक मिटटी खडन्जा कार्य	2.62	
4	ग्राम भोला में कालीचरण के मकान से यशपाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य	10.89	
5	ग्राम जंगेटी में शमशान वाले रास्ते पर सोनपाल के खेत तक मिटटी खंडजा कार्य	5.68	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम,
6	ग्राम रसूलपुर गढी में इंटर कालेज से रजवाहे की पटरी पर मिटटी खंडजा कार्य	10.10	
कुल		36.89	

वर्ष-2012-13

7	ग्राम किनौनी में सरकारी ट्यूबवेल से भगमल के खेत तक मिटटी खडन्जा कार्य	3.42	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री रेशमपाल सिंह 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम
8	ग्राम बाडम में पिन्दू त्यागी एवं हीराम त्यागी के सामने नाली खडन्जा निर्माण	2.18	
9	ग्राम डालमपुर में महाराज सिंह के मकान से सीएम सिंह के खेत तक मिटटी खण्डजा	3.78	
10	ग्राम रसूलपुर जाहिदपुर में रोताश के घर से कोल्हू तक नाला निर्माण	7.36	
11	ग्राम बाडम में ओमपाल के खेत से भगीरथ के खेत तक मिटटी खंडजा कार्य	7.32	
कुल		24.06	

वर्ष-2013-14

12	ग्राम किनौनी किनौनी उकसिया में सरकारी बिजली से होजी के खेत तक मिटटी कार्य	1.85	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री रेशमपाल सिंह 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम
13	ग्राम सलाहपुर तकी में मकान से नाले तक अफसर के खेत तक मिटटी यू टाईप नाली निर्माण	2.15	
14	ग्राम बाडम में भगीरथ त्यागी के खेत से सत्तार की ट्यूबवेल तक मिटटी खंडजा कार्य	8.39	
15	ग्राम जंजौखर में मामचन्द के मकान से ब्रह्म सिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स कार्य	8.59	
16	ग्राम सलाहपुर में सलाहपुर बाडम सम्पर्क मार्ग से साकिर के खेत तक मिटटी खंडजा	1.03	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री राधेश्याम सिंह 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम
17	ग्राम रोहटा में रणवीर पुत्र धारा के मकान से सुरेश पुत्र धूमसिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग	8.83	
18	ग्राम कल्याणपुर में मेनरोड से योगेन्द्र के खेत तक, राजकुमार उर्फ झगडू के खेत तक बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मिटटी खंडजा कार्य।	11.00	
कुल		41.84	
महायोग (11-12)+(12-13)+(13-14)		102.79	

आपत्ति का विवरण:- शासनादेश सं० 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान (राज्य वित्त सहित) का विकास खण्ड के कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्यों पर व्यय व्यय किया जाना चाहिए जबकि क्षेत्र पंचायत रोहटा द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है, जो गम्भीर अनियमितता एवं शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन है, जिसका उत्तरदायित्व तालिका में नाम सहित दिये गये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार का है।

तालिका के क्रम सं० 18 पर उल्लिखित कार्य पर कुल 11 लाख व्यय (10 लाख सीमा से अधिक) किया गया है, जो शासन के आदेशानुसार कार्य की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने का साक्ष्य लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया जो गम्भीर अनियमितता है। तालिका में उल्लिखित उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02:- क्षेत्र पंचायत रोहटा में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में निम्न प्रकार निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है-

वर्ष-2014-15

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	ग्राम पूठखास में रियासत के मकान से कलवा के मकान तक सी०सी० टाईल्स दीवार पर एल टाइप नाली निर्माण	7.30	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री राधेश्याम 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम,
2	ग्राम रोहटा में मेन पेन्टीड रोड नवाब के खेत से नरेन्द्र की टयूबवेल तक मिटटी खडन्जा कार्य	5.02	
3	ग्राम रोहटा में किशनलाल के मकान से पुलिया बिल्लू के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड व यू टाइप नाली	9.43	
4	ग्राम कैथवाडी में सेक्टर आठ पर किशनवीर पुत्र त्रिलोकचन्द के खेत से अनिल पुत्र रामकृपाल के खेत तक सम्पर्क मार्ग	1.87	
5	ग्राम कैथवाडी में सेक्टर 9 पर तिलकराम पुत्र वंशी के खेत से राजेन्द्र पुत्र हरीकिशन के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य	1.71	
6	ग्राम रोहटा में मेन रोड से बिल्लू पुत्र गुलवीर के मकान तक सी०सी० टाईल्स कार्य	1.71	
7	ग्राम सिंघावली में पवन मित्तल की टयूबवेल से आदि अली के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड व दोनों तरफ एजिमन्ड कार्य	8.83	
8	ग्राम कैथवाडी सेक्टर 1 स्थित देवी सिंह पुत्र फूल सिंह के खेत से लज्जा राम के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य	2.85	
9	ग्राम कैथवाडी सेक्टर 2 स्थित हमीद पुत्र मकसूद के खेत से जनता इ० का० की जमीन तक सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य	1.80	
10	ग्राम गोविन्दपुर घसौली में गुल्लू के मकान से भूमिया तक सी०सी० टाईल्स एव एल टाइप नाली निर्माण कार्य	4.43	
11	ग्राम जंजोखर में विपिन मास्टर के खेत से रामपाल पुत्र खचेरू के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य	2.30	
कुल		47.25	

वर्ष-2015-16

12	ग्राम जंजोखर में सोलर लाइट कार्य	2.30	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री अतुल मिश्र 2-तत्का० लेखाकार, श्री आत्माराम
13	ग्राम जंजोखर में विपिन मास्टर के खेत से रामपाल पुत्र खचेरू के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर खण्डजा कार्य	7.77	
14	ग्राम रोहटा में हरबीर के मकान से अंसार के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड निर्माण	2.88	
15	ग्राम भोला में शशीभूषण के मकान से गंगाशरण के मकान तक यू टाइप नाली निर्माण	0.93	
16	ग्राम चिन्दौडी में कशलवीर के खेत से रसूपुर के सड़क तक यू टाइप नाली निर्माण	1.81	

17	ग्राम कलीना में सुखपाल की ट्यूबवेल से बाबूराम की ट्यूबवेल तक मिटटी खण्डजा कार्य	3.79	
कुल		19.48	

वर्ष-2016-17

18	ग्राम रोहटा में सतवीर पुत्र चन्दर के मकान से बबलू पुत्र रूपचन्द के मकान तक सी0सी0 टाइल्स रोड निर्माण	4.25	1-तत्का0 खण्ड विकास अधिकारी, श्री रवि किशोर त्रिवेदी 2-तत्का0 लेखाकार, श्री आत्माराम
कुल		4.25	
महायोग (14-15)+(15-16)+(16-17)		70.98	

आपत्ति का विवरण:- शासनादेश सं0 866/33-2-2014-93 जी/2014 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 एवं शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान (राज्य वित्त सहित) का विकास खण्ड के कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्यो पर व्यय व्यय किया जाना चाहिए जबकि क्षेत्र पंचायत रोहटा द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है, जो गम्भीर अनियमितता एवं शासन के गाइडलाइन का उल्लघन है, जिसका उत्तरदायित्व तालिका में नाम सहित दिये गये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार का है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-03:-क्षेत्र पंचायत मेरठ में शासनादेश सं0 866/33-2-2014-93 जी/2014 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 एवं शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान (राज्य वित्त सहित) का विकास खण्ड के कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्यो पर व्यय किया जाना चाहिए जबकि क्षेत्र पंचायत रोहटा द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है, जो गम्भीर अनियमितता एवं शासन के गाइडलाइन का उल्लघन है, एवं तीनों वर्षों में रु0 30.82 का अपहरण/ग0 अनियमितता की गई है, जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार का है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 02)

प्रस्तर-04:-क्षेत्र पंचायत मेरठ द्वारा वर्ष 14-15 में ग्राम गूमी में सोमेन्द्र के मकान से मवपाल के स्कूल तक सी0सी0 टाइल्स कार्य की पत्रावली में रु0 5.19 लाख भुगतान दर्शित है। जिसे कम्प्यूटर पर अपलोड न करके व कार्य एक ही ग्राम पंचायत के भीतर करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रविकिशोर त्रिवेदी व तत्कालीन लेखाकार श्री अमर पाल शर्मा का है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर-05:-क्षेत्र पंचायत मेरठ में दिनांक 31.03.2015 का बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग का अवशेष अनुदान रजिस्टर तीन में रु0 158783.00 प्रविष्ट है जबकि लेखा परीक्षा में कम्प्यूटर में फीड आकड़े में यह धनराशि रु0 198783.00 पायी गयी। अभिलेख भीगे होने से लेखाकनं पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है। न ही समाधानीकरण की जानकारी मिल सकी। स्पष्ट है कि अनुदान रजिस्टर तृतीय में 31.03.2015 का अवशेष 40000.00 कम पकड़ कर उक्त धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 20000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि किशोर त्रिवेदी व रु0 20000.00 तत्कालीन लेखाकार श्री अमरपाल शर्मा से करके निर्धारित शीर्ष/खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0 04)

प्रस्तर-06:-क्षेत्र पंचायत मेरठ में वर्ष 16-17 में क्षेत्र पंचायत मेरठ द्वारा भूडबराल में रेलवे लाईन के पास पुलिया से पप्पू के खेत तक मिटटी कार्य पर रु0 0.79 लाख का भुगतान होना पत्रावली पर पाया गया। मिटटी कार्य ठेके पर व एक ही ग्राम पंचायत के भीतर कार्य कराया जाना शासकीय निर्देशों का उल्लघन है, जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल मिश्र व तत्कालीन लेखाकार श्री अमर पाल शर्मा का रहा। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 05)

प्रस्तर-07:—क्षेत्र पंचायत मवाना में वर्ष 13-14 में राज्य वित्त, तेहरवां वित्त एवं मनरेगा कन्टी0 के अंतर्गत कुल रू0 6311396.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/प्रमाणक अनुलब्ध रहे जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द, बी0डी0ओ0 एवं एकाउंटेंट श्री सोहनपाल से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर-08:—क्षेत्र पंचायत मवाना में वर्ष 14-15 में राज्य वित्त, तेहरवां वित्त एवं मनरेगा कन्टी0 के अंतर्गत कुल रू0 5224179.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/प्रमाणक अनुलब्ध रहे जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द, बी0डी0ओ0 एवं एकाउंटेंट श्री सोहनपाल से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 23)

प्रस्तर-09:—क्षेत्र पंचायत मवाना में वर्ष 15-16 में राज्य वित्त, तेहरवां वित्त एवं मनरेगा कन्टी0 के अंतर्गत कुल रू0 6411945.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/प्रमाणक अनुलब्ध रहे जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द, बी0डी0ओ0 एवं एकाउंटेंट श्री सोहनपाल से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 24)

प्रस्तर-10:—क्षेत्र पंचायत मवाना में वर्ष 16-17 में राज्य वित्त, तेहरवां वित्त एवं मनरेगा कन्टी0 के अंतर्गत कुल रू0 4758859.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/प्रमाणक अनुलब्ध रहे जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द, बी0डी0ओ0 एवं एकाउंटेंट श्री सोहनपाल से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0 25)

प्रस्तर-11:—क्षेत्र पंचायत माछरा में वर्ष 2009-10 में दर्शाये गये 05 कार्यों में से निम्न तीन कार्यों का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है।

1. हसनपुर मैन रोड से पावर हाउस तक मिटटी खण्डजा रू0 94600.00
2. नंगली किठौर विभिन्न गलियों में सी0सी0 टाईल्स कार्य रू0 542680.00
3. एतमादपुर मे संतोष शर्मा से लोशन बी0डी0सी0 तक टाईल्स रू0 764277.00

कुल रू0 1401557.00 का व्यय दर्शाया है पुष्टि हेतु केवल प्राक्कलन व कार्यपूर्ति लगाई गयी है। बिल/वाउचर के अभाव में पुष्टि नहीं होती है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व जे0ई0 व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 01)

प्रस्तर-12:—क्षेत्र पंचायत माछरा में पुरानी सी0सी0 रोड से सुरेन्द्र त्यागी की ओर सी0सी0 रोड व नाली कार्य में फुरकान अली ठेकेदार के दो बिल निम्न प्रकार लगाये गये हैं—

बिल नं0-161 दिनांक 18.02.2010 रू0 150364.00

बिल नं0-165 दिनांक 02.03.2010 रू0 17400.00

जबकि कार्य पर व्यय रू0 719254.00 दर्शाया गया है शेष धनराशि रू0 551490.00 की वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 व जे0ई0 व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। इसी के साथ ठेकेदार फुरकान अली से रू0 150364+17400.00 = 167764.00 का सामान खरीदा है जो बिक्री करने के लिए अधिकृत नहीं है इस पर 4 प्रतिशत वैट यू0पी0 वैट एक्ट 2008 के तहत कटौती होनी थी जो नहीं की गई है। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वैट की दो गुनी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाकर जमा किया जाना है। इस प्रकार रू0 6711+6711 = 13422.00 पर 10 वर्ष का ब्याज रू0 24160.00 कुल रू0 37582.00 चालान द्वारा संबंधित मद में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 02)

वर्ष 2010-11

प्रस्तर-13:—क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष में कुल 07 कार्यों का करना दर्शाया गया है, जिनमें से दो कार्य स्वयं कराये हैं तथा 05 कार्य ठेकेदार फुरकान अली से कराये हैं जो दो कार्य स्वयं कराये हैं उनके ठेकेदार से सामान खरीद के निम्न बिल दर्शाये हैं:—

बिल नं0-162 दिनांक 10.04.2011 रू0 49643.80

बिल नं0-85 दिनांक 23.12.2010 रू0 78012.00

बिल नं0-18 दिनांक 03.12.2010 रू0 303116.30

बिल नं0-16 दिनांक 07.03.2011 रू0 71080.00

बिल नं0-88 दिनांक 07.03.2011 रू0 226848.00

कुल रू० 970522.10

उक्त बिल अवैध रूप से कारोबार करने वाले ठेकेदार फुरकान अली के द्वारा जारी किये गये हैं तथा इन पर 04 प्रतिशत वैट नहीं काटा गया है। यू०पी० वैट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रू० $38821 \times 2 = 77642.00$ पर 9 वर्ष का 18 प्रतिशत ब्याज जोड़कर जमा किया जाये जो रू० $77642 + 125784 = 203426.00$ होता है। इसकी वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० व जे०ई० व लेखाकार से की जाये तथा संबंधित मद में जमा करायी जाये तथा अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये तथा शेष 05 कार्यों पर रू० 1189575.00 व्यय हुआ है उस पर भी वैट 4 प्रतिशत रू० $47583 \times 2 = 95166.00 + 18$ प्रतिशत 09 वर्ष का ब्याज रू० 154170.00 कुल रू० 249336.00 की वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है। कुल वसूली रू० 452762.00। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर-14:-क्षेत्र पंचायत माछरा के ग्राम गोविन्दपुर वाले कार्य में संलग्नक सं० 49 व 50 में फाईनल बिल रू० 62912.00 का था कटौती उपरान्त रू० 56382.00 भुगतान करना था जिसके स्थान पर चैक सं० 157597 दिनांक 07.03.11 से रू० 142253.00 का भुगतान कर दिया गया जबकि प्रथम बिल का भुगतान रू० 117920.00 पहले ही हो चुका था। इस प्रकार रू० 85841.00 अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० व जे०ई० व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 04)

प्रस्तर-15:-क्षेत्र पंचायत माछरा में वर्ष 2011-12 में कुल रू० 2333472.00 के कार्य किये जाने दर्शाये गये हैं। कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया है कि न तो यू०पी० वैट एक्ट 2008 के अंतर्गत 4 प्रतिशत वैट ही बिलों से काटा गया है तथा न ही लेबर सेस 01 प्रतिशत बिलों से काटा गया है। इस प्रकार रू० 23335.00 सैस तथा रू० $93339 \times 2 = 186678.00$ 18 प्रतिशत ब्याज सहित 08 वर्ष का रू० 268816.00 कुल रू० 455494.00 वैट सम्बन्धित बी०डी०ओ० व जे०ई० व लेखाकार से वसूली कर सम्बन्धित मदों में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 05)

प्रस्तर-16:-क्षेत्र पंचायत माछरा के ग्राम मुबारिकपुर में अतर सिंह की ट्यूबवैल से सरकारी ट्यूबवैल तक मिटटी खडंजा कार्य में प्रथम रनिंग बिल रू० 320997.00 का था जो 1154मी० स्क्वायर खण्डजा 254मी० स्क्वायर तथा 808.72 मी० टन मिटटी कार्य 34.45 मी० टन का था जिसका भुगतान संलग्नक 62 के अनुसार 16.12.2011 में चैक सं० 973425 के द्वारा कर दिया गया था इसके बाद फाइनल बिल उसी पहले बिल की मात्रा दर्शाकर बना दिया गया और उसके से कटौती उपरान्त रू० 79101.00 का भुगतान चैक सं० 973430 दिनांक 30.12.2011 के द्वारा कर दिया गया इस प्रकार अधिक भुगतान कर क्षेत्र पंचायत को रू० 88263.00 की हानि पहुचाई गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० व जे०ई० व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 06)

प्रस्तर-17:- क्षेत्र पंचायत खरखौदा में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में निम्न प्रकार निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है-

वर्ष-2014-15

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	ग्राम नालपुर मढैया में धर्मशाला प्रांगण एवं भवन में सी०सी० टाईल्स एवं एल टाईल्स कार्य पर आयकर गणना 2.3 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत से कटौती कर राजस्व क्षति।	2415.00	1-तत्का० खण्ड विकास अधिकारी, श्री रवि किशोर त्रिवेदी 2-तत्का० लेखाकार, श्री अरशद अली
2	छतरी में परविन्द्र के घर से ईश्वर के घर तक सी०सी० टाईल्स एवं एल टाईप नाली निर्माण कार्य पर आयकर गणना 2.3 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत से कटौती कर राजस्व क्षति।	4794.00	
3	ग्राम बिजौली में सर्विस रोड फफूडा से नरेश त्यागी के ट्यूबवैल तक खडन्जा कार्य पर आयकर कटौती कम कर	3968.00	
4	ग्राम शाफियाबाद लोटी में जहाबीर की माटी से मेन रोड तक निर्माण कार्य पर आयकर 2.3 प्रतिशत के	4663.00	

	स्थान पर 01 प्रतिशत से कटौती कर राजस्व क्षति।		

वर्ष-2015-16

5	ग्राम जसौरी में मेन तिराहे से मढैया सम्पर्क किनारे नाली के बिल पर आयकर कटौती कर 2.3 प्रतिशत की व्यय 1 प्रतिशत करके राजस्व क्षति	2911.00	1-तत्का0 खण्ड विकास अधिकारी, श्री रवि किशोर त्रिवेदी 2-तत्का0 लेखाकार, श्री अरशद अली
6	ग्राम बिजौली में मेन रोड से जामुण्डा मंदिर तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	5915.00	
7	ग्राम कखटटा में तालाब से प्रा0 पाठशाला तक यू टाइप नाली निर्माण बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	10762.00	
8	ग्राम जसौरी मेन रोड से सुखबीर प्रमुख के घर तक सी0सी0 टाइल्स व दोनो तक यू टाइप नाली निर्माण बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	1597.00	
9	ग्राम नालपुर में धर्मपाल गडरिया के मकान से तालाब की ओर यू टाइप नाली निर्माण के बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	1977.00	
10	ग्राम पडखडी में मेन सडक से कुवरपाल के घर तक सी0सी0 टाइल्स कार्य के बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	4817.00	
11	अजराडा में अनिल सैनी के मकान से उस्मान के मकान तक सी0सी0 टाइल्स कार्य के बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	5508.00	
12	ग्राम संत कुआ में आगे की ट्यूबवैल से नीतू त्यागी के खेत तक खण्डजा निर्माण के बिल पर आयकर की कम कटौती	4140.00	
13	ग्राम अजराडा में खुशनुद के मकान से बंगले तक दोनो ओर एल टाइप नाली निर्माण बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	2470.00	
14	नालपुर में राजवीर के खेत से मेन सडक तक खडन्जा निर्माण कार्य के बिल पर आयकर कटौती कम करके राजस्व क्षति	8662.00	
15	नालपुर में राजवीर के मकान से जगत सिंह के खेत तक खडन्जा, नाली निर्माण के बिल पर आयकर की कम कटौती	6414.00	
16	ग्राम अजराडा में भूरे के मकान से जनता प्रा0 स्कूल तक टाइल्स सी0सी0 निर्माण के बिल पर आयकर की कम कटौती	6168.00	
17	ग्राम कैली में कबटटा से शमशान तक कार्य बिल पर आयकर की कम कटौती	4271.00	
18	ग्राम चंदपुर में मेन रोड से शीशराम के घर तक सी0सी0 टाइल्स पर बिल से आयकर की कम कटौती करके	943.00	
19	ग्राम खानपुर से मेन रोड तक जू0हा0 तक खडन्जा कार्य पर आयकर की कम कटौती	3052.00	
20	नालपुर गढैया से शिव मंदिर तक कार्य के बिल पर कम आयकर की कटौती	7219.00	
21	ग्राम नंगला पातु में मेन सडक से सुदर के खेत तक कार्य पर बिल पर कम आयकर कटौती	3387.00	
कुल		79213.00	

वर्ष-2016-17

22	ग्राम अजराडा में डा0 अम्बेडकर भवन के गेट से कृषक रेवती सरन के मकान तक सी0सी0 टाइल्स कार्य के बिल पर रायल्टी कटौती को जमा करने वाला फार्म एम0एम0 11 प्रस्तुत नहीं किया	3517.00	1-तत्का0

23	उपरोक्त कार्य पर जमानत राशि की जमा रसीद प्रति नहीं करके व अवमुक्त राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया	39920.00	खण्ड विकास अधिकारी, श्री अतुल मिश्र 2-तत्का0 लेखाकार, श्री संजय कुमार जैन
24	ग्राम जमौरी में मदरसे के पास से आशाराम के मकान तक सी0सी0 टाइल्स सडक निर्माण कार्य की रायल्टी धनराशि की एम0एम0 11 फार्म प्रस्तुत नहीं	2900.00	
25	उपरोक्त फार्म पर ठेकेदार के जमानत राशि की जमा रसीद व अवमुक्त करने का प्रमाण पत्र अप्रस्तुत	73100.00	
26	नंगला पातू में जयचन्द के मकान से सुधारे के मकान तक इंटरलाकिंग टाइल्स सडक निर्माण कार्य पर रायल्टी की धनराशि के जमा का फार्म एम0एम0 11 प्रस्तुत नहीं	1197.00	
कुल		120634.00	
महायोग (14-15)+(15-16)+(16-17)		215687.00	

क) क्षेत्र पंचायत खरखौदा की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पायी गयी दुरुपयोग धनराशि रू0 15840.00 में से रू0 7920.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि किशोर त्रिवेदी व रू0 7920.00 तत्कालीन लेखाकार श्री अरशद अली से ब्याज सहित वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष/खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

ख) क्षेत्र पंचायत खरखौदा की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पायी गयी दुरुपयोग धनराशि रू0 79213.00 में से रू0 39607.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि किशोर त्रिवेदी व रू0 39607.00 तत्कालीन लेखाकार श्री अरशद अली से ब्याज सहित वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष/खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

ग) क्षेत्र पंचायत खरखौदा की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पायी गयी दुरुपयोग धनराशि रू0 120634.00 में से रू0 60317.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल मिश्र व रू0 60317.00 तत्कालीन लेखाकार श्री संजय कुमार जैन से ब्याज सहित वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष/खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- किरतपुर

वर्ष:- 2017-18 से 2018-19

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 1-लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में रू0 44819.00 तथा 2018-19 में रू0 27571.00 कुल रू0 72390.00 लेबर सैस मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेबर सैस के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः रू0 72390.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2- लेखा परीक्षा वर्ष में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में रू0 497518.00 तथा 2018-19 में रू0 331030.00 कुल रू0 828548.00 जी0एस0टी0 मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः रू0 828548.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतानकर्ता ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 3- लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में रू0 34735.00 तथा 2018-19 में रू0 113302.00 कुल रू0 148037.00 आयकर जमा मद में दर्शित है। जिसके जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे साथ ही अवशेष रू0 53877.00 वर्षान्त में जमा दर्शित है। जिसे आयकर विभाग को दिनांक 31.03.18 तक जमा

करा दिया जाना चाहिए था जो नहीं जमा किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 4—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 6500.00 तथा 2018-19 में ₹0 110012.00 कुल ₹0 116512.00 प्रधानमंत्री आवास योजना मद में व्यय दर्शित है। जिसके लाभार्थियों की सूची एवं स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 349999.00 तथा 2018-19 में ₹0 2485000.00 कुल ₹0 2834999.00 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में व्यय दर्शित है। जिसके लाभार्थियों की सूची एवं स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 6—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम औरंगजेबपुर में सी0सी0 निर्माण हेतु ₹0 671544.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 7—लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में ₹0 107409.00 रॉयल्टी मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद रॉयल्टी के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः ₹0 107409.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम :-मुरादाबाद मण्डल का नाम :- मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष -2018-19

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण -

1. क्षेत्र पंचायत-मुरादाबाद वर्ष 2017-18 से 2018-19, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-01 वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों हेतु प्राप्त अनुदान इकट्ठा दिखाकर व अलग-अलग विवरण न देकर प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किए गए। कुल धनराशि रुपये 586526.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-02 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए कार्यों का पत्रावलियाँ न पाया जाना। कुल धनराशि रुपये 360648.95 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**(सामान्य आपत्ति सं0-22)**

प्रस्तर-03 वर्ष 2017-18 में तेहरवाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान योजना बन्द होने पर भी सरकार को सरन्तर न किया जाना। कुल धनराशि रुपये 10095.15 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। इस राशि को सरकार को वापस न करने के लिए सम्बन्धित ख0वि0अ0 श्री मति मानसी सक्सेना उत्तरदायी है। इस राशि को तुरन्त वापस किया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर-04 वर्ष 2017-18 में बायोगैस सम्बन्धित अनुदान गतवर्षों से अप्रयुक्त होने पर सरकार को वापस न किया जाना। कुल धनराशि रुपये 8000.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। इस राशि को सरकार को वापस न करने के लिए उत्तरदायी ख0वि0 अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-24)

प्रस्तर-05 वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित व्यय की पत्रावलियाँ न पाया जाना। कुल धनराशि रुपये 139792.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। प्रमाणकों से पुष्टि न कराए जाने पर सम्बन्धित ख0वि0अ0 तथा लेखाकार इस प्रति उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-25)

प्रस्तर-06 वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मध्य रुपये 8546607.89 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ न पाया जाना। उपरोक्त धनराशि की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। इस प्रति उत्तरदायी ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार व लेखाकार श्री मति अनीता यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-26)

प्रस्तर-07 वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में माह दिसम्बर 2018 में दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना। कुल धनराशि रुपये 779960.00 का अपहरण पाया गया है। इस प्रति उत्तरदायी ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार व लेखाकार श्री मति अनीता यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-27)

प्रस्तर-08 वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में माह मार्च 2019 के अन्त में अवशेष रुपये 8673.74 के स्थान पर रुपये 2173.74 दिखाकार अन्तर रुपये 6500.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रति उत्तरदायी ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार व लेखाकार श्री मति अनीता यादव है। इस धनराशि की वसूली दोनों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-28)

प्रस्तर-09 वर्ष 2018-19 अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल संचालन एवं भरण पोषण हेतु प्राप्त अनुदान पर बैंक से प्राप्त ब्याज रुपये 319.00 सरकार को न भेजना जाना तथा मार्च 2019 में खर्च 5400.00 का प्रमाणक न होना। इस व्यय की पुष्टि में कोई वाउचर पाया गया। प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है जिसके लिए श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 व श्री मति अनीता यादव लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-29)

प्रस्तर-10(क) वर्ष 2018-19 में मनरेगा प्राशासनिक मद का बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज माह जून 2018 का जुलाई के प्रारम्भ में अन्तर रुपये 702.25 प्रारम्भिक शेष कम दिखाया जाना। धनराशि रुपये 702.25 का दुरुपयोग किया गया है। इस कम दर्शित ब्याज की तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मति अनीता यादव लेखाकार श्री राकेश कुमार सक्सेना से ब्याज सहित वसूली करके राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-30(1))

प्रस्तर-10(ख) वर्ष 2018-19 में मनरेगा प्राशासनिक मद में ग्रांट रजिस्टर-3 में कुल रुपये 20198.78 बैंक से प्राप्त ब्याज सरकार को न भेजा जाना। जिसे वर्षान्त तक राज्य कोष में जमा नहीं किया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। ब्याज राज्य कोष में जमा न किए जाने के लिए श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इनके प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-30(2))

प्रस्तर-11 वर्ष 2018-19 में पंचायत उपचुनाव हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक न पाया जाना। कुल धनराशि रुपये 10050.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। इस व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा इस व्यय के लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-31)

प्रस्तर-12(1) वर्ष 2018-19 में ग्रांट रजिस्टर-3 में विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान इकट्ठा दिखाकार वास्तविक को छिपाया जाना। कुल धनराशि रुपये 435701.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। ग्रांट रजिस्टर-3 में हिसाब अलग-अलग न रखने के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सुरेश कुमार गुप्ता व ख0वि0अ0 श्रीमति मानसी सक्सेना उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-32(1))

प्रस्तर-12(2) वर्ष 2018-19 में मई 2018 मनरेगा प्राशासनिक मद में दिखाए व्यय रुपये 2935.00 का प्रमाणक न होना। अतः व्यय संदिग्ध है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ख0वि0अ0 श्रीमति मानसी सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-32(2))

प्रस्तर-12(3) वर्ष 2018-19 में जून 2018 मनरेगा प्राशसनिक मद के बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज सरकार को न भेजना जाना। धनराशि रुपये 8330.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-32(3))

प्रस्तर-12(4) वर्ष 2018-19 में मनरेगा प्राशसनिक मद का जुलाई 18 से मार्च 19 तक किए दिखाए व्यय के प्रमाणक न होना। धनराशि रुपये 1281765.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। इस व्यय राशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक/पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मति मनीष कुमार व लेखाकार श्रीमति अनीता यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-32(4))

प्रस्तर-12(5) वर्ष 2018-19 में विभिन्न माहों में युवा कल्याण एवं अन्य मद में दिखाए व्यय का विवरण व प्रमाणक न होना। धनराशि रुपये 324177.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। इस प्रति श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 व लेखाकार श्रीमति अनीता यादव उत्तरदायी है। इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित दोनों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-32(5))

प्रस्तर-12(6) वर्ष 2018-19 में माह फरवरी व मार्च 2019 में युवा कल्याण एवं अन्य मद के स्थान पर बन्द हो चुकी इन्दिरा आवास मद में व्यय दर्शाया है। धनराशि रुपये 37000.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। इस प्रति श्री मनीष कुमार ख0वि0अ0 व लेखाकार श्रीमति अनीता यादव ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-32(6))

प्रस्तर-13(1) वर्ष 2018-19 में रू0 151442.00 के कराये-दिखाए कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र न होना कराए कार्य पर दिखाया भुगतान संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-33(1))

प्रस्तर-13(2) वर्ष 2018-19 में पाँच लाख से अधिक लागत के कार्यों की कार्य योजना का अनुमोदन जिला अधिकारी का एवं जिला पंचायत के अभियन्ता की तकनीकी स्वीकृति न पाया जाना। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। (सामान्य आपति सं0-33 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।)

(2))

प्रस्तर-13(3) वर्ष 2018-19 में शासनादेश के विरुद्ध अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के अन्दर कराया जाना। कुल धनराशि रुपये 3426209.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-33(3))

प्रस्तर-13(4) वर्ष 2018-19 में दस लाख से अधिक आंगणन के कार्य को तकनीकी स्वीकृति शासन से न लिया जाना तथा रुपये 3099510.67 के कराए गए कार्य से टी0डी0एस0 लेवर सैस व जी0एस0टी0 कटौती का सही स्थिति न ज्ञात होना। ठेकेदार से प्राप्त धरोहर भी अज्ञात रही। उत्तरदायी ख0वि0अ0, लेखाकार, अवर अभियन्ता तथा ब्लाक प्रमुख से नियमित किए व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-33(4))

प्रस्तर-13(5) वर्ष 2018-19 में कतिपय कराए गए कार्यों के किए भुगतान से जी0एस0टी0 कटौती की स्थिति ज्ञात न हो सकना तथा काटे गए जी0एस0टी0 के जमा किए जाने का प्रमाण न प्रस्तुत किया जाना। सम्बन्धित ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-33(5))

प्रस्तर-14 वर्ष 2018-19 में लेवर सैस कटौती की राशि सम्बन्धित निगम को भेजे जाने की पुष्टि में प्रमाणक न पाया जाना। कुल धनराशि रुपये 82453.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। सम्बन्धित ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-34)

प्रस्तर-15 वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस0 कटौती की राशि जमा का चालान आदि न पाया जाना। कुल धनराशि रुपये 166681.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। सम्बन्धित ख0वि0अ0 श्री मनीष कुमार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0-35)

प्रस्तर-16 वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर बैंक से मिले ब्याज को सरकार को न भेजा जाना। कुल धनराशि रुपये 1175277.00 की गम्भीर अनियमित पायी गयी है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन सम्बन्धित ख0वि0अ0 व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए उनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-36)

कुलयोग-20666280.00/-

2. क्षेत्र पंचायत छजलैट वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर संख्या 17- क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्त्वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग से कुल रु0 13965778.35 व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई निर्माण पत्रावली अथवा व्यय प्रामाणिक प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके प्रति प्रमुख श्रीमती लोकेश, विकास खण्ड अधिकारी श्री एस0 के0 उपाध्य, अवर अभियंता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्तरूप से उत्तरदायी है। इन धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या -1)

प्रस्तर संख्या-18 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2017-18 में निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि रु0 5868835.20 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा है। जिसके प्रति प्रमुख श्रीमती लोकेश, विकास खण्ड अधिकारी श्री एस के उपाध्याय अवर अभियंता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्तरूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या -2

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	645904.50
2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	118999.00
3	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	3954999.00
4	विभागीय कन्टीजेन्सी विद्युत बिल	51405.00
5	क्षेत्र निधि ब्याज	17.70
6	रोजगार सेवक मानदेय	766331.00
7	अवशेष जमानत	331179.00
	योग	5868835.20

प्रस्तर संख्या-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका 3 के अनुसार राज्य वित्त अनुदान से रुपया 6762825.80 व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 11 निर्माण पत्रावली पर कुल व्यय रु0 6290023.00 ही उपलब्ध रहा। शेष रुपया 47802.80 के व्यय संबंधित कोई भी निर्माण पत्रावली व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके प्रति प्रमुख श्रीमती लोकेश विकास खण्ड अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियंता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्तरूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या 3 क)

प्रस्तर संख्या -20 वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर काटा गया टीडीएस रु0 111548.00 जीएसटी 684748.00 रॉयल्टी रुपया शून्य सेस चार्ज रुपया 57125.00 कुल योग रुपया 853421.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके प्रति प्रमुख श्रीमती लोकेश विकास खण्ड अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय अवर अभियंता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्तरूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 3 ख)।

प्रस्तर संख्या -21 उपरोक्त शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्यों पर अधिकतम 50 प्रतिशत ही खर्च किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु0 7899252.00 है। जिसका 50 प्रतिशत रु0 3949626.00 होता है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर कुल व्यय रु0 6290023.00 किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्यों पर रु0 2340397.00 अधिक व्यय कर उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए प्रमुख श्रीमती लोकेश विकास खण्ड अधिकारी श्री एस के उपाध्याय अवर अभियंता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्तरूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 4 क)।

3. क्षेत्र पंचायत डिलारी वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या -22 क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग में कुल रूपया 2106235.00 व्यय किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई निर्माण पत्रावली अथवा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी अमीचन्द्र ब्लॉक प्रमुख पूरन देवी लेखाकार काशीराम वेदप्रकाश शर्मा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -23 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2017-18 में निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि रूपया 5317794.00 की पुष्टि में व्यय परमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी अमीचन्द्र ब्लॉक प्रमुख पूरन देवी लेखाकार काशीराम वेदप्रकाश शर्मा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	2375962.00
2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	165435.00
3	आयकर	91347.00
4	जमानत	90757.00
5	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	2594293.00
	योग	5317794.00

प्रस्तर संख्या -24 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका 3 के अनुसार राज्य वित्त अनुदान से रूपया 15163448.00 व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 25 निर्माण पत्रावली पर कुल व्यय रू० 12017101.00 ही उपलब्ध रहा। शेष रूपया 3146347.00 के व्यय संबंधित कोई भी निर्माण पत्रावली व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी अमीचन्द्र ब्लॉक प्रमुख पूरन देवी लेखाकार काशीराम वेदप्रकाश शर्मा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -25 वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यो पर काटा गया टीडीएस रू० 216136.00 जीएसटी 1258891.00 रॉयल्टी रूपया शून्य सेस चार्ज रूपया 104940.00 कुल योग रूपया 1579967.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी अमीचन्द्र ब्लॉक प्रमुख पूरन देवी लेखाकार काशीराम वेदप्रकाश शर्मा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -26 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि रूपया 10767278.80 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी अमीचन्द्र ब्लॉक प्रमुख पूरन देवी लेखाकार देवेन्द्र सिंह मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	1911590.00
2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	705375.80
3	निविदा बिक्री	25595.00
4	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	805744.00
5	विद्युत बिल	67274.00
	योग	10767278.80

योग -22917621.80

4. क्षेत्र पंचायत बिलारी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या -27 वर्ष 2017-18 में 12 प्रतिशत जीएसटी रू० 459431.43 तथा वर्ष 2018-19 में रू० 437960.68 इस प्रकार कुल धनराशि रू० 897392.11 का भुगतान दर्शाया गया है। किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं किया गया है। इस प्रकार रू० 897392.11 की गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख - श्री अनोखे लाल, खण्ड विकास अधिकारी - श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, श्री सुधा आर्या, श्री के के सिंह, श्री योगेन्द्र लाल भारत, श्री नरेश कुमार, श्री सुशील कुमार उपाध्याय, श्री

आसिफ फैज , श्री राजेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री राजवीर सिंह , श्री ज्ञान प्रकाश, श्री विजेन्द्र सिंह तथा अवर अभियंता श्री अरविन्द कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –28 वर्ष 2017-18 में शासनादेशानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर कार्य न कराकर ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर रुपये 3390667.20 का कार्य किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख – श्री अनोखे लाल, खण्ड विकास अधिकारी – श्री दिनेश कुमार अग्रवाल , श्री सुधा आर्या, एवं लेखाकार श्री राजवीर सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 वर्ष 2017-18 में शासनादेशानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर कार्य न कराकर ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर रुपये 1841843.00 का कार्य किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी – श्री दिनेश कुमार अग्रवाल , श्री सुधा आर्या, श्री के के सिंह , श्री योगेन्द्र लाल भारत, श्री नरेश कुमार, श्री सुशील कुमार उपाध्याय, श्री आसिफ फैज , श्री राजेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री राजवीर सिंह , श्री ज्ञान प्रकाश, श्री विजेन्द्र सिंह तथा अवर अभियंता श्री अरविन्द कुमार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30

अ- वर्ष 2017-18 में बैंक खाता नंबर 56410100000823 से आहरण की गई धनराशि रुपये 341036.00 के व्यय से सम्बन्धित लेखा अनुदान रजिस्टर तृतीय में न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

ब- वर्ष 2018-19 में बैंक खाता नंबर 56410100000823 से आहरण की गई धनराशि रुपये 147786.00 के व्यय से सम्बन्धित लेखा अनुदान रजिस्टर तृतीय में न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –31 आलोच्य वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्षेत्र पंचायत बिलारी को उसके राज्य वित्त आयोग/ तेरहवां वित्त आयोग के भारतीय स्टेट बैंक बिलारी में खुले हुए खाता नंबर 10813985489 में जमा अनुदान पर रु0 514183.00 प्राप्त हुआ था परन्तु अर्जित ब्याज सरकार को नहीं भेजा जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

5. क्षेत्र पंचायत कुन्दरकी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-32 ग्रांट रजिस्टर 3 में इन्द्रा आवास योजना आय का योग रु0 10000.0 कम दिखाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 ग्रांट रजिस्टर 3 में बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज रुपया 17681.00 प्रथक से न दिखाकर खर्च किया जाना व सरकार को न भेजा जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 वर्ष 2017-18 में सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राप्त अनुदान में से रु0 45000.00 के व्यय प्रमाणक न होने के कारण यह दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री अनुराग भटनागर खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 मनरेगा कंटीजेंसी योजना के अन्तर्गत रू0 2329250.00 तथा इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत रू0 90250.00 बैंक से आहरण किये गये थे। इस प्रकार कुल 2419500.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावली प्रस्तुत न करना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36

अ-बीडीसी सदस्यों को दिये टी0ए0 रू0 112000.00 सम्बन्धित देयक व प्राप्ति रसीद न होना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदाई है।

ब-राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रुपये 163480.00 के व्यय प्रमाणक पत्रावलियों न पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदाई है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 मनरेगा योजना कंटीजेंसी व इन्द्रा आवास / प्रधानमंत्री आवास कंटीजेंसी मद में रुपये 2403874.04 व्यय राशियों के प्रमाणक / पत्रावलियों न उपलब्ध होना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री विजेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदाई है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 गौ वंश आश्रय स्थल हेतु खर्च रू0 5400.00 अनुदान के प्रमाणक न होना दुरुपयोग की श्रेणी में तथा बैंक में जमा अनुदान पर अर्जित ब्याज रू0 336.00 सरकार को न भेजा जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री योगेन्द्र लाल भारत खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 वर्ष 2018-19 में सामूहिक विवाह योजना पर दर्शित व्यय रुपये 2386456.50 के प्रमाणक / पत्रावलियों न प्रस्तुत किया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री अनुराग भटनागर खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री योगेन्द्र लाल भारती खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 5 लाख से अधिक अनुमानित लागत की परियोजना की कार्ययोजना का अनुमोदन, अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में कराया जाना जबकि दो कार्यो को लाभान्वित करने के लिए निर्माण कार्य करवाया जाना था अधिकांश कार्य से सम्बन्धित फोटोग्राफ न होना , आमंत्रित निविदायें सीलड लिफाफों में न होना, इस प्रकार इन चार कार्यो की समाप्ति तिथि का उल्लेख न होना व उनके कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी न होना से सम्बन्धित रू0 1890750.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री योगेन्द्र लाल भारत खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुरेश कुमार लेखाकार, श्री नासिर अहमद अवर अभियंता उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 लेबर सेस उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निगम को भेजे जाने का प्रमाण न होना से सम्बन्धित रू0 165013.00 गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -42 टीडीएस रू0 366287.00 कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में चालान आदि न पाया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 जीएसटी रू0 1980176.00 वर्ष 2018-19 में काटा गया था जिसका कोषागार में जमा का प्रमाण नहीं पाया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्राप्त बैंक में जमा रहें अनुदान पर प्राप्त ब्याज रुपये 793683.00 सरकार को न भेजा जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

योग-12759637.00

6. क्षेत्र पंचायत भगतपुर टांडा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-45 मनरेगा प्रशासनिक मद का माह मई 2017 को अनुदान रू0 64926.55 पंजिका तीन में अवशेष अनुदान जून 2017 में ग्रांट फारवर्ड न करके अपहरण किया जाना। जिसके लिए श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी व शेष भटनागर लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रू0 8907203.00 से कराये गये सभी कार्य आपत्ति में दिये गये तथ्यों के आधार पर संदिग्ध होने की दशा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी , अवर अभियंता , ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -47 तैरहवें वित्त आयोग का अप्रयुक्त / अवशेष अनुदान रू0 6055.29 सरकार को वापिस न करके राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के साथ जोड़ा जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी , लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48

अ-बालिका सा0 योजना, रा0ग्र0प0 जांच व रा0ग्र0प0 का गत शेष अनुदान रू0 67749.92 अगले वर्ष अप्रैल 2018 में सरकार को वापिस न करके व्यय दिखाना व प्रमाणक भी न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ब-सामूहिक विवाह योजना पर वर्ष 2017-18 में रू0 875000.00 तथा 2018-19 में रू0 3771000.00 व्यय दर्शित राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी , लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49

अ-ब्याज मनरेगा खाता व मनरेगा प्रशासनिक खाता पर प्राप्त रुपये 16904.73 सरकार को न भेजकर व्यय किया जाना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी , लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ब- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की बैंक जमा पर प्राप्त रू0 1336.00 सरकार को न भेजकर व्यय किया जाना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी , लेखाकार उत्तरदायी है।

योग - 13710175.49

7. क्षेत्र पंचायत ठाकुरद्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-50 वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के व्यय रू0 272528.25 सम्बन्धित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ0 एवं श्री देवेन्द्र कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 वित्त वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों से काटा गया टीडीएस, जीएसटी, रॉयल्टी, सेस चार्ज रू0 316448.00 राज कोष में जमा सम्बन्धि प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ0 एवं श्री देवेन्द्र कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52

अ-वित्त वर्ष 2017-18 अन्य विभिन्न मदों पर रू0 5192708.00 व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ0 एवं श्री देवेन्द्र कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 वित्त वर्ष 2018-19 में शेष राज्य वित्त के रू0 5040833.68 व्यय सम्बन्धित निर्माण पत्रावली / व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह

वी0डी0ओ0 एवं श्री वेदप्रकाश शर्मा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी है।

प्रस्तर संख्या-54 वित्त वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों से काटा गया टीडीएस, जीएसटी, रॉयल्टी, सेस चार्ज रु0 655037.00 राज कोष में जमा सम्बन्धि प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ0 एवं श्री वेदप्रकाश शर्मा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 वित्त वर्ष 2018-19 अन्य विभिन्न मदों पर रु0 19998787.04 व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ0 एवं श्री वेदप्रकाश शर्मा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 वित्त वर्ष 2017-18 में ग्राम सभा के अंदर रुपये 2897924.00 के अनियमित रूप से कार्य कराये गये हैं। जिसके लिए श्रीमती प्रेमलता, श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ एवं श्री निर्मल कुमार अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 वित्त वर्ष 2018-19 में ग्राम सभा के अंदर रुपये 3420943.00 के अनियमित रूप से कार्य कराये गये हैं। जिसके लिए श्रीमती प्रेमलता, श्री आर पी सिंह वी0डी0ओ एवं श्री निर्मल कुमार अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **योग-377952208.97**

प्रारूप-3

जनपद का नाम- रामपुर

मण्डल का नाम-मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत- बिलासपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2017-18

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 1- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार अन्य मद में रु0 200000.00 वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए थे। रु0 121.00 गतवर्ष के शेष थे। जबकि वर्ष आडिट में रु0 1000.00 खर्च कर दिया गया। लेखा परीक्षा में रु0 1000.00 व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाया गया। प्रमाणक न होने व व्यय का स्पष्ट विवरण न होने के कारण दर्शित व्यय काल्पनिक है। जिसकी ख0वि0अ0 व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 2- आलोच्य वर्ष में कराए गये कार्यों हेतु किए गए भुगतान पर टी0डी0एस0 कटौती रु0 86153.00 की गई थी। जिसे दौरान साल जमा न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक रहा। समायन्तर्गत आयकर कटौती की राशि कोषागार में न जमा कराए जाने के लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इस प्रति उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3- माह दिसम्बर 2017 में रायल्टी रु0 6748.00 किए गए भुगतान से काटी गई थी। इस कटौती की गई रायल्टी की राशि को साल अन्दर कोषागार में जमा नहीं किया गया। रायल्टी की काटी गयी धनराशि को चालू वर्ष में माह अप्रैल 2018 में भी जमा नहीं किया गया था। प्राप्त जमा राजस्व को ससमय कोषागार में न जमा किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए लेखाकार व तत्कालीन ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। इस प्रति उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 4- वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मध्य रु0 4766403.00 बैंक से आहरण व व्यय किया गया था। किन्तु लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कराए गए कार्यों की पत्रावलियां जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं। वर्क रजिस्टर भी देखने को नहीं मिला। पत्रावलियां न प्रस्तुत किए जाने के लिए लेखाकार श्री सुदेश कुमार उत्तरदायी है। पत्रावलियां/प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना आहरण की की गई धनराशि का दुरुपयोग अथवा अपहरण किया जाना प्रकट करता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 5-आदर्श जलाशय निर्माण हेतु क्षेत्र पंचायत को गतवर्ष में प्राप्त धनराशि मध्य रु0 234906.00 वर्षारम्भ में था। दौरान साल आडिट इस मद में न तो कोई राशि प्राप्त हुई और नहीं व्यय की गई। अतः वर्षान्त में यथावत् रु0 234906.00 जमा रहे। आदर्श जलाशय हेतु प्राप्त अनुदान से सम्बन्धित शर्तें/निर्देश नहीं पाए गए। इस राशि के अप्रयुक्त रहने की दशा में सरकार को वापस न भेजा जाना आपत्तिजनक

रहा। इस राशि को सरकार को वापस न किए जाने के लिए तत्कालीन ख०वि०अ० व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 6— आलोच्य वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत बिलासपुर को उसके बैंक में खुले हुए विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान के खातों में निम्नलिखित विवरणानुसार बैंक में जमा अनुदान पर कुल रु० 391344.00 ब्याज प्राप्त हुआ था। गतवर्ष का शेष ब्याज रु० 178055.00 था जो वर्ष पर्यन्त बैंक में जमा रहा।

क्र०सं०	बैंक का नाम व खाता संख्या	गतवर्ष का शेष	वर्ष में प्राप्त	व्यय	वर्षान्त में अवशेष	अभ्युक्ति
1	बैंक ऑफ बड़ौदा 33630100000410	122670.00	372439.00	—	495109.00	—
2	कार्पोरेशन बैंक 128300101001742	4747.00	16731.00	—	14478.00	गणनानुसार रु० 21478.00 शेष आता है। अन्तर रु० 7000.00
3	भारतीय स्टेट बैंक 11156675384	50638.00	2174.00	—	52812.00	
	योग—	178055.00	391344.00	—	562399.00	
					569399.00	गणनानुसार अन्तर

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दि० 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 7—ग्रान्ट रजिस्टर की जांच में पाया गया कि माह मई 2017 में कार्पोरेशन बैंक खाता नं०128300101001742 ब्याज गत शेष रु० 9604.00 था जिसमें रु० 9385.00 और ब्याज प्राप्त दिखाया है। इस प्रकार कुल ब्याज रु० 18989.00 जमा रहा। जबकि ग्रान्ट रजिस्टर में दिखाया मात्र रु० 11989.00 ही है। अन्तर रु० 7000.00 से मासान्त में ब्याज अवशेष कम दिखाया है। अवशेष कम दिखाना प्रकट करता है कि ब्याज रु० 7000.00 बैंक से निकालकर ख०वि०अ० व लेखाकार द्वारा निजी हित में खर्च कर लिया गया है जिस प्रति उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं उनसे उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8—दिनांक 01.04.2017 को बूथ निर्माण हेतु गतवर्ष की शेष राशि रु० 7860.00 थी जिसे निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् जिस श्रोत से यह राशि प्राप्त हुई थी, निर्वाचन के बाद शेष रही यह राशि उसे तुरन्त वापस कर देनी चाहिए थी किन्तु ऐसा न करके तथा इस राशि को रोककर के गम्भीर अनियमितता की गई है। अविलम्ब इस राशि को वापस किया जाना अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित धन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9—बैंक अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित चेकों द्वारा आलोच्य वर्ष में मजदूरी का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। जिससे बैंक से आहरण की गई राशि के दुरुपयोग अथवा अपहरण किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्र०सं०	चेक नं० व दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पद	अभ्युक्ति
1	274 / 08.05.2017	167760.00	श्री अतर सिंह ग्रा०वि०अ०	ग्राम मुण्डिया खुर्द में निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान
2	279 / 24.05.2017	86880.00	श्री सुरेश कुमार गुप्ता, ग्रा०वि०अ०	
3	282 / 26.05.2017	26640.00	श्री संजीव तोमर, ग्रा०वि०अ०	खडंजा निर्माण हेतु लेवर का भुगतान

4	294 / 27.07.2017	17775.00	श्री धर्मानन्द, ग्राव वि०अ०	
5	298 / 27.07.2017	25248.00	श्री कुलदीप भटनागर, ग्रा०वि०अ०	ग्राम अलीनगर कोटा में 200 मीटर खडंजा, लेवर भुगतान
6	310 / 20.09.2017	102761.00	श्री आलोक कुमार, ग्राव वि०अ०	ग्राम गोकुल नगरी में खडंजा निर्माण हेतु लेवर भुगतान।
7	308 / 20.09.2017	93756.00	—तदैव—	ग्राम फुलसुंधा में मजदूरी भुगतान
8	306 / 20.09.2017	74940.00	श्री कुलदीप भटनागर, ग्रा०वि०अ०	ग्राम सिरसखेड़ा में मजदूरी भुगतान
9	310 / 20.09.2017	102761.00	श्री आलोक कुमार, ग्राव वि०अ०	ग्राम गोकुल नगरी में खडंजा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।
योग—		698521.00		

उपरोक्त मजदूरी की राशि को भुगतान न करने के लिए तत्कालीन ख०वि०अ०, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी व लेखाकार उत्तरदायी। इस प्रति उनके विरुद्ध ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप—3

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— सैदनगर

लेखा परीक्षा वर्ष —2017—18

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 10—संस्था द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोषवही उपलब्ध नहीं करायी गयी। नियमानुसार अनिवार्य है।

प्रस्तर 11 किसी भी अधि०/कर्म० द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आहरण न भुगतान के दृष्टिगत वाद में पत्रावली तैयार की गयी है। यहां तक कि पत्रावली में जो नोटशीट पायी गयी वह प्रिंटेड है उसी में केवल रिक्त स्थान छोड़ दिये गये हैं जो नाम और चैक नम्बर तथा सामग्री मूल्य नाम समान वाद में भर दिया गया है। भाषा शब्द एवं समान है। प्रिंटेड नोटशीट में ये उल्लिखित है कि कार्य प्रगति का स्थलीय निरीक्षण व माप करायी गयी और उसी आधार पर पेमेन्ट किये गये किन्तु किसी भी पत्रावली में किया भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट माप आख्या संलग्न नहीं है और समय पर प्राप्त प्रमाणकों का भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 12—(1) शासनादेशों के विपरीत निर्माण कार्य करना तथा मस्टररोल से मजदूरों को भुगतान न कर निर्माण कार्य प्रभारियों को भुगतान करना रु० — 845654

क्र०सं०	वर्ष	कुल कार्यों की संख्या	धनराशि
1	2017—18	05	945654

उक्त मस्टररोल से भुगतान मजदूरों का न कर निर्माण प्रभारी को किये गये हैं, जो गम्भीर आपत्ति है। पत्रावलियों में मस्टररोल पाये गये हैं। उन पर मस्टररोल नं० भी अंकित नहीं और कतिपय मजदूरों के सामने अंगूठा निशान पाये तो व भी प्रमाणित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। अतः मस्टररोल संदिग्ध प्रतीत होते हैं। उपरोक्त निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग व 13 वें वित्त आयोग के अनुदान से कराया गया है, में निम्न शासनादेशों व नियमों व अधिनियमों का भी पालन नहीं किया गया है।

(11) शासनादेश सं० 866/23—23—02—14—93 श्री/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग—2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायत को जोड़ने वालों का कार्य सम्पादित करेगी। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की

सड़कों का निर्माण (ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) कर रहा था। जो अतः नियमों के विपरीत है। संप्रेक्षों में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूपक कार्य कराये गये हैं। उधर मान्य नहीं है। क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों को पालन नहीं किया गया है। प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में बताया जाता है।

(111) राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना। उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.07.2004 के अनुसार क्षेत्रपंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को स्थापित करने वाले कार्यों का किंगयान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हो। परन्तु क्षेत्र पंचायतों के अभिलेखों के सापेक्ष (हल 05 वर्षों) में पाया गया है कि राज्य वित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय पर किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 13—आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से सी0सी0एस0(आयकर) गेट तथा रायल्टी की निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण रू0—1325770.00 का राजस्व हानि—

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 194 सी0 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी व स्थानीय प्राधिकारी या महानगर एवं मार्गों के विकास योजना एवं वेस्तरी के लिए किसीनियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्राधिकारी एवं किसी ठेकेदार के मध्य हुए ठेके के लिए भुगतान करता है तो उसे भुगतान की जाने वाली से निर्धारित दर से आयकर की कटौती करनी होगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कोई के सर्कुलर सं0 558 दिनांक 28.03.1990 के अनुसार ठेकेदार में आपूर्तिकर्ता भी शामिल है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 271 सी के अनुसार यदि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान करते समय पूर्ण या आंशिक आयकर की कटौती नहीं करता है तो उस पर उतनी ही राशि की व्यक्ति आरोपित की जायेगी, जितनी की उसके द्वारा कटौती की जानी है। और उसने नहीं की। इसी प्रकार वैट अधिनियम 2008 की धारा 24 के अनुसार वैट की कटौती भी समय समय पर प्रचलित दर से नियमानुसार की जायेगी लेखा परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता से आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत कटौती की गयी दर्शित है और वैट में 4.00 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्न है

क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी कटौती व भुगतान							आडिट के अनुसार वैट 4 प्रतिशत की दर से
क्र0 सं0	वर्ष	सामग्री का मूल्य	सी0 डी0ए स0	कटौती की गयी वैट	रायल्टी	शुद्ध भुगतान	वैट
01	2016 —17	3314267.25	66410	130472	36312	308161	132570.69
	योग	3314267.25	66410	130472	36312	308161	132570.69

उक्तानुसार पूर्ण सामग्री पर न तो व्यापार कर से सम्बन्धित बाउचर प्रस्तुत किये गये और 4 प्रतिशत की दर से वैट रू0 132570.69 होता है। जबकि कटौती रू0 130472 की गयी है। अतः अन्तर रू0— 2098.69 न कर राजस्व की हानि की गयी हैं

(11) उक्त वैट कटौती रू0 130472 से सम्बन्धित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त 132570.69+130472=263042.69

सम्बन्धित से वसूल ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 14—राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रू0— 170680 शासनादेश सं0—ए—122/10—2012—10(33)2010 वित्त/लेखा अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—1 के शासनादेश सं0 बी—4—564/10—7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं नियमों को शासन अवयुक्त धनराशियों बैंक में जमा की जाती है। तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि

संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है एवं अर्जित ब्याज की राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क्र० सं०	वर्ष	ब्याज
1	2017-18	170680

उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। उक्त की ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करते हुए प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

प्रस्तर 15—बैंक खाता सं०—14720100004157 के अनुसार निम्नुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तांतरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली /विधिक कार्यवाही ब्लॉक प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
2017-18	14.06.2017	524430	78816	कैश
	30.06.2017	0002	600000	गोल्डन एंटर
	06.07.2017	0005	17722	एसबीआई
	06.07.2017	0004	42412	एसबीआई
	06.07.2017	0003	73739	एसबीआई
	19.07.2017	15	1012100	गोल्डन गेट
	05.08.2017	62	50508	एसबीआई
	05.08.2017	63	17480	एसबीआई
	05.08.2017	64	54842	एसबीआई
	30.09.2017	66	59500	कैश
	16.09.2017	70	1126115	गोल्डन एंटर
	18.09.2017	68	6149	अमन
	18.09.2017	69	8135	अमन
	18.09.2017	77	59500	अमन
	23.03.2017	78	3500	विपिन कुमार
	26.03.2017	80	6300	सैदना
			3216918	

रामपुर।

प्रारूप—3

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत—मिलक

लेखा परीक्षा वर्ष—2017-18

प्रस्तर 16—दि० 24.04.2017 को चैक न० 195 से रू० 87660.00 का भुगतान माननीय श्री प्रमोद कुमार ब्लॉक प्रमुख जी को किया गया है। जो कि 18 मार्च 2016 से 31.03.2017 तक के बावत मानदेय दिया गया इसे एक मुश्त क्यों दिया गया प्रतिमाह क्यों नहीं दिया गया। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा वित्तीय नियम के सिद्धान्त का उचित पालन नहीं किया जा रहा है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 17—दि० 31.01.2018 को चैक न० 319 से रू० 63000.00 का भुगतान माननीय श्री प्रमोद कुमार बैंक प्रमुख जी को किया गया है। जो कि बाबत यात्रा भत्ता दिया गया जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी यात्रा भत्ता प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट एवं अधिभार योग्य है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 18—दि० 17.06.2017 को चैक सं 303 से रू० 231535.00 का भुगतान जय श्री वाला जी ब्रिक फील्ड को बाबत ईट खरीद जगन्नाथपुर में बरेली बार्डर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु किया गया जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा रू० 231525.00 का ही बिल दिया गया अतः रू० 10.00 से अधिक भुगतान किया गया। जिसे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 19—दि० 07.07.2017 को चैक सं० 305 से रू० 59499.00 का भुगतान श्री मुबारक शाह को बाबत मिट्टी भरव कार्य जगन्नाथपुर में बरेली बार्डर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु किया गया जबकि भुगतान प्राप्तकर्ता मात्र ट्रेक्टर मालिक है। अतः लेखा परीक्षा में मिट्टी भराव सम्बन्धी कोई प्रपत्र (कितने क्यूबिक/कितनी ट्राली मिट्टी) प्रस्तुत नहीं किये गये। क्या ट्रेक्टर कृषि कार्य में अथवा व्यवसायिक कार्य के लिये रजिस्टर्ड था इसका भी उल्लेख नहीं मिला अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट एवं अधिभार योग्य है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 20—दि० 13.09.2017 को चैक सं० 310 से रू० 1082229.00 का ट्रांसफर बी एम मिलक के नाम किया गया दर्शित है। उक्त धनराशि किस बाबत व क्यों ट्रांसफर की गयी। के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट एवं अधिभार योग्य है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 21—मस्टर रोल के मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारियों को:— वर्ष 2017-18 में गत वर्ष के निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन रू० 2719267.00 रू० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके संलग्न तालिका 01 के अनुसार सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उपर पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 3085723.00 जो कि वर्ष 2017-18 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित भुगतान किया गया है। और रू० 366456.00 श्रमांश की पत्रावलियां लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहीं या फिर डबल भुगतान किया गया जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख आदि समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र०सं०	धनराशि कुल श्रमांश	धनराशि पत्रावली अप्राप्त	धनराशि का भुगतान प्रभारियों को
2017-18	3085723.00	366456.00	2719267.00

प्रस्तर 22—निम्नलिखित तालिका के अनुसार कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा मस्टर रोल पर कुछ मजदूरों को एक ही दिनांक में दो-दो बार मजदूरी दर्शाकर डबल भुगतान किया गया है। अतः रू० 55104.00 की वसूली कार्य प्रभारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम क्योरार स्थित प्राथमिक विद्यालय से मौ०पुर जदीद में दीन दयाल मौर्य के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य (वर्ष 2016-17 का अवशेष भुगतान)	ग्राम बेहटा में आगनवाडी केन्द्र से नदी की ओर सुरक्षा दीवार एवं सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य (वर्ष 2016-17 का अवशेष भुगतान)
दि० 06.01.2017 से 14.01.2017 में 06. दिन दि० 06.01.2017 से 17.01.2017 में 10 दिन 1- श्री अमर सिंह (मजदूर) 1- श्री सोमपाल (राज) 2- श्री भूप सिंह ,, 2- श्री भानू प्रताप ,, 3- श्री देवदत्त ,, 3- श्री	दिन० 13.02.2017 से 27.02.2017 में 11 दिन दिन० 13.02.2017 से 22.02.2017 में 08 दिन 1- श्री असलम (राज) 2- श्री नाजिम ,, 3- श्री सोमपाल ,, 4- श्री चन्दन ,, अतः 04 राज मिस्त्री द्वारा 400 की दर से

नाजिम 4-श्री सन्तोष " 4- श्री नरेश 5- श्री जवर सिंह " 5- श्री बाबू " 6- श्री ओवेन्द्र " 6- श्री अली अहमद 7-श्री राम औतार " 7- श्री वीरपाल 8- श्री वीर सिंह " 8- श्री जलील 9- श्री सुनील कुमार " 10- प्रमोद कुमार 11- श्री वीरपाल " 12- मौ0 यासीन अतः 12 मजदूरों द्वारा 174 की दर से 10 दिन के कार्य हेतु 174 (मजदूरी) × 12 (मजदूर) × 10 दिन =20680 08 दिन के कार्य हेतु 174 (मजदूरी)×12 (मजदूर) × 08 दिन =16704 उक्त मजदूरों को भुगतान किया गया कुल धनराशि 37584 अतः 08 राज मिस्त्री द्वारा 400 की दर से अधिकतम 10 दिन के कार्य हेतु 400 (मजदूरी)×8 (राज) × 10 दिन =32000 08 दिन के कार्य हेतु 400 (मजदूरी)×8 (राज) × 08 दिन =25600 57600 37584+57600=95184 का भुगतान किया गया जबकि ऊपर लिखित मजदूरों को इन्ही दिनांक में दुवारा मजदूरी दर्शाकर फर्जी मजदूरी दी गयी जबकि वाजिव मजदूरी 20880+32000=52880 अतः अधिक भुगतान 95184-52880=42304 वसूली कार्य प्रभारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।	11 दिन के कार्य हेतु 400 (मजदूरी)× 04(राज) × 11 दिन =17600 08दिन के कार्य हेतु 400 (मजदूरी)× 04(राज) × 08 दिन =12800 उक्त राज मिस्त्री भुगतान किया गया कुल धनराशि =30400 17600+12800=30400 का भुगतान किया गया जबकि उपर लिखित मजदूरों को इन्ही दिनांक में दुवारा मजदूरी दर्शाकर फर्जी मजदूरी दी गयी जबकि वाजिव मजदूरी 17600 अतः अधिक भुगतान 30400-17600=12800 की वसूली कार्य प्रभारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

$$42304-00+ 12800-00= 55104.00$$

प्रस्तर 23—31.03.2017 वर्षान्त में अनुदान पंजिका में अवशेष धनराशि रू0 12308789.49 दर्शाया गया है जबकि 01.04.2017 को रू0 11498461.49 दर्शाया गया है अतः रू0 810328.00 (यह धनराशि दुकान किराया आदि से संबंधित है जिसे वर्ष दौरान अनुदान पंजिका में सम्मिलित नहीं किया गया) से अन्तर अनुदान पंजिका में रहा इसकी वसूली संबंधित कर्मचारी /अधिकारी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम— रामपुर
क्षेत्र पंचायत—चमरौआ

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष —2017—18

प्रस्तर 24—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:— वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 823510.00 रु (आठ लाख तेईस हजार पांच सौ दस रु0 मात्र) मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके, कार्य प्रभारियों को किया गया है, जो निम्न है।

क्रम	कार्य प्रभारी	धनराशि
1	राम सिंह	64310.00
2	सतीश कुमार	318320.00
3	संजीव तोमर	69360.00
4	सलीम हुसैन	176400.00
5	सलीम हुसैन	195120.00

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये हैं, उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। मस्टर रोल पर प्राप्त निशानी अंगूठा अंकित है, यह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है।

अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारण कर अपहरण की संभावना बनती है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0- 04)

प्रस्तर 25—आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3232699.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 129307.96 की बैट की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 77657.00 बैट की कटौती की गई है। इस प्रकार 129307.96-77657.00= 51650.96 की कम बैट कटौती कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 51650.96 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 04)

प्रस्तर 26—बैंक खाता संख्या 31083411719 के अनुसार नियमानुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी/पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
1	04.17	248341	6278.00	क्लीयरिंग चैक
2	04.17	248356	82636.0	क्लीयरिंग चैक
3	04.17	248357	87804.00	क्लीयरिंग चैक
4	04.17	248360	63679.00	ट्रांसफर
5	04.17	248359	36327.00	ट्रांसफर
6	10.4.17	248361	95320.00	लक्ष्मी सेल्स कार्पोट्स
7	18.04.17	248362	115890.00	सात्विक
8	24.04.17	248363	34796.00	क्लीयरिंग चैक
9	24.04.17	248364	78843.00	क्लीयरिंग चैक
10	8.05.17	248367	10000.00	क्लीयरिंग चैक
11	17.05.17	248365	8078.00	क्लीयरिंग चैक
12	17.05.17	248366	10172.00	क्लीयरिंग चैक
13	22.05.17	248368	10000.00	हरस्वरूप
14	22.06.17	248373	66176.00	हरस्वरूप
15	22.06.17	248374	100513.00	हरस्वरूप
16	22.06.17	248376	78626.00	हरस्वरूप
17	23.06.17	248375	39176.00	ट्रांसफर
18	23.06.17	248377	90876.00	ट्रांसफर
19	01.07.17	905653	59500.00	हरस्वरूप

20	03.07.17	905654	804480.00	ट्रांसफर
21	06.07.17	905652	605270.00	ट्रांसफर
22	17.07.17	905656	568190.00	ट्रांसफर
23	19.07.17	905658	64473.00	ट्रांसफर
24	19.07.17	905657	42316.00	ट्रांसफर
25	19.07.17	905659	53290.00	ट्रांसफर
26	02.08.17	905662	329418.00	ट्रांसफर
27	05.08.17	905660	4000.00	क्लीयरिंग चैक
28	04.08.17	905666	28625.00	क्लीयरिंग चैक
29	03.10.17	905673	63000.00	क्लीयरिंग चैक
30	31.10.17	905674	27436.00	जागरण प्रकाशक
31	08.11.17	905677	68533.00	ट्रांसफर
32	29.12.17	905678	59500.00	हरस्वरूप
		योग	3793321.00	

प्रस्तर 27—ग्राम वग्गी से किशन लाल के घर से ददू के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण में, पटाई के लिए मिट्टी ढुलाई (बुग्गी से) कराया जाना दर्शित है। जिसका भुगतान दिनांक दिनांक 21.07.18 को चैक सं0 905684 द्वारा रू0 4598.00 (चार हजार पांच सौ अठ्ठानवे रू0 मात्र) किया जाना दर्शित है। परन्तु आवश्यक मिट्टी की मात्रा एवं उस पर भुगतान रायल्टी की कटौती से संबंधित तथ्य अज्ञात रहे। अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण उक्त भुगतान की राशि अनुपस्थित रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0— 18)

प्रस्तर 28—रू0 63809.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 2784.60 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि— वर्ष 2017—18 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 63809.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3232699.00 की दर्शित है। पर 2.06 की दर से रू0 66593.60 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 2784.60 कम काटकर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय जुर्माने के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 63809.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालन/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं किया गया। इस ओर कर्मचारी अधिकारी से उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0— 23)

प्रारूप—3

जनपद का नाम— रामपुर
क्षेत्र पंचायत—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष —2017—18

प्रस्तर 29— शासनादेश संख्या ए—1—122/दस—2012—10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जाम करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2017—18 में ग्राम निधि 4 खाता सं0 07220100018129 के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रू0 15244.00 ब्याज कमाया गया है। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किये जाने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 30—बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतातन किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
27.04.2018	609	43155.00	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौहान
27.04.2018	610	6000.00	श्री चन्द्रशेखर
29.05.2018	623	54043.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0 शाहबाद एल सी न0 1314
29.05.2018	622	96509.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0 शाहबाद एल सी न0 1314
01.06.2018	627	90108.00	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौहान
21.06.2018	605	14908.00	बालाजी जी ब्रिक
31.07.2018	626	80100.00	श्री राजेन्द्र उर्फ मैकूलाल
27.04.2018	608	20601.00	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौहान
योग		405424.00	

प्रस्तर 31—आलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका में दर्शित निर्वाचन मद में रु0 9930.00 का व्यय/उपभोग दर्शित है। उपभोग की गयी धनराशि से संबंधित अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 32—आलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका में दर्शित ब्याज मद में रु0 1497.35 का व्यय/उपभोग दर्शित है। उपभोग की गयी धनराशि से संबंधित अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33—आलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका में दर्शित प्रधानमंत्री आवास का0. मद में रु0 8598.00 का व्यय/उपभोग दर्शित है। उपभोग की गयी धनराशि से संबंधित अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34—आलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका में दर्शित मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में रु0 4525127.00 का व्यय/उपभोग दर्शित है। उपभोग की गयी धनराशि से संबंधित अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :- सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष -2018-19

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण -

1. क्षेत्र पंचायत- पवांसा वर्ष 2018-19 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-01

(1)कार्य योजना में स्वीकृत कार्यस्थल पर कार्य कराया न दिखा कर अन्यत्र कराया दिखाया है। साइट मैप प्लान, कार्य प्रभारी का मै0 शिव ब्रिक वर्क्स को ईट क्रय का भुगतान हेतु बी0डी0ओ0 को लिखा पत्र साक्ष्य के रूप में है। पत्रावली भिन्न कार्य हेतु तैयार करने के बाद कार्य योजना में स्वीकृत कराया दिखाया था। धनराशि 114740.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-2(अ)-1)

(2)कार्य योजना में सी0सी0 टाईल लिखा है किन्तु मस्टर रोल सी0सी0 टाईल्स व नाली निर्माण का है। कार्य प्रभारी को ज्ञात नहीं था कि क्या कार्य कराना है। कार्य पर खर्च सभी तथ्य को देखते हुए व्यय संदिग्ध है। धनराशि 501067.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0, श्री मुल्की सिंह, सहायक

लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-२)

(3) कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 80055.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-३)

(4) कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 179157.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-४)

(5) कार्य योजना में कार्य स्वीकृत नहीं है। कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 262058.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-५)

(6) स्वीकृत कार्ययोजना में केवल खड्जा निर्माण कार्य लिखा है तथा नाली निर्माण नहीं लिखा है, जबकि कार्य प्रभारी द्वारा बी०डी०ओ० को निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को चेक जारी करने हेतु लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से नाली खड्जा निर्माण पूर्ण होना लिखा है। मस्टररोल पर निशानी अगूठे समान है। कार्य होते समय व कार्य पूर्ण होने का कोई फोटोग्राफ नहीं है व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। धनराशि 116466.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-६)

(7) मस्टररोल पर लगे निशानी अगूठे समानता है। ट्रैक्टर किराया सहित श्रमिकों को श्रमांश सीधे न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया है। कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 127862.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-७)

(8) मस्टररोल पर लगे निशानी अगूठे समानता है। ट्रैक्टर किराया सहित श्रमिकों को श्रमांश सीधे श्रमिक/ट्रैक्टर स्वामी न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया है। कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 180420.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-८)

(9) स्वीकृत कार्य योजना में इन्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य था। जबकि खर्च का स्टीमेट बढ़ाने के लिए नाली निर्माण और जोड़ दिया गया था। ट्रैक्टर किराया सहित श्रमिकों को श्रमांश सीधे श्रमिक/ट्रैक्टर स्वामी न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया है। कार्य होने के प्रमाण में कोई फोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। धनराशि 179205.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी० के० शर्मा, जे० ई०, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-९)

(10) स्वीकृत कार्य योजना की सूची में यह कार्य नहीं है। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ नोट शीट में कार्य का नाम काट कर बदला गया है। रेट कोटेशन कम्प्रेटिव चार्ट में डी०डी०ओ० द्वारा मै० बाला जी

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-१०)

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-११)

(सामान्य आपत्ति सं०-२(अ)-१२)

(सामान्य आपत्ति सं०-२(अ)-१३)

(सामान्य आपत्ति सं०-२(अ)-१४)

(सामान्य आपति सं०-२(अ)-१५)

1129

श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(अ)-16)

(17)मस्टररोल पर लगे निशानी अगूठे में समानता है। ट्रैक्टर किराया सहित श्रमिकों को श्रमांश सीधे श्रमिक/ट्रैक्टर स्वामी को न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया है। कार्य होने के प्रमाण में कोईफोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है। धनराशि 210086.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(अ)-17)

(18)मस्टररोल पर लगे निशानी अगूठे में समानता है। ट्रैक्टर किराया सहित श्रमिकों को श्रमांश सीधे श्रमिक/ट्रैक्टर स्वामी को न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया है। कार्य होने के प्रमाण में कोईफोटोग्राफ या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य नहीं है। निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है। धनराशि 133415.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(अ)-18)

प्रस्तर-02

(1)स्वीकृत कार्ययोजना नाली निर्माण नहीं है जबकि जे0ई0 बिल के अनुसार नाली निर्माण पर खर्च दिखाया गया है। ठेका विधिवत् नहीं दिया गया था। धनराशि 149746.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0 व श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(ब)-1)

(2)कार्ययोजना में यह कार्य नहीं है। ग्राम के अन्दर शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य कराया दिखाया है। ठेका विधिवत् नहीं दिया गया था। धनराशि 439616.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0 व श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(ब)-2)

(3)ठेकेदार की धन प्राप्ति की रसीद पर धन प्राप्ति बाबत सामग्री आपूर्ति लिखा है। ठेके दिये जाने व कार्य कराये जाने का प्रमाण नहीं है। धनराशि 239629.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0 व श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(ब)-3)

(4)ठेका हेतु टेण्डर आमंत्रण वास्ते विज्ञापन, ठेकेदारों के टेण्डर प्रपत्र, ठेकेदारों व संस्था के मध्य एग्रीमेण्ट/बाण्ड, कार्य प्रारम्भी से पूर्व कार्य होते समय व कार्य समाप्ति का साइन बोर्ड सहित फोटो व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है। जिससे कराए दिखाए कार्य फर्जी प्रतीत होते हैं। धनराशि 3840880.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, श्री वी0 के0 शर्मा, जे0 ई0, श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री वीरेन्द्र राम कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(ब)-(4 से 18 तक)

प्रस्तर -03आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के कराए दिखाए कार्यो पर खर्च दर1प्रतिशतसे लेवरसैस की कटौती नहीं की गयी। धनराशि 76908.00 रुपये की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर -04 आलोच्य वर्ष में काटे गए टी0डी0एस0 के कोषागार में जमा किए जाने का साक्ष्य न पाया जाना। धनराशि 128852.00 रुपये की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर -05 आलोच्य वर्ष में विक्रेता द्वारा चार्ज किया गया जी0एस0टी0 कोषागार में उनके द्वारा जमा किया गया था अथवा नहीं इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं पाया गया। धनराशि 644743.00 रुपये की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-5)

प्रस्तर -06 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग के अतिरिक्त अन्य प्राप्त अनुदान के खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियों/प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना। धनराशि 8937054.66 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय जिम्मेदार है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-6)

कुलयोग-17359937.00/-

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत का नाम- देवमई

जनपद- फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

मण्डल - प्रयागराज।

प्रस्तर -1 नियमों का उल्लंघन कर की गयी अनियमितता:- जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल) सम्पत्ति नियमावली सं0-3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित सम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिये परिसम्पत्ति पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम बरिगवां में प्रधान के घर से नहर तक खडंजा मरम्मत पर 848745.00 व्यय किया गया है किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित एवं नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्ति पंजिका का मार्ग पंजिका में उक्त कार्य का अंकन न पाये जाने से इस तथ्य की पुष्टि न की जा सकी कि उक्त कार्य का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य पूर्व में किन वर्षों में कराया गया था, का लेखा उक्त पंजिकाओं में न होने से उक्त मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि रुपया 848745.00 अनियमित रही जिसके लिये क्षेत्र पंचायत लेखाकार श्री महेन्द्र नाथ साहू उत्तरदायी रहे। अतः उक्त लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- धाता

जनपद - फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

मण्डल - प्रयागराज

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत में शीतला माता से भेदपुर तथा खडंजा निर्माण हेतु फर्म Vh-ch-, Q- बरऐपुर द्वारा रुपया 598400.00 की ईट की आपूर्ति की गयी है। किन्तु आपूर्ति की गयी सामग्री पर संस्था द्वारा 2.24% की दर से इन्कम टैक्स की कटौती रुपया 13404.00 की जानी चाहिए थी किन्तु संस्था द्वारा बिल से रुपया 1340.00 की ही कटौती की गयी है। इस प्रकार रुपया 12064.00 कम कटौती करके सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म से एक माह के अन्दर करायी जानी अपेक्षित है। फर्म से क्षतिपूर्ति एक माह में न होने की दशा में उक्त धनराशि की आधी रकम तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अरुण कुमार चौधरी एवं आधी रकम तत्कालीन लेखाकार कमल किशोर से ब्याज सहित वसूली करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम — हसवां

जनपद — फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

मण्डल — प्रयागराज

प्रस्तर -3 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक-31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की सवमित की जाने वाली धनराशि का 50% धनराशि उनकी स्वयं की पूर्व में सृजित परिसंपत्तियों एवं उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को अच्छादित करने वाले नए निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल रूपया 7681114.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय धनराशि का 50% रूपया 3840557.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त कार्य पर मात्र 1268984.00 ही व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 2571573.00 कम व्यय करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम — ऐरायों

जनपद — फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष — 2018-19

मण्डल — प्रयागराज

प्रस्तर -4, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक-19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक-31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% धनराशि उनकी स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को अच्छादित करने वाले नए निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल रूपया 6913650.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय धनराशि का 50% रूपया 3456825.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त कार्य पर मात्र 727143.00 ही व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 2729682.00 कम व्यय करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकार अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत श्रोत पर कर की कटौती न कर की गयी अनियमितता :-

कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश संख्या- जी.एस.टी.अनु./2018-19/1819049/705 वाणिज्य कर दिनांक-26 सितम्बर 2018 के अनुसार ठेकेदारों के बिल से न्यूनतम 2 (1% सी.जी.एस.टी.एवं 1% सी.जी.एस.टी.) श्रोत पर कर कटौती की जानी अपेक्षित थी। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों द्वारा रूपया 5418792.00 के निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गयी है किन्तु सप्लाय की गयी सामग्री की कीमत पर फर्मों के बिल से न्यूनतम 2% जी.एस.टी. की कटौती नहीं की गयी है। उक्त धनराशि रूपया 5418792.00 पर 2% जी.एस.टी. की कटौती की जानी थी जबकि सिर्फ रूपया 47673.00 जी.एस.टी. की कटौती की गयी। अन्तर की धनराशि रूपया 60704.00 विभिन्न पक्षों से ब्याज सहित वसूल कर जी.एस.टी. मद में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम :- बहुआ

जनपद — फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष — 2018-19

मण्डल — प्रयागराज

प्रस्तर - 6 शासनादेश का उल्लंघन कर की गयी अनियमितता :-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/ 2015 दिनांक- 18 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% धनराशि उनकी

स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्ति के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को अच्छादित करने वाले नए निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल रूपया 7614641.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय धनराशि का 50% रूपया 3807320.50 क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त कार्यों पर मात्र 60881.00 ही व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 3746439.50 कम व्यय करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष उत्तरदायी रहे हैं अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम – हथगौव

जनपद – फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018-19

मण्डल – प्रयागराज

प्रस्तर-7 शासनादेश का उल्लंघन कर की गयी अनियमितता :-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/ 2015 दिनांक- 19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-03-215-03/2015 लखनऊ दिनांक-31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% धनराशि उनकी स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को अच्छादित करने वाले नए निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल 2179592.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय धनराशि का 50% रूपया 1089796.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त कार्यों पर शून्य ही व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 1089796.00 कम व्यय करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष उत्तरदायी रहे हैं अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम – तेलियानी

जनपद – फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018-19

मण्डल – प्रयागराज

प्रस्तर-8 शासनादेश का उल्लंघन कर की गयी अनियमितता :-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1639/33-3-2015-03/ 2015 दिनांक-19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-3-215-03/2015 लखनऊ दिनांक- 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% धनराशि उनकी स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को अच्छादित करने वाले नए निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल रूपया 3578933.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय धनराशि का 50% रूपया 1789466.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों एवं उन्हें हस्तान्तरित के मरम्मत/रख-रखाव में खर्च किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त कार्यों पर 117563.00 ही व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 1671903.50 कम व्यय करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष उत्तरदायी रहे हैं अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत – कौशाम्बी

विकास खण्ड- कौशाम्बी

प्रस्तर – 01 :-आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त योजना के अन्तर्गत मु0 5839720.00 का व्यय निर्माण कार्यों में किया गया है। शासनादेश संख्या 752/36-2-10-46/2020 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार लेबर सेस निर्माण कार्यों में व्ययित धनराशि मु0 5839720.00 का 1 प्रतिशत मु0 58397.00 काटकर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए जिसे जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री रामध्यान यादव उत्तरदायी रहे। जिनसे ब्याजसहित बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – कड़ा

विकास खण्ड– कौशाम्बी

प्रस्तर – 02 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को शासनादेश संख्या 521/36-2-1020-25/एस0एम0/95 दिनांक 26 मार्च 2020 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है, लेकिन लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	जी0 एस0टी0	आयकर	सेस 01 प्रतिशत की कटौती नहीं
1	ग्राम सभा घड़ियालीपुर सौरई बुजुर्ग में रामबली के घर के पास के नंदुक तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य	324832.0	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	7450.00	3323.00
2	ग्राम सभा घंमई बडी बाग से कनकर नही के आगे अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	134701.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	1725.00	1364.00
3	ब्लाक परिसर सभागार कक्ष एवं खिड़की मरम्मत एवं वायरिंग कार्य	53668.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	1230.00	549.00
4	ग्राम सभा डोरमा जी0टी0रोड घूरे यादव के खेद से अमरुद बाग ग्राम अटसई के मजरा मरेठा बाग तक इण्टरलाकिंग कार्य	677048.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	15530.00	6926.00
5	ग्राम सभा नासिरपुर फरीदगंज से अनुमान मन्दिर से सम्पर्क मार्ग फरीद गंज सड़क से अकबरपुर जाने वाली सड़क पर खडंजा मरम्मत कार्य	298390.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	6840.00	3052.00
6	ग्राम सभा केसरिया में गोलू मौर्या के घर से कमासिन मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	644984.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	14780.00	6598.00

7	ग्राम सभा मरेठा बाग से अटसरई लुकिया डोरमा तक खड़जा मरम्मत कार्य	55888.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	1290.00	572.00
8	ग्राम सभा अफजलपुर सातों के मजरा घोसियाना से अम्बाई लिंक मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य	686691.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	15740.00	7024.00
9	अक्साई बुजुर्ग में रैन बसेरा मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	141804.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	3250.00	1451.00
10	ग्राम सभा अक्साई लेहदरी मार्ग से पटुपुरवा मजरा लेहदरी कोरियों तक इण्टर लाकिंग कार्य	712808.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	16540.00	7293.00
11	ग्राम सभा गरई में राम भवन के घर के पास पक्की सड़क से धोबियरन के अडार लुकिया डोरमा तक इण्टर लाकिंग कार्य	508730.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	11730.00 रायल्टी 3008.00	5235.00
12	ग्राम सभा परस से उस्मान के द्युबवेल से पथहजारी कोरियों माग्र नूरपुर के रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	89007.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	2050.00	911.00
13	ग्राम सभा कोरियो पुराना पुरवा धर्मपाल के घर से वीरेन्द्र सोनकर पूरे फैंज के सरहद तक इण्टरलाकिंग कार्य	629192.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	14420.00	6436.00
14	अक्साई बुजुर्ग में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मरममत कार्य	125748.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	291.00 रायल्टी 1227.00	1299.00
15	ग्राम पंचायत चक सैनी में ऑगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत कार्य	101382.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	2240.00 रायल्टी 725.00	1044.00
16	ग्राम सभा फरीदगंज से सियाह घोसियाना बार्डर तक से काली माता के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	132003.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	3030.00	1350.00
17	प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कोरियों मरम्मत दरवाजा खिड़की रंगाई पुताई एवं विद्युतीकरण कार्य।	239815.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	5530.00	2453.00

18	विकास खण्ड कड़ा परिसर स्थित खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य।	93511.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	2100.00	956.00
19	ग्राम सभा उचरौवा मजरे खड़कपुर से ग्राम गौसपुर नवाबा मजरा दादूपुर में हरीबाबू के ट्यूबवेल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	679268.00	ठेकेदार को जी0एस0टी0 भुगतान	15760.00 रायल्टी 8424.00	7035.00
			योग:-		64871.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर लेबर सेस रु0 64871.00 की कटौती न करके (ठेकेदारों को भुगतान करके) राजकीय राजस्व अपहृत करा दिया गया, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया उत्तरदायी रहे। उक्त राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 03 :- अनुदान रजिस्टर तृतीय पर बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अनुदान रजिस्टर तृतीय बैलेन्स की तुलना में पास बुक का बैलेन्स रूपया 299547.00 से कम है जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	विवरण	खाता संख्या	धनराशि
1	बैंक आफ बड़ौडा	13080100008931 (राज्य वित्त तेरहवॉ वित्त)	3252494.00
2	बैंक आफ बड़ौडा	13080100014988	154799.00
3	बैंक आफ बड़ौडा	13080100000759 (मनरेगा कन्टेंजेन्सी)	749504.75
4	क्षेत्रीय ग्राम बैंक सैनी	52730100010989	104081.00
5	क्षेत्रीय ग्राम बैंक सैनी	58470100000900	3085419.00
6	स्टेट बैंक आफ इण्डिया देवीगंज (समेकित ग्राम निधि)	38136934480	7695.50
	योग		7353993.25
7	दिनांक 31.03.2019 को अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार अवशेष		7653540.25
8	अन्तर		299547.00

स्पष्ट है कि बैंक से धनराशि निकाल ली गयी, जिसकी प्रविष्टि अनुदान रजिस्टर में नहीं की गयी। स्थिति स्पष्ट करते हुए समाधान अपेक्षित है। इसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया उत्तरदायी रहे। उक्त राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत – नेवादा

प्रस्तर-04:- ग्राम पं0 धारूपुर में नगर से जवई ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए खड़जा निर्माण कार्य में दिनांक 06.04.2018 से दिनांक 17.04.2018 तक कार्य कराये जाने का धनराशि रु0 76125.00 का क्रमांक रहित मस्टर रोल 2 पेजों में प्रस्तुत रहा। प्रथम पेज में 01 से 19(कुल 19) मजदूरों के नाम दर्ज हैं। दूसरे पेज में क्रम सं0 20 से लेकर 37(कुल 18) मजदूरों के नाम दर्ज हैं। प्रथम पेज में 01 से 18 तक जो नाम दर्ज है वही नाम दूसरे पेज में क्र0सं0 20 से 37 तक नाम दर्ज है व तिथि में 6.4.18 से 17.4.18 तक की दर्ज है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार कर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि रु0 76125.00 का अपहरण किया गया है। धनराशि रु0 76125.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री राजेश यादव, ए0डी0ओ0(एस0टी0) द्वारा चेक सं0 0161 दि0 21.4.18 द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः रु0 76125.00 की वसूली श्री राजेश यादव ए0डी0ओ0(एस0टी0) से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 05 :—कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य स्थान गृह व शौचालय कार्य की पत्रावली में पाया गया कि मस्टर रोल दिनांक 2.6.18 से 24.6.18 में क्रमांक 39 पर श्री मोहल लाल पुत्र श्री राम सेवल ग्राम औधन द्वारा 23 कार्य दिवसों का 175/— प्रतिदिन की दर से रू0 4025.00 का भुगतान पुनः किया गया है। स्पष्ट है कि 4025.00 का फर्जी भुगतान दर्शाकर धन0 रू0 4025.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री राजेश यादव, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 06 :— टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि रू0 12000.00 को क्षेत्र पंचायत नेवादा द्वारा अपने राज्य वित्त खाता सं0 2690 में दिनांक 29.3.2019 को जमा कर आतिथि रखा गया है, जबकि खाते में जमा करने के उपरान्त उक्त धनराशि को राजकोष के शीर्ष सं0 0515 में जमा करवाया जाना था जिसे राजकोष में न जमा करवाकर राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। अतः रू0 12000.00 राजकोष के उक्त शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 07 :— ग्राम औधन के मजरा फरीदपुर में निउरा पासी के घर से किहुरा दुर्गापुर नहर तक खड़जा कार्य में निम्न विवरण के अनुसार मस्टर रोल तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है:—

क्र0	दिनांक	मजदूरों की संख्या	धनराशि	चेक सं.	दिनांक	प्राप्तकर्ता
1	27.3.18 से 4.4.18	38 मानव दिवस 330X 175	57750.00	0145	5.4.18	राजेश प्रसाद यादव
2	तिथि रहित	30 मानव दिवस 319X 175	55825.00	0157	21.4.18	राजेश प्रसाद यादव
3	5.4.18 से 30.4.18	383X 175	67025.00	167नोट-क्रमांक 3 का योग = 162500.00	23.05.18	उक्त
	1.5.18 से 17.5.18	237X 175	41475.00			
	5.4.18 से 30.4.18	78X 375 मिस्त्री 66X 375 मिस्त्री	29250.00 24750.00			

उक्त से स्पष्ट है कि कार्य प्रा0तिथि 27.3.18 रहा एवं कार्य समाप्ति तिथि 17.5.18 रहा। इन दोनों तिथियों के पूर्व एवं बाद में कोई मस्टर रोल बनाकर भुगतान नहीं रहा। क्रमांक 2 में वर्णित मस्टर रोल जिसका भुगतान दि0 21.4.18 को चेक सं0 0157 से किया गया है में कोई कार्य तिथि (मजदूरों द्वारा कार्य कराये जाने की तिथियाँ) अंकित नहीं है एवं मस्टर रोल पेड व कैंसिल नहीं है और न ही भुगतान पारित है। अतः धन0 रू0 55825.00 के अपहरण का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अभिलेश तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती बबली यादव के साथ-साथ श्री राजेश यादव कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं क्योंकि भुगतान श्री राजेश यादव द्वारा चेक सं0 0157 दिनांक 21.4.18 द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अखिलेश तिवारी व श्री मती बबली यादव तथा कार्यप्रभारी श्री राजेश यादव से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 08 :— ग्राम औधन के मजरा फरादपुर में निउरा पासी के घर से गिहुरा दुर्गापुर नगर तक खड़जा कार्य में भुगतान किये गये मस्टर रोलों रू0 57750.00 (27.3.18 से 4.4.18 तक) एवं 55825.00 में निम्न मजदूरों के नाम दोनों मस्टर रोलों में अंकित पाये गये जिससे स्पष्ट है कि 57750.00 वाले मस्टर रोल में नाम काल्पनिक रूप से दर्ज कर धनराशियाँ 7525.00 बढ़ा चढ़ाकर खारिज कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राजेश प्रसाद यादव ए0डी0ओ0 (एस0टी0) कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।—

27.3.18 से 4.4.18 रु0 57750.00			55825.00	
संतोष यादव पुत्र छेदीलाल	9 दिन × 175	1575.00	17× 175	2975.00
उमेश पुत्र चौकीदार	8 दिन × 175	1400.00	17× 175	2975.00
बहोरे पुत्र भग्गू	8 दिन × 175	1400.00	17× 175	2975.00
झल्लर पुत्र शम्भू	9 दिन × 175	1575.00	17× 175	2975.00
राम नाथ पुत्र श्रीनाथ	9 दिन × 175	1575.00	17× 175	2975.00
	योग	7525.00		14875.00

प्रस्तर -09 :- ग्राम लोहीधूरी से खन्देवरा ग्राम पंचायत को जोड़ने हेतु खड़जा निर्माण कार्य में निम्न विवरण के अनुसार कुल तीन मस्टर रोलों दिनांक 27.3.18 से 4.4.18, 13.3.18 से 15.4.18 एवं 16.3.18 से 26.3.18 मध्य के तैयार कर भुगतान किए गए हैं किन्तु तीनों मस्टर रोलों में कॉमन नाम मजदूरों के दर्ज कर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशियों का अपहरण किया गया है जिसकी वसूलीकार्य प्रभारी श्री राजेश प्रसाद यादव ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से की जानी अपेक्षित है:-

नाम जो तीनों म0रो0 में दर्ज है	27.3.18 से 4.4.18		16.3.18 से 15.4.18		16.3.18 से 26.3.18	
	धनराशि	51625.00	धनराशि	163575.00	धनराशि	63000.00
कामता पुत्र चौकीदार	09× 175	1575.00	26× 175	4550.00	11× 175	1925.00
गुड्डू पुत्र कैलाश	08× 175	1400.00	26× 175	4550.00	11× 175	1925.00
सुग्गन पुत्र बरमदीन	08× 175	1400.00	15× 175	2625.00	11× 175	1925.00
भोदू पुत्र नरेश	09× 175	1575.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
छोटकु पुत्र कल्याण	09× 175	1575.00	26× 175	4550.00	11× 175	1925.00
सोहन पुत्र कुरजे	09× 175	1575.00	24× 175	4200.00	11× 175	1925.00
अखिलेश पुत्र झुरई	09× 175	1575.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
राम पुत्र चौधरी	—	-	24× 175	4200.00	11× 175	1925.00
अशोक पुत्र पिलई	08× 175	1400.00	24× 175	4200.00	11× 175	1925.00
सोमवारे पुत्र ढिलई	09× 175	1575.00	24× 175	4200.00	11× 175	1925.00
शिवजीत पुत्र राम चन्द्र	09× 175	1575.00	24× 175	4200.00	11× 175	1925.00
छोटू पुत्र महादेव	08× 175	1400.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
ननका पुत्र मिश्रीलाल	09× 175	1575.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
मानसिंह पुत्र बचऊ	09× 175	1575.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
मानसिंह पुत्र पन्नालाल	09× 175	1575.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
लवकुश पुत्र राम राज	08× 175	1400.00	25× 175	4375.00	11× 175	1925.00
योग :-		22750.00		67900.00		30800.00

उक्त से स्पष्ट है कि एक मजदूर एक समयावधि में एक बार ही काम करेगा न कि उसी समयावधि में तीन बार? अतः स्पष्ट है कि फर्जी रूप से मस्टर रोल तैयार कर धनराशियों का अपहरण किया गया है। अतः 22750.00+30800 कुल 53550.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजेश प्रसाद यादव ए0डी0ओ0 एस0टी0 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 10 :- ग्राम तिलगोड़ी से अलमापुर ग्राम को जोड़ने हेतु खड़जा निर्माण व दो नग पुलिया निर्माण कार्य में कुल तीन बार मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जो कि दिनांक 16.3.18 से 24.3.18, 16.03.18 से 26.3.18 एवं 16.3.18 से 16.4.18 के मध्य की धनराशि क्रमशः रु0 47600.00, 75425.00 एवं 2,70,550.00 के भुगतान श्री हरनरायन सिंह ए0डी0ओ0(सी0) द्वारा प्राप्त कर भुगतान किया

जाना दर्शाया गया है किन्तु निम्न विवरण के अनुसार तीनो मस्टर रोलों में एक ही समयावधि में निम्न मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक मजदूर एक समयावधि में एक बार ही कार्य कर भुगतान प्राप्त करेगा न कि एक समयावधि में तीन बार। अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशियों का अपहरण किया गया है। :-

नाम जो तीनों म०रो० में दर्ज है	16.3.18 से 24.3.18		16.3.18 से 26.3.18		16.3.18 से 16.4.189	
	धनराशि	47400.00	धनराशि	75475.00	धनराशि	270550.00
पंचम सिंह	09× 175	1575.00	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
ननका पुत्र बच्चालाल	-	-	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
मोज	09× 175	1575.00	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
राजेन्द्र	08× 175	1400.00	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
जिला जीत	09× 175	1575.00	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
अजय	09× 175	1575.00	11× 175	1925.00	16× 175	2800.00
रबी पुत्र कंचन लाल	-	-	11× 175	1925.00	15× 175	2625.00
योग :-		7700.00		13475.00		19425.00

उक्त से स्पष्ट है कि धनराशि रु० 7700.00+13475=21175.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री हरनारायण सिंह ए०डी०ओ०(सह०) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 11 :-जैतपुर रजबहा नहर से अमिरसा ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग पर खण्डजा कार्य एवं दो पुलिया निर्माण कार्य में दो बार मस्टररोल तैयार कर भुगतान श्री हरनारायण सिंह ए०डी०ओ०(सह०) द्वारा प्राप्त कर भुगतान मजदूरों को किया जाना दर्शाया गया है। दो मस्टररोल क्रमशः 27.3.18 से 7.4.18 तक एवं 27.3.18 से 20.5.18 तक धनराशि क्रमशः 54950.00 एवं 251275.00 के तैयार किये गये हैं। अतः दोनो मस्टररोलो में निम्न विवरण के अनुसार मजदूरों के नाम एक समयावधि में दोनो में नाम दर्ज कर धनराशियों का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्नानुसार है।---

क्र० सं०	नाम जिनका दोनो म०रो०में दर्ज है	मस्टररोल 1 (27.3.18 से 7.4.18) धनराशि 54950.00		मस्टररोल 2 (27.3.18 से 20.5.18) धनराशि 251275.00	
1	गुलाब पुत्र बहादुर	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
2	शिवपाल पुत्र शिवलोढा	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
3	विकास पुत्र लल्लू	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
4	नानबाबू पुत्र भैयालाल	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
5	मदन पुत्र छेदी	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
6	राजेन्द्र पुत्र जवाहर	9× 175	1575.00	52× 175	9100.00
7	गुड्डू पुत्र छेदीलाल	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
8	शैलेन्द्र पुत्र शंकर लाल	8× 175	1400.00	53× 175	9275.00
9	दरियांवा पुत्र धरमपाल	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
10	अदालती पुत्र लल्लू	9× 175	1575.00	52× 175	9100.00
11	बृजलाल पुत्र दशरथ	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
12	करन पुत्र पन्नीलाल	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
13	प्रेमचन्द्र पुत्र मोतीलाल	8× 175	1400.00	53× 175	9275.00
14	शुकरू पुत्र रामचन्द्र	9× 175	1575.00	54× 175	9450.00
15	गोलू पुत्र टुन्नु	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
16	बड़े लाल पुत्र राम खेलावन	8× 175	1400.00	53× 175	9275.00
17	रामबाबू पुत्र सियाम्बर	9× 175	1575.00	53× 175	9275.00
18	जगजीवन पुत्र कुंवारे	8× 175	1400.00	53× 175	9275.00
	योग :-		27650.00		60900.00

उक्त से स्पष्ट है कि धनराशि रु० 27650.00 का भुगतान जिस कार्यावधि रु० 60900.00 वाले मस्टर रोल में उन्हीं मजदूरों का भुगतान शामिल है अतः रु० 27650.00 की ब्याजसहित वसूली कार्य प्रभारी श्री हरनारायण सिंह ए०डी०ओ०(सह०) से की जानी अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत - सरसवाँ

प्रस्तर – 12 :- ग्राम – पश्चिम सरावां से बौखर बाबा सम्पर्क मार्ग व परिसर : के पत्रावली की जाँच करने पर पाया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु प्रस्तावित एवं अनुमोदन होने के उपरान्त एवं खण्ड विकास अधिकारी सरसवां के पत्रांक 1543 दिनांक 6.10.2018 के अनुपालन में तैयार किया गया है जबकि निर्माण नियमावली के अनुसार परियोजना की क्षेत्र पंचायत की बैठक का प्रस्ताव संख्या व बैठक का दिनांक अंकित किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। इसी प्रकार परियोजना का जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदन भी नहीं कराया गया है जबकि शासनादेश संख्या 1838/33 –3–2015–03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विन्दु-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि शासकीय/विनियमों के विपरीत कार्य कराकर रु0 973176.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री अखिलेश कुमार तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 13 :- कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 2421 दि0 29.3.19 के द्वारा श्रीमती शोभा देवी ट्रेडर्स को जी0एस0टी0 सहित कुल भुगतान 150086.00 चेक संख्या 0000552 दिनांक 20.2.19 से जी0एस0टी0 12 प्रतिशत 14824.00 चालान के माध्यम से जमाकर रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है किन्तु लेखा परीक्षा तिथि 23.9.2019 तक जी0एस0टी0 जमा की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अस्तु 14824.00 की ब्याजसहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 14 :- दनियापति तिवारी के खेत से पश्चिम शरीरा सम्पर्क मार्ग तक खडंजा निर्माण कार्य में निम्न त्रुटि पायी गयी:-

क. प्राक्कलन के साथ कार्य स्थल का फोटोग्राफ तथा नजरी नक्शा संलग्न नहीं रहा।

ख. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टेण्डर देने वाले को युक्ति-युक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम न हो दिया जायेगा जिससे वे नियत दिनांक के भीतर अपना टेण्डर प्रस्तुत कर सकें किन्तु उपरोक्त परियोजना की विज्ञप्ति दिनांक 17.11.18 को की गयी थी तथा 25.11.18 अर्थात् एक सप्ताह का समय दिया गया और 26.11.18 को निविदा खोली गयी। इस प्रकार निर्माण नियमावली 1984 के नियम 21 की अवहेलना कर रु0 974000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व कार्यप्रभारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत – मूरतगंज

प्रस्तर – 15 :- क्षेत्र पंचायत मूरतगंज द्वारा ग्राम पंचायत लोहरा में सरकारी अस्पताल से अल्लन के घर होते हुए मस्जिद तथा सी0सी0रोड निर्माण कार्य कराया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 एस0के0एस0 कान्सट्रक्शन से 900 बोरी सीमेंट दर 260.69 प्रति बोरी रु0 234621.00 का भुगतान किया गया है जिसमें 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 28154.00 अलग से जोड़ी गयी है। इस प्रकार कुल रु0 262775.00 का भुगतान किया गया है। पी0डब्ल्यू0डी0 शेड्यूल रेट जो कौशाम्बी के लिए प्रभावी है कि पृष्ठ 17 चैप्टर 01 के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए लागू दर रु0 250.00 प्रति बोरी (जी0एस0टी0 अलग से) के अनुसार भुगतान न करके रु0 10.69 की अधिक दर से भुगतान किया गया है जिससे इकाई को रु0 9621.00 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। अतिरिक्त भुगतान धनराशि की क्षतिपूर्ति के लिए लेखाकार श्री शिव प्रकाश कौशल, खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेश राय, ब्लॉक प्रमुख मो0 सऊद उत्तरदायी हैं। जिनसे 9621.00 बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 16 :- क्षेत्र पंचायत मूरतगंज द्वारा आलोच्य वर्ष 2018–19 में दुर्गापुर सैयद सरावां में ग्राम सभा चिल्ला सहबाजी लिंक मार्ग तक खडंजा निर्माण कराने में निम्न प्रकार अधिक भुगतान मे0 एस0के0एस0 कान्सट्रक्शन को किया गया है।

क्र०	विल संख्या	दिनांक	धनराशि	बिल के अनुसार			पीडब्ल्यूडी के अनुसार		अधिक भुगतान
				ईंटों की संख्या	दर्शित दर जीएसटी सहित	धनराशि	प्रचलित दर जीएसटी सहित	मूल्य	
01	122	28.2.19	790560.00	139200	5187	722030.00	5000.00	696000.00	26030.00
02	126	10.3.19	310765.00	34800.00	5187	180507.60	5000.00	174000.00	6507.00
								योग:-	32537.00

जी०एस०टी० पूरे बिल में अलग से जोड़ा गया है। जी०एस०टी० जमा करने का चालान संस्था में अनुपलब्ध रहा। अतः अधिक भुगतान रु० 32537.00 की ब्याजसहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेश राय एवं ब्लाक श्री मो०सऊद एवं लेखाकार श्री शिव प्रसाद कौशल से करायी जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत — सिराथू

प्रस्तर — 17 :-वित्तीय वर्ष 2018-19 तक विभिन्न मदों से सम्बन्धित खातों में धनराशि पर मिलने वाले ब्याज को अलग-अलग शीर्ष में नहीं दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	मद का नाम	खाता संख्या	पास बुक के अनुसार ब्याज प्राप्त होने की तिथि	धनराशि
1	राज्य वित्त, बारहवां वित्त, तेरहवां वित्त	35250100000004	13--04-18	118128.00
			11-07-18	137736.00
			14.08.18	40028.00
			21.11.18	126782.00
			15.02.19	121286.00
	योग			543960.00
2	मुख्य सामुदायिक विवाह कार्यक्रम	35250100015827	11-07-18	6388.00
			14.08.18	1891.00
			21.11.18	5589.00
			31.01.19	4247.00
				18115.00
	योग			18115.00
3	प्रशासनिक मद	11025150774	25.09.18	5384.00
			25.12.18	4513.00
			25.03.19	2631.00
				12528.00
4	आवास प्रशासनिक मद एवं प्रधानमंत्री माडल आवास	35250100005272	05.04.18	12195.00
			03.07.18	21578.00
			03.08.18	5923.00
			05.11.18	14926.00
			04.02.19	12183.00
	योग			66805.00
	कुल योग :-			623293.00

सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन शासनादेश संख्या 10/2215/के-1-502/दस- 2015-100 (33) दिनांक 29.05.15 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाये। क्षेत्र पंचायत सिराथू द्वारा अर्जित ब्याज रु० 623293.00 को सहायक लेखाकार श्री अवनीश कुमार सिंह राजकोष में जमा कर देना चाहिए था अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया, सहायक लेखाकार श्री अवनीश कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः रु 623293.00 तत्काल प्रभाव से राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 18 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/तेरहवों वित्त के मदों से कराये गए प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यो की सामग्री क्रय में आयकर/ब्यापार कर की कटौतियों निम्नवत हैं:-

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता	कुल क्रय सामग्री की धनराशि	आयकर/ब्यापार कर की कटौती का विवरण			जीएसटी/टीडीएस की कटौती जो की जानी चाहिए थी	जीएसटी/टीडीएस की कटौती जो नहीं की गयी का अन्तर
			जीएसटी कटौती 2 प्रति0	टीडीएस कटौती 2. 4 प्रति0	कुल कटौती		
1	विकास खण्ड सिराथू इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	1685053.00	33681.00	38230.00	71911.00	71614.00	-297.00
2	विकास खण्ड परिसर सिराथू में निर्मित आवासीय भवनों की रंगाई पुताई खिड़की दरवाजे आदि मरम्मत कार्य	819387.00	6584.00	7472.00	14056.00	32775.00	18719.00
3	विकास खण्ड परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1767045.00	17469.00	19620.00	37289.00	70682.00	33393.00
4	ग्राम भडेसर से ग्राम कोर्ला तक खड़जा मरम्मत कार्य	1269700.00	26736.00	27482.00	54218.00	50788.00	-3430.00
5	ग्राम मानपुर गौरा चमार के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य	508356.00	00	0	0	20334.00	20334.00
6	अचाकापुर काली रोड से देवखरपुर तक खड़जा निर्माण कार्य	275814.00	4976.00	6261.00	11237.00	11033.00	-204.00
7	ग्राम पंचायत कोर्ला में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कौशाम्बी के कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	262717.00	658.00	0	657.00	10509.00	9852.00
8	विकास खण्ड परिसर में बने आवासीय भवनों में वाटर सप्लाई कार्य	85358.00	0	0	0	3414.00	3414.00
9	विकास खण्ड परिसर में बने आवासीय भवनों में विद्युतीकरण कार्य	84394.00	0	0	0	3376.00	3376.00
10	राला काकराबाद रोड से गुड्डू गुप्ता	562610.00	10047.00	11403.00	21450.00	22504.00	1054.00

	के घर होते हुए कसियारोड मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य						
11	निधियॉवों भदवां बम्हरौली लिंक रोड से हाइवे से पहले तक इण्टरलाकिंग कार्य	414627.00.	0	9412.00	9412.00	16585.00	7173.00
12	प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी कक्ष हेतु फर्नीचर क्रय कार्य	100000.00	2270.00	2000.00	4270.00	4000.00	-270.00
	योग	7835061.00			224500.00	317614.00	93114.00

उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री क्रय करने के उपरान्त भुगतान में उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 51 प्राविधान अनुसार सामग्री आपूर्ति पर जीएसटी की कटौती 2 प्रतिशत की दर से आपूर्तिकर्ता के बिल से टीडीएस की कटौती करने का प्राविधान है। आयकर अधिनियम में आपूर्तिकर्ता के बिल से 2.24 की दर से आयकर की कटौती करने का प्राविधान था। दिनांक 01.4.18 से 31.3.19 तक राज्य वित्त/तेरहवों वित्त में कुल ₹0 7835061.00 सामग्री क्रय किया गया है जिसमें से जीएसटी/टीडीएस कुल ₹0 317614.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु कुल जीएसटी/टीडीएस ₹0 224500.00 की कटौती की गयी है अर्थात् जीएसटी/टीडीएस की ₹0 93114.00 कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश संख्या ए-1-351/एस-2011 दिनांक 30.8.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी का है अर्थात् जीएसटी/टीडीएस की कुल धनराशि ₹0 93114.00 की कटौती न करके सम्पूर्ण बिलों की धनराशि का भुगतान अपहरण की परिधि में आता है जिसके लिए सम्पूर्ण उत्तरदायी सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद/ श्री अवनीश श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार, श्री राकेश कुमार धुरिया उत्तरदायी हैं।

अतः कार्यवाही सहित ₹0 93114.00 सहायक श्री काजी आफताब अहमद से ₹0 23279.50, श्री अवनीश श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से 23279.50 और खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार से ₹0 23279.50 और श्री राकेश कुमार धुरिया से ₹0 23279.50 ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -19 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवों वित्त के द्वारा विकास खण्ड परिसर सिराथू में मिट्टी भराई, इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री ₹0 2712873.00 मजदूरी ₹0 577006.00 कुल ₹0 3289879.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 2121 दिनांक 01.02.18 से श्री राम अभिलाष पासी सहायक विकास अधिकारी (ए0डी0ओ0 एस0टी) एवं कार्यालय पत्रांक 139 दिनांक 01.05.18 के माध्यम से श्री पवन कुमार सहायक विकास अधिकारी (एस0टी.0) को कार्य प्रभारी नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया के उपरान्त दिनांक 22.1.18 को कोटेशन/टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 2124 दिनांक 1.2.18 में मे0 जय मॉ शीतला ट्रेडर्स कुण्डूवी सिराथू दिनांक 10.2.18 के माध्यम से ₹0 597600.00 कैश मेमो संख्या निल दिनांक 10.02.18 के माध्यम से ₹0 597600.00 कैश मैमो सं0 शून्य 1.02.18 से ₹0 245310.00 व कैश मैमो सं0 शून्य दिनांक शून्य से ₹0 717120.00 कैश मैमो सं0 शून्य दिनांक शून्य से ₹0 124037.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00539 दिनांक 12.2.18 से ₹0 572082.00 चेक संख्या 00540 दिनांक 19.2.18 से ₹0 234835.00 चेक संख्या 00544 दिनांक 20.2.18 से ₹0 686499.00, चेक संख्या 551 दिनांक 15.5.18 से ₹0 118741.00 का एवं जीएसटी/वैट कटौती ₹0 71911.00 करने के उपरान्त कुल ₹0 1612157.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि -

1— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 02.02.18 से 18.02.18 तक के मजदूरी रु0 111300.00 का भुगतान चेक संख्या 541 दिनांक 1.2.18 के द्वारा श्री अभिलाष पासी सहायक विकास अधिकारी (एस0टी0) को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री अभिलाष पासी सहायक विकास अधिकारी (एस0टी0) को रु0 111300.00 भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7— लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक में कैश मेमो की संख्या रहित दिनांक रहित अंकित पाया गया कैश मेमो का क्रमांक अंकित न होना स्वयं में स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय प्रमाणक फर्जी बनाकर काल्पनिक भुगतान किया गया है जो कि वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

8— लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 12.26 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 1815682.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी जिससे कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 1815682.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री अभिलाष पासी एडीओ एसटी, श्री पवन कुमार पटेल एडीओसी, जेई आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे कैथल व खण्ड विकास अधिकारी श्री मत्स्यनाथ त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसमें से कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री राम अभिलाष पासी एडीओएसटी से रु0 401179.00, श्री पवन कुमार पटेल एडीओसी से रु0 52741.50 व जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे कैथल से रु0 453920.50 व खण्ड विकास अधिकारी श्री मत्स्य नाथ त्रिपाठी से रु0 101179.00 और खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से 52741.50 व श्री काजी आफताब अहमद से 453920.50 से ब्याज सहित जमा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 20 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा विकास खण्ड परिसर सिराथू में निर्मित आवासीय भवनों की रंगाई पुताई खिड़की दरवाजे आदि मरम्मत कार्य की परियोजना लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 831652.00 व मजदूरी रु0 394000.00 कुल रु0 1225652.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 2590 दिनांक 6.4.18 के माध्यम से श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0(सी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त 22.1.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 2591 दिनांक 6.4.18 से मे0 सरिता सोनकर कंस्ट्रक्शन चतुरी

मुराई का पुरवा फतेहपुर को सप्लाई को अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे० सरिया सोनकर कंस्ट्रक्शन चतुरी मुराई का पुरवा फतेहपुर द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या 30 दिनांक 4.06.18 के माध्यम से रू० 307950.00, कैश मेमो संख्या 32 दिनांक रहित से रू० 21237.00 व कैश मेमो संख्या 34 दिनांक 14.09.18 से रू० 116824.00, कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 17.10.18 से रू० 208066.00 कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 17.10.18 से रू० 38137.00, कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 15.11.18 से रू० 127173.00 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00557 दिनांक 4.6.18 से रू० 294801.00, चेक संख्या 00564 दिनांक 20.7.18 से रू० 20330.00, चेक संख्या 580 दिनांक 17.9.18 से रू० 116824.00, चेक संख्या 590 दिनांक 17.10.18 से रू० 208066.00, चेक संख्या 591 दिनांक 17.10.18 से 38137.00, चेक संख्या 594 दिनांक 15.11.18 से रू० 127173.00 का एवं जी०एस०टी० कटौती रू० 14056.00 की करने के उपरान्त कुल 805331.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है, जबकि

1— उ०प्र०क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ०प्र०क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियाँ जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 02.02.18 से 18.02.18 तक के मजदूरी रू० 111300.00 का भुगतान चेक संख्या 541 दिनांक 1.2.18 के द्वारा श्री अभिलाष पासी सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०) को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री अभिलाष पासी सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०) को रू० 111300.00 भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7— लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक में कैश मेमो की संख्या रहित दिनांक रहित अंकित पाया गया कैश मेमो का क्रमांक अंकित न होना स्वयं में स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय प्रमाणक फर्जी बनाकर काल्पनिक भुगतान किया गया है जो कि वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

8— लेखा परीक्षा में एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रू० 12.26 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रू० 1815682.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी जिससे कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रू० 1815682.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री श्री पवन कुमार पटेल एडीओसी, जेई आर०ई०डी० श्री राम प्यारे कैथल व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार व श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसमें से कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री राम अभिलाष पासी एडीओएसटी से रू० 401179.00 श्री पवन कुमार पटेल एडीओसी से रू० 52741.50.00 व जे०ई० आर०ई०डी० श्री राम प्यारे कैथल से रू० 453920.50.00 व खण्ड विकास अधिकारी

श्री मत्सय नाथ त्रिपाठी से रू0 101179.00 और खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से रू0 52741.50. 00 श्री काजी आफताब अहमद से रू0 403920.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 21 :-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त के द्वारा विकास खण्ड परिसर सिराथू में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की परियोजना व्यय माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रू0 1445480.00 मजदूरी रू0 225768.00 कुल रू0 1671248.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 0 दिनांक 0 के माध्यम से श्री अमीरुद्दीन वारसी एडीओ एसटी कार्यालय पत्रांक 2588 दिनांक 6.4.18 के माध्यम से श्री पवन कुमार एडीओ सी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 30.1.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 2589 दिनांक 6.4.18 में जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुण्डवी सिराथू को सप्लाई को अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त में जय माँ शीतला ट्रेडर्स द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 16.4.18 के माध्यम से रू0 262000.00 कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 1.5.18 को रू0 598905.00 व कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 21.7.18 से 229248.00, कैश मेमो संख्या रहित दिनांक रहित 430597.00, कैश मेमो संख्या/दिनांक रहित से रू0 246295.00 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00546 दिनांक 18.4.18 से रू0 262000.00, चेक संख्या 00562 दिनांक 21.6.18 से रू0 381872.00, चेक संख्या 567 दिनांक 26.7.18 से रू0 219459.00 रू0, चेक संख्या 584 दिनांक 29.9.18 से रू0 430597.00, चेक संख्या 541 दिनांक 19.2.19 से रू0 234835.00 एवं जीएसटी/टीडीएस कटौती रू0 37297.00 की करने के उपरान्त कुल रू0 1528763.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि -

1- उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2- उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3- शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5- लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक में कैश मेमों संख्या रहित दिनांक रहित पाया गया, कैश मेमों का क्रमांक अंकित न होना स्वयं में स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय प्रमाणक फर्जी बनाकर काल्पनिक भुगतान किया गया है जो वित्तीय नियम के विपरीत है।

6- स्टीमेट में मजदूरी 394000.00 और व्यय धनराशि रू0 402225.00 अर्थात् रू0 8225.00 मजदूरी में अधिक व्यय किया गया है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम -VI प्रस्तर 375-ए के विरुद्ध कार्य किया गया है जो कार्य की प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7- लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

8- उक्त कार्य में जीएसटी/टीडीएस रू0 37297.00 कटौती की गयी परन्तु आयकर विभाग को वर्ष दौरान जमा नहीं किया गया जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रू0 31.87 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रू0 1716638.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रू0 1716638.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार पटेल एडीओसी, जेई आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे कैथल व खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार व श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री राम अभिलाख पासी एडीओ एसटी से रू0 429159.50, श्री पवन कुमार पटेल एडीओ सी रू0 429159.50 व जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे

कैथल से रु0 429159.50 व खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार 429159.50 और श्री काजी आफताब अहमद से रु0 429159.50 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 22 :-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा ग्राम पंचायत भड़सर से ग्राम पंचायत कोरों तक खड़जा मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 1309802.00 मजदूरी रु0 600365.00 कुल रु0 1910167.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 95 दिनांक 24.4.18 के माध्यम से श्री राम प्यारे कैथल जे0ई0 आर0ई0डी0 को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 22.1.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 96 दिनांक 24.4.18 को मे0 कुमार ब्रिक फील्ड कैमा सिराथू को सप्लाई को अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 कुमार ब्रिक फील्ड कैमा सिराथू द्वारा अपने फर्म की कैश मेमो संख्या 01, दिनांक 30.4.18 के माध्यम से रु0 60240.00, कैश मेमो संख्या 02 दिनांक रहित से रु0 51582.00, कैश मेमो संख्या 03, दिनांक 6.5.18 से रु0 568800.00, कैश मेमो संख्या 32 दिनांक 19.6.18 से रु0 586390.00 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00548, दिनांक 08.5.18 से रु0 60240.00, चेक संख्या 00549 दिनांक 08.05.18 से रु0 59379.00, चेक संख्या 556 दिनांक 22.5.18 से रु0 544512.00, चेक संख्या 558 दिनांक 19.6.18 से रु0 561351.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 54218 की करने के उपरान्त कुल रु0 1215482.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि –

1- उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2- उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3- शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5- शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6- उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 01.05.18 से 16.05.18 तक के मजदूरी रु0 183550.00 का भुगतान चेक संख्या 555 दिनांक 22.5.18 के द्वारा श्री राम प्यारे कैथल, जे0ई0 आर0ई0डी0 को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए हैं जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री राम प्यारे कैथल जे0ई0 आर0ई0डी0 को रु0 183550.00 भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7- लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

8- उक्त कार्य में कार्यालय पत्रांक 95 दिनांक 24.4.18 के माध्यम से श्री राम प्यारे कैथल, जे0ई0 आर0ई0डी0 को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था जबकि स्टीमेट/एम0बी0कर्ता स्वयं श्री राम प्यारे कैथल जे0ई0 आर0ई0डी0 थे ऐसी स्थिति में गुणवत्ता का प्रश्नचिन्ह उठता है, जो कार्य की पूर्णतया ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक रहा।

9- स्टीमेट में मजदूरी 600365.00 और व्यय धनराशि रु0 608300.00 अर्थात रु0 7935.00 मजदूरी में अधिक व्यय किया गया है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम VI प्रस्तर 375-ए के विरुद्ध कार्य किया गया है जो कार्य की प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 19.10 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 1823782.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा। अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 1823782.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री श्री राम प्यारे कैथल जेई आरईडी व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह, श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री राम प्यारे कैथल जे0ई0 आर0ई0डी0 से रु0 455945.50 व जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे कैथल से रु0 455945.50 व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से रु0 455945.50, श्री काजी आफताब अहमद से रु0 455945.50 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 23 :—वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा मानपुर गौरा में ननकू चमार के घर तक खड़जा मरम्मत परियोजना की लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 703310.00 मजदूरी रु0 273525.00 कुल रु0 976835.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 826 दिनांक 24.7.18 के माध्यम से श्री सतीश कुमार चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया के उपरान्त दिनांक 30.01.2018 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 825 दिनांक 24.7.18 को मे0 कुमार ब्रिक्स फील्ड कैमा सिराथू को सप्लाई आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 कुमार ब्रिक्स फील्ड कैमा सिराथू द्वारा अपने कैश मेमो संख्या 4 दिनांक 8.9.18 के माध्यम से रु0 230080.00, कैश मेमो संख्या 10 दिनांक 14.9.18 से रु0 278276.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 579 दिनांक 10.09.18 से रु0 230080.00, चेक संख्या 588 दिनांक 16.10.18 से रु0 278276.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 शून्य की करने के उपरान्त कुल रु0 508356.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि –

1— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 16.08.18 से 30.08.18 तक के मजदूरी रु0 103925.00 का भुगतान चेक संख्या 582 दिनांक 20.9.2018 के द्वारा श्री सतीश कुमार चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए है जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री सतीश कुमार चौधरी ग्राम विकास अधिकारी को रु0 103925.00 का भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य ही पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7— लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 9.77 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 690156.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 690156.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सतीक्ष कुमार चौधरी ग्राम विकास अधिकारी, श्री राम प्यारे कैथल जेई आरईडी व खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार व सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री सतीक्ष कुमार चौधरी से रुव0 172539.00 , श्री राम प्यारे कैथल जेई0 आर0ई0डी0 से रु0 172539 व खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार से रु0 172539.00, सहायक लेखाकार काजी आफताब अहमद से रु0 172539.00 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 24 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा अचाकापुर काली रोड से देवखरपुर तक खड़जा निर्माण कार्य परियोजना लागू सामग्री रु0 420964.00, मजदूरी रु0 102400.00 कुल रु0 523364.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 488 दिनांक 19.7.18 के माध्यम से श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 (सी0) को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 30.01.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 789 दिनांक 24.4.18 को मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स कुण्डवी सिराथू को सप्लाई हेतु अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स कुण्डवी सिराथू द्वारा फर्म के कैश मेमो संख्या सहित दिनांक 22.7.18 के माध्यम से रु0 229248.00, कैश मेमो संख्या रहित दिनांक 27.8.18 से रु0 46566.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00571 दिनांक 03.08.18 से रु0 100000.00, चेक संख्या 573 दिनांक 14.8.18 से रु0 119459.00, चेक संख्या 574 दिनांक 28.8.18 से रु0 44578.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 11777.00 की करने के उपरान्त कुल रु0 264037.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 01.08.18 से 21.08.18 तक के मजदूरी रु0 74850.00 का भुगतान चेक संख्या 575 दिनांक 28.8.2018 के द्वारा श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0 को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए हैं जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0 74850.00 का भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य ही पूणतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7— लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक में कैश मेमो की संख्या जो पाया गया हस्तलिपि में पाया गया। कैश मेमो का क्रमांक अंकित न होना स्वयं में स्पष्ट है कि सामग्री का व्यय प्रमाणक फर्जी बनाकर काल्पनिक भुगतान किया गया है। जो वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

8—लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु० 5.24 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु० 338887.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु० 338887.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए०डी०ओ० सी०, श्री राम प्यारे कैथल जेई आरईडी व खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार व सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यककार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए०डी०ओ० सी० से रु० 84721.75 , श्री राम प्यारे कैथल जे०ई० आर०ई०डी० से रु० 84721.75 व खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार से रु० 84721.75, सहायक लेखाकार काजी आफताब अहमद से रु० 84721.75 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 25 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा ग्राम पंचायत कोर्ला में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कौशाम्बी के कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की परियोजना लागत सामग्री रु० 602404.00, मजदूरी रु० 159618.00 कुल रु० 762022.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 1062 दिनांक 25.8.18 के माध्यम से श्री पवन कुमार ए०डी०ओ० सी० को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 22.01.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 1062 दिनांक 25.8.18 को मे० कुमार बिक्सफील्ड कैमा सिराथू को सप्लाई हेतु अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे० मे० कुमार बिक्सफील्ड कैमा सिराथू द्वारा फर्म के कैश मेमो संख्या 29 दिनांक 18.12.18 के माध्यम से रु० 193200.00, कैश मेमो 28 दिनांक 18.12.18 से रु० 69517.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00802 दिनांक 05.01.19 से रु० 262060.00 एवं जीएसटी कटौती रु० 657.00 की करने के उपरान्त कुल रु० 262060.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1- उ०प्र०क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2- उ०प्र०क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3- शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5- शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6- उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 01.12.18 से 10.12.18 तक के मजदूरी रु० 50075.00 का भुगतान चेक संख्या 600 दिनांक 24.12.18 के द्वारा श्री पवन कुमार ए०डी०ओ० सी० को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए हैं जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री पवन कुमार ए०डी०ओ० सी० 50075.00 का भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य ही पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

7- लेखा परीक्षा में एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु० 5.24 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु० 312135.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 312135.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0, श्री राम प्यारे कैथल जेई आरईडी व खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार व सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0 से रु0 78033.75 , श्री राम प्यारे कैथल जे0ई0 आर0ई0डी0 से रु0 78033.75 व खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार से रु0 78033.75, सहायक लेखाकार काजी आफताब अहमद से रु0 78033.75 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 26 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय सिराथू में विद्युत व्यवस्था हेतु सोलर पी0बी0 10 के0वी0 पावर जनरेट आफ ग्रिड की स्थापना परियोजना लागत सामग्री रु0 170000.00, मजदूरी रु0 शून्य कुल रु0 170000.00 का तैयार किया गया है, उक्त कार्य हेतु कार्यप्रभारी नियुक्त नहीं किया गया और बिना कार्य प्रभारी नियुक्त किए ही निविदा खोलने का आदेश कार्यालय पत्रांक 143 दिनांक 15.10.18 के माध्यम से टेण्डर खोलने की तिथि दिनांक 25.10.18 निश्चित किया और टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 25.10.18 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 1589 दिनांक 03.11.18 को मे0 त्रिवेणी सोलर इण्टरप्राइजेज हण्डिया इलाहाबाद को सप्लाई हेतु अधिकृत किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 त्रिवेणी सोलर इण्टरप्राइजेज हण्डिया इलाहाबाद द्वारा फर्म के कैश मेमो संख्या 98 दिनांक 09.11.18 के माध्यम से रु0 829550.00, कैश मेमो 99 दिनांक 10.11.18 से रु0 330750.00, कैश मेमो संख्या 100 दिनांक 14.11.18 से 533800.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00601 दिनांक 26.12.18 से रु0 1160250.00, चेक संख्या 00604 दिनांक 19.1.19 से रु0 527870.00 कुली रु0 1688120.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया। जबकि

1- मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या 33/2017/977/48-वी(अति0उ0सौ0वि0)/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के माध्यम से अक्षय उर्जा विशेषकर सौरउर्जा आधारित संयंत्रों की व्यवस्था एवं क्रियाशीलता के दृष्टिगत संयंत्रों के अधिस्थापन से सम्बन्धित कार्यों का यू0पी0नेडा के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश है कि अक्षय उर्जा के क्षेत्र में यू0पी0नेडा की विशेषज्ञता एवं प्रदेश में इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की नोडल एजेन्सी होने के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से विभिन्न विभागों की योजनाओं से कराये जाने वाले अक्षय उर्जा विशेषकर सौरउर्जा सम्बन्धी समस्त कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय विकास अभिकरण (यूपीनेडा) से ही कराये जाने के आदेश के बावजूद स्थानीय फर्म से क्रय किया गया है जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है।

2- शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

3- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

4 - लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 17.00 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 1688120.00 को सम्बन्धित को चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही गम्भीर अनियमितता रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 1688120.00 पूर्णतः गंभीर अनियमितता है, जिसके लिए जेई आर0ई0डी0 श्री राम प्यारे कैथल, व खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार और सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी कर्मचारियों के प्रति वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 27 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा विकास खण्ड परिसर में बने आवासीय भवनों में वाटर सप्लाई कार्य की परियोजना लागत सामग्री रु0 89300.00, मजदूरी रु0 9700.00 कुल रु0 99000.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 2403 दिनांक 16.2.19 के माध्यम से श्री नरेन्द्र ए0डी0ओ0 (आईएसबी) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 15.2.19 को कोटेशन खोलकर सप्ताह का आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 मे0 सरिता सोनकर कंस्ट्रक्शन चतुरी मुराई का पुरवा फतेहपुर द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या 504 दिनांक 18.12.18 के माध्यम से रु0 85358.00 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00610 दिनांक 23.2.19 से रु0 85358.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 0 की करने के उपरान्त कुल रु0 85358.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1- शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

2- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

3- शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

4- उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल दिनांक 18.02.19 से 26.2.19 तक के मजदूरी रु0 10500.00 का भुगतान चेक संख्या 611 दिनांक 28.2.19 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 आईएसबी को भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गए हैं जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 (आईएसबी) 10500.00 का भुगतान किया गया है, बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता है। जो कार्य ही पूणतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

5- उक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का स्टीमेट 9700.00 का था और भुगतान श्री नरेन्द्र को 10500.00 अर्थात स्टीमेट से रु0 800.00 अधिक किया गया है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम-6 प्रस्तर 375-ए के विरुद्ध कार्य किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6- उक्त परियोजना में मे0 सरिता सोनकर कंस्ट्रक्शन चतुरी मुराई का पुरवा फतेहपुर द्वारा कैश मेमो संख्या 504 क्रमांक के 03 कैश मेमो कम्प्युटर द्वारा बनवाकर 85358.00 का बिल प्रस्तुत किया गया है। एक ही क्रमांक के तीन कैश मेमो का होना कैश मेमो काल्पनिक है।

7- लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 0.99 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 95868.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 95868.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र ए0डी0ओ0 आईएसबी0, जेई आरईडी श्री अरुण सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया और सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यककार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र ए0डी0ओ0 आईएसबी0 से रु0 23967.00, जेई आरईडी श्री अरुण सिंह से रु0 23967.00 व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया से रु0 23967.00 और सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद से रु0 23967.00 रुप ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 28 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा विकास खण्ड परिसर में निर्मित आवासीय भवनों में विद्युतीकरण कार्य की परियोजना लागत सामग्री रु0 86900.00, मजदूरी रु0 10100.00 कुल रु0 97000.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 2584 दिनांक 08.03.19 के माध्यम से श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0 को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 10.01.19 को टेण्डर खोलकर मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स सिराथू को सप्ताई हेतु अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स कुडवी सिराथू द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या 502, 503, 503, 504 दिनांक रहित के माध्यम से रु0 84934.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00606 दिनांक 25.01.19 से रु0 84934.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 0 की करने के उपरान्त कुल रु0 84934.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1- उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के 84934.00 का सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 84934.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

6— लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

7— उक्त परियोजना में मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स सिराथू द्वारा कैश मेमो संख्या 502 क्रमांक के एक, कैश मेमो संख्या 503 क्रमांक के दो, कैश मेमो संख्या 504 के एक कैश मेमो बनवाकर 84934.00 का बिल प्रस्तुत किया है। क्रमांक 503 के ही दो कैश मेमो का होना कैश मेमो काल्पनिक है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 0.87 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 84934.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 84934.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0, जेई आरईडी श्री अरुण सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया व सहायक लेखाकार श्री काजी आफताब अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यककार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार ए0डी0ओ0 सी0 से रु0 21098.50, जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री अरुण कुमार से 21098.50 व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया से रु0 21098.50, सहायक लेखाकार काजी आफताब अहमद से रु0 21098.50 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -29 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के द्वारा बाकराबाद रोड से गुड़ड़ गुप्ता के घर होते हुए कसियारोड मंदिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य परियोजना लागत सामग्री रु0 1136600.00, मजदूरी रु0 246200.00 कुल रु0 1382800.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 2583 दिनांक 08.03.19 के माध्यम से श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 आईएसबी0 को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 07.02.19 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 2582 दिनांक 08.03.19 को मे0 सन्नी इण्टरप्राइजेज इलाहाबाद को सप्लाय हेतु अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0

सन्नी इण्टरप्राइजेज इलाहाबाद द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या 147 दिनांक 14.3.19 के माध्यम से रुव 562610.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00618 दिनांक 05.03.19 से रु0 539151.00 एवं जीएसटी कटौती रु0 21450.00 की करने के उपरान्त कुल रु0 539151.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का

आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के 539151.00 का सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 539151.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रू0 13.83 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रू0 539151.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रू0 539151.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 आईएसबी0, जेई आरईडी श्री अरुण सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया व सहायक लेखाकार श्री अवनीश चन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यककार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 (आईएसबी0) से रू0 134787.75 , जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री अरुण कुमार से 134787.75 व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया से रू0 134787.75, सहायक लेखाकार श्री अवनीश चन्द्र श्रीवास्तव से रू0 134787.75 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 30 :—वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त के निधियावां भदवाँ बम्हरोली लिंक रोड से हाईवे से पहले तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य के कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य परियोजना लागत (स्टीमेट) सामग्री रू0 764700.00, मजदूरी रू0 135700.00 कुल रू0 900400.00 का तैयार किया गया है और कार्यालय पत्रांक 2589 दिनांक 25.02.19 के माध्यम से श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 (आईएसबी0) को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 07.03.19 को टेण्डर खोलकर कार्यालय पत्रांक 2590 दिनांक 08.03.19 को मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स कुण्डवी सिराथू को सप्लाय हेतु अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे0 जय मां शीतला ट्रेडर्स द्वारा अपने फर्म के कैश मेमो संख्या 828 दिनांक 08.3.19 के माध्यम से रू0 97200.00 का बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 00615 दिनांक 09.03.19 से रू0 93050.00 एवं जीएसटी कटौती रू0 4050.00 की करने के उपरान्त कुल रू0 93050.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। जबकि

1— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने से पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना चाहिए। शेष धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिभूति पूरी न हो जाय, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2— उ0प्र0क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किए जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा नहीं होने पर उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निस्पादित न करने पर बयाने की धनराशि जप्त कर ली जायेगी, का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

3— शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है, परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गए हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4— लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम विपरीत है।

5— शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी

जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित था, अथवा रवन्ना(एमएम-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है के नियम का पालन नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

6— उक्त निर्माण कार्य के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के 93050.00 का सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 93050.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 9.00 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 93050.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी, जो कार्य पूर्णतः प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 93050.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 (आईएसबी0), जेई आरईडी श्री अरुण सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया व सहायक लेखाकार श्री अवनीश चन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही सहित कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह ए0डी0ओ0 आईएसबी0 से रु0 23262.50, जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री अरुण कुमार से 23262.50 व खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया से रु0 23262.50, सहायक लेखाकार श्री अवनीश चन्द्र श्रीवास्तव से रु0 23262.50 से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

क्षेत्र पंचायत — चायल

मण्डल— प्रयागराज

तहसील चायल

प्रस्तर — 31 :—क्षेत्र पंचायत की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा व्यापार कर/ जी0एस0टी0 व लेबर सेसमात्र 12036.00 जमा किया गया है जबकि व्यापार कर/ जी0एस0टी0 व लेबर सेस की धनराशि रु0 488732.00 आपूर्तिकर्ता से नहीं काटा गया है जिसका विवरण निम्नवत है —

क्र.	विवरण	भुगतान की गयी धनराशि	लेबर सेस	व्यापार कर जी.एस. टी.	व्यापार कर जी.एस.टी. की धनराशि जो काटी गयी	अन्तर	वसूली योग्य धनराशि	जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	विकास खण्ड परिसर में मरम्मत सामग्री की आपूर्ति	444360 137391 197058 778809	7788	जमा नहीं	778809	786597	786597	श्रीमती श्वेता सिंह ख0वि0ओ0 श्री श्रीकान्त सिंह लेखाकार
2	ग्राम झसिया में इस्ताज अहमद के मकान से जी0टी0 रोड तक नाली निर्माण कार्य	471672	4717	12036	56601	55395	60112	उक्तानुसार
3	चरवा से कलापत का पुरवा में राम किशुन के मकान तक इण्टर लाकिंग कार्य	134418	1344	जमा नहीं	24195	24195	25539	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी ख0वि0ओ0 व श्री श्रीकान्त सिंह लेखाकार
4	मनौरी चायल मार्ग पर हेमलता	126364	1264	जमा नहीं	22746	22746	24010	श्री हरिश्चन्द्र सिंह ख0वि0ओ0 श्री मुकेश कुमार

	के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य							लेखाकार
5	चरवा में बाउन्ड्री निर्माण कार्य	788226	7882	—	94587	94587	102469	श्रीमती श्वेता सिंह ख0वि0अ0 एवं श्री मुकेश कुमार लेखाकार
	योग						998727	

इस प्रकार रू0 998727.00 व्यापार कर/जी.एस.टी./लेबर सेस सामग्री आपूर्तिकर्ता से कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उपरोक्त सम्बन्धित व्यक्तियों से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत — मंझनपुर

तहसील मंझनपुर

प्रस्तर — 32 :—क्षेत्र पंचायत की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा व्यापार कर/ जी0एस0टी0 व लेबर से सआपूर्तिकर्ता से नहीं काटा गया है जिसका विवरण निम्नवत है —

क्र.	सामग्री के भुगतान की धनराशि/ मजदूरी	मजदूरी की धनराशि	जी0एस0टी0	जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि	लेबर सेस 1%	अन्तर	वसूली योग्य धनराशि
1	ग्राम टेवा में सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा अवशेष कार्य रू0 671611	248411	102939	56123	2484	46816	49234
2	टेवा पश्चिम शरीरा रोड से टेवा गांव तक इन्टरलाकिंग कार्य रू0 501445	142177	102939	56123	6436	46816	53252
3	गौरा महेवा रोड से राजकुमार इण्टर कालेज तक इन्टर लाकिंग कार्य रू0 600385	125825	155287	—	6004	155287	161291
4	ग्राम बहादुरपुर दानूपुर मार्ग से दीवर कतारी सम्पर्क मार्ग पर इन्टर लाकिंग कार्य रू0 674151	157975	165120	—	6742	165120	171862
5	टेवा रोड से उमरा तक इन्टर लाकिंग कार्य	81300	134260	68806	3609	65454	69063

	रु0 360865						
6	प्रमुख कक्ष की पेन्टिंग रु0 157342	51175	2600	1896	1556	704	2260
						योग	506962

इस प्रकार रु0 506962.00 के राजकीय राजस्व की क्षति एकाउन्टेन्ट व बी.डी.ओ. 1—श्री राजेश सोनकर, 2—श्री अखिलेश तिवारी, 3—श्रीमती भावना यादव एवं लेखाकार —वीरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा पहुँचाई गयी है जिसकी बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली उपरोक्त कर्मचारियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3 क्षेत्र पंचायत-2018-19

क्षेत्र पंचायत- गौरा,

जनपद-प्रतापगढ़

प्रस्तर संख्या-1 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय-6 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के संबंध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही 20 प्रतिशत, तृतीय तिमाही 25 प्रतिशत तथा चतुर्थ तिमाही 35 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या-1568/38-4- 1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15 प्रतिशत से अधिक अवशेष नहीं बचना चाहिए।

वर्ष 2018-19 में गतवर्ष का अवशेष रु 6735258.28 वर्ष की आय रु0 16539066.00 रही कुल धनराशि रु0 23274324.28 के सापेक्ष रु0 14861191.8 व्यय किया गया है। जो उपलब्ध धनराशि का 63.85 प्रतिशत रहा, जिसके बाद अन्तिम अवशेष रु0 8413132.48 रहा जिसका प्रतिशत 36.15 रहा जो अनुदान का अनुपयोगी अप्रयुक्त रहा है।

संख्या द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है अनुदान का समयान्तर्गत उपयोग न किया जाना गम्भीर अनियमितता रही है जिसके उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकार श्री सत्येन्द्र सिंह व लेखाकार श्री भोला पाल हैं।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद का नाम	प्रा० अवशेष	वर्ष के प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	मनरेगा प्रशासनिक मद	64197.83	4679132.00	4067807.00	675522.83
2.	राज्य वित्त	5416261.80	4506551.00	5146316.00	4776496.8
3.	विधायक निधि	125988.75	3999490.00	2099517.00	2025961.75
4.	सांसद निधि	900055.00	759105.00	1327626.00	331534.00
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना	175473.90	352868.00	441009.8	87332.10
6.	बायोगैस	28781.00	870.00	—	29651.00
7.	पं० दीनदयाल/मु० मंत्री सामूहिक विवाह	24500.00	2241050.00	1778916.00	486634.00
	योग	6735258.28	16539066.00	14861191.8	8413132.48

दिनांक 31/03/2019 तेरहवाँ वित्त अन्तिम शेष रु0 1068.00 दर्शित रहा है जबकि वर्तमान समय में तेरहवाँ वित्त चौदहवाँ में परिवर्तित हो चुका है, उक्त राशि का समयोजन चौदहवाँ वित्त में अथवा शासन को वापस किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

दिनांक 31/03/2019 क्रिटिकल गैस रु0 1728.00 अंतिम शेष रहा, जो शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक 31.03.2019 गोवंश आश्रय स्थान में अंतिम शेष रु0 9893.80 रहा है। नियमानुसार उक्त शेष राशि को शासन को वापस किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा है।
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

अधिभार प्रतिवेदन क्षेत्र पंचायत बहरिया विकास खण्ड बहरिया जनपद- प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

प्रस्तर 1-श्रमांश के मद में मजदूरों की काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1529398.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किया गया है। जिसका भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है -

क्र०	वर्ष	मद का नाम	ब्लाक प्रमुख का नाम	ख.वि.अ. का नाम	अवर अभियन्ता का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि
1.	2018-19	तेरहवां वित्त	श्री कुलदीप पाण्डेय	श्रीमती दिव्या सिंह	श्री वी.पी. मिश्र	मो० असलम ग्रा.प.अ. श्री संजय कुमार शुक्ल ग्रा.वि.अ. श्री मिथिलेश कुमार मिश्र ग्रा.वि.अ.	52350.00 45000.00 35450.00
2.	2018-19	तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त	श्री कुलदीप पाण्डेय	श्रीमती दिव्या सिंह	श्री वी.पी. मिश्र श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता जे. ई.	श्री सुशील कुमार तिवारी, ग्रा.वि.अ. श्री संजय कुमार शुक्ल ग्रा.वि.अ. मो० असलम ग्रा.प.अ. श्री मिथिलेश कुमार मिश्र ग्रा.वि.अ. श्री प्रमोद कुमार सिंह। कट्टे श्री हरीश प्रताप सिंह ग्रा.प.अ. श्री राजेश कुमार शुक्ल ग्रा.वि.अ. सुशील कुमार तिवारी, ग्रा.वि.अ. श्री संजय कुमार शुक्ल ग्रा.वि.अ. मो० असलम ग्रा.प.अ.	385950.00 243400.00 223250.00 40300.00 61850.00 105300.00 101900.00 118698.00 71000.00 44950.00
						योग	1529398.00

उपरोक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 नियम संख्या 49 में निहित व्यवस्थानुसार निम्न कमियाँ पायी गई –

(क) मस्टररोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारी/अधिकारी अपने स्थाई अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा, जिसके समर्थन में मस्टररोल होगा।

(ग) भुगतान के सम्बन्ध में धनराशि पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्यप्रभारी/अधिकारी भुगतान का निम्न प्रमाणपत्र उस बिल पर अंकित करेगा “दिखाये गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गई है”। जो कि नहीं किया गया है।

(घ) नियम संख्या 49 प्रपत्र संख्या 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ड.) विकास खण्ड कार्यालय से मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किये गये हैं, और न ही उस पर कोई नम्बर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख वास्तविक हैं अथवा नहीं उसकी पुष्टि न की जा सकी। क्योंकि हस्ताक्षर व अगूठा निशान जो अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है।

(ज) तृ०/च० राज्य वित्त पत्रावली ग्राम पंचायत मुरादपुर में रामफेर गुप्ता के घर से नन्हे पंडित के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में संलग्न मस्टररोल धनराशि रु० 33500.00 जिसका भुगतान चेक संख्या 639 दिनांक 14.08.2019 को श्री हरीश प्रताप सिंह ग्रा.प.अ./कार्यप्रभारी को एवं पत्रावली ग्रा.प. नकदिलपुर में रामलाल पटेल के घर से देवेन्द्र शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में संलग्न मस्टररोल धनराशि रु० 52550.00 जिसका भुगतान चेक संख्या 566 दिनांक 14.12.2018 को कार्यप्रभारी श्री सुशील कुमार तिवारी ग्रा.वि.अ. को किया गया है। उक्त मस्टररोलों पर कार्यरत श्रमिकों के अगूठा निशान/हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये गये हैं। बगैर श्रमिकों के हस्ताक्षर प्राप्त किये कुल धनराशि रु० 86050.00 भुगतान किये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु० 1529398.00 का वर्ष 2018-19 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख ख.वि.अ. जे.ई. (अवर अभियन्ता) एवं कार्यप्रभारियों से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर 2—उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेवर सेस) नियोजित द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 10448595.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं। किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रु० 104486.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	मद का नाम	सामग्री (+) मजदूरी पर व्यय	1 प्रतिशत लेवर सेस	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	धनराशि
1	विधायक निधि	978480.00		(1) श्री कुलदीप पाण्डेय, ब्लाक प्रमुख	34829.00
2	तृ०/च० राज्य वित्त आयोग	8944454.00		(2) श्रीमती दिव्या सिंह, ख.वि.अ.	34829.00
3	तेरहवाँ वित्त	525661.00	104486.00	(3) श्री अमित भास्कर लेखाकार	34828.00
	योग	10448595.00			104486.00

प्रस्तर 3—वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधायक निधि के तीन कार्य तेरहवाँ वित्त के 3 कार्य एवं तृ०/च० राज्य के 21 कार्य इस प्रकार वर्ष 18-19 में कुल 27 निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 500.00 निर्धारित था जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बहरिया को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय रु० 40500.00 (27×3×500.00) होनी चाहिए थी, जिसे कैश बुक में न दर्शाकर ख.वि.अ. व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पद नाम	सन्निहित धनराशि
1	श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी	ख.वि.अ.	500.00
2	श्री अरुण कुमार त्रिपाठी	लेखाकार	500.00
3	श्रीमती दिव्या सिंह	ख.वि.अ.	19750.00
4	श्री अमित भास्कर	लेखाकार	19750.00
		योग	40500.00

प्रस्तर 4—क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों के लिए सामग्री क्रय ग्राण्ट रजिस्टर (द्वितीय) कैश बुक में दर्शित है, किन्तु मजदूरी का भुगतान उक्त कार्यों हेतु नहीं दर्शित है। सिर्फ फर्म के नाम से चेक निर्गत कर सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेखाकार से मौखिक पूछ-ताछ में बताया गया कि फर्म ही निम्नानुसार कार्य को सम्पन्न कराया गया है। जो अनियमित है जिस फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का भुगतान किया गया है वह फर्म सिर्फ सामग्री की ही आपूर्ति करती है। कार्य कराने का कार्य फर्म नहीं करती है। स्पष्ट है कि फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख ख.वि.अ. एवं जे.ई (अवर अभियन्ता) से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कुल धनराशि	आयकर	जी.एस.टी.	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेक सं०/तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता	
1.	18-19	विधायक निधि	(1) देवरिया में पक्की सड़क से अरुण दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	151697.00	3489.00			148208.00	251 / 06.04. 2018	मे० कृष्णा इ.प्रा० इला०	श्री सुभाष त्रिपाठी ख.वि. अ. श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख श्रीमती दिव्या सिंह ख.वि.अ. श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
			(2) पक्की सड़क से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग कार्य	65521.00	1507.00			64014.00	258 / 17.05. 2018	मे० कृष्णा इ.प्रा० इला०	श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख श्री सुभाष त्रिपाठी ख.वि. अ. श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
			(3) ग्राम पंचायत सरायदत्ते में राम लीला मैदान से मुख्य सड़क तक तथा प्रा०वि० सरायदत्ते में इण्टरलाकिंग	282563.00	6499.00			276064.00	254 / 06.04. 2018	मे० कृष्णा इ.प्रा० इला०	श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख श्री सुभाष त्रिपाठी ख.वि. अ. श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
				478699.00	9830.00	8548.00	34193.00	426128.00	265 / 05.01. 2019	अतुल सिंह मऊआइमा इला०	श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख श्रीमती दिव्या सिंह ख.वि.अ. श्री भगवत प्रसाद मिश्र जेई(अभियन्ता)

			ग कार्य								
			योग	978480.00	21325.00	8548.00	34193.00	914414.00			

अतः उपरोक्तानुसार व्यय धनराशि रु० 978480.00 उपरोक्त कार्यों के लिए सिर्फ सामग्री खरीद पर व्यय दर्शित है। बगैर मजदूरी के कार्यों का पूर्ण होना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं रहा।

स्पष्ट है कि फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली अभिलेखों में दर्शित कार्य अवधि के अनुसार श्री कुलदीप पाण्डेय ब्लाक प्रमुख से रु० 326160.00, श्री सुभाष त्रिपाठी ख.वि.अ. से रु० 144754.00, श्री गजेन्द्र गुप्त जे.ई. से रु० 166594.00, श्रीमती दिव्या सिंह ख.वि.अ. से रु० 181407.00 तथा श्री भगवत प्रसाद मिश्र जे.ई. से रु० 159565.00 ब्याज सहित वसूल कर सम्बन्धित बैंक खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 में संस्था के पास अवशेष व्याज की धनराशि रु० 330867.15 दर्शित है। जिसे राजकोष में अविलम्ब ब्याज सहित जमा कराये जाने हेतु ख.वि.अ. एवं लेखाकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम:- शामली

सम्भाग-सहारनपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तिया:-

प्रस्तर 1- क्षेत्र पंचायत-ऊन, विकास खण्ड-ऊन, लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली के अभाव में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष किये गये व्यय को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है जिस कारण दर्शित भुगतान अपुष्ट एवं संदिग्ध रहे है अतः या तो पत्रावली प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा 1052851.00 रु० की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ०जे०ई० एवंलेखाकार से अपेक्षित है।विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	कराये गये कार्य के नाम	धनराशि	चैक सं०/दिनांक	धन प्राप्तकर्ता
1	ग्रांट रजिस्टर अनुसार किया गया व्यय	269021	आर०टी०जी०एस० /17-10-17	के.आर. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
2	ग्रांट रजिस्टर अनुसार किया गया व्यय	131946	आर०टी०जी०एस० /17-10-17	के.आर. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
3	ग्रांट रजिस्टर अनुसार किया गया व्यय	115850	आर०टी०जी०एस० /17-10-17	श्री प्रमोद कुमार डिंगल जे.ई.
4	केरटू में करनाल रोड से अजीजपुर ईदगाह में मिट्टी खंडजा	54832	843682/06-3-18	डी.के. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
5	विकास खण्ड कार्यालय ऊन में पुताई काय	274490	843683/06-3-18	डी.के. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
6	पावटी खुर्द में कांठानालापटरीपर गांव की ओर मिट्टी खंडजा	63141	843684/06-3-18	डी.के. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
7	पिण्डोरा से भाऊ खेडा सम्पर्क मार्ग पर खंडजा	221345	843725/31-10-18	डी.के. ट्रेडर्स कान्स्ट्रक्टर
8	ओदरी से कबीर पुर सम्पर्क मार्ग पर खंडजा	122226	843747/18-12-18	लोकचन्द कान्स्ट्रक्टर
		1052851		

	;ksx&		

(आ0 स0-2)

प्रस्तर 2— क्षेत्र पंचायत-ऊन, विकास खण्ड-ऊन ग्राम असरफरपुर में शमशान घाट में मिट्टी खंडजा कार्य 14-07-16 से 28-09-16 तक कार्यादेश संख्या 413 दिनांक 14-07-16 नियुक्त कार्यधिकारी श्री प्रमोद कुमार डिंगल जे0ई0 की देखरेख में सम्पन्न किया जाना दर्शित है। जिसमें निम्न कमियाँ पाई गई—

(क) उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान मस्टररोल अवधि 1-9-16 से 28-09-16 तक कुल रु0 233250-00 चैक संख्या 313343 व दिनांक 12-09-17 को किया गया। मजदूरी का भुगतान 11 माह 13 दिन बाद किया गया है। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा।

(ख) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं, सौ रु0 के स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित ठेकेदारों के एफेडेवित नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 स0-3)

प्रस्तर 3 क्षेत्र पंचायत-ऊन, विकास खण्ड-ऊन उत्तर प्रदेश उप, खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39 वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसंबर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापत्र रवन्ना एम एम-11 एवं रायल्टी अंकन रु0 14-00 प्रति घनमीटर की दर से देय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है निम्नविवरणानुसार इस प्रकार कुल रु0 45120-60 की राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से सुनिश्चित कर राज कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 स0-04)

प्रस्तर 4— क्षेत्र पंचायत-ऊन, विकास खण्ड-ऊन, निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच करने पर पाया गया है कि कार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख एम0बी0 पत्रावलियों में संलग्न नहीं पायी गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है—

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्यधिकारी का नाम व पद	कुल धनराशि	चेक सं. व दिनांक	प्राप्तकर्ता
1	ग्राम गागौर से पिण्डोरा सम्पर्क मार्ग मिट्टी खंडजा कार्य	श्री ब्रह्म प्रकाश जे0ई0	206056 557135	843736/07-12-18 843723/31-10-18	डी0 के ट्रेड्स
2	ग्राम पिण्डोरा से अम्बेहटारिदान की ओर सम्पर्क मार्ग मिट्टी खंडजा	श्री ब्रह्म प्रकाश जे0ई0	40653 458846	843741/07-12-18 843729/31-10-18	मैसर्स ऋषिपाल कान्स्ट्रक्टर
3	ग्राम पठानपुरा से गढी सीमा की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खंडजा	श्री ब्रह्म प्रकाश जे0ई0	312303 420474	843763/20-05-19 843743/18-12-18	डी0 के ट्रेडर्स
4	ग्राम आमवाली में पक्की सड़क से रंगानाफार्म सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खंडजा	श्री ब्रह्म प्रकाश जे0ई0	328520	843745/18-12-18	डी0 के ट्रेडर्स
	योग—		2323987		

(आ0 स0 - 05)

प्रस्तर 5— क्षेत्र पंचायत-शामली, विकास खण्ड-शामली, वर्ष 2017-18 में क्रिटिकल गेप्स योजना का रु0 814000-00 आरम्भिक शेष ग्रांट रजि डी0 3 के अनुसार दर्शित था। उक्त से रु0 692299-00 का उपभोग किया जाना दर्शाया गया है। वर्ष 18-19 में उक्त योजना में उपभोग रु0 448387-00 किया जाना दर्शाया गया है। उक्त किया गया उपभोग की पुष्टि में सम्बन्धित बिल/बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में उक्त उपभोग प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0 - 03)

प्रस्तर 6 क्षेत्र पंचायत— शामली, विकास खण्ड— शामली दिनांक 10-07-18 से 19-10-18 विकास खण्ड कार्यालय मरम्त कार्य में दिनांक 28-12-18 को अंकन रु0 448942-00 रिट्रिमा कन्सट्रक्शन के चैक संख्या 380422 व दिनांक 17-07-19 को अंकन रु0 177331-00 चैक संख्या 575331 द्वारा भुगतान किया गया है। विकास खण्ड के कार्यालय के कार्यदेश संख्या 161 व दिनांक 10-08-18 से श्री रामकुमार वर्मा को अवर अभियन्ता को कार्याधिकारी नियुक्त किया गया । किन्तु पत्रावली में एम0बी0 श्री ब्रह्मप्रकाश अवरअभियन्ता की संलग्न है। जब कार्यदेश श्री रामकुमार वर्मा अवरअभियन्ता के नाम थातो एम0बी0 श्री ब्रह्मप्रकाश अवर अभियन्ता से क्यों करायी गयी । लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा । साथ ही पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति के फोटो भी संलग्न नहीं पाये गये। जिससे उक्त किया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0-04)

प्रस्तर 7— क्षेत्र पंचायत— शामली, विकास खण्ड— शामली ग्रांट रजि0 3 के अनुसार माह जुलाई 2018 में आंगनवाडी मद में रु0 214494-00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली /अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराई गयी है। जिससे उक्त किया गया व्यय प्रमाणित नहीं होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0-05)

प्रस्तर 8 क्षेत्र पंचायत—थानाभवन, विकास खण्ड—थानाभवन, लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली के अभाव कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष किये गये व्यय को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जिस कारण दर्शित भुगतान अपुष्ट एवं सदिग्ध रहे है। अतः पत्रावली प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा 266877-00 रु0 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0जे0ई0 एवं लेखाकार से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.स.	कराये गये कार्य का नाम	धनराशि	चैकसंख्या/दिनांक	धन प्राप्तकर्ता
1	विकास खण्ड कार्यालय थाना भवन की मरम्त कार्य	46810-00	227958/26-03-18	श्री प्रमोद राणा कान्स्ट्रक्टर
2	अम्बेहटा से काशीपुर मार्ग पर मिट्टी खंडजा कार्य	126658-00	228014/18-03-19	श्री प्रमोदराणा कान्स्ट्रक्टर
3	मानकपुर पलठेडी मार्ग पर मिट्टी खंडजा कार्य	113409-00	228015/18-03-19	श्री प्रमोदराणा कान्स्ट्रक्टर
योग— 286877-00				

(आ0 स0 -02)

प्रस्तर 9 क्षेत्र पंचायत—कैराना, विकास खण्ड—कैराना, लेखा परीक्षा वर्ष मे निम्नलिखित कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण दर्शाये गये भुगतान अपुष्ट एवं सदिग्ध रहे है। अतः या तो पत्रावली प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि कराई जाये, अतः 4632749-00 रु0 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 लेखाकार से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.स.	कराये गये कार्य का नाम	धनराशि	चैकसंख्या/दिनांक	धन प्राप्तकर्ता
1	ग्राम भूरा में रजबाहे से आबिद की ट्यूबवैल तक खंडजा निर्माण	423516	969399/10-04-17	श्री इमरानअली
2	विकास खण्ड कैराना के टाइप 1 आवास की मरम्तकार्य	155508	969402/20-04-17	श्री इमरानअली
3	गोगवान में नहर के पुल से खंडजा निर्माण	834243	969403/05-05-17	श्री इमरानअली
4	गोगवान में मेहदी की ट्यूबवैल से खंडजा निर्माण	342611	969404/05-05-17	श्री इमरानअली

5	ग्राम बसेडा में नाली निर्माण	916002	969413/30-05-17	श्री इमरानअली
6	विकास खण्ड कैराना के कार्यालय का मरम्मतकार्य	841713	969414/30-05-17	मैसर्स सौरभ कान्स्ट्रक्टर
7	ग्राम बसेडा में नाली निर्माण	552573	969415/01-07-17	श्री इमरानअली
8	विकास खण्ड कैराना में नवीनीकरण हेतु भुगतान	296293	969423/25-08-17	श्री इमरानअली
9	दस सोलर लाइट स्थापित	259990	301153/29-01-19	अक्षय ऊर्जा शोप, सहारनपुर
10	बैट्रालगाई	10300	301154/-06-02-19	मौ0कासिम, उर्दू अनुवादक
योग—		4632749		

अ— क्रमांक 9 पर अकिंत सोलर लाईट का भुगतान अक्षय ऊर्जा शोप सहारनपुर को बिल गया है, जो गम्भीर अनियमितता रही है। क्योंकि सोलर लाईट के क्रय करने हेतु प्रथम प्राथमिकता नेडा विभाग से होनी चाहिए। वहां उपलब्ध न होने (लिखकर प्राप्त करने के उपरान्त ही) की दशा में ही बाहर से लाईट क्रय की जा सकती है।

यह भी अज्ञात रहा कि उक्त लाईट कहां लगायी गई।

ब—क्रमांक 8 पर अकिंत विकास खण्ड कैराना में नवीनीकरण हेतु 296293-00 रु0 का भुगतान दर्शित है, परन्तु यह अज्ञात रहा कि नवीनीकरण किसका अथवा किस स्थान पर कराया गया है। स्पष्ट करें।

(आ0 स0— 02)

प्रारूप-3

जनपद—चन्दौली

मण्डल—वाराणसी

क्षेत्र पंचायत

1— क्षेत्र पंचायत चहनियां

वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—1 क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 116843.00 का स्थानांतरण राज्य वित्त आयोग निधि में कर सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है। जबकि सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत मदों का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। सम्प्रेषण में उपर्युक्त धनराशि रु0 116843.00 की अनियमितताहेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकारउत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में 86 जोड़ों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा रु0 35000.00 में से रु0 20000.00 कन्यादान हेतु आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कन्या के खाते में, रु0 10000.00 की सामग्री तथा रु0 5000.00 व्यवस्था हेतु एवं 100 जोड़ों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा रु0 51000.00 में से रु0 35000.00 कन्यादान हेतु आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कन्या के खाते में, रु0 10000.00 की सामग्री तथा रु0 6000.00 व्यवस्था हेतु व्यय किया गया है। अर्थात् कुल आर0टी0जी 0 एस0/ अनुदान $86 \times 20000 + 100 \times 35000 = \text{योग} = 5220000.00$ अनुदान दिया गया। शेष धनराशि सामग्री एवं

व्यवस्था पर अर्थात् $86 \times 10000 + 86 \times 5000 + 100 \times 10000 + 100 \times 6000 = \text{रु0 } 2890000.00$ व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में उपर्युक्त धनराशि के व्यय सम्बन्धी कोई भी वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे की उपर्युक्त धनराशि की पुष्टि हो सके। अतः लेखा परीक्षा में उपर्युक्त धनराशि रु0 2890000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आगामी वर्ष की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त व्यय धनराशियों का वाउचर प्रस्तुत करें। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 गोवंश आश्रय स्थल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 96270.00 प्राप्त हुआ है। गोवंश आश्रय स्थल ग्राम पपौरा को रु0 42720.00 तथा ग्राम सर्वानंदपुर को रु0 18930.00 कुल रु0 61650.00 किया गया है। व्यय से संबंधित कोई भी वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रु0 61650.00 की अनियमितता हेतु लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 दिनांक 31.03.2019 को अनुदान पंजिका के अनुसार रु0 8439412.45 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष दर्शित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2018 को भी रु0 6336438.59 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष था। स्पष्ट है कि राज्य के अनुदान की धनराशि को निरंतर अवशेष रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार अनुदान की धनराशि प्राप्ति तिथि से 12 माह के अंदर उपभोग कर लिया जाना चाहिए था। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार भी प्राप्त अनुदान का उपभोग और उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आग्रह पर अनुदान की किश्तें अवमुक्त की जानी थी। अतएव इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था द्वारा काल्पनिक उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर अग्रेतर किश्तें प्राप्त की जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ अनुदान की धनराशि रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2- क्षेत्र पंचायत सकलडीहा वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-5 आयकर अधिनियम 1961; यथा संशोधित) धारा 194ब के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती की 2 प्रतिशत से सुनिश्चित की जानी है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर अन्दर सरकारी खजानों में जमा करने में असमर्थ रहता है। तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता (एसेसी इन डिफाल्ट) माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड पेनाल्टी लगाई जा सकती है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गयी कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा नहीं कराता तो उसे कम से कम तीन माह का कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार स्रोत पर आयकर कटौती न करने वाला व्यक्ति डीडीओ को वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के भीतर सम्बन्धित करदाता को टीडीएस प्रमाणपत्र फार्म 16/16ए निर्गत कर देना चाहिए। यदि निर्धारित समय में ऐसा नहीं होता है तो धारा 272ए/2जी के अनुसार अर्थदण्ड कम से कम रु 100/- प्रतिदिन की दर से लगाया जायेगा। जो कि दोष जारी रहने की अवधि के मध्य रु0 200 प्रतिदिन तक हो सकता है। वर्ष 2018-19 में निम्न व्यय सामग्री पर किया गया है-

राज्य वित्त			
दिनांक	चेक सं0	धनराशि	फर्म का नाम
7.4.18	-6664	28000	मे0 महावीर कं0
7.4.18	6665	59000	मे0 महावीर कं0

7.4.18	6666	73000	मे0 महावीर कं0
7.4.18	6667	134069	मे0 निधि इण्टरप्राइजेज
16.5.18	6671	264346	मे0 बाबा कालभैरव
28.5.18	6672	37975	मे0 लाइव वर्ल्ड
28.5.18	6673	151425	मे0 अंजनी टेडर्स
28.5.18	6674	171000	मे0 अंजनी टेडर्स
28.5.18	6675	177000	मे0 अंजनी टेडर्स
28.5.18	6676	550000	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
28.5.18	6677	500000	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
28.5.18	6678	500000	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
14.6.18	6679	109333	मे0 अंजनी टेडर्स
9.8.18	6680	83267	मे0 अंजनी टेडर्स
9.8.18	15421	304085	मे0 अंजनी टेडर्स
9.8.18	15422	280000	मे0 बाबा कालभैरव
9.8.18	15424	100000	मे0 महावीर कं0
9.8.18	15425	450000	मे0 महावीर कं0
13.8.18	15427	238176	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
13.8.18	15429	126634	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
18.2.19	14439	154560	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
18.2.18	15430	490051	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
18.2.18	15432	333189	मे0 महावीर कं0
18.2.18	15434	129659	मे 0 कालभैरव इण्टरप्राइजेज
18.2.18	15436	344389	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
18.2.18	15437	411046	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
18.2.18	15438	561247	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
21.2.19	14681	21643	मे0 महावीर कं0
21.2.19	14684	50000	मे0 अनुराग कं0 कं0
21.2.19	14685	50000	मे0 दिव्या टेडर्स
21.2.19	14686	50000	संत कीनाराम क0 कं0
9.3.19	14687	56587	मे0 अंजनी टेडर्स
9.3.19	14692	181038	मे0 अंजनी टेडर्स
9.1.19	14696	133880	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
9.3.19	14697	99935	मे0 ओरियण्टल क0 कं0
25.3.19	14698	255239	मे0 अनुराग कं0 कं0
25.3.19	20683	355156	मे0 दिव्या टेडर्स
विधायक निधि			
4.11.18	XXX679	51664	मे0 अंजनी टेडर्स
	योग	8066593	

इस प्रकार नियमानुसार रु 8066593 सामग्री क्य पर व्यय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु 161332 आयकर की कटौती की जानी थी। लेकिन संस्था द्वारा किसी भी बिल से आयकर कटौती नहीं की गयी। उपरोक्त नियमों के आलोक में आयकर ब्याज सहित राजकोषागार में कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 शासनादेश सं0 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के सन्दर्भ में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार 2 फरवरी 2001 और अनुवर्ती शासनादेशों में यह निर्देश दिए गये हैं कि उपखनिज प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय की प्राप्त किए गए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैद्य अधिवहन प्रपत्र एमएम11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं। शासनादेश सं0 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.9.16 के अनुसार वैद्य फार्म 3ब प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे मामलों में जिसमें एमएम 11/फॉर्म 3 सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर लेखा शीर्ष- 0853 में अवश्य जमा करा लिया जाय।

किंतु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में माह जनवरी तक क्रीत उपखनिजों पर एमएम 11/फॉर्म 3 सी प्रस्तुत नहीं किए गए न ही रायल्टी की कटौती की गयी। जो आपत्तिजनक रहा। माह फरवरी में रु0 17558 व माह मार्च में रु 9528 अर्थात् कुल रु 27086 रायल्टी की कटौती की गयी। किंतु उक्त घन कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी। नियमानुसार दिसम्बर तक के क्रीत उपखनिजों पर रायल्टी की गणना कर रायल्टी का धन तथा रु 27086 रोक कर रखे गए धन क जमा कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 शासनादेश सं0 ए-1-1450/दस-96-10(11)193 दिनांक 29.06.1985 सरकारी सेवकों को विशेष परिस्थिति में रु 5000.00 तक का भुगतान आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपनी जिम्मेदारी पर सरकारी सेवक को दिया जा सकता है। इससे अधिक के सारे भुगतान खातों में किए जाने चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) एक्ट 2017 दिनांक 15.2.17 के अनुसार ऑल वेजेस शुड बी पेड बाय चेक इन बैंक अकाउंट विधायक निधि के अर्न्तगत चेक सं0 678/4.11.18 के द्वारा रैपुरा में खडंजा निर्माण कार्य पर रु0 12775 मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खातों में न करके अनियमित रूप से कार्य प्रभारी श्री आलोक कुमार एडीओ आईएसबी को दिया गया है। उपरोक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन ख0 वि0 अ0; लेखाकार एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 153 के अनुसार सभी उपभोग्य वस्तुओं डेड स्टॉक और लेखन सामग्री के लिए स्कन्ध रखी जायेगी। प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग-अलग पृष्ठ होगा। स्कन्ध बही प्रत्येक माह बन्द की जायेगी और विभागीय अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार स्टेशनरी कय किया गया है-

4.5.18	स्टेशनरी	12000	मे0 पुष्कर स्टेशनरी
29.8.18	स्टेशनरी	30997	मे0 विद्यार्थी पु0 भ0
14.9.18	स्टेशनरी	4300	मे0 विद्यार्थी पु0 भ0
5.1.19	स्टेशनरी	9000	मे0 विद्यार्थी पु0 भ0
	योग	56297	

उक्त स्टेशनरी का स्टॉक रजि0 नहीं रखा गया है। जिससे गत वर्ष क्रीत ; उपभोग व अवशेष सामग्री की पुष्टि नहीं हो सकी। शासनादेश सं0-3639/पी0एस0/18-8-90-21(2)पी0एस0-90 दिनांक 15-2-90 द्वारा लेखन सामग्री के कय का अधिकार निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद से हटाकर विभागों में प्रतिधानित कर दिया गया है। जिसके अनुसार विभागाध्यक्ष एक बार में रु 50000 तथा कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रु 20000 तक के लेखन सामग्री कय कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर दिनांक 29.8.18 को एक बार में रु 30997 की स्टेशनरी कय कर शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख0 वि0 अ0 व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रशासनिक मद में निम्न धनराशियों का भुगतान सामग्री/सेवा के बिल के सापेक्ष सम्बंधित फॉर्म/व्यक्ति को खाते में चेक से न देकर किसी अन्य को देकर अनियमितता की गयी है। शासनादेश ए-1-1450/दस-96-10(11)-93 दिनांक 23.7.96 भण्डार कय नियम 17ग के अनुसार 2000 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाना है।

दिनांक	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति सर्व श्री
7.4.18	10000	-	प्रिया मौर्या
4.5.18	40000	एनआरएलएम मीटिंग व्यवस्था हेतु	आलोक कुमार
14.5.18	9600	पीएमएएम विज्ञापन	इस्तहाक बाबू
13.6.18	38684	पीएमएवाई निर्माण	प्रिया मौर्या
13.6.18	31316	पीएमएवाई निर्माण	प्रिया मौर्या
11.11.18	11177	कम्प्यूटर मरम्मत	ब्रजभूषण सिंह
11.11.18	12000	कम्प्यूटर मरम्मत	ब्रजभूषण सिंह
5.2.19	12345	सबमर्सिबल मरम्मत	इस्मै आलम

23.2.19	16600	फोटो स्टेट व क0 मरम्मत	इस्मेआलम
27.12.18	7000	कम्प्यूटर टोनर	ब्रजभूषण सिंह
6.3.19	8000	बिजली मरम्मत	इस्मेआलम
11.11.18	6545	जीप मरम्मत	अशोक कुमार त्रिपाठी
—	5600	जीप मरम्मत	अशोक कुमार त्रिपाठी
25.3.19	7000	जीप मरम्मत	अशोक कुमार त्रिपाठी
योग	215867		

रु0 215867 का व्यय अनियमित रूप से किया गया। इसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की गयी। इसके लिए ख0वि0अ0 व लेखाकार तथा सम्बंधित प्राप्तकर्ता उत्तरदायी रहे। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—10 वित्तीय वर्ष 2018—19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अर्न्तगत निम्न व्यय कय के बिल/इनवायस के सापेक्ष एकाउण्ट पेयी चेक से न करके अन्य व्यक्ति/स्टॉफ को किया गया है।

दिनांक	धनराशि	मद	उत्तरदायी
7.4.18	19600	साडी कपडा	श्री आलोक पाण्डेय
7.4.18	11900	पायल बिछिया	श्री आलोक पाण्डेय
7.4.18	14000	वर्तन सेट	श्री आलोक पाण्डेय
28.5.18	90000	मद अस्पष्ट	श्री आलोक पाण्डेय
29.6.18	10000	साडी का अवशेष भुगतान	श्री आलोक पाण्डेय
13.6.18	39997	मद अस्पष्ट	श्री आलोक पाण्डेय
योग	185497		

इस प्रकार रु 185497 का भुगतान अनियमित रूप से दिया गया। जिसके लिए ख0 वि0 अ0लेखाकार एवं श्री पाण्डेय उत्तरदायी रहे। कार्रवाई हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—11 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में कई कार्यों में एक ही प्रकृति के कार्यों में राजगीर की मजदूरी मनमाने ढंग से 350, 360 व 380 के दर से दी गयी है। जिन कार्यों पर 350 से अधिक मजदूरी दी गयी है उनका विवरण निम्न प्रकार है—

कार्य का नाम	कार्यावधि	राजगीरों का मानव दिवस	दर	अधिक भुगतान	कार्य प्रभारी
1—रानेपुर में बसन्तू शर्मा के घर से रमनिया के घर तक सीसी रोड	कार्यावधि का अंकन नहीं है	168	380	5040	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एडीओ पेड़ व यमुना सिंह यादव जेई आरईएस
2—फुल्ली में कमलेश यादव के घर से गुलाब तिवारी के खेत तक सीवर नाली का कार्य	1—7—18 से 21—7—18	84	360	840	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एडीओ पेड़ व जगदीश प्रसाद जेई आरईएस
3—डेढावल में सकलडीहा — कमालपुर मार्ग से राम औतार हरिजन के घर तक सीसी रोड	05—7—18 से 12—7—18 ; 13—7—18 से 19—7—18 से 21—7—18 से 27—7—18	28 28 28	380	2520	श्री संजय यादव ग्राविअ एवं यमुना सिंह यादव ; जेई आरईएस
4—रानेपुर में जीउतराम के घर से पुष्पा सिंह के घर तक खडंजा कार्य	21—5—18 से 27—5—18 21—5—18 से 27—5—18	133 66	380	5970	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एडीओ पेड़ व यमुना सिंह यादव जेई आरईएस

5-लेहरा धर्मराज के घर से हरदेव के घर तक सीसी रोड	5-7-18 से 11-7-18 12-7-18 से 18-7-18 20-7-18 से 26-7-18	26 28 28	380	2460	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एडीओ पेड़ व जगदीश प्रसाद जेई आरईएस
6- खोर में सिधारी के घर से राम अघार के घर तक व पोखरी तक नाली	15-1-19 से 19-1-19 तक	20	380	600	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एडीओ
योग				17430	

अधिक दर से किए गए मजदूरी के भुगतान का औचित्य या शासनादेश प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखाकार से पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजगीरो की मजदूरी की दर 350 प्रति कार्य दिवस से अधिक का भुगतान करते हुए कुल रु0 17430 अधिक भुगतान अनियमित रूप से किया गया। जिसके लिए कार्य प्रभारी लेखाकार एवं ख0वि0अ0 उत्तरदायी रहे। इनसे वसूली कर उक्त धन राजकीय कोष में जमा कराने हेतु उचित कार्यवाई किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

अ-क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से "खोर में सिधारी के घर से राम आघार के घर तक, ओम प्रकाश के घर होते पोखरी तक नाली के निर्माण कार्य में मे0 अंजनी टेडर्स से निम्न संदिग्ध क्य किया गया है।

इनवाइस सं 201	22.5.18	151425
इनवाइस सं 16	23.5.18	192600
इनवाइस सं 103	दिनांक नहीं	56587
	योग	400612

इनवाइस पर बुक सं0 नहीं है। इनवाइस की क्रम सं0 इसे संदिग्ध बनाती है। रु0 400612 का संदिग्ध वाउचर पर क्य कर अनियमितता की गयी जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, लेखाकार व ख0वि0अ0 उत्तरदायी रहे। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ब- इसी प्रकार क्षे. प. द्वारा राज्य वित्त से "लेहरा धर्मराज के घर से हरदेव के घर तक सीसी रोड "कार्य में प्रयुक्त मस्टररोल दि0 5.7.18 से 26.7.18 से स्पष्ट है कि कार्य 5 जुलाई से 26 जुलाई के बीच किया गया। जबकि "अनुराग कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स"से रु0 306362 सामग्री का क्य प्रमाणक बुक सं0 1 क्रम सं0 5 दिनांक 12.2.19 का है। यदि सामग्री का क्य 12.2.19 को किया गया तो सीसी रोड का निर्माण जुलाई में नहीं किया जा सकता है। कार्य पर एमबी के अनुसार सामग्री मद में 306362.48 तथा श्रम में 77789 सहित कुल रु 384151.48 व्यय किया गया है। एमबी पर कार्य प्रा0 की तिथि एवं समाप्ति की तिथि व मापन तिथि का अंकन नहीं है। चरणवार एमबी पर एमबी कर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। अंत में 25.3.19 को जेईआरईएस व बीडीओ का एक जगह हस्ताक्षर है। प्रयुक्त मस्टररोल पर उपस्थिति अंकित करने वाले कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है। कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र नहीं बना है। इस प्रकार व्यय किया गया धन 384151.48 संदिग्ध रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

अ-क्षे. प. द्वारा राज्य वित्त से रानेपुर उकनीमाइनर से रामजानकी मंदिर तालाब तक हयूम पाइप कार्य पर चेक सं 014695 द्वारा दिनांक 9.3.19 को रु 43050 मजदूरी व चेक सं0 015436 द्वारा दिनांक 18.2.19 को रु0 344389 सामग्री सहित कुल रु0 387439 का भुगतान किया गया है। इस भुगतान में प्रयुक्त एमबी निम्न कारणों से विधि विरुद्ध व मान्य नहीं है-

क- इस पर मापन की तिथि (ऐबस्ट्रैक्ट कास्ट) एमबी कर्ता का हस्ताक्षर ख0वि0अ0 का हस्ताक्षर नहीं है।

ख-एमबी/स्टीमेट पर अंकित कतिपय सामग्री की दर एवं प्रमाणक पर अंकित सामग्री पर अंकित दर में अंतर है-

क्रम	सामग्री	मापन पुस्तिका पर दर	प्राक्कलन पर दर (समान)	प्रमाणक क्रम सं 62 व 63

सं०		(समान मात्रक में)	मात्रक में)	पर दर (समान मात्रक में)
1	सीमेंट	332	332.20	260
2	फाइन सैंड	840	840	750
3	कोर्स सैंड	1909	1909	1400
4	ईट टुकड़ा	997.50	997.50	999
5	ईट	5.775	5.775	6.0
6	पत्थर गिट्टि	2791	2791.50	2740
7	एचपीएनपी 3 350 एमएम	1152	1152	1100
8	वालर 92 नं०	168	168/94 नं०	140/ 92 नं०

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि रु 387439 की भुगतान संदिग्ध एमबी व वाउचर के आधार पर कर अनियमितता की गयी । जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री आलोक पाण्डेय श्री विनोद कुमार मिश्र एवं लेखाकार तथा ख०वि०अ० उत्तरदायी रहे । जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

ब-राज्य वित्त से "रानेपुर में राम जानकी मंदिर के पास तालाब भीटा बाउण्डीवाल का निर्माण" कार्य कराया गया है जिस पर चेक सं० 014693 से दिनांक 9.3.19 के द्वारा रु 150850 श्रम मद में तथा चेक सं० 015438 से दिनांक 15.2.19 के द्वारा रु 561247 सामग्री मद में सहित कुल 712097 व्यय किया गया है । जिसकी एमबी रु० 582501 तथा सामग्री मद में तथा रु० 171911 श्रम मद में की गयी हैं । जिस पर कार्य प्रारम्भ की तिथि, समाप्ति की तिथि, मापन की तिथि, एमबी कर्ता का नाम तथा एमबी कर्त्ता का हस्ताक्षर व ख०वि०अ० का हस्ताक्षर नहीं है । यह एमबी विधिमान्य नहीं है । इस प्रकार उक्त कार्य योजना पर व्यय किए गए रु० 712097 अनियमितता हेतु कार्य प्रभारी श्री आलोक पाण्डेय व श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन लेखाकार एवं ख०वि०अ० उत्तरदायी हैं । जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14 राज्य वित्त से "रानेपुर में जीउतराम के घर से पुष्पा सिंह के मशीन तक खडंजा कार्य" में सामग्री कय का प्रमाणक मे० ओरियण्टल क० कं० सलेमपुर घौरहरा सकलडीहा चन्दौली का इवनाइस नं० 7 दिनांक 27.5.18 का लगा है जो निम्न कारणों से संदिग्ध है-

1-यह प्रमाणक फोटो स्टेट है । मूल प्रति उपलब्ध नहीं है तथा विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है ।

2-वाउचर पर 127750 ईट (5775 प्रति हजार की दर से) का मूल्य रु 737756 तथा "फोटो" का भुगतान 420 सहित कुल रु 738176 अंकित है । जबकि नियमानुसार ईट का कय भट्टे से किया जाना था और ओरियण्टल कन्स्ट्रक्शन कं० द्वारा फोटो का बिल देना संभव नहीं है । स्पष्ट है कि संदिग्ध वाउचर के आधार पर रु 738176 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय व जमुना प्रसाद तथा तत्कालीन लेखाकार एवं ख०वि०अ० उत्तरदायी हैं । प्रकरण उचित कार्रवाई हेतु संज्ञान में लाया जाता है । जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-15 1 जुलाई 2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जीएसटी एक्ट 2017 लागू किया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जीएसटी लागू की गयी इसी एक्ट की धारा 51 जो कि उ० प्र० में 1.10.2018 से प्रभावी है के अनुसार 2 प्रतिशत (एक प्रतिशत सीजीएसटी व एक प्रतिशत एसजीएसटी) की दर से स्रोत पर टीडीएस कटौती किया जाना अनिवार्य है । इस एक्ट के अनुसार टैन/पैन आधारित जीएसटी नम्बर अनिवार्य है । टीडीएस की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है । आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा प्रत्येक 2.50 लाख से अधिक के बिलों पर 2 प्रतिशत की दर से निम्न कय 2750317 पर रु 55006 की जीएसटी की टीडीएस कटौती न करके अनियमितता की गयी । जिसके प्रति लेखाकार व ख०वि०अ० उत्तरदायी रहे जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

ग्रांट रजि० दो के अनुसार-

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	फर्म का नाम
18.2.18	15430	490051	मे० ओरियण्टल क० कं०
18.2.18	15432	333189	मे० महावीर कं०
18.2.18	15436	344389	मे० ओरियण्टल क० कं०
18.2.18	15437	411046	मे० ओरियण्टल क० कं०
18.2.18	15438	561247	मे० ओरियण्टल क० कं०
25.3.19	14698	255239	मे० अनुराग कं० कं०
25.3.19	20683	355156	मे० दिव्या टेडर्स

	योग	2750317	

प्रस्तर-16 मनरेगा प्रशासनिक मद से दिनांक 11.5.18 को 40000 प्रधानमंत्री ग्रा0 आ0 योजना के मद में स्थानान्तरित किया गया है। इसका औचित्य व सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं है। एक मद का धन नियम विरुद्ध तरीके से स्थानान्तरित कर अनियमितता की गयी जिसके लिए लेखाकार व ख0वि0अ0 उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3- क्षेत्र पंचायत बरहनी

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-17 ग्राण्ट रजिस्टर-2 विकास खण्ड बरहनी के ग्राम पंचायत तेजोपुर में विधायक निधि से तेजोपुर मुहम्मदपुर के नीचे वाली गली में इण्टरलाकिंग कार्य :-

सामग्री-

(क) रु0 317431.00 चेक संख्या-086276, दिनांक 28.06.2018 में0 शाश्वत इण्टरप्राइजेज

(ख) रु0 280084.00 चेक संख्या-012782, दिनांक 05.10.2018 में0 शाश्वत इण्टरप्राइजेज

मजदूरी-

(क) रु0 66855.00 चेक सं0-086275, दिनांक 28.06.2018 भुगतान श्री सतीश कुमार, ए0डी0ओ0 सह0

(ख) रु0 89045.00 चेक सं0-012781, दिनांक 05.10.2018 भुगतान श्री सतीश कुमार, ए0डी0ओ0 सह0

सामग्री+मजदूरी मिलाकर कुल व्यय धनराशि रु0 753415.00 हुयी जिसपर निम्नांकित आपत्तियां हैं :-

- ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री सतीश कुमार, ए0डी0ओ0 सह0 थे, जिसके पुष्टि हेतु कोई सम्बन्धी अभिलेख/आदेश पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये।
- उक्त कार्य में ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार कुल व्यय धनराशि 753415.00 है जबकि ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार विधायक निधि से व्यय धनराशि कुल रु0 761456.00 है, इस प्रकार रु0 8041.00 का अंतर आया। इस अंतर की धनराशि को कहां व्यय किया गया, इसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ये गम्भीर आपत्ति का विषय है।
- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य में सामग्री+मजदूरी पर, रु0 761456.00 के सापेक्ष रु0 753415.00 व्यय हुये के पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उक्त कार्य की एम0बी0, कार्य योजना, इस्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- वित्तीय/प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, सामग्री क्रय आदेश आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
- ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार मजदूरी के भुगतान की धनराशि क्रमशः रु0 66855.00/ 28.06.2018 + 89045.00/02.10.2018 = 155900.00 श्री सतीश कुमार, ए0डी0ओ0 सह0 को दिया गया। यह धनराशि मजदूरी को दी गई या नहीं, पुष्टि हेतु तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।
- मजदूरी हेतु मस्टररोल, जाबकार्ड रजिस्टर, बैंक भुगतान हेतु निर्गत आदेश पत्र तथा मजदूरों की लिस्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी+जे0ई0 द्वारा काल्पनिक व्यय दिखाकर उक्त धनराशि का अपहरण/गबन कर लिया गया है। जिनसे अपहरित धनराशि रु0 753415.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

इंदिरा आवास योजना/प्रशासनिक मद-

- इस मद से चेक संख्या 000104, दिनांक 18.04.2018 को रु0 11250.00 का भुगतान श्री संजय कुमार, सैयदराजा को (पत्रावली में कार्य का नाम अज्ञात रहा) भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार भुगतान कार्यदायी संस्था या फर्म के नाम से किया जाना चाहिये। ये गम्भीर आपत्ति का विषय है।

- इसी मद में कम्प्यूटर कार्य, सी0सी0 वायर सामान, पी0एम0ए0वाई हेतु फोटोग्राफी तथा सी0डी0 हेतु रु0 11022.00 का भुगतान श्री विजय शंकर, लेखाकार को किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।
- डीजल पर व्यय

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म	उत्तरदायी व्यक्ति
000102	11.04.18	42524.00	बगही सर्विस स्टेशन	सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखाकार
000113	13.08.18	29164.00	बगही सर्विस स्टेशन	सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखाकार
000115	04.09.18	17003.00	बगही सर्विस स्टेशन	सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखाकार
000118	05.10.18	41502.00	बगही सर्विस स्टेशन	सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखाकार
000121	04.02.19	27655.00	बगही सर्विस स्टेशन	सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखाकार
योग		157848.00		

इंदिरा आवास योजना प्रशासनिक मद से डीजल तेल पर माह अप्रैल-2018 से जनवरी-2019 तक कुल रु0 157848.00 का भुगतान बगही सर्विस स्टेशन को किया गया है। उक्त व्यय की धनराशि के पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में मांग पत्र, लागबुक या अन्य विवरण जैसे कि गाड़ी (विकास खण्ड की जीप) तथा जेनरेटर पर कितने-कितने मात्रा में आवश्यकता रही प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। उक्त गंभीर अनियमितता के प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे, जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

प्रशासनिक व्यय मनरेगा :-

इस मद में चेक संख्या 002692, दिनांक 07.04.2018 को में0 ऐ0के0एस0 टेक को जाब कार्ड आपूर्ति हेतु रु0 76000.00 का भुगतान किया गया है जिसके पुष्टि में स्टेशनरी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे गत वर्ष के स्टाक, वर्ष में क्रय एवं उपभोग तथा वर्षान्त अवशेष की पुष्टि नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया, किन्तु क्रय का मांगपत्र व स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किया गया न तो मनरेगा योजना के अन्तर्गत कोई कार्य ही करवाया गया, अनियमित रूप कृत जाब कार्ड का औचित्य संदिग्ध रहा। वर्ष में मनरेगा से कोई कार्य क्षेत्र पंचायत में नहीं कराया गया है। इस प्रकार व्यय धनराशि रु0 76000.00 अनियमित रही। उक्त गंभीर अनियमितता के प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे, जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

सामूहिक विवाह योजना :-

इस मद से रु0 16895.00 को टेण्डर फर्म बिक्री मद में स्थानांतरित किया गया है। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा में कोई आदेश पत्र नहीं रखा गया जिसे नियम विरुद्ध तरीके से भेजा गया है जो आपत्तिजनक एवं गम्भीर अनियमितता का विषय है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-

इस मद में रु0 60000.00 दिनांक 08.05.2018 को प्रचार प्रसार हेतु दिया गया है जबकि भुगतान सीधे सम्बन्धी को एकाउन्ट पेई चेक से किया जाना चाहिये। इस प्रकार यह धनराशि अनियमित रूप से एडीओ आईएसबी को दिया गया है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 तेरहवें राज्य वित्त आयोग की धनराशि रु0 75520.00 अनियमित रूप से कम से कम 1 वर्ष से ज्यादा रोक कर रखी गयी, जिसे नियमानुसार सम्बन्धी विभाग को वापस करना चाहिये था। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4- क्षेत्र पंचायत नियमताबाद

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत-नियमताबाद, जनपद-चन्दौली के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

1- राज्य वित्त में ग्राम सभा-सतपोखरी में समसुददीन के मकान से शमीम के मकान से होते हुए नसीर के मकान तक इन्टरलाकिंग ब्रिक कार्य कराया गया है जिसके लए 28.06.2018 को श्री दिनेश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1. निविदा आमंत्रण का समय 11.05.18 से 17.05.18 रखा गया, जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए।
2. सामग्री क्रय हेतु टेण्डर मेसर्स स्काई इन्टरप्राइजेज का स्वीकृत किया गया है। नियमानुसार टेण्डर दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।
3. क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम-पंचायतों की सीमा में आते हैं, किन्तु उपरोक्त कार्य एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र(डी0पी0सी0-9) नहीं बना है।
5. विक्रेता फर्म एवं संस्था के मध्य अनुबंध-पत्र संलग्न नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर मजदूरी हेतु भुगतान रु0 21700.00 एवं सामग्री हेतु भुगतान रु0 192745.00 कुल रु0 214445.00 भुगतान लेखा परीक्षा मत में अनियमित है। जिसके लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव, कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह(ग्रा0पं0अधि0), ख0वि0अ0 श्री राजन राय एवं तकनीकी प्रभारी श्री विनोद कुमार मिश्र(अवर अभियंता) जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 राज्य वित्त से हसनपुर में रामबिन्द के खेत से असलम के खेत तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य कराया गया है। दिनांक 28.06.2018 को श्री चन्दन कुमार यादव, सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर सामग्री हेतु रु0 207417.00 का भुगतान अंकित है, जबकि संस्था द्वारा सामग्री हेतु रु0 209507.00(सामग्री की कुल धनराशि रु0 235701.00, जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 26194.00) का भुगतान मेसर्स पाण्डेय इन्टरप्राइजेज को किया गया है(चेक संख्या 003, दिनांक 03.10.18)। अर्थात् कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र गलत बना है।
 - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर मात्र कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र पर तकनीकी प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी का भी हस्ताक्षर अपेक्षित रहा।
- कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पर निरीक्षण की तिथि, मापन की तिथि, कार्य का पूर्ण विवरण यथा(लम्बाई, चौड़ाई) अंकित नहीं है।
- मापन पुस्तिका पर मापनकर्ता, खण्ड विकास अधिकारी, प्रमुख किसी का हस्ताक्षर नहीं है।
 - निविदा आमंत्रण का समय 11.05.18 से 17.05.18 रखा गया, जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। नियम अनुसार टेण्डर भी दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।
 - उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों की सीमा में आते हैं।
 - प्रथम पक्ष खण्ड विकास अधिकारी एवं दूसरा पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध-पत्र संलग्न नहीं है।
- इस प्रकार सामग्री पर व्यय रु0 209507.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु0 47250.00, कुल रुपये 256757.00 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव, कार्य प्रभारी- श्री चन्दन यादव, सहायक विकास अधिकारी(सह0), खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं तकनीकी प्रभारी श्री रामकृत कुशवाहा(अवर अभियंता) जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 राज्य वित्त से ग्राम सभा-महाबलपुर में गोपाल साव के घर से हरिशंकरपुर में व्यासजी के खेत तक सीवर कार्य कराया गया है, जिसमें श्री संजय शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी तथा श्री राजीव कुमार, जे0ई0(एम0आई0) को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है :-

सामग्री :-

फर्म का नाम	चेक संख्या	भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि
मे0 परमहंस इन्टरप्राइजेज	012422	12.04.18	349278.00
मे0 परमहंस इन्टरप्राइजेज	012435	12.06.18	290455.00
मे0 परमहंस इन्टरप्राइजेज	013328	22.10.18	18565.00
		योग	658298.00

मजदूरी :-

कार्य अवधि	धनराशि	असत्थापित अंगूठा निशानियों की संख्या
12.04.18 से 18.04.18	14700.00	06
19.04.18 से 25.04.18	14700.00	06
26.04.18 से 02.05.18	14700.00	06
योग	44100.00	चेक संख्या- 012433 दिनांक 12.06.18
07.08.18 से 13.08.18	14875.00	05
19.08.18 से 25.08.18	11200.00	05
26.08.18 से 03.09.18	14875.00	05
योग	40950.00	चेक संख्या- 013329 दिनांक 22.10.18

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार है :-

- उपरोक्त विवरण के अनुसार मस्टर रोल पर अंकित निशानी अंगूठा पर क्रमांक अथवा मजदूरों का नाम अंकित कर यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि कौन सा निशानी अंगूठा किस श्रमिक का है।
- कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना एम0एम0-11 सामग्री आपूर्तिकर्ता से नहीं लिया गया है।
- कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ-(1) कार्य प्रारम्भ से पूर्व का (2) कार्य करते हुए श्रमिकों का एवं (3) कार्य पूर्ण हो जाने के बाद का। संलग्न नहीं है।
- प्रथम पक्ष खण्ड विकास अधिकारी एवं दूसरा पक्ष विक्रेता फर्म के बीच अनुबंध नहीं किया गया है।
- टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेने से स्पष्ट है कि सामग्री पर व्यय रु0 658298.00 तथा मजदूरी पर व्यय रु0 85050.00 कुल व्यय रु0 743348.00 अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता के लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव, कार्य प्रभारी श्री संजय शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं तकनीकी प्रभारी श्री राजीव कुमार, अवर अभियंता जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 राज्य वित्त से ग्राम पंचायत दुलहीपुर में मिठाई के घर से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत कार्य कराया गया है, जिसमें श्री संजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी एवं श्री राजीव कुमार जे0ई0(एम0आई0) को तकनीकी अधिकारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य पर भुगतान का विवरण इस प्रकार है :-

सामग्री :-

फर्म का नाम	चेक संख्या	भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि
मे0 स्काई इन्टरप्राइजेज	013312	20.08.2018	99231.00
मे0 स्काई इन्टरप्राइजेज	013262	07.09.2018	167006.00
मे0 स्काई इन्टरप्राइजेज	013368	27.05.2018	32088.00
		योग	298325.00

मजदूरी :-

कार्य अवधि	धनराशि

05.06.18 से 11.06.18	7000.00
19.06.18 से 25.06.18	9800.00
योग :-	16800.00 चेक संख्या-013313 दिनांक 20.08.18
10.07.18 से 16.07.18	11200.00
17.07.18 से 23.07.18	9100.00
योग :-	20300.00 चेक संख्या-013263 दिनांक 20.08.18

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार है :-

- पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का दिनांक क्रमशः 04.04.18 एवं 09.04.18 है, जो नियमतः नहीं है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। नियमानुसार टेंडर भी दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।
 - उपरोक्त कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों की सीमा में आते हैं।
 - निविदा स्वीकृति हेतु सामग्री दरों का तुलनात्मक चार्ट नहीं बनाया गया है। मेसर्स स्काई द्वारा प्रस्तुत सामग्री दर चार्ट पर ही जे0ई0(एम0आई0) द्वारा निविदा की स्वीकृति दे दी गयी है। उक्त चार्ट पर खण्ड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
 - मापन पुस्तिका पर मापन की तिथि अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर तो है, परन्तु हस्ताक्षर का दिनांक अंकित नहीं है।
 - कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ—(1) कार्य प्रारम्भ से पूर्व का (2) कार्य करते हुए श्रमिकों का एवं (3) कार्य पूर्ण हो जाने के बाद का। संलग्न नहीं है।
 - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर मापन संबंधी विवरण जैसे कि कार्य की लम्बाई, चौड़ाई इत्यादि का विवरण नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। कार्य निरीक्षक, जे0ई0(एम0आई0) का हस्ताक्षर तो है, परन्तु हस्ताक्षर की तिथि/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं है।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय रु० 298325.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु० 37100.00 कुल रु० 335425.00 लेखा परीक्षा में अनियमित व्यय आंकलित की जाती है, जिसके लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव, कार्य प्रभारी श्री संजय शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं तकनीकी प्रभारी श्री राजीव कुमार (अवर अभियंता) जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5— क्षेत्र पंचायत शहाबगंज

वर्ष — 2018—19

प्रस्तर-27 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से विकास खण्ड परिसर में स्थित मीटिंग हाल के सुन्दरीकरण कार्य पर रु० 23720.00 की सामग्री कय की गयी है, जिसके सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है जिससे सामग्री पर किया गया भुगतान संदिग्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये सामग्री के नाम पर व्यय दर्शित कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके प्रति श्री अमित कुमार त्रिपाठी, लेखाकार एवं धर्मजीत सिंह खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। विवरण निम्न प्रकार है :-

सामग्री का नाम	मूल्य
डिस्टम्पर	$323.6 + 27.5 = 8899.00$
विण्डो ग्लास	$2.16 + 3600 = 7776.00$
वायर	$1 \times 1750 = 1750.00$
एल0ई0डी0 बल्ब	$11 \times 145 = 1595.00$
फैन	$2 \times 1750 = 3500.00$
फोटो	$2 \times 100 = 200.00$
योग	23720.00

प्रस्तर-28 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 2044/(1)/33-3-2019/03 आडिट/2019, दिनांक 06.09.2019 के अनुसार, “शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।” पंचायती राज विभाग उ०प्र० के पत्रांक 01/116/1/2018-1/विविध/100/2018, दिनांक 02.08.2019 के अनुसार, “पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निधि में जमा धनराशि पर जो ब्याज

अर्जित होगा वह सम्बन्धित निधि में ही जमा रहेगी और नियमानुसार कोषबही में अंकन किया जायेगा।"जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 163987.00 अर्जित ब्याज का उपभोग योजनाओं के धन के साथ कर लिया गया है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 163987.00 धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए तत्कालिक लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 4981400.00 व्यय किये गये। जिसमें से 113 जोड़ों को / 20000.00 प्रति जोड़ा अनुदान अर्थात् $113 \times 20000 = 2260000.00$ तथा 26 जोड़ों को / 35000.00 प्रति जोड़ा अनुदान अर्थात् $26 \times 35000 = 910000.00$ अर्थात् कुल रु0 $2260000 + 910000.00 =$ रु0 3170000.00 अनुदान दिये गये। शेष रु0 $4981400.00 - 3170000.00 =$ रु0 1811400.00 सामग्री एवं व्यवस्था पर व्यय किया गया। सामग्री एवं व्यवस्था पर व्यय हुये धन से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिये रु0 1811400.00 को अनियमित मानते हुये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को आगामी वित्तीय वर्ष में इससे सम्बन्धित प्रमाणकों को प्रस्तुत करने के लिये ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूल कर कार्यवाही अपेक्षित की जाती है।

प्रस्तर-30 विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में हुये दो कार्यों के मजदूरी का भुगतान रु0 85085.00 दिनांक 07.04.2018 एवं दिनांक 20.04.2018 को चेक संख्या 008436, रु0 56700.00 एवं चेक संख्या 009524, रु0 28350.00 के माध्यम से कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री सुनील पाल को किया गया है, जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में इसे दुरुपयोग मानते हुये रु0 85085.00 ब्याज सहित वसूल कर कार्यवाही अपेक्षित की जाती है।

प्रस्तर-31 सांसद निधि से वित्तीय वर्ष में हुये सात कार्यों के मजदूरी का भुगतान रु0 727825.00 चेक के माध्यम से कार्य प्रभारियों को किया गया है, जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में इस भुगतान को दुरुपयोग मानते हुये धनराशि ब्याज सहित वसूल कर कार्यवाही अपेक्षित की जाती है।

प्रस्तर-32 दिनांक 31.03.2019 को अनुदान पंजी 3 के अनुसार रु0 12226771.09 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष दर्शित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2018 को भी रु0 6467118.05 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष था। स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान की धनराशि को निरंतर अवशेष रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त आयोग के गाइडलाइन्स के अनुसार अनुदान की धनराशि प्राप्ति तिथि से 12 माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिये था। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार भी प्राप्त अनुदान का उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये था। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अग्रेतर अनुदान की किश्तें अवमुक्त की जानी थी। अतएव इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था द्वारा काल्पनिक उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर अग्रेतर किश्तें प्राप्त की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुदान की धनराशि रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस हेतु तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6- क्षेत्र पंचायत धानापुर

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-33 वर्ष 2018-19 में किये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 10510972.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है जिसमें सामग्री का मूल्य रु0 9381152.00 एवं जी0 एस0 टी0 रु0 1129820.00 सम्मिलित है। जी0 एस0 टी0 का भुगतान सम्बन्धित फर्मों को किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष में किये गये जी0 एस0 टी0 भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्मों से जी0 एस0 टी0 भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है जिससे जमा की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार रु0 1129820.00 का जी0 एस0 टी0 भुगतान का प्रमाण पत्र न लेकर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 वर्ष 2018-19 में किये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 9381152.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, किन्तु इस पर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है। नियमानुसार सामग्री क्रय पर 2.24 प्रतिशत की दर रु0 187623.00 टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार टी0डी0एस0 कटौती न करके रु0 187623.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जिसके

प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 वर्ष 2018-19 के अनुदान रजिस्टर भाग-2 में निम्न विवरण के अनुसार ब्लाक प्रमुख श्रीमती आशा देवी को मानदेय का भुगतान दर्शित है-

दिनांक	श्रीमती आशादेवी ब्लाक प्रमुख मानदेय चेक सं0/दिनांक	धनराशि
01.06.18	003436/01.06.18 अक्टूबर 2017 से मई 18 तक 08 माह	78400
22.10.18	009618/22.10.18 जून 2018 से अक्टूबर 18 तक 05 माह	49000
27.02.19	013473/27.02.19 नवम्बर 2018 से मार्च 19 तक 05 माह	49000
	योग	176400

इस प्रकार माह अक्टूबर 2017 से मार्च 19 तक कुल 18 माह का मानदेय रु0 176400.00 का भुगतान दर्शित है जबकि वास्तविक गणना के अनुसार 18 माह/ रु0 7000.00 कुल रु0 126000.00 का ही भुगतान किया जाना था। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 **50400.00** का अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह पुष्ट हो सके कि मानदेय का भुगतान कब-कब किया गया और चेक किसको हस्तगत कराया गया तथा बकाया क्या रहा। मानदेय का भुगतान वित्तीय वर्ष में ही किये जाने का प्रावधान है, बकाया मानदेय भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिये जाने का नियम है, जिसका पालन नहीं किया गया है।

7- क्षेत्र पंचायत नौगढ़

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-36 दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न मदों में रु0 7441022.16 को अवशेष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के विरुद्ध रहा। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। अतः अप्रयुक्त अनुदान रु0 7441022.16 वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है तथा संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों-ख0वि0अ0 एवं लेखाकर के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत- नौगढ़ की लेखा परीक्षा 2018-19 के दौरान राज्य वित्त को छोड़कर अन्य मदों का कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया जिसे आगे संक्षिप्त में मदवार इंगित किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय भी है, इस कारण लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।

मनरेगा- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 169364.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

मनरेगा प्रशासनिक व्यय- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 2988718.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

विधायक निधि- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 563155.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 60000.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

डा0भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस आवंटन- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 1000.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

सासंद निधि- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 4752081.57 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

क्षेत्र निधि- ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 2473784.40 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

जी0एस0टी0- ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रू0 173721.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।
 इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी- ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रू0 363471.70 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।
 इन्दिरा आवास योजना- ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रू0 305206.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।
 सिक्योरिटी 8 प्रतिशत- ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रू0 502908.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।
 उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 12353409.67 का व्यय किया गया है जिसकी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति लेखाकार श्री बी0आर0 बिन्दू एवं ख0वि0अ0 श्री शंकर प्रसाद सोनकर उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

8- क्षेत्र पंचायत चन्दौली

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित ए0डी0ओ0 आवास मरम्मत कार्य जिसके कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह (ए0डी0ओ0 कोआपरेटिव) है। यू0बी0आई0 बैंक एडवाइज द्वारा मस्टर रोल संख्या 51 से 54 तक विभिन्न मजदूरों को दिनांक 11.12.2018, चेक संख्या 00615 द्वारा रू0 62310.00 भुगतान किया गया है। उक्त कार्य के मस्टर रोल में सभी मजदूरों के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतीत होता है। अतः रू0 62310.00 का मजदूरी पर व्यय सन्देहास्पद एवं अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं बी0डी0ओ0 और लेखाकार उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय मद में व्यय किये गये रू0 2386692.00 पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 53462.00 आयकर की कटौती की जाना चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर आयकर कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली मय ब्याज उत्तरदायी से वसूली कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है तथा उत्तरदायी ख0वि0अ0 एवं लेखाकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

श्री शशिकान्त पाण्डेय को निम्नांकित कार्यों का कार्य प्रभारी बनाया गया। लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया कि तीनों कार्य वर्ष में अपूर्ण रहे तथा ख0वि0अ0 के पत्रांक 0813/ले0खा0/राज्य वित्त 2018-19 के द्वारा श्री शशिकान्त पाण्डेय से कार्य अपूर्ण रहने तथा मजदूरी के भुगतान नहीं होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	पत्रांक	टेण्डर खोलने का दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की धनराशि	2018-19 में सामग्री पर कुल भुगतान
1.	सिकरी में ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य	1407/21.01.19	30.12.18	165000.00	34147.00
2.	बबुरी में इण्टर लॉकिंग कार्य	1404/21.01.19	30.12.18	244000.00	55965.00
3.	बजहां में रोड़ से राज के घर तक सी.सी. रोड़ निर्मा कार्य	1403/21.01.19	30.12.18	495000.00	136850.00
		योग			226962.00

अतः उक्त तीनों कार्यों पर व्यय कार्य की अपूर्णता की दशा में अर्थहीन प्रतीत होते हैं। इस प्रकार रू0 22692.00 के अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी एवं ख0वि0अ0 उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

9- क्षेत्र पंचायत चकिया

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-41 मनरेगा प्रशासनिक व्यय की पत्रावलियों की जाँच में यह प्रकरण प्रकाश में आया कि कार्यालय के दैनिक उपयोग हेतु क्रय की गई वस्तुएं यथा डेजर्ट, कूलर, कम्प्यूटर, स्कैनर की खरीद का भुगतान

आपूर्तिकर्ता, फर्म को चेक द्वारा न कर ए.पी.ओ. मनरेगा श्री सुरेन्द्र कुमार को किया गया है जो कि भण्डार क्रय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कृत सामान का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं०	कृत सामग्री	बिल सं०/दिनांक	धनराशि	वस्तुओं की संख्या
1.	डेजर्ट कूलर	779 / 25.04.2018	23000.00	2
2.	डेजर्ट कूलर	842 / 27.04.2018	11500.00	1
3.	कम्प्यूटर स्कैनर	105 / 27.04.2018	5000.00	1
	योग		39500.00	

उक्त भुगतान चेक सं० 12011295/27.04.18 द्वारा ए.पी.ओ. मनरेगा श्री सुरेन्द्र कुमार को रू० 39500.00 का अनियमित व्यय किया गया। इस अनियमित व्यय के प्रति तत्कालीन वि०ख०अ०/लेखाकार एवं ए.पी.ओ. मनरेगा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत चकिया के कार्यालय हेतु पंखा, एल.इ.डी. की आपूर्ति मेसर्स पटेल किसान घर के द्वारा की गयी है। उक्त आपूर्ति के सापेक्ष प्रस्तुत बिल (सं० सी.455/10.08.18) के क्रम में भुगतान रू० 14220.00 श्री सुरेन्द्र कुमार ए.पी.ओ. मनरेगा को चेक संख्या 12018449/28.09.18 द्वारा किया गया। भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/उपनियमों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को सीधे चेक/नेफ्ट द्वारा खाते में किया जाना चाहिए। अतः उक्त अनियमित व्यय के लिए वि०ख०अ०/लेखाकार एवं ए.पी.ओ. मनरेगा उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत चकिया वर्ष 2018-19 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में यह प्रकरण प्रकाश में आया कि मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में सीधे न कर कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है। भुगतान का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	मद विवरण	कार्य विवरण	धनराशि	चेक विवरण	कार्य प्रभारी
1.	विधायक निधि	(1) अज्ञात	80500.00	21091287 / 13.07.18	शरद कुमार सिंह (ए०डी०ओ० सह०)
	विधायक निधि	(2)दूबेपुर में राज स्वग्राम डोडापुर माफी में नाला से रामाश्रय पाण्डेय के खेत के पास रिरेनिंग वाल चौरा सीढ़ी व घाट निर्माण	69166.00	21091289 / 31.08.18	शरद कुमार सिंह (ए०डी०ओ० सह०)
	विधायक निधि	(3) अज्ञात	67025.00	21091290 / 10.09.18	शरद कुमार सिंह (ए०डी०ओ० सह०)
	विधायक निधि	(4)एस.डी.एम. कार्ट चकिया परिसर में स्थित बार भवन पर सीढ़ी निर्माण कार्य	11445.00	21091284 / 18.04.19	शरद कुमार सिंह (ए०डी०ओ० सह०)
2.	सांसद निधि	(1)बलिया खुर्द में कन्हैया मौर्य की सिंचाई नाली होते हुए बाबूनन्दन के सिंचाई फाल तक पक्की नाली	84525.00	12011318 / 20.08.18	केशव प्रसाद (ए०डी०ओ० सह०)समाज कल्याण
	सांसद निधि	(2)ग्राम पंचायत सोनहुल में विजय के घर से काशी सिंह के घर तक सी.सी. रोड़	93920.00	12018469 / 21.01.19	शरद कुमार सिंह
	सांसद निधि	(3)ग्रा०पं० चितौड़ी शीतला श्रीवास्तव के	246000.00	12018463 / 30.11.18	शरद कुमार सिंह

		घर से सूबेदार के घर तक सी.सी. रोड़, नाली और साइडवाल निर्माण			
	सांसद निधि	(4)क्र.सं. 3 के कार्य में ही पुनः मजदूरी भुगतान	60270.00	12018475 / 19.03.19	शरद कुमार सिंह
	सांसद निधि	(5)अज्ञात	61250.00	12011308 / 21.04.18	शरद कुमार सिंह
		योग	774101.00		

उक्त अनियमित व्यय के प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं एकाउन्टेंट तथा सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत कार्यालयी उपयोग हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार गृहशोभा फर्नीशिंग भेलूपुर वाराणसी द्वारा पर्दों की आपूर्ति की गई परन्तु भुगतान सीधे गृहशोभा फर्नीशिंग को न कर ए.पी.ओ. मनरेगा श्री सुरेन्द्र कुमार को की गई है।

क्र.	व्यय	बिल बाउचर संख्या	धनराशि	आपूर्तिकर्ता
1.	पर्दा खरीद	56	13827.00	गृहशोभा फर्नीशिंग
2.	पर्दा खरीद	114	9262.00	गृहशोभा फर्नीशिंग
	योग		23089.00	

पर्दा खरीद पर कुल किया गया भुगतान रू0 23089.00 चेक सं0 12011292 / 21.04.18 आपूर्तिकर्ता मेसर्स गृहशोभा फर्नीशिंग भेलूपुर को न करके ए.पी.ओ. श्री सुरेन्द्र कुमार को किया गया है जिसकी पुष्टि ए.पी.ओ. सुरेन्द्र कुमार द्वारा ख0वि0अ0 को भुगतान हेतु पत्रावलियों में स्वयं किया गया है। अतः भण्डार क्रय नियमों, उपनियमों का उल्लंघन करते हुए रू0 23089.00 का अनियमित व्यय किया गया। इसके प्रति बी.डी.ओ., लेखाकार, ए.पी.ओ. मनरेगा उत्तरदायी है। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत कार्यालयी उपयोग हेतु ख0वि0अ0 द्वारा स्वीकृत रिवाल्वींग चेरर, टेबल इत्यादि का क्रय विनायक फर्निचर जंगमबाड़ी से किया गया जिसका कुल देयता रू0 48500.00 बिल सं0 31 / 02.05.18 का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म विनायक फर्निचर जंगमबाड़ी को न कर चेक सं0 12011297 / 18.05.18 द्वारा ए.पी.ओ. श्री सुरेन्द्र कुमार को किया गया है। भण्डार क्रय नियमों के आलोक में अनियमित है जिसके प्रति ख0वि0अ0, लेखाकार, ए.पी.ओ. मनरेगा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 आयकर कटौती-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194(सी.) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखी शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण-वितरण अधिकारी पर (न काटे गये आयकर की धनराशि) के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम 3 माह की कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयकर पर टी.डी.एस. नहीं काटा गया है।

क्र.सं.	मद	सामग्री पर कुल व्यय	सन्निहित टी.डी.एस. (2.24)
1.	विधायक निधि	482861.00	10816.09
2.	सांसद निधि	3079346.00	68977.35
3.	राज्य वित्त	1286827.38	28824.93
	योग		108618.37

रू0 108618.37 धनराशि की राजकीय क्षति की गई जिसके लिए तत्कालीन बी.डी.ओ. व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3
जनपद-गाजीपुर
सम्भाग-वाराणसी

1. क्षेत्र पंचायत – रेवतीपुर**ले0प0 वर्ष– 2018–19**

प्रस्तर – 1 आलोच्य वर्ष 2018–19 में आय व्यय विवरणी में वर्ष में आयकर कटौती रु0 67787.00 एवं टीडीएस रु0 20482.00 दर्शित है, जिसके सापेक्ष कमशः रु0 47305.00 एवं टीडीएस शून्य जमा दर्शित है जिसकी पुष्टि चालान से भी की गयी। इस प्रकार आयकर रु0 20482.00 एवं टीडीएस रु0 20482.00 कुल रु0 40964.00 दिनांक 31.03.2019 तक राजकोष में जमा न कर रोक रखकर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनरायन व लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र उत्तरदायी है। दुरुपयोग धनराशि को सव्याज जमा कराते हुए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

–(सा0आ0क्र0 – 02)

प्रस्तर – 2 वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे संबंधित मदों के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रुपये)
1	ब्याज	179627
2	इन्दिरा आवास प्रशा0 मद	143639
3	प्रधानमंत्री आवास प्रशा0 मद	7738
4	टेण्डर फार्म बिक्री	35466
	योग –	366460.00

उक्त व्यय से संबंधित समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनरायन एवं लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **–(सा0आ0क्र0 – 03)**

2. क्षेत्र पंचायत – सदर**ले0प0 वर्ष– 2018–19**

प्रस्तर –3 आलोच्य वर्ष में 31.03.2019 को क्षेत्र पंचायत में विभिन्न मदों के प्राप्त भारी अनुदान राशि रु0 10034494.12 ग्राण्ट रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष दर्शित है। जिसके कारण क्षेत्र पंचायत में आलोच्य वर्ष में विकास कार्य के लिए प्राप्त अनुदान राशि का उपभोग न कर और न इसे संबंधित अनुदान विभागों को वापस न कर दर्शित अवशेष राशि का वित्तीय अनियमितता किया गया हैं। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः इस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 – 01)

प्रस्तर –4 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के ग्राम रजिस्टर द्वितीय में विधायक निधि मद से निम्नांकित तिथियों में विभिन्न कार्यों पर बोर्ड क्रय कर भुगतान किया गया है परंतु इससे संबंधित कोई व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः किया गया भुगतान अपुष्ट रहा है। संबंधित प्रमाणक/पत्रावलियाँ प्रस्तुत कर किए गए भुगतान की पुष्टि कराई जाए अन्यथा की समस्त धनराशि की सव्याज वसूली ब्लाक प्रमुख श्री आलोक कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

1– 09.04.18 38311 4500.00 बोर्ड क्रय – राम निवास यादव के घर से बबेड़ी पोखरे तक
2– 09.04.18 38312 4500.00 बोर्ड क्रय – चन्द्रिका के घर से रमेश यादव के घर तक

9000.00**(सा0आ0क्र0 – 03)**

प्रस्तर–5 वर्ष 2018–19 के ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में निम्नांकित तिथियों में रु0 224865.00 का व्यय विवाह संबंधी विभिन्न सामानों के क्रय पर किया गया दर्शित है। परन्तु क्रय संबंधी सामानों का कोई कोटेशन/टेण्डर पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। जिसके कारण क्रय सामानों के वास्तविक मूल्यों एवं सामानों के पारदर्शिता पर समीक्षा टिप्पणी अंकित न की जा सकी जबकि क्षेत्र पंचायत स्तर पर सामान के क्रय से पूर्व उक्त सामान का कोटेशन/टेण्डर प्राप्त किये जाने हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	विवरण
1	03.04.18	38309	74865.00	15 जोड़ा विवाह की व्यवस्था हेतु राम वृक्ष राम एडीओ स0क0 को

2	21.05.18	38314	52957.00	15 जोड़ा विवाह के वर्तन क्य पर व्यय में रामाशंकर एण्ड सन्स मधुबन मऊ
3	21.05.18	38315	20775.00	15 जोड़ों के श्रृंगार पर व्यय में लकी श्रृंगार एण्ड जनरल स्टोर मधुबन मऊ
4	21.05.18	38316	47029.00	15 जोड़ों का कपड़ा क्य में शिवम वस्त्रालय मधुबन मऊ
5	21.05.18	38317	29239.00	15 जोड़ों का जेवर क्य में आलोक जी ज्वेलर्स मधुबन मऊ
		योग -	224865.00	

(सा0आ0क्र0 - 06)

प्रस्तर -6 दिनांक 20.08.18 को ग्राण्ट रजिस्टर के ब्याज मद में चेक नम्बर 37225 से रू0 5980.00 का भुगतान प्रिया साफ्ट हेतु किया गया। जबकि शासनादेश के अनुसार संस्था में ब्याज से प्राप्त समस्त धनराशि को डी0पी0आर0ओ0 के खातों में वापस जमा किया जाना चाहिए। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ब्याज से प्राप्त धनराशि को प्रिया साफ्ट हेतु व्यय किया जाना प्राप्त ब्याज राशि का दुरुपयोग हो रहा है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी विजय कुमार वर्मा एवं लेखाकार कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 08)

3. क्षेत्र पंचायत - जखनियौ

ले0प0 वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -7 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में काराये गये कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावली में जीएसटी रू0 9939.00 नहीं काटा गया है जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	कार्य का नाम	जी0एसटी0	योग
1	दामोदर प्रथम में बुड़ऊ बाबा से पल्लन के खेत तक पक्की नाली निर्माण	7792.00	7792.00
2	विकास खण्ड में मॉडल आवास निर्माण कार्य।	2147.00	2147.00
	योग -	9939.00	9939.00

जीएसटी की धनराशि रू0 9939.00 राजकोष में जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है। इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह एवं लेखाकार सम्पति राम उत्तरदायी है। संबंधित से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0 - 06)

प्रस्तर -8 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या 54 के प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण मॉडल आवास निर्माण कार्य में रू0 2404.00 की धनराशि आयकर की कटौती न करके अनियमितता की गयी है। जिस हेतु श्री सुशील कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सम्पति राम उत्तरदायी है। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 - 07)

4. क्षेत्र पंचायत - मरदह

ले0प0 वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -9 वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित निविदा आमत्रणों का मानक न पूरा करके केवल दो फर्मों से निविदा आमंत्रित करके सामग्री क्य किया गया है। जो कि गम्भीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता (प्रारूप 1 का क्र0)	फर्मों/निविदाकर्ताओं के नाम व पता		नाम निविदा स्वीकृत हुई	क्य सामग्री का मूल्य (रू0)	उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री
		1 (फर्म)	2 (फर्म)			
1	1	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	मे0 सत्यम् इन्टर प्राइजेज गाजीपुर	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	715307.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0ओ0 2-रवि अब्बल,लेखाकार
2	2	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	मे0 सत्यम् इन्टर प्राइजेज गाजीपुर	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	543132.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0ओ0 2-रवि अब्बल,लेखाकार
3	3	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	मे0 सत्यम् इन्टर प्राइजेज गाजीपुर	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	294459.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0ओ0 2-रवि अब्बल,लेखाकार
4	4	वी0के0	मे0 सत्यम् इन्टर	वी0के0 कंसट्रक्शन	538831.00	1-रामचन्द्र सिंह,

		कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	प्राइजेज गाजीपुर	परदहा मिल, मऊ		ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
5	5	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	मे0 सत्यम् इन्टर प्राइजेज गाजीपुर	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	539829.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
6	6	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	मे0 सत्यम् इन्टर प्राइजेज गाजीपुर	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल, मऊ	538024.50	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
7	7	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	पंकज सिंह यादव	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	187294.40	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
8	8	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	पंकज सिंह यादव	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	278280.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
9	9	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	पंकज सिंह यादव	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	451415.30	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
10	10	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	पंकज सिंह यादव	दुर्गा कंसट्रक्शन कम्पनी रायपुर बाघपुर गाजीपुर	210751.00	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
				योग -	4297323.20	

उक्त आँकड़ा से स्पष्ट है कि ₹ 4297323.20 का सामग्री केवल दो ही फर्मों से निविदा आमंत्रित करके क्रय किया गया है, जो निविदा मानक के अनुसार कम से कम तीन फर्मों से निविदा प्राप्त किया चाहिए था। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री रवि अव्वल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर -10 वर्ष 2018-19 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु कतिपय संबंधित फर्मों से जी0एस0टी0 कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामग्री का मूल्य (₹0)	राजकीय कर की धनराशि कटौती नहीं किया गया (₹0) जी0एस0टी0 2%	उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री
1	1	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	715307.00	14306.14	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
2	2	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	543132.00	10862.64	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
3	3	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	294459.00	5889.18	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
4	4	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	538831.00	10776.62	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
5	5	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	539829.00	10796.58	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार
6	6	वी0के0 कंसट्रक्शन परदहा मिल मऊ	538024.50	10760.49	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अव्वल,लेखाकार

27	17	नैतिक कंसट्रक्शन एण्ड सप्लायर बुनाई स्कूल के पीछे, सहादतपुरा मऊ	689196.00	13783.92	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अब्बल,लेखाकार
28	18	नैतिक कंसट्रक्शन एण्ड सप्लायर बुनाई स्कूल के पीछे, सहादतपुरा मऊ।	46852.00	937.04	1-रामचन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 2-रवि अब्बल,लेखाकार
योग -			7681309.73	153626.18	

उक्त ऑकड़ा से स्पष्ट है कि रू0 153628.18 का जी0एस0टी0 न काट कर, राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री रवि अब्बल उत्तरदायी है। संबंधित व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर -11 वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप संबंधित व्ययों का जाँच संभव न हो सका। यथाशीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रूपए)
1	2	3
1	ब्याज	2065.00
2	प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद	108632
3	धरोहर राशि	48000.00
4	आयकर कटौती	217075.00
5	मतदाता पुनरीक्षित कार्य में लगे कार्मिकों का मानदेय	30750.00
योग -		406522.00

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह व लेखाकार श्री रवि अब्बल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 04)

प्रस्तर -12 वर्ष 2018-19 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु फर्म से कय किए सामग्री पर आयकर मानक के अनुसार कटौती न करके मात्र 1 प्रतिशत की कटौती किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है-

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता (रा0वि0) (प्रारूप 1 का क्रमांक)	फर्म का नाम व पता	कय किए गए सामग्री का मूल्य (रूपए) आयकर 1 प्रतिशत	राजकीय कर की धन0 कटौती किया गया (रू0) 1 प्रतिशत	अपेक्षित राजकीय कर की कटौती आयकर 2.24 प्रतिशत	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	8	नैतिक कंसट्रक्शन एण्ड सप्लायर बुनाई स्कूल के पीछे, सहादतपुरा, मऊ।	134962.50	1350.00	3024.00	1674.00

उक्त ऑकड़ा से स्पष्ट है कि रू0 1674.00 आयकर कम काट कर राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री रवि अब्बल उत्तरदायी है। संबंधित से क्षतिपूर्ति सब्याज करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 05)

प्रस्तर -13 वर्ष 2018-19 में टेण्डर/निविदा स्वीकृति दिनांक के पूर्व ही संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ दर्शित किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्ररकण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित -

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता (प्रारूप 1 का क्रमांक)	निविदा स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारम्भ का दि0 (संस्था द्वारा)	श्रमांश (रूपए)	कय किया गया सामग्री (रूपए)	श्रमांश + सामग्री
1	2	3	4	5	6	7
1	1	06.04.1918	05.04.2018	144794.00	715307.00	860101.00
2	6	06.04.1918	05.04.2018	110183.00	538024.50	648207.50
योग -				254977.00	1253331.50	1508308.50

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु श्री रामचन्द्र सिंह ख०वि०अ०, श्री रवि अव्वल लेखाकार व श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अ० (कार्यप्रभारी) उत्तरदायी है। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र० – 06)

प्रस्तर –14 वर्ष 2018–19 में सांसद/विधायक निधि एवं राज्यवित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है। (जिससे संबंधित मदों की सम्यक जाँच नहीं हो सकी)

क्रमांक	मद	कुल व्यय (रु०)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जाँच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जाँच नहीं की गयी (रु०)
1	2	3	4	5
1	सांसद निधि	7980184.00	5445232.20	2534951.80
2	राज्य वित्त	4904479.00	3455825.53	1448653.47
	योग—	12884663.00	8901057.73	3983605.27

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री रवि अव्वल उत्तरदायी है। अप्राप्त अभिलेखों में दर्शित व्यय की जाँच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र० – 07)

प्रस्तर –15 वर्ष 2018–19 में संस्था द्वारा नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी स्तर के कार्य प्रभारी द्वारा एक साथ दो या दो से अधिक निर्माण कार्य को एक ही दिनांक से प्रारम्भ किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता (प्रारूप 1 का क्रमांक)	कार्य प्रभारी का दिनांक	निर्माण कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि (रु०)		कुल व्यय धनराशि (रु०)
			सामग्री	श्रमांश	
1	2	3	4	5	6
1	(1+6) सांसद निधि	05.04.2018	715307.00 (क्रमांक 1) 538024.50 (क्रमांक 6)	144794.00 (क्रमांक 1) 110183.00 (क्रमांक 6)	860101.00 648207.50
2	(2+3+4+5) सांसद निधि	06.04.2018	543132.00 (क्रमांक 2) 294459.00 (क्रमांक 3) 538831.00 (क्रमांक 4) 539829.00 (क्रमांक 5)	108792.00 (क्रमांक 2) 55626.00 (क्रमांक 3) 107055.00 (क्रमांक 4) 96602.00 (क्रमांक 5)	651924.00 350085.00 645886.00 636431.00
3	(11+12) सांसद निधि	28.01.2019	569361.00 (क्रमांक 11) 578548.00 (क्रमांक 12)	60550.00 (क्रमांक 11) 112750.00 (क्रमांक 12)	629911.00 691298.00
4	(1+2) रा०वि०	27.05.2018	194285.00 (क्रमांक 1) 205143.00 (क्रमांक 2)	123487.00 (क्रमांक 1) 117837.00 (क्रमांक 2)	323772.00 322980.00
5	(3+5) रा०वि०	28.05.2018	183549.00 (क्रमांक 3) 179950.00 (क्रमांक 5)	92675.00 (क्रमांक 3) 87987.00 (क्रमांक 5)	276224.00 267937.00
6	(4+8+9+10+11+12+16) रा०वि०	01.06.2018	151158.00 (क्रमांक 4) 134962.50 (क्रमांक 8)	87290.00 (क्रमांक 4) 30275.00 (क्रमांक 8)	238448.00 165237.50 129160.00 325102.00

			108185.00 (कमांक 9)	20975.00 (कमांक 9)	456542.00
			215940.00 (कमांक 10)	109162.00 (कमांक 10)	296649.43
			302255.00 (कमांक 11)	154287.00 (कमांक 11)	69499.00
			245374.43 (कमांक 12)	51275.00 (कमांक 12)	
			53924.00 (कमांक 16)	15575.00 (कमांक 16)	
		योग —	6292217.43	1693177.00	7985394.43

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह, लेखाकार श्री रवि अव्वल एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार यादव उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 — 08)

5. क्षेत्र पंचायत — कासिमाबाद

ले0प0 वर्ष— 2018—19

प्रस्तर —16 उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3 (7) (जुलाई 2017 से जीएसटी) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रेक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (04 मार्च 2008 से 4 प्रतिशत) से मूल्य संबद्धित कर की कटौती की जानी है।

शासनादेश संख्या — ए—351/दस0—2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्था के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्य वित्त, सांसद निधि और विधायक निधि आदि कार्यों में कूल रु0 6922079.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उस पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 276883.00 की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन आलोच्य वर्ष में इसे मनमाने तरीके से लागू कर कुल रु0 4234.00 ही काटे गये हैं। इस प्रकार सामग्री खरीद के बिलों पर नियमानुसार कुल रु0 272649.00 की कटौती नहीं की गयी है। वैट (जी0एस0टी0) की यह धनराशि संस्था से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0— 02)

प्रस्तर —17 विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्यसन्निर्माण कर्मकार “कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009” (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश से लागू हैं) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से “कर्मकार उपकर” (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी।

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त सांसद निधि और विधायक निधि आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी के कुल रु0 8348280.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0 83483.00 की कटौती नहीं की गयी है। इस धनराशि को संस्था के अधिकारियों से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0— 03)

प्रस्तर —18 वर्ष 2018—19 में राज्य वित्त सांसद निधि और विधायक निधि से कुल 21 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमे से प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन—तीन निविदाये प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य रु0 500.00 है। इस प्रकार 2018—19 में (21X3X500) कुल रु0 31500.00 की आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु0 31500.00 न जमा कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसकी सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

—(सा0आ0क्र0— 04)

6. क्षेत्र पंचायत – जमानियाँ

ले0प0 वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –19 ब्याज की धनराशि—शा०सं०:ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार पुनः सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त लेखा अनुभाग 1 के दिनांक 29 मई 2015 के आदेश के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष में संस्था को व्याज मद में कुल रुपये 150908.00 प्राप्त हुए हैं और पिछला अवशेष रुपये 283025.00 था कुल मिला कर रुपये 433933.00 वर्षांत अवशेष है जिसे जमा न कर अनियमितता की गयी है। इसके लिए तात्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 2)

प्रस्तर – 20 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान/धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03-2015 दिनांक 19 जून 2015 के बिंदु 2.5 के अनुसार और शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 15 के पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग की गाइडलाइन के बिंदु-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की तथा उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय कृषि तथा बीज विपणन गोदाम आदि आँगनबाड़ी केंद्रों और बाल मैट्रिक शौचालयों आदि) के मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य व्यय किया जाए तथा शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार नए निर्माण कार्य पर किया जायेगा। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त मद में क्षेत्र पंचायत को कुल रुपये 6993772.00 संक्रमित की गयी जब कि पूर्व के वर्ष का रुपये 1990430.00 अवशेष था। इस प्रकार वर्ष में कुल उपलब्ध धन 8984202.00 रहा। वर्षांत अवशेष 723930.00 रुपये रहा इस प्रकार वर्ष यो रुपये 8260272.00 का उपभोग किया गया है। शासनादेश के अनुसार इसमें से 50% धनराशि 4130136.00 को निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना था और शेष 50% धनराशि 4130136.00 को मरम्मत और रखरखाव पर व्यय किया जाना था परन्तु कार्य की सूची देखने से स्पष्ट है कि संस्था के द्वारा कुल द्वारा विभिन्न कार्यों पर कुल निर्माण पर व्यय किये गए हैं। कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि शासनादेश के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव पर 49631.00 व्यय है। शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य पर कुल व्यय का अधिकतम रुपये 4130136.00 (8260272.00 का 50%) ही व्यय किया जाना था लेकिन सम्पूर्ण धनराशि को सिर्फ निर्माण कार्य पर कर उपभोग करते हुए मरम्मत पर शून्य व्यय किया गया इस प्रकार रुपये 4080505.00 (8260272.00 का 50% और घटाया 49631.00) का जिसको मरम्मत एवं रखरखाव मद में उपभोग करना था का निर्माण मद में उपभोग कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि गाइडलाइन का पालन न कर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार और खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 3)

7. क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद

ले0प0 वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –21 आलोच्य वर्ष में सांसद निधि मद से दिसम्बर 2018 में रू0 13222.00 एवं जनवरी 2019 में रू0 48732.00, अतः कुल रू0 61954.00 विज्ञापन पर व्यय ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है जबकि सांसद निधि में अनुदान प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होता है। अतः विज्ञापन पर व्यय करना सांसद निधि मद में प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग है। अतः दुरुपयोग धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से कराया जाना अपेक्षित है।

8. क्षेत्र पंचायत – बाराचवर

ले0प0 वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –22 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा संबंधी ग्रांट रजिस्टर-2 पर अंकित विवरणानुसार दिनांक 2-8-2018 को चेक सं0 34480 के सकल धनराशि रू0 38023=00 में से रू0 31200=00 का भुगतान इन्वर्टर बैटरी क्रय के नाम पर किया गया है। इसके संबंध में निम्नांकित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी हैं :-

1. उपरोक्त चेक लेखाकार "श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल" के नाम निर्गत है। अर्थात् किया गया भुगतान नकद रूप में दर्शाया जा रहा है। जो गलत है। ₹0 5000=00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी माध्यम से किया जाना चाहिए।

2. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बाउचर पर धनराशि प्राप्ति के संबंध में विक्रेता के हस्ताक्षर ही अंकित नहीं है।

3. इन्वर्टर बैटरी संबंधी बाउचर कैश मेमो पर पाया गया है जिस पर टिन संख्या अंकित नहीं है।

4. इन्वर्टर बैटरी क्रय पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया है। जब कि शासनादेश के अनुसार ₹0 20,000 से 1,00,000=00 तक के मूल्य के क्रय पर कोटेशन लिया जाना अनिवार्य है।

5. क्रय बैटरी का अंकन डेड स्टॉक में नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि इन्वर्टर क्रय में वित्तीय अनियमितता करते हुए काल्पनिक रूप से भुगतान दर्शाया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 23 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर-2 के "प्रधानमन्त्री आकस्मिक (प्रशासनिक) शीर्ष अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में ₹0 149013= का भुगतान विकास खण्ड परिसर में प्रधानमन्त्री मॉडल आवास निर्माण हेतु किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन में निम्नांकित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी हैं:-

1. उपर्युक्त कार्य सहायक विकास अधिकारी (ए0डी0ओ0आई0एस0बी0) श्री मिठाई लाल गुप्ता द्वारा कराया गया है। कार्य पत्रावली में कार्य प्रभारी के नियुक्ति संबंधी कोई आदेश संलग्न ही नहीं है।

2. ₹0 27035=00 का भुगतान मजदूरी रूप में किया गया है। मजदूरी कार्य प्रभारी द्वारा नकद रूप में दी गयी है। जो गलत है। जब सभी मजदूर पंजीकृत हैं एवं उनका बैंक में खाता है तो मजदूरी का भुगतान खाते में हस्तांतरण द्वारा किया जाना चाहिए।

3. ₹0 12000= का भुगतान आवास में शौचालय संबंधी है। पत्रावली में ₹0 12000= से संबंधित कोई बाउचर ही संलग्न नहीं है।

4. ₹0 109978= का भुगतान निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, बालू, ईट आदि) क्रय हेतु किया गया है। सामग्री क्रय पूर्व कोटेशन/टेण्डर संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

5. उपरोक्त कार्य संबंधी आकलन के अनुसार ₹0 36402= मजदूरी, ₹0 132363= सामग्री तथा ₹0 12000= शौचालय हेतु व्यय होना अनुमानित है। अनुमान/आकलन पत्र के साथ नक्शा संलग्न नहीं है।

6. कार्य पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्य स्थल का भौतिक निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं है।

इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य पर किया गया भुगतान अनियमित है। इसके लिए लेखाकार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल, कार्य प्रभारी श्री मिठाई लाल गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँवों को लाभ पहुँचाने वाला कार्य में कराकर एक ही ग्राम पंचायत की सीमा में कार्य कराकर शासनादेश संख्या-866/33-2-14 जी/2004 टी0सी0 दिनांक-24 जून 2014 का उल्लंघन कर घोर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए लेखा कार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

क्रम	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि
1.	ग्रा0 भीषम अमहट में- राम विलास सिंह के घर से प्रा0पा0 तक सी0सी रोड निर्माण	13,03,124-00
2.	ग्रा0 सेमउर में- पीच रोड से विवेक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	288126-00
3.	ग्रा0 उपाध्यायपुर में- किशोर राम के खेत से पीच सड़क तक खड़ण्जा मरम्मत	847694-00
4.	ग्राम अमहट में- देवकली नहर पुलिया से राम नगीना स्मारक वि0 तक मिट्टी/खड़ण्जा	421260-00
5.	पखनपुरा में तारकेश्वर पाण्डेय के घर से पीच सड़क तक मिट्टी/खड़ण्जा	389982-00
6.	ग्रा0 अतौली में खेदू राजभर के घर से पोखरा तक नाली निर्माण कार्य	465300-00

7.	ग्रा० सागापाली में पीच रोड से राजू सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	462968-00
8.	ग्रा० सददोपुर में नहर पुलिया से रामजन्म पाण्डेय के घर तक पेवर्स कार्य	369154-00
9.	ग्रा० पिहली में शिवदहिन यादव के घर से मुसाफिर प्रधान के घर तक इ०ला० कार्य	376102-00
10.	ग्रा० उत्तराँव में राजभर बस्ती से हार्टमन इण्टर कालेज तक मिट्टी/खड़ण्जा कार्य	45546-00
		योग= 4969256-00

प्रस्तर-25 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निम्नांकित कार्यों से संबंधित कतिपय मस्टर रोलों पर मजदूरी प्राप्ति की पुष्टि में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं। मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा नकद रूप में दर्शाया गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि वास्तव में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। काल्पनिक रूप से मस्टर रोल पर मजदूरों का नाम व उपस्थिति अंकित कर मजदूरी की धनराशि का कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित कार्य प्रभारी से कराया जाना अपेक्षित है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कार्य प्रभारी द्वारा नकद रोकड़ का बीमा भी नहीं कराया गया है। कार्य का नाम एवं संबंधित मस्टर रोल की धनराशि व कार्य प्रभारी का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल की धनराशि	उत्तरदायी कार्य प्रभारी
1.	ग्रा० मुहम्मदपुर में मुन्ना यादव के विद्यालय से सूर्यनाथ यादव के खेत तक मिट्टी एवं खड़ण्जा	59682=	श्री मुकेश सिंह ग्रा० प० वि० अधिकारी
2.	तरवाडीह में दयाशंकर यादव के घर से रामाशीष के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	33345=	श्री मिठाई लाल गुप्त ए० डी० ओ० आई० एस० बी०
3.	हुसैनाबाद में इण्टरलाकिंग कार्य	77330=	श्री मिठाई लाल गुप्त ए० डी० ओ० आई० एस० बी०
योग		170357=	

प्रस्तर -26 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावली—“ नसीराबाद में रामनिवास प्रधान के ग्राम सभा में पीच रोड पर गेट निर्माण” के अवलोकन में पाया गया कि रू० 197495= का भुगतान सामग्री पर तथा रू० 33705= का भुगतान श्रमांश पर किया गया है। इस प्रकार किया गया कुल भुगतान रू० 231200=00 राज्य वित्त शीर्ष में प्राप्त अनुदान द्वारा अनुमन्य कार्यों से इतर व्यय कर राजकीय धन का दुरुपयोग है। इसके लिए लेखाकार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत उत्तरदायी हैं। इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -27 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावली— “नरायणपुर में नेसार के दरवाजे से दादर मियाँ के घर तक नाली निर्माण” की जाँच में पाया गया कि चेक सं० 10274 दिनांक 25.04.18 द्वारा रू० 111959=00 का भुगतान सीमेण्ट, बालू, ईट, छड़ हेतु ओम इण्टर प्राइजेज को किया गया है। यह कार्य विवादों में पड़ जाने के कारण आज तक प्रारम्भ ही न कराया जा सका है। लेखाकार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल द्वारा प्रदत्त मौखिक जानकारी के अनुसार क्रय सामग्री का उपयोग दूसरे कार्य पर कर लिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या 35(2) का उल्लंघन कर रू० 111959=00 का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए लेखाकार श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल, कार्य प्रभारी श्री प्रेम प्रकाश दूबे एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत उत्तरदायी हैं। दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से करायी जानी अपेक्षित है।

9. क्षेत्र पंचायत – मनिहारी

ले० प० वर्ष— 2018-19

प्रस्तर -28 लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से दि० 26.04.2018 को सहायक लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा चेक सं० 10004032 से स्वयं के नाम नकद रू० 103000.00 आहरित किया गया है, इतनी अधिक धनराशि स्वयं के नाम से नकद क्यों आहरित की गयी है। इसका कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नकद आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया

है, जिसकी सब्याज वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं सहायक लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -29 राज्य वित्त मद से विभिन्न तिथियों में रु0 2740046.00 धनराशि आहरित की गयी है परन्तु लेखा परीक्षा में इन आहरित धनराशियों की कार्य पत्रावली, एम0बी0 एवं व्यय-वाऊचर आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे बैंक से आहरित रु0 2740046.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 2740046.00 बिना कार्य पत्रावली, एम0बी0, व्यय-वाऊचर के आहरित कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं श्री धनन्जय सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, विवरण निम्नवत है-

दिनांक	चेक संख्या	नाम से आहरित	आहरित धनराशि
11.06.2018	21055344	जगदम्बा बिल्डिंग मैटेरियल	116357.00
12.06.2018	10004036	सुधीर सिंह	12850.00
12.06.2018	21055343	सुधीर सिंह	102975.00
13.06.2018	10004037	विवेन्द्र ईट उद्योग	46068.00
13.06.2018	21055342	विवेन्द्र ईट उद्योग	158078.00
19.06.2018	21055348	सुधीर सिंह	102890.00
19.06.2018	21055347	भूपेन्द्र सिंह	220961.00
26.06.2018	21055352	जगदम्बा बिल्डिंग मैटेरियल	116316.00
27.06.2018	21055349	विवेन्द्र ईट उद्योग	155537.00
30.06.2018	21055346	विवेन्द्र ईट उद्योग	257145.00
12.07.2018	10008765	भूपेन्द्र सिंह	28825.00
12.07.2018	10008763	जयगुरुदेव ईट उद्योग	65827.00
18.07.2018	10008766	विवेन्द्र ईट उद्योग	96325.00
24.09.2018	10008767	सुधीर प्रताप सिंह	18025.00
24.09.2018	10008769	सुधीर प्रताप सिंह	29828.00
24.09.2018	10008771	सुधीर प्रताप सिंह	64121.00
26.09.2018	10008768	विवेन्द्र ईट उद्योग	61512.00
27.09.2018	10008770	विवेन्द्र ईट उद्योग	130877.00
10.01.2019	10011118	विनोद कुमार	265759.00
10.01.2019	10011119	विवेन्द्र ईट उद्योग	258167.00
06.02.2019	10011133	विनोद कुमार	181630.00
08.02.2019	10011134	विवेन्द्र ईट उद्योग	249973.00
योग			2740046.00

प्रस्तर -30 लेखा परीक्षा में क्षेत्र निधि मद (सामूहिक विवाह, इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद आदि) का मात्र बैंक पासबुक काशी गोमती बैंक खाता सं0 313532010000692 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बैंक पासबुक के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 1725369.00 आहरित किया गया है परन्तु आहरित से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख (कार्य पत्रावली, एम0बी0, व्यय-वाऊचर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि रु0 1725369.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 1725369.00 राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी, श्री धनन्जय सिंह एवं श्री बी0के0 जायसवाल तथा सहायक लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -31 राज्य वित्त मद की कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि कई प्रस्तुत पत्रावलियों के मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं है। प्रस्तुत पत्रावलियों में इस प्रकार की कुल रु0 599713.00 की अनियमितता प्रकाश में आयी है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं धनन्जय सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं, जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	आहरित मजदूरी
1. ग्राम पंचायत बरहट में पिचरोड से प्रभुनारायन सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	42675.00
2. ग्राम पंचायत खतीबपुर में नहर से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	43600.00
3. पिच रोड से लल्लन राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	38375.00

कार्य का नाम	आहरित मजदूरी
4. विकासखण्ड कार्यालय के प्रांगण में आर्थिक गतिविधि केन्द्र का फर्श मरम्मत।	27750.00
5. ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर में लक्षन यादव के घर से मिट्टू प्रधान के घर तक खड़न्जा कार्य।	53375.00
6. हंसराजपुर सादियावाद पिच रोड से विकासखण्ड मनिहारी के गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य।	13200.00
7. विकासखण्ड मनिहारी में चबूतरा निर्माण व सुन्दरीकरण कार्य।	14925.00
8. नसीरपुर में पिच रोड से शिवबचन आई0टी0आई0 स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	41088.00
9. हंसराजपुर में पिच रोड से विक्रम के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।	34225.00
10. ग्राम पंचायत सिखड़ी में शंकर मन्दिर से रामदरश गिरी के घर तक मिट्टी खड़न्जा मरम्मत कार्य।	28525.00
11. ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर में आर0सी0सी0 रोड से हरिजन बस्ती तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।	118375.00
12. ग्राम पंचायत खड़वाडीह में पिचरोड से महर्षि शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।	109200.00
13. ग्राम पंचायत गोकुल में रमेश के घर से खेदू धोबी के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।	34400.00
योग	599713.00

10. क्षेत्र पंचायत – सैदपुर

ले0प0 वर्ष– 2017–18 से 2018–19

प्रस्तर –32 लेखा परीक्षा वर्षों में मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में सीधे नहीं कर कार्य प्रभारी को किया गया है। जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है जिस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम (भुगतान प्राप्तकर्ता)
1	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय एवं भवन चहरदीवारी मरम्मत रंगाई व पुताई	135600.00	श्री अश्वनी सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
2	ग्राम पंचायत रमरेपुर विष्णुपुर मथुरा में नहर के ब्रह्म चारी के पोखरा तक पक्की नाली निर्माण	30650.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
3	ग्राम पंचायत करमपुर में स्टेडियम से पोखरा तक पक्की नाली निर्माण	89400.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
4	ग्राम पंचायत महमूदपुर में पिच रोड से पिकू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	69100.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
5	ग्राम पंचायत अमेरा में रम्मन राजभर के घर में राम वचन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	56300.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
6	अमेदा पिच रोड से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	76250.00	श्री अश्वनी सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
7	ग्राम पंचायत भभौरा (दनौरा) पिच रोड से मंगोली तक खड़न्जा मरम्मत	98700.00 104125.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
8	ग्राम पंचायत अमेदा में पिच रोड से केदार के घर तक खड़न्जा मरम्मत	58945.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
9	ग्राम पंचायत करमपुर में नन्दलाल के घर से पोखरी तक पक्की नाली निर्माण कार्य	75000.00	श्री कुंवर नवीन सिंह, ए0डी0ओ0 (सी)
10	तिकधारी के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	62220.00	श्री अनिल कुमार राय ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
11	ग्राम पंचायत करमपुर में हनीक के घर के पास पोखरे का सुन्दरीकरण	147420.00	श्री अनिल कुमार राय ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)

12	ग्राम पंचायत उचौरी में पिच रोड से राम सहाय वर्मा के घर तक खडन्जा मरम्मत	98820.00	श्री अनिल कुमार राय ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
13	अमेरा (सहिचांदपुर) पिच रोड से रमाशंकर सिंह के घर तक इन्टलाकिंग कार्य	57950.00	श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
14	ग्राम पंचायत करमपुर में लालजी गोड़ के घर के पास से स्टेडियम पोखरा तक नाली निर्माण	40140.00	श्री अनिल कुमार राय ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
15	अमोरा में पिच रोड से मुन्नी लाल यादव के घर तक मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य	99240.00	श्री अनिल कुमार राय ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
16	लौलेहरा पिच रोड से कुआँ तक खडन्जा मरम्मत	41520.00	श्री कुंवर नवीन सिंह, ए0डी0ओ0 (सी)
17	ग्राम पंचायत तरावे में पिच रोड में चन्द्रशेखर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	128040.00	श्री कुंवर नवीन सिंह, ए0डी0ओ0 (सी)

जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन सिंह और लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा एवं श्री दिवाकर पाण्डेय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

11. क्षेत्र पंचायत – सादात

ले0प0 वर्ष– 2011–12 से 2018–19

प्रस्तर –33

- संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में किए गए समस्त व्ययों का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए संस्था द्वारा किए गए समस्त व्यय बिना प्रमाणक के अनियमित है। उक्त वर्ष के व्यय निम्न प्रकार है –

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	4656383.00
2	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन	21096.00
3	प्रशासनिक विविध व्यय	992.00
4	व्याज	116.00
5	भूमि गोष्ठी	1500.00
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	6000.00
7	वसूली लिपिक	80000.00
8	कर्मचारियों के वेतन भत्ते	273217.00
9	वेतन लिपिक	1739.00
10	राष्ट्रीय बायो गैस अनुदान	16000.00
	योग –	5057043.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री पुनवासी गुप्ता, श्री राधेश्याम व श्री राम सजीवन यादव एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। व्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल व्यय रु. 6677071.00 के सापेक्ष रु. 3428575.00 की व्यय पत्रवलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। शेष व्यय रु. 3248496.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त व्यय का विवरण निम्न है –

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	1738634.00
2	मंगल दलों का प्रोत्साहन	28000.00
3	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन	24700.00
4	व्याज	100.00
5	भूमि उपयोग की गोष्ठी	2000.00
6	13/14 वॉ वित्त आयोग	107012000.00
7	कर्मचारियों के वेतन भत्ते	364942.00
8	सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना	15000.00
9	किसान क्रेडिट कार्ड प्रशिक्षण	5000.00
	योग –	3248496.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 324896.00 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सजीवन यादव व श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

3.संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में किए गए समस्त व्ययों का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए संस्था द्वारा किए गए समस्त व्यय बिना प्रमाणक के अनियमित है। उक्त वर्ष के व्यय निम्न प्रकार है -

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	8374822.00
2	आयकर	32709.00
3	13/14 वॉ वित्त आयोग	1922658.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन व्याज	1060.00
5	प्रशासनिक विविध व्यय	14733.00
6	व्याज	184.00
7	कर्मचारियों के वेतन भत्ते	14310.00
	योग -	10360476.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 10360476.00 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय व श्री पी एन मिश्र एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

4.संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 -15 की लेखा परीक्षा में किए गए समस्त व्ययों का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए संस्था द्वारा किए गए समस्त व्यय बिना प्रमाणक के अनियमित है। उक्त वर्ष के व्यय निम्न प्रकार है -

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	8349386.00
2	आयकर	32709.00
3	13/14 वॉ वित्त आयोग	1061234.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन व्याज	142949.00
5	प्रशासनिक विविध व्यय	116516.00
6	व्याज	132567.00
7	राष्ट्रीय बायो गैस अनुदान	3500.00
8	जल की जांच का सर्वेक्षण	50000.00
	योग -	9888861.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 9888861.00 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्री लक्ष्मण प्रसाद व श्री लालव्रत यादव एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

5.संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16की लेखा परीक्षा में किए गए समस्त व्ययों का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए संस्था द्वारा किए गए समस्त व्यय बिना प्रमाणक के अनियमित है। उक्त वर्ष के व्यय निम्न प्रकार है -

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	6258528.00
2	आयकर	39697.00
3	13/14 वॉ वित्त आयोग	2015576.00
4	मंगल दलों का प्रोत्साहन	10000.00
5	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन व्याज	142949.00
6	प्रशासनिक विविध व्यय	487005.00
7	विधायक निधि	15000.00
8	व्याज	41112.00
9	कर्मचारियों के वेतन भत्ते	4928.00
10	जल की जांच का सर्वेक्षण	66220.00

11	एनआरएलएम का प्रशिक्षण	15600.00
	योग –	9096615.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 9096615.00 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अभिलाष व श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

6.संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में किए गए समस्त व्ययों का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए संस्था द्वारा किए गए समस्त व्यय बिना प्रमाणक के अनियमित है। उक्त वर्ष के व्यय निम्न प्रकार है –

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	12000.00
2	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ब्याज	52734.00
3	प्रशासनिक विविध व्यय	522981.00
4	ब्याज	116.00
	योग –	587831.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 587831.00 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

7.वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल व्यय रु. 5419137.40 के सापेक्ष रु. 5077220.00 की व्यय पत्रवलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। शेष व्यय रु. 341917.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त व्यय का विवरण निम्न है –

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	114124.40
5	प्रशासनिक मद	138011.00
6	प्रशासनिक व्यय	89782.00
8	ब्याज	0.00
	योग –	341917.40

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 341917.40 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री महेंद्र नाथ सिंह एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से सब्याज कराया जाना अपेक्षित है।

8.वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल व्यय रु.1871723.00 के सापेक्ष रु. 975929.00 की व्यय पत्रवलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। शेष व्यय रु. 895794.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त व्यय का विवरण निम्न है –

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त	2102042.00
5	प्रशासनिक मद	322251.00
6	अन्य प्राप्तियाँ (स्टेशनरी)	5000.00
8	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	356501.00
	योग –	895794.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय रु. 39477033.40 से संबंधित समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री पुनवासी गुप्ता, श्री राधेश्याम, श्री पी.एन. मिश्र, श्री संजय कुमार पाण्डेय श्री लक्ष्मण प्रसाद, लालव्रत यादव, श्री राम अभिलाष, श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से सब्याज कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –34

आयकर कटौती – संस्था के द्वारा आलोच्य वर्षों में सम्पन्न किये कार्यों के सापेक्ष परियोजनावार /मदवार सामग्री और श्रम का अलगाव करते हुए सामग्री में प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी

स्थिति में निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी सामग्री की धनराशि के सापेक्ष आयकर की नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है । नियमानुसार मदवार रजिस्टर तैयार कर वर्षवार कटौती, वसूली और जमा किये जाने उल्लेख किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । लेखा परीक्षा में इसका आकलन किया गया है जो निम्नांकित है—

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माणकार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटीगयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे. ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गए आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है साथ ही काटे गए आयकर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है. 1,अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.266% की दर से सुनिश्चित की जानी है। आयकर आगणन विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	सामग्री क्रय धनराशि	नियमानुसार आयकर आगणन	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि	जमा धनराशि	कम जमा धनराशि
2012-13	2304475.00	51620.00	9816.00	41804.00	0.00	51620.00
2017-18	4014422.00	89920.00	85858.00	4062.00	0.00	89920.00
2018-19	654805.00	14667.00	17913.00	—	0.00	17913.00

2012 -13 की प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में राज्य वित्त में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 2304475.00 रहा। इस पर नियमानुसार 2.24% की दर से रुपये आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से कुछ ही बिलों पर मात्र रु. 9816.00 आयकर की कटौती की गयी है, परंतु इस धनराशि को राजकोष में जमा नहीं करके उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया । लेखा परीक्षा के अनुसार संस्था द्वारा 2.24% की दर से रु. 51620.00 की कटौती की जानी चाहिए थी। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है । इस प्रकार रु. 51620.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में राज्य वित्त में सामग्री पर कुल व्यय रु 4014422.00 रहा । रु. 3833097.00 के सामग्री क्रय पर रु. 85858.00 आयकर की कटौती करके राजकोष में जमा न करके उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया तथा रु. 181325.00 के सामग्री क्रय पर आयकर कटौती 2.24%की दर से रु. 4062.00 न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उल्लेखनीय है कि ग्रांट रजिस्टर – iii में मात्र 9 पत्रावलियों में काटी गयी धनराशि रु. 34327.00 का अंकन किया गया है जबकि ग्रांट रजिस्टर – ii में आयकर का कॉलम बनाया ही नहीं गया है । इससे स्पष्ट है कि दूषित मंशा के साथ कार्य किया गया है । इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है । इस प्रकार रु. 89920.00 (85858.00+4062.00) की मय ब्याज वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर रु. 654804.00 व्यय किया गया जिस पर रु. 17913.00 की आयकर कटौती की गयी है परंतु उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न करके उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्रांट रजिस्टर – iii में बिल की धनराशि और आयकर कटौती की धनराशि में रु. 3246.00 का अंतर है। पत्रावलियों में काटी गयी धनराशि रु. 17913.00 का अंकन ग्रांट रजिस्टर – ii में नहीं किया गया है और न ही आयकर का कॉलम बनाया गया है । इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार सिंह उत्तरदायी है । इस प्रकार रु. 17913.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

इस प्रकार विभिन्न वर्षों में रु. 45866.00 की आयकर कटौती न (कम) करके और रु. 113587.00 की आयकर कटौती करके संबंधित कोष में जमा न करके कुल रु. 159453.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है।

इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सजीवन यादव, श्री संजय कुमार पाण्डेय श्री पवन कुमार सिंह, श्री महेंद्र नाथ सिंह, श्री धनंजय सिंह व श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री बृज पाल सिंह उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -35

वैट/जी.एस.टी. कटौती – उत्तर प्रदेश वैट अधि० 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4%) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है। वैट अधिनियम की धारा 2(ए०यू०) के अनुसार तथाशासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.8.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नंबर जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाणपत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत / टिन धारक है एवं संविदा से सम्बंधित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है और इसे मनमाने तरीके से भी लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2017 से वैट के स्थान पर जी.एस.टी. लागू हो गया जिसके परिणाम स्वरूप 01 जुलाई 2017 से 01 अक्टूबर 2018 तक जी.एस.टी कटौती और जमा अवरुद्ध रहा। इसका प्रभाव वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 पर पड़ा है।

इसके अंतर्गत सामग्री क्रय पर वैट/जीएसटी की धनराशि काट कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा न करके निम्न प्रकार से अनियमितता की गयी है :-

वर्ष	सामग्री क्रय धनराशि	नियमानुसार वैट/जीएसटी आगणन	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि	जमा धनराशि	कम जमा धनराशि
2012-13	2304475.00	92179.00	0.00	92179.00	0.00	92179.00
2017-18	4014422.00	0.00	155761.00	0.00	0.00	155761.00
2018-19	654805.00	0.00	3373.00	0.00	0.00	3373.00

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की प्रस्तुत पत्रावलियों में वर्ष 2012-13 में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 2304475.00 रहा। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इस पर 4% की दर से रुपये 92179.00 की कटौती की जानी चाहिए लेकिन आलोच्य वर्ष में इसे मनमाने तरीके से कोई वैट कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार सामग्री खरीद के बिलों पर नियमानुसार कुल रुपये 92179.00 की कटौती नहीं की गयी है। टीडीएस की यह धनराशि संस्था से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की राज्य वित्त की प्रस्तुत पत्रावलियों में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 4014422.00 रहा। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इस पर कोई वैट कटौती नहीं की जानी चाहिए लेकिन आलोच्य वर्ष में मनमाने तरीके से ग्रांट रजिस्टर तृतीय में मात्र 8 पत्रावलियों में रु. 52688.00 की वैट कटौती का अंकन किया गया है और ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में वैट का कॉलम ही नहीं बनाया गया है जबकि व्यय पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय के बिलों के सापेक्ष रु. 155761.00 की कटौती दर्शित है। परंतु वैट मद में काटी गयी किसी भी धनराशि को राजकोष में जमा करने का कोई प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। नियमानुसार कोई कटौती नहीं किया जाना था परंतु वैट की कटौती कर रुपये 155761.00 को राजकोष में जमा न करके वित्तीय अनियमितता किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य वित्त की प्रस्तुत पत्रावलियों में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 654804.00 रहा। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इस पर 2% की दर से जी.एस.टी.(टीडीएस) की कटौती की जानी चाहिए, लेकिन आलोच्य वर्ष में समस्त व्यय 01 अक्टूबर 2018 के पूर्व किए गए है। इसलिए नियमानुसार कोई कटौती नहीं किया जाना था। परंतु इस दौरान मनमाने तरीके से रु. 3373.00

की जी.एस.टी. कटौती करके राजकोष में जमा नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

इस प्रकार विभिन्न वर्षों में रु. 92197.00 की वैट/जी.एस.टी. कटौती न (कम) करके और रु. 159134.00 की वैट/जी.एस.टी. कटौती करके संबंधित कोष में जमा न करके कुल रु. 251313.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सजीवन यादव, श्री संजय कुमार पाण्डेय श्री पवन कुमार सिंह, श्री महेंद्र नाथ सिंह, श्री धनंजय सिंह व श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री बृज पाल सिंह उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता के लिए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -36

लेबर सेस — विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु, "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम- 2009," (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से "कर्मकार-उपकर" (लेबर सेस) नियोजित के द्वारा काटी जाएगी। प्रमुख अभियंता ने अप्रैल 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त (वित्तीय वर्ष 2018-19) के कार्यों पर मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर कुछ बिलों (3 मस्टर रोल) पर 1% की दर से लेबर सेस रुपये 3887.00 की कटौती की गयी है परंतु उक्त धनराशि को श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार इस धनराशि की कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। यदि कटौती कर ली गयी है तो इसे ससमय श्रम विभाग में जमा की जानी थी। इसके प्रति लेखाकार श्री बृजपाल सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रुपये 3887.00 को संस्था के अधिकारियों से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

12. क्षेत्र पंचायत — भोंवरकोल

ले0प0 वर्ष— 2018-19

प्रस्तर -37 आलोच्य वर्ष में IV राज्य वित्त में निम्न कार्यों में जीएसटी नहीं काटा गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है —

क्र0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	जीएसटी 2 प्रतिशत जो नहीं काटा गया
1	ग्राम पंचायत शेरपुर के सेमरा में पीडब्ल्यूडी मार्ग से मुद्रिका राय के दरवाजे तक खड़जा मरम्मत का कार्य	134153	2683
2	लोहार पुर में हरिजन बस्ती के रामदुलार के घर से रमेश के दरवाजे तक नाली इंटरलॉकिंग व सपोर्टिंग दीवार का निर्माण कार्य	429459	8589
3	ग्राम पंचायत मसौनी में कोटवा लठुडीहमार्ग से नरेमरैला तक खड़जा मरम्मत कार्य	160382	3207.64
4	ग्राम पंचायत महेंद्र में प्राइमरी स्कूल से लालजी यादव के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य	128622	2572.44
5	ग्राम वीरपुर में मुख्य मार्ग से अतुल राय के दरवाजे तक सपोर्टिंग वाल एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	193777	3875.54
6	ग्राम बीरपुर में बीरपुर इंटर कॉलेज के समीप मुख्य मार्ग से रामकिशोर के चक तक इंटरलॉकिंग कार्य	166031	3320.62
7	ग्राम पंचायत पलिया बुजुर्ग में मुख्य मार्ग से सुनील राय के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य	716994	14339.88
9	ग्राम पंचायत मसोन में मेन रोड पर भोला पाल के घर	377179	7543.58

	से हीराराम के घर तक सीसी रोड एवं केसी नाली का निर्माण कार्य		
10	सजना में राम प्रसन्न राजभर के घर से संजय यादव के घर तक सीसी रोड का निर्माण	746712	14934.24
11	ब्लॉक कार्यालय के पश्चिमी बाउंड्री वाल का पुनर्निर्माण कार्य	131073	2621.46
12	ब्लॉक कार्यालय के पूर्वी बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य	61212	1224.24
13	ब्लॉक कार्यालय के दक्षिणी बाउंड्री वाल का पुनर्निर्माण कार्य	39759	795.18
14	ग्राम सुख डेहरी कला में बाठा से सुख टेहरी प्राथमिक पाठशाला तक मिटटी खड़जा कार्य	220752	4415
15	ग्राम सुख देहरा में पीडब्ल्यूडी रोडकिशनपुरा से विजय यादव के डेरा तक खड़जा मरम्मत कार्य	144916	2898.32
16	ग्राम टोडरपुर में टोडरपुर ट्यूबवेल से रामाश्रय के खेत तक मिटटी व खड़जा कार्य	269646	5392.92
	योग	3920667	78413.34

उक्त धनराशि रुपये 3920667 पर 2प्रतिशत की दर से जीएसटी रुपये 78413.34 कटौती ना करके राजस्व की क्षति की गई है इस धनराशि की अनियमितता के लिए तत्कालीन बीडीओ अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार हरिशंकर प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —38 आलोच्य वर्ष में सांसद निधि में निम्न कार्यों में जीएसटी नहीं काटा गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है —

क्र०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	जीएसटी2 प्रतिशत जो नहीं काटा गया
1	ग्राम कठार में हीरा शर्मा के घर से रामबचन राजभर के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	491191	9823.82
2	विकासखंड भावर कोल अंतर्गत ग्राम सभा नसीराबाद मेन सड़क से सरदरपुर संपर्क मार्ग पर मिटटी खड़जा का कार्य	757438.59	15148.77
3	ग्राम फिरोजपुर शंकर जी के मंदिर से रघुनाथ यादव के घर तक सीसी रोड का कार्य	491408.43	9828.19
4	ग्राम पंचायत मनिया में डीह बाबा के स्थान से अजय कुशवाहा के घर होते हुए त्रिवेणी मास्टर के घर तक सीसी एवं नाली ढक्कन कार्य	510219.75	10204.4
5	निकरोज पुर में नूरी पहलवान के डेरा से धाकड़ गोड के डेरा तक मिटटी एवं सीलिंग कार्य	337288.85	6775.78
6	विकासखंड भावर कोल के अंतर्गत ग्राम भदौरा में कृष्ण कुशवाहा से राधेश्याम कुशवाहा के घर होते हुए राजभर बस्ती तक सीसी कार्य	344345.73	6886.91

	योग	2931892.35	58667.87

उक्त धनराशि रुपये 2931892.35 पर 2प्रतिशत की दर से जीएसटी रुपये 58667.87 कटौती ना करके राजस्व की क्षति की गई है इस धनराशि की अनियमितता के लिए तत्कालीन बीडीओ अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार हरिशंकर प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –39 सांसद निधि एवं राज्य वित्त में वर्ष में आहरित धनराशिरु० 3398659 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बार-बार माँगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

मद का नाम	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	लेखक परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार व्यय धनराशि	अपुष्ट धनराशि जिसके सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे
राज्य वित्त	8419951.2	7378491	1041460
सांसद निधि	4565226	2208027	2357199
योग	12985177.2	9586518	3398659

उक्त धनराशि रुपए 3398659 की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करके अपहरण की गई है इस अपहरण के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री हरिशंकर प्रधान दोनों लोग संयुक्त रूप से उत्तरदाई है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

13. क्षेत्र पंचायत – करण्डा

ले०प० वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –40

ग्राम सभा सबुआ में पिन्टू प्रजापति के घर से संग्राम चौरसिया के घर तक नाली निर्माण कार्य कराया गया है।

जिस पर आपत्तियां निम्नवत रही –

(i) मैटीरियल खरीद हेतु तीन फर्मों की औपचारिकता पूरी करने हेतु सादे कागज पर वन्दना हार्डवेयर बिहारीगंज सैदपुर का आपूर्ति पत्र लगा था जिसके सम्बन्धित फर्म द्वारा जारी किये जाने की स्थिति संदिग्ध रही। फार्म बिक्री से कोई आय नहीं है जिससे स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।

(ii) दिनांक 01.07.2018 से 25.07.2018 तक के मस्टररोल पर अंगूठा निशान लगे थे जो समरूप तथा प्रभारी श्री उधम सिंह द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये थे। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी सम्बन्धित धनराशि को मजदूरों के खातों में न भेजकर रु० 31500–00 का चेक श्री उधम सिंह को प्राप्त कराया गया है। इसी प्रकार दिनांक 21–12–2018 से 25–12–2018 तक के संलग्न मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान लगे थे जो समरूप थे तथा प्रमाणित नहीं थे सम्बन्धित मजदूरों की मजदूरी उनके खातों में जमा न कर सम्बन्धित मस्टर रोल की धनराशि 21000–00 का चेक श्री आशुतोष सिंह को निर्गत रहा।

(iii) दि० 25–06–2018 को शिवपूजन बाबा ईट भट्टा नारी पचदेवरा गाजीपुर के कैशमेमो सं० 06 से 13500 नग ईट जी०एस०टी० सहित 5800–00 रु० प्रति हजार की दर से तथा 9.90 धन मी० ईट टुकड़ी जिसकी कुल धनराशि (78300 ईट की तथा 11880–00ईट टुकड़ी की कीमत) 90180–00 पर 2 प्रतिशत आयकर काट कर 88387–00 का भुगतान चेक सं०–006779 द्वारा दिनांक 07–07–2018 को किया गया है। इसी फर्म से ही दि० 19–12–2018 को 8900 नग ईट रु० 5775 की दर से 66 घ०मी० ईट टुकड़ी 1200 की दर से क्रय कुल धनराशि 59317–00 में दि० 25–06–2018 को कैश मेमो सं० 06 द्वारा जो ईट 5800 की दर से

क्रय था और यही दर आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति करने एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सहमति था परन्तु दूसरे पक्षारी श्री आशुतोष सिंह एवं लेखाकार श्री शोभनाथ यादव द्वारा 5800-005775 से अन्तर की धनराशि रु0 337-00 काट कर रु0 42850-00 का चेक सं0 11541 दि0 14-02-2019 को भुगतान है। आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा सहमत होने की दशा में पूर्व के कैंशमेमों की धनराशि से कटौती करना यह स्पष्ट करता है टेण्डर प्रक्रिया एवं नियमों का पालन न कर, क्रय किया जाना अनियमित रहा।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के अधीन व्यय किया जाना अनियमित रहा। कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी भी नहीं करायी गयी है। उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -41 ग्राम पंचायत सबुआ में पिच रोड से अशोक सिंह के मशीन तक मि0/खडन्जा कार्य कराया जाना दर्शित रहा जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत रही -

(i) मस्टर रोल दि0 01-07-2018 से 11-07-2018 तक 20 मजदूरों की मजदूरी रु0 52500-00 का चेक श्री उधम सिंह एवं 14-12-2018 से 24-12-2018 तक की धनराशि रु0 39570-00 एवं मिट्टी क्रय रु0 39831-00 कुल 79401-00 का चेक श्री आशुतोष सिंह को भुगतान है। सम्बन्धित मस्टर रोलों के मजदूरों के अगूठा निशान समरूप एवं प्रमाणित नहीं थे तथा मिट्टी के प्रमाणक पर तिथि अंकित नहीं था।

(ii) दिनांक 26-06-2018 को शिवपूजन बाबा ईट उद्योग के कैंश मेमो/बिल संख्या 8 द्वारा 26000 नग ईट रु0 5800 की दर से क्रय था जो कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सहमत एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत था। जिसका मूल्य रु0 150800-00 में रु0 3016-00 आयकर काटकर रु0 147784-00 चे0सं0 009320 द्वारा दिनांक 12-07-2018 को भुगतान था। इसी फर्म से दिनांक 12-12-2018 को कैंश मेमो सं0 26 द्वारा 9000 ईट रु0 5775-00 की दर से क्रय था जिसमें रु0 650/- पहले का (कैंशमेमो सं0 8 दिनांक 26-6-2018) अधिक भुगतान घटाकर तथा रु0 1027/- आयकर काटकर 20110-00 काटकर रु0 30188-00 चेक सं0 11544 दिनांक 14-02-2019 को भुगतान रहा जो कि आपूर्तिकर्ता के सहमति एवं स्वीकृत दर के विपरीत रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यय प्रक्रिया पूर्णतया पालन न कर नियम के विपरीत व्यय किया जाना अनियमित रहा जिसके लिए श्री उधम, श्री आशुतोष सिंही कार्य प्रभारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार श्री शोभनाथ यादव एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -42 सबुआ में संजय सिंह के घर से महावीर मन्दिर तक नाली एवं इन्टर लाकिंग कार्य कराया गया है जिस पर निम्न विवरण के अनुसार टेण्डर प्राप्त तथा स्वीकृत रहा-

इन्टर लाकिंग बिक्स

(i) माँ वैष्णो चौखट एवं इन्टर लाकिंग बिक्स एण्ड टाइल्स नन्दगंज गाजीपुर - स्टीमेट 385/24-05-2018 स्वीकृत

(ii) आर०आर०इन्टर प्राइजेज बहरेरी गाजीपुर - सादा कागज पर/23-05-2018

(iii) राजेश्वरी स्पन पाइप कम्पनी सैदपुर गाजीपुर - पैड दिनांक 20-05-2018

मैटीरियल -

(i) अमन बिल्डिंग मैटीरियल चोचकपुर - कैंशमेमो सं0 104 दि0 25.05.2018 स्वीकृत

(ii) वन्दना हार्ड वेयर बिहारीगंज - सादा कागज दि0 23.05.2018

(iii) मेसर्स अनुराग इन्टर प्राइजेज करमपुर सैदपुर - पैड दिनांक दिनांक 20-05-2018

टेण्डर बिक्री से कोई आय नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया का पूर्णतया पालन न कर मात्र 3 फर्म की औपचारिकता पूरा कर सामग्री क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न आपत्तिया रही -

(i) मस्टररोल सं0 - 0 दिनांक 01-07-2018 से 08-07-2018 तक 19 मजदूर धनराशि 33270-00 सबका अगूठा निशान समरूप तथा प्रमाणित नहीं रहा।

(ii) मस्टर रोल दिनांक 17-12-2018 से 24-12-2018 तक 12 मजदूर धनराशि 22050-00 सबका अंगूठा निशान समरूप तथा प्रमाणित नहीं रहा।

(iii) माँ वैष्णो चौखट एवं इन्टर लाकिंग कैशमेमो/बिल नं० 719 दिनांक 18-12-2018 धनराशि 70400-00 भुगतान चे०सं० 11546 दि० 14-02-2019

(iv) अमन बिल्डिंग मैटेरियल नं० 103 दि० 27-06-2018 रू० 38740-00 भुगतान चेक सं० 11547 दि० 09-07-2018

(v) माँ वैष्णो चौखट एवं इन्टर लोकिंग नं० 301 दि० 26-06-2018 धनराशि 25600-00 भुगतान चेक सं० 9927 दि० 02-07-2018

(vi) शिवपूजन बाबा ईट नं० 2 दिनांक 28-06-2018 रू० 81085/- भुगतान चे०सं० 9925 दिनांक 09-07-2018

इस प्रकार नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण न होने तथा अंगूठा निशान समान होने तथा प्रमाणित न होने एवं मजदूरी पंजिका एवं रजिस्ट्रेशन पंजिका के अप्राप्त होने के कारण व्यय संदिग्ध तथा अनियमित रहा। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -43 सबुआ में रामआशीष विश्वकर्मा के घर से नदी तक नाली निर्माण निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया था -

(i) म०रो० दिनांक 01-07-2018 से 06-07-2018 23 मजदूर धनराशि 35700-00 सबका अंगूठा निशान समरूप तथा अप्रमाणित रहा।

(ii) दिनांक 28-06-2018 कैश मेमो/बिल सं० 03 7500 नग ईट 5800 प्रति हजार की दर से तथा ईट टुकड़ी कुल कीमत 54978/- का भुगतान चेक सं० 9322 दिनांक 07-07-2018 रहा। इसी फर्म द्वारा दिनांक 19-12-2018 को कैशमेमा सं०/बिल सं० 24 द्वारा 10800 नग ईट 5775 की दर से तथा ईट टुकड़ी कुल कीमत 65010-00 में से रू० 187/- पहले बिल का अधिक भुगतान घटाकर रू० 51416-00 का भुगतान चे०सं० 11550 दि० 14-02-2019 को किया गया है आपूकिर्ता द्वारा आपूर्ति के देय दर एवं सम्बन्धित दर की स्वीकृति खण्ड विकास अधिकारी द्वारा देने तथा आपूर्ति के प्रथम बिल के सापेक्ष दूसरे बिल से कटौती किया जाना अपने आप में स्पष्ट करता है कि टेण्डर की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया है अपने आप में स्पष्ट है कि टेण्डर की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया है। टेण्डर बिक्री से आय न होना इस व्यय की अनियमितता को प्रबल बनाता है। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 वर्ष के प्रारंभ में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि शेष रही जो वर्षान्त तक यथावत पड़ी रही जिसे सम्बन्धित पक्षों को वापस न कर संस्था पर रोककर रखा जाना अनियमित रहा।

वायोगैस - रू० 546-00

एन०आर०एल०एम० - रू० 15600-00

सा०नि० 2015 में बी०एल०ओ०/पर्यवेक्षक का मानदेय 3000-00

विधवा पेंशन 5000-00

इसके लिए लेखाकार श्री शोभनाथ यादव व श्री राम बहादुर ख०वि०अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

14. क्षेत्र पंचायत - भदौरा

ले०प० वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -45 आलोच्य वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 1268221.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मृत्युजय कुमार सिंह एडीओ एसटी, श्री नवल किशोर सिंह जेई एमई एवं श्री ओम प्रकाश पांडे एडीओ आईएसबी को विभिन्न कार्यों के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में भुगतान किया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है।

परियोजनावार कार्य सम्पन्न कराने हेतु ब्लाक स्तर से मस्टर रोल की मॉग/आपूर्ति, उनके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष मस्टररोल की स्थिति, स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति से स्पष्ट है कि बिना विकास खण्ड से निर्गत मस्टररोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है। साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री-पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित की गयी है। साथ ही भुगतान बैंक के माध्यम से न कर नकद किया जाना दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है। अतः मजदूरी मद में रु० 1268221.00 का योजना बद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अ० श्री महेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री कन्हैया सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 वर्ष आलोच्य 2018-19 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत कुल रु० 36000.00 की धनराशि प्राप्त हुई है जिससे सापेक्ष माह 10/18 में उक्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु० 300000.00 व्यय दर्शित है –

क्र०	फर्म का नाम	चेक सं०/दिनांक	व्यय का विवरण	सामग्री क्रय		
				धनराशि	आयकर	शुद्ध भुगतान
1	में० रघु वस्त्रालय गहमर	037177/04.10.18	श्रंगार व कपड़ा	94200	1884	92316
2	में० कुशवाहा स्टोर गहमर	037178/04.10.18	किराना सामान	64500	1290	63210
3	में० एस०के० ज्वेलर्स गहमर	037179/04.10.18	आभूषण व वर्तन	105800	2116	103684
4	श्री दिनेश कुमार गुप्ता ग्रा०वि०अ०	037180/04.10.18	टेंट जनरेटर	35500	—	35500
			योग —	300000	5290	294710

(i)– उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय की धनराशि से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण एवं उनके निबंधन की स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका।

(ii)– संबंधित जोड़ों से लिखित/प्रमाण पत्र नहीं लिए गए हैं तथा न तो प्रशासनिक आधार पर ही जोड़ों हेतु निर्गत प्रमाण पत्र देखने को मिला।

(iii)– उपरोक्त भुगतान से संबंधित फर्मों के भुगतान पावती नहीं पायी गयी।

(iv)– उक्त सामग्रीयों के क्रय हेतु कोई टेण्डर/कोटेशन आमंत्रण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

(v)– प्रत्येक लाभार्थी को क्या-क्या सामान, कितनी मात्रा में दिये जाने हैं और कितनी मात्रा में प्रदान किये गये तथा उनका मूल्य क्या रहा पुष्टि नहीं है।

(vi)– लाभार्थियों की वास्तविकता के संबंध में कोई व्यक्तिगत आई०डी० विवरण एवं उनकी पहचान के रूप में सक्षमपत्र यथा प्रधान/कोई मेम्बर/ग्रा०वि०अ० का कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विवाह सम्पन्न कराने से संबंधित व्यय दर्शित धनराशि रु० 300000.00 की पुष्टि संबंधित अभिलेखों के अभाव में नहीं हो रही है। जो घोर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है दायित्व संबंधित अधिकारी एवं कार्यप्रभारी का रहा। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -47 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल योजना से संबंधित बैंक खाते जमा धनराशि रु० 50000.00 में से दिनांक 18.03.19 को जनहित एवं पशुहित में वी०डी०ओ० व पशु डॉक्टर भदौरा द्वारा विडाल रु० 25000.00 किया गया है। जिसके संबंध में निम्न न्यून्ताएँ प्रकाश में आई –

(i)– निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल से संबंधित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ii)– गोवंश आश्रय स्थल कहा स्थित है तथा कौन संरक्षक/कार्यप्रभारी बनाया गया है इससे संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा तथा नियुक्ति अधिकारी/पशु डॉक्टर का भी बोध नहीं हो सका।

(iii)– उक्त गोवंश आश्रय स्थल में कितने पशुओं का भरण पोषण हो रहा है और प्रत्येक पशु हेतु क्या व्यय शुल्क निर्धारित है स्पष्ट नहीं है।

(iv)– उक्त आहरित धनराशि रु0 25000.00 से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः आहरित धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्तानुसार आहरित धनराशि रु0 25000.00 का व्यय एवं आश्रय स्थल की स्थिति पत्रावली के अभाव में अपुष्टित रही। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

15. क्षेत्र पंचायत – देवकली

ले0प0 वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –48 वर्ष 2018–19 में मुख्यमन्त्री विवाह योजना में रु0 448000.00 प्राप्त हुआ। तथा उसमें से रु0 329952.00 व्यय किया गया। व्यय की धनराशि के पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई। व्यय अपुष्टित रहा। पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने से उक्त व्यय धनराशि के अपहरण की प्रबल संभावना है। इसके लिए लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः अपहरण की धनराशि की संबंधित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर –49 वर्ष 2018–19 में शासनादेश संख्या – 112/86/2012(33) 2010 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय जमा धनराशि प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होकर राजकीय कोष में ससमय शीर्ष में जमा कर दिये जाने का प्राविधान है। संस्था द्वारा विभिन्न बैंक खातों में जमा अनुदान की धनराशि रु0 253670.00 ब्याज के रूप में आय हुई। वर्ष में रु0 32473.00 व्यय किया गया है। आय की पुष्टि में खाते वार अनुदान बार कितना ब्याज प्राप्त हुआ। उसका कोई लेखा नहीं है। तथा ब्याज की धनराशि की पुष्टि में कोषागार या चालान व सीटीआर अप्राप्त रहा फलतः ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी। अपुष्टित होने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में रखते हुए पूर्ण दायित्व ख0वि0अ0 तथा व लेखाकार रामजी सिंह यादव का रहा। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –50 लेखा परीक्षा वर्ष 2018–19 में निर्माण पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि टीडीएस के रूप में सामग्री के सापेक्ष 2.24 की दर से कटौती करनी चाहिए लेकिन कय सामग्री रु0 1184640.00 पर टीडीएस 2.24 प्रतिशत की दर से 26535.94 की कटौती नहीं की गयी तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 34 के प्राविधानानुसार विभागीय सामग्री रु0 1184640.00 के सापेक्ष वैट 4 प्रतिशत जो रु0 47385.00 होता है। उसकी कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है यह स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता से न टीडीएस न ही वैट की कटौती की गयी। उक्त धनराशि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री रामजी सिंह यादव की है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

16. क्षेत्र पंचायत – बिरनो

ले0प0 वर्ष– 2018–19

प्रस्तर –51 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत वर्षों (जैसे–2015–16 या 2017–18) की स्वीकृत कार्ययोजना में सन्निहित कार्यों को वर्ष आलोच्य में कराया गया है या कुछ भुगतान रोककर रखा गया था जिसे वर्ष 2018–19 में किया गया है। जिससे क्षेत्र पंचायत के लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की काम के प्रति पारदर्शिता संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि विगत वर्षों के जो भी भुगतान आलोच्य वर्ष में किये गये हैं इसके प्रमाणन के लिये क्षेत्र पंचायत पर कोई ऐसी पंजी नहीं रखी गयी है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अमुक कार्य का भुगतान बाकी रह गया है। संस्था द्वारा कार्य को रोके जाने के संदर्भ में भी कोई स्पष्ट कारण भी लेखा परीक्षा में नहीं बताया गया कि जिससे संतुष्ट हुआ जा सके कि किस कारणवश कार्य रोककर रखा गया। संस्था पर अवशेष कार्यों की सूची भी नहीं रखी गयी है।

इससे स्पष्ट है कि धनराशि रु0 1131659.00 मनमाने ढंग से लेखाकर एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है तथा शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है। इस अनियमितता

के प्रति लेखाकर श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—52 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से बोगना में शिवचौहान के भट्टे से दिनेश चौहान के ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है। सम्बन्धित कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 11.06.2018 को चेक नं० 7229 से रु० 216000.00 का भुगतान नीरज सीमेंट एजेंसी को तथा दिनांक 26.06.2018 को चेक नं० 7240 से रु० 161480.00 का भुगतान जे०पी०वाई ईट उद्योग को किया गया है। इस प्रकार कुल रु० 377480.00 की सामग्री क्रय दर्शित है। लेकिन सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में मजदूरी का न तो मस्टररोल लगा है और न ही लेखा परीक्षा समाप्ति तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के सामग्री किसप्रकार खर्च की गयी, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्य ठेके पर भी नहीं कराया गया है। अतः यह विदित हो रहा है कि फर्जी बिल लगाकर रु० 377480.00 का अपहरण किया गया है। जिस प्रति लेखाकर श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही करते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर—53 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कार्य कराये गये हैं, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना सम्यक कार्यवाही किये ही सामग्री को क्रय किया गया है। जैसे निविदा सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा किसी भी कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी (1) कार्य प्रारम्भ के पूर्व (2) कार्य दौरान (3) कार्य समाप्ति की नहीं लगी है तथा कार्य प्रभारी प्रायः एक ही व्यक्ति श्री मनोज यादव जो कि ग्राम विकास अधिकारी है को बनाया गया है जबकि कार्यप्रभारी ए०डी०ओ० स्तर का व्यक्ति ही हो सकता है। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार कार्यों पर सामग्री क्रय कर रु० 2200717.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस प्रति लेखाकर श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामविलास उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—54 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि लेखाकार द्वारा फर्मों के प्रस्तुत बिल के भुगतान के समय निर्धारित कर (टी०डी०एस, वैट व जी०एस०टी०) की कटौती की गयी है, परन्तु कटौती की गयी धनराशि लेखा परीक्षा समाप्ति तिथि तक कोषागार के निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

इस प्रकार रु० 120925.00 लेखाकर श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी द्वारा निर्धारित शीर्ष में न जमाकर अनियमितता की गयी है। अतः रु० 120925 यथाशीघ्र कोषागार — के निर्धारित शीर्षों में जमा कराया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—55 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत को राज्य वित्त खाते पर रु० 180861.00 ब्याज तथा मनरेगा खाते पर रु० 20168.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। राज्य वित्त खाते से दिनांक 20. 09.2018 को रु० 50000.00 स्थानांतरित कर क्षेत्र पंचायत परिसर में माडल प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु श्री मनोज कुमार यादव (प्रभारी) को भुगतान किया गया है। जबकि इस हस्तान्तरित धनराशि के लिए किसी सक्षम अधिकारी का आदेश पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार मनरेगा खाते से दिनांक 14.12.2018 को रु० 107244.00 ब्याज शीर्ष की धनराशि सी०डी०ओ० गाजीपुर को हस्तान्तरित की गयी है, जबकि इस सम्बन्ध में सी०डी०ओ० महोदय का कोई मॉगपत्र या आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु० 50000.00+107244.00 = 157244.00 रु० ब्याज की धनराशि अन्यत्र बिना किसी नियम, आदेश के अन्यत्र हस्तांतरित कर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी राम विलास उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -1

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 में कराये गये निम्न कार्यों के श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी प्रभारी
1.	कुहिया में कोइरीडीहा मल्हनी रोड से खड़जा निर्माण तथा पक्की नाली निर्माण	13125/-	संजय यादव (ग्रा0पं0 अधि0)
2.	लपरी में भैरो बाबा मन्दिर से राहुल सिंह के घर तक खड़जा मरम्मत	19250/-	संजय यादव (ग्रा0पं0 अधि0)
3.	मुस्तफाबाद में पिच रोड से बसंतू के घर तक पक्की नाली निर्माण	22225/-	अभयराज यादव ए.डी.ओ. (पंचायत)
4.	जर्गो में केशव यादव के घर से आत्मा वकील के घर तक खड़जा मरम्मत	21825/-	संजय यादव (ग्रा0पं0 अधि0)
	योग	76475/-	

आपत्ति संख्या-5

प्रस्तर -2 आयकर अधिनियम एवं व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निम्न कार्यों के निर्माण सामग्रियों पर कोई कटौती नहीं की गयी।

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि सामग्री	
1.	मखमेलपुर में राजेन्द्र के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण	55625.00	1246
2.	ताखापूरब में मंसूर अहमद के चक से धिनहू के चक तक खड़जा निर्माण	85181.00	1908
3.	सराय ख्वाजा में शाहगंज जौनपुर रोड से मुक्तिनाथ सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	668423.00	14972
4.	शाहापुर विजय यादव के घर से सुरेश यादव के घर तक इंटर लाकिंग	281924.00	6315
5.	लपरी में अन्ना के चक से इकबाल के घर तक खड़जा निर्माण	66990.00	1500
6.	ब्लॉक परिसर पश्चिम साइटमेन गेट के सामने इंटर लाकिंग कार्य	274139.00	6140
7.	डड़ली मेन रोड से राजपत यादव के घर तक इंटरलाकिंग	557331.00	12484
8.	कुहिया में कोइरीडीहा मल्हनी रोड से सूरज के घर तक खड़जा निर्माण तथा पक्की नाली निर्माण	66990.00	1500
9.	लपरी में भैरोतालाब मन्दिर से राहुल सिंह के घर तक खड़जा निर्माण	34650.00	776
10.	ग्रा0पं0 सुरिस आदवर्ष कालोनी में सुभाष यादव हास्पिटल में इंटरलाकिंग कार्य	33777.00	756
11.	कौड़िया में इंटरलाकिंग रोड से विसमिल्ला के घर से बाया	94859.00	2124

	मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य		
12.	मुस्तफाबाद में पिच रोड से वसंतु के घर तक पक्की नाली निर्माण	96224.00	2155
13.	ब्लॉक परिसर में बी.डी.ओ. शौचालय एवं पत्र वाहक, बी.डी.ओ. आवास मरम्मत	150541.00	3372
14.	जर्जों में केशव यादव के घर से आत्मा वकील के घर तक खड्जा मरम्मत	40425.00	905
	योग	2507079	56153

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में निर्माण सामग्रियों पर रु. 56153.00 की आयकर कटौती होनी चाहिए, परन्तु उक्त कटौती न करके राजकीय क्षति किया गया, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान वर्ष में आकलित धनराशि रु. 56153.00 को वसूल करके जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(02)

विकास खण्ड-धर्मापुर क्षेत्र पंचायत-धर्मापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19
प्रस्तर 3 वित्तीय वर्ष 2018-19 में खे0पं0-धर्मापुर में निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी जिसका विवरण प्रकार निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अवधि	मजदूरों की संख्या	धनराशि	मोड ऑफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
					नकद	चेक नं.	दिनांक	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्रा0पं0 रस्तीपुर में राजनाथ के खेत से नागेन्द्र यादव के मशीन तक रस्तीपुर से पिण्डरा लिंक रोड मिट्टी खडन्जा कार्य	21.09.2018							
2	ग्रा0पं0 चौकी पिलकुआ में राजभर पुलिया से चौकी सरहद तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21.09.2018	31	145075.00	—	12006665	26.10.18	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.
3	खं0वि0परिसर के अंदर वायरिंग, पलम्बरिंग व शौचालय	22.10.2018 से 21.11.2018	57	276150.00	—	12006674	27.11.18	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.

	मरम्मत कार्य								
4	राजनाथ यादव के खेत से करीमुद्दीनपुर पुलिया तक मिट्टी खडन्जा कार्य	16.10.2018 से 25.10.2018	09	25200.00	—	06673	22.11.2018	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.
5	खंविपरिसर के अंदर पशु अस्पताल मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य	21.09.18 से 21.10.2018	59	284725.00	—	12006664	26.10.2018	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.
6	ग्रा0प0 तरसंड में सोईनाला नयनसंड रोड से जगदीश के मकान तक मिट्टी खडन्जा कार्य	25.01.2019 से 08.02.2019	26	53025.00	—	12006679	11.02.2019	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.
		05.10.2018 से 22.10.2018	56	270025.00	—	06670	05.11.2018	प्रमोद कुमार सिंह	ग्रा.वि.अ.
			योग—	1054200.00					

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रू0 10.54,200.00 छः कार्यों पर मजदूरी पर व्यय किये गये हैं। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में सीधे नहीं करके श्री प्रमोद कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के नाम से मजदूरी का चेक छः कार्यों में दिया गया है। जो सरकारी के नियम एवं मंशा के विपरीत है। जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अग्रेतर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(03)

विकास खण्ड—करंजाकला क्षेत्र पंचायत—करंजाकला जनपद—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—04 उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत करंजाकला, जनपद—जौनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अंकन रूपया 1032000.00 के गम्भीर प्रकरण उद्घाटित हुए। जो निम्नवत है—

1— स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु विकास खण्ड के समस्त 93 गावों में माडल शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2019 को प्रति गांव रू0 12000.00 की दर से कुल रूपया 1116000.00 ट्रान्सफर किया गया जिसमें ग्राम पंचायत चकगोपालपुर, लाडलेपुर, गौसपुर चकिया, मल्हनी, सुल्तानपुर किशुनपुर, सलोनीमहिमापुर, पचेवरा से धनराशि वापस की जा चुकी है किन्तु शेष ग्राम पंचायतों के माडल शौचालय निर्माण सम्बन्धित कोई प्रमाणक व उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य में शेष (86) ग्राम पंचायतों के कुल रूपया 1032000.00 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके उत्तरदायी श्री साहब सरन रावत, खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम प्रवेश सिंह, सहायक विकास अधिकारी, श्री अनुप कुमार सिन्हा, लेखाकार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(04)

विकास खण्ड—खुटहन क्षेत्र पंचायत—खुटहन जनपद—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—05

1—आलोच्य वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों पर रू0 489400.00 मजदूरी / श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियाँ हैं—

(क) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में नहीं कर कार्यप्रभारी को किया गया है।

(ख) पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मस्टर रोल वि0ख0 कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

- (ग) संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं हैं।
 (घ) मस्टर रोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।
 (ङ) कुछ मस्टररोल पर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं हैं।

अतः स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्यप्रभारियों के नाम पर चेक से भुगतान किया गया है जो पंचायत नियमावली के विरुद्ध है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0- 3

प्रस्तर-06 आलोच्य वर्ष 2018-19 में अनुदान रजिस्टर-3 के अवशेष एवं बैंक पासबुक के अवशेष में ₹0 296241.00 रुपये का अन्तर दिनांक 31.03.2020 को है। अन्तर की धनराशि का कारण लेखाकार द्वारा ग्राण्ट रजिस्टर-3 में अंकन नहीं किया जाना अनियमित रहा। अन्तर का कारण विवरण सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-9क

(05)

विकास खण्ड-सुइथाकला क्षेत्र पंचायत-सुइथाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18 से 2018-19
प्रस्तर-07 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला में 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य पेंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ बी0डी0ओ आवास मिठाईलाल आवास (चौकीदार) मरम्मत कार्य के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पायी गयी।

- (क)-उक्त कार्य कराये जाने के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
 (ख)-कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।
 (ग)-टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
 (घ)-मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और न ही मस्टर रोल पर कार्य का नाम व दिनांक ही अंकित है।
 (ङ)-मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कार्यप्रभारी को किया गया है।
 (च)-बिल संख्या-129/15.06.2017 ₹0 25106.00 यदुवंशी बिल्डिंग मैटेरियल का है परन्तु भुगतान गुलाब को किया गया है।
 (छ)-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
 (ज)-कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफी संलग्न नहीं रहा।
 अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर ₹0 98262.00 एवं श्रमांश पर व्यय ₹0 44975.00 कुल 143237.00 के व्यय में गम्भीर व वित्तीय अनियमितता की गयी हैं जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0,लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष-2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य सोलर लाइट मरम्मत एवं क्रय की फाइल एवं पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई-

- (क)-उक्त कार्य कराये जाने के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
 (ख)-फाइल में कार्य प्रभारी के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश नहीं रहा।
 (ग)-टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
 (घ)-स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है अस्पष्ट रहा।
 (ङ)-खरीद दर-सोलर में नेडा, का ईट की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा।
 (च)-बिल संख्या-03/1091 (दिनांक अंकित नहीं) शक्ति इनर्जी सोल्यूसन से 2 नग ₹0 23500.00 से 47000.00 का बिल है। जिसे अपरलेखन कर तीन नग कर धनराशि ₹0 70500.00 किया गया है।
 (छ)-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफी संलग्न नहीं है।
 अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर ₹0 375550.00 के व्यय में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य पिपरौल में एल0बी0 रोड सुइथाकला से राजेन्द्र यादव के घर तक इंटर लाकिंग कार्य के पत्रावली जांच में निम्न कमियां पायी गई-

- (क)-उक्त कार्य के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
- (ख)-फाइल में कार्य प्रभारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।
- (ग)-सामग्री क़य (ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल)के प्रमाणकों पर दिनांक अंकित नहीं रहा तथा इंटर लाकिंग ईट के क़य प्रमाणकों पर बिल संख्या एवं दिनांक दोनों अंकित नहीं रहा।
- (घ)-टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है।
- (ङ)-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।
- (च)-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर व्यय रू0 451603.00 एवं श्रमांश पर रू0 61450.00 कुल रू0 513053.00 के व्यय में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य जमदरा में पिच रोड से शौकत अली के घर के पास इंटरलाकिंग कार्य के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

- (क)-उक्त कार्य के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
- (ख)-फाइल में कार्य प्रभारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।
- (ग)- टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है।जैसे टेण्डर आमंत्रण, विज्ञापन खुलने की प्रक्रिया।
- (घ)- सामग्री क़य (ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल)के प्रमाणकों पर दिनांक अंकित नहीं रहा तथा इंटर लाकिंग ईट के क़य प्रमाणकों पर बिल संख्या एवं दिनांक दोनों अंकित नहीं रहा।
- (च)-मस्टररोल पर कार्य की अवधि अंकित नहीं है एवं मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को किया गया है। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
- (छ)-कार्य के प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।
- (ज)-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर रू0 197144.00 एवं श्रमांश पर रू0 25925.00 कुल रू0 223069.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य ईशापुर में पिच रोड से बृजेश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

- (क)-उक्त कार्य कराये जाने के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
- (ख)- कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं है।
- (ग)- टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है।जैसे टेण्डर आमंत्रण, विज्ञापन खुलने की प्रक्रिया।
- (घ)-सामग्री ईट क़य रू0 61750.00आर0एन0सी0 ब्रिक फील्ड के प्रमाणकों पर दिनांक,इंटर लाकिंग ईट क़य रू0 192060.00 उषा इंटर प्राइजेज के प्रमाणकों पर दिनांक एवं बिल संख्या तथा बिल्डिंग मैटेरियल क़य रू0 82760.00 अमित बिल्डिंग मैटेरियल के प्रमाणकों पर बिल संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
- (ङ)- मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है तथा मस्टररोल पर कार्य की अवधि अंकित नहीं है एवं मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्यप्रभारी हरिराम मौर्य को किया गया है।
- (च)-कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।
- (छ)-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर रू0 328872.00 एवं श्रमांश पर रू0 47800.00 कुल रू0 376672.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-12क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य गैरवाह में पिच रोड से रामपाल सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

- (क)-उक्त कार्य के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।

(ख)– कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।

(ग)– टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। जैसे टेण्डर आमंत्रण, विज्ञापन खुलने की प्रक्रिया।

(घ)– सामग्री कय (उषा इंटर प्राइजेज दिनांक-12.09.2017 रु0 79257.00)के प्रमाणकों पर बिल संख्या अंकित नहीं रहा।

(ङ)– मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं तथा मस्टररोल पर मजदूर का प्राप्ति हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं मजदूरी भुगतान श्रमिक के खाते में न कर कार्यप्रभारी को किया गया है।

(च)–कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।

(छ)–कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर रु0 156083.00 एवं श्रमांश पर रु0 20775.00 कुल रु0 176858.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य कम्प्यूटर कक्ष मरम्मत, काउंटर निर्माण, विधुतीकरण कार्य के फाइल/ पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

(क)-उक्त कार्य कराये जाने के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।

(ख)- कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।

(ग)- टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। जैसे विज्ञापन, टेण्डर आमंत्रण, का दिनांक खुलने का दिनांक आदि की प्रक्रिया।

(घ)- भारत प्लाईवुड के प्रमाणक रु0 105475.00 तथा रोशनी इलेक्ट्रानिक के प्रमाण रु0 99147.00 पर बिल संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

(ङ)-कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।

(च)-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में व्यय भारत प्लाईवुड को रु0 95118.00 एवं रोशनी इलेक्ट्रीक को रु0 69132.00 कुल रु0 164250.00 की भुगतान में वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य भुसौरी पिच रोड से जोगिन्दर सिंह के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य की फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

(क)-उक्त कार्य के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।

(ख)-कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।

(ग)-टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। जैसे विज्ञापन, टेण्डर आमंत्रण, का दिनांक खुलने का दिनांक आदि की प्रक्रिया।

(घ)-बाबा ईट उद्योग के प्रमाणक संख्या 940 रु0 120250.00 पर दिनांक अंकित नहीं है।

(ङ)-मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है एवं उस पर कार्य की अवधि अंकित नहीं है, मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्यप्रभारी को किया गया है।

(च)-कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।

(छ)-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में व्यय पर रु0 117557.00.00 एवं तथा श्रमांश पर रु0 20650.00 कुल रु0 138207.00 के दर्शित व्यय में वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य अमावाकला में पिच रोड से राजेश मिश्र के घर के पास इंटरलाकिंग कार्य के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयी-

(क)-उक्त कार्य कराये जाने के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।

(ख)– कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।
 (ग)– टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। जैसे विज्ञापन, टेण्डर आमंत्रण, खुलने का दिनांक आदि की प्रक्रिया।
 (घ)– अमित बिल्डिंग मेटेरियल के प्रमाणक रू0 134300.00 पर बिल न0 एवं दिनांक आर0एन0सी0 ब्रिक फील्ड के प्रमाणक रू0 107900.00 पर दिनांक तथा उषा इंटर प्राइजेज के प्रमाणक रू0 342360.00 बिल संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
 (ङ)– मस्टरोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है एवं उस पर कार्य की अवधि अंकित नहीं है, मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्यप्रभारी हरिराम मौर्य को किया गया है।
 (च)– कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।
 (छ)– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
 अतः उपरोक्त कार्य में व्यय सामग्री रू0 571468.00 एवं तथा श्रमांश पर रू0 77250.00 कुल रू0 648718.00 के दर्शित व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला वर्ष- 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य जूड़ापुर सम्पर्क मार्ग से देवेन्दर पाण्डेय के घर तक खडन्जा निर्माण के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियां पाई गयीं-

(क)– उक्त कार्य के क्षेत्र पंचायत का प्रस्ताव फाइल में संलग्न नहीं रहा।
 (ख)– कार्य प्रभारी के नियुक्ति पत्र में पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं रहा।
 (ग)– टेंडर प्रक्रिया का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। जैसे विज्ञापन, टेण्डर आमंत्रण, खुलने का दिनांक आदि की प्रक्रिया।
 (घ)– बाबा ईट उद्योग के प्रमाणक रू0 442000.00 पर दिनांक अंकित नहीं है।
 (ङ)– मस्टरोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है तथा उस पर कार्य की अवधि अंकित नहीं है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्यप्रभारी हरिराम मौर्य को किया गया है।
 (च)– कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं रहा।
 (छ)– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

अतः उपरोक्त कार्य में व्यय सामग्री पर रू0 432100.00 एवं श्रमांश पर रू0 74900.00 कुल रू0 507000.00 के दर्शित व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 शासन के पत्रांक-2686/37,07,2011,752 पं0रा0जी0ए0 2011 दिनांक-16.07.2011 के निर्देशानुसार संस्था को मानदेय के अतिरिक्त कोई भी भुगतान सेल्फ/बियरर चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त के जांच में पाया गया कि कतिपय योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु सामग्री का भुगतान सम्बन्धित दुकान/फर्म के नाम चेक एकाउन्टपेयी चेक निर्गन न कर विकास खण्ड के कर्मचारी/अधिकारी के नाम सेल्फ बियरर चेक के माध्यम से धनराशि आहरित की गई है।

क्र0सं0	धनराशि	दिनांक	चेक संख्या	कर्मचारी/अधिकारी का नाम जिन्होंने धनराशि आहरित किया	विवरण
1	180000	09.03.2018	032310	परदेशी राम	सामूहिक विवाह शादी ग्रांट
2	232871	04.05.2017	021395	धमनरायन पाण्डेय	ग्राम पंचायत सभापति प्रशिक्षण
3	0	08.06.2017	021396	धमनरायन पाण्डेय	-----
4	58065	27.02.2018	023309	अंकित सिंह (ए0पी0ओ0)	श्राम स्तर पर रखे जाने वाले पंजिका हेतु
5	40000	21.11.2017	010401	भरतराज सिंह (आंकिक)	प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के प्रशिक्षण हेतु
6	37496	21.11.2017	010402	भरतराज सिंह (आंकिक)	प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के प्रशिक्षण हेतु
	548432				

निधियों से धनराशि का अहरण करते समय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का अनुपालन न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। इस प्रकार बियरर एवं सेल्फ चेकों के माध्यम से रू0 548432.00 का आहरण अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ लेखाकार उत्तरदायी है। अतः सम्बंधित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 वर्ष-2017-18 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण मद में रु0 60759.00 व्यय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित फाइल/ पत्रावली बिल /बाउचर प्राप्त नहीं रहा अतः रु0 60759.00 का व्यय संदेहात्मक प्रतीत होने के साथ-साथ शासकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 में दर्शित चौदह निर्माण कार्यों पर सामग्री का कुल भुगतान रु0 2754881.00 किया गया है। सम्बन्धित कार्यों के फाइल पत्रावली जांच में निम्न कमियाँ पायी गयी।

(क)-समस्त प्रमाणक फर्म के लेटन पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है।

(ख)-किसी प्रमाणक पर देय टैक्स के दर व धनराशि अंकित नहीं है।

(ग)-सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मांग पत्र प्रेषित किया गया। न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

(घ)-सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर नहीं प्राप्त रहा।

(ङ)-कोई भी प्रमाणक बी0डी0ओ0 द्वारा पेड/कैन्सिल नहीं किया गया है।

(च)-टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जैसे टेण्डर विज्ञापन, आमन्त्रण व खुलने का दिनांक आदि।

(छ)-किसी भी भुगतान के सापेक्ष कोई निरीक्षण रिपोर्ट, माप आख्या संलग्न नहीं है। पत्रावली में किसी कर्मचारी अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं है। उक्त से प्रतीत होता है कि पत्रावली आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी।

(ज)-एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं है।

(झ)-कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति को फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

(अ)-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं रहा।

अतः वर्ष - 2018-19 में दर्शित चौदह कार्यों पर सामग्री भुगतान का रु0 2754881.00 में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में चौदह निर्माण कार्यों पर श्रमांश का भुगतान रु0 1208575.00 दर्शित है। सम्बन्धित निर्माण कार्यों के पत्रावली में निम्न कमियाँ पायी गयी।

(क)-कुल चौदह निर्माण कार्यों पर संलग्न मस्टररोल अनुसार मजदूरी का रु0 1208575.00 देना दर्शित है। परन्तु बैंक खाते से रु0 939675.00 भुगतान की पुष्टि हुई।

(ख)-श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खातों में न कर सभी भुगतान कार्य प्रभारी ओमप्रकाश भारती को किया गया।

(ग)-कार्यप्रभारी को कई कार्यों के मजदूरी का भुगतान एक मुश्त किया गया है। जैसे दिनांक-29.03.2019 को चेक संख्या 1003676 से रु0 205750.00 ओमप्रकाश भारती को।

(घ)-पत्रावलियों में जो मस्टररोल पाये गये उन पर मस्टररोल न0 तथा कार्यों का नाम व दिनांक भी अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशान अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही मजदूर के प्राप्ति हस्ताक्षर है। वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होता है।

(ङ)-मजदूर किस गांव के है मस्टररोल में अंकित नहीं है।

(च)-मस्टररोल पर किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्ष 2018-19 में दर्शित चौदह निर्माण कार्यों पर श्रमांश का भुगतान रु0 939675.00 में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 वर्ष-2018-19 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में रु0 666070.00, जी0पी0डी0पी0 योजना में रु0 59479.00 एवं गौशाला मद में रु0 20000.00 व्यय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित फाइल/पत्रावली में, बिल/बाउचर प्राप्त नहीं रहा। अतः उक्त दर्शित तीन योजनाओं पर कुल व्यय रु0 745549.00 अपुष्ट एवं अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 वर्ष-2017-18 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त में रु0 3507264.00 व्यय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित रु0 3266774.00 की ही फाइल/बिल/बाउचर, मस्टररोल

प्रस्तुत रहा। अतः बिना अभिलेख के व्यय धनराशि रु0 240490.00 का वित्तीय नियमों के विपरीत दुरुपयोग/अनियमितता किया जाना दर्शित है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः रु0 240490.00 की वसूली ब्याज सहित से संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 वर्ष-2017-18 एवं 2018-19 सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 97543.00 एवं रु0 62235.00 की आयकर/टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2990592.00 एवं रु0 2817116.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर एवं 2017-18 में 4 प्रतिशत बिक्री कर एवं 2018-19 में 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 से 2017-18 में 6.24 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 186683.00 एवं 2018-19 में 4.24 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु0 119446.00 होता है। इस प्रकार 2017-18 में रु0 89070.00 एवं 2018-19 में रु0 57211.00 कुल रु0 146281.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन कुल रु0 159778.00 की जमा की पुष्टि में जारी चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट / चालान दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 में ग्राण्ट रजिस्टर की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी।

(क)- अप्रैल 2018 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 5986708.00 है। माह में कुल आय रु0 1325431.00 एवं व्यय शून्य के पश्चात् माह के अन्त में शेष रु0 7312139.00 होना था। जबकि दर्शित है रु0 7212139.00 इस प्रकार रु0 100000.00 से धनराशि कम दर्शित किया गया है।

(ख)-अक्टूबर 2018 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में प्रारम्भिक शेष रु0 7387219.00 है। माह में आय रु0 2416747.00 एवं व्यय रु0 86000.00 के पश्चात् माह माह के अन्त में शेष रु0 9717966.000 होना था परन्तु दर्शित है रु0 9716966.00 इस प्रकार रु0 1000.00 से धनराशि कम दर्शित किया गया है।

(ब)-नवम्बर 2018 में मतदाता सूची पुनरीक्षण मद में अन्तिम शेष रु0 28269.00 है। परन्तु दिसम्बर 2018 में प्रारम्भिक शेष रु0 28265.00 है। इस प्रकार रु0 4.00 से धनराशि कम दर्शित किया गया है।

अतः कुल धनराशि रु0 101004.00 से धनराशि ग्राण्ट रजिस्टर में कम दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं रु0 101004.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 दिनांक-31.03.2019 को ग्राम तृतीय रजिस्टर अनु सार विभिन्न योजना/मद में अवशेष धनराशि रु0 12629923.00 दर्शित है। जबकि विभिन्न बैंक खातों में 31.03.2019 को दर्शित शेष का योग रु0 12600923.00 है। अन्तर रु0 29000.00 का कोई समाधान नहीं किया गया है।

अतः उक्त धनराशि का किसी अनियमितता/गबन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(06)

विकास खण्ड-मुफ्तीगंज क्षेत्र पंचायत- मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.03.2019 को ग्राण्ट रजिस्टर के अवशेष एवं बैंक पासबुक अवशेषों में समाधान (भुगतान हेतु शेष चेक) में रु0 200000.00 का अन्तर पाया गया।

31.03.2019 को बैंक खातों के अनुसार-	6558944.00
घटाया गया अनाहरित चेक-	115654.00
	6443290.86
ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार अनुदान अवशेष-	6243290.86
अन्तर धनराशि रु0-	200000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अनुदान धनराशि को रजिस्टर में कम कर दिया गया है तथा बैंक खातों में अवशेष धन अधिक ही दिया जाना तथा स्पष्ट रूप से अन्तर पाया जाना तथा लेखाकार श्री मार्तण्ड सिंह की गयी गलती परिलक्षित करता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्री मार्तण्ड सिंह की है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप /मजदूरी /श्रमांश के अनुसार कुल रू0 1666885.00 का भुगतान चेक द्वारा सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। जबकि निर्माण कार्य करने वाले अन्य योजनाओं के तहत बैंक खाते खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के तहत प्रत्येक मजदूर के खाते में धनराशि ट्रान्सफर की जानी चाहिए। ऐसा न करके कार्य प्रभारियों को भुगतान किया जाना पूर्ण रूपेण मजदूरी भुगतान में अनियमितता होना दर्शाता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार सम्बन्धित कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की बराबर-बराबर होती है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2018-19 में निर्माण सामग्री खरीद में लेखा परीक्षा प्रारूप के अनुसार रू0 5874720.00 का व्यय किया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:-

1-संलग्न सामग्री आपूर्तिकर्ता बिल सावित्री इण्टर प्राइजेज, गौरव ईट उद्योग एवं ओम साई ईट उद्योग द्वार प्रस्तुत बिल/कैशमेमों के मिलान पर बिलों पर अंकित दिनांक एवं बिल नम्बरों में असमानता पाई गयी। दिनांक के अनुसार बिलों का सीरियल नम्बर पहले का बाद में निर्गत एवं बाद का पहले निर्गत दर्शाता है कि वास्तविक बिल न होने पर स्वनिर्मित है।

1. किसी बिल पर टिन न0 अंकित नहीं है।
2. खरीद सामग्री का चालान बिल के साथ संलग्न नहीं है तथा खरीद सामग्री जिसके द्वारा प्राप्त की गयी है। कोई प्रमाण नहीं है।
3. फाइल में लगाये तीनों फोटोग्राफ अलग-2 जगह के हैं। जिसमें यह सिद्ध नहीं होता है कि कार्य स्थल पर कार्य पूर्ण हुआ या नहीं।
4. फाइलों में ज्यादातर के निर्माण प्रारम्भ करके समाप्त तिथि अंकित नहीं पायी गयी।
5. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के क्षेत्र शासनादेश सं0 1838/ 33-3-2015- 03/ 2015 के अनुसार कार्यों की पुनरावृत्ति या एक ही कार्य को कई संस्थाओं द्वारा न कराया जाय। इसलिए कार्य क्षेत्र का निर्धारित किया गया। जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को सौपने का कार्य किया गया है। जबकि संलग्न प्रारूप के अनुसार उक्त लगभग सभी कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं।

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्यों में घोर अनियमितता बरती गयी है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की होती है। अतः संबंधित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(07)

विकास खण्ड-केराकत क्षेत्र पंचायत-केराकत जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-29 सहायक विकास अधिकारी(पं0) ने निम्नलिखित तिथियों में निम्न विवरणानुसार स्वच्छ भारत मिशन के मानिट्रिंग हेतु डीजल का पैसा प्राप्त किया है। किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित वाहन की लाग बुक अथवा टुअर्स पंजिका अनुपलब्ध होने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
023951	4.10.2018	20000.00
023959	22.11.2018	20000.00
023963	13.12.2018	10000.00
023968	1.1.2019	10000.00
023973	8.2.2019	9000.00
023978	18.3.2019	14500.00

योग- 83500.00

सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आ0सं0-25)

प्रस्तर-30 न्याय पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर व्यय हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) ने चैक संख्या-013821 दिनांक 11.4.2018 के द्वारा रू0 120000.00 प्राप्त किया है। जिसका उपभोग कहां किया गया है व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः रू0 12000.00 की सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आ0सं0-26)

प्रस्तर-31 चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य बीरवल मास्टर के खेत से प्रा0वि0के बगल से इन्द्रजीत के घर तक खडन्जा कार्य पर रू0 62825.00 का मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में

प्राप्त मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक का हस्ताक्षर नहीं पाया गया । जिससे भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

मस्टररोल संख्या	अवधि	धनराशि
291	15.1.2019 से 29.1.2019 तक (19 मजदूर 265 दिन)	46375.00
290	27.12.2018 से 31.12.2018 तक(20 मजदूर 94 दिन)	16450.00
	योग—	62825.00

सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(सामान्य आ0सं0-27)

प्रस्तर-32 चतुर्थ राज्य वित्त से रू0 79200.00 का आरिफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स नया चौक केराकत से स्ट्रीट लाइट का क़य किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त स्ट्रीट लाइट कहां-कहां लगायी गयी सूची एवं फोटोग्राफ एवं विद्युत विभाग का परमिशन अप्राप्त रहा। जिस कारण उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आ0सं0-28)

प्रस्तर-33 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की मानिट्रिंग दिनांक 25.09.2018 से फरवरी 2019 तक हेतु महादेव यादव को वाहन संख्या'यू0पी062 ए टी 8835 को प्रति माह रू0 19000.00 की दर से कुल रू0 98800.00 का भुगतान दर्शित किया गया है जो सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा विभिन्न चैको के माध्यम द्वारा प्राप्त किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के भ्रमण पंजिका अथवा मानिट्रिंग की पुष्टि हेतु मानिट्रिंग रिपोर्ट आदि की लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर-34 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रू0 219190.00 से विकास खण्ड कार्यालय में आर0ओ0की स्थापना पर व्यय करना दर्शित किया गया है उक्त क़य हेतु स्थानीय स्तर पर किसी समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं कराया गया तथा लेखा परीक्षा में प्राप्त कोटेशन में सभी कोटेशन एक ही हस्तलिपि में पाये गये । उक्त क़य हाईटेक इनवायरमेन्ट वाटर सेल्यूशन पहड़िया वाराणसी से किया गया है । जिसका कोई गारन्टी कार्ड अथवा किस कम्पनी का आर0ओ0लगा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उक्त आर0ओ0का स्टाक पंजिका में प्रविष्टि भी नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-30)

(08)

विकास खण्ड-मुँगराबादशाहपुर क्षेत्र पंचायत- मुँगराबादशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-35 टेण्डर (निविदा) आमंत्रण एवं स्वीकृति पहले तथा प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशन) बाद में-

उ0प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-19 के तहत कोई टेण्डर तब तक आमंत्रित एवं स्वीकृत न किये जाये, जबतक कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा, जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित न कर दिया जाये। परन्तु संस्था द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन करते हुये टेण्डर आमंत्रण एवं स्वीकृत एवं स्वीकृति पहले कर दिया, जबकि टेण्डर का प्रकाशन बाद में किया गया है।

ले.प. वर्ष- 2018-19 में, संस्था द्वारा ग्राण्ट-द्वितीय के अनुसार वर्ष के दौरान तीन बार प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार लगभग कार्य कराये गये हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है-

- ➔ - टेण्डर हेतु प्रथम प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशन तिथि)- 02.06.2018 (तरुण मित्र)
 - टेण्डर आमंत्रण तिथि- 30.05.18 से 12.06.18 तक
 - टेण्डर खोलने/जारी की तिथि- 12.06.18 (स्वीकृत- प्रधान ईट उद्योग)
 - प्रथम टेण्डर से स्वीकृत फर्म द्वारा कुल- 04 कार्यों पर ईट सप्लाई की (आयकर व जी.एस.टी. को छोड़कर शुद्ध भुगतानित) धनराशि- 1089726.00 रु.
- ➔ - टेण्डर हेतु द्वितीय प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशन तिथि)- 01.11.2018 (तरुण मित्र)
 - टेण्डर आमंत्रण तिथि- (22.10.18 से 31.10.18 तक)
 - टेण्डर खोलने की तिथि- 31.10.18 (स्वीकृत- प्रधान ईट उद्योग)
 - द्वितीय टेण्डर से स्वीकृत फर्म द्वारा कुल 07 कार्यों पर ईट सप्लाई की (आयकर व जी.एस.टी. को छोड़कर शुद्ध भुगतानित) धनराशि- 2028692.00 रु.

इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति से कराये गये कार्यों पर ईट सप्लाई की शुद्ध भुगतानित धनराशि—1089726=00+2028692=3118418.00 रु. के सापेक्ष संस्था द्वारा अपनाये गये टेण्डर प्रक्रिया में प्रेस विज्ञप्ति तिथि टेण्डर आमंत्रण तिथि, में कोई ताल-मेल नहीं है। उक्त से सम्बन्धित अन्य आपत्तियाँ निम्नवत् हैं—

(क) टेण्डर प्रपत्र में अनुबन्ध या करार प्रपत्र ले.प. के अप्राप्त रहा। अतः उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-21 का उल्लंघन।

(ख) निविदा डालने वाले से बयाने/अर्नेस्टमनी का 1: का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 (1) का उल्लंघन।

(ग) अनुमोदित फर्म/स्वीकृत फर्म का रजिस्टर एवं निर्धारित रजिस्ट्रीकरण शुल्क का प्रपत्र ले.प. में अप्राप्त रहा। अतः उ.प्र. क्षे.पं. तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-18 का उल्लंघन।

(घ) द्वितीय प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित कार्य— 1) अहमदपुर से मुड़ाव तक खड़जा निर्माण-कार्य (प्रारम्भ—15.10.18, समाप्ति— 28.10.18) 2) रामपुर भोड़ी पिचरोड से गिरिजाशंकर इ.का. तक ख.नि. कार्य प्रारम्भ—22.10.18, समाप्ति— 24.10.18) टेण्डर प्रक्रिया के दौरान या फिर टेण्डर प्रक्रिया के पूर्व समाप्त कर लिया गया, जो टेण्डर प्रक्रिया पर गम्भीर प्रश्न है।

(ङ) स्वीकृत फर्म प्रधान ईट उद्योग से क्रय दिनांक एवं जारी वाउचरों के क्रमांक से भी स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ईट क्रय का भुगतान फर्म को भले ही एकाउण्ट पेयी चेक से किया गया हो, परन्तु दिनांक के सापेक्ष जारी वाउचर क्रमांक संदिग्ध है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र. सं.	दिनांक	वाउचर सं.	फर्म का नाम	क्र. सं.	दिनांक	वाउचर सं.	फर्म का नाम
01—	09.08.17	108	प्रधान ईट उद्योग	08—	25.11.18	704	प्रधान ईट उद्योग
02—	26.06.18	95	" " " "	09—	17.01.19	071	" " " "
03—	10.07.18	93	" " " "	10—	18.01.19	069	" " " "
04—	01.11.18	702	" " " "	11—	01.02.19	073	" " " "
05—	02.11.18	701	" " " "	12—	01.02.19	157	" " " "
06—	10.11.18	705	" " " "	13—	01.02.19	158	" " " "
07—	22.11.18	703	" " " "				

पत्रावली में संलग्न वाउचर से स्पष्ट होता है कि वाउचर क्रमांक एवं तिथि में कोई तालमेल नहीं है अतः वाउचर फर्म द्वारा जारी न होकर संस्था द्वारा स्वयं मनमाने तरीके से लिख कर पत्रावली में संलग्न कर दिया गया है। सम्भवतः इसीलिए टेण्डर के नियमों की अनदेखी कर मनचाहे फर्म को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में टेण्डर की अनियमितता के साथ-साथ गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः टेण्डर के साथ क्रय की सत्यता की जाँच हेतु फर्म द्वारा जारी वाउचरों के द्वितीय प्रति की वाउचर संख्या एवं बुक संख्या की जाँच किया जाना आवश्यक है।

अतः संस्था द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में नियमावलियों का पालन नहीं किया गया है तथा टेण्डर हेतु विज्ञापन की औपचारिकता मात्र निभाकर स्व-जनों को लाभ पहुँचाया गया है, जिससे उपरोक्त आपत्ति उ.प्र. क्षे.पं. तथा जि.पं. (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम- 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

जी.एस.टी. तथा आयकर से सम्बन्धित आपत्ति—

पत्र सं.— एडी.कमि. जी.एस.टी. अनु./2018-19/1819049/105/वाणिज्यकर (26 सितम्बर-2018) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती जो 01.10.2018 से प्रभावी होगी, 2.50 लाख से अधिक के क्रय आदेश के विरुद्ध किये गये भुगतान पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले (डिडक्टर) द्वारा 1 प्रतिशत एसजीएसटी +1 प्रतिशत सीजीएसटी = कुल 2 प्रतिशत की कटौती किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सर्कुलर सं.— 65/39/2018. डीओआर दि.— 14.09.2018)

→ **लेखा परीक्षा वर्ष— 2018-19 में कराये गये निर्माण कार्यों के विवरणानुसार (ले.प. प्रतिवेदन पृष्ठ सं.—) 2.50 लाख से अधिक क्रय सामग्री, जिनका भुगतान एवं कार्य 01.10.2018 के बाद किया गया है, निम्नवत् है—**

क्र.सं.	कार्य का नाम	2.5 लाख से अधिक भुगतानित धनराशि	जी0एस0टी0 2 प्रतिशत	कर योग्य धनराशि	संस्था द्वारा की गई कटौती

1.	भोल के घर से सेमरी बार्डर तक ख.म.	478978.00	2 प्रतिशत	9579.56	—
2.	अहमदपुर से मुडौव तक ख.नि.	418687.00	2 प्रतिशत	8373.74	—
3.	सीड़ा खड़ण्जे से जयचन्द के घर होते हुये सराय रैचन्दा तक ख.नि.	331600.00	2 प्रतिशत	6632.00	6632.00
4.	जयपालपुर बार्डर से पूरा दयाल बार्डर तक ख.नि.	414500.00	2 प्रतिशत	8290.00	8290.00
			योग—	32875.30	14922.00

→ वर्ष— 2018—19 में ऐसे कार्य जो 01.10.2018 से पहले कराये गये हैं, जिसपर टैक्स कटौती किया जाना था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि	वैट दर	कर योग्य धनराशि	संस्था द्वारा की गई कटौती
1.	जखनियों में जि.पं. पिच रोड से उमरगंज प्रा.वि. तक मि०/ख.	160285.00	4 प्रतिशत	6411.00	—
2.	लौह में बोड़ीपूरा संजीवन सिंह के आरा मशीन से हँसराजपुर बार्डर तक मि.ख.	666420.00	4 प्रतिशत	26657.00	—
3.	वि.खं. परिसर से शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार	4338.00 14590.00	4 प्रतिशत 4 प्रतिशत	173.00 583.00	— —
			योग—	33824.00	—

शेष कार्य, जिनका भुगतान 2.50 लाख से कम है का भुगतान एवं कार्य 01.10.2018 के बाद कराये गये हैं, जिनपर कटौती लागू नहीं है।

जी.एस.टी.

इस प्रकार ले.प. वर्ष—2018—19 में नियमानुसार 32875.30 रु जी.एस.टी. तथा 33824.00 रु वैट के रूप में कुल 66699.30 रु० की कटौती किया जाना था, परन्तु ग्राण्ट—प के अनुसार संस्था द्वारा— 14922.00रु. + 19213.00रु. = (34135.00) जी.एस.टी. के रूप में काटा गया है। संस्था के लेखाकार द्वारा — 19213.00 रु. किस आधार पर काट कर एक मुश्त धनराशि लिख दिया गया, का विवरण अज्ञात रहा।

उक्त से स्पष्ट है कि जी.एस.टी. एवं वैट से कटौती किये जाने योग्य कुल धनराशि— 66699.30 रु. के सापेक्ष वर्ष— 2018—19 में संस्था द्वारा 34135.00 रु. काटा गया है, जबकि 66699=30—34135=32564 रु. की कटौती किया जाना अपेक्षित रहा। परन्तु संस्था द्वारा उक्त कटौती न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आयकर—लेखा परीक्षा वर्ष— 2018—19 में सामग्री पर कुल व्यय—3580452.00रु. रहा, जिसके सापेक्ष आयकर 2.24: की दर से 80202.00रु. (लगभग) की कटौती किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उक्त के सापेक्ष ग्राण्ट रजि. द्वितीय के अनुसार संस्था द्वारा 33144.00 रु. सामग्रियों के सापेक्ष तथा 29526.00 एक मुश्त (जिसका विवरण अज्ञात) कुल 62670.00रु. कटौती की गई, जबकि 80202—62670= 17532.00रु. की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष— 2018—19 में 32564.30रु. वैट/जी.एस.टी. के रूप में तथा 17532.00रु. आयकर के रूप में कटौती न कर तथा वर्ष के दौरान आयकर के रूप में की गई कटौती से 7428.00रु. 31. 03.19 तक राजकीय कोष में जमा न कर कुल— 57524.30रु. की गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—37 ले.प. वर्ष— 2018—19, कार्य नाम (शहीद स्मारक जीर्णोद्धार) वर्ष— 2017—18 का कार्य, जिसका भुगतान वर्ष— 2017—18 में न कर 2018—19 में किया गया है, का विवरण निम्नवत् है—

— स्टीमेट के अनुसार अनुमानित लागत— 25000.00	संदिग्ध सामग्री—व्यय वाउचर का विवरण	
—एम०बी०के अनुसार भुगतानित किये जाने योग्य धनराशि सामग्री पर— 16928.00+श्रमांश पर— 7962.00	(वा.सं.)— 23/08.08.2017	
कुल— 24890.00रु.	सीमेंट— 15 बोरी × 330	= 4950.00
— संस्था द्वारा कुल भुगतानित धनराशि सामग्री पर—	बालू— 1.5 घ.मी. × 1600	= 2400.00
	गिट्टी— 0.60 घ.मी. × 2000	= 1200.00

18928.00+ श्रमांश पर— 6840.00 कुल भुगतान—	स्नोसेम— 26 किग्रा. × 40	=	1040.00
25768.00रु. अतः स्टीमेट व एम0बी0 से अधिक	ऑयल पेन्ट (पेन्टिंग सहित)	=	2000.00
भुगतान। (सामग्री मद में एम0बी0 से 2000.00 रु. अधिक भुगतान किया गया।)	साईन बोर्ड	=	3000.00
			14590.00

आपत्ति—(क) उक्त कार्य का भुगतान एक वर्ष बाद (कार्य— 2017—18 में समाप्त, भुगतान— 2018—19 में) किया गया, बिलम्ब से भुगतान का उचित कारण नहीं बताया गया, ऐसे में कार्य का भुगतान पहले किया जा चुका हो या फिर पहले से कराये गये कार्य का जिसका भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो पुनः भुगतान लिया गया हो। स्थिति संदिग्ध है, जिसे स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि एम0बी0 पर दिनांक अंकित नहीं है।

ख) सामग्री मद में 2000.00 रु. का भुगतान एम0बी0 से अधिक किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है।

ग) राजलक्ष्मी इण्टर प्राइजेज किस प्रकार की सामग्री सप्लाई करती है, स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि सामग्री वाउचर विवरण से स्पष्ट है कि ऐसा फर्म जो बालू, सीमेन्ट, गिट्टी के अलावा पेन्ट एवं स्नोसेम भी बेचता है और पेन्टिंग का कार्य भी कराता है। इतना ही नहीं साईन बोर्ड भी बेचता है। वर्ष— 2018—19 में इसी फर्म द्वारा संस्था को इण्टर लाकिंग ईट भी सप्लाई किया जाता है। अतः अनियमित बाउचर पर संस्था द्वारा किया गया भुगतान पूर्णतः संदिग्ध है।

घ) उक्त कार्य पर कार्य प्रभारी नियुक्ति आदेश अप्राप्त रहा, परन्तु श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी के रूप में श्री सुरेन्द्र नाथ को किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि उक्त कार्य दिनांक— 14.08.2017 को समाप्त कर लिया गया तथा श्रमांश का भुगतान— 6840.00 रु. 30.07.2018 को किया गया, अतः लगभग 1 वर्ष तक श्रमिकों को श्रमांश से वंचित रखा गया। ऐसा करके संस्था द्वारा न केवल गम्भीर अनियमितता किया गया, बल्कि श्रमिकों को लम्बे समय तक श्रमोपार्जन से वंचित रखा।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सामग्री मद में न केवल एम0बी0 से 2000.00 रु अधिक भुगतान किया गया, बल्कि अनियमित वाउचर पर 14590.00 रु. का भुगतान किया गया, जो पूर्णतया संदिग्ध एवं गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—38 ले.प. वर्ष— 2018—19, कार्य का नाम— रामपुर भोड़ी पिच रोड से गिरिजाशंकर इ.का. तक ख.नि. कार्य पर एम.बी. से अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है—

— स्टीमेट के अनुसार अनुमानित लागत—	127000.00
— एम.बी. के अनुसार भुगतान किये जाने योग्य धनराशि—	113862.00
— संस्था द्वारा कुल भुगतानित धनराशि—	117845.00
— अधिक भुगतान की गई धनराशि—	3983.00

आपत्ति—(क) उक्त कार्य पर श्रमांश मद में 22617.00 रु. की एम बी. की गई है, जबकि संस्था द्वारा 26600.00 रु. का भुगतान किया गया है। अतः 3983.00 रु. अधिक भुगतान किया गया है, जिससे उ.प्र. जि.पं. तथा क्षे.पं. (बजट एवं सा.ले.) नियमावली, 1984 के नियम—17 का उल्लंघन करते हुए गम्भीर अनियमितता किया गया है।

ख) उक्त कार्य का विज्ञापन दिनांक— 01.11.2018 को, टेण्डर आमंत्रण दिनांक— 22.10.18 से 31.10.18 तक तथा स्वीकृति— 31.10.18 को, कार्यप्रभारी की नियुक्ति— 31.10.18 (पत्र सं.—571), एवं कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति— 22.10.18 से 24.10.18 रहा। प्रथम दृश्यता टेण्डर प्रक्रिया फर्जी, दूसरे टेण्डर आमंत्रण के दौरान ही कार्य समाप्त कर लिया गया। ऐसी दशा में उक्त कार्य की सत्यनिष्ठा पूर्णतयः संदिग्ध है।

अतः उक्त फर्म पर एम बी. के सापेक्ष 3983.00 अधिक भुगतान कर गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—39 ले.प. वर्ष— 2018—19, कार्य का नाम— रामनगर— दानबहादुर इ.का. से पिचरोड तक इण्टरलाकिंग कार्य पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी, आस्था ट्रेडर्स द्वारा—72708.00 रु. की वि.मैटे. की सप्लाई, कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं, सप्लाई की स्वीकृति।

— उक्त कार्य पर राजलक्ष्मी इण्टर प्राइजेज द्वारा 180137.00 रु. की इण्टर लाकिंग ईट की सप्लाई किया गया। इण्टर लाकिंग ईट की सप्लाई हेतु संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाया गया, और न ही उक्त फर्म को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि शासनादेश सं.— ए—1/864/18.8.15(1)/86

वित्त(लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 23.09.2008 के अनुसार 20000.00 रु. से अधिक तथा 100000.00 से कम की सामग्री पर कोटेशन प्रक्रिया तथा 100000.00 रु. से अधिक की सामग्री क्रय पर टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता किया गया है।

— पासबुक के अनुसार बिलडिंग मैटे. का भुगतान आस्था ट्रेडर्स को न होकर टी0आर0एफ के रुप में रहा। ले. प. के दौरान संस्था द्वारा टी0आर0एफ की पुष्टि नहीं कराया जा सका, जो अपेक्षित रहा।

—उक्त कार्य की अनुमानित लागत (स्टीमेट कॉस्ट)— 386000.00 रु. रहा, जबकि एम0बी0—386386.50 की गई, तथा भुगतान— 386128.00 रु. किया गया। अतः स्टीमेट से अधिक का भुगतान जो गम्भीर अनियमितता है।

इस प्रकार शासनादेशों, नियमों का उल्लंघन करते हुए आयकर को छोड़कर शुद्ध भुगतान रु. (71080+176102) = 247182.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख. वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ले.प. वर्ष- 2018-19 में चतुर्थ रा.वि. योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यों पर श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों के खाते में न कर कार्य प्रभारी के नामे भुगतान किया गया है तथा दो कार्यों पर सेल्फ एवं टू कैश के रुप में भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

— ले.प. वर्ष के दौरान —	758958.00	— का भुगतान कार्य प्रभारियों के नामें।
— अहमदपुर से मुड़ाव तक ख.नि. —	106225.00	— चे.सं.— 14015/06.12.2015 सेल्फ
— सीड़ा खड्डंजे से जयचन्द के घर होते हुए	83475.00	के रुप में भुगतान
सराय रैचन्दा तक ख.नि. —	कुल— 948658.00	— चे.सं.— 18983/11.02.19 टू कैश के रुप में भुगतान

इस प्रकार— 948658.00 रु. के मस्टर रोल भुगतान के सापेक्ष पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार वि.ख. से निर्गत नहीं है, और न ही कार्यवार मस्टर रोल जारी किये जाने का रजिस्टर बनाया गया है। ऐसे में फर्जी मस्टर रोल जारी किये जाने एवं फर्जी भुगतान की पूर्ण सम्भावना है। इसी प्रकार सेल्फ एवं कॉस्ट भुगतान श्रमिकों के खाते में न होकर सेल्फ के रुप में आहरित रहा। सेल्फ भुगतान (ख.वि.अधि./लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/कार्य प्रभारी) किसके नामें रहा, की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराया गया।

अतः श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों के खाते में न कर, मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित न कर तथा सेल्फ एवं टू कैश के रुप में आहरण कर कुल धनराशि— 942658.00 का तत्कालीन ख.वि.अधि./लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। (शासनादेश संख्या— 2686/31.07.2011/752 पं.रा.जी.ए./2011 पंचायती राज अनुभाग-7 दिनांक— 16.07.2011 के अनु-7 के अनुसार श्रमिकों का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा कर भुगतान खाते में किया जाना चाहिए था।) अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ले.प. वर्ष- 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना से बी0डी0सी भत्ता हेतु चे.सं.— 14001/2.05.2018 को 75000.00 रु. आहरित किया गया। उक्त के सापेक्ष भत्ता रजि. एवं सदस्यों के बैंक खाता सहित बैंक इनवाइस (जिसके माध्यम से भुगतान किया जाना था) या किसी भी प्रकार का पुष्टि प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक— 03.05.2018 को उक्त भुगतान अभय कुमार के नामें रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान बी0डी0सी सदस्यों के बैंक खाते में इनवाइस के माध्यम से न कर तथा रु. 75000.00 व्यक्तिगत नामें भुगतान कर वित्तीय पारदर्शिता नहीं बरती गयी है। जो गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित व्यक्ति से अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ले.प. वर्ष- 2018-19 में ब्लाक प्रमुख का मानदेय (चतुर्थ रा.वि.यो.) दिसम्बर— 2017 से अक्टूबर— 2018 तक 11 माह 9800 = 107800.00 रु. एवं एरियर मानदेय— दिसम्बर— 2016 से नवम्बर— 2017 तक 12 माह 2800 = 33600.00 रु. कुल— 141400.00 रु. चेक सं.— 14010/17.11.18 से भुगतानित रहा। पासबुक के अनुसार उक्त भुगतान दिनांक— 06.12.2018 को बृजलाल (ब्लाक प्रमुख) के नामें आहरित रहा। परन्तु ले. प. के दौरान उक्त भुगतान के सापेक्ष मानदेय रजि. एवं मानदेय भुगतान मांग-पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। एरियर मानदेय भुगतान की भी पुष्टि नहीं कराया गया तथा मानदेय

एरियर रहने का कारण भी नहीं बताया गया, जिससे दो-बार भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः लेखा परीक्षा में, आहरित धनराशि— 141400.00 के सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न कर संस्था द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली संबंधित व्यक्ति से अपेक्षित है।

प्रस्तर—43 ले.प. वर्ष— 2018—19, ग्राण्ट—प् के अनुसार बी.आर.जी.एफ.यो. से ब्याज की धनराशि— रु. 5389.00 फरवरी—2019 में व्यय दर्शित रहा। ग्राण्ट—प् में उक्त आहरण का कोई व्यय विवरण नहीं लिखा गया है, और न ही इसकी पुष्टि करायी गयी है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त से सम्बन्धित व्यय पत्रावली एवं पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न करना एवं व्ययों की पुष्टि ले.प. में न कराया जाना गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि. अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित व्यक्ति से अपेक्षित है।

प्रस्तर—44 ले.प. वर्ष— 2018—19, डा. भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस मद में ग्राण्ट—प् के अनुसार जून—2018 में रु. 1000.00 प्राप्त हुआ, जबकि ग्राण्ट—प् के अनुसार 01.04.18 को प्रारम्भिक अवशेष— 1000.00 था, जिसे चे.सं. 459137/01.02.19 से श्री आशाराम यादव के नामें भुगतानित रहा। इस प्रकार डा. अम्बेदकर जयन्ती—14 अप्रैल को एवं भुगतान 01.02.2019 को, कोई ताल—मेल नहीं है। जबकि प्रा.अ.— 1000.00 रु. था, तो 14 अप्रैल के पूर्व भुगतान क्यों नहीं किया गया। अतः उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन ख.वि. अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—45 ले.प. वर्ष— 2018—19, मुख्य मंत्री सामूहिक शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत कुल— 174679.00 रु. व्यय किया गया है, जिसका विवरण ग्राण्ट—प् के अनुसार निम्नवत है—

क्र.सं.	जिसके पक्ष में भुगतान किया गया	चे.सं.	दिनांक	धनराशि	बैंक पास बुक के अनुसार जिसे भुगतानित रहा।	दिनांक
1.	शा. प्रबंधक यू0बी0आईमुं. बादशाहपुर	15661	12.04.18	100000.00	सी.एम. सामूहिक विवाह यो.फण्ड।	16.04.18
2.	बीना सप्लाईंग कारपोरेशन	15662	12.04.18	25000.00	बीना सप्लाई कारपोरेशन, मड़िया हूँ जौनपुर।	21.04.18
3.	बीना सप्लाईंग कारपोरेशन	15663	12.04.18	25100.00	बीना सप्लाई एण्ड कुकिंग सर्विस जौनपुर।	21.04.18
4.	मे. हाजी अब्दुल रहमान	15664	12.04.18	13300.00	बी0आई0 मड़ियाहूँ, जौनपुर।	21.04.18
5.	मे. शिवशंकर सेठ आभूषण भण्डार	15665	12.04.18	10900.00	हाजी, जौनपुर मेन।	26.04.18
6.	दिनेश कुमार मौर्या (ड्रम रिफिलिंग)	15666	07.06.18	379.00	दिनेश	08.06.18
			योग—	174679.00		21.04.18

— तालिका के अनुसार भुगतानित कुल धनराशि के सापेक्ष ले.प. में व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। ले.प. में सिर्फ पासबुक प्रस्तुत रहा, जिसके अनुसार शादी के पाँच जोड़ों के (5×20000) खाते में धनराशि पोस्ट न कर, सी.एम. सामूहिक विवाह यो.फण्ड में भुगतान किया गया है। ऐसे में उक्त धनराशि लाभार्थियों को दिया गया हो संदिग्ध है।

— ग्राण्ट—II के अनुसार जिन फर्मों को भुगतान किया गया है, वह किस वास्ते भुगतानित रहा, का विवरण नहीं लिखा गया है और न ही प्रमाणक प्रस्तुत किया गया।

— मे. शिवशंकर को किया गया भुगतान, पासबुक के अनुसार एस0बी0आई जौनपुर मड़ियाहूँ को रहा। अतः किसके द्वारा भुगतान प्राप्त रहा, विवरण—अज्ञात, पुष्टि नहीं कराया गया।

— रु. 379.00 दिनेश मौर्या को ड्रम रिफिलिंग हेतु भुगतानित रहा, क्या यह कोई प्रशासनिक मद है, जिससे ड्रम रिफिल भुगतान किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों एवं संस्था द्वारा ले.प. में पुष्टि हेतु व्यय—पत्रावलियों को प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 गौ-आश्रय योजना के अन्तर्गत ग्राण्ड रजि. तृतीय के अनुसार वर्ष- 2018-19 में कुल- 149000.00रु. प्राप्त, 50000.00रु. व्यय, तथा 99000.00रु. अवशेष रहा, जबकि ग्राण्ट-द्वितीय के अनुसार दि. 07.02.19 को 50,000.00रु. डी.एम. से प्राप्त, दिनांक- 11.03.19 को 99000.00 रु. प्राप्त, कुल- 149000.00 रु. प्राप्त के सापेक्ष, दिनांक- 11.03.19 को यू0बी0आई मादरडीह, ग्रा.पं.-रायपुर उफनी के खाता सं.- 10357 में रु. 50,000.00 आर0टी0जी0एस किया गया, जिससे 99000.00 रु. अवशेष बचा। ले.प. में प्राप्त खाता सं.- 01655 का स्टेटमेंट (जो 17.03.19 से 23.01.2020) के अनुसार दिनांक- 01.04.2020 का प्रा.अ. अर्थात्- 2018-19 (31.03.19) का अन्तरिम अवशेष- 49000.00रु. रहा। इसलिए रु.- 50000.00 कहाँ व्यय किया गया का विवरण अज्ञात रहा। ले.प. के दौरान उक्त व्यय का प्रमाणक एवं गौ आश्रय यो. के खाते की पासबुक (01.04.18 से 31.03.19 तक) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संस्था द्वारा रु.- 50000.00 व्यय का विवरण न रखा जाना एवं ले.प. में पुष्टि न कराया जाना गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ले.प. वर्ष- 2018-19, ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय एवं द्वितीय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशा.मद) से कुल- 585496.00 रु. का वर्ष में उपभोग किया गया, उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय अपुष्टित रहा। ले.प. के दौरान उपभोग किये गये धन का व्यय प्रमाणक/पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ले.प. वर्ष- 2018-19 में ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय मनरेगा प्रशासनिक मद से कुल- 1118572.00रु. का उपभोग किया गया है, उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय-पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय अपुष्टित रहा। लेखा परीक्षा में उपभोग किये गये धनराशि 1118572.00 रु. के सापेक्ष व्यय-पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(09)

विकास खण्ड-बक्शा क्षेत्र पंचायत- बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-49 क्षेत्र पंचायत बक्शा द्वारा वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है-

1. चतुर्थ राज्य वित्त- रु. 9085236.00
2. विधायक निधि- रु. 984641.00

योग- रु. 10069877.00

दर्शित निर्माण कार्यों एवं व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं-

(i) परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों एवं वर्ष 2018-19 के पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्यों से स्पष्ट विभेद नहीं हो रहा। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्यों को पुनः आलोच्य वर्ष दर्शाकर अनुदान राशि का अनियमित व्यय किया गया है।

(ii) निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्राण्ट रजिस्टर 2× में दर्शाए गए हैं उन कार्यों को कराए जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

(iii) वित्त आयोगों एवं शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार छह माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर उपयोग प्रमाण पत्र शासन को भेजे जाने का प्रावधान है। किन्तु मांग के बावजूद कुल आयोजित धनराशि रु. 10069877.00 का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पत्रावली एवं प्रेषण की स्थिति को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) शासनादेश संख्या 3385/860-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त (मिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि) पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गए हैं। इसके अनुसार 2 फरवरी 2001 और अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिये गये हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवटन पत्र एमएम11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं। आगे

शासनादेश सं. 2799/86/2016-292/2015 दिनांक 12.07.2016 के अनुसार वैध कार्य 3 सी प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम 11/फार्म 3 सी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनके बिलों पर भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षमें अवश्य जमा करा ली जाय।

उपरोक्त बिन्दु (i) से (iv) को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि संख्या अंश जो कि निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह संदिग्ध है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। वह भी संभव है कि दर्शित किये गये व्यय धनराशि का घोर अनियमितता किया गया है जिसके प्रति सम्बन्धित कार्य प्रभारी, लेखाकार मो. शकील अहमद अंसारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री श्यामसुन्दर भारती संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 1943 सी के अनुसार शासकीय अनुदान के द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति बिलों से आयकर की कटौती किए जाने के उपरान्त में भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अन्तिम तिथि लेखा शीर्ष में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किए जाने पर विफल रहने पर आहरण-वितरण अधिकारी पर आयकर की धनराशि के बराबर वसूली पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह तक के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जाती है। लेकिन आलोच्य वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती सुनिश्चित नहीं की गयी है। आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु. 7588642 किया गया है। इस प्रकार नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु. 151772 आयकर की कटौती की जानी चाहिए।

इस प्रकार समस्त सामग्री बिलों पर 2.24 आयकर की दर से कुल रु. 151772 की कटौती न कर संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व की क्षति एवं घोर अनियमितता की गयी है। इस धनराशि को संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए लेखाकार मो. शकील अहमद अंसारी एवं बीडी.ओ. श्री श्यामसुन्दर भारती उत्तरदायी हैं।

(3) लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों पर रु. 628251.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है जिसके विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियाँ प्रकाश में लाई जाती हैं।

(प) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) को किया गया है।

(पप) पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मस्टररोल विकासखण्ड से निर्गत नहीं है।

(पपप) संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(पअ) मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया और भुगतानित श्रमांश/मजदूरी रु. 628251.00 में गंभीर अनियमितता बरती गयी, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सुन्दर भारती सम्बन्धित कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार संयुक्त रूपा से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(10)

विकास खण्ड-बरसठी क्षेत्र पंचायत- बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-51 वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों हेतु किये गये फर्मों का भुगतान से जी.एस.टी. की कटौती रु. 70748.93 की कमी है जिसे समयान्तर्गत आयकर विभाग में न जमा करके अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया गया है जो जी.एस.टी. एक्ट 2017 के अनुसार अनियमित है। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक की गयी कटौती को जमा किया जाना चाहिए। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-2**

प्रस्तर-52 वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों हेतु किये गये फर्मों को भुगतान से वैट की कटौती रु. 156524.40 की गयी है। जिसे समयान्तर्गत व्यापार कर विभाग में जमा करके अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया गया है जो शासनादेश सं. ए-351/उस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार अनियमित है। निर्धारित समयान्तर्गत कटौती की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3

प्रस्तर-53 अनुदान रजिस्टर भाग तीन के अनुसार दिनांक 31.03.2019 में तेरहवें वित्त आयोग में प्राप्त अनुदान रु. 1075331.00 वर्ष के प्रारम्भ से ही अवशेष दिखाया जा रहा है। तेरहवें वित्त आयोग की समय सीमा पिछले वर्ष में ही समाप्त हो गयी है जिससे इस धन का उपभोग किया जाना अनियमित होगा। योजना की समय सीमा समाप्त होने पर अवशेष धन जिसकी कार्ययोजना के अनुसार कार्य प्रारम्भ न हुआ हो या कार्य योजना ही नहीं बनायी गयी हो उसको उसी शीर्षक में वापस कर दिया जाना चाहिए। धन को अवशेष रखकर अनियमितता की जा रही है, जिसके लिए संस्था लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

(11)

विकास खण्ड-बदलापुर क्षेत्र पंचायत-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-54 आलोच्य वर्ष 2018-19 में कराये गये निम्न कार्यों के श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है।

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी प्रभारी
1.	प्रा0वि0 से पाल बस्ती तक खड़जा	59325.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
2.	ग्राम पंचायत गौरा में नाले पर पुलिया निर्माण	53230.00	श्री अरुण कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधिकारी
3.	पिच रोड से योगेन्द्र प्रताप के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	41470.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
4.	रामनगर में नाला के पास पुलिया निर्माण का कार्य	61825.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
5.	मिरसादपुर में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से अनुमन प्रजापति के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	22575.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
6.	सिगरा मऊ में गौरीशंकर मंदिर से रजनीपुर स्कूल तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	34125.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
7.	रामपुर में खड़जा से रामतीर्थ मौर्य के घर होते हुए अरुण दुबे के घर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	939175.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
8.	मिरसादपुर में तेजी बजार लिंक रोड से इन्द्रा बालिका के बगल निसाद बस्ती तक खड़जा मरम्मत एवं पुलिया निर्माण	107260.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
9.	मेढा में श्री बबलू शर्मा के घर से कहार बस्ती तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	49525.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
10.	असलम के घर से इसरावती देवी के घर तक मिट्टी एवं खड़जा निर्माण	142800.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
11.	सरायगुंजा में पक्की नाली निर्माण का कार्य	59135.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
12.	मेढा बजार में पुराने इण्टरलाकिंग से मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	28720.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
13.	देवापुर में प्रा0 वि0 दक्षिण से सलेखन पट्टी, जयमंगल यादव के घर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	144200.00	श्री अरुण कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधिकारी
14.	विकासखण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी के घर की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य	90650.00	श्री अच्छेलाल एवं श्री राजबहादुर यादव ए0डी0ओ0 एस0टी0
15.	मिरसादपुर में उपाध्याय बस्ती से धोबी बस्ती तक इण्टरलाकिंग	35310.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
16.	पहितियापुर में जू0हाईस्कूल के बगल पिच रोड से अशोक यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	61545.00	श्री अच्छेलाल ए0डी0ओ0 एस0टी0
17.	नकहराखानदेव में प्रा0वि0 मुख्य सेक्टर मार्ग से मानसिंह के घर तक खड़जा निर्माण	56875.00	श्री दुर्गेश तिवारी, ग्रा0वि0अधिकारी
		1142545.00	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में कुल रु. 1142545.00 का भुगतान चेक द्वारा सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है जबकि निर्माण कार्य करने वाले समस्त मजदूरों का मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत बैंक खाते खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के तहत प्रत्येक मजदूर के खाते में ट्रांसफर की जानी चाहिए। ऐसा न करके कार्य प्रभारियों को भुगतान किया जाना पूर्ण रूपेण मजदूरी भुगतान में अनियमितता होना दर्शाता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार सम्बन्धित कार्यप्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की बराबर-बराबर होती है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5

प्रस्तर-55 आयकर अधिनियम एवं व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निम्न कार्यों के निर्माण सामग्रियों पर आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती नहीं की गयी-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि सामग्री	आयकर	जी.एस.टी.
1.	प्रा0वि0 से पाल बस्ती तक खड़जा	204750.00	4586.40	4095.00
2.	ग्राम पंचायत गौरा में नाले पर पुलिया निर्माण	293526.00	6575.20	5870.00
3.	पिच रोड से योगेन्द्र प्रताप के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	327474.00	7335.42	6549.00
4.	रामनगर में नाला के पास पुलिया निर्माण का कार्य	320319.00	7175.14	6406.00
5.	मिरसादपुर में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से अनुमन प्रजापति के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	80993.00	1814.24	1619.00
6.	सिगरा मऊ में गौरीशंकर मंदिर से रजनीपुर स्कूल तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	122271.00	2738.87	2445.00
7.	रामपुर में खड़जा से रामतीरथ मौर्य के घर होते हुए अरुण दुबे के घर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	373371.00	8363.51	7467.00
8.	मिरसादपुर में तेजी बजार लिंक रोड से इन्द्रा बालिका के बगल निसाद बस्ती तक खड़जा मरम्मत एवं पुलिया निर्माण	273663.00	6130.05	5473.00
9.	मेढा में श्री बबलू शर्मा के घर से कहार बस्ती तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	214425.00	4803.12	4288.00
10.	असलम के घर से इसरावती देवी के घर तक मिट्टी एवं खड़जा निर्माण	491400.00	11007.36	9828.00
11.	सरायगुंजा में पक्की नाली निर्माण का कार्य	288230.00	6456.35	5764.00
12.	मेढा बजार में पुराने इण्टरलाकिंग से मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	295457.00	6618.23	5909.00
13.	देवापुर में प्रा0 वि0 दक्षिण से सलेखन पट्टी, जयमंगल यादव के घर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	625656.00	14014.69	12513.00
14.	विकासखण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी के घर की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य	358994.00	8041.46	7179.00
15.	मिरसादपुर में उपाध्याय बस्ती से धोबी बस्ती तक इण्टरलाकिंग	347966.00	7793.76	6958.00
16.	पहितियापुर में जू0हाईस्कूल के बगल पिच रोड से अशोक यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	481044.00	10775.30	9620.00
17.	नकहराखानदेव में प्रा0वि0 मुख्य सेक्टर मार्ग से मानसिंह के घर तक खड़जा निर्माण	192956.00	4322.21	3859.00
	योग	5292475.00	118551.31	105842.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में निर्माण सामग्रियों पर रु. 118551.31 की आयकर एवं 105842.00 रुपये की जी.एस.टी. की कटौती होनी चाहिए, परन्तु उक्त कटौती न करके राजकीय क्षति किया गया, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान वर्ष में आकलित धनराशि रु. 224393.31 को वसूल करके जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

(12)

क्षेत्र पंचायत-मडियाहूँ, जिला -जौनपुर वर्ष -2018-19

प्रस्तर-56 लेखा परीक्षा में अंकन रु0. 20000.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया । जिसमें आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :—

इन्दिरा आवास योजना में अनुदान रजि0-02 में दिनांक 12.07.2018 को व्यय रु0. 20000.00 चेक सं0. 12010355 दिनांक - 12.07.2018 , जो श्री कृष्ण कुमार को चेक निर्गत है , अंकित है । किन्तु अनुदानरजि0-02 में व्यय विवरण शीर्ष अंकित नहीं है । जिससे संबंधित व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या- 07

प्रस्तर- 57 चतुर्थ राज्य वित्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मद शीर्ष में बैंक खाता सं0 585802010004442 जो यू0बी0आई0 विकास भवन में संचालित है, के अनुसार दिनांक 01.04.2018 का प्रा0 शेष 129884.00 है, जबकि अनुदान रजि0-03 में माह अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक इस खाता में अवशेष धराशि शून्य अंकित किया गया है। अतः तदनुसार सुधार अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- (14)

प्रस्तर- 58 लेखा परीक्षा में अंकन रु0. 25545.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया । जिसमें आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :—

ग्राम स्वच्छता अभियान में दिनांक 03.11.2018 को चेक संख्या 12019044 द्वारा पलैक्स बोर्ड का भुगतान रु0. 25545.00 सनपलैक्स , मोकलगंज बाजार से प्राप्त किया गया दर्शित है । किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी का कोटेशन आदेश , एवं स्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी आदि संलग्न नहीं रहा । जिसे संलग्न किया जाना अपेक्षित है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या- (17)

(13)

क्षेत्र पंचायत-सिरकोनी, जिला-जौनपुर की वर्ष 2018-19

प्रस्तर-59 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया । जिसमें आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :—

मस्टररोल की मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को :—वर्ष 2018-19 में रु0 1834350.00 की धनराशि का मस्टररोल द्वारा अनियमित रूप से मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया दर्शित है। जबकि मजदूरी का भुगतान प्रत्येक श्रमिक के बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए (जैसाकि कार्यप्रभारी को निर्गत प्रत्येक आदेश में कम सं0 10 पर अंकित है:— “ मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उनके संबंधित खातों में निर्धारितदर से किया जायेगा”)। निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टररोल संख्या अंकित नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है। उत्तरदायित्व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता, लेखाकार, कार्यप्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख का समान रूप से है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। कार्य प्रभारी वारमस्टररोल द्वारा मजदूरी भुगतान की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	नाम कार्यप्रभारी	भुगतान की गयी धनराशि
1.	नरेशकुमार	693700.00
2.	उदय नारायण यादव	734300.00
3.	संजीवरतनश्रीवास्तव	406350.00
	योग	1834350.00

आपत्ति संख्या- (03)

प्रस्तर-60

कार्य (1) : सेहमलपुर ताला मझवारा सम्पर्क मार्ग से धनिया पार सेहमलपुर में हरिशंकर यादव के घर तक खडंजा मरम्मत एवं निर्माण कार्य : मजदूरी पर व्यय रु0. 94850.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 262442.00 योग रु0. 357292.00 है। निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयीं, जिसका निराकरण अपेक्षित है :—

(2) मस्टररोल की अवधि 01.12.2017 से 28.12.2017 तक है ,मस्टररोलपरकार्य का नाम एवंअवधि का अंकननहीं है ।

(3) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 29.08.2017 का है । किन्तु आदेश के रुप में नीचे खण्डविकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्तिसंख्या— (032)**

प्रस्तर—61 ग्राम पंचायत से हमलपुर में तालामझवारा सेहमलपुर सम्पर्क मार्ग से तालामझवारा मुसहर बस्ती तक खडंजा निर्माण कार्य : मजदूरी पर व्यय रु0. 75425.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 181600.00 योग रु0. 257025.00 है। निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयीं, जिसका निराकरण अपेक्षित है :—

(1) मस्टररोल की अवधि 01.07.2018 से 25.07.2018 तक है, मस्टररोल पर कुल 20 मजदूरों के नाम अंकित है, किन्तु हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा कालम में कुल 21 मजदूरों के हस्ताक्षर कराया गया है। जो अनियमित है।

(2) कार्यप्रभारी को कार्य कराने का आदेश पत्र पर पत्रांक— 266/दिनांक 09.06.2018 अंकित है, किन्तु आदेश के रुप में नीचे खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है।

(3) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर दिनांक अंकित नहीं है, एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश पर आदेश के रुप में नीचे खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— (33)**

प्रस्तर—62 भगरी—बदलपुर सम्पर्क मार्ग से सेहमलपुर यादव बस्ती तक सम्पर्क मार्ग : मजदूरी पर व्यय रु0. 192500.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 423008.00 योग रु0. 615508.00 है। निर्माण कार्यपत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयीं , जिसका निराकरण अपेक्षित है :—

(1) कार्यप्रभारी को निर्गत आदेश पत्रांक 266/दिनांक 09.06.2018 है किन्तु आदेश के रुप में नीचे खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है । अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है।

(2) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.2018 का है। किन्तु आदेश के रुप में नीचे खण्डविकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है।

(3) एम.बी. (माप पुस्तिका) पर पेज प्रमाणपत्र अंकित करने वाले पेज पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(4) मस्टररोल कुल तीन पेज में है, तीसरा पेज पर कुल 25 मजदूरों के नाम अंकित है, जिसमें 75 मानव दिवस × दर रु0. 175.00 की दर से कुल 13125.00 मजदूरी है। मजदूरों के धनप्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। अतः रु0. 13125.00 के भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।

(5) मस्टररोल पर पीछे जे.ई. (एम. आई.) की आख्या, एम.बी. (माप पुस्तिका) में अंकन का दिनांक आदि विवरण अंकित नहीं है। अतः अपुष्टित धनराशि रु0 13125.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (34)

प्रस्तर—63 सेहमलपुर सम्पर्क मार्ग से यादव बस्ती तक होते हुए मौर्या बस्ती तक सम्पर्क मार्ग : मजदूरी पर व्यय रु0. 156450.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 386757.00 योग रु0. 543207.00 है। निर्माण कार्यपत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयीं , जिसका निराकरण अपेक्षित है :—

(1) कार्यप्रभारी को कार्य कराने का आदेश पत्र पर पत्रांक— 266/दिनांक 09.06.2018 अंकित है, किन्तु आदेश के रुप में नीचे खण्डविकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है।

(2) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर दिनांक 06.06.2018 अंकित है, किन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश पर आदेश के रुप में नीचे खण्डविकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है।

(3) संलग्न स्टीमेट (प्राक्कलन) में खण्डविकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(4) एम.बी. (माप पुस्तिका) पर पेज प्रमाणपत्र अंकित करने वाले पेज पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(5) एस. आर. कन्ट्रक्शन का बिल संख्या— 77/दिनांक 11.06.18 है। जिसमें तिथि पर पुनर्लेखन किया गया है, जो 14.06.18 है। अतः यह स्पष्ट नहीं है की तिथि 11.06.18 है या 14.06.18 है। फुटनोट में दिनांक 13.11.2018 है, जबकि जेई. द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पर दिनांक 14.06.18 अंकित किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (35)

प्रस्तर—64ग्राम पंचायत बाकराबाद में इजरी—बाकराबाद मार्ग से विद्यालय तक खड्जा निर्माणकार्य : मजदूरी पर व्यय रु0. 92575.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 575848.00 योग रु0. 668423.00 है। निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयीं, जिसका निराकरण अपेक्षित है :—

(1) कार्यप्रभारी को कार्य कराने का आदेशपत्र पर पत्रांक— 1077/दिनांक 26.11.18 अंकित है, किन्तु आदेश के रूप में नीचे खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। जो अनियमित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (37)

प्रस्तर—65ग्राम पंचायत—कुददुपुर में रामसूरत विश्वकर्मा के घर से सूर्यबली यादव के घर तक खड्जा निर्माण कार्य : मजदूरी पर व्यय रु0. 192850.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 620003.00 योग रु0. 812853.00 है, की कार्य की वर्क आईडी (एक्टीविटी कोड) प्राप्त नहीं की गयी है। तथा उक्तकार्य की फिडिंग एक्शन साफ्ट में अंकित नहीं हैं। जिसे अंकित किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (39)

प्रस्तर—66ग्राम पंचायत सेहमलपुर में तालामझवारा—सेहमलपुर सम्पर्क मार्ग से तालामझवारा मुसहर बस्ती तक खड्जा निर्माणकार्य मजदूरी पर व्यय रु0. 75425.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 181600.00 योग रु0. 257025.00 है, की कार्य की वर्क आई.डी. (एक्टीविटी कोड) प्राप्त नहीं की गयी है। तथा उक्तकार्य की फिडिंग एक्शन साफ्ट में अंकित नहीं हैं। जिसे अंकित किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (40)

प्रस्तर—67ग्राम पंचायत बहरीपुर में प्रकाश के घर से वाया जूनियर हाईस्कूल नवाबाद जंगल बहरीपुर बार्डर तक मिट्टी एवं खड्जाकार्य मजदूरी पर व्यय रु0. 247625.00 तथा सामग्री पर व्यय रु0. 722623.00 योग रु0. 970248.00 है। की कार्य की वर्कआईडी (एक्टीविटी कोड) प्राप्त नहीं की गयी है। तथा उक्तकार्य की फिडिंग एक्शन साफ्ट में अंकित नहीं हैं। जिसे अंकित किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्तिसंख्या— (41)

(14)

क्षेत्र पंचायत— मछलीशहर, जिला—जौनपुर की वर्ष— 2018—19

प्रस्तर—68लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान फर्मों से जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है, परन्तु वर्ष के अन्त में ग्राण्ट रजिस्टर—3 में रु0 53718.00 को अवशेष के रूप में रोककर रखा गया है। नियमतः जी0एस0टी0 काटकर राजकीय कोषागार में तत्काल जमा करना चाहिए। परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त मन्त्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्कुलर संख्या—65/39/2018—डी0डी0आर0 दिनांक— 14.09.2018 जारी किया गया है।

कटौती किये गये जी0एस0टी0टैक्स को उस माह के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो काटे गये टैक्स और उस पर लगे ब्याज दोनों जमा कर पड़ेगा (सेक्शन 50(1)रीड विथ सेक्शन 51(6))। परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस पर तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0—03

प्रस्तर—69बायोगैस अनुदान मद में रु0 4500.00 पिछले वर्षों से अवशेष के रूप में चला आ रहा है। नियमतः उस धनराशि को तत्कालीन कार्य योजना के अनुसार उपभोग कर लिया जाना चाहिए था अथवा अनुदान दाता/सरकार को वापस कर देना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके अनियमितता की गयी है। जिसकी तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0—04

(15)

क्षेत्र पंचायत—सुजानगंज, जिला—जौनपुर की वर्ष 2018—19

प्रस्तर-70 आलोच्य वर्ष में मजदूरी का भुगतान रू0 1425690.00 प्रभारी सचिवों के चेक द्वारा आहरण किया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत नियामवली के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में आहरित किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से नियामवली का उल्लंघन है। जिससे वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होता है। जिसका संयुक्त रूप से लेखकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व परिलक्षित होता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0- 03

प्रस्तर-71 आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा कराये गये कार्यों के आयकर की कटौती करके ही भुगतान किया जाना चाहिये था। लेकिन आकर की कटौती नहीं किया जा रहा है। जिससे रू0 88278.00 सम्बन्धित अभिलेखों की पुष्टि नहीं किया जा सकता जो गम्भीर अनियमितता है। जिसका संयुक्त उत्तरदायी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी रहा है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं00-04

प्रस्तर-72 आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0/वैट की कटौती नहीं की गयी और सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। क्षेत्र पंचायत नियामवली 1961 यथा संशोधित 194(सी) के अनुसार अनुदान से कराये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिये था। और कटौती की गयी धनराशियों को बैंक में चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों के सापेक्ष रू0 88278.00 की जी0एस0टी0/वैट की कटौती होनी चाहिये जिस संस्था द्वारा नहीं किया गया है। जो अनियमितता के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद – वाराणसीसम्भाग – वाराणसी

2. क्षेत्र पंचायत – काशी विद्यापीठ

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018-19

प्रस्तर – 1 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्ट्रोत्र पर आयकर की कटौती किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गए आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से तीन माह के कारावास का भी प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.00% दर से सुनिश्चित की जानी है, लेकिन आलोच्य वर्ष में किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित नहीं की गयी है।

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर कुल व्यय रू0 10481252.00 रहा इस पर नियमानुसार 2.00% की दर से रू0 209625.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके आयकर की कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों पर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 2 निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके मनमाने तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2018-19 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रू0 1564644.00 श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि विभिन्न कार्य प्रभारियों के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से आहरित की गयी है।

उल्लेखनीय है कार्य प्रभारी के नाम निर्गत चेक के माध्यम से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों/श्रमिकों को उचित मजदूरी प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल है तथा वित्तीय अनियमितता है। मस्टररोल तैयार किया गया है लेकिन अधिकांश मस्टररोल पर क्रमांक नहीं अंकित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि, वर्षांत में रू0 138330.00 की जी0एस0टी0 कटौती राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी शेष है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय

अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत – आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018–19

प्रस्तर –4 आपत्ति संख्या-6 वर्ष 2018–19 में चतुर्थ राज्य वित्त से निर्माण कार्यों के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बन्धित कार्यप्रभारियों को निर्गत किया गया है किन्तु कायप्रभारी द्वारा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान की पुष्टि/भुगतान के तरीकों (नगद अथवा चेक) के उल्लेख अभिलेखों से नहीं है। जबकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिकों के खाते में किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त म. रो. पर नम्बर अंकित नहीं है और ही क्षेत्र पंचायत द्वारा म0रो0 निर्गत किये जाने की पुष्टि होती है। साथ ही मजदूरों का पंजीकरण रजिस्टर अप्राप्त रहा।

क्र.	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान (चेक) प्राप्तकर्ता
1.	30180.00	027478	26.07.2019	श्री श्रीकान्त उपाध्याय (वी0डी0ओ0)
2.	56120.00	027482	27.08.2019	श्री श्रीकान्त उपाध्याय (वी0डी0ओ0)
3.	24480.00	022019	18.07.2019	श्री रामजी सिंह (वी0डी0ओ0)
4.	46200.00	634453	29.03.2019	श्री विरेन्द्र सिंह (वी0डी0ओ0)
5.	22260.00	634370	02.05.2019	श्री श्रीकान्त उपाध्याय (वी0डी0ओ0)
6.	12678.00	634379	02.05.2019	श्री रामजी सिंह (वी0डी0ओ0)
7.	32300.00	634373	02.05.2019	श्री संदीप कुमार (वी0डी0ओ0)
8.	52680.00	634367	02.05.2019	श्री संदीप कुमार (वी0डी0ओ0)
9.	46700.00	634362	29.04.2019	श्री रामजी सिंह (वी0डी0ओ0)
योग	323598.00			

अतः उपरोक्त मजदूरी भुगतान की धनराशि रु. 323598.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खं.वि.अ. श्री दिवाकर सिंह एवं आंकिक श्री कैलाशनाथ से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –5 वर्ष 2018–19 में विधायक क्षेत्र विकास निधि मद से निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है।

क्र.	दिनांक/चेक संख्या	चेक की कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी	नम फर्म व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म/व्यक्ति की धनराशि
1.	07.05.18/000006	175614.00	श्री मुकेश कुमार	सीपी कान्स. और मैट सप्लायी माड़ाव, वाराणसी	175614.00
2.	12.07.19/000088	68785.00	श्री मुकेश कुमार	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और मैट अडर सप्लायी ज्ञानपुर. भदोही	68785.00
3.	16.11.18/000042	36939.00	श्री मुकेश कुमार	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और मैट अडर सप्लायी ज्ञानपुर. भदोही	36939.00
4.	29.06.18/000025	193422.00	श्री मुकेश कुमार	सीपी कान्स. और मैट सप्लायी माड़ाव, वाराणसी	193422.00
5.	10.09.18/000027	67615.00	श्री मुकेश कुमार	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और मैट अडर सप्लायी ज्ञानपुर. भदोही	67615.00
6.	05.03.19/000077	126344.00	श्री मुकेश कुमार	मे. अरविन्द कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और सप्लायीभीखमपुर, सेवापुरी	126344.00
7.	06.03.19/000078	27600.00	श्री मुकेश कुमार	मे. अरविन्द कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और	27600.00

				सप्लायी. भीखमपुर, सेवापुरी	
8.	01.10.18 / 000039	238112.00	श्री मुकेश कुमार	मे. अरविन्द कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और सप्लायीभीखमपुर, सेवापुरी	238112.00
9.	09.01.19 / 000054	121778.00	श्री मुकेश कुमार	मे. अरविन्द कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और सप्लायीभीखमपुर, सेवापुरी	121778.00
10.	26.06.18 / 000014	79934.00	श्रीकान्त उपाध्याय	सीपी कान्स. और मैट सप्लायी. माडाव, वाराणसी	79934.00
11.	10.09.18 / 000031	42660.00	श्रीकान्त उपाध्याय	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और मैट अडर सप्लायी ज्ञानपुर. भदोही	42660.00
12.	29.06.18 / 000017	65776.00	श्रीकान्त उपाध्याय	सीपी कान्स. और मैट सप्लायीमाडाव, वाराणसी	65776.00
13.	29.06.18 / 000020	36893.00	श्रीकान्त उपाध्याय	सीपी कान्स. और मैट सप्लायी माडाव, वाराणसी	36893.00
14.	16.11.18 / 000045	22741.00	श्रीकान्त उपाध्याय	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेंट कान्स. और मैट अडर सप्लायी ज्ञानपुर. भदोही	22741.00
				योग	1304213.00

नियमानुसार उक्त भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर सम्बन्धित कार्यप्रभारी को किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान एकाउण्टपेयी चेक से नहीं किये गये हैं जो गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खं0वि0अ0 श्री दिवाकर सिंह लेखाकार श्री कैलाशनाथ सम्बन्धित कार्यप्रभारी श्री मुकेश कुमार, श्रीकान्त उपाध्याय, श्री रामजी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में निर्माण कार्य से सम्बन्धित ईट क्रय आईबीएफविक्स फिल्ड रुपापुर, वाराणसी से किया गया है व भुगतान भी उसी संस्था को किये जाने का विवरण पत्रावली व ग्रांट-॥रजिस्टर से स्पष्ट होता है। परन्तु चतुर्थ राज्य वित्त से सम्बन्धित पासबुक की जाँच में पाया गया कि पत्रावली अनुसार जो चेक आईबीएफविक्स के नाम काटा गया है, पासबुक पर उस चेक के पार्श्व में केवल ड्रा थू चेक अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान एकाउण्टपेयी चेक से नहीं किये गये हैं जो गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु आंकित श्री कैलाशनाथ एवं खं0वि0अ0 श्री दिवाकर सिंह उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रं0.	दिनांक पत्रावली दिनांक पासबुक	चेक संख्या	धनराशि	पासबुक अनुसार	पत्रावली अनुसार
1	05.03.2019	634424	21700.00	ड्रा थू चेक	आई0बी0एफ0विक्स फिल्ड रुपापुर, वाराणसी
2.	05.03.2019	634422	28750.00	ड्रा थू चेक	आई0बी0एफ0विक्स फिल्ड रुपापुर, वाराणसी
3.	06.03.2019	234429	107000.00	ड्रा थू चेक	आई0बी0एफ0विक्स फिल्ड रुपापुर, वाराणसी
		योग	157450.00		

प्रस्तर -7 दिनांक 01.04.2018 को ग्रांट-॥अनुसार इकाई के पास कुल रु0 2622058.42 विभिन्न मदों की योजनाओं पर अर्जित ब्याज का धन शेष था। वर्ष 2018-19 में कुल रु. 521818.00 ब्याज से आय हुआ व रु. 453.00 व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2019 को रु. 3143423.42 ब्याज मद में अवशेष रहा जो ग्रांट रजिस्टर-॥पर दर्शित है। नियमों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज से अर्जित धन अन्य प्राप्तियों मद में जमा कर दिया जाना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके अनियमितता किया जा रहा है। उ.प्र.

वजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इकट्ठा करके आगामी वर्ष के वजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। वापसी तत्काल अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिवाकर सिंह एवं लेखाकार श्री कैलाशनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत – चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018–19

प्रस्तर-8 वर्ष 2018–2019 में चतुर्थ राज्यवित्त से निर्माण कार्यों के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बन्धित कार्यप्रभारी को निर्गत किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपातियाँ हैं :-

1. कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों किये गये भुगतान का प्रकार (नगद अथवा चेक) दर्शित नहीं किया गया है। नियमानुसार श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाता में किया जाना वांछनीय है।
2. मस्टररोल पर नम्बर अंकित नहीं है।
3. कार्यप्रभारी द्वारा प्रयुक्त मस्टररोल क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत होने की पुष्टि नहीं होती है।
4. मजदूरी के पूंजीकरण पंजिका लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान (चेक) प्राप्तकर्ता
1	86140.00	683984	19.06.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
2	108080.00	683987	19.06.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
3	81440.00	683990	26.06.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० St)
4	28240.00	683993	26.06.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
5	69440.00	683995	19.07.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
6	31120.00	683997	19.07.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० एस०टी०)
7	117200.00	683961	12.09.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० एस०टी०)
8	40000.00	683964	12.09.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
9	66720.00	683966	12.10.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० एस०टी०)
10	33560.00	663968	10.10.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० एस०टी०)
11	122480.00	683970	10.10.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
12	70700.00	683973	05.11.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
13	87760.00	683976	05.11.2018	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव (ए०डी०ओ० एस०टी०)
14	78240.00	683978	19.11.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
15	23200.00	006316	28.12.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
16	82020.00	006320	11.02.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
17	67215.00	006323	11.02.2019	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
18	65720.00	006327	11.02.2019	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
19	13000.00	006332	28.03.2019	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
20	86040.00	006334	28.03.2019	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
21	61660.00	006337	18.03.2019	श्री सुशील कुमार सिंह (बी०टी०)
योग	1418975.00			

अतः उपरोक्त अनियमित मजदूरी भुगतान की धनराशि रु० 1418975.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं आंकिक से किया जाना अपेक्षित है।

(तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा तथा विनय कुमार मिश्रा (लेखाकार) से रु० 941880.00 तथा श्री कौशल कुमार (ख०वि०ओ०) एवं श्री विनय कुमार मिश्रा (लेखाकार) से रु० 477095.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वर्ष 2018–2019 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्यों के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बन्धित कार्यप्रभारी को निर्गत किया गया है। किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान की पुष्टि/भुगतान के तरीकों (नगद अथवा चेक) का उल्लेख अभिलेखों से नहीं होती है। जबकी नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिकों के खाते में किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त मस्टर रोल पर नम्बर अंकित नहीं है और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा मस्टर रोल निर्गत किये जाने की पुष्टि होती है विवरण निम्नांकित है :-

क्र.	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	प्राप्तकर्ता
1	157760.00	80000.00 / 717683	005.06.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी0टी0)
		101071.00 / 717690	006.08.2018	श्री सुशील कुमार सिंह (बी0टी0)
2	157760.00	80000.00 / 717684	005.06.2018	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)
		101071.00 / 717691	006.08.2018	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)
3	157760.00	80000.00 / 717686	006.06.2018	मयंक मोहन गौड़ (ग्रा0वि0अ0)
		101071.00 / 717696	006.08.2018	मयंक मोहन गौड़ (ग्रा0वि0अ0)
4	157760.00	80000.00 / 717685	005.06.2018	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)
		101071.00 / 717692	006.08.2018	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)
5	157760.00	80000.00 / 717687	005.06.2018	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)
		101071.00 / 717694	006.08.2018	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)
6	157760.00	80000.00 / 717688	005.06.2018	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)
		101071.00 / 717695	006.08.2018	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)
	946560.00			

अतः उपरोक्त अनियमित मजदूरी भुगतान की धनराशि रु0 946560.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं आंकिक श्री विनय कुमार मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-10 वर्ष 2018-2019 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण मद से निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को न करके कार्यप्रभारी को किया गया है।

क्र०	चेक संख्या/दिनांक	चेक की कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी	फर्म/व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म/ व्यक्ति को दर्शित धनराशि
1	683987 / 19 .06.2018	111475.00	श्री सुशील कुमार सिंह	अमन बिल्डर्स मैटेरियल	3395.00
2	683990 / 26 .06.2018	854440.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	1 लक्ष्मी प्रिन्टर्स एंड डिजिटल स्टूडियो 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00 3500.00

क्र०	चेक संख्या/दिनांक	चेक की कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी	फर्म/व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म/ व्यक्ति को दर्शित धनराशि
3	683993 / 26. 06.2018	51523.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 इन्नर(ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 लक्ष्मी प्रिन्टर्स एंड डिजिटल स्टूडियो	19283.00 3500.00 500.00
4	683995 / 19.07.2018	73440.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 लक्ष्मीप्रिन्टर्स 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00 3500.00
5	683997 / 19. 07.2018	60724.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	1 वैष्णो डिजिटल स्टूडियो एंड प्रिंटिंगप्रेस 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 लालचन्द पाल	500.00 3500.00 25604.00
6	683961 / 12.09.2018	121200.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	1 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो प्रिंटिंगप्रेस 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00 3500.00

7	683964 / 12. 09.2018	5690.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री शिवप्रकाश सिंह (ट्रेक्टर ड्राइवर) 2 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	12900.00 500.00 3500.00
क्र0	चेक की कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता / कार्यप्रभारी	फर्म / व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म / व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म / व्यक्ति को दर्शित धनराशि
8	683966 / 10.10.2018	89857.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	1 श्री अमरनाथचौबे (ट्रेक्टर ड्राइवर) 2 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	20137.00 500.00 3500.00
9	683968 / 10.10.2018	55271.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	श्री शिवप्रकाश (ड्राइवर) 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो	17711.00 3500.00 500.00
10	683973 / 05.11.2018	93504.00	श्री सुशील कुमार सिंह (बि0टि0)	1 श्री सिधान (ट्रेक्टर ड्राइवर) 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय	18804.00 3500.00 500.00
11	683976 / 05.11.2018	91760.00	श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव	1 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00 3500.00
12	683978 / 19.11.2018	82240.00	श्री सुशील कुमार सिंह(बि0टि0)	1 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00 3500.00
13	006316 / 28.12.2018	32309.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री रामकिरत मौर्या (ट्रेक्टर ड्राइवर) 1 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	5109.00 500.00 3500.00
14	006320 / 11.02.2019	104204.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री रामकिरत मौर्या (ट्रेक्टर ड्राइवर) 1 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	18184.00 500.00 3500.00
15	006323 / 11.02.2019	89058.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री रामकिरत मौर्या (ट्रेक्टर ड्राइवर) 2 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	17843.00 500.00 3500.00
16	006327 / 11.02.2019	73908.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री ऊषादेवी (ट्रेक्टर मालिक) 2 मॉ वैष्णो डिजिटल स्टूडिय 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	4688.00 500.00 3000.00
17	006332 / 28.03.2019	20594.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री रामकिरत मौर्या (ट्रेक्टर ड्राइवर)	3594.00 3500.00

				2 माँ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो 3 अमन बिल्डर्स मैटेरियल	500.00
18	006334 / 28. 03.2019	909066.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री राम आसरे यादव 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 माँ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो	19026.00 3500.00 500.00
19	006337 / 18.03.2019	79739.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 श्री हवलदार (ड्राइवर) 2 अमन बिल्डर्स मैटेरियल 3 माँ वैष्णो डिजिटल स्टूडियो	14079.00 500.00 3500.00
				योग	271857.00

3 बी.ओ.गनबाड़ी केन्द्र:-

20	717690 / 06.08. 2019	101071.00	श्री सुशील कुमार सिंह	1 गुलाब यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 मयंक हार्डवेयर एण्ड प्लाईवुड	10136.00 13175.00
21	717691 / 06.08. 2018	101071.00	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)	1 प्रताप यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 कृष्णा इण्टरप्राइजे	10136.00 13175.00
22	717695 / 06.08. 2018	101071.00	श्री मयंकमोहन गौड़ (ग्रा0वि0अ0)	1 राजा यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 संतोष हार्डवेयर	10136.00 13175.00
23	717692 / 06.08. 2018	101071.00	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (ग्रा0वि0अ0)	1 प्रताप यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 कृष्णा इण्टरप्राइजेज	10136.00 13175.00
24	717694 / 06.08. 2018	101071.00	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)	1 प्रताप यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 कृष्णा इण्टरप्राइजे	10136.00 13175.00
25	717695 / 06.08. 2018	101071.00	श्री राजेश कुमार यादव (ग्रा0वि0अ0)	1 प्रताप यादव (ट्रैक्टर ड्राइवर) 2 कृष्णा इण्टरप्राइजे	10136.00 13175.00
				योग	139866.00
				महायोग	411723.00

उक्त भुगतान रु 411723.00 ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी भराई, फोटोग्राफी, बोर्ड क्रय एवं विद्युत सामग्री क्रय से सम्बन्धित है। नियमानुसार उक्त भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को एकाउन्टपेई चेक माध्यम से किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न कर के सम्बन्धित कार्यप्रभारी को किया गया है। इस प्रकार सामग्री मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु 411723.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 दिनांक 01.04.2018 का विभिन्न मदों की योजनाओं पर अर्जित व्याजमद का प्रारम्भिक अवशेष रुपया 331426.78 दर्शित था। आलोच्य वर्ष में कुल रु 191763.00 का आय हुआ व व्यय शून्य रहा के उपरान्त दिनांक 31.03.2019 को रु 523189.78 ब्याज मद में अवशेष रहा जो ग्रांट-III रजिस्टर पर दर्शित है। शासनादेश संख्या -10/2015/ए-1-502/10-2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार ब्याज की आय संस्था की आय नहीं है। इसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 दिनांक 01.04.2018 को जी0एस0टी0 (टी0डी0एस0) मद का प्रारम्भिक अवशेष रु 4901800 दर्शित था। आलोच्य वर्ष में इस मद में रु 98679.00 का आय तथा रु 37522.00 का व्यय की पुष्टि की गयी। दर्शाने के उपरान्त दिनांक 31.03.2019 को अवशेष रु 110175.00 दर्शित था। टी0डी0एस0 धनराशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास

अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 दिनांक 01.04.2018 को लेबर सेस मद का प्रारम्भिक अवशेष रू0 104059.00 दर्शित था। आलोच्य वर्ष में रूपया 50368.00 का आय तथा राजकीय कोष में जमा शून्य रहा। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 को अवशेष रूपया 154427.00 दर्शित था। इसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 दिनांक 01.04.2018 को आयकर मद का प्रारम्भिक अवशेष रू0 शून्य था। आलोच्य वर्ष में इस मद में आय रू0 3371.00 तथा राजकीय कोष में जमा शून्य दर्शाने के उपरान्त दिनांक 31.03.2019 को अनुदान रजिस्टर-3 में अवशेष रू0 3371.00 दर्शाया गया है। इसे नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 चेक संख्या-683986 दिनांक 19.06.2018 रू0 152044.00 अनम बिल्डिंग मैटरियल के बिल के अंतर्गत वैट की धनराशि रू0 5832.00 एवं चेक संख्या 683985 दिनांक 19.06.2018 रू0 11578.00 उत्कर्ष ईट उद्योग केद बिल के अंतर्गत वैट की धनराशि रू0 474.00 कुल वैट की धनराशि रू0 6306 का लेखा अभिलेखों में नहीं किया गया है और न ही राजकीय कोष में जमा करने की पूंटी में चालान उपलब्ध कराया गया है। स्पष्ट कि 6306.00 रूपया वैट की न तो वसूली की गई और न ही राजकीय कोषागार में जमा कराया गया। जिससे शासन को रूपया 6306.00 से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षति पहुंचायी गयी। अतः रू06306 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत चोलापुर द्वारा वर्ष 2018-19 आयकर की कटौती नहीं की गई है। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 सी के अनुसार ठेकेदारों/सप्लायरों के बिल से 2 प्रतिशत स्रोत पर आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा अनुसार आयकर का विवरण निम्नांकित है:-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	संख्या टीडीएस कटौती	लेखा परीक्षा अनुसार आयकर	अन्तर
1	ग्राम पंचायत पहाडपुर (दानगंज) में राजकीय कृषि गीज भण्डार मरम्मत कार्य	168683.00		3374.00	3374.00
2	ग्रा0पं0 जरियारी में पिचरोड से देवराई पिच रोड तक खडन्जा एवं मरम्मत कार्य	350058.00		7001.00	7001.00
3	ग्रा0पं0 बरथौली में ताडी पिचरोड से बरथौली सरहद तक खडन्जा कार्य	286621.00		5732.00	5732.00
4	ग्रा0पं0 गोला में शिवधार के पर से रामआधार यादव के घर खडन्जा कार्य	167625.00		3353.00	3353.00
5	ग्रा0पं0 मुनारी (मजीरी) में दूबे के पूराधर मन्नी के घर तक कडंजा कार्य।	227619.00		4552.00	4552.00
6	ग्रा0पं0 हड़ियाडीह में ग्रा0वि0 डगडगउआ से मिठाई यादव के झार खडंजा	178327.00		3567.00	3567.00
7	ग्रा0पं0 ताडी में राजकीय नलकूप से गडसरा सरहद तक ट्यूबवेल नाली मरम्मत	144930.00		2899.00	2899.00

	कार्य				
8	ग्रा0पं0 शहडीह (गोसाईपुर) पिचरोड से शर्मा बस्ती तक सड़क	169367.00		3387.00	3387.00
9	ग्रा0पं0 ढांका में चन्द्रावती धौरहरा से शमशेर वर्मा के घर से होते हुए विजयनरायन चौबे के घर तक खड़न्जा कार्य	274505.00		5490.00	5490.00
10	ग्रा0पं0 मवैया में दुर्गानगर पिच रोड से माँ दुर्गोश्वरी विद्यालय होते हुए मुस्लिम बसती तक खड़न्जा कार्य	123823.00		2476.00	2476.00
11	ग्रा0पं0 कपिल में हवलदार यादव के घर से गांधी आश्रम होते हुए नाला तक निर्माण	484888.00		9698.00	9698.00
12	ग्रा0पं0 खनुआन में पिचरोड से दशरथ पाल के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	337605.00		6752.00	6752.00
13	ग्रा0पं0 भन्दाहॉ कला में एनएच 29 में कैलाश के घर तक खड़न्जा कार्य	318871.00		6377.00	6377.00
14	ग्रा0पं0 जगदीशपुर में प्रा0पा0 से दक्षिण तरफ अनु0 जाति बस्ती तक खड़न्जा कार्य।	308935.00		6179.00	6179.00
15	ग्रा0पं0 पहाड़पुर आजमगढ़ मार्ग से श्याम सिंह के घर होते हुए कन्नौजिया बरूती तक खड़न्जा कार्य	79790.00		1596.00	1596.00
16	ग्रा0पं0 सुआरी में कन्नौजिया बस्ती से नन्दलाल कन्नौजिया के घर तक खड़न्जा कार्य	385454.00		7709.00	7709.00
17	ग्रा0पं0 भभियार में इंटरलाकिंग रोड से उमेश के घर होते हुए नहर तक इंटरलाकिंग कार्य	473551.00		9471.00	9471.00
18	ग्रा0पं0 मुरली में ललन यादव के घर से दुर्गा मंदिर होते हुए बुझारत के घर तक खड़न्जा कार्य	256930.00		5139.00	5139.00
19	ग्रा0पं0 कटरी (सिडुलिया) अजीत यादव के घर से खड़न्जा तक खड़न्जा कार्य	61091.00		1222.00	1222.00
20	ग्रा0पं0 महमूदपुर में लाल प्रजापति के घर से बुंध प्रकाश चौबे के माकान के पीछे कुआँ तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	190391.00		3808.00	3808.00
21	ग्रा0पं0 कपिस में शारदा यादव के घर से राजभर बस्ती तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	157246.00		3145.00	3145.00

योग-	5146330.00	102927.00	102927.00

इस प्रकार रूपया 102927.00 आयकर की कटौती नहीं करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है।

अतः उक्त धनराशि रूपया 102927.00 के अंतर्गत रूपया 64658.00 की ब्याज सहित वसूली श्री आशाराम वर्मा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री विनय कुमार मिश्रा (लेखाकार) से तथा रूपया 38269.00 श्री कौशल कुमार खंड विकास अधिकारी एवं विनय कुमार मिश्रा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

4. क्षेत्र पंचायत – चिरईगँव

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018-19

प्रस्तर – 17 आयकर कटौती— आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्ट्रोत्र पर आयकर की कटौती किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है, आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे एंसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गए आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% दर से सुनिश्चित की जानी है लेकिन आलोच्य वर्ष में सामग्री खरीद के अधोलिखित बिल से इसकी कटौती सुनिश्चित न कर अनियमितता की गयी है, इस धनराशि की वसूली संस्था के तात्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र सरोज और लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार पाण्डेय के द्वारा सुनिश्चित राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है.

क्र० सं०	चेक संख्या/दिनांक	भुगतान रु पये	मद	भुगतान फर्म	आयकर कटौती(2%)	उत्तरदायी व्यक्ति
1	2548 / 3.14.18	114585.00	राज्य वित्त	में दिनेश सिंह	2291.70	तत्कालीन लेखाकार और खंड विकास अधिकारी
2	2550 / 3.4.18	495285.00	राज्य वित्त	में दिनेश सिंह	9905.70	
3	2552 / 3.4.18	190338.00	राज्य वित्त	में दिनेश सिंह	3806.76	
4	2555 / 12.4.18	640607.00	राज्य वित्त	में दिनेश सिंह	12812.14	
योग		1440815.00			28816.30	

प्रस्तर –18 मस्टररोल पर तिथि अंकित नहीं—लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मजदूरी भुगतान के अधोलिखित मस्टररोल ऐसे हैं निनपर कोई दिनांक अंकित नहीं रहा है दिनांक के अभाव में इनकी वैधानिकता अपुष्ट है और इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वास्वविक को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो तथा कूट रचित हस्ताक्षर कर खंड विकास अधिकारी, लेखाकार और कार्य प्रभारी के द्वारा इस सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो. जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार अस्थाना और लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के द्वारा बराबर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है.

कार्य सं०	कार्य का नाम	म.रोल संख्या	म.संख्या/ मा.दि.	सू. धनराशि	चेक/ दिनांक	कार्यप्रभारी/ भुग.प्राप्तकर्ता	वसूली का प्रतिशत
16	बराई में पिच रोड से राजकुमार के घर से शिवकुमार बाबा के मठ तक खंडजा कार्य	23 24	24 / 164	33825.00	5113 25.2.19	राजेश कुमार वर्मा	खं.वि.अ.50% लेखाकार 50%
18	अईली सरेया नं० में पहाडिया लिंक मार्ग से छक्कन के घर तक खंडजा कार्य	26 27	15 / 93 6 / 36	27195.00	5108 18.2.19	शैलेन्द्र कु. सोनकर	“
21	लुटाकला शिवदशा में पिच	30 31	9 / 61 9 / 65	10675.00 14840.00	0498 6.3.19	शैलेन्द्र कु.	“

	रोड रामवतार पा. के मकान से बंशी यादव के मकान तक खडंजा कार्य	32	12 / 79	17290.00		सोनकर	
23	डुबकियों में मुन्ना यादव के मकान से अमर शहीद जलालुद्दीन के मकान तक ईट सोलिंग कार्य	35	10 / 199	39540.00	5113 25.2.19	राजेश कुमार वर्मा	“
24	कच्चा बाबा मंदिर पर पोखर से रोड तक जल निकासी कार्य	36 से 42 तक	25 / 136 (टोटल)	31760.00	5108 18.2.19	शैलेन्द्र कु. सोनकर	“
17	पतेरवा सुलतानपुर रोड से नंदलाल पाल के घर तक खडंजा कार्य	25	18 / 106	21850.00	5109 18.2.19	राजेश कुमार वर्मा	“
			योग	196975.00			

प्रस्तर-19

ब्याज की धनराशि- शा0सं0:ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार पुनः सचिव उ0प्रदेश शासन, वित्त लेखा अनुभाग 1 के दिनांक 29 मई 2015 के आदेश के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है. आगे पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या 2044(1)/33-3-2019-03आडिट/2019 दिनांक 06.09.2019 के बिन्दु 2 के उप बिन्दु 2 के अनुसार ब्याज से सम्बंधित धनराशि को सम्बंधित निधि में जमा रखते हुए कोषबही में ही अंकन के निर्देश दिए गए हैं.लेकिन वित्तीय मामलों में वित्त विभाग के आदेश को ही बरीयता दी जाती है. इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष में संस्था को ब्याज मद में कुल रुपये 262215.00 प्राप्त हुए हैं और पिछला अवशेष रुपये 633324.54 था कुल मिला कर रुपये 895539.54 वर्षांत अवशेष है जिसे जमा न कर अनियमितता की गयी है. इसके लिए तात्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। यथोचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

खाता संख्या	विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज (18-19)
यू0बी0आई0 लेधुपुर51242 (राज्य वित्त)	157096.00
यू0बी0आई0 लेधुपुर6956 (क्षेत्र निधि)	19073.00
यू0बी0आई0 लेधुपुर117535(मनरेगा)	5072.00
यू0बी0आई0 लेधुपुर1210 (इंदिरा अवास)	4222.00
यू0बी0आई0 लेधुपुर1314 (विधायक निधि)	2341.00
यू0बी0आई0 लेधुपुर12443 (समाज कल्याण)	68310.00
सी0बी0आई0 सारनाथ 67813 (पूर्वांचल निधि)	6101.00
योग	262215.00
ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार पिछला अवशेष (1.4.	633324.54 (घटाया 295.00 व्यय)

2018)	
महायोग	895244.54

प्रस्तर-20 राज्य वित्त के संगलन कार्य विवरण पत्र सूची के क्रम संख्या 12 पर अंकित कार्य के सम्बन्ध में सामग्री और मजदूरी पर व्यय किये गए हैं लेकिन संगत पत्रावली के जांच में यह पाया गया कि कराये जाने वाले **कार्यका इस्टीमेट** फाइल में संलग्न नहीं रहा इस्टीमेट के अभाव में सम्पूर्ण व्यय अनियमित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. फाइल में फोटो और कार्यपूर्ति भी संलग्न नहीं रहे इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया संगत कार्य के सम्बन्ध में सभी सक्षम अधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय तथा तकनीकी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है. तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री करुणाकर अदीप और लेखाकार श्री सुरेन्द्र पाण्डेय से ब्याज सहित वसूली किया अपेक्षित है.

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	समग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	योग
कोटवां में कोटवां नाला से गुड़ू मिश्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	अज्ञात	चेक-100496 रुपये-621653 फर्म-में दिनेश सिंह	चेक-3840 रुपये-88650.00 कार्य प्र.-राजेश कु. वर्मा	710303.00

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग मद से चेक संख्या 5107 दिनांक 17.2.19 से **रुपये 8000.00** बाबत वर्ष 16-17 एवं 17-18 की क्षेत्र पंचायत कार्यों की एम0आई0एस0 फीडिंग के नाम पर मेसर्स त्रिभुवन नारायण को भुगतान किया गया है. लेकिन लेखा परीक्षा में इस सम्बन्ध में फीडिंग के हेतु वार्षिक भुगतान किये जाने की गाइडलाइन प्रस्तुत नहीं की गयी. गाइडलाइन के अभाव में सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही. इस धनराशि के अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार अस्थाना और लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम सरायमोहना में बासुदेव बाबा का चबूतरा निर्माण कार्य कराया गया है. तात्कालिक समय में जीएसटी की व्यवस्था अपने पूर्णता में लागू न किये जाने के कारण पूर्व के एस्टीमेट जो कि 4% वैट जोड़ कर भुगतान किये जाने हेतु निर्माण किए गए थे उसमें से जीएसटी की प्रक्रिया में 4% वैट घटा कर 12% की दर से जीएसटी को एक मुश्त जोड़ का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया था. इस कार्य में इनवायस संख्या 7 में रुपये 85698.00 का 4%=3428.00 वैट काट कर 82270.00 का शुद्ध भुगतान किया गया है जब कि यह भुगतान 82270.00+12%(9872.00) जीएसटी जोड़ कर कुल 92142.00 किया जाना चाहिए था. आगे इसमें इनवायस संख्या 3 का शुद्ध भुगतान 495285.00 मिला कर (कुल बिल 384128.00 घटाया 4% वैट और +12% जी0एस0टी0) किया गया है इससे कुल वैट कटौती 18793.00 की गयी है इस प्रकार संस्था के अधिकारियों के द्वारा कुल 9872.00 जीएसटी का भुगतान फर्म को नहीं किया गया है. आगे यह भी कि जब 1.7.2017 से जीएसटी व्यवस्था जागू है तो भी आलोच्य वर्ष में इनवायस/वैट 4/7081.00, 5/4263.00, 3 & 7/18793.00, 8&9/23832.00.00 पर कुल मिला कर रुपये 53969.00 जीएसटी मद में कटौती अंकित करने के बजाय वैट मद में अंकित गंभीर अनियमितता की गयी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 मनरेगा (प्रशासनिक व्यय)—मनरेगा कंटीजेंसी मद में ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार दिनांक 1.4.2018 को प्रारम्भिक अवशेष रुपये 43944.00 रहा. वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान 426953.00(दिनांक/धनराशि 8.5.18/ 216000.00, 5.7.18/22400.00, 7.7.18/ 11200) रहा अगला अनुदान 25.11.19 को प्राप्त हुआ है. इस प्रकार कुल वर्ष में कुल उपलब्ध धन 470897.00 रहा. लेकिन ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वर्ष में कुल व्यय 595448.00 (ग्रांट रजिस्टर दो के अनुसार मुकेश कुमार कंप्यूटर आपरेटर मानदेय-134400.00.

पीओएल/डिजल-30161.00, टेलीफोन बिल-8487.00, रोजगार सेवक मानदेय-294000.00, कंप्यूटर मरम्मत-1200.00 डोंगल पेमेंट-6560.00, पंचायत उद्योग-68720.00 अक्षत कंप्यूटर-51920.00) रहा। स्पष्ट है कि रुपये 124551.00 दुसरे मद से व्यय किये जाने की संभावना है। क्यों कि ग्रांट रजिस्टर 3 में आलोच्य वर्ष में तीन महीने के आकड़े ही अंकित किये गए हैं ग्रांट दो में भी 30.01.19 के बाद कमिक जोड़ कर अंकित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है इस मद को ग्रांट रजिस्टर 3 में शामिल न कर अलग से पंजिका बना कर रखरखाव किया गया है। जब की नियमत: संस्था के द्वारा वर्ष में किये गए सभी मद के सम्पूर्ण आय-व्यय को ग्रांट रजिस्टर -3 में शामिल किया जाना चाहिए तभी संस्था के वास्तविक वित्तीय स्थिति का चित्रण किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा कांटेजेंसी के खाता यू0बी0आई0 117535 में ब्याज सहित कुल आय 755472.00 और कुल व्यय 542462.00 रहा इसमें अन्य मद की धनराशि प्राप्त की गयी है जब कि मदवार खाते रखे जाने चाहिए ताकि ग्रांट और खाते से स्पष्ट मिलान किया जा सके इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि दुसरे मद से धनराशि का उपभोग कर लिया गया हो। इस प्रकार रुपये 124551.00 दुसरे मद से व्यय कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तात्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार अस्थाना और लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष में 2018-19 में क्षेत्र पंचायत की बैठक 19.1.19 को आयोजित की गयी है। इस हेतु चतुर्थ राज्य वित्त मद से चेक संख्या 5102/17.1.19 से रुपये 150000.00 मानदेय और बैङ्क-व्यवस्था के नाम पर सेल्फ श्री रविंदर कुमार यादव कैशियर के द्वारा नकद आहरित किये गए हैं। इसमें यात्रा भत्ता के नाम पर 94500.00 और लंच टेंट के नाम पर 25000.00 रुपये मिला कर कुल रुपये 119500.00 व्यय किये गए और शेष 30500.00 वापस बैंक में जमा कर दिए। उल्लेखनीय है कि कुल 154 बी डी सी सदस्य और कुल 94 प्रधान मिला कर कुल 248 सदस्य की सहभागिता के क्रम में बैठक में सहयोगी 189 सदस्य नाम पर 500.00 रुपये प्रति सदस्य के दर से कुल 94500.00 व्यय किये गए हैं यह भुगतान 7 जनवरी 2014 के शासनादेश के अनुरूप है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह आपत्तिजनक रहा कि मांगोपरांत सदस्य और प्रधान की सूची और उनका हस्ताक्षर का नमूना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिस कारण कार्यवाही रजिस्टर में अंकित नाम और उसके समक्ष अंकित हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं की जा सकी। इन नामों और उसके समक्ष अंकित हस्ताक्षर के अभाव में रुपये 94500.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी वास्तविक रूप से भुगतान किया गया जो वास्तविक रूप से सूची में अंकित और चयनित है, चूँकि क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के ऊपर है इसलिए इसे आदर्श/माडल संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही लंच और टेंट के नाम रुपये 25000.00 व्यय किये गए हैं इस खर्च के सम्बन्ध में मांगोपरांत कोई गाइडलाइन उपलब्ध कराया नहीं जिसके आधार पर इस धनराशि का उपभोग किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त 94500.00 और 25000.00 की धनराशि अपुष्ट रही इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार अस्थाना और लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से बराबर बराबर से की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार 94500.00 की अनियमितता तथा 25000.00 का दुरुपयोग किया गया है।

5. क्षेत्र पंचायत – बड़ागांव

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018-19

प्रस्तर -25 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विरुद्ध है। पुनश्च पंचायतराज विभाग के अनुभाग 3 के आदेश संख्या 2044(1) 33-3-2019-03 आडिट/2019 दिनांक 06 सितम्बर 2019 के विन्दु 2 के उपविन्दु 2 के अनुसार ब्याज से सम्बंधित धनराशि को कोषबही में किया जायेगा।

आलोच्य वर्ष 2018-19 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार रू0 253752 ब्याज प्राप्त तथा रू0 50243.80 ब्याज व्यय किया गया है चूँकि वर्ष 2018-19 में शासनादेश ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक

21 मार्च 2012 प्रभावी था अतः ब्याज रु050243.80 का व्यय किया जाना गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध यथोचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से कर प्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 एक्ट लागू किया गया। इसी एक्ट की धारा 51 जो कि 01-10-2018 से प्रभावी है के अनुसार 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 तथा 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 स्रोत पर कटौती किया जाना अनिवार्य है जिसके लिये टैन/पैन आधारित जी0एस0टी0 नम्बर लेना आवश्यक है। आलोच्य वर्ष 2018-19 में संस्था द्वारा इस जी0एस0टी0 स्रोत पर कटौती के अंतर्गत कुल रु0 26333 की धनराशि की कटौती की गयी है। संस्था द्वारा कटौती की गयी है। संस्था द्वारा कटौती की गयी इस धनराशि को निर्धारित शीर्ष में आनलाईन राजकीय कोषागार में जमा न कर वर्ष पर्यंत (31 मार्च 2019 तक) संस्था में रोक रखा गया है जो कि अनियमित एवं शासनादेशों के विरुद्ध है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि कराये गये विभिन्न कार्यों पर श्रमांश/मजदूरी मद पर भुगतान किया गया है।

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम	पदनाम
1	राज्य वित्त योजनांतर्गत वि0ख0बडागाँव में कार्यलय मीटिंग हाल प्रमुख कक्ष खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य	175430	अश्वनी कुमार	कैशियर
2	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम फत्तेपुर में बाबतपुर कपसेठी मार्ग से ओमप्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	89720	विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0 (सह0)
3	राज्य वित्त योजनांतर्गत बडागाँव में कृषि गोदाम की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य	50320	महेन्द्र पटेन	ग्रा0 वि0 अधि0
4	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर सर्वीपुर पिच मार्ग से डी0एन0पी0के0 इण्टर कालेज भवानीपुर तक मिट्टी खड़ण्जा कार्य	24560	दिनेश प्रताप सिंह	ए0डी0ओ0(ए0जी0)
5	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम प्रचायत मकसूदनट्टी में भवानीपुर सर्वीपुर मार्ग से अनिल सिंह के तक इण्टर लाकिंग कार्य	76800	विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0 (सह0)
6	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत खरावन में साधोगंज विरौव मार्गसे छोटे पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	25520	दिनेश प्रताप सिंह	ए0डी0ओ0(ए0जी0)
7	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत बडागाँव में सफाती के मकान से रमेश के घर तक खड़जा मरम्मत व नाली निर्माण कार्य	33050	महेन्द्र पटेल	ग्रा0 वि0 अधि0
8	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत लखमीपुर दिनेश के बगल से लल्लन के घर मक खड़न्जा मरम्मत कार्य	55060	सुशील कुमार सिंह	ए0डी0ओ0(एस0टी0)
9	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत लखमीपुर में बेलवा लखमीपुर मार्ग से चौरामाता मंदिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	38740	सुशील कुमार सिंह	ए0डी0ओ0(एस0टी0)
10	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम बरहीकला में मौजा केशवपुर में दलित बस्ती में संतोष कुमार के घर से श्मशान घाट तक महुवरियाबारी तक खड़न्जा निर्माण	75620	विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0 (सह0)
11	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत हरिनाथपुर में पुनवासी के घर बगल से नन्दू के मशीन होकर हरिनाथ बार्डर तक खड़न्जा निर्माण व मरम्मत कार्य।	49765	महेन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0 वि0 अधि0
12	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत कुआर में	35520	सुशील कुमार	ए0डी0ओ0(ए0जी0)

	कल्लू के मशीन से अली राजा के चक तक खड़जा मरम्मत।		सिंह	
13	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा में मेन रोड से रतन किश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	19960	आनंद कुमार मिश्रा	ग्रा0 वि0 अधि0
14	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत महिमापुर में मेन सड़क से गोपाल मिश्रा के पुराने पेम्पिंग सेट तक खड़जा कार्य।	85240	बिरेन्द्र कुमार दूबे	ग्रा0 वि0 अधि0
15	विधायक निधि से ग्रा0पं0 विराव में परमेश्वरी माता मंदिर गेट से दक्षिण तरफ इण्टर लाकिंग कार्य	4160	सुशील कुमार सिंह	ग्रा0 वि0 अधि0
16	विधायक निधि से ग्राम पंचायत बड़ागाँव में थाना के सामने से कंजड़ बस्ती होते हुए मेन बाजार तक इण्टरलाकिंग कार्य	53540	विनोद कुमार यादव	ग्रा0 वि0 अधि0
17	विधायक निधि से ग्राम कठिरौव (फत्तेपुर) प्रा0 पा0 के बगल से राजभर बस्ती दिलीप के घर तक खड़जा कार्य	85240	सुशील कुमार सिंह विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0(एस0टी0) ए0डी0ओ0 (सह0)
18	विधायक निधि से ग्राम दल्लीपुर में राजेशपाल के घर सामने से चौरा माता मंदिर के पास तक खड़जा कार्य	57140	सुशील कुमार सिंह विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0(एस0टी0) ए0डी0ओ0 (सह0)
19	ग्राम बहुतरा में पवन कुमार यादव के दुकान से देवीशंकर मिश्रा के झार तक खड़जा कार्य	84880	सुशील कुमार सिंह विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0(एस0टी0) ए0डी0ओ0 (सह0)
20	सिसवों में अनेई से धौकलगंज मार्ग पर कहरान बस्ती से पूर्व धुसूदन के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	44214	विनोद कुमार यादव	ए0डी0ओ0 (सह0)
21	ग्राम पंचायत विरौव में परमेश्वरी माता मंदिर से बीरबल सिंह के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य	44100	महेन्द्र पटेल	ग्रा0 वि0 अधि0
	योग	1208579		

उक्त समस्त मजदूरी/श्रमांश रू0 1208579 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है जबकि पेमेण्ट एक्ट आफ वेजेज एक्ट(अमेडमेण्ट) 2017 के अनुसार समस्त श्रमांश/मजदूरी का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से लाभार्थी को किया जाना चाहिए।

अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यों में मजदूरी भुगतान में निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है जिसके लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी और लेखाकार श्री कैलाश कुमार उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध यथोचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा विधायक निधि से अनेई नथईपुर मार्ग ग्राम असवारी में राजेन्द्र राम के घर से गोपाल के मशीन तक खड़जा कार्य कराया गया है जिस पर रू0 403590 सामग्री तथा रू0133780 श्रमांश पर व्यय किया गया है। उक्त भुगतान में निम्नलिखित आपत्ति है।

(1) चेक संख्या 12023808 दिनांक 04.08.2018 से रू 61060 मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (ए0डी0ओ0)सहकारीता को किया गया है जबकि मस्टर रोल पर अंकित मजदूरी रू0 56060 है। उक्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। उक्त भुगमान में रू0 500 फोटोग्राफी तथा 4500 साईन बोर्ड का व्यय भी सम्मिलित है किन्तु उक्त दोनों व्यय (500+4500) का व्यय प्रमाणक पत्रावली में संगलन नहीं रहा।

(2) प्रयुक्त तीन मस्टर रोल जिन पर क्रमांक संख्या अंकित नहीं है तथा जिन पर रू0 56060 भुगतान किया गया है पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है। जिससे भुगतान की पुष्टि न किया जा सका।

(3) सभी कार्यों के मस्टर रोल पर निरीक्षण कर्ता अधिकारी, ग्राम प्रधान/बी0ड0सी0,निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर कूट रचित अभिलेखों द्वारा काल्पनिक भुगतान दर्शाया कुल 61010 अपहत कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खं0वि0अधि0,कार्य प्रभारी और लेखाकार श्री कैलाश कुमार से ब्याज सहित किया अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष 2018-19 विधायक निधि योजनांतर्गत ग्राम पंचायत दल्लीपुर में राजेश पाल के घर सामने से चौरा माता मंदिर के पास खड़न्जा कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री सुशील कुमार सिंह ए0डी0ओ0एस0टी0 व विनोद कुमार यादव सहा0वि0अधि0 सहकारिता है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार धनराशि का भुगतान किया गया है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धराशि		भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	12023792	26.04.2018	141500		ममता ईट उद्योग देवचंदपुर वाराणसी
2	10011890	18.04.2019	18492		ममता ईट उद्योग देवचंदपुर वाराणसी
3	12023783	26.04.2018		41940	सुशील कुमार सिंह ए0डी0ओ0एस0टी0(कार्यप्रभारी)
4	10011891	18.04.2019		15200	विनोद कुमार यादव सहा0वि0अधि0सह0(कार्यप्रभारी)
5	योग		159992	57140	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयी—

(1)—ममता ईट उद्योग देवचंदपुर वाराणसी के बिल संख्या 210 दिनांक 06.04.2018 पर 25000 ईट 5500/हजार की दर से कय किया गया है जिसकी मूल्य 137500/होता है जबकि भुगतान 141500/का किया गया है।

अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सामग्री कय सापेक्ष रु0 4000/ निर्धारित मूल्य से अधिक भुगतान कर अपहम कर लिया गया है जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी और लेखाकार श्री कैलाश कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष 2018-19 विधायक निधि योजनांतर्गत ग्राम पंचायत सिसवाँ में अनेई से धौकलगंज मार्ग पर कहरान बस्ती से पूर्व मधुसूदन के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद यादव सहा0वि0अधि0 सहकारिता है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार धनराशि का भुगतान किया गया है—

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धराशि		भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	12023786	26.04.2018	26922		ममता ईट उद्योग देवचंदपुर वाराणसी
2	120023785	26.04.2019	136008		मों वैणों कंस्टक्सन कं0 फत्तेपुर वारासी
3	12023819	16.10.2018	29805		ममता ईट उद्योग देवचंदपुर वाराणसी
4	12023820	16.10.2018	117051		मों वैणों कंस्टक्सन कं0 फत्तेपुर वारासी
5	12023787	26.04.2018		22140	श्री विनोद कुमार यादव सहा0वि0अधि0 सहकारिता
6	10011881	16.10.2018		18320+3754	श्री विनोद कुमार यादव सहा0वि0अधि0 सहकारिता
7	योग		309786	44214	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयी

1—कार्य प्रभारी के दिनांक 16.1.2018 के मांग पत्र पर मस्टर रोल के अनुसार श्रमांश शीर्ष में रु0 18320/—की माँग की गयी है जबकि चेक सं0 10011881 दिनांक 16.1.2018 से रु0 22074/— भुगतान किया गया है रु0 3754/— अधिक भुगतान किया गया है

अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में मस्टर रोल पर अंकित मजदूरी से रु0 3754/— अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खंवि0अधि0 कार्य प्रभारी, और लेखाकार श्री कैलाश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष 2018-19 संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि कय पर भुगतान किया गया है—

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री कय की धनराशि	कार्य आरम्भ तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि
1	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम फत्तेपुर में बाबतपु कपसेटी मार्ग से ओमप्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	772043	05.05.2018	14.06.2018

2	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत बड़ागाँव में सफाती के मकान के बगल से लल्लन के घर तक खड़जा मरम्मत व नाली निर्माण	79096	01.04.2018	14.06.2018
3	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत लखमीपुर दिनेश प्रधान की दुकान के बगल से लल्लन के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य	72501	24.04.2018	14.06.2018
4	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत लखमीपुर में बेलवा लखमीपुर मार्ग से चौरामाता मंदिर तक खड़जा मरम्मत कार्य।	50050	16.04.2018	14.06.2018
5	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम बरहीकला में मौजा केशवपुर में दलित बस्ती में संतोश कुमार के घर से श्मशान घाट तक महुवरियाबारी तक खड़जा निर्माण कार्य।	324187	01.04.2018	14.06.2018
6	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत हरिनाथपुर में पुनवासी के घर के बगल से नन्दू के मशीन हाकर हरिनाथपुर बार्डर तक खड़जा निर्माण व मरम्मत कार्य।	122687	01.04.2018	14.06.2018
7	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत कुआर में कल्लू के मशीन से अली राजा के चक तक खड़जा मरम्मत।	153478	02.04.2018	14.06.2018
8	राज्य वित्त योजनांतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा में मेन रोडसे रतन मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	163422	01.04.2018	14.06.2018
9	विधायक निधि से ग्राम कठिराँव (फत्तेपुर) प्रा0पा0 के बगल से राजभर बस्ती दिलीप के घर तक खड़जा कार्य।	273242	12.06.2018	14.06.2018
10	विधायक निधि से ग्राम दल्लीपुर में राजेशपाल के घर सामने से चौरा माता मंदिर के पास तक खड़जा कार्य	159992	02.02.2018	14.06.2018
11	ग्राम बहुतरा में पवन कुमार यादव के दुकान के सामने से देवीशंकर मिश्रा के घर तक खड़जा कार्य।	345202	01.04.2018	14.06.2018
12	सिसवाँ में अनेई से धौकलगंज मार्ग पर कहरना बस्ती से पूर्व मधुसूदन के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	309786	05.04.2018	14.06.2018
13	ग्राम पंचायत विरौव में परमेष्चरी माता मंदिर से बीरबल सिंह के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	313003	05.04.2018	14.06.2018
14	ग्राम पंचायत असवारी में राजेन्द्र राम के घर से गोपाल के मशीन तक खड़जा मरम्मत कार्य।	584450	01.04.2018	14.06.2018
15	भवानीपुर सर्वापुर पिच मार्ग से डी0ए0पी0 इण्टर कालेज से भवानीपुर तक मिट्टी खड़जा कार्य।	83681	12.01.2019	14.06.2018
16	ग्राम पंचायत खरावन में साधोगंज विरौव मार्ग से छोटेलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	52198	14.02.2018	14.06.2018
	योग	3859018		

1—उपर्युक्त सारणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि क्रम संख्या 1 से लेकर 14 तक कार्य निविदा खुलने की तिथि से पूर्व ही आरम्भ कर दिये गये हैं जो आपत्तिजनक है पुनश्च पत्रावली में केवल एक अखबार में निविदा विज्ञापन की कटिंग संग्रहीत रही।

2—पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि क्रमांक संख्या 14,15,16,2,3,8, तथा 13 के कार्यों पर ईट कय के सापेक्ष मै0 उद्योग देवचंदरपुर वाराणसी तथा बिल्डिंग मटेरियल कय के सापेक्ष मै0 माँ वैष्णों कं0 फत्तेपुर वाराणसी के भुगतान हेतु प्रस्तुत उक्त क्रमांक के बिलों पर किसी अधिकृत प्राधिकारी/प्रोपराईटर के हस्ताक्षर/अगुठा निशान अंकित नहीं है।

3—सामग्री कय के सापेक्ष आपूर्ति करने वाली फर्मों ने चालान निर्गत नहीं किया है।

अतः स्पष्ट है कि कार्य के दौरान सामग्री कय में अभिलेखों को अपूर्ण रखकर नियमों का अतिक्रमण कर भुगतान कर दिया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0 अधि0

कार्यप्रभारी, और लेखाकार श्री कैलाश कुमार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध यथोचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6. क्षेत्र पंचायत – सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष – 2018–19

प्रस्तर –32 दिनांक 01.04.2018 को राज्य वित्त मद का प्रारम्भिक शेष ग्रांट 2 अनुसार रू0 1946829.00 दर्शित है जबकि ग्रांट 3 अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रू0 1942875.00 दर्शित है, स्पष्ट है की प्रारम्भिक शेष में रू0 3954.00 का अंतर है, चुकी ग्रांट 3 रजिस्टर बैंक पासबुक व बैंक समाधान विवरण पत्र अनुसार टैलीड है अतः स्पष्ट है की ग्रांट 2 का प्रारम्भिक शेष रू0 3954.00 से अधिक दर्शित है। जो गंभीर अनियमितता का घटक है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–33 दिनांक 01.04.2018 को व्यय मद का प्रारम्भिक शेष ग्रांट 2 रजिस्टर अनुसार रू0 914248.00 दर्शित है, जबकि ग्रांट 3 अनुसार उक्त मद का प्रारम्भिक शेष रू0 804156.00 दर्शित है, स्पष्ट है की प्रारम्भिक शेष में रू0 110092.00 का अंतर है। चुकी ग्रांट 3 रजिस्टर बैंक पासबुक व बैंक समाधान विवरण पत्र अनुसार टैलीड है अतः स्पष्ट है कि ग्रांट 2 का प्रारम्भिक शेष रू0 110092.00 से अधिक दर्शित है जो गंभीर अनियमितता का घटक है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–34 दिनांक 01.04.2018 को प्रधान मंत्री आवास प्रशासनिक मद का प्रारम्भिक शेष ग्रांट 2 अनुसार रू0 256215.00 दर्शित है जबकि ग्रांट 3 अनुसार उक्त मद का प्रारम्भिक शेष रू0 256447.00 दर्शित है, स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शेष में रू0 232.00 का अंतर है। चुकी ग्रांट 3 रजिस्टर बैंक पासबुक व बैंक समाधान विवरण पत्र अनुसार टैलीड है अतः स्पष्ट है कि ग्रांट 2 का प्रारम्भिक शेष रू0 232.00 से कम दर्शित है जो गंभीर अनियमितता का घटक है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–35 वर्ष 18–19 में सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को निम्न विवरण अनुसार किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	इन्वाइस नं०	भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं०	दिनांक	फर्म का नाम
1	11.01.19	अंकित नहीं	466070.00	000004	5.03.19	स्वास्तिक एण्ड कंपनी हरिभानपुर कपसेठी
2	13.01.19	अंकित नहीं	265975.00	10015317	23.02.19	" "
3	13.01.19	अंकित नहीं	154884.00	10015319	23.02.19	" "
4	13.01.19	अंकित नहीं	205153.00	10015307	08.02.19	" "
5	25.01.19	अंकित नहीं	291977.00	10015345	06.03.19	" "
6	1.03.19	अंकित नहीं	90113.00	10015347	07.03.19	" "
7	5.03.19	अंकित नहीं	388640.00	10015351	14.03.19	" "
8	15.03.19	07	216777.00	10015353	14.03.19	" "
9	9.04.19	08	27273.00	10015323	20.05.19	" "
योग			2079589.00			

लेखा परीक्षा समय उक्त भुगतान प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गयी है।

- क्रमांक 1 पर अंकित भुगतान प्रमाणक वि०मं०क्षे०वि० निधि से व शेष क्रमांक 2 से 9 तक राज्य वित्त योजना संम्बधित है।
- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 7 तक अंकित वाउचर पर इन्वाइस नं० नहीं अंकित है।
- क्रम सं० 8 व 9 जिसकी इन्वाइस नं० 07 व 08 है (हाथ से अंकित है) जिसका दिनांक 05–03–19 व 09–04–19 है। अर्थात् लगभग 35 दिवसों के अन्दर केवल क्षेत्र पंचायत द्वारा ही मात्र दो बार उक्त संस्था से सामग्री क्रय किया गया है।
- क्रम सं० 9 पर अंकित वाउचर विवरण अगले वित्तीय वर्ष का है जिसकी धनराशि आपत्ति में सन्निहित नहीं है केवल उदाहरण के लिए अंकित किया गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त सामग्री क्रय का वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है।

5. उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बिल के साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्बन्धित सामग्री किस साधन से (किस नं० की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है, स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती है।

6. क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर एक ओर जहां सामग्री क्रय का वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा क्रय किए गए सामग्री की आमद भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त रु० 2079589.00 द्वारा सामग्री क्रय पर किये गए भुगतान अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री विहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड वि०अ० श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 वर्ष 18-19 में राज्य वित्त मद से सामग्री क्रय का भुगतान संस्था को निम्न विवरण अनुसार किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	इन्वाइस नं०	भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं०	दिनांक	फर्म का नाम
1	12.01.19	01	463421.00	015309	08.02.19	देव कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लाइअर सेवापुरी
2	12.01.19	02	380101.00	015312	08.02.19	" "
3	12.01.19	03	484828.00	08596	07.02.19	" "
4	02.01.19	04	603288.00	015343	02.03.19	" "
5	04.03.19	05	341417.00	015355	09.04.19	" "
योग			2273055.00			

उक्त भुगतान प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गयी है।

1. क्रम सं० 1,2,3,4 व 5 जिसका इन्वाइस नं० क्रमशः 01,02,03,04 व 05 है व दिनांक क्रमशः 12.01.19, 12.01.19, 12.01.19, 02.02.19 व 04.03.19 है। अर्थात् उक्त संस्था द्वारा 12.01.19 से 04.03.19 तक अर्थात् लगभग 60 दिवसों के अंदर केवल क्षेत्र पंचायत सेवापुरी द्वारा ही 5 बार सामग्री क्रय किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त सामग्री क्रय का वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है।

2. उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बिल के साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्बन्धित सामग्री किस साधन से (किस नं० की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है, स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती है। क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर एक ओर जहां सामग्री क्रय का वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा क्रय किए गए सामग्री की आमद भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त रु० 2273055.00 द्वारा सामग्री क्रय पर किये गए भुगतान का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि के अपहरण के लिए वर्तमान लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड वि०अ० श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 वर्ष 18-19 में सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को निम्न विवरण अनुसार किया गया है:-

क्रम सं०	दिनांक	इन्वाइस नं०	भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं०	दिनांक	फर्म का नाम
1	15.01.19	अंकित नहीं	534764.00	10015315	23.02.19	देव कन्स्ट्रक्शन हरिभानपुर कालिका वारा
2	15.01.19	अंकित नहीं	166022.00	10015310	08.02.19	" "
3	15.01.19	अंकित नहीं	113957.00	529113	06.02.19	" "
4	अंकित नहीं	अंकित नहीं	104990.00	000001	07.03.19	" "
5	अंकित नहीं	अंकित नहीं	154057.00	529115	06.02.19	" "
योग			1073790.00			

लेखा परीक्षा समय उक्त प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गयी-

क्रमांक 1 व 2 पर अंकित भुगतान प्रमाणक राज्य वित्त योजना से जबकि 3, 4 व 5 पर अंकित भुगतान प्रमाणक पूर्वांचल विकास निधि योजना से सम्बन्धित है।

1. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 1,2,3,4 व 5 पर अंकित प्रमाणक पर इन्वाइस नं० नहीं अंकित है। जबकि क्रमांक 4 व 5 पर अंकित भुगतान प्रमाणक पर दिनांक भी अंकित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त पांचों भुगतान प्रमाणक संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है।

2. उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा बिल के साथ चालान जारी नहीं किया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित सामग्री किस साधन से (किस नं० की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आदम की पुष्टि नहीं होती है।

3. कम सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर एक ओर जहां भुगतान प्रमाणक पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा कय किए गए सामग्री की आमद भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त रु० 1073790.00 द्वारा सामग्री कय पर किये गए भुगतान का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 वर्ष 18-19 में सामग्री कय का भुगतान फर्म संस्था को निम्न विवरण अनुसार किया गया है:-

क्रम सं०	दिनांक	इन्वाइस नं०	भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं०	दिनांक	फर्म का नाम	योजना का नाम
1	15.11.18	251	89667.00	01	15.12.18	श्री कृष्णा	वि.मं.क्षे.वि.नि.
2	12.02.19	252	112300.00	10015341	02.03.19	कन्स्ट्रक्शन एण्ड	राज्य वित्त
3	02.04.19	253	80966.00	10015321	20.05.19	सप्लायर्स राखी नवादा रैसीपुर	राज्य वित्त
	योग		201967.00				

लेखा परीक्षा समय उक्त वाउचरों (भुगतान प्रमाणक) की जांच में निम्न कमियां पाई गयी।

- क्रमांक 1,2 व 3 जिसकी इन्वाइस नं० क्रमशः 251, 252 व 253 है व दिनांक क्रमशः 15-11-18, 12-02-19 व 02-04-19 है। अर्थात् उक्त फर्म द्वारा दिनांक 15-11-18 से 02-04-19 तक लगभग 135 दिवसों के अंदर केवल क्षेत्र पंचायत सेवापुरी द्वारा मात्र तीन बार सामग्री कय की गयी है। उक्त तथ्य के आधार पर उक्त तीनों वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है।
- क्रमांक 3 पर अंकित वाउचर विवरण अगले वित्तीय वर्ष का है जिसकी धनराशि आपत्ति में सन्निहित नहीं है। केवल उदाहरण के लिए अंकित किया गया है।
- उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा बिल के साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्बन्धित सामग्री किस साधन से (किस नं० की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती है।
- कय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर व तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर एक ओर जहां भुगतान प्रमाणक पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा कय किए गए सामग्री की आमद भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त रु० 201967.00 द्वारा सामग्री कय किये गए भुगतान का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 राज्य वित्त मद से दिनांक 09-04-19 का चेक सं० 10015356 द्वारा रु० 58685.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री रमेश कुमार मिश्रा (भंडारा लिपिक) को किया गया है जो विकास खंड परिसर में इण्टरलॉकिंग कार्य की मजदूरी से सम्बन्धित है जबकि बैंक पासबुक अनुसार उक्त भुगतान श्री चंदन मौर्या का नाम दर्शित है। चंदन मौर्या कौन है? क्या है? अज्ञात रहा, उक्त स्थिति में उक्त भुगतान दुरुपयोगित

रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 राज्य वित्त मद से दिनांक 23-02-19 को चेक सं० 10015318 द्वारा रू० 27245.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह (ए.डी.ओ. सहकारिता) के नाम पत्रवाली में दर्शित है जो बरनी सत्तनपुर पुलिया से गोगवां पिच रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य की मजदूरी से सम्बन्ध है जबकी बैंक पासबुक अनुसार उक्त भुगतान को किया गया दर्शित है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान पूर्णतया दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 राज्य वित्त मद से दिनांक 23-02-19 को चेक सं० 10015320 द्वारा रू० 43505.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह (ए.डी.ओ. सहकारिता) के नाम पत्रवाली में दर्शित है। जो ग्राम मानियारीपुर में काशी इंडेन एजेंसी से जयशंकर पांडे के मकान तक खड़न्जा कार्य के मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित है। जबकि बैंक पासबुक पर उक्त भुगतान को किया गया दर्शित है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान पूर्णतया दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत वाराडीह में कालिका धाम वनौली सम्पर्क मार्ग से कल्लू सिंह के मकान तक खड़न्जा कार्य का मस्टरोल दिनांक 19-01-2019 से 25-01-2019

5X7X320+15X7X175..... 29575.00

दिनांक 28.01.2019 से 03.02.2019

2X7X320+1X4X320+5X7X175+2X5X175..... 13635.00

योग 43210.00

उक्त मस्टर रोल का भुगतान कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मौर्य (ग्रा०वि०अ०) को दिनांक 07-02-2019 को चेक सं० 10008600 द्वारा रू० 44490.00 किया गया है, अर्थात् रू० 1280.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 पू०वि०निधि० मद से गोरिया में खरपतू बिन्द के घर से बेदी यादव के घर तक खड़न्जा कार्य हेतु मस्टर रोल का विवरण निम्न अनुसार है।

दिनांक 02-02-2019 से 08-02-2019 तक

1X7X320+2X7X175+4X6X175..... 8890.00

उक्त मस्टर रोल का भुगतान दिनांक 08-02-2019 को चेक सं० 529118 द्वारा कार्य प्रभारी श्री मुकेश कुमार शर्मा(ग्रा०वि०अ०) को किया गया है, लेखा परीक्षा समय मस्टर रोल की जांच में पाया कि मस्टर रोल पर मजदूरों का निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है की रू० 8890.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 वर्ष 18-19 में क्षेत्र विकास निधि मद से सामग्री कय का भुगतान फर्म/संस्था को निम्न विवरण अनुसार किया गया है:-

क्रम सं०	दिनांक	इन्वाइस नं०	भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं०	दिनांक	फर्म का नाम
1	5.08.18	1 / 18	110206.00	111459	29.08.18	मेसर्स ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह गवर्नमेन्ट कान्स्ट्रैक्ट एण्ड ऑर्डर सप्लाइअर ज्ञानपुर गोपीगंज
2	5.08.18	1 / 20	17749.00	111459	29.08.18	
3	11.08.18	1 / 13	147019.00	111457	29.08.18	
4	11.08.18	1 / 14	127700.00	025781	29.08.18	
	योग		402674.00			

लेखा परीक्षा समय उक्त भुगतान प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गयी है -

1. क्रमांक 1 व 2 पर अंकित भुगतान प्रमाणक का दिनांक 05-08-2018 एवं इन्वाइस क्रं0 सं0 1/18 व 1/20 है जबकि क्रमांक 3 व 4 पर अंकित भुगतान प्रमाणक का दिनांक 11-08-2018 है एवं इन्वाइस क्रं0 सं0 1/13 व 1/14 है, अर्थात् जो इन्वाइस छह दिवस पश्चात कटा उसका क्रं0 सं0 पहले का है, उक्त स्थिति में चारों सामग्री क्रय का वाउचर पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है।
2. उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा बिल के साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्बन्धित सामग्री किस साधन से (किस नं0 की ट्रक व ट्रॉली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में आमद की पुष्टि नहीं होता है।
3. कम सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के अधार पर एक ओर जहां भुगतान प्रमाणक पूर्णतया संदिग्ध व काल्पनिक प्रतीत होता है वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा क्रय किए गए सामग्री की आमद भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त रू0 402674.00 द्वारा सामग्री क्रय पर किये गए भुगतान का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अनुसार ठेकेदारों के बिल से 2% आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी, आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पं0 में निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों द्वारा रू0 8927408.00 (राज्य वित्त रू0-5573337.00+ वि0मं0क्षे0वि0 निधि रू0 2748981.00+पू0वि0निधि0 रू0-605090.00) के निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गयी है, किन्तु सप्लाई की गयी सामग्री की कुल कीमत पर फर्मों के बिल से 2%आयकर की कटौती कर ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है बल्कि पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया है, अस्तु धनराशि रू0 8927408.00 पर 2% की दर से रू0 178548.00 आयकर की धनराशि की वसूली न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

भुगतान धन का योजनावार व फर्मवार विवरण निम्न अनुसार है:-

क्रम सं0	दिनांक/चेक सं0	भुगतान धन	नाम फर्म	आयकर 2%	नाम योजना
1	07-02-19/008596	484828.00	देव कन्स्ट्रक्शन	9697.00	राज्य वित्त
2	09-04-19/015355	341417.00	देव कन्स्ट्रक्शन	6828.00	राज्य वित्त
3	23-02-19/015317	265975.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	5320.00	राज्य वित्त
4	23-02-19/015319	154884.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	3098.00	राज्य वित्त
5	23-02-19/015315	534764.00	देव कन्स्ट्रक्शन	10695.00	राज्य वित्त
6	08-02-19/015311	180227.00	राजपूत ईट उद्योग	3605.00	राज्य वित्त
7	08-02-19/015310	166022.00	ईट कन्स्ट्रक्शन	3320.00	राज्य वित्त
8	07-03-19/015349	73505.00	राजपूत ईट उद्योग	1470.00	राज्य वित्त
9	08-02-19/015313	502303.00	राजपूत ईट उद्योग	10046.00	राज्य वित्त
10	02-03-19/015343	603288.00	देव कन्स्ट्रक्शन	12066.00	राज्य वित्त
11	06-03-19/015345	291977.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	5840.00	राज्य वित्त
12	14-03-19/015351	388640.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	7773.00	राज्य वित्त
13	08-02-19/015309	463421.00	देव कन्स्ट्रक्शन	9268.00	राज्य वित्त
14	20-05-19/015325	4742.00	देव कन्स्ट्रक्शन	95.00	राज्य वित्त
15	02-03-19/015341	112300.00	श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन	2246.00	राज्य वित्त
16	20-05-19/015321	80966.00	श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन	1619.00	राज्य वित्त
17	07-03-19/015347	90113.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	1802.00	राज्य वित्त
18	08-02-19/015307	205153.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	4103.00	राज्य वित्त
19	14-03-19/015353	216777.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	4335.00	राज्य वित्त
20	20-05-19/015323	27273.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	545.00	राज्य वित्त
21	08-02-19/015312	380101.00	देव कन्स्ट्रक्शन	7602.00	राज्य वित्त

22	20-05-19/015327	4661.00	देव कन्स्ट्रक्शन	93.00	राज्य वित्त
	योग-	5573337.00		111466.00	
1	15-12-18/000001	89667.00	कृष्णा एण्ड सप्लाइअर	1793.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
2	05-03-18/000004	466070.00	स्वस्तिक एण्ड कंपनी	9321.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
3	29-08-18/111459	127955.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2559.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
4	28-09-18/529083	235345.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	4707.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
5	07-03-19000019	122982.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2460.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
6	26-11-18/529085	100770.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2015.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
7	07-03-19/000017	61752.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1235.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
8	28-09-18/529081	104481.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2090.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
9	07-03-19-000023	56222.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1124.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
10	23-06-18/111450	85176.00	सी.पी. कन्स्ट्रक्शन	1704.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
11	07-3-19/000011	48252.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	965.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
12	29-08-18/111457	147019.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2940.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
13	07-03-19/000021	90727.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1815.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
14	23-06-18/111448	75348.00	सी.पी. कन्स्ट्रक्शन	1507.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
15	07-03-19/000013	42826.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	857.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
16	23-06-18/111446	144144.00	सी.पी. कन्स्ट्रक्शन	2883.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
17	07-03-19/000015	87218.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1744.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
18	29-08-18/025781	127700.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2554.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
19	07-03-19/00009	73513.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1470.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
20	26-11-18/529087	83827.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1677.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
21	07-03-19/00007	47807.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	956.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
22	19-12-18/00002	103506.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2070.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
23	23-04-18/111444	176904.00	सी.पी. कन्स्ट्रक्शन	3538.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
24	29-08-18/111455	49770.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	995.00	वि.मं.क्षे.वि. निधि
	योग-	2748981.00		54980.00	
1	26-11-18/529111	109349.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	2187.00	पू.वि.निधि.
2	08-02-19/529117	51930.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1039.00	पू.वि.निधि.
3	06-02-19/529113	113957.00	देव कन्स्ट्रक्शन	2279.00	पू.वि.निधि.
4	08-02-19/529119	70807.00	मे. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	1416.00	पू.वि.निधि.
5	07-03-19/000001	104990.00	देव कन्स्ट्रक्शन	2100.00	पू.वि.निधि.
6	06-02-19/529115	154057.00	देव कन्स्ट्रक्शन	3081.00	पू.वि.निधि.
	योग-	605090.00		12102.00	
	महायोग-	8927408.00		178548.00	

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-3

जनपद -भदोही

मण्डल का नाम विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

क्षेत्र पंचायत -सुरियावाँ

प्रस्तर 01-13वाँ वित्त आयोग के अर्न्तगत ग्राम पंचायत छतरपुर चकीया चौगुना रोड से उपेन्द्र के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी के रूप में सर्व प्रथम श्री इरफान उल्लाह अवर अभियन्ता को दिनांक

20.03.20218 को नियुक्त किया गया पुनः दिनांक 20.03.2018 को ही श्री इरफान उल्लाह का नाम निरस्त करते हुए उनके स्थान पर श्री सूर्य बक्स सिंह को कार्य प्रभारी बनाया गया । उक्त के सम्बन्ध में निम्न लिखित तथ्य प्रकाश में आये

क- कार्य प्रभारी श्री सूर्य बक्स सिंह द्वारा दो मस्टर रोल मजदूरी हेतु प्रस्तुत किया गया प्रथम दिनांक 25.03.2018 से 31.03.2018 तक रु0 21525.00 तथा द्वितीय दिनांक 01.04.2018 से 04.04.2018 तक रु0 3750.00 उक्त हेतु दिनांक 05.06.2018 को चेक संख्या 246 द्वारा 25275.00 का भुगतान श्री सूर्य बक्स सिंह कार्य प्रभारी को कराया गया ।

ख- तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती उषापाल द्वारा अवर अभियन्ता श्री इरफान उल्लाह को पत्रांक 349 दिनांक 06.06.2018 द्वारा रु0 11600.00 का गबन आरोप लगाते हुए धन वापस करने का निर्देश दिया गया । पत्र के प्रतिलिपि में श्री सूर्य बक्स सिंह को भी पैसा जमा करने का निर्देश दिया गया

ग-कार्य प्रभारी श्री सूर्य बक्स सिंह द्वारा दिनांक 12.06.2018 को बैंक आफ बडौदा के खाता संख्या 8945 में रु0 11600.00 जमा किया गया

घ- किन परिस्थितियों में श्री इरफान उल्लाह के स्थान पर श्री सूर्य बक्स सिंह द्वारा रु0 11600.00 वापस किया गया ।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं ।

1- कार्य प्रभारी श्री सूर्य बक्स द्वारा दो मस्टर रोल के आधार पर रु0 25275.00 का भुगतान कर के पुनः गबन का आरोप लगाने पर रु0 11600.00 वापस किया गया तथा पत्रावली में एक अतिरिक्त मस्टर रोल रु0 13525.00 का संलग्न पाया गया मस्टर रोल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। रु0 25275.00 का दो मस्टर रोल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा परित एवं स्वीकृत किया गया उक्त से स्पष्ट है कि सभी मस्टर रोल फर्जी है। कूट रचित तरीके से भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये थे जिसे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया जल्दबाजी में बाद में काल्पनिक मस्टर रोल रु0 13525.00 का संलग्न किया गया है।

2- सभी मस्टर रोल में अगूठे का निशान एक ही प्रकार का प्रतीत हो रहा है।

3- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

4- कार्य के आरम्भ ,मध्य एवं समाप्ति में सम्बन्धित मस्टर रोल फोटोग्राफी अप्राप्त है।

उक्त से स्पष्ट है कि रु0 25275.00 के काल्पनिक एवं फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया गया है। जिसमे रु0 11600.00 बाद में वापस कर लिया गया शेष धनराशि रु0 13675.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती उषा पाल एवं कार्य प्रभारी श्री सूर्य बक्स सिंह अवर अभियन्ता श्री इरफान उल्लाह से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-2)

क्षेत्र पंचायत ज्ञानपुर

प्रस्तर संख्या-2 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत चल अचल सम्पत्ति नियमावली 1965 नियम संख्या 3 (1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत मार्गों के साथ- साथ अन्य सृजित सम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखिकृत करने के लिए परिसम्पत्ति पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है।

उक्त नियमावली कि नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़को का विवरण अभिलेखिकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित नवनिर्मित कार्य का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका के अभाव में अंकन के सन्दर्भ में जानकारी न हो सकी और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनो पंजिका के अभाव में यह स्पष्ट न हो सका की क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत /नवनिर्माण एवं अन्य कार्य करवाना दर्शाया गया है वे पूर्व वर्षों में कब -कब मरम्मत करवाये गये थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था जो निर्माण कराये गये हैं। उनसे एक से अधिक ग्राम पंचायत लाभान्वित भी नहीं हुए हैं।

उदाहरणार्थ विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्य का विवरण	व्यय की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	चतुर्थ राज्य	पकरी खूँद में करिया के घर से	336482.00	तत्कालीन खण्ड विकास

	वित्त	बिन्द बस्ती होते हुए मदरसा तक खण्डजा मरम्मत एक ही ग्राम सभा तक सीमित है।		अधिकारी श्री आजम अली तत्कालीन लेखाकार श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे संयुक्त रूप से
2	चतुर्थ राज्य वित्त	पकरी खूँद में बुन्दिया मुसहर बस्ती से उमराव पाल के घर तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत एक ही ग्राम सभा तक सीमित है।	403780.00	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आजम अली तत्कालीन लेखाकार श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे संयुक्त रूप से
		योग	740262.00	

अतः उक्त धनराशि रू0 740262.00 से कराये गये कार्य वित्तीय अनियमितता के अर्न्तगत आते हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आजम अली तत्कालीन लेखाकार श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।
(सा0आ0सं0-2)

क्षेत्र पंचायत भदोही

प्रस्तर संख्या-3 लेखा परीक्षा में देखा गया की दिनांक 31.03.18 को आयकर मद में रू0 31106.00 अवशेष पूर्व वर्ष का था आलोच्य वर्ष में रू0 94352.00 आयकर मद में और प्राप्त हुआ इस प्रकार दिनांक 31.03.19 को आयकर मद में रू0 125458.00 अवशेष रहा आयकर अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 194(सी)के अनुसार आयकर कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 0021 के अर्न्तगत जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2017-18 में रू0 21106 वर्ष पर्यन्त अवशेष था जिस हेतु अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है। आलोच्य वर्ष में रू0 94352.00 आयकर प्राप्त हुआ जिसे पूर्ववर्ती वर्षों की भांति अनियमिता बरतते हुए सम्बन्धित मद में जमा न कर के संस्था में धनराशि को रोक कर रखा गया जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के विपरीत है।

इस प्रकार रू0 94352.00 की धनराशि संस्था में रोक कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह एवं लेखा कार श्री कपूर चन्द्र द्वारा वित्तीय अनियमिता की गयी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-2)

प्रारूप-3 क्षेत्र पंचायत

जनपद-मीरजापुर

मण्डल-विन्ध्याचलधाम

1. क्षेत्र पंचायत-राजगढ़

वर्ष-2017-18 व 2018-19

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-1. दिनांक 31.03.2018 को रू0 50938.00 का अवशेष आयकर शीर्ष में अनुदान पंजिका-।।। में दर्शाया गया है यह आयकर किन कारणों से जमा नहीं किया गया अवगत कराया जाना चाहिए यथेष्ट कारणभाव में उत्तरदायी खण्ड वि0 अधिकारी गण 1. श्री सुनील तिवारी 2. श्री राम चन्द्र यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-2. दिनांक 31.03.2018 को 13वां वित्त शीर्ष में रू 6959.00 तथा राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन शीर्ष में रू038132.00 इस प्रकार कुल रू0 145001.00 का शेष अनुदान पंजिका-।।। में दर्शित रहा आलोच्य वर्ष में इन शीर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया। किन कारणों से ये धनराशियां शेष रही अवगत कराया जाना चाहिए। यथेष्ट कारणभाव में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी गण 1. श्री सुनील तिवारी 2. श्री राम चन्द्र यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर-3. दिनांक 31.03.2019 को रू0 2870237.68 का शेष ब्याज शीर्ष में दर्शित रहा। जैसा कि अनुदान पंजिका-।।। विदित होता है। इस शीर्ष से कोई भी धनराशि न तो विकास कार्यों पर व्यय की गयी तथा न ही इसके उपयोग हेतु शासन से दिशा निर्देश मांगे गये। यह तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री

रामचन्द्र यादव की कार्य शिथिलता को दर्शाता है। अतः प्राथमिकता के आधार पर स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। यथेष्ट कारणाभाव में खण्ड वि० अधिकारी श्री राम चन्द्र यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर-4. दिनांक 31.03.2019 को आइ०ए०पी० योजना शीर्ष में रु० 391005.00 की धनराशि विविध प्राप्ति शीर्ष में 133230.00 की धनराशि अनुदान पंजिका-111 में दर्शित रही। इन योजनाओं के अनतर्गत आलोच्य वर्ष में कोई कार्य नहीं कराया गया। तथा आइ०ए०पी० योजना की धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस भी नहीं किया गया विविध प्राप्ति शीर्ष की धनराशि का विवरण भी अप्राप्त रहा। इस प्रकार कार्य में शिथिलता तथा अनियमितता की गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। यथेष्ट कारणाभाव में खण्ड वि० अधिकारी श्री रामचन्द्र यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-17)

2. क्षेत्र पंचायत-नारायणपुर

वर्ष-2017-18 व 2018-19 जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-5. दिनांक 01.04.2018 को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की धनराशि शीर्ष में रु० 6000.00 शेष दर्शित में जो दिनांक 31.03.2019 तक यथावत् रहे अर्थात् इन्हें वर्ष 2018-19 में निर्धारित कार्य में व्यय नहीं किया गया तथा वापस भी नहीं किया गया। स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराते हुए इस अनियमितता हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार राय, श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता तथा श्री दिनेश प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-6. वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 को 'तेरहवां वित्त आयोग' शीर्ष में रु० 66411.00 तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष में रु० 667733.00 दर्शित थे जो दिनांक 31.03.2018 तक यथावत् पड़े रहे जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। वर्ष 2017-18 में इन दोनों ही योजनाओं में कोई भी कार्य नहीं कराया गया। कार्य न कराया जाना गम्भीर अनियमितता के साथ-साथ विकास खण्ड स्तर पर कार्य शिथिलता भी दर्शाता है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों पर जाता है। अतः इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार राय के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-7. वर्ष 18-19 में 'सांसद क्षेत्र विकास निधि' में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशियां प्राप्त हुई-

(क) माह नवम्बर 2018	रु० 1038750.00
(ख) माह मार्च 2019	रु० 1288000.00
योग	रु० 2326750.00

उक्त धनराशि में रु० 1038750.00 की धनराशि जो माह नवम्बर 2018 में प्राप्त हुई, के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाने चाहिये थे, किन्तु कोई भी विकास कार्य वर्ष 2018-19 में नहीं कराया गया जो गम्भीर अनियमितता के साथ-साथ विकास खण्ड स्तर पर कार्य शिथिलता भी दर्शाता है जिसके कारण इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित विकास कार्य का लाभ क्षेत्र को वर्ष 2018-19 में प्राप्त नहीं हो सका। इस कार्य शिथिलता तथा अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-8. दिनांक 31.03.2019 को अनुदान पंजिका में अंकित बैंक समाशोधन विवरण में अनेक चेक जो 31.03.2019 से पर्याप्त समय पूर्व ही निर्गत कर दिये गये थे, भुगतान योग्य दिनांक 31.03.2019 को दर्शाये जा रहे हैं। विवरण इस प्रकार है-

1) चेक संख्या 00025	दिनांक 29.06.2018	रु० 10234.00
2) चेक संख्या 032781	दिनांक 29.06.2018	रु० 24827.00
3) चेक सं०- 000215	दिनांक 18.09.2018	रु० 5810.00
4) चेक सं०- 032789	दिनांक 18.09.2018	रु० 8955.00
5) चेक सं०- 007145	दिनांक 18.09.2018	रु० 6614.00
योग		रु० 56440.00

उक्त चेकों की कुल धनराशि, जो उक्त योग रु0 56440.00 है, अनुदान पंजिका में योजनावार तो भुगतान/व्यय दर्शित है, किन्तु सम्बंधित बैंक लेखों से भुगतान नहीं हुई है। यद्यपि उक्त चेक दिनांक 31.03.2019 से छः माह पूर्व या उसके पूर्व ही निर्गत कर दिये गये हैं। इस प्रकार छः माह से अधिक समय से शीर्षवार भुगतान (योजनावार) बैंक लेखों के भुगतान से रु0 56440.00 से अधिक दर्शाया जा रहा है, जो गम्भीर अनियमितता है। चेकों की वर्तमान स्थिति को भी सप्रमाण स्पष्ट नहीं किया गया। अतः प्राथमिकताधार पर यह स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिये तथा इस अनियमितता हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता तथा दिनेश प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-9. वर्ष 2017-18 की अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि वर्ष 2017-18 में 'ब्याज' शीर्ष में अधोलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

1	माह मई -2017	रु0 375.00
2	माह जून-2017	रु0 17.25
3	माह जुलाई-2017	रु0 102552.00
4	माह सितम्बर-2017	रु0 361.00
5	माह दिसम्बर-2017	रु0 643.00
6	माह जनवरी 2018	रु0 18.00
7	माह मार्च-2018	रु0 548.00
योग		रु0 104514.25

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु0 104514.25 का व्यय अनुदान पंजिका-3 में दर्शित रहा जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाण या पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई जिससे इस व्यय में गम्भीर अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है। अतः उक्त की पुष्टि तथा जांच कराया जाना चाहिये। यथेष्ट कारणाभाव तथा प्रमाणाभाव में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार राय उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर-10. वर्ष 2018-19 में अधोलिखित विवरणानुसार 'ब्याज' शीर्ष में व्यय अनुदान पंजिका-3 में दर्शित है-

1	अप्रैल -2018	रु0 236.00
2	मई-2018	रु0 319.00
3	जून-2018	रु0 354.00
4	जुलाई-2018	रु0 150747.00
5	अगस्त-2018	रु0 312.00
6	सितम्बर-2018	रु0 90165.00
7	जनवरी-2019	रु0 708.00
8	फरवरी-2019	रु0 220.00
9	मार्च-2019	रु0 118.00
योग		243179.00

इस प्रकार कुल रु0 243179.00 का व्यय इस शीर्ष में किया जाना वर्ष 2018-19 में, अनुदान पंजिका-3 से सिद्ध होता है जिसका विवरण, साक्ष्य तथा पत्रावली अनुपलब्ध रही जिससे इनके व्यय में गम्भीर अनियमितता की आशंका होती है। अतः उक्त की जांच तथा पुष्टि कराया जाना चाहिये। यथेष्ट कारणाभाव तथा प्रमाणाभाव में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी गण श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता तथा श्री दिनेश प्रताप सिंह उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

3. क्षेत्र पंचायत-पहाड़ी

वर्ष-2017-18 व 2018-19

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-11. अनुदान पंजिका-3 में 31.03.2018 को अन्तर का कारण में चेक का मिलान न होना रु0 474434.00 दर्शित है जिसका विवरण यथा शीर्ष चेक सं0 एवं दिनांक तथा चेक की अलग-अलग धनराशि अज्ञात रहा। अतः लेखाकार महोदय द्वारा इसका कोई विवरण उपलब्ध न करा पाना कार्य शिथिलता एवं गम्भीर

वित्तीय अनियमितता दर्शाता है जिसका दायित्व सुश्री भावना यादव (खण्ड विकास अधिकारी) तथा श्री चिन्तामणि (खण्ड विकास अधिकारी) का है जिनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए ।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-12. दिनांक 01.07.2015 को चेक सं0-6285 द्वारा रु0 123860.00 का पी0डब्लू0डी0 को दिया गया था किन्तु पी0डब्लू0डी0 द्वारा इस चेक को बैंक में नहीं लगाया गया, ऐसा क्षेत्र पंचायत के लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया । उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत के लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया । उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत पहाड़ी द्वारा दिनांक 26.02.2019 को चालान सं0-बी0आर0 6363 द्वारा राज्य सरकार को वापस किया गया । अतः इस विलम्ब का प्रमाण सहित कारण स्पष्ट किया जाये । यथेष्ट कारणाभाव में उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाये ।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

4. क्षेत्र पंचायत-पटेहरा कला वर्ष-2018-19 जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-13. क्षेत्र पंचायत पटेहराकला जिला मीरजापुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिन पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए । ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा रु0 52603.00 विभिन्न मदों से ब्याज प्राप्त किया है, इस प्रकार विगत वर्षों के अर्जित ब्याज रु0 820961.00 को जोड़ते हुए वर्षान्त में कुल रु0 1346564.00 ब्याज से आय हुई है । जिसे ग्रांट रजिस्टर- में दर्शित किया गया है । जिसका दायित्व सम्बन्धित ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार का है । अतः नियमानुसार समस्त ब्याज की धनराशि को शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

5. क्षेत्र पंचायत-सीखड़ वर्ष-2018-19 जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-14. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधायक निधि के द्वारा पिपरही मार्ग पक्की सड़क से छयाशंकर मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की परियोजना माप 120 मी0 लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 352671.60 व मजदूरी रु0 21057.30 कुल रु0 373728.90 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 45 दिनांक 24.04.18 से श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी (ठ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया । नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 24.04.18 को कोटेशन/टेण्डर खोलकर मे0 धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर को सप्लाई को अधिकृत/आदेश किया गया । आदेश के उपरान्त मे0 धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर द्वारा का अपने फर्म के कैशमेमो संख्या 7 दिनांक 15.05.18 के माध्यम से रु0 204702.37 कैशमीमो संख्या 31 दिनांक 13.11.18 दिनांक 07.12.18 से रु0 143955.00, का एवं जी0एस0टी0/वैट/ बिलों कटौती रु0 5382.00 की करने के उपरान्त कुल रु0 347818.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है । शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाने का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है ।
2. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24 (2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपर्युक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है । जो नियम के विपरीत है ।
3. शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियां जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये है जो उक्त नियम के विपरीत है ।

4. शासनादेश सं० 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/ दिसम्बर 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम०एम०-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।
5. मे० धर्मेजय सिंह का वाराणसी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग वाराणसी के कार्यालय पत्रांक 2590/का०क्षे०/90/ 2007/02.03.2016 के द्वारा ठेकेदारी का पंजीकरण दिनांक 30.06.2018 तक ही मान्य है जबकि समस्त कार्य दिनांक 30.06.2018 के बाद ही समाप्त हुआ है अर्थात् सामग्री आपूर्ति नियम के विरुद्ध किया गया है जो प्रथम दृष्टता वित्तीय अनियमितता रहा है।

शासनादेश संख्या 866 /33-2-14-93 जी/2004 टी०सी० पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जून 2014 के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये ऐसा न करके ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत कार्य कराया गया है जो पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु० 3.73 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु० 345951.00 उक्त निर्माण कार्य में व्यय कर दी गयी है जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टता ही अनियमितता रहा। अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु० 345951.00 पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद व श्री विजय नाथ द्विवेदी एवं सहायक लेखाकार श्री शिवानन्द दूबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर-15. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधायक निधि के द्वारा कठेरवाँ में ईश्वर व गंगा के पास पुलिया निर्माण कार्य की परियोजना माप दो पुलिया लागत (स्टीमेट) सामग्री रु० 184621.92 व मजदूरी रु० 26923.05 कुल रु० 211545.17 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 44 दिनांक 24.04.18 से श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी (ठ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 24.04.18 को कोटेशन/ टेण्डर खोलकर मे० धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर को सप्लाई को अधिकृत/आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे० धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर द्वारा का अपने फर्म के कैशमेमो संख्या 14 दिनांक 26.05.18 के माध्यम से रु० 107352.17 कैशमेमो संख्या 28 दिनांक 23.11.18 से रु० 14776821.98 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 2184 दिनांक 10.08.18 से रु० 203863.00, चेक संख्या 002194 दिनांक 20.12.18 से रु० 4953.00, का एवं जी०एस०टी०/वैट/बिलों कटौती रु० 2340.00 की करने के उपरान्त कुल रु० 181832.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री कय का भुगतान किया गया है जबकि-

1. उ०प्र० क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है। शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाने का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2. उ०प्र० क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपर्युक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपह्त कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

3. शासनादेश संख्या 4430/33-1-99ट्टएस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियाँ जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4. शासनादेश सं० 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर दि० 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित है अथवा

उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

5. मे0 धर्मजय सिंह कावाराणसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग वाराणसी के कार्यालय पत्रांक 2590/का0क्षे0/90/2007/02.03.2016 के द्वारा ठेकेदारी का पंजीकरण दिनांक 30.06.2018 तक ही मान्य है जबकि समस्त कार्य दिनांक 30.06.2018 के बाद ही समाप्त हुआ है अर्थात् सामग्री आपूर्ति नियम के विरुद्ध किया गया है जो प्रथम दृष्टता वित्तीय अनियमितता रहा है।

6. शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जून 2014 के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये ऐसा न करके ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत कार्य कराया गया है जो पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 2.11 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 210774.00 उक्त निर्माण कार्य में व्यय कर दी गयी है जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टता ही अनियमितता रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 210774.00 पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद, श्री विजय नाथ द्विवेदी एवं सहायक लेखाकार श्री शिवानन्द दूबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर-16. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधायक निधि के द्वारा कैलाश सिंह के घर से संतोषी मंदिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 323862.00 व मजदूरी रु0 19284.00 कुल रु0 34136.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक शून्य दिनांक 01.09.18 से श्री सुरेश कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (ठ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 24.04.2018 को कोटेशन / टेण्डर खोलकर मे0 धर्मजय सिंह चुनार मीरजापुर को सप्लाई को अधिकृत / आदेश किया गया है। आदेश के उपरान्त मे0 धर्मजय सिंह चुनार, मीरजापुर द्वारा का अपने फार्म के कैशमेमो संख्या 26 दिनांक 14.09.18 के माध्यम से रु0 190511.90 कैश मीमो संख्या-33 दिनांक 15-11-18 से रु0 133232.40 बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 2190 दिनांक 29.09.18 से रु0 189673.00, चेक संख्या 002197 दिनांक 07.12.18 से रु0 129993.00 का एवं जी0एस0टी0/ वैट/बिलों कटौती का रु0 3478.00 की करने के उपरान्त कुल रु0 319666.00। उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री कय का भुगतान किया गया है जबकि-

1. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है। शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाने का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24 (2) के अनुसार, टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपर्युक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

3. शासनादेश संख्या 4430 / 33-1-99 एस0पी0आर / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियां जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त नियम के विपरीत है।

4. शासनादेश सं0 6714/1775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर दि0 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारा/ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

5. मे0 धर्मजय सिंह का वाराणसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग वाराणसी के कार्यालय पत्रांक 2590/का0क्षे0/90/2007/02.03.2010 के द्वारा ठेकेदारी का पंजीकरण दिनांक 30.06.2018 तक ही मान्य

है जबकि समस्त कार्य दिनांक 30.06.2018 के बाद ही कार्य की समाप्त हुआ है अर्थात् सामग्री आपूर्ति नियम के विरुद्ध किया गया है जो प्रथम दृष्टता वित्तीय अनियमितता रहा है।

6. शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जून 2014 के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न पदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये ऐसा न करके ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत कार्य कराया गया है, जो पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.43 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 340194.00 उक्त निर्माण कार्य में व्यय कर दी गयी है, जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टता ही अनियमितता रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 340194.00 पूर्णतः गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय नाथ द्विवेदी एवं सहायक लेखाकार श्री शिवानन्द दुवे संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर-17. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधायक निधि के द्वारा विठ्ठलपुर में प्रेमशंकर के पाठक के घर के सामने से पाल बस्ती तक खडंजा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 201674.68 व मजदूरी रु0 44048.41 कुल रु0 245723.09 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 47 दिनांक 24.04.18 से श्री सुरेश कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (ठ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने की प्रक्रिया करने के उपरान्त दिनांक 24.04.18 को कोटेशन/ टेण्डर खोलकर मे0 धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर को सप्लाई को अधिकृत/ आदेश किया गया है। आदेश के उपरान्त मे0 धर्मेजय सिंह चुनार मीरजापुर द्वारा का अपने फर्म के कैशमेमो संख्या 03 दिनांक 03.05.18 के माध्यम से रु0 211440.10 कैशमेमो संख्या 35 दिनांक 28.11.18 से रु0 79944.00, बिल प्रस्तुत करके चेक संख्या 2190 दिनांक 29.09.18 से रु0 189673.00 चेक संख्या 002197 दिनांक 07.12.18 से रु0 129993.00 का एवं जी0एस0टी0/ वैट/ बिलों कटौती रु0 2531.00 की करने के उपरान्त कुल रु0 198651.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री कय का भुगतान किया गया है जबकि-

1. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है। शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाने का पालन नहीं किया गया है जो नियम के विपरीत है।

2. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24 (2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपर्युक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

3. शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितियां जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति/निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये है जो उक्त नियम के विपरीत है।

4. शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर दि0 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों / सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित है अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0 11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है का पालन नहीं किया गया है। जो नियम के विपरीत है।

5. मे0 धर्मेजय सिंह का वाराणसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग वाराणसी के कार्यालय पत्रांक 2590/का0क्षे0/90/2007/02.03.2016 के द्वारा ठेकेदारी का पंजीकरण दिनांक 30.06.2018 तक ही मान्य है जबकि समस्त कार्य दिनांक 30.06.2018 के बाद ही समाप्त हुआ है अर्थात् सामग्री आपूर्ति नियम के विरुद्ध किया गया है जो प्रथम दृष्टता वित्तीय अनियमितता रहा है।

6. शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जून 2014 के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे

दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये ऐसा न करके ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत कार्य कराया गया है जो पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.45 लाख के सापेक्ष व्यय मूल्य रु0 334784.00 उक्त निर्माण कार्य में व्यय कर दी गयी है जो कार्य की पूर्णतः प्रथम दृष्टता ही अनियमितता रहा।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 334784.00 पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय नाथ द्विवेदी एवं सहायक लेखाकार श्री शिवानन्द दूबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-18. आलोच्य वर्ष में ब्याज से प्राप्त आय रु0 99734.00 एवं गत वर्ष का शेष रु0 689323.00 में से रु0 632.00 बैंक चार्ज की कटौती को घटाकर शेष धनराशि रु0 788425.00 क्षेत्र पंचायत में अवशेष दर्शाया गया है जबकि सचिव वित्त उ0प्र0शासन के शासनादेश सख्या -10/2015/1-1-502/502/दस-2015-16,33/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याजअर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और ब्याज से अर्जित आय को राजकोष में जमा की जाये। क्षेत्र पंचायत सीखड द्वारा अवशेष अर्जित ब्याज रु0 788475.00 को राजकोष में न जमा करने पर उक्त धनराशि को गम्भीर अनियमितता किया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद एवं सहायक लेखाकार शिवानन्द दूबे उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 788475.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस करते हुए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

1. क्षेत्र पंचायत-मझवाँ वर्ष-2011-12 से 2013-14 जनपद-मीरजापुर

क्षेत्र पंचायत मझवाँ की वर्ष 2011-12 से 13-14 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है :-

प्रस्तर-19. वित्तीय वर्ष 2011-12 में पिछडा वर्ग अनुदान निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2011 को प्रारम्भिक अवशेष रु. 2614680.00. था और वर्ष दौरान रु. 00.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 264717.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय विवरण/कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजिका, एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियाँ (डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना,टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश व्यय प्रमाणक, , रायल्टी प्रपत्र आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न कराकर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री परमानन्द सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर-20. वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत बन्धवा में सतीश उपाध्याय के खेत में नाली निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु0 712944.90 व मजदूरी रु0 285452.00 कुल रु 998396.90 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक-मेमो दिनांक 30.10.2011 से श्री शेष नारायण सहायक विकास अधिकारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा वर्ष में मे0 प्रकाश इण्टरप्राईजेज द्वारा का अपने फर्म के कैशमेमो सख्या 260 दिनांक 14.10.2011 के माध्यम से रु0 119376.00 कैशमेमों सख्या 258 दिनांक 12.10.2011 से रु. 283582.00 व कैशमेमों सख्या 283 दिनांक शून्य से रु. 119085.00 कैशमेमों सख्या 127 दिनांक 15.09.2012 से रु. 16660.00 एवं कैशमेमों सख्या 128 दिनांक 15.09.2012 से रु. 16000.00 बिल प्रस्तुत करके चेक सख्या 00002518 दिनांक 24.10.2011 से रु 421164.00, चेक सख्या 00441 दिनांक 17.11.2011 से रु 115938.00, चेक सख्या 9218 दिनांक 25.09.12 से रु 15621.00 चेक सख्या 9219 दिनांक 25.09.2012 से रु 14701.00 का कुल रु. 567424.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री कय का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय पत्रावली में वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति संलग्न नहीं था। स्पष्ट है

कि बिना सक्षम स्तर से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ कर रु0 567424.00 का भुगतान किया गया है जो अनियमित है। उक्त हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री परमानन्द सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-21. वित्तीय वर्ष 2012-13 में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2012 को प्रारम्भिक अवशेष रु. 2349963.00. था और वर्ष दौरान रु. 00.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 781250.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय विवरण/कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजिका,, एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियों (डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना,टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश व्यय प्रमाणक, रायल्टी प्रपत्र आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न कराकर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्यामधर एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-22. वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक-01.04.2013 को प्रारम्भिक अवशेष रु.1568713.00 था और वर्ष दौरान रु. 2799922.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 4109825.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय विवरण/कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजिका, एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियों (डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना,टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश व्यय प्रमाणक, रायल्टी प्रपत्र आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न कराकर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री परमानन्द सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-23. दिनांक 31.3.14 को ग्राण्ट रजि0 3 के अनुसार शेष रु0 4139491.00 था जबकि बैंक पासबुकके अनुसार कुल अवशेष रु0 5838737.80 था। इस प्रकार अन्तर रु0 1699246.80 का रहा। अन्तर का कारण अभुक्त /अनाहरितचेक एवं अनट्रेस्ड धनराशि का होना है जिसका विवरण ग्राण्ट रजि0 3 में निम्नविवरणानुसार अंकित था :-

क्रम सं0	अभुक्त/अनाहरितचेक व अनट्रेस्ड धनराशि	धनराशि
1	0008	350490.00
2	0009	
3	00087	
4	00088	
5	00089	
6	00090	
7	अनट्रेस्ड धनराशि	1348756.80
	योग	1699246.80

इस प्रकार अनुदान रजिस्टर व बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित अवशेष में रु0 **1699246.80** का अन्तर का समाधान विवरण पत्र पंजी पर तैयार कर असमाधानित धनराशि के समाधान की तिथियों का उल्लेख करते हुए प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे असमाधानित धनराशियों के समाधान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनाहरितचेक का विवरण तिथि व धनराशि सहित अंकित नहीं किया गया है। इसके साथ ही अन्तर धनराशि में रु0 1348756.80 अनट्रेस्ड धनराशि सम्मिलित है। इस प्रकार बैंक समाधान विवरण तैयार कर विद्यमान अन्तर का समाधान नहीं कर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-6)

क्षेत्र पंचायत मझवां की वर्ष 2014-15 से 16-17 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है :-

प्रस्तर-24. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत दिवाय में अनु० बस्ती से साधू के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु० 1504472.00 व मजदूरी रु० 634827.00 कुल रु० **2139299.00** का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक-148 दिनांक 07.01.2015 से श्री अवधेश कुमार उपाध्याय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा वर्ष में भिन्न तिथियों में रु० 1401224.00 का भुगतान मे० विन्ध्याचल इण्टरप्राइजेज को सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं था। उल्लेखनीय है कि कार्य की लागत रु० 10.00 लाख से अधिक का था जिसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 16 के अनुसार शासन स्तर से प्राप्त किया जाना था। इस प्रकार बिना सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये किया गया व्यय रु० 1401224.00 अनियमित है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-2)

प्रस्तर-25. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत दिवाय में पटेल बस्ती के पिच रोड से अनु० बस्ती तक मिटटी व खरन्जा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री रु० 1275157.00 व मजदूरी रु० 398868.00 कुल रु० 1674025.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक-146 दिनांक 07.01.2015 से श्री अवधेश कुमार उपाध्याय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा वर्ष में मे० विन्ध्याचल इण्टरप्राइजेज कनक सराय को चेक सख्या 789390 दिनांक 09.02.2015 से रु० 421188.00, चेक सख्या 78391 दिनांक 09.02.2015 से रु० 288498.00 कुल रु० 709686.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्य की लागत रु० 10.00 लाख से अधिक का था जिसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 16 के अनुसार शासन स्तर से प्राप्त किया जाना था। इस प्रकार बिना सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये किया गया व्यय रु० 1401224.00 अनियमित है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-26. वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2015 को प्रारम्भिक अवशेष रु० 1540810.00 था और वर्ष दौरान रु० 784692.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु० 2268502.00 व्यय दार्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय विवरण/कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजिका, एम०बी० बुक, निर्माण पत्रावलियों (डी०पी०आर०ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना, टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश व्यय प्रमाणक, रायल्टी प्रपत्र आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न कराकर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस० एन० सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-4)

प्रस्तर-27. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत निगतपुर में भूरी सोनकर के ट्यूबेल से जमुआ के घर तक नाली निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) सामग्री 958774.00 और मजदूरी रु० 415645.00 कुल रु० 1374419.00 का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक-शून्य दिनांक 04.08.2016 से श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 08.09.2016 को चेक सं० 0793634 से रु०

323232.00 का भुगतान में विन्ध्याचल इण्टरप्राइजेज को सामग्री क्रय के सापेक्ष किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं था। उल्लेखनीय है कि कार्य की लागत रु0 10.00 लाख से अधिक का था जिसकी तकनीकी स्वीकृति उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0 16 के अनुसार शासन स्तर से प्राप्त किया जाना था। इस प्रकार विना सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये किया गया व्यय रु0 323232.00 अनियमित है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार राम एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-28. दिनांक 31.3.17 को ग्राण्ट रजि0 3 के अनुसार शेष रु0 5802792.00 था जबकि बैंक पासबुकके अनुसार कुल अवशेष रु0 5887892.00 था। इस प्रकार अन्तर रु0 85100.00 का रहा। अन्तर का कारण अभुक्त /अनाहरितचेक एवं अनट्रेस्ड धनराशि का होना है जिसका विवरण ग्राण्ट रजि0 3 में निम्न विवरणानुसार अंकित था :-

क्रम सं0	अभुक्त/अनाहरितचेक व अनट्रेस्ड धनराशि	धनराशि
1	001776	6809.00
2	000266	5230.00
3	0071	3880.00
4	001788	13459.00
5	001789	3426.00
6	00470	29643.00
7	अनट्रेस्ड धनराशि	22653.00
	योग	85100.00

इस प्रकार अनुदान रजिस्टर व बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित अवशेष में रु0 85100.00 का अन्तर का समाधान विवरण पत्र पंजी पर तैयार कर असमाधानित धनराशि के समाधान की तिथियों का उल्लेख करते हुए प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे असमाधानित धनराशियों के समाधान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनाहरितचेक का विवरण तिथि सहित अंकित नहीं किया गया है। इसके साथ ही अन्तर धनराशि में रु0 22653.00 अनट्रेस्ड धनराशि सम्मिलित है। इस प्रकार बैंक समाधान विवरण तैयार कर विद्यमान अन्तर का समाधान नहीं कर अनियमितता बरती गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं0-06)

8- क्षेत्र पंचायत-जमालपुर

वर्ष-2018-19

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-29. वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट-III रजिस्टर अनुसार विविध खाता मद से रु0 128294.15 व्यय दर्शित है। विविध खाता मद क्या है इस मद में धनराशि कहाँ से प्राप्त हुई है का विवरण सुलभ नहीं कराया गया। उक्त व्यय रु0 128294.15 से सम्बन्धित वाउचर/ पुष्टीकारक प्रमाण पत्र/ पत्रावली बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व ख0वि0अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-30. वर्ष 2018-19 में प्र0मं0 आवास योजना (ग्रा0) मद से कुल रु0 1042187.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय ग्राण्ट रजिस्टर अनुसार विविध मदों (जैसे - वाहन किराया, इन्वर्टर की बैटरी, स्टेशनरी एवं फोटोस्टेट, वाहन/जनरेटर डीजल, कंप्यूटर मरम्मत व असेसरीज़, दीवाल लेखन, जनरेटर मरम्मत व अन्य विविध मद) पर व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा समय उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित वाउचर/भुगतान प्रमाण पत्र/पत्रावली / अन्य पुष्टीकारक प्रमाण पत्र बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जो

गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व सं0वि0 अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -4)

प्रस्तर-31. वर्ष 2018-19 में ग्रांट-।।। रजिस्टर अनुसार व्याज मद से कुल रु0 187860.00 व्यय दर्शित है। उक्त मद से सम्बन्धित ग्रांट-।। रजिस्टर की जांच में पाया गया की उक्त व्यय धनराशि वर्ष 2018-19 की विभिन्न तिथियों में शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक जमालपुर व शाखा प्रबंधक बीओबी जमालपुर के नाम चेक निर्गत है। निर्गत चेक द्वारा उक्त धनराशि कहाँ गयी/ किस मद पर व्यय हुआ विवरण सुलभ नहीं रहा। जबकि नियमानुसार ब्याज को राजकीय कोषागार के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित था। ऐसा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खं0वि0 अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -5)

प्रस्तर-32. दिनांक 31-03-2019 को बैंक स्टेटमेंट अनुसार अवशेष धनराशि रु0 19559771.85 दर्शित है जबकि ग्रांट-।।। रजिस्टर अनुसार अवशेष धनराशि रु0 19280193.85 दर्शित है। इस प्रकार बैंक पासबुक एवं ग्रांट-।।। रजिस्टर के मध्य 279578.00 का अंतर रहा। समाधान विवरण पत्र में रु0 234915.00 का विवरण पिछला अंतर दर्शित किया गया है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -9(i))

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

जनपद-सोनभद्र। मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत- (राबर्ट्सगंज)

प्रस्तर संख्या-1 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रु0 14896544.00 एवं रु0 37172292.00 व्यय किया गया है। परन्तु आलोच्य वर्षों में किए गए आंशिक व्ययों (2017-18 में रु0 1781442.00 एवं 2018-19 में रु0 8680794.00) की ही पुष्टि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। ये पत्रावलियां मुख्यतः राज्य वित्त/14वां वित्त योजना के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित हैं। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं, इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में शेष रु0 13105602.00 एवं 2018-19 में शेष रु0 28500998.00 (कुल रु0 41606600.00) किए गए व्यय पत्रावली या अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। रु0 41606600.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में	वर्ष 2018-19 में
1.	राज्य वित्त आयोग	6585406.00	7770692.00
2.	पूर्वांचल विकास निधि	1916364.00	1218946.00
3.	मुख्यमंत्री सा0 विवाह योजना	385000.00	3090849.00
4.	विधायक निधि	1920643.00	4959709.00
5.	सांसद निधि	---	8492728.00
6.	प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक	537263.00	1314251.00
7.	मनरेगा प्रशासनिक	1657529.00	1545821.00
8.	राज्य वित्त प्रशासनिक	74197.00	108002.00
9.	इंदिरा आवास प्रशासनिक	22000.00	---

10.	सोशल ऑडिट मानदेय	7000.00	—
	कुल योग—	13105602.00	28500998.00

सामान्य आपत्ति सं० (2)

प्रस्तर संख्या—2 उ०प्र० वैट अधिनियम की धारा-3(7) के अन्तर्गत शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों का भुगतान करते समय निर्धारित दर (दिनांक-04.03.2008 से 4 प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर (वैट) की कटौती की जानी होती है। शासनादेश संख्या-ए-1-351/दस-2011 दिनांक-30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से यह कटौती सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होती है, तथा उक्त कटौती को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। अन्यथा की स्थिति में हुई राजकीय क्षति की जिम्मेदारी संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी की होती है।

वर्ष 2017-18 व 2018-19 की प्राप्ति पत्रावलियों के अनुसार दिनांक- 01.07.2017 (जीएसटी लागू तिथि) के पूर्व सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु० 1083714.00 रहा इस पर जीएसटी नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से रु० 43349.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा नियम का उल्लंघन कर मनमाने तरीके कतिपय बिलों पर कुल रु० 38547.00 वैट की कटौती की गयी है। शेष कटौती रु० 4802.00 नहीं करके राजकीय क्षति की गयी है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं० (3)

प्रस्तर संख्या—3 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की प्राप्ति पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु० 7855804.00 रहा इस पर नियमानुसार रु० 175969.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से कतिपय बिलों पर कुल रु० 13550.00 की कटौती की गई है। शेष कटौती रु० 162419.00 आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं० (4)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

क्षेत्र पंचायत—(म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या—4 वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कुल व्यय रु० 8720520.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रु० 6823249.00 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2017-18 में कुल रु० 1897271.00 का व्यय अनियमित पाया गया। रु० 1897271.00 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के

प्रतिकूल पाया गया। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या-5 वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से कुल व्यय रु0 3943217.50 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रु0 1497445.00 का व्यय ही पुष्टित रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2017-18 में कुल रु0 2485772.50 का अपुष्ट व्यय अनियमित पाया गया। रु0 2485772.50 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम-174 के प्रतिकूल पाया गया। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-6 वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिकाओं के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग की मद से कुल व्यय रु0 254498.00 रहा, जिसमें सोलर लाइट आपूर्ति का भुगतान रु0 237500.00 चेक संख्या-007760 दिनांक-15.07.2017 द्वारा मेसर्स एफ0ए0 इंटरप्राइजेज, महुली, सोनभद्र को किया गया, वैट कटौती रु0 12500.00, अमर उजाला को विज्ञप्ति के लिए भुगतान रु0 4488.00 चेक संख्या-007762 दिनांक-26.07.2017 द्वारा किया गया, सम्मिलित है। परन्तु इसकी पुष्टि हेतु सम्पूर्ण पत्रावली, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। इस प्रकार यह व्यय एवं भुगतान अपुष्टित रहा। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियमों के अधीन यह भुगतान अनियमित रहा। उल्लेखनीय कि अनुदान पंजिका के अनुसार, पुनः इस मद से कोई व्यय नहीं किया गया है तथा अवशेष रु0 581107.00, 31.03.2019 तक इस मद में यथावत दर्शित है। इस अवशेष पर न ही कोई ब्याज दर्शित है और न ही कोई बैंक चार्ज। बैंक खाते से मिलान कर अवशेष की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-7 वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार अन्य निम्न 05 मदों में कुल रु0 9336556.59 व्यय दर्शित रहा, परन्तु आवश्यक अभिलेखों यथा, पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंकपास बुक, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची, प्राप्ति रसीद आदि के अभाव में इनकी पुष्टि न की जा सकी। इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	मद का नाम	धनराशि रु0 में
1.	प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना प्रशा0 मद	319533.00
2.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	1976417.00
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	1375230.00
4.	मनरेगा प्रशासनिक मद	3393286.59
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2272090.00
	कुल योग-	9336556.59

(सामान्य आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-8 वित्तीय वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत औड़ी में चन्द्रशेखर के घर से संजय सोनी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य के लिए मस्टर रोल 3221 के सापेक्ष रु0 8862.00 का भुगतान चेक संख्या-039691 दिनांक-12.02.2018 द्वारा किया गया है। जबकि मस्टर रोल की कुल धनराशि रु0 8795.00 है। इस प्रकार कुल रु0 67.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। खंड विकास अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार रु0 67.00 क्षेत्र निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाना था, परन्तु इसके जमा किए जाने का कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। नियमावली के अधीन यह भुगतान अनियमित पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या-9 वित्तीय वर्ष 2017-18 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराये गए कार्य, ग्राम पंचायत खैराही में सत्तार के घर से आर0ओ0 प्लांट तक सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान के लिए प्रस्तुत मस्टर रोल सं0-3551, 3552, 3553 तथा 3554 पर न तो मजदूरों के हस्ताक्षर हैं और न ही अंगूठा निशान जब कि इन मस्टर रोलों में निहित कुल धनराशि रू0 90650.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक संख्या-636979 दिनांक-27.01.2018 द्वारा किया गया है। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के भुगतान नियमों के अधीन यह भुगतान अनियमित पाया गया। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-10 वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण के अनुसार फोटोग्राफी के लिए विभिन्न कार्य प्रभारियों को मजदूरी भुगतान के चेक के साथ अतिरिक्त भुगतान किए गए। जो नियमानुकूल नहीं पाये गए। यह भुगतान सीधे फोटोग्राफर को किया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और न ही कार्य प्रभारी द्वारा फोटोग्राफर से नकद प्राप्ति की रसीद ही ली गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का भुगतान कतिपय निर्माण कार्यों पर ही किया गया है, न की समस्त कार्यों पर। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के भुगतान नियम 66 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण भुगतान को अनियमित मानते हुये आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम/स्थान/मद	फोटोग्राफर/ बिल सं0/ दिनांक	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	कार्यप्रभारी
1.	काशी पाल के घर से राजपति यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण /ग्राम पंचायत बीजपुर/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी म्योरपुर/157/ 11. 08.2017	007781/ 12. 09.2017	400.00	श्री समर बहादुर सिंह (ग्रा0वि0अधि0)
2.	खंड विकास अधिकारी आवास के सामने इंटेर्लानिंग एवं सुन्दीकरण हेतु प्रोटेक्शन वाल का निर्माण/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी म्योरपुर/103/ 08. 09.2017	036225/ 09. 10.2017	500.00	श्री खुर्शीद आलम (उर्दू अनुवादक)
3.	ग्राम पंचायत चेरी में पक्की सड़क परमसुख के घर से घटनूराम के घर तक खंडजा निर्माण इंटर लाकिंग। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी म्योरपुर/164/ 09. 10.2017	38843/ 10.11. 2017	1000.00	श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी
4.	ग्राम पंचायत कुंडाडीह में सोमारू के घर से तारा के घर तक इंटरलाकिंग। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी म्योरपुर/161/ 04. 09.2017	07784/ 15.09. 2017	1000.00	श्रीमती सुषमा तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी
5.	ग्राम पंचायत पिंडारी में बैजनाथ जासवाल के घर से बजरंगी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी म्योरपुर/162/ 06.09. 2017	36230/ 13.10. 2017	1000.00	श्री समर बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
6.	ग्राम पंचायत परनी में रामधनी गोंड के घर से	डाली स्टूडियो एच0डी0 वीडियोग्राफी	671051/ 19. 09.2017	1000.00	श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी

	उदय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि।	म्योरपुर/160/ 07. 09.2017			
	योग—			4900.00	

(सामान्य आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर संख्या-11 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कुल व्यय रू0 10614123.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रू0 9226305.00 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1387818.00 का व्यय अनियमित पाया गया। रू0 1387818.00 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। अपुष्टि धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या-12 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से कुल व्यय रू0 6937920.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रू0 5740480.95 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2018-19 में कुल रू0 1197439.05 का व्यय अनियमित पाया गया। रू0 1197439.05 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। अपुष्टि धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या-13 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, अन्य निम्न 05 मदों में कुल रू0 18903290.42 व्यय दर्शित रहा, परन्तु आवश्यक अभिलेखों यथा पत्रावलियों, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची, प्राप्ति रसीद, आदि के अभाव में इनकी पुष्टि न की जा सकी। इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि रू0 में
1.	प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना प्रशानिक मद	685998.00
2.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	4421955.00
3.	सोसल आडिटर्स का मानदेय	149000.00
4.	मनरेगा प्रशासनिक मद	5517691.42
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	8128646.00
	कुल योग—	18903290.42

(सामान्य आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर संख्या-14 वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कराये गए कार्यों के सापेक्ष अनियमित मस्टर रोल पर किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार रहा, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के अनुरूप नहीं पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	धनराशि	अनियमितता	भुगतान का चेक नं0/ दिनांक
1.	ग्राम पंचायत कुलडोमरी में वार्ड संख्या 6 में रोड से राजकमार के घर तक	3377	6250.00	मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं पाये गये	39738 / 28.09.2018
2.	ग्राम पंचायत लिलासी कलां में मां शारदा स्कूल से पंचायत भवन	3571	5965.00	कार्य प्रभारी के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं पायी	39750 / 03.11.2018

3.	ग्राम पंचायत काचन में ग्रामीण रोड से मोतीराम वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड	3504 3505 3506	7525.00 22050.00 24150.00	कार्यावधि अंकित नहीं पायी गयी।	39754 / 04.01.2019
4.	ग्राम पंचायत म्योरपुर में खेल के मैदान में रंगाई पोताई।	3457	5600.00	मजदूरों के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान अप्राप्त। खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त	041238 / 06.06.2018
5.	ग्राम पंचायत कुलडोमरी में मदरहट मेन रोड से ललई वियार से चित्रकूट के घर तक खड़ंजा इंटरलाकिंग।	3361 3362 3363	9200.00 4755.00 15030.00	मजदूरों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं पाए गए।	39743 / 06.10.2018
6.	ग्राम पंचायत कूदरी में रामलखन के घर से राम औतार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	3531 3534 3535	22500.00 11550.00 19860.00	मजदूरों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं पाये गए।	39732 / 28.09.2018
7.	ग्राम पंचायत अनपरा लाल टावर अब्बास खान के घर से विनोद गुप्ता के घर तक इंटरलाकिंग एवं जल निकासी नाली निर्माण।	अप्राप्त	20995.00	मस्टर रोल दिनांक 26. 07.2019 तक तैयार नहीं रहा।	039783 / 08.03.2019
8.	ग्राम पंचायत शिश्वा (झापर) में हीरा लाल के घर से राजमति के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	3661 3662 3663 3664 3665 3666	9975.00 13870.00 21505.00 25240.00 21000.00 8925.00	भुगतान का विवरण तथा खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अप्राप्त रहे। श्रमिकों के अंगूठे अप्रमाणित रहे।	39766 / 20.02.2019
9.	पक्की सड़क से राम बुझवान के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	3617 3618	2900.00 13650.00	मजदूरों के नाम मस्टर रोल पर नहीं लिखे गए हैं, जबकि अंगूठा लगा कर प्रमाणित किया गया है। भुगतान का विवरण एवं खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।	039762 / 04.01.2019
	योग—		318995.00		

(सामान्य आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या-15 वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से वार्ड संख्या 4 खजुरा में कच्ची सड़क से लल्लू राम प्रजापति के घर से इंटरलाकिंग सोलिंग का कार्य कराया गया है। जिसके लिए माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर बिल सं0-64 दिनांक-04.09.2018 द्वारा रू0 207083.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी है, तथा इसका भुगतान चेक संख्या-39740 दिनांक-29.09.2018 द्वारा किया गया है। कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार आखिरी मस्टर रोल (क्रमांक-3373) दिनांक-06.08.2018 से दिनांक-11.08.

2018 तक प्रभावी रहा। अर्थात् यह कार्य सामग्री आपूर्ति के संदर्भ में दिनांक-11.08.2018 या इससे पूर्व किसी दिनांक को ही समाप्त हो गया रहा होगा। अतः उक्त बिल संख्या-64 के द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री का औचित्य अस्पष्ट रहा। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्टॉक पंजिका के अभाव में यह भुगतान अनियमित पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या-16 वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से विनोद कुमार गुप्ता के घर से रवि गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में मिट्टी ढुलाई का कार्य किया गया है। यह कार्य उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री उपेंद्र सिंह सुपुत्र श्री सीताराम सिंह ग्राम व पोस्ट-बीजपुर, सोनभद्र द्वारा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर-यू0पी0 67-7321 के माध्यम से सम्पन्न कराया गया है। कुल 53.32 घनमी0 मिट्टी की ढुलाई की गयी है। भाड़े का भुगतान रू0 10552.00 कार्य प्रभारी श्री समर बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को चेक संख्या-041229 दिनांक-18.05.2018 द्वारा किया गया है। चेक श्री उपेंद्र सिंह को न जारी कर पाने की स्थिति में भी कम से कम उनसे नकद प्राप्ति रसीद लिया जाना आवश्यक था, जो कि नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम-66 के भुगतान नियमों का उल्लंघन कर किए गए भुगतान को अनियमित मानते हुये कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-17 वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत म्योरपुर में खेत मैदान के अधूरे कक्ष के निर्माण की सामग्री आपूर्ति के लिए माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर को अनुबंधित किया गया है। सामग्री आपूर्ति के लिए प्रस्तुत बिल संख्या-71 दिनांक-10.12.2018 में प्लंबिंग एवं विद्युतीकरण के लिए क्रमशः रू0 9950.00 तथा रू0 12712.00 की धनराशि भी सम्मिलित की गयी हैं तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका भुगतान चेक संख्या-39753 दिनांक-04.01.2019 के द्वारा अन्य सामग्रियों के साथ किया गया है। इसी कार्य के लिए कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल संख्या- 3631 के सापेक्ष रू0 2975.00 का भुगतान चेक संख्या-39752 दिनांक-04.01.2019 द्वारा प्राप्त किया गया है। सामग्री आपूर्ति अनुबंध में यह सम्मिलित नहीं है कि प्लंबिंग अथवा विद्युतीकरण का कार्य भी माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर द्वारा ही किया जाएगा, जबकि अन्य सामग्री का उल्लेख पूर्ण रूप से किया गया है। उक्त मस्टर रोल लेखा परीक्षा के दिन तक भी भुगतान के लिए स्वीकृति नहीं किया गया था तथा किस एम0बी0 के सापेक्ष है यह भी दर्शित नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों धनराशियां (कुल मिलाकर रू0 25637.00) उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के अनुसार भुगतान हेतु अनियमित पायी गई। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा। मस्टर रोल के अनुसार यह कार्य 02.04.2017 से चल रहा था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या-18 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से विकास खंड परिसर में अभिलेखागार के निर्माण की सामग्री आपूर्ति हेतु श्री बालाजी एशोसिएट शक्तिनगर को उनके बिलों के सापेक्ष कुल रू0 110154.00 का भुगतान, चेक संख्या-00777 दिनांक-08.07.2017 के द्वारा किया गया है। पुनः इसी कार्य के लिए रू0 32999.00 माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर के बिल संख्या-507 दिनांक-02.03.2019 के सापेक्ष, चेक संख्या-39775 दिनांक-08.03.2019 द्वारा वायरिंग और इलेक्ट्रिक वर्क के लिए किया गया है। माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर द्वारा कराये गये कार्य का कोई अनुबन्ध अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख, कार्य पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के संदर्भ में अनियमित पाया गया। उल्लेखनीय है कि यह कार्य मस्टर रोल के अनुसार 10.07.2016 से ही प्रगति पर रहा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर संख्या-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत जरहा में सुधार पनिका के घर से मोहन धोबी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण के लिए रू0 22350.00 मिट्टी ढुलाई के लिए भुगतान किया गया है। मिट्टी ढुलाई का कार्य श्री सत्यनारायण सुपुत्र श्री रघुनाथ द्वारा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0- यू0पी0 64- जेड-2759 से किया गया है। परन्तु भाड़े का भुगतान कार्य प्रभारी श्री समर बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को चेक संख्या-04123 दिनांक-18.05.2018 द्वारा किया गया है, जो कि नियमावली के अधीन अनियमित पाया गया। भुगतान सीधे श्री सत्यनारायण को किया जाना चाहिए था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-27)**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत-(दुद्धी)

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत दुद्धी के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर-2 तथा ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी हैं-

वर्ष-2017-18 में

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	राज्य वित्त आयोग	4493132.00
2.	सोशल आडिट मानदेय	118243.00
3.	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	2569920.00
4.	सांसद स्थानीय विकास निधि	3652969.00
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद	522704.00
6.	मनरेगा प्रशासनिक मद	1855139.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	1414990.00
	कुल योग-	14627097.00

वर्ष-2018-19 में

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	राज्य वित्त आयोग की धनराशि	4236349.00
2.	सोशल आडिट मानदेय	21186.00
3.	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	8982724.00
4.	सांसद स्थानीय विकास निधि	1850246.00
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद	765436.00
6.	मनरेगा प्रशासनिक मद	3037233.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	6145010.00
	कुल योग-	25038184.00

उपरोक्त व्यय धनराशियों के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में कुल उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 14627097.00 के सापेक्ष केवल राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित व्यय रू0 2654496.00 से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि रू0 11972601.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 25038184.00 के सापेक्ष केवल राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित व्यय रू0 3980451.00 से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि रू0 21057733.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल व्यय रू0 330303.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं रहने से ये व्यय पुष्टिकृत नहीं हो सके। अपुष्टिकृत व्यय अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-21 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1719/33.3 2010-48/2007 लखनऊ दिनांक-01 सितम्बर 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित किये जाने की जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र आदि के मरम्मत एवं रख-रखाव पर आवश्यक व्यय किया जाय। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली पूर्व में हुए विकास कार्यो/ सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत दुद्धी पर की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा की जाँच राज्य वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्यो में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्रमेंनिर्माणकार्यकरायेगये। जबकिउपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्रामों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश था। विवरण निम्नवत है:-

क्र०	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि
1.	2017-18	ग्राम बुटबेढ़वा में सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल	867403.00
2.	2017-18	जोरुखाड़ में संतोष चमार के घर के पास पुलिया निर्माण।	493269.00
3.	2017-18	बघाडू में धनकुटवा नाला पर फागू धरकार के घर के पास पुलिया निर्माण।	641371.00
4.	2017-18	ग्राम धिवही में राजपाल के घर से मोड़ तक सी०सी० रोड निर्माण।	616661.00
5.	2018-19	ग्राम टेढ़ा में परमेश्वर के घर से रामचरन के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।	36997.00
6.	2018-19	ग्राम बीड़र में अनारो देवी के घर से राजेन्द्र चमार के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।	862498.00
7.	2018-19	ग्राम जोरुखाड़ में रामचन्द्र के घर से जोरमा पहाड़ तक सी०सी० रोड निर्माण।	143302.00
8.	2018-19	ग्राम घोरपा में भगवान के घर के पास पुलिय निर्माण।	579252.00
9.	2018-19	ग्राम मलदेव में करमदहा स्कूल से नन्दलाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।	34250.00
10.	2018-19	ग्राम धनौरा में वार्ड नं०-9 में पंडित जी के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी०सी० रोड निर्माण।	957583.00
		कुल योग-	5232586.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कराये गये हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन हैं साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर उपरोक्त कार्य पूर्व में न कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यो को दोहराव/पुनरावृत्ति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रू0 5232586.00 का व्यय शासनादेश के विरुद्ध किया गया। जिसके लिए संयुक्त रूप से ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-22 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-194 (सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती

किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम 03 माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 2018-19 तक की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 5147652.00 रहा इस पर नियमानुसार रु0 115307.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। किन्तु बिलों पर कोई आयकर नहीं की गई है और न ही ग्रांट-3 के आय-व्यय में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार रु0 115307.00 की आयकर कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। अगर यह कटौती सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे करके जमा किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकरण की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत-(घोरावल)

प्रस्तर संख्या-23 विकास कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं किये जाने के कारण उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित नहीं किया जाना।

उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या-1412/36-2-2009-251/(एस0 एम0)/95 लखनऊ दिनांक-20.11.2009 जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमित) अधिनियम 1996 तथा तद्विषयक उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमित) अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण का की मूल लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि की कटौती एवं कटौती की गयी धनराशि को उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया था।

क्षेत्र पंचायत घोरावल की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों जिसमें कुल व्यय धनराशि रु0 10459402.00 का कुल 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0 104594.00 आंकलित किया गया। पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि बिलों पर लेबर सेस की कटौती का आंकलन तो किया गया है लेकिन काटा नहीं गया है। ग्रांट तृतीय के अनुसार लेबर सेस में कुल आय वर्ष 2017-18 में रु0 75621.00 तथा व्यय रु0 93906 तथा 2018-19 में कुल आय रु0 303748.00 तथा व्यय रु0 327246.00 किया गया दर्शित है। इस प्रकार लेबर सेस मद में कुल व्यय जमा रु0 421152.00 ग्रांट तृतीय के अनुसार दर्शित है।

जबकि ग्रांट तृतीय के अनुसार निम्न विवरणानुसार निम्न मदों में धनराशियां जमा की गयी-

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि	वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	9544741.00	26300991.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	200259.00	---
3.	विधायक निधि	666397.00	11465978.00
4.	सांसद निधि	---	5870633.00
5.	पूर्वांचल विकास निधि	---	1200250.00
	कुल योग-	10411397.00	44837852.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में उपरोक्त मदों में व्यय रूपया 10411397.00 का 1 प्रतिशत की दर से कुल लेबर सेस रु0 104113.00 हुआ तथा वर्ष 2018-19 में कुल व्यय रूपया 44837852.00 का 1 प्रतिशत की दर से कुल लेबर सेस रूपया 448378.00 हुआ। जबकि ग्रान्ट तृतीय के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल रूपया 75621.00 लेबर सेस से आय है अर्थात् अन्तर रूपया (104113.00-75621.00=28492.00) 28492.00 तथा वर्ष 2018-19 में लेबर सेस से आय रु0 303748.00 ग्रान्ट तृतीय के अनुसार दर्शित है अर्थात् अन्तर रु0 144630.00 (448378.00-303748.00) से कुल दर्शित है। इसका मतलब रु0 173122.00 से लेबर सेस की कटौत कम की गयी। इस प्रकार रु0 173122.00 लेबर सेस की कटौती नहीं किया जाना उपरोक्त नियम का स्पष्ट उल्लंघन है और वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। लेबर सेस में ग्रान्ट तृतीय के अनुसार रु0 421152.00 का व्यय/जमा दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-24 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर-2 और 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रु0 16956118.00 तथा रु0 53022468.00 का व्यय किया गया दर्शित है। परन्तु आलोच्य वर्ष में किये गये आंशिक व्ययों (2017-18 में रु0 5375422.00 तथा 2018-19 में रु0 5083980.00) की ही पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। ये पत्रावलियां राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। जिसका विवरण तालिका-1 एवं तालिका-2 में पूर्वोक्त वर्णित है। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है, इनकी पुष्टि में कोई भी पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में शेष रु0 11580696.00 तथा 2018-19 में शेष रूपया 58106448.00 (कुल रु0 69687144.00) किये गये व्यय पत्रावली या अभिलेखों के अभाव में पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि	वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	4169319.00	21217011.00
2.	पूर्वांचल विकास निधि	—	1200250.00
3.	विधायक निधि	666397.00	11465978.00
4.	सांसद निधि	—	5870633.00
5.	मुख्यमंत्री सामु0 विवाह योजना	35000.00	5727995.00
6.	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	114935.00	—
7.	मनरेगा प्रशासनिक मद	5218008	11439069.00
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	200259.00	—
9.	इन्दिरा आवास प्रशा0 मद	731689.00	—
10.	सोशल आडिट धनराशि	246500.00	255500.00
11.	प्रधानमंत्री आवास योजना	198589.00	930012.00
	कुल योग-	11580696.00	58106448.00

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-25 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न

काटे गये आयकर की धनराशि" के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 2018-19 तक की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 8886752.00 रहा इस पर नियमानुसार रु0 199063.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। किन्तु बिलों पर कोई आयकर नहीं की गई है और न ही ग्रान्ट-3 के आय-व्यय में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार रु0 199063.00 की आयकर कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। इस धनराशि की वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत-(नगवाँ)

प्रस्तर संख्या-26 वर्ष 2017-18 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 2943017.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित पत्रावलियां ही शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है, की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 2240584.00 के लिये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	वि0य0क्षे0वि0नि0 योजना	367611.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना	433521.00
3.	प्रशासनिक मद (इ0आ0यो0)	236960.00
4.	राज्य वित्त आयोग	1099092.00
5.	सोशल आडिट	38500.00
6.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	64900.00
	कुल योग-	2240584.00

(आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर संख्या-27 वर्ष 2018-19 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 10682916.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में स्थानीय सांसद निधि से सम्बन्धित रु0 1212585.00 एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन से सम्बन्धित रु0 5522780.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 3947551.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	वि0य0क्षे0वि0नि0 योजना	26995.00
2.	ब्याज की धनराशि	455556.00
3.	प्रशासनिक मद (इ0आ0यो0)	483942.00
4.	राज्य वित्त आयोग	129076.00
5.	ई गवर्नेन्स	10000.00

6.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	2789099.00
7.	आंगनबाड़ी	128.00
8.	लेबर सेस	52755.00
9.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्वन	3420.00
	कुल योग—	3950971.00

(आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर संख्या-28 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है तथा कटौती की गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना है। दिनांक-01.04.2009 से आयकर की कटौती 02.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर कुल व्यय वर्ष 2017-18 में ₹0 547537.00 एवं वर्ष 2018-19 में ₹0 6731945.00 कुल ₹0 7279482.00 रहा जिस पर नियमतः 02.24 प्रतिशत की दर से ₹0 163060.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा आयकर की कोई कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी से करके राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या-29 वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रमेश यादव पद नाम ग्रा0पं0 अधिकारी को तथा ₹0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री राजेश यादव को (ग्रा0पं0अधि0) कुल ₹0 148896.00 का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न है उसमें कार्यविधि/तिथि अंकित नहीं है और न ही किसी भी मस्टररोल पर मजदूरों का अंगूठा निशान/हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया और ₹0 148896.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

क्षेत्र पंचायत—(चोपन)

प्रस्तर संख्या-30 वर्ष 2017-18 में विधायक निधि मद में प्रा0शेष ₹0 68618.00 रहा। वर्ष में ₹0 3816400.00 प्राप्त हुआ तथा ₹0 2473192.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष ₹0 1697354.00 लाख का प्रमाणक उपलब्ध रहा। शेष दर्शित व्यय ₹0 7.758 लाख की पुष्टि में कोई पत्रावली व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। फलतः शेष दर्शित व्यय की समीक्षा व अन्य जाँच न की जा सकी जबकि यह आवश्यक रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर संख्या-31 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग मद में प्रा0शेष ₹0 5421729.00 रहा। वर्ष में ₹0 18174874.00 प्राप्त हुआ तथा ₹0 2960723.00 व्यय दर्शित है। जिसमें से ₹0 210959.00 की पत्रावली उपलब्ध रही। शेष व्यय ₹0 2749764.00 की कोई भी पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित शेष में की समीक्षा व जाँच न की जा सकी। जबकि यह आवश्यक रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर संख्या-32 वर्ष 2017-18 में टेण्डर/जमानत राशि मद का प्रा0शेष ₹0 116317.00 रहा। वर्ष में ₹0 4003.00 की प्राप्ति हुई तथा ₹0 10167.00 व्यय किया गया है। लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक

उपलब्ध न रहने से सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर संख्या-33 वर्ष 2017-18 में इंदिरा आवास योजना प्रशा0 मद का प्रा0शेष रू0 806715.00 रहा। वर्ष में रू0 1887.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 808602.00 व्यय दर्शित है। परन्तु दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर संख्या-34 वर्ष 2017-1 में पी0ओ0एल0 परीक्षा निरीक्षण मदका प्रा0शेष रू0 1950.00 रहा। वर्ष में प्राप्ति शून्य रही तथा रू0 1950.00 व्यय दर्शित है। सम्बन्धित व्यय की सापेक्ष कोई प्रमाणक/स्टेटमेंट लेखा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे उसमें समीक्षा व जाँच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर संख्या-35 वर्ष 2017-18 में वैट व लेवर सेस मद का प्रा0 शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 155633.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 137034.00 की व्यय दर्शित किया गया है। लेकिन वैट व लेवर जमा से सम्बन्धित कोई बैंक स्टेटमेंट आदि ले0प0 में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। जबकि यह आवश्यक रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर संख्या-36 वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) मद का प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 5000.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 5000.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु दर्शित व्यय में सापेक्ष कोई प्रमाणक/स्टेटमेंट ले0प0 में प्रस्तुत रहा। जिससे सम्बन्धित की समीक्षा/जाँच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर संख्या-37 वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मद में प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 2595886.00 की प्राप्ति हुई तथा कुल रू0 157297.00 का व्यय अनुदान पंजी के अनुसार दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक/ पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित व्यय की समीक्षा व अन्य जाँच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर संख्या-38 वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 2730000.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 1485000.00 का व्यय अनुदान पंजी के अनुसार दर्शित है। परन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी पत्रावली व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित व्यय की समीक्षा व जाँच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर संख्या-39 वर्ष 2018-19 में विभिन्न 09 मदों में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी पत्रावली /अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः समस्त विवरण/पत्रावली लेख परीक्षा में उपलब्ध कराकर पुष्टि/समीक्षा करायी जानी अपेक्षित रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	विधान मण्डल क्षेत्र वि0 निधि	7454567.00
2.	राज्य वित्त आयोग	17336995.00
3.	टेण्डर/जमानत की धनराशि	179970.00
4.	सोशल आडिट मानदेय	98500.00
5.	ब्याज की धनराशि	49014.00
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना	778118.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	16194022.00
8.	सांसद स्थानीय क्षेत्र वि0 निधि	2670737.00

9.	लेवर सेस की धनराशि	164112.00
	कुल योग—	44926035.00

(सा0 आपत्ति सं0-21)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

क्षेत्र पंचायत—(चतरा)

प्रस्तर संख्या—40 वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संस्था स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर श्री शैलेश कुमार को विभिन्न तिथियों में मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया गया है। तथा संस्था स्तर पर इण्टरनेट बिलें, स्याही, स्टेशनरी इत्यादि पर भी इन्दिरा आवास योजना प्रशासनिक मद से भुगतान विभिन्न तिथियों में दर्शित है। किन्तु उपरोक्त संसाधनों की उपलब्धता संस्था स्तर पर होने के बावजूद दिनांक-28.06.2017 को चेक सं0-006148 से रु0 24500.00 तथा दिनांक-04.07.2017 को चेक सं0-001649 से रु0 24000.00 का सोनभद्र साइबर कैफे राबर्ट्सगंज को भुगतान इन्दिरा आवास योजना की एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु दर्शित है। ऐसे में किसी बाहरी संस्थान को भुगतान करके एम0आई0एस0 फीडिंग करना राजकीय धन का दुरुपयोग है तथा एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु व्यय कुल रु0 48500.00 की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0-14)

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

क्षेत्र पंचायत—(बभनी)

प्रस्तर संख्या—41 वर्ष 2017-18 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 5020541.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित रु0 489345.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है—की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 4531196.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	राज्य वित्त आयोग	2848292.00
2.	ब्याज	13055.00
3.	इंदिरा आवास (प्रशा0)	136317.00
4.	सांसद निधि	9894.00
5.	वैट	68590.00
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशा0)	199782.00
7.	सोशल आडिट मानदेय	40000.00
8.	स्वान कक्ष मरम्मत	266.00
9.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	1215000.00
	कुल योग—	4531196.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या—42 वर्ष 2018-19 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 12146619.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित रु0 6201947.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है—की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 5944672.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	राज्य वित्त आयोग	330673.00
2.	ब्याज	21758.00

3.	प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशा0)	319727.00
4.	स्वान कक्ष मरम्मत	9734.00
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	5246000.00
6.	इंदिरा आवास (प्रशा0)	16720.00
7.	सोशल आडिट मानदेय	60.00
	कुल योग—	5944672.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-43 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है तथा कटौती की गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना है। दिनांक-01.04.2009 से आयकर की कटौती 02.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर कुल व्यय वर्ष 2017-18 में ₹0 605263.00 एवं वर्ष 2018-19 में ₹0 4334612.00 कुल ₹0 4939875.00 रहा जिस पर नियमत: 02.24 प्रतिशत की दर से ₹0 110653.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा आयकर की कोई कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली उत्तरदायी से करके राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या-17)**

वार्षिक प्रतिवेदन पंचायत वर्ष 2018-19

जनपद आगरा

मंडल आगरा

1. ग्राम पंचायत-साकुरी खुर्द विकास खण्ड-फतेहाबाद जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री दया शंकर सचिव का नाम- श्री उर्वीश शर्मा

प्रस्तर-1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उर्वीश शर्मा द्वारा कैशबुक व बैंक पासबुक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख व्यय की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया

अतः ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्न मदों में रु० 7,22,082.50 का उपभोग दर्शाकर वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8(क) में निहित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो भुगतान दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय की गई धनराशि रु० 7,22,082.50 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उर्वीश शर्मा से ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1	मानदेय प्रधान	35000.00
2	बिल्डिंग मँटे०/सामग्री	271171.00
3	मजदूरी	95625.00
4	पेयजल	235400.00
5	अन्य व्यय	84886.50
	योग-	7,22,082.50

2. ग्राम पंचायत-मुराबल विकास खण्ड-फतेहाबाद जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सुनीता देवी सचिव का नाम- श्री हर्षवर्धन व नरेन्द्र कुमार

प्रस्तर 2-लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हर्षवर्धन व श्री नरेन्द्र कुमार के द्वारा कैशबुक व बैंक पासबुक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख व्यय की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्न मदों में रु० 1141379.80 का उपभोग दर्शाकर वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु -8 (क) में निहित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो भुगतान दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1	मानदेय प्रधान	35000.00
2	बिल्डिंग मँटे०/सामग्री	636541.00
3	मजदूरी	189670.00
4	पेयजल	248900.00
5	अन्य व्यय	31268.80
	योग-	1141379.80

3. ग्राम पंचायत-मडयना विकास खण्ड-फतेहाबाद जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री देवलाल वर्मा व सचिव श्री रामविलास

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत मडायना में वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 2000.00 से ऊपर नगद आहरण करते हुए भुगतान किया गया है जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध/लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु 05 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं शा०संख्या-ए-1-816/दस-2005-04(2)/2004 दि० 29.06.2005 का भी ग्राम पंचायत द्वारा पालन नहीं किया गया है। शासनादेश एवं लेखा मैनुअल के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक नगद भुगतान पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में शासनादेश के विरुद्ध नगद धन का आहरण किया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः अनियमित भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री देवलाल वर्मा व सचिव श्री रामविलास से संयुक्त रूप से करते हुए राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि	धन आहरण करने वाले व्यक्ति का नाम
10.07.2018	419368	9000.00	श्री देवलाल वर्मा
14.08.2018	419373	7000.00	श्री देवलाल वर्मा
12.12.2018	419375	7000.00	श्री देवलाल वर्मा
18.12.2018	407629	9000.00	श्री देवलाल वर्मा
11.01.2019	407638 व 39	60000.00	श्री देवलाल वर्मा
24.01.2019	407647	10500.00	श्री देवलाल वर्मा
06.02.2019	407649	13600.00	श्री देवलाल वर्मा
18.02.2019	654892 व 93	70000.00	श्री देवलाल वर्मा
25.02.2019	654894 व 95	60000.00	श्री देवलाल वर्मा
	योग—	246100.00	

आपत्ति संख्या—15

4. ग्राम पंचायत—निबोहरा विकास खण्ड—फतेहाबाद जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती कमला देवी सचिव श्री रमेश चन्द्र त्यागी

प्रस्तर—4 ग्राम पंचायत निबोहरा में वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2000.00 से ऊपर नगद आहरण करते हुए भुगतान किया गया है जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध/लेखा मैनुअल के अध्याय—5 के बिन्दु 05 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं शा0संख्या—ए—1—816/दस—2005 —04(2)/2004 दि0 29.06.2005 का भी ग्राम पंचायत द्वारा पालन नहीं किया गया है। शासनादेश एवं लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक नगद भुगतान पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में शासनादेश के विरुद्ध नगद धन का आहरण किया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः अनियमित भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कमला देवी सचिव श्री रमेश चन्द्र त्यागी से संयुक्त रूप से करते हुए राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	आह0 धनराशि	धन आहरण करने वाले व्यक्ति का नाम
24.05.2018	60150 व 51	30000.00	श्रीमती कमला देवी
01.06.2018	60152, 54, 55,56 व 57	96140.00	श्रीमती कमला देवी
12.06.2018	647802	18500.00	श्रीमती कमला देवी
18.06.2018	647804 व 06	29800.00	श्रीमती कमला देवी
19.06.2018	647809	30600.00	श्रीमती कमला देवी
28.06.2018	647817	10000.00	श्रीमती कमला देवी
10.07.2018	647818	7000.00	श्रीमती कमला देवी
18.07.2018	798200 व 021	18800.00	श्रीमती कमला देवी
20.08.2018	798213	9400.00	श्रीमती कमला देवी
20.10.2018	798223	12000.00	श्रीमती कमला देवी
31.01.2019	798255 व 56	20500.00	श्रीमती कमला देवी
20.02.2019	798261	10000.00	श्रीमती कमला देवी
21.02.2019	798265	3500.00	श्रीमती कमला देवी
07.03.2019	798266	15000.00	श्रीमती कमला देवी
28.03.2019	798277	9400.00	श्रीमती कमला देवी
29.03.2019	798279	6000.00	श्रीमती कमला देवी
	योग—	326640.00	

आपत्ति संख्या—15

5. ग्राम पंचायत—गुबरौठ विकास खण्ड—फतेहाबाद जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री सत्यप्रकाश सचिव श्री सुरेश बाबू गौतम

प्रस्तर—5 ग्राम पंचायत गुबरौठ में वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2000.00 से ऊपर नगद आहरण करते हुए भुगतान किया गया है जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध/लेखा मैनुअल के अध्याय—5 के बिन्दु 05 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं शा0 संख्या—ए—1—816/दस—2005 —04(2) /2004 दिनांक 29.06.2005 का भी ग्राम पंचायत द्वारा पालन नहीं किया गया है। शा0 एवं लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक नगद भुगतान पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में शासनादेश के विरुद्ध नगद धन का आहरण किया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में

आता है। अतः अनियमित भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सत्य प्रकाश सचिव श्री सुरेश बाबू गौतम से संयुक्त रूप से करते हुये राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि	धन आहरण करने वाले व्यक्ति का नाम
24.09.2018	785071	15000.00	श्री सत्यप्रकाश
14.11.2018	785081	7500.00	श्री सत्यप्रकाश
13.12.2018	785083	15000.00	श्री सत्यप्रकाश
21.01.2019	785090	38500.00	श्री सत्यप्रकाश
	योग—	76000.00	

आपत्ति संख्या—15

6. ग्राम पंचायत—बाईखेडा विकास खण्ड—अकोला जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती कमला देवी सचिव का नाम— श्री रिषी कुमार

प्रस्तर—6. वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय—व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु0 2603401.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है—

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पेयजल स्वच्छता	244854.00
2	पंचायती राज कार्यक्रम	1798523.00
3	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	540224.00
4	पेयजल एवं स्वच्छता नवीन निर्माण	19800.00
	योग—	2603401.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—08 के बिन्दु —8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2603401.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार से आधा—आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

7. ग्राम पंचायत—पिनानी रामनगर विकास—खण्ड अकोला जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती चन्द्रवती सचिव का नाम— श्रीमती लीली माथुर

प्रस्तर—7. वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लीली माथुर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय—व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु0 1649554.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है—

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	1649554.00
	योग—	1649554.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—08 के बिन्दु—8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1649554.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लीली माथुर से आधा—आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

8. ग्राम पंचायत—सगुनापुर विकास खण्ड—अकोला जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री मोहन सिंह सचिव का नाम— श्री केशव सिंह

प्रस्तर-8. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 542607.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	542607.00
	योग-	542607.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु-8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 542607.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

9. ग्राम पंचायत-खेरिया विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री हरिदयाल सचिव का नाम- श्री केशव सिंह

प्रस्तर-9. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 2333635.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	2333635.00
	योग-	2333635.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु-8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2333635.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हरिदयाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

10. ग्राम पंचायत-नहचानी विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री राजेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-10. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1613577.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	1613577.00
	योग-	1613577.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1613577.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

11. ग्राम पंचायत-बसैया जोतिराज विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री मुरारी सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-11. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 1412813.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	1412813.00
	योग-	1412813.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु-8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1412813.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मुरारी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

12. ग्राम पंचायत-बसैया रायमल विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री लाखन सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-12. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 3175081.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पेयजल स्वच्छता	389860.00
2	पंचायती राज कार्यक्रम	204250.00
3	नवीन सम्पत्तियों का सृजन	2417675.00
4	ग्रामीण विद्युतीकरण	163296.00
	योग-	3175081.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3175081.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

13. ग्राम पंचायत-बसैया बोवला विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री शैलेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-13. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 2029493.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	2029493.00
	योग-	2029493.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2029493.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

14. ग्राम पंचायत-अकोला विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सीमा देवी सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-14. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 8477998.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	शिक्षा	323651.00
2	स्वस्थ एवं परि0 कल्याण	94369.00
3	पेयजल स्वच्छता	1075706.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	1309883.00
5	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	5674389.00
	योग-	8477998.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 8477998.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

15. ग्राम पंचायत-गहरा खुर्द विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती नीतू सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-15. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1452843.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	1452843.00
	योग-	1452843.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1452843.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

16. ग्राम पंचायत-अखवाई विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री केदार सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-16. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 4274354.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	शिक्षा	-----
2	स्वस्थ एवं परि० कल्याण	300600.00
3	पेयजल स्वच्छता	405416.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	2760348.00
5	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	807990.00
	योग-	4274354.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु-8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 4274354.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री केदार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

17. ग्राम पंचायत-अभयपुरा विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती रामकटोरी सचिव का नाम- श्री भवर सिंह

प्रस्तर-17. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 3449251.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पेयजल स्वच्छता	175447.00
2	पंचायती राज कार्यक्रम	764900.00
3	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	57840.00
4	नवीन सम्पत्तियों का सृजन	2323761.00
5	पूजित निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता	127303.00
	योग-	3449251.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु-8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 3449251.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामकटोरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

18. ग्राम पंचायत-जैगारा विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री सोनबीर सिंह सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-18. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 3395549.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	3395559.00
	योग-	3395559.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3395559.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सोनबीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

19. ग्राम पंचायत-इकराम नगर विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती नेहा देवी सचिव का नाम- श्री दीवान सिंह

प्रस्तर-19. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2077083.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	2077083.00
	योग-	2077083.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2077083.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

20. ग्राम पंचायत-चिकोरा विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री ओमवीर सचिव का नाम- श्री भवर सिंह

प्रस्तर-20. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2232273.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	शिक्षा	160533.00
2	पेयजल स्वच्छता	353831.00
3	पंचायती राज कार्यक्रम	120356.00
4	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	8200.00
5	नवीन सम्पत्तियों का सृजन	1589353.00
	योग-	2232273.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2232273.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री ओमबीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

21. ग्राम पंचायत-बल्हेरा विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती उर्मिला देवी सचिव का नाम- श्री भवर सिंह

प्रस्तर-21. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2358785.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पेयजल स्वच्छता	2358785.00
	योग—	2358785.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2358785.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

22. ग्राम पंचायत-खेडा भगोर विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती पुष्पा देवी सचिव का नाम- श्री भवर सिंह

प्रस्तर-22. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 1582441.00का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	स्वस्थ एवं परि0 कल्याण	273842.00
2	पेयजल स्वच्छता	233074.00
3	पंचायती राज कार्यक्रम	90756.00
4	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	984769.00
	योग—	1582441.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1582441.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवर सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

23. ग्राम पंचायत-धनौली विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती मीना देवी सचिव का नाम- श्री रिषी कुमार

प्रस्तर-23. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 32587622.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	स्वस्थ एवं परि0 कल्याण	18800.00
2	पेयजल स्वच्छता	905057.00
3	पंचायती राज कार्यक्रम	23382242.00
4	सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	7492259.00
5	विधुतीकरण	789264.00
	योग—	32587682.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 32587682.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

24. ग्राम पंचायत-बसेरी चाहर विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती रेखा सचिव का नाम- श्री रिषी कुमार

प्रस्तर-24. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 1972973.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	1972973.00
2	ब्याज की धनराशि	177.00
	योग-	1972973.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1972973.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

25. ग्राम पंचायत-वैमन विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री जवाहर सिंह सचिव का नाम- श्री रिषी कुमार

प्रस्तर-25. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2257138.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है-

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	2256254.00
2	पी0एफ0 ब्याज की धनराशि	884.00
	योग-	2257138.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2257138.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री जवाहर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषी कुमार सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

26. ग्राम पंचायत-गहरा कल्लो विकास खण्ड-अकोला जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री हर्ष कुमार सचिव का नाम- श्री केशव सिंह

प्रस्तर-26. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 3085720.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र	मद विवरण	धनराशि
1	पंचायती राज कार्यक्रम	3085720.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के बिन्दु -8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3085720.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हर्ष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

27. ग्राम पंचायत-बदरौली विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-27 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1654375.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. शिक्षा	—
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	825260.00
3. पेयजल एवं स्वच्छता	39146.00
4. पंचायती राज कार्यक्रम	789969.00
योग	1654375.00

जबकि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1654375.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा- आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

28. ग्राम पंचायत-भडकौल विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-28 वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरित की गई-

क्र0	चैक सं0	दिनांक	धनराशि
01	27814	19.03.2019	25808.00
02	27815	19.03.2019	35280.00
03	27816	30.03.2019	12180.00
04	24817	27.03.2019	30000.00
कुल योग			103268.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार रु0 103268.00 आहरण किया गया लेकिन आहरित धनराशि के व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक आहरण/व्यय के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स/प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 103268.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

29. ग्राम पंचायत-डाबर विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-29 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत

द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 2410072.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. पेयजल एवं स्वच्छता	37580.00
2. पंचायती राज कार्यक्रम	1698712.00
3. सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	229045.00
4. नवीन सम्पत्तियों का सृजन	444735.00
योग	2410072.00

जबकि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2410072.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

30. ग्राम पंचायत-कोरई विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-30 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 4854957.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. शिक्षा	—
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1121334.00
3. पेयजल एवं स्वच्छता	36644.00
4. पंचायती राज कार्यक्रम	2975910.00
6. नवीन सम्पत्तियों का सृजन	721069.00
योग	4854957.00

जबकि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 4854957.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

31. ग्राम पंचायत-सामरा विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री छिद्दन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर 31. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 4261154.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. शिक्षा	105890.00
2. पेयजल एवं स्वच्छता	158170.00
3. पंचायती राज कार्यक्रम	3123320.00
4. सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव	233661.00
5. नवीन सम्पत्तियों का सृजन	640113.00
योग	4261154.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 4261154.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री छिद्दन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

32. ग्राम पंचायत-सरसा विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री अनीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-32 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1914168.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. पंचायती राज कार्यक्रम	1914168.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1914168.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अनीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

33. ग्राम पंचायत-सिंगारपुर विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-33 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया प्रियासॉफ्ट से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1476618.00 का उपभोग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. पंचायती राज कार्यक्रम	1476618.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1476618.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

34. ग्राम पंचायत बलाई विकास खण्ड-पिनाहट जनपद-आगरा

ग्राम पंचायत सचिव श्री आमीन खॉ व ग्राम प्रधान देवकी नन्दन

प्रस्तर-34 कैशबुक एवं पासबुक में दर्शित व्यय की धनराशि में रु0 35286.00 का अन्तर पाया गया, जिसका कारण चैक नं0 296507 दि0 05.11.2018 अंकन रु0 5786.00 चैक नं0 296513 दि0 01.12.2018 अंकन रु0 29500.00 कुल रु0 35286.00 को कैशबुक में न दर्शाया जाना है। इस प्रकार रु0 35286.00 का बैंक से आहरण किया गया, लेकिन कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 35286.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आमीन खॉ व ग्राम प्रधान देवकी नन्दन से किया जाना अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत-क्योरी विकास खण्ड-पिनाहट जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री रामदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर चाहर

प्रस्तर-35 लेखापरीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है-

मद विवरण	धनराशि
1. भवन निर्माण सामिग्री	255000.00
2. हैण्डपम्प	443810.00
3. अन्य प्रशासनिक व्यय	32500.00
योग	731310.00

जबकि पंचायतराज विभाग उ0प्र0द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 731310.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रामदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर चाहर से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

36. ग्राम पंचायत-नौगवां विकास खण्ड-जैतपुर कला जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री वीरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी

प्रस्तर-36 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी द्वारा केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 3172091.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3172091.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री वीरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

37. ग्राम पंचायत-पारना विकास खण्ड-जैतपुर कला जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री कायम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी

प्रस्तर-37 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी द्वारा केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 4954531.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 4954531.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कायम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित चौधरी से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत-प्यारमपुरा विकास खण्ड-जैतपुर कला जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री होरीलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेन्द्र बहादुर रायजादा

प्रस्तर-38 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेन्द्र बहादुर रायजादा द्वारा केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 1586126.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1586126.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री होरीलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेन्द्र बहादुर रायजादा से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत—थापखरगा विकास खण्ड—शमसाबाद जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री कप्तान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर—39 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू0 1676661.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1676661.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे प्रधान श्री कप्तान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

40. ग्राम पंचायत—नगला तोर विकास खण्ड—शमसाबाद जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री अजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर—40 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू0 381850.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 381850.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

41. ग्राम पंचायत—नगला धीर विकास खण्ड—शमसाबाद जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर—41 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू0 905707.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 905707.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

42. ग्राम पंचायत—थाना शंकरद्वारी विकास खण्ड—शमसाबाद जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर-42 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 7334808.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 7334808.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

43. ग्राम पंचायत-हिमायुंपुर विकास खण्ड-शमसाबाद जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर

प्रस्तर-43 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 2027714.00 का उपभोग किया गया। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2027714.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

44. ग्राम पंचायत-नगला तुलसी विकास खण्ड-एत्मादपुर जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी सम्बन्धित सचिव

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत नगला तुलसी द्वारा वर्ष 2018-19 में प्राप्त वार्षिक अनुदान में से ₹0 1691272.80 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फर्मों द्वारा किया गया, जबकि आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे, बिल/बाउचर/मस्टररोल एवं कैशबुक नहीं पाये गये। साथ ही अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आगणन माप पुस्तिका, तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के त्रिस्तरीय फोटो तथा कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलिया लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये/जाच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गई धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आयेगी, जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल ₹0 1691272.80 की धनराशि गबन/आपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं सम्बन्धित सचिव से किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति संख्या-02

45. ग्राम पंचायत-मौसनाबाद विकास खण्ड-एत्मादपुर जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री कृष्णबीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील शर्मा

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत मौसनाबाद की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में निम्न व्यय दर्शित है

सीसी- देवेन्द्र के घर से खाण्डा मार्ग तक	198000	40700	238700
सीसी-कालीचरण शुक्ला को अतर सिंह मास्टर तक	160214	24800	188614
सीसी-बिरुनीमार्ग से ताराचन्द के घर तक	72341	16700	89041
सीसी-अतरसिंह मास्टर से रोशनलाल के घर तक	135298	28400	163698
हैण्डपम्प/टी0टी0एस0सी0 व मरम्मत कार्य	19000	13000	32000
शोचालय निर्माण मजदूरी	-----	31320	31320
बोलपैटिंग	-----	7815	7815
प्रधान का मानदेय	-----	35000	35000
विविध प्रशा0/अन्य व्यय	-----	17000	17000
बैंक कटौतियां	-----	708	708
योग			803956.00

ग्राम पंचायत मौसनाबाद द्वारा वर्ष 2018-19 में प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रू0 803956.00 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फर्मों द्वारा किया गया, जबकि आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे, बिल/बाउचर/मस्टररोल एवं कैशबुक नहीं पाये गये। साथ ही अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आगणन माप पुस्तिका, तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन एवं टेंडर और कार्य के त्रिस्तरीय फोटो तथा कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलिया लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये/जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गई धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आयेगी, जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 803956.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री कृष्णबीर सिंह एवं सचिव श्री सुनील शर्मा से किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति संख्या-02

46. ग्राम पंचायत-तमाचगढ विकास खण्ड-एत्मादपुर जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री गिराज सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह व श्री मिथुन बाबू

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत तमाचगढ की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में निम्न व्यय दर्शित है

सीसी- कोमल के घर से रीना के घर तक	212000	45000	257000
नाली पंचायत घर से राजबीर दिवाकर के घर तक	107630	26300	133930
सीसी-अनिल के घर से बिनोद के घर तक	126275	28600	154875
हैण्डपम्प/टी0टी0एस0सी0 व मरम्मत कार्य	107930	38900	146830
नाली बिनोद के घर से हरदन नाला तक	261514	64800	326314
मानदेय प्रधान	-----	35000	35000
प्रशासनिक व्यय/अन्य व्यय	-----	16711	16711
बैंक कटौतियां	-----	218.30	218.30
योग			1070878.30

ग्राम पंचायत तमाचगढ द्वारा वर्ष 2018-19 में प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रू0 1070878.30 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फर्मों द्वारा किया गया, जबकि आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/बाउचर/मस्टररोल एवं कैशबुक नहीं पाये गये। साथ ही अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आगणन माप पुस्तिका, तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन एवं टेंडर और कार्य के त्रिस्तरीय फोटो तथा कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलिया लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये/जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर व मजदूरी पर व्यय के

सापेक्ष मस्टररोल व अन्य सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव का सयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गई धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आयेगी, जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 1070878.30 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री गिराज सिंह एवं सचिव श्री कोमल सिंह व मिथुन बाबू से किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति संख्या-02

47. ग्राम पंचायत-नगला बेल विकास खण्ड-एत्मादपुर जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री धर्म ध्वज व श्रीमती रूची देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निन्नूराम

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत नगलाबेल की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में निम्न व्यय दर्शित है

	सामग्री	श्रमांश	योग
इं0लॉ0नाली- बलबीर से सोमबीर तक वासगुमान	206980	54700	261680
इं0लॉ0नाली-जैयबीर से सुरेश तक वासगुमान	158655	36700	195355
सीसी-लाखन से सुनहरी तक वासगुमान	77595	45900	123495
इं0लॉ0 नवाव से महाबीर के घर तक वासगुमान	193400	39600	233000
सीसी-मन्दिर से हवेली चोक व सिखू नगलावेल	450000	38150	488150
सीसी-धर्मशाला से जुगराज के वाडे तक न0वेल	284520	51800	336320
नाली रूमिनट के घर से पोखर तक न0उदई	135570	33600	169170
सीसी-नजीर से रवेन्द्र के घर तक न0वेल	166158	30800	196958
सीसी-श्री निवास से राजेन्द्र तक न0वेल	187756	-----	187756
योग			2191884

जिनमें अनियमित व्यय सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ पाई गई-

1. शासनादेश संख्या-ए-1-164/10-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 लखनऊ तथा ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 में प्राविधानों के अनुपालन में रु0 20000.00 से 10000.00 तक सामाग्री क्रय हेतु कुटेशन एवं रु0 100001.00 उपर की सामाग्री क्रय की लिए रजिस्टर प्रदायकर्ताओं से निविदा आमन्त्रित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है जैसे टेण्डर बिक्री से होने वाली आय को भी कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है जबकि टेण्डर बिक्री से प्राप्त धनराशि ग्राम पंचायत के स्वयं के संशाधन के आय प्राप्त करने के अन्तर्गत माना गया है। प्रत्येक निविदा के साथ निविदा दाता से धरोहर राशि एवं निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत राशि जमा नही कराना। प्रत्येक कार्य के लिए नियमानुसार तीन निविदाएं आमन्त्रित नहीं करना। प्रत्येक निविदा प्रक्रिया के समय वही चुनिन्दा फर्मो से टेण्डर हेतु आवेदन प्राप्त करना।
2. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान संस्था के पास वित्त वर्ष में कृत सभी कार्यों के मस्टररोल तथा कई कार्यों के स्टीमेट, एम0बी0 का नहीं पाया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 13 व 11 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
3. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान संस्था के पास वित्त वर्ष में कृत कार्यों की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत सम्बन्धित ग्राम समिति एवं सक्षम अधिकारी से नहीं लिया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
4. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान संस्था के पास वित्त वर्ष में कृत कार्यों की पत्रावली में नहीं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और न ही कृत कार्य स्थल सम्बन्धित त्रिस्तरीय फोटो ही पाये गये।
5. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया के संस्था द्वारा भुगतानित बिलों से निर्धारित आयकर/वैट/जी0एस0टी0 की कटौती नही किया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के प्राविधानों स्पष्ट उल्लंघन है।

इससे स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया व नियमों का उल्लंघन कर रु0 2191884.00 की धनराशि का आहरण एक गंभीर अनियमितता है जिस हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं

सचिव जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री धर्म ध्वज व श्रीमती रूची देवी एवं सचिव श्री निन्नूराम से की जानी अपेक्षित है का प्रकरण शासन/विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति संख्या— 1—अ,1

प्रस्तर—48 ग्राम पंचायत तमाजगढ द्वारा वर्ष 2018-19 में प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 481387.80 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फर्मों द्वारा किया गया, जबकि आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे, बिल/बाउचर/मस्टररोल एवं कैशबुक नहीं पाये गये। साथ ही अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आगणन माप पुस्तिका, तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के त्रिस्तरीय फोटो तथा कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलिआं लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये/जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव का सयुक्त उत्तरदायित्व है।

	सामग्री	श्रमांश	योग
नाली निर्माण वासगुमान सिंह	-----	22050	22050
नाली निर्माण अज्ञात	-----	6300	6300
जल निगम टक्की मरम्मत	100000	-----	100000
तालाब खुदाई न0वेल	-----	25000	25000
टी0टी0एस0पी0 रिवोर कार्य	60300	12750	73050
हैण्डपम्प रिवोर प्रा0पा0 न0वेल	64586	12750	77336
हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	14400	5600	20000
डस्टविन क्रय	29500	-----	29500
प्रधान का मानदेय	-----	31500	31500
ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य	-----	21000	21000
शौचालय पैन्टिंग	-----	8000	8000
प्रश0 व अन्य व्यय	-----	67651.80	67651.80
योग			481387.80

अतः उक्त स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के रु0 481387.80 प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गई धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आयेगी, जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 481387.80 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री धर्म ध्वज एवं श्रीमती रूची देवी सचिव श्री निन्नूराम से किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति संख्या—01—अ 2

48. ग्राम पंचायत—युसुफपुर विकास खण्ड—एल्मादपुर जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री भागीरथ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सम्बन्धित

प्रस्तर—49 ग्राम पंचायत युसुफपुर की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में निम्न व्यय दर्शित है

	सामग्री	श्रमांश	योग
इं0लॉ0 ज्ञानेन्द्र से रामभरोसी के घर तक	215500	22140	237640
इं0लॉ0 मुन्नालाल से यूनिस के घर तक	155700	15450	171150
इं0लॉ0 अमरसिंह से हरी सिंह के घर तक	211500	24420	235950
इं0लॉ0 बीरेन्द्र से गया प्रसाद के घर तक	125800	24150	149950
इं0लॉ0 प्रेमपाल के घर से सुरेश के घर तक	406700	70700	477400
इं0लॉ0 सुरेश से बनी सिंह के घर तक	338000	-----	338000
ओवरहेड टैन्क मरम्मत	53700	23000	76700
हैण्डपम्प/टी0टी0एस0पी0 रिवोर मरम्मत कार्य	125055	57000	182055
प्रधान का मानदेय	-----	45500	45500

विविध प्रशा0/अन्य व्यय	-----	22100	22100
बैंक कटौतियां	-----	129.80	129.80
योग			1936544.80

ग्राम पंचायत युसुफपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रू0 1936544.80 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फर्मों द्वारा किया गया, जबकि आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे, बिल/बाउचर/मस्टररोल एवं कैशबुक नहीं पाये गये। साथ ही अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आगणन माप पुस्तिका, तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के त्रिस्तरीय फोटो तथा कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलिआं लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये/जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गई धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आयेगी, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 1936544.80 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री भागीरथ एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-03

49. ग्राम पंचायत-बिसहरा विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण यादव व श्रीमती ईलेश त्यागी

प्रस्तर-50 दिनांक 17.09.2018 को चैक संख्या-303715 से रू0 12000.00 को आहरण बैंक पासबुक में दर्शित है परन्तु उक्त धनराशि का अंकन कैशबुक के आय पक्ष में न कर उक्त धनराशि रू0 12000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर-51 दिनांक 29.09.2018 को चैक संख्या-303721 से रू0 2000.00 को आहरण बैंक पासबुक में दर्शित है परन्तु उक्त धनराशि का अंकन कैशबुक के आय पक्ष में न कर उक्त धनराशि रू0 2000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-05

50. ग्राम पंचायत-मिहाबा विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार

प्रस्तर -52 ग्राम पंचायत मिहाबा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रू0 2381040.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 2381040.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं सचिव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

51. ग्राम पंचायत-मुर्कियाँ विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव चौहान

प्रस्तर -53 ग्राम पंचायत मुर्कियाँ की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2981257.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2981257.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी एवं सचिव श्री संजीव चौहान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

52. ग्राम पंचायत-मुखर्ई विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

प्रस्तर -54 ग्राम पंचायत मुखर्ई की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 1984746.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 1984746.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री प्रेमसिंह एवं सचिव श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

53. ग्राम पंचायत-गोबरा विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती बिजयरानी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर -55 ग्राम पंचायत गोबरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 1743340.80 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्राविधानुसार वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 1743340.80 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती बिजयरानी एवं सचिव श्री बाबू की जानी अपेक्षित है।

54. ग्राम पंचायत-मुबारिज पुर विकास खण्ड-सैंया जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री लज्जाराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय वर्मा

प्रस्तर -56 ग्राम पंचायत मुबारिज पुर की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रू0 1367599.60 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 1367599.60 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री लज्जाराम वर्मा एवं सचिव श्री संजय वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

55. ग्राम पंचायत-रायपुर विकास खण्ड-खन्दौली जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार

प्रस्तर -57 ग्राम पंचायत रायपुर की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रू0 4662408.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 4662408.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं सचिव श्री राजेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

56. ग्राम पंचायत-नादरु विकास खण्ड-खन्दौली जनपद-आगरा

ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेन्द्र पाल

प्रस्तर -58 ग्राम पंचायत नादरु की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से रू0 3604646.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रू0 3604646.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह एवं सचिव श्री योगेन्द्र पाल से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

57. ग्राम पंचायत—रैपुरा भदौरियों विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मीराज

प्रस्तर—59 ग्राम पंचायत रैपुरा भदौरियों की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2280671.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल ₹0 2280671.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा एवं सचिव श्री लक्ष्मीराज से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

58. ग्राम पंचायत—रामपुर चन्द्रसैनी विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती सीमादेवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मीराज

प्रस्तर—60 ग्राम पंचायत रामपुर चन्द्रसैनी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1286390.80 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल ₹0 1286390.80 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमादेवी एवं सचिव श्री लक्ष्मीराज से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

59. ग्राम पंचायत—विक्रमपुर विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित यादव

प्रस्तर—61 ग्राम पंचायत विक्रमपुर की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2364636.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल ₹0 2364636.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी एवं सचिव श्री अमित यादव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

60. ग्राम पंचायत—फरैरी विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री सूरज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल आर्य व विनीत कुमार

प्रस्तर —62 ग्राम पंचायत फरैरी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2452007.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पं0राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2452007.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सूरज एवं सचिव श्री अनिल आर्य व विनीत कुमार से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—02**

61. ग्राम पंचायत—गोपाल पुरा विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मी राज

प्रस्तर —63 ग्राम पंचायत गोपाल पुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2305527.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2305527.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ एवं सचिव श्री लक्ष्मी राज से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—02**

62. ग्राम पंचायत—डेरक विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरबिन्द

प्रस्तर —64 ग्राम पंचायत डेरक की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2327138.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित तकोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2327138.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अरबिन्द से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—02**

63. ग्राम पंचायत—गूगाबली विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान सुश्री नीरज कुमारी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर —65 ग्राम पंचायत गूगाबली की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2709356.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, यन्वथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2709356.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान सुश्री नीरज कुमारी एवं सचिव श्री श्याम प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

64. ग्राम पंचायत—रजपुरा विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री मानिक चन्द्र ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशी शेखर

प्रस्तर —66 ग्राम पंचायत रजपुरा की कैशबुक एवं बैंक पास बुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2809248.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2809248.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मानिक चन्द्र एवं सचिव श्री शशी शेखर से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

65. ग्राम पंचायत—कुँवर खेडा विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री माधो सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय

प्रस्तर —67 ग्राम पंचायत कुँवर खेडा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 1407591.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, यन्वथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 1407591.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री माधो सिंह एवं सचिव श्री अजय से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

66. ग्राम पंचायत—प्रताप पुरा विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री संजय ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द

प्रस्तर —68 ग्राम पंचायत प्रताप पुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 1274883.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 1274883.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री संजय एवं सचिव श्री अरविन्द से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

67. ग्राम पंचायत—बैरी विकास खण्ड—बाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशी शेखर

प्रस्तर —69 ग्राम पंचायत बैरी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 3932425.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं राया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 3932425.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह एवं सचिव श्री शशी शेखर से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

68. ग्राम पंचायत—सन्नपुरा विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय

प्रस्तर —70 ग्राम पंचायत सन्नपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 2505207.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुऐ धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 2505207.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू एवं सचिव श्री अजय से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

69. ग्राम पंचायत—भदरौली विकास खण्ड—वाह जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर—71 ग्राम पंचायत भदरौली की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 4689077.80 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 4689077.80 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती देवी एवं सचिव श्री श्याम प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

70. ग्राम पंचायत—श्यामो विकास खण्ड—बरौली अहीर जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री भूरा राजपूत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खान

प्रस्तर—72 ग्राम पंचायत श्यामो की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 18—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 7153435.90 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं त सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 7153435.90 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री भूरा राजपूत एवं सचिव श्री आमीन खान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

71. ग्राम पंचायत—बमरौली कटारा विकास खण्ड—बरौली अहीर जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना कटारा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खान

प्रस्तर—73 ग्राम पंचायत बमरौली कटारा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में प्राप्त धनराशि से रु0 9189509.00 व्यय किया गया। परन्तु निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररौल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक सामिग्री के क्रय सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स एवं मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररौल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राबिधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी

अतः उक्त स्थिति में उक्त वर्ष में आहरित की गई कुल रु0 9189509.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना कटारा एवं सचिव श्री आमीन खान से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0 02

72. ग्राम पंचायत— बजहेरा विकास खण्ड—बरौली अहीर जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री प्रमोद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर—74 ग्राम पंचायत बजहेरा में 2018—19 में ₹0 2000.00 से ऊपर नगद आहरण करते हुए भुगतान किया गया है जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध/लेखा मैनुअल के अध्याय—5 के बिन्दु 05 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं शा0संख्या—ए—1—816/दस—2005 —04(2) /2004 दिनांक 29.06.2005 का भी ग्राम पंचायत द्वारा पालन नहीं किया गया है। शासनादेश एवं लेखा मैनुअल के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक नगद भुगतान पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में शासनादेश के विरुद्ध नगद धन का आहरण किया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः अनियमित भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रमोद व सचिव श्री देवेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से करते हुए राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	आहरित धनराशि	धन आहरण करने वाले व्यक्ति का नाम
21.05.2018	22558	10000.00	श्री प्रमोद
21.05.2018	22549	5000.00	श्री प्रमोद
31.05.2018	34884	5000.00	श्री प्रमोद
28.07.2018	34869	6000.00	श्री प्रमोद
28.08.2018	34880	7000.00	श्री प्रमोद
28.08.2018	34882	4000.00	श्री प्रमोद
	योग—	37000.00	

आपत्ति संख्या—16

73. ग्राम पंचायत—ककुआ विकास खण्ड—बरौली अहीर जनपद—आगरा

ग्राम प्रधान श्री बलबीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर—75 ग्राम पंचायत ककुआ वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण प्रकाश में आये जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की सफाई पर ₹0 35150.00 का व्यय दर्शित किया गया है जो नियमों के विपरीत है ग्राम पंचायत में राजकीय सफाई कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है जिसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत की सफाई करना ही है तब ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय सफाई कर्मचारी के रहते हुए व्यय दर्शित किया जाना नियम विरुद्ध पाया गया। राजकीय सफाई कर्म0 प्रतिमाह राजकीय कोष से वेतन प्राप्त करता है तब ग्राम पंचायत सफाई पर व्यय किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। अतः नियम विपरीत किये गये व्यय की धनराशि ₹0 35150.00 ब्याज सहित वसूली आधी—आधी प्रधान श्री बलबीर सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर—76 वित्तीय वर्ष 18—19 में ग्राम पंचायत द्वारा तालाब खुदाई व जल निकासी पर ₹0 24640.00 का व्यय किया गया है, लेखा परीक्षा की जांच में प्रकाश में आया की जिस माह में उक्त कार्य किया गया है उस समय भारी वारिस का मोसम होता है तब किस परिस्थिति में तालाब खुदाई व जल निकासी की गई सामान्य परिस्थिति में कोई भी उक्त माह ऐसा कार्य नहीं करता है अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियम विपरीत राजकीय धन का व्यय दर्शाकर दुरुपयोग किया गया है। अतः नियम विपरीत किये गये व्यय की धनराशि ₹0 24640.00 की ब्याज सहित वसूली आधी—आधी ग्राम प्रधान श्री बलबीर सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—17

वार्षिक प्रतिवेदन पंचायत 2018—19 जनपद मैनपुरी मंडल आगरा।**01. ग्राम पंचायत—अगौथा विकास खण्ड—मैनपुरी**

प्रस्तर 1— लेखा परीक्षा वर्षों 16—17 से 18—19 के अभिलेख सचिव—प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार ₹0 82.56 लाख व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव—प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी।

07. ग्राम पंचायत—चांदपुर विकास खण्ड—मैनपुरी

08. ग्राम पंचायत—धरमंगदपुर नगरिया विकास खण्ड—मैनपुरी

09. ग्राम पंचायत—हलपुरा विकास खण्ड—मैनपुरी

10. ग्राम पंचायत—जवांपुर विकास खण्ड—मैनपुरी

11. ग्राम पंचायत-कांकन विकास खण्ड-मैनपुरी

1307

12. ग्राम पंचायत-करीमगंज विकास खण्ड-मैनपुरी

13. ग्राम पंचायत-कृचेला विकास खण्ड-मैनपुरी

14. ग्राम पंचायत-कंआ खेडा विकास खण्ड-मैनपुरी

15. ग्राम पंचायत—लहराएमनीपुर विकास खण्ड—मैनपुरी

16. ग्राम पंचायत-लहरा महुअन विकास खण्ड-मैनपुरी

1308

22. ग्राम पंचायत—रतिभानपुर विकास खण्ड—मैनपुरी

23. ग्राम पंचायत—साथिनी दिलीपपुर विकास खण्ड—मैनपुरी

24. ग्राम पंचायत-शिवसिंहपुर विकास खण्ड-मैनपुरी

25. ग्राम पंचायत—टिंडोली विकास खण्ड—मैनपुरी

26. ग्राम पंचायत—आलमपुर देहा विकास खण्ड—बरनाहल

1310

किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 11130285.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

32. ग्राम पंचायत—भिड़ौरा विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 32— लेखा परीक्षा वर्ष 18—19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18—19 में कुल रु० 2189456.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 2189456.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

33. ग्राम पंचायत—भूरापुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 33— लेखा परीक्षा वर्ष 18—19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18—19 में कुल रु० 1541916.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 1541916.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

34. ग्राम पंचायत—बीनेपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 34— लेखा परीक्षा वर्ष 18—19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18—19 में कुल रु० 2673943.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 2673943.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत—बिरथुआ विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर—35— उप निदेशक पंचायती राज आगरा मंडल आगरा द्वारा करायी गई जांच अवधि दि० 01.01.2016 से 16.06.2017 में विकास कार्यों में रु० 644839.00 का अपहरण बिना कार्य कराये भुगतान तथा रु० 2800818.00 का व्यय दुरुपयोग पाया गया। जिसकी वसूली की कार्यवाही न्यायालय द्वारा होने वाले अंतिम निर्णय के उपरान्त अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में दर्शित उक्त व्यय के अभिलेख अनुपलब्ध रहे। न्यायालय निर्णय उपरान्त दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

36. ग्राम पंचायत—चंदीकरा विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर—36 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग—2 उ०प्र० शासन के शा०सं० 1629/33—3—2015 दि० 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित अनुदान की धनराशि के हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 234/33—2015—02/2016 दि० 18 फर० 2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 18—19 में हैण्डपम्प मरम्मत में रु० 176000.00 रिबोर में रु० 340000.00 व रामवीर के घर से बुद्धविहार तक सीसी व नाली निर्माण रु० 239145.00 में न तो तकनीकी स्वीकृति और न ही वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है जबकि इन कार्यों में रु० 755145.00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 के अनुसार

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार

उक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति कनि० अभियंता ग्रा०अभि०सेवा, अवर अभि० जिला पंचायत से प्राप्त नहीं की गई है, न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष सहा०वि०अधि० पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त की गई है। अतः वर्ष 18-19 में रु० 755145.00 का व्यय नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

37. ग्राम पंचायत—ढकपुरा विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 37— लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल रु० 1217696.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 1217696 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत—एमहासनगर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 38— लेखा परीक्षा वर्षों 15-16 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 15-16 में रु० 30000.00, वर्ष 16-17 में रु० 681400.00, वर्ष 17-18 में रु० 781300.00, और वर्ष 18-19 में रु० 1113307.00 कुल रु० 2606007.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 2606007.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत—गढिया जैनपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 39— लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल रु० 2270766.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 2270766 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

40. ग्राम पंचायत—गोटपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 40— लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल रु० 2568111 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 2568111 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव व प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

41. ग्राम पंचायत—जैतपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 41— लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल रु० 1757346 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव

वर्षों में व्यय रु0 6818700.47 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

47. ग्राम पंचायत—खुशालपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर—47 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शा0सं0 1629/33-3-2015 दि0 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित अनुदान की धनराशि के हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 234/33-2015-02/2016 दि0 18 फर0 2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 18-19 में हैण्डपम्प मरम्मत में रु0 187275 रिबोर में रु0 307975, प्रशासनिक व्यय रु0 94539 व रामेश्वर के घर से चंदेल के घर तक नाली निर्माण रु0 119000 में न तो तकनीकी स्वीकृति और न ही वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है जबकि इन कार्यों में रु0 708789 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 के अनुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार

उक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति कनि0 अभियंता ग्रा0अभि0सेवा, अवर अभि0 जिला पंचायत से प्राप्त नहीं की गई है और न ही कार्य समाप्ति के उपरांत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष सहा0वि0अधि0 पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त की गई है। अतः वर्ष 18.19 में रु0 708789 का व्यय नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

48. ग्राम पंचायत—लाखनमऊ विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 48— लेखा परीक्षा वर्षों 14-15 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 14-15 में रु0 923075 वर्ष 15-16 में रु0 757520, वर्ष 16-17 में रु0 1578985, वर्ष 17-18 में रु0 2534445 और वर्ष 18-19 में रु0 3342610 कुल रु0 9136635 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु0 9136635 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

49. ग्राम पंचायत—मढामई विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 49— लेखा परीक्षा वर्षों 15-16 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 15-16 में रु0 47500, वर्ष 16-17 में रु0 884277.35, वर्ष 17-18 में रु0 716737.70, और वर्ष 18-19 में रु0 1138945 कुल रु0 2787360.05 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु0 2787360.05 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

50. ग्राम पंचायत—मुगलपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 50— लेखा परीक्षा वर्षों 15-16 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 15-16 में रु0 636540, वर्ष 16-17 में रु0 689021.53, वर्ष 17-18 में रु0 835270, और वर्ष 18-19 में रु0 1543288.65 कुल रु0 3704120.18 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम

51. ग्राम पंचायत-नवाटेडा विकास खण्ड-बरनाहल

52. ग्राम पंचायत-निटावली विकास खण्ड-बरनाहल

53. ग्राम पंचायत-नोरमई विकास खण्ड-बरनाहल

54. ग्राम पंचायत-पैराशाहपुर विकास खण्ड-बरनाहल

55. ग्राम पंचायत-फूलापुर विकास खण्ड-बरनाहल

1316

61. ग्राम पंचायत—सोथरा विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 61— लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 16-17 में ₹0 1435905.25, वर्ष 17-18 में ₹0 920035 और वर्ष 18-19 में ₹0 2537507 कुल ₹0 4893447.25 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 4893447.25 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

62. ग्राम पंचायत—सुनुपुर विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 62— लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल ₹0 1109680 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 1109680 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

63. ग्राम पंचायत—उरथान विकास खण्ड—बरनाहल

प्रस्तर 63— लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 14-15 में ₹0 1832210, वर्ष 15-16 में ₹0 1015343, वर्ष 16-17 में ₹0 2184440, वर्ष 17-18 में ₹0 1939500 और वर्ष 18-19 में ₹0 4314689 कुल ₹0 11286182 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 11286182 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

64. ग्राम पंचायत—ब्रम्होरी अवाहार विकास खण्ड—धिरोर

प्रस्तर 64— लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 14-15 में ₹0 910530, वर्ष 15-16 में ₹0 615020.19, वर्ष 16-17 में ₹0 1088024.75, वर्ष 17-18 में ₹0 2475699 और वर्ष 18-19 में ₹0 2735945.10 कुल ₹0 7825219.04 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 7825219.04 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

65. ग्राम पंचायत—फाजिलपुर विकास खण्ड—धिरोर

प्रस्तर 65— लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 से 17-18 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 14-15 में ₹0 396218 वर्ष 15-16 में ₹0 221890, वर्ष 16-17 में ₹0 692040 और वर्ष 17-18 में ₹0 416012.50 कुल ₹0 1726160.50 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 1726160.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

66. ग्राम पंचायत—हराई विकास खण्ड—घिरोर

प्रस्तर 66— लेखा परीक्षा वर्षों 10-11 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 10-11 में ₹0 153800, वर्ष 11-12 में ₹0 785261, वर्ष 12-13 में ₹0 532084, वर्ष 13-14 में ₹0 781812, वर्ष 14-15 में ₹0 966295, वर्ष 15-16 में ₹0 58137.19, वर्ष 16-17 में ₹0 322144, वर्ष 17-18 में ₹0 3714929 और वर्ष 18-19 में ₹0 2243035 कुल ₹0 9557497.19 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 9557497.19 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

67. ग्राम पंचायत—हिम्मतपुर हराई विकास खण्ड—घिरोर

प्रस्तर 67— लेखा परीक्षा वर्षों 16-17 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 16-17 में ₹0 676953, वर्ष 17-18 में ₹0 1194028.80 और वर्ष 18-19 में ₹0 1576932.90 कुल ₹0 3447914.70 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 3447914.70 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

68. ग्राम पंचायत—कल्होर पवा विकास खण्ड—घिरोर

प्रस्तर 68— लेखा परीक्षा वर्षों 11.12 से 12.13 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 11-12 में ₹0 60600, वर्ष 12-13 में ₹0 1456640 कुल ₹0 1517240 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 1517240 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 69— लेखा परीक्षा वर्षों 16-17 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 16-17 में ₹0 1227035.3, वर्ष 17-18 में ₹0 3839909.55 और वर्ष 18-19 में ₹0 3501531.36 कुल ₹0 8568476.21 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 8568476.21 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

69. ग्राम पंचायत—कल्होर पछां विकास खण्ड—घिरोर

प्रस्तर 70— लेखा परीक्षा वर्षों 10-11 से 18-19 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 11-12 में ₹0 60600, वर्ष 12-13 में ₹0 1456640, वर्ष 13-14 में ₹0 1699860, वर्ष 14-15 में ₹0 3040136, वर्ष 15-16 में ₹0 793196, वर्ष 16-17 में ₹0 3122825.25, वर्ष 17-18 में ₹0 3900656.25 और वर्ष 18-19 में ₹0 6990029 कुल ₹0 21063942.50 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय ₹0 21063942.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

111. ग्राम पंचायत-इंदरपुर सुजानपुर विकास खण्ड-किशनी

112. ग्राम पंचायत-जटपुरा विकास खण्ड-किशनी

113. ग्राम पंचायत-समान विकास खण्ड-किशनी

114. ग्राम पंचायत-कूरसंडा विकास खण्ड-किशनी

115. ग्राम पंचायत-रामनगर विकास खण्ड-किशनी

1328

121. ग्राम पंचायत—सरजनपुर विकास खण्ड—सुल्तानगंज

122. ग्राम पंचायत—रुई सिनौरा विकास खण्ड—सुल्तानगंज

123. ग्राम पंचायत-न0सेमर विकास खण्ड-सुल्तानगंज

124. ग्राम पंचायत—मोहनपुर विकास खण्ड—सुल्तानगंज

125. ग्राम पंचायत—सिवाय भिड़ौरा विकास खण्ड—सुल्तानगंज

1330

126. ग्राम पंचायत—मरहरी विकास खण्ड—सुल्तानगंज

127. ग्राम पंचायत-दुधौना विकास खण्ड-सुल्तानगंज

128. ग्राम पंचायत—नाका विकास खण्ड—सुल्तानगंज

129. ग्राम पंचायत—जगतपुर विकास खण्ड—सुल्तानगंज

130. ग्राम पंचायत—मेरापुर सूजापुर विकास खण्ड—सुल्तानगंज

1331

180. ग्राम पंचायत—एमनपुर विकास खण्ड—करहल

181-ग्राम पंचायत-सहस्र विकास खण्ड-करहल

182. ग्राम पंचायत—अल्लीपुर विकास खण्ड—करहल

183. ग्राम पंचायत—खजूराराइज्जतपुर विकास खण्ड—करहल

184. ग्राम पंचायत—बुरामई विकास खण्ड—करहल

1342

दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव-प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 11.39 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

185. ग्राम पंचायत-अंजनी विकास खण्ड-मैनपुरी

प्रस्तर 187- लेखा परीक्षा वर्षों 11-12 से 18-19 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु० 8256233 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव-प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय रु० 8256233 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

जनपद फिरोजाबाद मंडल आगरा

(1) ग्राम पंचायत आमौर नगला जीवन, विकास क्षेत्र- मदनपुर (आ०सं०-03)

प्रस्तर क्र० 01-वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सपटित पैरा 349 के अनुसार-

ग्राम पंचायत द्वारा रु० 9,38,828.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 9,38,828.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पदमवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(2) ग्राम पंचायत-लौहरई, विकास क्षेत्र-मदनपुर (आ०सं०-03)

प्रस्तर क्र० 02-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन के शा०सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शा० सं०-234/33-3-2015 -02/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 45,600.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस व्यय के सम्बन्ध में इंगित करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह व्यय माननीय जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी फिरोजाबाद के मौखिक निर्देशों के उपरान्त किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बिना उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के सम्भव नहीं है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती मधू सगर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती चन्द्रकला, वर्तमान प्रधान
श्रीमती मधू सगर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 22,800.00
रु0 22,800.00

(3) ग्राम पंचायत—लखनई, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 03—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 45,600.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री मनोज कुमार, वर्तमान प्रधान
श्रीमती मधू सगर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 22,800.00
रु0 22,800.00

(4) ग्राम पंचायत—दौलतपुर कर्खा, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 04—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री बुद्ध सिंह, वर्तमान प्रधान
श्रीमती मधू सगर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(5) ग्राम पंचायत—आटेपुर, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03,04)

प्रस्तर क्र0 05—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 3,53,154.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 3,53,154.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती मधू सगर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 06—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी

मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती विमलेश कुमारी, वर्तमान प्रधान
श्रीमती मधू सगर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(6) ग्राम पंचायत—जैमत्पुर, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर 07—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री उमाशंकर, वर्तमान प्रधान
श्रीमती मधू सगर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(7) ग्राम पंचायत—परिहारमउ, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 08—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 9,63,007.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 9,63,007.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती संध्या किरन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(8) ग्राम पंचायत—मदनपुर, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 09—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री विजय कुमार, वर्तमान प्रधान
श्री राजकुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(9) ग्राम पंचायत—गुराउ, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 10—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के

सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री श्यामप्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 11,450.00
श्री राजकुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 11,450.00

(10) ग्राम पंचायत—शेरपुर मदनपुर, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03,04)

प्रस्तर क्र0 11—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री उमाशंकर, वर्तमान प्रधान	रु0 11,400.00
श्री संजीव चतुर्वेदी, ग्रा0पं0अधि0	रु0 11,400.00

प्रस्तर क्र0 12—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 7,58,005.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 7,58,005.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(11) ग्राम पंचायत—भदान, विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 13—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 53,01,233.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 53,01,233.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार द्वितीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(12) ग्राम पंचायत—सलेमपुर खुटियाना, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—04)

प्रस्तर क्र0 14—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 38,065.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती अतर प्यारी, वर्तमान प्रधान	रु0 19,032.50
श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 19,032.50

(13) संस्था का नाम—ग्राम पंचायत कटौरा, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—04)

प्रस्तर क्र0 15—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 18,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री मान सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 9,450.00

श्री अरुण कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 9,450.00

(14) ग्राम पंचायत—बनवारा, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 16—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2,75,628.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 2,75,628.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रवीश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(15) ग्राम पंचायत—कचमई, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 17—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 3,65,206.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 3,65,206.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(16) ग्राम पंचायत—कटौरा, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 18—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 50,125.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री मान सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 25,062.50

श्री अरुण कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 25,062.50

(17) ग्राम पंचायत—जाजूमई, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 19—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 69,96,470.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज

अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 699647.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(18) ग्राम पंचायत—फतेहपुर नरायन सिंह, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—3)

प्रस्तर क्र0 20—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 2,73,100.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 2,73,100.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(19) ग्राम पंचायत—खेरिया अहमद, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 21—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 6,43,094.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 6,43,094.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री करतार सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(20) ग्राम पंचायत—अतुरा, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 22—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रभाकर, वर्तमान प्रधान	रू0 9,950.00
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रू0 9,950.00

(21) ग्राम पंचायत—टोडरपुर बोथरी, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 23—विशेषसचिव उ0प्र0शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शा0 सं0—ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/-से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रू0 9,30,598 की निर्माण सामग्री बिना निविदा/कोटेशन के क्रय की गई हैं जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(22) ग्राम पंचायत—नवादा, विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 24—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस

कार्य पर ₹0 19,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री कुसुमा देवी, वर्तमान प्रधान
श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

₹0 9,250.00
₹0 9,250.00

(23) ग्राम पंचायत-चिडरई खास, विकास क्षेत्र-जसराना (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 25—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री रामपाल सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री अरुण कुमार, ग्रा0पं0अधि0

₹0 9,950.00
₹0 9,950.00

(24) ग्राम पंचायत-सुरैल नगला काछी, विकास क्षेत्र-जसराना (आ0सं0-04)

प्रस्तर क्र0 26—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 32,760.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती महादेवी, वर्तमान प्रधान
श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

₹0 16,380.00
₹0 16,380.00

(25) ग्राम पंचायत-औरंगाबाद, विकास क्षेत्र-जसराना (आ0सं0-04)

प्रस्तर क्र0 27—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 38,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती बल्लोदेवी, वर्तमान प्रधान
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 19,400.00
रु0 19,400.00

(26)ग्राम पंचायत-चनारी, विकास क्षेत्र-जसराना (आ0सं0-02,04)

प्रस्तर क्र0 28—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री हरिपाल सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 9,950.00
रु0 9,950.00

प्रस्तर क्र0 29—विशेष सचिव उ0प्र0शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शा0 सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000/-से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/-से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 8,95,135.00 की निर्माण सामग्री बिना निविदा/कोटेशन के क्रय की गई हैं जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री हरिपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव कुमार उत्तरदायी है।

(27) ग्राम पंचायत-यंगमूरपुर पबरई, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-01,03)

प्रस्तर क्र0 30—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 45,600.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विपिन यादव, वर्तमान प्रधान
श्री अमन प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0

रु0 22,800.00
रु0 22,800.00

प्रस्तर क्र0 31—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4,61,307.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 4,61,307.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री विपिन यादव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमन प्रसाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(28) ग्राम पंचायत खेरी-एमा, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-02)

प्रस्तर क्र0 32—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1,28,000.00 के निर्माण कार्य-10 डस्टबिन क्रय कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से

प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 1,28,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(29) ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास क्षेत्र—एका (आ0सं0—02,03,23)

प्रस्तर क्र0 33—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 56,700.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री दिग्विजय सिंह, वर्तमान प्रधान	रू0 28,350.00
श्री आर्यन धाकरे, ग्रा0पं0अधि0	रू0 28,350.00

प्रस्तर क्र0 34—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 7,75,746.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 7,75,746.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 35—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 16 नग डस्टबिन दर 8000 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रू0 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रू0 1250 का अधिक व्यय करते हुए कुल रू0 20,000 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(30) ग्राम पंचायत—पिलखतर जैत, विकास क्षेत्र—एका (आ0सं0—01,22)

प्रस्तर क्र0 36—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 19,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री ओम कुमार, वर्तमान प्रधान	रू0 9,750.00
श्री आर्यन धाकरे, ग्रा0पं0अधि0	रू0 9,750.00

प्रस्तर क्र0 37—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 12,27,844.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज

अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 12,27,844.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री ओमकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(31) ग्राम पंचायत—नगला गोकुल, विकास क्षेत्र—एका (आ0सं0—21)

प्रस्तर क्र0 38—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 91,200.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती बबीता, वर्तमान प्रधान	रू0 45,600.00
श्री रामचन्द्र, ग्रा0पं0अधि0	रू0 45,600.00

(32) ग्राम पंचायत—पिलखतर फतेह, विकास क्षेत्र—एका (आ0सं0—21)

प्रस्तर क्र0 39—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 38,400.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती संध्या देवी, वर्तमान प्रधान	रू0 19,200.00
श्री आर्यन धाकरे, ग्रा0पं0अधि0	रू0 19,200.00

प्रस्तर क्र0 40—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 7,08,792.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 7,08,792.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(33) ग्राम पंचायत—रूहासी, विकास क्षेत्र—एका (आ0सं0—01,22)

प्रस्तर क्र0 41—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 32 नग डस्टबिन दर 8000 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रू0 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रू0 1250 का अधिक व्यय करते हुए कुल रू0 40,000 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 42—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 8,53,731.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,53,731.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(34) ग्राम पंचायत—गींगना, विकास क्षेत्र—एका (आ०सं०—22)

प्रस्तर क्र० 43—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 45,600.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती राजवती देवी, वर्तमान प्रधान	₹0 22,800.00
श्री रामचन्द्र, ग्रा०पं०अधि०	₹0 22,800.00

(35) ग्राम पंचायत—गिनौली, विकास क्षेत्र—एका (आ०सं०—01,22)

प्रस्तर क्र० 44—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 5,78,197.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,78,197.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 45—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 18,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रेमपाल सिंह, वर्तमान प्रधान	₹0 9,450.00
श्री संदीप कुमार, ग्रा०पं०अधि०	₹0 9,450.00

(36) ग्राम पंचायत—कादीपुर, विकास क्षेत्र—एका (आ०सं०—01,22)

प्रस्तर क्र० 46—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 11,74,560.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,74,560.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी तथा ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री रामचन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 47—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 1,00,700.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती सुनीता देवी, वर्तमान प्रधान

रु० 50,350.00

श्री रामचन्द्र, ग्रा०पं०अधि०

रु० 50,350.00

(37) ग्राम पंचायत—आपुर, विकास क्षेत्र—एका

(आ०सं०—02,03)

प्रस्तर क्र० 48—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 3,30,206.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 3,30,206.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री वीरपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 49—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 10,300.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरपाल सिंह, वर्तमान प्रधान

रु० 5,150.00

श्री पुष्पेन्द्र कुमार, ग्रा०पं०अधि०

रु० 5,150.00

(38) ग्राम पंचायत—उडेसर रुद्रसिंह, विकास क्षेत्र—एका

(आ०सं०—02,03)

प्रस्तर क्र० 50—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 2,84,346.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 2,84,346.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री हरिशचन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 51—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 66,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित

दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री हरिशचन्द्र, वर्तमान प्रधान	रु0 33,250.00
श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0	रु0 33,250.00

(39) ग्राम पंचायत-नगला अचल, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-01,02)

प्रस्तर क्र0 52—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1,92,000.00 के डस्टबिन क्रय करने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 1,92,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती रामदेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर क्र0 53—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती रामदेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 9,950.00
श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0	रु0 9,950.00

(40) ग्राम पंचायत-मिलावली, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-02)

प्रस्तर क्र0 54—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 8,69,335.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 8,69,335.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री कृष्णमुरारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(41) ग्राम पंचायत-नगला धीर, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-02)

प्रस्तर क्र0 55—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2,64,922.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 2,64,922.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जूदेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(42) ग्राम पंचायत-उडेसर गजाधर सिंह, विकास क्षेत्र-एका (आ0सं0-02)

प्रस्तर क्र0 56—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 92,810.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया

है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री प्रदीप कुमार, वर्तमान प्रधान
श्री रामनाथ, ग्रा०पं०अधि०

रु० 46,405.00
रु० 46,405.00

(43) ग्राम पंचायत-गोपालपुर, विकास क्षेत्र-एका (आ०सं०-02)

प्रस्तर क्र० 57—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 3,16,113.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 3,16,113.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीतादेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(44) ग्राम पंचायत-खडीत, विकास क्षेत्र-एका (आ०सं०-02)

प्रस्तर क्र० 58—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 42,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती शकुन्तला देवी, वर्तमान प्रधान
श्री रामनाथ, ग्रा०पं०अधि०

रु० 21,000.00
रु० 21,000.00

(45) ग्राम पंचायत-त्रिलोकपुर, विकास क्षेत्र-नारखी (आ०सं०-03)

प्रस्तर क्र० 59—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 39,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती राधारानी, वर्तमान प्रधान
श्री सतीशचन्द्र शर्मा, ग्रा०पं०अधि०

रु० 19,900.00
रु० 19,900.00

(46) ग्राम पंचायत-मुईउद्दीनपुर, विकास क्षेत्र-नारखी (आ०सं०-03,04)

प्रस्तर क्र० 60—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस

कार्य पर ₹0 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री डारन सिंह, वर्तमान प्रधान	₹0 9,950.00
श्री सतीशचन्द्र शर्मा, ग्रा0पं0अधि0	₹0 9,950.00

प्रस्तर क्र0 61—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 5,21,500.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,21,500.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती डारन सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीशचन्द्र शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(47) ग्राम पंचायत-पचवान, विकास क्षेत्र-नारखी (आ0सं0-03,04)

प्रस्तर क्र0 62—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 59,700.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती मिथलेश, वर्तमान प्रधान	₹0 29,850.00
श्री सतीश चन्द्र शर्मा, ग्रा0पं0अधि0	₹0 29,850.00

प्रस्तर क्र0 63—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2,30,000.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,30,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीषचन्द्र शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 64—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर ₹0 14,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 14,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मिथलेश, वर्तमान प्रधान	₹0 7,000.00
श्री सतीशचन्द्र शर्मा, ग्रा0पं0अधि0	₹0 7,000.00

(48) ग्राम पंचायत-हरदासपुर कोटला, विकास क्षेत्र-नारखी (आ0सं0-03,04)

प्रस्तर क्र0 65 ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर ₹0 39,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया

है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मुन्नी देवी, वर्तमान प्रधान
श्री सतीशचन्द्र शर्मा, ग्रा०पं०अधि०

रु० 19,900.00
रु० 19,900.00

प्रस्तर क्र० 66—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 7,82,360.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 7,82,360.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीशचन्द्र शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(49) ग्राम पंचायत—दौलतपुर, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03,04)

प्रस्तर क्र० 67—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 19,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती नीरज देवी, वर्तमान प्रधान
श्री सतीशचन्द्र शर्मा, ग्रा०पं०अधि०

रु० 9,950.00
रु० 9,950.00

प्रस्तर क्र० 68—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 10,96,450.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 10,96,450.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नीदेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीषचन्द्र शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(50) ग्राम पंचायत—गौँछ, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03)

प्रस्तर क्र० 69—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 4,36,430.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 4,36,430.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीशचन्द्र वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(51) ग्राम पंचायत—जसरथपुर, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03)

प्रस्तर क्र० 70—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं।

श्रीमती शकुन्तला, वर्तमान प्रधान
श्री दीपक यादव, ग्रा०प०अधि०

रु० 11,450.00
रु० 11,450.00

(56) ग्राम पंचायत—खेरिया कलां, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03)

प्रस्तर क्र० 75—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 6,91,225.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 6,91,225.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(57) ग्राम पंचायत—डौरी, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03)

प्रस्तर क्र० 76—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 22,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामवीर सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री रघुवीर सिंह, ग्रा०प०अधि०

रु० 11,450.00
रु० 11,450.00

(58) ग्राम पंचायत—नारखी धौकल, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03,04)

प्रस्तर क्र० 77—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 45,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती दुर्गेशनन्दनी, वर्तमान प्रधान
श्री राजेश धाकरे, ग्रा०प०अधि०

रु० 22,900.00
रु० 22,900.00

प्रस्तर क्र० 78—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 31,43,280.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 31,43,280.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती दुर्गेशनन्दनी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(59) ग्राम पंचायत—गांगनी, विकास क्षेत्र—नारखी (आ०सं०—03)

प्रस्तर क्र० 79—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 25,11,185.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य

समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 25,11,185.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मुईन फातिमा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जसवन्त सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(60)ग्राम पंचायत-नैपई, विकास क्षेत्र-नारखी

(आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 80—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 58,89,025.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 58,89,025.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्वनी कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(61) ग्राम पंचायत-गढी रन्छोर, विकास क्षेत्र-नारखी

(आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 81—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 68,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुमन कुमार, वर्तमान प्रधान

रू0 34,450.00

श्री प्रणवीर सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रू0 34,450.00

(62) ग्राम पंचायत-रतौली, विकास क्षेत्र-नारखी

(आ0सं0-03,04)

प्रस्तर क्र0 82—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 45,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सत्यप्रकाश, वर्तमान प्रधान

रू0 22,900.00

श्री प्रणवीर सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रू0 22,900.00

प्रस्तर क्र0 83—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 12,69,724.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 12,69,724.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रणवीर सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, श्री जसवन्त सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(69) ग्राम पंचायत—कातिकी, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 90—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 18,28,468.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 18,28,468.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीशचन्द्र शर्मा, श्री जसवन्त सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(70) ग्राम पंचायत—कायथा, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03,04)

प्रस्तर क्र0 91—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 58,44,842.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 58,44,842.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार, श्री जसवन्त सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 92—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 91,600.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुनील कुमार, वर्तमान प्रधान	रू0 45,800.00
श्री सौरभ कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रू0 45,800.00

(71) ग्राम पंचायत—कोटला, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 93—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 8,20,226.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 8,20,226.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सौरभ अग्रवाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(72) ग्राम पंचायत—बहोरनपुर, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 94—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 8,04,952.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 8,04,952.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(73) ग्राम पंचायत—बदनपुर, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 95—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 7,45,325.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 7,45,325.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(74) ग्राम पंचायत—भीतरी, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 96—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 11,86,872.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 11,86,872.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(75) ग्राम पंचायत—कछपुरा, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03,04)

प्रस्तर क्र0 97—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,900.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 11,450.00

श्री राजेश कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रू0 11,450.00

प्रस्तर क्र0 98—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 8,52,413.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 8,52,413.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(76) ग्राम पंचायत—जाटउ, विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 99—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 28,98,000.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 28,98,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्वनी कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुकेश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(83) ग्राम पंचायत—बनीपुरा, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 106—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 10 नग डस्टबिन दर 8960 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रू0 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रू0 2210 का अधिक व्यय करते हुए कुल रू0 22,100 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र गौतम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(84) ग्राम पंचायत—भामई, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—01,22)

प्रस्तर क्र0 107—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 11,02,120.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 11,02,120.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री महीपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 108—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 44,132.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री महीपाल, वर्तमान प्रधान	रू0 22,066.00
श्री जितेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रू0 22,066.00

(85) ग्राम पंचायत—नगला हिम्मत, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—01)

प्रस्तर क्र0 109—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 9,23,289.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 9,23,289.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(86) ग्राम पंचायत—श्यावरी, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—01)

प्रस्तर क्र0 110—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 10,10,740.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 10,10,740.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज यादव तथा ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(87) ग्राम पंचायत—नगला किरार, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—01,03)

प्रस्तर क्र0 111—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 19,588.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती शिवकान्ती देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 9,794.00
श्री जितेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 9,794.00

(88) ग्राम पंचायत—जरौली, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—01)

प्रस्तर क्र0 112—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 7,87,327.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 7,87,327.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(89) ग्राम पंचायत—आजमाबाद अरौव, विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—01,22)

प्रस्तर क्र0 113—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 11,52,556.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 11,52,556.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती भगवान देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 114—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 45,60.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती भगवान देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 22,800.00
श्री प्रदीप सिंह यादव, ग्रा0पं0अधि0	रु0 22,800.00

(90) ग्राम पंचायत—राहतपुर, विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—01,22)

प्रस्तर क्र0 115—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 19,53,223.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य

समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू० 19,53,223.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री कायम सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 116—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू० 31,250.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री कायम सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री महेश कठेरिया, ग्रा०प०अधि०

रू० 15,625.00
रू० 15,625.00

(91) ग्राम पंचायत—सोथरा, विकास क्षेत्र—अरौव

(आ०सं०—01,22,24)

प्रस्तर क्र० 117—ग्राम पंचायत द्वारा रू० 6,74,483.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू० 6,74,483.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 118—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू० 22,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सोनेलाल, वर्तमान प्रधान
श्री जमुनादास, ग्रा०प०अधि०

रू० 11,000.00
रू० 11,000.00

प्रस्तर क्र० 119—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 35 नग डस्टबिन दर 8000 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रू० 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रू० 1250 का अधिक व्यय करते हुए कुल रू० 43,750 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(92) ग्राम पंचायत—सैफपुर, विकास क्षेत्र—अरौव

(आ०सं०—01)

प्रस्तर क्र० 120 ग्राम पंचायत द्वारा रू० 2,69,477.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य

समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 2,69,477.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती आरती देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(93) ग्राम पंचायत-बैजुआ-खास, विकास क्षेत्र-अरॉव (आ0सं0-01)

प्रस्तर क्र0 121—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 17,68,653.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 17,68,653.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(94) ग्राम पंचायत-सकतपुर, विकास क्षेत्र-अरॉव (आ0सं0-01)

प्रस्तर क्र0 122—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 7,20,433.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 7,20,433.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुभाष तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(95) ग्राम पंचायत-किसरॉव, विकास क्षेत्र-अरॉव (आ0सं0-01)

प्रस्तर क्र0 123—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 16,46,544.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 16,46,544.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(96) ग्राम पंचायत-हुसैनपुर बैजुआ, विकास क्षेत्र-अरॉव (आ0सं0-01,22)

प्रस्तर क्र0 124—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4,39,987.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 4,39,987.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 125—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 40,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी

मितव्ययतापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री सत्यप्रकाश, वर्तमान प्रधान
श्री महेश कठेरिया, ग्रा०पं०अधि०

रु० 20,000.00
रु० 20,000.00

(97) ग्राम पंचायत—धरमई, विकास क्षेत्र—अरॉव (आ०सं०—22)

प्रस्तर क्र० 126—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती राजन श्री, वर्तमान प्रधान
श्री विवेकानन्द मिश्र, ग्रा०पं०अधि०

रु० 11,400.00
रु० 11,400.00

(98) ग्राम पंचायत—गुरैया सोयलपुर, विकास क्षेत्र—अरॉव (आ०सं०—01,22)

प्रस्तर क्र० 127—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 20,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती मीना देवी, वर्तमान प्रधान
श्री जमुनादास, ग्रा०पं०अधि०

रु० 10,000.00
रु० 10,000.00

प्रस्तर क्र० 128—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 25 नग डस्टबिन दर 8000 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रु० 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रु० 1250 का अधिक व्यय करते हुए कुल रु० 31,250.00 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(99) ग्राम पंचायत—सींगेमई, विकास क्षेत्र—अरॉव (आ०सं०—01)

प्रस्तर क्र० 129—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 15,20,029.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 15,20,029.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(100) ग्राम पंचायत-वनीपुर, विकास क्षेत्र-अरौंव**(आ0सं0-01,22)**

प्रस्तर क्र0 130—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 7,82,215.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 7,82,215.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 131—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री देवेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान

रू0 11,000.00

श्री रजनेश कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रू0 11,000.00

(101) ग्राम पंचायत-कीठौत, विकास क्षेत्र-अरौंव**(आ0सं0-01)**

प्रस्तर क्र0 132 ग्राम पंचायत द्वारा रू0 5,10,250.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 5,10,250.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(102) ग्राम पंचायत-सेनावली, विकास क्षेत्र-अरौंव**(आ0सं0-01,22)**

प्रस्तर क्र0 133—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 5,86,880.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 5,86,880.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 134—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 40,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजेश कुमार, वर्तमान प्रधान
श्री महेश कठेरिया, ग्रा०पं०अधि०

रु० 20,000.00
रु० 20,000.00

(103) ग्राम पंचायत—रामनगर, विकास क्षेत्र—अर्रोंव (आ०सं०—22)

प्रस्तर क्र० 135—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 22,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री संजय कुमार, वर्तमान प्रधान
श्री प्रदीप सिंह यादव, ग्रा०पं०अधि०

रु० 11,250.00
रु० 11,250.00

(104) ग्राम पंचायत—बामई, विकास क्षेत्र—अर्रोंव (आ०सं०—01)

प्रस्तर क्र० 136—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से प्राप्त धनराशि से 12 नग डस्टबिन दर 8000 प्रति नग से क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा रु० 6,750.00 प्रति नग डस्टबिन दर निर्धारित की गई थी अतः प्रति नग रु० 1250 का अधिक व्यय करते हुए कुल रु० 15,000.00 का अधिक भुगतान नियम विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(105) ग्राम पंचायत—सिरौलिया, विकास क्षेत्र—अर्रोंव (आ०सं०—01)

प्रस्तर क्र० 137—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु० 22,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राधेश्याम, वर्तमान प्रधान
श्री प्रदीप सिंह यादव, ग्रा०पं०अधि०

रु० 11,250.00
रु० 11,250.00

(106) ग्राम पंचायत—कुढीना, विकास क्षेत्र—अर्रोंव (आ०सं०—01,22)

प्रस्तर क्र० 138—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 9,82,326.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 9,82,326.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवओम वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र० 139—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये

हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,500.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री धर्मवीर सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री शिवओम वर्मा, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,250.00
रु0 11,250.00

(107) ग्राम पंचायत-भारौल, विकास क्षेत्र-अरौव (आ0सं0-22)

प्रस्तर क्र0 140—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 45,000.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामबरन, वर्तमान प्रधान
श्री प्रदीप सिंह यादव, ग्रा0पं0अधि0

रु0 22,500.00
रु0 22,500.00

(108) ग्राम पंचायत-धीरपुरा, विकास क्षेत्र-दूण्डला (आ0सं0-03,04)

प्रस्तर क्र0 141—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 55,85,333.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 55,85,333.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जसवंत सिंह, श्री ध्रुवेन्द्र कुमार एवं श्री बृजेश निषाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(109) ग्राम पंचायत-मौहम्मदाबाद, विकास क्षेत्र-दूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 142—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 34,04,064.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 34,04,064.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(110) ग्राम पंचायत-सराय नूर महल, विकास क्षेत्र-दूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 143—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के

प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री ब्रजेश निषाद, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(111) ग्राम पंचायत-गढी भूपाल, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 144—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 46,960.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री ब्रह्मदत्त, वर्तमान प्रधान
श्री अशोक सामौरिया, ग्रा0पं0अधि0

रु0 23,480.00
रु0 23,480.00

(112) ग्राम पंचायत-सलेमपुर, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 145—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 3,07,148.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 3,07,148.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इन्द्रलता तोमर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(113) ग्राम पंचायत-मरसैना, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 146—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 6,95,547.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 6,95,547.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मानपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इन्द्रलता तोमर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(114) ग्राम पंचायत-पमारी, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 147—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 48,67,949.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 48,67,949.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकान्ता तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इन्द्रलता तोमर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(115) ग्राम पंचायत-जाजपुर, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 148—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये

हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती शशि देवी, वर्तमान प्रधान

रु0 11,400.00

श्रीमती विनीता, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00

(116) ग्राम पंचायत-छितरई, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 149—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री दयाराम, वर्तमान प्रधान

रु0 11,400.00

श्री धीरेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00

(117)ग्राम पंचायत-कुतुकपुर साहब, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 150—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 68,400.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्रीमती विमला देवी, वर्तमान प्रधान

रु0 34,200.00

श्री रामशंकर,ग्रा0पं0अधि0

रु0 34,200.00

(118) ग्राम पंचायत-टीकरी, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 151—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 16,67,397.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 16,67,397.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(119) ग्राम पंचायत—नगला बलिया, विकास क्षेत्र—टूण्डला**(आ0सं0-03)**

प्रस्तर क्र0 152—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री रविकान्त, वर्तमान प्रधान रू0 11,400.00

श्रीमती विनीता, ग्रा0पं0अधि0 रू0 11,400.00

प्रस्तर क्र0 153—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 4,11,580.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 4,11,580.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रविकान्त तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विनीता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(120) ग्राम पंचायत—सिकरारी, विकास क्षेत्र—टूण्डला**(आ0सं0-03)**

प्रस्तर क्र0 154—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

श्री भगवती प्रसाद, वर्तमान प्रधान रू0 11,400.00

श्री बाबू सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 11,400.00

(121) ग्राम पंचायत—हिम्मतपुर, विकास क्षेत्र—टूण्डला**(आ0सं0-03)**

प्रस्तर क्र0 155—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 24,08,709.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 24,08,709.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती अभय कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इन्द्रलता तोमर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(122) ग्राम पंचायत—गढी निर्भय, विकास क्षेत्र—टूण्डला**(आ0सं0-03)**

प्रस्तर क्र0 156—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित

दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती बेबी कुमारी, वर्तमान प्रधान	रु0 11,400.00
श्री ब्रजेश कुमार निषाद, ग्रा0पं0अधि0	रु0 11,400.00

(123) ग्राम पंचायत-देवखेडा, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 157—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 32,59,882.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 32,59,882.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इन्द्रलता तोमर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(124) ग्राम पंचायत-छिकाउ, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-03,04)

प्रस्तर क्र0 158—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 68,400.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती ममता देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 34,200.00
श्री पीयूष कान्त, ग्रा0पं0अधि0	रु0 34,200.00

प्रस्तर क्र0 159—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 7,15,888.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 7,15,888.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(125) ग्राम पंचायत-ऐलई, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-05)

प्रस्तर क्र0 160—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 24,160.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री शिव सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 12,080.00
रु0 12,080.00

(126) ग्राम पंचायत-चुल्हावली, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-01)

प्रस्तर क्र0 161—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 25,71,848.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 25,71,848.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(127) ग्राम पंचायत-ग्वारई नगला सिंधी, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-01,09)

प्रस्तर क्र0 162—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 27,47,728.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 27,47,728.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 163—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती कमला देवी, वर्तमान प्रधान
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(128) ग्राम पंचायत-बनकट, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-11)

प्रस्तर क्र0 164—दि0 03.04.2018 को रु0 12740 का भुगतान टी0टी0एस0पी0 मरम्मत कार्य हेतु गौतम ट्रेडिंग कम्पनी, दिनांक 15.11.2018 को रु0 5175 का भुगतान टी0टी0एस0पी0 मरम्मत कार्य हेतु संदीप ट्रेडिंग कम्पनी तथा दिनांक 15.11.2018 को रु0 13499 कुल रु0 31414 भुगतान टी0टी0एस0पी0 मरम्मत कार्य हेतु संदीप ट्रेडिंग कम्पनी को किया गया है जबकि इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/बाउचर कई बार माँगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राकेश कुमार, वर्तमान प्रधान
श्री राकेश सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 15,707.00
रु0 15,707.00

(129) ग्राम पंचायत टूण्डला-खाम, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-01)

प्रस्तर क्र0 165—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 9,44,090.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 9,44,090.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती कमलेश तथा ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(130) ग्राम पंचायत गढी-जाफर, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-08,10)

प्रस्तर क्र0 166—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती अंकित कुमारी, वर्तमान प्रधान	रू0 11,400.00
श्री पीयूषकान्त, ग्रा0पं0अधि0	रू0 11,400.00

प्रस्तर क्र0 167—ग्राम प्रधान श्रीमती अंकित कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त ने ग्राम पंचायत गढी-जाफर के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 07.04.2018 को चैक सं0 299165 द्वारा रू0 10500 संयुक्त रूप से आहरित किया है जबकि उस दिनांक को ग्राम पंचायत की कैशबुक (रूपपत्र-6) में इसको अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त धनराशि रू0 10500 का उपयोग का भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती अंकित कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त ने संयुक्त रूप से रू0 10500 का अपहरण किया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंकित कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(131) ग्राम पंचायत लतीफपुर, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-01,09)

प्रस्तर क्र0 168 ग्राम पंचायत द्वारा रू0 10,59,154.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 10,59,154.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर क्र0 169—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री देवेन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधान	रू0 11,400.00
श्री पीयूषकान्त, ग्रा0पं0अधि0	रू0 11,400.00

(132) ग्राम पंचायत कुतुबपुर जारखी, विकास क्षेत्र-टूण्डला (आ0सं0-09)

प्रस्तर क्र0 170—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये

श्री ओमेश प्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 22,800.00
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0	रु0 22,800.00

प्रस्तर क्र0 174—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4,89,982.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 4,89,982.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री ओमेश प्रताप सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(136) ग्राम पंचायत—नियामतपुर, विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—05,11)

प्रस्तर क्र0 175—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री ज्ञान सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 11,400.00
श्री ब्रजेश निषाद, ग्रा0पं0अधि0	रु0 11,400.00

प्रस्तर क्र0 176—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 7,37,391.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 7,37,391.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार निषाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(137) ग्राम पंचायत—धर्मपुर, विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—05)

प्रस्तर क्र0 177—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रु0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 11,400.00
श्री ब्रजेश निषाद, ग्रा0पं0अधि0	रु0 11,400.00

(138) ग्राम पंचायत—सिरौलिया, विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—01)

प्रस्तर क्र0 178—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 5,11,100.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज

अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 5,11,100.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गजराज सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(139) ग्राम पंचायत—रपडी, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 179—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 3,62,000.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रू0 3,62,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(140) ग्राम पंचायत—फतेहपुर कर्खा, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 180—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती पुष्पा देवी, वर्तमान प्रधान

रू0 11,400.00

श्री कृष्ण कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रू0 11,400.00

(141) ग्राम पंचायत—जलालपुर मरघटी, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 181—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती राखी, वर्तमान प्रधान

रू0 11,400.00

श्री सतेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रू0 11,400.00

(142) ग्राम पंचायत—मौहम्मदपुर बैरई, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03,04)

प्रस्तर क्र0 182—ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर रू0 22,800.00 व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ0प्र0सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा—निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के

सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री भंवर सिंह, वर्तमान प्रधान
श्री मुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,400.00
रु0 11,400.00

(143) ग्राम पंचायत—राजपुर बलाई, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 183—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 13,03,376.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 13,03,376.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सिम्मी निम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(144) ग्राम पंचायत—चमरौली, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 184—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 12,16,135.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 12,16,135.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुशलपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(145) ग्राम पंचायत—हरिहा, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 185—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 10,70,000.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 10,70,000.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(146) ग्राम पंचायत—आरौंज, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 186—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 18,89,479.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 18,89,479.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती रमा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(147) ग्राम पंचायत—इन्दुमई, विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—03)

प्रस्तर क्र0 187—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 3,37,803.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 3,37,803.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री साबिर अली संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(165) ग्राम पंचायत-सरगवॉ, विकास क्षेत्र-फिरोजाबाद (आ0सं0-03)

प्रस्तर क्र0 205—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 14,65,370.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 14,65,370.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दाउदयाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 4

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

जनपद—आजमगढ़

मण्डल—आजमगढ़

प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत—ईश्वरपुर पवनी विकास खण्ड—कोयलसा

वर्ष—2017-18 से 2018-19

ग्राम पंचायत ईश्वरपुर पवनी में विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है। विवरण निम्नवत् है—

1—उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रुप पत्र-25 पर रखी जायेगी जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक का विवरण अंकित रहेगा लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2—पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु-2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3—पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक-18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के बिन्दु-1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मंद के बिन्दु-1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रही।

4—लेखा परीक्षा में नेडा द्वारा स्वीकृत सोलर लाईट की दर पत्रावली अनुपलब्ध रही।

5—अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-33/2017/977/45-वि0-2017 दिनांक-29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इस स्थापना का पालन नहीं किया गया है।

6—सोलर लाईट एक प्रोजेक्ट है। जी0पी0डी0 कार्य योजना में एक कार्य है। लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया गया है।

7—इसके लिए अलग से टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

8—स्थान का चयन कार्य योजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है। अस्पष्ट रहा। सोलर लाईट क्रय का विवरण निम्न प्रकार रहा।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
1	03-04-2017	109500/-	शासनादेश के अनुसार रु0-5 लाख से 10 लाख की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय से लेना था किन्तु स्वीकृति नहीं ली गयी
2	05-04-2017	175200/-	
3	22-05-2017	197100/-	
4	22-05-2017	87600/-	
5	22-05-2017	153700/-	

6	26-05-2017	109500 / -	
	योग	8,32,600 / -	

इस प्रकार रु0-832600 / - का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती भारती ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत-भरौली टोडरपुर विकास खण्ड-कोयलसा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत भरौली टोडरपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण/दुर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आया जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत भरौली टोडरपुर में विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है। विवरण निम्नवत् है-

उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 पर रखी जायेगी जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक का विवरण अंकित रहेगा लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु-2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

पंचायत राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक-18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के बिन्दु-1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मंद के बिन्दु-1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रही। लेखा परीक्षा में नेडा द्वारा स्वीकृत सोलर लाईट की दर पत्रावली अनुपलब्ध रही।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-33/2017/977/45-वि0-2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इस स्थापना का पालन नहीं किया गया है। सोलर लाईट एक प्रोजेक्ट है। जी0पी0डी0 कार्य योजना में एक कार्य है। लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया गया है। इसके लिए अलग से टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। स्थान का चयन कार्य योजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है। अस्पष्ट रहा। सोलर लाईट क्रय का विवरण निम्न प्रकार रहा।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
1	07-07-2018	109500 / -	शासनादेश के अनुसार रु0-5 लाख से 10 लाख की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय से लेना था किन्तु स्वीकृति नहीं ली गयी।
2	04-09-2018	109500 / -	
3	05-09-2018	109500 / -	
4	05-11-2018	236500 / -	
	योग	5,65,000 / -	

इस प्रकार रु0-565000 / - का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हेमन्त लाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री संजय ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत-अहिरौली विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-3 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामनिधि-। खाते में दि0 24.10.2018 को बउली पोखरी पर बाथरूम निर्माण कार्य पर ग्राम प्रधान द्वारा रु0 11050.00 का नगद भुगतान करना दर्शित है उक्त भुगतान सामग्री पर किया गया या श्रमांश पर किया गया इसका भी विवरण नहीं दिया गया है।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटेलाल (ग्रा.प्र.) तथा श्री शिवनाथ सरोज (ग्रा.पं.अ.) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-21)

ग्राम पंचायत-बडगहन विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-4 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामनिधि-1 खाते में दिनांक 26-9-2018 को रु. 115736.00 का व्यय, हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित है। मरम्मत स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट डेडस्टाक कितने मूल्य का था तथा वह धनराशि किस कार्य पर कैसे व्यय की गयी। जलप्रबंधन समिति के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं, यह भी ज्ञात न हो सका, क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि रु.115736.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इंदूबाला देवी (ग्रा.प्र.) तथा श्री शिवनाथ सरोज (ग्रा.पं.अ.) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-12)

ग्राम पंचायत-बिजौली विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-5 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामनिधि-। खाते में दि. 2-8-18 को रु.105000.00 तथा दि. 8-8-2018 को रु. 65338.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित है। मरम्मत स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट डेडस्टाक कितने मूल्य का था तथा वह धनराशि किस कार्य पर कैसे व्यय की गयी। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं, यह भी ज्ञात न हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि रु.170338.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आशीष राय (ग्रा.प्र.) तथा श्री शिवनाथ सरोज (ग्रा.पं.अ.) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-21)

ग्राम पंचायत-इरनी अटारपुर विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-6 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामनिधि-। खाते में दि० 6-11-2018 को रु. 30000.00 तथा दि० 12-11-2018 को रु.85000.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर पर दर्शित है। मरम्मत स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि अवशिष्ट डेड स्टाक कितने मूल्य का था तथा वह धनराशि किस कार्य पर कैसे व्यय की गयी। जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प रिबोर हेतु स्वीकृति ली गयी थी या नहीं यह भी ज्ञात न हो सका क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि रु.115000.00 का हैण्डपम्प रिबोर पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति भगिया देवी (ग्रा०प्र०) तथा श्री परमानंद पांडेय (ग्रा०पं०अ०)से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-21)

ग्राम पंचायत-खरगीपुर विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-7 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामनिधि-। खाते में दिनांक 29-6-2018 को रु. 188609.00 का व्यय ह्यूमपाइप क्रय पर दर्शित है। उक्त ह्यूमपाइप को किस कार्य पर एवं किस स्थल पर प्रयोग किया गया, इसका विवरण नहीं दिया गया है किये गये कार्य पर कोई मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। जिसके अभाव में कार्य का होना ही संदिग्ध है, सामग्री क्रय से सम्बंधित कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। शासनादेश संख्या-1/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में ऐसे कार्यस्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजाराम (ग्रा.प्र.) तथा श्री परमानंद पांडेय (ग्रा.पं.अ.) से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-21)

ग्राम पंचायत-रवनियां विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-8 वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि-। खाते में प्रधान मानदेय के रूप में रु 66500.00 का भुगतान दर्शित है। जबकि रु 3500.00 प्रतिमाह की दर से एक वर्ष का कुल मानदेय रु

42000.00 ही बनता है। इस प्रकार रु 24500.00 का अधिक भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण बकाया मानदेय की स्थिति अज्ञात रही। अतः स्पष्ट है कि रु 24500.00 का अधिक भुगतान कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) तथा श्री परमानंद पाण्डेय (ग्रा.पं.अ.) से मय व्याज की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-21)

ग्राम पंचायत-देहदुआर विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-9 दुलारे से घर से चम्पा के खेत तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

- 1- उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र० पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- 2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
- 3- रु० 2.50 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।
- 4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।
- 5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752/प०रा०जी०ए०/2011, पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु० 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।
- 6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।
- 7- उ०प्र० पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी०वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
91.09.2017	उक्त कार्य हेतु प्रधान को दी गयी धनराशि कैश बुक के अनुसार	39500.00
06.10.2017	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	19950.00
06.10.2017	महाब्रह्म शक्ति ईट भट्टा से ईट क्रय	258540.00
16.02.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	4050.00
16.02.2018	" "	11375.00

16.02.2018	महाब्रह्म शक्ति ईट भट्टा से ईट क्रय	59210.00
16.02.2018	" "	65100.00

योग-457725.00

अतः रु0 457725.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमित यादव ;ग्रा0वि0/पं0अ0 से रु0 228862.50 एवं श्री अरुण सिंह ग्राम प्रधान से रु0 228862.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-देहदुआर विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19
प्रस्तर-10 ग्राम प्रधान द्वारा निम्न विवरणानुसार मानदेय प्राप्त किया गया है(कैशबुक के अनुसार)-

माह का विवरण	दिनांक	धनराशि
जनवरी 2017 एवं फरवरी 2017	13.02.2017	5000.00
जनवरी 2017 से अप्रैल 2018 तक	07.05.2018	54000.00
	(1/17 व 2/17 का 5000.00 पुनः भुगतान)	
अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक	28.02.2019	38500.00
	(4/2018 का रु0 3500.00 का पुनः भुगतान)	

इस प्रकार रु0 8500.00 का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान प्राप्त किया गया है। अतः रु0 8500.00का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमित यादव ग्रा0वि0/पं0अ0 से रु0 4250.00 एवं श्री अरुण सिंह ग्राम प्रधान से रु0 4250.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-भादो विकास खण्ड- मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत भादो में खाता प्रथम द्वारा जल निकासी/भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री (ह्यूम पाईप) पर व्यय दर्शाकर दिनांक 10.10.2017/05.03.2018 को रु0 12210.00/68420.00 का भुगतान किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री ,जैसे ईट ,बालू, सिमेन्ट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र ह्यूम पाईप का क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0	दिनांक	वक्र आई-डी0	धनराशि	धनराशि प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
01	10.10.2017	3098445	12210.00	माँ दुर्गा इन्टरप्राइजेस	प्रियासॉफ्ट के विवरण में माँ अष्टभुजी इन्टरप्राइजेस दर्ज है ।
02	05.03.2018	3098445	68420.00	जनता स्पुन पाईप	
		योग-	80630.00		

अतः रु0 80630.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मोती लाल यादव ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 40315.00 एवं श्रीमती गजाला ग्राम प्रधान से रु0 40315.00 किया जाना अपेक्षित है ।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-भादो विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-12 हनीफ के घर से सैयदवाडा तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा ।

विवरण निम्न प्रकार से रहा –

क्र०	दिनांक/	धनराशि	धनराशि प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
01	15.05.2017	179800.00	ग्राम प्रधान	इस कार्य पर ईट क्रय ग्राम प्रधान द्वारा नगद धनराशि आहरित कर फर्म से किया गया है ।
02	15.05.2017	24700.00	ग्राम प्रधान	इस कार्य पर मजदूरी भुगतान ।
03	15.05.2017	11900.00	ग्राम प्रधान	इस कार्य पर ट्रक्टर भाड़ा, प्रियासॉफ्ट मे मजदूरी भुगतान दर्ज है शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों मे मशीनरी का उपयोग वर्जित है ।
	योग—	216400.00		

अतः रु० 216400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मोती लाल यादव ग्रा०वि०/पं०अ० से रु० 108200.00 एवं श्रीमती गजाला ग्राम प्रधान से रु० 108200.00 किया जाना अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति सं०-08)**

ग्राम पंचायत-कमालपुर विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-13 आर० सी० सी० रोड से पंचम के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प०रा०जी०ए०/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु० 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीय बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास

अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी० वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

विवरण निम्न प्रकार से रहा -

क्र०	दिनांक	धनराशि	धनराशि प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
01	28.09.2017	24500.00	ग्राम प्रधान	इस कार्य पर पूरे वित्तीय वर्ष में ईट का उपभोग नहीं किया गया है। मात्र मजदूरी व्यय है।
02	20.01.2018	22350.00	ग्राम प्रधान	
	योग-	46850.00		

अतः रु० 46850.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम पलट ग्रा०वि०/पं०अ० से रु० 23425.00 एवं श्री रामद्वार ग्राम प्रधान से रु० 23425.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06)

ग्राम पंचायत-कमालपुर विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-14 आर० सी० सी० रोड से बच्चू लाल के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी० वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प०रा०जी०ए०/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु० 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में

निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०	दिनांक/चेक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
01	07.02.19 12022251	15000.00	ग्राम प्रधान, श्री रामद्वार	कैशबुक में रु० 25500.00 कार्य पर मजदूरी भुगतान दर्ज
02	22.02.19 12022253	105000.00	जे के ईट भटठा	कैशबुक में रु० 70000.00 ईट का भुगतान दर्ज
03	01.03.19 12022252	5000.00	ग्राम प्रधान श्री रामद्वार	कैशबुक में रु० 15000.00 कार्य पर मजदूरी भुगतान दर्ज
04	07.03.19 12022255	7000.00	ग्राम प्रधान श्री रामद्वार	
05	07.03.19 12022254	3000.00	श्री विनोद	
06	15.03.19 12022257	35000.00	ग्राम प्रधान श्री रामद्वार	कैशबुक में रु० 95000.00 ईट का भुगतान दर्ज
07	19.03.19 12022256	20000.00	बन्टी बिल्डिंग मै०	
08	28.03.19 12022258	40000.00	जे के ईट भटठा	
	योग-	230000.00		

अतः रु० 230000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मिभिलेष ग्रा०वि०/पं०अ० से रु० 115000.00 एवं श्री रामद्वार ग्राम प्रधान से रु० 115000.00 किया जाना अपेक्षित है
(सामान्य आपत्ति सं०-08)

ग्राम पंचायत-पकरौल विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत पकरौल में खाता प्रथम (राज्य/14 वित्त) द्वारा दिनांक 15.01.2019/04.02.2019/04.02.2019 द्वारा रु० 117000.00/100000.00/200000.00 सामग्री क्रय हेतु फर्म को 04 निर्माण कार्य हेतु व दिनांक 02.02.2019/08.02.2019 को रु० 30000.00/85000.00 इन कार्यों की मजदूरी पर भुगतान किया गया है। जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी० वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प०रा०जी०ए०/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा

कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम० सं०	दिनांक चेक सं०	धनराशि	वर्क आई डी/	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार धनराशि प्राप्तकर्ता	कार्य का नाम	अभियुक्ति
01	15.01.19 12015543	117000.00	7513868	मैनुददीन बिल्डिंग मै०	षनिचरा के घर से पोखरा के कोने तक इन्टरलाकिंग	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भुगतान मैनुददीन के नाम हुआ है, किन्तु प्रिया सॉफ्ट मे विकास बिल्डिंग मै० दर्ज है
02	04.02.19 12015545	200000.00	7513868	राम सकल ईट भटठा	षनिचरा के घर से पोखरा के कोने तक इन्टरलाकिंग	फर्म को भुगतान रु० 200000.00 (दो लाख मात्र) का किया गया है, किन्तु इस कार्य पर रु० 37790.00 का भुगतान कैशबुक व प्रियासॉफ्ट मे दर्ज है
			17378779	राम सकल ईट भटठा	पोखरा के कोने से रमेश के घर तक सी० सी० रोड	फर्म को भुगतान रु० 200000.00(दो लाख मात्र) का किया गया है, किन्तु इस कार्य पर रु० 21656.00 का भुगतान कैशबुक व प्रियासॉफ्ट मे दर्ज है
			17378780	राम सकल ईट भटठा	रमेश के घर से रामायन के घर तक खण्डजा निर्माण	फर्म को भुगतान रु० 200000.00(दो लाख मात्र) का किया गया है, किन्तु इस कार्य पर रु० 69301.00 का भुगतान कैशबुक व प्रियासॉफ्ट मे दर्ज है
			17378781	राम सकल ईट भटठा	पिच रोड से रामायन के घर तक खण्डजा मरम्मत	फर्म को भुगतान रु० 200000.00(दो लाख मात्र) का किया गया है, किन्तु इस कार्य पर रु० 71253.00 का भुगतान कैशबुक

						व प्रियासॉफ्ट में दर्ज है
03	04.02.19 12015546	100000.00	17378779	शक्ति बिल्डिंग मै0	पोखरा के कोने से रमेश के घर तक सी0 सी0 रोड	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान शक्ति बिल्डिंग मै0 के नाम हुआ है, किन्तु प्रियासॉफ्ट में विकास बिल्डिंग मै0 दर्ज है ।
04	04.02.19 12015546	85000.00	7513868	ग्राम प्रधान द्वारा नगद निकासी	शनिचरा के घर से पोखरा के कोने तक इन्टरलाकिंग	ग्राम प्रधान द्वारा रु0 85000.00 की नगद निकासी कर इस कार्य पर रु0 21228.00 का व्यय दर्शाकर समायोजित धनराशि का अपहरण ।
			17378779	ग्राम प्रधान द्वारा नगद निकासी	पोखरा के कोने से रमेश के घर तक सी0 सी0 रोड	ग्राम प्रधान द्वारा रु0 85000.00 की नगद निकासी कर इस कार्य पर रु0 17840.00 का व्यय दर्शाकर समायोजित धनराशि का अपहरण ।
			17378780	ग्राम प्रधान द्वारा नगद निकासी	रमेश के घर से रामायन के घर तक खण्डजा निर्माण	ग्राम प्रधान द्वारा रु0 85000.00 की नगद निकासी कर इस कार्य पर रु0 3390.00 का व्यय दर्शाकर समायोजित धनराशि का अपहरण ।
			17378781	ग्राम प्रधान द्वारा नगद निकासी	पिच रोड से रामायन के घर तक खण्डजा मरम्मत	फर्म को भुगतान रु0 200000.00(दो लाख मात्र) का किया गया है, किन्तु इस कार्य पर रु0 44800. 00 का भुगतान कैशबुक व प्रियासॉफ्ट में दर्ज है
05	02.02.19 12015547	30000.00	17378780	ग्राम सचिव श्री मोती लाल द्वारा नगद निकासी	रमेश के घर से रामायन के घर तक खण्डजा निर्माण	ग्राम सचिव द्वारा रु0 30000.00 की नगद निकासी कर इस कार्य पर व्यय दर्शाकर समायोजित धनराशि का अपहरण ।
	योग—	532000.00				

अतः रु0 532000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है ।
जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मोती लाल यादव ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 266000.00 एवं श्री धर्मेन्द्र
यादव ग्राम प्रधान से रु0 266000.00 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति सं0-04)

ग्राम पंचायत—भाटिनपारा विकास खण्ड—मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत भाटिनपारा में खाता प्रथम (राज्य/14 वित्त) द्वारा दिनांक 05.04.2017 में
खण्डजा निर्माण पर रु0 208475.00 का भुगतान न्यू खान बिल्डिंग मै0 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
किया गया है । इस आय-व्यय का विवरण कैशबुक में दर्ज नहीं है । प्रियासॉफ्ट पर अपलोड विवरण
के अनुसार इस खण्डजा निर्माण पर रु0 165000.00 का ईट क्रय जय प्रकाश ईट उद्योग से किया गया
है व रु0 43475.00 का भुगतान मजदूरी पर किया गया है । जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर
किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टोक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टोक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टोक, डेड स्टोक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टोक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0सं0	दिनांक/चेक सं0	धनराशि	वर्क आई डी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार धनराशि प्राप्तकर्ता	प्रियासॉफ्ट के अनुसार धनराशि प्राप्तकर्ता
01	05.04.2017 21054189	208475.00	1816686	न्यू खान बिल्डिंग मै0	1-रु0 165000.00 का ईट क्रय जय प्रकाश ईट उद्योग 2-रु0 43475.00 का भुगतान मजदूरी पर

अतः रु0 208475.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अच्छे लाल यादव ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 104237.50 एवं श्रीमती आषा ग्राम प्रधान से रु0 104237.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

ग्राम पंचायत-भाटिनपारा विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19
प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत भाटिनपारा मे खाता प्रथम (राज्य/14 वित्त) द्वारा नाली निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
02.06.2017	अनुराग इन्टरप्राइसेज को सामग्री हेतु भुगतान	106850.00
19.06.2017	ईट क्रय	28132.00
23.06.2017	सामग्री हेतु भुगतान	21732.00
27.06.2017	ईट क्रय	32364.00
17.07.2017	मजदूरी हेतु भुगतान	17665.00

योग-206743.00

अतः रु0 206743.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अच्छे लाल यादव ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 103371.50 एवं श्रीमती आषा ग्राम प्रधान से रु0 103371.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत-लपसीपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-18 सी0 सी0 रोड राम रतन के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण व जगना यादव के घर से बगइचा तक विरेन्दर यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टोक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टोक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टोक, डेड स्टोक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टोक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0 स0	दिनांक/चेक स0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का नाम
01	02.01.2019	21220.00	ग्राम प्रधान को नगद भुगतान	सी0 सी0 रोड राम रतन के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण
02	02.01.2019	132392.00	अकाउण्टपेयी चेक से फर्म को	सी0 सी0 रोड राम रतन के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण
03	02.01.2019	28193.00	अकाउण्टपेयी चेक से फर्म को	सी0 सी0 रोड राम रतन के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण
04	19.01.2019	50386.00	ग्राम प्रधान को नगद भुगतान	जगना यादव के घर से बगइचा तक विरेन्दर यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत (कार्य पर मजदूरी भुगतान अधिक दर्ज है।
05	19.01.2019	58236.00	अकाउण्टपेयी चेक से फर्म को	जगना यादव के घर से बगइचा तक विरेन्दर यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत
	योग-	290427.00		

अतः रु0 290427.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री यशोवर्धन सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 145213.50 एवं श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान से रु0 145213.00 किया जाना अपेक्षित है ।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-नरैथा विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-19 सौक्ता निर्माण व रमाकन्त के घर से पप्पू सिंह के खेत एव लालमुनी के घर से विरेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही ।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है ।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है ।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा ।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा ।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा ।

विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0	दि0/चेक नं	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का नाम
01	09.07.2018	41405.00	अकान्त पेयी चेक से फर्म को	04 सौक्ता निर्माण
02	09.07.2018	45391.00	अकान्त पेयी चेक से फर्म को	04 सौक्ता निर्माण
03	25.07.2018/6022	14028.00	मजदूरी का भुगतान मजदूरों को चेक/नगद न कर अन्य खाते मे हस्तान्तरित	04 सौक्ता निर्माण
04	20.09.2018/	140000.00	अकान्त पेयी चेक से फर्म को	रमाकन्त के घर से पप्पू सिंह के खेत एव लालमुनी के घर से विरेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा

				निर्माण
05	24.09. 2018 / 6033	28056.00	मजदूरी का भुगतान मजदूरी को चेक/नगद न कर अन्यतः खाते में हस्तान्तरित	रमाकन्त के घर से पप्पू सिंह के खेत एवं लालमुनी के घर से विरेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा निर्माण
06	25.09. 2018 / 6034	25600.00	मजदूरी का भुगतान मजदूरी को चेक/नगद न कर अन्यतः खाते में हस्तान्तरित	रमाकन्त के घर से पप्पू सिंह के खेत एवं लालमुनी के घर से विरेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा निर्माण
	योग—	294480.00		

अतः रु0 294480.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अजीत श्रीवास्तव ग्रा0वि0/पं0अ0 से रु0 147240.00 एवं श्रीमती चनरमी ;ग्राम प्रधान से रु0 147240.00 किया जाना अपेक्षित है ।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-नेतपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-20 पिच रोड से सी0 सी0 रोड तक खडन्जा कार्य पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा ।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
14.02.2019	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	19500.00
14.02.2019	ईट क्रय	85500.00

योग—105000.00

अतः रु0 105000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री निकेश सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 52500.00 एवं श्रीमती सोनी यादव ग्राम प्रधान से रु0 52500.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-सेमरौल विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-21 दिनांक 04.04.2016 को रु0 89000.00 का व्यय पिच रोड से हरिहर सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मज पर मात्र ईट पर दर्शाया गया है, किन्तु मजदूरी भुगतान पूरे वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है। जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

अतः रु0 89000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 44500.00 एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी ग्राम प्रधान से रु0 44500.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-सेमरौल विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-22 रामबदन के खेत से रामकरन के खेत तक भूमिगत नाली निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
28.06.2018	उक्त कार्य हेतु ह्यूम पाईन क्रय	98595.00
21.08.2018	मजदूरी हेतु श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा नगद आहरित धनराशि	13440.00
21.08.2018	मजदूरी हेतु श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा नगद आहरित धनराशि	13440.00
21.08.2018	मजदूरी हेतु श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा नगद आहरित धनराशि	13200.00
21.08.2018	उक्त कार्य हेतु ह्यूम पाईन क्रय	32866.00
21.08.2018	उक्त कार्य हेतु निर्माण सामग्री क्रय	14921.00
21.08.2018	ईट भट्टा से ईट क्रय	33185.00
28.08.2018	ईट भट्टा से ईट क्रय	9817.00

योग-229464.00

अतः रू0 229464.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू राय ग्रा0वि0/पं0अ0 से रू0 114732.00 एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी ग्राम प्रधान से रू0 114732.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत-सेवटा विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत सेवटा मे खाता प्रथम (राज्य/14 वित्त) द्वारा पीच रोड से रुपचन्द के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर दिनांक 14.05.2018 को रु0 98000.00 का भुगतान ईट के लिये किया गया है किन्तु इस कार्य पर मजदूरी भुगतान पूरे वित्तीय वर्ष मे नहीं किया गया है। इस कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जिससे स्पष्ट है खण्डजा मरम्मत कार्य पर मात्र ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 98000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अजित श्रीवास्तव ग्रा0वि0/पं0अ0 से रु0 49000.00 एवं श्री संजय ग्राम प्रधान से रु0 49000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-सेवटा विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-24 ग्राम प्रधान द्वारा निम्न विवरणानुसार मानदेय प्राप्त किया गया है-

माह का विवरण	दिनांक	धनराशि
फरवरी 2017 से अप्रैल 2017	20.05.2017	10500.00
जनवरी 2017 से मार्च 2017	10.10.2017	10500.00
अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017	13.10.2017	21000.00

(16.02.2017 मे सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक का रु0 12500.00 का भुगतान पूर्व मे किया गया है। इस प्रकार माह जनवरी 2017 से मार्च 2017 का दो बार भुगतान हुआ है) (अप्रैल 2017 का भुगतान 20.05.2017 मे हो चुका है)

इस प्रकार माह जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 का प्रधान मानदेय का रु0 14000.00 का दो बार भुगतान हुआ है। अतः रु0 14000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अजित श्रीवास्तव ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 7000.00 एवं श्री संजय ग्राम प्रधान से रु0 7000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

ग्राम पंचायत-किशुनपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानो पर जल निकासी/भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर वर्ष 2017-18 मे दिनांक 31.05.2017 को रु0 89712.00 व दिनांक 09.02.2018 को रु0 96000.00 का व्यय सामग्री(ह्यूम पाईप) के रुप मे दर्शाया गया है। इसी तरह वर्ष 2018-19 मे दिनांक 04.08.2018 को रु0 79691.00 व दिनांक 25.09.2018 को रु0 99360.00 का व्यय सामग्री(ह्यूम पाईप) के रुप मे दर्शाया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 मे उक्त कार्य मे उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सिमेन्ट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक मे दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रुप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही।

अतः रु0 364763.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 182381.50 एवं श्रीमती रेनू ग्राम प्रधान से रु0 182381.50 किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-किशुनपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत किशुनपुर मे खाता प्रथम (राज्य/14 वित्त) से विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रुप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 209 कार्यों के लिए अन्तिम रूप से पूर्ण भुगतान किये जाने के पूर्व कार्य के पूरा हो जाने का प्रमाण पत्र "इस हेतु किये कार्य का परीक्षारोणोपरान्त समाधान कि निष्पादित कार्य स्वीकृत योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया है" देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया गया है।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(प0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8- लेखा परीक्षा में नेडा द्वारा स्वीकृत सोलर लाइट की दर पत्रावली अनुपलब्ध रही।

9- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रोंकी मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इस स्थापना का पालन नहीं किया गया है।

10- सोलर लाइट एक प्रोजेक्ट है जीपीडीपी कार्य योजना में एक कार्य है लेकिन इस टुकड़ों में तोड़ कर सम्पादित किया गया है।

11- इसके लिए अलग से टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

12- स्थान का चयन कार्य योजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है। अस्पष्ट रहा।

13- शासनादेश संख्या-6/2018/256/78-2-2018-42आई0टी0/2017 टीसी दिनांक 24 अप्रैल 2018 के अनुसार 10 लाख से अधिक मूल्य के सामान/सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय हेतु ई टेण्डरिंग निविदायें आमंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

सोलर लाइट क्रय का विवरण निम्न प्रकार से है

क्र0	दिनांक	सोलर लाइट की संख्या	घनराशि	वर्क आई डी	अभियुक्ति
01	11.05.2017	04	90000.00	3060684	क्रम सं0 01 से 05 तक एक ही वर्क आई डी पर रु0
02	11.05.2017	06	135000.00	3060684	599700.00 का 14 वे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से
03	05.06.2017	04	90000.00	3060684	भुगतान किया गया है। शासनादेश के अनुसार रु0 500000.00
04	01.11.2017	07	153300.00	3060684	से 1000000.00 की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक

05	01.11.2017	06	131400.00	3060684	स्वीकृति जिलाधिकरी महोदय से लेना था। जिलाधिकरी महोदय से स्वीकृति नहीं ली गयी है।
06	29.01.2018	10	215000.00	3060669	क्रम सं० 06 से 10 तक एक ही वर्क आई डी पर रु०
07	02.02.2018	05	107500.00	3060669	516000.00 का राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से
08	02.02.2018	05	107500.00	3060669	भुगतान किया गया है। शासनादेश के अनुसार रु० 500000.00
19	07.03.2018	04	43000.00	3060669	से 1000000.00 की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक
10	12.03.2018	04	43000.00	3060669	स्वीकृति जिलाधिकरी महोदय से लेना था। जिलाधिकरी महोदय से स्वीकृति नहीं ली गयी है।
11	24.08.2018	04	94000.00	8787302	क्रम सं० 11 से 13 तक एक ही वर्क आई डी पर रु०
12	24.08.2018	04	94000.00	8787302	252200.00 का राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से
13	02.01.2019	03	64200.00	8787302	भुगतान किया गया है। शासनादेश के अनुसार रु० 250000.00
14					से 499999.00 की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से लेना था, जो नहीं ली गयी है
15	24.08.2018	05	99000.00	8687347	क्रम सं० 15 से 22 तक एक ही वर्क आई डी पर रु०
16	24.08.2018	05	99000.00	8687347	723900.00 का 14 वे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से
17	19.12.2018	04	99000.00	8687347	भुगतान किया गया है। शासनादेश के अनुसार रु० 500000.00
18	14.02.2019	04	85200.00	8687345	से 1000000.00 की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक
19	14.02.2019	05	106500.00	8687345	स्वीकृति जिलाधिकरी महोदय से लेना था। जिलाधिकरी
20	27.02.2019	03	63900.00	8687345	महोदय से स्वीकृति नहीं ली गयी है।
21	27.02.2019	04	852500.00	8687345	
22	27.02.2019	04	852500.00	8687345	
		योग	2091800.00		

इस प्रकार रु० 2091800.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 1045900.00 एवं श्रीमती रेनू ग्राम प्रधान से रु० 1045900.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-09)

ग्राम पंचायत-शाहपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत-शाहपुर के खाता प्रथम (14 वित्त/राज्य वित्त) से सौक्ता निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- रू0 2.50 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

9-रू0 5.00 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु जिलाधिकारी महोदय से वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है, जो नहीं लिया गया है।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
27.06.2017	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	5940.00
27.06.2017	ईट क्रय	12100.00
01.07.2017	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	12544.00
01.07.2017	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	5940.00
04.07.2017	सामग्री (सीमेन्ट, बालू आदि) क्रय	51459.00
04.07.2017	सामग्री (सीमेन्ट, बालू आदि) क्रय	46774.00
05.07.2017	ईट क्रय	78900.00
05.02.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	14784.00
05.02.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	9712.00
05.02.2018	सामग्री (सीमेन्ट, बालू आदि) क्रय	62668.00
06.02.2018	ईट क्रय	78235.00
27.02.2018	ईट क्रय	65546.00
27.02.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	4784.00
27.02.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	7590.00
27.02.2018	सामग्री (सीमेन्ट, बालू आदि) क्रय	35162.00
योग-		502138.00

अतः रु0 502138.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 251069.00 एवं श्री राम प्यारे ग्राम प्रधान से रु0 251069.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-शाहपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-28 ग्राम प्रधान द्वारा निम्न विवरणानुसार मानदेय प्राप्त किया गया है-

माह का विवरण	दिनांक	धनराशि
जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017	20.02.2018	7000.00
अगस्त 2017 से नवम्बर 2017 तक	19.03.2018	14000.00

(माह अगस्त का दो बार भुगतान किया गया है)

इस प्रकार रु0 3500.00 का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान प्राप्त किया गया है। अतः रु0 3500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 1750.00 एवं श्री राम प्यारे ग्राम प्रधान से रु0 1750.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत-षाहपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-29 विभिन्न स्थानों पर जल निकासी/भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर दिनांक 03.10.2018 को रु0 50799.00 व दिनांक 14.03.2019 को रु0 39426.00 का व्यय सामग्री (ह्यूम पाईप) के रूप में दर्शाया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सीमेंट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

अतः रु0 90225.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 45112.50 एवं श्री राम प्यारे ग्राम प्रधान से रु0 45112.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

ग्राम पंचायत-परसुपुर विकास खण्ड- जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-30 बांके के घर से मठिया बस्ती तक खडन्जा मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया

जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
03.07.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	48960.00
05.07.2018	देवी ईट भट्ठा से ईट क्रय	35490.00
	योग-	84450.00

अतः रु० 84450.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश राय ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 42225.00 एवं श्रीमती सविता देवी ग्राम प्रधान से रु० 42225.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-06)

ग्राम पंचायत-परसुपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-31 मुन्नीलाल के घर से कुन्दन के घर तक खडन्जा कार्य पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी० वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प०रा०जी०ए०/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु० 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीय बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के

बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
25.08.2018	चन्द्रा ईट भट्टा से ईट क्रय	132132.00
25.08.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	39528.00

योग-171660.00

अतः रु० 171660.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश राय ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 85830.00 एवं श्रीमती सविता देवी ग्राम प्रधान से रु० 85830.00 किया जाना अपेक्षित है
(सामान्य आपत्ति सं०-07)

ग्राम पंचायत-परसुपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-32 रामसमुझ के घर से सी० सी० रोड तक पक्की नाली निर्माण पर दिनांक 27.12.2018 को क्रमशः रु० 10384.00 व रु० 10704.00 (कुल धनराशि रु० 21088.00) का व्यय मजदूरी के रूप में दर्शाया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री, जैसे ईट, बालू, सीमेन्ट आदि का व्यय कैशबुक में दर्ज नहीं है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः रु० 21088.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश राय ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 10544.00 एवं श्रीमती सविता देवी ग्राम प्रधान से रु० 10544.00 किया जाना अपेक्षित है
(सामान्य आपत्ति सं०-08)

ग्राम पंचायत-परसुपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-33 विभिन्न स्थानों पर भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर दिनांक 20.02.2019 को रु० 59993.00 का व्यय सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सीमेन्ट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

अतः रु० 59993.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश राय ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 29996.50 एवं श्रीमती सविता देवी ग्राम प्रधान से रु० 29996.50 किया जाना अपेक्षित है
(सामान्य आपत्ति सं०-09)

ग्राम पंचायत-बोहना विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-34 रामचेत के घर से अमरजीत के घर के आगे तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
91.09.2017	ईट भट्टा से ईट क्रय	78897.00
06.10.2017	मजदूरी हेतु श्री राम अवध द्वारा नगद आहरित धनराशि (प्रधान श्रीमती लक्ष्मी हैं)	21938.00
	योग-	100835.00

अतः रु0 100835.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 50417.50 एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान से रु0 50417.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-बोहना विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत में खाता प्रथम द्वारा भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री (ह्यूम पाईप) पर व्यय दर्शाकर दिनांक 30.10.2017 को रु0 28800.00 का भुगतान किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सीमेन्ट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र ह्यूम पाईप का क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण

रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

अतः रु0 28800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 14400.00 एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान से रु0 14400.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत-बोहना विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-36 दिनांक 25.07.2017 मे सौक्ता निर्माण कार्य पर फर्म को ऐकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान रु0 70000.00 का भुगतान सामग्री क्रय के तौर पर किया गया है (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार)। इसी दिनांक 25.07.2017 कैशबुक के अनुसार उक्त धनराशि रु0 70000.00 मे से रु0 28870.00 का भुगतान सामग्री क्रय व रु0 16268.00 का भुगतान मजदूरी के रूप मे दर्ज है। उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही। अतः स्पष्ट है कि फर्म को फर्जी भुगतान कर रु0 70000.00 प्रधान व सचिव द्वारा अपहृत कर लिया गया है।

अतः रु0 70000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 35000.00 एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान से रु0 35000.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत-जलालपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-37 सुभाश, राममिलन, मन्ना के घर के पास सौक्ता निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना

उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
30.10.2018	उक्त कार्य हेतु निर्माण सामग्री क्रय	26643.00
06.10.2017	ईट भट्टा से ईट क्रय	25467.00
06.10.2017	मजदूरी हेतु श्री मेवाती द्वारा नगद आहरित धनराशि	9018.00

योग-61128.00

अतः रु० 61128.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरन्दर सिंह ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 30564.00 एवं श्री विरेन्द्र ग्राम प्रधान से रु० 30564.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06)

ग्राम पंचायत-जलालपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत में खाता प्रथम द्वारा भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री(ह्यूम पाईप) पर व्यय दर्शाकर दिनांक 06.02.2019 को रु० 43801.00 का भुगतान किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सिमेन्ट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र ह्यूम पाईप का क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी०वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास

अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

अतः रु० 43801.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरन्दर सिंह ग्रा०वि०/पं०अ०से रु० 21900.50 एवं श्री विरेन्द्र ग्राम प्रधान से रु० 21900.50 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-07)

ग्राम पंचायत-कोल्हूखोर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 18-19

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत कोल्हूखोर में खाता प्रथम द्वारा सोवता निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ०प्र०पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ०प्र०पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी० वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प०रा०जी०ए०/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु० 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
25.09.2018	उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय (नगद भुगतान श्री जय लक्ष्मी को)	31074.00
04.10.2018	मजदूरी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरित धनराशि	10800.00
04.10.2018	ईट भट्टा से ईट क्रय	34881.00
		योग-76775.00

अतः रु0 76775.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री निकैश सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 38387.50 एवं श्री चन्द्रशेखर ग्राम प्रधान से रु0 38387.50 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

ग्राम पंचायत-कूतुबपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-40 दिनांक 30.03.2019 को रु0 34935.00(निर्माण सामग्री) व 45910.00 (ईट) का व्यय सौक्ता निर्माण पर दर्शाया गया है ,किन्तु मजदूरी भुगतान पूरे वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है। जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

अतः रु0 80845.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 40422.50 एवं श्रीमती मेवाती देवी ग्राम प्रधान से रु0 40422.50 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-05)

ग्राम पंचायत-बडहलगंज विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत बडहलगंज में वर्ष 2017-18 सौक्ता निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक, डेड स्टॉक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- रु0 2.50 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीय बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
10.04.2017	सौक्ता निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21438.00
10.04.2017	सौक्ता निर्माण हेतु सामग्री क्रय	57691.00
28.07.2017	सौक्ता निर्माण पर मजदूरी भुगतान	5280.00
28.07.2017	सौक्ता निर्माण पर मजदूरी भुगतान	11200.00
28.07.2017	निर्माण पर मजदूरी भुगतान	11200.00
28.07.2017	सौक्ता निर्माण पर मजदूरी (मिस्त्री) भुगतान	5280.00
04.08.2017	सौक्ता निर्माण हेतु सामग्री क्रय	87876.00
09.08.2017	सौक्ता निर्माण हेतु ईट क्रय	64135.00
09.08.2017	सौक्ता निर्माण हेतु ईट क्रय	64135.00
योग-		328235.00

अतः रु0 328235.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 164117.50 एवं श्री महबूब आलम ग्राम प्रधान से रु0 164117.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

ग्राम पंचायत-बडहलगंज विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत बडहलगंज में वर्ष 2018-19 दो अलग अलग खण्डजा निर्माण पर समान तिथियों में एक समान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- रु0 2.50 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस/स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

8-लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	कार्य का नाम	व्यय का विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
30.11.2018	मस्तान के घर से साईं केतकीय तक खण्डजा निर्माण	मजदूरी (मिस्त्री) का भुगतान	13530.00	प्रथम कार्य
30.11.2018	मस्तान के घर से साईं केतकीय तक खण्डजा निर्माण	मजदूरी का भुगतान	14784.00	
30.11.2018	मस्तान के घर से साईं केतकीय तक खण्डजा निर्माण	ईंट का भुगतान	128255.00	
17.01.2019	मस्तान के घर से साईं केतकीय तक खण्डजा निर्माण	मजदूरी का भुगतान	12664.00	
30.11.2018	रामप्यारे के ट्यूब वेल से मुन्नी के पोखरी तक ख0 निर्माण	मजदूरी (मिस्त्री) का भुगतान	13530.00	दूसरा कार्य

30.11.2018	रामप्यारे के ट्यूब वेल से मुन्नी के पोखरी तक ख0 निर्माण	मजदूरी का भुगतान	14784.00	
30.11.2018	रामप्यारे के ट्यूब वेल से मुन्नी के पोखरी तक ख0 निर्माण	ईट का भुगतान	128255.00	
17.01.2019	रामप्यारे के ट्यूब वेल से मुन्नी के पोखरी तक ख0 निर्माण	मजदूरी का भुगतान	12664.00	
		योग—	338466.00	

अतः रु0 338466.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इन्दू प्रकाश राय ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 169233.00 एवं श्री महबूब आलम ग्राम प्रधान से रु0 169233.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09)

ग्राम पंचायत—बडौरा बुजुर्ग विकास खण्ड—जहानागंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत में खाता प्रथम द्वारा भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र सामग्री (ह्यूम पाईप) पर व्यय दर्शाकर दिनांक 09.04.2018 को रु0 115182.00 का भुगतान किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री, जैसे ईट, बालू, सीमेंट व मजदूरी का भुगतान कैशबुक में दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है काल्पनिक रूप से भूमिगत नाली निर्माण पर मात्र ह्यूम पाईप का क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1— उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2— उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।

3— लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

4— कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5— पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

अतः रु0 115182.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0/पं0अ0से रु0 57591.00 एवं श्री मोती चन्द्र ग्राम प्रधान से रु0 57591.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत—कन्तालपुर विकास खण्ड—अतरौलिया वर्ष 2018-19

प्रस्तर-44 कैशबुक अनुसार निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान किया दर्शित रहा है—

(क) दिनांक 11.07.2018 चेक सं0 636 से जे0के0 कान्स्ट्रक्शन को 05 नग हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान रु0	18750.00
(ख) दिनांक 27.11.2018 चेक सं0 304 से जितेन्द्र कुमार मिश्रा को 04 नग हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान रु0	16245.00
(ग) दिनांक 25.02.2019 चेक सं0 309 से प्रसिद्ध ट्रेडर्स को 03 नग हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान रु0	12500.00
योग —रु0	47495.00

उपरोक्त दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति प्रकाश में आयी।

- (1) मरम्मत कराये गये पम्प ग्राम पंचायत में कहाँ स्थित हैं, स्थान विवरण अंकित नहीं रहा।
- (2) तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अनुपलब्ध रही है।
- (3) ग्राम पंचायत के निर्माण समिति के अध्यक्ष से उक्त मरम्मत का अनुमोदन भी नहीं कराया गया है।
- (4) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित भुगतान अनियमित है। उक्त अनियमितता हेतु सचिव— श्री संजय व सुशील यादव तथा ग्राम प्रधान— बरकत तुल्लाह उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13)

ग्राम पंचायत—खजुरी विकास खण्ड—पल्हना वर्ष 2018-19

प्रस्तर-45 कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित तिथि में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित है।

क—	दिनांक 28.02.2019 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत—	रु० 18375.00
ख—	दिनांक 28.02.2019 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी—	रु० 5800.00
ग—	दिनांक 28.02.2019 को उक्त हैण्डपम्प रिबोर पर मे० कृष्णकान्त सिंह को भुगतान—	रु० 27056.00

योग — 51231.00

उक्त दर्शित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

1. व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मरम्मत/रिबोर किये गये हैण्डपम्प कहाँ-कहाँ स्थित है, स्थान का विवरण लेखा में नहीं प्रस्तुत किया गया।
3. तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु० 51231.00 का अपहरण किया गया। इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवण कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला उत्तरदायी हैं। अतः रु० 51231.00 में आधे धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला एवं आधे धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवण कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— महुवार विकास ख.ड— तहबरपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर-46 आलोच्य वर्ष की ग्राम निधि प्रथम की कोषवही की जांच में पाया गया कि दिनांक 16-04-2018 को ग्राम प्रधान द्वारा चेक संख्या 390575 से रु० 6363.00 आहरण कर किस कार्य पर व्यय किया गया है यह अंकित नहीं है। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 31801554153 से आहरित धनराशि रु० 6363.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्रीनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तत्कालीन श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-18)

ग्राम पंचायत-बैरमपुर कोटिया विकास खण्ड-तहबरपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर-47 आलोच्य वर्ष की कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि अधोलिखित चेकों से एवं 178240.00 का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके बीयरर चेक के माध्यम से किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान विवरण
1	01.09.2018	10009395	89400.00	सीआर टू लक्ष्मी
2	01.09.2018	10009392	24000.00	सीआर टू लक्ष्मी
3	18.12.2018	10010605	21840.00	सीआर टू शीला ईटो उद्योग
4	27.12.2018	10010603	15000.00	सीआर टू लक्ष्मी
5	27.03.2018	10010614	28000.00	सीआर टू एसोसिएट
		योग	178240.00	

जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार रु 2000-00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

अतः रु 178240.00 मूल्य के चेकों का भुगतान एकाउण्ट पेयी माध्यम से न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शीला यादव एवं ग्राम पं० वि० अधिकारी श्री ओमप्रकाश यादव प्रथम (तत्कालीन उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भिलौली खालसा विकास खण्ड-तहबरपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत भिलौली खालसा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण गम्भीर अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आया जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आलोच्य वर्ष की कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि दिनांक 19-07-2018 को रु 40950.00 का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके बीयरर चेक के माध्यम से किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान विवरण
1	19-07-2018	957434	40950.00	केस कैश चेक पेड टू कैश विद्यमान एट 19853 सोफीपुर
		योग	रु 40950.00	

जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5-5 के अनुसार रु 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

अतः रु 40950.00 मूल्य के चेक का भुगतान एकाउण्ट पेयी माध्यम से न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला यादव एवं ग्राम पं० वि० अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय (तत्कालीन उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य आपत्ति सं०-20)

ग्राम पंचायत-चन्दापार विकास खण्ड-हरैया वर्ष 2018-19

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत चन्दापार की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण, गम्भीर अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आया, जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आलोच्य वर्ष की कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि दिनांक 24-08-2018 को रु 40000.00 का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके बीयरर चेक के माध्यम से किया गया है। विवरण जिसका विवरण निम्नवत है -

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान विवरण
24.08.2018	749858	40000.00	केस कैश चेक पेड टू अमरनाथ एट 08448 हरैया (डी)
	योग-	रु 40000.00	

जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5-5 के अनुसार रु 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

अतः रु 40000.00 मूल्य के चेक का भुगतान एकाउण्ट पेयी माध्यम से न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ सिंह पटेल एवं ग्राम पं० वि० अधिकारी श्री सभाराम वर्मा तत्कालीन उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-20)

ग्राम पंचायत-रोशनपुर विकास खण्ड-मेहनगर वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत की 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शासन के निर्देशों के विपरीत विभिन्न तिथियों में कुल रु 249740.00 प्रधान के पास नकद अवशेष रहा, जो कि अनियमित रहा।-

क्रमांक	दिनांक	प्रधान के पास नकद अवशेष	क्रमांक	दिनांक	प्रधान के पास नकद अवशेष
1	23.11.16	15000	7	21.4.18...13.6.18	11586
2	29.12.16...28.2.16	2506	8.	29.8.18...24.10.18	44586
3	29.7.17...27.9.17	5611	9	25.10.18...24.12.18	44841
4	28.9.17...7.12.17	8611	10	24.12.18...29.1.19	25034
5	8.12.17...12.2.18	15111	11	30.1.19...27.2.19	40034
6	3.2.18	10511	12	28.2.19	26309
				कुल योग-	249740

नियमविरुद्ध धनराशि अवरुद्ध करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-24)

ग्राम पंचायत-गुरेहथा विकास खण्ड-मेहनगर वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में रु० 1113400.00 निम्न विवरणुसार सामग्री व्यय दर्शित किया गया है। शासन के निर्देशों के विपरीत उक्त धनराशि के चेक को फर्म के नाम न काटकर व्यक्ति के नाम निर्गत किया गया है। उक्त सभी चेकों को संजय सिंह के नाम काटा गया है जो कि एक गंभीर अनियमितता है।

कार्य विवरण	दिनांक	
डस्टबिन	16.01.19	126000
"	" "	119400
.इंटरलाकिंग कार्य...1..पिचरोड...रिक्	28.03.19	170500
2.रिक्...अशोक	27.03.19	169550
3.बबलू....सुशील	" "	169750
खड़जा निर्माण...1.पिचरोड....प्रभात	03.01.19	37600
2.पिचरोड...मुमताज	"	31600
3.पिचरोड...अंतु राम	"	29700
4.पिचरोड...राजेश	"	63300
5.पिचरोड...सत्यप्रकाश	"	55400
6.पिचरोड...सोमनाथ	"	82600
7.पिचरोड...रामसमुझ	"	58000
योग		1113400

नियमविरुद्ध धनराशि अवरुद्ध करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-27)

ग्राम पंचायत-लोहानपुर विकास खण्ड-मेहनगर वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.10.18 में रु० 87485.00 खड़जा निर्माण... मुख्य मार्ग...चंद्रशेखर -पर सामग्री व्यय दर्शित किया गया है। शासन के निर्देशों के विपरीत उक्त धनराशि के चेक को फर्म के नाम न काटकर व्यक्ति के नाम निर्गत किया गया है। उक्त चेक सं.12001540 रु० 87485.00 को नंदलाल सिंह के नाम काटा गया है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-25)

ग्राम पंचायत-डिलिया विकास खण्ड-सठियांव वर्ष 2018-19

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दि. 9. 08.18 में रु.31500.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से सम्बन्धित विवरण/मानदेय रजिस्टर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः यह जानकारी नहीं हो पायी कि पूर्व में कब तक का भुगतान हो चुका था। भुगतान एक साथ कई महीनों का प्राप्त किया जाना नियम विरुद्ध है। छह माह के पश्चात् यदि भुगतान किया जाय तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के कारण सहित सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। मानदेय रजिस्टर बनाये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)**ग्राम पंचायत-पिचारी विकास खण्ड-सठियांव वर्ष 2018-19**

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दि. 01. 08.18 में रु.17500.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से सम्बन्धित विवरण/मानदेय रजिस्टर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः यह जानकारी नहीं हो पायी कि पूर्व में कब तक का भुगतान हो चुका था। भुगतान एक साथ कई महीनों का प्राप्त किया जाना नियम विरुद्ध है। छह माह के पश्चात् यदि भुगतान किया जाय तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के कारण सहित सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)**ग्राम पंचायत-समेदा विकास खण्ड-सठियांव वर्ष 2015-16 से 2018-19**

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत की वर्ष 2015...16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-2016 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय गुप्ता द्वारा निम्नानुसार ग्राम निधि खाता प्रथम से कुल रु.167000.00(रुपए एक लाख सड़सठ हजार मात्र) की निकासी की गई है जिसके सापेक्ष विकास कार्य न कर कैशबुक में प्रधान को देय दिखाकर रु.167000. 00(रुपए एक लाख सड़सठ हजार मात्र।) का अपहरण कर लिया गया। जांचोपरांत उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्रम0 सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि
1	8.4.15	21028697	25000.00
2.	17.4.15	21028699	45000.00
3	17.4.15	21031361	50000.00
4.	24.4.15	21031365	24000.00
5	9.5.15	21031367	24000
6	7.8.15	21031373	3000
		योग-	167000.00
कुल रु.167000.00 (रुपए एक लाख सड़सठ हजार मात्र)			

उल्लेखनीय है कि पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)**ग्राम पंचायत-देवली खालसा विकास खण्ड-सठियांव वर्ष 2018-19**

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 4.8.18 व 18.2.19 में क्रमशः रु.14000 व 17500 को प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से सम्बन्धित विवरण/मानदेय रजिस्टर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः यह जानकारी नहीं हो पायी कि पूर्व में कब तक का भुगतान हो चुका था। भुगतान एक साथ

कई महीनों का प्राप्त किया जाना नियम विरुद्ध है। छह माह के पञ्चाद यदि भुगतान किया जाय तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के कारण सहित सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-11)

ग्राम पंचायत-बसिरहा विकास खण्ड-मुहम्मदपुर वर्ष 2018-19 से 2018-19

प्रस्तर-57 दिनांक 11.10.2017 एवं 16.04.2018 को ग्रामनिधि प्रथम कैशबुक में सुखराम के घर से परमा के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण निर्माण दर्शित है। जिस पर 307360.00 का ह्यूम पाइप रु० 21500.00 का ईट एवं रु० 45622.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है। नाली निर्माण में बिल्डिंग मैटेरियल पर व्यय दर्शित नहीं है। बिना बिल्डिंग मैटेरियल के नाली निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है। लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप, ईट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (8क) के अनुसार रु० 374842.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान की कोमल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रीता अस्थाना से लिया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-17)

ग्राम पंचायत-महुवी शेरपुर विकास खण्ड-महराजगंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-58 दिनांक 30.03.2019 को रु० 10,000.00 का प्रशासनिक व्यय पर भुगतान किया गया है, प्रशासनिक व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ, ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार रु० 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुनील कांत त्रिपाठी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील सिंह से की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं०-25)

ग्राम पंचायत-बढ़ियाचक विकास खण्ड-महराजगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय तथा समय-समय पर आयकर व व्यापार कर, जी एस टी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो ठेकेदारों के बिलों से आयकर/व्यापार (जी एस टी) की कटौती सुनिश्चित की जाय, लेकिन वीयरर चेक से भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए प्रधान श्री देवभान यादव व ग्रा०पं०अ० श्री रामअवध शर्मा जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०	दिनांक	भुगतान का विवरण	धनराशि
01.	12.07.2017	चेक सं० 21037217 मो० हम्माद	17,900.00
02.	12.07.2017	चेक सं० 21037219 मो० हम्माद	1,20,280.00
03.	06.06.2018	चेक सं० 12000607 जनता आई०टी० उद्योग	1,52,880.00
04.	30.01.2019	चेक सं० 12000618 सुरेद्र एस०बी०एम०	56,577.00
05.	02.02.2019	चेक सं० 12000616 जनता आई०टी० उद्योग	40,988.00
06.	01.03.2019	चेक सं० 10010742 न्यू फेमस पी०एस०	48,765.00
07.	02.03.2019	चेक सं० 10010744 सुरेद्र एस०बी०एम०	1,21,000.00
08.	06.03.2019	चेक सं० 10010743 जनता आई०टी० उद्योग	33,069.00
09.	14.03.2019	चेक सं० 10010748 खान आई०टी० उद्योग	79,170.00
योग			8,31,729.00

(सामान्य आपत्ति सं०-25)

ग्राम पंचायत-सैदपुर विकास खण्ड-महराजगंज वर्ष 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय तथा समय-समय पर आयकर व व्यापार कर (जी एस टी) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो ठेकेदारों के बिलों से आयकर/व्यापार (जी एस टी) की कटौती सुनिश्चित की जाय, लेकिन वीयरर चेक से भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए प्रधान श्री उदयी यादव व ग्रा०पं०अ० श्री रामअवध शर्मा जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०	दिनांक	भुगतान का विवरण	धनराशि
01.	16.03.2018	चेक सं० 12003705	34,205.00

02.	17.11.2018	चेक सं० 12003719	74,434.00
03.	01.12.2018	चेक सं० 12012605	47,567.00
04.	01.12.2018	चेक सं० 12012603	113295.00
05.	01.12.2018	चेक सं० 12012601	26,925.00
06.	01.12.2018	चेक सं० 12012607	64,047.00
07.	15.01.2019	चेक सं० 12012610	182091.00
08.	15.01.2019	चेक सं० 12012611	173857.00
09.	26.03.2019	चेक सं० 12012616	152352.00
10.	26.03.2019	चेक सं० 12012615	46,318.00
11.	26.03.2019	चेक सं० 12012618	39,940.00
12.	27.03.2019	चेक सं० 12012619	131747.00

योग 10,90,778.00

(सामान्य आपत्ति सं०-25)

ग्राम पंचायत-बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर वि०ख०-महाराजगंज वर्ष 2017-18 स 2018-19

प्रस्तर-61 दिनांक 20.06.2017 को रामप्यारे के ट्यूबेल से चन्द्रिका के खेत तक नाली निर्माण पर मजदूरी रु० 20755.00 व दिनांक 04.07.2017 को पलकधारी के घर से शिवधर के घर तक खंडजा निर्माण पर मजदूरी रु० 17850.00 व्यय किया गया है, लेकिन उपरोक्त दोनों मजदूरी की धनराशि प्रधान के खाते में स्थानान्तरित कराकर रु० 38605.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुनील चौहान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील सिंह से की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं०-25)

ग्राम पंचायत-खतीवपुर विकास खण्ड-अजमलगढ़ वर्ष 2018-19

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत-खतीवपुर, विकास क्षेत्र-अजमलगढ़ जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 1235569.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैशबुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	धनराशि		क्रय सामग्री विवरण
1	24-04-2018	76003.00	नगद	ईट क्रय
2	18-04-2018	17850.00	नगद	मजदूरी
3	18-04-2018	19250.00	नगद	मजदूरी
4	18-04-2018	21000.00	नगद	मजदूरी
5	14-04-2018	7000.00	28460	प्रधान मानदेय
6	01-05-2018	35750.00	040141	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री और मजदूरी
7	09-05-2018	7000.00	040142	प्रधान मानदेय
8	18-06-2018	35750.00	040143	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री और मजदूरी
9	18-06-2018	35750.00	040144	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री और मजदूरी
10	24-08-2018	10500.00	040145	प्रधान मानदेय
11	18-09-2018	35750.00	040146	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री और मजदूरी
12	03-10-2018	4897.00	040147	टेंडर प्रकाशन
13	09-10-2018	17500.00	040148	प्रधान मानदेय
14	15-10-2018	26250.00	040149	मजदूरी
15	12-10-2018	48650.00	040150	मजदूरी
16	15-10-2018	24500.00	040152	मजदूरी
17	15-10-2018	35525.00	040153	मजदूरी

18	15-10-2018	21000.00	040155	मजदूरी
19	16-10-2018	20650.00	040158	मजदूरी
20	16-10-2018	98280.00	040151	ईट
21	16-10-2018	65520.00	040154	ईट
22	16-10-2018	87360.00	040156	ईट
23	16-10-2018	54600.00	040157	ईट
24	03-12-2018	15750.00	040159	शौचालय निर्माण की मजदूरी
25	03-12-2018	9250.00	008611	शौचालय निर्माण की मजदूरी
26	12-12-2018	7000.00	008612	प्रधान मानदेय-अग्रिम
27	24-12-2018	30278.00	008613	शौचालय की सामग्री-
28	04-01-2019	14600.0	008614	शौचालय की नि0सा0-यूरिनल, वाश वेसीन, दरवाजा
29	25-01-2019	35332.00	008615	शौचालय की निर्माण सामग्री- ईट, ईट गिट्टी ,
30	29-01-2019	12909.00	008616	शौचालय की निर्माण सामग्री-गिट्टी ,सरिया
31	12-02-2019	41965.00	008619	शौचालय की निर्माण सामग्री-टाइल्स
32	29-01-2019	90000.00	008618	डस्टबिन क्रय
33	12-02-2019	28800.00	008620	डस्टबिन क्रय
34	21-02-2019	27300.00	008621	ठेलागाड़ी क्रय
35	19-03-2019	43200.00	008623	डस्टबिन क्रय
36	19-03-2019	27300.00	008624	ठेलागाड़ी क्रय
37	19-03-2019	35550.00	008625	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री और मजदूरी
38	27-03-2019	10000.00	008626	डिजिटल कैमरा क्रय
	योग	1235569.00		

अतः 1235569.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव और ग्राम प्रधान श्री राजेश से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-पारीपट्टी विकास खण्ड-अजमतगढ़ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत पारीपट्टी, विकास क्षेत्र-अजमतगढ़ जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, गंभीर अनियमितता/दुर्विनियोग का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 997921.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैशबुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	21-04-2018		46984.00	सामग्री-शिवम बिल्डिंग मैटेरियल्स
2	26-06-2018		26250.00	मजदूरी-
3	03-08-2018	043301	10500.00	प्रधान मानदेय
4	17-10-2018	043310	14000.00	प्रधान मानदेय
5	27-08-2018	043302	81600.00	नाली निर्माण-मजदूरी
6	11-09-2018	043304	65434.00	नाली निर्माण की सामग्री- एस के सप्लायर्स
7	11-09-2018	043305	108219.00	नाली निर्माण की सामग्री-एस के सप्लायर्स
8	29-09-2018	043307	6750.00	मजदूरी- खडंजा निर्माण
9	03-10-2018	03639	26126.00	खडंजा निर्माण ईट-बी के ब्रिक्स

10	29-09-2018	043308	40250.00	मजदूरी- खडंजा निर्माण
11	03-10-2018	03640	147256.00	खडंजा निर्माण ईट-बी के ब्रिक्स
12	08-10-2018-	043309	28000.00	मजदूरी- खडंजा मरम्मत
13	11-10-2018	043306	29134.00	खडंजा मरम्मत ईट-बी के ब्रिक्स
14	06-12-2018	043311	54000.00	डस्टबिन क्रय-आर पी ट्रेडर्स
15	28-12-2018	043313	14000.00	सुभाष द्वारा आहरित
16	31-12-2018	043314	19250.00	फेकू राम प्रधान द्वारा आहरित
17	31-12-2018	043315	21750.00	फेकू राम प्रधान द्वारा आहरित
18	28-12-2018	043312	1700.00	डोंगल
19	16-01-2019	043318	168752.00	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी और सामग्री-शौर्य इंटरप्राइजेज
20	11-02-2019	043316	18206.00	ढेलागाड़ी -शौर्य इंटरप्राइजेज
21	16-03-2019	043319	69760.00	नाली पाटिया निर्माण सामग्री-एस के सप्लायर्स
		योग	997921.00	

अतः रु० 997921.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार कनौजिया और ग्राम प्रधान फेकू राम से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-सिकरौरा विकास खण्ड-अजमतगढ़ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत-सिकरौरा, विकास क्षेत्र-अजमतगढ़, जनपद-आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता-प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 2017006.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैश बुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण और फार्म का नाम
1	09-05-2018		10000.00	मजदूरी-नगद हैण्डपम्प रिबोर
2	07-06-2018		12470.00	मजदूरी-नगद हैण्डपम्प रिबोर
3	19-06-2018	032834	12786.00	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री जनता इंटरप्राइजेज
4	07-06-2018	032835	22470.00	मजदूरी हैण्डपम्प रिबोर
5	19-06-2018	032836	12786.00	हैण्डपम्प रिबोर दृसामग्री जनता इंटरप्राइजेज
6	15-06-2018	0039837	7000.00	प्रधान मानदेय
7	05-09-2018		10500.00	प्रधान मानदेय
8	27-03-2019		21000.00	प्रधान मानदेय
9	31-03-2019		3500.00	प्रधान मानदेय
10	03-07-2018	039831	3150.00	टेंडर प्रकाशन
11	07-09-2019	----	4000.00	
12	29-09-2018	---	6000.0	मजदूरी हैण्डपम्प मरम्मत
13	01-10-2018	049121	18186.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री जनता इंटरप्राइजेज
14	12-10-2018	---	15850.00	मजदूरी नगद खडंजा मरम्मत
15	12-10-2018		15000.0	मजदूरी नगद खडंजा मरम्मत
16	15-10-2018		15000.0	मजदूरी नगद खडंजा मरम्मत
17	15-10-2018	049122	55419.00	ईट आर एन वाई ईट भट्टा
18	15-10-2018	049127	27002.00	ईट आर एन वाई ईट भट्टा

19	15-10-2018		18375.00	मजदूरी नगद- शौचालय निर्माण
20	15-10-2018	049126	60182.00	शौचालयकी निर्माण सामग्री जनता इंटरप्राइजेज
21	03-11-2018		10000.00	मजदूरी नगद- खडंजा निर्माण
22	03-11-2018		12050.00	मजदूरी नगद- खडंजा निर्माण
23	03-11-2018	049132	79170.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
24	03-11-2018		15000.00	मजदूरी नगद - खडंजा मरम्मत
25	03-11-2018		15000.00	मजदूरी नगद - खडंजा मरम्मत
26	03-11-2018		15000.00	मजदूरी नगद - खडंजा मरम्मत
27	14-11-2018	049132	81900.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
28	10-12-2018	049137	90000.00	डस्टबिन क्रय- सलीम फर्नीचर
29	17-12-2018		6300.00	मजदूरी नगद- नाली सोख्ता निर्माण
30	18-12-2018	049142	15018.00	सामग्री-आर एन वाई ईट भट्टा
31	07-01-201	049149	10735.0	सामग्री- जनता इंटरप्राइजेज
32	17-12-2018		10500.00	मजदूरी नगद
33	18-12-2018	049138	39585.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
34	19-12-2018		12775.00	मजदूरी नगद
35	20-12-2018	049146	30691.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
36	31-12-2018	049145	82600.00	सामग्री- अंश इंटरप्राइजेज
37	07-01-2018	049148	10687.00	सामग्री- जनता इंटरप्राइजेज
38	22-01-2018	049150	21600.00	डस्टबिन क्रय-रुद्र कंस्ट्रक्शन
39	25-01-2019	049150	9500.00	मोबाइल क्रय
40	25-01-2019		14350.00	मजदूरी नगद
41	29-01-2019	049151	85018.00	सामग्री- जनता इंटरप्राइजेज
42	25-01-2019		13000.00	मजदूरी नगद
43	25-01-2019		15875.00	मजदूरी नगद
44	29-01-2019	049153	91837.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
45	28-02-2019		18200.00	मजदूरी नगद
46	28-02-2019		15000.0	मजदूरी नगद
47	01-03-2019	049157	74708.00	सामग्री- जनता इंटरप्राइजेज
48	02-03-2019	049158	120417.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
49	02-03-2019		12650.00	मजदूरी नगद
50	01-03-2019	049162	34982.00	सामग्री- जनता इंटरप्राइजेज
51	01-03-2019	049163	7364.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
52	02-03-2019		10500.00	मजदूरी नगद
53	13-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
54	13-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
55	14-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
56	14-03-2019		10825.00	मजदूरी नगद
57	14-03-2019	049165	66502.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
58	14-03-2019		15050.00	मजदूरी नगद
59	14-03-2019	049171	57002.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
60	14-03-2019		10000.00	मजदूरी नगद
61	14-03-2019		11000.00	मजदूरी नगद
62	14-03-2019	049173	71253.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
63	15-03-2019		7250.00	मजदूरी नगद
64	15-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
65	15-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
66	15-03-2019	049176	17854.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
67	16-03-2019	049180	14400.00	डस्टबिन क्रय-रुद्र कंस्ट्रक्शन
68	27-03-2019	049182	9200.00	कैमरा क्रय

69	30-03-2019		15975.00	मजदूरी नगद
70	30-03-2019		15000.00	मजदूरी नगद
71	30-03-2019	049183	171007.00	ईट-आर एन वाई ईट भट्टा
72	30-03-2019	049186	17000.00	डस्टबिन क्रय- सलीम फर्नीचर
	योग		2017006.00	

अतः 2017006.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री संतोष यादव और ग्राम प्रधान श्री अभिमन्यु से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत- धौरहरा विकास खण्ड-अजमतगढ़ वर्ष-2018-19

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत-धौरहरा, विकास क्षेत्र-अजमतगढ़, जनपद-आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 1450309.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैश बुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्रं	दिनांक	चेक सं	धनराशि	विवरण
1	18-06-2018	41881	42,000.00	मानदेय प्रधान
2	10/9/2018	41883	10,500.00	मानदेय प्रधान
3	25-06-2018	41882	35,150.00	शिवम ट्रेडर्स
4	18-09-2018	41884	50,960.00	महफूज रहमान ईट भट्टा
5	05-01-2018	896	24,133.00	मजदूरी
6	18-09-2018	41885	58,240.00	महफूज रहमान ईट भट्टा
7	01-01-2019	895	38,878.00	मजदूरी
8	12-10-2018	41886	59,503.00	ईट
9	01-01-2019	898	42,667.00	मजदूरी
10	12-10-2018	41887	71,400.00	ईट
11	05-01-2019	901	28,984.00	मजदूरी
12	12-10-2018	41888	158,340.00	ईट
13	16-01-2019	897	56,889.00	मजदूरी
14	14-12-2018	41892	15,000.00	हैंडपम्प मरम्मत
15	14-12-2018	41890	10,000.00	फोटोग्राफी
16	14-12-2018	41891	12,000.00	फोटोग्राफी
17	19-12-2019	41894	25,200.00	आर०पी० ट्रेडर्स
18	05-01-2019	889	1,700.00	
19	30-01-2019	905	28,800.00	आर०पी० ट्रेडर्स
20	20-12-2018	41893	86,536.00	ईट
21	16-01-2019	902	33,612.00	सामग्री
22	16-01-2019	899	34,827.00	मजदूरी
23	18-01-2019	903	103,878.00	सामग्री
24	18-01-2019	900	34,827.0 0	सामग्री
25	18-01-2019	904	26,404.0 0	मजदूरी
26	15-02-2019	906,908,909	1,140,00.00	सामग्री
27	12-02-2019	907	28,984.00	महफूज रहमान ईट भट्टा
28	15-03-2019	917 / 918	25,000.00	मजदूरी

29	20-02-2019	910	35,000.00	प्रशासनिक व्यय
30	02-03-2019	911	4,897.00	हिंदुस्तान मिडिया वेंचर्स
31	07-03-2019	914	72,000.00	रुद्रा कंस्ट्रक्शन्स -डस्टबिन
32	30-03-2019	918	10,000.00	कैमरा
33	07-03-2019	912	35,000.00	हैंडपम्प रिबोर
34	12-03-2019	913	35,000.00	हैंडपम्प रिबोर
		योग	1450309.00	

अतः रु० 1450309.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव और ग्राम प्रधान श्रीमती शाहिस्ता खान से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-सालेहपुर विकास खण्ड-अजमतगढ़ वर्ष 2018-19

प्रस्तर-66 ग्राम-पंचायत सालेहपुर, विकास क्षेत्र-अजमतगढ़, जनपद-आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 1363669.00 का व्यय कैश बुक में अंकित है। कैश बुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	25-04-2018	22770.00	मजदूरी
2	25-04-2018	12753.00	हैंडपम्प रिबोर दृसामग्री मंगल सीमेंट उद्योग
3	25-04-2018	22770.00	मजदूरी
4	25-04-2018	12753.00	हैंडपम्प रिबोर दृसामग्री मंगल सीमेंट उद्योग
5	25-04-2018	9625.00	शौचालय निर्माण की मजदूरी
6	25-04-2018	41781.00	शौचालय निर्माण की सामग्री
7	01-05-2018	3753.00	टेंडर प्रकाशन
8	01-05-2018	20500.00	मजदूरी
9	17-10-2018	45282.00	ईट-जानकी ईट भट्टा
10	24-09-2018	20650.00	मजदूरी
11	28-09-2018	77000.00	सोख्ता निर्माण सामग्री-जनता इंटरप्राइजेज
12	17-10-2018	12300.00	मजदूरी
13	17-10-2018	27392.00	सोख्ता निर्माण सामग्री-जनता इंटरप्राइजेज
14	07-09-2018	17500.00	प्रधान मानदेय
15	11-09-2018	10500.00	प्रधान मानदेय
16	15-03-2019	17500.00	प्रधान मानदेय
17	24-09-2018	22750.00	हैंडपम्प रिबोर-मजदूरी
18	26-09-2018	12780.00	हैंडपम्प रिबोर सामग्री मंगल सीमेंट उद्योग
19	24-09-2018	11550.00	मजदूरी
20	26-09-2018	57000.00	नाली पाटिया निर्माण सामग्री-मंगल सीमेंट उद्योग
21	24-09-2018	6825.00	मजदूरी
22	28-09-2018	39400.00	नाली पाटिया निर्माण सामग्री-जनता इंटरप्राइजेज
23	03-11-2018	6300.00	मजदूरी
24	05-11-2018	23750.00	ईट-जानकी ईट भट्टा
25	17-12-2018	54000.00	डस्टबिन क्रय-रुद्र कंस्ट्रक्शन
26	20-12-2018	10252.00	शौचालय की सामग्री- रुद्र कंस्ट्रक्शन

27	20-12-2018	90000.00	शौचालय की सामग्री- रुद्र कंस्ट्रक्शन
28	24-12-2018	24500.00	शौचालय की निर्माण की मजदूरी
29	24-12-2018	35333.00	ईट- जानकी ईट भट्टा
30	24-12-2018	60322.00	खडंजा निर्माण ईट- जानकी ईट भट्टा
31	24-12-2018	60322.00	खडंजा निर्माण ईट- जानकी ईट भट्टा
32	24-12-2018	39725.00	मजदूरी-खडंजा निर्माण
33	05-01-2019	1700.00	डोंगल
34	29-01-2019	37911.00	खडंजा मरम्मत ईट-जानकी ईट भट्टा
35	29-01-2019	27125.00	मजदूरी- खडंजा मरम्मत
36	05-02-2019	61752.00	ईट- रुद्र कंस्ट्रक्शन
37	05-02-2019	16450.00	मजदूरी-खडंजा निर्माण
38	12-02-2019	27511.00	सुरेन्द्र प्रसाद - ब्रदर्स
39	16-03-2019	9500.00	मोबाइल क्रय
40	19-03-2019	50000.00	सामग्री दूरी सी रोड निर्माण
41	29-03-2019	61692.00	सामग्री दूरी सी रोड निर्माण
42	29-03-2019	68911.00	सामग्री दूरी सी रोड निर्माण
43	30-03-2019	26250.00	मजदूरी- सी सी रोड निर्माण
44	30-03-2019	10000.00	कैमरा क्रय
45	30-03-2019	18200.00	हैण्डपम्प मरम्मत दूमजदूरी और सामग्री
46	31-03-2019	17029.00	हैण्डपम्प मरम्मत दूमजदूरी और सामग्री
योग		1363669.00	

अतः 1363669.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी-श्री मनीष कुमार यादव और ग्राम प्रधान-श्रीमती प्रेमलता से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-गुलउर विकास खण्ड-विलारियागंज वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत गुलउर विकास क्षेत्र- विलारियागंज जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

रमेश के घर से सूबेदार के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रुपये 18768.00 दिखाया गया है। उक्त कार्य से सम्बंधित निर्माण पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसके अभाव में सृजित संपत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	चेक सं०	व्यय का विवरण	धनराशि
01-10-2018	8192	श्रमिक को प्रधान द्वारा धन को अहरित कर नगद मजदूरी का भुगतान	8460.00
01-10-2018	8193	जावेद अहमद ईट भट्टा	10308.00
योग			18768.00

अतः रु० 18768.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और ग्राम प्रधान श्री रामहित यादव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-गुलउर विकास खण्ड-विलारियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-68 मंटू तिवारी के घर से रामाश्रय तिवारी के घर तक खडंजा मरम्मत और मिट्टी कार्य में ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 01-02-2019 को रु० 42903.00 व्यय किये गए हैं। उक्त कार्य से सम्बंधित निर्माण पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर,

परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है

दिनांक	चेक नं०	व्यय का विवरण	धनराशि
01-02-2018	8210	श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्रधान द्वारा नगद किया गया है	18195.00
01-02-2018	8211	जावेद अहमद ईट भट्टा को भुगतान	24708.00
		योग	42903.00

अतः रु० 42903.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और ग्राम प्रधान श्री रामहित यादव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-3)

ग्राम पंचायत-गुलउर विकास खण्ड- विलारियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-69 प्रभु के घर से प्रवेश के घर तक नाली एवं पाटिया निर्माण कार्य में ग्राम निधि प्रथम से रु० 122875.00 व्यय किये गए हैं। उक्त कार्य से सम्बंधित निर्माण पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

विवरण निम्नवत है-

दिनांक	चेक	व्यय का विवरण	धनराशि
05-03-2019	8226	श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्रधान द्वारा नगद किया गया है	19080.00
06-03-2019	8227	जावेद अहमद ईट भट्टा को भुगतान	46376.00
06-03-2019	8229	विशाल बिल्डिंग मैटेरियल्स	57419.00
		योग	122875.00

अतः रु० 122875.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और ग्राम प्रधान श्री रामहित यादव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -4)

ग्राम पंचायत-गुलउर विकास खण्ड-विलारियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-70 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायत विभिन्न तिथियों पर रु० 131000.00 हैंडपम्प रिबोर का कार्य ग्राम निधि प्रथम से कराया गया है। उक्त कार्य से सम्बंधित निर्माण पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

दिनांक	चेक	व्यय का विवरण	स्थान का नाम	धनराशि
08-03-2019	8230	मे० हरेन्द्र कंस्ट्रक्शन को भुगतान सामग्री और मजदूरी	रामभवन के घर के पास	32750.00
12-03-2019	8521	मे० हरेन्द्र कंस्ट्रक्शन को भुगतान सामग्री और मजदूरी	शवचंद के घर के पास	32750.00
17-03-2019	8522	मे० हरेन्द्र कंस्ट्रक्शन को भुगतान सामग्री और मजदूरी	कुबेर के घर के पास	32750.00
23-03-2019	8523	मे० हरेन्द्र कंस्ट्रक्शन को भुगतान सामग्री और मजदूरी	लक्ष्मीकांत के घर के पास	32750.00
		योग		131000.00

अतः रु० 131000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और ग्राम प्रधान श्री रामहित यादव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -5)

ग्राम पंचायत-इस्माईलपुरगोरिया विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत-इस्माईलपुर गोरिया, विकास क्षेत्र-बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 1,269,739.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैशबुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं	दिनांक	चेक सं	धनराशि	विवरण
1	19-04-2018	7444	3,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
2	21-07-2018	7445	10,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
3	11/9/2018	7460	7,000.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
4	3/10/2018	12802	3,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
5	16-11-2018	12812	3,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
6	3/12/2018	12813	3,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
7	5/1/2019	12818	3,500.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
8	28-02-2019	13203	7,000.00	प्रधान मानदेय अग्रिम
9	3/10/2018	12801	9,999.00	कैमरा
10	30-08-2018	7456	5,680.00	
11	29-01-2019	12819	27,000.00	आर पी ट्रेडर्स -डस्टबीन
12	16-02-2019	12820	45,000.00	आर पी ट्रेडर्स -डस्टबीन
13	18-08-2018	7449	15,000.00	मजदूरी
14	18-08-2018	7446	113,664.00	यादव सीमेंट उद्योग
15	18-08-2018	7447	28,532.00	यादव सीमेंट उद्योग
16	21-08-2018	7450	13,085.00	मजदूरी
17	6/9/2018	7460	2,926.00	ट्राली मिटटी
18	18-08-2018	7448	25,573.00	अतहर आयरन स्टोर
19	21-08-2018	7454	15,000.00	मजदूरी
20	21-08-2018	7455	50,895.00	मजदूरी
21	21-08-2018	7452	74,595.00	अतहर आयरन स्टोर
22	21-08-2018	7456	40,788.00	रियाज ईट उद्योग
23	30-08-2018	7459	37,985.00	टाइल्स और मजदूरी
24	30-08-2018	7457	152,165.00	अतहर आयरन स्टोर
25	30-08-2018	7458	19,074.00	ईट
26	10/10/2018	12809	93,455.00	मजदूरी
27	10/10/2018	12803	56,180.00	मजदूरी
28	10/10/2018	12805	56,122.00	अतहर आयरन स्टोर
29	10/10/2018	12807	82,201.00	अतहर आयरन स्टोर
30	10/10/2018	12808	10,433.00	ईट
31	12/10/2018	12810	127,204.00	अभिषेक मार्बल्स
32	6/11/2018	12811	16,600.00	उमेश ट्रेडर्स

33	29-12-2018	12814	22,229.00	उमेश ट्रेडर्स
34	29-12-2018	12816	22,229.00	उमेश ट्रेडर्स
35	29-12-2018	12815	10,636.00	मजदूरी
36	29-12-2018	12817	10,636.00	मजदूरी
37	5/3/2019	13204	32,853.00	हैण्डपम्प रिबोर
38	29-03-2019	13207	10,000.00	कैमरा
		योग	1,269,739.00	

अतः रु० 1,269,739.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र गुप्ता और ग्राम प्रधान श्री बिपिन राय से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -02)

ग्राम पंचायत-छिछोरी विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत छिछोरी विकास क्षेत्र-बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष -2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, गंभीर अनियमितता/दुर्विनियोग का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 2,029,729.00 का व्यय कैश बुक में अंकित है कैशबुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक- वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं	धनराशि	विवरण
1	10-09-2018	8829	15,715.00	मजदूरी
2	10-09-2018	7800	39,500.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
3	10-09-2018	8830	82,100.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
4	10-09-2018	1407	18,370.00	मजदूरी
5	10-09-2018	1408	2,293.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
6	10-09-2018	1409	82,443.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
7	12-09-2018	7799	5,670.00	श्याम नारायण सिंह
8	15-09-2018	8833	15,072.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
9	15-09-2018	8835	32,291.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
10	15-09-2018	8832	9,890.00	मजदूरी
11	20-09-2018	8836	49,309.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
12	20-09-2018	8837	40,378.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
13	20-09-2018	8838	22,435.00	मजदूरी
14	26-09-2018	8839	59,399.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
15	26-09-2018	8840	67,112.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
16	26-09-2018	14201	27,910.00	मजदूरी
17	01-10-2018	14202	34,620.00	मजदूरी
18	01-10-2018	14205	167,567.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
19	06-10-2018	14203	117,567.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
20	06-10-2018	14204	34,795.00	मजदूरी
21	06-10-2018	14206	7,044.00	मेसर्स भरोनाथ इंटरप्राइजेज
22	16-10-2018	14211	23,670.00	मजदूरी
23	16-10-2018	14210	78,378.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
24	16-10-2018	14212	10,566.00	मेसर्स भरोनाथ इंटरप्राइजेज
25	23-10-2018	14215	14,655.00	मजदूरी
26	23-10-2018	14213	27,632.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०

27	23-10-2018	14214	52,090.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
28	23-10-2018	14216	21,000.00	प्रधान मानदेय
29	02-11-2018	14222	139,534.00	मेसर्स फैजान बिल्डिंग मैटेरियल्स
30	02-11-2018	14220	36,215.00	मजदूरी
31	02-11-2018	14221	69,860.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
32	02-02-2019	14663	133,556.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
33	02-02-2019	14662	33,625.00	मजदूरी
34	02-02-2019	14664	4,000.00	मजदूरी
35	12-02-2019	14228	129,794.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
36	12-02-2019	14226	35,505.00	मजदूरी
37	12-02-2019	14227	11,919.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
38	12-02-2019	14228	3,180.00	मजदूरी
39	16-02-2019	14229	141,080.00	मेसर्स शरीफ बी०के०ओ०
40	16-02-2019	14230	12,195.00	मिटटी भराई
41	16-02-2019	14231	40,630.00	मजदूरी
42	16-03-2019	14232	54,760.00	मजदूरी
43	16-03-2019	14233	15,205.00	मिटटी भराई
44	27-03-2019	14236	9,200.00	डायमंड कंप्यूटर
		योग	2,029,729.00	

अतः रु० 2,029,729.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री अजय कुमार सोनकर और ग्राम प्रधान श्री तनवीर से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-छीही विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत छीही विकास क्षेत्र-बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष-2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न कार्यों में किये गए मजदूरी और मिटटी कार्य भुगतान में किये गए व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणको और निर्माण पत्रावली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसके अभाव में सृजित संपत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं	दिनांक	चेक सं०	कार्य विवरण	भुगतान का प्रकार	धनराशि
1-	01-10-2018	10010104	खडंजा नि०कार्य	मज० हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	14130.00
2-	11-10-2018	10010108	खडंजा नि०कार्य	मज० हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	29965.00
3-	20-10-2018	10010110	खडंजा नि०कार्य	मज० हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	24905.00
4-	01-11-2018	10010111	खडंजा नि०कार्य	मज० हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	32860.00
5-	01-11-2018	10010113	खडंजा नि०कार्य	मिटटी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	8990.00
6-	15-11-2018	10010117	खडंजा नि०कार्य	मज० हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	43810.00
7-	15-11-2018	10010116	खडंजा नि०कार्य	मिटटी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	13398.00

8-	29-11-2018	10010119	खडंजा नि0कार्य	मिटटी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	13398.00
9-	29-11-2018	10010120	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	49635.00
10-	06-12-2018	10014582	खडंजा नि0कार्य	मिटटी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	7062.00
11-	06-12-2018	10014583	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	27910.00
12-	15-12-2018	10014585	खडंजा नि0कार्य	मिटटी हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	13880.00
13-	15-12-2018	10014586	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	48225.00
14-	24-01-2019	10014594	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	53350.00
15-	05-03-2019	10016367	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	19430.00
16-	16-03-2019	10016369	खडंजा नि0कार्य	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	19955.0
17-	29-12-2018	10014588	ह्यूम पाइप	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	3850.00
18-	04-01-2019	10014590	कार्याकल्प	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	39220.0
19-	14-01-2014	10014592	कार्याकल्प	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	17835.00
20-	02-02-2019	10014598	कार्याकल्प	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	31615.00
21-	11-02-2019	10014600	शौचालय मर0	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	10600.00
22-	27-02-2019	10016363	शौचालय मर0	मज0 हेतु प्रधान द्वारा नगद आहरण	23145.00
				योग	547114.00

अतः रु० 547114.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री अजय कुमार सोनकर और ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीना परवीन से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-छीही विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत छीही विकास क्षेत्र- बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष -2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न कार्यों में कार्यों के लिए क्रय सामग्री के भुगतान में किये गए व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणको और निर्माण पत्रावली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक- वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसके अभाव में सृजित संपत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. शासनादेश संख्या- ए-01-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक-23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000/- से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने पर कोटेशन आमन्त्रित करते हुए एवं रु० 1,00,000/-से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत- छीही में इस नियम का पालन नहीं करते हुए पूरे वित्तीय वर्ष

2018-19 के दौरान निर्माण सामग्री का क्रय किया गया है। निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया, किन्तु कोटेशन व टेण्डर आमन्त्रित न करके धन का अपहरण किया गया है—

क्र०सं	दिनांक	चेक संख्या	फार्म का नाम	सामग्री	धनराशि
1-	1-10-2018	10010105	अनम ट्रेडर्स	ईट	51461.00
2-	11-10-2018	10010106	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट	29933.00
3-	11-10-2018	10010107	अनम ट्रेडर्स	टाइल्स	31543.00
4-	20-10-2018	10010109	अनम ट्रेडर्स	ईट	90254.00
5-	01-11-2018	10010112	अनम ट्रेडर्स	ईट	117619.00
6-	15-11-2018	10010115	अनम ट्रेडर्स	ईट	151242.00
7-	29-11-2018	10010118	अनम ट्रेडर्स	ईट	180507.00
8-	06-12-2018	10014581	अनम ट्रेडर्स	ईट	104504.00
9-	15-12-2018	10014584	अनम ट्रेडर्स	ईट	167587.00
10-	04-01-2019	10014591	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट, ईटगिट्टी,बालू	113960.00
11-	14-01-2019	10014593	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट, ईटगिट्टी,बालू	26168.00
12-	24-01-2019	10014595	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट,ईटगिट्टी,बालू, टाइल्स	167189.00
13-	11-02-2019	10016361	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट,ईटगिट्टी,बालू, टाइल्स	123779.00
14-	20-02-2019	10016362	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट,ईटगिट्टी,बालू, टाइल्स	126882.00
15-	27-02-2019	10016365	अनम ट्रेडर्स	ईट,सीमेंट,ईटगिट्टी,बालू, टाइल्स	55749.00
16-	05-03-2019	10016368	अनम ट्रेडर्स	ईट	70540.00
17-	16-03-2019	10016370	अनम ट्रेडर्स	ईट	72108.00
18-	31-12-2018	10014588	भरोनाथ इंटरप्राइजेज	ह्यूम पाइप	48203.00
				योग	1729238.00

अतः रु० 1729238.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री अजय कुमार सोनकर और ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीना परवीन से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -3)

ग्राम पंचायत-छीही विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19 से 2018-19

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत छीही विकास क्षेत्र-बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है—

ग्राम पंचायत छीही में विभिन्न स्थानों पर कराये गए हैण्डपम्प रिबोर कार्य में रु० 87438.00 व्यय किये गए हैं। सामग्री के क्रय और मजदूरी के भुगतान में किये गए व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणको और निर्माण पत्रावली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसके अभाव में सृजित संपत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं	दिनांक	चेक संख्या	भुगतान का प्रकार		धनराशि
1-	02-04-2018	10010101	रामधारी सिंह ठेकेदार	सामग्री	55548.00
2-	02-04-2018	10010101	रामधारी सिंह ठेकेदार	मजदूरी	31890.00
			योग		87438.00

अतः रु० 87438.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री अजय कुमार सोनकर और ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीना परवीन से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या -4)

ग्राम पंचायत-जोलहापुर विकास खण्ड-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत जोलहापुर विकास क्षेत्र- बिलरियागंज ,जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष -2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण,गंभीर अनियमितता/दुर्विनियोग का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है—

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 5,769,749.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है। कैश बुक विवरण के अनुसार क्रय की गयी सामग्री, भुगतान किये गए मजदूरी अथवा अन्य व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक- वाउचर,स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्रं	दिनांक	चेक सं	धनराशि	विवरण
1	9/8/2018	544740	14,000.00	प्रधान मानदेय
2	20-08-2018	262257	119,244.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
3	20-08-2018		32,675.00	मजदूरी
4	20-08-2018		8,249.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
5	20-08-2018	262258	119,031.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
6	20-08-2018		32,325.00	मजदूरी
7	20-08-2018		7,965.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
8	20-08-2018	262259	95,449.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
9	20-08-2018		26,140.00	मजदूरी
10	20-08-2018		6,600.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
11	21-08-2018	262265	117,429.00	ईट
12	21-08-2018		8,018.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
13	8/9/2018		31,975.00	मजदूरी
14	8/9/2018	262266	85,403.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
15	8/9/2018		23,320.00	मजदूरी
16	8/9/2018		5,832.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
17	8/9/2018	262272	5,680.00	श्याम नारायण सिंह
18	8/9/2018	262269	127,250.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
19	8/9/2018		35,855.00	मजदूरी
20	8/9/2018		9,800.00	मिटटी कि ढुलायी/ट्रैक्टर
21	15-09-2018	262276	72,798.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
22	15-09-2018	262277	89,372.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
23	20-09-2018		31,900.00	मजदूरी
24	18-09-2018	262278	68,055.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
25	18-09-2018	262279	91,206.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
26	99-09-2018		33,065.00	मजदूरी
27	20-09-2018	262280	59,252.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
28	20-09-2018	262281	92,461.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
29	20-09-2018		33,055.00	मजदूरी
30	22-09-2018	262286	65,530.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
31	22-09-2018	262287	90,402.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
32	26-09-2018		32,240.00	मजदूरी
33	24-09-2018	262290	59,252.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
34	24-09-2018	262291	92,461.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
35	26-09-2018		32,240.00	मजदूरी
36	24-09-2018	262294	62,530.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
37	24-09-2018	262295	90,402.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
38	24-09-2018		32,240.00	मजदूरी
39	25-10-2018	262304	35,177.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
40	25-10-2018	262305	41,410.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
41	25-10-2018	262306	113,713.00	मेसर्स महेंद्र जयसवाल
42	25-10-2018		29,680.00	मजदूरी

43	25-10-2018	262307	97,764.00	मेसर्स शिवशक्ति ट्रेडर्स
44	30-11-2018		14,000.00	प्रधान मानदेय
45	30-11-2018	262313	64,596.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
46	30-11-2018	262314	96,529.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
47	30-11-2018		29,855.00	मजदूरी
48	15-12-2018	262321	29,378.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
49	15-12-2018	262325	39,697.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
50	12 / 12 / 2018		21,375.00	मजदूरी
51	15-12-2018	262320	72,275.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
52	15-12-2018	262326	94,454.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
53	15-12-2018		47,515.00	मजदूरी
54	15-12-2018	262322	66,908.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
55	15-12-2018	262327	44,639.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
56	10 / 1 / 2019	262330	139,047.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
57	10 / 1 / 2019		37,275.00	मजदूरी
58	11 / 1 / 2019	262331	123,781.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी के ओ
59	11 / 1 / 2019		34,095.00	मजदूरी
60	15-01-2019	262337	3,400.00	ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर
61	15-01-2019	262341	139,314.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
62	15-01-2019	262342	139,314.00	मेसर्स इन्द्रजीत यादव बी.के.ओ
63	15-01-2019		39,395.00	मजदूरी
64	31-01-2019	262343	125,436.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
65	31-01-2019		104,840.00	मजदूरी
66	31-01-2019		4,550.00	मजदूरी
67	10 / 2 / 2019	539339	125,436.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
68	10 / 2 / 2019		109,390.00	मजदूरी
69	10 / 2 / 2019	539347	70,598.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
70	10 / 2 / 2019	539348	19,252.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
71	10 / 2 / 2019		9,365.00	मजदूरी
72	10 / 2 / 2019	539349	25,226.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
73	10 / 2 / 2019		1,805.00	मिटटी कि ढुलायी / ट्रैक्टर
74	10 / 2 / 2019		6,905.00	मजदूरी
75	10 / 2 / 2019	539350	21,351.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
76	10 / 2 / 2019		6,645.00	मजदूरी
77	10 / 2 / 2019		2,298.00	मिटटी कि ढुलायी / ट्रैक्टर
78	21-02-2019	539351	38,698.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
79	21-02-2019		3,042.00	मिटटी कि ढुलायी / ट्रैक्टर
80	21-02-2019		10,970.00	मजदूरी
81	21-02-2019		12,711.00	हिंदुस्तान मिडिया वेंचर्स
82	23-02-2019	539352	116,095.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
83	23-02-2019		32,745.00	मजदूरी
84	23-02-2019	539353	61,917.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
85	23-02-2019		17,525.00	मजदूरी
86	23-02-2019	539354	139,314.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
87	23-02-2019		39,290.00	मजदूरी
88	23-02-2019		10,796.00	मिटटी कि ढुलायी / ट्रैक्टर
89	28-02-2019	539357	52,569.00	मेसर्स बिपिन कुमार राय बी. के. ओ
90	28-02-2019	539358	46,810.00	
91	28-02-2019		19,430.00	मजदूरी
92	28-02-2019	539359	16,403.00	मेसर्स बिपिन कुमार राय बी. के. ओ
93	28-02-2019	539360	25,419.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट

94	28-02-2019		7,595.00	मजदूरी
95	28-02-2019		14,840.00	बैठक व्यय
96	8/3/2019		120,358.00	मेसर्स शिवशक्ति ट्रेडर्स
97	8/3/2019	539369	38,698.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
98	8/3/2019		2,999.00	मिटटी कि दुलायी/ट्रैक्टर
99	8/3/2019		10,970.00	मजदूरी
100	8/3/2019	539370	38,698.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
101	8/3/2019		10,970.00	मिटटी कि दुलायी/ट्रैक्टर
102	8/3/2019		2,999.00	मजदूरी
103	8/3/2019	539371	61,917.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
104	18-03-2019		17,525.00	मजदूरी
105	18-03-2019		4,798.00	मिटटी कि दुलायी/ट्रैक्टर
107	8/3/2019	539372	35,730.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
108	15-03-2019	539372	28,779.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
109	18-03-2019		12,720.00	मजदूरी
110	15-03-2019	539374	28,946.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
111	15-03-2019	539375	32,835.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
112	23-03-2019		12,370.00	मजदूरी
113	18-03-2019		96,764.00	मेसर्स शिवशक्ति ट्रेडर्स
114	18-03-2019	539381	27,000.00	मेसर्स प्रकाश ईट भट्टा
115	18-03-2019	539382	77,000.00	मेसर्स राजमन सीमेन्ट
116	23-03-2019		65,360.00	मजदूरी
117	23-03-2019	539388	53,000.00	मेसर्स महत्तम एंड संस -मजदूरी और सामग्री
118	23-03-2019	539391	1,000.00	
119	23-03-2019		5,850.00	चूना खरीद
120	23-03-2019	539392	9,200.00	मेसर्स डायमंड स्टूडियो
121	23-03-2019		28,210.00	स्वच्छ भारत मिशन पर लेखन
122	23-03-2019		10,500.00	प्रधान मानदेय
		योग	5,769,749.00	

अतः रु० 5,769,749.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री बबलू राय और ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-कादीपुरतिवारी वि०ख०-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत कादीपुरतिवारी ,विकास क्षेत्र -बिलरियागंज ,जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है -

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 861,381.00 का व्यय अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट में दर्शित है। अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर, एम. बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्र.सं	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1	14-08-2018	390741	10,000.00	आरती यादव
2	17-09-2018	390742	5,670.00	श्याम नारायण सिंह
3	17-10-2018	390748	12,000.00	आरती यादव

4	17-10-2018	390746	15,000.00	आरती यादव
5	17-10-2018	390745	15,000.00	आरती यादव
6	17-10-2018	390744	15,000.00	आरती यादव
7	17-10-2018	390747	15,000.00	आरती यादव
8	17-10-2018	390743	40,000.00	ट्रांसफर
9	5/11/2018	390750	15,264.00	सेल्फ
10	12-11-2018	390749	58,719.00	हरिनाथ
11	5/12/2018	390751	15,000.00	सूर्य प्रकाश
12	7/12/2018	390752	31,890.00	टू विजय कुमार
13	27-12-2018	390753	15,000.00	आरती यादव
14	1/3/2019	390759	10,000.00	आरती यादव
15	1/3/2019	390760	5,000.00	आरती यादव
16	19-03-2019	390768	35,000.00	एन इ एफ टी सपन कुमार सिंह
17	19-03-2019	390762	35,000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 907815451262 / एस 0बी0आई0एन00008323 / 32925213864
18	19-03-2019	390763	35,000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 907815454100 / एस 0बी0आई0एन0 / 0008323 / 32925213864
19	19-03-2019	390769	15,000.00	आरती यादव
20	19-03-2019	390770	15,000.00	आरती यादव
21	25-03-2019	390764	30,000.00	आशीष बिल्डिंग मैटेरियल्स
22	25-03-2019	390771	45,918.00	हरिनाथ विनय कुमार
23	25-03-2019	390773	150,000.00	आशीष बिल्डिंग मैटेरियल्स
24	25-03-2019	390761	35,000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 908415031492 / एस 0बी0आई0एन0 / 0542652 / 426501010045500
25	25-03-2019	390766	32,000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 908416039976 / एस 0बी0आई0एन0 / 0542652 / 426501010045500
26	25-03-2019	390767	32,000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 908416040320 / एस 0बी0आई0एन0 / 0542652 / 426501010045500
27	25-03-2019	390765	35000.00	आई0एम0पी0एस0-आउट / 908416039976 / एस 0बी0आई0एन0 / 0542652 / 426501010045500
28	26-03-2019	390774	33,000.00	आरती यादव
29	26-03-2019	390775	21,000.00	आरती यादव
30	30-03-2019	390772	33,920.00	आरती यादव
		योग	861,381.00	

अतः रु० 861381.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-कादीपुरहरिकेश वि०ख०-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत कादीपुर हरिकेश, विकास क्षेत्र -बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 998,826.00 का व्यय अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट में दर्शित है। अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-वाउचर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है ।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है ।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि	विवरण
1	23-04-2018	555595	42,000.00	सुनीता
2	24-04-2018	555597	66,000.00	पलधारी
3	21-08-2018	555598	10,000.00	केदारयादव
4	04-09-2018	407944	5,670.00	श्यामनारायण सिंह
5	20-10-2018	555599	15,000.00	सुनीता
6	29-10-2018	555601	24,500.00	सुनीता
7	15-11-2018	407945	10,440.00	सुनीता देवी
8	26-11-2018	407946	2,500.00	अनिल चौधरी
9	05-12-2018	555607	10,000.00	सूर्य प्रकाश
10	06-12-2018	555606	11,585.00	सुनीता देवी
11	07-12-2018	555600	39,990.00	शर्मा
12	14-12-2018	555608	21,000.00	सुनीता
13	19-12-2018	555604	57,742.00	नरोत्तम प्रसाद
14	29-12-2018	555609	56,425.00	नरोत्तम दास
15	05-01-2019	407947	45,349.00	लाला ईट भट्टा
16	16-01-2019	555610	29,680.00	सुरेश राजभर
17	16-01-2019	555611	11,835.00	सुरेश राजभर
18	05-02-2019	555615	34,045.00	नरोत्तम दास
19	05-02-2019	555613	85,626.00	नरोत्तम दास
20	16-02-2019	555616	64,112.00	लाला ईट भट्टा
21	16-02-2019	555617	25,719.00	लाला ईट भट्टा
22	01-03-2019	555620	32,200.00	सुरेश राजभर
23	01-03-2019	555621	5,000.00	सुरेश राजभर
24	05-03-2019	555618	25,719.00	लाला ईट भट्टा
25	05-03-2019	555619	64,112.00	लाला ईट भट्टा
26	12-03-2019	555622	17,500.00	सुनीता
27	19-03-2019	555623	67,077.00	भैरवनाथ इण्टरप्राइजेस
28	25-03-2019	555626	14,000.00	सुनीता
29	25-03-2019	555625	14,000.00	सुनीता
30	28-03-2019	555624	90,000.00	श्रीदेवी
	योग		998,826.00	

अतः रु० 998,826.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-जेहरा पिपरी वि०ख०-बिलरियागंज वर्ष 2018-19

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत जेहरा पिपरी, विकास क्षेत्र- बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण, गंभीर अनियमितता/दुर्विनियोग का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 के बीच खाता प्रथम (राज्य वित्त/14वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु० 1,947,504.00 का व्यय अकाउंट ऑफ़ स्टेटमेंट में दर्शित है। अकाउंट ऑफ़ स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार

किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक—बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है।

धन आहरण का विवरण निम्नवत है

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	7 / 4 / 2018	276011	25,255.00	सवेश राम
2	13-04-2018	276007	4,878.00	तकनीकी मद
3	26-04-2018	276012	43,000.00	ओम ट्रेडिंग
4	26-04-2018	276013	21,200.00	ओम ट्रेडिंग
5	4 / 5 / 2018	276010	27,300.00	विशनु
6	27-08-2018	279014	5,670.00	श्याम नारायण सिंह
7	22-01-2019	276016	38,500.00	सर्वेश राय
8	30-01-2019	276019	29,320.00	सर्वेश राय
9	02 / 02 / 19	276017	59,923.00	विशनुदत्त ईट
10	02 / 02 / 19	276018	96,463.00	प्रिंस ट्रेडर्स
11	20-02-2019	276022	26,000.00	सर्वेश राय
12	20-02-2019	276023	26,000.00	सर्वेश राय
13	21-02-2019	276025	23,500.00	सर्वेश राय
14	21-02-2019	276026	23,400.00	सर्वेश राय
15	26-02-2019	276020	64,000.00	परी ईट
16	28-02-2019	276028	27,800.00	सर्वेश राय
17	28-02-2019	276029	27,800.00	सर्वेश राय
18	28-02-2019	276021	183,456.00	विशनुदत्त ईट
19	11 / 03 / 19	276024	165,110.00	विशनुदत्त ईट
20	25-03-2019	169317	26,000.00	सर्वेश राय
21	25-03-2019	169216	26,000.00	सर्वेश राय
22	25-03-2019	169319	13,955.00	सर्वेश राय
23	25-03-2019	169321	38,700.00	सर्वेश राय
24	25-03-2019	169312	29,145.00	सर्वेश राय
25	25-03-2019	169314	33,920.00	सर्वेश राय
26	27-03-2019	169318	19,000.00	विशन
27	27-03-2019	169313	45,918.00	विशन
28	27-03-2019	169320	102,544.00	विशन
29	27-03-2019	276027	158,340.00	विशन
30	27-03-2019	169315	70,619.00	विशन

31	27-03-2019	169311	54,810.00	विशन
32	27-03-2019	276030	90,000.00	ओम
33	30-03-2019	169328	96,677.00	ओ0पी0 इण्टरप्राइजेस
34	30-03-2019	169324	96,677.00	ओ0पी0 इण्टरप्राइजेस
35	30-03-2019	169326	31,002.00	मे0 विशनुदत्त ईट भट्टा
36	30-03-2019	169330	31,002.00	मे0 विशनुदत्त ईट भट्टा
37	30-03-2019	169332	15,000.00	सर्वेश राय
38	30-03-2019	169333	15,000.00	सर्वेश राय
39	30-03-2019	169329	17,310.00	सर्वेश राय
40	30-03-2019	169325	17,310.00	सर्वेश राय
		योग	1,947,504.00	

अतः रु० 1,947,504.00 का अपहरण ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान श्री सर्वेश से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

ग्राम पंचायत-गयासपुर विकास खण्ड-पल्हनी वर्ष 2018-19

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथि में डस्टबिन का क्रय किया गया है।

क्रमांक	दिनांक	चेकसंख्या	संस्था का नाम	धनराशि	संख्या
01	19-03-2019	12033527	संस्कार ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	175000.00	50 अदद
			योग	175000.00	50 अदद

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित ग्राम पंचायत द्वारा तिथि 19-03-2019 एवं चेक संख्या 12033527 से संस्कार ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स रुपया 175000.00 का डस्टबिन क्रय दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान डस्टबिन क्रय बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध (ग्राम पंचायत) के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/बिल उपलब्ध नहीं कराया जात है तो दर्शित व्यय की धनराशि गबन माना जाएगा।
- डस्टबिन लगाने का स्थान का नाम उल्लेख नहीं है।
- डस्टबिन लगाने का फोटोग्राफ नहीं है।

इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 175000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रेखा देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव त्रिपाठी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16)

ग्राम पंचायत-जाफरपुर विकास खण्ड-पल्हनी वर्ष 2018-19

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथि में सोलर लाइट का क्रय किया गया है।

क्रमांक	दिनांक	चेकसंख्या	संस्था का नाम	धनराशि	संख्या
01	25-03-2019	5466	आदित्य कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	172000.00	08 अदद
02	25-03-2019	5462	आदित्य कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	172000.00	08 अदद
			योग	344000.00	16 अदद

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- सोलर लाइट क्रय का बिल/बाउचर नहीं है, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जब कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध (ग्राम पंचायत) के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा।
- सोलर लाइट क्रय नेडा से किया जाना चाहिए।

- 4- क्रय की गयी सोलर लाइट का टेण्डर नहीं है। जबकि शासनादेश सं० -1-864/दस-08-15(1) /86 के दिनांक 23-09-2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रु० 20000 से लेकर रु० 99999 तक की खरीद के द्वारा तथा एक लाख से अधिक की खरीद टेण्डर आमन्त्रित कर किया जाना चाहिए।
- 5- सोलर लाइट लगने का नाम उल्लेख नहीं है।
- 6- सोलर लाइट लगने का फोटोग्राफ नहीं है।
- इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक व्यय/कार्य दर्शाकर रु० 344000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रेनू सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री प्रतीक राय (ग्रामपंचायत) से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16)

ग्राम पंचायत-रामपुर सुदी चकराजा विकास खण्ड-पलहनी वर्ष 2018-19

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथि में डस्टबिन का क्रय किया गया है।

क्रमांक	दिनांक	चेकसंख्या	संस्था का नाम	धनराशि	संख्या
01	22-11-2018	10003964	कृष्णा जनरल स्टोर चौक आजमगढ़	18400.00	20 अदद
			योग	18400.00	20 अदद

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

2- कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित ग्राम पंचायत द्वारा तिथि 22-03-2018 एवं चेक संख्या 10003964 से संस्कार ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स रूपया 18400.00 का डस्टबिन क्रय दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान डस्टबिन क्रय बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध (ग्राम पंचायत) के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/बिल उपलब्ध नहीं कराया जात है तो दर्शित व्यय की धनराशि गबन माना जाएगा।

3- डस्टबिन लगाने का स्थान का नाम उल्लेख नहीं है।

4- डस्टबिन लगाने का फोटोग्राफ नहीं है।

इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 18400.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रेखा देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव त्रिपाठी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16)

ग्राम पंचायत-चकलालधर वि०ख०-रानी की सराय वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.12.2016 को ग्राम निधि एक कैशबुक में राजेन्द्र के घर से चन्द्रजीत के घर तक खड़न्जा निर्माण दर्शित है। जिस पर रु 109120.00 का ईट एवं मजदूरी पर रु० 24000.00 व्यय दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टरटोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर की अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (8) के अनुसार 133120.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा चौहान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-17)

ग्राम पंचायत-बरामदपुर वि०ख०-रानी की सराय वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.09.2017 को ग्राम निधि प्रथम एक कैशबुक में पिचरोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक खड़न्जा निर्माण दर्शित है। जिस पर रु 123380.00 की ईट एवं मजदूरी पर रु० 27825.00 व्यय दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टरटोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 के अनुसार रु० 151205.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय पाल शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-17)

1. **प्रस्तर-85** .ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.03.2017 का निजामुद्दीन में दिनेश के घर से नान्हक के घर तक नाली निर्माण कराया गया है। जिस पर रु 60229.00 की ईट, रु 67376.00 का बिल्डिंग मैटेरियल एवं रु 20494.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मटस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (8क) के अनुसार रु 148099.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.02.2018 से 06.03.2018 तक नान्हक के घर के सामने से राजेन्द्र के घर के सामने तक नाली निर्माण ग्राम निधि प्रथम कौशबुक में दर्शित है। जिस पर रु 102615.00 की ईट, रु 107114.00 का बिल्डिंग मैटेरियल एवं रु 39100.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल क्रय से सम्बन्धित से व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार रु 248829.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.03.2019 को ग्राम निधि प्रथम कौशबुक में आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण दर्शित है। जिस पर रु 42380.00 ईट, रु 54928.00 बिल्डिंग मैटेरियल एवं रु 42115.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट, बिल्डिंग क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु 139423.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-17)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-बलिया

संभाग-आजमगढ़

1. ग्राम पंचायत का नाम-चाँदपुर-18

विकास खण्ड-बांसडीह

प्रस्तर-1 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम पंचायत चाँदपुर 18 में मांग-पत्र के बावजूद सचिव द्वारा दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय धनराशि रु० 513110.00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की संस्तुति की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती एवं सचिव श्री वैभव श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है:-

(आ० सं०-14)

क्र०	कार्य का विवरण	सामग्री	श्रमांश	योग
1	राजकिशोर के हैण्डपम्प से उत्तर नाली तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण	47419	2870	50289
2	टेण्डर	—	—	4300
3	10 अदद स्ट्रीट लाइट मरम्मत	11500	—	11500
4	10 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	20000	—	20000
5	2 अदद सफाई कीट	21000	—	21000
6	प्रशासनिक मद पर व्यय	5000	—	5000
7	व्हीलर चेयर	7400	—	7400
8	अजय सिंह के घर से पूरब पोखरा तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण	18653	2635	21288
9	मेन रोड से सहजानन्द बाबा गेट तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	90620	16235	106855
10	वेद प्रकाश सिंह के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण	94496	11575	106071

11	सहजानन्द बाबा के स्थान पर चबूतरा निर्माण	61229	15905	77134
12	प्रा0वि0 चौदपुर 18 पर मिट्टी एवं खण्डजा कार्य	66603	15670	82273
	योग—	443920	64890	513110

2. ग्राम पंचायत का नाम—रेगहॉविकास खण्ड—बांसडीह

प्रस्तर—2 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के प्रस्तर—8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम पंचायत रेगहॉ में मांग—पत्र के बावजूद सचिव द्वारा दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि रू0 1978937.00 की उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम—256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पारसनाथ एवं सचिव श्री सत्यदेव सिंह से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है।:-

क्र0	कार्य का विवरण	सामग्री	श्रमांश	योग
1	टेण्डर	—	—	5853
2	रेगहॉ में प्रा0वि0 के प्रांगण में इण्टरलॉकिंग कार्य	149611	24000	173611
3	हैण्डपम्प मरम्मत	26800	—	26800
4	एल0ई0डी0 लाइट	147200	—	147200
5	सफाई कीट	17000	—	17000
6	रेगहा में मंगरू यादव के घर से राजनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग	324716	63200	387916
7	पंचदेव यादव के घर के पास से बाढ़ग्रस्त सड़क पर मरम्मत कार्य	35806	11520	47326
8	फोटो स्टेट, स्टेशनरी	—	—	3500
9	सुदामा यादव के घर के पास काली मंदिर पर चबूतरा	23021	13778	36799
10	टी0एस0 बंधा से पिच मार्ग से सुरेन्द्र यादव के घर तक खडंजा कार्य	34984	10230	45214
11	रेगहा में लक्ष्मण यादव के घर से लक्ष्मण यादव के खेत तक नाली निर्माण	58064	11520	69584
12	रविदास मन्दिर पर चबूतरा मरम्मत	51284	12188	63472
13	टी0एस0 बंधा से वीरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग	163625	34819	198444
14	लखन यादव के घर से गंगा यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	111864	31896	143760
15	राजाराम यादव के घर से लखन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	115885	30682	146567
16	नथुनी यादव के घर से लखन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	109615	22338	131953
17	शत्रुघ्न यादव के घर से केदार यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	164088	29250	193338
18	दरी आजिम का भुगतान	25200	—	25200
19	व्हील चेयर	7400	—	7400
20	सीमेंट बेंच	108000	—	108000
	योग—	1674163	304774	1978937

(आ0 सं0—14)

3. ग्राम पंचायत का नाम—धरवार विकास खण्ड—बांसडीह

प्रस्तर—3 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के प्रस्तर—8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम पंचायत धरवार में मांग—पत्र के बावजूद सचिव द्वारा दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया

अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय धनराशि रू0 608476.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम—256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति

की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार यादव एवं सचिव श्री सत्यदेव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	कार्य का विवरण	सामग्री	श्रमांश	योग
1	पूरा पिच मार्ग से महन्ना यादव के घर होते हुए चकनाली तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27858	—	27858
2	निविदा जागरण प्रकाशन	—	—	5850
3	सफाई किट व सफाई कार्य हेतु मजदूरी	23000	6720	29720
4	पूरा पिच मार्ग से अम्बिका यादव के घर होते हुए हरेश्वर यादव के खेत तक खडंजा	125287	22290	147577
5	हैण्डपम्प मरम्मत	34500	—	34500
6	स्टेशनरी व फोटो कापी	4780	—	4780
7	उ०प्र०वि० पर शौचालय निर्माण	89877	56586	136463
8	सहतवार पिच मार्ग से छितेश्वर गोंड के घर तक पेवर्स	44546	12252	56798
9	रैन बसेरा पर हैण्डपम्प रिबोर	18780	12450	31230
10	सीमेंट बेंच 14 अदद	72000	—	72000
11	व्हील चेरर	7400	—	7400
12	छीवाल पर लिखावट	—	1800	1800
13	प्रधान मानदेय	—	—	52500
	योग—	448028	112098	608476

(आ०सं०-14)

4. ग्राम पंचायत का नाम—बरियारपुर

विकास खण्ड—बांसडीह

प्रस्तर-4 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम पंचायत बरियारपुर में मांग-पत्र के बावजूद सचिव द्वारा दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय धनराशि रु० 1061699.00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती महाजनी एवं सचिव श्री पवन कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है

क्र०	कार्य का विवरण	सामग्री	श्रमांश	योग
1	शिवजी के दरवाजे से घुइरू के दरवाजे तक सहित पेवर्स ब्लाक	65000	—	65000
2	वीरेन्द्र पासवान के दरवाजे से अरविन्द के दरवाजे होते हुए पेवर्स ब्लाक	217052	—	217052
3	उधारीराम के दरवाजे से चन्द्रिका पासवान के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	127202	22525	149727
4	हैण्डपम्प मरम्मत	25000	—	25000
5	टेण्डर दैनिक जागरण	4873	—	4873
6	स्टेशनरी	10500	—	10500
7	कुर्सी, मेज व फर्नीचर	17500	—	17500
8	ग्राम पंचायत में स्थानों पर टुकड़ा भराई	20000	—	20000
9	व्हील चेरर	7400	—	7400
10	वरियारपुर में देवनाथ के घर से दीवान के घर तक पेवर्स ब्लाक	69667	15800	85467
11	वरियारपुर में देवनाथ के घर से प्रभुनाथ के घर तक पेवर्स लाक	97744	34700	13244
12	सफाई कीट	9500	—	9500
13	कुड़ादान	98000	—	98000

14	सीमेंट बेंच	170000	—	170000
15	प्रधान मानदेय	—	—	49000
16	बैंक कटौती	—	—	236
	योग—	939438	73025	1061699

(आ0 सं0-13)

5. ग्राम पंचायत का नाम—अकोल्ही विकास खण्ड—बांसडीह

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट में दर्शाए गए व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

लेखा परीक्षा में कुल व्यय रु0 653240.00 के सापेक्ष रु0 342594.00 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रु0 310646.00 का व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही उपलब्ध व्यय प्रमाणक पर जी0एस0टी0 की कटौती से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अप्राप्त व्यय प्रमाणक को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए अधिभार की कार्यवाही निर्गत की जाती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती एवं सचिव श्री सतीष राम से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0-12)

6. ग्राम पंचायत का नाम—किर्तुपुर विकास खण्ड—बांसडीह

प्रस्तर-6 उत्तर प्रदेश पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम पंचायत किर्तुपुर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 19.02.2020 एवं 18.03.2020 के द्वारा सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से किये गये मांग-पत्र के बावजूद सचिव द्वारा दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय धनराशि रु0 1652500.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह एवं सचिव श्री विनोद तिवारी से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0	कार्य का विवरण	सामग्री	श्रमांश	योग
1	टेण्डर	—	—	4300
2	हैण्डपम्प मरम्मत	46000	20000	66000
3	टी0एस0 बंधा से किर्तुपुर गांव तक पटरी भराई कार्य	241180	77300	318480
4	5 अदद सोलर लाइट स्थापना	137500	—	137500
5	15 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	45000	—	45000
6	रामकृपाल के घर से हरद्वार वर्मा के घर तक स्लैबयुक्त नाली	160821	91900	252721
7	स्टेशनरी सहित प्रशासनिक मद	30400	—	30400
8	हरिद्वार वर्मा के घर से शिवनाथ वर्मा के घर तक स्लैबयुक्त नाली	88595	38000	126595
9	शिवनाथ वर्मा के घर से राधेश्याम वर्मा के घर तक स्लैबयुक्त नाली	233047	233047	290947
10	1 अदद हैण्डपम्प रिबोर	20900	—	20900
11	प्रिया कान्हेकर को भुगतान	—	—	6000
12	मोतीचन्द वर्मा के घर से शिवनाथ वर्मा के डेरा तक सपोटिंग वाल एवं मिट्टी भराई कार्य	158780	31050	189830
13	मदन सिंह के घर से शिवनाथ वर्मा के डेरा तक सपोटिंग वाल एवं मिट्टी भराई कार्य	126427	20000	146427
14	नवयुवक मंगल दल हेतु खेलकुद का सामान	10000	—	10000
15	व्हील चेयर	7400	—	7400
	योग—	1306050	346450	1652500

(आ0 सं0-14)

7. ग्राम पंचायत का नाम—दौलतपुर विकास खण्ड—सोहॉव

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.9.18 रु0 52000.00 ग्राम निधि प्रथम के कोषवाही में हेतु पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया अंकित है। हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थानों पर किया गया है। इसका विवरण लेखा परीक्षा में या कोषवाही में दर्ज नहीं किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक बिल वाउचर रसीदे आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बंधित जल प्रवधन समिति का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति, स्टीमेट एम0पी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवाही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त पत्र फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार है। कुल व्यय धनराशि रु0 52000.00 का आधा भाग रु0 26000.00 प्रधान श्रीमती गुडिया सिंह एवं आधा भाग रु0 26000.00 सचिव श्री सौरभ कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-19)

8. ग्राम पंचायत का नाम—नसीरपुर टुटवारी विकास खण्ड—सोहॉव

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत नसीरपुर टुटवारी विकास खण्ड सोहॉव की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत नसीरपुर टुटवारी द्वारा निम्नलिखित तिथियों में निर्माण कराया गया है। किन्तु निर्माण में लगे श्रमिकों को भुगतान सम्बंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण निम्नलिखित है।

क्रम0सं0	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धित कार्य का नाम
1	29.6.18	20000.00	विक्रमा के घर से डीह बाबा कि स्थान पर सी0सी0 रोड़ का निर्माण
2	16.7.18	10000.00	विक्रमा के घर से डीह बाबा कि स्थान पर सी0सी0 रोड़ का निर्माण
3	09.8.18	20625.00	विक्रमा के घर से डीह बाबा कि स्थान पर सी0सी0 रोड़ का निर्माण
योग—		50625.00	

(आ0सं0-19)

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु कोई मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। बिना मस्टररोल के भुगतान कर धन का अपहरण किया जाता है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राम जी गौड से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत का नाम—सिकन्दरपुर विकास खण्ड—सोहॉव

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के कोषवाही में हैण्डपम्प मरम्मत सम्बंधित व्यय अंकित हैं।

विवरण

07-05-18 रु0 20170.00

22-5-18 रु0 26050.00

20-8-18 रु0 30314.00

20-8-18 रु0 3171.00

योग—79705.00

हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थलो पर किया गया है। इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में या कोषवाही में दर्ज नहीं किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक बिल वाउचर रसीदे आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बंधित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति स्टीमेट एम0बी0 कार्य पूति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवाही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैशबुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार है कुल व्यय धनराशि रु0 79705.00 का आधा भाग रु0 39852.50 प्रधान श्री भोरिक एवं आधा भाग रु0 39852.50 सचिव श्री बरुण राय ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया गया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-25)

10. ग्राम पंचायत का नाम—फिरोजपुर विकास खण्ड—सोहॉव

प्रस्तर—10 ग्राम निधि प्रथम कोषवही के व्यय पक्ष के अनुसार दिनांक 4-2-19 को रू0 13300 का सफाई किट का क्रय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के समक्ष कोई व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत की स्टाक पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे की उक्त व्यय के आगम की पुष्टि की जा सके। उक्त व्यय की पूर्व स्वीकृति किसी समक्ष अधिकारी से भी नहीं ली गयी सफाई किट क्रय सम्बंधी कोई आदेश या मानक दिया निर्देश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सफाई किट किन सफाई कर्मियों को प्रदान की गयी एवं कहां प्रयुक्त हुई इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय का अंकन लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैशबुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार है। कुल व्यय धनराशि रू0 13300 का आधा भाग—रू0 6650.00 प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं आधा भाग—रू0 6650.00 सचिव श्री जगनरायण यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से उचित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आ0 सं0—25)

11. ग्राम पंचायत का नाम—गोविन्दपुर विकास खण्ड—सोहॉव

प्रस्तर—11 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 8-3-19 रू0 20000.00 ग्राम निधि प्रथम के कोषवही में हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी सम्बंधी व्यय अंकित है। हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थलो पर किया गया है। इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में या कोषवही में दर्ज नहीं किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक बिल वाउचर रसीदे आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बंधित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति स्टीमेट एम0बी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैशबुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार है। कुल व्यय धनराशि रू0 20000 का आधा भाग रू0 10000.00 सचिव श्री नवीन यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आ0सं0—26)

12. ग्राम पंचायत का नाम—रामनगर बसनही विकास खण्ड—रसड़ा

प्रस्तर—12 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत रामनगरबसनही द्वारा रू0 649732.00 की धनराशि व्यय की गयी कोषवही में अंकित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है किन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव, प्रमाणक, बिल वाउचर, स्टीमेट, चालान, एम0वी0, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, मस्टर रोल, कोटेशन/टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि ग्राम पंचायत के बिल एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कोषवही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।"

उक्त नियम से कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू0 649732.00 का आधा—आधा भाग ग्राम प्रधान श्रीमती सैहन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र एवं चन्द्रमोहन से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आ0सं0—24)

13. ग्राम पंचायत का नाम—रोहना विकास खण्ड—रसड़ा

प्रस्तर—13 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत रोहना द्वारा कुल रू0 994607.00 की धनराशि व्यय की गयी कोषवही में अंकित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है किन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित कोई भी प्रस्ताव प्रमाणक बिल वाउचर स्टीमेट, चालान एम0बी0 सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल नक्शाप्लान, कोटेशन/टेण्डर वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति आदि की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम पंचायत के बिल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।"

उक्त नियम से कोषवही में अंकित व्यय की गयी धनराशि अपहरित सिद्ध होती है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि रु0 994607.00 का आधा-आधा भाग प्रधान श्रीमती राजेश कुमार एवं श्री अच्छेलाल (सचिव) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ00सं0-24)

14. ग्राम पंचायत का नाम-खड़सरा अजीजपुर विकास खण्ड-रसड़ा प्रस्तर-14

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत खड़सरा अजीजपुर द्वारा कुल रु0 2010412.00 की धनराशि व्यय की गयी कोषवही में अंकित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है किन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव प्रमाणक, बिल बाउचर, स्टीमेट, चालान, एम0वी0, सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, मस्टर रोल, नकशाप्लान, कोटेशन/टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि की पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि ग्राम पंचायत के बिल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के विन्दु 8 'क' के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।"

उक्त नियम से कोषवही में अंकित व्यय की गयी धनराशि अपहरित सिद्ध होती है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि 2010412.00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री विवेकानन्द एवं सचिव श्री चन्द्रशेखर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ00सं0-24)

15. ग्राम पंचायत का नाम-सरंया विकास खण्ड-रसड़ा

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत संख्या द्वारा कुल रु0 820848.00 की धनराशि व्यय की गयी कोषवही में अंकित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है किन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव प्रमाणक बिल बाउचर स्टीमेट, चालान एम0बी0 सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल नक्शाप्लान, कोटेशन/टेण्डर वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि कि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि ग्राम पंचायत के बिल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।"

उक्त नियम से कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरित सिद्ध होती है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि रु0 820848.00 का आधा-आधा भाग प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र राम एवं श्री दिवाकर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ00सं0-26)

16. ग्राम पंचायत का नाम-रघुनाथपुर विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-16 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 16.7.2018 को रु0 2500.00 का भुगतान कृष्णमुरारी को टेण्डर प्रकाशन हेतु किया गया है विज्ञापन हेतु भुगतान सम्बन्धित समाचार पत्र एजेन्सी को न कर पत्रकार को किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सविता का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-17 ग्राम निधि प्रथम से वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों (1) श्रवण के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण हेतु दिनांक 27.4.2018 को रु0 6825.00 का ईट+ओ0बी0बी0 क्रय तथा दिनांक 14.8.18 को रु0 12211.00 का व्यय सीमेन्ट वालू आदि क्रय पर किया गया है। (2) छट्टू के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण कार्य पर दिनांक 27.4.18 को रु0 6684.00 ईट+ओ0 बी0बी0 क्रय तथा दिनांक 27.4.18 को रु0 13595.00 का सीमेन्ट वालू आदि क्रय पर व्यय दर्शात है। परन्तु उक्त दोनों की सोख्ता निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों सोख्ता निर्माण कार्यों में सामग्री पर कुल व्यय रु0 39315(6825+12211 +6684+13595) के सापेक्ष मजदूरी पर नहीं किया गया है। अर्थात् कार्य न कराकर मात्र सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त

का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सविता देवी का रहा।
उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-34)

17. ग्राम पंचायत का नाम-पड़सरा जूड़न विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-18 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 6.3.2019 को रू0 2500.00 का भुगतानपत्र कार श्री कृष्ण मुरारी को टेण्डर विज्ञापन हेतु किया गया है विज्ञापन हेतु भुगतान समाचार पत्र एजेन्सी को न कर पत्रकार को किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा। इस अनियमित भुगतान हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रेहाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्नु सिंह जिम्मेदार है। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-7)

प्रस्तर-19 दिनांक 14.7.2017 को रू0 18000.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम की कोषवही में दर्शित है। कोषवही में व्यय किस हेतु किया गया का कोई विवरण नहीं अंकित है। व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त रू0 18000.00 वसूली योग्य है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेहाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्नु सिंह चौहान से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-15)

प्रस्तर-20 दिनांक 7.5.2018 को रू0 10000.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम से प्रशासनिक मद हेतु दर्शित है। व्यय के समक्ष प्रशासनिक मद में कहाँ व्यय किया गया का कोई विवरण नहीं दिया गया है। सम्बन्धित व्यय का प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार व्यय रू0 10000.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन रहा। जो अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः सम्बन्धित व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेहाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मन्नु सिंह चौहान से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-29)

प्रस्तर-21 दिनांक 27.8.2018 को ग्राम निधि प्रथम से रू0 4000.00 का व्यय मोबाइल फोन क्रय हेतु किया गया है। ग्राम पंचायत में प्राप्त अनुदान की धनराशि से मोबाइल फोन क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है। इस प्रकार उक्त अनियमित भुगतान का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेहाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्नु सिंह चौहान का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-30)

18. ग्राम पंचायत का नाम-अब्दुलपुर मदारी विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-22 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 21.4.2018 को रू0 89739.00 का व्यय ईट क्रय हेतु दर्शित है। क्रीट ईट से पी0डब्लू0 डी0 रोड के पास कालिका सिंह के चक से अब्दुलपुर मदारी सीमा तक खडंजा निर्माण कार्य कराये जाने का विवरण कैश बुक में दर्शित है। सम्बन्धित कार्य का पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयी। जिससे कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट एम0बी0 इत्यादि की स्थिति अज्ञात रही। यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित कार्य पर वर्ष दौरान मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये ही सम्बन्धित कार्य हेतु सामग्री पर व्यय कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री सुखसागर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शशिकान्त सिंह का रहा है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-19)

प्रस्तर-23 दिनांक 1.10.2018 को ग्राम निधि प्रथम से रू0 3000.00 का भुगतान टेण्डर प्रकाशन हेतु पत्रकार श्री मनोज कुमार को किया गया है। टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान सम्बन्धित समाचार पत्र एजेन्सी को कर पत्रकार को किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा। इस प्रकार रू0 3000.00 वित्तीय अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्री सुख सागर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशिकान्त सिंह का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-20)

प्रस्तर-24 ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरणानुसार प्रियासापट बलिया को फीडिंग हेतु भुगतान किया गया है।

दिनांक	धनराशि	चेक नं0
26.7.2018	8100.00	12008372
25.01.2019	11000.00	12018026
योग-	19100.00	

फीडिंग हेतु उक्त भुगतान पूर्णतया अनियमित है। उक्त अनियमित भुगतान का दायित्व ग्राम प्रधान श्री सुख सागर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशिकान्त सिंह का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-36)

19. ग्राम पंचायत का नाम-भण्डारी विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-25 दिनांक 12.9.2017 को रू0 3717.00 तथा दिनांक 7.5.2018 को रू0 3899.00 का भुगतान (ग्राम निधि प्रथम से) पत्रकार श्री कृष्ण मुरारी को किया गया है। यह भुगतान टेण्डर विज्ञापन हेतु दर्शित है। टेण्डर विज्ञापन हेतु भुगतान समाचार पत्र एजेन्सी को न कर पत्रकार को किया जाना पूर्णतया अनियमित है। इस प्रकार कुल रू0 7616.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार मौर्या का रहा। (आपत्ति संख्या-13) उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-26 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 13.2.18 को रू0 6000.00 व रू0 4200.00 तथा दिनांक 11.7. 2018 को रू0 5250.00 का भुगतान प्रिया कान्द्रशन बलिया को किया गया है। यह भुगतान कार्य योजना की फीडिंग हेतु किया गया है। उक्त समस्त भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस प्रकार कुल रू0 15450.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार मौर्या तथा ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार का रहा है। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर-27 कैशबुक के अनुसार एवं निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से वर्ष 2018 में कराये गये कार्य (i) बहम स्थान से रामचन्द्र के घर तक एवं जयकिशन के घर तक नाली निर्माण कार्य तथा (ii) शिवानन्द श्रीवास्तव के दरवाजे के पास कुएँ का चबूतरा निर्माण कार्य दोनों ही कार्यों में मात्र सामग्री क्रय पर ही व्यय दर्शित किया गया है। उक्त में से प्रथम कार्य हेतु दिनांक 2.5.2017 को रू0 31358.00 की ईट तथा ओ0बी0बी0 क्रय पर व्यय दर्शित है। तथा दूसरे कार्य पर दिनांक 8.3.2018 को रू0 26400.00 का व्यय ईट क्रय तथा दिनांक 28.2.2018 को रू0 21400.00 का व्यय सीमेन्ट वालू आदि क्रय हेतु किया गया है।

उपरोक्त दोनों कार्यों के कराये जाने में मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार विना कार्य कराये ही सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित कर कुल रू0 79158.00 राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार मौर्या का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-21)

20. ग्राम पंचायत का नाम-छितौना विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-28 दिनांक 12.7.2018 को रू0 11000.00 भुगतान प्रिया कनट्रैक्टर को फीडिंग हेतु ग्राम निधि प्रथम से किया गया है। उक्त भुगतान पूर्णतया अनियमित है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्री शशिकान्त सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(आ0सं0-13)

प्रस्तर-29 दिनांक 06.09.2018 को रू0 3000.00 का भुगतान टेण्डर विज्ञापन हेतु पत्राकार श्री मनोज कुमार को किया गया है। विज्ञापन हेतु भुगतान सम्बंधित समाचार पत्र को न कर पत्राकार को किया जाना पूर्णतया अनियमितता रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशिकान्त सिंह का रहा।

(आ0 सं0-14)

प्रस्तर-30 ग्राम निधि प्रथम से कराये गये कार्यों की व्यय पत्रावली की जाँच में वसन्त सिंह के दरवाजे ग्राम समाज पोखरी तक नाली निर्माण कार्य की जाँच में यह पाया गया कि कार्य पर दिनांक 6.12.2018 को रू0 80672.00 का ईट+ओ0बी0बी0 क्रय तथा दिनांक 6.12.2018 को ही रू0 116604.00 का सीमेन्ट बालू इत्यादि हेतु भुगतान किया गया है। परन्तु सम्बंधित कार्य को कराये जाने का मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है। साथ ही कैशबुक में भी उक्त कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये है कार्य पर कुल व्यय रू0 197276.00 (सामग्री हेतु भुगतान) करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त का दायित्व ग्रा0 प्रधान श्री अमित कुमार तथा ग्रा0पं0 अधि0 श्री शशिकान्त सिंह का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

21. ग्राम पंचायत का नाम—अतरौली करमौता विकास खण्ड—नगरा

प्रस्तर—31 ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक से वर्ष 2018—19 में निम्न विवरणानुसार प्रिया कन्ट्रैक्शन बलिया को भुगतान फीडिंग हेतु किया गया है।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
15.05.2018	12000.00	प्रिया कान्ट्रैक्टर को फीडिंग का भुगतान
29.05.2018	19650.00	प्रिया कान्ट्रैक्टर को फीडिंग का भुगतान
24.12.2018	10000.00	प्रिया कान्ट्रैक्टर को फीडिंग का भुगतान
योग—	41650.00	

उपरोक्तानुसार प्रिया कान्ट्रैक्टर बलिया को फर्जी भुगतान करके एवं ग्राम वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिकेश गुप्ता का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मू0आ0सं0—12)

प्रस्तर—32 ग्राम निधि प्रथम की कोषवही में दिनांक 16.5.2018 को रू0 3899.00 का भुगतान टेण्डर प्रकाशन हेतु श्री कुष्ण मुरारी पत्रकार को किया गया है। प्रकाशन हेतु भुगतान समाचार पत्र एजेन्सी को न कर पत्रकार को करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि केश गुप्ता का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है (मू0आ0सं0—19)

प्रस्तर—33 ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 18.3.2019 को चेक सं0 21052073 रू0 70000.00 नकद निकासी का विवरण दर्शित है। परन्तु उक्त बैंक निकासी का लेखांकन कोषवही में न कर अपहृत कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि केश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0—34)

प्रस्तर—34 ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक में दिनांक 27.11.2018 को रू0 4096.00 व्यय अंकित है। व्यय के सापेक्ष कपषवही में कार्य का नाम/व्यय विवरण नहीं अंकित किया गया है। तथा व्यय का प्रमाणक भी नहीं उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आते हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि केश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0—35)

प्रस्तर—35 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम से 2018—19 कराये गये कार्य “नीबू लाल के घर से स्वामी नाथ के घर तक पेवर्स निर्माण कार्य” में पत्रावली की जांच में एवं कैश बुक के अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
04.02.2019	113129	पेवर्स बलाक क्रय 5992 नग रू0 18.88 कीदर से से रू0 113129.00
29.03.2019	30000	टो0बी0बी0 क्रय 15.13 मी3 रू0 1197 की दर से रू0 18110+ईट क्रय 1987 नग 5985 कीदर से से रू0 11890
योग—	143129	

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्य पर भुगतान दर्शित है। पेवर्स निर्माण कार्य में न तो सीमेन्ट, बालू इत्यादि पर व्यय किया गया है। और न ही कार्य कराने हेतु मजदूरी पर भुगतान किया गया है। एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत रहे।

इस प्रकार बिना मजदूरी भुगतान/कार्य कराये ही सामग्री पर व्यय करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि केश गुप्ता का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मू0आ0सं0—36)

प्रस्तर—36 ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक में दर्शित कार्य “पी0डब्लू0डी0 से नीबूलाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य” पर दिनांक 07.3.219 को रू0 29050.00 मजदूरी भुगतान तथा दिनांक 4.2.2019 रू0 130045.00 का पेवर्स क्रय पर भुगतान दर्शित है। सम्बन्धित कार्य पर न तो सीमेन्ट/बालू/गिट्टी आदि पर व्यय किया गया है और न ही ईट/ओ0बी0बी0 पर व्यय किया गया है। तथा सम्बन्धित कार्य अकुशल मजदूरों (166×175) का ही प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार पेवर्स निर्माण कार्य में मानक के विपरित कार्य कराकर तथा मात्र मजदूरी एवं पेवर्स ब्लाक कार्य पर व्यय दर्शित कर अनुदान की धनराशि दुरुपयोग किया गया है। अतः कुल दुरुपयोग की गयी धनराशि ₹0 159095.00 का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी हरि केश गुप्ता का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-37)

22. ग्राम पंचायत का नाम-विसरुफ विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-37 निम्न विवरणानुसार प्रधान को ग्राम निधि प्रथम से मानदेय का भुगतान किया गया है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण	कब से कब तक
1	27.10.2017	20000	प्रधान मानदेय भुगतान	अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक $1 \times 2500 + 5 \times 3500 = 20000$
2	16.8.2017	93500	प्रधान मानदेय भुगतान	अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2017 तक $1 \times 2500 + 26 \times 3500 = 93500$
	योग-	113500		

उपरोक्तानुसार प्रधान को मानदेय भुगतान किया गया है। उक्त मानदेय भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भुगतानों से स्पष्ट है कि माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक हेतु मानदेय क्रमांक 1 व 2 दोनों ही भुगतानों में दर्शित है। अर्थात् ₹0 20,000.00 मानदेय का दो बार भुगतान कर अपहरण किया गया है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान का रहा। अतः ₹0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-38 दिनांक 19.12.2018 को ग्राम निधि प्रथम से ₹0 42450.00 का भुगतान प्रिया कानट्रैक्टर बलिया को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कैशबुक में कोई विवरण नहीं दिया गया है। तथा सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य हैं। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान का रहा। (मू0आ0सं0-19)

प्रस्तर-39 ग्राम निधि प्रथम में दिनांक 4.4.2018 को ₹0 28400.00 का व्यय कैश बुक में दर्शित हैं भुगतान किसे किया गया व उसमें कौन सा कार्य कराया गया का विवरण कैशबुक में अंकित हैं। सम्बंधित व्यय का व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-20)

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्यय दर्शित किया गया है।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
30.1.2018	60,000	हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्यय
30.1.2018	51,000	हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्यय
27.8.2018	1,30,000	हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्यय
योग-	241000	

उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्ययों के सम्बंध में व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। रिबोर से सम्बंधित किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी की टिप्पणी रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची एवं उनके फोटोग्राफ आदि नहीं प्रस्तुत रहे। इस प्रकार प्रमाणक विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-27)

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से कराये कार्य छटहूपुर में मेन नाली का मरम्मत कार्य की पत्रावली की जाँच से यह स्पष्ट हुआ की सम्बंधित कार्य पर दिनांक 11.10.2018 को ₹0 16505.00 (ईट+ओ0बी0बी0) क्रय तथा दिनांक 7.2.2019 ₹0 17625.00 सीमेन्ट बालू इत्यादि क्रय पर व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के कराये जाने का मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है। उक्त और न ही कैशबुक में

मजदूरी भुगतान हेतु कोई व्यय खारिज किया गया है। इस प्रकार सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित कर व कार्य कराकर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। कुल धनराशि ₹0 34130.00 अपहरण का दायित्व प्रधान श्रीमती अमरावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-34)

प्रस्तर-42 ग्राम निधि प्रथम से वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्य “श्याम अवतार के घर से वीर बहादुर के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण” में दिनांक 7.11.2017 को ₹0 29000.00 ईट क्रय पर भुगतान तथा दिनांक 18.10.17 को ₹0 14000.00 मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शित है। सम्बन्धित कार्य पर अन्य कोई व्यय नहीं दर्शित हैं इस प्रकार ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य में सीमेन्ट, बालू, गिट्टी सरिया हेतु व्यय नहीं किया गया है। उक्त के अभाव में ढक्कन सहित नाली का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः उक्त कार्य पर दर्शित कुल व्यय ₹0 43000.00 का अपहरण किया गया है उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मन्यु सिंह चौहान का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-38)

23. ग्राम पंचायत का नाम-तियराहैदरपुर विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-43 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 22.5.2017 को ₹0 3717.00 का भुगतान पत्राकर श्री कृष्ण मुरारी तथा दिनांक 6.7.2018 को ₹0 2085.00 का भुगतान पत्राकर श्री देवनरायन को टेण्डर विज्ञापन हेतु किया गया है। विज्ञापन हेतु भुगतान सम्बन्धित समाचार पत्र एजेन्सी को न कर पत्राकर को करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। वित्तीय अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिकेश गुप्ता का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-7)

प्रस्तर-44 ग्राम निधि की कैशबुक में दिनांक 23.3.2018 को ₹0 118755.00 का ईट क्रय एवं ₹0 13500.00 का राविश क्रय हेतु भुगतान दर्शित है। कैशबुक में उक्त के समक्ष व्यय विवरण इस प्रकार अंकित किया गया है “ईट/राविश का प्रयोग उपरोक्त तीनों कार्यों किया गया है।” किस कार्य में कितनी धनराशि की ईट/राविश प्रयोग की गयी का अलग-2 विवरण नहीं दिया गया है। क्रय सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। तथा सम्बन्धित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावली भी नहीं प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार ईट/राविश पर कुल व्यय ₹0 132255.00 के सापेक्ष कार्य का नाम एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री की मात्रा/मूल्य का विवरण न देकर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि केश गुप्ता का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0-35)

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम की कोषवही से वर्ष 2017-18 में तीन इण्टर लाकिंग कार्य कराये जाने हेतु व्यय निम्न प्रकार दर्शित है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	ईट+आ0 बी0बी0पर दर्शित व्यय	सीमेन्ट बालू गिट्टी आदि पर दर्शित व्यय	पेवर्स ब्लाक पर दर्शित व्यय	मिट्टी पर दर्शित व्यय	मजदूरी पर दर्शित व्यय	कुल व्यय
1	भगवान के घर से महेश के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	34335	26767		4280	23450	88832
2	महेश के घर से मेन रोड तक इण्टर लाकिंग कार्य	34335	26767	237910	3567	22925	87594
3	प्रेम चन्द्र के घर से खरपतू के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	22886	17957		2325	15225	58393
				तीनों कार्यों के पेवर्स पर कुल व्यय			237910
		91556	71491		10172	61600	472729

उपरोक्तानुसार तीनों पेवर्स निर्माण कार्यो पर व्यय दर्शित है। उक्त कार्यो के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी।

(1)अलग-अलग कार्यो पर कितनी संख्या/धनराशि के पेवर्स का प्रयोग किया गया का विवरण नहीं अंकित है। सामग्री स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत रहा। तीनों कार्यो पर पेवर्स ब्लाक पर संयुक्त व्यय रू0 237910.00 एक मुश्त दर्शित है।

(2)सम्बन्धित कार्यो की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयी।

(3)सम्बन्धित कार्यो की एम0बी0भी0 नहीं प्रस्तुत रहे।

(4)उक्त कार्यो के कार्यपूति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत रही।

(5)उक्त के सम्बन्ध में पूछने पर प्रधान पति द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपयुक्त तीन इण्टर लाकिंग कार्य न होकर एक ही कार्य है जिसे तकनीकी रूप से बचाव हेतु तीन कार्य कर दिया गया है। तथा विवाद के चलते अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भी यह बात स्वीकार की गयी।

इस प्रकार बिना कार्य प्रारम्भ के ही सम्बन्धित कार्यो पर उपरोक्तानुसार व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी हरि केश गुप्ता का रहा। अतः रू0 472729.00 के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0-36)

24. ग्राम पंचायत का नाम-त्रिलोक मन्दा विकास खण्ड-नगरा

प्रस्तर-46 ग्राम निधि प्रथम से वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार मानदेय का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	28.9.2017	33000	प्रधान को मानदेय किन-किन माहों का विवरण नहीं अंकित है।
2	24.10.2017	14000	प्रधान को मानदेय किन-किन माहों का विवरण नहीं अंकित है।
3	28.11.2018	58000	प्रधान को मानदेय किन-किन माहों का विवरण नहीं अंकित है।
4	31.3.2019	31500	प्रधान को मानदेय किन-किन माहों का विवरण नहीं अंकित है।
	योग	136500	

उपरोक्तानुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल रू0 136500.00 प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आन लाइन देखने से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 में दिनांक 10.3.2017 को प्रधान को माह दिसम्बर 2016 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार माह जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक हेतु कुल 27 माहों का मानदेय रू0 3500.00 प्रति माह की दर से रू0 94500.00 होता है। जिसके स्थान पर रू0 136500.00 का भुगतान किया गया है। अर्थात् रू0 42000.00 अधिक मानदेय का भुगतान कर अपहृत कर लिया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत श्री राम किशोर का रहा। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 13)

प्रस्तर-47 वर्ष 2017-18 में ग्राम निधि प्रथम से कराये गये कार्य राज मंगल के दरवाजे से प्रा0 वि0 त्रिलोक मन्दा तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर दिनांक 16-10-2018 को रू0 52349.00 का ईट क्रय हेतु भुगतान दर्शित है। सम्बन्धित कार्य पर वर्ष दौरान एवं उसके पश्चात् कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये ही सम्बन्धित कार्य हेतु रू0 52349.00 का ईट क्रय पर व्यय करके अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम किशोर एवं ग्राम प्रधान श्री राजकुमार का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-48 ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक में दर्शित निम्न व्ययो के सापेक्ष कार्य का पूर्ण नाम नहीं अंकित किया गया है। व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयी।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण	कार्य का नाम
30.7.18	36531	ईट क्रय हेतु भुगतान	पारस के घर से तक नाली/खडन्जा निर्माण कार्य

30.8.18	10507	समग्री क्रय	पारस के घर से तक नाली/खडण्जा निर्माण कार्य
27.2.19	132300	ईट क्रय	दुर्गा मंदिर से.....तक खडण्जा निर्माण कार्य
6.3.19	44450	मजदूरी भुगतान	दुर्गा मंदिर से.....तक खडण्जा निर्माण कार्य
योग	223788		

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कहाँ से कहाँ तक कार्य किया गया का विवरण न अंकित कर एवं व्यय प्रमाणक तथा व्यय पत्रावली अंकित आडिट में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री राजकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम किशोर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-26)

25. ग्राम पंचायत का नाम-बघौँच विकास खण्ड-बेलहरी

प्रस्तर-49 दिनांक 10.08.2018 को ग्राम पंचायत बघौँच में ब्रह्म स्थान के चारो तरफ साइड वाल, पेवर्स ब्लाक एवं चबूतरा निर्माण पर कुल ₹ 409088.00 व्यय अंकित हैं। परन्तु कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं लिये जाने के कारण अनिमित्यता की गयी हैं।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धराशि के उपभोग के सम्बंध में के बिन्दु 4 क में यह स्पष्ट 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है। कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये। टेक्निकल परीक्षा 2 से 2.5 लाख तक जिला पंचायत के द्वारा किया जायेगा। 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति-2 लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) 2.2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 5 लाख से ऊपर डी0एम0 एवं 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने का प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के धारा 29 के अधीन विकेंद्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा0सं0 -4430 /33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में नियोजन एवं विकास समिति का गठन ही नियोजन एवं विकास कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है, लेकिन संगत कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा उचित योजना सुनिश्चित करने हेतु इसकी कोई बैठक ही न हुई हो। वार्षिक कार्य योजना भी इस समिति से सम्बंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा। (आ0-सं0 23)

प्रस्तर-50 मनरेगा के अन्तर्गत कैशबुक उपलब्ध नहीं रहा कार्यों से सम्बंधित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा दौरान केवल एम0बी0 प्रस्तुत की गयी। मनरेगा वक्र एक्सपेंडिचर के अनुसार वर्ष में 104 कार्य कराये गये जिस पर कुल व्यय ₹ 13132687.00 जिसमें अकुशल मजदूरों को ₹ 8231825.00 व्यय तथा कुशल मजदूरों को ₹ 54000.00 मजदूरी दी गयी तथा जिससे 47039 मानव दिवस कार्य उपलब्ध कराया गया। सामग्री पर ₹ 4846862.00 व्यय दर्शित है। इससे सम्बंधित परिसम्पत्ति रजि0 प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा में बार-बार कहने के बाद एम0बी0 दिया गया जिसके अनुसार तकनीकी सहायक श्री विनोद सिंह द्वारा एम0बी0 करने में घोर लापरवाही गम्भीर अनियमितता/पद का दुरुपयोग पाया गया है। पूरे एम0बी0 में एक कार्य दूसरों का फोटो टाइप है, जो कतई संभव नहीं है, अतः व्यय धनराशि की पुष्टि करना संभव नहीं है।

(क) पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो पाई।

(ख) रनिंग एम0बी0 में एक समान क्षेत्रफल दर्शित है, जो संभव नहीं है।

(ग) एम0बी0 में सामग्री/मजदूरी पर ज्यादा व्यय दर्शित है, जबकि भुगतान कम धनराशि का हुआ है।
(घ) सभी सामग्री (ईट, बालू, सीमेंट, पेवर्स ब्लाक इत्यादि) साइन बोर्ड सभी सिंह कन्सट्रक्शन से क्रय किया गया है।

(ङ) कुल 22 पक्का कार्य कराये गये जिसमें सिर्फ 9 कार्यों पर मिस्त्री लगाया गया, जिस पर रु0 54000.00 मजदूरी देना दर्शित है। कार्यों में गम्भीर अनियमितता की गई हैं। बिना मिस्त्री के पुलिया, इंटरलॉकिंग साइडबाल तथा खडंजा निर्माण कैसे हुआ हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0-सं0 29)

26. ग्राम पंचायत का नाम—हल्दी विकास खण्ड—बेलहरी

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कुल धनराशि रु0 222800.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र0	दिनांक	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	भुगतान	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	08.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	13833450	एनइएफटी /आरटीजीएस	60000	आदर्श मशीनरी स्टोर
2	08.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	7729988	एनइएफटी /आरटीजीएस	150000	अमरेन्द्र ईट भट्टा बलिया
3	28.08.2018	राजा बाबा के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	7729989	एनइएफटी /आरटीजीएस	12800	आदर्श मशीनरी स्टोर
				योग—	222800	

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं।—

(क) हैण्डपम्प जिसके घर के सामने स्थित है उसका आवेदन पत्र अप्राप्त रहा।

(ख) उक्त के क्रम में ग्राम सभा का प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

(ग) मरम्मत के उपरान्त हैण्डपम्प सही हो गया से सम्बंधित आस-पास के लोंगा को गवाही प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(घ) नियोजन समिति द्वारा आवेदन पत्र के सापेक्ष की गयी कृत कार्यवाही रही।

(ङ) स्टिमेशन अप्राप्त रहा।

(च) तकनीकी स्वीकृत अप्राप्त रहा।

(छ) निर्माण समिति की संस्तुति अप्रस्तुत रही।

(ज) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को बन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

(झ) जब हैण्डपम्प रिबोर कराये गये और मरम्मत कराये गये तो प्रभूत व्यय धनराशि रु0 222800.00 इस ओर इशारा करते हैं कि पाइप, चेन, सिलेण्डर आदि बदले गये होंगे। जिस क्रम में बदले गये कण्डम पार्ट जिनका बाजार मूल्य रु0 28.00 प्रति किलोग्राम है को न तो ग्राम पंचायत की डेड स्टॉक पंजी में अंकित किया गया और न ही बिक्री से सम्बंधित प्रस्ताव करके सम्बंधित धनराशि को बिक्री करते हुए खाते में जमा किया गया।

(ञ) ग्राम पंचायत में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं कि सूची अप्राप्त रही।

(ट) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(ठ) ए0डी0ओ0 पंचायत की निरीक्षण पंजी अप्राप्त रही और कैशबुक पर कहीं भी ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रमाण नहीं मिला जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 199 का उल्लंघन है।

(ड) रिबोर पर व्यय धनराशियां कई प्रकरणों में कामन है। जिससे जे0ई0 की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती हैं। जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में एम0बी0 के अप्रस्तुत रहने से भी होती है।

(ध) उक्त कार्य के सापेक्ष अलग-अलग आई0डी0 जनरेट की गयी है। जैसे हैण्डपम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प मरम्मत में कई आई0डी0 जनरेट की गयी हैं जो नियम विरुद्ध है।

उक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कैशबुक में व्यय दर्शित कर अपहरण कर दिया गया है। जिसकी भरपाई सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से रु0 111400.00 एवं ग्रामप्रधान श्री शिवजी यादव से रु0 111400.00 ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय। (आ0-सं0 19)

प्रस्तर-52 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार सोलर लाइट स्थापना पर कैशबुक में रु0 386710.00 व्यय अंकित हैं।

क्र0	दिनांक	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	भुगतान	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	25.03.2019	सोलर लाइट	13833450	एनइएफटी / आरटीजीएस	103560	सीमेंट ब्रिक इण्डस्ट्रीज
2	26.07.2018	सोलर लाइट	7729992	एनइएफटी / आरटीजीएस	137320	जय हनुमान इण्टर प्राइजेज
3	28.08.2018	सोलर लाइट मरम्मत	7729992	एनइएफटी / आरटीजीएस	145830	जनता कन्सट्रक्शन को एण्ड सप्लायर्स बलिया
				योग-	386710	

उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्ययोजना, स्टीमेट एम0बी0, फोटोग्राफ, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र देखने को नहीं मिला।

(ख) लेखा परीक्षा में डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।

(ग) वारण्टी/गारण्टी रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) सोलर लाइट नेडा से क्रय नहीं किया गया। जिससे ग्राम पंचायत को अनुदानित होने वाले लाभ से क्षति पहुँचाई गयी।

(ङ) उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण समिति एवं निनयोजन समिति की संस्तुति भी नहीं है।

(च) 2.5 लाख से 5 लाख तक के प्रोजेक्ट की स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 से ली जानी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं किया गया।

(छ) लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सोलर लाइट कार्य पर अलग-अलग आई0डी0 जनरेट की गयी है। जबकि एक कार्य की एक ही आई0डी0 होनी चाहिए जो की नियम विरुद्ध है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि रु0 386710.00 का अंकन आधारहीन/फर्जी/नियम विरुद्ध ढंग से कैशबुक में हुए सम्बंधित धनराशि का अपहरण किया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव से किया जाय। (सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर-53 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर कैशबुक में रु0 1125003.00 व्यय अंकित हैं। निम्न विवरण के अनुसार दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को आपत्ति है-

क्र0	दिनांक	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	भुगतान	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	22.03.2019	स्ट्रीट लाइट	13833450	एनइएफटी / आरटीजीएस	160503	सीमेंट ब्रिक इण्डस्ट्रीज
2	08.03.2019	स्ट्रीट लाइट 50 नग	13833450	एनइएफटी / आरटीजीएस	200000	आदर्श राज ईट भट्टा
3	02.03.2019	स्ट्रीट लाइट 50 नग	13833450	एनइएफटी / आरटीजीएस	200000	सीमेंट ब्रिक इण्डस्ट्रीज
4	02.03.2019	स्ट्रीट लाइट 50 नग	13833450	एनइएफटी / आरटीजीएस	180000	बाम्बे बिल्डिंग मैटेरियल
5	03.07.2018	स्ट्रीट लाइट 50 नग विभिन्न स्थानों पर	7729988	एनइएफटी / आरटीजीएस	20000	जनता कन्सट्रक्शन को एण्ड सप्लायर्स बलिया
6	21.08.2018	स्ट्रीट लाइट 50 नग	7729989	एनइएफटी / आरटीजीएस	184500	शिवशक्ति इंटर् प्राइजेज
				योग-	1125003	

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम सभा व ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्ययोजना, वर्क आईडी0, स्टीमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र देखने को नहीं मिला।

(ख) लेखा परीक्षा में डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।

(ग) वारण्टी/गारण्टी रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण समिति एवं नियोजना समिति की संस्तुति भी नहीं हैं।

(ङ) उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(च) लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि स्ट्रीट लाइट कार्य पर अलग- अलग आईडी0 जनरेट की गयी है। जबकि एक कार्य की एक ही आईडी0 होनी चाहिए जो की नियम विरुद्ध है।

(छ) 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट की स्वीकृति जिला पंचायत से ली जानी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं किया गया। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त धनराशि रु0 1125003.00 को कैशबुक में काल्पनिक एवं नियम विरुद्ध ढंग से अंकित करते हुए सम्बंधित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव से किया जाय।

(सा0आ0सं0-21)

27. ग्राम पंचायत का नाम-बछईपुर विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-54 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में 160 नग स्ट्रीट लाइट स्थापना पर कैशबुक में कुल रु0 576000.00 व्यय अंकित है, जैसे-

क्र0	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	30.07.2018	ओम शिवम कन्सट्रक्शन	180000.00
2	29.09.2018	एस0एस0 इंटरप्राइजेज	180000.00
3	30.11.2018	एस0एस0 इंटरप्राइजेज	108000.00
4	30.11.2018	एस0एस0 इंटरप्राइजेज	108000.00
		योग-	576000.00

दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्ययोजना, वर्क आईडी0, स्टीमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र देखने को मिला।

(ख) वारण्टी/गारण्टी रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण समिति एवं नियोजना समिति की संस्तुति भी नहीं हैं।

(घ) उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के तहत व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त धनराशि रु0 576000.00 को कैशबुक में काल्पनिक एवं नियम विरुद्ध ढंग से अंकित करते हुए सम्बंधित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव से किया जाय।

(आ0सं0- 24)

प्रस्तर-55 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार सोलर लाइट स्थापना पर कैशबुक में व्यय अंकित है, जैसे-

क्र0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	30.07.2018	135000.00	ओम शिवम कन्सट्रक्शन
2	28.09.2018	135000.00	हनुमान जी कन्सट्रक्शन
		योग-	270000.00

उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्ययोजना, वर्क आईडी0, स्टीमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र देखने को नहीं मिला।

- (ख) लेखा परीक्षा में डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।
 (ग) वारण्टी/गारण्टी रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।
 (घ) सोलर लाइट नेडा से क्रय नहीं किया गया। जिससे ग्राम पंचायत को अनुदानित होने वाले लाभ से क्षति पहुंचाई गयी।
 (ङ.) उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण समिति एवं नियोजन समिति की संस्तुति भी नहीं है।
 (च) 2.5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदित होना चाहिए, जबकि अनुमोदित नहीं है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त धनराशि रु0 270000.00 का अंकन आधारहीन/फर्जी/नियम विरुद्ध ढंग से कैशबुक में करते हुए सम्बन्धित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाय। **(आ0सं0-25)**

प्रस्तर-56 दिनांक 17.11.2018 को सड़क व चन्द्रभान सिंह के घर खड़जा तक आर0सी0सी0 ढक्कन सहित नाली निर्माण पर कैशबुक व एम0बी0 देखने पर स्पष्ट हुआ कि मजदूरी रु0 31600.00 दिया गया है। जबकि सामग्री पर कोई व्यय नहीं है। जबकि एम0बी0 के अनुसार रु0 167916.00 सामग्री पर व्यय दर्शित किया गया है, अर्थात् फर्जी कार्य दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा, ग्राम विकास अधिकारी श्री रामअवध राम तथा ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र यादव तीनों लोग जिम्मेदार हैं। उक्त व्यय धनराशि की वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में तत्कालीन जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा से रु0 10533.33 ग्राम पंचायत सचिव श्री रामअवध राम से रु0 10533.33 एवं ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र यादव से रु0 10533.33 किया जाना अपेक्षित है। **(आ0-सं0 26)**

28. ग्राम पंचायत का नाम-असनवार विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत असनवार की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 04.10.2018 तथा 05.10.2018 को कुल 100 स्ट्रीट लाइट हनुमान जी कन्सल्ट्रक्शन को धनराशि रु0 420000.00 चेक दिया गया। कार्ययोजना के अनुसार 30 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना था किन्तु 100 स्ट्रीट लाइट लगाकर अनियमितता की गयी। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं।

(क) बिना टेण्डर कराये स्ट्रीट लाइट क्रय एवं स्थापना करायी गयी है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु0 बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु0 एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(ख) विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बिना विद्युत कनेक्शन के स्ट्रीट लाइट की स्थापना पूर्णतः अप्रसंगिक है।

(ग) 2.5 लाख से 5 लाख तक की स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 से ली जानी चाहिए। किन्तु स्वीकृति से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु स्पष्ट है कि जहां एक ओर बिना टेण्डर कराये क्रय करके अनियमितता की गयी है। लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्तके आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 420000.00 पूर्णतः अनियमित है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अवध राम से रु0 210000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती से रु0 210000.00 वसूली करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु0 420000.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0-21)**

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत असनवार, विकास खण्ड चिलकहर जनपद बलिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैशबुक विवरण के अनुसार दिनांक 15.01.2019 को ग्राम पंचायत में स्वागत गेट हेतु हनुमान जी कन्सल्ट्रक्शन को रु0 416000.00 का चेक दिया गया जो 14 वां वित के नियमों सिद्धान्तों के विपरीत है स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। निम्नलिखित कार्यों पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आइडी, स्टीमेट, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का डिलीवरी चालान, चल-अचल सम्पत्ति पंजिका, स्टाक पंजिका, क्रय आदेश, टेण्डर पत्रावली, विभिन्न समितियों की संस्तुति सम्बंधी अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गये रु0 416000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त दर्शित कार्य 2.50 लाख से ऊपर के है। नियम है कि 2.5 लाख तक के प्रोजेक्ट की स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 द्वारा दी जाती है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है” तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 416000.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में पंचायत अधिकारी श्री राम अवध राम से रु0 208000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती से रु0 208000.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु0 416000.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0-22)

29. ग्राम पंचायत का नाम-गुरगुजपुर विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-59 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत गुरगुजपुर, विकास खण्ड चिलकहर, जनपद बलिया के कैंशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	योग
1	विज्ञापन/टेण्डर हेतु 28.08.2017 को वर्ष 2015-16 में रु0 2500.00 दिया गया। पुनः 25.09.2017 को रु0 2500.00 वर्ष 2016-17 हेतु भुगतान किया गया।	0.00	0.00	5000.00
2	प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	15900.00
3	हैण्डपम्प रिबोर	80000.00	0.00	80000.00
4	दिनांक 12.12.2018 को नूर के घर से अमरजीत के घर तक इंटरलाकिंग	109828.00	28847.00	138675.00
	योग-	189828.00	28847.00	239575.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति वर्क आइडी स्टीमेट, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री का डिलीवरी चालान, चल-अचल सम्पत्ति पंजिका, स्टाक पंजिका, क्रय आदेश, टेण्डर पत्रावली विभिन्न समितियों की संस्तुति सम्बंधी अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गये रु0 239575.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(1) दिनांक 28.08.2017 को वर्ष 2015-16 हेतु विज्ञापन/टेण्डर विज्ञापन के लिए रु0 2500.00 दिया गया पुनः दिनांक 25.09.2017 को वर्ष 2016-17 के टेण्डर विज्ञापन हेतु 2500.00 दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। गतवर्ष से सम्बंधित टेण्डर विज्ञापन अमान्य है। अतः रु0 5000.00 टेण्डर पर व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव श्री संजय राम जिम्मेदार है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(2) ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में कुल धराशि रु0 80000.00 का व्यय किया जाना कैंशबुक में अंकित किया गया है। उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(ग) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु0 80000.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभुत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चेन नट-बोल्ट राइलिलेण्डर पाइप आदि बदले गये होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गये कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और नही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(घ) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(ङ) दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थन पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(च) सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) का कार्य प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

3. दिनांक 12.12.2018 को नूर के घर से अमरजीत के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर ब्रजेश इंटरप्राइजेज को पेवर्स ब्लॉक हेतु क्रमशः सामग्री रु0 109828.00 तथा रु0 28847.00 अर्थात् कुल रु0 138675.00 का भुगतान किया गया, परन्तु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है। उक्त कार्य से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कर धन को अपहरण कर लिया गया।

4. दिनांक 31.01.2018 को प्रशासनिक व्यय पर रु0 15900.00 व्यय है, परन्तु विवरण तथा प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेख प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाइचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 239575.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय राम से रु0 119787.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पोधरिया देवी रु0 119787.50 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को धनराशि रु0 239575.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0-23)

30. ग्राम पंचायत का नाम-गुरवां विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-60 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत गुरवां विकास खंड चिलकहर जनपद बलिया के कैशबुक में निम्नलिखित कार्य पर व्यय किया गया है। जिसके सम्बंध निम्न आपत्तियां पायी गयी-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	योग
1	नारद के घर से त्रिलोकी के घर तक नाली डक्कन निर्माण 2017-18	0.00	28350.00	28350.00
2	दिनांक 06.07.2018 को दीनानाथ के घर से पी0डब्लू0डी0 रोड तक नाली निर्माण	0.00	36000.00	36000.00
3	दिनांक 06.07.2018-30000, 13.08.2018-20000 तथा 24.08.2018-15000 को धनराशि आहरित की गयी किन्तु व्यय धनराशि कम अंकित की गयी।	29000.00	0.00	29000.00
4	12.09.2018 को 21000.00 तथा 26.09.2018 को 15000 अपहरण किया गया किन्तु व्यय नहीं किया गया।	36000.00	0.00	36000.00
5	04.10.2018 को 10000, 17.10.2018 को 15000 तथा 30.10.2018 को 40000 का अपहरण किया गया किन्तु व्यय नहीं किया गया।	65000.00	0.00	65000.00
योग-				194350.00

उपरोक्त सारणी के अनुसार क्रमांक 1 व 2 पर अंकित कार्यों पर सामग्री मद में कोई व्यय नहीं किया गया है केवल मजदूरी पर व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति वर्क आइडी, स्टीमेट, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-वाउचर, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री का डिलीवरी चालान चल-अचल सम्पत्ति पंजिका स्टॉक पंजिका, क्रय आदेश, टेण्डर पत्रावली, विभिन्न समितियों की संस्तुति सम्बन्धित अभिलेख आदि भी नहीं लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे बिना प्रमाणक व्यय रु0 194350.00 कोषबही में दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेख प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाइचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 194350.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायतों अधिकारी श्री संजय राम से रु0 97175.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0 97175.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु0 194350.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0-27)

31. ग्राम पंचायत का नाम-सरैया बगडौरा विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-61 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 16.07.2018 तथा अन्य तिथियों में 160 नग स्ट्रीट लाइट स्थापना पर कैशबुक में कुल मिलाकर रु0 672000.00 व्यय अंकित है। दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका अनुमोदित कार्ययोजना वर्क आई0डी0 स्टीमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र देखने को नहीं मिला।

(ख) वारण्टी/गारण्टी रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण समिति एवं नियोजन समिति की संस्तुति भी नहीं है।

(घ) उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के तहत व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त धनराशि रु0 672000.00 को कैशबुक में काल्पनिक एवं नियम विरुद्ध ढंग से अंकित करते हुए सम्बन्धित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाय।

(आ0 सं0-26)

32. ग्राम पंचायत का नाम-कुकुरहां विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत कुकुरहां विकास खण्ड चिलकहर जनपद बलिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैशबुक विवरण के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर कुल धनराशि रु0 130000.00 का व्यय अंकित है जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	योग
1	दिनांक 28.03.2019 को शौचालय मरम्मत	40000.00	0.00	40000.00
2	दिनांक 29.03.2019 को सीमेंटेड बेंच	90000.00	0.00	90000.00
	योग-	130000.00	0.00	130000.00

1. दिनांक 31.3.19 को शौचालय मरम्मत पर सामग्री रु0 40000.00 श्रमांश 0.00 कुल 40000.00 तथा दिनांक 29.3.19 को सीमेंटेड बेंच सामग्री पर 90000.00 श्रमांश 0.00 कुल 90000.00 व्यय दर्शित है।

उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति वर्क आइडी, स्टीमेट, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-वाउचर, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री का डिलीवरी चालान चल-अचल सम्पत्ति पंजिका स्टॉक पंजिका, क्रय आदेश, टेण्डर पत्रावली, विभिन्न समितियों की

संस्तुति सम्बन्धित अभिलेख आदि भी नहीं लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे बिना प्रमाण व्यय रु० 130000.00 कोषबही में दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेख प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 130000.00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम पंचायतों अधिकारी श्री संजय राम से रु० 65000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु० 65000.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 130000.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (24)

33. ग्राम पंचायत का नाम-फत्तेपुर विकास खण्ड-चिलकहर

प्रस्तर-63 दिनांक 11.10.2017 को मानदेय रु० 42000.00 दिया गया है, (जो माह नवम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक) शासनादेश पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/2038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500.00 से बढ़कर रु० 3500.00 मासिक किया गया। इसके अनुसार माह नवम्बर का मानदेय रु० 2500.00 होना चाहिए जबकि प्रधान को मानदेय रु० 3500.00 दिया गया है, अर्थात् प्रधान को मानदेय रु० 1000.00 अधिक दिया गया है। अतः रु० 1000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती इनरावती देवी एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित है। (आ० सं०-19)

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत फत्तेपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर पर कुल धनराशि रु० 147500.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र०	दिनांक	चेक	धनराशि
1	21.04.2018	035722	29200
2	07.05.2018	035723	40000
3	13.06.2018	035728	34650
4	04.02.2019	041008	43650
		योग-	147500

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-(क) कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये।

(घ) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 80000.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभुत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चेन नट-बोल्ट राड, सिलेण्डर पाइप आदि बदले गये होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गये कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और नही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(ड) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च) दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थन पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) का कार्य प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से कैशबुक पर करते हुए रु0 147500.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत श्री संजय राम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इनरावती देवी से ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(आ0 सं0-20)

34. ग्राम पंचायत का नाम-नरायणपुर विकास खण्ड-गड़वार

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत नरायणपुर की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि प्रधान मानदेय भुगतान अनियमित रहा। जैसे-

क्र0	वाउचर संख्या	दिनांक	चेक सं0	प्राप्त धनराशि	विवरण	बैंक के अनुसार प्राप्तकर्ता	नकद/चेक	दर के अनुसार कुल माह
1	अज्ञात	27.04.18	12014468	7000	अप्रैल, मई 2018 का मानदेय भुगतान	रमेश सिंह प्रधान	चेक	2
2	अज्ञात	26.06.18	12014478	17500	विवरण हीन	रमेश सिंह प्रधान	चेक	5
3	अज्ञात	12.02.19	12020853	21000	विवरण हीन	रमेश सिंह प्रधान	चेक	6
4	अज्ञात	25.03.19	12020971	7000	विवरण हीन	रमेश सिंह प्रधान	चेक	2
			योग-	52500				

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि माह अप्रैल 2018 एवं मई 2018 का प्रधान मानदेय 27.04.2018 को दे दिया गया जो समयपूर्व भुगतान कर अनियमितता बरत गयी है एवं 3 माह का मानदेय की धनराशि रु0 10500.00 अधिक भुगतान कर अनियमितता के साथ धन का अपहरण है अतः रु0 10500.00 का समायोजन अगले मानदेय में किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में प्रधान श्री रमेश कुमार सिंह एवं सचिव श्री अवनिश सिंह (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0 सं0-24)

प्रस्तर 66 ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल धनराशि रु0 59500.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित है किया गया है। जैसे-

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	05.04.2018	12014462	5000	श्री रमेश सिंह
2	05.04.2018	12014461	12000	श्री रमेश सिंह
3	11.04.2018	12011237	8000	श्री गंगा सागर मौर्य
4	18.04.2018	12014463	5000	श्री गंगा सागर मौर्य
5	09.05.2018	12014472	12500	श्री रमेश सिंह
6	25.06.2018	12014478	6000	श्री रमेश सिंह
7	02.02.2018	12020854	11000	श्री गंगा सागर मौर्य
		योग-	59500	

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियों हैं-

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये।

(घ) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रू0 59500.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभुत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चेन नट-बोल्ट राड, सिलेण्डर पाइप आदि बदले गये होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गये कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और नहीं प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(ड) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च) दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थन पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से कैशबुक पर करते हुए रू0 147500.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत श्री संजय राम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इनरावती देवी से ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(आ0 सं0-25)

प्रस्तर-67 दिनांक 29.11.2018 को चेक नं0 12020848 से रू0 10000.00 श्रीमती अर्चना कुशवाहा को प्रियासाफ्ट का भुगतान किया गया है जो अनियमित है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152 के नियम का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया। प्रकरण की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिससे उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-26)

35. ग्राम पंचायत का नाम-परिवा विकास खण्ड-गड़वार

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल धनराशि रू0 150100.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र0	दिनांक	मद	चेक सं0	वाउचर नं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	11.04.2018	मरम्मत	12005878	01	8000	अज्ञात को
2	24.08.2018	मरम्मत	02007322	अज्ञात	20000	अज्ञात को
3	16.10.2018	सामग्री	02007336	24	16500	बलिया मशीनरी स्टोर
4	16.10.2018	सामग्री	02007337	23	8000	बलिया मशीनरी स्टोर
5	25.01.2019	अज्ञात	अज्ञात	29	10000	श्री गंगासागर मौर्या
6	18.02.2019	सामग्री	12005898	37	10000	श्री शिव बचन मौर्या
7	25.02.2019	सामग्री	12005895	39	37600	मौर्या मशीनरी स्टोर बलिया
8	14.03.2019	हैण्डपम्प पाइप व सफाई किट	12028483	43	40000	विश्वकर्मा इण्टर प्राइजेज बलिया
				योग-	150100	

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-(क) कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प मरम्मत करायी गयी।

(घ) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु0 150100.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभुत धनराशि है। स्पष्ट है कि मरम्मत एवं मरम्मत में चेन नट-बोल्ट राड़ सिलेण्डर पाइप आदि बदले गये होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गये निष्प्रयोज्य सामग्री का अंकन किया गया है और न ही निष्प्रयोज्य सामग्री/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(ङ) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं। अस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च) दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अपस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन ढंग से करते हुए रु0 150100.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत श्री अविनाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(आ0 सं0-27)

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत परिवा में अंजनी के घर से बृजलाल के घर तक पेवर्स कार्य पर मजदूरी भुगतान रु0 33000.00 श्री गंगाराम मौर्या को किया गया है।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	वाउचर नं0	धनराशि
1	08.02.2019	12005888	35	3000.00
2	08.02.2019	12005897	36	30000.00
योग-				33000.00

उक्त दर्शित मजदूरी के सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान मस्टर रोल/अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। किसी कार्य की मजदूरी किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान नहीं किया जा सकता। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि कैशबुक पर फर्जी एवं कूटरचित अंकन करके धनराशि रु0 33000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं पंचायत सचिव श्री अविनाश सिंह से बराबर-बराबर हिस्सों करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-28)

36. ग्राम पंचायत का नाम-पड़वार विकास खण्ड-गड़वार

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं सफाई कर्मी किट पर कुल धनराशि रु0 102400.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है। जैसे-

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	25.01.2019	10018274	35400	श्री राजकमल
2	11.03.2019	10018279	12000	श्री राजकमल
3	27.11.2019	10018264	10000	लक्ष्मी पाइप
4	30.03.2019	10021664	45000	मौ भगवती
योग-			102400	

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प मरम्मत करायी गयी।

(घ) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु0 102400.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभुत धनराशि है। स्पष्ट है कि मरम्मत एवं मरम्मत में चेन नट-बोल्ट राड़ सिलेण्डर पाइप आदि बदले गये होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गये निष्प्रयोज्य सामग्री का अंकन किया गया है और न ही निष्प्रयोज्य सामग्री/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(ङ) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च) दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

(झ) सफाई किट से सम्बंधित प्रमाणक अप्रस्तुत रहा एवं सफाई कर्मों के द्वारा प्राप्ति रसीद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन ढंग से करते हुए रु0 102400.00.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत श्री अविनाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(आ0 सं0-23)

प्रस्तर-71 दिनांक 27.02.2019 को ग्राम पंचायत पड़वार में चंक सं0 10018276 से श्री राजकमल ग्राम प्रधान द्वारा नकद रु0 40200.00 आहरित है जिसके सापेक्ष खर्च शून्य रहा तथा रोकड़ अवशेष श्री नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार आहरित की गयी धनराशि रु0 40200.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। ग्राम पंचायत की क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0 सं0-24)

37. ग्राम पंचायत का नाम-उभांव विकास खण्ड-सीयर

प्रस्तर-72 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत उभाव द्वारा कुल रु0 1926477.00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटेमेंट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टीमेट चालान एम बी सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ0प्र0 पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा0पं0) के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रु0

1926477.00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री मंशायादव एवं ग्राम विकास अधिकारी बी डी पाल एवं आलोक कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-16)

38. ग्राम पंचायत का नाम-ककरासो विकास खण्ड-सीयर

प्रस्तर-73 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत ककरासो द्वारा कुल रू० 1745848.00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेण्ट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टीमेट चालान एम बी सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ०प्र० पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा०पं०) के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू० 1745848.00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं श्री अखिलेश कुमार गुप्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-16)

39. ग्राम पंचायत का नाम-सिसयण्डकला विकास खण्ड-सीयर

प्रस्तर-74 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सिसयण्डकला द्वारा कुल रू० 1721820.00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेण्ट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टेटमेण्ट चालान एम बी सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ०प्र० पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा०पं०) के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू० 1721820.00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी आशुतोष कुमार एवं श्री शमशाद अहमद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-16)

40. ग्राम पंचायत का नाम-तुर्तीपार विकास खण्ड-सीयर

प्रस्तर-75 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत तुर्तीपार द्वारा कुल रू० 3524078.00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेण्ट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टीमेट चालान एम बी सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ०प्र० पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा०पं०) के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू० 3524078.00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री आलोक कुमार सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी बी डी पाल एवं श्री आशुतोष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-16)

41. ग्राम पंचायत का नाम-गोपालपुर कला विकास खण्ड-वेरूआरबारी

प्रस्तर-76 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत गोपालपुर कला द्वारा कुल रू० 725195.00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेण्ट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टीमेट चालान एम बी सामग्री

आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ०प्र० पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा०पं०) के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रु० 725195..00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जयशंकर पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-21)

42. ग्राम पंचायत का नाम-बरवों विकास खण्ड-वेरुआरबारी

प्रस्तर-77 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बरवों द्वारा कुल रु० 710904..00 की धनराशि कोषवही में व्यय की गयी अंकित है। जिसकी पुष्टि बैंकस्टेमेन्ट से होती है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव व्यय प्रमाणक बिल या बाउचर स्टीमेट चालान एम बी सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश मस्टर रोल कोटेशन या टेण्डर से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जबकि उ०प्र० पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंधन (ग्रा०पं०) के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल या बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियमावली के आलोक में कोषवही में अंकित व्यय धनराशि अपहरण सिद्ध होती है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रु० 710904..00 का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री तेज नारायण भारती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री परमानन्द गुप्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-21)

43. ग्राम पंचायत का नाम-कोटवां विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर-78 ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 में खाता संख्या- 50322893100 से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1071225..00 आहरित एवं विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामाग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण, परिसम्पत्ति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री बिनोद कुमार यादव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 में सचिव के पद पर श्री हरीश कुमार कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपर्युक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। (सुलभ सदर्थ हेतु कोषवही की फोटोकापी सलंगन है)

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 1071225..00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय कुल अपहरित धनराशि रु० 1071225..00 का आधा भाग रु० 535612.50 प्रधान श्रीमती प्रेमबाला मिश्रा से आधा भाग रु० 535612.50 सचिव श्री हरिश कुमार एवं श्री बिनोद कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-31)

प्रस्तर-79 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रु० 1521000..00 एवं सामग्री मद में रु० 552000..00 कुल रु० 2073000..00 व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलिया, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्रीमती प्रेमबाला मिश्रा सचिव श्री हरिश कुमार तथा श्री बिनोद कुमार यादव सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-32)

44. ग्राम पंचायत का नाम-धसका विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर-80 ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 में खाता संख्या- 50045450105 से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1215446.00 आहरित एवं विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामाग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण ,परिसम्पति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री नगीनाराम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 में सचिव के पद पर श्री सुनील कुमार ओझा कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपरोक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है।

कोषवही एवं पासबुक के अनुसार सचिव श्री सुनील कुमार ओझा के कार्यकाल में रु० 684651.00 एवं नगीनाराम के कार्यकाल में रु० 530795.00 व्यय किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 1215446.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय कुल अपहरित धनराशि रु० 1215446.00 का आधा भाग रु० 607723.00 प्रधान श्री नारद चौहान से आधा भाग रु० 607723.00 सचिव श्री सुनील कुमार ओझा एवं श्री नगीना राम से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-31)

प्रस्तर-81 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रु० 922000.00 एवं सामग्री मद में रु० 246000.00 कुल रु० 1168000.00 व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलि, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्री नारद चौहान सचिव श्री सुनील कुमार ओझा तथा श्री नगीनाराम सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-32)

45. ग्राम पंचायत का नाम-भागीपुर विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर-82 ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 में खाता संख्या- 50045451631 से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1830400.00 आहरित एवं विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामाग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण ,परिसम्पति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री नगीनाराम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 में सचिव के पद पर श्री रमाशंकर यादव एवं श्री परमेश्वर यादव कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपरोक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। (सुलभ सदर्भ हेतु कोषवही की फोटोकापी सलग्न है)

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 1830400.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रू0 1830400.00 का आधा भाग रू0 915200.00 प्रधान श्री रामअवध यादव से आधा भाग रू0 915200.00 सचिव श्री रामाशंकर यादव एवं श्री परमेश्वर यादव एवं श्री नगीनाराम से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-83 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रू0 1791000.00 एवं सामग्री मद में रू0 950000.00 कुल रू0 2741000.00 व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलि, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्री रामअवध यादव सचिव श्री रमाशंकर यादव तथा श्री परमेश्वर यादव एवं श्री नगीनाराम सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-32)

46. ग्राम पंचायत का नाम-विजुलीपुर विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर-84 ग्राम निधि प्रथम कोषवही वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.08.18	120000	ग्रा0पं0 में प्रकाश व्यवस्था हेतु 40 नग स्ट्रीटलाइट दर-3000 प्रति
31.10.18	35690	इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
30.11.18	11985..	02 अदद साधारण हैण्डपम्प लगाया गया
31.01.19	14100	इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
05.02.19	181440	सुरेश के कुए से राधेश्याम की दुकान तक इण्टरलाकिंग कार्य सामग्री
05.02.19	26555	उक्त की मजदूरी फर्म के खाते में।
05.02.19	60873	पुरुषोत्तम पट्टी से सत्यदेव के घर तक खडंजा कार्य सामग्री
05.02.19	14925	उक्त की मजदूरी
06.02.19	48316	इजराइल के घर के पास कुए के चबूतरा निर्माण कार्य सामग्री
06.02.19	10305	उक्त की मजदूरी
06.02.19	36580	सफाईकीट पर व्यय
16.03.19	130000	ह्यूम पाइप पर व्यय 40 रू0 3250 की दरसे
29.03.19	21600	इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
30.03.19	5000	मिसफीडिंग पर व्यय
30.03.19	5000	समाचार विज्ञापन पर व्यय
30.03.19	13412	प्रसाशनिक मद में व्यय
योग-	735781.00	

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर मस्टर रोल, स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित मस्टर रोल भुगतान भी फर्म को भुगतान किये गये धनराशि में से ही दर्शित है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर अनियमितता करके धन का अपहरण किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रू0 735781.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय कुल अपहरित धनराशि रू0 735781.00 का आधा भाग रू0 367890.50 प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी से आधा भाग रू0 367890.50 सचिव श्री परमेश्वर यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-36)

प्रस्तर-85 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रू0 729750.00 एवं सामग्री मद में रू0 360000.00 कुल रू0 1089750.00

व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलिया, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्री प्रभावती देवी तत्कालीन सचिव श्री परमेश्वर यादव एवं श्री सुनील कुमार ओझा सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-37)

47. ग्राम पंचायत का नाम—पुरुषोत्तम पट्टी विकास खण्ड—मनियर

प्रस्तर-86 ग्राम निधि प्रथम कोषवही वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
04.06.18	7725	हैण्डपम्प मरम्मत
08.08.18	110000	स्ट्रीटलाइट 25 अदद
16.08.18	3000	दैनिक जागरण पत्रकार शिवजी उपाध्याय
01.10.18	10000	हैण्डपम्प मरम्मत
23.10.18	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
21.01.19	13000	हैण्डपम्प मरम्मत
07.02.19	88309	अज्ञात नाली खडंजा निर्माण हेतु ईट क्रय
27.02.19	180000	अज्ञात नाली खडंजा निर्माण हेतु ईट क्रय
14.03.19	2000	सफाईकमी कीट क्रय
14.03.19	10000	अज्ञात प्रसाशनिक व्यय
16.03.19	35073	अज्ञात नाली खडंजा निर्माण हेतु सामग्री

योग— 497107.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर मस्टर रोल, स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित मस्टर रोल भुगतान भी फर्म को भुगतान किये गये धनराशि में से ही दर्शित है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर अनियमितता करके धन का अपहरण किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 497107.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रु० 497107.00 का आधा भाग रु० 248553.50 प्रधान श्री भवानी यादव से आधा भाग रु० 248553.50 सचिव श्री रमाशंकर यादव ब्याज सहित वसूल अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-36)

प्रस्तर-87 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रु० 0.00 एवं सामग्री मद में रु० 290150.00 कुल रु० 290150.00 व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलिया, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्री भवानी यादव सचिव श्री रमाशंकर यादव सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-37)

48. ग्राम पंचायत का नाम—महथापार विकास खण्ड—मनियर

प्रस्तर-88 ग्राम निधि प्रथम कोषवही वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
16.05.18	18000	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हनुमानजी क-स चे०सं० 066911
18.08.18	3000	विज्ञापन 15 अगस्त पत्रकार शिवजी उपाध्याय चे०सं० 073425
29.08.18	3000	विज्ञापन 15 अगस्त पत्रकार नरेन्द्र पाठक चे०सं० 073426
10.09.18	3000	विज्ञापन 15 अगस्त पत्रकार राममिलन तिवारी चे०सं० 073424

02.01.19	5382	विज्ञापन अज्ञात हिन्दुस्तान मीडिया को चेक सं० 087429
28.11.18	30000	पत्रिका ज्ञानमणि सागर चे०स० 087427
30.11.18	12600	दरी जाजीम क्रय श्रीगांधी आश्रम फेफना चेक सं० 087428
26.03.19	22500	01 सोलर लाइट हनुमान जी क०स० चे०स० 067408
06.03.19	12000	सफाईकर्म कीट क्रय हनुमान जी क०स० चे०स० 067410

योग— 109482.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर मस्टर रोल,स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित मस्टर रोल भुगतान भी फर्म को भुगतान किये गये धनराशि में से ही दर्शित है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर अनियमितता करके धन का अपहरण किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 109482.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रु० 109482.00 का आधा भाग रु० 54741.00 प्रधान श्रीमती कमला देवी से आधा भाग रु० 54741.00 सचिव श्री सुनील कुमार ओझा ब्याज सहित वसूलीअपेक्षित है। (आ०सं०-35)

प्रस्तर-89 ग्राम निधि प्रथम कोषवही में शवदाह गृह निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
18.01.19	619351	सामग्री हनुमानजी क-स चे०सं० 087433
08.02.19	226600	सामग्री हनुमानजी क-स चे०सं० 087438
20.02.19	279816	हनुमानजी क-स चे०सं० 087440
26.03.19	325388	हनुमानजी क-स चे०सं० 067404
12.02.19	75830	मजदूरी नगद
28.03.19	82470	मजदूरी नगद
30.03.19	46400	मजदूरी नगद

योग— 1655855.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर मस्टर रोल,स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित मस्टर रोल भुगतान भी फर्म को भुगतान किये गये धनराशि में से ही दर्शित है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर अनियमितता करके धन का अपहरण किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु० 1655855.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रु० 1655855.00 का आधा भाग रु० 827927.50 प्रधान श्रीमती कमला देवी से आधा भाग रु० 827927.50 सचिव श्री सुनील कुमार ओझा ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-36)

प्रस्तर-90 मनरेगा से संबंधित आडिट में प्रस्तुत एक कम्प्यूटराइज्ड समरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में श्रमांश मद में रु० 518350.00 एवं सामग्री मद में रु० 151268.00 कुल रु० 669618.00 व्यय किया गया है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक स्टीमेट, एम बी, मस्टर रोल, कार्य की पत्रावलि, सम्पदा रजिस्टर, आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित कोषवही भी नहीं तैयार किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।

प्रधान श्रीमती कमला देवी सचिव श्री सुनील कुमार ओझा सामान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-37)

49. ग्राम पंचायत का नाम—आमडारी विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—91 वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1765922.00 आहरित एवं व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण, परिसम्पत्ति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में सचिव के पद पर श्री बिनोद कुमार कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपरोक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। (सुलभ सदर्थ हेतु कोषवही की फोटोकापी सलग्न है)

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार न किया जाना एवं वर्तमान सचिव को चार्ज में हस्तगत नहीं कराया जाना तथा वर्तमान सचिव द्वारा बिना पूर्ण चार्ज प्राप्त किये ही अनुदान खर्च किया जाना अनियमितता का द्योतक है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि ₹0 1765922.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 1765922.00 का आधा भाग ₹0 882961.00 प्रधान श्री बिनोद कुमार विमल से आधा भाग ₹0 882961.00 सचिव श्री बिनोद कुमार से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री मनोज कुमार गुप्ता की भूमिका की जांच अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-36)

50. ग्राम पंचायत का नाम—मंझरिया विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—92 वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2432067.00 आहरित एवं व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण, परिसम्पत्ति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री बिनोद कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में सचिव के पद पर श्री रविशंकर यादव कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपरोक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। (सुलभ सदर्थ हेतु कोषवही की फोटोकापी सलग्न है)

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार न किया जाना एवं वर्तमान सचिव को चार्ज में हस्तगत नहीं कराया जाना तथा वर्तमान सचिव द्वारा बिना पूर्ण चार्ज प्राप्त किये ही अनुदान खर्च किया जाना अनियमितता का द्योतक है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि ₹0 2432067.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 2432067.00 का आधा भाग ₹0 1216033.50 प्रधान श्रीमती सुमन मिश्रा से आधा भाग ₹0 1216033.50 सचिव श्री रविशंकर यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री बिनोद कुमार की भूमिका की जांच अपेक्षित है।

(आ०सं०-38)

51. ग्राम पंचायत का नाम—वैना विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—93 वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1430645.00 आहरित एवं व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामग्री स्टॉक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण, परिसम्पत्ति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

बताया गया कि वर्ष 2017-18 में सचिव के पद पर श्री रविभूषण सिंह/मनोज कुमार यादव/प्रेमचन्द्र कुशवाहा कार्यरत रहे हैं। पूर्व सचिव से उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा कोषवही आदि अभी तैयार नहीं किया गया है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव द्वारा मना किया गया है (सुलभ सदर्थ हेतु कोषवही की फोटोकापी संलग्न है)।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु0 1430645.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु0 1430645.00 का आधा भाग रु0 715322.50 प्रधान श्रीमती चन्दा देवी से आधा भाग रु0 715322.50 उक्त सचिवों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-35)

52. ग्राम पंचायत का नाम—देवरिया कला विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—94 ग्राम निधि प्रथम कोषवही वर्ष 2017-18, 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
12.06.17	29950	हैण्डपम्प मरम्मत
06.03.18	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
23.01.19	22350	हैण्डपम्प मरम्मत
25.08.17	16000	सफाईकर्मी कीट क्रय
26.09.17	10000	राबीस टुकड़ा क्रय
28.08.17	15000	राबीस टुकड़ा क्रय
26.09.17	6000	फावड़ा तगाडी क्रय
03.04.18	9000	फर्नीचर क्रय
29.01.18	24000	सफाईकर्मी कीट क्रय
04.01.19	98000	डस्टबीन क्रय
04.01.19	70000	एल इडी स्ट्रीट लाइट स्थापना
30.01.19	3000	प्रिया साफ्ट फीडिंग व्यय
12.02.19	11500	प्रिन्टर क्रय
12.02.19	5700	लैपटाप मरम्मत
30.03.19	7400	हवील चैयर क्रय

योग— 347900.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर मस्टर रोल, स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही में दर्शित मस्टर रोल भुगतान भी फर्म को भुगतान किये गये धनराशि में से ही दर्शित है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर अनियमितता करके धन का अपहरण किया गया है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि रु0 347900.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु0 347900.00 का आधा भाग रु0 173950.00 प्रधान श्री गौतम राम से आधा भाग रु0 173950.00 सचिव श्री रविभूषण सिंह/मनोज कुमार गुप्ता/ओमप्रकाश चौहान से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-34)

53. ग्राम पंचायत का नाम—अजोरपुर विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—95 वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1569647.00 आहरित एवं व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक बिल या बाउचर रसीदे कैशमेमो चालान मस्टर रोल स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, कोटेशन या टेण्डर वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति सामग्री स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजीकरण, परिसम्पत्ति रजिस्टर, फोटोग्राफ आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् आडिट में केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान सचिव श्री बिनोद कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 में सचिव के पद पर श्री ब्रजभूषण कार्यरत रहे हैं। तथा उनके द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त उक्त में से कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। प्रधान के सहयोग न देने के कारण उपरोक्त अभिलेख अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। (सुलभ सदर्भ हेतु कोषवही की फोटोकापी सलग्न है)

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार न किया जाना एवं वर्तमान सचिव को चार्ज में हस्तगत नहीं कराया जाना तथा वर्तमान सचिव द्वारा बिना पूर्ण चार्ज प्राप्त किये ही अनुदान खर्च किया जाना अनियमितता का द्योतक है।

बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित किया जाना पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार उक्त कुल व्यय धनराशि ₹0 1568939.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 1568939.00 का आधा भाग ₹0 784469.50 प्रधान श्री राजेश यादव से आधा भाग ₹0 784469.50 सचिव श्री ब्रजभूषण राय से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री बिनोद कुमार की भूमिका की जांच अपेक्षित है।

(आ सं0-37)

54. ग्राम पंचायत का नाम—थम्हनपुरा विकास खण्ड—हनुमानगंज

प्रस्तर—96 वर्ष 2017-18 में ग्राम निधि प्रथम कैश बुक में निम्न विवरण के अनुसार डस्टबिन (कूड़ादान) स्थापना हेतु व्यय अंकित किया गया है:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
15.3.18	70000.00	डस्टबिन 10 नग ₹0 7000 की दर से मां भगवती कं0 एण्ड सप्लायर चे0 सं0 092122
15.3.18	70000.00	डस्टबिन 10 नग ₹0 7000 की दर से मां भगवती कं0 एण्ड सप्लायर चे0 सं0 092122
15.3.18	70000.00	डस्टबिन 10 नग ₹0 7000 की दर से मां भगवती कं0 एण्ड सप्लायर चे0 सं0 092122

योग—210000.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, रसीदें कैशमेमो, चालान, स्टॉक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, स्थानों की सूची आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषवही में व्यय अंकित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके संबंध में पंचायती राज विभाग लेखा मैनुअल अध्याय-8-पैरा-8 (क) में उल्लेख किया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

इस प्रकार कुल अपहरित धनराशि ₹0 210000.00 का आधा भाग ₹0 105000.00 प्रधान श्री संजय दुबे से एवं आधा भाग ₹0 105000.00 सचिव श्री श्याम बिहारी/प्रेमचंद कुशवाहा/ओमप्रकाश चौहान/विनोद कुमार में से कार्य अवधि का निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ सं0-35)

प्रस्तर—97 दिनांक 18.7.2017 को ₹0 3944.00 एवं दिनांक 23.8.2018 को ₹0 4141.00 कुल ₹0 8085.00 टेडर विज्ञापन हेतु परफेक्ट मिशन को चेक संख्या 066684 एवं 092131 द्वारा भुगतान किया गया है। इससे संबंधित प्रमाणक, बिल वाउचर, प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति, एवं टेण्डर पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के बिना कोषवही में व्यय अंकित

कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके संबंध में पंचायती राज विभाग लेखा मैनुअल अध्याय-8-पैरा(क) में उल्लेख किया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इस प्रकार कुल अपहरित धनराशि रु0 8085.00 का आधा भाग रु0 4042.50 प्रधान श्री संजय दुबे से एवं आधा भाग रु0 4042.50 सचिव श्री श्याम बिहारी/प्रमोचंद कुशवाहा/ओमप्रकाश चौहान/विनोद कुमार में से कार्य अवधि का निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-36)

प्रस्तर-98 वर्ष आलोच्य 17-18,18-19 में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.10.17	5500.00	फावड़ा तगाड़ी क्रय
27.10.17	9000.00	सफाई कर्मी किट क्रय
27.10.17	8020.00	स्टेशनरी क्रय
29.03.19	24000.00	सफाई कर्मी किट क्रय
21.03.18	600.00	ऑडिट फीस जमा
29.03.19	3000.00	प्रिया सॉफ्ट फीडिंग फीस
30.03.19	7400.00	व्हील चैयर क्रय
योग-57520.00		

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक ,बिल वाउचर, रसीदें कैसमेमों, स्टॉक रजिस्टर आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषबही में व्यय अंकित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिस संबंध में पंचायती राज विभाग लेखा मैनुअल अध्याय-8-पैरा-8(क) में उल्लेख किया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु0 57520.00 का आधा भाग रु0 28760.00 प्रधान श्री संजय दुबे से एवं आधा भाग रु0 28760.00 सचिव श्री श्याम बिहारी/प्रमोचंद कुशवाहा/ओमप्रकाश चौहान/विनोद कुमार से कार्य अवधि का निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-37)

55. ग्राम पंचायत का नाम-दुबहड़ विकास खण्ड-दुबहड़

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत दुबहड़ की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मात्र कैश बुक व बैंक पास बुक ही उपलब्ध कराया गया। बार-बार मौखिका दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी सचिव द्वारा व्यय/आहरित की गयी धनराशि से सम्बंधित पत्रावली, बिल/बाउचर्स, मस्टर रोल, एम०बी०, कार्य का प्रकलन आदि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी 01 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः रु0 7247386.00 का गबन प्रधान श्रीमती मधुबाला मिश्र तथा तत्कालीन सचिव द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती मधुकला, तत्कालीन सचिव संचित से सामान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(अपत्ति सं०-4)

56. ग्राम पंचायत का नाम-छपरा विकास खण्ड-दुबहड़

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत छपरा की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 6-4-18 को चेक सख्या 0469330 से रु० 21000.00 प्रधान द्वारा नकद आहरित किया गया है जिसका व्यय स्वयं के मानदेय माह 12/17 से 03/18 तक 04 माह हेतु लिया गया है जबकि 04 माह का मानदेय प्रति/3500.00 की दर से रु० 14000.00 ही होता है। इस प्रकार रु० 7000.00 अधिक मानदेय प्राप्त कर धन का अपहरण प्रधान अजीत यादव व सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अजीत यादव तथा सचिव रविन्द्र नाथ से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० -23)

57. ग्राम पंचायत का नाम—घघरौली**विकास खण्ड—दुबहड़**

प्रस्तर—101 ग्राम पंचायत घघरौली की वर्ष 18—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुद्रिका के घर से पियरी सिंह के घर तक सी० सी० रोड का प्राकलन रु० 198685.00 का था जिसमें से रु० 20352.00 मजदूरी पर तथा 178333.00 का सामग्री पर व्यय है। उक्त कार्य से सम्बंधित बिल संख्या 04 दिनांक शून्य रु० 178332.00 पूजा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लार्स का पत्रावली में लगा है जिसमें ईट टुकड़ा पर रु० 18960.00 व प्रथम श्रेणी ईट रु० 30391.00 भी सम्मिलित है। परन्तु बैंक स्टेटमेंट में उक्त कार्य पर ईट टुकड़ा रु० 18960.00 व प्रथम श्रेणी ईट रु० 29925.00 का भुगतान जीत ट्रेडर्स को क्रमशः चेक संख्या 0477226 दिनांक 30—07—18 तथा चेक संख्या 0477222 दिनांक 10—07—18 से किया गया है जिससे सम्बंधित बिल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे साथ ही उक्त कार्य में मजदूरी पर व्यय धनराशि रु० 20000.00 से सम्बंधित मस्टर रोल पर किसी भी प्राप्तकर्ता/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं पाए गये। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य से सम्बंधित बिल/वाउचर्स प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से कि जायेगी। अतः रु० 68885.00 का गबन प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० — 23)

प्रस्तर—102 ग्राम पंचायत घघरौली की वर्ष 18—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पियरी सिंह के दरवाजे से शम्भू के दरवाजे तक सी० सी० रोड का प्राकलन रु० 198496.00 का था जिसमें से रु० 20000.00 मजदूरी पर तथा 178333.00 का सामग्री पर व्यय है। उक्त कार्य से सम्बंधित बिल संख्या 05 दिनांक शून्य रु० 178333.00 पूजा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लार्स का पत्रावली में लगा है जिसमें प्रथम श्रेणी ईट रु० 29925.00 भी सम्मिलित है। परन्तु बैंक स्टेटमेंट में उक्त कार्य पर प्रथम श्रेणी ईट रु० 29925500 का भुगतान जीत ट्रेडर्स को चेक संख्या 0477224 दिनांक 10—07—18 से किया गया है जिससे सम्बंधित बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे साथ ही उक्त कार्य में मजदूरी पर व्यय धनराशि रु० 20000.00 से सम्बंधित मस्टर रोल पर किसी भी प्राप्तकर्ता/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं पाए गये। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य से सम्बंधित बिल/वाउचर्स प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से कि जायेगी। अतः रु० 49925.00 का गबन प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०—24)

प्रस्तर—103

ग्राम पंचायत घघरौली की वर्ष 18—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शम्भू के दरवाजे से महातम पासवान के दरवाजे तक सी० सी० रोड निर्माण में प्रयुक्त ईट का टुकड़ा 15.84 घन मी०/1197 कुल रु० 18960.00 प्रथम श्रेणी ईट 5078 नग/5985 कुल रु० 30392.00 कुल धनराशि रु० 49352.00 का भुगतान बैंक स्टेटमेंट कैश बुक के अनुसार जीत ट्रेडर्स को चेक संख्या 0477227 दिनांक 30—07—18 से किया गया है जिससे सम्बंधित बिल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे साथ ही उक्त कार्य में मजदूरी पर व्यय धनराशि रु० 20000.00 से सम्बंधित मस्टर रोल पर किसी भी प्राप्तकर्ता/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं पाए गये। ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से कि जायेगी। अतः रु० 49352.00 का गबन प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०—25)

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लल्लन के घर से रामसकल के घर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल दिनांक 14-01-19 से 27-01-19 तक कुल धनराशि रु० 22200.00 पर किसी भी कार्यकर्ता/प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाए गये जबकि सम्बंधित धनराशि बैंक से चेक संख्या 477240 दिनांक 28-01-19 द्वारा किसी देवनाथ द्वारा आहरित की गयी है जो ना तो प्रधान है और ना ही सचिव। उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि सम्बंधित धनराशि रु० 22200.00 का अपहरण/गबन प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ से सामान रूप से किया जाना अपेक्षित है। (आप०स०-26)

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रामसकल के घर से अनिल गौड के घर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल दिनांक 16-01-19 से 29-01-19 तक कुल धनराशि रु० 22000.00 पर किसी भी कार्यकर्ता/प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाए गये जबकि सम्बंधित धनराशि बैंक से चेक संख्या 0673203 दिनांक 30-01-19 रविन्द्रनाथ सचिव द्वारा आहरित की गयी है। उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि सम्बंधित धनराशि रु० 22000.00 का अपहरण गबन प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुघरी देवी तथा सचिव रविन्द्र नाथ से सामान रूप से किया जाना अपेक्षित है (आ०स० 27)

प्रारूप - 4

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण-

जनपद-मऊ सम्भाग-आजमगढ़ . ग्राम पंचायत-चौबेपुर क्षेत्र पंचायत-कोपागंज

प्रस्तर-1 कैशबुक के आधार पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु यूनियन बैंक आफ इंडिया के खाता संख्या (433802010816679) से दिनांक 26/02/2019 को रु 63600 का व्यय दिखाया गया है जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ०प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

ग्राम पंचायत-मसीना क्षेत्र पंचायत-कोपागंज 2018-19

प्रस्तर-2 कैशबुक के आधार पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु इलाहाबाद बैंक के खाता संख्या (22157834025) से विभिन्न तिथियों में कुल रु 143280 का व्यय दिखाया गया है जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ०प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

ग्राम पंचायत-अहिलासपुर क्षेत्र पंचायत-कोपागंज 2018-19

प्रस्तर-3 कैशबुक के आधार पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु यूनियन बैंक के खाता संख्या (586002010004062) से विभिन्न तिथियों में कुल रु 513210 का व्यय दिखाया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ०प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-25)

ग्राम पंचायत-अबूपुर क्षेत्र पंचायत-कोपागंज 2018-19

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक एवं पास बुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में

राज्य वित्त/तेरहवा वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (694502010009658) में कुल रु 1335009 की आय हुई जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1439555 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे—निर्मल भारत अभियान खाता संख्या 06 से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि०, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती पिकी व ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिकेश से समान रूप से दोनो से आधी —आधी धनराशि क्रमशः रु 719777 व रु 719777 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सख्या-25)

खर्च का विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार

क्र०स०	कार्य/व्यय का विवरण	कार्य आई डी	वास्तविक व्यय		
			सामग्री	श्रमांश	योग
1	2	3	4	5	6
1	पटिया क्रय	9803879	68250		68250
2	स्ट्रीट लाईट क्रय, सोख्ता गड्ढा निर्माण, विज्ञापन व प्रशासनिक व्यय	9803882	110000 119121 6300 45200		280621
3	प्रधान मानदेय	9803852			31500
4	हैण्डपम्प मरम्मत	9803853	65200		65200
5	प्रशासनिक	9803854		10000	10000
6	विज्ञापन व टेण्डर	9803884	7150		7150
7	लालमुनि के घर से कैलाश यादव के घर तक नाली व पटिया कार्य	9803873	53744	11350	65094
8	सोख्ता गड्ढा निर्माण	9803856	41427	8225	49652
9	पटिया क्रय	9803879	13500		13500
10	सोलर लाईट	9803874	62700		62700
11	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय व मुत्रालय निर्माण	12825984	58693	10650	69343
12	स्ट्रीट लाईट	9803875	142600		142600
13	रामलाल के घर से छोटी सरयू तक नाली व पटिया कार्य	9803866	350320	52125	402445
14	हैण्डपम्प रिबोर	13737048	171500		171500
15				योग	1439555

ग्राम पंचायत-रैनी

क्षेत्र पंचायत-परदहॉ 2018-19

प्रस्तर-5 कैशबुक के आधार पर सोलर लाइट हेतु इलाहाबाद बैंक के खाता संख्या (500070867467) से दिनांक 03-07-2018 एवं 15/07/2018 को कुल रु 387000 का व्यय दिखाया गया है। अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइड लाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयन्त्रों की मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसकी स्थापना कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू०पी० नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, सोलर लाइट के लिए अलग से टेन्डर का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थान का चयन कार्य योजना में कैसे और किस प्रकार किया जा रहा है यह अस्पष्ट रहा। लेखा परीखा में नेडा के रेट की पत्रावली भी अप्राप्त रही। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में रु 387000 सोलर लाइट के भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार अनियमित भुगतान की ओर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सख्या-25)

ग्राम पंचायत-आदेडीह**क्षेत्र पंचायत-परदहॉ 2018-19**

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त/तेरहवॉ वित्त के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के बचत खाता संख्या (500071392399) में कुल रु 1295977 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल 1129474 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान खाता संख्या 06 से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियाँ, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका, पत्र 14 एवं 15 रोजगार रजिस्टर कार्य पंजिका स्टोर व चेक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र व सम्बन्धित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 564737 व रु 564737 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 25)

खर्च का विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य/व्यय का विवरण	ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति का दिनांक व प्रस्ताव संख्या	वास्तविक व्यय		
				सामाग्री	श्रमांश	योग
1	2	3	4	5		
1	राज्य वित्त	खड़ण्जा निर्माण	4652633	133500	27600	161100
		खड़ण्जा निर्माण	4652630	337400		337400
		स्ट्रीट लाईट	4652646	45000		45000
		प्रधान मानदेय	247017			12500
		प्रधान मानदेय	4652639			4000
		हैण्डपम्प मरम्मत	4652650			45000
		विज्ञापन व टेण्डर	4652641			15000
		नाली निर्माण कार्य	4652623	237100	40000	277100
		हैण्डपम्प रिबोर	5744799	190374		190374
		प्रधान मानदेय	4652640			42000
					योग	1129474

ग्राम पंचायत-खैरामुहम्मदपुर**क्षेत्र पंचायत-घोसी 2018-19**

प्रस्तर-7 कैश बुक के आधार पर दिनांक 04/01/2019 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु 30500 व्यय दिखाया गया है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -02)**ग्राम पंचायत-दरियाबाद मुहम्मदपुर मारुफपुर****क्षेत्र पंचायत-घोसी 2018-19**

प्रस्तर-8 कैशबुक के आधार पर दिनांक 13/04/2018 को रु 47000 का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया

गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -02)

ग्राम पंचायत-लुदुही क्षेत्र पंचायत-घोसी 2018-19

प्रस्तर-9 कैशबुक/प्रियासॉफ्ट फिडिंग के आधार पर दि0 30/01/2019 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की रिबोर हेतु रु 59502 का व्यय दिखाया गया है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिकारी उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-रायपुर क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2018-19

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया सॉफ्ट/बैंक पास के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4th राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1324637.00 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1517525.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्रीराम व ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह से समान रूप से दोनो से आधी-आधी क्रमशः रु 758762.52 व रु 758762.50 धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-02)

विभिन्न तिथियों में खाते से आहरित धनराशि का विवरण

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
21-04-2018	10001470	83600
03-05-2018	10001471	65000
03-05-2018	10001472	68705
03-05-2018	10001473	66295
15-05-2018	10001475	129000
15-05-2018	10001474	150500
15-05-2018	10001476	30550
16-05-2018	10001477	24600
16-05-2018	10001478	45875
16-05-2018	10005861	70400
14-03-2019	10005862	250000
14-03-2019	10005866	51500
15-03-2019	10005865	32500
15-03-2019	10001480	42000
15-03-2019	10005863	309000

15-03-2019	10005864	98000
	योग	1517525.00

प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय का विवरण

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	सेलर लाइट क्रय	708100.00
2	आगनबाड़ी मरम्मत कार्य	201000.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	77503.00
4	शौचालय मरम्मत	84000.00
5	मनदेय प्रधान	42000.00
6	सेलिंग कार्य	98000.00
7	हैण्डपम्प रिबार	309000.00
	योग	1519603.00

ग्राम पंचायत-अरदौना क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 2018-19

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रियासॉफ्ट/बैंक पास के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4th राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 3563166 की आय हुई । जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 3783760 की धनराशि आहरित /व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका(रूप पत्र 14 एवं 15)रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका , स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते है ।जिसकी ग्राम प्रधान श्री रतन व ग्राम विकास अधिकारी श्री वरुण कुमार से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1891880 व रु 1891880 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

ग्राम पंचायत-जमीन सहरूल्हा क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 2018-19

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया साफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 2957996 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 3254096 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका(रूप पत्र 14 एवं 15)रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका , स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा

संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्री केशव नाथ व ग्राम विकास अधिकारी श्री वरुण कुमार से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1627048 व रु 1627048 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-रजमलपुर क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 2018-19

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 2902311 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 2925854 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन व ग्राम विकास अधिकारी श्री वरुण कुमार से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1462927 व रु 1462927 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-सिगाडीक्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2018-19

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रियासॉफ्ट/बैंक पास के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 846503.00 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 987462.72 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्री अभिमन्यु कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 49373.36 व रु 49373.36 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

विभिन्न तिथियों में खाते से आहरित धनराशि का विवरण

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय		
			क्रमांक	विवरण	धनराशि
25-06-2018		15.39	1	डस्टबिन क्रय	20000.00
16-08-2018	12004330	42000.00	2	ग्राम सभा में सोलिंग निर्माण कार्य	248705.00
18-08-2018	12004331	7000.00	3	ग्राम सभा में इण्टर लांकिंग कार्य	140000.00
22-09-2018		15.39	4	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	49501.00
26-09-2018	12004332	101745.00	5	हैण्ड पाइप क्रय	16500.00
31-10-2018	12004333	5000.00	6	हैण्ड पम्प रिबार कार्य	63000.00
12-11-2018	12004334	5000.00	7	कमालपुर से सिगाडी सम्पर्क मार्ग तक सोलिंग मरम्मत कार्य	107300.00
05-12-2018	12004335	50000.00	8	सिगाडी सम्पर्क मार्ग से मुसी शिवपुजन आदि के घर तक सोलिंग मरम्मत कार्य	200000.00
11-12-2018	12004336	94600.00			
22-12-2018		15.39			
01-01-2019	12004338	39501.00			
04-01-2019	12004337	143360.00			
05-01-2019		35.40			
04-01-2019	78	202830.00			
04-02-2019		29.76			
05-02-2019	12004339	107300.00			
06-02-2019	12004340	189000.00			
23-03-2019		15.39			
	योग	987462.72			

ग्राम पंचायत-बसारथपुर

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2018-19

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रियासॉफ्ट/बैंक पास के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवें वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1080810.00 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1197190.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक, व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती भागीरथी देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 598595 व रु 598595 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट/एक्शन सॉफ्ट/प्लान प्लस के अनुसार व्यय का विवरण-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	02-04-2018	मानदेय प्रधान	17500.00
02	02-05-2018	सेलर लाइट क्रय	90000.00

03	22-05-2018	पिच रोड से परदेशी के घर तक खण्डजा कार्य	215000.00
04	06-07-2018	हैण्ड पम्प मरम्मत	15000.00
05	18-07-2018	मानदेय प्रधान	21000.00
06	31-07-2018	हैण्ड पम्प मरम्मत	15000.00
07	18-08-2018	हैण्ड पम्प रिबोर	32000.00
08	23-08-2018	मानदेय प्रधान	21000.00
09	24-08-2018	हैण्ड पम्प मरम्मत	30000.00
10	07-09-2018	हैण्ड पम्प रिबोर	159100.00
11	12-11-2018	हयूम पाइप क्रय	55700.00
12	13-12-2018	प्राथमिक विद्यालय पर 2 अदद दरवाजा क्रय	10000.00
13	01-01-2019	रामरतब के घर विजयी के घर तक नाली कार्य	50000.00
14	31-01-2019	सोख्ता निर्माण	20550.00
15	04-02-2019	पिच रोड से परदेशी के घर तक सोलिंग कार्य मजदूरी	32000.00
16	16-02-2019	सोलर लाइट क्रय	198000.00
17	24-02-2019	शौचालय मरम्मत कार्य	32100.00
18	26-02-2019	पटिया क्रय	12000.00
19	05-03-2019	पटिया क्रय	50000.00
20	08-03-2019	खण्डजा कार्य	117740.00
21	08-03-2019	विज्ञापन व्यय	3500.00
		योग	1197190.00

ग्राम पंचायत-कोडर

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2018-19

प्रस्तर-16 दिनांक 31.03.2019 को ग्राम पंचायत की कोषबही में रु 30436. विभिन्न मदों में अनुदान राशि का अवशेष दर्शित है जिसका अतिशीघ्र व्यय प्राप्त मदों के अनुसार किया जाय अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 2507/26399-4(2015) दिनांक 04-08-1999 के अनुरूप रजिस्टर से अनुदान की मदवार पुष्टि उपरान्त शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है वर्षान्त में अवशेष अनुदान की धनराशि को अनुपयोगित होने की दशा में शासन को वापस न कर अनियमिता की गयी है जिसके लिए संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती गीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-चैनपुर

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2018-19

प्रस्तर-17 दिनांक 31.03.2019 को ग्राम पंचायत की कोषबही में रु 255884. विभिन्न मदों में अनुदान राशि का अवशेष दर्शित है जिसका अतिशीघ्र व्यय प्राप्त मदों के अनुसार किया जाये अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 2507/26399-4(2015) दिनांक 04-08-1999 के अनुरूप रजिस्टर से अनुदान की मदवार पुष्टि उपरान्त शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है वर्षान्त में अवशेष अनुदान की धनराशि को अनुपयोगित होने की दशा में शासन को वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मिनती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश चौहान उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-सिकड़ीकोल

क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2018-19

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 3610282 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 3776193 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियाँ, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य

पंजिका , स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते है । जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय प्रसाद से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1888096 व रु 1888096 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-पलिया महमूदपुर

क्षेत्र पंचायत-बडरौव 2018-19

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया साफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1584857 की आय हुई । जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1729354 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15)रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते है । जिसकी ग्राम प्रधान श्री मनोज व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 864677 व रु 864677 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-सरायसादी

क्षेत्र पंचायत-बडरौव 2018-19

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया साफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1780222 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 2296366 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका(रूप पत्र 14 एवं 15)रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका , स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते है । जिसकी ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार राय से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1148183 व रु 1148183 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-लौवासाथ क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 2076703 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 2034212 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री मृत्युजय यादव से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1017106 व रु 1017106 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2)

ग्राम पंचायत-चोरपाकला क्षेत्र पंचायत-कोपागंज 2018-19

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक एवं पास बुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/तेरहवा वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (433802010807688) में कुल रु 1747033 की आय हुई, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1769925 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु लेखा परीक्षा में अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्री कल्पनाथ ग्राम विकास अधिकारी सपना सिंह से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 884962 व रु 884962 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-24)

क्र0स0	योजना का नाम	कार्य / व्यय का विवरण	
1	2	3	4
1	राज्य वित्त / 14 वॉ वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	229500
2		हैण्डपम्प रिबोर	234200
3		नाली मरम्मत कार्य	42546
4		ईट क्रय	736540
5		सामग्री कय	212524
6		मजदूरी	238115

7		विज्ञापन	5000
8		मानदेय	35000
9		सफाई किट	36500
		योग	1769925

ग्राम पंचायत-रसुलपुर क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2018-19

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 6278793 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 7048194 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी विधिवत जाँचोपरान्त ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ यादव ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार भारती से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 3524097 व रु 3524097 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-बडरौव क्षेत्र पंचायत-बडरौव 2018-19

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया साफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 3013108 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 3209675 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमबदा राय व ग्राम विकास अधिकारी श्री जयप्रकाश से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1604837.50 व रु 1604837.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-मलकौली क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत

में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1497176 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1810083 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते है। जिसकी ग्राम प्रधान श्री गणेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री शम्भूनाथ से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 905041.50 व रु 905041.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-खैरानासिर क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-26 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर में रु 30500 धनराशि व्यय की गयी दर्शित है, किन्तु हैण्डपम्प रिबोर सम्बन्धित व्यय प्रमाणक स्थल की सूची एवं हैण्डपम्प के लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प के मांग सम्बन्धित कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किस स्थान पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य कराया गया है। स्पष्ट है कि बिना कार्य स्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध है। हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। नये सामान क्रय एवं पुराने सामान की इंट्री स्टाक बुक में अंकित किए जाने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित फर्म को ही भुगतान किया गया है या नहीं स्पष्ट न हो सका। इस प्रकार व्यय प्रमाणक व अन्य वांछित सूचनाओं के अभाव में दर्शाया गया व्यय काल्पनिक है, एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी समान रूप से आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित संबन्धित ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से रु 15250 व सम्बन्धित प्रधान श्यामदुलारी से रु 15250 किया जाना अपेक्षित है। धनराशि आहरण का विवरण निम्नवत है-

(आपति संख्या-02)

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	वर्क आई डी संख्या	धनराशि	मद विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता / फर्म का नाम
1	29.12.2018	12017148	6276316	30500	हैण्ड पम्प रिबोर	दिग्वेश कुमार त्रिपाठी

ग्राम पंचायत-सुबाह क्षेत्र पंचायत-फतेहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन सॉफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवों वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1307116 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1395257 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं

रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी विधिवत जाँचोपरान्त तत्कालीन ग्राम प्रधान लालमती व ग्राम विकास अधिकारी श्री मृत्युंजय से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 697628.50 व रु 697628.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-गुरुम्हा क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1648817 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1538615 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि०, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी०एस०टी० व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन लता व ग्राम विकास अधिकारी श्री अर्जुन प्रसाद से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 7693075 व रु 7693075 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1219319 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1140636 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि०, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी०एस०टी० व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी ग्राम प्रधान उमेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री शम्भूनाथ से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 570318 व 570318 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-सिंहासन क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत के ऐक्शन साफ्ट व प्रिया सॉफ्ट के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में चौथा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कुल रु 1813156 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 2085501 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक, बैंक पासबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मॉग व वसूली पंजिका(रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आते हैं। जिसकी विधिवत जाँचोपरान्त ग्राम प्रधान विनय व ग्राम विकास अधिकारी श्री शम्भूनाथ से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 1042750.50 व 1042750.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-मोलनापुर क्षेत्र पंचायत- फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु कैशबुक एवं पास बुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (5860020100004037) में कुल रु 911025 की आय हुई। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रु 1017155 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता संख्या 06 से) सम्बन्धित अभिलेख समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0 कार्य के वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियों, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका मॉग व वसूली पंजिका(रूप पत्र 14 एवं 15) रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका स्टोर व चेक इश्यु रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में बार बार आग्रह के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अप्राप्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है, अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी विधिवत जाँचोपरान्त ग्राम प्रधान शैलेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिकेश से समान रूप से दोनों से आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु 508577 व 508577 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत अंकित है—

(आपति संख्या-26)

क्र0स0	योजना का नाम	कार्य/व्यय विवरण	कार्य आई डी	वास्तविक व्यय		
				सामग्री	श्रमांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य वित्त/ 14वा वित्त	विज्ञापन	7758700	27040		27040
2		ह्यूम पाईप	4226169	167400		167400
3		पटिया क्रय	7758690	340900		340900
4		पिच रोड से अशोक	7758702	76260		76260

		के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य				
5		ह्यूम पाईप	7758691	118155		118155
6		हैण्ड पम्प मरम्मत	7758697	20600		20600
7		स्ट्रीट लाईट	7758696	135200		135200
8		ग्राम प्रधान मानदेय	7758694			42000
9		पटिया क्रय	7758689	55000		55000
10		पटिया क्रय	7758688	34600		34600
					योग	1017155

ग्राम पंचायत-परदहॉ क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2018-19

प्रस्तर-32 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत में रु 121339 धनराशि व्यय की गयी दर्शित है किन्तु हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत सम्बन्धी व्यय प्रमाणक ,स्थल की सूची एवं हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि कितने एवं किन- किन जगहों के हैण्डपम्प खराब थे और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध है। हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। नये सामान क्रय एवं पुराने सामान की इंट्री स्टोक बुक में अंकित किए जाने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित फर्म को ही भुगतान किया गया है या नहीं स्पष्ट न हो सका। इस प्रकार व्यय प्रमाणक व अन्य वांछित सूचनाओं के अभाव में दर्शाया गया व्यय काल्पनिक है, एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी समान रूप से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी से रु 60669.50 व सम्बन्धित प्रधान से रु 60669.50 अपेक्षित है। धनराशि आहरण का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	वर्क आई डी संख्या	धनराशि	मद विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता /फर्म का नाम
1	29.08.2018	12002163	8876314	27000	हैण्डपम्प रिबोर	दीपक लोहा भण्डार
2	07.12.2018	12002170	8876315	31000	हैण्ड पम्प रिबोर	भूपाल नाथ त्रिपाठी
3	07.12.2018	12002169	8876315	31639	हैण्ड पम्प रिबोर	भूपाल नाथ त्रिपाठी
4	07.12.2018	12002171	8876315	31700	हैण्ड पम्प रिबोर	भूपाल नाथ त्रिपाठी
योग				121339		

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-खालसा क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2018-19

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 14 वॉ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत चेक न0 008545 चेक दिनांक 27.06.2018 द्वारा ऋषभ को रु 3500 का प्रिया सॉफ्ट फिडिंग हेतु भुगतान दर्शित है, उक्त भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत स्तर पर अनेक कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत है साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रिया सॉफ्ट फिडिंग व ऐक्शन सॉफ्ट फिडिंग हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं ऐसी परिस्थिति में रु 3500 का भुगतान कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अमल कुमार व ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं दोनों से समान रूप से आधी-आधी धनराशि रु 1750 व रु 1750 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-खैराबाद क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2018-19

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 14 वॉ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत चेक न0 007336 चेक दिनांक 18.05.2018 द्वारा अवनीश को रु 3500 का प्रिया सॉफ्ट फिडिंग हेतु भुगतान दर्शित है, उक्त भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत स्तर पर अनेक कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत है साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रिया सॉफ्ट फिडिंग व ऐक्शन सॉफ्ट फिडिंग हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं, ऐसी परिस्थिति

में रु 3500 का भुगतान कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती दरख्शा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है दोनों से समान रूप से आधी-आधी धनराशि रु 1750 व रु 1750 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-बरहदपुर क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2018-19

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 14 वॉ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत चेक न0 007699 चेक दिनांक 18.05.2018 द्वारा अवनीश को रु 3500 का प्रिया सॉफ्ट फिडिंग हेतु भुगतान दर्शित है, उक्त भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है क्योंकि क्षेत्र पंचायत स्तर पर अनेक कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रिया सॉफ्ट फिडिंग व ऐक्शन सॉफ्ट फिडिंग हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं ऐसी परिस्थिति में रु 3500 का भुगतान कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अमल कुमार व ग्राम प्रधान श्री कल्पनाथ से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है दोनों से समान रूप से आधी-आधी धनराशि रु 1750 व रु 1750 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-मोहिउददीनपुर क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2018-19

प्रस्तर-36 लेखा परीक्षा में 14 वें वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त खाते से दिनांक 12.02.2019 को वर्क आईडी0सं0 11179135 एवं चेक संख्या 10008399 द्वारा रु 31500 हैण्ड पम्प रिबोर हेतु भुगतान दर्शित है किन्तु उक्त भुगतान सम्बन्धित फर्म को न कर सचिव श्री धनन्जय गौरव द्वारा अपने नाम से भुगतान प्राप्त किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक भी अप्राप्त रहा। इस प्रकार हैण्ड पम्प रिबोर के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने नाम से भुगतान प्राप्त कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री धनन्जय गौरव व ग्राम प्रधान श्रीमती कुमारी देवी से समान रूप से दोनों आधी-आधी धनराशि क्रमशः 15750 व रु 15750 ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

ग्राम पंचायत-सौसरवा क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2018-19

प्रस्तर-37 लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत में रु 305100 धनराशि व्यय की गयी दर्शित है, किन्तु हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत सम्बन्धी व्यय प्रमाणक, स्थल की सूची एवं हैण्ड पम्प के लाभथियो द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धित कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि कितने एवं किन किन जगहों के हैण्डपम्प खराब थे। शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु दो में स्पष्ट निर्देश है कि रु 20000/या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परन्तु कार्य योजना के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आई डी विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध है, हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। नये समान क्रय एवं पुराने सामान की इंट्री स्टॉक बुक में अंकित किए जाने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित फर्म को ही भुगतान किया गया है या नहीं, स्पष्ट न हो सका। इस प्रकार व्यय प्रमाणक व अन्य वांछित सूचनाओं के अभाव में दर्शाया गया व्यय काल्पनिक है एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी समान रूप से आधी-आधी धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी से रु 152550.00 व सम्बन्धित प्रधान से रु 152550.00 ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। धनराशि आहरण का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	वर्क आई डी सं0	धनराशि	मद विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता/फर्म का नाम
1	11-04-18	311547	11282518	45500	हैण्ड पम्प मरम्मत	खुशी कन्स्ट्रक्शन
2	19-09-18	566866	11259727	42300	हैण्ड पम्प मरम्मत	डी0एन0 इण्टरप्राइजेज

3	19-09-18	566869	11259720	153300	हैण्ड पम्प रिबोर	राव विल्डिंग मैटेरिल्स
4	06-11-18	566869	11259727	40500	हैण्ड पम्प मरम्मत	राव विल्डिंग मैटेरिल्स
5	02-03-18	566869	11259727	23500	हैण्ड पम्प मरम्मत	राव विल्डिंग मैटेरिल्स
			योग	305100		

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संस्था –ग्राम पंचायत

जनपद– अलीगढ़

मण्डल–अलीगढ़

1 – ग्राम पंचायत–नाथपुर विकास खण्ड–अतरौली जनपद–अलीगढ़

प्रस्तर – 1 – वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। वर्तमान सचिव श्री नेमपाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि में अभिलेख पूर्व सचिव श्री के० पी० सिंह के कार्यकाल का है और इस अवधि से सम्बन्धित अभिलेख उनके द्वारा चार्ज में नहीं दिया गया। श्री के० पी० सिंह से टेलीफोनिक वार्ता में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क करने पर उनके द्वारा मात्र आश्वासन दिया गया। लेखा परीक्षा समाप्ति तक कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा उक्त अवधि में आहरित धनराशि का अपहरण किया गया जिस कारण कोई अभिलेख यथा व्यय बाउचर, पत्रावली, एम०बी०, प्राकलन, प्रस्ताव, कार्ययोजना एवं टेण्डर/कोटेशन, हैण्डपम्प पर व्यय के मद में जल समिति की स्वीकृति, हैंडपम्पों की स्थापना सूची, खराब हैण्डपम्प हेतु ग्रामीणों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र, पुराने व खराब पुर्जों एवं पाइप आदि का स्क्रेप का स्टॉक व उनकी बिक्री का धन आदि की स्थिति अज्ञात रही। श्री के० पी० सिंह, तत्कालीन सचिव का स्थानान्तरण अन्य विकास खण्ड में हो जाने के उपरान्त भी चार्ज को न देना एवं इस पर विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा परिणामदायक कार्यवाही भी नहीं की गई। जबकि अभिलेखों हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत नोडल अधिकारी है। इस ओर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त अवधि में आहरित धनराशि के सापेक्ष अभिलेख न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए वर्ष 2015-16 में रु० 38170.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु० 76307.00 कुल रु० 458010.00 आहरित धनराशि के सापेक्ष रु० 381703.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी तत्कालीन प्रधान एवं श्री के० पी० सिंह तत्कालीन सचिव एवं रु० 76307.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती कश्मीरी देवी वर्तमान प्रधान एवं श्री के० पी० सिंह तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

2– ग्राम पंचायत–मोहसिनपुर विकास खण्ड–अतरौली जनपद–अलीगढ़ –

प्रस्तर-2– वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि -1 के पुराने खाते में प्रा० शेष रु० 86602-00 एवं वर्ष में मात्र ब्याज रु० 3499-00 प्राप्त होकर अन्तिम शेष रु० 90101-00 एवं वर्ष 2016-17 में रु० 889-00 ब्याज से प्राप्त होकर कुल रु० 90990-00 बैंक में जमा दर्शित रहा। वर्ष 2016-17 में अन्तिम शेष नहीं दर्शाया गया और न ही वर्ष 2016-17 से लेखा परीक्षा वर्ष तक बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही जिससे उक्त खाते में जमा धनराशि की स्थिति अज्ञात रही। उक्त खाते की धनराशि को नये निधि-1 के खाते में हस्तान्तरित करवाया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त धनराशि को वर्ष 2016-17 के अन्तिम शेष में दर्शाया भी नहीं गया और आगामी वर्षों में भी पुराने खाते की धनराशि दर्शायी नहीं जा रही है, जिससे सम्भावित है कि उक्त धन का आहरण कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो। धन का वर्तमान खाता जो चलन में है में वह धनराशि हस्तान्तरित न कराया जाना पूर्णतः अनियमित रहा। उसके उपरान्त अचानक कैशबुक के अवशेष से हटा दिया जाना एवं सम्बन्धित खाते के बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत न किया जाना दर्शाता है कि पुराने खाते की शेष धनराशि रु० 90990.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रु० 90990.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुरेश चन्द्र हितैषी तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती विद्या देवी वर्तमान प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(आप० सं० 21)

3– ग्राम पंचायत–कुंजलपुर विकास खण्ड–अतरौली जनपद–अलीगढ़ –

प्रस्तर-3– चेक संख्या 783429 दिनांक 14-08-2018 को बैंक पासबुक के अनुसार रु० 5000.00 कैश आहरित है, जबकि कैशबुक में रु० 2000.00 नगद आहरित दर्शाकर स्टेशनरी व्यय दर्शाया गया, इस प्रकार रु० 3000.00 का सीधे धन आहरित कर अपहरण कर लिया गया। अतः रु० 3000.00 की ब्याज

सहित वसूली श्री देवेश कुमार उपाध्याय, सचिव एवं श्रीमती भगवान देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या – 21)

4 – ग्राम पंचायत-सूरजपुर विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर-4 – वर्तमान पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के अभिलेख उनको चार्ज में उपलब्ध नहीं करये गये। वर्तमान सचिव से पूर्व श्री युवराज सिंह पूर्व सचिव द्वारा चार्ज में नहीं दिया गया। उक्त अभिलेखों के चार्ज हेतु श्री अभिनव सिंह द्वारा कोई पत्राचार से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया गया।

वर्ष	आहरित धनराशि	वर्ष	आहरित धनराशि	वर्ष	आहरित धनराशि
2011-12	119315	2012-13	273252	2013-14	442485
2014-15	660076	2015-16	141978		

उक्त विवरणानुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल रु0 1637106-00 का आहरण कर हैण्ड पम्प मरम्मत, मानदेय प्रधान एवं निर्माण कार्यों में व्यय किया गया। इस व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी स्वीकृति, कार्यवाही पूँजी, निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मास्टररोल, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति एवं हैण्डपम्प के समीप रहने वाले ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने एवं उसे ठीक हो जाने का प्रमाणक व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण वित्त हस्त पुस्तिका के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1637106.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री संजय एवं तत्कालीन सचिव श्री युवराज कसंह से ब्याज सहित वसूल करते हुए अभिलेख चार्ज में उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

5- ग्राम पंचायत-कोरहरघुपुरा विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर-5 – वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। पंचायत सचिव श्री अभिनव सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि इन अवधि का चार्ज प्राप्त न होने के कारण लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। उक्त अवधि में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कैशबुक, प्रस्ताव पंजिका, कराये गये कार्यों की पत्रावलियाँ, प्राकलन, व्यय बाउचर, मास्टर रोल, एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। जिस कारण लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय – 8 के प्रस्तर – 8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए वर्ष 2014-15 में रु0 783749.00 एवं वर्ष 2015-16 में रु0 361870.00 कुल रु0 1145619.00 की ब्याज सहित वसूली श्री देवेश कुमार उपाध्याय, तत्कालीन सचिव एवं श्री हेम सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या – 21)

6- ग्राम पंचायत-हमीदपुरपुर विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर-6 – ग्राम पंचायत – हमीदपुर वर्ष – 2017-18 व 2018-19 ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत हमीदपुर में वर्ष 17-18 व 18-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम0 बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है-

वर्ष	2017-18	2018-19	योग
सामग्री	1171996	1311517	2483513
मजदूरी/मिट्टी	329270	390580 +68700	788550
हैण्ड पम्प	31650	76050	107700
तकनीकी प्रशासनिक मद	—	42437	42437
अन्य व्यय	64617	28100	92717
योग	1597533	1917384	3514917

प्रस्तर-7- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ग्राम पंचायत में निम्न व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत हैं जैसा कि बैंक पास-बुक से भी स्पष्ट होता है लेकिन कोषबही में इन व्यक्तियों से कोई सेवा/सामग्री प्राप्त दर्शित नहीं है लेखा परीक्षा अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न आहरित धनराशियों का प्रयोग ग्राम पंचायत में हुआ ही नहीं है, काल्पनिक/फर्जी व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। परिपालन सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में धनराशि अंकन 770669.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्रम	व्यक्ति का नाम	चैक नं०	धनराशि	दिनांक
1.	ओमप्रकाश	6731	20000	26-09-17
2.	विजयपाल	6732	19600	27-09-17
3.	ओमप्रकाश	6735	24000	04-10-17
4.	ब्रजेश	6736	24000	05-10-17
5.	विजयपाल	6734	24000	06-10-17
6.	विजयपाल	6739	25000	06-10-17
7.	ओमप्रकाश	6747	25000	14-02-18
8.	ओमप्रकाश	6746	25000	14-02-18
9.	ब्रजेश	6749	20709	14-02-18
10.	ब्रजेश	6748	25460	14-02-18
11.	विजयपाल	6744	25000	14-02-18
12.	विजयपाल	6745	25000	14-02-18
13.	विजयपाल	6740	26340	10-10-17
14.	ओमप्रकाश	13014	50400	09-07-18
15.	ओमप्रकाश	13021	25000	28-08-18
16.	ओमप्रकाश	13019	3550	18-09-18
17.	सुनील कुमार	13024	36000	03-10-18
18.	ओमप्रकाश	20126	40940	30-10-18
19.	अमन	20125	48000	30-10-18
20.	ओमप्रकाश	20130	18300	02-11-18
21.	अमन	20131	48000	20-11-18
22.	ओमप्रकाश	20132	10000	20-11-18
23.	ओमप्रकाश	20134	56420	28-11-18
24.	ओमप्रकाश	20135	5000	08-12-18
25.	ओमप्रकाश	20136	30000	02-01-19
26.	ओमप्रकाश	20140	50000	02-01-19
27.	ओमप्रकाश	20141	10000	22-02-19
28.	ओमप्रकाश	20142	30000	01-03-19
योग			770669	

प्रस्तर- 8 -ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर-5 के अनुसार फर्मों को 2000 से ऊपर के समस्त भुगतान एकाउन्टपेयी चैक के माध्यम से किया जायेगा लेकिन ग्राम पंचायत में कतिपय फर्मों को अनियमित तरीके से नकद भुगतान किया गया है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।-

03-10-17	श्री श्याम बिल्डिंग मैटेरियल	75840
10-02-18	श्री श्याम बिल्डिंग मैटेरियल	81085
10-02-18	आर० आर० ईट उद्योग	120709
		277634

7 - ग्राम पंचायत प खोदना विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर - 9 - वर्ष 2017-18 व 2018-19। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अयाय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत पखोदना में वर्ष 2017-18 व 18-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम० बी० रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,

कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है –

वर्ष	2017-18	2018-19	योग
सामग्री	24960	387800	412760
मजदूरी	14575	88380	102955
हैण्डपम्प	15000	66235	81235
अन्य व्यय	—	72500	72500
योग	54535	614915	669450

8 – ग्राम पंचायतप-लसेड़ा विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर – 10 – वर्ष 2017-18 व 2018-19। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत पलसेड़ा में वर्ष 17-18 व 18-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कूटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम0 बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है –

	2017-18	2018-19
सामग्री	1190279 /—	918278 /—
मजदूरी	362330 /—	211880 /—
हैण्ड पम्प	47030 /—	32650 /—
प्रशासनिक एवं तकनीकी मद में	—	45992 /—
अन्य व्यय	64581 /—	62650 /—
योग	1664220 /—	1271450 /—

प्रस्तर – 11 – लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ग्राम पंचायत में निम्न व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत हैं जैसा कि बैंक पास-बुक से भी स्पष्ट होता है लेकिन कोषबही में इन व्यक्तियों से कोई सेवा/सामग्री प्राप्त दर्शित नहीं है। लेखा परीक्षा अनुसार ऐसा लगता है कि निम्न आहरित धनराशियों का प्रयोग ग्राम पंचायत में हुआ ही नहीं है, काल्पनिक/फर्जी व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में निम्न धनराशियों की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्रम	चेक नं0	दिनांक	व्यक्ति का नाम	धनराशि
1.	437718	15-07-17	नेत्रपाल	4000 /—
2.	437721	31-07-17	रामेश्वर	15000 /—
3.	3933	29-08-17	छोटू	2980 /—
4.	3939	29-08-17	छोटू	33140 /—
5.	3946	31-08-17	छोटू	32400 /—
6.	8151	19-09-17	आर्यन	10290 /—
7.	8155	19-09-17	आर्यन	30360 /—
8.	8157	25-09-17	आर्यन	54080 /—
9.	8166	30-03-18	नेत्रपाल	22000 /—
10.	8170	12-07-18	आर्यन	12500 /—
11.	8175	22-09-18	आर्यन	16000 /—
12.	8174	28-09-18	रविन्द्र सिंह	16120 /—
13.	32226	28-11-18	आर्यन चौहान	36000 /—

प्रस्तर – 12– लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 की कोषबही में पास-बुक अनुसार आहरित निम्न धनराशियों की प्रविष्टि कोषबही में न कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन संतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में किया जाना अपेक्षित है –

दिनांक	चैक नं०	धनराशि
05-04-17	973469	26832 / -
05-04-17	437701	52000 / -
15-04-17	437705	17500 / -
20-04-17	437707	15680 / -
20-05-17	437702	40118 / -
20-05-17	437709	5200 / -
22-05-17	437713	19573 / -
03-07-17	437717	44160 / -
13-07-17	437719	20790 / -
	योग	241853 / -

9 – ग्राम पंचायत-बैरम गंज विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत बैरमगंज में वर्ष 17-18 व 18-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम0 बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है –

वर्ष	2017-18	2018-19	योग
सामग्री	604931 / -	267828 / -	872759 / -
मजदूरी	124990 / -	71820 / -	196810 / -
हैण्डपम्प	172198 / -	48800 / -	220998 / -
अन्य व्यय	78139 / -	80737 / -	158876 / -
सेलर लाइट	-	240900 / -	240900 / -
तकनीकी प्रशासनिक मद में हस्तान्तरण	-	18743 / -	18743 / -
योग	980258 / -	728828 / -	1709086 / -

10 – ग्राम पंचायत-बैना विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ –

प्रस्तर-14- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत बैना में वर्ष 2017-18 व 18-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम0 बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है –

	2017-18	2018-19
सामग्री	2184030 / -	2227524 / -
मजदूरी	637910 / -	727280 / -
शौचालय	-	46000 / -
हैण्डपम्प	89156 / -	128841 / -
अन्य व्यय	59800 / -	55235 / -
प्रशासनिक एवं तकनीकी मद	-	66151 / -
मिट्टी कार्य	61420	
योग	3032026 / -	3251031 / -

प्रस्तर-15- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ग्राम पंचायत में निम्न व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत हैं जैसा कि बैंक पास-बुक से भी स्पष्ट होता है लेकिन कोषबही में इन व्यक्तियों से कोई सेवा/सामग्री प्राप्त दर्शित नहीं है लेखा परीक्षा अनुसार ऐसा लगता है कि निम्न आहरित धनराशियों का

प्रयोग ग्राम पंचायत में हुआ ही नहीं है, काल्पनिक/फर्जी व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में निम्न धनराशियों की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्रम	चेक नं०	व्यक्ति का नाम	धनराशि	दिनांक
1.	6034	नेत्रपाल	30000 / -	11-05-17
2.	6040	प्रेमचन्द	15400 / -	15-05-17
3.	6041	आलोक कुमार	11020 / -	02-06-17
4.	6042	अजीत कुमार	20880 / -	13-06-17
5.	6045	नेमसिंह	12000 / -	27-06-17
6.	10276	नेमसिंह	17500 / -	27-06-17
7.	6046	नेत्रपाल	25810 / -	03-07-17
8.	10280	मोहनसिंह	38890 / -	29-07-17
9.	10282	नेत्रपाल	39900 / -	03-08-17
10.	10281	सुरेश कुमार	38140 / -	09-08-17
11.	10298	नेत्रपाल	45540 / -	08-09-17
12.	10300	नेत्रपाल	44660 / -	14-09-17
13.	12853	मुनेश	11000 / -	26-10-17
14.	12855	सुरेश	51980 / -	27-10-17
15.	12856	आर्यन	53100 / -	06-12-17
16.	12859	नेत्रपाल	22400 / -	24-01-18
17.	12862	आर्यन	34430 / -	08-03-18
18.	12861	आर्यन	14560 / -	08-03-18
19.	12866	सुरेश	25770 / -	22-03-18
20.	12867	नेमसिंह	56950 / -	24-04-18, 30-03-18
21.	12868	नेत्रपाल	13820 / -	19-05-18, 31-03-18
22.	12869	आर्यन	33000 / -	07-07-18
23.	12873	प्रेमचन्द	26700 / -	18-06-18
24.	12874	नेत्रपाल	24800 / -	20-06-18
25.	12875	सुरेश कुमार	31900 / -	11-07-18
26.	25329	सुरेश कुमार	44970 / -	20-07-18
27.	25330	नेत्रपाल	48140 / -	20-07-18
28.	25332	आर्यन	34375 / -	10-10-18
29.	25335	आर्यन	25010 / -	10-10-18
30.	25339	देवेन्द्र सिंह	46740 / -	01-11-18
31.	25340	आर्यन चौहान	39060 / -	22-11-18
32.	25347	नेत्रपाल	41040 / -	06-12-18
33.	25341	देवेन्द्र सिंह	42670 / -	29-12-18
34.	52002	सुरेश	32450 / -	31-12-18
35.	52010	आर्यन	62440 / -	15-02-19
36.	25348	आर्यन	62730 / -	18-03-19
37.	51983	सुरेश	44780 / -	31-03-19 / 24-04-19
38.	51980	नेमसिंह	50600 / -	31-03-19 / 24-04-19
			1315155 / -	

11- ग्राम पंचायत-भोजाका विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-16- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में कैंशबुक अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है -

	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19
सामग्री	341185 / -	सामग्री	482982 / -

मस्टररोल	80270 / -	मस्टररोल	123990 / -
हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर	70899 / -	हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर	52072 / -
मिट्टी	8450 / -	शौचालय मरम्मत	5000 / -
मानदेय	42000 / -	मानदेय	45500 / -
अन्य	2880 / -	अन्य	10610 / -
योग	545684 / -	योग	720154 / -

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रक्कलन, बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय रु0 1265838/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव देव से की जानी अपेक्षित है।

12 - ग्राम पंचायत-पालर विकास खण्ड-टप्पल जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-17- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में कैशबुक अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है -

	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19
सामग्री	1577380 / -	सामग्री	1220461 / -
मस्टररोल	170350 / -	मस्टररोल	204740 / -
हैण्ड पम्प मरम्मत	15000 / -	हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर	115241 / -
मानदेय प्रधान	35000 / -	अन्य	23930 / -
		मानदेय	45500 / -
योग	377730 / -	योग	1609872 / -

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 377730-00 व वर्ष 2018-19 में रु0 1609872-00 दर्शित है। कुल व्यय रु0 1987602-00 दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय रु0 1987602-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुशील शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

13 - ग्राम पंचायत-गढ़ी सूरजमल विकास खण्ड-टप्पल जनपद अलीगढ़ -

प्रस्तर - 18 - उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है -

विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
सामग्री	1198564.00	313182.00
मस्टररोल / मजदूरी	240945.00	71100.00
मिट्टी	53600.00	38000.00
हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर	5900.00	26800.00
अन्य व्यय	26000.00	18740.00
योग	1525009.00	467822.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 1525009.00 व वर्ष 2018-19 में रु0 467822.00 कुल रु0 1992831.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः

वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय रु0 1992831.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार व श्री राजू गौतम ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत-उकावली विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-19- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु0 13,58,325.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 13,58,325.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूरी सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

15- ग्राम पंचायत-खानगढ़ी विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-20- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु0 917385.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 917385.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरपाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

16- ग्राम पंचायत-दुभिया चितरौली विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-21- पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 (ब) के अन्तर्गत राज्य वित्त/14 वें वित्त आयोग के सन्दर्भ में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रु 2 लाख तक ग्राम पंचायत, रु0 2 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), रु0 2.50 लाख से अधिक व 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी व रु0 5 लाख से अधिक जिलाधिकारी द्वारा दिये जाने के निर्देश हैं परन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए ग्राम पंचायत के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जो गम्भीर अनियमितता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक व दिनांक	अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	वर्ष में व्यय
1.	दिनेश के घर से पंचायत घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	813/28.03.18	536250.00	534174.00	334174.00
2.	ऊँकार के मकान से महिपाल के मकान से होता हुआ बाईपास तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण	814/28.03.18	653450.00	620828.00	420828.00
3.	रोशन के घर से (मानसिंह) सी0सी0 को मिलाते हुए ध्यानपाल के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण	815/28.03.18	971600.00	961409.00	961409.00
4.	रामजीत के घर से रमेश के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण	816/28.03.18	359050.00	335227.00	335227.00

अतः उक्त धनराशि रु0 2051638.00 की वित्तीय अनियमितता के लिए श्री इस्लाम हुसैन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री महेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत-ईकरी विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -22- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

1. सामग्री पर व्यय	-	1804783.00
2. मजदूरी पर व्यय	-	311890.00
3. हैण्डपम्प पर व्यय	-	142336.00
4. अन्य व्यय	-	17185.00
योग	-	2276194.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु० 2276194.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय रु० 2276194.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री आकाश अग्रवाल से करायी जानी अपेक्षित है।

18- ग्राम पंचायत-पनैठी विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-23- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु० 3326221.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु० 3326221.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आनन्द कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत-रुस्तमपुर एलम विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर - 24- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु० 706799.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु० 706799.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदीश सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

20- ग्राम पंचायत-हाजीपुर फतेहखौं विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-25- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु० 2692595.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में

उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 2692595.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

21- ग्राम पंचायत-मूसेपुर जलाल विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-26- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु0 1131177.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 1131177.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

22- ग्राम पंचायत-घासीपुर विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-27- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के अनुसार कुल रु0 2934244.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 2934244.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बैतूल बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

23- ग्राम पंचायत-सिधौली विकास खण्ड-धनीपुर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-28- दिनांक 31.03.14 को कैशबुक अनुसार प्रधान के पास नकद अवशेष रु0 1738.00 दर्शित है। परन्तु 01.04.14 को कैशबुक में नकद अवशेष शून्य दर्शाया गया। इस प्रकार नकद अवशेष की कैशबुक में प्रविष्टि न कर रु0 1738.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-29- दिनांक 20.04.14 को ग्राम निधि से चैक संख्या 058835 द्वारा रु0 18000.00 रामेश्वर दयाल के द्वारा आहरण किया जाना दर्शित है एवं दिनांक 22.05.14 को चैक संख्या 961454 द्वारा रु0 5000.00 प्रधान द्वारा आहरण किया जाना दर्शित है। उक्त दोनों चैकों की धनराशि रु0 23000.00 की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं की गयी जिससे कैशबुक में व्यय भी नहीं दर्शाया गया। अतः रु0 23000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-30- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 (माह अगस्त 2014 तक) में कैशबुक अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

विवरण	लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14	लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15
सामग्री	571345.00	209800.00
मस्टररोल	72574.00	72500.00
मिट्टी	43875.00	56000.00
हैण्डपम्प मरम्मत	96000.00	10750.00
विविध व्यय	21880.00	16400.00
योग	805674.00	365450.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 में रु0 805674.00 व वर्ष 2014-15 (अगस्त 2014 तक) रु0 365450.00 कुल रु0 1171124.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 (माह अगस्त 2015 तक) कुल रु0 1171124.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता से करायी जानी अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत-भीमगढ़ी विकास-खण्ड जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-31- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा कोई भी प्रमाणक या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के पैरा-8, उपनियम-8(क) के अनुसार इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग रु0 1297760.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

25- ग्राम पंचायत-भोजपुर विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-32- निजी श्रोत से आय-14 वें वित्त आयोग के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायत को निजी स्रोतों से अपने आय में वृद्धि करना है। इस हेतु रूप पत्र 7 काट कर सम्बन्धित को एक प्रति निर्गत किया जाना चाहिए और प्राप्त आय की प्रविष्टि कोषबही में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्था को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्पष्ट जानकारी हो सके। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से आय के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 शून्य प्राप्त हुए हैं। निजी श्रोत आय प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निविदा शुल्क के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 00.00 प्राप्त हुए हैं। वर्ष में ग्राम सभा में कुल 13 कार्य कराये गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रति कार्य नियमानुसार अगर न्यूनतम तीन टेंडर फार्म बिक्री की गयी होती तब ग्राम कोष में 118.00 (जी एस टी सहित) की दर ये कुल 4002.00 जमा होते एवं निजी आय होती। ऐसा ना कर के सचिव ने ग्रामकोष को क्षति पहुँचाई है। अतः रुपये 4602.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान से करके ग्राम कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

26- ग्राम पंचायत-बाज़गढ़ी विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-33- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 से 2017-18 को कोई भी व्यय प्रमाणक या फिर स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 1246828.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

27- ग्राम पंचायत-बरौली विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-34- उ0 प्र0 पं0 राज नियम 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जायेंगे एवं ग्राम पंचायत के कार्या में गार्ड फाइल में रखे जायेंगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान व्यय प्रमाण/गार्डफाइल प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि पंचायतराज लेखा मैनुअल के पैरा-8 के प्रावधान-8(क) के अनुसार जिन मदों के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं हैं, वह समस्त व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः वर्या में किया गया सम्पूर्ण व्यय अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार रुपये 5909246.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शम्मी खॉं एवं सचिव श्री प्रमोद माहेश्वरी एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

28- ग्राम पंचायत-बरौला विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -35- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 को कोई भी व्यय प्रमाणक या फिर स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 656917.75 को पंचायती

राज विभाग के लेखा मैनुअल 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

29- ग्राम पंचायत-लहटोई विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-36- निजी श्रोत से आय-14 वें वित्त आयोग के अनुसार परफारमेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायत को निजी स्रोतों से अपने आय में वृद्धि करना है। इस हेतु रूपपत्र 7 काट कर सम्बन्धित को एक प्रति निर्गत किया जाना चाहिए और प्राप्त आय की प्रविष्टि कोषबही में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्था को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्पष्ट जानकारी हो सके। निजी श्रोत से आय प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निविदा शुल्क के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 00.00 प्राप्त हुए हैं। वर्ष में ग्राम सभा में कुल 17 कार्य कराये गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रति कार्य अगर न्यूनतम तीन टेंडर फार्म बिक्री की गयी होती तब ग्राम कोष में 118.00 (जी एस टी सहित) की दर ये कुल 6018.00 जमा होते एवं निजी आय होती। ऐसा ना कर के सचिव ने ग्रामकोष को क्षति पहुँचाई है। अतः रुपये 6018.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव प्रमोद माहेश्वरी एवं ग्राम प्रधान से करके ग्राम कोष में जमा कराया जाना वांछित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 15)**

30- ग्राम पंचायत-दबथला विकास खण्ड-जवां जनपद अलीगढ़ -

प्रस्तर-37- दिनांक 30.06.2014 को बैंक निकासी रुपये 55.00 का अहरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। यह राशि का अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 17)**

प्रस्तर-38 दिनांक 29.08.2014 को चैक संख्या-815956 द्वारा संग्राम सिंह, जो कि पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी में कार्यरत वेतनभोगी श्रमिक है, को रुपये 20000.00 का भुगतान मस्टर रोल (प्रमाणक संख्या-17) के विरुद्ध किया गया दर्शित है। यह वेतन भोगी कर्मचारी को श्रमिक दर्शाकर धन अपहरण का उदाहरण प्रतीत होता है। अतः इसके लिए तत्कालीन सचिव एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 18)**

प्रस्तर -39- आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में निम्नोक्त व्यय प्रमाणकों को प्रवाली में अनुपलब्ध पाया गया-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	प्रमाणक संख्या	वस्तुस्थिति	टिप्पणी
17-03-15	700241	66000.00	44	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
17-03-15	700242	44000.00	45	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
17-03-15	700243	44000.00	46	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
18-03-15	700244	29000.00	47	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
20-03-15	700245	44000.00	48	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
24-03-15	700246	20000.00	49	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
25-03-15	700247	33000.00	50	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
25-03-15	700248	14500.00	51	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
04-04-15	700249	44000.00	01	अनुपलब्ध	अपहरण (पंचायती राज विभागीय लेखा मैनुअल अध्याय-8 प्रस्तर 8(क))
योग रु0		338500.00			

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा-8 के अनुसार समस्त धनराशि 338500.00 को अपहरण में वर्गीकृत कर सम्बन्धित सचिव/सचिवों एवं ग्राम प्रधान से उक्त की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या -19)**

31- ग्राम पंचायत-फरीदपुर तातारगढ़ी विकास खण्ड-जवां जनपद अलीगढ़

प्रस्तर-40- निजी श्रोत से आय-14 वें वित्त आयोग के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायत को निजी स्रोतों से अपने आय में वृद्धि करना है। इस हेतु रूपपत्र 7 काट कर सम्बन्धित को एक प्रति निर्गत किया जाना चाहिए और प्राप्त आय की प्रविष्टि कोषबही में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्था को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्पष्ट जानकारी हो सके। निजी श्रोत से आय प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निविदा शुल्क के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 00.00 प्राप्त हुए हैं। वर्ष में ग्राम सभा में कुल पाँच कार्य कराये गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रति कार्य अगर न्यूनतम तीन टेंडर फार्म बिक्री की गयी होती तब ग्राम कोष में 118.00 (जी एस टी सहित) की दर ये कुल 2700.00 जमा होते एवं निजी आय होती। ऐसा ना कर के सचिव ने ग्रामकोष को क्षति पहुँचाई है। अतः रुपये 2700.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव प्रमोद माहेश्वरी एवं ग्राम प्रधान से करके ग्राम कोष में जमा कराया जाना वांछित है। (मूल आपत्ति संख्या- 15)

32- ग्राम पंचायत-जमालपुर सिया विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-41- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2018-19 का कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण व्यय पत्रावली या फिर स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 5757380.75 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 17)

33- ग्राम पंचायत-जंगल गढ़ी विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-42- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 का कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली, एम0 बी0 स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 1980832.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

34- ग्राम पंचायत-कस्तरी वैश्य विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -43- आलोच्य वर्षों 2017-18 से 2018-19 की लेखापरीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा कोई भी प्रमाणक या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के पैरा-8, प्रावधान-8(क) के अनुसार इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग रु0 4306647.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 6)

35- ग्राम पंचायत-खेरपुरा विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -44- आलोच्य वर्ष में रुपये 52500.00 का कुल मानदेय प्रधान को भुगतान के संदर्भ में मानदेय पत्रिका प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त व्यय को अनियमित व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इसके प्रति सचिव एवं ग्राम प्रधान से उत्तर अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

36- ग्राम पंचायत-खुर्दखेड़ा विकास खण्ड -जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -45- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2018-19 का कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली, एम0 बी0 स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय

के सम्पूर्ण व्यय रुपये 4592954.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 16)

37— ग्राम पंचायत—कीढारा विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर—46— निजी श्रोत से आय—14 वें वित्त आयोग के अनुसार परफारमेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायत को निजी स्रोतों से अपने आय में वृद्धि करना है। इस हेतु रूपपत्र 7 काट कर सम्बन्धित को एक प्रति निर्गत किया जाना चाहिए और प्राप्त आय की प्रविष्टि कोषबही में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्था को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्पष्ट जानकारी हो सके। निजी श्रोत से आय प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निविदा शुल्क के रूप में वर्ष 18—19 में रु0 00.00 प्राप्त हुए हैं। वर्ष में ग्राम सभा में कुल 7 कार्य कराये गए हैं। नियमतः ऐसी स्थिति में प्रति कार्य अगर न्यूनतम तीन टेंडर फार्म बिक्री की गयी होती तब ग्राम कोष में 118.00 (जी एस टी सहित) की दर ये कुल 2478.00 जमा होते एवं निजी आय होती। ऐसा ना कर के सचिव ने ग्रामकोष को क्षति पहुँचाई है। अतः रुपये 2478.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान से करके ग्राम कोष में जमा कराया जाना वांछित है। **(मूल आपत्ति संख्या – 15)**

38— ग्राम पंचायत—मुजफ्फरा विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —47— लेखा परीक्षा के समयान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की एम0बी0 प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। जिसके कारण सभी विकास कार्यों के पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः विकास कार्यों की आंगणित सम्पूर्ण राशि रु0 668851.00 को अनियमितता में वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि उक्त विषयों से सम्बन्धित राशियों का मिलान एम0बी0 से किया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या – 16)**

39— ग्राम पंचायत—पड़का विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —48— लेखा परीक्षा के समयान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की एम0बी0 प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। जिसके कारण सभी विकास कार्यों के पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः योजनागत श्रेणी में वर्गीकृत विकास कार्यों की आंगणित सम्पूर्ण राशि रु0 128287.00 को अनियमितता में वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि उक्त विषयों से सम्बन्धित राशियों का मिलान एम0बी0 से किया जाना कार्यों की वस्तुनिष्ठता की जाँच के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या – 16)**

40—ग्राम पंचायत—पड़की विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —49— लेखा परीक्षा के समयान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की एम0बी0 प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। जिसके कारण सभी विकास कार्यों के पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः योजनागत श्रेणी में वर्गीकृत विकास कार्यों की आंगणित सम्पूर्ण राशि रु0 1425063.00 को अनियमितता में वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि उक्त विषयों से सम्बन्धित राशियों का मिलान एम0बी0 से किया जाना कार्यों की वस्तुनिष्ठता की जाँच के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या – 16)**

41— ग्राम पंचायत—रामनगर विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —50— लेखा परीक्षा के समयान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव वर्ष 2018—19 के योनांतर्गत श्रेणीबद्ध निर्माण कार्यों की एम0बी0 प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। जिसके कारण सभी विकास कार्यों के पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः योजनागत श्रेणी में वर्गीकृत विकास कार्यों की आंगणित सम्पूर्ण राशि रु0 158168.00 को अनियमितता में वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि उक्त विषयों से सम्बन्धित राशियों का मिलान एम0बी0 से किया जाना कार्यों की वस्तुनिष्ठता की जाँच के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या – 16)**

प्रस्तर -51- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 का कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली, एम0 बी0 स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 518154.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या - 17)

42- ग्राम पंचायत-समसपुर कोटा विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -52- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2018-19 का कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली, एम0 बी0 स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 2745577.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

43- ग्राम पंचायत-सिकन्दरपुर कोटा, विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़:-

प्रस्तर-53- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2018-19 का कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली, एम0 बी0 स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका आदि को सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यह सम्बन्धित सचिवों के स्तर पर लापरवाही एवं प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। अतः उक्त समय के सम्पूर्ण व्यय रुपये 5798153.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

44-ग्राम पंचायत-सुनाना विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -54- आलोच्य वर्षों 2018-19 की लेखापरीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा कोई भी प्रमाणक या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग रु0 2012796.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

45- ग्राम पंचायत-सुमेरपुर विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर - 55 आलोच्य वर्षों 2017-18 से 2018-19 की लेखापरीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा कोई भी प्रमाणक या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग रु0 1610021.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 15)

46- ग्राम पंचायत-सुमेर दरियापुर विकास खण्ड-जवां जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -56- आलोच्य वर्षों 2017-18 से 2018-19 की लेखापरीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा कोई भी प्रमाणक या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग रु0 5520901.00 को अपहरण की श्रेणी

में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या – 16)

47— ग्राम पंचायत—साथा विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर –57— निजी श्रोत से आय-14 वें वित्त आयोग के अनुसार परफारमेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायत को निजी स्रोतों से अपने आय में वृद्धि करना है। इस हेतु रूपपत्र 7 काट कर सम्बन्धित को एक प्रति निर्गत किया जाना चाहिए और प्राप्त आय की प्रविष्टि कोषबही में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्था को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्पष्ट जानकारी हो सके। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 शून्य प्राप्त हुए हैं। निजी श्रोत से आय प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत को निविदा शुल्क के रूप में वर्ष 18-19 में रु0 00.00 प्राप्त हुए हैं। वर्ष में ग्राम सभा में कुल 10 कार्य कराये गए हैं। नियमतः ऐसी स्थिति में प्रति कार्य अगर न्यूनतम तीन टेंडर फार्म बिक्री की गयी होती तब ग्राम कोष में 118.00 (जी एस टी सहित) की दर ये कुल 3540.00 जमा होते एवं निजी आय होती। ऐसा ना कर के सचिव ने ग्रामकोष को क्षति पहुँचाई है। अतः रुपये 3540.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान से करके ग्राम कोष में जमा कराया जाना वांछित है।
(मूल आपत्ति संख्या – 15)

48— ग्राम पंचायत—बास सुदामा विकास खण्ड—गोण्डा जनपद—अलीगढ़

प्रस्तर—58— वर्तमान सचिव श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया कि मेरे पूर्व तैनात सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से कोई भी अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुये। उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 व 2015-16 तक की अवधि के कोई भी अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2011-12 से 15-16 तक की अवधि के व्यय निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा	व्यय धनराशि
2011-12	144702.00
2012-13	315800.00
2013-14	632174.00
2014-15	827376.00
2015-16	256870.00
योग	2176922.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक रु0 2176922.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्वीकृति कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 2176922.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त प्रस्तर 8(क) के अनुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हाकिम सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल, श्री किशन लाल व श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है।

49— ग्राम पंचायत—टमौटिया विकास खण्ड—गौण्डा जनपद—अलीगढ़

प्रस्तर –59— वर्तमान सचिव श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री के0 के0 शर्मा, ग्राम पंचायत टमौटिया के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 15-16 की कैशबुक व बैंक पासबुक के अलावा व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना आदि चार्ज में नहीं दिये गये। उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	1099907.00
2014-15	557141.00
2015-16	00.00
योग	1657048.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 1657048.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 1657048.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री के0 के0 शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है।

50- ग्राम पंचायत-कलुआ बेलौठ विकास खण्ड-गौण्डा जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर -60- लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित द्वारा ग्राम पंचायत बेलौठ के वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2011-12	603580.00
2012-13	712450.00
2013-14	1794590.00
2014-15	956190.00
2015-16	568715.00
योग	4635525.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक रु0 4635525.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 4635525.00 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाब सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार दीक्षित से करायी जानी अपेक्षित है।

51- ग्राम पंचायत-खेड़ा सत्तू विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -61- लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शरद कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत खेड़ा-सत्तू के वित्तीय वर्ष 2013-14 व 14-15 के कोई भी अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुये हैं। तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के केवल कैशबुक उपलब्ध, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त के क्रम में स्पष्ट है। उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 14-15 तक के व्यय के आंकड़े बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त किये गये हैं। तथा 2015-16 के व्यय उपलब्ध कैशबुक से प्राप्त किये गये हैं। इसका विवरण निम्नवत है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	993055.00
2014-15	1562956.00
2015-16	496638.00

योग	3052649.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 3052649.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 में कुल व्यय रु0 3052649.00 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती देवो देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से करायी जानी अपेक्षित है।

52-ग्राम पंचायत-चीती विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -62- लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री ओमप्रकाश द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री ओमप्रकाश (सेवानिवृत्त) द्वारा ग्राम पंचायत चीती के वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 तक के व्यय आंकड़े प्रिया सॉफ्ट फीडिंग से प्राप्त किये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त के क्रम में उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 तक प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	150345.00
योग	150345.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल रु0 150345.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2015-16 में कुल व्यय रु0 150345.00 उक्त ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीरवि कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश (सेवानिवृत्त) से करायी जानी अपेक्षित है।

53- ग्राम पंचायत-मीरपुर दहोड़ा विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -63- वित्तीय वर्ष 2013-14 व 14-15 की प्राप्त कैशबुक के अनुसार क्रमशः व्यय रु0 1709535.00 व रु0 1919733.00 व्यय दर्शित है। जबकि बैंक खाता/बैंक स्टेटमेंट के मिलान हेतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर वर्ष 2013-14 व 14-15 में क्रमशः रु0 2553525.00 व रु0 2123703.00 अंकित है। जबकि कैशबुक व प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आंकड़ों में विचलन पाया गया है। उक्त के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये हैं। अतः दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -64- वित्तीय वर्ष 2015-16 की माह अप्रैल 15 से जुलाई 15 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। प्रिया साफ्ट फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 4 माह का कुल व्यय रु0 344900.00 दर्शित है दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। जबकि माह अगस्त 15 से मार्च 16 तक की कैशबुक के अनुसार कुल व्यय रु0 139993.00 दर्शित है। लेकिन प्रिया साफ्ट फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार कुल व्यय रु0 493893.00 है। दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। अतः दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उक्त के क्रम में उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि

2013-14	2553525.00
2014-15	2126703.00
2015-16	493893.00
योग	5174121.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल रु0 5174121.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 5174121.00 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनवीर सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश (सेवानिवृत्त) से करायी जानी अपेक्षित है।

54- ग्राम पंचायत-सिन्धौली खुर्द विकास खण्ड-बिजौली जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -65- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत सिन्धौली खुर्द में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कोषबही अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है जिसका प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

	निर्माण सामग्री	मिट्टी/मजदूरी	प्रकाश व्यवस्था	हैण्डपम्प	अन्य
2014-15	192500.00	166628.00	10000.00	135000.00	70107.00
2015-16	82500.00	57835.00	10000.00	61468.00	25574.00
कुल व्यय 811612.00					

परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में अंकन 811612.00 रु0 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -66- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में ग्राम प्रधान का मानदेय निम्न प्रकार दिया गया है।

दिनांक	धनराशि	माह
15-05-2015	5000.00	कोषबही में अंकित नहीं। लेखा परीक्षा अनुसार अप्रैल 2015 एवं मई 2015 का मानदेय क्योंकि मार्च 2015 तक का मानदेय दिया जा चुका है।
02-09-2015	15000.00	जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 2015
18-02-2015	5000.00	दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016

यहाँ उल्लेखनीय यह है कि नवम्बर एवं दिसम्बर 2015 में पंचायत चुनाव होने के कारण उक्त दोनों महीनों का मानदेय नहीं था अतः नवम्बर एवं दिसम्बर का मानदेय 5000.00 (2500.00 x 2) देना गलत एवं वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

55- ग्राम पंचायत-रसैनी विकास खण्ड-बिजौली जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -67- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पास-बुक अनुसार चैक नं0 181396 से दिनांक 01-05-15 को 10000.00 का आहरण, पुनः खाते में वापस एवं पुनः आहरण दर्शित है इस प्रकार चैक नं0 18139 से 10000.00 ही आहरित हुआ है जबकि कोषबही में दिनांक 01-05-15 को चैक नं0 181390, 181391 एवं 181396 से 30000.00 का आहरण दर्शित है जबकि बैंक पासबुक अनुसार चैक नं0 181390, 181391 से में कोई आहरण नहीं है उक्त काल्पनिक आहरण के सापेक्ष व्यय पक्ष में 01-05-15 को 30000.00 की ईट क्रय दर्शित है। इसी प्रकार इसी माह में दिनांक 06-05-15 को चैक नं0 181397 से महेश चन्द्र को 10000.00 एवं 19-05-15 को चैक नं0 181395 से 2000.00 अशोक कुमार को ट्रान्सफर किया गया है लेकिन कोषबही में इनसे कोई सामग्री/सेवा प्राप्त दर्शित नहीं है। कोषाबही के व्यय पक्ष में इस धनराशि के सापेक्ष संदीप ईट उद्योग से 30000.00 की काल्पनिक एवं फर्जी ढंग से ईट क्रय दर्शाकर प्रेमशंकर से भिखारी तक नाली खडंजा निर्माण दर्शाकर मजदूरी के रूप में 10143.00 का भुगतान दर्शित है। इस प्रकार माह का 60,000.00 की क्रय ईट एवं 10143.00 की मजदूरी कुल रु0 70143.00 का व्यय काल्पनिक एवं फर्जी है। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -68- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 14-02-15 को पास-बुक अनुसार चैक नं0 147211 एवं 147212 से क्रमशः 30000.00 एवं 147212 से क्रमशः 30000.00 एवं 35000.00 का ट्रान्सफर

अशोक कुमार के खाते में किया जाना दर्शित है जबकि कोषबही के व्यय पक्ष में अशोक कुमार के नाम से कोई भुगतान नहीं है इसी दिनांक कोषबही के व्यय पक्ष में 65000.00 का भुगतान संदी ईट उद्योग को दर्शित है। जब ईट क्रय करनी थी तो चेक संदी ईट उद्योग के नाम पर निर्गत न कर अशोक कुमार के नाम निर्गत करना औचित्य से परे है। लेखा परीक्षा अनुसार फर्जी/काल्पनिक ढंग से ईट क्रय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में ग्राम प्रधान एवं सचिव (तत्कालीन) से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -69- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कोषबही अनुसार 308438.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय की पूर्ति में बाउचर के अलावा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है जिसका प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सन्तोषजनक परिपालन न प्राप्त होने की स्थिति में ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

56-ग्राम पंचायत-धुरा टोडर पुर विकास खण्ड-बिजौली जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -70- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में सी0 सी0 रोड से हरी सिंह के घर तक इण्टरलॉक होना दर्शित है। मस्टररोल अनुसार यह कार्य दिनांक 19.10.17 से 23-10-17 तक हुआ है। मस्टररोल अनुसार एक राजमिस्त्री एवं तीन मजदूरों को कुल 4990.00 का भुगतान दर्शित है लेकिन क्रमांक 4 के मजदूर का नाम व हस्ताक्षर मस्टररोल पर अंकित नहीं है केवल उपस्थिति दर्शाकर 870.00 रु0 (3 X 290) का भुगतान फर्जी तरीके से दर्शाया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 71- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में दिनांक 23-12-17 से 29-12-2017 तक भीमराव अम्बेडकर पार्क की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण मस्टररोल अनुसार होना दर्शित है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि जब दिवाल निर्माण होगा तो पहले नींव खुदायी करवायी जायेगी इसके लिये पहले मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ेगी लेकिन मस्टररोल में पहले ही दिन से 13 राजमिस्त्री लगाने का कोई औचित्य नहीं है लेखा परीक्षा अनुसार कम-से-कम 11 राजमिस्त्री का पहले दो दिन का भुगतान 7920 (22 X 360) फर्जी एवं वसूली योग्य है। तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 72- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में अम्बेडकर पार्क के पास टिन-शेड की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 21-12-18 से 27-12-2018 तक होना मस्टररोल में दर्शित है। यहाँ भी उक्त कार्य जैसे पहले ही दिन से 9 राजमिस्त्री कार्य करते दर्शित हैं लेखा परीक्षा अनुसार कम से कम 7 राजमिस्त्री का भुगतान फर्जी एवं वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। सात राजमिस्त्रियों का दो दिन का भुगतान - 14 X 360 = 5040

57- ग्राम पंचायत-प्यावली विकास खण्ड-बिजौली जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -73- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 18-06-2014 को आर0 एस0 ब्रिक को चेक नं0 348073 एवं 348075 से 15000-15000 का चेक निर्गत होना कोषबही के आय पक्ष में दर्शित है लेकिन कोषबही के जून 2014 के व्यय पक्ष में मात्र 5040रु0 का ही ईट क्रय दर्शित है तथा शेष राशि मिट्टी एवं खड्जा निर्माण की मजदूरी पर फर्जी एवं काल्पनिक ढंग से भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार अवशेष धनराशि 24960 से क्रय ईट का उपयुक्त ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

58- ग्राम पंचायत-गान्धी ग्राम विकास खण्ड-इगलास जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -74- ग्राम पंचायत गान्धी ग्राम की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष 18-19 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4083271.00 का व्यय किया गया है परन्तु इस व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति टेण्डर/कुटेशन पत्रावली/उपभोग प्रमाणपत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से धनराशि के

दुरुपयोग की संभावना प्रतीत होती है। अतः रु0 4083271.00 को गबन मानते हुए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत श्री बिहारी लाल ग्रा0 पं0 अधि0 तथा श्री किशन कुमार ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

59— ग्राम पंचायत—जारौठ विकास खण्ड—इगलास जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —75— ग्राम पंचायत जारौठ की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018—19 में रु0 1757620.00 का व्यय किया गया है परन्तु इस व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति टेण्डर/कुटेशन पत्रावली/उपभोग प्रमाणपत्र एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से इस धनराशि के दुरुपयोग की संभावना प्रतीत होती है। अतः वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में दर्शित व्यय को गबन मानते हुए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु0 1757620.00 की वसूली श्री अरविन्द ग्रा0 प्र0 अधि0 तथा श्रीमती रीमा देवी ग्राम प्रधान से इसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

60— ग्राम पंचायत—नगला जार विकास खण्ड—इगलास जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —76— ग्राम पंचायत नगला जार की वर्ष 2012—13 से 2017—18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014—15 में रु0 439171.00, वर्ष 2015—16 में रु0 602008.00 व्यय, वर्ष 2016—17 में रु0 845021.00 व्यय, तथा वर्ष 2017—18 में रु0 1467040.00 व्यय किया गया है परन्तु इनसे संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति टेण्डर /कुटेशन पत्रावली/उपभोग प्रमाणपत्र एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन व्ययों के दुरुपयोग की संभावना प्रतीत होती है। अतः वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में दर्शित व्यय को गबन मानते हुए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु0 3553240.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश निराला ग्रा0 पं0 वि0 अधि0 श्रीमती शशि देवी शर्मा ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

61—ग्राम पंचायत—खेड़ा खुशखबर विकास खण्ड—लोधा जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर—77—वित्तीय वर्ष 2016—17 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि माह अप्रैल 2016 से लेकर अगस्त 2016 तक कुल 15 प्रमाणकों द्वारा रु0 202300.00 दर्शाये गये हैं। लेकिन दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। 15 व्ययों में से एक व्यय रु0 15000.00 प्रधान मानदेय के रूप में दर्शित है। जिसमें कोई अवधि अंकित नहीं की गयी। दूसरा व्यय मेज व कुर्सी खरीद रु0 17500.00 दर्शित है। इसके अलावा शेष 13 व्यय हैण्डपम्प मरम्मत के दर्शाये गये हैं। जिनका कुल व्यय रु0 169800.00 है। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक चार्ज में नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणकों के ही कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाये गये हैं। जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।”

अतः उक्त के क्रम में वर्ष 2016—17 में उक्त अवधि में दर्शित व्यय रु0 202300.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

62— ग्राम पंचायत—अमरपुर नहरा विकास खण्ड—लोधा जनपद—अलीगढ़ —

प्रस्तर —78— उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुये। बैंक पासबुक के अनुसार निम्न विवरण अनुसार आहरण हुआ है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुये। निधि प्रथम खाते से निम्न विवरण अनुसार आहरण किया गया है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	3426003.00
योग	342600.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल रु0 342600.00 का आहरण पासबुक के अनुसार दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कैशबुक व अन्य अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2015-16 में कुल आहरण रु0 342600.00 को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

63- ग्राम पंचायत-ल्हौसरा विसावन विकास खण्ड-लोधा जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -79- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 व 2015-16 के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुये। बैंक पासबुक के अनुसार निम्न विवरण अनुसार आहरण हुआ है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुये। निधि प्रथम खाते से निम्न विवरण अनुसार आहरण किया गया है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2014-15	546753.00
2015-16	207435.00
योग	754188.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कुल रु0 754188.00 का आहरण पासबुक के अनुसार दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कैशबुक व अन्य अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कुल आहरण रु0 754188.00 को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

64- ग्राम पंचायत-डिगसी विकास खण्ड-लोधा जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -80- लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा अपनी प्राप्त चार्ज सूची के माध्यम से अवगत कराया है कि प्राप्त अभिलेखों में वितीय वर्ष 2015-16 की कैशबुक व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा वर्ष 15-16 के व्यय आंकड़े, प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार प्राप्त किये गये हैं। व्ययों की पुष्टि के सापेक्ष में कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	155428.00
योग	155428.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल रु0 155428.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2015-16 में कुल आहरण रु0 155428.00 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

65- ग्राम पंचायत-शाहगढ़ विकास खण्ड-अकराबाद जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर - 81- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि 1 अनुसार कुल रु0 1853457.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली/उपभोग प्रमाणपत्र एम0 बी0 आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 1853457.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरपाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुजीब अहमद से करायी जानी अपेक्षित है।

66- ग्राम पंचायत-रायपुर मनीपुर विकास खण्ड-अकराबाद जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -82- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि 1 अनुसार कुल रु0 1361449.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली/उपभोग प्रमाणपत्र एम0 बी0 आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 1361449.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुजीब अहमद से करायी जानी अपेक्षित है।

67- ग्राम पंचायत-नानऊ विकास खण्ड-अकराबाद जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -83- आलोच्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्यों पर काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर मजदूरी पर रु0 552150.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	दिनांक	वाउचर/मस्टररोल संख्या	धनराशि
1.	19-07-17	9	70125.00
2.	26-07-17	12	31550.00
3.	31-07-17	20	67100.00
4.	01-08-17	21	90825.00
5.	02-08-17	24	51800.00
6.	08-08-17	25	41500.00
7.	16-08-17	26	44975.00
8.	24-08-17	30	7375.00
9.	29-08-17	34	13950.00
10.	20-10-17	41	44525.00
11.	26-10-17	44	46300.00
12.	28-10-17	46	42125.00
	योग		552150.00

उक्त धनराशि रु0 552150.00 के भुगतान में प्रस्तुत मस्टररोलों पर न तो श्रमिकों के नाम उल्लिखित है और न ही श्रमिकों के हस्ताक्षर पाये गये। अतः काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर रु0 552150.00 से पंचायत कोष क्षतिकारित किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीन बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0 - 25)

प्रस्तर -84- दिनांक 31-10-17 को व्यय प्रमाणक संख्या 51 द्वारा रु0 14000.00 का भुगतान मानदेय प्रधान माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2017 का 4 माह का किया जाना दर्शित है। जबकि दिनांक 31-07-17 को व्यय प्रमाणक संख्या 19 द्वारा रु0 28000.00 का मानदेय प्रधान का भुगतान माह दिसम्बर 16 से जुलाई 2017 तक किया जाना दर्शित है। इस प्रकार प्रधान जी को माह जुलाई 2017 का दो बार मानदेय का भुगतान किया गया। अतः रु0 3500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीन बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0 - 25)

68- ग्राम पंचायत-टण्डौली विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर -85- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2014-15	149000.00
योग	149000.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014-15 में रु0 149000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2014-15 में कुल व्यय रु0 149000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्री बंगाली सिंह व श्री उदयवीर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

69- ग्राम पंचायत-धन्सारी विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -86- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	1812357.00
2013-14	2317434.00
2014-15	1504382.00
2015-16	522780.00
योग	6156953.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु0 6156953.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 6156953.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्रीमती व श्री रंजीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

70- ग्राम पंचायत-काकाबेगपुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -87- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	394136.00
2013-14	739420.00
2014-15	940425.00
2015-16	314851.00
योग	2388834.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु0 2388834.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 2388834.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्री गुलफान सिंह व श्री ज्ञान सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

71- ग्राम पंचायत-बरला विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -88- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	1967650.00
2013-14	6001060.00
2014-15	7075645.00
2015-16	799303.00
योग	15843658.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु० 15843658.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु० 15843658.00 की ब्याज सहित वसूली (पूर्व) ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी व श्री उदयवीर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -89- आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों में से श्री देवेन्द्र सिंह के घर से सन्तोष फौजी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य में सामग्री पर व्यय रु० 486269.00 व मजदूरी पर रु० 120565.00 व फोटो पर रु० 166.00 कुल व्यय रु० 607000.00 कैशबुक में दर्शाया गया है। मजदूरी पर व्यय बैंक संख्या-40180 दिनांक 27-10-17 को पासबुक अनुसार भुगतान मैसर्स यतेन्द्र बिल्डिंग मैटेरियल को रु० 120731.00 का भुगतान किया गया। जिसमें कैशबुक में मजदूरी पर 120565.00 शेष फ़ोटोग्राफी पर रु० 166.00 का भुगतान दर्शाया गया है। रु० 120731.00 जब मैसर्स यतेन्द्र बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया है। उसे सामग्री प्राप्त न कर कैशबुक में मजदूरी व फोटोग्राफी पर व्यय दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय रु० 607000.00 फर्जी एवं काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री उदयवीर से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न हाने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -90- आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों में से श्री निरंजन के घर से जयपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य में सामग्री पर व्यय रु० 683473.00 व मजदूरी पर रु० 140310.00 व फोटो पर रु० 249.00 कुल व्यय रु० 824032.00 कैशबुक में दर्शाया गया है। इंगित कार्य की बाउचर फाइल निर्माण पत्रावली इत्यादि लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। कैशबुक अनुसार उक्त कार्य पर मजदूरी पर 140310.00 का व्यय दर्शित है। जबकि पासबुक अनुसार बैंक संख्या-40178 दिनांक 27-10-17 को रु० 140559.00 का आहरण यतेन्द्र बिल्डिंग मैटेरियल के नाम से दर्शित है। जिसमें से रु० 140310.00 मजदूरी पर शेष रु० 249.00 फोटो पर व्यय दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य पर दर्शित समस्त व्यय रु० 824032.00 फर्जी एवं काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री उदयवीर से स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्राप्त न हाने की दशा में की जानी अपेक्षित है। यहाँ उल्लेखनीय यह भी है उक्त निर्माण कार्य पत्रावली, बाउचर, एम० बी० आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

72- ग्राम पंचायत-कसेर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -91- उ० प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष

2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	1058930.00
2013-14	1269774.00
2014-15	1690567.00
2015-16	811068.00
योग	4830339.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु0 4830339.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 4830339.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीश वाल्मीकी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ढिल्लन सिंह, श्री चोखेलाल, श्री रहीस अहमद से करायी जानी अपेक्षित है।

73-ग्राम पंचायत-परौरा विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -92- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	598232.00
2013-14	1430946.00
2014-15	1261395.00
2015-16	362055.00
योग	3652628.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु0 3652628.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 3652628.00 की ब्याज सहित वसूली (पूर्व) ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत व श्री रामवीर ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

74- ग्राम पंचायत-टिकरी विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -93- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	469468.00
2014-15	673468.00
2015-16	151000.00
योग	1293936.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 1293936.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा

में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 1293936.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्रीमती फूलवती व श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

75- ग्राम पंचायत-दतावली विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -94- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	1603945.00
2013-14	2029922.00
2014-15	3299477.00
2015-16	1201249.00
योग	8134593.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 8134593.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 8134593.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्रीमती चमेली देवी व श्री उदयवीर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -95- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 माह अप्रैल से जून तक निधि प्रथम से रु0 1205000.00 आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 1205000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्रीमती हरदेवी व श्री उदयवीर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

76- ग्राम पंचायत-मुढ़ैल विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -96- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	278762.00
2013-14	801321.00
2014-15	501643.00
2015-16	237150.00
योग	1818876.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 1818876.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति,

प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 1818876.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धमेन्द्र कुमार व श्री उदयवीर सिंह व श्री रामवीर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

77- ग्राम पंचायत-अरनी विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -97- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि के अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	333470.00
2014-15	1163974.00
2015-16	543518.00
योग	2040962.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक रु0 2040962.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 2040962.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्रीमती राजबाला व श्री रंजीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

78- ग्राम पंचायत-पुरैनी इस्माइलपुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -98- दिनांक 11-03-13 में ग्राम निधि प्रथम में से चैक नं0 185030 से रु0 5000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। औश्र न ही इसके व्यय का लेखा परीक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः धनराशि रु0 5000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -99- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मस्टररोल नं0 16 द्वारा तिराहे से लेकर बलबीर के घर तक नाली खड़जा निर्माण हेतु कुल रु0 12264.00 की मजदूरी का भुगतान दर्शित है। जबकि मस्टररोल पर मात्र 03 मजदूरों के ही हस्ताक्षर हैं। अतः शेष 06 मजदूरों को किया गया भुगतान अंकन रु0 5964.00 काल्पनिक एवं फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -100- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि के अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में निम्न व्यय का कोई भी प्रमाधक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
05-09-12	न्यू पाइप ट्रेडर्स	15000.00
05-09-12	न्यू पाइप ट्रेडर्स	15000.00
12-12-12	न्यू पाइप ट्रेडर्स	15900.00
11-03-13	न्यू पाइप ट्रेडर्स	15000.00
	छात्रवृत्ति का विवरण	16800.00
योग	2040962.00	77700.00

अतः उक्त धनराशि अंकन रु0 77700.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

79- ग्राम पंचायत-फुसावली विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -101- उ0 प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि के अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

लेखा परीक्षा वर्ष	व्यय धनराशि
2012-13	403967.00
2013-14	1125727.00
2014-15	842809.00
2015-16	566850.00
योग	2939353.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक रु0 2939353.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल व्यय रु0 2939353.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम (पूर्व) प्रधान श्री भूरेलाल व श्री इन्द्रजीत एवं श्री प्रमेश कुमार ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

80- ग्राम पंचायत-ऊतरा भोजपुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -102- आलोच्य वर्ष 2013-14 में मस्टररोल संख-21 नाला सफाई एवं खुदाई दिनांक 06-10-13 से 12-10-13 तक व मस्टररोल संख्या 33 नाला निर्माण जूनियर हाईस्कूल से तालाब तक दिनांक 12-10-13 से 18-10-13 तक दर्शित है। जिसमें निम्न मजदूर 12-10-13 को (1) प्रेम सिंह पुत्र घोसी राम (2) रमेश पुत्र घूरी राम (3) 189 अशोक पुत्र किशनलाल (4) शंकर सिंह पुत्र लालमनराम (5) सोनू पुत्र अनीस खान (6) मोनू पुत्र अनीस खान दोनों कार्य पर उपस्थिति दर्शायी गई है। अतः 6 मानव दिवस की मजदूरी रु0 142 की दर से रु0 852.00 का फर्जी भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश पाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 103- उ0 प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्टपेयी चैक के माध्यम से किये जाने के निर्देश थे। परन्तु ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13, 13-14 व 15-16 में निम्न विवरण अनुसार निर्माण सामग्री नकद क्रय की जानी दर्शित है -

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1.	11-06-12	19250.00	कृष्णा ईट उद्योग
2.	19-06-12	19250.00	कृष्णा ईट उद्योग
3.	25-06-12	13400.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
4.	30-07-12	10450.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
5.	24-08-12	10450.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
6.	30-10-12	14000.00	कृष्णा ईट उद्योग
7.	24-01-13	25200.00	जे0 डी0 आर0ईट उद्योग
8.	31-01-13	18000.00	जे0 डी0 आर0ईट उद्योग
9.	15-03-13	23400.00	जे0 डी0 आर0ईट उद्योग
10.	29-03-13	39000.00	जे0 डी0 आर0ईट उद्योग
11.	01-06-13	15980.00	रुबी ट्रेडर्स
12.	29-08-13	14400.00	अमन ट्रेडर्स
13.	26-09-13	15000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
14.	09-10-13	25500.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी

15.	25-10-13	15600.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
16.	02-11-13	16000.00	अमन ट्रेडर्स
17.	25-05-15	55000.00	जे0 डी0 आर0ई0ट उद्योग
18.	04-06-15	16000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
19.	30-06-16	35000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
योग		400880.00	

उपरोक्त धनराशि रु0 400880.00 की निर्माण सामग्री नकद क्रय कर अनियमितता की गई। जिसके दोषी ग्राम प्रधान श्री नरेश पाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान हैं। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर -104- दिनांक 25-11-14 में चैक संख्या 14589 द्वारा रु0 5000.00 दिनांक 04-03-15 में चैक संख्या 14606 द्वारा रु0 5000.00 व दिनांक 26-06-15 में चैक संख्या 20164 द्वारा 5000.00 कुल रु0 15000.00 ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरण किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर रु0 15000.00का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश पाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -105- दिनांक 25-03-13 में चैक संख्या-1047 द्वारा रु0 21600.00 का बैंक से आहरण किया जाना दर्शित है जबकि कैशबुक में रु0 21000.00 की प्रविष्टि की गई तथा व्यय भी रु0 21000.00 का दर्शाया गया अतः रु0 600.00 का अन्तर रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश पाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

81- ग्राम पंचायत-छबीलपुर भोजपुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -106- उ0 प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्टपेयी चैक के माध्यम से किये जाने के निर्देश थे। परन्तु ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13 में निम्न विवरण अनुसार निर्माण सामग्री नकद क्रय की जानी दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1.	10-07-12	13000.00	पवन सप्लायर्स, छर्गा
2.	30-06-12	13500.00	पवन सप्लायर्स, छर्गा
3.	09-02-13	20000.00	संदीप ईट उद्योग
योग		46500.00	

उपरोक्त धनराशि रु0 46500.00 की निर्माण सामग्री नकद क्रय कर अनियमितता की गई। जिसके दोषी ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान हैं। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -107- दिनांक 24-04-14 में चैक संख्या 5748 द्वारा रु0 5000.00 ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरण किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर रु0 5000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -108- आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत में निम्न विवरण अनुसार छात्रवृत्ति वितरण की जानी अपेक्षित है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1.	31-05-12	11825.00	प्रा0 वि0 छबीलपुर
2.	30-09-12	4500.00	राजवती देवी प्रा0 वि0
3.	09-02-13	4500.00	राजवती देवी प्रा0 वि0
योग		20825.00	

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 20825.00 छात्रवृत्ति वितरण की जानी दर्शित है। जिसकी पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जबकि उ0 प्र0 सरकार द्वारा मई 2012 में ग्राम पंचायत द्वारा छात्रवृत्ति वितरण न करने के आदेश निर्गत कर दिये गये थे। तथा अवशेष छात्रवृत्ति को निर्धारित हैड में वापिस करने के आदेश थे। परन्तु ग्राम

पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।। उ० प्र० पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 क के अनुसार यदि व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में कोई भी बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए। व्यय की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जायेगी। अतः रु० 20825.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -109- दिनांक 18-11-14 को बैंक संख्या 961 द्वारा मैसर्स मंशा देवी ईट उद्योग को रु० 60000.00 का बैंक निर्गत करना बैंक पासबुक अनुसार दर्शित है। परन्तु कैशबुक में दिनांक 18-11-14 में रु० 50000.00 की ईट खरीद दर्शायी गयी है। अतः अन्तर रु० 10000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

82-ग्राम पंचायत-सिंहावली विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -110- उ० प्र० पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्टपेयी बैंक के माध्यम से किये जाने के निर्देश थे। परन्तु ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13 से 14-15 तक में निम्न विवरण अनुसार निर्माण सामग्री नकद क्रय की जानी दर्शित है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1.	06-07-12	17500.00	कृष्णा ईट उद्योग
2.	09-08-12	24500.00	कृष्णा ईट उद्योग
3.	18-04-13	9000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
4.	26-04-12	21000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
5.	26-11-13	18000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
6.	23-12-13	25600.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
7.	03-02-14	24000.00	कृष्णा ईट उद्योग
8.	28-02-14	13800.00	रुबी ट्रेडर्स
9.	12-03-14	23000.00	गुप्ता सीमेन्ट एजेंसी
10.	30-04-14	45000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
11.	29-05-14	63000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
12.	01-11-14	30000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
13.	14-11-14	40000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
14.	23-01-15	50000.00	जे० डी० आर०ईट उद्योग
योग		404400.00	

उपरोक्त धनराशि रु० 404400.00 की निर्माण सामग्री नकद क्रय कर अनियमितता की गई। जिसके दोषी ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान हैं। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -111- दिनांक 19-12-3 में बैंक संख्या 7785 द्वारा रु० 5000.00 दिनांक 02-02-15 में बैंक संख्या 13760 द्वारा रु० 5000.00 व दिनांक 26-02-15 में बैंक संख्या 14959 द्वारा 5000.00 कुल रु० 15000.00 ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरण किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर रु० 15000.00का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रोकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -112- आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत में निम्न विवरण अनुसार छात्रवृत्ति वितरण की जानी अपेक्षित है-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1.	18-05-12	18900.00	प्रा० वि० सिंहावली
2.	25-05-12	15760.00	जू० हाईस्कूल सिंहावली
3.	25-05-12	8640.00	जू० हाईस्कूल सिंहावली
4.	25-05-12	960.00	जू० हाईस्कूल सिंहावली
योग		44260.00	

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 44260.00 छात्रवृत्ति वितरण की जानी दर्शित है। जिसकी पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उ०

प्र० पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 क के अनुसार यदि व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में कोई भी बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए। व्यय की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जायेगी। अतः रु० 44260.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -113- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत में मस्ट्रोल नं० 45 के अनुसार दिनांक 23-12-12 से 29-12-12 तक ग्रामीण पाठशाला में फर्श निर्माण कार्य का होना दर्शित तथा मस्ट्रोल नं० 48 के अनुसार दिनांक 24-12-12 से 31-12-12 तक ग्राम पंचायत में नाला खुदाई कार्य हुआ है। उक्त मस्ट्रोल पर निम्न विवरण अनुसार कार्य करने वाले श्रमिक एक साथ दोनों जगह कार्य करते हुये दर्शित हैं।

क्र०सं०	मजदूर का नाम	पिता का नाम	अवधि	दर	धनराशि
1.	प्रदीप	राजवीर	24-12-12 से 29-12-12 तक	125	750.00
2.	टीकम	भूदेव	24-12-12 से 29-12-12 तक	125	750.00
3.	ज्ञानप्रकाश	हरप्रसाद	24-12-12 से 29-12-12 तक	125	750.00
4.	मेम्बर	श्रीराम	24-12-12 से 29-12-12 तक	125	750.00
	योग	44260.00			3000.00

इस प्रकार उक्त मजदूरों को किया गया रु० 3000.00 का भुगतान काल्पनिक एवं फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -114- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्ट्रोल की जाँचों में पाया गया कि कतिपय मस्ट्रोल पर मजदूरी के नाम व हस्ताक्षर नहीं पाये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	मस्ट्रोल संख्या	वर्ष	कार्य का विवरण	अवधि	धनराशि
1.	01	13-14	डाबर सड़क से प्रा० पाठशाला तक नाला व प्लास्टर कार्य	अज्ञात	12264.00
2.	06	13-14	डाबर सड़क से प्रा० पाठशाला तक नाला व प्लास्टर कार्य	अज्ञात	12264.00
3.	22	13-14	किशन सिंह के घर से जयसिंह व भगवान सिंह के घर तक नाला निर्माण	अज्ञात	12264.00
4.	21	13-14	किशन सिंह के घर से जयसिंह व भगवान सिंह के घर तक नाला निर्माण	अज्ञात	12264.00
5.	48	14-15	ग्राम सभा सिंहावली में खड्गजा निर्माण कार्य	25-10-15 से 31-01-15 तक	10360.00
	योग				59416.00

इस प्रकार उक्त मस्ट्रोलों द्वारा किया गया भुगतान रु० 59416.00 काल्पनिक एवं फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय चौहान से की जानी अपेक्षित है।

83-ग्राम पंचायत-सिखरना विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -115- वर्ष 2016-17 की कोषबही अनुसार दिनांक 01-04-2016 को छात्रवृत्ति खाते में शेष रु० 88997.00 एवं एम० डी० एम० खाते में 102824.00 रु० अवशेष दर्शित है। वर्ष 2016-17 एवं इसके बाद के वर्षों में कोषबही में उक्त खातों से कोई लन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है न ही इन खातों की बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। विभाग द्वारा इन खातों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है इतनी अधिक धनराशि सम्बन्धित विभाग को न वापस कर खाते में रोके रखना गम्भीर अनियमितता है न ही कोषबही में बैंक खाते में शेष की प्रविष्टि की गयी है जिससे वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में 191821.00 रु० से अन्तर भी है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त खातों का सत्यापन कर अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस कराया जाना चाहिए एवं उत्तरदायी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -116- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 04-03-15 को बैंक नं० 15406 से बैंक से रु० 6000.00 का आहरण किया गया है लेकिन कोषबही में प्रविष्टि मात्र 5000.00 रु० की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में दिनांक 04-09-15 को बैंक से बैंक नं० 18467 से रु० 5800.00 का आहरण किया गया है लेकिन कोषबही में प्रविष्टि मात्र 5000.00 रु० की गयी है। इस प्रकार दोनों बैंकों से आहरित धनराशि 1800.00 रु० (1000 + 800) से कम धनराशि से प्रविष्टि कोषबही में की गयी है। लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि के व्यय का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया अतः 1800.00 रु० की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -117- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में निम्न विवरण अनुसार व्यय धनराशि का कोई बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक		धनराशि
19-05-12	छात्रवृत्ति वितरण जू० हा० स्कूल दहेली	5480.00
19-05-12	छात्रवृत्ति वितरण प्रा० स्कूल दहेली	8350.00
27-05-13	पंचायत कर जमा	1000.00
27-05-13	पंचायत लाभ निधि	800.00
योग		15630.00

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि व्यय की धनराशि के सापेक्ष बाउचर उपलब्ध नहीं है तो व्यय समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।। अतः उक्त विवरण अनुसार व्यय रु० 15630.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

84- ग्राम पंचायत-सिरौली विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -118- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि व्यय की धनराशि के सापेक्ष बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत सिरौली में वर्ष 2012-13 से 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं। व्यय की पुष्टि में बाउचर, टेण्डर-कुटेशन पत्रावली, स्टीमेट, एम० बी० सजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
1.	2012-13	467658.00
2.	2013-14	957123.00
3.	2014-15	955004.00
4.	2015-16	328421.00
5.	2016-17	956214.00
6.	2017-18	1118015.00
7.	2018-19	1659394.00 सामग्री- 1076668.00 मिट्टी- 21450.00 मजदूरी- 336310.00 हैण्डपम्प- 141144.00 अन्य व्यय-83822.00 कुल रु० 1659394.00
योग		6441829.00

प्रस्तर -119- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में बैंक पासबुक अनुसार जुलाई 2018 में से रु० 835.00 एवं अगस्त 18 में रु० 177.00 (147.00 एवं 30.00 रु०) का आहरण है लेकिन कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी है तथा सितम्बर 2018 में कोषबही की जाँच में पाया गया कि व्यय अंकन 112 रु० से अधिक अर्थात् नगद शेष कम दर्शित है। इस प्रकार कोषबही अनुसार वर्ष के आय-व्यय में 900.00 रु० का अन्तर है। परिपालन सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -120- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में बैंक पासबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार धन का आहरण किया गया है लेकिन उसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है न ही उसके व्यय का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में निम्न धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक नं०	धनराशि
04-04-18	324378	50000.00
17-05-18	324381	7700.00
28-05-18	324380	214000.00
योग		271700.00

85- ग्राम पंचायत-पहाड़ीपुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -121- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत पहाड़ीपुर में वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निम्न प्रकार व्यय दर्शित हैं (प्रिया साफ्ट अनुसार)। व्यय की पुष्टि में मैनुअल कोषबही, बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त वर्षों में व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
1.	2012-13	953971.00
2.	2013-14	627476.00
3.	2014-15	1306731.00
4.	2015-16	746405.00
योग		3634583.00

86- ग्राम पंचायत-मदापुर विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -122- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत मदापुर में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं। व्यय की पुष्टि में बाउचर, निर्माण कार्य फाइल/पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
1.	2012-13	908900.00
2.	2013-14	1240358.00
3.	2014-15	1598368.00
4.	2015-16	471668.00
5.	2016-17	1183170.00
6.	2017-18	1859077.00
7.	अप्रैल 18 से जून 2018 तक	781650.00
योग		8043191.00

87- ग्राम पंचायत-भोनई विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -123- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
	2011-12	159815.00
1.	2012-13	288419.00
2.	2013-14	188810.00
3.	2014-15	620074.00
4.	2015-16	206680.00
योग		1463798.00

उत्तरदायी व्यक्ति –प्रधान – कमलेश देवी सचिव – श्री भगवान सिंह एवं श्री रंजीत सिंह उक्त की सी0 आर0 एवं टेण्डर, कुटेशन पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी। (आख्या सं0 – 22)

प्रस्तर –124– ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार फर्मों को रु0 2000.00 से ऊपर के समस्त भुगतान एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से अधिकतर फर्मों को नकद रूप में भुगतान किया है जबकि उन्हीं फर्मों को कहीं-कहीं एकाउण्टपेयी चेक भी दिया है। सचिव एवं प्रधान द्वारा नकद रूप से धन आहरण कर अनियमित रूप से फर्मों को बिना टेण्डर/कुटेशन के किया गया है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।-

दिनांक	सामग्री	धनराशि	फर्म का नाम
30-06-12	ईट	30600.00	अज्ञात
30-07-12	ईट	18000.00	अज्ञात
06-08-12	ईट	18000.00	अज्ञात
22-09-12	ईट	34020.00	अज्ञात
27-12-13	ईट	13600.00	अरुण ब्रिक
12-06-14	ईट	25000.00	अरुण ब्रिक
08-07-14	ईट	20000.00	अरुण ब्रिक
07-08-14	ईट	25000.00	अरुण ब्रिक
30-08-14	ईट	25000.00	अरुण ब्रिक
30-09-14	ईट	25000.00	अरुण ब्रिक
21-10-14	ईट	17000.00	अरुण ब्रिक
19-11-14	ईट	20000.00	अरुण ब्रिक
योग		271220.00	

(आख्या सं0 – 23)

प्रस्तर –125– लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति एवं एम0 डी0 एम0 की पास-बुक प्रस्तुत नहीं की गयी। 01-04-2011 के अनुसार एम0 डी0 एम0 खाते का शेष 237335.00 रु0 दर्शित है। 2012-13 तक छात्रवृत्ति वितरण उपरान्त कोषबही के आय-व्यय अनुसार 155542.00 होना चाहिए तथा कोषबही वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कोषबही अनुसार प्राप्त ब्याज के उपरान्त 31-03-15 को खाते का शेष 167205.00 रु0 होता है। जबकि कोषबही में 31-03-15 को 153170.00 दर्शित है। उक्त खातों में अवशेष धनराशि की प्रविष्टि आगे की कोषबही में भी नहीं की गयी है न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किये जाने का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। अवशेष धनराशि को खाते में रखना या कोषबही में प्रविष्टि न करना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है शेष धनराशि का दुरुपयोग भी हो सकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आख्या सं0 – 25)

प्रस्तर – 126– 31-03-2012 को कोषबही के अनुसार छात्रवृत्ति मद का रु0 600.00 शेष दर्शित है लेकिन इस धनराशि को अगले वर्ष छात्रवृत्ति मद पर न व्यय कर अन्य मद पर व्यय कर दिया गया है जो अनियमित है। छात्रवृत्ति मद की अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आख्या सं0 – 24)

प्रस्तर –127– लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में कोषबही अनुसार 75240.00 एवं 2012-13 में 12120.00 रु0 छात्रवृत्ति वितरण दर्शित हैं लेकिन छात्रवृत्ति वितरण का कोई साक्ष्य/प्रमाण पत्र स्वीकृति सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार उक्त व्यय बाउचर/प्रमाणक के अभाव में गबन माना जायेगा। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आख्या सं0 – 26)

प्रस्तर –128– लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में जून माह में आय पक्ष का योग कोषबही में 104725.00 अंकित है जबकि ऑडिट अनुसार आय पक्ष का योग रु0 114725.00 होगा एवं व्यय पक्ष का योग 95950.00 होगा। इस प्रकार नकद शेष रु0 18735.00 होगा जबकि कोषबही में रु0 8775.00 कर अंकन रु0 10000.00 का नकद अपहरण तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आख्या सं0 – 27)

प्रस्तर -129- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में जुलाई के आय पक्ष का योग रु0 74442.00 अंकित है जबकि ऑडिट अनुसार रु0 69942.00 होगा। इस प्रकार रु0 4500.00 से अधिक व्यय दर्शाकर फर्जी कैशबुक तैयार की गयी है। जो अनियमितता एवं गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आख्या सं0 - 28)

88- ग्राम पंचायत-सुनहरा विकास खण्ड-गंगीरी जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -130- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मस्टररोलों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोलों पर धनराशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः बिना धनराशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराये धनराशि का व्यय दर्शाना धनराशि का अपहरण है। इस प्रकार फर्जी मस्टररोलों से कराये गये समस्त निर्माण कार्य पर हुआ व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से परिपालन सन्तोषजनक प्राप्त न होने की दशा में कराया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	एम0 आर0 नं0	कार्य का विवरण	मस्टररोल की धनराशि	वर्ष	वर्ष में निर्माण सामग्री पर व्यय
1.	4	गुलशन मियों के घर से नूरमुहम्मद के ट्यूबवेल तक नाली निर्माण	5000.00	2013-14	164100.00
2.	8	पोखर से हरी सिंह के घर तक नाली निर्माण	9344.00	2013-14	
3.	13	प्रा0 पाठशाला चौराहा पर नाली खड़जा निर्माण	11680.00	2013-14	
4.	16	पोखर से होली तक नाली खड़जा कार्य	8760.00	2013-14	
5.	7	जिमल के ट्यूबवेल से उदल तक यू टाइप नाली निर्माण	11392.00	2014-15	356800.00
6.	11	सोरन सिंह के घर से बाबू सिंह तक नाली निर्माण	7900.00	2014-15	
7.	13	सोरन सिंह के घर से बाबू सिंह तक खड़जा निर्माण	19936.00	2014-15	
8.	21	गवेन्द्र के घर से त्रिमल के ट्यूबवेल तक खड़जा निर्माण	22784.00	2014-15	
9.	5	गुलशन से पवन तक तक खड़जा निर्माण कार्य	5096.00	2015-16	30000.00
		योग	101892.00		550900.00
		कुल योग	101892.00 + 550900.00 = 652792.00		

उक्त कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

प्रस्तर -131- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13 में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं। व्यय की पुष्टि में बाउचर, कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में की जानी अपेक्षित है।

समग्री	मजदूरी/मिट्टी	हैण्डपम्प	अन्य व्यय	योग
212000.00	71110.00	26500.00	46645.00	356255.00

प्रस्तर -132- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में बैंक पासबुक एवं बाउचरों की जाँच में पाया गया कि बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार धनराशि का आहरण किसी फर्म द्वारा जबकि बाउचर किसी दूसरे फर्म का संलग्न है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक एवं राजकीय धन का दुरुपयोग लगता है। परिपालन सन्तोषजनक न होने की दशा में निम्न धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक नं०	बैंक स्टेटमेंट द्वारा धनराशि प्राप्तकर्ता फर्म	संलग्न बाउचर	दिनांक	धनराशि
1.	08-03-14	182244, 45, 46, 47, 41, 42, 43	15000.00 x 7 = 105000.00 शिव शक्ति ईट उद्योग	न्यू गोगा ईट उद्योग	21-03-14 09-03-14	52800.00 55000.00
2.	16-06-14	9754	15000.00 खुशी ईट उद्योग	बोहरे ईट उद्योग	16-06-14	17500.00
3.	30-01-15	12996, 97, 98, 99 15000.00 x4 = 60000.00	शिव शक्ति ईट उद्योग	न्यू गोगा ईट उद्योग	30-01-15	90000.00 (30000.00 नकद)
4.	06-02-15	13010, 13001, 13002 15000.00 x3 = 45000.00	शिव शक्ति ईट उद्योग	न्यू गोगा ईट उद्योग	06-02-15	60000.00 (15000.00 नकद)
						275300.00

प्रस्तर -133- 01-04-2013 को एकाउण्ट 19005 का बैलेंस कोषबही में 97759.00 दर्शित है। कोषबही अनुसार माह सितम्बर 2013 में इस खाते में 1950.00 रु० ब्याज प्राप्त होना अंकित है इसके बाद इस खाते का बैलेंस 99709.00 रु० होगा। इसके बाद 2018-19 तक कोषबही अनुसार इस खाते से कोई लेन-देन दर्शित नहीं है न ही इस खाते की पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। खाते में अवशेष धनराशि की कोषबही में प्रविष्टि नहीं करना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त खाते का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रुपये 99709.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव एवं प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

89- ग्राम पंचायत-अमृतपुर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -134- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रुपये 1757298.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से समान हिस्सों में कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

93 -ग्राम पंचायत-बाहरपुर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -135- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रुपये 2152474.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से समान हिस्सों में कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

90- ग्राम पंचायत-बिसारा विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -136- आलोच्य वर्षों 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट (बिना बैंक द्वारा प्रमाणित) के अलावा व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/पत्रावली या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार इसको राजकीय राशि का अपहरण माना गया है। अतः समस्त दोनों वार्षिक व्ययों के योग, रु० 6441821.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

91- ग्राम पंचायत-बामौती विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर -137- निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रुपये 2415773.00 को पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार धनराशि

92- ग्राम पंचायत-बरका विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

93- ग्राम पंचायत-भीमपुर विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

94- ग्राम पंचायत-भोगपुर विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

95- ग्राम पंचायत-भोजपुर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

96- ग्राम पंचायत-चण्डौस विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

97- ग्राम पंचायत-चांदनेर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

98- ग्राम पंचायत-चीवनपुर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद-अलीगढ़ -

1536

106- ग्राम पंचायत-हसनपुर विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

107- ग्राम पंचायत-हिसैल विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

108- ग्राम पंचायत-हुसैना अर्जुनपुर विकास खण्ड-चण्डीस जनपद अलीगढ़ -

109- ग्राम पंचायत-इमलहरा विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

110- ग्राम पंचायत-जहराना विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

111- ग्राम पंचायत-जखौता विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

112- ग्राम पंचायत-जलोखरी विकास खण्ड-चण्डौस जनपद-अलीगढ़ -

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत जनपद एटा

1-ग्राम पंचायत-रुस्तमगढ़, विकास खण्ड-निधौली कलां, जिला-एटा।

प्रस्तर 01 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 732629 निकाला गया किन्तु 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2018 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हें अभिलेख चार्ज में नहीं दिये हैं। अतः उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि को गबन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08(क) के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

2-ग्राम पंचायत-सिराव, विकास खण्ड-निधौली कलां, जिला-एटा।

प्रस्तर 02 :- दिनांक 28.09.2017 को रु0 26075 बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 26075 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव/प्रधान से अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत-खेड़ानिजामपुर, विकास खण्ड-निधौली कलां, जिला-एटा।

प्रस्तर 03 :- दिनांक 15.03.2019 को रु0 50000.00 बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 50000.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव/प्रधान से अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत-पवरा, विकास खण्ड-जलेसर, जिला-एटा।

प्रस्तर 04 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 23.03.2019 को चेक संख्या 006067 द्वारा प्रधान श्रीमती मंजू देवी द्वारा रु0 1150.00 आहरित किया गया। बैंक से निकासी की गयी धनराशि को कैशबुक में प्रविष्टि न कर धन का आहरण किया गया जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

5-ग्राम पंचायत-नगला अन्नी, विकास खण्ड- जलेसर, जिला-एटा।

प्रस्तर 05 :- आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.06.2017 को चेक संख्या 008381 से रु0 134999.00 तथा चेक संख्या 008382 द्वारा रु0 134999.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 269998.00 का भुगतान प्रेम सर्विसेज अकराबाद को वास्ते बारह (12) सोलर लाइट क्रय हेतु किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सोलर लाइट की स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन प्रधान/सचिव द्वारा इसका पालन नहीं करके धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है। सोलर लाइट की स्थापना में समक्ष अधिकारियों से अनुमति भी नहीं ली गयी तथा स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया यह अस्पष्ट रहा। लेखा परीक्षा में नेडा की रेट पत्रावली भी अप्रस्तुत रही जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। इस प्रति प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

6-ग्राम पंचायत-सरजनपुर, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 06 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 04.04.2018 को चेक संख्या 20136 द्वारा रु0 24780.00 का सफाईकर्म हेतु कूड़ागाड़ी क्रय किया गया है तथा दिनांक 22.01.2019 को चेक संख्या 28714 द्वारा 15458.00 का कूड़ेदान क्रय किया गया है। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत-पहरा मजरा कबीरपुर, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 07 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 22.01.2019 को चेक संख्या 000126 द्वारा रु0 15458.00 का कूड़ेदान क्रय किया गया है। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत-सौसा, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 08 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.05.2018 को चेक संख्या 000187 द्वारा रु0 16520.00 का सफाईकर्म हेतु कूड़ेदान क्रय किया गया है तथा दिनांक 22.01.2019 को चेक संख्या 00267 द्वारा रु0 15458.00 का कूड़ेदान क्रय किया गया है। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

8-ग्राम पंचायत-चमकरी, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 09 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 15.11.2018 को प्रा0वि0 चमकरी हेतु खेल का सामान क्रय रु0 9800.00 तथा दिनांक 28.03.2019 को खेल सामान क्रय रु0 3400.00 का किया गया है। दिनांक 15.01.2019 को प्रा0वि0 चमकरी हेतु गेट तथा खिड़की क्रय रु0 20000.00 का किया गया है तथा दिनांक 19.11.2018 को रु0 9800.00 का कूड़ागाड़ी क्रय किया गया है। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

9-ग्राम पंचायत-धुआई, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 10 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 15.03.2019 को दो सेट कूड़ागाड़ी क्रय रु0 24000.00 का क्रय किया गया। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 11 :- ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के विन्दु 05 के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक के भुगतान एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है जिसका पालन नहीं किया गया, विवरण निम्नवत है। उत्तरदायी सचिव/प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	कार्य का विवरण	नगद भुगतान की गयी धनराशि
11.12.2018	मिट्टी कार्य रामू के घर से खडंजा तक	24700.00
21.02.2019	मिट्टी कार्य नरेश के घर के पास	20000.00
14.03.2019	मिट्टी कार्य सत्यवीर के घर के पास	30000.00
14.03.2019	मिट्टी कार्य सत्यवीर के घर के पास	6390.00
14.03.2019	मै0 साधना सीमेंट एजेंसी से सीमेंट क्रय	12800.00
14.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी नगद भुगतान	7800.00
	योग	101690.00

मिट्टी भराई कराये गये कार्य की माप पुस्तिका एवं आगणन पत्र लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी जो लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है। अतः रुपये 101690.00 का भुगतान अनियमित रहा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत-वाजिदपुर, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 12 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 03.07.2018 को रु0 17800.00 का गेट खिड़की क्रय दिनांक 27.11.2018 को रु0 29400.00 का तीन सेट सफाईकर्म हेतु कूड़ागाड़ी दिनांक 22.01.2019 को दो सेट कूड़ेदान रुपये 15458.00 क्रय किया गया। उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री रु0 62658.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके प्रति प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत-नगला पवल, विकास खण्ड-शीतलपुर, जिला-एटा।

प्रस्तर 13 :- ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के विन्दु 05 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउंटपेयी चैक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं करके रू0 2000/- से अधिक नगद भुगतान करके सामग्री क्रय की गयी है जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता के जिसके प्रति प्रधान/सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव	सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया नगद धनराशि
29.08.2018	संजय शर्मा	48000.00
29.08.2018	संजय शर्मा	48000.00
03.11.2018	संजय शर्मा	47000.00
03.12.2018	संजय शर्मा	49000.00
04.01.2019	संजय शर्मा	48000.00
04.01.2019	संजय शर्मा	45000.00
	योग	285000.00

12-ग्राम पंचायत-जैतपुर दासपुर, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 14 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः रू0 60850 तथा रू0 248750.00 कुल रू0 309575.00 का भुगतान मस्टररोल द्वारा मजदूरी व मिट्टी कार्य पर नगद किया गया है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो किया जाना अपेक्षित है। प्रमाणक विहीन अपुष्ट व्यय रुपये 309575.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 15 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः दिनांक 11.05.2018 को रू0 42000.00 व दिनांक 03.08.2018 को रू0 77800.00 कुल रू0 119800.00 का भुगतान मै0 राजस्थान टाइल्स एण्ड ग्रेनाइट एटा को किया गया है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 16 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः दिनांक 23.08.2018 को रू0 66340.00 व दिनांक 18.09.2018 को रू0 87225.00 तथा रू0 61400.00 कुल रू0 214965.00 का भुगतान मै0 पवन विल्डिंग मैटेरियल को किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के समय कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी प्रमाणक, विल/वाउचर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत-कुंवरपुर नगरिया, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 17 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 15.01.2019 को रू0 120000.00 मै0 एस0के0 सप्लायर्स एटा से कूड़ेदान क्रय का भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के समय कैशबुक के अतिरिक्त विल/वाउचर तथा स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः रू0 43350.00 तथा रू0 226200.00 कुल रू0 269550.00 का भुगतान मिट्टी कार्य तथा मस्टररोल द्वारा मजदूरी पर नगद किया गया है। जबकि सम्बन्धित श्रमिकों के बैंक खातों के माध्यम किया जाना चाहिए तथा उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत-मुजफ्फरपुर हिरौदी, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 19 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः रू0 32450.00 व रू0 171250.00 इस प्रकार कुल रू0 203700.00 का भुगतान मस्टररोल द्वारा मजदूरी तथा मिट्टी कार्य पर चैक से न करके नगद किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक के अतिरिक्त मस्टररोल प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक विहीन अपुष्ट व्यय रुपये 203700.00 ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 14.11.2019 को रू0 180000.00 की डस्टबिन मै0 एस0के0 सप्लायर्स एटा से क्रय की गयी (विना कोटेशन/टेण्डर के) डस्टबीन का विवरण किन-किन व्यक्तियों को की गयी। वितरण सूची तथा प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी

जिसके उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की गयी। जिसके प्रति प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत-नवादा, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 21 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 236925.00 का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों को चैक से न करके नगद भुगतान किया गया है। तथा लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके प्रति प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। प्रमाणक विहीन अपुष्ट व्यय रुपये 236925.00 ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 22:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 378500.00 का भुगतान मै0 पवन विल्डिंग मैटेरियल मलावन को किया गया है। जिसके सापेक्ष में उक्त धनराशि से सम्बन्धित कैशबुक के अतिरिक्त प्रमाणक उपलब्ध नहीं किया गया है। जिसके प्रति प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत-रामनगर, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 23 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.10.2018 को रू0 15000.00 का भुगतान मै0 मनोज कुमार गुप्ता को कूड़ेदान क्रय का दर्शाया गया। उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया और न ही डेडस्टॉक पंजिका में प्रविष्टि की गयी है। जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 23 (क):- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः रू0 60500.00 व रू0 187950.00 इस प्रकार कुल रू0 248450.00 का भुगतान ट्रेक्टर मालिक को मिट्टी कार्य पर तथा मस्टररोल द्वारा मजदूरी कार्य पर नगद किया गया है। जबकि भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत-कंगरौल, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 24 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 279700.00 मै0 ऋषभ सीमेंट एजेंसी को भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के समय कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 25 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 28.03.2019 को रू0 177450.00 मै0 शिव शक्ति ईट भट्टा उद्योग को ईट क्रय का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 26 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 257340.00 का भुगतान मस्टररोल द्वारा मजदूरों को चैक से न करके नगद किया गया है तथा उक्त धनराशि से सम्बन्धित लेखा परीक्षा के समय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

16-ग्राम पंचायत-जलालपुर साथल, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 27 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल रू0 584260.00 का भुगतान ट्रेक्टर मालिक को मिट्टी कार्य पर तथा मस्टररोल द्वारा श्रमिकों को भुगतान चैक के द्वारा न करके नगद किया गया है। तथा लेखा परीक्षा के समय कैशबुक के अलावा कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 28 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल रू0 72700.00 मै0 भोला ईट उद्योग जमालपुर को भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.08.2017 तक कुल रू0 418655.00 बैंक द्वारा निकासी की गयी परन्तु उक्त धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी इस प्रकार रू0 418655 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान/सचिव से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत-मिर्जापुर सई, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 30 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक कुल ₹0 1960585.00 बैंक के द्वारा निकासी की गयी परन्तु उक्त तिथि से सम्बन्धित कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी। इस प्रकार ₹0 1960585.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत-भरतौली, विकास खण्ड-सकीट, जिला-एटा।

प्रस्तर 31 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹0 38500.00 का भुगतान प्रधान को मानदेय का किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमशः ₹0 10800 तथा ₹0 202240.00 इस प्रकार कुल ₹0 213040.00 का भुगतान मिट्टी कार्य पर तथा मस्टररोल द्वारा राजमिस्त्री तथा मजदूरों को चैक द्वारा न करके नकद किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत-नावर, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 33 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से ₹0 913086.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मानसिंह से ₹0 791250.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से ₹0 791250.00 की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 34:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से ₹0 669413.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मानसिंह से ₹0 334706.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से ₹0 334706.00 की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

20-ग्राम पंचायत-पहरैया, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 35 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से ₹0 301880.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री उपेन्द्र सिंह से ₹0

पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल से रु0 557249.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से रु0 557249.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

23-ग्राम पंचायत-हतसारी, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 43 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 492952.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से रू0 246476.25 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से रू0 246476.25 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 45 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 4510320.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से रु0 2255160.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से रु0 2255160.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 46 :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 2560400.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान से एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 48:— वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 1046624.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विमलेश से रु0 523312.60 से एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से रु0 523312.60 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

1551

25-ग्राम पंचायत-झकरई, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 51:— वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 1590510.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री ओमवीर से 795255.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह (तत्कालीन)से 795255.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 52 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 805024.75 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री ओमवीर से 402512.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार (तत्कालीन)से 402512.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

26—ग्राम पंचायत—अगौनापुर, विकास खण्ड—अलीगंज, जिला—एटा।

1552

28-ग्राम पंचायत-दादूपुर खुर्द, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 60 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से ₹0 46233.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सन्नो देवी से 23116.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 23116.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 61 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 1442449.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलि/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सन्नो देवी से 721224.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 23116.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके

29—ग्राम पंचायत—कूड़ा, विकास खण्ड—अलीगंज, जिला—एटा।

1554

00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 306273.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 63 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 690637.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री वलराम से 345318.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 345318.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 64 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 1238353.85 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री वलराम से 619177.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 619177.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

30-ग्राम पंचायत-ककोड़ा, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 65 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 1411562.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विपनेश कुमार से 705781.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 705781.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 66 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 580424.75 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विपनेश कुमार से 290212.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 290212.75 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 67 :- दिनांक 19.01.2016 को रू0 30000.0 का भुगतान चेक संख्या 853670 द्वारा इंटरलॉकिंग ईट क्रय हेतु फर्म को किया गया। शासनादेश संख्या ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। लेखा परीक्षा में टेण्डर प्रक्रिया में (प्रकाशन, फार्म विक्री, चार्ट निर्माण/धरोहर, जमानत लेना आदि) के साक्ष्य अप्राप्त रहे। अतः

उक्त भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विपनेश कुमार एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अभय सिंह से की जानी अपेक्षित

ग्राम पंचायत-अगरैया गंगाई, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 68:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 804393.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हेमराज से 402196.75 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 402196.75 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 69 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 2230922.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हेमराज से 1115461.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 1115461.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

31-ग्राम पंचायत-अकबरपुर कोट, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 70:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 549614.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री टिकू सिंह से 274807.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 274807.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 71:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 1916189.50 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री टिकू सिंह से 958094.75 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 958094.75 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

32-ग्राम पंचायत-अगरैया जमुनाई, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 72 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 1584599.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण

पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री इशरार खान से रु0 792299.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 792299.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 73:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 786988.25 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री इशरार खान से रु0 393494.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) से 393494.25 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

33-ग्राम पंचायत-ढिबैया अख्तयारपुर, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 74:- दिनांक 04.09.2017 को रु0 163000.00 का भुगतान साई ईट उद्योग को चे संख्या 520284 एवं 520283 द्वारा क्रमशः रु0 78000 एवं 85000.00 किया गया। उक्त भुगतान ईट चटका (31346 दर 5200/हजार) क्रय हेतु किया गया है। शासनादेश संख्या ए-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु0 एक लाख की सामग्री खरीद हेतु निविदा/टेंडर लिया जाना आवश्यक है किन्तु टेंडर प्रपत्र एवं टेंडर प्रक्रिया के साक्ष्य लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। शासनादेशों का उल्लंघन कर किया गया उक्त भुगतान अनियमित है। ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी एवं तत्कालीन सचिव से अनियमित भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

34-ग्राम पंचायत-लाडमपुर कटारा, विकास खण्ड-अलीगंज, जिला-एटा।

प्रस्तर 75 :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 305000.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से रु0 152500.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 152500.00 से की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 76:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 158417.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से रु0 79208.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (तत्कालीन)से 79208.50 से की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

35—ग्राम पंचायत—विजयपुर, विकास खण्ड—अलीगंज, जिला—एटा।

प्रस्तर 77 :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 765175.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री गंगा सिंह से रू0 256672.50, ग्राम प्रधान श्रीमती सूरजमुखी से रू0 125915.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उदयवीर दूबे से रू0 382587.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 78:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 764915.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सूरजमुखी से रू0 382457.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उदयवीर दूबे से रू0 382457.50 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

36—ग्राम पंचायत—अहरई विचनपुर, विकास खण्ड—जैथरा, जिला—एटा।

प्रस्तर 79 :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 2537870.51 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से रू0 1268935.00 ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार से रू0 1268935.51 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

37—ग्राम पंचायत—धुमरी, विकास खण्ड—जैथरा, जिला—एटा।

प्रस्तर 80 :- दिनांक 24.09.2018 को चेक संख्या 000000924780 द्वारा रू0 196590.00 मोहित टेडर्स एण्ड सप्लायर्स के नाम आहरित कर लिया गया। किन्तु कैशबुक में उक्त धनराशि अंकित नहीं पाई गई। अतः रू0 196590.00 खाते से आहरण कर कैशबुक में न दर्ज कर सीधे अपहरण कर लिया गया। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार से ब्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

38—ग्राम पंचायत—दतौली, विकास खण्ड—जैथरा, जिला—एटा।

प्रस्तर 81:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रू0 5584088.26 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय

रु0 810000.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार से रु0 810000.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

41-ग्राम पंचायत-फगनौल विकास खण्ड-जैथरा, जिला-एटा।

प्रस्तर 86 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 2297026.00 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री वेदराम से रु0 1148513.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार से रु0 1148513.00 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

प्रस्तर 87:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि खाता 01 से रु0 4610904.70 आहरित किए गए किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां/कार्ययोजना कार्यादेश तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र टेंडर/कुटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कुल कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री वेदराम से रु0 2305452.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार से रु0 2305452.70 की जानी अपेक्षित है। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हो सके।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-हाथरस

मण्डल-अलीगढ़

अनुभाग-ग्राम पंचायत

1.ग्राम पंचायत-अजीतपुर विकास खण्ड-सासनी जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1663951.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1663951.00 रुपये श्री कुलदीप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री गोपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

2.ग्राम पंचायत-अजरोई विकास खण्ड-सासनी जनपद-हाथरस

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2452228.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2452228.00 रुपये श्री कुलदीप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री प्रभाकर सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

3.ग्राम पंचायत-अखईपुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1674012.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि रु 1674012.00 श्री पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति सुषीला देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1584297.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि रु 1584297.00 श्री पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति वीरन देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1840686.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8 के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1840686.00 रुपये श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री कपिल पाठक, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

6.ग्राम पंचायत—अमोखरा, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस ।

7.ગ્રામ પંચાયત-ઔધ્ધ્રઆ, વિકાસ ખંડ-સાસની, જનપદ-હાથરસ ।

राशि 3927786.00 श्री पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति प्रवेश कुमारी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

8.ग्राम पंचायत-बांधनू, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3883883.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3883883.00 श्री शशिकान्त सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति बाला देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

9.ग्राम पंचायत-बहाटा, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा जानकारी के अनुसार कुल राशि वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित 882901.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 882901.00 श्री शिवकुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

10.ग्राम पंचायत-बसई काजी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-11 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2490339.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2490339.00 श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

11.ग्राम पंचायत-बसगोई, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2045751.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2045751.00 श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति सीमा तोमर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

12.ग्राम पंचायत-भोजगढ़ी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-13 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2665195.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2665195.00 श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमति कपूरी बेगम, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

13.ग्राम पंचायत-बीजाहरी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3975449.00 श्री त्रिलोकी वर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री ब्रजेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

19.ग्राम पंचायत-देदामई, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-20 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2158063.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2158063.00 श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री सर्वेश देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

20.ग्राम पंचायत-दरियापुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-21 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 5933716.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 5933716.00 श्री पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री भारती, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

21.ग्राम पंचायत-दरकौला, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-22 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1185362.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1185362.00 श्री शकील अहमद, तत्कालीन सचिव एवं श्री योगेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

22.ग्राम पंचायत-दरकौली, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-23 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2335425.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2335425.00 सुश्री उमलेश यादव, तत्कालीन सचिव एवं श्री मंदकुमार शर्मा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

23.ग्राम पंचायत-दयानतपुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-24 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1538537.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1538537.00 श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री नूतन रावत, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2934424.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया

गई समस्त राशि 1867015.00 श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री जयसिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

34.ग्राम पंचायत—जिरौली, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—37 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3675228.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3675228.00 श्री अजीत सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री शिवकुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

35.ग्राम पंचायत—खेड़ा फिरोजपुर, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—38 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2575859.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2575859.00 श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री सतीश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

36.ग्राम पंचायत—खेडिया, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—39 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1264497.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1264497.00 श्री दलवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री लालता प्रसाद, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

37.ग्राम पंचायत—खिटौली कटैलिया, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—40 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3952811.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3952811.00 सुश्री उमलेश यादव, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री कुसमा देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

38.ग्राम पंचायत—खोरना, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—41 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1660758.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1660758.00 श्री विवेक कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री अशोक कुमार रावत, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत—किन्डौली, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—42 लेखा परीक्षा वर्ष 2017—18 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1783351.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया

गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1783351.00 श्री शकील अहमद, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री सन्नो, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

40. ग्राम पंचायत-कौमरी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

41.ગ્રામ પંચાયત-લડૌતા, વિકાસ ખંડ-સાસની, જનપદ-હાથરસ।

42.ग्राम पंचायत-लौहरा, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

43.ग्राम पंचायत-लटसान, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

44.ग्राम पंचायत-महमूदपुर बरसे, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1977399.00 श्री दलवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री कालीचरण, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

55.ग्राम पंचायत-फरौली, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-60 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2670586.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2670586.00 श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

56.ग्राम पंचायत-राघनियां , विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस ।

प्रस्तर-61 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3715590.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3715590.00 श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री निहाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

57.ગ્રામ પંચાયત-રેહના, વિકાસ ખણ્ડ-સાસની, જનપદ-હાથરસ ।

प्रस्तर-62 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2190313.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2190313.00 श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री मनोरमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

58.ग्राम पंचायत-रामपूर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-63 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 5346611.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 5346611.00 श्री पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

59.ग्राम पंचायत-रुदायन, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर—64 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3278076.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3278076.00 श्री अजीत सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री इन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

60.ग्राम पंचायत-रुहेरी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-65 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 7402852.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 7402852.00 श्री अजीत सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री रामवती देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2305284.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2305284.00 श्री मानवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री नारायणी देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 6433774.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

63.ગ્રામ પંચાયત-સમામર્ઈ રુહલ, વિકાસ ખચ્છ-સાસની, જનપદ-હાથરસ ।

64. ग्राम पंचायत—सन्दलपुर, विकास खण्ड—सासनी, जनपद—हाथरस।

65.ग्राम पंचायत-सासनी देहात, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2769618.00 पवन कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री कप्तान सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

66.ग्राम पंचायत-साथिया, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-71 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 4018391.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 4018391.00 सत्यवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुमित सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

67.ग्राम पंचायत-साहपुर खुर्द, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-72 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1007174.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1007174.00 विवेक कुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री राधेश्याम, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

68.ग्राम पंचायत-शेखूपुर अजीत, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-73 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1694983.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1694983.00 श्री त्रिलोकी वर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री नीरज सेंगर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

69.ग्राम पंचायत-सिघर्षा, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-74 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1523216.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1523216.00 श्री मानवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री संजना, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

70.ग्राम पंचायत-सीकुर अकबरपुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-75 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 4743372.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 4743372.00 सुश्री उमलेश यादव, तत्कालीन सचिव एवं श्री राजकुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

71.ग्राम पंचायत-सिथाहरी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-76 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 885136.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 885136.00 श्री दलवीर सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री फिरोज खान, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2295287.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2295287.00 श्री मानवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री सावित्री देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1618487.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

74.ગ્રામ પંચાયત-સુસાયત ખુર્દ, વિકાસ ખખ્ખડ-સાસની, જનપદ-હાથરસ ।

75.ग्राम पंचायत-तातरपुर महोरिया, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

76.ग्राम पंचायत-तातरपुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस ।

कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2033798.00 श्री त्रिलोकी वर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री सर्वेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

77.ग्राम पंचायत-ठूलई, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-82 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1143539.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 1143539.00 श्री शिवकुमार, तत्कालीन सचिव एवं श्री जगवीर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

78.ग्राम पंचायत-टिकारी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-83 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3096394.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3096394.00 श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री वीरपाल, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

79.ग्राम पंचायत-तिलौठी, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-84 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3084126.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3084126.00 श्री कुलदीप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुमित कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

80.ग्राम पंचायत-टौड, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-85 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि रु0 1345099.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि रु01345099.00 श्री शशिकान्त सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री दानवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

81.ग्राम पंचायत-ऊसवा, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-86 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3659386.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 3659386.00 श्री शिव कुमार, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री गायत्री देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

82.ग्राम पंचायत-ऊतरा, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-87 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2518228.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 2518228.00 श्री शशिकान्त सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री नगेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

83.ग्राम पंचायत-विघेपुर, विकास खण्ड-सासनी, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-88 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रियासॉफ्ट में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 4489734.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। आडिट मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि 4489734.00 श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सचिव एवं सुश्री मालती देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना

84.ग्राम पंचायत-इटरनी, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-89 वित्तीय वर्ष 2015-16 के अभिलेखा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि का चार्ज प्राप्त नहीं कराया गया। वर्ष 2015-16 में आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रु0 919635.00 कीमय ब्याज वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजवीर एवं तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-23)

85.ग्राम पंचायत-खेड़ा सुल्तानपुर, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-90 वित्तीय वर्ष 2015-16 के अभिलेखा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि का चार्ज प्राप्त नहीं कराया गया। वर्ष 2015-16 में आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रु0 250240.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-23)

86.ग्राम पंचायत-बरसामई, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-91 वित्तीय वर्ष 2015-16 के अभिलेखा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि का चार्ज प्राप्त नहीं कराया गया। वर्ष 2015-16 में आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय

स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण, जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रु0 1467024.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है ।
(आपत्ति संख्या-23)

87.ग्राम पंचायत-बाड़ी, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस ।

प्रस्तर-92 वित्तीय वर्ष 2015-16 के अभिलेखा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि का चार्ज प्राप्त नहीं कराया गया। वर्ष 2015-16 में आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं हैण्ड पम्प सही होने का प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रु0 754767.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है ।
(आपत्ति संख्या-23)

88.ग्राम पंचायत-नगरिया पट्टी देवरी, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस ।

प्रस्तर-93 लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेखा उपलब्ध नहीं कराये गये। अवगत कराया गया कि चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण के उपरान्त चार्ज में न देना गम्भीर आपत्ति का विषय है एवं इस ओर प्रमुखता से इंगित करता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय न कर अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 1095573.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती बर्फी देवी से किया जाना अपेक्षित रहा । एवं तत्कालीन सचिव पर अभिलेखों का चार्ज हस्तान्तरण में चार्ज में न दिये जाने से सम्बन्धित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।
(आपत्ति संख्या-23)

89.ग्राम पंचायत-बपन्डई, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस ।

प्रस्तर-94 लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि चार्ज में प्राप्त ही नहीं हुए। चार्ज में राजकीय अभिलेख न दिया जाना अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक है एवं स्थिति संदिग्ध करता है। अभिलेख न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 581081.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री रामगोपाल से किया जाना अपेक्षित है ।
(आपत्ति संख्या-23)

90.ग्राम पंचायत-हैथा रघुनाथपुर, विकास खण्ड-हसायन, जनपद-हाथरस ।

प्रस्तर-95 लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । अवगत कराया गया कि चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। अभिलेख चार्ज में उपलब्ध न कराया जाना एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना स्थिति को संदिग्ध करता है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 923192.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री अविनेश से किया जाना अपेक्षित है ।
(आपत्ति संख्या-23)

91.ग्राम पंचायत-इकबालपुर विकास खण्ड-सिकन्दरा राऊ जनपद- हाथरस ।

प्रस्तर-96 चेक सं0-213, 214, 215, दिनांक-25-05-2016 क्रमशः अंकन रु0 5000.00 प्रत्येक कुल रु0 15000-00 का आहरण प्रधान द्वारा नगद किया गया जबकि आहरित व्यय का विवरण अंकित नहीं है और न ही इससे सम्बन्धित कोई व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उक्त स्थिति से पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया । अतः रु0 15000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामखिलाडी, प्रधान एवं श्री मनीष वर्मा, सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-97 चेक सं0 378 दिनांक 13-03-2019 अं0 रु0. 38460.00 का कैशबुक में कुवरपाल के घर से मुनेश के घर तक यू नाली निर्माण पर हुए मजदूरी व्यय का भुगतान हेतु दर्शाया गया। जबकि उक्त कार्य हेतु कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई और न ही उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे। बिना सामग्री के कार्य होना सम्भव नहीं है, उक्त रु0 38460.00 के आहरण को समायोजित करने हेतु मजदूरी व्यय दर्शाया गया। जो पूर्णतः काल्पनिक है एवं रु0 38460.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 38460.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामखिलाडी, प्रधान एवं श्री मनीष वर्मा, सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-23)

92.ग्राम पंचायत-नौगांव, विकास खण्ड-सादाबाद जनपद-हाथरस।

प्रस्तर 98 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वर्ष में कुल रु0 7876687.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 7876687.00 की ब्याज सहित वसूली श्री द्रवेन्द्र कुमार गौतम, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती हेमलता से किया जाना अपेक्षित है ।

93.ग्राम पंचायत-सुसाइन, विकास खण्ड- सादाबाद जनपद-हसायन।

प्रस्तर-99 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वर्ष में कुल रु0 2143864.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2143864.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री रणबीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

94.ग्राम पंचायत-नानऊ विकास खण्ड-सादाबाद जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-100 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष में कुल रु0 3201570.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 3201570.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ऋश्री शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रकाशी देवी से किया जाना अपेक्षित है ।

95.ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर विकास खण्ड-सहपड़ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-101 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 757019.75 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 2389018.00 कुल रु0 3146037.75 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है । उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है । अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 3146037.75 की ब्याज सहित वसूली श्री ईश्वर चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती गीता देवी से किया जाना अपेक्षित है ।

96.ग्राम पंचायत-शेरपुर विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-102 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 कुल रू0 3748556.30 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रू0 3748556.30 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान सुरेशचन्द्र से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 दिनांक 31-03-2018 को अन्तिम शेष में प्रधान के पास नकद रू0 858.00 रहा जिसे 01-04-2018 को प्रारम्भिक अवशेष में न दर्शाकर रू0 858.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 858.00 की नकद अवशेष की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री प्रेम कुमार, सचिव एवं श्री सुरेश चन्द्र प्रधान से कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है

97.ग्राम पंचायत-बढ़ार विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-104 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा-कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 कुल रू0 3012500.90 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रू0 3012500.90 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से किया जाना अपेक्षित है।

98.ग्राम पंचायत-हसनपुर बारू विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-105 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/ कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रू0 1524814-00 व 2018-19 रू0 3993665.00 कुल रू0 5518479.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रू0 5518479.00 की ब्याज सहित वसूली श्री बंशीवाला, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

99. ग्राम पंचायत-बीर नगर विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-106 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 कुल रू0 2191761.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रू0 2191761.00 की ब्याज सहित वसूली श्री यशपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

100.ग्राम पंचायत-शिखर विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-107 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 कुल रू0 4284893.50 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के

प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 4284893.00 की ब्याज सहित वसूली श्री यशपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती भगवान देवी से किया जाना अपेक्षित है।

101.ग्राम पंचायत-परसौरा विकास खण्ड-सहपऊ जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-108 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 कुल रु0 2230245.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2430245.00 की ब्याज सहित वसूली श्री यशपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

102.ग्राम पंचायत-बाघऊ विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-109 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 1065322.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 1608638.00 कुल रु0 2673960.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2673960.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री सुमन चन्द्र अग्निहोत्री से किया जाना अपेक्षित है।

103.ग्राम पंचायत-राजपुर विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-110 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 2039803.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 2828615.00 कुल रु0 4868418.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 4868418.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती केला देवी से किया जाना अपेक्षित है।

104.ग्राम पंचायत-वीरनगर विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-111 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 1313846.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 1338833.00 कुल रु0 2652679.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2652679.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती किशन देवी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 दिनांक 31-03-2018 को चेक संख्या-204635 अं0 रु0 30793.00 अनकैश चेक रही। यह चेक का अंकन नहीं किया गया। उक्त को आहरित कर उसके सापेक्ष कोई व्यय न दर्शाकर सीधे आहरित कर अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 30793.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती किशन देवी से किया जाना अपेक्षित है।

105.ग्राम पंचायत-नगला खरग विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-113 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राकलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2018-19 में कुल रु0 2451570.00 का आहरण कर

व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2451570.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती महादेवी से किया जाना अपेक्षित है।

106.ग्राम पंचायत-जाफराबाद विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-114 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 1122548.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 1547126.00 कुल रु0 2669674.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2669674.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

107.ग्राम पंचायत-बैरगांव विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-115 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 1346859.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 2360290.00 कुल रु0 3707149.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 3707139.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दीपक रघुवंशी, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री शरद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

108.ग्राम पंचायत-चिन्तापुर बदन विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-116 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 1880138.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 1622671.00 कुल रु0 2402809.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 2402809.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दीपक रघुवंशी, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती शशि देवी से किया जाना अपेक्षित है।

109.ग्राम पंचायत-पूरा खुर्द विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-117 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा- कार्य योजना, प्रस्ताव, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, मास्टर रोल, एवं व्यय बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2017-18 में रु0 2389060.00 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 3438357.00 कुल रु0 5827417.00 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष मात्र समायोजन दर्शाकर भारी गडगडी कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल आहरित धनराशि रु0 5827417.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दीपक रघुवंशी, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता से किया जाना अपेक्षित है।

110.ग्राम पंचायत-अहवरनपुर विकास खण्ड-मुरसान जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-118 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 29.05.2018 को रु0 11000.00 आहरण कर हैण्डपम्प सामग्री हेतु दीपक सनैटरी स्टोर को भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में प्रधान श्री अशोक कुमार एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त धनराशि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के

बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणा में आती है। जिसकी वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान एवं सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

111.ग्राम पंचायत-जैतपुर विकास खण्ड-मुरसान जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-119 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 24.08.2018 को रू0 14384.00 आहरण कर सामग्री हेतु गौरव ट्रेडर्स को भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में प्रधान श्री पप्पू एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त धनराशि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणा में आती है। जिसकी वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान एवं सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

112.ग्राम पंचायत-करील विकास खण्ड-मुरसान जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-120 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 11.07.2018 को रू0 12000.00 आहरण कर सामग्री हेतु जनता हार्डवेयर को भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में प्रधान श्री राजपाल सिंह एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त धनराशि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान एवं सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायतें संस्था का नाम-ग्राम पंचायत जनपद-कासगंज मण्डल-अलीगढ़

01-ग्राम पंचायत-छावनी, विकास खण्ड-कासगंज, जिला- कासगंज

प्रस्तर 01-वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोलों में भुगतान प्राप्तकर्ता श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अ0 नहीं पाये गये। रू0 11800.00 की धनराशि का अधिक भुगतान बिना हस्ताक्षर/नि0अ0 के किया गया। जिसके भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं।

आपत्ति सं0- 27

प्रस्तर 02-वर्ष 2018-19 में सफी मो0 के घर से हीरालाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु पंचायत द्वारा रू0 105504.00 की धनराशि व्यय की गयी जबकि 1.013 लाख की ही वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी। इस प्रकार बिना स्वीकृति के अधिक किया गया व्यय रू0 4204.00 अनियमित है इस हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 28

प्रस्तर 03-वर्ष 2018-19 में सफी मो0 के घर से हीरालाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य की पत्रावली में संलग्न फर्मों के कुटेशन खाली पाये गये। इनमें दर, मात्रा का विवरण तिथि अंकित नहीं पायी गयी। सामग्री खरीद के नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से निर्माण सामग्री क्रय की गयी। उक्त कार्य हेतु मे0 बजरंग सीमेंट ईट उद्योग के इण्टर लॉकिंग बिल रू0 50310.00 पर इण्टर लॉकिंग ईटों की मात्रा व दर अंकित नहीं पायी गयी। तथा उक्त फर्म का कुटेशन भी नहीं पाया गया। इस प्रकार मनमाने तरीके के निर्माण सामग्री क्रय कर रू0 50310.00 की अनियमितता की गयी है। इस हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 29

प्रस्तर 04-वर्ष 2018-19 में लोकेन्द्र के घर से रंजीत के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य की पत्रावली में संलग्न मे0 बजरंग सीमेंट ईट उद्योग का कुटेशन खाली पाया गया। इण्टर लॉकिंग ईट की दर, मात्रा व तिथि अंकित नहीं पायी गयी। फिर भी तुलनात्मक चार्ट में उक्त फर्म को शामिल कर स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार ईट क्रय हेतु संलग्न कुटेशनों में मे0 मुस्कान ईट उद्योग का कुटेशन खाली पाया गया। फिर भी तुलनात्मक चार्ट में शामिल कर स्वीकृत किया गया। इस प्रकार पंचायत द्वारा सामग्री क्रय में रू0 245200.00 अनियमितता कर संबंधित फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इस हेतु ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 30

प्रस्तर 05—वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा माह अप्रैल 18 में कुल आहरित धनराशि रु0 278413.00 के व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे आहरित धनराशि के सापेक्ष व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि आहरित धनराशि के सापेक्ष बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित धनराशि गबन अपहरण की श्रेणी में मानी जायेगी। इस हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 31

02—ग्राम पंचायत—हिम्मतपुर सई, विकास खण्ड—कासगंज, जिला—कासगंज

प्रस्तर 06—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	209092.00
2016-17	1124523.00
2017-18	1591592.00
2018-19	692967.00
योग	3618174.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 3618174.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 3618174.00 को अपहरण मानते हुए रु0 3618174.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

03—ग्राम पंचायत—इठौआ हरियाठेर, विकास खण्ड—कासगंज, जिला—कासगंज

प्रस्तर 07—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि हो सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से बैंक स्टेटमेंट अनुसार रु0 3229249.00 की धनराशि आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 3229249.00 को अपहरण मानते हुए रु0 3229249.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

04—ग्राम पंचायत—इनायती, विकास खण्ड—कासगंज, जिला—कासगंज

प्रस्तर 08—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि हो सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से बैंक स्टेटमेंट अनुसार रु0 1631678.00 की धनराशि आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 1631678.00 को अपहरण मानते हुए रु0 1631678.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

05—ग्राम पंचायत—गजौरा, विकास खण्ड—गंजडुण्डवारा, जिला—कासगंज

प्रस्तर 09—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक

स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	536053.00
2016-17	2180317.00
2017-18	1904826.00
2018-19	3562198.00
योग	8183394.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 8183394.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 8183394.00 को अपहरण मानते हुए रु0 8183394.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

06-ग्राम पंचायत-बरौना, विकास खण्ड-गंजडुण्डवारा, जिला-कासगंज

प्रस्तर 10-लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	297432.00
2016-17	1297118.00
2017-18	1335473.00
2018-19	2808078.00
योग	5738101.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 5738101.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 5738101.00 को अपहरण मानते हुए रु0 5738101.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

07-ग्राम पंचायत-नगला दामर, विकास खण्ड-गंजडुण्डवारा, जिला- कासगंज

प्रस्तर 11-लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2016-17	1192495.00
2017-18	1237252.00
2018-19	2740007.00
योग	5169754.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 5169754.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 5169754.00 को अपहरण मानते हुए रु0 5169754.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

08—ग्राम पंचायत—न्यूली फतुआबाद, विकास खण्ड—गंजडुण्डवारा, जिला—कासगंज

प्रस्तर 12—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	813727.00
2016-17	741336.00
2017-18	1530284.00
2018-19	2359409.00
योग	5444756.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 5444756.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 5444756.00 को अपहरण मानते हुए रु0 5444756.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 01

09—ग्राम पंचायत—भीकमपुर, विकास खण्ड—गंजडुण्डवारा, जिला— कासगंज

प्रस्तर 13—लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्षों में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि की जा सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	391238.00
2016-17	2975625.00
2017-18	2114687.00
2018-19	4367444.00
योग	9848994.00

इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में कुल धनराशि रु0 9848994.00 आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 9848994.00 को अपहरण मानते हुए रु0 9848994.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 01

10—ग्राम पंचायत—गुरहैना, विकास खण्ड—सोरों, जिला—कासगंज

प्रस्तर 14—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि हो सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से बैंक स्टेटमेंट अनुसार रु0 1424105.00 की धनराशि आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 1424105.00 को अपहरण मानते हुए रु0 1424105.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 01

11—ग्राम पंचायत—महमूदपुर पुख्ता, विकास खण्ड—सोरों, जिला—कासगंज

प्रस्तर 15—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि हो सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से बैंक स्टेटमेंट अनुसार रु0 1431499.00 की धनराशि आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 1431499.00 को अपहरण मानते हुए रु0 1431499.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

12—ग्राम पंचायत—मलिकपुर, विकास खण्ड—सोरों, जिला—कासगंज

प्रस्तर 16—लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते का कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बाउचर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र बैंक स्टेटमेंट, प्रिया सॉफ्ट ही लेखा परीक्षा में प्राप्त हो सका। जिससे उक्त वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों की ही पुष्टि हो सकी। आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से बैंक स्टेटमेंट अनुसार रु0 1000814.00 की धनराशि आहरित की गयी। जिनके व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 1000814.00 को अपहरण मानते हुए रु0 1000814.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

13—ग्राम पंचायत—रेखपुर, विकास खण्ड—अमांपुर, जिला—कासगंज

प्रस्तर 17—ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर पूर्व में तैनात रहे सचिव के द्वारा उसे वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये। अतः वह उक्त के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रुपये 230934.00 की धनराशि का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 230934.00 को अपहरण मानते हुए रु0 230934.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0- 01

14—ग्राम पंचायत—सुजरई, विकास खण्ड—अमांपुर, जिला—कासगंज

प्रस्तर 18—ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर पूर्व में तैनात रहे सचिव के द्वारा उसे वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये। अतः वह उक्त के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रुपये 228000.00 की धनराशि का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 228000.20 को अपहरण मानते हुए रु0 228000.20 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0- 01

15—ग्राम पंचायत—आनन्दपुर, विकास खण्ड—अमांपुर, जिला—कासगंज

प्रस्तर 19—ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर पूर्व में तैनात रहे सचिव के द्वारा उसे वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये। अतः वह उक्त के अभिलेख लेखा परीक्षा

आईपीसी की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं०-01

20-ग्राम पंचायत- मगथरा, विकास खण्ड- सिद्धपुरा, जिला- कासगंज

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रुपये 406813.00 की धनराशि का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 406813.00 को अपहरण मानते हुए रु0 406813.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं०- 01

21-ग्राम पंचायत-नौरी, विकास खण्ड-सिद्धपुरा, जिला-कासगंज

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रुपये 241649.00 की धनराशि का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 241649.00 को अपहरण मानते हुए रु0 241649.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं०- 01

22-ग्राम पंचायत-नाथपुर कमालपुर, विकास खण्ड-सिद्धपुरा, जिला-कासगंज

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रुपये 193723.00 की धनराशि का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 193723.00 को अपहरण मानते हुए रु0 193723.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं०- 01

23-ग्राम पंचायत-किलौनी, विकास खण्ड-सिद्धपुरा, जिला-कासगंज

24—ग्राम पंचायत—धनसिंहपुर, विकास खण्ड—सिद्धपुरा, जिला—कासगंज

प्रस्तर 28—ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के किसी भी वर्ष के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर पूर्व में तैनात रहे सचिवों के द्वारा उसे उक्त किसी भी वर्ष के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये अतः उक्त वर्षों की लेखा परीक्षा हेतु वह कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पायेगा। 2015-16 से 2018-19 तक ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत खाते से आहरित धनराशि विवरण इस प्रकार से है—

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि
2015-16	249115.00
2016-17	1920820.00
2017-18	1407546.00
2018-19	2857622.00
योग	6435103.00

वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा कुल धनराशि 6435103.00 का आहरण किया है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत आहरित धनराशि रु0 6435103.00 को अपहरण मानते हुए रु0 6435103.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति सं0— 01

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-4

जनपद—अम्बेडकरनगर सम्भाग—अयोध्या संस्था—ग्राम पंचायत
1— ग्राम पंचायत—बनियानी विकास खण्ड—बसखारी जनपद—अम्बेडकरनगर
लेखा परीक्षा वर्ष—2018-19

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 1—ग्राम पंचायत बनियानी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार खड़जा मरम्मत एवं कूप मरम्मत पर कुल रु. 328411/- व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न है—

अ— खड़जा मरम्मत—

1. कैलाश सिंह के बाग से राम पियारे के खेत तक

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	12.07.2018	53900.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान
2	16.07.2018	43710.00	ईट	मे0 आजाद ब्रिक फील्ड
योग —		97610.00		

2. जगदीश के खेत से अंगद के घर तक

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	27.08.2018	24696.00	ईट	मे0 आजाद ब्रिक फील्ड
2	29.08.2018	28875.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान
योग —		53571.00		
महायोग— 1+2=		151181.00		

ब— कूप मरम्मत कार्य—

1. राम टहल के घर के पास

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.11.2018	4900.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
2	10.12.2018	9800.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
3	10.12.2018	35280.00	ईट	मे. ज्योति ब्रिक फील्ड
4	12.12.2018	31950.00	बिल्डिंग मैटे0 सामग्री	मे. यादव ट्रेडर्स
5	27.12.2018	4900.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
योग		86830.00		

2. राम दुलार के घर पर

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	27.12.2018	9800.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
2	08.12.2019	9800.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
3	12.02.2019	4900.00	सामग्री	प्रधान नगद
4	12.02.2019	21000.00	बिल्डिंग मैटे, सामग्री	मे. मिस्टी इण्टरप्राइजेज
5	25.02.2019	18600.00	बिल्डिंग मैटे, सामग्री	अज्ञात
6	06.03.2019	21400.00	ईट क्रय	मे. ज्योति ब्रिक फील्ड
7	18.03.2019	4900.00	मजदूरी पर व्यय	प्रधान नगद
योग –		90400.00		
योग – 1+2=		177230.00		
महायोग –अ + ब =		328411.00		

इस पर निम्न आपत्तियां हैं—

- क— उक्त विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा खड़जा मरम्मत पर रु. 151181.00 तथा कूप मरम्मत पर रु. 177230.00 कुल रु. 328411.00 व्यय किया गया है, लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों से सम्बंधित कोई भी बिल, बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 'क' एवं 'ख' के अनुसार किये गये व्यय का यदि व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण माना जायेगा।
अतः उक्त कार्यों से सम्बंधित कुल व्यय रु. 328411.00 वित्तीय अपहरण है, जिसके लिए ग्राम पंचायत प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- ख— चौदहवां वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक अन्य संगत अभिलेख—कार्यवाही पंजी, कार्य योजना, वक्र आईडी, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एमबी आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।
- ग— उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार अन्तिम भुगतान से पूर्व किये जाने वाले कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत/बनाया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्य की पुष्टि नहीं होने से किया गया कार्य संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा।
- घ— उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 207 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 8 के अनुसार एक "सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर" (रूप पत्र 21) रखा जायेगा, जिसमें किये गये सभी कार्यों का पूर्ण विवरण रहेगा। लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किये गये कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।
- च— उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 202 के अनुसार एक "स्टाक रजिस्टर" (रूप पत्र 25) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 136 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 34 के अनुसार एक "परिसम्पत्ति रजिस्टर" (रूप पत्र-13) रखा जाना अनिवार्य है। इसमें गत वर्षों एवं आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों तथा उस पर लगी लागत का पूर्ण विवरण रखा जाता है। इसके अभाव में यह अपुष्टित रहा कि संदर्भित खड़जा एवं कूप क्या पूर्व में बना रहा और यह ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति है। अगर यह पूर्व में सृजित सम्पत्ति है तो कितने वर्षों बाद पुनः मरम्मत करायी जा रही है। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह परिसम्पत्ति अपुष्टित रहने से किया गया कार्य संदिग्ध एवं अवास्तविक प्रतीत होता है। स्टोक रजिस्टर के अभाव में उक्त कार्यों पर कुल क्रय सामग्री, उपयोगित सामग्री एवं अवशेष सामग्री का विवरण अप्राप्त रहने से सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।
स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
- छ— उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अधीन विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के लिए 6 समितियों—शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, जल प्रबन्धन समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन समिति तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। सभी निर्माण कार्यों के भुगतान के पूर्व निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य का निरीक्षण करके भुगतान की संस्तुति की

जाती है। इसके उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा व्यय का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ज- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 (सी) के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर ही आयकर की कटौती (1 अप्रैल 2009 से दर-2.27 प्रतिशत) करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में राजकोष में जमा किया जायेगा। आलोच्य वर्ष में खड़जा मरम्मत में रु. 68406.00 एवं कूप मरम्मत में रु. 106830.00 कुल रु. 175236.00 सामग्री का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार आयकर रु. 3978.00 अवधारित होता है, जिसकी कटौती नहीं किया गया और न ही राजकोष में जमा किया गया है। इसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं सचिव से करके राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

झ- चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्येक कार्य का तीन स्तरीय (कार्यारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य की समाप्ति पर) फोटो किसी लैण्ड मार्क से ली जायेगी। तीनों फोटो एक स्थान की होगी। लेखा परीक्षा में उक्तानुसार फोटो अप्रस्तुत रहने से किया गया कार्य पुष्टि नहीं होता है।

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 2-वर्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल व्यय रु. 77246.00, स्ट्रीट लाइट पर रु. 501000.00 तथा स्टेशनरी पर रु. 5000.00 कुल रु. 583246.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

अ- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य-

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	10.07.2018	15000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	प्रधान नगद
2.	20.08.2018	13046.00	हैण्डपम्प मरम्मत	प्रधान नगद
3.	03.01.2019	10600.00	हैण्डपम्प मरम्मत	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
4.	18.02.2019	19000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
5.	21.02.2019	9800.00	हैण्डपम्प मरम्मत	प्रधान नगद
6.	01.03.2019	9800.00	हैण्डपम्प मरम्मत	प्रधान नगद
योग-		77246.00		

ब- स्ट्रीट लाइट क्रय कार्य-

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	27.08.2018	16800.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	जे.के. ट्रेडर्स
2.	14.12.2018	15600.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
3.	27.12.2018	20800.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
4.	08.02.2019	104000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
5.	18.02.2019	26000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
6.	01.03.2019	46800.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
7.	05.03.2019	36400.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
8.	12.03.2019	21000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
9.	18.03.2019	26000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	अज्ञात फर्म
10.	26.03.2019	36400.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	अज्ञात फर्म
योग		501000.00		

स- स्टेशनरी पर व्यय-

क्र.	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	13.07.2018	5000.00	स्टेशनरी पर व्यय	प्रधान नगद
योग-		5000.00		

महायोग- अ+ब+स= रु. 583246 /-

उक्त आहरण एवं व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- उपरोक्त विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रु. 77246.00, स्ट्रीट लाइट पर व्यय रु. 501000.00 तथा स्टेशनरी पर व्यय रु. 5000.00 कुल व्यय रु. 583246.00 कैशबुक के अनुसार किया गया है, जिससे सम्बंधित बिल, बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा,

जबकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 'क' एवं 'ख' के अनुसार किये गये व्यय का व्यय प्रमाणक/बाउचर यदि उपलब्ध नहीं होता है तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण होगा, जिसकी जिम्मेदारी समान रूप से ग्राम प्रधान एवं सचिव की होगी। इस प्रकार किया गया कुल व्यय रु. 583246.00 वित्तीय अपहरण है, जो अधिकार के योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं।

ख- चौदहवां वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक अन्य संगत अभिलेख-कार्यवाही पंजी, कार्य योजना, वर्क आईडी, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एमबी आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार अन्तिम भुगतान से पूर्व किये जाने वाले कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत/बनाया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्य की पुष्टि नहीं होने से किया गया कार्य संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा।

घ- उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 तथा विकेन्द्रित शासन के लिए शासनादेश संख्या 4430/33-1-99/एस.पी.आर./99 दिनांक 29.07.1999 के अनुसार 6 समितियों के गठन का प्रावधान है, जिसमें जल प्रबन्धन समिति नलकूपों की निगरानी निरीक्षण का कार्य करती है। नलकूपों से सम्बंधित कार्य का इस समिति द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन तथा भुगतान की संस्तुति होने पर ही नलकूपों से सम्बंधित व्यय का भुगतान किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर किये गये भुगतान पर उक्त प्रक्रिया का पालन न करना मनमानी व्यय की पुष्टि करता है।

च- हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल सूची, लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, उसके मरम्मत की मांग सम्बंधी प्रपत्र, जल निगम की प्रतीक्षा सूची तथा मरम्मत की पुष्टि का प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत रहने से किये गये हैण्डपम्प मरम्मत की पुष्टि नहीं होती है।

छ- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 तथा वित्त पथ के भण्डार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार रु. 2000.00 से अधिक का भुगतान केवल एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा ही किया जाएगा।

लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 47646.00 (विभिन्न तिथियों में) प्रधान द्वारा नगद आहरित करके व्यय किया गया, जबकि यह भुगतान फर्म के नाम चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। अतः किया गया व्यय मनमाना एवं वित्तीय नियमों के विपरीत है।

ज- पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0-51/2018/1701/33-3-2018-40/ 2018 दिनांक 13.06.2018 के अनुसार ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की स्थापना से पूर्व ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन से विधिवत विद्युत संयोजन/कनेक्शन लेना होगा तथा स्ट्रीट लाइट की स्थापना के बाद विद्युत बिलों को नियमानुसार जमा/भुगतान करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा रु. 501000.00 की स्ट्रीट लाइट बिना विद्युत संयोजन के ही लगवायी गयी है और इस प्रकार विद्युत बिलों का भी भुगतान न करके राजकोष में क्षति/हानि पहुंचायी जा रही है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है तथा उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेषतः आकृष्ट है।

झ- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के भाग-1 के अध्याय-12 के नियम 255-260 तक तथा शासनादेश संख्या ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 एवं 05/2016/253 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार एक लाख के ऊपर की सामग्री क्रय करने के लिए टेन्डर आमंत्रित किये जायेंगे, जिसके लिए कम से कम 3 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन, टेन्डर की अवधि, फार्म शुल्क लेना एवं जमा करना, अर्नेस्ट मनी, जमानत धनराशि जमा कराना होता है। उसके उपरान्त कार्यादेश दिया जाता है।

आलोच्य वर्ष में 27.08.2018 को रु. 168000.00 की स्ट्रीट लाइट जे.के. ट्रेडर्स से, 08.02.2019 को रु. 104000.00 की स्ट्रीट लाइट मिस्टी इण्टरप्राइजेज से इस प्रकार कुल रु. 272000.00 की स्ट्रीट लाइट बिना टेन्डर प्रक्रिया अपनाये मनमानी ढंग से बिना गुणवत्ता जांच किये क्रय किया गया है। इस प्रकार शासकीय आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करके मनमानी ढंग से स्ट्रीट लाइट क्रय के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं।

ट- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 (सी) के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर ही आयकर की कटौती (1 अप्रैल 2009 से दर-2.27 प्रतिशत) करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में राजकोष में जमा किया जायेगा।

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु. 29600.00 तथा स्ट्रीट लाइट पर रु. 501000.00 अर्थात् कुल रु. 530600.00 की सामग्री क्रय की गयी, जिस पर नियमानुसार आयकर रु. 12044.00 अवधारित होता है जो ग्राम पंचायत द्वारा न तो कटौती की गयी और न ही जमा किया गया। अतः रु. 12044.00 की राजकीय क्षति की गयी, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से समान रूप से करके राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आपत्तियों-क्रम संख्या 1 से 2 तक (वर्गीकृत बिन्दुओं सहित) के अधीन उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न कार्यों-खडंजा मरम्मत, कूप मरम्मत, हैण्डपम्प मरम्मत, स्ट्रीट लाइट क्रय एवं स्टेशनरी पर किया गया कुल व्यय रु. 911657.00 नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अपहरण तथा आयकर कुल रु. 16022.00 की राजकीय क्षति है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 और ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 'क' एवं 'ख' के अधीन गबन है, जो अधिभार के योग्य है, इसके लिए ग्राम प्रधान श्री विजय मणि एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धन राशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से समान रूप से आधा-आधा वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ठ- पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 तथा चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार 2.5 लाख से अधिक की कार्य योजना की तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा तथा रु. 5.0 लाख से ऊपर की कार्य योजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी जायेगी।

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट स्थापना एक ही कार्य है, जिसकी कार्ययोजना एक होनी चाहिए। इस पर रु. 501000.00 व्यय किया गया है, जिसकी वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय तथा तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा दी जानी चाहिए। लेखा परीक्षा में तकनीकी एवं वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से किया गया व्यय मनमाना एवं शासनादेशों तथा चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के विरुद्ध है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत-साबुकपुर विकास खण्ड-बसखारी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 3 वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 खाते से स्ट्रीट लाइट क्रय मद में कुल रु. 706900.00 आहरित करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि (रु.)	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	23.05.2018	14500.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
2	24.05.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
3	04.06.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
4	06.06.2018	31200.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
5	08.06.2018	31200.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
6	11.06.2018	31200.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
7	14.06.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
8	18.06.2018	20800.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
9	25.06.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
10	09.07.2018	36400.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
11	13.07.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
12	21.07.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
13	25.07.2018	36400.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
14	27.07.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज

15	27.07.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
16	02.08.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
17	13.08.2018	26000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
18	16.08.2018	10400.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
19	20.08.2018	10400.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
20	04.09.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
21	12.09.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
22	21.09.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
23	05.10.2018	21000.00	नगद प्रधान
24	12.10.2018	15600.0	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
25	26.10.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
26	07.12.2018	15600.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
27	21.12.2018	31200.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
28	16.02.2019	32000.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
29	18.02.2019	15500.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
30	18.02.2019	10500.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
31	07.03.2019	28200.00	अज्ञात
32	18.03.2019	23800.00	अज्ञात
33	28.03.2019	10200.00	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
कुल योग		706900.00	

उक्त आहरण एवं व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

क— ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु. 706900.00 का आहरण करके स्ट्रीट लाइट पर व्यय किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में इससे सम्बंधित कोई भी बिल, बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 'क' एवं 'ख' के अनुसार किये गये व्यय का व्यय प्रमाणक (नियमानुसार) उपलब्ध न होने पर किया गया व्यय गबन/वित्तीय अपहरण माना जायेगा, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

अतः कुल धनराशि रु. 706900.00 वित्तीय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी चाहिए।

ख— चौदहवें वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक अन्य संगत अभिलेख—कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, वर्क आईडी, स्टीमेट, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे किया गया व्यय संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा।

ग— पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3-2016/3033/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 तथा चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार 2.5 लाख से अधिक की कार्य योजना की तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के अभियंता द्वारा तथा रु. 5.0 लाख से 10.0 लाख तक की कार्य योजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जायेगी।

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट स्थापना एक ही कार्य है, जिसकी कार्य योजना एक होनी चाहिए। इस पर रु. 706900.00 व्यय किया गया है, जिसकी वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय तथा तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा दी जानी चाहिए। लेखा परीक्षा में तकनीकी एवं वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से किया गया व्यय मनमाना एवं शासनादेशों तथा चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के विरुद्ध है।

घ— पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0-51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 के अनुसार ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की स्थापना से पूर्व ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन से विधिवत विद्युत संयोजन/कनेक्शन लेना होगा तथा स्ट्रीट लाइट की स्थापना के बाद विद्युत बिलों को नियमानुसार जमा/भुगतान करना होगा।

- ग्राम पंचायत द्वारा रु. 706900.00 की स्ट्रीट लाइट बिना विद्युत संयोजन के ही लगवायी गयी है और इस प्रकार विद्युत बिलों का भी भुगतान न करके राजकोष में क्षति/हानि पहुंचायी जा रही है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है तथा उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेषतः आकृष्ट है।
- च- लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइटों के क्रय की टेन्डर प्रक्रिया (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के भाग-1 के अध्याय-12 के नियम 255 से 260 तक)-तीन समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालना, फार्म शुल्क जमा करना, अर्नेस्ट मनी, जमानत धनराशि, टेन्डर प्राप्त एवं स्वीकृति, कार्यादेश आदि का पालन न करके मनमाने ढंग से स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी, जबकि स्ट्रीट लाइट पर व्यय एक लाख से अधिक है।
- छ- स्ट्रीट किन-किन स्थानों पर लगी हैं तथा इसकी त्रिस्तरीय फोटो (कार्यारम्भ से पूर्व, कार्य दौरान, कार्य समाप्ति पर) और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 में) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से इसकी वास्तविक रूप से स्थापना की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ज- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी. के अनुसार सामग्री आपूर्ति की बिलों के भुगतान से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आयकर (1 अप्रैल 2009 से दर-2.27 प्रतिशत) स्रोत पर ही कटौती करके भुगतान किया जायेगा तथा इस कटौती को नियत समय में राजकोष में जमा किया जायेगा।
- वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु. 706900.00 की स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी। इस पर नियमानुसार आयकर रु. 16046.00 अवधारित होता है इस प्रधान एवं सचिव द्वारा समान रूप से राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर- 04** वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय दिया गया है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	अवधि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	01.04.2018	10500.00	अप्रैल 2018 से जून 2018 तक	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
2	07.02.2019	21000.00	जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक	मिस्ती इण्टरप्राइजेज
योग-		31500.00		

- इस पर निम्न आपत्तियां हैं-
- क- कैशबुक के अनुसार उक्त विवरणानुसार कुल रु. 31500.00 प्रधान को मानदेय दिया गया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अनुसार यह धनराशि प्रधान को न देकर मिस्ती इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है। इस प्रकार फर्जी कार्य/मद पर व्यय दिखाकर फर्जी ढंग से मिस्ती इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है, जो विशुद्ध रूप से धन का अपहरण है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- ख- लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहा, जिससे उक्त मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी और यह भी अज्ञात रहा कि मानदेय कब से बकाया रहा और किस अवधि तक दिया गया था।
- ग- माह अप्रैल से जून 2018 तक का मानदेय रु. 10500.00 दिनांक 20.04.2018 को ही दे दिया गया, जबकि मानदेय एडवांश नहीं दिया जा सकता। मानदेय ग्राम प्रधान का उसके कार्यों के लिए दिया जाने वाला प्रतिदान है, जो प्रमाह नियत धनराशि के रूप में मासांत में देय होता है। आलोच्य प्रकरण में माह/कार्यावधि के समाप्त होने के पूर्व ही एडवांश मानदेय दे दिया गया है। जो पूर्णतः अनुचित है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आपत्तियों-क्रम सं. 1 से 2 तक (वर्गीकृत बिन्दुओं सहित) के अधीन उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट एवं मानदेय पर किया गया कुल व्यय रु. 738400.00 नियम विरुद्ध, वित्तीय अपहरण एवं आयकर कुल रु. 16046.00 राजकीय क्षति है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 240 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 'क' एवं 'ख' के अन्तर्गत गबन है, जो

अधिभार के योग्य है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से समान रूप से आधा-आधा करके जमा कराया जाना अपेक्षित है।

03- ग्राम पंचायत- बडेपुरसारा विकास खण्ड-रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म / ईट भट्ठा
1	04.04.18	7800.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
2	03.05.18	43470.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
3	21.07.18	47250.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
4	21.07.18	43094.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
5	14.08.18	70589.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
6	15.10.18	30184.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
7	03.11.18	40226.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
8	29.12.18	33410.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
9	04.01.19	35260.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
10	24.01.19	17584.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
11	24.01.19	5804.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
12	04.02.19	96296.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
13	04.02.19	96034.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
14	20.02.19	50000.00	ईट क्रय	राम प्यारे ईट भट्ठा
योग		617001.00		

05. उक्त के सम्बन्ध में यह गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया कि उपरोक्त समस्त भुगतान योग रु० 617001.00 प्राप्तकर्ता राम प्यारे ईट भट्ठा उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती सुशीला यादव के स्वामित्व में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से है, अर्थात् प्रधान के द्वारा स्वयं के फर्म को भुगतान किया गया है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-3(ग) के अनुसार गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला यादव एवं पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

04- ग्राम पंचायत-आरिवपुर सारी विकास खण्ड-रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-06 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक/अन्य विविध व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	26.06.18	18,375.00	प्रशासनिक व्यय	श्री अरुण कुमार
2	14.08.18	17,500.00	प्रशासनिक व्यय	श्री अरुण कुमार
3	14.09.18	10,150.00	प्रशासनिक व्यय	श्री अरुण कुमार
4	04.12.18	5,000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री लाल बिंद
5	01.03.19	17,510.00	प्रशासनिक व्यय	श्री लाल बिंद
6	12.03.19	12,400.00	प्रशासनिक व्यय	श्री लाल बिंद
	योग	80,935.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु० 80935.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बिंद एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

05- ग्राम पंचायत-परमेश्वरपुर विकास खण्ड-रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19
प्रस्तर- 07 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	आहरित धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	01.02.19	98,800.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
2	01.02.19	98,801.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
3	01.02.19	17,500.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
4	01.02.19	19,050.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
5	02.02.19	72,030.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
6	02.02.19	14,000.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
7	04.02.19	3,600.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
8	07.02.19	26,000.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
9	07.02.19	51,430.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
10	07.02.19	17,500.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
11	11.02.19	42,110.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
12	12.02.19	19,950.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
13	12.02.19	37,750.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
14	12.02.19	35,280.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
15	13.02.19	93,600.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
16	15.02.19	19,950.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
17	27.02.19	7,000.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
18	30.03.19	76,510.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
19	30.03.19	27,125.00	अज्ञात	विवरण अनुपलब्ध
योग		7,77,986.00		

उक्त समस्त आहरण कैशबुक में दर्शित है किन्तु उसका व्यय विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है एवं उसके संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री अभिषेक एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

06- ग्राम पंचायत-मदुआना विकास खण्ड-रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19
प्रस्तर- 08 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में ईट क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि मद भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/ईट भट्ठा		
01.02.19	88,969.00	ईट क्रय	वी०पी० ईट उद्योग
	88,969.00		

उक्त के सम्बन्ध में यह गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया कि उपरोक्त भुगतान रु० 88969.00 प्राप्तकर्ता वी० पी० ईट उद्योग उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान दुर्गेश कुमार यादव के स्वामित्व में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से है, इस प्रकार दुर्गेश कुमार यादव के द्वारा स्वयं के फर्म को भुगतान किया गया है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-3(ग) के अनुसार गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन प्रधान दुर्गेश कुमार यादव, एवं पंचायत सचिव श्री अनूप मिश्रा, से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

07-ग्राम पंचायत-लखनीपट्टी विकास खण्ड-रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 09 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	आहरित धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	27.03.19	22,724.00	अज्ञात	याम सुन्दर यादव
योग	22,724.00			

उक्त आहरण एवं उसका व्यय विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है एवं उसके संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिंदु कला एवं पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

08- ग्राम पंचायत-बलरामपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में फोटो कापी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	16.07.2018	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
2	14.12.2018	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
3	12.02.2019	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
4	18.02.2019	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
	योग	20,000.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु 2000.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय एवं पंचायत सचिव श्री सुनील रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में फोटो ग्राफी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	16.07.2018	5,000.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
2	23.10.2018	3,000.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
3	28.12.2018	1,500.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
4	12.02.2019	5,000.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती पूनम पाण्डेय
	योग	14,500.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु 14500.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय एवं पंचायत सचिव श्री सुनील रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -12 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रियासॉफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान दो बार किया गया है, जो निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	24.05.18	3,000.00	प्रियासॉफ्ट फीडिंग	रबीउल अब्बल
2	12.12.18	3,000.00	प्रियासॉफ्ट फीडिंग	रबीउल अब्बल

इस प्रकार दोहरे भुगतान से स्पष्ट है कि दिनांक 12.12.18 को धनराशि रु० 3000.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय एवं पंचायत सचिव श्री सुनील रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -13 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	02.05.18	12,120.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
2	02.05.18	15,375.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
3	08.05.18	13,400.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
4	15.05.18	15,200.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
5	03.07.18	27,450.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
6	03.07.18	27,450.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
7	04.08.18	26,350.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
8	11.12.18	15,250.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
9	11.12.18	27,500.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
	योग	1,80,095.00		

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि रु० 180095.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय एवं पंचायत सचिव श्री सुनील रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

09- ग्राम पंचायत-खूखूतारा विकास खण्ड-टाण्डा लेखापरीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 14 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक खर्च पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.04.2018	4,900.00	प्रशासनिक खर्च	श्री आनन्द सिंह
2	15.05.2018	5,000.00	प्रशासनिक खर्च	श्री आनन्द सिंह
3	28.08.2018	5,000.00	प्रशासनिक खर्च	श्री आनन्द सिंह
4	06.11.2018	5,000.00	प्रशासनिक खर्च	श्री आनन्द सिंह
	योग	19,900.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु० 19900.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं पंचायत सचिव श्री कमलश रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 15 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	17.05.2018	22,500.00	हैण्डपम्प मरम्मत	वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
4	30.06.2018	11,850.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
	योग	34,350.00		

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि रु० 34350.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 16 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप पर व्यय किया गया है, विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	27.09.2018	34,000.00	ह्यूम पाइप	अंकित इंटरप्राइजेज
	योग	34,000.00		

उक्त व्यय धनराशि रु० 34000.00 के ह्यूम पाइप पर व्यय संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं किसी भी प्रकार से उक्त के उपयोग या स्टॉक का कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा, किसी भी प्रकार से उक्त ह्यूम पाइप पर व्यय रु० 34000.00 के औचित्य, उपयोगिता की पुष्टि नहीं होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -17 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.06.2018	29,850.00	हैण्डपम्प रिबोर	अंकित इंटरप्राइजेज
2	27.09.2018	29,750.00	हैण्डपम्प रिबोर	अंकित इंटरप्राइजेज
3	10.01.2018	59,500.00	हैण्डपम्प रिबोर	अंकित इंटरप्राइजेज
	योग	1,19,100.00		

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि रु० 119100.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत-धूरनपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 18 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	09.05.2018	22,350.00	हैण्डपम्प मरम्मत	वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
2	12.06.2018	11,350.00	हैण्डपम्प मरम्मत	वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
3	21.06.2018	11,250.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
4	24.07.2018	22,150.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
5	26.09.2018	11,250.00	हैण्डपम्प मरम्मत	वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
6	05.10.2018	22,750.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
7	26.10.2018	22,250.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
8	07.12.2018	27,200.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंकित इंटरप्राइजेज
योग	1,50,550.00			

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि रु० 150550.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजन से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

11- ग्राम पंचायत-बसंतपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखापरीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 19 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ग्रामनिधि-1 से ग्राम प्रधान के नाम से धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्तकर्ता	कैशबुक में भुगतान प्राप्तकर्ता
29.06.18	16,000.00	ईट क्रय	श्रीमती रीता वर्मा	में० शिवम ब्रिकफील्ड
28.09.18	42,000.00	बिल्डिंग मटेरियल	श्रीमती रीता वर्मा	में० के० के० इण्टरप्राइजेज
योग	58,000.00			

उक्त भुगतान प्रधान द्वारा नकद किया जाना दर्शित है, जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-5 तथा वित्तपथ के भण्डार क्रय नियम-17 ग के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक का भुगतान केवल एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार उक्त योग रु० 58000.00 का भुगतान गम्भीर रूप से अनियमित है एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता वर्मा एवं पंचायत सचिव श्री रामजीत यादव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

12- ग्राम पंचायत-मदारपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 20 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 खाते से दिनांक 22.02.2019 को चेक सं० ...275 के माध्यम से रु० 23600.00 का भुगतान खाता सं० 136102/11714- ए०एस०पी०यू०आर०डी० के पक्ष में किया गया है जिसका विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है। उक्त भुगतान धनराशि रु० 23600.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्रीमती सबाना परबीन एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्बेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

13- ग्राम पंचायत-अमीनपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 21 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में फोटो कापी पर व्यय किया गया है जिसका विवरणनिम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	13.4.2018	9,900.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
2	10.05.2018	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
3	06.07.2018	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
4	01.12.2018	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
5	02.01.2019	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
6	02.01.2019	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
7	18.02.2019	5,000.00	फोटो कापी	श्रीमती शाहिरा बेगम
	योग	39,900.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु0 39900.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहिरा बेगम एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजनसे संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 22 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में फोटो ग्राफी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	10.05.2018	5,000.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती शाहिरा बेगम
2	02.01.2019	5,000.00	फोटो ग्राफी	श्रीमती शाहिरा बेगम
	योग	10,000.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु0 10000.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहिरा बेगम एवं पंचायत सचिव श्री कमलेश रंजनसे संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत -कलेशर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर - 23 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 खाते से दिनांक 22.02.2019 को चेक सं० ...275 के माध्यम से रु0 16900.00 का भुगतान खाता सं०136102/11714- ए0एस0पी0यू0आर0डी0 के पक्ष में किया गया है जिसका विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

उक्त भुगतान धनराशि रु0 16900.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती

रामपत्नी एवं पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत-मीरानपुर बभनपुरा विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 24 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 खाते से दिनांक 31.10.2018 को ग्राम प्रधान केनाम रु0 13125.00 का आहरण चेक सं0 15900 के द्वारा किया गया है जिसका व्यय विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

उक्त भुगतान धनराशि रु0 13125.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार से उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि होती है अतः उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि काका अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद असलम एवं पंचायत सचिवश्री अमरपाल शर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

16- ग्राम पंचायत-कजरी नन्दापुर विकास खण्ड-अकबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 25 ग्राम पंचायत कजरी नन्दापुर की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर मद पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	फर्म जिसको भुगतान किया गया
1.	15.09.2018	31900.00	जय अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान
2.	15.09.2018	31800.00	जय अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान
योग-	63700.00		

उक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियां प्रकाश में आयी हैं-

(1) पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/ 2015 दिनांक 19.06.2017 के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) इस संदर्भ में जल प्रबन्धन समिति की अनुशंसा एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।

(3) हैण्डपम्प रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य के स्टीमेट, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, जल निगम द्वारा इसके अप्रयोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

(4) लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्रामसभा का प्रस्ताव जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सैयद नदीम रजा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत-अल्लीपुर कोडरा विकास खण्ड-अकबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 26 ग्राम पंचायत अलीपुर कोडरा की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर मद पर दिनांक 25.05.2018 मु0 29774.00 आर.पी. ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी हैं-

(1) पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) इस संदर्भ में जल प्रबन्धन समिति की अनुशंसा एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।

(3) हैण्डपम्प रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य के स्टीमेट, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, जल निगम द्वारा इसके अप्रयोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

(4) लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्रामसभा का प्रस्ताव जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सैयद नदीम रजा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

18- ग्राम पंचायत-धुरहूपुर विकास खण्ड-अकबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 27 ग्राम पंचायत धुरहूपुर की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर मद पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	फर्म जिसको भुगतान किया गया
1.	14.12.2018	35500.00	जय अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान
2.	14.12.2018	35500.00	जय अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान
	योग-	71000.00	

उक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियां प्रकाश में आयी हैं-

(1) पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) इस संदर्भ में जल प्रबन्धन समिति की अनुशंसा एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।

(3) हैण्डपम्प रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य के स्टीमेट, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, जल निगम द्वारा इसके अप्रयोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

(4) लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्रामसभा का प्रस्ताव जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सैयद नदीम रजा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

19 – ग्राम पंचायत—महमूदपुर विकास खण्ड—अकबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

प्रस्तर— 28 ग्राम पंचायत महमूदपुर की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर मद पर दिनांक 26.07.2018 मु0 33968.00 मेसर्स ओम साई कान्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी हैं—

- (1) पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/ 2015 दिनांक 19.06.2017 के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2) इस संदर्भ में जल प्रबन्धन समिति की अनुशंसा एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।
- (3) हैण्डपम्प रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य के स्टीमेट, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, जल निगम द्वारा इसके अप्रयोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।
- (4) लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्रामसभा का प्रस्ताव जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

20— ग्राम पंचायत—जमौली विकास खण्ड—जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

प्रस्तर— 29 ग्राम पंचायत जमौली की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये—

- (1) बार-बार मांगने के बाद भी मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।
- (2) आलोच्य वर्ष में दिनांक 12.09.2018 को चेक संख्या 165 द्वारा प्रधान का मानदेय मार्च 2018 से अगस्त 2018 के 6 माह हेतु कुल रु0 21000.00 दिया जाना दर्शित है। दिनांक 19.05.2018 को चेक संख्या 179 द्वारा भी माह मार्च 2018 एवं अप्रैल 2018 हेतु रु0 7000.00 का भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि माह मार्च एवं अप्रैल 2018 का भुगतान दिनांक 19.05.2018 एवं 12.09.2018 को दो बार किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः दो माह के मानदेय की कुल धनराशि $2 \times 3500 = 7000$ रु. की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रेखा ग्रा0प0 एवं श्री शिवाकान्त मिश्र ग्रा0प0 अधि0 से संयुक्त रूप से कुल रु0 7000.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

21— ग्राम पंचायत—बसिया विकास खण्ड—जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

प्रस्तर— 30 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बसिया में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है—

क्र0.	दिनांक	चेक सं0	भुगतानिक धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	29.05.2018	127	20200.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंगद कुमार
2	06.11.2018	148	21200.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंगद कुमार
योग—			41400.00		

इस प्रकार 2018—19 में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्क—2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कोषबही में दर्शित किया गया है, जिसके सापेक्ष हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति,

निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी, स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही, साथ ही उक्त क्रय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त आहरित धनराशि रु0 41400.00 का व्यय फर्जी एवं अवास्तविक है। अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 41400.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं 8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती पूनम यादव ग्राम प्रधान एवं श्री अंगद यादव ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल रुपया 41400.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

22- ग्राम पंचायत-चन्दौका विकास खण्ड-भीटी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 31 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ह्यूमपाइप क्रय पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किए हैं:-

क्र.0	दिनांक	भुगतानिक धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	27.06.2018	30150.00	वी0के0 ट्रेडर्स
2	27.06.2018	41850.00	वी0के0 ट्रेडर्स
3	12.03.2019	28500.00	एम0एस0 ट्रेडर्स
4	12.03.2019	30150.00	वी0के0 ट्रेडर्स
	योग-	130650.00	वी0के0 ट्रेडर्स

उक्त ह्यूम पाइप क्रय के कोषांकन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। किसी भी क्रय के सापेक्ष चेक संख्या, परियोजना का नाम, दर मात्रा/नग आदि का कोई अंकन नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहने से यह भी नहीं जाना जा सका कि उसमें इनका अंकन किया भी गया है अथवा नहीं, साथ ही उक्त क्रय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया, जो कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती ऊषा ग्राम प्रधान एवं श्री श्याम बहादुर मिश्र ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल रु0 130650.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 32 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में मोनू दुबे के घर से लक्ष्मणगंज तक खड़जा मरम्मत कार्य कराया गया है, जिस पर व्यय निम्नवत् है-

क्र.0	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	30.07.2018	75117.00	ईंट क्रय	अज्ञात
2	30.07.2018	61250.00	श्रमांश	प्रधान
3	30.07.2018	54250.00	श्रमांश	प्रधान
	योग	190617.00		

उक्त खड़जा मरम्मत में 75117.00 रु0 की सामग्री के सापेक्ष रु0 115500.00 श्रमांश प्रयुक्त दर्शाया गया है। उक्त व्ययों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रही, जिससे उक्त कार्य के सम्बंध में प्रस्ताव संख्या, तकनीकी, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक, क्रमांक, कार्य के सम्पन्न होने की अवधि, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र का क्रमांक व दिनांक अज्ञात रहे। साथ ही मीजरमेंट बुक न होने से सामग्री के सापेक्ष श्रम की अधिकता की जांच भी नहीं की जा सकी। उक्त व्यय से सम्बंधित डिलीवरी चालान, कैंशमेमो, बिल, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किए गए, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती ऊषा, ग्राम प्रधान एवं श्री श्याम बहादुर मिश्र, ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल रु0 190617.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 33 लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त भी मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बंधित आपत्तियां निम्नवत् हैं-

(1) दिनांक 01.05.2018 को रु0 10500.00 मार्च, अप्रैल व मई का मानदेय दिया गया है अर्थात् मई माह का मानदेय 1 मई को ही भुगतान कर दिया गया है, जो अनियमित रहा।

(2) माह जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2018 का मानदेय 25 जनवरी को भुगतान किया गया है, जबकि जून व जुलाई 2018 हेतु मानदेय 4 जून 2018 को ही भुगतान किया जा चुके हैं जो कि पूर्व भुगतानित होने के कारण अनियमित भी रहा है और जनवरी 2019 में इसे पुनः भुगतान किया गया है। इस प्रकार मई माह का भुगतान रु0 3500.00 अनियमित श्रेणी का रहा है, जबकि जून व जुलाई माह का भुगतान रु0 7000.00 दोबारा भुगतान किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती ऊषा, ग्राम प्रधान एवं श्री श्याम बहादुर मिश्र, ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल रु0 10500.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

23- ग्राम पंचायत-शेखपुरा राजकुमारी विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19
प्रस्तर- 34 ग्राम पंचायत शेखपुरा राजकुमारी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में आए।

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता
1	17-01-2019	37	14350.00	10500.00 प्रधान मानदेय अक्टूबर से दिसंबर 2018
				1800.00 (एडीओपी) को (पीएलओ) की नकद धनराशि
				2050.00 टेन्डर हेतु जनमोर्चा को नकद भुगतान
2	26-03-2019	40	12100.00	10500.00 प्रधान मानदेय जनवरी से मार्च 2019
				1600.00 हैंड पम्प मरम्मत हेतु नकद भुगतान
योग-			26450.00	

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत शेखपुरा राजकुमारी के सचिव और ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि प्रथम से मनमाने ढंग से आहरण किया और व्यय किया। लेखा परीक्षा के समय बार-बार मांगे जाने के बाद भी न तो अंशदान से संबंधित विवरण/शासनादेश प्रस्तुत किया गया न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक/वाउचर और प्रधान मानदेय पंजिका ही उपलब्ध कराई गई।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 26450.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चंद्रावती व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजित राम यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 35-

क्र0 सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता
1	26.03.2019	41	99415.00	ईट क्रय
2	26.03.2019	43	31150.00	मस्टर रोल
3	26.03.2019	42	118666.00	ईट क्रय
4	26.03.2019	44	41825.00	मस्टर रोल
योग-			291056.00	

ग्राम पंचायत द्वारा अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/बाउचर, डिलीवरी चालान, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 291056 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चंद्रावती व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजित राम यादव से किया जाना अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत-आसीपुर विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 36 ग्राम पंचायत आसीपुर की 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न वर्णित धन राशियाँ आहरित करके कोषबही में उनका अंकन नहीं किया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण / भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.05.2018	201	4740.00	कोषबही में अंकित नहीं
2	03.05.2018	198	5372.00	कोषबही में अंकित नहीं
3	03.05.2018	179	30726.00	कोषबही में अंकित नहीं
4	03.05.2018	178	30150.00	कोषबही में अंकित नहीं
5	05.05.2018	202	36050.00	कोषबही में अंकित नहीं
6	25.05.2018	204	30150.00	कोषबही में अंकित नहीं
7	29.05.2018	203	30726.00	कोषबही में अंकित नहीं
8	05.09.2018	212	20000.00	कोषबही में अंकित नहीं
9	27.09.2018	214	19800.00	कोषबही में अंकित नहीं
10	10.12.2018	229	12000.00	कोषबही में अंकित नहीं
11	11.12.2018	227	28850.00	कोषबही में अंकित नहीं
12	14.01.2019	230	17200.00	कोषबही में अंकित नहीं
13	02.03.2019	231	1708.00	कोषबही में अंकित नहीं
14	02.03.2019	232	1708.00	कोषबही में अंकित नहीं
योग			269180.00	

ग्राम पंचायत की 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त चेक संख्या द्वारा संबंधित तिथियों को उनके सम्मुख अंकित धन राशियों का आहरण किया गया है किन्तु व्यय के मद का कोषबही में अंकन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अंकित आय की धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी० पुस्तिका, बिल/बाउचर, डिलीवरी चालान, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। जिससे दर्शित किये गये आय के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 269180.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 37- 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत आसीपुर द्वारा हैन्ड पम्प रीबोर मद पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण / भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.05.2018	177	30726.00	अज्ञात

2	12.12.2018	226	35726.00	ओम ट्रेडर्स
3	12.12.2018	225	35726.00	ओम ट्रेडर्स
योग			102178.00	

ग्राम पंचायत द्वारा अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ और कोषबही में रीबोर के स्थलों का अंकन नहीं किया गया है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 102178.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 38— 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत आसीपुर द्वारा निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण / भुगतान प्राप्तकर्ता
1	03.05.2018	180	36050.00	मस्टर रोल प्रा0 विद्यालय से सुरेन्द्र वर्मा के खेत तक
2	03.05.2018	197	164430.00	ईट क्रय प्रकाश ईट भट्टा प्रा0 विद्यालय से सुरेन्द्र वर्मा के खेत तक
3	03.05.2018	200	163800.00	ईट क्रय प्रकाश ईट भट्टा सुरेन्द्र वर्मा के खेत से मूरत के खेत तक
4	02.11.2018	216	26950.00	मस्टर रोल देवतादीन के घर से बल्लू यादव के घर तक
5	02.11.2018	219	36050.00	मस्टर रोल राम मूरत के घर से योगेंद्र वर्मा के खेत तक
6	02.11.2018	222	42526.00	मस्टर रोल देवतादीन के ट्यूब वेल से श्यामरथ के घर तक
7	02.11.2018	217	101052.00	ईट क्रय प्रकाश ईट भट्टा देवतादीन के घर से बल्लू यादव के घर तक
8	02.11.2018	220	131236.00	ईट क्रय प्रकाश ईट भट्टा राम मूरत के घर से योगेंद्र वर्मा के खेत तक
9	03.11.2018	218	1896.00	कार्टेज विनय वर्मा
10	03.11.2018	221	10744.00	कार्टेज विनय वर्मा
11	03.11.2018	223	2844.00	कार्टेज विनय वर्मा
12	12.12.2018	224	158796.00	ईट क्रय देवतादीन के ट्यूब वेल से श्यामरथ के घर तक
योग			876374.00	

ग्राम पंचायत द्वारा अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ और कोषबही में रीबोर के स्थलों का अंकन नहीं किया गया है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और

अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 876374.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

25- ग्राम पंचायत-रामपुर गिरण्ट विकास खण्ड-भीटी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 39 ग्राम पंचायत रामपुर गिरण्ट की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 2018-07-13 को रु00-36000 0 का नकद आहरण कर कोषबही में उसका अंकन मुइला देवी, राजा राम तथा मिहू लाल को शौचालय अनुदान के रूप में किया गया है। लेखा परीक्षा में बार- बार मांगे जाने के बाद भी स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों की सूची, कोषबही आदि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार मनमाने ढंग से ग्राम निधि प्रथम से धन का आहरण करके ग्राम निधि-6 द्वारा दिया जाने वाला शौचालय अनुदान दिया जाना दर्शाया गया है। वर्षपर्यंत ग्राम निधि प्रथम में शौचालय अनुदान का कोई धन आय के रूप में नहीं अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम निधि-6 द्वारा दिये जानेवाले अनुदान का ग्राम निधि प्रथम से अवास्तविक आहरण करते हुए व्यय दर्शित किया गया है।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947के नियम 204 व 205के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 36000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गौतम चंद्र व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री उमा शंकर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

26- ग्राम पंचायत-कुसुमखोर विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 40 ग्राम पंचायत कुसुमखोरकी वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	कोषबही के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	16-02-2019	177	85000.00	सिंह ट्रेडर्स स्ट्रीट लाइट क्रय
2	16-02-2019	175	80000.00	सिंह ट्रेडर्स स्ट्रीट लाइट क्रय
3	11-02-2019	173	44000.00	सिंह ट्रेडर्सहेन्ड पम्प मरम्मत
योग			209000.00	

उक्त सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0 [एम0बी0 पुस्तिका, बिल /बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत कुसुमखोर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 209000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गीता यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती मिथिलेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

27- ग्राम पंचायत-मेढवा रघुवंशी विकास खण्ड-भीटी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 41 ग्राम पंचायत मेढवा रघुवंशी की 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई।

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1	27-08-2018	85	18500.00	सोलर लाइट मरम्मत
2	27-08-2018	86	18500.00	सोलर लाइट मरम्मत
3	06-09-2018	89	35000.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
4	14-09-2018	122	18140.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
5	14-09-2018	121	45000.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
6	17-10-2018	125	19500.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
योग			154640.00	

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0बी0 पुस्तिका, बिल/बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है और न ही कोषबही में उक्त स्थानों का अंकन किया गया है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 154640.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती हुबराजी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मयंक कुमार चतुर्वेदी से किया जाना अपेक्षित है।

28- ग्राम पंचायत-गौरा कमाल विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 42 ग्राम पंचायत गौरा कमाल की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	मद
1	13-08-2018	67	10000.00	प्रशासनिक मद
2	11-12-2018	49	10000.00	स्वच्छता गोष्ठी, स्टेशनरी, बैनर, पोस्टर
3	17-01-2019	52	10500.00	प्रशासनिक मद, स्टेशनरी, स्वच्छता कार्यक्रम
4	19-03-2019	59	8960.00	प्रशासनिक मद, स्टेशनरी, फोटोस्टेट
योग			39460.00	

उक्त सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष दर्शित व्यय के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आईडी0, बिल/बाउचर, स्टॉक पंजिका, आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत गौरा कमाल द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 39460.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम कुबेर व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कमिता यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 43 ग्राम पंचायत गौरा कमाल की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	मद / प्राप्तकर्ता
1	09-07-2018	44	24150.00	मस्टर रोल
2	10-07-2018	61	163800.00	ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड
3	17-07-2018	45	17850.00	मस्टर रोल
4	19-07-2018	62	27720.00	अवशेष ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड
योग-			233520.00	

लेखा परीक्षा के समक्ष उक्त सम्पूर्ण दर्शित व्यय के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत गौरा कमाल द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 233520.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीराम कुबेर व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कमिता यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 44 ग्राम पंचायत गौरा कमाल की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 03-07-2018 चेक संख्या 43द्वारा रु0 10500.00 आहरण मानदेय मद में माह मार्च, अप्रैल,मई 2018 हेतु तथा दिनांक 2018-08-04 को चेक संख्या 65 द्वारा रु0 10500.00 आहरण मानदेय मद में माह मई, जून जुलाई 2018 हेतु किया गया है। स्पष्ट है कि माह मई, 2018 के सापेक्ष मानदेय मद का आहरण दो बार करके रु0 3500.00 अधिक लिया गया है जोकि अपहरण है और अधिभार योग्य है। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947के नियम 204व 205के विपरीत तथा नियम 256एवं अधिनियम की धारा 27के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत कुसुमखोर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3500.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीराम कुबेर व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कमिता यादव यादव से किया जाना अपेक्षित है।

29- ग्राम पंचायत-बरामदपुर लोहरा विकास खण्ड-कटेहर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 45 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में रु0 232380.00 का हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन आहरित किया गया है, जिसपर निम्न आपत्तियाँ हैं।

हैण्डपम्प मरम्मत

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.04.2018	10500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 04 अदद
2	27.04.2018	20500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 06 अदद
3	24.05.2018	17500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 04 अदद
4	26.07.2018	19950.00	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद
5	14.08.2018	11500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 03 अदद
6	14.08.2018	10500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 03 अदद
7	28.08.2018	10200.00	हैण्डपम्प मरम्मत 03 अदद
8	24.09.2018	1500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 01 अदद
9	07.12.2018	17150.00	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद
10	07.12.2018	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद
11	07.12.2018	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद

12	25.02.2019	26980.00	हैण्डपम्प मरम्मत 07 अदद
13	25.02.2019	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद
14	05.03.2019	25450.00	हैण्डपम्प मरम्मत 07 अदद
15	11.03.2019	2150.00	हैण्डपम्प मरम्मत 01 अदद
योग—		232380.00	

अ—भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ब—कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

स—हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थलों की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं ग्राम पंचायत जल समिति की अनुशंसा अप्राप्त रही।

इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जगदंबा शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शोभवती से रूपया-232380.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर-बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर- 46 दिनांक 18.08.2018 को वी.के. पौधशाला से रु. 10000.00 की पौध क्रय कोष बही में अंकित है, जिसके भुगतान से सम्बंधित कोई कैश रसीद, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजि. बनाकर पौध की संख्या व प्रकार अंकित नहीं किया गया। पौधों का रोपण कहां कराया गया, कहीं दर्शाया नहीं गया। न ही फोटोग्राफी की गयी। उपरोक्त से सम्बंधित कोई पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे उक्त भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है, इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जगदंबा शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शोभवती से रूपया-10000.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर - बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर- 47 दिनांक 02.03.2019 को रु. 21000.00 का कूड़ादान प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय बरामदपुर लोहरा हेतु क्रय दर्शाकर कोष बही से धन आहरित किया गया है। इससे सम्बंधित कोई पत्रावली कोटेशन/टेण्डर या क्रय हेतु किसी सक्षम अधिकारी का आदेश आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजि. बनाकर उसमें अंकित नहीं किया गया। जिस प्राथमिक पाठशाला या माध्यमिक विद्यालय में उसे स्थापित किया गया वहां के अध्यापक से प्राप्ति रसीद नहीं ली गयी। उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। न ही फोटोग्राफ और क्रय से सम्बंधित रसीद ही प्रस्तुत की गयी, जिससे उक्त धन काल्पनिक व्यय प्रतीत होता है। इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जगदंबा शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शोभवती से रूपया-21000.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर - बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर- 48 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं सोलर लाइट स्थापना पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल स्ट्रीट लाइट पर रु. 557510.00 एवं सोलर लाइट पर रु. 89600.00 व्यय दर्शाया गया है, जिन पर निम्न आपत्ति हैं।

स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट स्थापना :-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	27.04.2018	46350.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 10अदद
2	01.05.2018	30150.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 04अदद
3	04.07.2018	36280.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 08अदद

4	31.07.2018	115875.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 25अदद
5	01.08.2018	31745.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 07अदद
6	01.08.2018	60000.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 12अदद
7	06.08.2018	27780.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 06अदद
8	07.12.2018	32445.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 07अदद
9	28.02.2019	50000.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 10अदद
10	28.02.2019	23175.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 05अदद
11	02.03.2019	78710.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 17अदद
12	02.03.2019	75000.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 10अदद
13	27.04.2018	89600.00	सोलर लाइट स्थापना 04 अदद
योग-		647110.00	

- (1) क्रय से सम्बंधित कोटेशन/टेण्डर जांच दौरान उपलब्ध नहीं रहा।
- (2) स्टीमेट, कार्यवाही, स्टीमेट एवं एमबी बुक नहीं बनाया गया है।
- (3) क्रय से सम्बंधित बिल बाउचर आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। नेडा द्वारा क्रय या नेडा से निर्धारित दर पर क्रय किया गया या नहीं अज्ञात रहा।
- (4) विद्युत विभाग से कनेक्शन एवं बिलों के भुगतान सम्बंधी सूचना अप्राप्त रही।
- (5) स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां लाइट लगायी गयी है। लाभार्थी की सूची नहीं बनायी गयी है।
- (6) लाभार्थी द्वारा दिया गया आवेदन पत्र से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में कोषवही अनुसार 126 स्ट्रीट लाइट रु. 557510.00 एवं 4 सोलर लाइट रु. 89600.00 क्रय की गयी तथा वर्ष 2016-17 में 17 अदद सोलर लाइट व 38 स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी थी और वर्ष 2017-18 में 52 स्ट्रीट लाइट एवं 15 सोलर लाइट क्रय की गयी थी। इस प्रकार 2016-17 से 2018-19 तक कुल 216 स्ट्रीट लाइट एवं 36 सोलर लाइट क्रय की गयी है। किन्तु किसी भी वर्ष का स्टॉक रजिस्टर एवं लाभार्थियों की सूची नहीं बनायी गयी है।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में निम्न विवरण अनुसार रु. 557510.00 स्ट्रीट लाइट क्रय एवं रु. 89600.00 सोलर लाइट क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जगदंबा शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शोभवती से रुपया-647110.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर - बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर- 49 आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत पर कुल रु. 249690.00 दर्शाया गया है, जिन पर निम्न आपत्तित है।

स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत

क्रमसं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	25.05.2018	17890.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
2	26.07.2018	18000.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
3	02.05.2018	26500.00	3 अदद सोलर लाइट मरम्मत
4	11.06.2018	12000.00	1 अदद सोलर लाइट मरम्मत
5	01.08.2018	46250.00	5 अदद सोलर लाइट मरम्मत
6	07.12.2018	17150.00	2 अदद सोलर लाइट मरम्मत
7	25.02.2019	40200.00	5 अदद सोलर लाइट मरम्मत
8	25.02.2019	40200.00	5 अदद सोलर लाइट मरम्मत
9	25.02.2019	19500.00	2 अदद सोलर लाइट मरम्मत
10	16.03.2019	12000.00	1 अदद सोलर लाइट मरम्मत
योग-		249690.00	

- (1) किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या-क्या कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन एवं कार्य होने का सहमति/प्रमाण पत्र।

- (2) मरम्मत दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका स्टॉक बनाकर रखा जाना एवं नीलाम किए जाने सम्बंधी पत्रावली।
- (3) नये उपकरण जो लगाए गए के क्रय सम्बंधी कैश रसीद/व्यय बाउचर आदि से सम्बंधी पत्रावली।
- (4) उपभोग प्रमाण पत्र।

उपरोक्त पत्र/पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि के सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जगदंबा शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शोभवती से रूपया-249690.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर – बराबर अपेक्षित है।

30- ग्राम पंचायत-सेमरी विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 50 आलोच्य वर्ष में हैन्डपम्प मरम्मत पर कुल रुपए 220309.00 दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	मद/विवरण
1	21.04.2018	19250	हैन्ड पम्प मरम्मत
2	08.05.2018	18950	हैन्ड पम्प मरम्मत
3	04.06.2018	21750	हैन्ड पम्प मरम्मत
4	20.07.2018	33229	हैन्ड पम्प मरम्मत
5	14.08.2018	23800	हैन्ड पम्प मरम्मत
6	15.10.2018	19950	हैन्ड पम्प मरम्मत
7	07.01.2019	14800	हैन्ड पम्प मरम्मत
8	07.01.2019	19950	हैन्ड पम्प मरम्मत
9	17.01.2019	32130	हैन्ड पम्प मरम्मत
10	22.02.2019	16500	हैन्ड पम्प मरम्मत
योग:-		220309	

- 1 किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
- 2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।
- 3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैश रसीद/वाउचर प्राप्त नहीं रही।
- 4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 220309.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामानंद यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्र भान मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 51 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्षपर्यंत निम्न विवरणानुसार परियोजनाविहीन हूम पाइप क्रय दर्शाकर कोषवही से धन आहरित किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	19.05.2018	69750.00	हूम पाइप क्रय 25 अदद
2	06.06.2018	27900.00	हूम पाइप क्रय 10 अदद
3	25.07.2018	55300.00	हूम पाइप क्रय 20 अदद
4	24.09.2018	22400.00	हूम पाइप क्रय 12 अदद
5	05.11.2018	61070.00	हूम पाइप क्रय 22 अदद

6	18.01.2019	76875.00	हूम पाइप क्रय 25 अदद
योग –		313295.00	

उक्त क्रय से संबंधित कोई पत्रावली कोटेशन टेंडर या क्रय हेतु किसी सक्षम अधिकारी का आदेश आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर बनाकर उसमें उक्त क्रय का अंकन नहीं किया गया है। जिस परियोजना में उसे स्थापित किया गया न कोषबही में उसका अंकन है, न ही फोटोग्राफ और क्रय से संबंधित वाउचर/रसीद प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण व्यय पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि 313295.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामानंद यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्र भान मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 52 स्ट्रीट लाइट स्थापना पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 559800.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.06.2018	91600.00	स्ट्रीट लाइटक्रय
2	02.06.2018	91600.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
3	07.07.2018	183200.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
4	28.11.2018	17320.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
5	07.01.2019	74080.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
6	12.02.2019	102000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग –		559800.00	

- 1 क्रय से संबंधित कोटेशन/टेंडर जांच दौरान उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम0 बी0 बुक नहीं बनाया गया है।
- 3 क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया। नेडा द्वारा क्रय या नेडा से निर्धारित दर पर क्रय किया गया नहीं, अज्ञात रहा।
- 4 विद्युत विभाग से कनेक्शन एवं बिलों के भुगतान संबंधी सूचना अप्राप्त रही
- 5 स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां लाइट लगाई गई लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
- 6 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में निम्न विवरण अनुसार रुपए 559800.00 स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया जो पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 559800.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामानंद यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्र भान मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 53 आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत पर कुल रुपए 233220.00 दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	19.06.2018	17600.00	स्ट्रीट लाइटमरम्मत
2	06.09.2018	19500.00	स्ट्रीट लाइटमरम्मत
3	22.10.2018	26455.00	स्ट्रीट लाइटमरम्मत
4	03.11.2018	26400.00	स्ट्रीट लाइटमरम्मत
5	20.11.2018	25020.00	स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत
6	10.12.2018	22400.00	सोलर लाइट मरम्मत
7	12.02.2019	24455.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
8	26.02.2019	22010.00	सोलर लाइट मरम्मत

9	19.03.2019	24200.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
10	13.07.2018	25180.00	सोलर लाइट मरम्मत
योग –		233220.00	

1 किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।

3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैंश रसीद प्राप्त नहीं रही।

4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 233220.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामानंद यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्र भान मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 54 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार शौचालय निर्माण दर्शाकर कोषबही से धन आहरित किया गया है।

क्र०स०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.04.2018	20000.00	सामग्री क्रय
2	06.06.2018	76059.00	सामग्री क्रय
3	06.06.2018	22000.00	टाइल्स क्रय
4	06.06.2018	55122.00	ईट गिट्टी
5	06.06.2018	42724.00	प्लम्बर समर सेबुल
6	08.06.2018	47950.00	मस्टर रोल
योग		263855.00	

उक्त क्रय से संबंधित कार्य योजना एम० बी० पुस्तिका स्टीमेट स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ और क्रय से संबंधित वाउचर/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण व्यय पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि 263855.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामानंद यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्र भान मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत-पीठापुर सरैया विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 55 आलोच्य वर्ष में हैन्ड पम्प मरम्मत पर कुल रुपए 141839.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

क्रम स०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	04.04.2018	33029.00	हैन्ड पम्प रीबोर
2	10.04.2018	19200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
3	06.06.2018	15300.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
4	25.07.2018	19500.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
5	12.09.2018	16800.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
6	03.11.2018	18200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
7	18.03.2019	19810.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
योग-		141839.00	

- 1 किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
- 2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।
- 3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैश रसीद/वाउचर प्राप्त नहीं रही।
- 4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 141839.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 56 स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट स्थापना पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 213460.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

क्रम स०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	01.05.2018	22900.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 05 अदद
2	14.05.2018	54960.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 12 अदद
3	13.08.2018	68700.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 15 अदद
4	19.03.2019	66900.00	सोलर लाइट स्थापना 03 अदद
योग-		213460.00	

- 1 क्रय से संबंधित कोटेशन टेंडर जांच दौरान उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम० बी० बुक नहीं बनाया गया है।
- 3 क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया। नेडा द्वारा क्रय या नेडा से निर्धारित दर पर क्रय किया गया नहीं, अज्ञात रहा।
- 4 विद्युत विभाग से कनेक्शन एवं बिलों के भुगतान संबंधी सूचना अप्राप्त रही
- 5 स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां लाइट लगाई गई लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
- 6 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में निम्न विवरण अनुसार रुपए 213460.00 स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 213460.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 57 आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत पर कुल रुपए 174640.00 दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है

क्रम स०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	18.04.2018	45800.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
2	06.06.2018	13200.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
3	13.07.2018	14080.00	सोलर लाइट मरम्मत
4	20.08.2018	17900.00	सोलर लाइट मरम्मत
5	06.10.2018	18100.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
6	10.12.2018	22400.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
7	11.12.2018	23600.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत

8	18.03.2019	19560.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
	योग	174640.00	

1 किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।

3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैश रसीद प्राप्त नहीं रही।

4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 174640.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 58 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष पर्यंत निम्न विवरणानुसार परियोजना विहीन ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर कोषबही से धन आहरित किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	26.06.2018	27500.00	ह्यूम पाइप क्रय
2	25.09.2018	33480.00	ह्यूम पाइप क्रय
योग -		60980.00	

उक्त क्रय से संबंधित कोई पत्रावली कोटेशन टेंडर या क्रय हेतु किसी सक्षम अधिकारी का आदेश आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर बनाकर उसमें उक्त क्रय का अंकन नहीं किया गया है। जिस परियोजना में उसे स्थापित किया गया न कोषबही में उसका अंकन है, न ही फोटोग्राफ और क्रय से संबंधित वाउचर रसीद प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण व्यय पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि 60980.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत-भदोई विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 59 ग्राम पंचायत भदोई की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आया।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	मद	कोषबही में प्राप्तकर्ता	बैंक स्टेटमेंट अनुसार प्राप्तकर्ता
1	05.11.2018	185	21200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत	मे० अखिलेश्वर चौधरी ट्रेडर्स	अंगद यादव
योग -			21200.00			

उक्त आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प मरम्मत के स्थलों की सूची हैन्ड पम्प खराब होने की सूचना ग्राम पंचायत जल समिति की अनुशंसा निष्प्रयोज्य सामग्री के नीलामी निस्तारण की स्थिति बिल वाउचर एम० बी० स्टीमेट आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त चेक का आहरण श्री अंगद यादव द्वारा किया गया है जबकि कोषबही में उक्त चेक का अंकन मे० अखिलेश्वर चौधरी ट्रेडर्स के नाम दर्ज किया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री अंगद यादव ने 21200.00 का स्वयं आहरण कर हैन्ड पम्प मरम्मत मद में कोषबही में काल्पनिक अंकन करते हुए धनराशि का आहरण किया है जो पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती

राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 21200.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मंजू देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंगद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत-ज्योतिपुर समैसा विकास खण्ड-जलालपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-60 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान श्री अमरजीत द्वारा स्वयं अपने और जयराम के नाम से धन का आहरण किया है जिसका अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	13.04.2018	157	7500.00
2	13.04.2018	156	11700.00
3	01.05.2018	158	11400.00
4	05.05.2018	159	11470.00
5	05.05.2018	160	10500.00
6	16.05.2018	163	7300.00
7	16.05.2018	164	5130.00
8	23.05.2018	167	21350.00
9	29.05.2018	170	9150.00
10	29.05.2018	172	7500.00
11	29.05.2018	171	8950.00
12	29.05.2018	169	9200.00
13	04.06.2018	168	27000.00
14	08.06.2018	178	22750.00
15	15.06.2018	180	8500.00
16	19.06.2018	184	8400.00
17	19.06.2018	185	11375.00
18	07.07.2018	195	10250.00
19	07.07.2018	192	3975.00
20	19.03.2019	205	10500.00
21	25.06.2018	189	11400.00
22	25.06.2018	188	12350.00
23	27.06.2018	190	11650.00
24	07.07.2018	198	18340.00
योग			277640.00

उक्त आहरण के सापेक्ष परियोजना या मद का नाम नहीं अंकित किया गया है साथ ही आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक स्टीमेट एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न प्रस्तुत करके काल्पनिक व्यय किया गया है जो पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 277640.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अमरजीत व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 61 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में धन राशियों का आहरण अज्ञात फर्म को निम्न विवरणानुसार किया गया है।

क्रम	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	16.05.2018	162	29980.00	अज्ञात
2	04.06.2018	173	11330.00	प्रकाश एण्ड संस
3	04.06.2018	174	60000.00	अज्ञात

4	04.06.2018	175	58000.00	अज्ञात
5	15.06.2018	177	22850.00	राज ब्रिक फील्ड
6	19.06.2018	182	20600.00	राज ब्रिक फील्ड
7	19.06.2018	183	70280.00	राज ब्रिक फील्ड
8	25.06.2018	181	28880.00	राज ब्रिक फील्ड
9	25.06.2018	187	23600.00	राज ब्रिक फील्ड
10	07.07.2018	194	10480.00	अज्ञात
11	07.07.2018	196	30300.00	अज्ञात
12	07.07.2018	197	97487.00	अज्ञात
13	07.07.2018	193	15128.00	अज्ञात
14	12.07.2018	199	29800.00	अज्ञात
15	14.03.2019	202	82500.00	सिंह ट्रेडर्स
16	14.03.2019	203	82500.00	सिंह ट्रेडर्स
17	14.03.2019	200	30196.00	सिंह ट्रेडर्स
18	19.03.2019	204	22395.00	अखिलेश्वर चौधरी ट्रेडर्स
19	19.03.2019	206	30100.00	अज्ञात
20	19.03.2019	207	21400.00	अज्ञात
योग			778166.00	

उक्त क्रय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे वाउचर, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेंडर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त धनराशि का व्यय अपुष्ट एवं आधारहीन है जो पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 778166.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अमरजीत व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

34- ग्राम पंचायत-काजीपुर विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 62 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद
1	18.04.18	₹ 4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	18.04.18	₹ 4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	26.04.18	₹ 2000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	05.07.18	₹ 14350.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	13.08.18	₹ 4950.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	12.09.18	₹ 10075.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	17.09.18	₹ 16813.00	हैण्डपम्प मरम्मत
8	14.12.18	₹ 12250.00	हैण्डपम्प मरम्मत
9	18.12.18	₹ 17500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
10	27.12.18	₹ 4950.00	हैण्डपम्प मरम्मत
11	28.01.19	₹ 8925.00	हैण्डपम्प मरम्मत
12	01.02.19	₹ 20705.00	हैण्डपम्प मरम्मत
13	07.02.19	₹ 44400.00	हैण्डपम्प मरम्मत
योग		₹ 166718.00	

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टोक

की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि रु0 166718.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कुमार एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 63 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	कार्य
1	29.06.18	5000.00	कूप मरम्मत
2	29.06.18	2420.00	कूप मरम्मत
4	01.08.18	3000.00	कूप मरम्मत
5	09.08.18	16779.00	कूप मरम्मत
6	10.08.18	17407.00	कूप मरम्मत
7	13.08.18	8877.00	कूप मरम्मत
8	21.08.18	26213.00	कूप मरम्मत
9	28.08.18	7893.00	कूप मरम्मत
10	28.08.18	11350.00	कूप मरम्मत
11	10.09.18	4950.00	कूप मरम्मत
12	10.09.18	4950.00	कूप मरम्मत
13	13.12.18	1900.00	कूप मरम्मत
15	14.03.19	12822.00	कूप मरम्मत
	योग	147836.00	

उक्त व्यय योग धनराशि रु0 147836.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक व मस्टररोल उपलब्ध नहीं है एवं किसी भी प्रकार से उक्त कूप मरम्मत कराये जाने की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय के संगत अभिलेखों के उपलब्ध न रहने के कारण उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कुमार एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -64 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि
1	14.05.2018	61,500.00
2	29.05.2018	21,000.00
3	01.08.2018	49,200.00
4	06.03.2019	23,600.00
	योग	1,55,300.00

उक्त व्यय योग धनराशि रु0 153300.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं किसी भी प्रकार से उक्त क्रय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त व्यय के औचित्य, उपयोगिता की ही पुष्टि में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से कैशबुक में दर्शित उक्त सामग्री का भौतिक अस्तित्व अपुष्टि रहा। अतः संगत अभिलेखों के उपलब्ध न रहने के कारण उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है

जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कुमार एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

35- ग्राम पंचायत-महुआरी विकास खण्ड-टाण्डा लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

प्रस्तर- 65 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद
1	28.07.2018	29,650.00	हैण्डपम्प रिबोर
2	28.07.2019	29,650.00	हैण्डपम्प रिबोर
3	16.08.2018	29,650.00	हैण्डपम्प रिबोर
4	16.08.2019	29,650.00	हैण्डपम्प रिबोर
5	16.08.2020	29,800.00	हैण्डपम्प रिबोर
6	25.01.2019	29,550.00	हैण्डपम्प रिबोर
7	12.02.2019	29,550.00	हैण्डपम्प रिबोर
	योग	2,07,500.00	

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है।, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि ₹0 207500.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मया राम एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 66 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद
1	21.08.2018	12,000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	21.08.2018	12,000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	31.01.2019	42,835.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	12.02.2019	31,830.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग	98,665.00	

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया है।, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी अथवा स्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा। अतः उपरोक्त व्यय योग धनराशि ₹0 98665.00 का व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मया राम एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 67 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान की धनराशि	मद	कार्य
1	20.04.2018	30,240.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
2	20.04.2018	10675.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
3	20.04.2018	59220.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत

4	20.04.2018	17500.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
5	20.04.2018	3325.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
6	20.04.2018	18270.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
7	20.04.2018	10850.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
8	20.04.2018	17500.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
9	20.04.2018	4025.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
10	20.04.2018	35240.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
11	20.04.2018	11550.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
12	25.05.2018	52290.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
13	26.09.2018	24500.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
14	26.09.2018	24500.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
15	26.09.2018	24500.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
16	28.09.2018	66950.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
17	29.09.2018	66950.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
18	29.09.2018	66950.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
19	10.10.2018	35380.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
20	10.10.2018	19250.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
21	05.10.2018	54075.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
22	05.10.2018	20125.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
23	10.10.2018	24720.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
24	10.10.2018	10500.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
25	04.01.2019	47157.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
26	04.01.2019	6125.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
27	15.03.2019	465455.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
28	15.03.2019	16100.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
29	15.03.2019	46545.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
30	15.03.2019	24504.00	सामग्री	खड़न्जा मरम्मत
31	15.03.2019	16100.00	मजदूरी	खड़न्जा मरम्मत
	योग	9,12,161.00		

उक्त व्यय योग धनराशि रु0 912161.00 के संगत कोई व्यय प्रमाणक व मस्टररोल उपलब्ध नहीं है एवं किसी भी प्रकार से उक्त खड़न्जा मरम्मत कराये जाने की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय के संगत अभिलेखों के उपलब्ध न रहने के कारण उक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है, इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमवाली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मया राम एवं पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

36- ग्राम पंचायत-कियामपुर विकास खण्ड-जहाँगीरगंज लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18 एवं 2018-19
प्रस्तर-68 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में रु0 524128.00 का हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन आहरित किया गया है, जिसपर निम्न आपत्तियाँ हैं।
 हैण्डपम्प मरम्मत

क्रम0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11.05.2017	24830.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	15.06.2017	24810.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	23.10.2017	20835.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	26.10.2017	28570.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	04.01.2018	22520.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	29.01.2018	13320.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	03.02.2018	29480.00	हैण्डपम्प मरम्मत
8	03.02.2018	24378.00	हैण्डपम्प मरम्मत

9	28.02.2018	17350.00	हैण्डपम्प मरम्मत
10	17.03.2018	23330.00	हैण्डपम्प मरम्मत
11	28.03.2018	22190.00	हैण्डपम्प मरम्मत
12	05.04.2018	19897.00	हैण्डपम्प मरम्मत
13	05.04.2018	19975.00	हैण्डपम्प मरम्मत
14	21.04.2018	19878.00	हैण्डपम्प मरम्मत
15	27.04.2018	29700.00	हैण्डपम्प मरम्मत
16	02.05.2018	19550.00	हैण्डपम्प मरम्मत
17	02.05.2018	19375.00	हैण्डपम्प मरम्मत
18	18.05.2018	21580.00	हैण्डपम्प मरम्मत
19	14.06.2018	23980.00	हैण्डपम्प मरम्मत
20	28.06.2018	38100.00	हैण्डपम्प मरम्मत
21	17.09.2018	24990.00	हैण्डपम्प मरम्मत
22	26.09.2018	12560.00	हैण्डपम्प मरम्मत
23	08.02.2019	22930.00	हैण्डपम्प मरम्मत
योग -		524128.00	

अ-भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ब-कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

स-हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थलों की सूची, हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं ग्राम पंचायत जल समिति की अनुशंसा अप्राप्त रही।

इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्री राम बलीराम एवं ग्राम प्रधानश्री हरिकेश वर्मा से रूपया-524128.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर - बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर- 69 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं सोलर लाइट स्थापना पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल स्ट्रीट लाइट पर रु. 183280.00 एवं सोलर लाइट पर रु. 168800.00 व्यय दर्शाया गया है, जिन पर निम्न आपत्ति हैं।

स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट स्थापना :-

क्रम0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	28.07.2017	84400.00	सोलर लाइट स्थापना
2	03.02.2018	84400.00	सोलर लाइट स्थापना
3	01.01.2018	84480.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
4	11.02.2019	98800.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
योग -		352080.00	

- (1) क्रय से सम्बंधित कोटेशन/टेण्डर जांच दौरान उपलब्ध नहीं रहा।
- (2) कार्ययोजना, कार्यवाही, स्टीमेट एवं एमबी बुक नहीं बनाया गया है।
- (3) क्रय से सम्बंधित बिल बाउचर, गारंटी कार्ड आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। नेडा द्वारा क्रय या नेडा से निर्धारित दर पर क्रय किया गया या नहीं अज्ञात रहा।
- (4) विद्युत विभाग से कनेक्शन एवं बिलों के भुगतान सम्बंधी सूचना अप्राप्त रही।
- (5) स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां लाइट लगायी गयी है। लाभार्थी की सूची नहीं बनायी गयी है।
- (6) लाभार्थी द्वारा दिया गया आवेदन पत्र से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में उक्त विवरण अनुसार रु. 183280.00 स्ट्रीट लाइट क्रय एवं रु. 168800.00 सोलर लाइट क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार बिना किसी प्रमाणक के कोषवही में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीराम बलीराम एवं ग्राम प्रधान श्री हरिकेश वर्मा से रूपया-352080.00 की वसूली मय ब्याज सहित बराबर – बराबर अपेक्षित है।

37- ग्राम पंचायत-नरहरिया करमपुर विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 70 ग्राम पंचायत नरहरिया करमपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए ।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
1	27.04.2018	56017	10250.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
2	07.06.2018	56019	17200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
3	13.06.2018	57021	22200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
योग -			49650.00	

हैन्डपम्प मरम्मत पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 49650.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

- 1 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम0 बी0 बुक नहीं बनाया गया है।
- 2 क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया।
- 3 लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है, जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां हैन्डपम्प मरम्मत कराया गया और स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
- 4 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

इस प्रकार वर्ष आलोच्य में हैन्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 49650 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरि बक्श सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव प्रशांत पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सोलर लाइट मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
1	05.06.2018	57020	14850.00	सेलर लाइट मरम्मत
2	15.06.2018	57023	15150.00	सेलर लाइट मरम्मत
3	15.06.2018	57022	15100.00	सेलर लाइट मरम्मत
4	09.08.2018	57032	6200.00	सेलर लाइट मरम्मत
5	07.02.2019	70939	15900.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
योग -			67200.00	

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट मरम्मत पर कुल रुपए 67200.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है

- 1 किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
- 2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।
- 3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैंश रसीद प्राप्त नहीं रही।
- 4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के

अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 67200.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरि बक्श सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव प्रशांत पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

38- ग्राम पंचायत-मरथुआ सरैया विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर- 72 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैन्डपम्प मरम्मत कार्य पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

क्रम0	दिनांक	धनराशि	मद
1	19.07.2018	19950.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
2	05.11.2018	19850.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
3	11.02.2019	17200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
योग -		57000.00	

हैन्डपम्प मरम्मत पर आलोच्य वर्षमें विभिन्न तिथियों में कुल 57000.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

1. स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम0 बी0 बुक नहीं बनाया गया है।
2. क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया।
3. स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां हैन्डपम्प मरम्मत कराया गया और लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
4. लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

इस प्रकार वर्ष आलोच्य में हैन्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 57000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रीना व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

39- ग्राम पंचायत-अंगवल विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-73 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	मद
1	26.04.2018	18950.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
2	28.05.2018	12500.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
3	24.08.2018	16050.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
4	12.12.2018	16500.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
5	18.02.2019	12550.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
योग -		76550.00	

हैन्डपम्प मरम्मत पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 76550.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

- 1 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम0 बी0 बुक नहीं बनाया गया है।
- 2 क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया।
- 3 स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां हैन्डपम्प मरम्मत कराया गया और लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
- 4 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

इस प्रकार वर्ष आलोच्य में हैन्ड पम्प मरम्मत व्यय दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 76550.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी

वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला मौर्या व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सोलरलाइट, स्ट्रीटलाइट मरम्मत एवं स्ट्रीटलाइट क्रय पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए ।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	मद
1	27.04.2018	24200.00	सोलरलाइट मरम्मत
2	03.08.2018	14100.00	स्ट्रीटलाइट मरम्मत
3	04.08.2018	26675.00	स्ट्रीटलाइट क्रय
4	04.08.2018	26675.00	स्ट्रीटलाइट क्रय
5	27.08.2018	15250.00	स्ट्रीटलाइट मरम्मत
6	27.08.2018	11050.00	सोलरलाइट मरम्मत
	योग	117950.00	

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट मरम्मत व क्रय एवं सोलर लाइट मरम्मत पर कुल रुपए 117950.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

- 1 किन-किन स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइट स्थापना/मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।
- 3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैश रसीद प्राप्त नहीं रही।
- 4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 117950.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला मौर्या व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत- डोमनेपुर विकास खण्ड-कटेहरी लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-75 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए ।

क्रम०	दिनांक	धनराशि	मद
1	19.05.2018	35500.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
2	20.08.2018	37460.00	हैन्ड पम्प मरम्मत
	योग -	72960.00	

हैन्डपम्प मरम्मत पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 72960.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

- 1 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम० बी० बुक नहीं बनाया गया है।
- 2 क्रय से संबंधित बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया।
- 3 स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां हैन्डपम्प मरम्मत कराया गया और लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
- 4 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।

इस प्रकार वर्ष आलोच्य में हैन्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 72960.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत

प्रधान श्री अजय कुमार साहू व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइट क्रय एवं स्ट्रीटलाइट मरम्मत पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए

क्रम0	दिनांक	धनराशि	मद
1	21.06.2018	69000.00	स्ट्रीटलाइट क्रय
2	21.06.2018	59800.00	स्ट्रीटलाइट क्रय
3	21.06.2018	69000.00	स्ट्रीटलाइट क्रय
4	30.10.2018	17500.00	स्ट्रीटलाइट मरम्मत
योग -		215300.00	

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं क्रय पर कुल रुपए 215300.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है

- 1 किन-किन स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइट स्थापना/मरम्मत का कार्य कराया गया, क्या कार्य कराया गया एवं लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्य होने का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
- 2 मरम्मत के दौरान अवशेष के रूप में निकाले गए उपकरण जिनका मृत स्कन्ध रजिस्टर बनाकर रखा जाना था एवं नीलाम किए जाने संबंधी पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।
- 3 नए उपकरण जो लगाए गए, के क्रय संबंधी कैश रसीद प्राप्त नहीं रही।
- 4 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कराए गए कार्य एवं उस पर व्यय की गई धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 215300.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प रीबोर कार्य पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए

क्रम0	दिनांक	धनराशि	मद
1	13.09.2018	33000.00	हैन्ड पम्प रीबोर
2	13.09.2018	33000.00	हैन्ड पम्प रीबोर
3	13.09.2018	33000.00	हैन्ड पम्प रीबोर
योग -		99000.00	

हैन्ड पम्प रीबोर पर आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 99000.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है।

- 1 स्टीमेट, कार्यवाही एवं एम0 बी0 बुक नहीं बनाया गया है।
- 2 क्रय से संबंधित बिल वाउचर आदि प्रस्तुत किया गया।
- 3 स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हुआ कि कहां-कहां हैन्डपम्प रीबोर कराया गया और लाभार्थियों की सूची नहीं बनाई गई है।
- 4 लाभार्थी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही।
- 5 डेड स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे निस्प्रयोज्य सामानों की नीलामी आदि की स्थिति अज्ञात रही।
6. जल निगम द्वारा जांच कराकर निस्प्रयोज्य/रीबोर कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर नहीं रखा गया है।

इस प्रकार वर्ष आलोच्य में हैन्ड पम्प रीबोर पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया। अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के

विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 99000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-अमेठी मण्डल-अयोध्या

ग्राम पंचायत का नाम- कोरारीगिरधरशाह विकास खण्ड-अमेठी जनपद -अमेठी

प्रस्तर संख्या - 01 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर व्यय की गयी है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11.04.2018	19875.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
2	25.05.2018	19985.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
3	30.07.2018	19725.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
4	30.07.2018	19920.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
5	30.08.2018	19770.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
6	30.08.2018	19910.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
7	30.08.2018	19875.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
8	30.08.2018	19925.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
9	30.08.2018	19850.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सुमन इण्टरप्राइजेज को भुगतान
	योग	178845.00	

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयीं-

1. उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
2. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं करायी गयी।

इस प्रकार रु. 178845.00 को वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर दिया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु. 178845.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 89422.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार तथा रु. 89422.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा पाण्डेय) अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- मोचवा विकास खण्ड-अमेठी जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 02 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि एलईडी लाइट पर व्यय की गयी है-

क्रम	दिनांक	धनराशि
1	03.10.2018	42500.00
2	03.10.2018	21250.00
3	03.10.2018	21250.00
4	03.10.2018	42500.00

5	03.10.2018	42500.00
6	03.10.2018	21250.00
	योग	191250.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी—

1. एलईडी लाइट स्थापना हेतु भुगतानों में से किसी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
2. एलईडी लाइट पर किये गये व्यय के सापेक्ष एलईडी स्थापना, स्थलों की सूची व मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. एलईडी लाइट का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए जबकि भुगतान नकद किये गये दर्शित है।
4. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं करायी गयी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धनराशि रु. 191250.00 को वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए भुगतान कर व्यय दर्शित कर दिया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु. 191250.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 95625.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुराग यादव तथा रु. 95625.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—भगनपुर विकास खण्ड—अमेठी जनपद—अमेठी
प्रस्तर संख्या — 03

1. आलोच्य वर्ष में सूर्यभान के घर से श्याम सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर रु. 178577.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्रम	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	12.02.2019	136077.00	बाबत उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय का प्रकाश ईट उद्योग को भुगतान
2	26.02.2019	25000.00	बाबत उपरोक्त कार्य मजदूरी
3	01.03.2019	7000.00	बाबत उपरोक्त कार्य शेष मजदूरी
4	07.03.2019	7000.00	बाबत उपरोक्त कार्य मिट्टी ट्रैक्टर ढुलाई
5	28.03.2019	3500.00	बाबत उपरोक्त कार्य साइन बोर्ड
	कुल	178577.00	

लेखा परीक्षा में उक्त खड़न्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उपरोक्त दर्शित व्यय/भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रु. 178577.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती ललिता त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी तथा श्रीमती सावित्री ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से (रु. 89288.50 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती ललिता त्रिपाठी तथा रु. 89288.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से) अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 04 आलोच्य वर्ष में हरीशचन्द्र के घर से गडही तक नाली निर्माण कार्य पर रु. 147509.00 का व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्रम	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	26.02.2019	19250.00	बाबत उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
2	28.02.2019	20808.00	बाबत उपरोक्त कार्य मौर्या ट्रेडर्स को सीमेंट बालू आपूर्ति का भुगतान
3	28.02.2019	27560.00	बाबत उपरोक्त कार्य सिंह ईट निर्माण समिति को ईट आपूर्ति का भुगतान 5000 नगद 5512/हजार
4	08.03.2019	15750.00	बाबत उपरोक्त कार्य मजदूरी का शेष भुगतान
5	18.03.2019	33828.00	बाबत उपरोक्त कार्य सिंह ईट निर्माण समिति को ईट ईट की रोड़ी का भुगतान
6	26.03.2019	26813.00	बाबत उपरोक्त कार्य मौर्या ट्रेडर्स को सीमेंट मोरंग बालू सरिया का भुगतान
7	26.03.2019	3500.00	बाबत उपरोक्त कार्य अवध ट्रेडर्स को साइन बोर्ड का भुगतान
	कुल	147509.00	

लेखा परीक्षा में उक्त नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उपरोक्त दर्शित व्यय/भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-8 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रु. 147509.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती ललिता त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी तथा श्रीमती सावित्री ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से (रु. 73754.50 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती ललिता त्रिपाठी तथा रु. 73754.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से) अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—टिकरा बैजनाथ विकास खण्ड—मुसाफिरखाना जनपद—अमेठी

प्रस्तर संख्या— 05 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हयूम पाइप/सामग्री क्रय किये जाने पर व्यय की गयी है—

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	05.03.2019	003096	13800.00	राम अवध के घर से कृष्ण कुमार के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु बालू एवं कार्टेज का भुगतान।
2.	28.03.2019	027792	57072.00	खरगीपुर से शिवप्रसाद के घर होते हुए भूमिगत नाली हेतु सामग्री अजय इण्टर प्राइजेज को भुगतान।
3	30.03.2019	027140	8700.00	रामअवध के घर से कृष्ण कुमार के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य हेतु स्पन पाइप क्रय।
4	30.03.2019	027804	102000.00	अजय इण्टर प्राइजेज से स्पन पाइप क्रय एवं भुगतान बाबत वेचू के घर से आबादी तक नाली निर्माण कार्य।
	योग		1,81,572.00	

1. इस प्रकार कुल रु. 181572.00 की हयूम पाइप तथा सामग्री क्रय की गयी है जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं—

(क) स्पन पाइप क्रय का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास नहीं कराया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से प्रस्ताव। अनुमोदन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया गया है।

(ग) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर अंकित में किया जाना चाहिए जबकि हयूम पाइप क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं की गयी है।

(घ) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जबकि हयूम पाइप/सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(ङ.) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) एवं 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत स्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है जबकि हयूम पाइप क्रय करने में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जीएसटी 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 3631.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जीएसटी भी जमा नहीं किया गया है।

(छ) उक्त क्रय की गयी हयूम पाइप तथा सामग्री का वाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी चाहिए।

(छ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हयूम पाइप/सामग्री क्रय पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है अतः उक्त अपहरित की गयी धनराशि रु 181572.00 का आधा रु. 90786.00 ग्राम प्रधान श्री करुणा प्रसाद तिवारी तथा आधा रु. 90786.00 सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती आराधना मिश्रा तथा श्री ओम जी सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 06 वित्त वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों विभिन्न निर्माण कार्यों तथा मरम्मत कार्यों पर अनियमित ढंग से मजदूरी पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) नहीं प्रस्तुत किये गये हैं विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	21.02.2019	003097	27600.00	राम अवध के घर से कृष्ण कुमार के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय
2	28.03.2019	027791	5000.00	इण्डिया मार्का 2 नल मरम्मत मजदूरी पर व्यय
3	28.03.2019	027141	5600.00	सिद्धनाथ के घर की नाली की मजदूरी का भुगतान
4	28.03.2019	027793	13800.00	खरगीपुर माधव में शिवप्रसाद के दरवाजे नाली के मजदूरी का भुगतान।
5	28.03.2019	027796	20100.00	शीतल के दरवाजे से जगप्रसाद के दरवाजे तक खडंजा मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान।
6	30.03.2019	027801	7500.00	रामबोध के घर से कल्लू के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी का भुगतान।
7	30.03.2019	027805	5000.00	इण्डिया मार्का 2 नल मरम्मत मजदूरी का भुगतान।
	योग		84,600.00	

इस प्रकार कुल रु. 84600.00 का व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री करुणा प्रसाद तिवारी से रु. 42300.00 तथा सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती अराधना मिश्रा व श्री ओम जी सिंह से रु. 42300.00 । इस प्रकार कुल धनराशि रु. 84600.00 की वसूली संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम औरंगाबाद विकास खण्ड-मुसाफिरखाना जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या- 07 वित्त वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री पर धनराशि अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	05.11.2018	7300	56000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री क्रय देवांश ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान।
2	13.11.2018	7302	21000.00	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री पर व्यय।
3	07.01.2019	7301	25000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला की बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान।
4	12.02.2019	7310	23000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान देवांश ट्रेडिंग कम्पनी।
5	22.02.2019	7309	44000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु ईट का भुगतान एबीएफ ब्रिक फील्ड।
6	02.03.2019	7312	100800.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु ईट क्रय देवांश ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान।
7	06.03.2019	7313	25000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं भुगतान।
8	12.03.2019	7314	25000.00	पूरे सिद्धि प्रा0पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं भुगतान।
	योग		3,19,800.00	

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि बाउण्ड्री निर्माण हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जबकि प्राइमरी पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) एवं 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया

जायेगा कि कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत स्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि प्रा० पाठशाला निर्माण के भुगतान में नहीं किया गया है।

(ड.) वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जीएसटी 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 6396.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जीएसटी भी जमा नहीं किया गया है।

(च) उक्त क्रय की सामग्री का प्रमाणक/वाउचर/मास्टर रोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी चाहिए।

(छ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त प्राइमरी पाठशाला बाउण्ड्री निर्माण हेतु क्रय की गयी सामग्री पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि रु 3,19,800.00 का अपहरण किया गया है अतः रु. 1,59,900.00 ग्राम प्रधान श्री माता फेर एवं रु. 1,59,900.00 सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती छायादेवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-बेसारा पूरब विकास खण्ड-मुसाफिरखाना जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या- 08 वित्त वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में धनराशि नाली निर्माण/मरम्मत पर व्यय की गयी है परन्तु उक्त फर्मों से प्राप्त व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	10.04.2018	18441	45000.00	माता प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट का क्रय का भुगतान देवांश ट्रेडिंग कम्पनी।
2	06.07.2018	18443	7900.00	अमरनाथ के दरवाजे से तालाब तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
3	06.07.2018	18444	13500.00	राज बहादुर के दरवाजे से आना तालाब तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान त्रिपाठी ट्रेडर्स
4	06.07.2018	18442	16375.00	अमरनाथ के दरवाजे से तालाब नाली निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान त्रिपाठी ट्रेडर्स
5	06.07.2018	18445	21345.00	राजबहादुर के दरवाजे से आना तालाब तक नाली निर्माण हेतु हयूम पाइप क्रय व भुगतान स्वर्णिमा कान्स्ट्रक्शन
6	06.09.2018	18448	25185.00	रामआधार के घर से खड़जा तक नाली निर्माण हेतु का सामग्री क्रय व भुगतान त्रिपाठी ट्रेडर्स
7	15.09.2018	18453	23662.00	रामआधार के घर से खड़जा तक नाली निर्माण हेतु का सामग्री का भुगतान त्रिपाठी ट्रेडर्स
8	04.02.2019	18493	55894.00	अनिल कोरी के घर से तालाब तक नाली निर्माण व पटिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान देवांश ट्रेडिंग कम्पनी
9	07.02.2019	18489	114800.00	अनिल कोरी के घर से तालाब तक नाली निर्माण व पटिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान विजय ट्रेडर्स
	योग		3,23,661.00	

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि नाली निर्माण/मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टाक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जबकि नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) एवं 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत स्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि नाली निर्माण के भुगतान में नहीं किया गया है।

(ड.) वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जीएसटी 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 6473.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जीएसटी भी जमा नहीं किया गया है।

(च) उक्त क्रय की सामग्री का प्रमाणक/वाउचर/मास्टर रोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी चाहिए।

(छ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त नाली निर्माण/मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि रु. 3,23,661.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु. 1,61,831.00 ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानमनी एवं रु. 1,61,830.00 सचिव ग्राम पंचायत सुश्री राखी कश्यप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में सम्मिलित जनपद अयोध्या की 34 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कल्पित भुगतान कर, प्रमाणक विहीन व्यय कर, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत न कर एवं कोषबही में छलपूर्ण पृविष्टियां कर धन का अपहरण/अनियमितताएं की गयी हैं। विवरण प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रस्तरवार विवरण निम्नवत् है।

1-ग्राम पंचायत-इस्माइल नगर सिंहोरा, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर भुगतान दर्शित है। जिससे सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ह्यूम पाइप के विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु क्रय दर्शाया गया जबकि इसका प्राविधान कार्ययोजना पर किया जाना चाहिए था। ऑडिट समाप्ति तक वांछित समस्त अभिलेख एवं कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा सकी। क्रय का विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु0	अन्य
18.06.2018	मटेरियल क्रय ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान श्री साई ट्रेडर्स को	98752.00	
		98752.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

1- उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाइप क्रय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

2- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी ह्यूम पाइप क्रय की गई। तथा इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया।

3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग

प्रमाण—पत्र इतनी अधिक पाइप क्रय के उद्देश्य आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

4— उक्त क्रय ह्यूम पाइप की लगवाई से सम्बन्धित न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत रहा और न कैशबुक में इसकी लगवाई पर कोई व्यय ही दर्शित किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रू0 98752.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रू0 98752.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान सहदेव यादव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना शर्मा से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—02 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत हेतु विभिन्न दुकानों/फर्मों/व्यक्तियों को लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में रू0 150822.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित किया गया है—

दिनांक	चेक संख्या	कैश बुक के अनुसार विवरण	धनराशि रू0
01.05.2018	000173	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु आशीष मशीनरी स्टोर को भुगतान	22530.00
28.05.2018	000175	हैण्ड पम्प रिबोर हेतु लक्षन को भुगतान	1000.00
28.05.2018	000174	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु श्री हंस मशीनरी स्टोर को भुगतान	18852.00
28.05.2018	000179	हैण्ड पम्प रिबोर हेतु लक्षन को भुगतान	1000.00
28.05.2018	000177	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु श्री हंस मशीनरी स्टोर को भुगतान	19236.00
04.06.2018	000180	हैण्ड पम्प रिबोर पर मजदूरी का भुगतान	6650.00
04.06.2018	000176	हैण्ड पम्प रिबोर पर मजदूरी का भुगतान	6825.00
02.08.2018	000187	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु आशीष मशीनरी स्टोर को भुगतान	18800.00
28.08.2018	000191	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु आशीष मशीनरी स्टोर को भुगतान	27771.00
28.08.2018	000192	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु आशीष मशीनरी स्टोर को भुगतान	28158.00
		योग	150822.00

01— उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत पर किये गये कार्य पर व्यय अनियंत्रित ढंग से किये गये हैं। लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त रिबोर/मरम्मत पर व्यय के सम्बन्ध में हैण्डपम्पों के मरम्मत/रिबोर के स्थान का विवरण एवं हैण्डपम्पों की संख्या कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। जिससे सम्बन्धित जाँच नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावलियाँ एवं सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या—27/2017/662/33—3—2017—46/2015 के अनुरूप एवं रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या—51/2017/1211/33—3—2017—46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं।

02— लेखा परीक्षा में कार्य की पूर्ण पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त कार्य से सम्बन्धित इस्टीमेट, बिल, टेण्डर/ कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, उपभोग प्रमाण—पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य तथा कार्य पर व्यय को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 150822.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सहदेव यादव तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना शर्मा से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों के निम्न प्रकार बेंच स्थापना मटेरियल क्रय पर व्यय किया गया दर्शित है:-

दिनांक	चेक संख्या	कैश बुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु0
13.03.2019	000271	ग्राम पंचायत में बेंच स्थापना हेतु मटेरियल क्रय मेसर्स मैदुद्दीन को भुगतान	96000.00
13.03.2019	000272	ग्राम पंचायत में बेंच स्थापना हेतु मटेरियल क्रय मेसर्स मैदुद्दीन को भुगतान	96000.00
		योग-	192000.00

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

01- उक्त क्रय बेंच मटेरियल से बेंच बनवाई एवं उसकी लगवाई से सम्बन्धित न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत रहा और न कैशबुक में इसकी लगवाई पर कोई व्यय ही दर्शित किया गया है।

02- उक्त विवरण में दर्शित बेंच निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

03- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि कितनी संख्या में बेंच का निर्माण कराया गया तथा मात्रा में मटेरियल खरीदा गया तथा अथवा ठीक से कार्य कराया गया और इनकी क्रय दर क्या थी।

04- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त कार्य से सम्बन्धित इस्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन /मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र एवं जीओ टैगिंग आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 192000.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 192000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान सहदेव यादव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना शर्मा से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 16.03.2019 को चेक नं0 000273 से रु0 30044.00 का भुगतान तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में दर्शित किया गया है। परंतु यह तकनीकी प्रशासनिक व्यय किस कार्य हेतु किया गया है इसका अंकन नहीं किया गया है। कैशबुक में व्यय से सम्बन्धित सूचना अधूरी अंकित की गई है। इस व्यय से की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। अतः व्यय प्रमाण का विहीन एवं विवरण विहीन है। इस प्रकार के प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का

यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि—“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन नियम विरुद्ध किया गया व्यय रू0 30044.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सहदेव यादव तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत-पण्डितपुर, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 07.02.2019 को क्रमशः चेक नं0 102 एवं 103 से विभिन्न नालियों पर आर0सी0सी0 पटिया निर्माण पर रू0 76447.00 मटेरियल क्रय हेतु वर्मा ट्रेडर्स को तथा रू0 10675.00 पटिया निर्माण मजदूरी का अर्थात् कुल रू0 87122.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। जबकि प्रत्येक नाली के लिए अलग-अलग आइ0डी0 पर कार्य कराये जाने चाहिए थे। कैशबुक में कार्य के सम्बन्ध में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। इसकी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक (मय-स्टीमेट, बिल मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः कार्य पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः स्पष्ट है कि कार्य पर किया गया कुल व्यय रू0 87122.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रू0 87122.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर-6

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि रू0	अन्य
10.09.2018	मॉ दुर्गा स्पन पाइप कम्पनी को ह्यूम पाइप का भुगतान	68198.00	
	योग-	68198.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

1- उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाइप क्रय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

2- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी ह्यूम पाइप क्रय की गई। तथा इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया है अर्थात् स्थापना स्थलों के नाम अंकित नहीं किये गये हैं। अतः पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र विभागीय रोक के बावजूद इतनी अधिक पाइप क्रय के उद्देश्य आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। **मूल आपत्ति संख्या-19**

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रू0 68198.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के

विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 68198.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 राज कुमार के घर से जगमोहन के घर के बगल से तालाब तक नाली निर्माण हेतु दिनांक 04.04.2018 में चेक नं0- 00073 से विंध्यवासिनी ईट निर्माता से रु0 8001.00 की ईट क्रय दर्शित है। परंतु पूरे वर्ष में इसका कहीं उपयोग नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि क्रय स्टॉक का अपहरण किया गया है। इसका कोई वाउचर/व्यय पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 8001.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 दिनांक 07.08.2018 में प्रा0 विद्यालय पण्डितपुर में समर सेबुल, टंकी पलम्बरिंग आदि संक्षिप्त विवरण कैशबुक में अंकित कर चेक नं0 116 से रु0 79871.00 का भुगतान देवा इलेक्ट्रिक कम्पनी का दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय पत्रावली अपूर्ण बताई गई और बाद में भी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणकों (मय स्टीमेट, बिल , मस्टर रोल, डेमोबी0 कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) एवं पत्रावलियों की पूर्णता पर ध्यान किये बगैर काग्र दर्शाए जा रहे हैं और भुगतान भी किये जा रहे हैं।

अतः उक्त प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 79871.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत-परानापुर, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 06.02.2019 को चेक नं0 106 से रु0 57380.00 का भुगतान प्रशासनिक मद में हंश मशीनरी स्टोर को दर्शित किया गया है। प्रशासनिक मद पर मशीनरी स्टोर को क्यों भुगतान किया गया इसकी जाँच व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों के अभाव में नहीं किया जा सका। अतः दर्शित व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी

व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” अतः उल्लिखित नियम के उल्लंघन के आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध किया गया व्यय रु0 57380.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में वसूल की जानी अपेक्षित है। उक्त के स्पष्टीकरण में व्यय पत्रावलियों के साथ प्रमाणकों, एवं अभिलेखों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि गौशाला निर्माण कार्य पर कैशबुक में केवल मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	मजदूरी पर व्यय	अन्य
15.01.2019	ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	25000.00	बिना सामग्री क्रय के मजदूरी भुगतान व्यय पत्रावली अप्राप्त।
18.01.2019		20000.00	
23.01.2019		7000.00	
05.02.2019		6000.00	
16.03.2019		42000.00	
	योग-	100000.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

- 1- उक्त विवरण में दर्शित निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं रहे। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।
- 2- उक्त गौशाला निर्माण हेतु मटेरियल का क्रय नहीं किया गया दर्शित है। ऐसी स्थिति में इतनी अधिक मजदूरी का भुगतान कहाँ एवं किस कार्य किया गया पत्रावली एवं पूर्ण प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाया। यह धनराशि कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर व्यपहत की गई मालूम होती है।
- 3- लेखा परीक्षा में कार्य की पूर्ण पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को पमाणित नहीं किया जा सका।

यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 100000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत-अस्थर, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय दर्शित है, जबकि बिना किसी निर्माण कार्य योजना के इसके खरीद पर विभागीय रोक लगाई गई है। क्योंकि ह्यूम पाइप की आवश्यकता होने पर सम्पक्र मार्गों पर इनके निर्माण के समय ही जेई द्वारा प्राविधान किया जाता है। ऐसी स्थिति में इतने व्यापक स्तर पर इनके खरीद का कोई औचित्य नहीं पाया गया। खरीद का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि रु0
1	21.04.2018	000464	लगवाई मजदूरी	18000.00
2	25.04.2018	000466	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों हेतु कमला इण्टरप्राइजेज को	44100.00
				62100.00
3	27.04.2018	000467	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों हेतु माँ आदि शक्ति	44100.00

4	09.05.2018	000468	स्पन पाइप को लगवाई मजदूरी	22400.00
				66500.00
5	02.07.2018	000511	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना कार्य हेतु माँ दुर्गा स्पन पाइप कम्पनी से क्रय	98876.00
6	04.08.2018	000541	सार्वजनिक स्थल हेतु ह्यूम पाइप क्रय कार्य माँ दुर्गा स्पन पाइप कम्पनी से क्रय	98800.00
7	29.11.2018	000600	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना कार्य हेतु माँ दुर्गा स्पन पाइप कम्पनी से क्रय	98500.00

8	16.02.2019	000653	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना कार्य हेतु माँ दुर्गा स्पन पाइप कम्पनी से क्रय	95760.00
			योग—	520536.00

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

1— उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाइप क्रय से सम्बन्धित पत्रावली/पुष्टि परक व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

2— कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी ह्यूम पाइप क्रय की गई। तथा इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया है अर्थात् स्थापना स्थलों के नाम अंकित नहीं किये गये हैं। अतः पुष्टि नहीं की जा सकी।

3— लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित इस्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र विभागीय रोक के बावजूद इतनी अधिक पाइप क्रय के उद्देश्य आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4— विवरण के क्रमांक 01 एवं 02 से स्पष्ट है कि दिनांक 25.04.2018 एवं 27.04.2018 को क्रय स्पन पाइप की लगवाई पर कैशबुक में एक बड़ी धनराशि मजदूरी के रूप में व्यय दर्शित की गई है। जबकि अन्य क्रय के सापेक्ष कोई मजदूरी व्यय नहीं की गई है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 520536.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 520536.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न कार्यों पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	धनराशि
01	खमरिया में सियाराम के घर से वीरेन्द्र प्रताप के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य	152263.00
02	बरौली में इसरार के घर से मलारी के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	187959.00
03	सुखदेव के घर से अन्नू निषाद के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	176683.00
04	पिच रोड से सुरेश सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	88531.00
05	अवधेश के घर से झूरे प्रसाद के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	242733.00
06	बरौली में चमरू मौर्या के घर से इन्टरलाकिंग तक इन्टरलाकिंग कार्य	230154.00
	योग	1078323.00

उक्त विवरण में दर्शित कार्यों की पत्रावली जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई हैं:-

1— क्रमांक 01 पर अंकित कार्य खमरिया में सियाराम के घर से वीरेन्द्र प्रताप के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य की कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 15.07.2018 तक है। जबकि इसकी मापी की तिथि 16.07.2018 है। उक्त इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मेसर्स शीतल प्रसाद टाइल्स अबूसराय सहादतगंज से इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं सप्लाई की तिथि बिल नं0 72 की 18.08.2018 एवं बिल नं0 73 की 20.08.2018 है। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्ति एवं एमबी के अनुसार कार्य की अंतिम मापी हो जाने के पश्चात ईट का क्रय एवं आपूर्ति की गई है जिसके कारण कार्य का होना प्रमाणित नहीं होता।

2— क्रमांक 02 पर अंकित कार्य बरौली में इसरार के घर से मलारी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 02.08.2018 से दिनांक 02.09.2018 तक है। जबकि इसकी मापी की तिथि 04.09.2018 है। उक्त इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मेसर्स शीतल प्रसाद टाइल्स अबूसराय सहादतगंज से इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं सप्लाई की तिथि 16.09.2018, 17.09.2018 एवं 18.09.2018 है। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अनुसार कार्य समाप्ति एवं एमबी के अनुसार कार्य की अंतिम मापी हो जाने के पश्चात ईट का क्रय एवं आपूर्ति कार्य के होने की पुष्टि नहीं करते हैं। मस्टररोल पर मजदूरों के नाम भी अंकित नहीं पाये।

3— क्रमांक 09 पर अंकित कार्य सुखदेव के घर से अन्नू निषाद के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य का कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 07.11.2018 से दिनांक 19.11.2018 तक है। जबकि इसकी मापी की तिथि 07.11.2018 है। उक्त कार्य पर मिट्टी कार्टेज हेतु का भुगतान 06.11.2018 में ₹0 14280.00, मजदूरी का भुगतान 06.11.2018 में ₹0 41650.00, तथा ईट क्रय का भुगतान 12.11.2018 को ₹0 120753.00 का किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि मस्टररोल के अनुसार कार्य का प्रारंभ होने से पहले ही दिनांक 06.11.2018 को मजदूरी का भुगतान तथा कार्टेज का भुगतान कर दिया गया है जो कार्य का होने की पुष्टि नहीं करते हैं।

4— क्रमांक 10 पर अंकित कार्य पिच रोड से सुरेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य का कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 01.02.2019 में दिनांक 02.02.2019 तक है। जबकि एमबी अप्राप्त रही है। उक्त इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मेसर्स शीतल प्रसाद टाइल्स अबूसराय सहादतगंज से इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं सप्लाई की तिथि 14.02.2019 है। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अनुसार कार्य समाप्ति के पश्चात इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं आपूर्ति कार्य के होने की पुष्टि नहीं करते हैं।

5— क्रमांक 8 पर अंकित कार्य अवधेश के घर से झूरे प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य का कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 27.06.2018 तक है। उक्त इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मेसर्स शीतल प्रसाद टाइल्स अबूसराय सहादतगंज से इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं सप्लाई की तिथि 19.09.2018, 20.09.2018 तथा 21.09.2018 है। इसी प्रकार ईट का क्रय दिनांक 21.09.2018 में किया गया है जबकि सभी मटेरियल की मापी माप पुस्तिका के अनुसार जेई द्वारा दिनांक 14.06.2018 में की गई है तथा मजदूरी की मापी दिनांक 28.06.2018 को की गई है। स्पष्ट है कि इण्टरलाकिंग ईट आपूर्ति के पूर्व मापी कर दी गई है। स्पष्ट है कि सभी सामग्री की आपूर्ति माह सितम्बर 2018 में हो रही है जबकि इसकी मापी माह जून 2018 में ही कर दी गई है। यह स्थिति कार्य के सम्पादित होने की पुष्टि नहीं करती है।

6— क्रमांक 5 पर अंकित कार्य बरौली में चमरू मौर्या के घर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग कार्य का कार्यावधि मस्टररोल के अनुसार दिनांक 05.07.2018 में दिनांक 17.07.2018 तक है। उक्त इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मेसर्स शीतल प्रसाद टाइल्स अबूसराय सहादतगंज से इण्टरलाकिंग ईट का क्रय एवं सप्लाई की तिथि 16.08.2018 तथा 17.08.2018 है। जबकि माप पुस्तिका अप्राप्त रही। स्पष्ट है कि इण्टरलाकिंग ईट सामग्री की आपूर्ति कार्य समाप्त होने का बाद हो रही है। इण्टरलाकिंग ईट के बिना कार्य के होने की पुष्टि नहीं हो पाई।

उपर्युक्त विवरणानुसार सभी कार्यों पर किया गया कुल व्यय ₹0 1078323.00 की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों एवं व्यय प्रमाणकों के आधार पर लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण यह कि उक्त धनराशि की वसूली इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे एवं जेई आर0ई0डी0 से क्यों न कर ली जाय, सम्बन्धित से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट

किया जाता है। स्पष्टीकरण न दिये जाने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली उक्त जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत-सोखावां, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार बेंच स्थापना पर व्यय किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01.02.2018	ग्राम पंचायत में बेंच निर्माण कार्य हेतु उदय इण्टरप्राइजेज को भुगतान	98400.00	
22.02.2019	ग्राम पंचायत में बेंच निर्माण कार्य हेतु उदय इण्टरप्राइजेज को भुगतान	49200.00	
	योग-	147600.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

1- उक्त विवरण में दर्शित बेंच निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

2- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि कितनी संख्या में बेंच का निर्माण कराया गया तथा मात्रा में मटेरियल खरीदा गया तथा अथवा ठीके से कार्य कराया गया और इनकी क्रय दर क्या थी

3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

अतः स्पष्ट है कि कार्य पर किया गया कुल व्यय रु0 147600.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 147600.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ यादव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया ग्राम पंचायत में निम्न तिथि में ह्यूम पाइप क्रय पर भुगतान दर्शित है। जिससे सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ह्यूम पाइप के विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु क्रय दर्शाया गया जबकि कोई भी किसी कार्ययोजना पर किया जाना चाहिए था। आडिट समाप्ति तक वांछित समस्त अभिलेख एवं कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा सकी। क्रय का विवरण निम्न प्रकार है:-

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.02.2019	मां दुर्गा स्पन पाइप को ह्यूम पाइप का भुगतान	64835	
	योग-	64835.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाइप से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

2- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी ह्यूम पाइप क्रय की गई। तथा इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया।

3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

4- उक्त क्रय ह्यूम पाइप की लगवाई से सम्बन्धित न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत रहा और न कैशबुक में इसकी लगवाई पर कोई व्यय ही दर्शित किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 64835.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 64835.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु देवा इलेक्ट्रिकल्स एवं आशा मशीनरी स्टोर को लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में रु0 103543.00 व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	चेक संख्या	कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि रु0
19.05.2018	267	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान	30712.00
19.05.2018	269	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान	23812.00
19.05.2018	270	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान	8819.00
23.05.2018	271	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान	40200.00
		योग-	103543.00

1- उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पाइप रिबोर/मरम्मत पर किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त रिबोर/मरम्मत पर व्यय के सम्बन्ध में हैण्ड पम्पों के स्थान का विवरण एवं संख्या कि कितने हैण्ड पम्प का मरम्मत किया गया या रिबोर कराया गया नहीं दिया गया है जिससे सम्बन्धित जाँच नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावलियाँ (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/ 33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 103543.00 की ब्याज सहित वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। है। उक्त के स्पष्टीकरण में व्यय पत्रावलियों के साथ सभी प्रमाणकों एवं अभिलेखों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल एवं उक्त कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 18.12.2018 को चेक नं०- 318 से ₹0 65520.00 का विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु मेसर्स मैनुद्दीन को भुगतान दर्शित किया गया है। स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु किया गया भुगतान का बिल विवरण हीन प्राप्त रहा। इसमें मरम्मत का विवरण अंकित नहीं था। पत्रावली में अन्य प्रमाणक (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) भी प्राप्त नहीं रहे। अतः दर्शित व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 उल्लिखित है कि प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ जिसमें बिल के अलावा अन्य प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध किया गया व्यय ₹0 65520.00 की ब्याज सहित वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ यादव तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। उक्त के स्पष्टीकरण में व्यय पत्रावलियों के साथ सभी प्रमाणकों, एवं अभिलेखों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल एवं उक्त कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि निम्न कार्यों पर कैश बुक में केवल मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	दिनांक	मजदूरी पर व्यय	अन्य
1	तेजबली के घर से तालाब तक नाली निर्माण	23.05.2018 28.05.2018 25.07.2018	20000.00 10000.00 2660.00 32660.00	नकद आहरण
2	राधे के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	04.06.18 25.07.18	20000.00 8345.00 28345.00	नकद आहरण
3	शीतल के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	30.06.18 25.07.18 02.02.19	10000.00 19485.00 39485.00 68970.00	नकद आहरण
4	विजय शर्मा के घर से मल्हू के घर तक नाली निर्माण कार्य	23.02.19	36000.00 36000.00	नकद आहरण
	योग-		165975.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

- 1- उक्त विवरण में दर्शित नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान की पुष्टि में अपूर्ण एवं प्रायः सादे मस्टररोलों के अलावा और कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं रहे। कार्य से सम्बन्धित पूर्व पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।
- 2- उक्त नाली निर्माण हेतु मटेरियल का क्रय नहीं किया गया दर्शित है। ऐसी स्थिति में इतनी अधिक मजदूरी का भुगतान कहाँ एवं किस कार्य में किया गया पत्रावली एवं पूर्ण प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाया। यह धनराशि कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर व्यपहत की गई है।

3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 165975.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ यादव तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिव कुमार चौबे से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

6- ग्राम पंचायत-उचितपुर, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के कैशबुक की जांच में पाया गया कि प्राथमिक उचितपुर में मरम्मत कार्य पर एक ही तिथि में निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है। परंतु इनसे सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय का विवरण	धनराशि ₹0	टिप्पणी
24.05.2018	प्रा0वि0 उचितपुर में मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान	34650.00	
24.05.2018	उक्त कार्य पर मटेरियल का भुगतान	42224.00	
24.05.2018	उक्त कार्य पर ईट का भुगतान	18532.00	
	योग-	95406.00	

उक्त विवरण में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं की गई। व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन एवं नियम विरुद्ध व्यय कुल धनराशि ₹0 95406.00 के सम्बन्ध में नियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश कुमार से मांगे जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निर्धारित अवधि 60 दिन के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 13.06.2018 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप की आपूर्ति अंकित कर ₹0 91066.00 व्यय दर्शित किया गया है। ग्राम पंचायतों में कच्चा सम्पर्क मार्ग, खडंजा निर्माण के साथ ह्यूम पाइप क्रय पर पानी निकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे में केवल पाइप खरीद कर आपूर्ति करना धनराशि का दुरुपयोग है इनका क्रय योजना के साथ ही किया जाना चाहिए। उक्त क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) एवं वितरण सूची आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन एवं नियम विरुद्ध

व्यय कुल धनराशि रु0 91066.00 के सम्बन्ध में नियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश कुमार से मांगे जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निर्धारित अवधि 60 दिन के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 28.02.2019 को प्रा0वि0 उचितपुर के मुख्य भवन में टाइल्स स्थापना पर रु0 47456.00 का मटेरियल, दिनांक 28.02.2019 में स्थापना मजदूरी भुगतान रु0 30100.00 तथा दिनांक 04.03.2019 में टाइल्स मूल्य का भुगतान रु0 101111.00 अर्थात् कुल रु0 178667.00 कैशबुक में दर्शित है। स्पष्ट करना है कि 28.02.2019 में एक साथ मटेरियल क्रय एवं मजदूरी व्यय तथा मजदूरी भुगतान के पश्चात् टाइल्स क्रय का भुगतान दिनांक 04.03.2019 के करने से व्यय अनियमित प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि इसकी व्यय पत्रावली (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र टेंडर/कोटेशन आदि) आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन एवं नियम विरुद्ध व्यय कुल धनराशि रु0 178667.00 के सम्बन्ध में नियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश कुमार से मांगे जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निर्धारित अवधि 60 दिन के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत-हरिबन्धनपुर, विकास खण्ड-सोहावल, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में प्रा0वि0 हरिबन्धन पुर के लिए निम्न प्रकार ईट क्रय, मटेरियल क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शित है। क्रय का विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.05.2018	प्रा0वि0 हरिबन्धन पुर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण मजदूरी का भुगतान	41300.00	
03.05.2018	प्रा0वि0 हरिबन्धन पुर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु ईट क्रय हेतु जै लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड को भुगतान	72615.00	
03.05.2018	प्रा0वि0 हरिबन्धन पुर की बाउण्ड्रीवाल पर मटेरियल का विमल ट्रेडर्स को भुगतान	58415.00	
	योग	172330.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

- 1- उक्त विवरण में दर्शित से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।
- 2- कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी सामग्री/ईट क्रय की गई।
- 3- लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल, टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 172330.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु० 172330.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में श्री हंस मशीनरी को लगातार धन का भुगतान किया गया है परंतु कैशबुक में पूर्ण विवरण अंकित नहीं है कि यह किस कार्य के लिए धनराशि भुगतान की गई है। विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि रु०	अन्य
09.10.2018	श्री हंस मशीनरी को भुगतान	48500.00	
09.10.2018	श्री हंस मशीनरी को भुगतान	19153.00	
09.10.2018	श्री हंस मशीनरी को भुगतान	19578.00	
09.10.2018	श्री हंस मशीनरी को भुगतान	18963.00	
	योग	106194.00	

ग्राम पंचायत की कैशबुक में केवल हंस मशीनरी को भुगतान मात्र लिया गया है। इस आहरण से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियाँ भी (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोईवाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु० 106194.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम कुमार तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

8-ग्राम पंचायत मया भीखी, विकास खण्ड-मया बाजार, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-23 क्रमांक 01 के मूल आपत्ति संख्या-22 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग-02) ग्राम पंचायत मया भीखी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में धन का अपहरण करके अनियमित तरीके से हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि रुपये में	व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/मरम्मत	व्यय प्रमाणक का विवरण
1.	791481/19.04.2018	31760.00	श्री भूपेन्द्र सिंह	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाण विहीन
2.	791488/26.04.2018	25500.00	श्री भूपेन्द्र सिंह	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाण विहीन
3.	791499/29.05.2018	35500.00	श्री भूपेन्द्र सिंह	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाण विहीन
4.	791502/12.07.2018	8000.00	श्री भूपेन्द्र सिंह	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाण विहीन
	योग :-	100760.00	---	---	---

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं:-

- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवां वित्त आयोग की गाईड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।
- ग्राम सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा (उपर्युक्त) हैण्ड पम्प मरम्मत कार्यों हेतु व्यय का अधिकतर भुगतान, एकाउंट (ए/सी) पेयी चेको के द्वारा न करके वेयरर चेक द्वारा अनियमित ढंग से भुगतान

दर्शित कर राजकीय धन के अपहरण की पुष्टि करता है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार रू0 5000.00 से अधिक धनराशि का भुगतान एकाउंट (ए/सी) पेयी चेकों से होना चाहिए।

3. हैण्ड पम्प मरम्मत स्थल की सूची, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या त्रिस्तरीय फोटो, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. हैण्ड पम्प मरम्मत से सम्बंधित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति स्टीमेट कोटेसन, एम0बी0, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट जल संसाधन प्रबंध समिति से कार्य अनुमोदन एवं भुगतान से सम्बंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. हैण्डपम्प मरम्मत करने वाले टेक्नीशियनों की की रजिस्ट्रेशन सं0 वैधता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. हैण्ड पम्प मरम्मत करने वाले टेक्नीशियनों से फिटनेस रिपोर्ट अप्राप्त रही, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की हैण्ड पम्प कब तक ठीक तरह से कार्य करेगा, इसी प्रकार इससे पहले कराये गये हैण्ड पम्प मरम्मत से सम्बंधित फिटनेस रिपोर्ट अप्राप्त रही। तथा इसके पहले कब और कितनी धनराशि व्यय करके हैण्ड पम्प का काग्र कराया गया है। से सम्बंधित जानकारी अप्राप्त रही। इस प्रकार हैण्ड पम्प मरम्मत की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

7. हैण्ड पम्प मरम्मत से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय/भुगतान की गई धनराशि रू0 100760.00 की पुष्टि उपर्युक्त वर्णित सभी अभिलेखों के अभाव में नहीं होती है।

अतः दर्शित व्यय/भुगतान धनराशि रू0 100760.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 05 के खण्ड -5 अयाध्या-7 से प्रस्तर-4 व 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं-8 (ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 27 एवं उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधि भाग नियम अध्याय 13, के नियम 256 के अंतर्गत अपहरण/गबन की पुष्टि करता है।

वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-09 के अंतर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सादिल, समस्त व्यय प्रमाणकों की पुष्टि फर्मों से कराते हुए, कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका, व परिसंपत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 100760.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी रू0 50380.00 तथा श्रीमती राधा सिंह ग्राम प्रधान रू0 50380.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत देवासूर्यभान पुर, विकास खण्ड-मया बाजार, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-24 1. ग्राम पंचायत देवासूर्यभानपुर विकास खण्ड मया बाजार जनपद-अयोध्या के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में रू0 1528043.00 की गम्भीर अनियमितता/अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्नवत है।

2. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में बार-बार पत्राचार करने के बावजूद भी पंचायत सचिव द्वारा केवल स्टेटमेंट के अलावा कोई व्यय प्रमाणक, कैश बुक, निर्माण पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. स्टेटमेंट के अनुसार अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कुल रुपया 1528043.00 का भुगतान ग्राम पंचायत सचिव श्री मुक्तिनाथ द्वारा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सन्जु देवी द्वारा अकाउंट न0 13580100016645 से किया गया।

4. इस प्रकार ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में चौदहवा वित्त/राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण/विकास/मरम्मत कार्यों पर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, निर्माण पत्रावली तथा अन्य पुष्टि परक अभिलेख/प्रपत्र तथा सामग्री क्रय से सम्बंधित स्टाक रजिस्टर मस्टर रोल, प्राप्ति रसीद, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) के अनुसार अपहरित है। उक्त मैनुअल के

अनुसार खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली में नियम 1947 के नियम, 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है, अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1528043.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुक्तिनाथ से रुपया 764021.50 तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सन्जू देवी से रुपया 764021.50 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत-तारुन, विकास खण्ड-तारुन, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-25 उक्त विवरण में अंकित ग्राम पंचायत के अधिभार प्रतिवेदन में सन्निहित धनराशि रू0 863781.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (सामग्री + मजदूरी)
1.	24.01.2019 02.02.2019 03.01.2019	प्राथमिक विद्यालय शौचालय निर्माण कार्य	127561.00
2.	02.02.2019	ग्राम पंचायत में कूड़ादान पर व्यय	42000.00
3.	11.02.2019	प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई कार्य	82832.00
4.	25.02.2019 26.02.2019	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष रंगाई पुताई कार्य	200000.00
5.	25.02.2019 15.03.2019	कस्तूरबा विद्यालय बाउन्ड्री वॉल निर्माण कार्य	175945.00
6.	15.03.2019 01.03.2019	पूर्व माध्यमिक विद्यालय मॉडल शौचालय निर्माण कार्य	127625.00
7.	28.03.2019	फोटोकापी पर व्यय	14200.00
8.	28.03.2019	प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष अवशेष पर व्यय	43533.00
9.	30.03.2019	प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय ने पानी हेतु प्लम्बरिंग एवं समरसेबुल कार्य	50085.00
		योग-	863781.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल रू0 863781.00 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलिआं तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/वाउचर, प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रुपया 863781.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री उत्तम सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती अंजली तिवारी से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत-कैल विकास खण्ड-मसौधा, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा राम मिलन के घर से रामजग के घर तक खडण्जा कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय कैशबुक में दर्शित है।

क्र०सं०	तिथि	विवरण	चेक संख्या व दिनांक	धनराशि
1.	18.12.2018	श्रमांश	391 / 18.12.2018	11640.00
2.	21.12.2018	ठेला भाड़ा	393 / 21.12.2018	2368.00
3.	19.01.2019	श्रमांश	392 / 19.01.2019	26856.00
		योग-		40864.00

इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. क्रय ईट की डिलीवरी चालान एवं भुगतान बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. उक्त कार्य पर श्रमांश का भुगतान ही कैशबुक में दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में चेक संख्या-392 से रु० 26856.00 का भुगतान जया ब्रिक फील्ड को किया जाना अंकित है। ईट के बिना खडण्जा कार्य सम्भव ही नहीं है।
3. उक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4. प्रिया सापट फीडिंग में भी रु० 26856.00 मजदूरी व्यय दर्शित है।
5. स्टीमेट एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों द्वारा दर्शित कुल व्यय रु० 40864.00 अपुष्ट रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 (क) व (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती मीना ग्राम प्रधान से रु० 20432.00 तथा श्रीमती नम्रता सूर्यवंशी ग्राम पंचायत अधिकारी से रु० 20432.00 संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य खण्डजा से शिव प्रसाद मिश्रा के घर तक खण्डजा कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय कैशबुक में दर्शित है।

क्र०सं०	तिथि	विवरण	चेक संख्या व दिनांक	धनराशि
1.	14.01.2019	श्रमांश	389 / 14.01.2019	27665.00
2.	14.01.2019	ईट क्रय	405 / 14.01.2019	79747.00
3.	18.01.2019	मिट्टी ट्राली	408 / 18.01.2019	9335.00
		योग-		116747.00

इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. क्रय ईट की डिलीवरी चालान एवं भुगतान बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. क्रय ईट को स्टॉक पंजिका में अंकित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ईट क्रय हेतु कोटेशन न ले करके शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। जिससे न्यूनतम दर का लाभ ग्राम पंचायत को नहीं मिला।
4. निर्माण सम्बन्धी स्टीमेट एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
5. एक ही तिथि को श्रमांश सामग्री का भुगतान किया गया जो सत्यता के विपरीत है। तथा सामग्री क्रय चेक संख्या 405 / 14.01.2019 रु० 79747.00 द्वारा तथा श्रमांश चेक संख्या 389 / 14.01.2019 द्वारा किया गया जो कि असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि बिना ईट के खण्डजा निर्माण पर मजदूरी व्यय दर्शित कर दी गयी है।
6. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ भी उपलब्ध नहीं है।
7. स्टीमेट एम०बी० इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों द्वारा दर्शित कुल व्यय रु० 116747.00 अपुष्ट रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 (क) व (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती मीना ग्राम प्रधान से रु0 58373.50 तथा श्रीमती नम्रता सूर्यवंशी ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 58373.50 संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत -मानूडीह विकास खण्ड-अमानीगंज, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में व्यय किया जाना दर्शित है विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	तिथि	विवरण	खाता संख्या/चेक संख्या	धनराशि
1.	04.07.2018	सुहेब टेण्डर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	34380100001838 / 196	24627.00
2.	02.08.2018	शिवेन्द्र मशीनरी स्टोर एवं जनरल आर्डर सप्लायर	34380100001838 / 198	19800.00
3.	29.03.2019	भुगतान ट्रांसफर (किसके नाम स्थिति अज्ञात)	34380100001838 / 318	29350.00
		योग-		73777.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में खाता सं.-01838 से भिन्न-भिन्न चेक द्वारा धनराशि का भुगतान सम्बन्धित संस्था/फर्म को किया जाना दर्शित है लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में दौरान लेखा परीक्षा कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया गौरतलब है कि क्रमांक 03 पर अंकित दिनांक 29.03.2019 खाता सं० 01838/चेक सं. 318 रुपया 29350.00 की धनराशि का आहरण किसको किया गया। बैंक स्टेट मेंट में सिर्फ ट्रांसफर ही अंकित रहा कैशबुक में शिवम मशीनरी स्टोर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर के नाम भुगतान किया जाना दर्शित है इसके पूर्व ठीक इसी प्रकार की धनराशि का आहरण हैण्ड पम्प मरम्मत बावत क्रमांक-01 एवं क्रमांक-02 पर क्रमशः रु. 24627.00 तथा रु. 19800.00 को सम्बन्धित फर्म के नाम भुगतान दर्शित किया गया है। क्रमांक 03 पर अंकित धनराशि रु. 29350.00 की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म के नाम क्यों नहीं किया गया एक की प्रकृति का भुगतान भिन्न-भिन्न प्रकार से क्यों किया गया तथा हैण्ड पम्प मरम्मत के कण्डम पार्ट का भी विवरण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। भुगतान धनराशि की पुष्टि में कोई भी विवरण, बिल बाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु. 73777.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के बराबर-बराबर हिस्सों में अधावधि तक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	विवरण	खाता संख्या/चेक संख्या	धनराशि
1.	26.07.2018	कुलदीप यादव	34380100001838 / 197	16600.00
		योग-		16600.00

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि दिनांक 26.07.2018 को तालाब भराई के मद में व्यय किया जाना दर्शित है विवरण निम्न प्रकार है-

विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 26.07.2018 को खाता सं० 01838/चेक सं. 197 रुपया 16600.00 की धनराशि द्वारा तालाब भराई के मद में विभिन्न तालाबों में पानी भरने के रूप में व्यय किया जाना दर्शित है गौरतलब है कि माह जुलाई में बरसात स्वाभाविक रूप से होती है तथा बरसात पीक पर होती है। अतः तालाब भराई का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। उक्त मद में व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है तथा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/विवरण अथवा रसीद आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री

सुशील कुमार पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी से बराबर-बराबर हिस्सों में रु. 16600.00 की वसूली संयुक्त रूप अधावधि तक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि दिनांक 10.10.2018 ह्यूम पाइप मद में व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	तिथि	विवरण	खाता संख्या/चेक संख्या	धनराशि
1.	10.10.2018	आर०एस० ट्रेडर्स	01838 / 200	101805.00
		योग-		101805.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 10.10.2018 को आर०एस० ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय कर चेक सं० 200 द्वारा रु० 101805.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी बिल/बाउचर एवं प्रमाणक (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) नहीं उपलब्ध कराया गया तथा कोई भी कोटेशन आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि भुगतान की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु. 101805.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के बराबर-बराबर हिस्सों में अधावधि तक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में ईट क्रय के मद में व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	तिथि	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1.	13.11.2018	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	0183 चेक निर्गत अज्ञात	29570.00
2.	13.11.2018	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	0184 चेक निर्गत अज्ञात	15887.00
3.	13.11.2018	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	208 चेक निर्गत अज्ञात	18761.00
4.	13.11.2018	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	209 चेक निर्गत अज्ञात	20837.00
5.	04.01.2019	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	190 चेक निर्गत अज्ञात	9812.00
6.	28.01.2019	कैश बुक में दर्शित-बाला जी ब्रिक फील्ड	211 चेक निर्गत अज्ञात	22040.00
7.	28.02.2019	कैश बुक में दर्शित-जय दुर्गा ब्रिक फील्ड	216 चेक निर्गत अज्ञात	9812.00
8.	28.02.2019	कैश बुक में दर्शित- जय दुर्गा ब्रिक फील्ड	223 चेक निर्गत अज्ञात	22182.00
		योग-		148901.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेक द्वारा ईट क्रय के मद में भुगतान किया जाना दर्शित है। क्रमांक 01 से 06 तक बाला जी ब्रिक फील्ड के नाम कैशबुक में भुगतान किया जाना दर्शित है तथा क्रमांक 07 से 08 तक जय दुर्गा ब्रिक फील्ड के नाम कैशबुक में भुगतान कर व्यय किया जाना दर्शित है इस प्रकार क्रमांक 01 से 08 तक की सम्पूर्ण राशि रु० 148901.00 का भुगतान, जो ईट क्रय के मद में भुगतान की गयी है सम्बन्धित ईट भट्टे के नाम चेक निर्गत नहीं किया गया है जो सन्देह की स्थिति पैदा करता है। उक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 148901.00 (क्रमांक 01 से 08 तक) का बिल बाउचर (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) तथा कोटेशन तथा कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः क्रमांक 01 से 08 तक व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रु० 148901.00 पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। व्यय की गयी

धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु. 148901.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के बराबर-बराबर हिस्सों में अधावधि तक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान के नाम चेक निर्गत करके धनराशि का आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्र०सं०	तिथि	व्यय विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1.	20.10.2018	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक लली के नाम।	203	15580.00
2.	20.10.2018	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	205	10490.00
3.	20.10.2018	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	204	9655.00
4.	20.10.2018	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	202	14045.00
5.	14.12.2018	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	194	50050.00
6.	25.01.2019	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	213	21700.00
7.	20.02.2019	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	218	43925.00
8.	30.03.2019	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	322	36225.00
9.	30.03.2019	चेक निर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम।	246	6125.00
		योग-		207795.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 01 से 09 तक की धनराशि का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा सचिव के माध्यम से अपने नाम से चेक काटकर धनराशि का आहरण किया जाना दर्शित किया गया है। कैशबुक में उक्त धनराशि को लेबर मिस्त्री की मजदूरी के रूप में व्यय करना दर्शित किया गया है। जबकि लेबर मिस्त्री की मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये जो ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार 01 से 09 तक की सम्पूर्ण धनराशि का आहरण भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेक के माध्यम से ग्राम प्रधान द्वारा अपने नाम स्वयं आहरित किया गया है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि क्रमांक 01 पर अंकित दिनांक 20.10.2018 चेक संख्या 203 पर ग्राम प्रधान का नाम जनकलली के नाम चेक काटकर आहरित करना दर्शित है तथा क्रमांक 02 से 09 तक ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती जनक दुलारी अंकित है जबकि अभिलेखों के मुताबिक ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती जनक दुलारी ही ज्ञातव्य है।

इस प्रकार 01 से 09 तक की धनराशि रु0 207795.00 का आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के नाम आहरित किया गया है जिसका कोई भी व्यय विवरण/प्रमाणक (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) तथा आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। इससे पूर्णतया स्पष्ट होता है कि व्यय की गयी धनराशि रु0 207795.00 पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु. 207795.00.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री

सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के बराबर-बराबर हिस्सों में अधावधि तक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान के माध्यम सवे अपने नाम चेक काटकर धनराशि का आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	तिथि	व्यय विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1.	29.09.2018	टू कैश श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव	181	8750.00
2.	25.02.2019	टू कैश श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव	225	29225.00
		योग-		37975.00

विवरण से स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेक द्वारा ग्राम सचिव श्री सुशील कुमार पाण्डेय द्वारा ग्राम प्रधान की मिली भगत से अपने नाम चेक काटकर धनराशि का आहरण कर लेबर मिस्ट्री की मजदूरी के रूप में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित किया गया है जबकि लेबर मिस्ट्री की मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि दौरान लेखा परीक्षा उक्त व्यय की गयी धनराशि का कोई भी विवरण/मस्टररोल/अभिलेख, (मय स्टीमेट, बिल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि हो सके, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 37975.00 पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु. 37975.00.00.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुशील कुमार पाण्डेय ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी के बराबर-बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यय दर्शाकर धनराशि का आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	तिथि	व्यय विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1.	10.10.2018	आर० एस० ट्रेडर्स	201	25000.00
2.	22.10.2018	कविता ट्रेडर्स एण्ड जनरल आर्डर	206	10480.00
3.	29.10.2018	सन्त भीखादास इण्टर प्राइजेज	210	83700.00
4.	29.10.2018	यादव सीमेन्ट एजेन्सीज	207	17026.00
5.	03.11.2018	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	182	16728.00
6.	03.11.2018	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	185	12770.00
7.	12.11.2018	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	188	16570.00
8.	19.11.2018	सन्त भीखादास इण्टर प्राइजेज	187	56925.00
9.	15.12.2018	यादव सीमेन्ट एजेन्सीज	189	40740.00
10.	15.12.2018	यादव सीमेन्ट एजेन्सीज	192	75000.00
11.	1.12.2018	यादव सीमेन्ट एजेन्सीज	193	73892.00
12.	28.01.2019	चेक निर्गत अज्ञात	212	26032.00
13.	20.02.2019	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	217	117365.00
14.	20.02.2019	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	215	36010.00
15.	28.02.2019	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	222	14567.00
16.	02.03.2019	सन्त भीखादास इण्टर प्राइजेज	224	120650.00
17.	30.03.2019	चेक निर्गत अज्ञात टू ट्रांसफर	241	85000.00
		योग-		828455.00

विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यय किया जाना दर्शित है।

1. क्रमांक-1 पर अंकित दिनांक 10.10.2018 चेक सं0-201 धनराशि रुपये-25000.00 का आहरण/भुगतान आर.एस. ट्रेडर्स को सफाई किट बावत कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित किया गया है। उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
2. क्रमांक-2 पर अंकित दिनांक 22.10.2018 चेक सं0-206 धनराशि रुपये-10480.00 का भुगतान कविता ट्रेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर के नाम कैश बुक में व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की गयी धनराशि रुपये-10480.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक बिल बाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
3. क्रमांक-3 पर अंकित दिनांक 29.10.2018 चेक सं0-210 धनराशि रुपये-83700.00 का भुगतान संत भीखापुर इंटर प्राइजेज के नाम कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक बिल बाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।
4. क्रमांक-4 पर अंकित दिनांक 29.10.2018 चेक सं0-207 धनराशि रुपये-17026.00 का भुगतान यादव सीमेंट एजेंसी के नाम कैशबुक में व्यय जाना दर्शित है। किन्तु व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल बाउचर/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।
5. क्रमांक-2 पर अंकित दिनांक 03.11.2018 चेक सं0-182 धनराशि रुपये-16728.00 की धनराशि का चेक किसके नाम निर्गत किया गया स्थिति अज्ञात रही कैशबुक में उक्त धनराशि यादव सीमेंट एजेंसी को भुगतान किया जाना दर्शित है। लेकिन यादव सीमेंट एजेंसी के नाम क्यों नहीं चेक निर्गत किया गया। स्थिति अस्पष्ट रही।
6. क्रमांक-6 पर अंकित दिनांक 03.11.2018 चेक सं0-185 धनराशि रुपये-12770.00 की धनराशि का चेक किसके नाम निर्गत किया गया स्थिति अज्ञात रही कैश बुक में उक्त धनराशि यादव सीमेंट एजेंसी को भुगतान किया जाना दर्शित है। लेकिन यादव सीमेंट एजेंसी के नाम क्यों नहीं चेक निर्गत किया गया। स्थिति अस्पष्ट रही।
7. क्रमांक-7 पर अंकित दिनांक 12.11.2018 चेक सं0-188 धनराशि रुपये-16570.00 की धनराशि का चेक किसके नाम निर्गत किया गया स्थिति अज्ञात रही। कैश बुक में उक्त धनराशि यादव सीमेंट एजेंसी को भुगतान किया जाना दर्शित है। लेकिन चेक संबंधित एजेंसी को क्यों नहीं निर्गत किया गया। स्थिति अज्ञात रही।

इस प्रकार क्रमांक-05,06,07 में भिन्न-भिन्न चेक द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रुपये 16728.00, 12770.00, 16570.00 का चेक संबंधित संस्था के नाम नहीं काटा गया तथा कैशबुक में उक्त तीनों धनराशियों को यादव सीमेंट एजेंसी के नाम भुगतान किया जाना दर्शित किया गया है। जो संदेह की स्थिति पैदा करता है, गौरतलब है कि उक्त धनराशियां जो क्रमांक-5,6,7, पर क्रमशः रुपये 16728.00, 12770.00, 16570.00, जो कैशबुक में यादव सीमेंट एजेंसी के नाम व्यय किया जाना दर्शित की गयी है। के व्यय प्रमाणक एवं बिल बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे व्यय की गयी धनराशि रुपये 16728.00, 12770.00 एवं 16570.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

8. क्रमांक-8 पर अंकित दिनांक 19.11.2018 चेक सं0-187 धनराशि रुपये-56925.00 का भुगतान संत भीखापुर इंटर प्राइजेज के नाम किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की गयी धनराशि रुपये 56925.00 से संबंधित बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की गयी

[illegible]

16. क्रमांक-16 पर अंकित दिनांक 02.03.2019 चेक सं0-224 धनराशि रुपये-120650.00 की धनराशि का चेक संत भीखापुर इंटर प्राइजेज के नाम निर्गत कर आहरित करना दर्शित किया गया है। उक्त

व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी इससे स्पष्ट होता है कि किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

17. क्रमांक-17 पर अंकित दिनांक 30.03.2019 चेक सं0-241 अंकन रुपये-85000.00 की धनराशि का आहरण अज्ञात नाम से किया जाना दर्शित है। तथा कैशबुक में बाला जी इंटर प्राइजेज के नाम बैंच स्थापना पर व्यय के मद में आहरित कर व्यय करना दर्शित किया गया है। उक्त चेक संबंधित फर्म/संस्था के नाम क्यों नहीं काट कर आहरित करना दर्शित किया गया स्थिति संदेहास्पद है तथा गौर तलब है कि उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल बाउचर अथवा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंच स्थापना बावत संबंधित फर्म/संस्था के नाम ही चेक निर्गत किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया उक्त व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

इस प्रकार क्रमांक-01 से 17 तक विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेक के माध्यम से की गयी धनराशि का आहरण कर रुपये 828455.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है गौरतलब है कि किसी क्रमांक पर भुगतान संबंधित संस्था के नाम चेक काटकर किया जाना दर्शित किया गया है, तथा किसी क्रमांक पर सिर्फ टू ट्रांसफर कर भुगतान किया जाना दर्शित है। इस प्रकार क्रमांक 01 से 17 तक रुपये 828455.00 की धनराशि का भुगतान किया जाना दर्शित है उक्त व्यय की गयी धनराशि 828455.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का बिल बाउचर कोटेशन आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रुपये 828455.00 पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होती है। जो अपहरण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रुपये 828455.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त आपत्ति में वर्णित धनराशियों रुपये 1415308.00 की वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत-मड़ना विकास खण्ड-पूरा बाजार, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत में व्यय किया जाना दर्शित है विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	तिथि	विवरण	खाता संख्या/चेक संख्या	धनराशि
1.	26.05.2018	कुबेर स्वच्छ पेयजल रिपेरिंग वर्क्स।	06540100018772 / 427	19292.00
2.	21.06.2018	मै बाल गोविन्द वर्मा रिपेरिंग वर्क्स।	06540100018772 / 428	19560.00
		योग-		38852.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेक द्वारा खाता संख्या 06540100018772 से विभिन्न संस्थाओं को हैण्डपम्प मरम्मत में धनराशि का भुगतान कर व्यय किया जाना दर्शित है।

(1) क्रमांक-1 पर अंकित दि0 (कैशबुक में वर्णित तिथि-26.05.2018 एवं बैंक से आहरण तिथि-07.06.2018) की चेक संख्या-427 द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत बावत कुबेर स्वच्छ पेयजल रिपेरिंग वर्क्स को रू0-19292.00 का भुगतान कर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की गयी धनराशि रू0-19292.00 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक या बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) क्रमांक-02 पर अंकित दि० (कैशबुक में वर्णित तिथि-21.06.2018 एवं बैंक से आहरण तिथि-26.06.2018) की चेक संख्या-428 द्वारा मै० बाल गोविन्द वर्मा रिपेरिंग वर्क्स को हैण्डपम्प मरम्मत में रु० 19560.00 की धनराशि का भुगतान कर व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक या बिल बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा हैण्डपम्प मरम्मत के कण्डम पार्ट का भी कोई विवरण लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार क्रमांक-(1) पर अंकित धनराशि रु० 19292.00 एवं क्रमांक (2) पर अंकित धनराशि रु० 19560.00 कुल मिलाकर रु० 38852.00 की धनराशि का कोई विवरण या व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि 38852.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हौसिला प्रसाद वर्मा ग्राम सचिव से रु० 19426.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला यादव से रु० 19426.00 की वसूली मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त के अतिरिक्त हैण्ड पम्प मरम्मत में और भी धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	कैशबुक में दर्शित तिथि	बैंक से आहरण तिथि	विवरण	खाता संख्या/चेक संख्या	धनराशि
1.	14.08.2018	27.08.2018	मै बाल गोविन्द वर्मा रिपेरिंग वर्क्स।	06540100018772 / 432	36070.00
			योग-		36070.00

क्रमांक-02 पर अंकित दि० (कैशबुक में वर्णित तिथि-14.08.2018 एवं बैंक से आहरण तिथि-27.08.2018) को खाता सं०-018772 एवं चेक संख्या-432 द्वारा मै० बाल गोविन्द वर्मा रिपेरिंग वर्क्स को हैण्डपम्प मरम्मत में रु० 36070.00 की धनराशि का भुगतान कर व्यय किया जाना दर्शित है। अतः व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल बाउचर या व्यय प्रमाणक या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा हैण्डपम्प मरम्मत के कण्डम पार्ट का भी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि 36070.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती निशा श्रीवास्तव ग्राम सचिव से रु० 18035.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला यादव से रु० 18035.00 की वसूली मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत-रोशन नगर, विकास खण्ड-पूरा बाजार, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-37 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यो पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित नहीं किया गया है।

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय
1.	03.04.2018	विवरण विहीन	23200.00
2.	05.04.2018	विवरण विहीन	99612.00
3.	07.04.2018	विवरण विहीन	28000.00
4.	09.04.2018	विवरण विहीन	106000.00
5.	10.04.2018	विवरण विहीन	17.17
		योग-	256829.17

ग्राम पंचायत रोशन नगर की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि उक्त धनराशियाँ कैश बुक में अंकित नहीं की गई हैं। जब कि स्टेटमेन्ट के मिलान में इनकी निकासी उक्त तिथियों पर दर्शित

है इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल ₹0 256829.17 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि बैंक से आहरित कर कोई व्यय न कर अपहृत कर लिया गया है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 256829.17 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। है।

15-ग्राम पंचायत-मूडाडीहा, विकास खण्ड-पूरा बाजार, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-38 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित नहीं किया गया है।

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय
1.	05.11.2018 05.11.2018	इण्डिया हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर कार्य	139410.00
2.	05.01.2019 24.01.2019 01.02.2019	ग्रा0 पंचायत मूडाडीह में जु0हाई0 स्कूल में मॉडल शौचालय निर्माण कार्य	141302.00
3.	28.01.2019	प्रा0नि0 मूडाडीह में फर्श मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	144611.00
		योग-	425323.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल ₹0 425323.00 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 425323.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज बहादुर एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। है।

16-ग्राम पंचायत-बरतरा, विकास खण्ड-मवई, जनपद-अयोध्या वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित नहीं किया गया है।

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय		
			सामग्री अंश	श्रमांश	कुल व्यय
1.	03.04.2018	इन्दर के घर से पन्ना के घर तक नाली निर्माण कार्य	—	43750.00	43750.00
	10.04.2018		35000.00	—	35000.00
	14.08.2018		41500.00	—	41500.00
	योग—		76500.00	43750.00	120250.00
2.	18.07.2018	प्राथमिक विद्यालय लखनीपुर प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य	33200.00+32500.00	—	65700.00
	07.09.2018		—	29050.00	29050.00
	योग—		65700.00	29050.00	94750.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल ₹0 215000.00 (120250.00+94750.00) का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा—सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 की “ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 215000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री फहीम अहमद खाँ एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रवीण कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। है।

17—ग्राम पंचायत—ओहरामऊ सहजना, विकास खण्ड—मवाई, जनपद—अयोध्या वर्ष 2018—19
प्रस्तर—40 आलोच्य वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय		
			सामग्री अंश	श्रमांश	कुल व्यय
1.	15.06.2018	बद्री के घर से सन्तोष के घर तक खडंजा निर्माण	—	49525.00	49525.00
	18.07.2018		25550.00	—	25550.00
	योग—		25550.00	49525.00	75075.00
2.	27.06.2018	इंटरलाकिंग से छविनाथ के दरवाजे तक खडंजा निर्माण	—	49525.00	49525.00
	08.08.2018		49525.00	—	49525.00
	योग—		49525.00	49525.00	99050.00
3.	07.08.2018	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	40320.00		40320.00
	07.08.2018		20000.00		20000.00
	06.11.2018		39690.00		39690.00
	योग—		100010.00		100010.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल ₹0 274135.00 (75075.00+99050.00+100010.00) का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा—सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 की “ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम—प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम—पंचायत से की जायेगी।” साथ ही

उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 274135.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शंकर दयाल एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री भगवानदीन से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। है।

18- ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर, विकास खण्ड-मवाई, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अपूर्ण कैश स्टेटमेंट (वर्ष 2018-19)-मात्र 02 अभिलेख ही प्रस्तुत किये गये। कैशबुक में माह अप्रैल-2018 से दिसम्बर-2018 तक (तत्कालीन सचिव-श्री भगवानदीन) प्राप्त आय एवं सम्बन्धित अवधि में हुये व्यय का अंकन ही नहीं किया गया है। केवल माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 (तत्कालीन सचिव-श्री राजन कुमार) की अवधि में हुये आय व्यय का ही अंकन किया गया है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक कुल ₹0 2171895.00 का व्यय/भुगतान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के ग्राम निधि-1 (खाता संख्या- 751510110003429) से किया गया है। इसी प्रकार जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक कुल ₹0 1020511.00 का व्यय/भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से किया गया जो कि कैशबुक में उक्त अवधि में दर्शित व्यय के समान है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में चौदहवां वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण/विकास/मरम्मत कार्यों पर व्यय तथा अन्य व्यय के सापेक्ष केवल कैशबुक (अपूर्ण) व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किये गये। अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 2171895.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री होली एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री भगवानदीन से तथा धनराशि ₹0 1020511.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री होली एवं तत्कालीन सचिव श्री राजन कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत-डिलवल, विकास खण्ड-मवाई, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

क्र०सं०	तिथि	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय		
			सामग्री अंश	श्रमांश	कुल व्यय
1.	15.06.2018	नसीम के घर वसीर के घर तक खड़जा निर्माण	77250.00+21960.00	53725.00	152935.00
	योग-		99210.00	53725.00	152935.00
2.	04.02.2019	पंचायत भवन मरम्मत व रंगाई व पुताई कार्य	65500.00	—	65500.00
	05.02.2019		—	49525.00	49525.00
	योग-		49525.00	49525.00	115025.00
3.	07.02.2019	शादाब के घर से महेश प्रसाद के घर तक नाली निर्माण	65500.00	39900.00	105400.00
	11.02.2019		30600.00	—	30600.00
	योग-		96100.00	39900.00	136000.00
4.	28.03.2019	छोटेलाल के खेत से सईद के घर तक खड़जा मरम्मत	101495.00	—	101495.00
	29.03.2019		—	28525.00	28525.00
	30.03.2019		72846.00	—	72846.00
	योग-		174341.00	28525.00	202866.00

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल रु० 606826.00 (152935.00+115025.00+202866.00) का व्यय किया गया। किन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलिआं तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र/अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 606826.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इरशाद एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रवीण कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत-भागीपुर, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर पर रुपया 84540.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	फर्म का नाम
1.	06.04.2018	183	35000.00	शिव मशीनरी स्टोर
2.	06.04.2018	184	11210.00	
3.	09.07.2018	188	19500.00	
4.	09.07.2018	189	19200.00	
		योग-	84910.00	

जिस पर निम्न आपत्तियां हैं-

1. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के विपरीत है।
2. हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम से प्रमाण पत्र न लेकर शा० सं० 85/2017/2244/33-03-/17-46/2015 दिनांक 28 सितम्बर 2017 के निर्देशांक-4 एवं 5 का उल्लंघन किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर संबंधी प्राकलन एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित रहा।
4. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नं० अंकित नहीं किए गए हैं। बिना आई0डी0 नं० के किया गया भुगतान अनियमित है।
5. हैण्डपम्पों से निकाले गए सामानों की सूची/डेड स्टॉक पंजिका/उसकी बिक्री से हुई आय को कैशबुक में अंकित किया जाना, व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय की गयी धनराशि-84910.00 की पुष्टि न की जा सकी, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती उर्मिला प्रधान रु. 42455.00 एवं श्री अभिषेक यादव ग्रा०वि०अधि० रु. 42455.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत पर रु० 180185.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	फर्म का नाम
1.	24.07.2018	191	5661	उर्मिला-प्रधान
2.	24.07.2018	196	11550	उर्मिला-प्रधान
3.	24.07.2018	192	10500	राम प्रताप
4.	25.07.2018	195	13200	उर्मिला-प्रधान
5.	26.07.2018	190	34045	भारत मशीनरी स्टोर
6.	30.07.2018	194	6000	जय माँ वैष्णो
7.	18.08.2018	193	8000	शिव मशीनरी स्टोर
8.	31.08.2018	198	15948	उर्मिला-प्रधान
9.	13.09.2018	199	19534	माँ कृपा प्लाईवुड
10.	13.09.2018	200	6166	माँ कृपा प्लाईवुड
11.	13.09.2018	201	26966	कल्लू ट्रेडर्स
12.	17.09.2018	197	23215	जय माँ वैष्णो
		योग-	180785.00	

जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 के खण्ड-8(क) के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- प्राक्कलन एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित रहा।
- सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- क्रीत सामाग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि-180185.00 की पुष्टि न की जा सकी, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती उर्मिला प्रधान रु. 90392.50 एवं श्री अभिषेक यादव ग्रा0वि0अधि0 रु. 90392.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत-इचौलिया, विकास खण्ड-रूदौली, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कैशबुक की जाँच में पाया गया ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर भुगतान दर्शित है। जिससे सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूँछने पर पत्रावली जेई आरईडी मो0 रिजवान के पास होना बताई गयी। श्री रिजवान से पूँछे जाने पर इस प्रकार की कोई पत्रावली उनके पास होने से इनकार किया गया आडिट समाप्ति तक वांछित समस्त अभिलेख एवं कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा सकी। क्रय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	26.04.2018	हृदयलाल को ह्यूम पाइप का भुगतान	35500.00	
2.	20.06.2018	हृदयलाल को ह्यूम पाइप का भुगतान	81500.00	
3.	28.06.2018	हृदयलाल को ह्यूम पाइप का भुगतान	85263.00	

4.	13.08.2018	हृदयलाल को ह्यूम पाइप का भुगतान	68860.00	
5.	18.03.2019	हृदयलाल को ह्यूम पाइप का भुगतान	141462.00	
		योग—	412585.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाइप क्रय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।
2. कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि प्रत्येक बिलों से कुल कितनी ह्यूम पाइप क्रय की गई। तथा इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया।
3. लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टीमेट, बिल टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र इतनी अधिक पाइप क्रय के उद्देश्य आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
4. उक्त क्रय ह्यूम पाइप की लगवाई से सम्बन्धित न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत रहा और न कैशबुक में इसकी लगवाई पर कोई व्यय ही दर्शित किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 412585.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 412585.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री गुरुबक्स तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कैशबुक की जाँच में पाया गया ग्राम पंचायत में निम्न तिथियों में राम चन्दर के घर से हारून के घर तक सोलिंग निर्माण पर मजदूरी व्यय एवं ईंट क्रय का भुगतान दर्शित है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	28.06.2018	मजदूरी पर व्यय	23500.00	संत सरन अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
2.	29.06.2018	मजदूरी पर व्यय	14000.00	दिनेश कुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
3.	29.06.2018	मजदूरी पर व्यय	11500.00	दिनेश कुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
4.	30.06.2018	तिवारी ब्रिक फिल्ड	51400.00	
5.	30.06.2018	तिवारी ब्रिक फिल्ड	26830.00	
6.	30.06.2018	तिवारी ब्रिक फिल्ड	13300.00	
7.	29.06.2018	मटेरियल क्रय अनुराग ट्रेडर्स	28900.00	
8.	29.06.2018	मटेरियल क्रय अनुराग ट्रेडर्स	24500.00	
		योग—	193930.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उक्त विवरण में दर्शित सोलिंग एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा मैनुअल के विपरीत एवं वसूली योग्य है।
2. कैशबुक जो व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त प्रमुख अभिलेख है, उसमें इस क्रय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं था कि कितनी संख्या में ईट तथा मात्रा में मटेरियल खरीदा गया तथा इनकी क्रय दर क्या थी
3. लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त कार्य से सम्बन्धित इस्टीमेट, बिल टेण्डर/कोटेशन/मोड ऑफ पेमेंट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र इतनी अधिक पाइप क्रय के उद्देश्य आदि के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस क्रय एवं इससे कराये गये कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
4. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान दिनांक 28.06.2018 से 30.06.2018 के बीच मात्र 3 दिन के अंदर हो गया है जो कार्य कराये जाने को प्रमाणित नहीं करता क्योंकि इतने कम अंतराल में काम का कराया जाना संभव नहीं है।
5. मजदूरी की धनराशि प्रधान श्री गुरुबक्स एवं सचिव श्री दिलीप कुमार के नाम आहरित न होकर किन्हीं अनधिकृत व्यक्तियों के आहरित है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 193930.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 193930.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री गुरुबक्स तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 13.02.2019 में रु0 40950.00 वृक्षारोपण पर व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में सम्बन्धित फर्म का बिल, माप पुस्तिका एवं लगवाये जाने हेतु मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। पूछे जाने पर किसी दूसरी पत्रावली में होने की बात कही गयी परंतु ऑडिट सम्पन्न होने तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 क यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" तथा उक्त मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन/अमान्य व्यय रु0 40950.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री गुरुबक्स तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत

से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कैशबुक में निम्न प्रकार प्राथमिक विद्यालय में एवं जूनियर हाईस्कूल में मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	04.12.2018	प्राथमिक विद्यालय में टाली मिट्टी पटाई	15550.00	राजकुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
2.	27.12.2018	जूनियर हाईस्कूल में टाली मिट्टी पटाई	25550.00	राजकुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
3.	31.12.2018	जूनियर हाईस्कूल में टाली मिट्टी पटाई	24650.00	राजकुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
4.	08.02.2019	प्राथमिक विद्यालय में टाली मिट्टी पटाई	40000.00	राजकुमार अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
		योग-	105750.00	

1. उक्त टाली मिट्टी व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली में सादे कागज पर प्राप्त व्यय प्रमाणकों पर सम्बन्धित प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर अप्राप्त रहे। प्राप्त अनियमित भुगतान रसीद में तिथि अंकित नहीं थी। कब से कब मिट्टी पटाई गयी। इसकी अवधि एवं ट्रैक्टर टाली का नम्बर तथा पता आदि अंकित नहीं था। ऐसी स्थिति में व्यय को प्रमाणित नहीं किया जा सका। पत्रावली में इस सादे कागज पर प्राप्त अनियमित एवं अमान्य रसीद के अलावा यथा सम्बन्धित इस्टीमेट/माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र आदि संलग्न नहीं पाये गये।
2. प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 04.12.2018 को पटाई गयी मिट्टी के पश्चात पुनः लगभग चार माह बाद 08.02.2018 में मिट्टी पटाये जाने का औचित्य किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं था।

सभी धनराशि नकद एवं प्रधान तथा सचिव के नाम आहरित न होकर किसी अनधिकृत व्यक्ति के राज कुमार के नाम आहरित हैं जो अनियमित है। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 क यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 105750.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री गुरुबक्स तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार से बराबर हिसों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत-पस्तामाफी, विकास खण्ड-रुदौली, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-49 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पस्तामाफी की ऑडिट वर्ष 2018-19 में कैशबुक की जाँच व मिलान में पाया गया ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में मिट्टी पटाई एवं प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य हेतु निम्न प्रकार सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं०	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि	बैंक के अनुसार भुगतान लेने वाले का नाम
1.	18.04.2018	139261	पंचायत भवन में मिट्टी पटाई पर भुगतान उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	70100.00 29400.00	ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार के नाम नकद आहरण
			योग	99500.00	
2.	09.10.2018	047692	सिराज को मजदूरी भुगतान बावत बाउण्ड्रीवाल निर्माण उ०प्रा०प्रा० पस्तामाफी	47250.00	श्री सिराज के नाम नकद आहरण
3.	10.10.2018	047694	सामाग्री क्रय गुप्ता ट्रेडर्स (उ०प्रा०प्रा० बाउण्ड्रीवाल निर्माण)	93782.00	गुप्ता ट्रेडर्स
4.	12.10.2018	047693	उच्च प्रा० वि० में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु ईट क्रय डी डिस्टीब्यूटर्स	94772.00	डी डिस्टीब्यूटर्स नाम की फर्म को
5.	27.12.2018	047704	उच्च प्रा० वि० में बाउण्ड्रीवाल में पेंटिंग गरीब नवाज	13445.00	गरीब नवाज पेंटर को
			योग	249249.00	

6.	24.12.2018	047707	सामाग्री क्रय गुप्ता ट्रेडर्स (प्रा० पा० बाउण्ड्रीवाल निर्माण)	65022.00	गुप्ता ट्रेडर्स
7.	27.12.2018	047706	प्रा० पा० में पेंटिंग कार्य बाउण्ड्रीवाल में	14569.00	गरीब नवाज पेंटर को

8.	30.10.2018	047695	श्री शैलेश कुमार को मजदूरी भुगतान प्रा० पा० में बाउण्ड्रीवाल निर्माण मिट्टी पटाई प्रांगण में	28700.00	श्री शैलेश कुमार के नाम नकद आहरण
9.	03.11.2018	047697	श्री शैलेश कुमार को भुगतान बावत ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलवाई प्रा०पा० पस्तामाफी	42369.00	श्री शैलेश कुमार के नाम नकद आहरण
10.	15.11.2018	047699	श्री शैलेश कुमार को मजदूरी भुगतान प्रा० पा० में मिट्टी पटाई	30275.00	श्री शैलेश कुमार के नाम नकद आहरण
11.	15.11.2018	047700	श्री शैलेश कुमार को मजदूरी भुगतान बावत प्रा०प्रा० में बाउण्ड्री वाल निर्माण	49000.00	श्री शैलेश कुमार के नाम नकद आहरण
12.	04.12.2018	047702	ईट क्रय जी डी आई प्रा०पा० में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु	88160.00	डी डिस्टीब्यूटर्स नाम की फर्म को
13.	24.12.2018	047705	प्रा० पा० गेट क्रय गुप्ता ट्रेडर्स	25000.00	गुप्ता ट्रेडर्स

14.	07.03.2019	057012	श्री शैलेश कुमार को भुगतान मिट्टी पटाई प्रा0पा0 पस्तामाफी प्रांगण	59325.00	श्री शैलेश कुमार के नाम नकद आहरण
15.	07.03.2019	057011	कृष्ण मगन को भुगतान मिट्टी खरीद प्रा0प्रा0 पस्तामाफी में मिट्टी पटाई हेतु	33182.00	श्री कृष्ण मगन के नाम नकद आहरण
16.	26.03.2019	057019	अरविन्द कुमार को भुगतान बावत पेंटिंग एवं मरम्मत कार्य मजदूरी प्रा0 पा0 मरम्मत पस्तामाफी	70525.00	श्री अरविन्द कुमार के नाम नकद आहरण
			योग—	506127.00	
			कुल व्यय—	854876.00	

उक्त वाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उक्त विवरण तालिका के क्रमांक-01 पर दर्शित व्यय पंचायत भवन में मिट्टी पटाई ट्राली एवं मजदूरी का भुगतान कुल क्रमशः रु0 70100.00 एवं 29400.00 कुल रु0 99500.00 का किया गया है परंतु मिट्टी ट्राली भुगतान की पुष्टि में भुगतान रसीद एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कार्य की कार्य योजना, इस्टीमेट, माप पुस्तिका तथा अन्य पुष्टि परक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं रहें। अतः व्यय अपुष्ट रहा।
2. उक्त विवरण में क्रमांक-02 से 05 तक में कुल रु0 249249.00 उ0 प्रा0 पा0 पस्तामाफी बाउण्ड्रीवाल निर्माण मजदूरी, सामाग्री क्रय एवं पेंटिंग पर व्यय दर्शित है। विवरण में क्रमांक- 02 से स्पष्ट है कि मजदूरी का मस्टररोल से भुगतान न कर सीधे किसी अनधिकृत व्यक्ति श्री सिराज के नाम से नकद भुगतान कर दिया गया है। क्रमांक 4 पर दर्शित ईट का क्रय कैशबुक में डी डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की फर्म से किया गया है जबकि बिल जो प्राप्त रहा वह जीडी इण्डस्ट्रीज का था जो भुगतान को फर्जी प्रमाणित करता है। क्रमांक 03 एवं 5 पर दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय अपुष्ट रहा। कार्य का स्टीमेट, मापपुस्तिका, व्यय प्रमाणक आदि का ऑडिट में प्रस्तुत न किया जाना व्यय का अनियमित एवं वसूली योग्य प्रमाणित करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी का भुगतान 09 अक्टूबर 2018 का कर दिया गया जबकि सामाग्री मूल्य का भुगतान दिनांक 10 एवं 12 अक्टूबर को किया गया। ऐसी स्थिति में मजदूरी का भुगतान सामाग्री भुगतान के पूर्व करना तथा तीन दिन के अंदर सामाग्री और मजदूरी का भुगतान हो गया तो कार्य कब कराया गया। अतः कार्य स्वतः अप्रमाणित एवं वसूली योग्य हो जाता है।
3. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 6, 7, 8, 14 एवं 15 में सन्निहित कुल धनराशि रु0 193851.00 की मिट्टी प्रा0पा0 के प्रांगण में पटाई पर व्यय दर्शित कर नकद भुगतान किया गया है इतनी अधिक मिट्टी पटाई का औचित्य नहीं था। इसी प्रकार क्रमांक 13 और 16 से कुल रु0 85094.00 की पेंटिंग का कराया जाना भी व्यय को अनियमित एवं संदिग्ध बनाता है। यह व्यय भी प्रमाणक विहीन एवं अपुष्ट रहा।
4. कार्य की पत्रावली, स्टीमेट, समस्त व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका के साथ सम्बन्धित ट्राली का नम्बर एवं उसके द्वारा पाटी गयी मिट्टी आदि का विवरण ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः सम्बन्धित जाँच नहीं हो पाई। स्पष्टीकरण में इनका प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. कुल रु0 506127.00 की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी सवे लिया जाना अनिवार्य था जिसका कोई प्रमाण ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। जबकि 5 लाख से अधिक के कार्यों का अनुमोदन जिलाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य है।
6. उक्त विवरण में एकाउण्टपेयी चेक से किये जाने वाले भुगतान की धनराशि भी नकद आहरण कर अथवा बियरर चेक के माध्यम से भुगतान दर्शित है जो ग्राम पंचायत में वित्त

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 के अनुसार अनियमित भुगतान है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 854876.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 854876.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 07.03.2019 में माँ जगदम्बा इण्टरप्राइजेज से रु0 58815.00 की ह्यूम पाइप क्रय भुगतान किया गया है। कैशबुक में पाइप की नाप एवं इसकी दर तथा मात्रा आदि कुछ भी अंकित नहीं था। यह भी अंकित नहीं किया गया था कि यह ह्यूम पाइप कहाँ-कहाँ लगवाई गई है। व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में सादा स्टीमेट पाया गया। बताया गया कि मूल पत्रावली जेई आरईडी के यहाँ एमबी के लिए गई है प्रस्तुत कर दी जायेगी परंतु प्रस्तुत नहीं की जा सकी। यह स्थिति ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 58815.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं0	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि	बैंक के अनुसार भुगतान लेने वाले का नाम
1.	23.04.2018	039263	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु महमूद अहमद को भुगतान	24362.00	श्री मरगूब अहमद को नकद भुगतान
2.	29.06.2018	039263	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	27200.00	श्री हृदय लाल को नकद भुगतान
3.	14.01.2019	0447708	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु महमूद अहमद को भुगतान	40250.00	श्री मरगूब अहमद को नकद भुगतान
			योग	91812.00	

1. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान नकद किया गया है जो अनियमित है। हैण्ड पम्प मरम्मत किसी दक्ष एवं पंजीकृत मिस्त्री/दुकानदार से कराया जाना चाहिए और भुगतान नकद न कर एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। एकाउण्टपेयी चेक माध्यम से भुगतान न कर ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 का उल्लंघन किया गया है।
2. बैंक के अनुसार उक्त सभी भुगतान श्री मरगूब अहमद तथा हृदय राम को नकद किये गये हैं जो ग्राम निधि बैंक खाते से नकद आहरण के लिए अनधिकृत व्यक्ति हैं।
3. उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। मरम्मत व्यय प्रायः अस्थायी खराबी हेतु ही अनुमन्य हैं परंतु इतना अधिक एक साथ मरम्मत पर व्यय किया गया है परंतु हैण्ड पम्पों के स्थान का विवरण एवं संख्या कि कितने हैण्ड पम्प का मरम्मत किया गया या रिबोर कराया गया नहीं दिया गया है, जो अनियमित है। व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप एवं रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 91812.00 की ब्याज सहित वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में वसूल की जानी अपेक्षित है। है। उक्त के स्पष्टीकरण में व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, एवं उक्त कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में चाइल्ड फ्रेंडली ट्वायलेट निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं०	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि	बैंक के अनुसार भुगतान लेने वाले का नाम
1.	18.03.2019	057014	सुनील कुमार को भुगतान बावत मजदूरी फ्रेंडली शौचालय निर्माण प्रा0पा0 पस्तामाफी	29850.00	श्री सुनील कुमार को नकद भुगतान
2.	27.03.2019	057023	सुनील कुमार को भुगतान बावत मजदूरी फ्रेंडली शौचालय निर्माण प्रा0पा0 पस्तामाफी	15400.00	श्री शैलेश कुमार को नकद भुगतान
			योग	45250.00	

उक्त फ्रेंडली शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

1. कैश बुक में चाइल्ड फ्रेंडली ट्वायलेट निर्माण हेतु निर्माण सामाग्री क्रय नहीं रही तो किस प्रकार निर्माण कराया गया।
2. उक्त निर्माण पर व्यय धनराशि रु0 29850.00 नकद भुगतान श्री सुनील कुमार को किया गया है जो अनियमित, प्रमाणक विहीन तथा विवरणहीन है किस कार्य हेतु श्री सुनील कुमार को यह भुगतान किया गया है। इसी प्रकार श्री शैलेश कुमार को मजदूरी भुगतान के नाम पर रु0 15400.00 को नकद भुगतान बैंक से किया गया है। उक्त दोनों व्यक्ति अनधिकृत हैं क्योंकि न तो वे प्रधान हैं और न ही ग्राम सचिव। उक्त धनराशियाँ मजदूरी पर व्यय दर्शित हैं परंतु मस्टररोल से वितरित न कर केवल एक व्यक्ति सुनील कुमार को भुगतान कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है।

विवरण में दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणक/कार्य की पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। ऑडिट के समय व्यय पत्रालियाँ एवं व्यय बाउचर प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 45250.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। उक्त के स्पष्टीकरण में व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, एवं उक्त कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 02.03.2019 को रु0 40950.00 वृक्षारोपण कार्य हेतु मेसर्स सलीम नर्सरी को भुगतान किया गया दर्शित है। कैशबुक में पौध क्रम पर भुगतान दर्शित है। परंतु इसकी व्यय पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रही अतः स्टीमेट, माप पुस्तिका, बिल, लगवाये जाने का मस्टररोल, कार्य योजना, सक्षम अधिकारी/समिति की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली एवं बाउचर लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 40950.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रस्तुत किये जाने वाले सपष्टीकरण के साथ सभी निर्धारित प्रमाणकों यथा कार्य योजना, इस्टीमेट, एमबी, टेण्डर/कोटेशन से सम्बन्धित प्रमाणाकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत की ऑडिट में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.06.2018 को चेक नम्बर 039267 से रु0 20000.00 की ठेलिया एवं दिनांक 18.03.2019 में चेक नम्बर 057016 से रु0 10000.00 की सफाई सामान किट क्रय कैशबुक में दर्शित है। ठेलिया एवं सफाई किट दोनों से सम्बन्धित कुल रु0 30000.00 व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। ठेलिया हेतु भुगतान किसी पंजीकृत दुकान को एकाउण्टपेयी चेक से न करके ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार द्वारा स्वयं अपने नाम से धनराशि का आहरण किया गया है जो अनियमित एवं नियमों के अंतर्गत वसूली योग्य है। इसी प्रकार सफाई किट क्रय का भुगतान माँ पीताम्बरा ट्रेडर्स को किया गया जबकि इसका क्रय दुकान से किया जाना था। यह फर्म सफाई सामान हेतु अधिकृत फर्म नहीं प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली एवं बाउचर लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 30000.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज

सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रस्तुत किये जाने वाले सपष्टीकरण के साथ सभी निर्धारित प्रमाणकों यथा कार्य योजना, इस्टीमेट, एमबी, टेण्डर/कोटेशन से सम्बन्धित प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, तथा स्टॉक बुक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो कि कब-कब तथा कितनी मात्रा में संदर्भित सामान पूर्व में क्रय किये गये हैं तथा उनका उपयोग किस प्रकार किया गया है एवं निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निस्पादन किस प्रकार किया गया है।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की कैशबुक जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में तालाब भराई पर दिनांक 18.05.2018 में चेक नम्बर 039264 से ₹0 46350.00 तथा दिनांक 18.05.2018 में चेक नम्बर 039265 से ₹0 48500.00 अर्थात् कुल ₹0 94850.00 कैश बुक में व्यय दर्शित है। इसके सम्बन्ध में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं रहा कि कितने तालाबों में, कितने घंटे तथा किसे ट्यूबेल से पानी तालाब में भराया गया है। उक्त आहरण बैंक के अनुसार क्रमशः श्री विजय बहादुर तथा राकेश कुमार ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है जबकि यह भुगतान मशीन/ट्यूबेल मालिक को एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। ₹0 2000.00 से अधिक का भुगतान नकद किया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 के विपरीत है एवं व्यय प्रमाणक विहीन तथा विवरणहीन व्यय अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय ₹0 94850.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्टीकरण के साथ सभी निर्धारित प्रमाणकों यथा कार्य योजना, ट्यूबेल मालिक का प्रमाण एवं तालाब भराई का विवरण आदि प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 दिनांक 29.05.2018 में चेक नम्बर 039266 से ₹0 27500.00 राजितराम के दरवाजे रिबोर पर भुगतान कैशबुक में अंकित करके श्री हृदय लाल को नकद भुगतान किया गया है। परन्तु इसका व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। श्री हृदय लाल के नाम इसका नकद भुगतान किया गया है जो अनियमित एवं वसूली योग्य है। ₹0 2000.00 से अधिक का भुगतान नकद किया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 के विपरीत है एवं व्यय प्रमाणक विहीन तथा विवरणहीन व्यय अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय ₹0 27500.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी कु0 प्रिया पाण्डेय से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्टीकरण के साथ सभी निर्धारित प्रमाणकों यथा कार्य योजना, व्यय पत्रावली आदि प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

23-ग्राम पंचायत-पुरांय, विकास खण्ड-रूदौली, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-57 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पुरांय की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ईदगाह से पुरांय गाँव तक सोलिंग मरम्मत कार्य पर कैशबुक में निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1.	18.06.2018	मजदूरी पर व्यय	39900.00	राम कैलाश अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
2.	18.06.2018	मजदूरी पर व्यय	32600.00	राम कैलाश अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
3.	19.06.2018	एस के ब्रिक फिल्ड से ईंट क्रय	75000.00	

4.	19.06.2018	एस के ब्रिक फिल्ड से ईट क्रय	50000.00	
5.	25.06.2018	सोलिंग कार्य मजदूरी	25025.00	राम कैलाश अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरण
		योग	222525.00	

उक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं कारटेज हेतु भुगतान के लिए आहरित धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम सचिव श्री गणेश राम के नाम आहरित न होकर किसी अनधिकृत व्यक्ति के नाम आहरित है जो अनियमित है।
2. उक्त विवरण में दर्शित कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक ऑडिट में व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. कारटेज का भुगतान सम्बन्धित ट्राली मालिक को एकाण्टपेयी चेक के माध्यम से नहीं किया गया है और न ही इसकी रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई।
4. मिट्टी पटाई हेतु कहाँ से उठाई गई इसका भी विवरण कैशबुक एवं अन्य किसी विवरण में प्राप्त नहीं रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 222525.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 222525.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश राम से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 गिरधारीके घर सेसीसी रोड तक खडंजा निर्माण मजदूरी भुगतान पर दिनांक 18 अप्रैल 2018 में रु0 11693.00 व्यय दर्शित किया गया है। परंतु इसके पूर्व ईट का क्रय नहीं किया गया है और पूर्व का कोई स्टॉक भी प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बन्धित व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 11693.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश राम से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त कार्य का विवरण	धनराशि	बैंक के अनुसार भुगतान लेने वाले का नाम
1.	18.05.2018	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु हृदयराम को भुगतान	87226.00	
2.	29.06.2018	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु हृदयराम को भुगतान	75000.00	
3.	19.06.2018	हैण्ड पम्प रिबोर हेतु हृदयराम को भुगतान	76275.00	
		योग	238501.00	

उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर पर किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। मरम्मत व्यय प्रायः अस्थायी खराबी हेतु ही अनुमन्य हैं परंतु इतना अधिक एक साथ मरम्मत पर व्यय किया गया है परंतु हैण्ड पम्पों के स्थान का विवरण एवं संख्या कि कितने हैण्ड पम्प का मरम्मत किया गया या रिबोर कराया गया नहीं दिया गया है, जो अनियमित है। व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप एवं रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 238501.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गणेश राम से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-60 रामलीला मैदान में मिट्टी पटाई हेतु मजदूरी पर रु0 21000.00 एवं मिट्टी कारटेज हेतु रु0 35000.00 का भुगतान क्रमशः दिनांक 07.08.2018 तथा 20.08.2018 में किया गया है। मिट्टी कारटेज का अधिक भुगतान किया गया है। इन व्ययों से सम्बन्धित व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 56000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश राम से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों, प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का

प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की कैश बुक जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में चाइल्ड फ्रैंडली ट्वायलेट निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	29.12.2018	मेहित ट्रेडर्स	38335.00	सामग्री
2.	01.01.2019	अवध ब्रिक फ़िल्ड	34860.00	"
3.	17.01.2019	बबलू हार्डवेयर	18000.00	"
4.	16.03.2019	मोहित ट्रेडर्स	12525.00	"
5.	16.03.2019	नवनीत मशीनरी	36294.00	"
6.	19.03.2019	जनता ट्रेडर्स	27751.00	"
7.	28.03.2019	मे0 केशवराम कांस्ट्रैक्टर्स	21000.00	"
8.	28.03.2019	अवध ब्रिक फ़िल्ड	11291.00	योग सामग्री-200056.00
9.	14.01.2019	मजदूरी	18200.00	मजदूरी
10.	25.03.2019	मजदूरी	12250.00	मजदूरी
11.	28.03.2019	मजदूरी	19425.00	योग मजदूरी 49875.00
		योग	249931.00	"

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों के सम्बन्ध में कैशबुक में मात्र फर्म के नाम दर्शित है। किस फर्म से क्या क्रय किया गया है तथा कितना क्रय किया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

1. कैश बुक में कितने तथा किस स्थान पर चाइल्ड फ्रैंडली ट्वायलेट निर्माण कराये गये इसका उल्लेख कैश बुक में नहीं पाया गया और उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों भी ऑडिट में प्रस्तुत न किये जाने से इनका ज्ञान नहीं हो सका।
2. कुल ईट की मात्रा जो तत्कालीन दर से 9 हजार आती है के प्रयोग पर की गई सामग्री क्रय अधिक है। इस्टीमेट, एमबी एवं व्यय प्रमाणक तथा मस्टररोल के अभाव में इसकी जाँच नहीं की जा सकी।
3. कैश बुक की जाँच में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना औचित्य विहीन रहा। यदि एक ही फर्म से निविदा पर क्रय किया गया होता तो ग्राम सभा को इसका लाभ मिलता। टेण्डर से सम्बन्धित प्रमाणक एवं निर्माण कार्य सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण उक्त जाँच नहीं की जा सकी। एक ही कार्य पर विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय करना उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के विपरीत एवं अधिभार योग्य है।

उक्त अभिलेख एवं प्रमाणक उपलब्ध कराकर जाँच करायी जानी अपेक्षित है। ऑडिट के समय पत्रावलियाँ एवं व्यय बाउचर प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय रु० 249931.00 के आँधे की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह जनवरी एवं फरवरी में कुल ₹0 272352.00 हैण्ड पम्प रिबोर पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित है। जबकि माह जनवरी एवं फरवरी में हैण्ड पम्प रिबोर कराने एवं एक साथ इतने हैण्डपम्प में रिबोर स्तर की खराबी का औचित्य नहीं बनता। रिबोर के समय हैण्ड पम्प से प्राप्त खराब अवशेष स्टॉक की नीलामी अथवा उसके निस्तारण का कोई विवरण प्राप्त नहीं रहा। रिबोर के पहले इसका सक्षम अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति का प्रमाण लिया जाना था परंतु इससे सम्बन्धित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। एक लाख रुपये से अधिक के क्रय एवं कार्य हेतु ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल एवं शासनादेश संख्या ए-1- 864/10-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 लखनऊ के अनुसार संदर्भित कार्य पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था परंतु इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कार्य को एक ही वर्क आईडी0 से कराया जाना दर्शित है। रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं इसकी जाँच कार्य पत्रावली एवं व्यय बाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। रिबोर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	28.01.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30664.00	
2.	31.01.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30664.00	
3.	31.01.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30664.00	
4.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
5.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
6.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
7.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
8.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
9.	28.02.2019	मे0 केशवराम कॉन्ट्रैक्टर	30060.00	
		योग	272352.00	

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि छः हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान एक साथ किया गया है तीन का लगभग एक साथ। जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक एवं स्थानों का विवरण यह कि कहाँ-कहाँ के हैण्डपम्प रिबोर किये गये आदि की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 272352.00 के आँधे की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 21 फरवरी 2019 को ₹0 40950.00 सलीम नर्सरी को वृक्षारोपण कार्य हेतु मेसर्स सलीम नर्सरी को भुगतान किया गया दर्शित है। कैशबुक में पौध क्रम पर भुगतान दर्शित है। परंतु इसकी व्यय पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रही अतः स्टीमेट, माप पुस्तिका, बिल, लगाये जाने का मस्टररोल, कार्य योजना, सक्षम अधिकारी/समिति की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली एवं बाउचर लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल

अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रू0 40950.00 के आँधे की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-64 दिनांक 22 फरवरी 2019 को रू0 20225.00 फातिमा डिजिटल स्टूडियो को फोटो स्टेट, फोटोग्राफी टाइपिंग एवं स्टेशनरी आदि के नाम पर अनियमित भुगतान एक मुश्त किया गया है जबकि इतनी बड़ी धनराशि एक साथ इस प्रकार के कार्यों पर व्यय नहीं हो सकती। इस प्रकार का व्यय कब-कब किया गया उसकी समस्त रसीदें आदि प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रस्तुत व्यय पत्रावली अस्त-व्यस्त एवं आधी-अधूरी जिसमें किसी भी प्रकार के फोटोग्राफ भी प्राप्त नहीं थे जबकि फोटो ग्राम पर व्यय दर्शित है। बार-बार माँगे जाने पर बताया जाता रहा कि पत्रावलियाँ तैयार की जा रही हैं। जबकि भुगतान के पूर्व पत्रावलियाँ तैयार हो जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने एवं ऑडिट के समय पत्रावलियाँ तैयार किये जाने हेतु समय माँगना इस बात का प्रमाण है कि बिना पत्रावलियाँ पूर्ण हुए भुगतान कर दिया गया है। व्यय पत्रावली एवं बाउचर लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करना में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रू0 20225.00 के आँधे की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से की जानी अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली में सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफी एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-65 दिनांक 22 फरवरी 2019 को रू0 10200.00 खेला अयोध्या कार्यक्रम/प्रशासनिक व्यय दर्शाकर श्री वेकट रमन के नाम आहरित जो त्रिसदस्यीय समिति के सदस्य हैं। परंतु इससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया कि यह किस प्रकार का प्रशासनिक मद का प्रयोग है। इसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति किस सक्षम अधिकारी से ली गयी है। इसका समुचित व्यय प्रमाणक कार्यक्रम के प्रमाण समेत प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में व्यय प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए रू0 10200.00 के आधे की वसूली इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अधिभार प्रतिवेदन के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई व्यय पत्रावली एवं सभी निर्धारित प्रमाणकों एवं कागजातों के साथ-साथ

सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापित हो, आई0डी0 एवं उसकी जनरेट किये जाने की तिथि, सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित प्रमाणकों एवं सभी व्यय प्रमाणकों का सम्बन्धित फर्म/दुकान से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19 मार्च 2019 को हैण्ड पम्प मरम्मत रु0 32904.00 व्यय हेतु मे0 केशवराम कान्द्रेक्टर को भुगतान किया गया है। इस व्यय से सम्बन्धित इतना अधिक धनराशि एक साथ मरम्मत पर व्यय किया गया है परंतु हैण्ड पम्पों के स्थान का विवरण एवं संख्या कि कितने हैण्डपम्प का मरम्मत किया गया तथा किन-किन स्थानों पर मरम्मत का कार्य कराया गया आदि का विवरण प्रस्तुत न करना अनियमित है। व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 32904.00 के आधे की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्टीकरण के साथ सभी निर्धारित प्रमाणकों यथा कार्य योजना, स्टीमेट, एमबी, टेण्डर/कोटेशन से सम्बन्धित प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों का सहायक विकास अधिकारी पंचायत से सत्यापन, जीओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थान की तीन स्टेप की फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत-बनमऊ, विकास खण्ड-रूदौली, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-67 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बनमऊ की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर निम्न प्रकार व्यय कैश बुक में दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1.	06.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	60200.00	कल्लू मिस्त्री को भुगतान
2.	18.06.2018	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	27800.00	कल्लू मिस्त्री को भुगतान
3.	19.06.2018	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	87150.00	सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स
4.	19.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	67050.00	सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स
		योग	242200.00	

उक्त हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

1. उक्त हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर हेतु कल्लू मिस्त्री एवं सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स को भुगतान किया गया है। कल्लू मिस्त्री एवं उक्त फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कराने में सक्षम थे अथवा नहीं इसकी जानकारी उक्त व्यय पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो पाई। हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर में सामानों की आपूर्ति कल्लू मिस्त्री द्वारा कैसे किया गया क्या ये सामान की दुकान भी रखते हैं अथवा केवल मरम्मत एवं रिबोर की मजदूरी के लिए भुगतान किया गया आदि सूचनाएँ पत्रावली के अभाव में ज्ञात नहीं हो सकी।
2. उक्त तिथियों में एक साथ इतनी अधिक धनराशि से किन-किन स्थानों पर और कितने हैण्डपम्प मरम्मत अथवा रिबोर कराये गये, यह भी जानकारी सूचना के अभाव में नहीं हो पाई।

3. माह सितम्बर में एक बड़ी धनराशि एक ही दिन में तथा मई में मात्र दो दिन के अंतर्गत एक बड़ी धनराशि उक्त मद पर व्यय प्रमाणक विहीन व्यय की गयी है जो नियमों के विपरीत है।
4. सोएब ट्रेडर्स द्वारा विभिन्न सामानों की सप्लाई ग्राम पंचायत में दर्शायी गयी है यह संस्था कौन-कौन से सामान बेचती है इस आशय का भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 242200.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 242200.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम निहोर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 दिनांक 29.10.2018 में सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स से रु0 32000.00 की आलमारी, चयेर, टेबल एवं दर क्रय दर्शित है जिसका व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं रहा कि इस धनराशि में किस दर से कौन सी सामग्री क्रय की गयी हैं। पूर्व में कितनी आलमारी, चयेर, टेबल एवं दरा ग्राम पंचायत में खरीदी गई थी इसकी जानकारी हेतु डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः क्रय के औचित्य की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। यह भी स्पष्ट करना है कि सोएब ट्रेडर्स फर्म द्वारा इसी ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत का काम भी किया गया है और इस हेतु भुगतानित है। अतः कुल व्यय रु0 32000.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन तथा अनियमित है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 32000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम निहोर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की कैश बुक निम्न विवरणानुसार मिट्टी कारटेज पर व्यय किया गया है :-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1.	26.10.2018	पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनमऊ में मिट्टी पटाई	46238.00	
2.	29.10.2018	पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनमऊ में मिट्टी पटाई	42980.00	
		योग	89218.00	

उक्त विवरण में दर्शित व्यय एक ही विद्यालय में मिट्टी पटाई पर दर्शित है। इतनी अधिक मिट्टी पटाई का भुगतान संदिग्ध है। जिसकी व्यय पत्रावली भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम

विरुद्ध व्यय रु0 89218.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम निहोर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19.06.2018 को रु0 42700.00 ग्राम पंचायत में नाली सफाई पर व्यय दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक सफाई कर्मी नियुक्त होने के बावजूद इस प्रकार का व्यय नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है। इसका प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। यह स्थिति ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 42700.00 की ब्याज सहित वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम निहोर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में वसूल की जानी अपेक्षित है।

25-ग्राम पंचायत-बडेला, विकास खण्ड-रूदौली, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-71 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर निम्न प्रकार व्यय कैश बुक में दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1.	10.04.2018	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	46750.00	सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स
2.	08.05.2018	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	42800.00	हृदयलाल हैण्ड पम्प एण्ड जनरल सप्लायर्स
3.	30.10.2018	हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	30000.00	सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स
		योग	119550.00	

उक्त हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर हेतु सोएब ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर्स एवं हृदय लाल एण्ड जनरल सप्लायर्स को भुगतान किया गया है। व्यय की जाँच उक्त व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र व्यय पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो पाई।
2. उक्त तिथियों में एक साथ इतनी अधिक धनराशि से किन-किन स्थानों पर और कितने हैण्ड पम्प मरम्मत अथवा रिबोर कराये गये, यह भी जानकारी सूचना के अभाव में नहीं हो पाई।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पर किया गया कुल व्यय रु0 119550.00 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 222525.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 दिनांक 21.06.2018 में ग्राम प्रधान को भुगतान दर्शित कर रु0 30000.00 का तसला, फावड़ा आदि सफाई कर्मी किट खरीद पर व्यय दर्शित किया गया है। प्रधान को सफाई कर्मी किट की धनराशि का भुगतान किया जाना अनियमित एवं धन का मिलीभगत कर गबन करना प्रमाणित होता है। यह क्रय सक्षम आपूर्ति कर्ता दुकान से किया जाना चाहिए था तथा इसका भुगतान सम्बन्धित दुकान के

नाम एकाउण्ट पेयी चेक से किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में इसका व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः कुल व्यय ₹0 30000.00 व्यय अनियमित प्रमाणक विहीन है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 30000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश राम से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1.	10.09.2018	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई	42800.00	
2.	03.11.2018	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण पर मिट्टी कारटेज	61950.00	
3.	16.03.2019	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई	42011.00	
4.	18.03.2019	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई	83045.00	
		योग	229806.00	

उक्त विवरण में दर्शित मिट्टी कारटेज पर व्यय ₹0 167856.00 प्राथमिक विद्यालय में तथा ₹0 61950.00 चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण पर कैशबुक में दर्शित हैं। इतनी अधिक मिट्टी पटाई का भुगतान एक विद्यालय में तथा एक शौचालय के स्थान पर करना संदिग्ध है। इसके भुगतान प्राप्त कर्ता ट्राली मालिक का नाम भी अंकित नहीं किया गया है। इस व्यय से सम्बन्धित व्यय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र व्यय पत्रावली एवं व्यय विवरण भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 229806.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 05.06.2018 एवं 30.06.2018 को क्रमशः ₹0 21700.00 तथा ₹0 26775.00 अर्थात् कुल ₹0 48475.00 ग्राम पंचायत में नाली सफाई पर व्यय दर्शाया गया है जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को नकद किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक सफाई कर्मी नियुक्त होने के बावजूद इस प्रकार का व्यय नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है। इसका प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 48475.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12.03.2019 में शर्मा हैण्डलूम भण्डार से ₹0 46256.00 का कूड़ादान कैंशबुक में क्रय दर्शित है। परंतु इसका व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि जिसका फर्म को धनराशि का भुगतान दर्शित है वह कूड़ादान सप्लाई करने में सक्षम फर्म नहीं है। अतः स्पष्ट है कि मिलीभगत कर धनराशि का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में इसका व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल व्यय ₹0 46256.00 व्यय अनियमित प्रमाणक विहीन जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 46256.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 दिनांक 24.12.2018 में ₹0 125800.00 की ह्यूम पाइप पीताम्बर ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स से क्रय दर्शित हैं। यह क्रय बिना किसी परियोजना की आवश्यकता के खरीदा गया है। इसकी आईडी भी जनरेट नहीं बताई गयी। इसका बिल/व्यय मय स्टीमेट, बिल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक विहीन, विवरणहीन एवं अनियमित है। जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 125800.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कैंशबुक का मिलान व्यय पत्रावलियों से करते समय पाया गया कि दिनांक 14.08.2018 में तालाब तराई पर व्यय दर्शित कर ₹0 40000.00 का भुगतान कैंशबुक में किया गया है परंतु विवरण अंकित नहीं किया गया है कि यह भुगतान किसको तथा कितने घंटे हेतु किस दिनांक से किस दिनांक तक तालाब में पानी भराई हेतु किया गया है। शासन की मंशानुरूप तालाब में पानी मई से जून में भराया जाना चाहिए माह अगस्त में पानी का भराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा। इसका व्यय प्रमाणक/भुगतान रसीद भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः यह व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 40000.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की कैंश बुक जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित कर कैंशबुक में धनराशि खारिज की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	कैंशबुक में प्राप्त विवरण	धनराशि	अन्य
1.	09.05.2018	फातिमा स्टूडियो का भुगतान	5300.00	

2.	29.05.2018	फातिमा स्टूडियो का भुगतान	5400.00	
3.	29.10.2018	प्रधान को भुगतान	51975.00	
		योग	62675.00	

उक्त विवरण में दर्शित प्रशासनिक मद में व्यय के अंतर्गत प्रधान को रू0 51975.00 का दिया जाना एवं इससे सम्बन्धित अन्य विवरण एवं प्रमाणक उपलब्ध न कराना धनराशि का गबन किया जाना है। इसी प्रकार फातिमा स्टूडियो का भी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय रू0 62675.00 की वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री जग प्रसाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 16.05.2018 में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण दर्शित करते हुए कैशबुक में ग्राम प्रधान को रू0 106000.00 का भुगतान किया गया है। आंगनबाड़ी निर्माण की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही और इसकी आईडी भी जनरेट नहीं होना बताया गया। प्रधान को आंगनबाड़ी निर्माण हेतु धनराशि नकद देने का कोई औचित्य प्रमाणित नहीं किया जा सका। विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन वसूली योग्य है। जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रू0 106000.00 के आधे की ब्याज सहित वसूली प्रतिवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों श्रीमती मायावती, श्री वेकट रमन एवं श्री मुकेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा शेष आधे की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सूरज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत-गोठवारा, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कैश बुक में व्यय धनराशि रू0 231474.00 है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षकगण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जल संशोधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः दर्शित व्यय रू0 231474.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8

के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 231474.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधान रू0 115737.00 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 115737.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की कैशबुक में खडंजा मरम्मत/निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

●अमरनाथ के बाग से खडंजा तक-	रू0 27300.00
●राम कुमार के घर से सी0सी0 रोड तक-	रू0 26425.00
●अशोक के खेत से काली माँ के स्थान तक-	रू0 180730.00
●कानी मां के स्थान से पक्कीसडक तक -	रू011400.00
●पवन कुमार के घर से खडंजा तक-	रू0 4800.00
●राम चंदर के घर से खडंजा तक -	रू0 12600.00
●रवीन्द्र के घर से पुल तक -	रू0 115702.00

योग -रू0 378957.00

जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

खडंजा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जल संशोधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः दर्शित व्यय रू0 378957.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 378957.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधान रू0 189478.50 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 189478.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय नउवाढाक में मरम्मत हेतु कैशबुक में व्यय की गई धनराशि रु0 686587.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

- मॉडल शौचालय निर्माण— रु0 150761.00
- बाउण्डरीवाल निर्माण— रु0 109919.00
- टाइल्स कार्य— रु0 104620.00
- भवन मरम्मत कार्य— रु0 237002.00
- रंगार्ड—पुताई कार्य— रु0 84285.00

योग — रु0 686587.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। शौचालय एवं बाउण्डरी वाल मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, शिक्षा समिति द्वारा शौचालय एवं बाउण्डरी वाल मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः दर्शित व्यय रु0 686557.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 686587.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधान रु0 343293.50 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 343293.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रा0 विद्यालय पूरे गोविन्दपुर में मरम्मत हेतु कैश बुक में व्यय की गई धनराशि रु0 547358.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

- मॉडल शौचालय निर्माण—रु0 97300.00
- बाउण्डरीवाल निर्माण— रु0 193263.00
- भवन मरम्मत कार्य— रु0 136860.00
- रंगार्ड—पुताई कार्य— रु0 39935.00
- मिट्टी पटाई कार्य— रु0 80000.00

योग —रु0 547358.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि। ध्व पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, शिक्षा समिति द्वारा शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः दर्शित व्यय रू0 547358.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 547358.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधान रू0 273679.50 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 273679.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रा0 विद्यालय गोठवारा में मरम्मत हेतु कैश बुक में व्यय की गई धनराशि रू0 365979.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

- मॉडल शौचालय निर्माण—रू0 38250.00
- बाउण्ड्रीवाल निर्माण— रू0 115679.00
- भवन मरम्मत कार्य— रू0 172115.00
- रंगार्ई-पुतार्ई कार्य— रू0 39935.00

योग — रू0 365979.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि। ध्व पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, शिक्षा समिति द्वारा शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः दर्शित व्यय रु0 365979.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 365979.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधान रु0 182989.50 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 182989.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत गोठवारा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नाली निर्माण पर कैश बुक में व्यय धनराशि रु0 336261.00 है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं

नाली निर्माण हेतु भुगतान से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को नाली निर्माण हेतु भुगतान की धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

अतः दर्शित व्यय रु0 336261.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव ने अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 336261.00.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कुसुम ग्राम प्रधानरु0 168130.50 तथा श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 168130.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

27-ग्राम पंचायत-कोरोराघवपुर, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में हैंडपम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु व्यय धनराशि रु0 162180.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	021451/16.	19250.00	प्रशांत ट्रेडर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक

	04.18		एण्ड सप्लायर्स			विहीन
2.	021454 / 13. 06.18	34500.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
3.	021920 / 19. 06.18	34960.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
4.	021462 / 20. 11.18	18290.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन

5.	021464 / 26.11. 18	18950.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
6.	021463 / 26.11. 18	18610.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
7.	034653 / 18.02. 19	17630.00	प्रशांत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	03120285613	हैंडपम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-162180.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।
- हैंडपम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 162180.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ

विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 162180.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 81090.00, श्री कमलेश कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 44355.00 एवं श्री गणेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 36735.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-20)**

प्रस्तर -87 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में कुर्सी, मेज, दरी, आल्मारी इत्यादि क्रय हेतु व्यय धनराशि रु0 66500.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	021452/06.06.18	66500.00	कृष्णा इंटरप्राजेज	03582483323	कुर्सी, मेज, दरी, आल्मारी इत्यादि क्रय हेतु	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-66500.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रु0 66500.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 66500.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 33250.00, श्री कमलेश कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 33250.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-21)**

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में पुलिया निर्माण हेतु व्यय धनराशि रु0 162840.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	021455 / 18. 06.18	86140.00	शीतल प्रसाद फैंक्ट्री		पुलिया निर्माण	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	021456 / 20. 06.18	76700.00	शीतल प्रसाद फैंक्ट्री		पुलिया निर्माण	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग—162840.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।
- पुलिया निर्माण हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 162840.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ

विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 162840.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 81420.00, श्री कमलेश कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 81420.00 एवं संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय हेतु व्यय धनराशि रु0 80506.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.0	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	038011/01.02.19	80506.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	ह्यूम पाइप क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-80506.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रु0 80506.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त

वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 80506.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 40253.00 एवं श्री गनेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 40253.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर- 90 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में मॉडल शौचालय निर्माण हेतु व्यय धनराशि रु0 169543.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	021460 / 15.10.18	आहरित 10800.00 व्यय रु0 10675.00	श्री जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद	प्रा०वि० गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में श्रमिकों को भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त रहा
2.	021461 / 15.10.18	10500.00	श्री जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद	जूनियर विद्यालय गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में श्रमिकों को भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त

3.	021470 / 07.12.18	37469.00	अजय ट्रेडर्स	03701569605	प्राथमिक विद्यालय गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में सीमेंट मोरंग सामग्री का क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
4.	034651 / 07.12.18	37469.00	अजय ट्रेडर्स	03701569605	जूनियर विद्यालय गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में सीमेंट मोरंग सामग्री का क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
5.	021466 / 10.12.18	23835.00	वर्मा ब्रिक उद्योग	वर्मा ब्रिक उद्योग	प्रा०वि० गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में ईट गिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

6.	021467 / 10.12.18	23835.00	वर्मा ब्रिक उद्योग	वर्मा ब्रिक उद्योग	जू०वि० गोसाई का पूरा में मॉडल शौचालय निर्माण में ईट गिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
7.	021468 / 10.12.18	12880.00	वर्मा ब्रिक उद्योग	वर्मा ब्रिक उद्योग	ईट गिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

8.	021469 / 10.12. 18	12880.00	वर्मा ब्रिक उद्योग	वर्मा ब्रिक उद्योग	ईट गिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-169543.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- शौचालय निर्माण हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रु0 169543.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 169543.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 84771.50 एवं श्री गनेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 84771.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय गोसाई का पूरा में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु व्यय धनराशि रु0 273778.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	034665 / 18.03.19	35325.00	जे०के० एसोसिएट्स	जे०के० एसोसिएट्स	सीमेंट मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	034662 / 18.03.19	34370.00	जे०के० एसोसिएट्स	जे०के० एसोसिएट्स	सीमेंट मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3.	034660 / 19.03.19	2644.00	दिनेश सिंह फयाराम वर्मा फलाई ऐश ईट उद्योग		इंटरलॉकिंग ईट क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4.	034663 / 19.03.19	16964.00	दिनेश सिंह फयाराम वर्मा फलाई ऐश ईट उद्योग		इंटरलॉकिंग ईट क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
5.	034666 / 19.03.19	19450.00	दिनेश सिंह फयाराम वर्मा फलाई ऐश ईट उद्योग		इंटरलॉकिंग ईट गिट्टी क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
6.	034667 / 19.03.19	165025.00	दिनेश सिंह फयाराम वर्मा फलाई ऐश ईट उद्योग		इंटरलॉकिंग ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-273778.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयसामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- इंटरलॉकिंग कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम०बी०, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 273778.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 273778.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रू0 136889.00 एवं श्री गणेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 136889.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत कोरोराधवपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय गोसाई का पूरा में टाइल्स

कार्य हेतु व्यय धनराशि रू0 224055.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	034661/18.03.19	71000.00	जे0के0 एसोसिएट्स	जे0के0 एसोसिएट्स	टाइल्स क्रय हेतु भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	034659/18.03.19	27349.00	जे0के0 एसोसिएट्स	जे0के0 एसोसिएट्स	सीमेंट मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3.	034658/18.03.19	91000.00	जे0के0 एसोसिएट्स	जे0के0 एसोसिएट्स	टाइल्स क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4.	034657/18.03.19	34706.00	जे0के0 एसोसिएट्स	जे0के0 एसोसिएट्स	सीमेंट मोरंग एवं टाइल्स क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-224055.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयसामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

- v. टाइल्स कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vi. चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 224055.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 224055.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रू0 112027.50 एवं श्री गनेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 112027.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में ग्राम पंचायत में आर0सी0सी0 बेंच निर्माण कार्य हेतु व्यय धनराशि रू0 187000.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	034668/26.03.19	93500.00	संदीप कन्सट्रक्शन	संदीप कन्सट्रक्शन	आर0सी0सी0 बेंच निर्माण हेतु भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	034669/26.03.19	93500.00	संदीप कन्सट्रक्शन	संदीप कन्सट्रक्शन	आर0सी0सी0 बेंच निर्माण हेतु भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-187000.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- i. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।

- ii. स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- iii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- iv. लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- v. आर0सी0सी बेंच निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vi. चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 187000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 187000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रू0 93500.00 एवं श्री गनेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 93500.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि दिनांक 19.03.2019 को बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट में आहरित/व्यय धनराशि रू0 168935.00 को कैशबुक में दर्शित नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में		
1.	034664 / 19.03.19	168935.00	अंकित नहीं	अंकित नहीं		व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-168935.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

अतः दर्शित व्यय रु0 168935.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क एवं खण्ड-8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 168935.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 84467.50 एवं श्री गणेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 84467.50 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत कोरोराघवपुर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैशबुक में ज्योति एसोसिएट्स को भुगतानित धनराशि रु0 97728.00 दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रुपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम		कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रुपये में)
			कैशबुक में	बैंक पासबुक / स्टेटमेंट में		
1.	034656 / 26.03.19	97728.00	ज्योति एसोसिएट्स	ज्योति एसोसिएट्स		व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-97728.00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

- v. उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vi. चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. लेखा परीक्षा उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों को आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 97728.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 97728.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान रू0 48864.00 एवं श्री गनेश राम ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 48864.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

28-ग्राम पंचायत-इमामगंज, विकास खण्ड-अमानीगंज जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-96. ग्राम पंचायत इमामगंज वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि भीखादास इंटर प्राइजेज से ह्यूमपाइप क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 30000.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	164 / 13.08.2018	30000.00	भीखादास इंटर प्राइजेज	ह्यूमपाइप आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	30000.00			

- i. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- ii. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- iii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।

- iv. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- v. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- vi. ह्यूमपाइप क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, एम0बी0, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- vii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें विता आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार कर के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म भीखादास इंटर प्राइजेज को ह्यूमपाइप आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- ix. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 30000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 30000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती आसमाँ ग्राम प्रधान रू0 15000.00 तथा श्री एंथोनी विलियम जेम्स ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 15000.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-97. ग्राम पंचायत इमामगंज में वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि भीखादास इंटरप्राइजेज से कूड़ा दान क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 40000.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्रीआपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रमसंख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	173/09.10.2018	40000.00	भीखादास इंटर प्राइजेज	कूड़ादान आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	40000.00			

लेखा परीक्षा में कैश बुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- i. उपरोक्तव्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- ii. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- iii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।

- IV. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- V. कूड़ादान क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन, डिलेवरी चालान, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, स्थानों की सूची, निर्माण कार्य समिति द्वारा कूड़े दान क्रय का कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धी प्रपत्र इत्यादि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- VI. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को कूड़ादान क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- VII. चतुर्थ राज विता आयोग/14वें विता आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- VIII. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 40000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 40000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती आसमाँ ग्राम प्रधान रू0 20000.00 तथा श्री एंथोनी विलियम जेम्स ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 20000.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत इमामगंज वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि भीखादास इंटर प्राइजेज से नाली ढक्कन क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 22500.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/ सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	155/01.06.2018	22500.00	भीखादास इंटर प्राइजेज	नली ढक्कन आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	22500.00			

- I. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- II. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- III. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- IV. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।

- v. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- vi. नाली ढक्कन क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- vii. चतुर्थ राज विता आयोग/14वें विता आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को नाली ढक्कन क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयीचेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- ix. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 22500.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 22500.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती आसमाँ ग्रामप्रधान रू0 11250 00 तथा श्री एंथोनी विलियम जेम्स ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 11250.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत इमामगंज वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ढेला क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 17550.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	175/11.10.2018	17550.00	विवरण विहीन	ढेला आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	22500.00			

- i. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- ii. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- iii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- iv. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।

- v. ठेला क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष डिलेवरी चालान, डेड स्टॉक रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- vi. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. लेखा परीक्षा में स्टेटमेंट के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि नगद की गयी है इस प्रकार ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन है।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 17550.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क एवं खण्ड-8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 17550.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती आसमाँ ग्राम प्रधान रू0 8775.00 तथा श्री एंथोनी विलियम जेम्स ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रामसचिव रू0 रू0 8775.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

29-ग्राम पंचायत-कोटिया, विकास खण्ड-अमानीगंज, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर 100. ग्राम पंचायत कोटिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कविता ट्रेडर्स से ह्यूमपाइप क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 247228.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	387 / 19.01.2019	98896.00	कविता ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	388 / 19.01.2019	98896.00	कविता ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
3.	389 / 19.01.2019	49436.00	कविता ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	247228.00			

- x. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- xi. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- xii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- xiii. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- xiv. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।

- xv. ह्यूमपाइप क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन/निविद प्रपत्र, डिलेवरी चालान, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कर/शुल्क अवधारण जमा रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा ह्यूमपाइप क्रय हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धी प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- xvi. कैशबुक पर व्यय प्रमाणको के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।
- xvii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- xviii. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म कविता ट्रेडर्स को ह्यूमपाइप आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयीचेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

अतः दर्शित व्यय रू0 247228.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 247228.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती नीलम सिंह ग्राम प्रधान रू0 123614.00 तथा श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 रू0 123614.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 101. ग्राम पंचायत कोटिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 168778.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1	318 / 25.05.2018	28630.00	शोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
2	320 / 22.06.2018	24922.00	शोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
3	319 / 30.06.2018	33876.00	शोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
4	323 / 10.07.2018	27320.00	आर0एस0 टेडर्स	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
5	386 / 11.01.2019	26330.00	शोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन

6	336 / 26.03.2019	27700.00	शोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल सप्लायर	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	168778.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- IX. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- X. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- XI. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- XII. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- XIII. हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन/निविद प्रपत्र, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कर/शुल्क अवधारण जमा रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, जल संसाधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- XIV. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- XV. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें विता आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- XVI. कैशबुक पर व्यय प्रमाणको के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रु0 168778.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 168778.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती नीलम सिंह ग्राम प्रधान रु0 84389.00 तथा श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 रु0 84389.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-102. ग्राम पंचायत कोटिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि आदित्य ट्रेडर्स से सीमेंट बेंच क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रु0 170000.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रं.	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्रीआपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	398 / 29.03.2019	85000.00	आदित्य ट्रेडर्स	सीमेंट बेंच	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	399 / 29.03.2019	85000.00	आदित्य ट्रेडर्स	सीमेंट बेंच	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	170000.00			

- i. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- ii. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- iii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- iv. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- v. सीमेंट बेंच क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन/निविद प्रपत्र, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, डेड स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कर/शुल्क अवधारण जमा रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा सीमेंट बेंच क्रय हेतु प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- vi. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म आदित्य ट्रेडर्स को सीमेंट बेंच आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- vii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें विता आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणको के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 170000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 170000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती नीलम सिंह ग्राम प्रधान रू0 85000.00 तथा श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 रू0 85000.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -103. ग्राम पंचायत कोटिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि खड़जा/नाली-नाला निर्माण कार्य पर कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 1092405.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	मद का नाम	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	गरीबलाला के घर से कुशलदीप के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	378 / 22.11. 2018	46746.00	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	राजितराम के खेत से माताफेर के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	415 / 28.03. 2019	99298.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		413 / 28.03. 2019	26775.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोलविहीन
		414 / 28.09. 2019	17150.00	नगद	मस्टररोल विहीन	मस्टररोल विहीन

3	उदय बहादुर के खेत से हुलई के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	412 / 28.03. 2019	99298.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		417 / 28.09. 2019	17150.00	नगद	मस्टररोल विहीन	मस्टररोल विहीन
		416 / 28.03. 2019	26250.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मस्टररोल विहीन	मस्टररोल विहीन
4	दुर्गा के खेत से मोबीन के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	422 / 28.03. 2019	70486.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		409 / 28.03. 2019	72030.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		406 / 28.03. 2019	36400.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		403 / 28.03. 2019	22225.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन

5	रामसजीवन के खेत से पूरे सुब्बा तक खड़जा निर्माण कार्य	405 / 28.03. 2019	72030.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		408 / 28.03. 2019	70486.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		410 / 28.03. 2019	36400.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		407 / 28.03. 2019	22225.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
6	शत्रोघ्न लोहार के खेत से रामसजीवन के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	401 / 28.03. 2019	72030.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		404 / 28.03. 2019	70486.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		421 / 28.03. 2019	36400.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		411 / 28.03. 2019	21525.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन

7	बाबूलाल के घर से तालाब तक नाला	418 / 28.03. 2019	77147.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

	निर्माण कार्य	423 / 28.03. 2019	69368.00	विवरण विहीन	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
		419 / 29.03. 2019	10500.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		कुल योग	1092405.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- I. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- II. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- III. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- IV. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- V. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- VI. खड़जा/नाली निर्माण हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन/निविद प्रपत्र, डिलेवरी चालान, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कर/शुल्क अवधारण जमा रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, निर्माण कार्यसमिति द्वारा खड़जा/नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- VII. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को खड़जा/नाली निर्माण हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- VIII. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- IX. कैशबुक पर व्यय प्रमाणको के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 1092405.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 1092405.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती नीलम सिंह ग्राम प्रधान रू0 546203.00 तथा श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 546202.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-104. ग्राम पंचायत कोटिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि प्राथमिक पाठशाला कोटिया प्रथम में शौचालय, टाइल्स, भवन मरम्मत, रंगाई-पोताई व इंटर लॉकिंग, प्राथमिक पाठशाला कोटिया द्वितीय में शौचालय, टाइल्स, रंगाई-पोताई व इंटरलॉकिंग, एवं पूर्व माध्यमिक

विद्यालय कोटिया प्रथम में शौचालय, बाउण्ड्रीवाल, मिट्टी ढुलाई हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रु0 2691103.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.	स्कूल एवंकार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	मद का नाम	बाउचर की क्रम संख्या एवंदिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	प्राथमिक पाठशाला कोटिया प्रथम शौचालय	379 / 12.12. 2018	19470.00		मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		380 / 12.12. 2018	29050.00		मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		384 / 04.01. 2019	70434.00	आर0एस0 ट्रेडर्स	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
		385 / 04.01. 2019	46461.00	आर0एस0 ट्रेडर्स		व्यय प्रमाणक विहीन
		382 / 05.01. 2019	37454.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		383 / 11.01. 2019	19500.00	शो एम टेंडर एण्ड जनरल आर्डरसप्लायर	शौचालय सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
	पपण्टाइल्स	332 / 22.02. 2019	29400.00		टाइल्स स्थापना	व्यय प्रमाणक विहीन
		331 / 22.02. 2019	19470.00		मजदूरीभुगतान	मस्टररोल विहीन
		390 / 27.02. 2019	44273.00	महाशय इंडस्ट्रीज	सीमेंट, मोरंग एवं बालू सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
		337 / 19.03. 2019	54827.00	सुलभटाइल्सहार्ट	टाइल्स आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	पपपणभवनमरम्मत	338 / 19.03. 2019	87257.00	शुक्लाट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		345 / 19.03. 2019	19140.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		348 / 19.03. 2019	93979.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		349 / 19.03. 2019	89791.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
	पअण्गई—पोताई	346 / 22.03. 2019	29050.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		350 / 19.03. 2019	89781.00	के0एल0 मिश्रा ट्रेडर्स	रंगाई—पोताई हेतु सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		352 / 19.03. 2019	44500.00	के0एल0 मिश्रा ट्रेडर्स	रंगाई—पोताई हेतु सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		351 / 19.03. 2019	86180.00	के0एल0 मिश्रा ट्रेडर्स	रंगाई—पोताई हेतु सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

	अण्डरलॉकिंग	344 / 22.03. 2019	15437.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		365 / 22.03. 2019	82800.00	महाशय इंडस्ट्रीज	इंटर लॉकिंग ईट	व्यय प्रमाणक विहीन
		361 / 22.03. 2019	84000.00	महाशय इंडस्ट्रीज	इंटरलॉकिंगईट	व्यय प्रमाणक विहीन
		366 / 22.03. 2019	82800.00	महाशय इंडस्ट्रीज	इंटरलॉकिंगईट	व्यय प्रमाणक विहीन
		362 / 22.03. 2019	84000.00	महाशय इंडस्ट्रीज	इंटरलॉकिंगईट	व्यय प्रमाणक विहीन
		363 / 25.03. 2019	41525.00	महाशय इंडस्ट्रीज	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		367 / 22.03. 2019	41000.00	जय नटवीरबा बाटेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		368 / 25.03. 2019	27600.00	उत्तम	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		364 / 25.03. 2019	27600.00	उत्तम	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
2	प्राथमिक पाठशाला कोटिया द्वितीय पणरगाई-पोताई	391 / 27.03. 2019	28500.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		392 / 27.03. 2019	29640.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		393 / 27.03. 2019	36670.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		375 / 27.03. 2019	46766.00	के0एल0 मिश्रा ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		374 / 28.03. 2019	78620.00	के0एल0 मिश्रा ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
	पपण्मॉडल शौचालय	397 / 27.03. 2019	41300.00		मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		394 / 27.03. 2019	43323.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		395 / 27.03. 2019	71189.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		396 / 28.03. 2019	54843.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		372 / 27.03. 2019	59454.00	शुभग टाइल्स हार्ट	टाइल्स	व्यय प्रमाणक विहीन
		373 / 27.03. 2019	77200.00	शुक्ला ट्रेडर्स	टाइल्स	व्यय प्रमाणक विहीन
		370 / 27.03. 2019	17100.00	नगद	मजदूरीभुगतान	मस्टररोल विहीन
		371 / 29.03. 2019	33950.00	नगद	मजदूरीभुगतान	मस्टररोल विहीन
	पपण्टाइल्स	339 / 19.03. 2019	43373.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		341 / 19.03. 2019	74389.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		340 / 19.03. 2019	53663.00	शुक्ला ट्रेडर्स	टाइल्स	व्यय प्रमाणक विहीन
3	पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटिया प्रथम पण्मॉडल शौचालय	339 / 19.03. 2019	43373.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		341 / 19.03. 2019	74389.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		340 / 19.03. 2019	53663.00	शुक्ला ट्रेडर्स	टाइल्स	व्यय प्रमाणक विहीन

	पपण्बाउण्डीवाल पपण्मिट्टी दुलाई	343 / 22.03. 2019	37100.00	नीलम सिंह ग्राम प्रधान	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		342 / 22.03. 2019	10500.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		353 / 22.03. 2019	66674.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		357 / 22.03. 2019	66674.00	वेदांश ब्रिक फील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		356 / 25.03. 2019	12250.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोलविहीन
		360 / 25.03. 2019	10500.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोलविहीन
		355 / 25.03. 2019	35000.00	उत्तम	मजदूरी भुगतान	मस्टररोलविहीन
		359 / 25.03. 2019	35000.00	नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टररोलविहीन
		354 / 25.03. 2019	81748.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		358 / 25.03. 2019	81748.00	महाशय ट्रेडर्स	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
		425 / 29.03. 2019	39650.00	विवरण विहीन	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
		कुल योग	2691103.00			
4	जखवा मॉडल शौचालय	381 / 28.12. 2018	27500.00	शोएब टेंडर एण्ड जनरल ऑर्डर सप्लायर	प्लंबिंग	व्यय प्रमाणक विहीन

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- प्राथमिक पाठशाला कोटिया प्रथम, प्राथमिक पाठशाला कोटिया द्वितीय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटिया प्रथम में उक्त विभिन्न कार्यों हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, क्वोटेशन/निविदा प्रपत्र, डिलेवरी चालान, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कर/शुल्क अवधारण जमा रजिस्टर, कोटेशन/निविदा रजिस्टर, शिक्षा समिति द्वारा उक्त विभिन्न कार्यों हेतु प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को प्राथमिक पाठशाला कोटिया प्रथम, प्राथमिक पाठशाला कोटिया द्वितीय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटिया प्रथम में उक्त विभिन्न कार्यों हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

- VIII. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- IX. कैशबुक पर व्यय प्रमाणको के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 2691103.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाणपत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्य था कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 2691103.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती नीलम सिंह ग्राम प्रधान रू0 1345552.00 तथा श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 1345551.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

30-ग्राम पंचायत-विनायक, विकास खण्ड-अमानीगंज, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-105. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि अजय ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 80000.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	244 / 03.07. 2018	80000.00	अजय ट्रेडर्स	ह्यूम पाइप आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	80000.00			

- XIX. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- XX. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218 क के विपरीत है।
- XXI. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- XXII. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- XXIII. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- XXIV. ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा ह्यूम पाइप क्रय हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- XXV. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- XXVI. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेक बुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म अजय ट्रेडर्स को ह्यूम पाइप आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या

ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

xxvii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 80000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्तहोना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 80000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रू0 40000.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 40000.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-106. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 200808.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	245 / 03.07.2018	70000.00	अजय टेडर्स	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
2	242 / 10.07.2018	19193.00	सोएब टेण्डर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
3	251 / 06.11.2018	37835.00	अजय टेडर्स	हैण्ड पम्प मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
4	252 / 26.11.2018	42280.00	अजय टेडर्स	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
5	255 / 10.12.2018	31500.00	अजय टेडर्स	हैण्ड पम्प रिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	200808.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- xvii. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- xviii. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- xix. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- xx. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- xxi. हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जल संसाधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प रिबोरिंग/मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- xxii. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को हैण्डपम्प

रिबोरिंग/मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

xxiii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

xxiv. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 200808.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 200808.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रू0 100404.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 रू0 100404.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-107. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कूप मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 128475.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	235 / 05.05.2018	80000.00	अजय टेडर्स	कूप मरम्मत हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
2	247 / 27.07.2018	48475.00	प्रेमनाथ नाथ सिंह ग्राम सचिव नगद	कूप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल विहीन
	कुल योग	128475.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- कूप मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कूप मरम्मत कार्य हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।

- VII. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को कूप मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- VIII. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- IX. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रु0 128475.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 128475.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रु0 64238.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 रु0 64237.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-108. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि मोतीलाल के घर से झग्गर पासी के घर तक खड़जा निर्माण कार्य पर कैश बुक में दर्शित धनराशि रु0 123470.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	234/05.04.2018	35270.00	प्रेम नाथ सिंह ग्राम सचिव	खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
2	233/06.04.2018	88200.00	युवराज ब्रिक फील्ड	खड़जा निर्माण हेतु ईंट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	123470.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- x. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- xi. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- xii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- xiii. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- xiv. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।
- xv. खड़जा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय

फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा खड़जा निर्माण हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

- xvi. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को खड़जा निर्माण हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- xvii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- xviii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 123470.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 123470.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रू0 61735.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 रू0 61735.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-109. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय विनायकपुर में शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 138650.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	241 / 18.06.2018	90000.00	अजय टेडर्स	शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
2	246 / 21.07.2018	48650.00	प्रेमनाथ नाथ सिंह ग्राम सचिव नगद	शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल विहीन
	कुल योग	138650.00			

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- x. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- xi. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- xii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- xiii. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- xiv. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।

- xv. शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, डिलेवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, शिक्षा समिति द्वारा शौचालय एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत हेतु कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- xvi. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल मरम्मत हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- xvii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- xviii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 138650.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक की पुष्टि फर्मों से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 138650.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रू0 69325.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 69325.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-32)

प्रस्तर-110. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि अजय ट्रेडर्स से सोलर लाइटक्रय हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 90000.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	238 / 15.06.2018	90000.00	अजय ट्रेडर्स	सोलर लाइट	व्यय प्रमाणक विहीन
	कुल योग	90000.00			

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- सोलर लाइटक्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति, स्टीमेट, एम0बी0, डेड स्टाक रजिस्टर, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या,

कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

- vi. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म अजय ट्रेडर्स को सोलर लाइट आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- viii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 900000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 900000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रमेश ग्राम प्रधान रू0 45000.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 रू0 45000.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-111. ग्राम पंचायत विनायकपुर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि नाली ढक्कन निर्माण हेतु अजय ट्रेडर्स से सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान हेतु कैश बुक में दर्शित धनराशि रू0 129875.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.	चेक सं0/दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य/मद/सामग्री आपूर्ति/ मरम्मत	बाउचर की क्रम संख्या एवं दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
1.	237/05.05.2018	80000.00	अजय ट्रेडर्स	नाली ढक्कन निर्माण हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
2	240/15.06.2018	49875.00	प्रेमनाथ सिंह ग्राम सचिव नगद	मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
	कुल योग	129875.00			

- x. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।
- xi. स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-218क के विपरीत है।
- xii. लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-207 के विपरीत है।
- xiii. लेखा परीक्षा में क्रीत सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-202 के विपरीत है।
- xiv. लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-136 के विपरीत है।

- xv. नाली ढक्कन क्रय हेतु भुगतान से सम्बन्धित स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, डेड स्टॉक रजिस्टर, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- xvi. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहा जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म/व्यक्ति को नाली ढक्कन क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि अकाउंट पेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- xvii. चतुर्थ राज वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- xviii. कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं, बिना आई0डी0 नम्बर के किया गा भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 129875.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से युक्त होना तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा-27 एवं उत्तर पंचायत राज्य नियमावली अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम-256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणक की पुष्टि ट्रेडर्स से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू0 129875.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती रमेश ग्राम प्रधान रू0 64938.00 तथा श्री प्रेमनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 64938.00 से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्से में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत-उमरनी पिपरी, विकास खण्ड-बीकापुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-112 क ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न चेको द्वारा विभिन्न तिथियों में धन आहारित करके मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	आहरित धनराशि	टिप्पणी
1	177	10/05/2018	15000.00	प्राथमिक विध्यालय उमरनी पिपरी के मरम्मत में मजदूरी भुगतान।
2	189	31/07/2018	9330.00	सरकारी नल से दुखी के घर तक मिट्टी एवं खड्जा कार्य पर मजदूरी भुगतान।
3	182	31/07/2018	14490.00	प्राथमिक विध्यालय उमरनी पिपरी के मरम्मत में मजदूरी भुगतान
4	226	30/08/2018	14875.00	प्राथमिक विध्यालय उमरनी पिपरी के मरम्मत में मजदूरी भुगतान

योग 53695.00

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए उपरोक्त कार्य एवं मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल ग्राम पंचायत में न रख कर उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 का उल्लंघन किया गया है।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रू0 53695.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री नसीम खान (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमित्रा (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 23)

(ख) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि दिनांक 07/12/2018 को चेक संख्या 231 द्वारा रुपया 6000.00 अजय कुमार पाण्डेय (सी.ए.) को आडिट परफार्मेंस ग्रांट हेतु भुगतान किया गया है। प्रस्तुत बिल में वित्तीय वर्ष 2015-16 के सत्यापन फीस का उल्लेख किया गया है।

आडिट परफार्मेंस ग्रांट हेतु निम्न शर्तें लागू की गई थी-

1-जिन ग्राम पंचायतों ने सरकार के अतिरिक्त खुद के स्रोत से रेवेन्यू अर्जित किया है, जैसे ग्राम पंचायत में लगने वाले बाजार, तालाब और टंकियो से अतिरिक्त राजस्व वसूला हो। ग्राम पंचायत में पौधशाला का विकास, दुकानों के किराया वसूली करके राजस्व अर्जित किया है।

2-वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 का आडिट कराया हो, तथा राजस्व वृद्धि गत वर्ष की अपेक्षा आडिट में दर्शाया गया

3-ग्राम पंचायत योजना प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किया हो।

ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायत अयोध्या द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा सम्पन्न की जाती है, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेखों का परीक्षण एवं मूल्यांकन आडिट परफार्मेंस ग्रांट की उपरोक्त शर्तों के सापेक्ष किया जाता है।

अतः आडिट परफार्मेंस ग्रांट हेतु उपरोक्त तथ्यों को नजरंदाज करके सी.ए. को रुपया 6000.00 भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5(3) वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का उलंघन किया गया है। व्यय की गयी धनराशि रुपया 6000.00 को उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री नसीम खान (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमित्रा (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 24)

32-ग्राम पंचायत-डिलीगिस्वर, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-113 विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय दिखाया गया है जैसे-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय विवरण
1	03.04.2018	295	19780.00	बबलू मशीनरी स्टोर को अन्तरण द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान
2	03.04.2018	297	3500.00	भभूती प्रसाद को मानदेय भुगतान
3	03.04.2018	296	10989.00	प्रशासनिक मद में अन्तरित की गयी धनराशि
4	06.04.2018	298	8780.00	शिवा को प्राशासनिक मद हेतु भुगतान
5	02.05.2018	299	3500.00	भभूती प्रसाद को मानदेय भुगतान
6	01.06.2018	300	3500.00	भभूती प्रसाद को मानदेय भुगतान
7	03.07.2018	301	3500.00	भभूती प्रसाद को मानदेय भुगतान
8	17.07.2018	302	600.00	अभिषेक यादव को नगद भुगतान
	योग		54149.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) हैण्डपम्प मरम्मत की कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07, एवं खण्ड 08 (क) का उलंघन किया गया। अतः हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कुल रुपया 19780.00 उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत वसूली योग्य है।

(ख) लेखा परीक्षा में प्रशासनिक मद पर किए गए व्यय की पुष्टि में, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07, एवं खण्ड 08(क) का उलंघन किया गया। अतः प्रशासनिक मद पर किए गए कुल व्यय रुपया 19769.00 उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत वसूली योग्य है।

(ग) उपरोक्त लिखित तिथियों में ग्राम प्रधान श्री भभूति प्रसाद को कुल रुपया 14000.00 मानदेय भुगतान किया गया। भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/भुगतान रसीद, मानदेय पंजिका, अकाउंटपेयी

चेक की कापी तथा बकाया मानदेय अवधि का विवरण प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07, एवं खण्ड 08(क) का उलंघन किया गया। अतः मानदेय मद पर किए गए कुल व्यय रुपया 14000.00 उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत वसूली योग्य है।

(घ) ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक यादव द्वारा आहरित नगद धनराशि की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/भुगतान रसीद, प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07, एवं खण्ड 08(क) का उलंघन किया गया। अतः नगद आहरित धनराशि रुपया 600.00 उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत वसूली योग्य है।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 54149.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक यादव एवं ग्राम प्रधान श्री भभूति प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत-ईट गाँव, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

लेखा परीक्षा में पायी गयी गम्भीर आपत्तियाँ

प्रस्तर-114 विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय दिखाया गया है जैसे जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	03/04/2018	5127	8575.00	चेक द्वारा आहरित धनराशि।
2	04/04/2018	5129	18500.00	नवजीवन इंटरप्राइजेज को भुगतान।
3	16/04/2018	5131	66182.00	अंतरण द्वारा आहरित धनराशि।
4	17/04/2018	5132	6300.00	चेक द्वारा आहरित धनराशि।
5	20/04/2018	5126	62011.00	नेफ्ट द्वारा गुडलक ट्रेडर्स को अंतरित की गई धनराशि।
6	21/04/2018	5133	51506.00	नेफ्ट द्वारा गुडलक ट्रेडर्स को अंतरित की गई धनराशि।
7	24/04/2018	5134	51506.00	नेफ्ट द्वारा गुडलक ट्रेडर्स को अंतरित की गई धनराशि।

योग **264580.00**

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि से संबन्धित कार्यों की कार्यवाही रजिस्टर रूप पत्र संख्या -08 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 36 एवं नियम 218 (क) का उलंघन किया गया है।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि से संबन्धित कार्यों की अनुमानित लागत /प्राक्लन,मानचित्र तैयार कराये बिना अनुदान धनराशि व्यय करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं नियम 156 का उलंघन किया गया है।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यदायी/सामाग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों नवजीवन इंटरप्राइजेज, गुडलक ट्रेडर्स का बिल वाउचर एवं माँगपत्र प्राप्त किए बिना ही धनराशि का भुगतान करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 197 का उलंघन किया गया है।

(घ) ग्राम पंचायत में दर्शित कार्यों पर मस्टर रोल तैयार कराये बिना ही मजदूरी का भुगतान करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 का उलंघन किया गया है।

(ङ) ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत के लेखों का संस्था हित में त्रैमासिक संप्रेक्षण न कराकर ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खंड 02 का उलंघन किया गया।

(च) ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध न कराकर ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खंड 07 एवं खण्ड 08 (क) का उल्लंघन किया गया ।

(च) कराये गए कार्यों की मापन पुस्तिका, स्टॉक पंजिका ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 264580.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अमरजीत से किया जाना अपेक्षित है ।

34-ग्राम पंचायत-उपाध्यायपुर, विकास खण्ड-मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-115 (01) इंटरलाकिंग कार्य पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12/03/2019 को रुपया 35860.00 राम शंकर के घर से अमरनाथ के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर व्यय दिखाया गया है । ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं :-

(क) इंटरलाकिंग कार्य की कार्ययोजना , वित्तीय स्वीकृत ,स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे किया गया भुगतान उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 36 ,नियम 152 ,नियम 156 का उल्लंघन है ।

(ख) सामाग्री क्रय हेतु किसी भी फर्म का कोटेशन अथवा निविदा न लेकर ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -7(4) एवं शासनादेश संख्या -ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया ।

(ग) इंटरलाकिंग कार्य पर दिखाये गये व्यय का भुगतान बिना किसी फर्म/संस्था के बिल/वाउचर एवं माँग पत्र प्राप्त किए ही करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 197 का उल्लंघन किया गया ।

(घ) इंटरलाकिंग पेवरब्लाक ईट ,सीमेंट ,मोरंग,बालू आदि सामाग्री क्रय से संबंधित कैशमेमो, डिलवरी चालान एवं मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल अथवा अन्य कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।प्रमाणक विहीन व्यय दिखाकर ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07, एवं खण्ड 08(क) का उल्लंघन किया गया ।

(ड़) सामाग्री क्रय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक पंजिका न रख करके उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 202 का उल्लंघन है

अतः इंटरलाकिंग कार्य पर दिखाया गया समस्त व्यय काल्पनिक एवं अपहरित है, वास्तविक व्यय के पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 35860.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री ध्रुव कुमार सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री विनय कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रारूप-04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत-कोडरी विकास खण्ड-देवा जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर -1 ग्राम पंचायत कोडरी में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय जीर्णोद्धार हेतु सामग्री क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु० 222134.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी तथा सचिव श्री कमलेश यादव से नियमानुसार रु0 222134.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

प्रस्तर 2 ग्राम पंचायत कोडरी में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मिनी सचिवालय बाउड्रीवाल का जीर्णोद्धार हेतु क्रय भुगतान एवं मजदूरी भुगतान क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 199543.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी तथा सचिव श्री कमलेश यादव से नियमानुसार रु0 199543.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 3

ग्राम पंचायत-मित्तई विकास खण्ड-देवा जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 3 ग्राम पंचायत मित्तई में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कूड़ादान क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 598500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती चंचल तथा सचिव श्री मनोज दीक्षित से नियमानुसार रु0 598500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-सोहिलपुर विकास खण्ड-बनीकोडर जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 4 ग्राम पंचायत सोहिलपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत, वालपेन्टिंग, सोलर लाइट क्रय, प्रियासॉफ्ट फिडिंग, निर्माण सामग्री क्रय, मजदूरी भुगतान, ह्यूमपाईप क्रय, ईटक्रय आदि क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 920655.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शैलेश कुमारी तथा सचिव श्री चन्द्रशेखर वर्मा से नियमानुसार रु0 920655.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-इब्राहिमबाद विकास खण्ड-बनीकोडर जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 5 ग्राम पंचायत इब्राहिमबाद में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत, ईट क्रय, मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री क्रय, हैण्डपम्प रिबोर व सामग्री क्रय, ह्यूम पाइप ग्रय, कूड़ादान क्रय, साफाई, स्टेशनरी क्रय, ठेलिया मरम्मत, बालपेन्टिंग, प्रियासॉफ्ट फिडिंग, मिट्टी भरई आदि क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 2402979.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी

व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री माताफेर तथा सचिव श्री मनीष सिंह से नियमानुसार रू0 2402979.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—सड़वाभेलू विकास खण्ड—बनीकोडर जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 6 ग्राम पंचायत सड़वाभेलू में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 161400.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मातादीन तथा सचिव श्री अनिल कुमार मिश्रा से नियमानुसार रू0 161400.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

प्रस्तर 7 ग्राम पंचायत सड़वाभेलू में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, सोलर लाइट क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत, ह्यूम पाइप, हैण्डपम्प रिबोर, ईट क्रय, निर्माण सामग्री क्रय, कूड़ादान क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 1213153.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मातादीन तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार यादव से नियमानुसार रू0 1213153.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 3

ग्राम पंचायत—महुलारा विकास खण्ड—बनीकोडर जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 8 ग्राम पंचायत महुलारा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रियासॉफ्ट के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत विभिन्न मदों/कार्यों के नाम पर ग्राम निधि—प्रथम के बैंक खाते से आहरण कर भुगतान किया गया। विभिन्न कार्यों क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 3734484.90 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम तथा सचिव श्री मनीष सिंह से नियमानुसार रू0 3734484.90 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—मंगरौड़ा विकास खण्ड—पूरेड़लई जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 9 ग्राम पंचायत मंगरौड़ा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत नाली निर्माण, हैण्डपम्प रिबोर, खण्डजा निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत, मजदूरी भुगतान, प्रधान मानदेय, इण्टरलकिंग, स्टेशनरी क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 1416828.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हिना तथा सचिव श्री अखिलेश्वर सिंह चौहान से नियमानुसार रू0 1416828.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—डालमऊ , विकास खण्ड—पूरेडलई , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 10 ग्राम पंचायत डालमऊ में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत अन्त्येष्टि स्थल निर्माण, खण्डजा निर्माण, प्रधान मानदेय, प्रशासनिक व्यय, प्रा0पि0भवन मरम्मत, खण्डजा मरम्मत, नाली निर्माण, ह्यूम पाइप क्रय, मजदूरी भुगतान, स्टेशनरी क्रय, शौचालय निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत, सोलर लाईट क्रय, चबूतरा निर्माण क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 3384397.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवकरन यादव तथा सचिव श्री विवेक कुमार से नियमानुसार रु0 3384397.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—बेलखरा विकास खण्ड—पूरेडलई जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 11 ग्राम पंचायत बेलखरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत विभिन्न मदों/कार्यों के नाम पर ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से आहरण कर भुगतान किया गया। विभिन्न कार्यों के नाम आहरित धनराशि रु0 4679990.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती समीना लाज तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार रु0 4679990.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—फत्तापुरकला विकास खण्ड—पूरेडलई जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 12 ग्राम पंचायत फत्तापुर कला में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर, खण्डजा निर्माण, प्रधान मानदेय, पू0मा0में शौचालय निर्माण, वाल पेन्टिंग, खण्डजा मरम्मत, प्रशासनिक व्यय आदि क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 1514708.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार तथा सचिव श्री विवेक कुमार से नियमानुसार रु0 1514708.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—मौयरी विकास खण्ड—बंकी जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 13 ग्राम पंचायत मौयरी में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, ह्यूम पाइप, ईट क्रय, निर्माण सामग्री क्रय, मिट्टी ट्राली भाड़ा, हैण्डपम्प मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर, इण्टरलाकिंग, टेलिया क्रय, कूड़ादान क्रय, बेंज क्रय, गिट्टी क्रय आदि भुगतान के नाम आहरित धनराशि रु0 3690164.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामसूमिरन तथा सचिव

श्री दिगेन्द्र सिंह रौतेला से नियमानुसार रू0 3690184.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—खसपरिया विकास खण्ड—बंकी जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 14 ग्राम पंचायत खसपरिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, ईट क्रय, सोलर लाइट क्रय, शौचालय मरम्मत, हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, कूड़ादान क्रय, मिट्टी क्रय आदि भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 2099017.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान सुश्री रीना सिंह तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार रू0 2099017.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—माती विकास खण्ड—बंकी जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 15 ग्राम पंचायत माती में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री क्रय, सोली लाइट क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, ईट क्रय, मिट्टी क्रय, कूड़ादान क्रय, ह्यूमपाइप क्रय, कैशबुक फीडिंग भुगतान आदि भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 2984833.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरवंश कुमार तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार रू0 2984833.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—सरायमिही विकास खण्ड—बंकी जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 16 ग्राम पंचायत सरायमिही में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, प्रशासनिक व्यय, स्वच्छता सामग्री, प्रियासॉफ्ट फीडिंग, कूड़ादान क्रय, ह्यूमपाइप क्रय, ठेला मरम्मत, ईट क्रय, स्टेशनरी क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 1423116.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सदफ फैजल तथा सचिव श्री पूनीत कुमार वर्मा से नियमानुसार रू0 1423116.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—केवाड़ी विकास खण्ड—बंकी जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 17 ग्राम पंचायत केवाड़ी में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान, मिट्टी क्रय, पंचायत मरम्मत, आंगनवाड़ी केन्द्र मरम्मत, सोलरलाइट क्रय, निर्माण सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, ईट क्रय, कूड़ाबाद क्रय, प्रियासॉफ्ट फीडिंग क्रय भुगतान के नाम आहरित धनराशि रू0 1749904.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन

का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान सूश्री तबस्सुम तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार रू0 1749904.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-सरसा विकास खण्ड-सिद्धौर जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 18 ग्राम पंचायत सरसा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रा0वि0 शौचालय निर्माण, इण्टरलाकिंग, हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, ईट क्रय, मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री क्रय, खण्डजा निर्माण, ह्यूमपाईप क्रय, सोलर लाईट, टंकी निर्माण, गार्ड रूम निर्माण, समरसेबिल बोरिंग, मिटटी क्रय, कूड़ादान क्रय के नाम आहरित धनराशि रू0 2550011.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंकिता सिंह से 1275005.00 तथा सचिव श्री हनुमान प्रसाद सिंह से 598063.00 एवं सुनील कुमार नन्दा से 676942.50 नियमानुसार कुल रू0 2550011.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-सरायमीर विकास खण्ड-सिद्धौर जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 19 ग्राम पंचायत सरायमीर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत खण्डजा मरम्मत, ईट क्रय, मजदूरी भुगतान, नाली निर्माण, निर्माण सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, पू0मा0वि0 बाउड्रीवाल मरम्मत, सोलर लाईट क्रय, बारात धर मरम्मत, शौचालय निर्माण/मरम्मत, ह्यूमपाईप क्रय, स्टेशनरी क्रय के नाम आहरित धनराशि रू0 2102460.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बमबहादुर तथा सचिव श्री उमेश पाण्डेय से नियमानुसार रू0 2102460.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-बसन्तपुर , विकास खण्ड-सिद्धौर , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 20 ग्राम पंचायत बसन्तपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही में प्रधान मानदेय माह मार्च 2018 के जुलाई 2018 तक का भुगतान दो बार किया गया। पांच माह के दोहरे भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लायक राम से रू0 17500.00 किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-अमसेरूआ , विकास खण्ड-सिद्धौर , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 21 ग्राम पंचायत अमसेरूआ में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, इण्टरलाकिंग, सी0सी0रोड निर्माण, वाल राइटिंग, ईट क्रय, मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री के नाम आहरित धनराशि रू0 1371815.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रंजीत कुमार से 685907.50 तथा सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार से 202887.00 व हनुमान सिंह से 483020.50 से नियमानुसार कुल रू0 1371815.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—बिबियापुरधाट विकास खण्ड—सिद्धौर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 22 ग्राम पंचायत बिबियापुरधाट में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर, मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री क्रय, खण्डजा निर्माण, सफाई सामग्री/कार्यो/अज्ञात भुगतान, ईट क्रय आदि के नाम आहरित धनराशि रु0 887232.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू सिंह (443616.00) तथा सचिव श्री उमेश पाण्डेय से 429485.00 व अब्दुल अहमद से 14131.00 से नियमानुसार कुल रु0 887232.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—मल्लपुर अरसण्डा विकास खण्ड—रामनगर जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 23. ग्राम पंचायत मल्लपुर अरसण्डा में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो पर कुल रु0 4013115.00 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष अकुशल श्रमिकों को मात्र रु0 2116050 का ही भुगतान किया गया जो कुल व्यय का 52.73 प्रतिशत ही है जबकि मनरेगा एक्ट 2005 के प्रस्तर 5.4.1 तथा 5.4.2 तथा मनरेगा दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर 6.2 के अनुसार मनरेगा के कुल व्यय के सापेक्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों पर व्यय किया जाना चाहिए। इस प्रकार कुल व्यय रु0 40.13115 का 7.27 प्रतिशत रु0 291753.00 अकुशल श्रमिकों पर व्यय न कर सामग्री तथा कुशल श्रमिकों पर किया जाना उक्त नियमों का उल्लंघन है। तथा धन का दुरुपयोग है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, मनरेगा पटल सहायक, सचिव तथा प्रधान के विरुद्ध प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही कर 291753.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या—02

ग्राम पंचायत—मल्लपुर अरसण्डा , विकास खण्ड—रामनगर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 24 ग्राम पंचायत मल्लपुर अरसण्डा में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि से कुड़ादान क्रय पर रु0 95000.00 का व्यय, प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर निर्माण में प्रयुक्त निर्माण सामग्री मौरंग, बालू आदि पर रु0 60035.00 का व्यय रामनरेश के धर से मेन नाली निर्माण में निर्माण सामग्री पर रु0 58600.00 का व्यय, किया गया जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कुल प्रमाणक विहीन व्यय रु0 271935.00 वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग है। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय तथा प्रधान श्री मनोज कुमार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर रु0 271935.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या—03

ग्राम पंचायत—अशोकपुर चौचूसराय, विकास खण्ड—रामनगर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 25 ग्राम पंचायत—अशोकपुर चौचूसराय के वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वच्छता सामग्री कूड़ादान पर रु0 95000.00 जगतपालन के घर से गडही तक नाली निर्माण में ईट क्रय पर रु0 10684.00 तथा हयूम पाईप पर रु0 49376.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कुल धनराशि रु0 155060.00 की पुष्टि न की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु0 155060.00 अपहरण/गबन एवं अधिभार योग्य है। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार के विरुद्ध कार्यवाही कर रु0 155060.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत—भरसवाँ, विकास खण्ड—रामनगर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 26 ग्राम पंचायत—भरसवा के वित्तीय वर्ष 2018—19 में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत कूड़ादान पर ₹0 95000.00 प्राथमिक विद्यालय नचना बाउन्द्री निर्माण में निर्माण सामग्री पर ₹0 71952.00, तथा सहाबुददीन के घर से तालाब तक नाली निर्माण में ईट क्रय पर 23461.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कुल व्यय ₹0 190413.00 की पुष्टि न की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 190413.00 अपहरण गबन एवं अधिभार योग्य है। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय तथा प्रधान श्री उषादेवी के विरुद्ध कार्यवाही कर ₹0 190413.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत—सीहामऊ, विकास खण्ड—रामनगर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 27 ग्राम पंचायत सीहामऊ में वित्तीय वर्ष 2018—19 में मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल ₹0 48,86,930.00 व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अकुशल श्रमिकों पर ₹0 2442150.00 ही व्यय किया गया है जो कुल व्यय का 49.97 प्रतिशत ही है, जबकि मनरेगा एक्ट 2005 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2006 के प्रस्तर 5.4.1 तथा 5.4.2 दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर 6.2 तथा दिशा निर्देश 2013 के प्रस्तर 7.4.1 के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय का न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय अकुशल श्रमिकों को तथा अवशेष 40 प्रतिशत कुशल तथा सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। इस प्रकार कुल व्यय ₹0 4886930.00 का 10.03 प्रतिशत ₹0 490160.00 अकुशल श्रमिकों पर व्यय न कर सामग्री तथा कुशल श्रमिकों पर व्यय कर उक्त मार्गदर्शन सिद्धान्तों का उल्लंघन कर धन का दुरुपयोग किया गया। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, मनरेगा पटल सहायक, प्रधान एवं सचिव से ₹0 490160.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत—कटियारा, विकास खण्ड—रामनगर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 28 ग्राम पंचायत कटियारा में वित्तीय वर्ष 2018—19 में मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल ₹0 69,49,375.00 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष अकुशल श्रमिकों पर ₹0 38,72,475.00 ही व्यय किया गया है जो कुल व्यय का 55.72 प्रतिशत ही है, जबकि मनरेगा एक्ट 2005 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2006 के प्रस्तर 5.4.1 तथा 5.4.2 तथा मनरेगा दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर 6.2 तथा दिशा निर्देश 2013 के प्रस्तर 7.4.1 के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय का न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय अकुशल श्रमिकों पर व्यय ₹0 4886930.00 का 10.03 प्रतिशत ₹0 490160.00 अकुशल श्रमिकों पर व्यय न कर सामग्री तथा कुशल श्रमिकों पर व्यय कर उक्त मार्गदर्शन सिद्धान्तों का उल्लंघन कर धन का दुरुपयोग किया गया। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्कालीन 1—खण्ड विकास अधिकारी, 2—ग्रा0 प्रधान, श्रीमती अनीता देवी, 3— सचिव श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा एवं 4—मनरेगा पटल सहायक से ₹0 297432.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत—शहरी, विकास खण्ड—सिरौलीगौसपुर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 29 ग्राम पंचायत शहरी में वित्तीय वश 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत डस्टबिन के नाम आहरित धनराशि ₹0 15672.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी से नियमानुसार ₹0 15672 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2ख

ग्राम पंचायत—शहरी , विकास खण्ड—सिरौलीगौसपुर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 30 ग्राम पंचायत शहरी में वित्तीय वश 2018—19 में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत संचलित खाते से दिनांक 17.07.2018 को रु0 20805.00 की निकासी की गई परन्तु उक्त निकासी के सापेक्ष कैश बुक में कोई व्यय विवरण अंकित नहीं पाया गया। अतः उक्त रु0 20805 का व्यय विवरण कैश बुक में अंकित न करके तथा उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी से नियमानुसार रु0 20805.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2क

ग्राम पंचायत—प्यारेपुर , विकास खण्ड—सिरौलीगौसपुर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 31 ग्राम पंचायत प्यारेपुर में वित्तीय वश 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत डस्टबिन क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 13060.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अतुल कुमार तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी से नियमानुसार रु0 13060.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत—करौरा , विकास खण्ड—सिरौलीगौसपुर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 32 ग्राम पंचायत करौरा में वित्तीय वश 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत डस्टबिन के नाम आहरित धनराशि रु0 18284.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी से नियमानुसार रु0 18284 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2क

प्रस्तर 33 ग्राम पंचायत करौरा में वित्तीय वर्ष 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद के नाम आहरित धनराशि रु0 10996.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी से नियमानुसार रु0 10996 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2ख

ग्राम पंचायत—सिंगतरा , विकास खण्ड—निन्दूरा , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 34 ग्राम पंचायत सिंगतरा में वित्तीय वर्ष 2018—19 की कोषबही के अनुसार बिना कार्य दर्शित करते हुए विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत ईट क्रय, मिट्टी खुदाई, सामग्री क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 886680.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया

है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता तथा सचिव श्री विवेक शुक्ला से नियमानुसार रु0 886680.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—कंतुरीकला , विकास खण्ड—निन्दूरा , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 35 ग्राम पंचायत कंतुरीकला में वित्तीय वर्ष 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत नाली निर्माण तथा खण्डजा निर्माण के नाम आहरित धनराशि रु0 607734.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार तथा सचिव श्री राम छवि गुप्ता से नियमानुसार रु0 607734.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—पडरावा , विकास खण्ड—सिहौर, जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 36 ग्राम पंचायत पडरावा में वित्तीय वर्ष 2018—19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत, खण्डजा निर्माण, इण्टरलौकिंग कार्य क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 919441.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सुफल रावत से रु0 459720.50 तथा सचिव श्री राहुल कुमार से रु0 338018.50 एवं ग्रा0पं0 सचिव श्री हनोमान सिंह से रु0 121702.00 नियमानुसार आपत्ति कुल रु0 919441.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—भितरी विकास खण्ड—त्रिवेदीगंज जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 37 ग्राम पंचायत भितरी में वित्तीय वर्ष 2018—19 में चतुर्थ राज्य वित्त से प्रधान को माह अगस्त 2018 का मानदेय रु0 3500.00 दो बार भुगतान किया गया। माह अगस्त, 2018 के मानदेय का प्रथम भुगतान 3500 दिनांक 25.10.2018 को किया गया तथा पुनः माह अगस्त 2018 को मानदेय रु0 3500 दिनांक 28.03.2018 को किया गया। अतः उक्त मानदेय का रु0 3500 का पुनः भुगतान प्रधान श्रीमती सताना से जमा करने की तिथि तक दण्डनीय व्याज की गणना कर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—पेंचरूवा , विकास खण्ड—हैदरगढ़ , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 38 ग्राम पंचायत पेंचरूवा में वित्तीय वर्ष 2018—19 में चतुर्थ—राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग के संयुक्त खाते के अनुसार दिनांक 16.10.2018 को श्री इसरार अली को रु0 50000.00 का भुगमान किया गया। उक्त भुगमान की पुष्टि में कैशबुक में उक्त निकासी को कोई विवरण अंकित नहीं पाया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका कि उक्त धनराशि का भुगमान श्री इसरार अली को किस उद्देश्य से किया गया। अतः उक्त रु0 50000 के भुगमान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती किरन मिश्रा तथा सचिव श्री सतीश कुमार, से नियमानुसार रु0 50000.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-देवीपुर , विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 39 ग्राम पंचायत देवीपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मजदूरी, हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री कार्य क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 193735.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री राम किशोर से नियमानुसार रु0 193735.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-त्रिवेदीगंज , विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 40 ग्राम पंचायत त्रिवेदीगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व प्रधान श्री मोबीन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि खाते में रु0 35500.00 की धनराशि आहरित की गई थी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के वर्षान्त तक उनके पास हस्तगत। उक्त हस्तगत धनराशि 35500 को 18 प्रतिशत दण्डनीय व्याज रु0 25560.00 सहित कुल रु0 61060 प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रधान श्री मोबीन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत-गडौचा , विकास खण्ड-निन्दूरा , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 41 ग्राम पंचायत गडौचा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत खडजा निर्माण क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 291270.00 के सापेक्ष कूटरचित एवं फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी तथा सचिव श्री प्रमोद वर्मा से नियमानुसार रु0 291270.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

प्रस्तर- 42 ग्राम पंचायत गडौचा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत नाली निर्माण क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 198031.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी तथा सचिव श्री प्रमोद वर्मा से नियमानुसार रु0 198031.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 3

ग्राम पंचायत-पीठापुर , विकास खण्ड-सिरौलीगौसपुर , जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 43 ग्राम पंचायत पीठापुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत ट्राली से मिट्टी पटाई तथा डस्टबिन क्रय के नाम कुल आहरित धनराशि रु0 33852.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार तथा सचिव श्री वीरेन्द्रनाथ त्रिपाठी से नियमानुसार रु0 33852.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—धुसेडिया , विकास खण्ड—सिरौलीगौसपुर , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 44 ग्राम पंचायत धुसेडिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत नाली निर्माण तथा वाल पेन्टिंग क्रय के नाम स्वयं अपने नाम चेक काटकर एवं आहरित धनराशि रु0 31600.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन तथा सचिव श्री वीरेन्द्र नाथ तिवारी से नियमानुसार विभागीय कार्यवाही एवं रु0 31600.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—धामापुर विकास खण्ड—दरियाबाद जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 45 ग्राम पंचायत धामापुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी (विवरण रहित) के नाम आहरित धनराशि रु0 18600.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान तथा सचिव श्री चन्द्रशेखर गुप्ता से नियमानुसार रु0 18600.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 27

ग्राम पंचायत—बीरापुर , विकास खण्ड—दरियाबाद , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 46 ग्राम पंचायत बीरापुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि की पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत कैशबुक में बिना विवरण अंकित किये एवं क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 82000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रामा तथा सचिव श्री राम प्रकाश वर्मा से नियमानुसार रु0 82000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 25

ग्राम पंचायत—जदवापुर विकास खण्ड—दरियाबाद जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 47 ग्राम पंचायत जदवापुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत मजदूरी के नाम आहरित धनराशि रु0 57362.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मास्टर रोल प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान तथा सचिव श्री चन्द्रशेखर गुप्ता से नियमानुसार रु0 57362.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 26

ग्राम पंचायत—बरहुआ विकास खण्ड—दरियाबाद जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 48 ग्राम पंचायत बरहुआ में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय के नाम आहरित

धनराशि रु0 103132.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा सिंह तथा सचिव श्री राम प्रकाश वर्मा से नियमानुसार रु0 103132.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 27

ग्राम पंचायत—चकौरा , विकास खण्ड—हैदरगढ़ , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 49 ग्राम पंचायत चकौरा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्टेशनरी तथा हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 114110.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बनीता तथा सचिव श्री उदय शुक्ला से नियमानुसार रु0 114110.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—सतविसावाँ , विकास खण्ड—मसौली , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 50 ग्राम पंचायत सतरिसावाँ में वित्तीय वर्ष 2018–19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कूड़ादान, नाली निर्माण तथा नाली निर्माण ईट क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 227882.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सरन तथा सचिव श्री गोदराज वर्मा से नियमानुसार रु0 227882.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—लक्षबर वजहा , विकास खण्ड—मसौली , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 51 ग्राम पंचायत लक्षबर वजहा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत सफाई कर्मों के मस्टर रोल तथा कूड़ादान क्रय के नाम आहरित धनराशि रु0 208375.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राधारानी तथा सचिव श्री राम जीयावन से नियमानुसार रु0 208375.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

ग्राम पंचायत—बतनेरा , विकास खण्ड—सूरतगंज , जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर 52 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत शौचालय मरम्मत के नाम आहरित धनराशि रु0 41867.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान

रु0 17725.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 17725.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 12

प्रस्तर 64 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत सफाई कार्य हेतु भुगतान किया गया। स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान कर रु0 9500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 9500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 13

प्रस्तर 65 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत नाली निर्माण(सरोज के धर से गडही तक) हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान कर रु0 4110.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 4110.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 14

प्रस्तर 66 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रा0वि0 हेतमापुर की बाउडरीवाल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय रु0 216075 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 216075.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 15

प्रस्तर 67 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रा0वि0 पाण्डेयपुर प्रांगण में मिटटी पटाई हेतु स्वीकृत धनराशि के अधिक व्यय रु0 19175.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 19175.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 16

प्रस्तर 68 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत इण्टर लाकिंग टाइल्स बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये क्रय की गयी। टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करके रु0 246808.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 17

प्रस्तर 69 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प चौकी निर्माण कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 82005.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 82005.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 18

प्रस्तर 70 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 562810.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के

प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 562810.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 19

प्रस्तर 71 ग्राम पंचायत बतनेरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हेतमा पू0मा0वि0 प्रागण में मिट्टी पटाई कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 54353.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह से नियमानुसार रु0 54353.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 20

ग्राम पंचायत-मीरपुर विकास खण्ड-सूरतगंज जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 72 ग्राम पंचायत मीरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वाल पेन्टिंग कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 7300.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनय तथा सचिव श्री अमित यादव से नियमानुसार रु0 7300.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 1

प्रस्तर 73 ग्राम पंचायत मीरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 98450.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनय तथा सचिव श्री अमित यादव से नियमानुसार रु0 98450.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2

प्रस्तर 74 ग्राम पंचायत मीरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त की धनराशि रु0 24500.00 ग्राम प्रधान द्वारा आहरित दर्शित है। उक्त धनराशि किस कार्य हेतु आहरित की गयी का कोई उल्लेख कोषबही में अंकित नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि रु0 24500 को अपहरण मानते हुए प्रधान श्री विनय से एवं सचिव श्री अमित यादव से ब्याज सहित नियमानुसार वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 3

प्रस्तर 75 ग्राम पंचायत मीरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 317250.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनय तथा सचिव श्री अमित यादव से नियमानुसार रु0 317250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 4

प्रस्तर -76 ग्राम पंचायत मीरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत वाल नीलम के घर से अरविन्द कुमार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य के नाम आहरित धनराशि ₹0 435791.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनय तथा सचिव श्री अमित यादव से नियमानुसार ₹0 435791.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बसौली , विकास खण्ड-सूरतगंज , जनपद-बाराबंकी

सामान्य आपत्ति संख्या 1

प्रस्तर -78 ग्राम पंचायत बसौली विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर कार्य के नाम आहरित धनराशि ₹0 322196.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती लता देवी तथा सचिव श्री विपिन कुमार से नियमानुसार ₹0 322196.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -79 ग्राम पंचायत बसौली विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 76250.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती लता देवी तथा सचिव श्री विपिन कुमार से नियमानुसार रु0 76250.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत बसौली विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत खडण्जा मरम्मत कार्य के नाम आहरित धनराशि रु0 10850.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्ट्यों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के

किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शीतला बक्श सिंह तथा सचिव श्री अमन सिंह से नियमानुसार रू0 197845.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 3

प्रस्तर -90 ग्राम पंचायत दोहई विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत कुबेर के घर से हजारी के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य के नाम आहरित धनराशि रू0 69775.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शीतला बक्श सिंह तथा सचिव श्री अमन सिंह से नियमानुसार रू0 69775.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 4

प्रस्तर -91 ग्राम पंचायत दोहई विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत हुयूम पाइप क्रय के नाम आहरित धनराशि रू0 172880.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शीतला बक्श सिंह तथा सचिव श्री अमन सिंह से नियमानुसार रू0 172880.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 5

प्रस्तर -92 ग्राम पंचायत दोहई विकास खण्ड सूरतगंज में वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत सोलर लाइट क्रय के नाम आहरित धनराशि रू0 111500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विषिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शीतला बक्श सिंह तथा सचिव श्री अमन सिंह से नियमानुसार रू0 111500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 6

ग्राम पंचायत-मोहना, विकास खण्ड-हरख, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत मोहना की वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट पर फीड कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त/14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत विभिन्न खडण्जा/इण्टरलॉकिंग, हैण्डपम्प, नाली निर्माण/मरम्मत, सोलर लाइट क्रय आदि के नाम आहरित धनराशियों रू0 3469114.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानों तथा पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या- 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चेताराम तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत-करौन्दीखुर्द, विकास खण्ड-हरख जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 94 ग्राम पंचायत करौन्दीखुर्द की वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट पर फीड कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त/14वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत विभिन्न खडण्जा/इण्टरलॉकिंग ,

हैण्डपम्प, नाली निर्माण/मरम्मत, सोलर लाइट क्रय आदि के नाम आहरित धनराशियों रू0 556730.70 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानों तथा पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या- 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत-करौन्दीकला विकास खण्ड-हरख जनपद- बाराबंकी

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत—तमरसेपुर, विकास खण्ड—हरख, जनपद—बाराबंकी

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत-पण्डरा, विकास खण्ड-हरख, जनपद-बाराबंकी

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत-मंगरवल, विकास खण्ड-हरख, जनपद-बाराबंकी

के नियम 256 (2) के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानों तथा पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या- 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत-कुतलुपुर, विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 99 ग्राम पंचायत कुतलुपुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त योजनान्तर्गत एवं 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु शिल्पी इन्टरप्राइजेस एवं सप्लायर्स को अलग-अलग तिथियों में रु0 17500+24650+6950 अर्थात् कुल रु0 49100 को कोषबही में दर्शित करने के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया जिनसे नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर 100 ग्राम पंचायत कुतलुपुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान रोकडबही में हैण्डपम्प रिवोर कार्य हेतु मेसर्स राम प्रकाश कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स को रु0 104900.00 एवं मेसर्स राजाराम कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स को रु0 104900.00 को दर्शित करते हुए राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त योजना अन्तर्गत प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित कुल धनराशि रु0 209800.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया जिनसे नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 02

प्रस्तर 101 ग्राम पंचायत कुतलुपुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोषबही के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 883177.00 व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि
1	हरिलाल के घर से लक्ष्मी मास्टर घर तक खण्डंजा निर्माण	354062.00
2	पुराने खण्डंजा से हरिलाल के घर तक खण्डंजा निर्माण	257320.00
3	खण्डंजा से रमेश के घर तक खण्डंजा निर्माण	184975.00
4	शिव मन्दिर से भुईयन माता मन्दिर तक खण्डंजा निर्माण	86820.00
योग		883177.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया जिनसे नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 03

प्रस्तर 102 ग्राम पंचायत कुतलुपुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोषबही के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 245525.00 व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि
1	राम लखन के घर से अमित के घर तक खण्डंजा मरम्मत	71250.00

2	रामखेलावन के घर से परशुराम के घर तक खण्डंजा मरम्मत	174275.00
योग		245525.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रु0 245525.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया जिनसे नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 04**

प्रस्तर 103 ग्राम पंचायत कुतलुपुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोषबही के अनुसार राज्य वित्त एवं कन्द्र वित्त योजना अर्न्तगत कराये कार्य प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत के नाम पर रु0 10600.00 के व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम 1क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन का दर्शित व्यय 10600.00 का अपहरण किया गया है इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया जिनसे नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 05**

ग्राम पंचायत-मवैया, विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बारबंकी

प्रस्तर 104 ग्राम पंचायत मवैया विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रु0 50300.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 01**

प्रस्तर 105 ग्राम पंचायत मवैया विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प रिवोर कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रु0 169400.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 02**

प्रस्तर 106 ग्राम पंचायत मवैया विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत कुड़ादान क्रय एवं ग्राम पंचायत में सफाई हेतु क्रय सामग्री कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रु0 64500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख जिससे कार्य होने का प्रमाण हो प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 03**

प्रस्तर 107 ग्राम पंचायत मवैया विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार खण्डजा मरम्मत के नाम पर केवल मास्टर रोल मद में ₹0 88900.00 , रामू के खेत से तालाब तक खण्डजा मरम्मत मद में ₹0 176375.00 , डामर रोड से नहर तक खण्डजा मरम्मत मद में ₹0 204592.00, वराती के धर से तकिया के घर तक मद में ₹0 29925.00 एवं काशीराम के खेत से नन्हेलाल के खेत तक ₹0 201800.00 इस तरह कुल रुपये 701592.00 व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर 108 ग्राम पंचायत मवैया विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 के कोषबही में अस्थाई गोबन्स में टीनसेड एवं चरही निर्माण कार्य के मद में ₹0 561525.00 व्यय किया जाना दर्शित परन्तु इसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 05

ग्राम पंचायत-टीकापुर, विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बारबंकी

प्रस्तर 109 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों ₹0 44600.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 01

प्रस्तर 110 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत हयूम पाइप क्रय मद के अन्तर्गत बरौली हयूमपाइप कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों ₹0 41850.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 02

प्रस्तर 111 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में साफ-सफाई हेतु सामग्री क्रय कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों ₹0 39500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 03

प्रस्तर 112 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मेसर्स रामप्रकाश कान्हेक्टर एण्ड सप्लायर को ₹0 211500 के नाम पर व्यय भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर 113 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में ठेलिस क्रय कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों ₹0 12000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 05

प्रस्तर 114 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही में पुलिया निर्माण प्रदीप के घर से पुलिया तक कार्य के मद में आस्पष्ट तिथि में ₹0 102825.00 का उपयोग प्रदर्शित करने के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अन्य मुख्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 06

प्रस्तर 115 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत सूर्यलाल के घर से गडही तक नाली निर्माण कार्य के नाम पर आहरित धनराशि ₹0 65000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 07

प्रस्तर 116 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के मद

क्रमसं०	कार्य का नाम	धनराशि
1	मुख्य खण्डजा से पलेसर तक खण्डजा मरम्मत	116550.00
2	रामतीरथ के घर से पालेसर तक खण्डजा मरम्मत	128620.00
3	मुख्य खण्डजा से सुंदर की टंकी तक	109020.00
योग		354190.00

में कार्यों के नाम पर कुल आहरित धनराशि रु० 354190.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 08

प्रस्तर 117 ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार राज्य एवं केन्द्र वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये निम्नलिखित खण्डजा निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि

क्रम सं०	कार्य का नाम	धनराशि
1	हनुमान मन्दिर से आदर्श विद्यालय तक	234395.00
2	मुख्य खण्डजा से सूर्य लाल के घर तक	38900.00
योग		273295.00

के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि 273295.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा एवं सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 09

ग्राम पंचायत-मुण्डेरी , विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 118 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 70092.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 01

ग्राम पंचायत-मुण्डेरी , विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 119 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार हयूम पाइप क्रय के मद में मैसर्स सुन्दरलाल कान्टेक्शन को रु० 19600.00 दिया जाना दर्शित किया गया है। परन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज

नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 02**

प्रस्तर 120 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में केन्द्र, राज्य वित्त योजना अर्न्तगत नाली निर्माण मद में निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 168785.00 व्यय किया जाना दर्शित है।

विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	धनराशि
1	गुड्डू के घर से रोड तक	20090.00
2	अवधेश के घर से मेन नाली तक	32026.00
3	रामस्वरूप के घर से विजय चन्द्र के घर तक	116669.00
योग		168785.00

के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 03**

प्रस्तर 121 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही के अनुसार भगौती के घर से स्वरूप के घर तक खण्डजा निर्माण केन्द्र राज्य वित्त योजना अर्न्तगत मद से रु0 63587.00 का व्यय किया जाना दर्शित हैं। जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर 122 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत राजकुमार के घर से विनोद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रु0 20000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 05

प्रस्तर 123 ग्राम पंचायत मुण्डेरी, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 के कोषबही के अनुसार राज्य विता एवं केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत काराये गये कार्य प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत मद पर दर्शित व्यय रु0 68672.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया

गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 06

ग्राम पंचायत-घेरी विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 124 ग्राम पंचायत घेरी , विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रियासाफ्ट पर अपलोड कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य तथा 14वाँ वित्त योजनान्तर्गत भिन-भिन कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रू0 2293988.16 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सर्वजीत एवं सचिव श्री ज्योती प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 01

ग्राम पंचायत-विशुनपुर , विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 125 ग्राम पंचायत विशुनपुर , विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तुत रोकडबही में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के अर्न्तगत रू0 74000.00 का भुगतान कन्द्र एवं राज्य वित्त योजनान्तर्गत किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुफिया खातून एवं सचिव श्री ज्योती प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 01

प्रस्तर 126 ग्राम पंचायत विशुनपुर , विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकडबही में रू0 249200.00 हैण्डपम्प रिबोर विभिन्न स्थलो पर कार्य के नाम पर आहरित किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुफिया खातून एवं सचिव श्री ज्योती प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 02

प्रस्तर 127 ग्राम पंचायत विशुनपुर , विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही में प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर एवं ककरिहा में शौचालय मरम्मत कार्य के मद में रू0 72900.00 कोषबही में दर्शित था जबकि इस व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुफिया खातून एवं सचिव श्री ज्योती प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 03

प्रस्तर 128 ग्राम पंचायत विशुनपुर, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बारबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 के कोषबही में नाली निर्माण कार्य हेतु रू0 331575.00 का व्यय केन्द्र एवं राज्य वित्त योजनान्तर्गत दर्शित था। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के

नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री देशराज वर्मा एवं सचिव श्री हरिद्वारी लाल से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर 134 ग्राम पंचायत सिंगहा, विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही में केन्द्र एवं राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत खण्डजा निर्माण कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रू0 95608.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम संख्या 152 से 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री देशराज वर्मा एवं सचिव श्री हरिद्वारी लाल से नियमानुसार एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 05

प्रस्तर 135- ग्रा0 पं0 जैतपुर विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही में केन्द्र एवं राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्रा0पं0 में हैंडपम्प रिवोर के नाम पर रू0 220125.00 आहरित करके दर्शित था जिसके सापेक्ष व्यय-प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम सं0 152 से 158 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती विमल कुमारी एवं ग्रा0 पं0 सचिव श्री रोहित वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर 136 ग्रा0पं0 जैतपुर, विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही में केन्द्र एवं राज्य वित्त योजनान्तर्गत हैंडपम्प मरम्मत के नाम से विभिन्न तिथियों के कुल रू0 22460.00 आहरित करते हुए कोषबही में दर्शित था जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख न प्रस्तुत करके पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256(2) के उपनियम 1(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्रा0पं0 में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम सं0 152-156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर दर्शित व्यय का अपहरण किया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती विमल कुमारी एवं ग्राम पं0 सचिव श्री रोहित वर्मा से ब्याज सहित नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति-02

प्रस्तर 137 ग्राम पंचायत जैतपुर, विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही में राज्य एवं केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्य डस्टबिन क्रय के नाम से सनी ट्रेडर्स को कुल रू0 142500 विभिन्न तिथियों में कोषबही में दर्शित था परन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख न प्रस्तुत करे पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256(2) के उपनियम 1(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क में उल्लिखित प्राविधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम सं0 152-156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर दर्शित व्यय रू0 142500 का अपहरण तत्कालीन ग्रा0पं0 सचिव श्री रोहित वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमल कुमारी द्वारा किया गया, जिनसे संबंधित धन की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति-3

प्रस्तर 138 ग्राम पंचायत जैतपुर, विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी वित्तीय वर्ष 2018-19 की रोकडबही में राज्य एवं केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्य सोलर लाइट स्थापना के नाम पर विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0 241499 का आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व

अन्य अभिलेख न प्रस्तुत करके पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256(2) के उपनियम 1क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क में उल्लिखित प्रावधानों एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 नियम सं० 152-156 में प्राविधानों का उल्लंघन कर दर्शित व्यय कुल रु० 241499 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०पं० सचिव श्री रोहित वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमल कुमारी द्वारा किया गया जिनसे ब्याज सहित नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति-4

प्रारूप- 4

जनपद-सुल्तानपुर

1- ग्राम पंचायत-लहिया जलपापुर विकास खण्ड- भदैयां वर्ष-2018-19

प्रस्तर - 1 वर्ष 2018-19 में दिनांक 11.04.2018 को रु० 71350.00 स्पन पाईप/ह्यूम पाईप स्थापना में व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 71350.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 35675.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती शारदा देवी एवं रु० 35675.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जाफर अली से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5)

2- ग्राम पंचायत-त्रिलोक चंदपुर विकास खण्ड-भदैयां वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -2 वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.08.2018 में रु० 106000.00 आंगनबाड़ी, शौचालय एवं हैण्डपम्प स्थापना में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 106000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 53000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शारदा देवी एवं रु० 53000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5)

3- ग्राम पंचायत-अमारी विकास खण्ड-भदैयां वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -3 वर्ष 2018-19 में कोषबही में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाईट पर रु० 151762.00 व्यय दर्शित है। सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रु० 151762.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 75881.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरिशंकर मौर्य से एवं रु० 75881.00 ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

4- ग्राम पंचायत-पुरखीपुर विकास खण्ड-कूरेभार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -4 वर्ष 2018-19 में दिनांक 13.02.2019 में रु० 152880.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 152880.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रु० 76440.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार पाठक एवं आधी धनराशि रु० 76440.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5)

प्रस्तर -5 वर्ष 2018-19 में दिनांक 13.02.2019 में रु० 160524.00 ह्यूम पाइप क्रय में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 160524.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 80262.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार पाठक एवं आधी धनराशि रू0 80262.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-6)

5- ग्राम पंचायत-बैथू विकास खण्ड-कूरेभार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -6 वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.01.2019 में रू0 181700.00 ह्यूम पाइप क्रय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 181700.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 90850.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रकाश कुमार मिश्रा एवं आधी धनराशि रू0 90850.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती धर्मराजी से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-5)

6- ग्राम पंचायत-कूरेभार विकास खण्ड-कूरेभार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -7 वर्ष 2018-19 में दिनांक 20.02.2019 एवं दिनांक 27.03.2019 में रू0 240850.00 ह्यूम पाइप मद में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 240850.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 75000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार से तथा धनराशि रू0 45425.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश कुमार मिश्रा से एवं 120425.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-5)

7- ग्राम पंचायत-माधोपुर आचार्य विकास खण्ड-कुडवार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर - 8 वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों में रू0 798788.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 798788.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 399394.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी कु0 महिमा सिंह से एवं आधी धनराशि रू0 399394.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजमणि से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-34)

8- ग्राम पंचायत-कुडवार विकास खण्ड-कुडवार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -9 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.03.2019 में रू0 193750.00 स्ट्रीट लाइट पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 193750.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 96875.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुन्दर गुप्ता से तथा आधी धनराशि रू0 96875.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-35)

प्रस्तर -10 आलोच्य वर्ष 2018-19 में रू0 98000.00 हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना

व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 98000.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 49000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुन्दर गुप्ता से तथा आधी धनराशि रू0 49000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-36)

9- ग्राम पंचायत-प्रतापपुर विकास खण्ड-कुडवार वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -11 वर्ष 2018-19 में रू0 84000.00 हैण्डपम्प रिबोर मद में व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 84000.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 42000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुंदर गुप्ता से एवं आधी धनराशि रू0 42000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-35)

10- ग्राम पंचायत-गोथुआ जागीपुर विकास खण्ड-लम्बुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -12 आलोच्य वर्ष 2018-19 में रू0 1014540.00 सोलर लाइट मद में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 1014540.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी आधी धनराशि रू0 507270.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुंदर गुप्ता से एवं आधी धनराशि रू0 507270.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती संगीता से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर -13 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रू0 467850.00 स्ट्रीट लाइट मरम्मत में व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 467850.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रू0 233925.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुंदर गुप्ता से एवं आधी धनराशि रू0 233925.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती संगीता से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर -14 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रू0 137200.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 137200.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि रू0 68600.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसुंदर गुप्ता से एवं आधी धनराशि रू0 68600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती संगीता से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर -15 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रुपया 563550.00 जो ह्यूम पाइप स्थापना हेतु व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु वाउचर व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रुपया 563550-00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली रुपया 281775-00 ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री राम सुंदर गुप्ता से एवं आधी धनराशि रुपया 281775-00 ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से की जानी अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत-सरैया विकास खण्ड-लम्बुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -16 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 02.05.2018 को रू0 99431.00 स्पन/ह्यूम पाइप पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 99431.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रू0 49716.00 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता एवं रू0 49715.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती जयपाली से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-09)

प्रस्तर -17 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रू0 898500.00 का व्यय विवरणहीन दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 898500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि रू0 449250.00 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता एवं आधी धनराशि रू0 449250.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती जयपाली से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-10)

12- ग्राम पंचायत-रामपुर कुर्मियान विकास खण्ड-लम्बुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -18 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में रू0 1378115.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण अंकित नहीं किया गया है। विवरणहीन व्यय की पुष्टि में समस्त व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 1378115.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 689057.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता एवं रू0 689057.50 ग्राम प्रधान श्रीमती मनराजी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-09)

13-ग्राम पंचायत-घाटमपुर उत्तरी विकास खण्ड-लम्बुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -19 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में रू0 633605.00 का व्यय कैशबुक में बिना विवरण के दर्शित है किन्तु पुष्टि में समस्त व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 633605.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 316802.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता एवं रू0 316802.50 ग्राम प्रधान श्री गेंदराज दूबे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05)

14-ग्राम पंचायत-लम्बुआ विकास खण्ड-लम्बुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर- 20 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में सोलर/स्ट्रीट लाईट स्थापना/मरम्मत के नाम पर रू0 234754.00 का व्यय दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 234754.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 117377.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता एवं रू0 117377.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर -21 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में विवरणहीन व्यय कैशबुक में रू0 2960899.00 दर्शित है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 2960899.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 53075.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रदीप यादव से रू0 1427374.50 ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रू0 1480449.50 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर -22 कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर रू0 149670.00 में का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 149670.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 74835.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से एवं रू0 74835.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-07)

15-ग्राम पंचायत-नटौली विकास खण्ड-बल्दीराय वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -23 आलोच्य वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मैटेरियल मद में रू0 138855.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 138855.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 69427.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रदीप सिंह से एवं रू0 69427.50 ग्राम प्रधान मो0 असलम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-12)

16- ग्राम पंचायत-पारा विकास खण्ड-बल्दीराय वर्ष-2018-19

प्रस्तर -24 आलोच्य वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर रू0 426059.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 426059.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 213029.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रदीप सिंह से एवं रू0 213029.50 ग्राम प्रधान श्रीमती करोरा देवी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-12)

17- ग्राम पंचायत-खरगपुर विकास खण्ड-मोतिगरपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -25 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से रू0 234846.00 का व्यय कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर विभिन्न तिथियों में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 234846.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 117423.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री बाबूराम से एवं रू0 117423.00 ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-15)

18-ग्राम पंचायत-महारानी पश्चिम विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -26 आलोच्य वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में विभिन्न तिथियों में रू0 167360.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना

व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 167360.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 83680.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से एवं रू0 83680.00 ग्राम प्रधान श्री प्रताप नारायण ओझा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

19-ग्राम पंचायत-अरजो/ईशीपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -27 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से माह अप्रैल 2018 से 09.09.2018 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर कैशबुक में रू0 460000.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 460000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 230000.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से एवं रू0 230000.00 ग्राम प्रधान श्री श्यामाचरण मिश्र से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

20- ग्राम पंचायत-इन्दौली विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -28 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट क्रय पर रू0 122000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 122000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 61000.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से एवं रू0 61000.00 ग्राम प्रधान श्री खलीक अहमद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

21-ग्राम पंचायत-कोथरा खुर्द विकास खण्ड-कोथरा खुर्द वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -29 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट मरम्मत मद में रू0 65000.00 का व्यय दिनांक 16.04.2018 में कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 65000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 32500.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से एवं रू0 32500.00 ग्राम प्रधान श्री देवी प्रसाद वर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

22-ग्राम पंचायत-भवानीपुर विकास खण्ड-कादीपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -30 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 08.03.2019 में रू0 30000.00 हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 30000.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी व्यय धनराशि रू0 15000.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री ब्रिजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा आधी व्यय धनराशि रू0 15000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राधेश्याम से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर -31 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 08.03.2019 में रू0 64160.00 विवरणहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत विवरणहीन व्यय धनराशि रू0 64160.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रू0 32080.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री ब्रिजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा अपहरित धनराशि की आधी

धनराशि रु0 32080.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राधेश्याम से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-6)

23-ग्राम पंचायत-बरवारीपुर विकास खण्ड-कादीपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -32 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रु0 467920.00 बिना व्यय प्रमाणक व्यय दर्शित है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रु0 467920.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु0 130962.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से रु0 102998.00 ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री राम दूबे से तथा रु0 233960.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर -33 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रु0 538431.00 स्ट्रीट लाइट मरम्मत व्यय में दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रु0 538431.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु0 223204.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से, रु0 46011.00 ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री राम दूबे से एवं रु0 269215.50 प्रधान श्रीमती सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-6)

प्रस्तर -34 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 27.06.2018 को रु0 165032.00 ह्यूम पाइप स्थापना में व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रु0 165032.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से आधी धनराशि रु0 82516.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से तथा आधी धनराशि रु0 82516.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुमन से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-7)

प्रस्तर -35 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रु0 100505.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 100505.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु0 50253.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से तथा रु0 50252.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुमन से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-8)

प्रस्तर -36 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 08.03.2019 में रु0 480588.00 का पासबुक के अनुसर विभिन्न ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है लेकिन कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बैंक से आहरित धनराशियों का कैशबुक में अंकन न करके रु0 480588.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु0 240294.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं आधी धनराशि रु0 240294.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुमन से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-9)

24-ग्राम पंचायत-करौंदिया देहात विकास खण्ड-दूबेपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -37 आलोच्य वर्ष में दर्शित किये गये व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित व्यय रु0 1151127.00 का अपहरण किया गया है।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 1151127.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु० 575564.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०म विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि प्रताप सिंह से एवं रु० 575563.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती फिरोजा खातून से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-26)

प्रस्तर -38 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नियमों के विपरीत धनराशियों का आहरण/भुगतान कर व्यय दर्शित करके व्यय रु० 94950.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती फिरोजा खातून संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-27)

25- ग्राम पंचायत-देहली मुबारकपुर विकास खण्ड-दूबेपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -39 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में धनराशियां आहरित कर किसी कार्य पर व्यय न करके रु० 50000.00 अपहरण किया गया है।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रु० 50000.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु० 25000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्ञान कुमारी एवं रु० 25000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजीदा बानो से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-31)

प्रस्तर -40 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नियमों के विपरीत धनराशियों का आहरण/भुगतान कर व्यय दर्शित करके व्यय रु० 135000.00 की दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्ञान कुमारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजीदा बानो उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-32)

प्रस्तर -41 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नियमों के विपरीत रु० 256618.00 का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्ञान कुमारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजीदा बानो उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-33)

26-ग्राम पंचायत-हरिहरईशापुर विकास खण्ड-दूबेपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -42 आलोच्य वर्ष में दर्शित किये गये व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख/कार्य पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित व्यय रु० 1326248.00 अपहरण किया गया है।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 663124.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री जंग बहादुर वर्मा एवं रु० 663124.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री एहसान से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-4)

27-ग्राम पंचायत-लाखीपुर विकास खण्ड-दूबेपुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -43 आलोच्य वर्ष में दर्शित किये गये व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख/कार्य पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित व्यय रु० 1559856.00 अपहरण किया गया है।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय रु० 1559856.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रु० 779928.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्रीमती संगीता पाल एवं रु० 779928.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बदामा से वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-29)

प्रारूप-04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

मण्डल का नाम-बरेली जनपद-बदायूँ जनपद बदायूँ वर्ष-2018-19 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में उद्धाटित अधिभार/गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण:-

(1) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-अहोरामई विकास खण्ड:-जगत

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रमाणक संख्या-108 दिनांक 26.03.2019 के अनुसार रु0 9800/-प्रिन्टर क्रय हेतु रस्तोगी प्रिन्टर्स, बदायूँ को भुगतान किया गया है। बिना कम्प्यूटर के प्रिन्टर क्रय किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किये गये मृत स्कन्ध से सम्बन्धित मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा के समय जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि रु 9800/-का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विशाल पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री कैलाश कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-16)

(2) जनपद:-बदायूँ ग्राम पंचायत:-ईकरी बसियानी विकास खण्ड:-जगत

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में रु0 16800/- का फर्नीचर 25 कुर्सियों को क्रय किया गया है। परन्तु फर्नीचर का रजिस्टर जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राजविभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के बिन्दु 07 का उल्लंघन है। बिन्दु 07 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कि क्रय किये गये समस्त वस्तुओं को रूपपत्र-25 के अनुसार रजिस्टर पर दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर के रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव का होगा। परन्तु रजिस्टर प्रस्तुत न कर नियमों की अवहेलना की गयी है। इस प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व सचिव श्री धर्मेन्द्र शाक्य के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

(3) जनपद:-बदायूँ ग्राम पंचायत:-औरंगाबाद विकास खण्ड:-सहसवान

प्रस्तर-3 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 887151 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशि कुमारी एवं पंचायत सचिव श्री सूरज शर्मा से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-14)

(4) जनपद:-बदायूँ ग्राम पंचायत:-परमू विकास खण्ड:-सहसवान

प्रस्तर-4 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 1146686.80 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं पंचायत

सचिव श्री कुलदीप शर्मा से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए

(आ0सं0-14)

(5) जनपद:-बदायूँ ग्राम पंचायत:-पालपुर, विकास खण्ड:-सहसवान

प्रस्तर-5 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 717082 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चिरौंजी देवी एवं पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-14)

(6) जनपद:-बदायूँ ग्राम पंचायत:-दरियापुर, विकास खण्ड:-सहसवान

प्रस्तर-6 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

परन्तु रुपये 713123 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेषमवती एवं पंचायत सचिव श्री दीपेन्द्र से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-14)

(7) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-रेलई माधैपुर, विकास खण्ड:-सहसवान

प्रस्तर-7 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 1087585 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंगेश कुमारी एवं पंचायत सचिव श्री ओमकार सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-14)

(8) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-खजुरा पुख्ता, विकास खण्ड:-उसावां

प्रस्तर-8 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में

अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 1320950 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-16)

(9) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-उधौली, विकास खण्ड:-उसावां

प्रस्तर-9 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 3481605 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा रानी एवं पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-16)

(10) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-हजारा, विकास खण्ड:-उसावां

प्रस्तर-10 वर्ष 2018-19 के प्राप्त कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संप्रक्षण (ऑडिट) के बिन्दु-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

परन्तु रुपये 1336407 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए (आ0सं0-16)

(11) जनपद:- बदायूँ ग्राम पंचायत:-पड़रिया विकास खण्ड:-दहगवाँ, बदायूँ

प्रस्तर-11 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय रू0 622602.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 622602.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव सुनील कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-12. समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, ई0 ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय रू0 703871.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय

सचिव शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

(14) जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत:-धर्मपुर टप्पा वैष्ण विकास खण्ड:-दहगवाँ, बदायूँ

प्रस्तर-19 समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत में प्रियासॉफ्ट, इ ग्राम स्वाराज में दर्शित व्यय रु0 378949.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-कैशबुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 378949.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री के0पी0सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लज्जा वती के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-20 समीक्ष्य वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत में प्रियासॉफ्ट व इ ग्राम स्वाराज में दर्शित व्यय रु0 854357.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-कैशबुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 854357.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव के0पी0सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुंवर पाल के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-21 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैशबुक, में दर्शित व्यय रु0 1247951.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 1247951.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुंवर पाल के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-22 समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैशबुक, में दर्शित व्यय रु0 2916762.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 2916762.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुंवर पाल के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है **(सा0आ0सं0 19)**

(15) जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत:-मझोलरा विकास खण्ड:-दहगवाँ, बदायूँ

प्रस्तर-23 समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैशबुक, के अनुसार रु0 1345571.70 के व्यय किया गया जिसमें से रु 364625.70 के वांछित अभिलेख परीक्षा में उपलब्ध कराये किन्तु रु 980986.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 980946.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

(16) जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत:-ढेल विकास खण्ड:- दहगवाँ, बदायूँ

प्रस्तर-24 समीक्ष्य वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, ई ग्राम स्वाराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय रु0 177079.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 177079.00 को

प्रस्तर-31 समीक्ष्य वर्ष 2018-19 कैश बुक, प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा दर्षित व्यय रू0 1914305.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन , एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1914305.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द पाल के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-32 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, में दर्शित व्यय रू0 1795261.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1795261.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-34 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कैश बुक, में दर्षित व्यय रू0 911647.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 911647.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अनेक पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतो में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसुल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-36 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, में दर्शित व्यय रू0 1342075.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन , एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1342075.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अनेक पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रह्माचारी के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश

सरकार के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-37 समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कैश बुक, में दर्शित व्यय रु0 2300532.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0वी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रु0 2300532.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अनेक पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रह्माचारी के प्रति पंचायतीराज विभाग उत्तर-प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन ,वर्ष-2018-19, आवंटन वर्ष- 2019-20

मण्डल का नाम-बरेली (उ0प्र0), जनपद-बरेली

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ:-ग्राम पंचायत-पंडरी

आपत्ति सं0-1 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 1127371.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। उपरोक्त धनराशि रु0 1127371.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री सूरज पाल सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-आकलाबाद

आपत्ति सं0- 2-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 1183151.10 का व्यय बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये कुल व्यय रु 1687300.80 के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा 1183151.10 का कोई भी बिल/वाउचर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। उपरोक्त धनराशि रु0 1183151.10 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री छेदा लालग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर

आपत्ति सं0-3-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 1077707.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध

हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय रु 1077707.00 का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है—

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	प्रधान	140000.00
2.	श्री सूरज पाल सिंह ,सचिव	80000.00
3.	एस0 के0 इंटरप्राइजेज	292500.00
4.	अन्य	565207.00
	योग —	1077707.00

उपरोक्त धनराशि रु0 1077707.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री सूरज पाल सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बकैनिया बीरपुर

आपत्ति सं0—4—आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 668483.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय रु 668483.00 का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है—

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	प्रधान	126900.00
2.	श्री सूरज पाल सिंह ,सचिव	100000.00
3.	एस0 के0 इंटरप्राइजेज	195000.00
4.	अन्य	141583.00
5.	श्री अखलाख इंटरप्राइजेज	105000.00
	योग —	668483.00

उपरोक्त धनराशि रु0 668483.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री सूरज पाल सिंह ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—घाटगांव

आपत्ति सं0—5—आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 1443895.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट व कैश बुक के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये कुल व्यय रु 1443895.00 के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। उपरोक्त धनराशि रु0 1443895.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री छेदा लाल ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मानपुर पूर्वी

आपत्ति सं0-6—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 913946.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय रु 913946.00 का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है—

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	प्रधान	531000.00
2.	श्री सूरज पाल सिंह ,सचिव	120000.00
3.	श्री मदन लाल	52000.00
4.	श्री गंगवार कन्सल्टरक्शन	122542.00
5.	अन्य	88404.00
	योग —	913946.00

उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं श्री सूरज पाल सिंह सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ब्यौँधा

आपत्ति सं0-7—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 1927588.70 का व्यय बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अनुसार किया गया है। वर्ष दौरान कुल व्यय धनराशि रु 1927588.70 के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा 705015.00 का दिनांक 01.02.19 से दिनांक 31.03.19 तक का कोई भी बिल/वाउचर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय की गई धनराशि रु 705015.00 कैशबुक में रिबोर पर व्यय दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में मौर्य बिल्डिंग ,सोविन्दर सिंह, प्रदीप लाल सिंह, मुनीष पाल सिंह व मासाअउल्लाह ब्रिक द्वारा आहरित दर्शित है। उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व श्री रिषभजीत ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुड़िया चौधरी,

आपत्ति सं0-08 आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत मुड़िया चौधरी विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है—

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	38500.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	43500.00
3	टेण्डर/प्रशासनिक व्यय	19540.00
4	स्टेशनरी/डाटा फीडिंग	11500.00
5	फर्नीचर	110250.00
6	वृक्षारोपड़	1400.00
7	डस्टबिन	1785.00
8	ठेली मरम्मत	2500.00
9	पाईप	21712.00
10	डोंगल	1500.00
11	नल रिवोर	34080.00
12	पेटिंग	1000.00
13	अन्य निर्माण कार्य— सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य 1. श्रमांश— 2. सामग्री—	60035.00 264182.00
	योग—	611484.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 611484.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 611484.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री ओमकार व प्रधान श्री रमेश चन्द्रा से धनराशि 611484.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—मधुनगला,

आपति सं०—09—आलोच्य वर्ष 2018—2019 में ग्राम पंचायत मधुनगला विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है—

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	46340.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	50250.00
3	पी.एल.ए	1500.00
4	टेण्डर/प्रकाशन	31000.00
5	वृक्षारोपड़	6000.00

6	प्रियासॉफ्ट फीडिंग	10000.00
7	फर्नीचर	172500.00
8	लेडबल्ब	17600.00
9	नल रिवोर	93500.00
10	कूड़ादान	50250.00
11	डोंगल	1500.00
12	व्हील चेयर	3990.00
13	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य	
	1. श्रमांश-	201470.00
	2. सामग्री-	629317.00
	योग-	1315217.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1315217.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1315217.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री ओमकार व प्रधान श्री श्रीमती सरिता देवी से धनराशि 1315217.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

आपति सं०-10 आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत माधोपुर विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	49000.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	60000.00
3	टेली क्रय/मरम्मत	58100.00
4	टेण्डर/प्रकाशन	18710.00
5	वृक्षारोपण	5900.00
6	प्रियासॉफ्ट फीडिंग	10000.00
7	फर्नीचर	197400.00
8	स्टेशनरी	1000.00
9	प्रशासनिक व्यय	1500.00
10	नल रिवोर	78116.00
11	सफाई किट	13675.00
12	कूड़ादान	37975.00
13	डोंगल	1550.00
14	मोबाईल	6100.00
15	व्हील चेयर	3990.00
16	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा	

	निर्माण कार्य	
	1. श्रमांश—	845294.00
	2. सामग्री—	246939.00
	योग—	1635249.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1635249.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1635249.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री ओमकार व प्रधान श्री श्रीमती मनका देवी से धनराशि 1635249.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-माधोपुर

आपति सं०-11—आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत सूरजपुर परौरिया विकास खण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है—

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	49000.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	13500.00
3	पाईप	63335.00
4	टेण्डर/प्रकाशन	2000.00
5	वृक्षारोपण	9945.00
6	फन्टी	2500.00
7	ढील चेयर	3990.00
8	स्टेशनरी	1370.00
9	नकद आहरण	87000.00
10	नल रिवोर	76600.00
11	सफाई किट	17700.00
12	कूड़ादान	97940.00
13	पन्नी	2490.00
14	मोबाईल	9800.00
15	अन्य निर्माण कार्य— सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य	671415.00
	1. श्रमांश व सामग्री	
	योग—	1108585.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति

आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1108585.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1108585.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री विपिन पाण्डेय व प्रधान श्री भगवानदास से धनराशि 1108585.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सूरजपुर परौरिया,

आपति सं०-12 आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत जवेदा-जवेदी विकास खण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	45500.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	114000.00
3	ठेली व किट क्रय	55600.00
4	टेण्डर/प्रकाशन	9540.00
5	वृक्षारोपण	4900.00
6	प्रियासॉफ्ट फीडिंग	7500.00
7	फर्नीचर	249000.00
8	फोटो स्टेट	1200.00
9	प्रशासनिक व्यय	514.00
10	नल रिवोर	934944.00
11	पी.एल.ए.	1500.00
12	कूड़ादान	213240.00
13	डोंगल	3100.00
14	पाईप	72373.00
15	वॉल पेंटिंग	1000.00
16	पॉलीथीन	1700.00
17	गौशाला सफाई कार्य	3000.00
18	किवाड़	4000.00
19	टाईल्स	51968.00
20	सटरिंग का भुगतान	17500.00
21	लाईट कनेक्शन	9810.00
22	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य	328903.00
	1. श्रमांश-	764616.00
	2. सामग्री-	
	योग-	2895408.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति

आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 2895408.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 2895408.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री ओमकार व प्रधान श्रीमती कमला देवी से धनराशि 2895408.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-दलेलनगर,

आपति सं०-13-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत दलेल नगर विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रमसं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	7000.00 दिनांक 25.07.18
2	हैण्डपम्प रिपेयर	286539.00
3	डस्टबीन	25600.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	14300.00
5	स्टीट लाईट	225000.00
6	विज्ञापन	12178.00
7	डोंगल	1550.00
8	ग्राम निधि 6 में जमा	108000.00
9	वृक्षारोपण	4600.00
10	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य 1. वीरेन्द्र से किशोरी की बैठक तक सी.सी. 2. छेदा लाल से धर्मु के घर तक सी.सी. 3. भगवानदास से धर्मु के घर तक सी.सी. 4. प्रेम प्रकाश की बैठक से किशोर की बैठक तक सी. सी. 5. सी.सी. रोड से रोशन लाल के घर तक सी.सी. 6. नन्कू से मंगलसेन के घर तक खडंजा मरम्मत 7. शवदाह गृह का निर्माण 8. दिनांक 29.09.2018 को अकाश इ० को भुगतानित राशि जिसका उल्लेख रोकड़वही में नहीं है।	122768.00 155896.00 67361.00 72915.00 129226.00 96172.00 445308.00 13909.00
	योग-	1788322.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली

मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1788322.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1788322.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री उमेश गंगवार व प्रधान श्री प्रेम प्रकाश से धनराशि 1788322.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सतवन पट्टी,

आपति सं०-14—आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत सतवन पट्टी विकास खण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है—

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	35000.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	5370.00
3	ठेली मरम्मत/सफाई कार्य	9900.00
4	आकस्मिक व अन्य कार्य	12164.00
5	नाली खडंजा मरम्मत/निर्माण	351684.00
6	स्टेशनरी/प्रियासॉफ्ट फीडिंग	9050.00
	योग	423168.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 423168.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 423168.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री नरेन्द्रपाल से धनराशि 423168.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

आपति सं०-15—टिप्पणी—ग्राम पंचायत बरौर, क्षेत्र पंचायत, नबावगंज एवं जनपद बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा संपन्न की गयी, जिसमें निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क. आलोच्य वर्ष 2018-19 में निम्न लिखित विवरणानुसार बैंक खाता संख्या 00760100006711 से आहरण किया गया किन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष कैशबुक के व्यय पक्ष में किस कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति रही, कार्य एवं कार्यस्थल का उल्लेख नहीं रहा तथा व्यय प्रमाण भी उपलब्ध नहीं रहा। विवरण में मात्र फर्म/आपूर्तिकर्ता को भुगतान दर्शित रहा कतिपय भुगतान पक्ष में कुछ भी अंकित नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है—

तिथि	वाउचर	विवरण	धनराशि
24.10.2018	21	सिंह एजेंसी से सामग्री	115577.00
24.10.2018	22	"	109627.00
25.10.2018	23	विवरण में कुछ अंकित नहीं रहा	27940.00
25.10.2018	24	"	12900.00
25.10.2018	25	"	23980.00
01.11.2018	27	मिट्टी डलवाई, ट्राली का भुगतान	9060.00
02.11.2018	28	शिव ब्रिकफील्ड से ईट व रोड़ी	31530.00
03.11.2018	29	"	24106.00
16.11.2018	30	"	86844.00
16.11.2018	31	सिंह एजेंसी से रेत, सीमेंट	66836.00
19.11.2018	32	राज मिस्त्री व मजदूरों को	23820.00
22.11.2018	33	"	31260.00
27.11.2018	34	शिव ब्रिक फील्ड से ईट व रोड़ी	15904.00
27.11.2018	35	"	21998.00
		योग	601382.00

उक्त आहरण रु0 601382.00 से संबंधित कैशबुक के व्यय पक्ष में न तो कार्य एवं कार्यस्थल का उल्लेख रहा और न ही वांछित अभिलेख यथा—व्यय प्रमाणक, स्टीमेंट, कार्यवाही निर्माणकार्य रजिस्टर, वर्क आईडी, स्टॉक रजिस्टर, एमवी आदि ही उपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.10.2018 को वा0सा0 23, 24 व 25 से संबंधित व्यय पक्ष के विवरण में कुछ भी अंकित नहीं रहा। भुगतान फार्म/आपूर्तिकर्ता, मजदूरी पर दर्शित रहा, किन्तु कार्य व कार्यस्थल एवं वांछित अभिलेख के अभाव में सामग्री प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः धनराशि रु0 601382.00 अपहरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0वि0अ0 श्री वीरपाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती हरदेई समान रूप से उत्तरदायी है। अतः मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सा0आ0सं0-02)

ख. दिनांक 25.10.2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाता संख्या 00760100006711 से ग्राम प्रधान श्रीमती हरदेई द्वारा रु0 8340.00 आहरण किया गया है, किन्तु कैशबुक में प्रवृष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती हरदेई एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरपाल समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली मय व्याज किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति सं0-16— ग्राम पंचायत— पंडरा, क्षेत्र पंचायत— नबावगंज एवं जनपद बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा संपन्न की गयी। जिसमें निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

क. आलोच्य वर्ष 2018-19 के ग्राम निधि 1 के खाता संख्या 00760100006701 के अनुसार फर्मों/आपूर्तिकर्ता एवं अन्य को भुगतान रु0 1564815.00 किया गया है किन्तु उक्त भुगतान से संबंधित लेखा परीक्षा में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेंट, निर्माणकर्ता रजिस्टर, वर्क आईडी, एमबी आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा, जिससे संबंधित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.06.2018 व 11.07.2018 को क्रमाशः आशीष खाद भंडार को रु0 45000.00 व रु0 90000.00 भुगतान रहा, किन्तु खाद भंडार की दुकान से कौन सी निर्माण सामग्री क्रय की गयी अस्पष्ट रहा। अतः रु0 1564815.00 बैंक से निकासी एवं व्यय से संबंधित वांछित अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक आदि के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके लिए तत्कालीन श्री मुकेश शर्मा ग्रा0वि0अधि0 एवं श्री आशुतोष कुमार ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी है, जिसकी मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

तिथि	चेक सं0	नाम	धनराशि

03.04.18	237	कयुम	45000.00
03.04.18	238	संजय	45000.00
05.04.18	210	विपिन कुमार	49000.00
13.04.18	239	ओमेन्द्र पाल	45000.00
25.04.18	240	लियाकत हुसैन	45000.00
03.05.18	242	श्री इंटरप्राइजेज	84000.00
19.05.18	243	लियाकत हुसैन	45000.00
01.06.18	249	लियाकत हुसैन	45000.00
05.06.18	250	श्री इंटरप्राइजेज	20500.00
06.06.18	252	अफरोज ब्रिक	45000.00
06.06.18	251	अफरोज ब्रिक	45000.00
06.06.18	248	श्री इंटरप्राइजेज	87000.00
06.06.18	253	सोमपाल	6315.00
12.06.18	247	अनुरुद्य गंगवार	49000.00
12.06.18	246	अतुल कुमार	49000.00
15.06.18	244	अंकित नहीं	45000.00
15.06.18	245	अंकित नहीं	45000.00
27.06.18	254	आशीष खाद भंडार	45000.00
05.07.18	255	शक्ति इंटरप्राइजेज	47000.00
07.07.18	256	सिंह एजेंसी	45000.00
09.07.18	262	शिव ब्रिक	35000.00
11.07.18	257	गंगा राम	49000.00
11.07.18	258	संजय प्रकाश	49000.00
11.07.18	261	आशीष खाद भंडार	90000.00
12.07.18	260	अतुल कुमार	49000.00
12.07.18	261	अनुरुद्य गंगवार	49000.00
12.07.18	259	अनुज गंगवार	49000.00
12.07.18	263	अतुल इंटरप्रा0	15000.00
18.07.18	266	आदर्श	100000.00
24.07.18	264	रामचन्द्र	49000.00
24.07.18	267	राज पाल	49000.00
28.08.18	268	अफरोज ब्रिक	50000.00
योग —			1564815.00

ग्राम पंचायत-पंडरा,

ख-कैश बुक के अनुसार दिनांक 27.12.18 को अफरोज ब्रिक फील्ड से ईट क्रय हेतु रु 48000.00 एवं दिनांक 08.01.19 को लक्ष्मी आयरन स्टोर को रु 35000.00 भुगतान दर्शित रहा। इस प्रकार कुल रु 83000.00 का सामग्री क्रय दर्शित है। किन्तु कैश बुक में किस कार्य व कार्यस्थल हेतु सामग्री क्रय रहा, इसका उल्लेख नहीं किया गया है व उक्त सामग्री प्रयुक्त हेतु वर्ष पर्यन्त न तो मजदुरी ही दर्शित रही। इस प्रकार कैश बुक में न तो कार्य एवं कार्य स्थल का उल्लेख रहा व न ही वांछित अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, वर्क आई डी, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0 बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रमुख अभिलेख ही उपलब्ध रहा। अतः अनावश्यक क्रय दर्शा कर धनराशि रु 83000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री आशुतोष कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरपाल समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मटकापुर,

आपति सं0-17 आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत मटकापुर विकास खण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रमसं0	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	24500.00
2	हैंडपम्प रिपेयर	6750.00

3	डस्टबीन	26231.00
4	अन्य आवश्यक कार्य	5720.00
5	ठेली व सफाई कीट	8500.00
6	अन्य निर्माण कार्य – सी0 सी0 रोड/खडंज निर्माण – 1.नहर की पुलिया से पप्पू के घर तक सी सी 2.पप्पू से ओमप्रकाश के घर तक सी सी 3.प्यारे लाल से मान सिंह के घर तक खडंजा/नाली 4.स्कूल वाले खडंजे से मान सिंह के घर तक सी सी	161270.00 188641.00 5425.00 212300.00
	योग	639337.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 639337.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 639337.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री इंद्रपाल सिंह से धनराशि 639337.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-प्रहलादपुर,

आपति सं0-18-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत प्रहलादपुर विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रम सं0	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	60500.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	64360.00
3	टेण्डर व प्रशासनिक व्यय	6000.00
4	स्टेशनरी व डाटा फीडिंग	9000.00
5	वृक्षारोपण	2900.00
6	फर्नीचर	323700.00
7	स्टीट लाइट	68000.00
8	पाइप	28949.00
9	डोंगल	1550.00
10	कूड़ादान	34975.00
11	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य 1. श्रमांश- 2. सामग्री-	53325.00 136643.00
	योग-	789902.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल,

मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिवोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 789902.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 789902.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री ओमकार व प्रधान श्रीमती मुन्नी बेगम से धनराशि 789902.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बहरौली

आपति सं0-19—आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में दिनांक 10.09.18 को होरी लाल की बैठक से खेमकरन के खेत तक नाली/खड्गजा निर्माण कार्य हेतु गनी ब्रिक इंडस्टीज को ईट क्रय हेतु ग्राम निधि प्रथम बी0 ओ0 बी0 मीरगंज खाते से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
10.09.18	701	गनी ब्रिक इंडस्टीज	33390.00
10.09.18	702	गनी ब्रिक इंडस्टीज	33390.00
10.09.18	703	गनी ब्रिक इंडस्टीज	33390.00
		योग -	100170.00

वर्षांत तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है। ईट क्रय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, ईट के डिलिवरी चालान, स्वीकृत स्टीमेट, कार्य योजना, ईट के प्रयोग की पुष्टि में मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। पर्याप्त फंड उपलब्ध रहने के बावजूद मात्र ईट क्रय दर्शाकर कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि क्रय किया गया स्टॉक का उपयोग न करके अपहरण किया गया है। इस तरह उक्त स्टॉक ईट क्रय को अपहरण मानते हुए वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-क के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खमरिया आजमपुर

आपति सं0-20(क)—आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम बी0 ओ0 बी0 मीरगंज खाते से निम्न विवरणानुसार श्री नईम अली व इरफान के नाम से चेक काटकर धन का आहरण दर्शाया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
26.07.18	380	नईम अली	36500.00
03.08.18	383	नईम अली	5000.00
18.08.18	386	नईम अली	15000.00
17.09.18	390	नईम अली	30000.00
04.10.18	392	नईम अली	20000.00
12.12.18	301	नईम अली	5000.00
27.12.18	311	नईम अली	30000.00
08.03.18	243	नईम अली	25000.00
10.10.18	396	मे0 इरफान	10000.00
15.10.18	398	मे0 इरफान	15000.00

17.10.18	401	मे0 इरफान	12000.00
22.10.18	402	मे0 इरफान	12000.00
01.11.18	404	मे0 इरफान	10000.00
05.11.18	276	मे0 इरफान	20000.00
12.11.18	278	मे0 इरफान	8000.00
03.12.18	478	मे0 इरफान	4400.00
		योग –	257900.00

रोकड़ बही में उक्त आहरण के सापेक्ष सुसंगत व्यय नहीं दर्शाया गया वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-क व ख के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खमरिया आजमपुर

आपति सं0-21-(ख)-आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार नगद व्यय दर्शाया गया है।

दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि	विवरण
17.09.18	नईम अली	12000.00	हैंड पंप मरम्मत
26.10.18	नईम अली	15650.00	हैंड पंप मरम्मत
30.11.18	नईम अली	10682.00	हैंड पंप मरम्मत
	योग –	38332.00	

उपरोक्त नगद व्यय रोकड़ बही में उपलब्ध रोकड़ शेष को खपाने के उद्देश्य से दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का विवरण, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, चल अचल संपत्ति रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहने से उपरोक्त नगद व्यय को अपहरण मानते हुए वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-क के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्रा0पं0-लभेड़ा दुर्गा प्रसाद

आपति सं0-22-(क)-आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम बी0 ओ0 बी0 मीरगंज खाते से निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
02.05.18	315	नईम अली	20000.00
12.06.18	295	मो0 फैजान	20000.00
21.06.18	288	अज्ञात	6000.00
09.07.18	297	नईम अली	20000.00
27.07.18	300	नईम अली	11000.00
06.08.18	275	नईम अली	10000.00
08.07.18	323	ओमकार	20000.00
		योग –	107000.00

रोकड़ बही में उक्त आहरण के सापेक्ष सुसंगत व्यय नहीं दर्शाया गया वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-स के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लभेड़ा दुर्गा प्रसाद

आपति सं0-22-(ख)-आलोच्य वर्ष में अतिराम के घर से मंदिर तक नाली/खड्गजा निर्माण हेतु कतिपय तिथियों में न्यु दुर्गा ब्रिक इंडस्ट्रीज से नगद ईंट क्रय दर्शित किया गया है।

दिनांक	धनराशि
25.06.18	32000.00
27.07.18	25000.00
योग-	57000.00

उपरोक्त नगद व्यय रोकड़ बही में उपलब्ध रोकड़ शेष को खपाने के उद्देश्य से दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का विवरण, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, चल अचल संपत्ति रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहने से उपरोक्त नगद व्यय को अपहरण मानते हुए वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु

मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-क के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग. ग्राम पंचायत-लभेड़ा दुर्गा प्रसाद ,

आपति सं0-22-(ग)-आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.09.18 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में श्री नईम अली को रु 13700.00 नगद भुगतान दिया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का विवरण,सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, चल अचल संपत्ति रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहे। उक्त भुगतान रोकड़ बही में उपलब्ध रोकड़ शेष को खपाने के उद्देश्य से दर्शाया गया है। उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8-क के अनुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पेहना

आपति सं0-23-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पेहना विकास खण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाते से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धन राशि	आहरण कर्ता
1.	05.09.2018	51	12000.00	श्रीमती हीराकली प्रधान
2.	19.09.2018	52	10000.00	श्रीमती हीराकली प्रधान
		योग -	22000.00	

उपरोक्त आहरित धनराशि रु 22000.00 की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं पाई गईं। रोकड़ बही क आय और व्यय पक्ष का योग में इन प्रविष्टियों रहित पाया गया। लेखा परीक्षा में धनराशि रु 22000.00 से संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायती राज अनुभाग 7 के शासनादेश सं0 2686/37/07/2011 752 पं0 रा0 जी0 ए0/2011/लखनऊ दिनांक 16.07.2011 में दी गई व्यवस्था अंतर्गत ग्राम प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक के माध्यम से न किए जाने का उपबन्ध है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में व्ययित धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का उपबन्ध है।

रोकड़ बही में धनराशि से संबंधित प्रविष्टियाँ न होने तथा उसके सापेक्ष प्रमाणक न होने से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने धनराशि रु 22000.00 का गबन कर लिया है। अतः रु 22000.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-चंद्रपुर शिवनगर ,

आपति सं0-24-आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 02.08.2018 को चेक सं0 142159 के माध्यम से शर्मा कंस्ट्रक्सन को रु 53802.00 का भुगतान ग्राम पंचायत चंद्रपुर शिवनगर के ग्राम निधि खाता सं0 0915000100785734 से किया जाना रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के विरुद्ध लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे धनराशि अपुष्टित रही। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में व्ययित धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में धनराशि को गबन मानते हुए ,धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का उपबन्ध है।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि रु 53802.00 का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खाता नवदिया,

आपति सं0-25-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत खाता नवदिया विकासखण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाता सं0 4194000100065589 से दिनांक 27.07.18 से 31.03.219 तक 1146610.00 आहरित किया जाना बैंक स्टेटमेंट से दर्शित है। खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.

07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1146610.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1146610.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री उमेश कुमार व प्रधान श्रीमती शवरा बेगम से धनराशि 1146610.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरखन,

आपति सं0-26-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत बरखन विकास खण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाते से दिनांक 08.08.18 से 31.03.219 तक रु 2841562.00 आहरित किया जाना बैंक स्टेटमेंट से दर्शित है। खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 2841562.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 2841562.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री उमेश कुमार व प्रधान श्री शमसुल हसन से धनराशि 2841562.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नकटिया

आपति सं0-27- दिनांक 16.03.2019 को चेक सं0 7911 के माध्यम से रु 7070.00 का भुगतान नरेन्द्र पाल को मस्टर रोल खड़जा/नाली निर्माण/(नरेन्द्र पाल से खड़जा तक) हेतु किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। धनराशि रु 7070.00 को आहरित किए जाने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। व्ययित धनराशि रु 7070.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार किए जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने रु 7070.00 का अपहरण कर लिया है। अतः धनराशि 7070.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से वैधानिक कार्यवाही सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बबुरा बबूरी,

आपत्ति सं०—28—आलोच्य वर्ष 2018—2019 में ग्राम पंचायत बबुरा बबूरी विकासखण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम खाता सं 12710100015695 से रु 1728555.00 आहरित करे व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721—27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1728555.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1728555.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री राम आसरे/श्री उमेश गंगवार व प्रधान श्रीमती कीरत देवी से धनराशि 1728555.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बड़ा गाँव,

आपत्ति सं०—29—आलोच्य वर्ष 2018—2019 में ग्राम पंचायत बड़ा गाँव विकासखण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम खाता सं 1271010001568 से दिनांक 28.12.18 से 31.03.2019 तक रु 1225468.00 आहरित किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। लेखा परीक्षा में दर्शाए गए व्यय के सापेक्षकोष बही ,कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721—27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1225468.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1225468.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री नत्थु लाल से धनराशि 1225468.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-चौखण्डी

आपत्ति सं0-30-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत चौखण्डी विकास खण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाता सं 20940100010668 से निम्न विवरणानुसार व्यक्तियों व फर्मों को नगद भुगतान व टांसफर किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान फर्म/व्यक्ति/ग्राम निधि
1.	29.10.18	247	20376.00	वृत्ति कंस्ट्रक्शन मैटेरियल
2.	29.10.18	248	28360.00	वृत्ति कंस्ट्रक्शन मैटेरियल
3.	30.10.18	251	5340.00	गोपालसरन
4.	01.11.18	249	12978.00	ओम ब्रिक फील्ड
5.	14.12.18	258	48965.00	एस0 के0 इंटरप्राइजेज
6.	21.12.18	233	5000.00	गोपालसरन
7.	21.12.18	230	21033.00	वृत्ति कंस्ट्रक्शन मैटेरियल
8.	21.12.18	229	19088.00	वृत्ति कंस्ट्रक्शन मैटेरियल
9.	29.12.18	262	22197.00	इंडिया ब्रिक फील्ड
10.	18.01.19	266	5000.00	राजेश कुमार
11.	05.02.19	237	32760.00	डी0 एस0 एस0 इंटरप्राइजेज
12.	05.03.19	235	114000.00	ग्राम निधि 6 में हस्तांतरित
13.	15.03.19	276	16534.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
		योग -	351631.00	

उपरोक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं पाई गई तथा इनसे संबंधित प्रमाणकों को भी बार बार मांग किए जाने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि रोकड़ बही के आय व्यय पक्ष के योग में भी इन प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में स्वयंवहार से संबंधित स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेट, कार्यवाही पंजिका, प्रमाणक, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निविदा/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी प्रस्तुत नहीं रहे।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने धनराशि रु 351631.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि रु 351631.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-विजासीन

आपत्ति सं0-31-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का नाम
1.	14.08.18	117	15000.00	महेन्द्र पाल	भजन लाल की दुकान से वीरपाल के घर तक सी0 सी0 हेतु लेबर भुगतान
2.	14.08.18	118	15000.00	नरेश कुमार	
3.	14.08.18	119	5000.00	महेन्द्र पाल	
4.	14.08.18	120	4550.00	नरेश कुमार	
		योग -	39550.00		

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में उपरोक्तानुसार व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। जिससे भुगतानित धनराशि अपुष्ट रही। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि रु 39550.00 की वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नवदिया मोतीराम

आपत्ति सं0-32-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत नवदिया मोतीराम विकासखण्ड भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाता सं 12710100024795 से निम्न विवरणानुसार धन आहरित किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है।

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	25.04.18	18	10505.00	टी०आर०.०२ / २४
2.	06.08.18	23	17671.00	टी०आर०.०२ / २४
		योग —	28176.00	

उपरोक्त धनराशि 28176.00 का उल्लेख न तो रोकड़ बही के आय व्यय पक्ष में पाया गया और न ही इससे संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए। धनराशि के रोकड़ बही में उल्लेखित नहीं होने व प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट है कि धनराशि रु 28176.00 का अपहरण श्री अमजद व प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी द्वारा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—जगराजपुर,

आपत्ति सं०—33—आलोच्य वर्ष 2018–2019 में ग्राम पंचायत जगराजपुर भदपुरा बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाता सं 2094100023284 से निम्न विवरणानुसार व्यक्तियों व फर्मों को नगद भुगतान व ट्रांसफर किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान फर्म/व्यक्ति/ग्राम निधि
1.	30.10.18	99	4000.00	इमरान
2.	06.11.18	96	16012.00	मीना ब्रिक फील्ड
3	22.11.18	103	20000.00	शिव कुमार
4.	11.01.19	104	34560.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
5.	11.01.19	105	42908.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
6.	11.01.19	108	13824.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
7.	11.01.19	109	17163.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
8.	25.01.19	112	16065.00	मीना ब्रिक फील्ड
9.	04.02.19	116	34975.00	एस० के० इंटरप्राइजेज
10.	21.02.19	117	19008.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
11.	21.02.19	118	23649.00	हरिओम सीमेंट स्टोर
12.	20.02.19	119	9705.00	शिव कुमार
13.	02.03.19	120	17500.00	पिंकी पटेल
14.	05.03.19	115	102000.00	ग्राम निधि 6 में हस्तांतरित
15.	19.03.19	127	7675.00	हसरत अली
16.	28.03.19	128	5000.00	शिव कुमार
		योग —	384044.00	

उपरोक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं पाई गई तथा इनसे संबंधित प्रमाणकों को भी बार बार मांग किए जाने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि रोकड़ बही के आय व्यय पक्ष के योग में भी इन प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में स्वयंवर से संबंधित स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेट, कार्यवाही पंजिका, प्रमाणक, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निविदा/कुटेशन, स्टाक पंजिका आदि भी प्रस्तुत नहीं रहे।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने धनराशि रु 384044.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि रु 384044.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—सुन्दरी

आपत्ति सं०—34—आलोच्य वर्ष 2018–2019 में ग्राम पंचायत सुन्दरी विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है—

क्रम सं०	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	34000.00
2	नया हैण्डपम्प लगवाई आंगन बाड़ी	97000.00
3	ठेली फावड़ा क्रय	5000.00
4	टेण्डर प्रशासनिक व्यय	4940.00

5	स्टेशनरीव डाटा फीडिंग	5000.00
6	फर्नीचर	124500.00
7	कैमरा व व्हील चेयर	17980.00
8	डस्टबीन	71007.00
9	नल रिबोर	21000.00
10	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य आदि	1980406.00
	योग-	2360833.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिबोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 2360833.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 2360833.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री कपिल देवसे धनराशि 2360833.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सुनौर देशनगर,

आपत्ति सं0-35-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत सुनौर देशनगर विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रमसं0	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	31500.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	12000.00
3	वाल पेंटिंग	3500.00
4	टेण्डर प्रकाशन	14666.00
5	स्टेशनरीव डाटा फीडिंग	5000.00
6	फर्नीचर	184496.00
7	प्रशासनिक व्यय	5050.00
8	सोलर लाइट	32500.00
9	सफाई किट	23000.00
10	अन्य निर्माण कार्य- सी.सी.रोड/खडंजा निर्माण कार्य आदि 1. रामपाल से रामचरन के घर तक सी. सी. 2. हरसहाय से भारतवीर के घर तक सी. सी. 3. सत्यपाल से सोहनलाल के घर तक सी. सी. 4. हरद्वारी लाल से सोहनलाल के घर तक सी. सी. 5. विजेन्द्र से ख्याली राम के घर तक सी. सी. 6. श्यामाचरन से धर्मपाल के घर तक खडंजा/नाली.	205513.00 195459.00 67497.00 94989.00 52448.00 198964.00
	योग-	1126582.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवाही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रासनिक/वित्तीय स्वीकृति, सोलर लाईट का स्थापन प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1126582.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1126582.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री गिरिजा शंकर से धनराशि 1126582.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-परेवा कुईया,

आपत्ति सं०-36—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक कुल धनराशि रु 1555763.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1555763.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगपाल सिंह व सचिव श्री सूरजपाल से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण —

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु० में)
1.	मीना ब्रिक फील्ड	222600.00
2.	जय अंबे टेडर्स	30000.00
3.	जगपाल सिंह	54000.00
4.	सुरेश कुमार पुत्र श्री मलखान	81500.020
5.	जागरण प्रकाशन	4768.00
6.	जे0पी0जी0टेक्नोसॉफ्ट प्रा० लि०	1550.00
7.	विश्वास इंटरप्राइजेज	210450.00
8.	सुरेश जनरल ऑर्डर	121292.00
9.	अमर उजाला प्रकाशन	2000.00
10.	मॉ इंटरप्राइजेज	37271.00
11.	हरिशंकर	4725.00

12.	राजकुमारी नर्सरी	21800.00
13.	यू0आर0 इलेक्टिकल्स	747000.00
14.	बेनेट कोलमैन कं0 लि0	16807.00
	योग -	1555763.00

ग्राम पंचायत-भगवानपुर धीमरी,

आपत्ति सं0-37-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक कुल धनराशि रु 1057688.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1057688.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीमती किरन पटेल ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण -

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	अभिषेक सिंह (सचिव)	92000.00
2.	किरन पटेल (प्रधान)	385000.00
3.	बीरपाल सीमेंट स्टोर	297396.00
4.	जय अंबे टेडर्स	130000.00
5.	हरिओम सीमेंट स्टोर	30000.00
6.	ओम ब्रिक फील्ड	80000.00
7.	वाहिद	10000.00
8.	रामस्वरूप	10000.00
9.	संतोष कुमार पुत्र श्री मदन लाल	115000.00
10.	विकास	10000.00
11.	श्याम ब्रिक फील्ड	50000.00
12.	सचिन कुमार पुत्र श्री बेचे लाल	60000.00
13.	अलविष्ट इण्डस्ट्रीज	30000.00
14.	नवभारत पिगमेंट्स	30000.00
15.	अंश इलेक्टिकल्स	18500.00
16.	वे0 डी0टी0 इम्पोर्टियम	7400.00
17.	शिव इलेक्टिकल्स	200000.00
	योग -	1546296.00

ग्राम पंचायत नगरिया कला

आपत्ति सं0-38-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 28.02.19 तक कुल धनराशि रु 369769.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य

योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0,मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 369769.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बजरूल कमर व ग्राम पंचायत सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण –

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	खुशींद को भुगतान	60000.00
2.	गरीब नवाज ब्रिक	90000.00
3.	माँ इण्टरप्राइजेज	23857.00
4.	सकलैनी सीमेन्ट स्टोर	73960.00
5.	बजरूल कमर	60000.00
6.	इकरार	60000.00
7.	जागरण प्रकाशन लि0	1952.00
	योग	369769.00

ग्राम पंचायत-मल्हपुर

आपत्ति सं0-39-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्य योजना, टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक पंजिका ,माप पुस्तिका, डी0पी0सी0 9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान सचिव श्री विपिन पाण्डेय से लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख की मांग किये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव श्री अभिषेक सिंह द्वारा उनको कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण वह अभिलेख देने में असमर्थ है। पूर्व सचिव श्री अभिषेक सिंह से जब अभिलेखों की मांग की गई तो उन्होंने केवल कैशबुक ही उपलब्ध करवाये जिसके कारण केवल कैशबुक के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0,मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1309500.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण –

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	प्रधान द्वारा नगद आहरित	390760.00
2.	पौधारोपण पर व्यय	10000.00
3.	मनदेय	40000.00
4.	मिट्टी कार्य पर व्यय	53900.00
5.	प्रशासनिक व्यय	61170.00
6.	स्ट्रीट लाइट क्रय	198000.00
7.	नलमरम्मत पर व्यय	35000.00
8.	सफाई कार्य पर व्यय	45000.00
9.	कूडेदान क्रय	195000.00

10	फर्नीचर क्रय	198000.00
11	हैण्डपम्प रिबोर	82670.00
	योग	1309500.00

ग्राम पंचायत-कमुआ कला

आपत्ति सं0-40—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार माह नवम्बर 2018 से मार्च 2019 तक कुल धनराशि रु 1481792.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किये जाने की पुष्टि होती है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1481792.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भगवान देई व ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरजपाल से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण —

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	भगवान देई द्वारा आहरित	101000.00
2.	माँ भगवती ट्रेडर्स	356846.00
3.	हरिशंकर	6300.00
4.	संरग ब्रिक फील्ड	92291.00
5.	सुरेश कुमार पुत्र श्री मलखन	107090.00
6.	अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण	9810.00
7.	एम0के0 इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0	457500.00
8.	जे0पी0जी0 टेक्नोसाफ्ट प्रा0लि0	1550.00
9.	माँ इण्टरप्राइजेज	40308.00
10.	विनोद कुमार	10000.00
11.	विश्वास इण्टरप्राइजेज	297000.00
12.	आर0ई0जे0	2097.00
	योग	1481792.00

ग्राम पंचायत-लाहिया

आपत्ति सं0-41—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार माह अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक कुल धनराशि रु 2393964.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 2393964.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामश्री व ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरजपाल से

करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण –

क्रमांक	विवरण	धनराशि (₹0 में)
1.	धर्मपाल	67038.00
2.	जय अम्बे ब्रिक फील्ड	204742.00
3.	रामश्री	53000.00
4.	सुरेश कुमार पुत्र श्री मलखान	96000.00
5.	हरिशंकर	8155.00
6.	जीतपाल सिंह पुत्र श्री पूरन लाल	14000.00
7.	गजेन्द्र बाबू	15000.00
8.	जय अम्बे ट्रेडर्स	156661.00
9.	विकास बाबू पुत्र श्री श्याम पाल	50000.00
10.	कमल कुमार	2668.00
11.	जे0पी0 टेक्नोसाफ्ट प्रा0लि0	1550.00
12.	जगरण प्रकाशन	2100.00
13.	यू0आर0 इलेक्ट्रीकल्स	1482200.00
14.	गंगा रामपुत्र श्री परमाई लाल	30000.00
15.	अमर उजाला पब्लिकेशन	2000.00
16.	डी0जी0डिजिटल इण्डिया	3000.00
17.	सुरेश जनलर आर्डर	205850.00
	योग	2393964.00

ग्राम पंचायत-टांडा

आपत्ति सं0-42—ग्राम पंचायत टांडा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। दर्शित व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कराये गये कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य पंजिका, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति सत्यापन आख्याएँ आदि उपलब्ध करायी गई जिससे पुष्टि हो सके कि दर्शित व्यय नियमानुसार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

अतः निम्नानुसार दर्शित व्यय ₹ 2666788.00 जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये कि वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	विवरण	धनराशि (₹0 में)
1.	हैण्डपम्प लगवाई/मरम्मत	674400.00
2.	ईट	615803.00
3.	सीमेन्ट/सरिया आदि	412093.00
4.	मस्टर रोल (मजदूरी)	372200.00
5.	मानदेय	49000.00
6.	मिट्टी	111000.00
7.	मस्टर रोल (सफाई कार्य)	88000.00
8.	स्टेशनरी	7000.00
9.	डस्टबिन	192000.00
10.	अन्य	145292.00
	योग	2666788.00

उपरोक्त दर्शित व्यय मे प्रथम दृष्टया निम्न कमियाँ पायी गई है जो स्पष्ट करता है कि व्यय नियमानुसार नहीं है वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। वित्तीय अनियमितता बरती गई है। तथा धनराशि खुरद-बुर्द की गई है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

(क) मानदेय के मद में 49000.00 व्यय दर्शाया गया है जबकि वर्ष हेतु 42000.00 ही दर्शाया जा सकता है।

(ख) हैण्डपम्प लगवाई एवं मरम्मत पर दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य में कार्य योजना नहीं उपलब्ध करायी गई। नये हैण्डपम्प कहाँ-कहाँ लगवाये गये तथा हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर कराये गये उल्लेख नहीं है। इससे सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

(ग) सफाई कार्य हेतु मस्टर रोल द्वारा 88000.00 व्यय किया गया जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त है।

(घ) डस्टबिन पर व्यय 192000.00 किया गया। बैंक स्टेटमेंट अनुसार चेक संख्या 349496 द्वारा रु 60000.00 आर0के0 इलैक्ट्रीकल्स को भुगतान किया गया है। जबकि कैशबुक में आय पक्ष में टी0के0 इलैक्ट्रीकल्स को तथा व्यय पक्ष में टी0के0 इन्टरप्राइजेज को 15 डस्टबिन हेतु भुगतान दर्शित है।

(ड) ईट/सीमेन्ट/सरिया/सामग्री क्रय पर क्रय पूर्व प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

(च) सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में रु 129800.00 नकद आहरण कर व्यय दर्शाया गया जो अनियमित है।

(छ) प्रधान द्वारा भी निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि आहरण किया जाना आपत्तिजनक रहा। चेक द्वारा जो भुगतान किये गये हैं वह भी प्रायः एक व्यक्ति के नाम ही निर्गत है।

ग्राम पंचायत-गुरगावा मुस्तकिल,

आपत्ति सं0-43-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि रु 8402693.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलिवरी चालान टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 8402693.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी वर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरीश कुमार से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण -

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	लक्ष्मण प्रसाद	80000.00
2.	गिरीश कुमार (सचिव)	85000.00
3.	प्रमोद कुमार व अजय कुमार	70000.00
4.	रामऔतार वर्मा (प्रधानपति)	743500.00
5.	सुलमान एण्ड सन्स	3346000.00
6.	महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड	60000.00
7.	02/15 खाते में ट्रान्सफर	250000.00
8.	विनोद कुमार पुत्र कृष्णपाल	30000.00
9.	विश्वास पुत्र लक्ष्मण प्रसाद	304450.00
10.	उमेश कुमार व संजीव कुमार	40000.00
11.	राकेश कुमार वर्मा	455500.00
12.	पीरबाबा ब्रिक फील्ड	630000.00
13.	विपिन कुमार	40000.00

14.	धनपाल	5000.00
15.	मनोज कुमार	66000.00
16.	अमर उजाला	2310.00
17.	सेल्फ आहरित	85000.00
18.	लक्ष्मी वर्मा (प्रधान)	583500.00
19.	ग्रीन इण्डिया इण्टरप्राइजेज	328000.00
20.	बाके बिहारी ब्रिक	100000.00
21.	नगद आहरित	25000.00
22.	नान कस्टमर इन्टर ब्रान्च में ट्रान्सफर	235000.00
23.	दया राम नर्सरी	11500.00
24.	हाफिजुल रहमान	90000.00
25.	चन्द्र प्रकाश	45000.00
26.	सुनील कुमार वर्मा	30000.00
27.	देशराज बहेडी	60000.00
28.	भारत मशीनरी स्टोर	75000.00
29.	श्री साई ट्रेडर्स	100000.00
30.	ओम नमाय शिवाय ट्रेडर्स	120000.00
31.	सूरजपाल सिंह	55000.00
32.	पंचायत प्रिंटिंग प्रेस	11933.00
33.	विनोद कुमार	32000.00
34.	शिव ब्रिक फील्ड	50000.00
35.	हेमन्त कुमार	25000.00
36.	अखिलेश कुमार	40000.00
37.	धर्मवीर	93000.00
	योग	8402693.00

ग्राम पंचायत-खनगवां श्याम,

आपत्ति सं०-44-1 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.07.18 तक अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैशबुक के अनुसार किया गया है। वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0,मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलेवरी चालान टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1026050.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन जैन से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण -

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु० में)
1.	कादरी बिल्डिंग मैटेरियल	29784.00
2.	लक्ष्मी ब्रिक	353431.00
3.	मिटटी कार्य पर व्यय	50227.00
4.	मजदूरी पर व्यय	297700.00
5.	नल मरम्मत पर व्यय	52960.00
6.	फोटो स्टेट/फीडिंग पर व्यय	6995.00
7.	अमर उजाला पब्लिकेशन	2599.00

8.	सिंह ट्रेडर्स	74566.00
9.	लोधी ट्रेडर्स	34815.00
10.	शान ब्रिक फील्ड	122973.00
	योग	1026050.00

ग्राम पंचायत-खनगवां श्याम,

आपत्ति सं0-44-2 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.08.18 से 31.03.19 तक अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैशबुक के अनुसार किया गया है। वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0,मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलेवरी चालान टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 2928954.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेश पाल सागर से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण –

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	हैण्डपम्प मरम्मत	118800.00
2.	एल0ई0डी0लाईट क्रय	400000.00
3.	कूड़ादान	65000.00
4.	ठेली मरम्मत	8000.00
5.	सफाई कार्य	45000.00
6.	दयाराम नर्सरी	11500.00
7.	मानदेय	49000.00
8.	मजदूरी	349300.00
9.	सीमेन्ट क्रय कवील अहमद द्वारा	43878.00
10.	बालाजी ब्रिक	52283.00
11.	लक्ष्मी ब्रिक	631363.00
12.	लोहे का जाल	145000.00
13.	वादरी बिल्डिंग मैटेरियल	126931.00
14.	बैन्च क्रय	366000.00
15.	मिट्टी कार्य	27100.00
16.	ग्राम निधि 6 में हस्तान्तरण	438000.00
17.	पंचायत प्रिन्टिंग प्रेस	11933.00
18.	पंजाब ट्रेडर्स	30000.00
19.	विद्युत कनेक्शन पर व्यय	9810.00
20.	माह जुलाई में शेष नगद धनराशि को अगस्त माह के प्रारम्भिक अवशेष में शामिल न करना	56.00
	योग	2928954.00

ग्राम पंचायत-बसन्तपुर,

आपत्ति सं0-45 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.2019 तक अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैशबुक के अनुसार किया गया है। वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर , कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध

हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना ,स्टीमेट ,रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0,मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलेवरी चालान टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गई धनराशि रु 1605773.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किए गए धनराशि का विवरण –

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1.	हैण्डपम्प मरम्मत	257621.00
2.	सफाई पर व्यय	40000.00
3.	ग्राम निधि-6 में ट्रान्सफर	114000.00
4.	मिट्टी पर व्यय	100750.00
5.	डस्टविन क्रय	38350.00
6.	ईट क्रय	263248.00
7.	ठेली मरम्मत	8000.00
8.	सीमेन्ट रेत बजरफुट	252813.00
9.	मजदूरी	371084.00
10.	मानदेय	42000.00
11.	पेंटिंग	17750.00
12.	पंचायत प्रिंटिंग प्रेस	23733.00
13.	पत्रकार (हरीश)	13500.00
14.	सप्रे मशीन क्रय	9424.00
15.	सामान ढुलाई	3500.00
16.	दयाराम नर्सरी	50000.00
	योग	1605773.00

ग्राम पंचायत-ढकनी रजपुरी

आपत्ति सं0-46-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान (ग्राम निधि 1) के सापेक्ष कियेगये व्यय रु0 4160243.00 (प्रिया सॉफ्ट अनुसार) की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कोषबही,बिल वाउचर्स,बैंक स्टेटमेंट,कार्ययोजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य समस्त अभिलेख जो लेखा परीक्षा के समय आवश्यक रूप से रखे जाते हैं, लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0 4160243.00 बिना किसी अभिलेख तथा बिना बिल/वाउचर (लेखा परीक्षा में अप्राप्त) के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है (उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 से लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी जो कि लेखा परीक्षा हेतु नोडल अधिकारी भी है तथा वर्तमान कार्यरत सचिव से सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से बराबर पत्राचार किया गया परन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये) जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व 2018-19 में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व तात्कालीन सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गांगेपुरा,

आपत्ति सं०-47—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान(ग्राम निधि 1) के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 1334198.00 (प्रियासॉफ्ट अनुसार)की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कोषबही, बिल वाउचर्स, बैंक स्टेटमेन्ट, कार्ययोजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य समस्त अभिलेख जो लेखा परीक्षा के समय आवश्यक रूप से रखे जाते हैं, लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु० 1334198.00 बिना किसी अभिलेख तथा बिना बिल /वाउचर (लेखा परीक्षा में अप्राप्त) के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है (उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 से लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी जो कि लेखा परीक्षा हेतु नोडल अधिकारी भी है तथा वर्तमान कार्यरत सचिव से सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से बराबर पत्राचार किया गया परन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये) जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व 2018-19 में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व तात्कालीन सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—सिंघाई कला,

आपत्ति सं०-48—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान(ग्राम निधि 1) के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 1350867.00(प्रिया सॉफ्ट अनुसार)की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कोषबही, बिल वाउचर्स, बैंक स्टेटमेन्ट, कार्ययोजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य समस्त अभिलेख जो लेखा परीक्षा के समय आवश्यक रूप से रखे जाते हैं, लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु० 1350867.00 बिना किसी अभिलेख तथा बिना बिल/वाउचर (लेखा परीक्षा में अप्राप्त) के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है (उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 से लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी जो कि लेखा परीक्षा हेतु नोडल अधिकारी भी है तथा वर्तमान कार्यरत सचिव से सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से बराबर पत्राचार किया गया परन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये) जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व 2018-19 में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व तात्कालीन सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बेवल बरकतपुर

आपत्ति सं०-49—आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान(ग्राम निधि 1) के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 4442996.00 (प्रिया सॉफ्ट अनुसार)की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कोषबही, बिल वाउचर्स, बैंक स्टेटमेन्ट, कार्ययोजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य समस्त अभिलेख जो लेखा परीक्षा के समय आवश्यक रूप से रखे जाते हैं, लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु० 4442996.00 बिना किसी अभिलेख तथा बिना बिल/वाउचर (लेखा परीक्षा में अप्राप्त) के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है (उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 से लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी जो कि लेखा परीक्षा हेतु नोडल अधिकारी भी है तथा वर्तमान कार्यरत सचिव

से सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से बराबर पत्राचार किया गया परन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये) जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व 2018-19 में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व तात्कालीन सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-वसुपुरा,

आपत्ति सं0-50- आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु0 2040088.50 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पिपरा नानकार,

आपत्ति सं0-51- निम्न तिथियों में श्री छेदा लाल को नकद भुगतान कोषबही में दर्शाया गया है

8.5.2018-100000.00

9.5.2018-50000.00

उक्त भुगतान के विवरण में श्री छेदा लाल लिखा गया है। अर्थात् भुगतान श्री छेदा लाल को किया गया है। आवश्यक ब्याज सहित वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भुड़वा ,

आपत्ति सं0-52 माह अप्रैल 2018 में ग्राम पंचायत को कुल आय 767785.00 कोषांकित है जिसके विपरित व्यय पक्ष में निम्न प्रकार व्यय कोषांकित किया गया है।

1-खाते में जमा-356635.00

2-श्री विनोद व्यास ग्राम पं0अधि0-205280.00

3-श्रीमती आसमा बेगम-205280.00

4-बैंक चार्ज-590

उक्त से स्पष्ट है कि रु0 205280.00 व 205280.00 कुल 410560.00 का व्यय कहाँ-2 किया गया अज्ञात है। इस प्रकार रु0 410560.00 का अपहरण क्रम सं0 2 व 3 पर अंकित नामदारों द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त से मय ब्याज करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित है।

ग्राम पंचायत-बढेपुरा,

आपत्ति सं0-53- आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी, सामग्री क्रय की पुष्टि में

टेण्डर/कुटेशन ,स्टाक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु0 791883.45 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जासपुर,

आपति सं0-54-आलोच्य वर्ष 2018-2019 में ग्राम पंचायत जासपुर विकासखण्ड भदपुरा बरेली द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय प्रियासॉफ्ट पर दर्शित किया गया है-

क्रम सं0	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि
1	मानदेय	40500.00
2	हैण्डपम्प रिपेयर	10000.00
3	प्रशासनिक व्यय	10000.00
4	नल रिबोर	20500.00
5	एम0 आर0	10000.00
6	वृक्षारोपण	20000.00
7	डस्टबीन	34975.00
8	स्ट्रीट लाईट	45000.00
9	सफाई	5000.00
	योग -	195975.00

लेखा परीक्षा में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम.बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मास्टररोल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, जल निगत द्वारा देय नल रिबोर करवाने हेतु पुर्वानुमति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग नोडल अधिकारी पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्डविकास अधिकारी भदपुरा से दिनांक 14.04.2019, 07.05.2019, 20.06.2019, 02.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 14.08.2019, 06.03.2020, 13.03.2020 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 10.07.2019 व 17.07.2019 के माध्यम से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से दिनांक 07.03.2020 द्वारा की गयी। कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली द्वारा पत्रांक 1721-27 दिनांक 04.03.2020 द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करावाये जाने की अपेक्षा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 195975.00 का अपहरण कर लिया है।

ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में, दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 195975.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री अरविन्द पाण्डेय व प्रधान श्री अमित कुमार से धनराशि 195975.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार किये जाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कुवरपुर,

आपति सं0-55-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार माह अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 तक कुल धनराशि रु0 333353.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किये गये जाने की पुष्टि होती है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैशबुक लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई विल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेन्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 मानदेय रजि0 सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजि0 आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गयी धनराशि रू0 333353.00 बिना विल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव आनन्द से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किये गये धनराशि का विवरण:-

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
01	पम्प द्वारा आहरित	4900.00
02	पूरन लाल	4800.00
03	रामवती	40000.00
04	विनोद कुमार	5000.00
05	दयाराम नर्सरी	12700.00
06	पंचायत उद्योग	17833.00
07	किशन कुमार	5000.00
08	धर्मपाल	111200.00
09	शिवम् इण्टरप्राइजेज	116800.00
10	यूनिड इक्यूपमेंट प्रा0लि0	15120.00
	योग-	333353.00

ग्राम पंचायत-झाउनगला ,

आपति सं0-56-आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक के अनुसार व्यय किये गये जाने की पुष्टि होती है। वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर, कैशबुक लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई विल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेन्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 मानदेय रजि0 सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजि0 आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गयी धनराशि रू0 703693.00 बिना विल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जावित्री व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय किये गये धनराशि का विवरण:-

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
01	मजदूरी	244393.00
02	ईंट	67000.00
03	वाल पेंटिंग	16470.00
04	हैण्डपम्प मरम्मत	63533.00
05	मानदेय	42000.00
06	प्रचार-प्रसार	6000.00
07	ग्रिल/जाल/डिप	41000.00
08	मिट्टी पर व्यय	48940.00

09	स्टेशनरी पर व्यय	4000.00
10	सफाई पर व्यय	28000.00
11	सीमेंट बजरफुट आदि	30000.00
12	डस्टबिन	38350.00
13	बैग क्रय	5900.00
14	प्रशासनिक व्यय	12700.00
15	फांगिंग मशीन क्रय	32407.00
16	दयाराम नर्सरी	23000.00
	योग	703693.00

ग्राम पंचायत-वीरपुर उर्फ कासमनगर ,

आपति सं0-57-ग्राम पंचायत की रोकड़वही/बैंक स्टेटमेंट में अंकित विवरणानुसार माह अप्रैल, मई व जून-18 में निम्नानुसार व्यय अंकित किया गया है।

माह का नाम	प्रमाणक सं0/दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतानित राशि
अप्रैल	01/10.04.18	ए.एन. के इंटरप्राइजेज	15000.00
अप्रैल	02/10.04.18	ए.एन. के इंटरप्राइजेज	15000.00
मई	03/15.05.18	मस्टर रोल का भुगतान	14895.00
जून	04/28.06.18	मस्टर रोल का भुगतान	10045.00
जून	05/28.06.18	अग्रवाल फोटो स्टेट को भुगतान	60.00

योग- 55000.00

उक्तानुसार किये गए व्ययों/कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, स्टीमेंट, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, संपत्ति पंजिका, सार्वजनिक कार्यों का निर्माण पंजिका आदि लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 55000.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व तात्कालीन ग्राम प्रधान से करते हुए उनके विरुद्ध उचित वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत-मांडा ,

आपति सं0-58-लेखा परीक्षा में दिनांक 01.08.18 से 31.03.19 तक की ही कैश बुक प्रस्तुत की गयी। जबकि दिनांक 01.04.18 से 31.07.18 तक की कैश बुक व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिसके संबंध में अवगत कराया गया कि तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित प्रकाश द्वारा उक्त अवधि का कैश बुक, व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख चार्ज में नहीं दिए जाने के कारण ही ये अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उक्त अवधि में बैंक स्टेटमेंट अनुसार निम्नानुसार कुल रु0 1036262.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	दिनांक	जिसके द्वारा/जिसके पक्ष में धन आहरित किया गया है।	आहरित धनराशि	अभ्युक्ति
01	04.06.18	लज्जावती	5000.00	प्रधान द्वारा नगद आहरित
02	04.06.18	लज्जावती	5000.00	प्रधान द्वारा नगद आहरित
03	04.06.18	ग्राम निधि 6 के खाते में हस्तांतरित	984000.00	शौचालय मद की राशि
04	06.06.18	पलक आर्ट	15000.00	चेक द्वारा आहरित
05	06.06.18	पलक आर्ट	8954.00	चेक द्वारा आहरित
06	09.07.18	02/319	18308.00	धन हस्तांतरित
07		योग-	1036262.00	

उक्त से स्पष्ट है कि तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान द्वारा एक सुनियोजित तरीके से ग्राम पंचायत के खाते से धन का आहरण कर उसका अपहरण कर लिया गया है। इसलिए ही इसका कोई भी अभिलेख जानबूझकर तैयार नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैन्यूल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में व्यय की गयी धनराशि 1036262.00 बिना कैश बुक, बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रथम दृष्टया तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से करते हुए उनके विरुद्ध उचित वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत-बिल्वा ,

आपति सं0-59—रोकड़वही पर अंकित विवरणानुसार माह अप्रैल 18 में निम्न प्रकार से सामग्री क्रय पर कुल रु0 52392.00 का भुगतान किया गया है।

क्रम संख्या	फर्म का नाम	प्रमाणक सं0 व दिनांक	चेक संख्या	भुगतानित राशि	अभ्युक्ति
01	चौधरी बिल्डिंग मैटे0	01/03.04.18	499	15000.00	सामग्री क्रय
02	चौधरी बिल्डिंग मैटे0	02/03.04.18	501	11768.00	सामग्री क्रय
03	चौधरी बिल्डिंग मैटे0	03/03.04.18	500	15000.00	सामग्री क्रय
04	किसान ब्रिक इंडस्ट0	04/04.04.18	502	10624.00	सामग्री क्रय
			योग	52392.00	

उक्त के संबंध में निम्न आपत्ति उल्लेखनीय रही है—

- लेखा परीक्षा में उक्त क्रय से संबंधित प्रमाणक अनुपलब्ध रहा है। जिससे इनके क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- उक्त सामग्री के उपयोग की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल का विवरण/अंकन कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया।

स्पष्ट है कि उक्त फर्म से साठ गांठ कर सामग्री क्रय काल्पनिक रूप से दर्शित कर रु0 52392.00 का अपहरण तात्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी कोई भी बिल/वाउचर जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 52392.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी (जिनका विवरण अप्राप्त रहा) व ग्राम प्रधान से करते हुए उनके विरुद्ध उचित वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत-जामसावंत जनुवी,

आपति सं0-60—प्रमाणक सं0 02 दिनांक 06.04.18 से रुबी ब्रिक सेंटर से प्रा0 पा0 की सुरक्षा दीवार हेतु रु0 70000.00 ईट क्रय किया गया है। ईट के प्रयोग की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों से नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि तात्कालीन सचिव जो इस ग्राम पंचायत पर 26.07.18 तक कार्यरत रहे हैं। (रोकड़वही पर इनके हस्ताक्षर से स्पष्ट होता है) तक क्रय ईट के प्रयोग की पुष्टि में कोई भी मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक रोकड़वही में अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि या तो ईट क्रय ही नहीं किया गया या फिर क्रय कर ईट का अपहरण कर लिया गया है। जिस प्रति तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरेन्द्र सिंह मरतोलिया व प्रधान श्री मो0 अकरम समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप से किए जाने के प्रति सक्षम अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत-टेहरा ,

आपति सं0-61—रोकड़वही पर अंकित विवरणानुसार प्रमाणक सं0 02 दिनांक 03.04.18 से प्रधान मानदेय 42000.00 का भुगतान चेक सं0 666603 से किया गया है। प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह भुगतान गत एक वर्ष के मानदेय का किया गया है। मानदेय भुगतान समयानुसार नहीं करने का कारण अस्पष्ट रहा। यह भुगतान गत वर्ष नहीं किया गया था, कि पुष्टि में गत वर्ष की रोकड़वही व मानदेय पंजिका

लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष आलोच्य की प्रस्तुत रोकड़वही पर यह अंकित नहीं किया गया है कि यह मानदेय किन किन माहों का है। भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर कृत भुगतान की पुष्टि करायी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई विल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। तदनुसार तात्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत-गरीबपुरा,

आपति सं0-62-प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 06.04.18 से 02.05.18 तक निम्नानुसार विभिन्न दिनांकों में कुल रू0 227488.00 बैंक से आहरित राशि को कोषवही में कोषांकन न कर उसका अपहरण तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा कर लिया गया है। वर्तमान सचिव द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह धनराशि तात्कालीन सचिव श्री बिपीन कुमार सक्सेना द्वारा आहरित किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली संबंधित से किए जाने के प्रति सक्षम अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त के कारण ही दिनांक 31.03.19 में रोकड़वही अनुसार बैंक में अवशेष रू0 227488.00 से बैंक की अपेक्षा ज्यादा जमा दर्शित है।

क्रम सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	अन्य
1	06.04.18	1000.00	—
2	10.04.18	20000.00	—
3	10.04.18	20000.00	—
4	10.04.18	5000.00	—
5	10.04.18	5000.00	—
6	10.04.18	5000.00	—
7	27.04.18	5000.00	—
8	27.04.18	5000.00	—
9	27.04.18	5000.00	—
10	27.04.18	5000.00	—
11	27.04.18	5000.00	—
12	27.04.18	5000.00	—
13	27.04.18	5000.00	—
14	27.04.18	1800.00	—
15	27.04.18	7433.00	
16	01.05.18	5145.00	—
17	01.05.18	10000.00	—
18	01.05.18	19740.00	—
19	02.05.18	19754.00	—
20	02.05.18	35467.00	—
21	02.05.18	20354.00	—
22	02.05.18	16795.00	—
	योग-	227488.00	—

ग्राम पंचायत-करपिया किसानन,

आपति सं०-63—लेखा परीक्षा टिप्पणी—लेखा परीक्षा में मस्टर रोल/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।

01— ग्राम पंचायत करपिया किसानान की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कराये गये कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य पंजिका, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति, सत्यापन आख्याएँ आदि उपलब्ध करायी गयी जिससे पुष्टि हो सके कि दर्शित व्यय नियमानुसार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः निम्नानुसार दर्शित व्यय रु० 1705854.00 जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये की वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

हैंडपम्प मरम्मत	— 152800.00
ईट	— 179706.00
सीमेन्ट/सरिया आदि	— 422218.00
मस्टर रोल (मजदूरी)	— 277500.00
मानदेय	— 31500.00
मिट्टी	— 91500.00
डस्टबिन	— 60000.00
अन्य	— 115630.00
फनीफचर	— 375000.00
योग	— 1705854.00

उपरोक्त दर्शित व्यय में प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गयी है जो स्पष्ट करता है कि व्यय नियमानुसार नहीं है वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। वित्तीय अनियमितता बरती गयी है तथा धनराशि खुर्द-बुर्द की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क— फनीचर स्कूल हेतु 375000.00 को क्रय किया जाना अंकित है। क्रय से पूर्व की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। कार्य योजना व स्वीकृति की स्थिति अज्ञात हैं

ख— हैंडपम्प मरम्मत कहां-कहां कराये गये उनके मांग पत्र/आवेदन पत्र अनुपलब्ध है। अतः मरम्मत कराये जाने से पूर्व की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी।

ग— ईट/सीमेन्ट/सामग्री आदि क्रय पर क्रय पूर्व प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। स्टॉक पंजिका तैयार नहीं की गयी। अतः आमद भी अपुष्ट रही।

घ— प्रधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि आहरण की गयी जो आपत्तिजनक रहा। चेक द्वारा जो भुगतान किये गये हैं, वह भी प्रायः एक व्यक्ति के नाम ही निर्गत है।

ड— सफाई कार्य हेतु मस्टर रोल द्वारा 20000.00 व्यय किया गया जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं।

ग्राम पंचायत—दलीपपुर,

आपति सं०-64—

लेखा परीक्षा टिप्पणी— लेखा परीक्षा में मस्टर रोल/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।

01— ग्राम पंचायत दलीपपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कराये गये कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य पंजिका, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति, सत्यापन आख्याएँ आदि उपलब्ध करायी गयी जिससे पुष्टि हो सके कि दर्शित व्यय नियमानुसार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः निम्नानुसार दर्शित व्यय रु० 1018147.00 जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये की वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

हैंडपम्प मरम्मत	— 38800.00
ईट	— 193000.00
सीमेन्ट/सरिया आदि	— 291100.00
मस्टर रोल (मजदूरी)	— 210800.00
मस्टर रोल(सफाई/जे0सी0बी0	— 61500.00
मानदेय	— 42000.00
डस्टबिन	— 40000.00
अन्य	— 110947.00
फर्नीचर	— 15000.00
यात्रा भत्ता	— 15000.00
योग	— 1018147.00

उपरोक्त दर्शित व्यय में प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गयी है जो स्पष्ट करता है कि व्यय नियमानुसार नहीं है वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। वित्तीय अनियमितता बरती गयी है तथा धनराशि खुरद-बुर्द की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क— हैंडपम्प मरम्मत कहां-कहां कराये गये उनके मांग पत्र/आवेदन पत्र अनुपलब्ध है। अतः कराये गए कार्य अपुष्ट हैं तथा मरम्मत कार्य कराये जाने से पूर्व की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

ख— ईट/सीमेंट/सामग्री आदि क्रय पर क्रय पूर्व प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। स्टॉक पंजिका तैयार नहीं की गयी। अतः आमद भी अपुष्ट रही।

ग—सफाई कार्य पर मस्टर रोल द्वारा 41500.00 व्यय दर्शाया गया तथा जे0सी0बी0 मशीन से सफाई पर व्यय 20000.00 दर्शाया गया। जे0सी0बी0 से कार्य कराया जाना वित्तीय अनियमितता रही तथा सफाई कार्य पर दर्शाया गया भुगतान अनियमित रहा जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारी नियुक्त है।

घ— प्रधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि आहरण कर नकद व्यय दर्शाया गया।

ड—सचिव द्वारा स्वयं के नाम से रू0 30000.00 एवं 20000.00 कुल 50000.00 क्रमशः दिनांक 17.04.2018 से 18.04.2018 को आहरण कर मस्टर रोल पर व्यय एवं ईट क्रय पर व्यय नकद दर्शाया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है।

च— प्रधान को यात्रा भत्ता 15000.00 भुगतान दिनांक-05.03.2019 को क्यों किया गया। स्पष्ट नहीं है। जबकि प्रधान को नियमित मानदेय भुगतान किया गया है।

छ— हरिओम सीमेन्ट स्टोर को दिनांक-23.04.2018 को 100000.00 का भुगतान चेक सं0 385546 से किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 89895.00 का सामग्री क्रय दर्शित है।

ज— दिनांक-05.02.2019 को चेक सं0 385598 से रू0 12000.00 का भुगतान गुप्ता ट्रेडर्स को किया गया है। जो फर्म को भुगतान है, परन्तु कैश बुक में सफाई कार्य पर व्यय दर्शाया गया।

झ—निम्न भुगतान क्यों किए गए स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया, जिससे किया गया भुगतान फर्जी दर्शित प्रतीत होता है।

दिनांक	धनराशि	नाम
02.03.2019	5000.00	अजय कुमार गुप्ता
02.03.2019	15000.00	अजय कुमार गुप्ता
05.03.2019	10000.00	मो0 ताहिर मसूडी
07.03.2019	12000.00	वेद प्रकाश यादव

ञ—दिनांक 19.04.2018 को चेक सं0 385550 से 100000.00 का भुगतान रजत जयसवाल को किया गया जिसके सापेक्ष कैश बुक में दिनांक 19.04.2018 को हरिओम सीमेन्ट स्टोर को सीमेन्ट हेतु 49805.00 एवं मस्टर रोल पर 50000.00 दर्शाया गया। शेष धनराशि अन्य तिथि में दिनांक 23.04.2019 में दर्शित है। जो धनराशि को खुरद-बुर्द किये जाने को दर्शाता है।

ग्राम पंचायत-सरदारनगर ,

आपति सं0-65—लेखा परीक्षा टिप्पणी— लेखा परीक्षा में मस्टर रोल/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।

01— ग्राम पंचायत सरदारनगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं। दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कराये गये कार्य की

पुष्टि में निर्माण कार्य पंजिका, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति, सत्यापन आख्याएँ आदि उपलब्ध करायी गयी जिससे पुष्टि हो सके कि दर्शित व्यय नियमानुसार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः निम्नानुसार दर्शित व्यय रू0 4278167.00 जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

हैंडपम्प मरम्मत	— 51622.00
हैंडपम्प रिवोर	— 384000.00
ईट—	— 362323.00
सीमेन्ट/सामग्री	— 1262250.00
मस्टर रोल (मजदूरी)	— 429600.00
मस्टर रोल सफाई कार्य	— 100000.00
मानदेय	— 21000.00
मिट्टी	— 21500.00
सोलर लाईट	— 491000.00
फर्नीचर	— 400000.00
डस्टबिन	— 138080.00
अन्य	— 234252.00
स्ट्रीट लाईट	— 382500.00
योग	— 4278167.00

उपरोक्त दर्शित व्यय में प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गयी है जो स्पष्ट करता है कि व्यय नियमानुसार नहीं है वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। वित्तीय अनियमितता बरती गयी है तथा धनराशि खुरद-बुरद की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क— हैंडपम्प मरम्मत कहां-कहां कराये गये उनके मांग पत्र/आवेदन पत्र अनुपलब्ध है। अतः कराये गए कार्य अपुष्ट हैं तथा मरम्मत कार्य कराये जाने से पूर्व की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

ख—हैंडपम्प रिवोर पर 384000.00 व्यय दर्शित है। इससे संबंधित कार्य योजना उपलब्ध नहीं करायी गई तथा न ही वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्रावली उपलब्ध कराई गई। हैंडपम्प रिवोर कहां कहां कराए गए स्थान का भी उल्लेख नहीं है।

ग—ईट/सीमेंट/सामग्री आदि क्रय पर क्रय पूर्व प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। स्टॉक पंजिका तैयार नहीं की गयी। अतः आमद भी अपुष्ट रही।

घ—ग्राम पंचायत सफाई कार्य पर 100000.00 के मस्टर रोल द्वारा व्यय दर्शाया गया, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी नियमित कार्यरत है।

ड— सोलर लाईट पर 491000.00 तथा स्ट्रीट लाईट पर व्यय रू0 382500.00 दर्शाया गया है। जिससे संबंधित कार्य योजना एवं सक्षम अधिकारी की वित्तीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाईट लगाए जाने से पूर्व की समस्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई।

च—फर्नीचर पर रू0 400000.00 दर्शित है इससे संबंधित टेण्टर कुटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वित्तीय स्वीकृति की गयी अथवा नहीं तथा कार्य योजना स्वीकृत है अथवा नहीं की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।

छ— प्रधान द्वारा विभिन्न तिथियों में निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि आहरण कर नकद व्यय दर्शाया गया। जो वित्तीय अनियमितता है। चेक द्वारा जो भुगतान किये गये हैं वह भी प्रायः एक व्यक्ति के नाम ही निर्गत है।

ज— चेक सं0 426020 से अजय प्रताप सिंह को दिनांक 10.09.2018 को रू0 10.000 का भुगतान किया जाना बैंक स्टेटमेंट से स्वतः स्पष्ट है। परंतु इसके सापेक्ष कैश बुक में व्यय मिट्टी हेतु रू0 2000 दर्शित है शेष अन्य व्यक्ति रजत जायसवाल को दिनांक— 12.09.2018 को नकद किया गया जो अनियमितता को स्वतः स्पष्ट करता है।

झ— सादिक सीमेन्ट स्टोर को विभिन्न चेकों के माध्यम से रू0 574500.00 का भुगतान किया गया जबकि कैश बुक अनुसार रू0 697898.00 भुगतान किया गया है। अतः रू0 123398.00 का भुगतान

नकद किया गया। (नकद भुगतान दिनांक 25.10.2018 से 19.10.2018 के मध्य का रहा)। फर्म को नकद भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है।

ग्राम पंचायत-मियाँपुर ,

आपत्ति सं0-66-1—ग्राम पंचायत— मियाँपुर क्षेत्र पंचायत नवाबगंज एवं जनपद बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

2— आलोच्य वर्ष 2018-19 के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या— 00760100006698 से निम्न लिखित विवरणानुसार बैंक से धनराशि आहरण किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में न तो कैशबुक प्रस्तुत रहा और न ही व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, निर्माण कार्य रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर, एमबी आदि उपलब्ध रहा। विवरण निम्नवत है।—

तिथि	चेक संख्या	विवरण	धनराशि	अभियुक्ति
02.05.2018	256	वृत्ति कन्स्ट्रक्शन मटेरियल को	49000.00	—
01.06.2018	258	गिरजा शंकर को	15000.00	—
08.06.2018	257	वृत्ति इन्फोटेक	49000.00	कम्प्युटर वर्क प्रियासॉफ्ट फीडिंग
		योग—	113000.00	

उक्त आहरण रू0 113000.00 के व्यय से संबंधित लेखा परीक्षा में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी कार्यवाही, रजिस्टर, स्टीमेट, निर्माणकार्य रजिस्टर, एमबी व स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार वांछित अभिलेख के अभाव में सामग्री आमद/प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2018 के चेक संख्या 257 से रू0 49000.00 वृत्ति इन्फोटेक को भुगतान दर्शित रहा, जो कम्प्युटर वर्क— प्रियासॉफ्ट व कार्ययोजना फीडिंग आदि कार्य हेतु भुगतान किया जाता है किन्तु कम्प्युटर कार्य हेतु (ग्राम पंचायत को) अत्यधिक एवं अनावश्यक व्यय दर्शित रहा। इस प्रकार उक्त विवरणानुसार धनराशि रू0 113000.00 का अपहरण किए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उत्तम कुमार एवं ग्रा0 वि0अ0 श्री मुकेश शर्मा समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मियाँपुर ,

आपत्ति सं0-67-2—आलोच्य वर्ष 2018-19 के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या— 00760100006698 से निम्न लिखित विवरणानुसार बैंक से आहरण किया गया है, किन्तु उक्त आहरण धनराशि को कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत रहा।

तिथि	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
05.12.2018	268	गोल्डेन ब्रिक फील्ड को	11761
05.12.2018	281	गोल्डेन ब्रिक फील्ड को	7580.00
31.12.2018	284	वृत्ति कन्स्ट्रक्शन मटेरियल को	96374.00
		योग—	115715.00

उक्त आहरण रू0 115715.00 से संबंधित कैशबुक में न तो प्रविष्टि रही और न ही व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, निर्माणकार्य रजिस्टर, एमबी व स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध रहा। भुगतान संबंधित चेक फर्म/आपूर्तिकर्ता को दर्शित रहा, किन्तु कैशबुक में बैंक से आहरण एवं व्यय प्रविष्टि तथा वांछित अभिलेख के अभाव में सामग्री आमद एवं प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः धनराशि रू0 115715.00 का अपहरण किए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उत्तम कुमार एवं ग्रा0 वि0 अ0 श्री वीर पाल समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-घाटमपुर ,

आपत्ति सं0-68—ग्राम पंचायत—घाटमपुर, क्षेत्र पंचायत—नवाबगंज एवं जनपद बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

2- कैशबुक व ग्राम निधि-1 के खाता संख्या 00760100006726 के अनुसार दिनांक 02.07.2018 को प्रणय हार्डवेयर पेंट को चेक संख्या 568 द्वारा रू0 6760.00 भुगतान दर्शित रहा। किन्तु उक्त फर्म से किस कार्य एवं कार्यस्थल हेतु कौन सी सामग्री क्रय रही, कैशबुक में उल्लेख नहीं रहा। प्रमाणक व कार्य एवं कार्यस्थल के अभाव में व्यय अपुष्टि रहा। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं पारदर्शिता के धनराशि रू0 6760.00 के अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शांति पाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त की वसूली मय ब्याज हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3-कैशबुक के अनुसार माह जुलाई 2018 के प्रारम्भिक रोकड़ शेष से रू0 3000.00, जिसे सम्मिलित करते हुए माह जुलाई 2018 के आय पक्ष का कुल योग रू0 44348.00 होता है और व्यय पक्ष का योग रू0 37448.00 रहा, जिसके अनुसार माह का अंतिम रोकड़ शेष रू0 6900.00 होता है, किन्तु इसके स्थान पर मात्र रू0 3900.00 ही अंकित किया गया है। इस प्रकार माह की प्रारम्भिक रोकड़ शेष रू0 3000.00 को माह में न तो व्यय किया गया है और न ही मासांत के रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार कैशबुक के अनुसार मासांत रोकड़ शेष रू0 6900.00 है। जिसे तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार द्वारा न तो रोकड़ शेष के चार्ज का आदान-प्रदान किया गया है और न ही उक्त रोकड़ शेष को व्यय किया गया और न ही वर्षांत में 31.03.2019 व रोकड़ शेष के रूप में दर्शित रहा। अतः उपरोक्त अनुसार रोकड़ शेष रू0 6900.00 को कैशबुक से समाप्त कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शांति पाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

4- दिनांक-21.08.2018 को कैशबुक के अनुसार चेक संख्या 426 द्वारा रू0 9000.00 भुगतान, जो बैंक स्टेटमेंट में नामे विवरण दर्शित नहीं रहा और दिनांक 29.08.2018 को चेक संख्या 427 द्वारा रू0 10000.00 संजय गंगवार को नगद भुगतान दर्शित रहा, किन्तु बैंक से आहरित धनराशि को कैशबुक में प्रविष्टि न कर के रू0 19000.00 अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शांति पाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

5- दिनांक 10.09.2018 को कैशबुक के अनुसार चेक संख्या 428 द्वारा रू0 7000.00 जो बैंक स्टेटमेंट में शांति पाल द्वारा नगद आहरण रहा और प्रधान को मानदेय रू0 7000.00 भुगतान दर्शित किया गया है किन्तु कैशबुक में मानदेय वावत माह अंकित नहीं रहा, जबकि गत माह अगस्त 2018 का मानदेय रू0 3500.00 दिया गया है और तिथि 14 जनवरी 2019 को 5 माह, सितम्बर 18 से जनवरी 19, तक रू0 17500.00 भुगतान दर्शित रहा। और दिनांक 28.03.19 को बावत माह फरवरी व मार्च 2019 हेतु रू0 7000.00 भुगतान रहा। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कैश बुक के अनुसार माह अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक का मानदेय अवधि का उल्लेख रहा। जो नियमतः 12 माह का है। इस प्रकार बीच में अवशेष मानदेय अवधि नहीं बचता है, और किसी प्रकार के अवशेष कि पुष्टि में मानदेय रजिस्टर प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार दिनांक 10.09.2018 को प्रधान द्वारा आहरित नगद धन रू0 7000.00 बिना माह विवरण प्रमाणक के मानदेय व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शांति पाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खुटिया

आपत्ति संख्या-69 आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1042500.00 अनुदान की धनराशि का अहरण एवं रू0 1282.00 बैंक कटौती बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी कोई भी बिल/बाउचर आदि अभिलेख जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुयल के अध्याय-8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट, रूप पत्र 41, एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन पत्रावली स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी एक रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट

पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर व व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0 1042500.00 (बैंक कटौती रु0 1282.00) बिना बिल/बाउचर व उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी (जिनका विवरण अप्राप्त रहा) व तत्कालीन ग्राम प्रधान से करते हुए उनके विरुद्ध, उचित वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। (ग्राम पंचायत भैरपुर खजुरिया सा0 आय0 संख्या-24)

आपित्त संख्या-70 आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी कोई भी बिल/बाउचर जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुयल के अध्याय-8 की धारा-8क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि के गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, रूप-पत्र-41, एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय-समय पर आयकर व व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है। एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0 319115.00 बैंक कटौती रु0 200.00 सहित बिना बिल/बाउचर व उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी (जिनका विवरण अप्राप्त रहा) व तत्कालीन ग्राम प्रधान से करते हुए उनके विरुद्ध उचित वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1	सामग्री व ईट क्रय	208200.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
2	मिट्टी कार्य	35000.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
3	नल मरम्मत	21400.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
4	ढेली मरम्मत	5000.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
5	मजदूरी भुगतान	42600.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
6	सफाई किट क्रय	715.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
7	प्रधान मानदेय	6000.00	रसीद प्रस्तुत नहीं, अपुष्ट
8	बैंक कटौती	200.00	पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है।
	योग	313115.00	

प्रारूप- 4

जनपद का नाम-पीलीभीत,

मण्डल का नाम -बरेली

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :-

ग्रा0पं0-गुलड़िया जाफरपुर

प्रस्तर -1 लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 में चैक संख्या 130 दिनांक 06.11.2018 के द्वारा रु0 27840.00 का भुगतान मैसर्स भगवती इन्टरप्राइजेज, पकड़िया नौगवां, मण्डी गेट के सामने, पीलीभीत के बिल संख्या-बी0ई0/17.18/157 दिनांक- 06.11.2018 एवं बी0ई0/17.18/158 दिनांक- 06.11.2018 से क्रमशः रु0 14005.00 एवं रु0 13835.00 कुल रु0 27840.00 की नल रीबोर सम्बन्धी सामग्री हेतु किया गया है, जिसका लेखांकन कैशबुक में बाउचर संख्या 40 दिनांक- 06.11.2018 पर किया गया है, जो क्रमशः धर्मपाल के घर के पास एवं हर प्रसाद के घर के पास हैण्ड पम्प रीबोर हेतु क्रय किया गया है। परन्तु इस कार्य हेतु मिस्त्री एवं लेवर पर व्यय नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पातीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-47)

ग्रा0पं0-गुलड़िया जाफरपुर

प्रस्तर -2 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या 154 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा रू0 25330.00 का भुगतान श्रीराम सीमेन्ट कंकरीट प्रोडक्ट्स,ग्राम बिलगवां, टनकपुर रोड, पीलीभीत पिन सं0- 262001 को फर्म के बिल संख्या 45 दिनांक-12.02.2018 से 150 एम0एम0 डी0आई0ए0 के 12 नं0 आर0सी0सी0 स्पाइन पाइप एवं 200 एम0एम0 डीआई0ए0 का 01 नम्बर आर0सी0सी0 स्पन पाइप कुल 13 नम्बर स्पन पाइप क्रय हेतु किया गया है, जिसका लेखांकन कैशबुक में वाउचर सं0- 62 दिनांक- 12.02.2019 पर किया गया है। यह पाइप कहाँ-कहाँ प्रयोग किये गये है से सम्बन्धित कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह पुष्टि हो सकी कि यह पाइप कहाँ-कहाँ प्रयोग किये गये है न ही इन्हे डालने पर किसी भी राज या मिस्त्री को भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर धन का अपनहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री पातीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या- 256(1) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-48)

ग्रा0पं0-पृथ्वी पुर

प्रस्तर -3 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 में बिना बैध बिधुत कनेक्शन के रू0 5000.00 की दर से 12 स्ट्रीट लाइटें मैसर्स शर्मा ट्रेडर्स बरखेड़ा से कुल रू0 60000.00 में क्रय की गई है। उक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित पत्रावली, क्रय आदेश, लगाये गये स्ट्रीट लाइटों के स्थलों की सूची तथा सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा सोलर/स्ट्रीट लाइट यू0पी0 नेडा से ही क्रय किये जाने का नियमान्तर्गत प्रावधान है। साथ ही बैंक से धन आहरण श्री नफीस एवं श्री अशोक कुमार द्वारा कराकर फर्म को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।, जबकि भुगतान फर्म के नाम किया जाना अनिवार्य था। स्ट्रीट लाइटों हेतु भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0सं0	चैक नं0/दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	वाउचर नं0/दिनांक	फर्म का बिल नं0 एवं दि0 तथा नाम
1	470281-27.12.2018	30000.00	नफीस	50-27.12.2018	शर्मा ट्रेडर्स/अप्राप्त
2	470282-27.12.2018	30000.00	अशोक कुमार	21-27.12.2018	शर्मा ट्रेडर्स/अप्राप्त
	योग	60000.00			

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित लोगों के नाम चैक जारी कर धन आहरित कराकर कूटरचित तरीके से फर्म के फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि रू0 60000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंह से पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256(1) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-45)

ग्रा0पं0-जगीपुर जैतपुर

प्रस्तर -4 लेखा परीक्षा वर्ष में पाया गया कि दिनांक- 24.05.2018 में विभिन्न चैकों से श्री हरीश एवं ठाकुर दास के द्वारा बैंक से धन आहरित कराया गया है। (ग्राम निधि- प्रथम खाता संख्या- 31542462447, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बरखेड़ा, पीलीभीत)। इन लोगों से ग्राम पंचायत द्वारा कोई सामग्री क्रय की गई है अथवा कोई कार्य कराया गया है की पुष्टि बिल/वाउचर (रसीद) एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में किया जाना सम्भव नहीं हो सका। आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0सं0	चैक नं0	दिनांक	धनराशि(रू0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता
1	870819	24.05.2018	20125०00	श्री हरीश
2	870820	24.05.2018	42300०00	श्री हरीश
3	870821	24.05.2018	23400०00	श्री ठाकुर दास
		योग	85825.00	

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256(1) के अनुसार रू0 85825.00

की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती एवं ग्रा०पं०अधिकारी श्री हरीश भारती से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-49)

ग्रा०पं०-अभयपुर चैना नकटी

प्रस्तर -5 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या 0655010004196 से कुल रु०3154616.70 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु० 1943960.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 1943960.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिस वानों एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ०पी० माथुर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा०आ०सं०-01)

ग्रा०पं०-वरसीवाले उर्फ वरसिया

प्रस्तर -6 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या 17470100006479 से कुल रु० 1852474.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु० 273740.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 273740.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुद्धपाल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ० पी० माथुर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा०आ०सं०-01)

ग्रा०पं०-रढ़ैता

प्रस्तर -7 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या 17470100006477 से कुल रु०3476742.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु०1149798.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबनमानते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 1149798.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत

सचिव श्री ओ० पी० माथुर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा०आ०सं०-48ग,)

ग्रा०पं०-सबलपुर खास

प्रस्तर -8 ग्राम पंचायत सबलपुर खास, विकास खण्ड-पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि योजना अन्तर्गत (चौदहवां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग) द्वारा संचालित बैंक खाता संख्या- 06970100020490 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत के संचालन हेतु श्रीमती रेखा देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम प्रकाश मौर्या (ग्रा०पं०अधि०) द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर निम्न विवरणानुसार भुगतान/व्यय किया जाना दर्शित पाया गया।

सोलर लाइट्स क्रय पर व्यय दर्शित होना:-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय			
दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रु० में)	व्यय प्रमाणक सं० / दिनांक	बिल वाउचर बुकनं०/क०सं०	क्रय दर्शित सामग्री का विवरण	व्यय (रु० में)
23.04. 2018	582	मै० नोयडा सोलर सिस्टम	501600.00	12 / 23.04. 2018	अप्राप्त	22 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	501600.00
02.06. 2018	511	मै० रजा सोलर सिस्टम	40000.00	14 / 04.06. 2018	अप्राप्त	01 सोलर लाइट्स दर 22500.00 प्रति	22500.00
04.06. 2018	512	मै० रजा सोलर सिस्टम	40000.00	15 / 04.06. 2018	अप्राप्त	02 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	4500.00
11.06. 2018	513	मै० रजा सोलर सिस्टम	337500.00	16 / 11.06. 2018	अप्राप्त	15 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	337500.00
11.06. 2018	527	मै० रजा सोलर सिस्टम	22000.00	18 / 11.06. 2018	अप्राप्त	01 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	22500.00
11.06. 2018	526	विवरण अंकित नहीं	10500.00	—	—	—	—
15.06. 2018	514	मै० रजा सोलर सिस्टम	337500.00	19 / 15.06. 2018	अप्राप्त	15 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	337500.00
13.08. 2018	529	मै० रजा सोलर सिस्टम	112500.00	29 / 13.08. 2018	अप्राप्त	05 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	112500.00
26. 072018	601	मै० रजा सोलर सिस्टम	49000.00	22 / 26.07. 2018	अप्राप्त	02 सोलर लाइट्स दर 22800.00 प्रति	45000.00
		योग	1450600.00			64 सोलर लाइट्स	1424100.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 1450600.00 के आहरण के सापेक्ष रु० 1424100.00 सोलर लाइट्स क्रय पर कैश बुक अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, कुटेशन/टेण्डर सम्बन्धी पत्रावली, तुलनात्मक चार्ट, सामग्री क्रय आदेश, जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी से प्रमाणित दरें, ग्राम पंचायत में किन किन स्थानों पर सोलर लाइटें लगवाई गयीं से सम्बन्धित सूची फोटोग्राफ सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर सम्बन्धित फर्मों द्वारा जारी गारण्टी/वॉरण्टी कार्ड, सक्षम विभागीय अधिकारियों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु० 1424100.00 की सोलर लाइटों के क्रय पर किया गया व्यय अभिलेखों के अभाव में पूर्णतः अपुष्टित रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश

सं०- 33/2017/977/45वि०(अति०ऊ०स्रो०वि०) 2017 दिनांक- 29.08.2017 के द्वारा सौर ऊर्जा सम्बन्धी समस्त कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण (यू०पी० नेडा) से ही कराये जावें, जिससे संयंत्रों की गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित हो सके। इत्यादि का अनुपालन सोलर लाइटों के क्रय में नहीं किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि शासनादेश के विपरीत फर्मों के साथ साँठ-गाँठ कर मनमाने ढंग से सोलर लाइटें क्रय रु० 1424100.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण संयुक्त रूप से लिया गया है। अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रु० 1424100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-35(प),)

ग्रा०पं०-सबलपुर खास

प्रस्तर -9

स्ट्रीट लाइटें क्रय पर व्यय दर्शित होना:-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय			
दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि(रु० में)	व्यय प्रमाणक सं० /दिनांक	बिल वाउचर बुक नं०/क०सं०	क्रय दर्शित सामग्री का विवरण	व्यय (रु० में)
13.08.2018	530	हिन्द सोलर इन्टरप्राइजेज	156000.00	35 / 13.08.2018	अप्राप्त	30 स्ट्रीट लाइटे दर से 5200.00 प्रति	156000.00
13.08.2018	531	हिन्द सोलर इन्टरप्राइजेज	156000.00	36 / 13.08.2018	अप्राप्त	30 स्ट्रीट लाइटे दर स 5200.00 प्रति	156000.00
13.08.2018	532	हिन्द सोलर इन्टरप्राइजेज	130000.00	37 / 13.08.2018	अप्राप्त	25 स्ट्रीट लाइटे दर स 5200.00 प्रति	130000.00
		योग	442000.00		योग	85 स्ट्रीट लाइटे	442000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 442000.00 के आहरण के सपेक्ष 85 नग स्ट्रीट लाइटें दर रु० 5200.00 प्रति नग के हिसाब से कुल रु० 442000.00 की स्ट्रीट लाइटें खरीद पर व्यय कैश बुक के अनुसार दर्शित पाया गया। जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पंजिका, कुटेशन / टेण्डर सम्बन्धी पत्रावली, तुलनात्मक चार्ट, क्रय आदेश सम्बन्धित फर्मों के बिल / वाउचर विद्युत विभागीय द्वारा जारी बैध विद्युत कनेक्शन ग्राम पंचायत में किन किन स्थानों पर लाइटे लगवायी गयी, से सम्बन्धित सूची, फोटोग्राफ, जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रमाणित दरें विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण रु० 442000.00 का व्यय अभिलेखों के अभाव में पूर्णतः अपुष्टित रहा। अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रु० 442000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-35(पप),)

ग्रा०पं०-सबलपुर खास

प्रस्तर -10 हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित होना:-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय			
दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि(रु० में)	व्यय प्रमाणक सं० /दिनांक	बिल वाउचर बुक-नं०/क०सं०	क्रय दर्शित सामग्री का विवरण	व्यय (रु० में)
07.01.2019	655	श्री जगत	30000.00	83 / 07.01.2019	अप्राप्त	हयूम पाइप	90161.00
07.01.2019	657	नकद आहरण	30000.00	—	—	—	—
07.01.2019	656	श्री वासुदेव	30000.00	—	—	—	—
07.01.2019	658	श्री मनोज	33500.00	85 / 07.01.2019	अप्राप्त	हयूम पाइप	33500.00
28.02.2019	679	श्री कौशल	49000.00	100 /	अप्राप्त	हयूम पाइप	49000.00

		किशोर		28.02.2019			
13.03.2019	616	श्री कौशल किशोर	49000.00	110 / 13.03.2019	अप्राप्त	हयूम पाइप	98000.00
13.03.2019	617	श्री अरविन्द	49000.00				
		योग	270500.00			योग	270661.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 270500.00 के सापेक्ष कैशबुक के अनुसार रु० 270661.00 का व्यय हयूम पाइप क्रय पर किया गया है, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, स्वीकृति प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन टेण्डर सम्बन्धी पत्रावली, तुलनात्मक चार्ट, क्रय आदेश सम्बन्धित फर्म का बिल/वाउचर मस्टर रोल, किन किन कार्यों में प्रयुक्त हुए का विवरण, मापांकन पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रु० 270661.00 हयूम पाइप क्रय पर किया गया। व्यय पूर्णतः अपुष्टि रहा। साथ ही साथ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान मनमाने ढंग से अनाधिकृत व्यक्तियों के नाम कर फर्जी तरीके से हयूम पाइपों पर व्यय दर्शाकर रु० 270661.00 का आहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जबकि नियमानुसार फर्मों के नाम चैक निर्गत किया जाना चाहिए था। अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रु० 270661.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-35 (3))

ग्रा0पं0-पूरनपुर देहात

प्रस्तर -11 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चौदहवां एवं चतुर्थ वित्त आयोग) अन्तर्गत प्रस्तुत अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपलब्ध करायी गयी कैश बुक के व्यय पक्ष में सामग्री क्रय/व्यय से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है, और न ही उक्त क्रय/व्यय से सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर पुष्टि में उपलब्ध कराये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय			
दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)	कैशबुक प्रमाणक /दिनांक	व्यय धनराशि(रु० में)	सामग्री का विवरण	फर्म/व्यय का विवरण
24.12.2018	2195	गनेश	48590.00	540-24.12.2018	48590.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
24.12.2018	2192	गनेश	46440.00	541-24.12.2018	46440.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
24.12.2018	2201	गनेश	48332.00	542-24.12.2018	48332.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
27.12.2018	2776	नकद	3520.00	543-24.12.2018	3520.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2206	अजरा रिजवान	20800.00	563-28.12.2018	20800.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2198	अजरा रिजवान	22100.00	564-28.12.2018	22100.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2202	अजरा रिजवान	26000.00	565-28.12.2018	26000.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2210	अजरा रिजवान	15600.00	566-28.12.2018	15600.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2213	अजरा रिजवान	16250.00	567-28.12.2018	16250.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2454	अजरा रिजवान	24700.00	568-28.12.2018	24700.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2222	अजरा रिजवान	29900.00	569-28.12.2018	29900.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2218	अजरा रिजवान	17550.00	570-28.12.2018	17550.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2458	अजरा रिजवान	24050.00	571-28.12.2018	24050.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त

2018				2018		गनेश	अप्राप्त
28.12.2018	2236	गनेश	77876.00	573-28.12.2018	77876.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2245	गनेश	86000.00	574-28.12.2018	86000.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2197	गनेश	13803.30	575-28.12.2018	13803.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2242	गनेश	73000.00	576-28.12.2018	73000.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2203	गनेश	20805.70	577-28.12.2018	20805.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
28.12.2018	2200	गनेश	27501.60	578-28.12.2018	27501.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
16.03.2019	3049	गनेश	109175.00	824-16.12.2018	109175.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
16.03.2019	3063	अपोलो	12280.00	825-16.12.2018	12280.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
16.03.2019	3064	ट्रान्सफर अमरिया	113150.00	823-16.12.2018	113150.00	वाउचर वावत गनेश	वाउचर अप्राप्त
		योग	877423.60		877422.00		

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 877423.60 के आहरण के सापेक्ष कैश बुक अनुसार रू0 877422.00 का व्यय दर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि में क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर, कैशबुक में सामग्री क्रय का विवरण अंकित न होना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, मापांकन पुस्तिका, उपभोग प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी एवं इसका उपभोग किन-किन कार्यों पर किया गया। मनमाने ढंग से कैशबुक के व्यय पक्ष में सामग्री क्रय सम्बन्धी विवरण अंकित कर केवल आहरित धनराशि को व्यय दर्शित किया गया है। जो अनियमित है। जबकि नियमानुसार कैशबुक के व्यय पक्ष में क्रय सामग्री का विवरण कार्य वाइज दर्शित होना चाहिए था। उक्त से स्पष्ट है कि फर्मों के साथ सांठ-गांठ कर रू0 877423.60 के आहरण को कूट रचित तरीके से फर्जी व्यय दर्शाकर श्रीमती अजरा रिजवान (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव सक्सेना (ग्रा0पं0अधि0) द्वारा अपहरण किया गया। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार आहरण की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध न रहने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रू0 877423.60 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-48(प),)

ग्रा0पं0-पूरनपुर देहात

प्रस्तर -12 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-5 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि माह फरवरी/2019 के व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष न तो फर्मों का नाम इन्द्राज है न ही कराये गये कार्यों का विवरण अंकित किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय का विवरण				
दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (रू0 में)	कैशबुक प्रमाणक /दिनांक	व्यय सं0	व्यय धनराशि (रू0 में)	सामग्री का विवरण	फर्म/व्यय का विवरण
01.02.2019	2529	गनेश	132225.00	638	01.02.2019	132225.00	बिल वावत ईंट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2530	गनेश	102555.00	639	01.02.2019	102555.00	बिल वावत ईंट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2533	गनेश	145125.00	640	01.02.2019	145125.00	बिल वावत ईंट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2335	गनेश	26000.00	641	01.02.2019	26000.00	बिल वावत ईंट क्रय	अंकित नहीं

01.02.2019	2235	गनेश	26600.00	642	01.02.2019	26600.00	बिल वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2233	गनेश	45000.00	643	01.02.2019	45000.00	बिल वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2333	गनेश	22520.00	644	01.02.2019	22520.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2231	गनेश	44078.00	645	01.02.2019	44078.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2525	गनेश	90153.00	646	01.02.2019	90153.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2522	गनेश	18095.00	647	01.02.2019	18095.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2518	गनेश	60275.00	648	01.02.2019	60275.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2512	गनेश	16450.00	649	01.02.2019	16450.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2507	गनेश	68274.00	650	01.02.2019	68274.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
01.02.2019	2229	गनेश	34964.00	651	01.02.2019	34964.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
04.02.2019	2252	वाहिद खान	28046.00	652	04.02.2019	28046.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
04.02.2019	2256	वाहिद खान	29546.00	653	04.02.2019	29546.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	2590	गुलाम	4500.00	654	05.02.2019	4500.00	रसीद मिट्टी व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	2581	वाहिद खान	17210.00	655	05.02.2019	17210.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	2628	वाहिद खान	26772.00	656	05.02.2019	26772.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	2300	वाहिद खान	12210.00	657	05.02.2019	12210.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	5577	हुसैनी	63127.00	658	05.02.2019	63127.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
05.02.2019	2290	कादरी	73118.00	659	05.02.2019	73118.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
07.02.2019	2563	वसीम	10400.00	707	07.02.2019	10400.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
07.02.2019	2325	वसीम	50050.00	708	07.02.2019	50050.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
07.02.2019	2616	वसीम	29900.00	709	07.02.2019	29900.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं
07.02.2019	2625	सुहेब	46800.00	710	07.02.2019	46800.00	एम.आर. वावत व्यय	अंकित नहीं

07.02.2019	2323	कादरी बि. फी.	83365.00	711	07.02. 2019	83365.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2611	कादरी बि. फी.	129998.00	712	07.02. 2019	129998.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2629	गनेश बि. फी.	20673.00	713	07.02. 2019	20673.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2636	गनेश बि. फी.	25330.00	714	07.02. 2019	25330.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2587	गनेश बि. फी.	24248.00	715	07.02. 2019	24248.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2582	गनेश बि. फी.	13270.00	716	07.02. 2019	13270.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2572	आजम	8164.00	717	07.02. 2019	8164.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2566	गनेश	74074.00	718	07.02. 2019	74074.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
07.02.2019	2592	गनेश	26115.00	719	07.02. 2019	26115.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
08.02.2019	2615	कादरी बि. फी.	54599.00	720	08.02. 2019	54599.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
08.02.2019	2618	कादरी बि. फी.	52015.00	721	08.02. 2019	52015.00	वाउचर वावत ईट क्रय	अंकित नहीं
08.02.2019	2604	मोईन	66300.00	722	08.02. 2019	66300.00	वाउचर वावत एम. आर.	अंकित नहीं
08.02.2019	2321	निजामुद्दीन	4200.00	723	08.02. 2019	4200.00	विज्ञापन	अंकित नहीं
08.02.2019	2340	तौसिफ	31850.00	724	08.02. 2019	31850.00	वाउचर वावत एम. आर.	अंकित नहीं
08.02.2019	2498	तौसिफ	36400.00	725	08.02. 2019	36400.00	वाउचर वावत एम. आर.	अंकित नहीं
08.02.2019	2608	मोईन	96850.00	728	08.02. 2019	96850.00	वाउचर वावत एम. आर.	अंकित नहीं
		योग	1971444.00			1971444.00		

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 1971444.00 के आहरण के सपेक्ष कैश बुक के अनुसार दर्शित व्यय रू0 1971444.00 की पुष्टि में पाया गया कि कैशबुक के व्यय पक्ष में सामग्री व्यय का विवरण (ईट क्रय, वाउचर वावत मस्टर रोल, वाउचर वावत मिट्टी कार्य इत्यादि) दर्शित है परन्तु सामग्री किस फर्म से क्रय की गयी और किन-किन कार्यों पर प्रयुक्त की गयी का विवरण अंकित नहीं किया गया। साथ ही सम्बन्धित फर्मों के बिल वाउचर, प्रयुक्त मस्टर रोल, अन्य व्यय सम्बन्धी वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,

मापांकन पुस्तिका, सम्बन्धित कार्यों के फोटो ग्राफ, सामग्री स्टॉक पंजिका, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त नहीं किये गये, जिस कारण रु0 1971444.00 का व्यय पूर्णतः अपुष्टि रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आहरण को कैशबुक में मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर रु0 1971444.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं श्री राजीव सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध न रहने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रु0 1971444.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-48(2))

ग्रा0पं0-पूरनपुर देहात

प्रस्तर -13 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में बैंक खाता संख्या- 06970100020550 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर के संचालन हेतु श्रीमती अजरा रिजवान (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव सक्सेना (ग्रा0पं0अधि0) द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर आहरण करवाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि	कैशबुक में आयपक्ष एवं व्यय पक्ष में अंकन का विवरण
01	05.02.2019	2632	श्री वाहिद खान	31679.00	लेखा पारित नहीं
02	07.02.2019	2661	श्री सोयब	28600.00	लेखा पारित नहीं
			योग	60279.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रु0 60279.00 का आहरण ग्राम निधि बैंक खाते से उक्त तिथियों में श्री वाहिद खान एवं श्री सोयब द्वारा किया गया है पुष्टि में पाया गया कि उक्त आहरण का लेखांकन कैशबुक में नहीं किया गया है, जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त आहरण का व्यय किस कार्य एवं उद्देश्य से कराया गया। कैशबुक में आय एवं व्यय पक्ष में लेखा पारित न कर रु0 60279.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-2 के बिन्दु-6 के अनुसार ग्राम निधि के खाते का ग्राम प्रधान तथा पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। निधि से किसी अनाधिकृत व्यक्ति तथा कपट पूर्ण आहरण की दशा में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अतः ग्राम निधि खाते से कपट पूर्ण किये गये आहरण रु0 60279.00 की वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (क - ड) के प्रावधानानुसार श्रीमती अजरा रिजवान (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव सक्सेना (ग्रा0पं0अधि0) कराया जाना अपेक्षित रहा। (साक्ष्य हेतु बैंक स्टेटमेंट एवं कैश बुक की छाया प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध न रहने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार रु0 60279.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजरा रिजवान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-49)

ग्रा0पं0-पतरासा कुंवरपुर

प्रस्तर -14 अप्रैल- 2019 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया, दिनांक- 08.01.2020, 11.01.2020, 14.01.2020 एवं 05.02.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक— 18.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि—

अ) शासनादेश संख्या — ऑडिट—2953/2009—101(64)/2007 दिनांक— 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब) शासनादेश संख्या — 1838/33—3—2015—03/2015 दिनांक— 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु— 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स) उ0प्र0पं0रा0नि0—1947 के नियम—199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या—6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक— 05.02.2020 को पत्र के माध्यम से ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक— 269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08—09 दिनांक— 15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3— जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक— 18.03.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या— 06/2017/2325/33—1—2017—1988/17 दिनांक— 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

4— पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या—1/शा0/ 140/2016—1/272/2018 लखनऊ दिनांक— 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है। मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

5— वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे0) दस—10(45)/12 दिनांक— 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु— 03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइड-लाइन का पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी. कैशबुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा- 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1256462.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश गौतम एवं श्री लालबहादुर मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-03,)

ग्रा0पं0-रम्बोड़ा

प्रस्तर -15 अप्रैल- 2019 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया, दिनांक- 08.01.2020, 11.01.2020 एवं 14.01.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक- 17.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि-

ग) शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

घ) शासनादेश संख्या - 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु- 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी

जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ड) उ0प्र0पं0रा0नि0-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

ट) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक- 05.02.2020 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और पत्र के मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक- 269/संप्रेशा/आ0रि0/08-09 दिनांक- 15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेशा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3- जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक- 17.03.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या- 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक- 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक- 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है। मैं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

5- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे0) दस-10(45)/12 दिनांक- 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु- 03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइड-लाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी. कैशबुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियां जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,

अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा- 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1619246.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256(1) के अनुसार अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश गौतम एवं लालबहादुर मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्रा०पं०-शहपुरा

प्रस्तर -16 अप्रैल- 2019 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया, दिनांक- 08.01.2020, 11.01.2020, 14.01.2020 एवं 05.02.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक- 18.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि-

➤ शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

➤ शासनादेश संख्या - 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु- 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

➤ उ०प्र०पं०रा०नि०-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत आम रोकडबही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी ए०डी०ओ०(पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

➤ कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत

प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक— को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और पत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक— 269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक— 15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धि संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3— जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक— 05.02.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या— 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक— 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

4— पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या—1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक— 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है। मैं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

5— वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0/रे0) दस-10(45)/12 दिनांक— 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु— 03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइड-लाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी. कैशबुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाया गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को

गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा- 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1323282.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के अनुसार अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जोगेन्द्र कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री वीर पाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

ग्रा0पं0-पंडरिया

प्रस्तर-17 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत पंडरिया, विकास खण्ड-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत की ग्राम निधि योजना (चौदहवां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग) द्वारा संचालित बैंक खाता सं0- 0697010020488 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर जनपद- पीलीभीत के संचालन हेतु श्री सत्य प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम प्रकाश मौर्या (ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया।

सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शित होना :-

बैंक के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार व्यय			
दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि	व्यय प्रमाणक सं0/दि0	बिल/वाउचर बुक नं0	सामग्री का विवरण	धनराशि
30.06.2018	346	नोयडा सोलर सिस्टम गोला, लखीमपुर	364800.00	13/30.06.2018	वाउचर अप्राप्त	16 सोलर लाइट दर 22800.00	364800.00
24.08.2018	352	नोयडा सोलर सिस्टम गोला, लखीमपुर	182400.00	20/24.08.2018	वाउचर अप्राप्त	8 सोलर लाइट दर 22800.00	182400.00
06.09.2018	356	नोयडा सोलर सिस्टम गोला, लखीमपुर	45600.00	21/06.09.2018	वाउचर अप्राप्त	2 सोलर लाइट दर 22800.00	45600.00
		योग	592800.00				592800.00

उक्त विवरणानुसार रु0 592800.00 को विभिन्न तिथियों में आहरण कर 26 सोलर लाइटें दर रु0 22800.00 के हिसाब से कैश बुक अनुसार क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना कोटेशन/टेण्डर सम्बन्धी पत्रावली, क्रय आदेश संबंधी फर्म के बिल वाउचर, ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई से सम्बन्धित सूची/पंजिका, फोटो ग्राफ, सक्षम विभागीय अधिकारी की भौतिक सत्यान की रिपोर्ट, जिला अधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के द्वारा प्रमाणित दरें, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रु0- 592800.00 का सोलर लाइट क्रय पर किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्टित रहा। स्पष्ट होता है की कूट रचित तरीके से सोलर लाइट क्रय दर्शित कर फर्म के साथ साठ-गांठ कर उक्त आहरित धनराशि को कैशबुक में बिना कार्य कराये ही मनमाने ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के अनुसार आहरित कर व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि में बिल/वाउचर उपलब्ध न रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 के प्रावधानानुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए श्री सत्य प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम प्रकाश मौर्या (ग्राम पंचायत अधिकारी) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित कराया जाना अपेक्षित रहा। सुलभ साक्ष्य हेतु कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न की जा रही है। (सा0आ0सं0-42)

पंडरिया

प्रस्तर -18 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि योजना अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम प्रकाश मौर्या (ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा निम्न विवरणानुसार हयूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित पाया गया :-

बैंक के अनुसार आहरण	कैशबुक के अनुसार व्यय

दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि	व्यय प्रमाणक सं०/दि०	बिल/वाउचर बुक नं०क्रम०सं	सामग्री का विवरण	धनराशि
02.08.2018	350	श्राज-पाइप इण्डस्ट्रीज पूरनपुर	122493.00	17 / 02.08.2018	वाउचर अप्राप्त	हयूम पाइप	122493.00
13.03.2019	263	श्री सत्य प्रकाश	35000.00	65 / 13.03.2019	वाउचर अप्राप्त	हयूम पाइप	79550.00
13.03.2019	265	नकद	10000.00				
13.03.2019	264	श्री अरविन्द	35000.00				
		योग	202493.00			योग	202043.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 202493.00 के आहरण के सापेक्ष कुल ₹0 202043.00 के हयूम पाइप राज पाइप इण्डस्ट्रीज पूरनपुर से कैश बुक अनुसार क्रय किया जाना दर्शित पाया, जिसकी पुष्टि में हयूम पाइप क्रय से सम्बन्धित अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, प्राक्कलन पत्रावली, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्म का बिल/वाउचर, मापांकन पुस्तिका कार्य स्थल की सूची फोटो ग्राफ, स्टॉक पंजिका, सक्षम विभागीय अधिकारी की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों के अभाव में ₹0— 202043.00 का दर्शित व्यय पूर्णतः अपुष्टित रहा। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.03.2019 को चैक— 263, 265, 264 के द्वारा आहरण नकद श्री अरविन्द द्वारा किया गया है, जिसके सापेक्ष कैश बुक में राज पाइप इण्डस्ट्रीज से हयूम पाइप क्रय किया गया है जबकि नियमानुसार सम्बन्धित फर्मों को एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0— 122493.00 के हयूम पाइप फर्म से साठ-गांठ कर क्रय किया जाना दर्शाया गया एवं ₹0— 79550.00 का हयूम पाइप क्रय मनमाने ढंग फर्जी क्रय किया जाना दर्शाया गया है इस प्रकार कुल ₹0 202043.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या द्वारा किया गया है।

जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को उक्त अभिलेखों के अभाव में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

अतः ₹0 202043.00 की वसूली पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम सं०- 256 (क से ड) के प्रावधानानुसार श्री सत्य प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम प्रकाश मौर्या (ग्राम पंचायत सचिव) से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा। सुलभ साक्ष्य हेतु बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैश बुक के पृष्ठों की छाया प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न है।

(सा०आ०सं०-43)

ग्रा०पं०-कबीरगंज

प्रस्तर -19 लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 के ग्राम निधि योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी कैश बुक की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कूड़ेदान पर ₹0 104000.00 एवं सोलर लाइटों के क्रय पर ₹0 315000.00 कुल ₹0 419000.00 व्यय किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में बिल/वाउचर व संगत अभिलेख अप्राप्त रहे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

1- कूड़ेदान क्रय पर व्यय का विवरण :-

दि०/चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (₹0 में)	कैशबुक व्यय प्रमाणक सं०	वाउचर का विवरण	समग्री का विवरण	व्यय धनराशि (₹0 में)
10.04.2018 / 204	मै० सोलर हाउस	52,000.00	08	अप्राप्त	कूड़ेदान	52,000.00
29.06.2018 / 249	मै० आदेश कान्टैक्टर	52,000.00	36	अप्राप्त	कूड़ेदान	52,000.00
	योग	1,04,000.00				1,04,000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0— 104000.00 के कूड़ेदान क्रय किया जाना कैशबुक के अनुसार दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, कूटेशन सम्बन्धी पत्रावली, क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर, जिला अधिकारी महोदय, द्वारा जिला स्तरीय गठित कमेटी

द्वारा प्रमाणित करें, कूड़ेदान ग्राम पंचायत में किन-किन स्थल पर लगाये गये से सम्बन्धित सूची सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट उपभोग प्रमाण-पत्र फोटो ग्राफ इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। जिस कारण कैश बुक में दर्शित व्यय पूर्णतः अपुष्टि रहा।

2- सोलर लाइटों के क्रय पर व्यय का विवरण :-

बैंक खाते के अनुसार			कैश बुक के अनुसार व्यय			
दि०/चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)	कैशबुक व्यय प्रमाणक सं०	वाउचर का विवरण	समग्री का विवरण	व्यय धनराशि (रु० में)
24.04. 2018 / 205	मै० सोलर हाउस	2,19,000.00	09	अप्राप्त	सोलर लाइटे क्रय पर व्यय	2,19,000.00
28.03. 2019 / 320	मै० कुमार ट्रेडर्स	96,000.00	133	अप्राप्त	सोलर लाइटे मरम्मत	96,000.00
	योग	3,15,000.00				3,15,000.00

उक्त विवरणानुसार रु०- 3,15,000.00 का व्यय सोलर लाइटों के क्रय एवं मरम्मत पर किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन सम्बन्धी पत्रावली, क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल/वाउचर, कार्य स्थल सम्बन्धी सूची, सक्षम अधिकारी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, फोटो ग्राफ, उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्टि रहा।

उक्त विवरणानुसार क्रमांक -1 पर कूड़ेदान क्रय पर व्यय रु०- 1,04,000.00 एवं क्रमांक-2 पर सोलर लाइटे क्रय एवं मरम्मत पर रु०- 3,15,000.00 इस प्रकार कुल रु०- 4,19,000.00 के व्यय की पुष्टि में बिल/वाउचर एवं संगत अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण व्यय पूर्णतः अपुष्टि रहा। जबकि वित्त लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के अनुसार आहरित कर व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि में बिल/वाउचर उपलब्ध न रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम सं०- 256 के प्रावधानानुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए श्री सर्वजीत कौर (ग्राम प्रधान) एवं श्री पूरन सिंह राना (ग्राम पंचायत अधिकारी) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है। सुलभ साक्ष्य हेतु कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न की जा रही है।

(सा०आ०सं०-45)

ग्रा०पं०-जल्लापुर

प्रस्तर -20 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में कुल रु० 2210997.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। परन्तु इसमें से दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु० 1462643.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्टि रहा। विवरण निम्न प्रकार है

— बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण —				
ग्राम - जल्लापुर, बीसलपुर, पीलीभीत। दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक				
क्र० सं०	चैक संख्या	दिनांक	आहरित धनराशि (रु० में)	व्यक्ति/फर्म जिसके नाम पर धनराशि आहरित की गयी है।
1	136	14.जून .2018	7500.00	रजा बक्स
2	137	14. जून .2018	2000.00	श्री सत्यवान अवस्थी
3	139	15. जून .2018	7000.00	अजंता कुमारी
4	140	29. जून .2018	19500.00	कुर्वर सेन
5	141	30. जून .2018	20000.00	मुनेन्दर
6	142	3.जुलाई .2018	2100.00	श्री सत्यवान अवस्थी
7	144	3. जुलाई .2018	14000.00	रजा बक्स
8	145	4. जुलाई .2018	121210.00	हसनी ब्रिक फील्ड
9	143	5. जुलाई .2018	17900.00	सी०एल०जी०

10	147	5. जुलाई .2018	47000.00	मुनेन्दर कुमार
11	148	5. जुलाई .2018	43500.00	मुनेन्दर कुमार
12	149	9. जुलाई .2018	118927.00	हसनी ब्रिक फील्ड
13	150	10. जुलाई .2018	12272.00	सी0एल0जी0
14	151	11. जुलाई .2018	30000.00	श्री कुर्वर सेन
15	153	11. जुलाई .2018	15000.00	मुनेन्दर
16	152	11. जुलाई .2018	17000.00	मुनेन्दर
17	154	12. जुलाई .2018	9350.00	रजा बक्स
18	155	20. जुलाई .2018	2000.00	सुधीर कुमार
19	156	20. जुलाई .2018	1500.00	मोहित कुमार
20	157	25. जुलाई .2018	37705.00	ख्वाजा गरीब नवाज
21	158	31. जुलाई .2018	12000.00	मुनेन्दर
22	159	4. अगस्त .2018	11400.00	मुनेन्दर कुमार
23	165	4. अगस्त .2018	2000.00	अस्टस
24	163	6. अगस्त .2018	29769.00	जय बजराज आयरन स्टोर
25	162	6. अगस्त .2018	20888.00	जय बजराज आयरन स्टोर
26	161	6. अगस्त .2018	23548.00	ख्वाजा गरीब नवाज
27	160	6. अगस्त .2018	10761.00	हसनी ब्रिक फील्ड
28	164	6. अगस्त .2018	4800.00	श्री कुर्वर सेन
29	167	7. अगस्त .2018	10000.00	मुनेन्दर
30	168	18. अगस्त .2018	60000.00	मुनेन्दर
31	169	21. अगस्त .2018	25000.00	मुनेन्दर
32	166	27. अगस्त .2018	2000.00	राकेश सिंगल
33	170	28. अगस्त .2018	7000.00	अजंता कुमारी
34	171	12.सितम्बर .2018	50000.00	मुनेन्दर
35	172	19. सितम्बर .2018	25000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
36	174	24. सितम्बर .2018	13400.00	रजा बक्स
37	175	24. सितम्बर .2018	30000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
38	173	26. सितम्बर .2018	10600.00	जनता मशीनरी स्टोर
39	176	6. अक्टूबर .2018	45000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
40	177	11. अक्टूबर .2018	4750.00	रजा बक्स
41	178	17. अक्टूबर .2018	15000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
42	180	22. अक्टूबर .2018	20000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
43	179	22. अक्टूबर .2018	2000.00	श्री पंकज गुप्ता
44	182	26. अक्टूबर .2018	45000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
45	181	29. अक्टूबर .2018	37275.00	हसनी ब्रिक फील्ड
46	183	30 अक्टूबर .2018	35000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
47	184	3. नवम्बर .2018	60000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
48	185	14. नवम्बर .2018	11500.00	सन्जा
49	186	20. नवम्बर .2018	3500.00	रजा बक्स
50	187	22. नवम्बर .2018	45000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
51	188	28. नवम्बर .2018	2000.00	आशुतोष
52	191	28. नवम्बर .2018	46500.00	श्री मुनेन्दर कुमार
53	189	28. नवम्बर .2018	43153.00	हसनी ब्रिक फील्ड
54	192	30. नवम्बर .2018	52000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
55	190	3 .दिसम्बर .2018	62335.00	ख्वाजा गरीब नवाज सरिया सीमेन्ट स्टोर

56	193	10. दिसम्बर .2018	14000.00	अजंता देवी
57	194	13. दिसम्बर .2018	25000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
योग			1462643.00	

वित्त लेखा मैनुअल के के आध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 1462643.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अजंता कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0पी0 माथुर से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-44ग)

ग्रा0पं0-सायर

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में कुल रु0 2189864.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। परन्तु इसमें से दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु0 1324175.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार है :-

— बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण — ग्राम - सायर, बीसलपुर, पीलीभीत। दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक				
क्र0 सं0	चैक संख्या	दिनांक	आहरित धनराशि (रु0 में)	व्यक्ति/फर्म जिसके नाम पर धनराशि आहरित की गयी है।
1	54	3.अप्रैल .2018	22000.00	श्री साहिद प्रधान
2	53	3. अप्रैल .2018	40000.00	फरजान बी
3	52	4. अप्रैल .2018	2000.00	सी0एल0जी
4	56	11. अप्रैल . 2018	30000.00	इस्मत अली
5	55	13. अप्रैल . 2018	45000.00	श्री फरजान बी
6	57	21. अप्रैल . 2018	41668.00	फरजान प्रधान
7	58	21. अप्रैल . 2018	54280.00	तारिक अली
8	59	21. अप्रैल . 2018	15000.00	कुर्वर सेन
9	60	27. अप्रैल . 2018	44182.00	फरजान बी प्रधान
10	67	27. अप्रैल . 2018	49676.00	तारिक अली
11	63	27. अप्रैल . 2018	12949.00	तारिक अली
12	66	27. अप्रैल . 2018	14305.00	फरजान बी
13	61	3. मई .2018	122508.00	न्यू अली ब्रिक फील्ड
14	65	3. मई .2018	140270.00	अक्सा ब्रिक फील्ड
15	68	8. मई .2018	60000.00	फरजान प्रधान
16	62	8. मई .2018	18540.00	आसिफ सरिया सीमेन्ट स्टोर

17	64	8. मई .2018	18690.00	आसिफ सरिया सीमेन्ट स्टोर
18	69	7. जून .2018	16000.00	तारिक अली
19	72	12. जून .2018	59886.00	टू ट्रॉसफर
20	73	13. जून .2018	20000.00	तारिक अली
21	74	15. जून .2018	80000.00	न्यू अली ब्रिक फील्ड
22	71	20. जून .2018	59221.00	आसिफ सरिया सीमेन्ट स्टोर
23	76	6.अगस्त .2018	10000.00	कुर्वर सेन
24	77	7. अगस्त . 2018	2000.00	इस्तियाक अहमद
25	80	14. अगस्त . 2018	60000.00	श्री राम औतार
26	81	18. अगस्त . 2018	50000.00	राम औतार
27	82	18. अगस्त . 2018	50000.00	तालिब अली
28	78	20. अगस्त . 2018	150000.00	न्यू अली ब्रिक फील्ड
29	79	21. अगस्त . 2018	2000.00	सुधीर
30	83	13.सितम्बर . 2018	4000.00	आशुतोष मिश्रा
31	85	19. सितम्बर . 2018	20000.00	श्री मुनेन्दर कुमार
32	84	1 अक्टूबर . 2018	3000.00	पंजाब
33	86	20 नवम्बर . 2018	2000.00	सत्यासेन
34	87	6 दिसम्बर . 2018	3000.00	पतीराम
35	88	11. दिसम्बर . 2018	2000.00	आशुतोष
योग			1324175.00	

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 1324175.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फरजान बी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0पी0 माथुर से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0— 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0—....)

ग्रा0पं0—अकबर गंज सिमरा

प्रस्तर –22 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष— 2018—19 में ग्राम निधि—1 खाता संख्या 06550100001479 से कुल रु0 2130058.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक— 01.04. 2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु0 2129438.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु03120.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से एवं रु0 2126318.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-46ग)

ग्रा0पं0-रिछोला सबल

प्रस्तर -23 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या 06550100004203 से कुल रु0 4058977.70 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु0 2299283.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 2299283.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इमरान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0 पी0 माथुर से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-48ग)

ग्रा0पं0-अरसिया बोझ

प्रस्तर -24 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वाउचर सं0- 10 दिनांक- 03.08.2018 पर दर्ज 19 नग कूड़ादान 5500 प्रति कूड़ादान की दर से मै0 शर्मा ट्रेडर्स बरखेड़ा से क्रय किया जाना दर्शाया गया है, जिसका भुगतान चैक सं0- 497774 दिनांक- 03.08.2018 से मै0 शर्मा ट्रेडर्स, वार्ड नं0- 10 दौलतपुर रोड, बरखेड़ा कलां, पीलीभीत के बिल सं0- 237 के दिनांक- 03.08.2018 से रु0 95000.00 का भुगतान किया गया है, जिसकी व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, क्रय आदेश, स्टॉक पंजिका, लगाये गये कूड़ादान के स्थल की सूची एवं सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जबकि जिला अधिकारी महोदय द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा रु0 1950 प्रति कूड़ादान मूल्य निर्धारित किया गया है। इससे सम्बन्धित ही कोई अभिलेख/प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा, जिस कारण उपर्युक्त व्यय स्पष्ट रहा। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से सांठ-गांठ कर धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256(1) एवं अन्य संगत विभागीय आदेशानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-22)

ग्रा0पं0-पचपेड़ा ता0 रामपुरा

प्रस्तर -25 लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चैक सं0- 388990 दिनांक-19.11.2018 के द्वारा रु0 1,23,000.00 का भुगतान सोलर लाइट क्रय हेतु मै0 रजा सोलर सिस्टम बरखेड़ा को रु0 20,500.00 प्रति सोलर लाइट की दर से 06 सोलर लाइट क्रय हेतु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार किया गया है, जिसका कैशबुक में लेखांकन वाउचर नं0-43 दिनांक-19.11.2018 से दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट क्रय से सम्बन्धित बिल उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही सम्बन्धित क्रय से सम्बन्धित टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित पत्रावली, क्रय आदेश, लगाये गये सोलर लाइट के स्थलों की सूची तथा सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रही। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा संस्था से सांठ-गांठ कर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम

सं0-256 (1) एवं अन्य विभागीय आदेशों के अनुसार रू0 1,23,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीनाक्षी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश पाल से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-40)

ग्रा0पं0-अमरगंज

प्रस्तर -26 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय की मद में निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

चैक सं0 दिनांक	धनराशि (रू0 में)	कैश बुक में अंकित वाउचर सं0	अवधि	दर	माह
381 / 10.04.18	21000.00	01-10.04.18	अक्टूबर-17 से मार्च-18	3500	6
395 / 07.07.18	10500.00	11-07.07.18	अप्रैल-18 से जून-18	3500	3
407 / 12.03.19	28000.00	40-12.03.19	अप्रैल-18 से नवम्बर-18	3500	8
योग	59500.00				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह अप्रैल-18 से जून-18 तक कुल तीन माह का मानदेय रू0 3500.00 प्रतिमाह की दर से रू0 10500.00 का भुगतान दो बार किया गया है। जबकि एक ही बार मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः किये गये अधिक भुगतान रू0 10500.00 की ब्याज सहित वसूली उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-42)

ग्रा0पं0-अमरगंज

प्रस्तर -27 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या- 393 दिनांक- 06.06.2018 के द्वारा रू0 10580.00 का भुगतान मैसर्स प्रांजल कान्ट्रैक्टर को किया जाना कैश बुक में दर्शित है। कैश बुक में वाउचर संख्या- 07 दिनांक- 06.06.2018 के द्वारा सौर ऊर्जा लाइट मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है, जिसकी पुष्टि में फर्म का बिल उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि किस दर से कितनी लाइटों की मरम्मत की गई है। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर धन का अपहरण किया है।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में वाउचर/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुये उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से रू0 10580.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-43)

ग्रा0पं0-अमरगंज

प्रस्तर -28 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा चैक सं0- 394 दिनांक- 11.06.2018 के द्वारा रू0 90000.00 (रू0 नब्बे हजार मात्र) का भुगतान मै0 सन्धू जनरल आर्डर सप्लायर को किया जाना वाउचर सं0- 08 दिनांक- 11.06.2018 से कैश बुक में कूड़ादान क्रय अंकित किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु बिल उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस दर से कितने कूड़ादान लगाये गये स्थलों की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर धन का दुरुपयोग किया गया है।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किये जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार रू0 90000.00 (रू0 नब्बे हजार मात्र) की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-44)

ग्रा0पं0-अमरगंज

प्रस्तर -29 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष- 2018-19 की कैश बुक में वाउचर नं0- 18 दिनांक- 30.11.2018 के द्वारा रू0 65725.00 का भुगतान प्राथमिक विद्यालय से राम बहादुर की बैठक तक नाली

एवं खडण्जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान हेतु किया जाना दर्शित है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य दिनांक— 30.11.2018 से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। परन्तु उपलब्ध कैशबुक अनुसार माह अप्रैल-18 से दिसम्बर-18 तक प्रथम श्रेणी ईट एवं खंजर ईट क्रय ही नहीं की गई, तब ऐवसी स्थिति में नाली एवं खंडण्जा का निर्माण कैसे कर लिया गया। एम0 आर0 भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि कार्य किस तिथि से प्रारम्भ होकर किस तिथि में समाप्त हुआ और कितने राज एवं मजदूरों ने कार्य किया।

इसी प्रकार वाउचर नं0— 12 दिनांक— 14.08.2018 के द्वारा भी मेन रोड से भूमसेन तक मिट्टी भराव एवं खडण्जा निर्माण पर मस्टर रोल पर रू0 16650.00 का भुगतान दर्शाया गया है। यहाँ भी मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहने से कार्य की अवधि एवं मजदूरों की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैश बुक अनुसार माह अप्रैल-18 से दिसम्बर-18 तक प्रथम श्रेणी एवं खडण्जा ईट क्रय किया जाना दर्शित है और न ही दोनों कार्यों की निर्माण पत्रावली (प्राक्कलन, एम0बी0, फोटो ग्राफ्स आदि) ही उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रू0 (65725.00+16650.00) 82375.00 को मन माने ढंग से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किये जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार रू0 82375.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमालुद्दीन से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-45)

ग्रा0पं0-अमरगंज

प्रस्तर -30 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा मै0 श्रीराम सीमेंट एण्ड कंकरीट प्रोडक्ट से सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान किया जाना दर्शित है। फर्म के बिल उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस दर से क्या-क्या सामग्री किस मात्रा में क्रय की गई विवरण इस प्रकार से है।

चैक सं0 दिनांक	धनराशि (रू0 में)	कैश बुक वाउचर सं0	सामग्री का विवरण	फर्म का बिल
423 21.01.19	50774.00	19 21.01.19	हयूम पाइप	अप्राप्त
432 19.03.19	24874.00	49 19.03.19	हयूम पाइप	अप्राप्त
योग	75648.00			

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल 75648.00 के हयूम पाइप क्रय किये जाने दर्शित है। क्रय के सापेक्ष बिल अप्राप्त रहा। यह पाइप कहाँ-कहाँ प्रयोग किये हैं का भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर रू0 75648.00 का अपहरण किया गया है वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की दशा में धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किये जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 (1) के अनुसार कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-46)

ग्रा0पं0-कनाकोर

प्रस्तर -31 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार सिंह एवं प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा बैंक खाता संख्या- 50044382598 से धन आहरित किया गया है—

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	धनराशि (रू0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
1	007070	04.04.2018	25000.00	वाजिद अली	बिल अप्राप्त
2	007073	05.06.2018	1952.00	जागरन प्रकाशन	बिल अप्राप्त
3	007077	06.06.2018	10000.00	क्लीयरिंग	बिल अप्राप्त
4	007075	06.06.2018	15000.00	क्लीयरिंग	बिल अप्राप्त
5	007076	07.06.2018	10580.00	प्रौवल	बिल अप्राप्त
6	007074	08.06.2018	10000.00	सलीम	बिल अप्राप्त

		योग	72532.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रू0 72532.00 के आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/बिल उपलब्ध नहीं कराये गये न ही इस अवधि की कैश बुक उपलब्ध कराई गई। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस धनराशि का उपयोग किस कार्य में किया गया है। इस प्रकार रू0 72532.00 का व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किये जाने का प्रावधान है।

अतः पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256(क-ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार सिंह से रू0 72532.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-49)

ग्रा0पं0-अमखेड़ा लखनऊ

प्रस्तर -32 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक सं0- 67408 से दिनांक- 20.04.2018 को रू0-74975.00 का भुगतान मै0 साई करू0पा ट्रेडर्स को किया जाना दर्शित है, जिसे कैश बुक में वाउचर संख्या- 01 दिनांक- 20.04.2018 को रू0 157.50 बैग सीमेन्ट दर रू0 345.60 प्रति बैग कुल कीमत रू0 54432.00 तथा 08.60 घन मी0 मोरंग दर रू0 2388.75 प्रति कु0 कुल कीमत रू0 20543.00 कुल व्यय रू0 74975.00 की सामग्री क्रय पर मो0 सफी से दिलदार अहमद के घर तक सी0सी0 निर्माण हेतु किया जाना दर्शित है।

इसी प्रकार चैक सं0- 674080 दिनांक- 17.04.2018 से रू0 26632.00 का नकद आहरण कर वाउचर सं0- 02 दिनांक- 20.04.2018 के द्वारा रू0 26350.00 का भुगतान मस्टर रोल बावत सी0सी0 निर्माण का शेष भुगतान मो0 सफी के घर से दिलदार के घर तक सी0सी0 निर्माण पर दर्शाया गया है। इस प्रकार इस कार्य पर कुल व्यय रू0 74975.00 + रू0 26350.00 = रू0 101325.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में फर्म का बिल एवं मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्य गत वर्ष से सम्बन्धित है, जिस कारण गत वर्ष की कैश बुक, स्टीमेट, निर्माण पत्रावली, मॉप पुस्तिका, कार्य योजना उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण स्थिति अस्पष्ट रही। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से सॉढ-गॉढ कर एवं मनगंडन्त तरीके से मस्टर रोल तैयार कर धन का अपहरण किया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बिल/वाउचर, व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, वसूली की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अतः पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 (1) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रू0 101325.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 नवी एवं ग्रा0पं0 अधि0 श्री वीरपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-46ग्रामनिधि)

ग्रा0पं0-कनगवां

प्रस्तर -33 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या 06550100032738 से कुल रू0 1262566.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.06.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रू0 1262300.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू0 1262300.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना गंगवार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0-46ग)

ग्रा0पं0-हिमतनगर उर्फ चिरैदीपुर

प्रस्तर -34 वित्तीय वर्ष- 2018-19 के ग्राम पंचायत - हिम्मतनगर उर्फ चिरैदीपुर के ग्रामनिधि-1 खाता संख्या- 98440100005738 बैंक ऑफ बड़ौदा विकास भवन, अंकन रू0 3215772.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0 अधि0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक-वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषबही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मास्टर रोल, जी0एस.टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 3215772.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्रामनिधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुये समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिये। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिये।

उपरोक्त नियमो/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 3215772.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी सुश्री प्रियंका गंगवार से (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना चाहिए।

(सा0आ0सं0-30अ)

ग्रा0पं0-फुलहर

प्रस्तर -35 वित्तीय वर्ष- 2018-19 के ग्राम पंचायत - फुलहर के ग्रामनिधि-1 खाता संख्या- 35552726455 भारतीय स्टेट बैंक, न्यूरिया हुसैनपुर अंकन रू0 997507.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0 अधि0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक-वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषबही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मास्टर रोल, जी0एस.टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 997507.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्रामनिधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुये समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिये। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिये।

उपरोक्त नियमो/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 997507.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निहाल देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मदास वर्मा से (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना चाहिए।

(सा0आ0सं0-04अ)

ग्रा0पं0-ललपुरिया साहब सिंह

प्रस्तर -36 वित्तीय वर्ष- 2018-19 के ग्राम पंचायत - ललपुरिया साहब सिंह के ग्रामनिधि-1 खाता संख्या- 9844100012946 बैंक ऑफ बड़ौदा विकास भवन अंकन रू0 701043.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0 अधि0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0कार्ययोजना,

टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक-वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषबही, सामग्री क्रय आ/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित का देश, बिल-वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मास्टर रोल, जी0एस.टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 701043.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्रामनिधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुये समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिये। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिये।

उपरोक्त नियमो/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 701043.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूपराम तथा ग्राम विकास अधिकारी सुश्री प्रियंका गंगवार से (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना चाहिए (सा0आ0सं0-04अ)

ग्रा0पं0-भमौरा

प्रस्तर -37 वित्तीय वर्ष- 2018-19 के ग्राम पंचायत-भमौरा के ग्रामनिधि-1 खाता संख्या- 262002434 पिपरिया अगरू, अंकन रू0 1485395.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0 अधि0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक-वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषबही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मास्टर रोल, जी0एस.टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 1485395.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्रामनिधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुये समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिये। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिये।

उपरोक्त नियमो/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 1485395.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारो देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मदास वर्मा से (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना चाहिए।

(सा0आ0सं0-04अ.)

ग्रा0पं0-बरहा

प्रस्तर -38 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया कि माह अक्टूबर-2018 में निम्न विवरण अनुसार चैकों का आहरण अलग-अलग व्यक्तियों से विभिन्न तिथियों में कराया गया है। बैंक खाता संख्या- 24110100001490 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कैच पीलीभीत, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम सं0	चैक सं0/दिनांक	धनराशि (रू0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैशबुक में आय एवं व्यय पक्ष में अंकन
1	578 24.10.2018	40300.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
2	581 25.10.2018	48500.00	जगदीश प्रसाद	अंकन नहीं
3	593 26.10.2018	40600.00	राम मूर्ति लाल (प्रधानपति)	अंकन नहीं
4	589 26.10.2018	35000.00	राम मूर्ति लाल (प्रधानपति)	अंकन नहीं

5	591	26.10.2018	25500.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
6	590	26.10.2018	25300.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
7	594	26.10.2018	30700.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
8	586	26.10.2018	25500.00	कासिफ खान	अंकन नहीं
9	588	26.10.2018	35500.00	कासिफ खान	अंकन नहीं
10	587	26.10.2018	30500.00	चौद खॉ	अंकन नहीं
11	585	26.10.2018	30200.00	चौद खॉ	अंकन नहीं
12	597	29.10.2018	40600.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
13	598	29.10.2018	35100.00	उमेश कुमार वर्मा	अंकन नहीं
	योग		443300.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ₹0- 443300.00 का आहरण ग्राम निधि बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न लोगों से कराया गया है। जिसका लेखांकन कैश में नहीं किया गया है। कैश बुक के आय पक्ष में अंकन नहीं किये जाने के कारण व्यय पक्ष में व्यय भी दर्शित नहीं किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-2 के बिन्दु-6 के अनुसार ग्राम निधि के खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। निधि से किसी अनधिकृत तथा कपट पूर्ण आहरण की दशा में ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः ग्राम निधि खाते से कपट पूर्ण किये गये आहरण ₹0- 443300.00 की वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिजवान से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-34,)

ग्रा0पं0-बरहा

प्रस्तर -39 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि बैंक खाता संख्या- 24110100001490 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कैच पीलीभीत से मनमाने ढंग से धन आहरित करारकर कैश बुक में व्यय दर्शाया गया, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/दर्शित फर्म में बिल उपलब्ध नहीं रहा। व्यय प्रमाणक दर्शित फर्म का बिल ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से बार-बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया। विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0स0	चैक सं0/दिनांक	धनराशि (₹0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैशबुक वाउचर नं0/दि0	दर्शित सामग्री क्रय का विवरण	धनराशि (₹0 में)
1	571-20.10.2018	35400.00	राममूर्ति लाल	73 20.10.2018	80 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति 6.51 मीट्रिक टन मोंरग दर 1750 प्रति मीट्रिक टन	24000.00 11400.00
2	574-20.10.2018	25500.00	कासिफ	74 20.10.2018	हैण्ड पम्प रिवोर कार्य	25500.00
3	574-20.10.2018	25500.00	कासिफ	75 20.10.2018	हैण्ड पम्प रिवोर कार्य	25500.00
4	582-23.10.2018	40100.00	कासिफ खान	77 23.10.2018	7566 नग खंजर ईटदर 5300 प्रति 1000	40100.00
5	577-23.10.	40500.00	भगवान दास	78 23.10.	11.42 धनमी0 मोंरग	20000.00

	2018			2018	दर 1750 प्रति धनमी0 11.08 धनमी0 बजरी दर 1850 प्रति धनमी0	20500.00
6	576—23.10. 2018	35500.00	भगवान दास	79 24.10. 2018	19245 नग खंजर ईटदर 5300 प्रति 1000	102000. 00
7	584—23.10. 2018	32500.00	कासिफ खान			
8	583—23.10. 2018	35500.00	कासिफ खान			
9	580—24.10. 2018	46200.00	राममूर्ति लाल	80 24.10. 2018	105 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति 8.37 धनमी0 मॉरग दर 1750 प्रति धनमी0	31500.00 14650.00
10	579—24.10. 2018	35100.00	उमेश कुमार वर्मा	80 24.10. 2018	12.70 धनमी0 बजरी दर 1850 प्रति धनमी0	23510.00
11	596—30.10. 2018	30500.00	भगवान दास	81 30.10. 2018	18301 नग खंजर ईटदर 5300 प्रति 1000	97000.00
12	595—30.10. 2018	30500.00	भगवान दास			
13	600—30.10. 2018	35600.00	कासिफ खान			
14	602—30.10. 2018	25500.00	कासिफ खान	82 30.10. 2018	पेपर ब्लॉक ईट क्रय संख्या—	70194.00
15	601—30.10. 2018	30500.00	चाँद खाँ			
16	599—30.10. 2018	40700.00	चाँद खाँ	83 30.10. 2018	8 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति 9.17 धनमी0 मॉरग दर 1750 प्रति धनमी0	24000.00 1609.00
17	608—01.11. 2018	40500.00	राम मूर्ति लाल	84 01.11. 2018	135 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति	40500.00
18	610—01.11. 2018	30000.00	हरेन्द्र सिंह	85 01.11. 2018	पेपर ब्लॉक ईट क्रय	30000.00
19	609—01.11.	40400.00	हरेन्द्र सिंह	86 01.11.	3588 नग पेपर	61000.00

	2018			2018	ब्लाक ईट क्रय 17000 / -	
20	606-01.11. 2018	20600.00	चाँद खाँ	86 01.11. 2018		
21	605-01.11. 2018	40500.00	चाँद खाँ	87 01.11. 2018	135 बैग सीमेन्ट दर दर 300 प्रति	40500.00
22	604-01.11. 2018	40700.00	कासिफ	88 01.11. 2018	12.57 धनमी0 मोंरग दर 1750 प्रति धनमी0 10.10 धनमी0 बजरी दर 1850 प्रति धनमी0	22000.00 18700.00
23	607-01.11. 2018	10300.00	कासिफ	89 01.11. 2018	मस्टर रोल सी0सी0 व नाली राजकुमार से रजत	21000.00
24	603-01.11. 2018	10300.00	कासिफ	89 05.11. 2018		
25	611-05.11. 2018	35400.00	राममूर्ति लाल	90 05.11. 2018	3576 नग पेपर ब्लाक ईट क्रय दर	60800.00
26	563-05.11. 2018	25400.00	राममूर्ति लाल	90 05.11. 2018	17000 / -	
27	567-05.11. 2018	35500.00	राममूर्ति लाल	91 05.11. 2018	12075 नग चांजर ईट क्रय दर	64000.00
28	614-05.11. 2018	28500.00	मो0 असलम	91 05.11. 2018	5500 / -	
29	558-05.11. 2018	26800.00	शाहिद	94 05.11. 2018		
30	557-05.11. 2018	25600.00	आमिर	94 05.11. 2018	14339 नग खंजर ईट क्रय 5300 / -	76000.00
31	560-05.11. 2018	25500.00	असलम अन्सारी	94 05.11. 2018		
32	561-05.11. 2018	26300.00	असलम अन्सारी	95 05.11. 2018	97 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति	29100.00
33	562-05.11. 2018	27000.00	असलम अन्सारी	95 05.11. 2018	12.05 धनमी0 मोंरग दर 1750 प्रति धनमी0	21087.00
34	565-05.11. 2018	20000.00	असलम अन्सारी	95 05.11. 2018	8.6 धनमी0 बजरी दर 1850 प्रति धनमी0	15910.00
35	424-06.11. 2018	27500.00	असलम अन्सारी	96 05.11. 2018	2332 नग पेपर ब्लाक क्रय दर 17000 / -	39657.00

36	566—12.11. 2018	5000.00	कासिफ खान	98 12.11. 2018	रसीद बालू क्रय	5000.00
37	615—12.11. 2018	49200.00	हरेन्द्र सिंह	99 12.11. 2018	4952 नग पेपर ब्लाक ईट क्रय दर	84200.00
38	564—12.11. 2018	35000.00	सी०एल०जी०	99 12.11. 2018	17000 /—	
39	578—12.11. 2018	65200.00	कमल	101 12. 11.2018	12301 नग खंजर दर 5300 /—	65200.00
40	569—12.11. 2018	75400.00	सी०एल०जी०	100 12. 11.2018	200 बैग सीमेन्ट दर दर 300 प्रति	60000.00
					8.8 धनमी० मोंरग दर 1750 प्रति	15400.00
				101 12. 11.2018	10.05 धनमी० रोड़ा दर 900 प्रति	9050.00
					धनमी०	
41	422—12.11. 2018	27800.00	कासिफ	102 13. 11.2018	रसीद बाबत मिट्टी भराव	25000.00
42	685—14.11. 2018	30500.00	कासिफ	104 13. 11.2018		
43	686—14.11. 2018	25000.00	कासिफ	104 13. 11.2018	4441 नग पेपर ब्लाक ईट दर	75500.00
44	684—14.11. 2018	25000.00	असलम अन्सारी	104 13. 11.2018	17000 /—	
45	683—14.11. 2018	25500.00	असलम अंसारी	105 14. 11.2018	90 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति	27000.00
46	682—14.11. 2018	30600.00	असलम अंसारी	105 14. 11.2018	11.44 धनमी० मोंरग दर 1750 प्रति	20020.00
					धनमी०	
47	681—14.11. 2018	30500.00	असलम अंसारी	105 14. 11.2018	13.20 धनमी० बजरी दर 1850 प्रति	24420.00
					धनमी०	
48	687—14.11. 2018	30600.00	आमिर	106 14. 11.2018	5044 नग ईट प्रथम दर 5800 प्रति	29255.00
49	680—15.11. 2018	50000.00	कमल इन्टर प्रा०	107 15. 11.2018	कमल इन्टरप्राइजेज	50000.00

50	679-15.11. 2018	55000.00	कमल इन्टर प्रा०	108 15. 11.2018	कमल इन्टरप्राइजेज	55000.00
51	678-17.11. 2018	50000.00	राजा	109 17. 11.2018	रजा ब्रिक फील्ड	50000.00
52	677-17.11. 2018	60000.00	राजा	110 17. 11.2018	रजा ब्रिक फील्ड	60000.00
53	676-17.11. 2018	50000.00	राजा	111 17. 11.2018	रजा ब्रिक फील्ड	50000.00
54	665-17.11. 2018	25700.00	कासिफ	113 17. 11.2018	1529 नग पेपर ब्लाक दर 1700 प्रति	26000.00
55	663-17.11. 2018	25600.00	आमिर	114 17. 11.2018	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री	25600.00
56	661-17.11. 2018	25500.00	आमिर	115 17. 11.2018	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री	25500.00
57	667-19.11. 2018	25600.00	राममूर्ति लाल	117 19. 11.2018	3300 नग पेपर ब्लाक दर 1700 प्रति	56100.00
58	670-19.11. 2018	30500.00	चाँद खाँ	117 19. 11.2018		
59	671-19.11. 2018	30200.00	चाँद खाँ	118 19. 11.2018	75 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति	22500.00
60	669-19.11. 2018	30700.00	कासिफ	118 19. 11.2018	13.2 धनमी० मोरंग दर 1750 प्रति 11.2 धनमी० बजरी दर 1850 प्रति	23100.00 20720.00
61	650-26.11. 2018	25500.00	चाँद खाँ	120 26. 11.2018	10584 नग खंजर ईट दर 5300 प्रति	56095.00
62	653-26.11. 2018	30600.00	कासिफ	120 26. 11.2018		
63	652-26.11. 2018	25600.00	आमिर	122 26. 11.2018	45 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति 5.7 धनमी० मोरंग दर 1750 प्रति	13500.00 9975.00
64	648-26.11. 2018	50000.00	राजा बि०फी०	123 26. 11.2018	राजा ब्रिक फील्ड	50000.00
65	649-26.11. 2018	55000.00	राजा बि०फी०	124 26. 11.2018	राजा ब्रिक फील्ड	55000.00
66	646-27.11. 2018	50000.00	शिव	125 27. 11.2018	शिव गंगे ट्रेडिंग कं०	50000.00

67	674—27.11. 2018	50000.00	शिव	126 27. 11.2018	शिव गंगे ट्रेडिंग कं०	50000.00
68	675—27.11. 2018	50000.00	शिव	127 27. 11.2018	शिव गंगे ट्रेडिंग कं०	50000.00
69	647—27.11. 2018	50000.00	शिव	128 27. 11.2018	7334 नग पेपर ब्लाक दर 1700 प्रति	73680.00
70	673—27.11. 2018	18245.00	शिवम्	128 27. 11.2018		
71	426—29.11. 2018	30600.00	चाँद खाँ	129 29. 11.2018	13584 नग खंजर ईट दर 5300 प्रति	72000.00
72	427—29.11. 2018	25700.00	चाँद खाँ	129 29. 11.2018	17.5 धनमी० रोड़ा दर 900 प्रति	15750.00
73	425—29.11. 2018	30500.00	कासिफ	129 29. 11.2018		
74	428—29.11. 2018	35200.00	कासिफ	130 29. 11.2018	प्रा०वि० बरहा में पुताई हेतु सामग्री क्रय	35200.00
75	658—29.11. 2018	40500.00	मो० असलम अंसारी	131 29. 11.2018	6982 नग ईट प्रथम दर 5800 प्रति	40500.00
76	656—29.11. 2018	30200.00	मो० असलम अंसारी	134 29. 11.2018	1779 नग पेपर ब्लाक दर 17000 प्रति	30250.00
77	654—30.11. 2018	35400.00	मो० असलम अंसारी	135 30. 11.2018	पेंट प्राइमर आदि	35400.00
78	655—30.11. 2018	35000.00	मो० असलम अंसारी	136 30. 11.2018	हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री	35000.00
79	659—30.11. 2018	40400.00	मो० असलम अंसारी	137 30. 11.2018	7622 नग खंजर ईट दर 5300 प्रति	40400.00
80	660—30.11. 2018	40600.00	मो० असलम अंसारी	138 30. 11.2018	100 बैग सीमेन्ट दर 300 प्रति 6.05 धनमी० मोरंग दर 1750 प्रति	30000.00 10600
					योग	2744073. 00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह अक्टूबर एवं नवम्बर-2018 में कुल रू०— 2744073.00 का आहरण विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों से कराया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में एक भी व्यय प्रमाणक/फर्म का बिल लेखा परीक्षा में बार-बार मांग के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, वसूली किये जाने का प्रावधान है। पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के

प्रावधान अनुसार रू0- 2744073.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिजवान से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-35)

ग्रा0पं0-बरहा

प्रस्तर -40 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह अक्टूबर-2018 में व्यय प्रमाणक संख्या- 72/20.10.2018 एवं 76/22.10.2018 से क्रमशः रमाशंकर के घर से मुन्ना मौर्या के घर तक नाली/पेपर ब्लाक तथा मैयका के घर से ऊषा प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य पर मजदूरों को रू0- 35000.00 एवं रू0- 30100.00 के व्यय का भुगतान बैंक संख्या- 572/20.10.2018 से रू0- 35200.00 का आहरण राममूर्ति लाल एवं बैंक सं0- 575/20.10.2018 से रू0- 30100.00 का आहरण राममूर्ति लाल से कराकर कैशबुक में दर्शित है। दोनों मस्टर रोलों की जांच में पाया गया क्रमशः गंगाराम, रमेश, सत्यपाल एवं जगदीश के नाम की पुनरावृत्ति की गई है। किसी भी मस्टर रोल पर कार्य प्रा0 तिथि, समाप्त तिथि माह एवं वर्ष भी अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक से रू0- 65300.00 का आहरण राममूर्ति लाल से कराकर कुल रू0- 65100.00 के कूटरचित ढंग से मस्टर रोल तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 65100.00 की वसूली ब्याज सहित पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिजवान से की जानी अपेक्षित है। (साक्ष्य हेतु वाउचर संख्या- 72, 76 की छायाप्रति संलग्न) (सा0आ0सं0-36)

ग्रा0पं0-बरहा

प्रस्तर -41 इसी प्रकार माह नवम्बर-2018 में दर्शाये गये मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि किसी भी मस्टर रोल पर प्रा0 तिथि, समाप्त तिथि, माह, वर्ष, दर्शित नहीं है। सभी मस्टर रोलों में एक से नाम दर्शाये गये हैं। एवं सभी में उपस्थिति दिनांक- 01 से ही दर्शित है। मस्टर रोलों का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0 सं0	वाउचर सं0/दि0	धनराशि रुपये	कार्य का नाम	पुनरावृत्ति किये गये नामों की संख्या
1	89 05.11.2018	21000.00	राजकुमार के घर से रजत के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	08/09
2	93 05.11.2018	42000.00	सोमवती के घर से नरेश के घर तक नाली एवं खड़ण्जा निर्माण	08/09
3	97 06.11.2018	26250.00	रामबहादुर के घर से उमेश लेखपाल के घर तक नाली एवं पेपर ब्लाक कार्य	09/09
4	103 13.11.2018	42000.00	विधाराम के घर से हरदयाल के घर तक नाली एवं पेपर ब्लाक कार्य	09/09
5	112 17.11.2018	25550.00	नाली एवं पेपर ब्लाक कार्य	06/09
6	116 19.11.2018	30450.00	सोभाराम के घर से रामलखन के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	06/09
7	121 26.11.2018	21000.00	रामनाथ के घर से मुनेन्द्र के घर तक नाली एवं खड़ण्जा निर्माण	08/09
8	132 29.11.2018	30450.00	पूर्व मा0वि0 में मिट्टी भरव कार्य	03/09
	योग	238700.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह नवम्बर-2018 में कुल रू0- 238700.00 का व्यय मस्टर रोलों पर दर्शाया गया है। सभी मस्टर रोल कूटरचित तरीके से तैयार किये हैं। अतः रू0 238700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार रू0- 238700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिजवान से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-37)

ग्रा0पं0-पिपरावाले

प्रस्तर -42 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यय प्रमाणक संख्या-18 दिनांक- 05.09.2018 से रू0- 10000.00 का व्यय आडिट पर व्यय कैश बुक में दर्शित है,

जिसकी पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, बिल, विभागीय आदेश अप्राप्त रहे, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि यह व्यय किस प्रकार के आडिट पर किस प्राबधान हेतु किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 10000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित दूबे से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-39)

ग्रा०पं०-पिपरावाले

प्रस्तर -43 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार धन आहरित कर, कुमार इलैक्ट्रिकल्स को भुगतान किया जाना कैश बुक में दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार सहे है -

चैक नं०/दिनांक	धनराशि (रु० में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैशबुक वाउचर सं०	धनराशि (रु० में)	विवरण	फर्म का नाम एवं बिल सं०
367 / 12.06.2018	89600.00	कुमार इलैक्ट्रिकल्स	03 / 12.06.2018	89600.00	अप्राप्त	अप्राप्त
366 / 12.06.2018	89600.00	कुमार इलैक्ट्रिकल्स	04 / 12.06.2018	89600.00	अप्राप्त	अप्राप्त
359 / 26.06.2018	89600.00	कुमार इलैक्ट्रिकल्स	09 / 26.06.2018	89600.00	अप्राप्त	अप्राप्त
योग	268800.00			268800.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रु०- 268800.00 का भुगतान कुमार इलैक्ट्रिकल्स को किया गया है। परन्तु इसकी पुष्टि में फर्म का बिल उपलब्ध नहीं रहा, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि सम्बन्धित फर्म से, किस दर से क्या सामग्री क्रय की गई है। स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर कूटरचित ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 268800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित दूबे से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-40,)

ग्रा०पं०-पिपरावाले

प्रस्तर -44 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चैक संख्या- 373 दिनांक- 23.07.2018 के द्वारा रु०- 90000.00 का भुगतान सन्धू जनरल आर्डर सप्लायर पीलीभीत को किये जाने की पुष्टि बैंक से भी हो रही है। परन्तु इस भुगतान के सापेक्ष कैशबुक में निम्न अनुसार व्यय दर्शित है।

कैशबुक अनुसार वाउचर सं० एवं दिनांक	दर्शित सामग्री का विवरण	धनराशि (रु० में)
12 / 23.07.2018	सन्धू जनरल आर्डर सप्लायर को भुगतान	45750.00
13 / 23.07.2018	02 नग ढेली दर रु०- 8300.00 प्रति ढेली	16400.00
	अलमारी स्टील	8050.00
	सफाई किट	1750.00
	10 कुर्सी रु०- 550.00 प्रति	5500.00
	कुर्सी स्पेशल	4500.00
	मेज	5250.00
	04 नग दरी रु०- 700.00 प्रति	2800.00
	योग	90000.00

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संदर्भित क्रय से सम्बन्धित फर्म का बिल, प्रस्ताव पंजिका, स्टाक पंजिका उपलब्ध नहीं कराये गये, जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में फर्म से क्या सामग्री क्रय की गई है। अतः स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर कूटरचित ढंग से व्यय दर्शाकर धन

का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु0- 90000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित दूबे से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-41,)

ग्रा0पं0-पिपरावाले

प्रस्तर -45 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मै0वी0के0 सीमेन्ट स्टोर, कल्यानपुर नौगवां, माधौटांडा रोड, पूरनपुर के बिल संख्या- 420 को कैश बुक में वाउचर संख्या 93 एवं 97 के रूप में प्रयोग किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है-

फर्म का बिल सं0 एवं दिनांक	फर्म का नाम	कैशबुक अनुसार वाउचर नं0/दिनांक	सामग्री	धनराशि (रु0 में)
420 / 05.03.2019	वी0के0 सीमेन्ट स्टोर	93 / 05.03.2019	43 नग सीमेन्ट दर 268.00	14090.00
			2.60 मीटर कोर सेंड दर 2281.00	5932.00
			3.69 मीटरस्ट्रीट गिट्ट दर 2229.00	8225.00
	योग			28247.00
420 / 16.03.2019	वी0के0 सीमेन्ट स्टोर	97 / 16.03.2019	205 नग सीमेन्ट दर 300.00	61500.00
			12.50 मीटरकोर सेंड दर 2281.00	28512.00
			13.70 मीटरस्ट्रीट गिट्ट दर 2229.00	30537.00
	योग			120549.00

वाउचर नं0- 93 एवं 97 के रूप में संलग्न बिलपर केवल नं0- 420 ही अंकित है। जबकि प्रत्येक बिल पर बुक नम्बर एवं क्रमांक अंकित होना अनिवार्य है। फर्म के अधिकृत व्यक्ति के रूप में भी किसी के हस्ताक्षर नहीं है। एक ही बिल दो वाउचरों क्रमशः 93 एवं 97 के रूप में प्रयुक्त किये गये हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक से नकद आहरण कराकर उक्त व्यय दर्शाया गया है। फर्म से साँठ-गाँठ कर कूटरचित तरीके से बिल तैयार कर संलग्न किये गये हैं। जो फर्जी है। अतः रु0- 28247.00 + रु0- 120549.00 कुल रु0- 148796.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु0- 148796.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित दूबे से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-42,)

ग्रा0पं0-पिपरावाले

प्रस्तर -46 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निम्न बिल उपलब्ध नहीं पाये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं0/दिनांक	सामग्री क्रय दर्शित	फर्म का बिल नं0/दिनांक	धनराशि (रु0 में)
98 / 26.03.2019	11000 प्रथम श्रेणी ईट दर 5800.00	उपलब्ध नहीं	63800.00
	12.24 घनमी0 रोड़ा दर 945.00	उपलब्ध नहीं	11566.00
96 / 16.03.2019	8000 प्रथम श्रेणी ईट दर 5565.00	उपलब्ध नहीं	44520.00
92 / 05.03.2019	एम0आर पुलिया निर्माण	एम0आर नहीं	2800.00
79 / 25.03.2019	कैश बुक में दर्शित नहीं	उपलब्ध नहीं	31892.00
80 / 25.03.2019	कैश बुक में दर्शित नहीं	उपलब्ध नहीं	18592.00
योग			173170.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ₹0- 173170.00 से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये। जो स्पष्ट करता है कि मनमाने ढंग से कूटरचित तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये ₹0- 173170.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित दूबे से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-43.)

ग्रा0पं0-मीरपुर

प्रस्तर -47 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी को मानदेय का भुगतान किया है, विवरण निम्न प्रकार से है-

चैकनं0/दिनांक	धनराशि (₹0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैशबुक वाउचर सं0	अवधि एवं दर	वाउचर की स्थिति
402308 / 04.05.2018	14000.00	गायत्री देवी	06 / 04.05. 2018	जनवरी-2018 से अप्रैल-2018	उपलब्ध नहीं
922561 / 12.12.2018	35000.00	गायत्री देवी	34 / 12.12. 2018	10 माह	उपलब्ध नहीं
योग	49000.00				

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान को कुल 14 माह का मानदेय ₹0- 3500.00 प्रति माह की दर से दिया गया है। क्रम संख्या 01 के अनुसार माह जनवरी-2018 से अप्रैल-2018 तक एवं क्रम संख्या 02 के अनुसार 10 माह अर्थात् मई-2018 से फरवरी-2019 तक का मानदेय दिया जाना दर्शित है। नियमतः दिनांक- 12.12.2018 को माह फरवरी-2019 तक का मानदेय दिया जाना सम्भव ही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि माह दिसम्बर- 2018 फरवरी-2019 तक कुल 03 माह का अधिक मानदेय भुगतान किया गया है। अतः 3500.00 03 त्र 10500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुये की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-37)

ग्रा0पं0-मीरपुर

प्रस्तर-48 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय मीरपुर में रंगाई-पुताई कार्य कराया जाना कैश बुक में दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं0/दिनांक	धनराशि (₹0 में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैशबुक वाउचर सं0	विवरण एम0आरएम0आर/बिल	धनराशि (₹0 में)	
922579 / 06.03.2019	35000.00	कृष्ण पाल	43 / 06.03.2019	मस्टर रोल रंगाई-पुताई कार्य	21700.00	हाँ
922571 / 06.03.2019	21500.00	अकरम अली	45 / 06.03.2019	अकरम पेंटर	21500.00	नहीं
922570 / 08.03.2019	31400.00	न्यू रंगोली पेटे क्शेर	48 / 08.03.2019	फर्म	31400.00	हाँ
योग					74600.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर कुल ₹0 74600.00 के व्यय को कैश बुक में दर्शाया गया है। क्रम संख्या 01 पर दर्ज मस्टर रोल अनुसार अकरम अली पेंटर का नाम पहले ही नं0 पर दर्ज है (मस्टर रोल संलग्न) क्रमांक 02 के अनुसार ₹0 21500.00 का अपहरण आहरण अकरम अली से कराया गया है तथा उसे ही भुगतान दर्शित है। जबकि वह मस्टर रोल अनुसार ही भुगतान प्राप्त किया है अकरम पेंटर को दर्शित भुगतान ₹0 21500.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/रसीद उपलब्ध नहीं रहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से फर्जी रूप से आहरण कराकर कूट रचित ढंग से व्यय दर्शकर धन का अपनहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते

हुये रु0 21500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-38)

ग्रा0पं0-मीरपुर

प्रस्तर -49 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में उपलब्ध कराई गयी कैश बुक में माह मार्च-2019 के योगों की जाँच में निम्न गम्भीर आपत्ति माई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

विवरण	कैश बुक में दर्शित	वास्तविक रूप से होना चाहिए	अन्तर
ग्रा0 शेष	शून्य	शून्य	शून्य
माह मार्च-2019 के आय पक्ष के दोनों पन्नों का योग	387833.00	414033.00	26200.00
माह मार्च-2019 के व्यय पक्ष के दोनों पन्नों का योग	387833.00	387833.00	शून्य
अन्तिम नकद शेष	शून्य	26200.00	26200.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह के अन्त में प्रधान के पास नकद अवशेष धनराशि रु0- 26200.00 होना चाहिए था, परन्तु कैश बुक में शून्य दर्शाया गया है, जो एक गम्भीर वित्तीय स्थिति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर रु0- 26200 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-39)

ग्रा0पं0-मीरपुर

प्रस्तर -50 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या 402333 दिनांक- 09.08.2018 के द्वारा रु0- 60000.00 का भुगतान मै0 सन्धू जनरल आर्डर सप्लायर्स, पीलीभीत को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है, जिसके सापेक्ष कैश बुक में व्यय प्रमाणक संख्या-21 दिनांक- 09.08.2018 के द्वारा मै0 सन्धू जनरल आर्डर सप्लायर्स, पीलीभीत से ड्रम एवं डेली क्रय रु0- 60000.00 में क्रय किया जाना दर्शाया है। जबकि फर्म का संलग्न बिल संख्या-116 (जिस पर दिनांक अंकित नहीं है।) के अनुसार 10 डस्टविन रु0- 60000.00 में क्रय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ-गाँठ कर मनमाने ढंग से भुगतान कर कूटरचित तरीके से अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु0- 60000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-40)

ग्रा0पं0-पौटा कलां

प्रस्तर -51 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में माह अप्रैल-2018 में निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय कैश बुक में दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं0/दिनांक	धनराशि (रु0 में)	फर्म का नाम	वाउचर नं0/कैश बुक	सामग्री का विवरण	धनराशि (रु0 में)
022188 / 05.04.2018	16975.00	मंसूरी सीमेन्ट स्टोर	01 / 05.04.2018	27 बैग सीमेंट दर 327.68	16975.00
				8.12 घनमी0 रेत दर 840.00	
				0.85 घनमी0 मोरंग दर 2281.65	
022187 / 05.04.2018	34214.00	मंसूरी सीमेन्ट स्टोर	02 / 05.04.2018	70 बैग सीमेंट दर 327.68	34214.00

				9.94 घनमी० मोरंग दर 2281. 65	
022190 / 05.04.2018	1297.00	मंसूरी सीमेन्ट स्टोर	03 / 05.04.2018	1.54 घनमी० रेत दर 840.00	1297.00
योग	52486.00				52486.00

उक्त विवरणानुसार क्रय दर्शित सामग्री के क्रय में सम्बन्धित फर्म का बिल सामग्री का उपयोग कहाँ पर हुआ है। कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृत संख्या, स्टीमेट, मॉप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर मस्टर रोल भी प्रयोग नहीं किये गये हैं। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म के साथ सॉट-गॉट कर अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु० 52486.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17,)

ग्रा०पं०-पौटा कलां

प्रस्तर -52 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार डस्टविन क्रय किये जाने दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार से है एम इंटरप्राइजेज

चैक नं०/दिनांक	धनराशि (रु० में)	फर्म का नाम	वाउचर नं०/कैश बुक	सामग्री का विवरण	धनराशि (रु० में)
22738 / 12. 06.2018	137500.00	एम इंटरप्राइजेज	15 / 12.06.2018	25 कूड़ादान दर 5500.00	137500.00
023262 / 30.06.2018	137500.00	एम इंटरप्राइजेज	18 / 30.06.2018	25 कूड़ादान दर 5500.00	137500.00
023271 / 17.07.2018	9000.00	सन्धु जनरल आर्डर सप्लायर	23 / 17.07.201	15 कूड़ादान दर 6000.00	9000.00
योग	365000.00			65 कूड़ादान	365000.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रु०- 365000.00 में 65 कूड़ादान क्रय किये जाने दर्शित है। संदर्भित क्रय से सम्बन्धित प्रस्ताव पंजिका, कुटेशन/निविदा, मय कूड़ादान कहाँ-कहाँ लगे हैं, की पुष्टि सम्बन्धी अभिलेखों को जिला अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित दरें एवं कूड़ेदान का स्पेशीफिकेशन, संस्था केबिल अप्राप्त रहे। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 365000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-18)

ग्रा०पं०-पौटा कलां

प्रस्तर -53 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या- 033466 दिनांक- 01.02.2019 को रु०- 78500.00 का भुगतान ट्रांसफर के द्वारा किया गया है। कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि भुगतान किसे किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कैश बुक में व्यय प्रमाणक, संख्या-85 दिनांक- 01.02.2019 से व्यय रु०- 78500.00 का दर्शित है परन्तु इस धनराशि से किस फर्म/व्यक्ति से क्या सामग्री क्रय की गई अन्यथा क्या सेवा ली गई का विवरण अंकित ही नहीं किया गया है। न ही फर्म/संस्था का बिल ही उपलब्ध रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 78500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-19)

ग्रा०पं०-पौटा कलां

प्रस्तर -54 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या- 030836 दिनांक- 12.11.2018 को रू0- 93000.00 का भुगतान बैंक अनुसार श्री वाला जी ब्रिक्स फील्ड को किया गया है। परन्तु कैश बुक में व्यय प्रमाणक, संख्या-51 दिनांक- 12.11.2018 से निम्न सामग्री मैसर्स रजा ब्रिक फील्ड से क्रय किया जाना अंकित किया गया है। फर्म का बिल उपलब्ध नहीं रहा। क्रय दर्शित सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है।

सामग्री	क्रय दर	कुल भुगतान
9000 ईट प्रथम श्रेणी	रू0- 5565.00 (प्रति हजार)	50085.00
4000 ईट प्रथम श्रेणी	रू0- 5565.00 (प्रति हजार)	22260.00
21.857 घनमी0 रोड़ा	रू0- 945.00 (प्रति घनमी0)	20655.00
योग		93000.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साँठ-गाँठ कर धन आहरित कराकर, मनमाने ढंग से सामग्री क्रय दर्शित कर, धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रू0- 93000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

ग्रा0पं0-पौटा कलां

प्रस्तर -55 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वारात घर, पौटा कलां हेतु निम्न सामग्री क्रय किया जाना कैश बुक में दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं0/दिनांक	धनराशि (रू0 में)	बैंक से धन प्राप्तकर्ता का नाम	वाउचर नं0/कैश बुक	सामग्री का विवरण	धनराशि (रू0 में)	फर्म का बिल
033562 / 28.01.2019	15000.00	मो0आरिस	75 / 28.01.2019	खिड़की आदि	15000.00	अप्राप्त
033159 / 29.01.2019	20000.00	आसिफ ट्रेडर्स	80 / 29.01.2019	गिल गेट	20000.00	अप्राप्त
033157 / 29.01.2019	15000.00	कृष्णा स्टील	82 / 29.01.2019	खिड़की आदि	15000.00	अप्राप्त
योग	50000.00				50000.00	

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रू0- 50000.00 की सामग्री का क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में फर्म का बिल, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, कुटेशन/निविदा पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम विभागीय अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट है कि फर्मों से साँठ-गाँठ कर मनमाने ढंग से कूटरचित तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रू0- 50000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21)

ग्रा0पं0-पौटा कलां

प्रस्तर -56 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बीसलपुर रोड से हनीफ के घर तक मिट्टी भराव कार्य पर निम्न प्रकार धनराशि का आहरण एवं व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं0/दिनांक	धनराशि (रू0 में)	बैंक अनुसार धनराशि प्राप्तकर्ता	कैशबुक अनुसार वाउचर	धनराशि व्यय का विवरण(रू0 में)	कार्य सामग्री
032120 / 14.01.2019	14691.00	नकद	64 / 22.01.2019	92750.00	मास्टर रोल वावत मिट्टी

032124 / 14.01.2019	8900.00	नकद			कार्य
033144 / 17.01.2019	15426.00	मो० आसिक			
033143 / 18.01.2019	57960.00	नकद			
033792 / 15.03.2019	14000.00	अनवार खाँ	112 / 15.03.2019	140000.00	2074.07 घनमी० मिट्टी दर 840.00
योग	236977.00			232750.00	

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दर्शित कार्य पर कुल रु०— 232750.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य—योजना, कार्यवाही पंजिका, कुटेशन/निविदा पत्रावली, स्टीमेट, मस्टर रोल, बिल/वाउचर, माँप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, आदि उपलब्ध नहीं रहे, जिसकारण दर्शित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मस्टर रोल का भुगतान दिनांक— 22.01.2019 से दिनांक— 14.01.2019 से 18.01.2019 तक धन आहरित कर किया जाना दर्शित है जबकि सामग्री क्रय (मिट्टी) दिनांक— 15.03.2019 में दर्शित है। अर्थात् 02 माह बाद क्रय किया जाना दर्शित है। जो सम्भव नहीं है।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा—8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम संख्या—256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०— 232750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—22)

ग्रा०पं०—पौटा कलां

प्रस्तर —57 इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष— 2018—19 में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कैश बुक में पंचायत घर में मिट्टी भराव कार्य पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय की जानी दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

चैक नं०/दिनांक	धनराशि(रु० में)	बैंक अनुसार धनराशि प्राप्तकर्ता	कैशबुक अनुसार वाउचर	धनराशि व्यय का विवरण (रु० में)	प्राप्तकर्ता	मिट्टी
022731 / 05.05.2018	70000.00	अनवार	11 / 05.05.2018	70000.00	अन्सार	1037.03 धनमी० दर 67 / 50
022732 / 05.05.2018	5000.00	अनवार	12 / 05.05.2018	5000.00	अन्सार	74.07 धनमी० दर 67.50
022737 / 08.06.2018	55000.00	अनवार	14 / 08.06.2018	55000.00	अन्सार	814.81 धनमी० दर 67.50
022740 / 26.06.2018	60000.00	अनवार	17 / 26.06.2018	60000.00	अन्सार	888.88 धनमी० दर 67.50
022266 / 10.07.2018	18000.00	अनवार	20 / 10.07.2018	18000.00	अन्सार	266.66 धनमी० दर 67.50
योग	208000.00			208000.00		

इस प्रकार पंचायत भवन में मिट्टी भराव पर रु०— 208000.00 की मिट्टी खरीद दर्शित है, परन्तु मिट्टी फैलाने पर मजदूरी का भुगतान नहीं दर्शित है। रु०— 208000.00 में कुल 3081.45 धनमी० मिट्टी श्री अन्सार से क्रय की जानी दर्शित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धनराशि का आहरण श्री अनवार से कराया गया है परन्तु भुगतान श्री अन्सार को किया जाना दर्शाया गया है। श्री अन्सार ने मिट्टी की आपूर्ति किस प्रकार से, किस वाहन से की है, भी बिल/वाउचर/रसीद के अभाव में अपुष्ट रहा। साथ ही साथ इस कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, स्टीमेट, कुटेशन/निविदा पंजिका, बिल/वाउचर/रसीद, माँप पुस्तिका, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव दर्शित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा—8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में

आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 208000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-23)

ग्रा०पं०-पौटा कलां

प्रस्तर -58 इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष में 02 अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विवरणानुसार धन आहरित कर व्यय किया जाना दर्शित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है-

चैक नं०/दिनांक	धनराशि (रु० में)	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	कैश बुक अनुसार वाउचर	धनराशि (रु० में)	कार्य	फर्म का नाम	कर्म का बिल
033614 / 18.03.2019	22000.00	नकद	122 / 18. 03.2019	22000.00	हैण्ड पम्प रिबोर का सामान (02)	ममता इन्टरप्राइजेज	उपलब्ध नहीं
004733 / 27.03.2019	24779.00	नफीस अहमद	123 / 27. 03.2019	24779.00	रिबोर लेबर एवं मिस्त्री (01)		उपलब्ध नहीं
004734 / 27.03.2019	24779.00	नकद	124 / 27. 03.2019	24779.00	रिबोर लेबर एवं मिस्त्री (01)		उपलब्ध नहीं
004732 / 27.03.2019	49558.00	नकद	125 / 27. 03.2019	49558.00	रिबोर लेबर एवं मिस्त्री (02)		उपलब्ध नहीं
004730 / 28.03.2019	52759.00	ममता इन्टरप्राइजेज	126 / 28. 03.2019	52759.00	रिबोर का सामान (05)	ममता इन्टरप्राइजेज	उपलब्ध नहीं
004731 / 28.03.2019	24779.00	नकद	127 / 28. 03.2019	24779.00	रिबोर लेबर एवं मिस्त्री (01)		उपलब्ध नहीं
योग	198654.00			198654.00			

नोट:- रिबोर हेतु सामग्री क्रय 07 हैण्ड पम्प हेतु। रिबोर हेतु लेबर एवं मिस्त्री 05 हैण्ड पम्प हेतु।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक से नकद एवं फर्म से साँठ-गाँठ कर धन आहरित कराकर, मनमाने ढंग से कूट रचित तरीके से हैण्ड पम्प रिबोर पर सामग्री क्रय एवं लेबर तथा मिस्त्री पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कर मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये, पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के अनुसार कार्यवाही करते हुये रु०- 198654.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रोशनी वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-24)

ग्रा०पं०-कजरी निरजनपुर

प्रस्तर -59 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में माह मार्च-2019 में निम्न विवरण अनुसार बैंक खाता संख्या- 06970100020589 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा एस०एस०आई० पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत से आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय		
चैक सं०	दिनांक	धनराशि (रु० में)	धन प्राप्तकर्ता	वाउचर नं० /दिनांक	धनराशि (रु० में)	विवरण
162	28.03.2019	49500.00	अजीम	21 / 28.03.2019	197000.00	खंजर ईट क्रय गुरुद्वारा गेट से सतनाम सिंह के घर तक
163	28.03.2019	49500.00	अजीम	22 / 28.03.2019	197000.00	खंजर ईट क्रय गुरुद्वारा गेट से सतनाम सिंह के घर तक व प्राइमरी

						स्कूल तक सेन्टर से मोहन सिंह तक
164	28.03.2019	197000.00	मेराज पूरनपुर	23 / 28.03.2019	85475.00	डट सेन्टर रोड से सुल्तान के घर तक, सेन्टर रोड से हरविन्दर के खेत तक खंडण्जा
165	28.03.2019	197000.00	मेराज पूरनपुर	23 / 28.03.2019	37800.00	मिट्टी स्कूल
158	29.03.2019	24500.00	अजीम	24 / 29.03.2019	225.00	फोटो स्टेट
	योग	517500.00			517500.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ₹0 517500.00 के आहरण के सापेक्ष कुल ₹0 517500.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है। दर्शित वाउचर नं० 21 से 24 तक का कोई भी बिल/मस्टर रोल/रसीद उपलब्ध नहीं रहा। जिस कारण दर्शित सामग्री क्रय एवं मस्टर रोल अपुष्ट रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कराकर, फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, स्टीमेट, क्रय आदेश, फर्म का बिल, एम0एम0-11, मस्टर रोल, मिट्टी खरीद रसीद, मांप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पंजिका, कार्य से सम्बन्धित त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्य अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की पैरा-8(क) के अनुसार “आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) तक के प्रावधान के अनुसार ₹0 517500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मनदीप कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-33)

ग्रा0पं0-कजरी निरजनपुर

प्रस्तर -60 वर्ष- 2018-19 में कैश बुक की जांच में पाया गया कि गुरुद्वारा रोड से सतनाम सिंह के खेत तक खंडजा कार्य हेतु ईट क्रय वाउचर संख्या- 22 / 28.03.2019 से दर्शित की गई है। (जिस पर विस्तरुत आपत्ति क्रम संख्या-33 में दर्ज है)। परन्तु इस कार्य हेतु मस्टर रोल पूर्व में ही माह नवम्बर एवं दिसम्बर-2018 में कैशबुक में दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार से है।

बैंक खाते के अनुसार आहरण				कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय		
चैक सं०	दिनांक	धनराशि(₹0 में)	धन प्राप्तकर्ता	वाउचर नं० /दिनांक	धनराशि (₹0 में)	विवरण
155	05.11.2018	45500.00	प्रमोद	14 / 05.11.2018	44900.00	डट उपलब्ध
156	15.12.2018	45000.00	अखिलेश	16 / 15.12.2018	44900.00	डट उपलब्ध
	योग	90500.00			89800.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जब कार्य दिनांक- 15.12.2018 तक पूर्ण दर्शाया है। तब माह मार्च में ईट क्रय का औचित्य ही क्या है। दर्शित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रमोद और अखिलेश के नाम उन मस्टर रोल में सम्मिलित थे अथवा नहीं। स्पष्ट है फर्जी कार्य दर्शित धन का आहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8 (क) के अनुसार आहरित धन राशि के व्यय की पुष्टि में अभिलेख (व्यय प्रमाणक) उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति धन को गबन मानते हुये, वसूली किये जाने का प्रावधान है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम सं०- 256 (क से ड) में निहित प्रावधान के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती मनदीप कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से ₹0 89800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-34)

ग्रा0पं0-शेरपुर कलां

प्रस्तर -61 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त आयोग) के अन्तर्गत संचालित बैंक खाता सं०- 0910000100057087 शाखा शेरपुर कलां जनपद- पीलीभीत से श्रीमती नाजिया खानम (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी)

द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर कुल ₹0 8065710.00 मात्र का आहरण विभिन्न तिथियों को किया गया है, विवरण निम्नवत है- दिनांक- 01.02.2019 से 31.03.2019 तक मात्र बैंक पासबुक ही उपलब्ध रही। अन्य सभी अभिलेख अप्राप्त रहे, पासबुक के अनुसार आहरण का विवरण निम्नलिखित है-

1) न्यू श्रीगणेश टाइल्स इन्डस्ट्रीज के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (₹0 में)
07.02.19	619981	50000.00
07.02.09	619983	80000.00
07.02.19	619987	30000.00
27.02.19	620010	157972.00
27.02.19	411241	44548.00
27.02.19	411247	80000.00
27.02.19	411237	60029.00
27.02.19	620037	105315.00
27.02.19	620037	136909.00
27.02.19	411248	157972.00
27.02.19	411245	67542.00
26.03.19	392065	118000.00
	योग	1088287.00

2) गणेश ब्रिक फील्ड के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (₹0 में)
28.02.19	411233	122772.00
28.02.19	620022	54255.00
28.02.19	620023	74860.00
28.02.19	620009	74765.00
28.02.19	620015	74919.00
28.02.19	411244	44576.00
28.02.19	411240	24069.00
28.02.19	411236	27599.00
28.02.19	620016	103425.00
16.03.19	411255	124727.00
16.03.19	411264	151382.00
16.03.19	411262	144173.00
16.03.19	411259	131343.00
16.03.19	411252	80410.00
22.03.19	411282	111300.00
22.03.19	411277	106779.00
25.03.19	392064	144000.00
	योग	1464330.00

3) मै० भारत ट्रेडर्स के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (₹0 में)
14.02.2019	619982	15000.00
14.02.2019	619984	15000.00
14.02.2019	619986	15000.00
26.02.2019	889464	50000.00
26.02.2019	889463	50000.00
26.02.2019	889462	50000.00
26.02.2019	889461	50000.00
16.03.2019	411253	24760.00

16.03.2019	411263	18076.00
18.03.2019	889476	62162.00
18.03.2019	889484	62446.00
18.03.2019	889480	83666.00
18.03.2019	411307	49478.00
18.03.2019	411299	50050.00
18.03.2019	411298	52000.00
18.03.2019	411310	50050.00
18.03.2019	411285	63050.00
18.03.2019	411279	52000.00
18.03.2019	889492	51427.00
18.03.2019	889489	47358.00
	योग	911523.00

4) अजन्ता ब्रिक फील्ड के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
14.02.2019	619985	40000.00
14.02.2019	619990	10000.00
14.02.2019	619988	50000.00
14.02.2019	619989	30000.00
	योग	130000.00

5) बलराम इन्टर प्राइजेज के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
27.02.2019	889465	50000.00
27.02.2019	889468	50000.00
27.02.2019	889467	50000.00
27.02.2019	889466	50000.00
26.03.2019	889498	40000.00
26.03.2019	889490	83666.00
	योग	323666.00

6) कादरी ईट भट्टा के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
01.03.2019	620036	56980.00
01.03.2019	620031	46358.00
01.03.2019	620027	127377.00
01.03.2019	411231	47450.00
01.03.2019	411234	68250.00
01.03.2019	411246	35750.00
16.03.2019	411258	44031.00
16.03.2019	411256	33893.00
16.03.2019	411268	216260.00
16.03.2019	411267	146591.00
	योग	822940.00

7) मै० सिंह एण्ड कम्पनी के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
28.02.19	620021	38767.00
28.02.19	620026	38216.00
28.02.19	620014	53440.00
28.02.19	620030	33121.00

28.02.19	620035	47851.00
28.02.19	411232	87342.00
28.02.19	411235	23438.00
28.02.19	411239	22580.00
28.02.19	411243	36719.00
28.02.19	620078	64016.00
25.03.19	411276	128420.00
25.03.19	411271	161832.00
25.03.19	411281	155943.00
26.03.19	411270	144861.00
	योग	1036546.00

8) बिलाल ट्रेडर्स के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
18.03.19	411309	108895.00
18.03.19	411288	43032.00
18.03.19	411274	52000.00
18.03.19	411280	44200.00
18.03.19	411284	65000.00
18.03.19	411273	52000.00
18.03.19	411292	52000.00
25.03.19	392061	101700.00
25.03.19	392062	100000.00
25.03.19	392063	40000.00
25.03.19	392067	61215.00
25.03.19	392066	40000.00
	योग	760042.00

9) बब्लू के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
04.02.19	619993	18000.00
04.02.19	619992	18000.00
25.02.19	411251	25000.00
26.02.19	620033	24000.00
26.02.19	620013	25000.00
26.02.19	620018	20000.00
26.02.19	620019	20000.00
11.03.19	411261	25000.00
11.03.19	411265	25000.00
18.03.19	889479	27185.00
18.03.19	411302	11050.00
18.03.19	411311	31660.00
	योग	269895.00

10) आफताब के नाम आहरण-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
26.02.19	620029	33000.00
26.02.19	620039	20000.00
26.02.19	620017	20000.00
26.02.19	620038	29000.00

26.02.19	620020	20000.00
11.03.19	411260	30000.00
18.03.19	411278	8000.00
18.03.19	889493	38350.00
	योग	198350.00

11) शमीम खान के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
25.02.19	411250	25000.00
25.02.19	620007	10000.00
25.02.19	620003	10000.00
26.02.19	620040	2100.00
26.02.19	411242	20800.00
26.02.19	411249	10000.00
26.02.19	620024	20000.00
26.02.19	620028	25000.00
26.02.19	620034	20000.00
26.02.19	620025	20000.00
11.03.19	411257	38000.00
11.03.19	411266	20000.00
18.03.19	889481	41600.00
18.03.19	889491	41600.00
	योग	304100.00

12) आफलाइन के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि (रू० में)
25.02.19	620005	10000.00
18.03.19	889477	38350.00
18.03.19	411312	36297.00
	योग	84647.00

13) विभिन्न के नाम आहरण—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि(रू० में)	नाम धनराशि प्राप्तकर्ता
04.02.19	619991	15000.00	इरफान
07.02.19	619994	10000.00	पवन स्टील ट्यूब
07.02.19	619995	4000.00	शादाव अली
08.02.19	619996	3000.00	शौलेन्द्र शर्मा
11.02.19	619997	67060.00	सूरज यादव
15.02.19	619968	10000.00	अजय कुमार
25.02.19	619998	4200.00	हसन हैदर
25.02.19	620004	10000.00	अरसद खां
25.02.19	620002	4000.00	शौलेन्द्र
25.02.19	620006	10000.00	मो० खान
26.02.19	620011	25000.00	आफाक खान
26.02.19	411238	24700.00	आफाक खान
26.02.19	620012	25000.00	आफाक खान
26.02.19	889470	15000.00	इरफान
27.02.19	619999	3500.00	अकील अहमद
27.02.19	620000	4000.00	सर्वेश मिश्रा
27.02.19	620001	4000.00	सरफराज

11.03.19	411254	30000.00	अरसद
18.03.19	411293	33800.00	अरसद खान
18.03.19	889488	38350.00	अरसद खान
18.03.19	889473	29900.00	मो0 खान
18.03.19	889485	30550.00	मो0 खान
18.03.19	411287	8800.00	मो0 खान
22.03.19	889495	35000.00	सूरज शाह
22.03.19	889496	17000.00	नसीम
22.03.19	889499	25000.00	राजाराम
22.03.19	889497	5000.00	सुशान्त शुक्ला
30.03.19	411269	27500.00	बांके बिहारी आर्यस ट्रेडर्स
26.02.19	889469	21000.00	नाजिया खानम (ग्राम प्रधान)
	योग	540360.00	

उक्त तालिका में दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्मों से सांठ-गांठ कर एक ही तिथि में चैक निर्गत कर अनियमित तरीके से धनराशि बैंक खाते से आहरित की गयी है। उदाहरणार्थ गनेश ब्रिक फील्ड।

कुल आहरण का विवरण—

क्र०सं०	मद/फर्मों का विवरण	आहरित धनराशि (रु० में)
1	न्यू श्री गनेश टाइल्स इन्डस्ट्रीज	1088287.00
2	गनेश ब्रिक्स फील्ड	1595354.00
3	मै० भारत ट्रेडर्स	911523.00
4	अजन्ता ब्रिक्स फील्ड	130000.00
5	बलराम इन्टर प्राइजेज	323666.00
6	कादरी ईट भट्टा	822940.00
7	मै० सिंह एण्ड कम्पनी	1036546.00
8	बिलाल ट्रेडर्स	760042.00
9	बब्लू के नाम आहरण	269895.00
10	आफताब के नाम आहरण	198350.00
11	शमीम खान के नाम आहरण	304100.00
12	आफलाइन के नाम आहरण	84647.00
13	विभिन्न के नाम आहरण	540360.00
	योग	8065710.00

उक्त विवरणानुसार रु० 8065710.00 के आहरण के व्यय की पुष्टि में कोषवाही (रूप पत्र-06), कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कुटेशन/टेण्डर सम्बन्धी पत्रावली, स्वीकरुत प्राक्कलन, सामग्री क्रय आदेश, सम्बन्धित फर्मों के बिल वाउचर, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्य निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र/डी०पी०सी०-09, सम्बन्धित निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ मानदेय पंजिका, इत्यादि अभिलेखों की मूल रूप में बार-बार मांग किये जोन के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही। जो कि गम्भीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय/आहरण के सपेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेखों के उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 8065710.00 को अभिलेखों के अभाव में गबन/अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०- 256(1) में वर्णित प्रावधानानुसार श्रीमती नाजिया खानम (ग्राम प्रधान), श्री राजीव सक्सेना (ग्रा०वि०अधि०) दिनांक- 01.02.2019 से 31.03.2019 तक रु० 8065710.00 की अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सक्सेना से वसूली ब्याज सहित कराये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सा०आ०सं०-45)

ग्रा0पं0—महदखास

प्रस्तर —62 वर्ष—2018-19 में ग्राम निधि से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1896391.20 का आहरण किया गया है परन्तु आहरित धनराशि के सपेक्ष कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, स्वीकृत स्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, डी0पी0सी0-09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के पैरा-08(क) के अनुसार दर्शित आहरण (व्यय के सापेक्ष की प्रमाणक न होने पर) दशायी गयी आहरित धनराशि (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) का अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका भी अनुपलब्ध रहे। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत के कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256(1) के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष— 2018-19 में आहरित धनराशि से सम्बन्धि तत्कालीन सचिव श्री सचिन कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से कुल आहरित धनराशि अंकन रू0 1896391.20 की वसूली/वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कार्यकाल का विवरण अप्राप्त रहा, कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। अतः ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं सचिव श्री सचिन कुमार को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0-04)

ग्रा0पं0—सेल्हा

प्रस्तर —63 वर्ष— 2018-19 में ग्राम निधि से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1747695.30 का आहरण किया गया है। परन्तु आहरित धनराशि के सपेक्ष कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, स्वीकृत स्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, डी0पी0सी0-09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के पैरा-08(क) के अनुसार दर्शित आहरण (व्यय के सापेक्ष प्रमाणक न होने पर) दशायी गयी आहरित धनराशि (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) का अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका भी अनुपलब्ध रही। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 199 के अनुसार ग्राम पंचायत के कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256(1) के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष— 2018-19 में आहरित धनराशि से सम्बन्धि तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार सक्सेना एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुराया ढाली के द्वारा संयुक्त रूप से कुल आहरित धनराशि अंकन रू0 1747695.30 की वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित किये जाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कार्यकाल का विवरण अप्राप्त रहा। ग्राम प्रधान द्वारा दी गई मौखिक सूचना के आधार पर कार्यकाल अंकित किया है। यदि कार्यकाल के सम्बन्ध में कोई त्रुटि होती है तो इसका उत्तरदायित्व लेखा परीक्षक को नहीं होगा।

(सा0आ0सं0-04)

ग्रा0पं0—सिद्धनगर

प्रस्तर —64 लेखा परीक्षा वर्ष— 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त आयोग) के आयोग संचालित बैंक खाता सं0- 2060100001634 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिद्धनगर जनपद पीलीभीत से दिनांक 09.04.2018 को चैक संख्या 147 के द्वारा श्री अवधेश कुमार के नाम चैक जारी कर रू0 5000.00 का आहरण बैंक खाते के अनुसार दर्शित किया जाना पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा श्री अवधेश कुमार के साथ सॉठ-गॉठ कर कूटरचित तरीके से आहरण करवाकर लेखा नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से कैशबुक में लेखा पारित न कर संयुक्त रूप से रू0 5000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहा और न ही कैशबुक (रूप पत्र— 06) में आहरण एवं व्यय सम्बन्धी लेखा पारित किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती नीरज मिश्रा (ग्राम प्रधान) एवं श्री विजय कुमार (ग्राम पंचायत सचिव) से पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(1)

के प्रावधानानुसार कराया जाना अपेक्षित है। साक्ष्य हेतु बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक के पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न है।
(सा0आ0सं0-43ग्रा0नि0)

ग्रा0पं0-सिद्धनगर

प्रस्तर -65 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त आयोग) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गये अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा तीन नावों के क्रय पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया।

बैंक खाते के अनुसार आहरण का विवरण-

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
05.07.2018	152	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	40000.00
05.07.2018	153	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	40000.00
03.11.2018	161	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	48000.00
		योग	128000.00

कैशबुक के अनुसार व्यय का विवरण-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
08.05.2018	05	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	40000.00
08.05.2018	07	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	40000.00
05.11.2018	13	श्री राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति)	48000.00
		योग	128000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 128000.00 का आहरण ग्राम प्रधान पति श्री राजेश मिश्रा के नाम चैक जारी करवाया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में यथा कुटेशन/टैण्डर पत्रावली क्रय आदेश सम्बन्धित फर्मों के बिल बाउचर डैड स्टॉक पंजिका इत्यादि अभिलेख अप्राप्त रहे। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त क्रय नावों का संचालन कब-कब, किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितने मानदेय/मजदूरी पर किया गया। उक्त अभिलेखों के अभाव में रु0 128000.00 की आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही एवं अनाधिकृत व्यक्ति राजेश मिश्रा (ग्रा0प्रधान पति) न तो किसी फर्म के मालिक हैं और न ही खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं अतः स्पष्ट होता है कि श्री मिश्रा के साथ सांठ-गांठ कर कूटरचित तरीके से आहरण अनाधिकृत व्यक्ति से करवा कर फर्जी नावों को क्रय दर्शित कर रु0 128000.00 का अपहरण श्रीमती नीरज मिश्रा (ग्राम प्रधान) एवं श्री विजय कुमार (ग्राम पंचायत सचिव) के द्वारा किया गया है जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रखने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुए वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः रु0 128000.00 की वसूली ब्याज सहित पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256(क) से (ड) तक के प्रावधानानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-44ग्रा0नि0)

ग्रा0पं0-सहरामऊ उत्तरी

प्रस्तर -66 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त आयोग) के अन्तर्गत संचालित बैंक खाता सं0- 06970100020567 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा -पूरनपुर जनपद-पीलीभीत से श्री अजय प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर कुल रु0 4688052.20 मात्र का आहरण विभिन्न तिथियों को किया गया है, जिसमें से रु0 2335.20 की बैंक द्वारा (चैकबुक, बैंक स्टेटमेंट एस0एम0एसए एल0एफ0सी0ई0वी0) के चार्ट के रूप में कटौती की गयी हैं इस प्रकार शुद्ध आहरित धनराशि रु0 4685717.00 का विवरण निम्नवत् है-

(क) मै0 सिंह एण्ड कम्पनी के नाम भुगतान

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
19.12.18	306	55000.00
10.01.19	305	85000.00
18.02.19	335	100000.00
06.03.19	312	140000.00
06.03.19	300	60000.00

16.03.19	341	50000.00
16.03.19	339	50000.00
16.03.19	340	50000.00
योग		590000.00

(ख) ईट भट्टे/फर्म के नाम भुगतान

दिनांक	चैक सं०	फर्म का नाम	धनराशि
09.05.18	246	गनेश ब्रिक फील्ड	60000.00
10.10.18	264	गनेश ब्रिक फील्ड	197000.00
11.01.19	307	गनेश ब्रिक फील्ड	159048.00
23.01.19	287	गनेश ब्रिक फील्ड	110330.00
23.01.19	286	गनेश ब्रिक फील्ड	110330.00
18.02.19	289	गनेश ब्रिक फील्ड	164800.00
18.02.19	313	गनेश ब्रिक फील्ड	164800.00
18.02.19	295	गनेश ब्रिक फील्ड	127440.00
27.02.19	311	गनेश ब्रिक फील्ड	140000.00
24.12.18	281	साबरी ब्रिक फील्ड	100000.00
24.12.18	302	साबरी ब्रिक फील्ड	50000.00
24.12.18	303	साबरी ब्रिक फील्ड	50000.00
24.12.18	280	साबरी ब्रिक फील्ड	68272.00
24.12.18	279	साबरी ब्रिक फील्ड	50000.00
24.12.18	297	साबरी ब्रिक फील्ड	50000.00
24.12.18	296	साबरी ब्रिक फील्ड	50000.00
12.10.18	260	सर्वोदय ब्रिक फील्ड	246251.00
01.03.19	333	सर्वोदय ब्रिक फील्ड	25000.00
		योग	1923271.00

(ग) विभिन्न फर्मों के नाम भुगतान

दिनांक	चैक सं०	फर्म के नाम	धनराशि
08.05.18	243	रमेश चन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी	107100.00
14.05.18	248	रमेश चन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी	107100.00
04.10.18	254	आनन्द साइकिल स्टोर	10000.00
17.10.18	258	आनन्द साइकिल स्टोर	22000.00
29.10.18	270	स्वसदी	100000.00
27.09.18	253	मैम	18000.00
11.10.18	269	न्यू ताज	20000.00
25.01.19	310	बाके बिहारी ट्रेडर्स	40000.00
05.02.19	291	मै० रत्नलाल एण्ड कम्पनी	141824.00
06.02.19	290	मै० रत्नलाल एण्ड कम्पनी	157541.00
08.02.19	292	मै० रत्नलाल एण्ड कम्पनी	100000.00
18.02.19	331	अग्रवाल हार्डवेयर	40000.00
29.01.19	288	मै० सरकार	127440.00
25.02.19	299	मास	24000.00
		योग	1015005.00

(घ) विभिन्न व्यक्तियों के नाम भुगतान-

दिनांक	चैक सं०	आहरण कर्ता का नाम	धनराशि
03.05.18	241	श्री सुधांशु	4000.00
07.05.18	247	श्री अहमद	4000.00
12.10.18	252	श्री योगेश कुमार	4200.00
07.09.18	251	श्री विजय	8300.00
05.10.18	265	श्री विजय	37000.00
05.10.18	266	श्री विजय	28000.00
05.10.18	267	श्री विजय	14000.00
24.10.18	274	श्री अशोक	2000.00

25.10.18	273	श्री फुरकान	30000.00
25.10.18	272	श्री फुरकान	40000.00
12.11.18	277	श्री सादाब	4000.00
14.11.18	255	संजय	8000.00
19.12.18	315	श्री फुरकान	4000.00
19.12.18	314	श्री फुरकान	2000.00
07.01.19	308	श्री मतलूब	40000.00
19.01.19	309	श्री मतलूब	40000.00
02.02.19	393	श्री अजय	52647.00
03.07.18	250	नगद	4500.00
02.02.19	294	श्री अजय	52647.00
02.02.19	298	श्री फुरकान	40000.00
16.02.19	337	श्री अजीम	40000.00
13.03.19	338	श्री अहमद	4000.00
		योग	503294.00

(ड) राम औतार के नाम आहरण

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
20.04.18	238	30000.00
20.04.18	239	21000.00
29.09.18	257	5000.00
10.10.18	268	30000.00
10.10.18	259	15000.00
10.10.18	261	37000.00
10.10.18	262	47000.00
10.10.18	263	19000.00
05.11.18	275	30000.00
05.11.18	276	10000.00
18.12.18	301	40000.00
18.12.18	304	25000.00
18.12.18	285	38000.00
18.12.18	284	40000.00
18.12.18	282	40000.00
16.02.19	334	25000.00
16.02.19	336	45000.00
21.02.19	332	20000.00
	योग	547000.00

(च) द्वारा भुगतान—

दिनांक	चैक सं०	एन०ई०एफ०टी०का विवरण	धनराशि
07.05.18	245	बार बाई 18127994374 केनरा बैंक के पक्ष में	30682.00
07.05.18	244	बार बाई 18127998092 केनरा बैंक के पक्ष में	26465.00
11.06.18	249	बार बाई 18162610366 केनरा बैंक के पक्ष में	50000.00
		योग	107147.00

ग्राम निधि बैंक खाता सं०-06970100020567 के उक्त आहरण का कुल योग का विवरण—

क्रम सं०	फर्म/मद के द्वारा आहरण/भुगतान का विवरण	आहरित धनराशि
(क)	मैसर्स सिंह एण्ड कम्पनी के नाम आहरण	590000.00
(ख)	ईट भट्टे/फर्मों के नाम आहरण	1923271.00
(ग)	विभिन्न फर्मों के नाम आहरण	1015005.00
(घ)	विभिन्न व्यक्तियों के नाम आहरण	503294.00
(ड)	राम औतार के नाम आहरण	547000.00

(च)	एन0ई0एफ0टी0 के द्वारा भुगतान	107147.00
	कुल योग	4685717.00

उक्त विवरणानुसार रु0 4685717.00 के आहरण के व्यय की पुष्टि में कोषवाही (रूप पत्र-06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कुटेशन/टेण्डर संबंधी पत्रावली, स्वीकृत प्राक्कलन, सामग्री क्रय आदेश, संबंधित फर्मों के बिल वाउचर, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्य निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र/डी0पी0सी0-09, संबंधित निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ, मानदेय पंजिका, इत्यादि अभिलेखों की मूल रूप में बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही। जो की गम्भीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेखों के उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 4685717.00 को अभिलेखों के अभाव में गबन/अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256(1) में वर्णित प्रावधानानुसार श्री अजय प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी) पर नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए श्री अजय प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु0 4685717.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-01ग्रा0नि0)

ग्रा0पं0-कबीरपुर कसगंजा

प्रस्तर -67 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि योजना (चतुर्थ राज्य वित एवं चौदहवां वित आयोग) के अन्तर्गत संचालित बैंक खाता सं0- 06970100006957 बैंक ऑफ बडौदा शाखा-पूरनपुर जनपद -पीलीभीत से श्री सरोज बाजपेयी (ग्राम प्रधान), श्री अखिलेख कुमार (ग्रा0 वि0 आधि0) एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर कुल रु0 3808837.45 मात्र का आहरण विभिन्न तिथियों को किया गया है, जिसमें से रु0 2408.60 की बैंक द्वारा (चैकबुक, बैंक स्टेटमेंट, एस0एम0एसए एल0एफ0सी0ई0वी0) के चार्ट के रूप में कटौती की गयी है इस प्रकार शुद्ध आहरित धनराशि रु0 3806428.85 का विवरण निम्नवत् है-

(क)- श्री धनपाल के नाम आहरण

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
11.04.18	214	35000.00
11.04.18	215	19250.00
12.06.18	243	8400.00
12.06.18	246	10850.00
15.06.18	248	33150.00
15.06.18	250	35000.00
10.07.18	255	2040.00
10.07.18	256	12880.00
24.08.18	257	8300.00
05.09.18	263	18900.00
13.09.18	265	1800.00
19.03.19	305	45000.00
	योग	230570०00

(ख)श्री श्याम के नाम आहरण

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
17.04.18	213	34800.00
12.06.18	245	9860.00
15.06.18	247	34000.00
16.07.18	222	8700.00
16.07.18	224	4814.00
24.09.18	272	11310.00

	योग	103484.00

(ग) विभिन्न व्यक्ति के नाम आहरण

दिनांक	चैक सं०	फर्म का नाम	धनराशि
16.04.18	218	श्री राजेश	12750.00
07.03.18	279	श्री राजेश	14210.00
17.04.18	216	श्री सद्दीक	25200.00
17.04.18	217	श्री गोपाल	29120.00
12.06.18	244	श्री गोपाल	8400.00
15.06.18	249	श्री गोपाल	36925.00
10.07.18	254	श्री गोपाल	25900.00
10.07.18	255	श्री गोपाल	12950.00
13.09.18	266	श्री गोपाल	1575.00
13.09.18	268	श्री गोपाल	21875.00
02.05.18	219	श्री सरोज कुमार	17500.00
07.03.18	281	श्री सरोज कुमार	38500.00
14.05.18	220	श्री अनूप	5000.00
26.06.18	251	श्री इमरान	2400.00
24.08.18	259	श्री हैदर खान	4000.00
05.09.19	262		18900.00
13.09.19	269	श्री अवधेश	5000.00
15.09.19	270	श्री सर्वेश	4000.00
06.03.19	302	श्री अवधेश	420.00
18.11.18	273	श्री भाईलाल	10000.00
27.11.18	274	श्री सैल्फ	3000.00
02.03.18	275	श्री अविनेश	4000.00
06.03.18	278	श्री चन्द्रा	4000.00
08.03.19	276	श्री संजीव	5000.00
07.03.19	277	श्री लोकष	4200.00
08.03.19	280	श्री रासिद	7260.00
24.09.18	271	श्री चन्द्रप्रकाश	4000.00
22.03.19	307	श्री लतीफ	45000.00
22.03.19	308	श्री लतीफ	45000.00
22.03.19	309	श्री आसिम	45000.00
		योग	486465.00

(घ) विभिन्न फर्मों के नाम आहरण:-

दिनांक	चैक सं०	आहरण कर्ता का नाम	धनराशि	फर्म द्वारा आहरित धन का संकलन
17.04.18	211	ओम साई कृपा	37590.00	351896.50
12.06.18	242	ओम साई कृपा	40666.00	
06.09.18	260	ओम साई कृपा	45475.00	
18.03.19	300	ओम साई कृपा	111300.00	
27.03.19	310	ओम साई कृपा	116865.00	
26.04.18	212	सपुर इन्टर प्राइजेज	6948.00	619465.00
14.06.18	241	सपुर इन्टर प्राइजेज	22074.00	
06.09.18	261	सपुर इन्टर प्राइजेज	81464.00	
19.09.18	264	सपुर इन्टर प्राइजेज	4528.00	
07.03.19	295	सपुर इन्टर प्राइजेज	26466.00	
07.03.19	294	सपुर इन्टर प्राइजेज	6357.00	
07.03.19	293	सपुर इन्टर प्राइजेज	9510.00	
07.03.19	292	सपुर इन्टर प्राइजेज	212972.00	
19.03.19	304	सपुर इन्टर प्राइजेज	100000.00	

19.03.19	303	सपुर इन्टर प्राइजेज	149146.00	
03.07.18	252	कादरी ईट भट्टा पूरनपुर	90000.00	115000.00
03.07.18	253	कादरी ईट भट्टा पूरनपुर	25000.00	
11.07.18	221	हमदान	71928.35	71928.35
11.07.18	223	गोल्डन	91266.00	91266.00
30.08.18	258	सेलर हाउस	44000.00	44000.00
06.03.19	287	गनेश ब्रिक फील्ड	136909.00	1318754.00
06.03.19	285	गनेश ब्रिक फील्ड	224672.00	
06.03.19	284	गनेश ब्रिक फील्ड	56168.00	
06.03.19	283	गनेश ब्रिक फील्ड	103425.00	
06.03.19	291	गनेश ब्रिक फील्ड	132225.00	
06.03.19	282	गनेश ब्रिक फील्ड	163655.00	
06.03.19	286	गनेश ब्रिक फील्ड	170058.00	
06.03.19	288	गनेश ब्रिक फील्ड	100170.00	
06.03.19	289	गनेश ब्रिक फील्ड	115720.00	
06.03.19	290	गनेश ब्रिक फील्ड	115752.00	
12.03.19	297	ट्रान्सफर टू पूरनपुर	80000.00	140000.00
12.03.19	296	ट्रान्सफर टू पूरनपुर	60000.00	
16.03.19	298	हिन्दू	111300.00	111300.00
18.03.19	299	ओरियन्टल -पूरनपुर	61300.00	61300.00
27.03.19	306	रंग महल	61000.00	61000.00
		योग	2985909.85	2985909.85

उक्त तालिका में दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्मों से सांट-गांठ कर एक ही तिथि में चैक निर्गत कर अनियमित तरीके से धनराशि बैंक खाते से आहरित की गयी है। उदाहरणार्थ गनेश ब्रिक फील्ड।

कुल आहरण का विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	मद/फर्मों का विवरण	आहरित धनराशि
1	(क)धनपाल के नाम आहरण	230570.00
2	(ख)श्री श्याम सिंह के नाम आहरण	103484.00
3	(ग)विभिन्न व्यक्तियों के नाम आहरण	486465.00
4	(घ)विभिन्न फर्मों के नाम भुगतान	2985909.85
	योग	3806428.85

उक्त विवरणानुसार रु० 3806428.85 के आहरण के व्यय की पुष्टि में कोषवाही (रूप पत्र-06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कुटेशन/टेण्डर संबंधी पत्रावली, स्वीकृत प्राक्कलन, सामग्री क्रय आदेश, संबंधित फर्मों के बिल वाउचर, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका कार्य निर्माण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण, उपभोग प्रमाण पत्र/ डी० पी० सी०- 09 संबंधित निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ, मानदेय पंजिका इत्यादि। अभिलेखों की मूल रूप में बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही। जोकि गम्भीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के पैरा8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेखों के उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 3806428.85 को अभिलेखों के अभाव में गबन/अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० -256(1)में वर्णित प्रावधानानुसार श्री सरोज बाजपेयी (ग्राम प्रधान), श्री अखिलेश कुमार(ग्रा० वि० अधि०) दिनांक 01/04/2018 से नवम्बर 2018 तक रु० 1120088.85 एवं श्री राजीव कुमार सक्सेना (ग्राम पंचायत अधिकारी) दिनांक दिसम्बर- 2018 से 31/03/2019 तक रु० 2686340.00 अर्थात् कुल रु० 3806428.85 की अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों से वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01ग्रा०नि०)

ग्रा०पं०-तिल्ली

प्रस्तर -68 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष -2018-19 में कुल रु० 1629083.00 (रु० सोलह लाख उनतीस हजार तिरासी मात्र) की धनराशि (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है।

उक्त व्यय की गयी। धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा— कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/ कुटेशन पत्रावलियों, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय -8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा० पं०/वि० अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली -1947 के नियम संख्या- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्रीमती सुनीता देवी व तत्कालीन ग्रा०पं०/वि०अधिकारी- श्री रजत सक्सेना से करायी जानी चाहिये।

(सा०आ०सं०-०१)

ग्रा०पं०-पुस्तौर कुईया

प्रस्तर -69 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष -2018-19 में कुल रु० 1694940.00 (रु० सोलह लाख चौरानबे हजार नौ सौ चालीस मात्र) की धनराशि (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी। धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा— कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियों, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय -8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा० पं०/वि० अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली -1947 के नियम संख्या- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश व तत्कालीन ग्रा०पं०/वि०अधिकारी- श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी चाहिये।

(सा०आ०सं०-०१)

ग्रा०पं०-घनश्याम पुर

प्रस्तर -70 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष -2018-19 में कुल रु० 2299282.00 (रु० बाईस लाख निन्यानबे हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा— कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियों, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय -8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा० पं०/वि० अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली -1947 के नियम संख्या- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती रामलेडती व तत्कालीन ग्रा०पं०/वि०अधिकारी- श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी चाहिये।

(सा०आ०सं०-०१)

ग्रा०पं०-जगतपुर

प्रस्तर-71 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि के खाता संख्या- 06970100020542 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर, पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार धन आहरित किया गया तथा उसके व्यय को भी कैशबुक में दर्ज किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

बैंक अनुसार

चैक सं०/ दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता
188/ 30.04.2018	32633.00	सिंह एण्ड कम्पनी
190/ 04.04.2018	197255.00	नेशनल ब्रिक फील्ड

194 / 20.06.2018	26500.00	शैलेन्द्र प्रताप सिंह
198 / 29.08.2018	32875.00	प्रामोद
197 / 30.08.2018	23625.00	शैलेन्द्र
201 / 28.09.2018	22000.00	वेदप्रकाश
202 / 10.10.2018	24750.00	पवन
204 / 11.10.2018	45200.00	शैलेन्द्र
206 / 17.10.2018	48000.00	राजेश
205 / 20.10.2018	66780.00	नेशनल ब्रिक फील्ड पूरनपुर
207 / 28.09.2018	47500.00	ब्रजेश
208 / 05.11.2018	47750.00	ब्रजेश
योग	614868.00	

कैशबुक अनुसार

चैक सं०/ दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	फर्म का बिल
01 / 03.04.2018	32633.00	वाउचर बाबत सीमेंट, मोरंग	अप्राप्त
03 / 04.04.2018	197255.00	वाउचर बाबत ईट क्रय	अप्राप्त
07 / 20.06.2018	26500.00	एम0आर0बावत हैण्ड पम्प रीबोर	अप्राप्त
09 / 29.08.2018	32875.00	रसीद बावत हैण्ड पम्प रीबोर	अप्राप्त
10 / 30.08.2018	23625.00	रसीद बावत हैण्ड पम्प रीबोर मैटेरियल क्रय	अप्राप्त
13 / 28.09.2018	22000.00	रसीद बावत हैण्ड पम्प रीबोर मैटेरियल क्रय	अप्राप्त
15 / 10.10.2018	24750.00	रसीद बावत हैण्ड पम्प रीबोर मैटेरियल क्रय	अप्राप्त
16 / 11.10.2018	45075.00	बाउण्ड्री बाल निर्माण	अप्राप्त
17 / 17.10.2018	47975.00	बाउण्ड्री बाल निर्माण	अप्राप्त
18 / 22.10.2018	66780.00	ईट क्रय बाउण्ड्री बाल निर्माण	अप्राप्त
19 / 05.11.2018	47500.00	उच्च प्रा0वि0 में मिट्टी भराव	अप्राप्त
20 / 05.11.2018	47750.00	मिट्टी भराव कार्य उच्च प्रा0वि0	अप्राप्त
योग	614718.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 614868.00 का आहरण किया गया है, जिसके सापेक्ष रु० 614718.00 का व्यय विभिन्न कार्यों में दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में रसीद/एम0आर0, फर्म का बिल तथा अन्य संगत अभिलेख, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, स्टीमेट, मॉप पुस्तिका, सक्षम अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण दर्शाया गया व्यय अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में व्यय दर्शित धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाने का प्रावधान है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपाल सिंह, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालबहादुर गंगवार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256(क) से (ड) तक के प्रावधान अनुसार रु० 614718.00 की जानी अपेक्षित है। शेष रु० 150.00 तहसील के रूप में दर्शित है।

(सा०आ०सं०-34)

ग्रा०पं०-भैरों कलां

प्रस्तर -72 ग्राम पंचायत भैरों कलां, विकास खण्ड, माधौटांडा/पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष-22016-17 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर आपतित पाई गयी। (1)- ग्राम पंचायत भैरों कला विकास खण्ड- माधौटांडा, पूरनपुर जनपद-पीलीभीत की वर्ष- 2016-17 से 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि एवं वर्ष-2018-19 से सम्बन्धित उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट तथा कैश बुक के आधार पर सम्पन्न की गई। संदर्भित वर्षों में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख वार-वार माँग के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) दिसम्बर-2019 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक तार्ता तथा लिखित रूप से वार-वार अभिलेख प्रस्तुत करने की माँग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्रों दिनांक 10.12.2019, 10.01.2020, 20.02.2020 के माध्यम

से (कॉपी संलग्न) आडिट की यथास्थिति एवं प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके स्तर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि—

- i. शासनादेश संख्या— आडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक— 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
- ii. शासनदेश संख्या—1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक— 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
- iii. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम— 199 के अन्तर्गत आम रोकड़वही (रूप पत्र संख्या-06) का तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्य योजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।
- iv. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक 10.01.2020 को पत्र के माध्यम से आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी तथा प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक-269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक— 15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 के संप्रेक्षा दल को संप्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।
- v. जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.02.2020 को पत्र के माध्यम से दी गई। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या— 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में, जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के अन्दर विधि कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।
- vi. पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक महोदय पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक-05 मई, 2017, जो समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम किशोर अधिकारी के बिरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय

नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया है।

लेखा परीक्षा वर्षों में निम्न विवरण अनुसार प्रिया सॉफ्ट साफ्टवेयर पर धनराशियाँ दर्शायी गई है—

क्र०सं०	वर्ष	प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय	उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार आहरण	प्रतिवेदन में सम्मिलित धनराशि
1	2016.17	1988453.00	उपलब्ध नहीं	1988453.00
2	2017.18	1471785.00	उपलब्ध नहीं	1471785.00
3	2018.19	6247718.00	5770034.20	5770034.20
			योग	9230272.20

उपर्युक्त विवरण के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि वर्ष—2016—17 में प्रियासॉफ्ट के प्रपत्र-1 (वार्षिक आय-व्यय विवरण) में वार्षिक व्यय रू० 1988453.00 दर्शित है, जबकि प्लान प्लस पर वर्ष में कुल 05 कार्य दर्ज हैं, जिनका योग रू० 1894513.00 इस प्रकार दोनों में अन्तर रू० 93940.00 है जो प्रिया सॉफ्ट में प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शित है प्लान प्लस पर क्रमांक 01 एवं 02 पर दर्शित कार्यों पर कुल व्यय क्रमशः रू० 565922.00 एवं रू० 682676.00 है जिनकी प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति भी क्रमशः रू० 1337069.00 एवं रू० 683142.00 दर्ज है, जिसकी पुष्टि में पत्रावली उपलब्ध नहीं रही।

इसी प्रकार वर्ष— 2018—19 के सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि प्रिया सॉफ्ट पर रू० 6247718.00 का वार्षिक व्यय दर्शित है जबकि प्लान प्लस पर कुल 22 कार्य दर्ज है, जिनका योग रू० 5867718.00 है जबकि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाते से मात्र रू० 5770034.00 का ही आहरण किया गया है उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से प्रिया सॉफ्ट एवं प्लान प्लस पर आँकड़े उपलोड किये गये हैं। जो अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही का घोटक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्लान प्लस पर दर्ज कार्य संख्या— 01, 03, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 एवं 20 का ग्राम पंचायत एवं सहायक विकास अधिकार (पं०) की स्वीकृति सीमा से अधिक का है, जिसकी पुष्टि में पत्रावली उपलब्ध नहीं रही।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट (वर्ष— 2016—17, 2017—18) एवं उपलब्ध कैश बुक व प्रिया सॉफ्ट वर्ष— 2018—19 पर अंकित/व्यय धनराशि के समबन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्ययोजना, स्टीमेट वर्क आई०डी, प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, फर्म का बिल/वाउचर, मस्टर रोल, माँप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय पंजिका, स्टांक पंजिका, चल अचल सम्पत्ति पंजिका, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं है। किसी भी कार्य के त्रिस्तरीय फोटों ग्राफ उपलब्ध हैं, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नहीं जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरण की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि को ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

अतः पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार रू० 3460238.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर०के०शर्मा एवं रू० 5770037.20 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम किशोर से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-03)

ग्रा०पं०-पटिहन

प्रस्तर -73 लेखा परीक्षा वर्षों में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार भुगतान फर्मों को किया जाना दर्शित है। जिससे सौर ऊर्जा लाइट क्रय दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है—

क्रम सं०	चैक सं०/दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	बाउचर न०/दिनांक	फर्म बिल अप्राप्त
2016.17	148/08.07.2016	116750.00	सेलर वर्ल्ड	अप्राप्त	अप्राप्त
	150/11.07.2016	116750.00	सेलर वर्ल्ड	अप्राप्त	अप्राप्त
	योग	233500.00			
2017.18	193/01.08.2017	114000.00	एस० एल० इन्टर प्राइजेज	15/01.08.2017	अप्राप्त
	194/01.08.2017	114000.00	एस० एल० इन्टर प्राइजेज	16/01.08.2017	अप्राप्त

	197 / 19.08.2017	114000.00	एस0 एल0 इन्टर प्राइजेज	17 / 19.08.2017	अप्राप्त
	198 / 19.08.2017	114000.00	एस0 एल0 इन्टर प्राइजेज	18 / 19.08.2017	अप्राप्त
	योग	456000.00			
2018.19	299 / 19.03.2019	173000.00	सेलर वर्ल्ड	85 / 19.03.2019	अप्राप्त

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में रु0 233500.00+456000.00+173000.00 कुल रु0 862500.00 से सौर ऊर्जा क्रय (सोलर लाइट क्रय) किया जाना दर्शित है। इस क्रम के संबंध में फर्म का बिल अप्राप्त रहा। साथ ही साथ अन्य अभिलेख उदाहरणार्थ- अनुमोदित कार्य योजना, 1 प्रस्ताव पंजिका, क्रय आदेश, लाइटें कहां-कहां लगाई गयी हैं का विवरण, सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साठ-गांठ कर क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के पैरा 8(क) के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय को गबन मानते हुए वसूली किया जाने का प्रावधान है अतः कुल रु0 862500.00 की वसूली ब्याज सहित पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256(क) से (ड) तक के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान-श्री राम नरेश, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-35)

ग्रा0पं0-पटिहन

प्रस्तर -74 लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार हयूम पाइप क्रय किया जाना ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है-

बैंक अनुसार

चैक सं0/दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता
143 / 23.06.2016	79300.00	तराई स्पन
195 / 19.08.2017	79650.00	
योग-	158950.00	

कैशबुक अनुसार

चैक सं0/दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	फर्म का बिल
	79300.00	तराई स्पन	अप्राप्त
20 / 19.08.2017	79650.00	तराई स्पन	अप्राप्त
योग	158950.00		

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 158950.00 का भुगतान तराई स्पेन पाइप को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। इसके सापेक्ष दोनों लेखा परीक्षा वर्षों में हयूम पाइप क्रय किया जाना दर्शाया गया है। पुष्टि में संस्था का बिल,स्टाक पंजिका, अप्राप्त रहे तथा यह भी पुष्टि नहीं कराया जा सका कि कहां-कहां प्रयोग किये गये हैं। बिल के अभाव में हयूम पाइपों की संख्या एवं साइज भी अस्पष्ट रहा। स्पष्ट है कि फर्म की से साठ-गांठ कर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के पैरा-(क)के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाने का प्रावधान है। अतः पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256(क) से (ड)तक के प्रावधान अनुसार रु0 158950.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान -श्री राम नरेश ,एवं ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री लाल बहादुर गंगवार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-36)

ग्रा0पं0-पटिहन

प्रस्तर -75 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैन्ड पम्प रीबोर कार्य कैश बुक में दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

बैंक अनुसार चैक सं0/दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता
259 / 14.08.2018	41580.00	वेद प्रकाश
260 / 14.08.2018	41580.00	वेद प्रकाश
261 / 14.08.2018	41580.00	राम नरेश
258 / 16.08.2018	53823.00	पवन स्टील
263 / 21.08.2018	44460.00	वेद प्रकाश

262 / 23.08.2018	14938.00	पवन स्टील
योग—	237961.00	

कैशबुक अनुसार

चैक सं०/दिनांक	धनराशि	बैंक अनुसार धन प्राप्तकर्ता	फर्म का बिल
41 / 14.08.2018	41580.00	हैन्डपम्प रीबोर	अप्राप्त
42 / 14.08.2018	41580.00		
43 / 14.08.2018	41580.00	हैन्डपम्प रीबोर	अप्राप्त
44 / 14.08.2018	53823.00	हैन्डपम्प रीबोर	अप्राप्त
45 / 14.08.2018	44460.00	हैन्डपम्प रीबोर	अप्राप्त
46 / 14.08.2018	14938.00	हैन्डपम्प रीबोर	अप्राप्त
योग	237961.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 237961.00 का आहरण अलग-अलग व्यक्तियों से कराकर हैन्ड पम्प रीबोर एवं मैटेरियल क्रय दर्शाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दर्शित कार्य की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, मॉप पुस्तिका, सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहे। इस प्रकार मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के पैरा-(क)के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय प्रमाणक(बिल/बाउचर) उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित किया जाने का प्रावधान है। अतः पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256(क) से (ड)तक के प्रावधान अनुसार ₹0 237961.00 ग्राम प्रधान -श्री राम नरेश ,एवं ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री लाल बहादुर गंगवार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

(सा०आ०सं०-37)

ग्रा०पं०-भगवन्तपुर बझेड़ा

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत भगवन्तपुर बझेड़ा विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद- पीलीभीत की वर्ष-2018-19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा ₹0 4069100.00 धनराशि के सपेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसका विवरण अधोलिखित है-

(1) दिसम्बर-19 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान समक्ष अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया कि दिनांक- 11.01.2020, 20.02.2020 और 05.03.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सपेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक- 05.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि-

अ) शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जोन के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब) शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु-4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स) उ0प्र0पं0रा0नि0-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत आम रोकड़वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी जिला विकास अधिकारी (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विरीत प्रतीत होती है।

द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) खण्ड विकास अकधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक- 05.03.2020 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये, गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक-15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक- 20.02.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या-06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक- 01 दिसम्बर, 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

(4) पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा0/140/2016-1/ 272/2018 लखनऊ दिनांक- 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के लेखा परीक्षा दल अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

(5) वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेव्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे0) दस-10(45)/12 दिनांक- 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु-03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइड-लाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट वर्क आई0डी0 एम0बी0 कैंशबुक पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन

समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भीचलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 4069100.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली अद्वयतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

ग्रा0पं0-जिरौनिया

प्रस्तर -77 ग्राम पंचायत जिरौनिया विकास खण्ड- ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष- 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा रु0 2592589.00 व्यय की गई। इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है। या बार-बार मांग के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसका विवरण अधोलिखित है। दिसम्बर-19 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया कि दिनांक- 11.01.2020, 20.02.2020 और 05.03.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक- 05.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि-

अ) शासनादेश संख्या- ऑडिट-‘2953/2009-101(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब) शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु-4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स) उ0प्र0पं0रा0नि0-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत आम रोकड़वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया

गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक— 05.03.2020 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये, गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक—269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक—15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3. जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक— 20.02.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या—06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक— 01 दिसम्बर, 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिनों के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

4. पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या—1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक— 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों उ0प्र0 लखनऊ के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित समस्त अभिलेख के साथ होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

5. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेव्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे0) दस—10(45)/12 दिनांक— 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु—03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के सज्जान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे। उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइड—लाइन के पालन किये बना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट वर्क आई0डी0 एम0बी0 कैशबुक पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा समेकित सार, बैंक सामधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाच्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 2592589.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्रा०पं०-भानपुर

प्रस्तर -78

1.ग्राम पंचायत भानपुर विकास खण्ड- ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष- 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा रु० 1595816.00 व्यय की गई, इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है। या बार-बार मांग के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसका विवरण अधोलिखित है। दिसम्बर-19 से 31 मार्च, 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्नवत है-

क) ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खण्ड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अवगत कराया गया कि दिनांक- 11.01.2020, 20.02.2020 और 05.03.2020 लिखित तीन पत्रों (कॉपी संलग्न) के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक- 05.03.2020 को इस सम्बन्ध में कई पत्रों के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि-

अ) शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब) शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु-4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स) उ०प्र०पं०रा०नि०-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत आम रोकड़वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियम प्राधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गये होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विरीत प्रतीत होती है।

द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम

पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

78

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, को भी इस सम्बन्ध में दिनांक— 05.03.2020 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये, गए, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक—269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक—15 जनवरी, 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

78.

3. जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक— 20.02.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या—06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक— 01 दिसम्बर, 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

78.

4. पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या—1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक— 05 मई, 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों उ0प्र0 लखनऊ के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

78.

5. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे0) दस—10(45)/12 दिनांक— 04 मई, 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु—03 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइड—लाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट वर्क आई0डी0 एम0बी0 कैशबुक पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा समेकित सार, बैंक सामधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग्य विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की, और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय संहिता की धारा-09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1595816.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

ग्रा0पं0-मुसेली

प्रस्तर -79 लेखा ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में कुल रु0 1686841.00 का आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शाया गया है। परन्तु इसमें से दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु0 1120441.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राकलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार है :-

— बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण — ग्राम - मुसेली, बीसलपुर, पीलीभीत। दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक				
क्र0सं0	चैक संख्या	दिनांक	आहरित धनराशि	व्यक्ति/फर्म जिसके नाम पर धनराशि आहरित की गयी है।
1	222	4.अप्रैल .2018	2000.00	सुधीर
2	226	5. अप्रैल .2018	9545.00	रजा बक्स
3	230	5. अप्रैल .2018	2000.00	पंकज गुप्ता
4	229	5. अप्रैल .2018	4000.00	राकेश संगल
5	228	6. अप्रैल .2018	4000.00	सी0एल0जी
6	225	6. अप्रैल .2018	11600.00	सी0एल0जी
7	231	11. अप्रैल .2018	48000.00	जाबिर प्रधान
8	232	19. अप्रैल .2018	45000.00	जाबिर प्रधान
9	233	4.मई .2018	5700.00	साहिद खान
10	234	10. मई .2018	20000.00	जाबिर प्रधान
11	235	19. मई .2018	9950.00	रजा बक्स
12	236	21. मई .2018	4784.00	सी0एल0जी
13	237	25. मई .2018	45000.00	जाबिर प्रधान
14	240	2.जून .2018	7000.00	जाबिर प्रधान
15	239	2. जून .2018	49000.00	जाबिर प्रधान
16	238	2. जून .2018	206382.00	हसनी ब्रिक फील्ड दबगन
17	196	12. जून .2018	20000.00	जाबिर प्रधान
18	200	13. जून .2018	34000.00	जाबिर प्रधान
19	199	13. जून 2018	11000.00	गुड्डू
20	197	13. जून .2018	91605.00	हसनी ब्रिक फील्ड
21	201	18.जुलाई .2018	2100.00	सत्यावान अवस्थी
22	202	20.जुलाई.2018	3000.00	हरेश
23	203	20जुलाई.2018	5000.00	साहिद
24	122	9.अगस्त .2018	2000.00	आशुतोष
25	206	21. अगस्त .2018	20000.00	जवेर
26	205	21. अगस्त .2018	18900.00	रजा बक्स
27	207	12सितम्बर .2018	9500.00	जवेर

28	208	19. सितम्बर .2018	26000.00	जाबिर प्रधान
29	204	24. सितम्बर .2018	2000.00	विकास
30	209	28. सितम्बर .2018	55000.00	जाबिर प्रधान
31	210	1.अक्टूबर .2018	5000.00	श्री पती राम
32	241	4. अक्टूबर .2018	35000.00	जाबिर प्रधान
33	244	22. अक्टूबर .2018	2344.00	जाबिर प्रधान
34	247	26. अक्टूबर .2018	3000.00	श्री साहिद हुसैन
35	245	29. अक्टूबर .2018	35900.00	जाबिर प्रधान
36	242	30. अक्टूबर .2018	3916	टू हसनी ब्रिक फील्ड
37	250	30. अक्टूबर .2018	117143.00	टू हसनी ब्रिक फील्ड
38	243	1.नवम्बर .2018	2891.00	एस0एस0 बिल्डर
39	248	1. नवम्बर .2018	84181.00	एस0एस0 बिल्डर
40	246	1. नवम्बर .2018	30000.00	जाबिर प्रधान
	योग		1120441.00	

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 1120441.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जाबिर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0पी0 माथुर से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0- 256 (1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-44ग)

ग्रा0पं0-चौसर हरदौपट्टी

प्रस्तर -80 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या-06550100004262 से कुल रु0 1455278.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 16.07.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु0 590621.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु0 392703.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से एवं रु0 197918.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मानेन्द्र सिंह से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-46, ग्रा0पं0)

ग्रा0पं0-कितना पुर

प्रस्तर -81 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या-06550100004306 से कुल रु0 3407071.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 05.07.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु0 1983101.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु० 1213109.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार (जी०पी०ए०) से एवं रु० 769992.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-45ग)

ग्रा०पं०-मीरपुर वाहनपुर

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या- 06550100004197 से कुल रु० 6146337.70 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु० 3514895.70 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टाक एवं डेड स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 3514895.70 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सायरा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ०पी० माथुर से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-48ग)

ग्रा०पं०-अहिरवाड़ा

प्रस्तर -83 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में कुल रु० 2311725.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। परन्तु इसमें से दिनांक- 01.04.2018 से 01.03.2019 तक आहरित सम्पूर्ण धनराशि रु० 2311725.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, /बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टाक एवं डेड स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार है-

— बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण — ग्राम - मुसेली, बीसलपुर, पीलीभीत। दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक				
क्र०सं०	चैक संख्या	दिनांक	आहरित धनराशि	व्यक्ति/फर्म जिसके नाम पर धनराशि आहरित की गयी है।
1	277	4. अप्रैल .2018	36000.00	बिशाल
2	278	4. अप्रैल .2018	36000.00	रमेश इन्टरप्राइसेस
3	234	10. अप्रैल .2018	2000.00	रमेश इन्टरप्राइसेस
4	279	16. अप्रैल .2018	19950.00	महेश सिंह
5	280	23. अप्रैल .2018	10500.00	राम लड़ैते
6	284	27. जून .2018	40000.00	राम लड़ैते
7	283	27. जून .2018	83200.00	राम लड़ैते
8	281	27. जून .2018	62400.00	राम लड़ैते
9	282	27. जून .2018	62400.00	राम लड़ैते
10	286	10. जुलाई .2018	225000.00	राम लड़ैते
11	287	10. जुलाई .2018	54000.00	राजा सोलर सिस्टम
12	288	10. जुलाई .2018	55000.00	राजा सोलर सिस्टम
13	289	10. जुलाई .2018	47000.00	राजा सोलर सिस्टम
14	291	16. जुलाई .2018	14500.00	पीली भीत
15	290	17. जुलाई .2018	3120.00	कुमार
16	294	19. जुलाई .2018	77910.00	सी०एल०जी०
17	295	19. जुलाई .2018	22260.00	न्यू मून ब्रिक फील्ड

18	298	19. जुलाई .2018	10000.00	न्यू मून ब्रिक फील्ड
19	286	19. जुलाई .2018	4900.00	ज्ञान प्रकाश
20	297	19. जुलाई .2018	4900.00	
21	293	20. जुलाई .2018	14000.00	टू कैश
22	292	20. जुलाई .2018	7000.00	टू कैश
23	299	21. जुलाई .2018	1500.00	बिशाल पुर
24	152	25. जुलाई .2018	17500.00	विवेक वर्मा
25	151	25. जुलाई .2018	17500.00	राम लडैते
26	153	26. जुलाई .2018	52269.00	सोलर हाउस टनकपुर
27	154	04. अगस्त .2018	180000.00	सोलर हाउस टनकपुर
28	155	4. अगस्त .2018	54000.00	सोलर हाउस टनकपुर
29	157	9. अगस्त .2018	10000.00	राम लडैते
30	156	9. अगस्त .2018	10000.00	विवेक वर्मा
31	159	9. अगस्त .2018	6000.00	सुनील कुमार
32	158	13. अगस्त.2018	10000.00	कश्यप
33	163	13. अगस्त.2018	17500.00	विवेक वर्मा
34	161	14. अगस्त.2018	5950.00	राम लडैते
35	164	14. अगस्त.2018	17500.00	राम लडैते
36	162	14. अगस्त.2018	17500.00	राम लडैते
37	241	20. अगस्त.2018	18028.00	बिशालपुर टू ओम ब्रिक फील्ड
38	165	20. अगस्त.2018	60310.00	टू ओम ब्रिक फील्ड
39	246	21. अगस्त.2018	18985.00	राम लडैते
40	245	21. अगस्त.2018	1149.00	राम लडैते
41	247	21. अगस्त .2018	2013.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
42	244	21. अगस्त .2018	32500.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
43	242	23. अगस्त .2018	2480.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
44	243	23. अगस्त .2018	4000.00	मॉडल बिल्डिंग स्टोर
45	249	27. अगस्त .2018	38350.00	राम लडैते
46	251	27. अगस्त .2018	11195.00	राम लडैते
47	250	27. अगस्त .2018	7569.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
48	300	27. अगस्त .2018	3000.00	महेश कुमार
49	252	27. अगस्त .2018	14462.00	टू ट्रॉसफर बिशाल पुर
50	253	27. अगस्त .2018	10000.00	बिशाल पुरसेल्फ राम लडैते
51	248	29. अगस्त.2018	2000.00	पती राम
52	316	15. फरवरी .2019	100000.00	ओम ब्रिक्स
53	317	15. फरवरी .2019	40000.00	ओम ब्रिक्स
54	319	15. फरवरी .2019	20000.00	विवेक
55	318	15. फरवरी .2019	20000.00	राम लडैते
56	321	18. फरवरी .2019	17500.00	राम लडैते
57	322	22. फरवरी .2019	24000.00	पीली भीत
58	326	25. फरवरी .2019	20000.00	राम लडैते
59	324	25. फरवरी .2019	12500.00	विवेक वर्मा
60	323	25. फरवरी .2019	50000.00	कश्यप
61	328	25. फरवरी .2019	17500.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
62	327	25. फरवरी .2019	20000.00	विवेक वर्मा
63	329	25. फरवरी .2019	112500.00	विवेक वर्मा
64	320	26. फरवरी .2019	5000.00	चेक बुक
65	325	27. फरवरी .2019	20000.00	पती राम
66	330	7. मार्च .2019	3000.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
67	301	12. मार्च .2019	4000.00	नेप्ट
68	304	13. मार्च .2019	17500.00	नन्हे लाल
69	303	13. मार्च .2019	24500.00	विवेक वर्मा

70	302	13. मार्च .2019	24500.00	विवेक वर्मा
71	306	18. मार्च .2019	14875.00	राम लड़ैते
72	305	18. मार्च .2019	16100.00	राम लड़ैते
73	308	26. मार्च .2019	15600.00	विवेक वर्मा
74	310	26. मार्च .2019	17000.00	विवेक वर्मा
75	309	26. मार्च .2019	17000.00	राम लड़ैते
76	307	26. मार्च .2019	33600.00	विवेक वर्मा
77	346	29. मार्च .2019	7000.00	टू ओम ब्रिक फील्ड
78	347	29. मार्च .2019	7000.00	पवन वर्मा
79	313	29. मार्च .2019	19950.00	विवेक वर्मा
80	312	29. मार्च .2019	10150.00	राम लड़ैते
81	314	29. मार्च .2019	10000.00	विवेक वर्मा
82	3.15	29. मार्च .2019	55650.00	कश्यप सीमेन्ट स्टोर
		योग	2311725.00	

वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होन पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु0 1535300.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लड़ैते एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0 पी0 माथुर से एवं रु0 776425.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लड़ैते एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0-256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। (सा0आ0सं0-01)

ग्रा0पं0-दौलतपुर हीरा

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या- 17470100006480 से कुल रु0 1812006.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 01.04.2018 से 31.12.2018 तक आहरित धनराशि रु0 672810.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होन पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 672810.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओ0पी0 माथुर से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। (सा0आ0सं0-48ग)

ग्रा0पं0-परसिया

प्रस्तर -85 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2016-17 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 खाता संख्या- 06550100004171 से कुल रु0 3033215.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है।) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2016-17 व 2018-19 तक आहरित धनराशि रु0 456798.00 एवं रु0 1774665.00 कुली रु0 2231463.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली

ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 456798.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विद्या स्वरूप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से तथा रु0 1774665.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विद्या स्वरूप एवं तत्कालीन ग्राम मपंचायत सचिव श्री अनिल कुमार तथा श्री विवेक वर्मा से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0— 256 (1) प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-46)

ग्रा0पं0-कुरैया कला

प्रस्तर -86 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 2451010.00 (रु0 चौबीस लाख इक्यावन हजार दस मात्र) की धनराशि (प्रिया साफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक ,मस्टर रोल ,कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा0 प0/वि0 अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानानुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती सोमवती व तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी - श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

ग्रा0पं0-चरखौला

प्रस्तर -87 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 1463217.00 (रु0चौदह लाख तिरसठ हजार दो सौ सत्रह मात्र) की धनराशि (प्रिया साफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक ,मस्टर रोल ,कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा0 प0/वि0 अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानानुसार उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती द्रोपदी देवी व तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी - श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

ग्रा0पं0-दौलतपुर ता0 चांदपुर

प्रस्तर -88 ग्राम पंचायत - दौलतपुर ता0 चांदपुर, विकास खण्ड- पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम(चौदहवां वित्त व चतुर्थ वित्त आयोग) द्वारा संचालित बैंक खाता सं0 5377101111 केनरा बैंक शाखा ढक्का जा0 पूरनपुर जनपद पीलीभीत के संचालन हेतु अधिकृत श्री राजेश कुमार (ग्राम प्रधान) एवं श्री विकास पाण्डे व श्री अशोक कुमार कटियार (ग्राम विकास अधिकारियों) द्वारा सयुक्त रूप से चैक निर्गत कर निम्न विवरणानुसार खाते से धनराशि का आहरण किया गया है।

(क) वर्ष 2016-17 में बैंक अनुसार आहरण का विवरण:-

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (रु0 में)
25.07.2016	197402	श्री राजेश कुमार	10000.00
27.07.2016	197404	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	28000.00
27.07.2016	197403	मै0 शान अहमद	8100.00
12.08.2016	197401	डी0पी0आर0ओ0	1000.00
26.08.2016	197405	श्री ऋशभ शुक्ला	3000.00
29.08.2016	197408	श्री राजेश कुमार	15800.00
03.09.2016	197410	श्री हसन हैदर	3000.00

05.09.2016	197407	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	28650.00
14.09.2016	197416	श्री राजेश कुमार	4500.00
14.09.2016	197414	श्री राजेश कुमार	5000.00
14.09.2016	197412	एस0एल0इन्टर प्राइजेज	116750.00
14.09.2016	197413	एस0एल0इन्टर प्राइजेज	16000.00
15.09.2016	197411	श्री करन सिंह	3500.00
16.09.2016	197415	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	20600.00
04.10.2016	197418	श्री राजेश कुमार	13000.00
01.12.2016	197422	श्री टीका राम	2400.00
01.12.2016	197420	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	44520.00
01.12.2016	197425	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	25886.00
02.12.2016	197426	मै0 शिवम् ट्रेडर्स	18139.00
03.12.2016	197429	श्री राजेश कुमार	2000.00
03.12.2016	197423	श्री राजेश कुमार	5000.00
03.12.2016	197427	श्री राजेश कुमार	17000.00
03.12.2016	197421	श्री राजेश कुमार	8100.00
05.12.2016	197428	एस0एल0इन्टर प्राइजेज	93400.00
09.12.2016	197429	श्री निजामुद्दीन	3500.00
16.12.2016	197432	श्री राजेश कुमार	5000.00
16.12.2016	197434	श्री राजेश कुमार	3400.00
16.12.2016	197430	मै0 गंगवार ट्रेडर्स	47700.00
16.12.2016	197431	श्री राजेश कुमार	5000.00
16.12.2016	197417	श्री सोमपाल यादव	3500.00
21.12.2016	197436	श्री राजेश कुमार	6600.00
22.12.2016	197435	श्री राजेश कुमार	5000.00
10.02.2017	197437	श्री राजेश कुमार	3500.00
		योग	576545.00

(ख) वर्ष 2017-18 में बैंक अनुसार दि०- 31.07.2017 तक के आहरण का विवरण:-

दिनांक	चैक सं०	आहरणकर्ता का नाम	आहरित धनराशि (रु० में)
03.04.2017	896621	श्री राजेश कुमार	12500.00
06.04.2017	197440	श्री राजेश कुमार	16800.00
10.04.2017	19738	श्री निजामुद्दीन	3500.00
17.04.2017	896622	एस०एल०इन्टर प्राइजेज	140100.00
25.04.2017	896624	सबरी बि०फी०	20000.00
25.04.2017	896626	श्री टीका राम	15000.00
28.04.2017	896630	श्री राजेश कुमार	13400.00
02.05.2017	896628	श्री अनुराग	14025.00
02.05.2017	896629	मै० शिवम् ट्रेडर्स	25320.00
02.05.2017	896627	श्री राजकुमार शर्मा	3500.00
06.05.2017	896631	श्री राजेश कुमार	1000.00
17.05.2017	896623	व्हाट्स इन्फोटेक	2000.00
19.05.2017	896625	सिंह एण्ड कम्पनी	20000.00
02.06.2017	197439	श्री ऋशभ शुक्ला	3000.00
29.07.2017	896633	डी०पी०आर०ओ०	1000.00
		योग	300145.00

कूल आहरण का विवरण:-

क्र०सं०	मद का विवरण	आहरित धनराशि
01	वर्ष 2016-17 में बैंक से आहरण का विवरण	576545.00
02	वर्ष 2017-18 में दि० 31.07.2017 तक के बैंक से आहरण का विवरण	300145.00
	योग	876690.00

उक्त रु0 876690.00 के आहरण के व्यय की पुष्टि में यथा अभिलेख कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन टेण्डर/कूटेशन सम्बन्धी पत्रावली, कैशबुक तकनीकी, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पंजिका

सम्बन्धित फर्मों के बिल वाउचर, रसीद/मस्टर रोल प्रयुक्त की गयी। कार्यों के फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपभोग प्रमाण पत्र, विभागीय सक्षम अधिकारियों के द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, इत्यादि अभिलेखों के अभाव में उक्त आहरित धनराशि रु0 876690.00 पूर्णता अपुष्टित रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित से वसूली ब्याज सहित कराये जाने का प्रावधान है। इसलिये रु0 876690.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास पाण्डे एवं श्री अशोक कुमार कटियार से उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256(क) से (ड) तक के प्रावधानानुसार की जानी अपेक्षित रही। साक्ष्य हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति एवं पत्राचार सम्बन्धी पत्रों की छाया प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सचिवों के कार्यालय सम्बन्धी सूचना ग्राम प्रधान एवं कार्यरत वर्तमान सचिव द्वारा मौखिक रूप से उपलब्ध करायी गयी है। यदि त्रुटिपूर्ण कार्यकाल अंकित होता है, इसका उत्तरदायित्व लेखा परीक्षक का नहीं होगा।

(सा0आ0सं0-49(क+ख))

ग्रा0पं0-बेहटा

प्रस्तर -89 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 620824.00 (रु0 छः लाख बीस हजार आठ सौ चौबीस मात्र) की धनराशि (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा-कैश, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा0 प0/वि0 अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री प्रेमपाल व तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी - श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

ग्रा0पं0-मार

प्रस्तर -90 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 2710702.00 (रु0 सत्ताईस लाख दस हजार सात सौ दो मात्र) की धनराशि (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) ग्राम निधि से व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा-कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपूर्ण रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि रु0 2710702.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा0 प0/वि0 अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 (1) के प्रावधानानुसार उक्त धनराशि रु0 2710702.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री नेतराम व तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी- श्री विकास पाण्डेय से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

ग्रा0पं0-कुरी

प्रस्तर -91 वित्तीय वर्ष-2018-19 के ग्राम पंचायत कुरी के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-2155101005143 अंकन रु0 691954.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक

वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 691954.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 691954.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मोवीन खातून तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री मनोरंजन सिंह (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-4(ड))

ग्रा0पं0-जंगरोली आशा

प्रस्तर -92 वित्तीय वर्ष-2018-19 के ग्राम पंचायत जंगरोली आशा के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-2155101005318 अंकन रू0 2093623.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 2093623.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू0 2093623.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह, यतेन्द्र शर्मा (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-4(ड))

ग्रा0पं0-तुमड़िया

प्रस्तर -93 वित्तीय वर्ष-2018-19 के ग्राम पंचायत तुमड़िया के ग्राम निधि-1 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय धनराशि रू0 2010759.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 2010759.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के आध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु0 2010759.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रमावीर (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4(ड))

ग्रा0पं0-बारदुनवा

प्रस्तर -94 वित्तीय वर्ष-2018-19 के ग्राम पंचायत बरादुनवा के ग्राम निधि-1 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय धनराशि रु0 2616860.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टेर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु0 2616860.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के आध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु0 2616860.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रिजवान खातून तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रमावीर (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4(ड))

ग्रा0पं0-बिलासपुर

प्रस्तर -95 वित्तीय वर्ष-2018-19 के ग्राम पंचायत बिलासपुर के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-98440100005576 अंकन रु0 948114.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टेर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु0 948114.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के आध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष— 2018—19 में आहिरति समस्त धनराशि अंकन रू0 948114.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भगवान दास तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुमित कुमार, श्री रमावीर (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0—4(ङ))

ग्रा0पं0—भौना

प्रस्तर —96 वित्तीय वर्ष—2018—19 के ग्राम पंचायत भौना के ग्राम निधि—1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय धनराशि रू0 1490346.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक— 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहिरति धनराशि के व्यय 14वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार—बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे— कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टेर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 1490346.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहिरति (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहिरति धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहिरति समस्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष— 2018—19 में आहिरति समस्त धनराशि अंकन रू0 1490346.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री खेमकरन लाल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री मनोरंजन सिंह (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना चाहिए।

(सा0आ0सं0—4(ङ))

ग्रा0पं0—सरदार नगर

प्रस्तर —97 वित्तीय वर्ष—2018—19 के ग्राम पंचायत सरदारनगर के ग्राम निधि—1 के खाता संख्या—98440100005567 अंकन रू0 2232257.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक— 01.04.2018 से 31.03.2019 के माध्य किया गया है। उक्त आहिरति धनराशि के व्यय 14वे /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार—बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे— कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टेर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू0 2232257.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहिरति (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम—1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार आहिरति धनराशि का व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहिरति समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष— 2018—19 में आहिरति समस्त धनराशि अंकन रू0 2232257.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मो0 नाजिम तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, श्री मनोरंजन सिंह (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0—4(ङ))

ग्रा0पं0—अर्जुनपुर

प्रस्तर -98 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-06550100004259 से कुल रु0 3803841.50 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न है) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक- 06.07.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु0 2114847.50 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल वाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, उपभोग, प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टेर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु0 1325259.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से एवं रु0 786588.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मानेन्द्र सिंह से उ0प्र. पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-45ग)

ग्रा0पं0-गजरौला

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-06550100004258 से कुल रु0 1699034.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक आहरित धनराशि रु0 1089677.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु0 1089677.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सपना एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री विवेक वर्मा से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0-48,)

ग्रा0पं0-चुरा सकतपुर

प्रस्तर -100 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 की कोषवही में दिनांक- 05.07.2018 को वाउचर सं0- 19 के द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत पर रु0 165000.00 व्यय दर्शाया गया है, जिसका भुगतान चेक सं0- 272/18.07.2018 द्वारा सोलर हाउस टनकपुर को किया गया है, परन्तु फर्म के बिल में 225 ली0 की 30 आयरन डस्टविन का उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर कूटरचित द्वारा धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0-46)

ग्रा0पं0-चुरा सकतपुर

प्रस्तर -101 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान मिट्टी कार्य पर दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक या तो उपलब्ध नहीं रहे अथवा अधूरे पाये गये, जिससे व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	कैशबुक के अनुसार वाउचर से दिनांक	व्यय की मद (कैशबुक के अनुसार)	भुगतान प्राप्त कर्ता (कैशबुक के अनुसार)	धनराशि	चेक सं0 व दिनांक	चेक के अनुसार भुगतान प्राप्त

01	25 / 28.08.2018	प्राथमिक प्रांगण में मिट्टी भराव कार्य	अज्ञात	37700.00	278 / 28.08.2018	नन्हे लाल भारती
02	28 / 12.09.2018	मस्टर रोल बावत प्राथमिक में मिट्टी कार्य	अज्ञात	40000.00	284 / 12.09.2018	नन्हे लाल भारती
03	29 / 13.09.2018	प्राथमिक में मिट्टी भराव कार्य	अज्ञात	20000.00	283 / 13.09.2018	राजेश
04	30 / 29.09.2018	प्राथमिक में मिट्टी भराव कार्य	अज्ञात	40000.00	301 / 29.09.2018	नन्हे लाल भारती
05	32 / 05.10.2018	प्राथमिक में मिट्टी भराव कार्य	अज्ञात	35000.00	308 / 05.10.2018	महेश चन्द्र
योग				172700.00		

मिट्टी भराव कार्य पर दर्शित उपरोक्त व्यय रू० 172700.00 के सापेक्ष प्राक्कलन एवं मापांकन एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे तथा फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर धन निकासी की गई है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त धनराशि रू० 172700.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। (सा०आ०सं०-47)

ग्रा०पं०-चुरा सकतपुर

प्रस्तर -102 ग्राम पंचायत द्वारा माह दिसम्बर-2018 में दिनांक- 11.12.2018 एवं 14.12.2018 में वाउचर संख्या- 56 एवं 57 द्वारा क्रमशः रू० 5000.00 एवं रू० 25000.00 व्यय प्रशासनिक व्यय मद पर दर्शित है, जिसका भुगतान चेक सं०- 296 (11.12.2018) एवं 297 (14.12.2018) द्वारा क्रमशः प्रदीप एवं नन्हे लाल भारती को किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहा और न ही यह बताया गया कि किस कार्य हेतु उक्त व्यय किया गया है। अतः स्पष्ट है कि कूटरचना द्वारा फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित रहा। (सा०आ०सं०-48)

ग्रा०पं०-चुरा सकतपुर

प्रस्तर -103 ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर नं०-77 दिनांक- 17.03.2019 द्वारा सीमेन्ट व मोरंग क्रय पर रू० 46000.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसकी पुष्टि हेतु ख्वाजा गरीब नवाज सरिया सीमेन्ट स्टोर की बिल सं०- 047/08.03.2019 संलग्न है, जिस पर सीमेन्ट, मोरंग, बजरी, व्हाइट सीमेन्ट, टाइल्स, सीट, पी०वी०सी० पाइप, सरिया, एवं दरवाजे आदि मदे अंकित है परन्तु इसका भुगतान चेक सं०- 267/11.03.2019 द्वारा नन्हे लाल भारती को किया गया है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर कूटरचना द्वारा धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-49)

ग्रा०पं०-चुरा सकतपुर

प्रस्तर -104 ग्राम पंचायत द्वारा मार्च-2019 में हैण्डपम्प रिवोर, मरम्मत व उच्चीकरण पर व्यय दर्शाया गया है, विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कैशबुक में वाउ०सं० व दि०	कैशबुक में दर्शित व्यय की मद	कैशबुक में भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि (रू० में)	चैक सं० व दि०	चैक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	78 / 04.03.2019	हैण्डपम्प रीबोर पर व्यय	अज्ञात	35000.00	263 / 11.03.2019	प्रदीप कुमार

2	83 / 14.03.2019	हैण्डपम्प रीबोर पर व्यय	अज्ञात	20000.00	268 / 14.03.2019	नन्हे लाल
3	84 / 19.03.2019	हैण्डपम्प रीबोर पर व्यय	अज्ञात	43386.00	270 / 19.03.2019	ख्वाजा गरीब नवाज सरिया व सीमेन्ट स्टोर
4	85 / 19.03.2019	—	—	19980.00	317 / 25.03.2019	रमेश चन्द्र
	योग			118366.00		

हैण्डपम्प रीबोर, मरम्मत व उच्चीकरण पर किए गये उपरोक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, स्थलीय निरीक्षण एवं नलों की अवस्थिति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के अभाव में दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए रु० 118366.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-50)

ग्रा०पं०-दुक्सी

प्रस्तर -105 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-06550100032748 से कुल रु० 1506433.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न हैं) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 14.09.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु० 953298.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 248000.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तेज बहादुर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार एवं रु० 705298.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-46ग,)

ग्रा०पं०-पकड़िया मंगली

प्रस्तर -106 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-06550100001498 से कुल रु० 3386808.90 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न हैं) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु० 2139606.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक/बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, टेण्डर/कुटेशन पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे निम्नांकित व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु० 80000.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से एवं रु० 2059606.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०-46)

ग्रा0पं0—महादेवा

प्रस्तर —107 ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष— 2018-19 की कैशबुक में दिनांक— 21.06.2018 के द्वारा रमजानी के घर से अब्दुल वहीद के घर तक मिट्टी कार्य हेतु रू0 30200.00 व्यय दर्शाया गया है, जिसका भुगतान चेक सं0— 72/21.06.2018 द्वारा राकेश कुमार को किया गया है, उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू0 30200.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0—50)

ग्रा0पं0—महादेवा

प्रस्तर—108 ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष— 2018-19 की कैशबुक में दिनांक— 25.07.2018 को वाउचर सं0— 11, 12 व 13 द्वारा क्रमशः रू0 36600.00 रू0 12500.00 एवं रू0 36700.00 अर्थात् कुल रू0 85800.00 का भुगतान बैंक सं0— 80-82 दिनांक— 25.07.2018 द्वारा वी0के0 कॉन्सट्रक्शन को किया गया है परन्तु कैशबुक में कार्य का उल्लेख नहीं है और न ही कौन सी सामग्री क्रय की गई है इसका ही उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित रही।
(सा0आ0सं0—51)

ग्रा0पं0—महादेवा

प्रस्तर —109 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में वाउचर सं0— 21/26.09.2018, 24/08.10.2018, 27/12.02.2019 एवं 39/26.03.2019 द्वारा क्रमशः रू0 30000.00 ए रू0 20000.00 ए रू0 83000.00 एवं रू0 28250.00 अर्थात् कुल रू0 161250.00 का भुगतान अंसारी बिल्डिंग मैटेरियल को बैंक सं0— 86 दिनांक— 26.09.2018, 87/08.10.2018, 111/12.02.2019, एवं 94/26.03.2019 द्वारा किया गया है परन्तु कैशबुक में न तो कार्य का उल्लेख है और न ही सामग्री का उल्लेख किया गया है साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के अनुसार उक्त व्यय रू0 161250.00 को गबन मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार इसमें से रू0 50000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से एवं रू0 111250.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से किया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0—52)

ग्रा0पं0—महादेवा

प्रस्तर —110 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक— 26.03.2019 को वाउचर सं0— 40 द्वारा कैशबुक में कुमार एग्रीकल्चर रू0 45600.00 का भुगतान दर्शाया गया है, जिसका भुगतान चेक सं0— 100/26.03.2019 द्वारा किया गया है, परन्तु कैशबुक में कार्य अथवा सामग्री का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि हेतु फर्म का बिल भी लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा— 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अनुपलब्धता पर इस धनराशि रू0 45600.00 को गबन मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं0— 256(1) के प्रावधानों के अनुसार इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से किया जाना अपेक्षित रहा।
(सा0आ0सं0—53)

ग्रा0पं0—महादेवा

प्रस्तर -111 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष- 2018-19 की कैशबुक में आलम एक्सपोर्ट को वाउचर सं०/दिनांक- 37/26.03.2019, 42/30.03.2019 द्वारा क्रमशः रु० 104000.00 एवं रु० 193500.00 रु० 109220.00 अर्थात् कुल रु० 406720.00 का भुगतान दर्शाया गया है, जिसमें क्रमशः चेक सं०- 101/26.03.2019 एवं 102/30.03.2019, 104/30.03.2019 द्वारा भुगतान किया गया है, उक्त व्यय के लिए कैशबुक में न तो कार्य का उल्लेख है और न ही सामग्री का विवरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय की पुष्टि में फर्म का बिल भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहा। अतः व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अनुपलब्धता किये गये अथवा दर्शित व्यय को गबन मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरीश कुमार से किया जाना अपेक्षित रहा। (सा०आ०सं०-54,)

ग्रा०पं०-सितारगंज नवदिया

प्रस्तर -112 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 से 2018-19 में ग्राम निधि-1 के खाता संख्या-06550100001504 से कुल रु० 3989979.45 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शाया गया है। (विवरण हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न हैं) उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 06.07.2018 से 31.03.2019 तक आहरित धनराशि रु० 2382444.00 के व्यय पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजीक, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, सामग्रिकी क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टाक एवं डेड स्टाक पंजीका परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी अथवा आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि में से रु० 1204231.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से एवं रु० 1178213.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शाहना बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र. पंचायती राज अधिनियम-1947 के नियम सं०- 256(1) के प्रावधानों के अनुसार बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित रहा। (सा०आ०सं०-45ग,)

ग्रा०पं०-गुलड़िया जाफरपुर

प्रस्तर -113 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में चैक संख्या 153 दिनांक- 13.02.2019 के द्वारा रु० 2500.00 का भुगतान दैनिक जागरण प्रकाशन लि० बरेली को किये जाने की पुष्टि हो रही है, जिसका लेखांकन कैश बुक में वाउचर संख्या 63 दिनांक 13.02.2019 पर किया गया है, जिसकी पुष्टि में बिल उपलब्ध नहीं रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय की पुष्टि में बिल नं० आर बी 1709 बी 0087 दिनांक 06.09.2017 दैनिक जागरण प्रकाशन लि० बरेली के संलग्न किया गया है यह बिल मान्य नहीं है जो ग्राम पंचायत स्तर पर घोर लापरवाही का प्रतीक है। अतः रु० 2500.00 की वसूली ब्याज सहित पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) एवं पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुयम संख्या- 256(1) के अनुसार ग्राम प्रधान श्री पातीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-49)

ग्रा०पं०-बरह

प्रस्तर 114 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक- 23.10.2018 एवं 06.11.2018 में क्रमशः 354.00 रु०- 354.00 की कटौती बैंक द्वारा चैक बुक जारी करने के शुल्क के रूप में की है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा कैश बुक के आय पक्ष में तो दर्शाया गया है परन्तु व्यय पक्ष में बैंक कटौती के रूप में नहीं दर्शाकर अन्य व्यय के रूप में दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती लौंग श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिजवान अपने दायित्व के प्रति घोर लापरवाही का घोटक है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-38,)

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2018-19 आवंटन वर्ष- 2019-20

मण्डल का नाम- बरेली जनपद- शाहजहाँपुर ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ:-

आपत्ति सं०-1 ग्राम पंचायत-सहवेगपुर, विकास खण्ड-ददरौल

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20.11.2019, 09.12.2019, 05.02.2020 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- सी. 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी.5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए

शीर्ष	प्रा. शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष	कराये गये कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल बाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	166757.00	643817.00	639573.00	171001.00	24	24
14 वॉ वित्त आयोग	810765.00	66456.00	817228.00	59993.00	22	17
योग	977522.00	710273.00	1456801.00	230994.00	46	41

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1456801.00की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जशोदा एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिन्हा से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिन्हा व आदित्य कुमार हैं।

आपत्ति सं०-2

ग्राम पंचायत-खिरिया हीर, विकास खण्ड-ददरौल

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/11/2019, 09/12/2019, 05/02/2020 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2019 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाएं गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रियासॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

शीर्ष	प्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	280031	1120	278854	113178	22	23
चौदहवां वित्त	171227	943311	1018506	96032	25	29

आयोग						
योग	451258	1055312	1297360	209210	47	52

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1297360/- की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिन्हा व आदित्य कुमार से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिन्हा व आदित्य कुमार है।

आपत्ति सं0-3

ग्राम पंचायत-दारानगर अस्थरी, विकास खण्ड-कलान

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिए गए। दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019 तक 16/12/2019 से 18/12/2019 तक 30/12/2019 से 31/12/2019 तक यथा 26/12/2019 से 28/12/2019 तक।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2018-19 दिनांक 18/03/2019 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए किन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त की भी अवहेलना की गई।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिए जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया सॉफ्ट साईट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय धनराशि फीड करायी गयी है:-

प्रा0अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की संख्या	प्रमाणकों की संख्या
166550	1290099	916624	33	31

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु/पैरा 8(क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक इकाई उपलब्ध न कराए जाने पर धन का अपहरण माना जाएगा। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर मात्रा में की जाएगी। प्रशासनिक विभागीय अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-4

ग्राम पंचायत-जहानाबाद खमरिया, विकास खण्ड-कलान

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराना वित्तीय वर्ष में अनिवार्य है।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिए गए। दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019 तक, 16/12/2019 से 18/12/2019 तक 30/12/2019 से 31/12/2019 तक तथा 26/12/2019 से 28/12/2019 तक।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2018-19 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त की भी अवहेलना की गई।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिए जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया सॉफ्ट साईट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय धनराशि फीड करायी गयी है:-

प्रा0अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की संख्या	प्रमाणकों की संख्या
122176	1671384	1698625	31	49

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु/पैरा 8(क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक इकाई उपलब्ध न कराए जाने पर धन का अपहरण माना जाएगा। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर मात्रा में की जाएगी। प्रशासनिक विभागीय अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-5

ग्राम पंचायत-मोहनपुर कलुआपुर विकास खण्ड-कलान

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराना वित्तीय वर्ष में अनिवार्य है।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिए गए। दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019 तक, 16/12/2019 से 18/12/2019 तक 30/12/2019 से 31/12/2019 तक यथा 26/12/2019 से 28/12/2019 तक।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2018-19 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त की भी अवहेलना की गई।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिए जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया सॉफ्ट साईट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय धनराशि फीड करायी गयी है:-

प्रा0अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की संख्या	प्रमाणकों की संख्या
22019738	1031461	901108	21	24

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु/पैरा 8(क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक इकाई उपलब्ध न कराए जाने पर धन का अपहरण माना जाएगा। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर मात्रा में की जाएगी। प्रशासनिक विभागीय अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-6

ग्राम पंचायत-तिहार खेड़ा, विकास खण्ड-कलान

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराना वित्तीय वर्ष में अनिवार्य है।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिए गए। दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019 तक, 16/12/2019 से 18/12/2019 तक 30/12/2019 से 31/12/2019 तक यथा 26/12/2019 से 28/12/2019 तक।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2018-19 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त की भी अवहेलना की गई।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिए जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया सॉफ्ट साईट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय धनराशि फीड करायी गयी है:-

प्रा0अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की संख्या	प्रमाणकों की संख्या
38272	1075975	1016664	27	31

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु/पैरा 8(क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक इकाई उपलब्ध न कराए जाने पर धन का अपहरण माना जाएगा। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर मात्रा में की जाएगी। प्रशासनिक विभागीय अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-7

ग्राम पंचायत-दसिया, विकास खण्ड-कलान

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराना वित्तीय वर्ष में अनिवार्य है।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिए गए। दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019 तक, 16/12/2019 से 18/12/2019 तक 30/12/2019 से 31/12/2019 तक तथा 26/12/2019 से 28/12/2019 तक।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2018-19 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त की भी अवहेलना की गई।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिए जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया सॉफ्ट साईट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय धनराशि फीड करायी गयी है:-

प्रा0अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की संख्या	प्रमाणकों की संख्या
22825	2718340	2280935	57	59

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु/पैरा 8(क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक इकाई उपलब्ध न कराए जाने पर धन का अपहरण माना जाएगा। आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर मात्रा में की जाएगी। प्रशासनिक विभागीय अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-8

ग्राम पंचायत-भरौवसन्तपुर, विकास खण्ड-निगोही

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम संख्या 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये हैं।

5.8.19, 4.9.19, 10.10.2019, 9.12.19, 6.2.20, 27.02.2020, 3.3.2020

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-2020 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट 2019-2020 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-2019 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग कर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को (छायाप्रति संलग्न) लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्र लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह लेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये तो उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सकें एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हो।

किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता के दृष्टिगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेट अवर अभियंता (आर0ई0एस0) के द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता (आर0ई0एस0) की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासॉफ्टसाइट के अनुसार आय-व्यय (चतुर्थ स0वि0आ0 एवं चौदहवे वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्राम वि0अधि0 द्वारा फीड कराया गया है।

शीर्ष	.04.28 को कुल प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग धनराशि	31.03.2019 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक की संख्या कार्यों के	कुल कार्यों की संख्या
4वाँ रा0 वि0आ0	765472.00	1590254.00	2038226.00	317500.00	23	11
14 वाँ वि0आ0	508319.00	1740321.00	2235508.00	13132.00	33	11
योग	1273791.00	3330575.00	4273734.00	330632.00	56	22

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियम के व्यवस्थानुसार संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराने का कराने से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर व विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया है।

अतः अपहरित धन ₹0 4273734.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री विवेक शीलपाल व शिवसिंह तत्कालीन ग्राम व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती रानी सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख नहीं तैयार करने/लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता के लिये उत्तरदायी सचिव/ग्राम पं0वि0अधि0 श्री विवेक शीलपाल उत्तरदायी है। क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार व्यय/उपयोग करने का दायित्व कार्मिक का है।

आपत्ति सं0-9

ग्राम पंचायत-बरौरा, विकास खण्ड-निगोही

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम संख्या 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता हैं।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये हैं। 5.8.19, 4.9.19, 10.10.2019, 9.12.19, 6.2.20, 27.02.2020, 3.3.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक

सी-5157 / पंचायत / लेखा / ऑडिट / 2019-2020 दिनांक 19.02.2020 तथा
सी-5424 / पंचायत / लेखा / ऑडिट 2019-2020 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 28-2019 के अभिलेखों की
लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं
किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग कर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा
विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को (छायाप्रति संलग्न)
लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्र लिखकर यह
अपेक्षा की गयी कि वह लेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर
दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन
ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये तो उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी
को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा
सकें एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हो।

किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे
भी स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता के दृष्टिगत अभिलेख लेखा परीक्षा
में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया गया और न ही कोई
कार्यवाही की गयी।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि
रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु०
250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभियंता (आर०ई०एस०) के द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं।
नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज
अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता (आर०ई०एस०) की भूमिका भी संदिग्ध है।
उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही
नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट के अनुसार आय-व्यय (चतुर्थ स०वि०आ० एवं चौदहवे वि०आ०) का
विवरण निम्नवत सचिव/ग्राम वि०अधि० द्वारा फीड कराया गया है।

शीर्ष	.04.28 को कुल प्रा०शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग धनराशि	31.03.2019 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक की संख्या कार्यों के	कुल कराये कार्यों की संख्या
4वाँ रा० वि०आ०	49964.00	163199.00	2087.00	4462.00	14	16
14 वाँ वि०आ०	167416.00	667021.00	690445.00	143992.00	19	25
योग	217380.00	830220.00	899146.00	148454.00	33	41

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से
आहरित धन के सापेक्ष उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियम के व्यवस्थानुसार संगत मूल अभिलेख
लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराने का कराने से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर व विभिन्न
फर्मों से दुरभि संधि कर धन का अपहरण किया है।

अतः अपहरित धन रु० 899146.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०पं०वि०अधि० श्री नागेन्द्र
सिंह व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती रुचि सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
अभिलेख नहीं तैयार करने/लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता के लिये उत्तरदायी सचिव/ग्राम पं०वि०अधि०
श्री नागेन्द्र उत्तरदायी है। क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख रखाव
करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार व्यय/उपयोग करने का दायित्व
कार्मिक का है।

आपत्ति सं०-10

ग्राम पंचायत-चमरूआ, विकास खण्ड-निगोही

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम संख्या 186 के अनुसार ग्राम पंचायत
के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये हैं। 5.8.19, 4.9.19, 10.10.2019, 9.12.19, 6.2.20, 27.02.2020, 3.3.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157 /पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-2020 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट 2019-2020 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 28-2019 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग कर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को (छायाप्रति संलग्न) लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्र लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह लेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये तो उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सकें एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हो।

किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता के दृष्टिगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभियंता (आर0ई0एस0) के द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता (आर0ई0एस0) की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासॉफ्टसाइट के अनुसार आय-व्यय (चतुर्थ स0वि0आ0 एवं चौदहवे वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्राम वि0अधि0 द्वारा फीड कराया गया है।

शीर्ष	.04.28 को कुल प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग धनराशि	31.03.2019 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक की संख्या कार्यों के	कुल कराये कार्यों की संख्या
4वाँ रा0 वि0आ0	420720.00	192516.00	179533.00	433703.00	15	14
14 वाँ वि0आ0	4671.00	786844.00	593880.00	660065.00	17	10
योग	887821.00	979360.00	773413.00	1093768.00	32	24

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियम के व्यवस्थानुसार संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराने का कराने से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर व विभिन्न फर्मों से दुरभि संधि कर धन का अपहरण किया है।

अतः अपहरित धन ₹0 773413.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री नागेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शकुन्तला सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख नहीं तैयार करने/लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता के लिये उत्तरदायी सचिव/ग्राम पं0वि0अधि0 श्री नागेन्द्र उत्तरदायी है। क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार व्यय/उपयोग करने का दायित्व कार्मिक का है।

आपत्ति सं0-11

ग्राम पंचायत-विक्रमपुरचकोरा, विकास खण्ड-निगोही

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम संख्या 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये हैं। 5.8.19, 4.9.19, 10.10.2019, 9.12.19, 6.2.20, 27.02.2020, 3.3.2020

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-2020 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट 2019-2020 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 28-2019 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग कर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को (छायाप्रति संलग्न) लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्र लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह लेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये तो उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सकें एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हो।

किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता के दृष्टिगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभियंता (आर0ई0एस0) के द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता (आर0ई0एस0) की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट के अनुसार आय-व्यय (चतुर्थ स0वि0आ0 एवं चौदहवे वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्राम वि0अधि0 द्वारा फीड कराया गया है।

शीर्ष	01.04.28 को कुल प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग धनराशि	31.03.2019 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक संख्या की संख्या के	कुल कार्यों की संख्या
4वाँ रा0 वि0आ0	407627.00	485030.00	372247.00	520410.00	23	19
14 वाँ वि0आ0	81799.00	1982199.00	2023708.00	40290.00	49	47
योग	489426.00	2467229.00	2395955.00	560700.00	72	66

उक्त फील्ड कराये विवरण की प्रामाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियम के व्यवस्थानुसार संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराने का कराने से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर व विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया है।

अतः अपहरित धन ₹0 2395955.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री विमलकुमार व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती सर्वेश सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख नहीं तैयार करने/लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता के लिये उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विमलकुमार अवस्थी उत्तरदायी है। क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार व्यय/उपयोग करने का दायित्व कार्मिक का है।

आपत्ति सं०-12

ग्राम पंचायत-भटपुरा पृथ्वीपुर, विकास खण्ड-निगोही

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम संख्या 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये हैं। 5.8.19, 4.9.19, 10.10.2019, 9.12.19, 6.2.20, 27.02.2020, 3.3.2020

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-2020 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट 2019-2020 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 28-2019 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग कर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को (छायाप्रति संलग्न) लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्र लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह लेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये तो उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सकें एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हो।

किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता के दृष्टिगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभियंता (आर0ई0एस0) के द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता (आर0ई0एस0) की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट के अनुसार आय-व्यय (चतुर्थ स0वि0आ0 एवं चौदहवे वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्राम वि0अधि0 द्वारा फीड कराया गया है।

शीर्ष	.04.28 को कुल प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग धनराशि	31.03.2019 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक की संख्या कार्यों के	कुल कराये कार्यों की संख्या
4वॉ रा0 वि0आ0	226946.00	1410569.00	394973.00	1242542.00	20	10
14 वॉ वि0आ0	425092.00	2089134.00	1278071.00	1236155.00	20	28
योग	652038.00	3499703.00	1673044.00	2478697.00	40	38

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियम के व्यवस्थानुसार संगत मूल अभिलेख

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराने का कराने से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर व विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया है।

अतः अपहरित धन रु0 1673044.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अकरम व ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती चमेली देवी से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेख नहीं तैयार करने/लेखा परीक्षा में अनुपलब्धता के लिये उत्तरदायी सचिव/ग्राम पं0वि0अधि0 श्री अकरम उत्तरदायी है। क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार व्यय/उपयोग करने का दायित्व कार्मिक का है।

आपत्ति सं0-13

ग्राम पंचायत-अख्यारपुर धौकल, विकास खण्ड-बण्डा

वर्ष 2018-19 के कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में बिना प्रमाणक व मानदेय पंजिका/पत्रावली के प्रधानजी श्री रूपराम को भुगतान रु0 49000.00 का व्यय दर्शाया गया है। शासनादेश सं0 03-26/3038/33-16 दिनांक 22.11.26 के अनुसार प्रत्येक माह रु0 3500.00 के दृष्टिगत 12 माह की कुल धनराशि रु0 42000.00 के अतिरिक्त रु0 7000.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जो स्वतः सिद्ध है। अतः उक्त समस्त भुगतान की पुष्टि के साथ-साथ रु0 7000.00 अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रूपराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	कैशबुक में व्यय का विवरण	चैक सं0	धनराशि
06.09.28	मानदेय	500624	21000.00
31.01.2019	मानदेय	960534	17500.00
19.03.2019	मानदेय	960571	10500.00
	योग-		49000.00

वर्ष 2018-19 का 12 माह का रु0 3500/माह से देय धनराशि 42000.00
अधिक भुगतान 7000.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराये जाने पर धन का अपहरण माना जायेगा। अतः अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रूपराम व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागीय उच्च अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-14

ग्राम पंचायत-जलालपुर, विकास खण्ड-बण्डा

वर्ष 2018-19 के कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में बिना प्रमाणक के व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर किया गया है-

दिनांक	कैशबुक में व्यय का विवरण	धनराशि
02.11.28	हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
17.01.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	95592.00
30.01.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	20425.00
31.01.2019	स्टेशनरी	40000.00
.03.2019	स्टेशनरी	10000.00
05.03.2019	वॉल पेंटिंग	25000.00
	योग -	27.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा के समय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराये जाने पर धन का अपहरण माना जायेगा। अतः अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागीय उच्च अधिकारी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायत-बाखरपुर , विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 2019/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2019 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाएं गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	95000	144926	156387	83539	13	09
चौदहवां वित्त आयोग	26201900	583971	361534	485337	17	23
योग	357900	728897	517921	568876	30	32

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 517921/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत-बयरा उर्फ नगला, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाएं गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	161212	393078	486935	67355	17	26
चौदहवां वित्त आयोग	64628	1556555	1419064	202119	35	25
योग	225840	1949633	1905999	269474	52	51

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1905999/- की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम बिहारी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-17

ग्राम पंचायत-गोगेपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	316361	187687	464867	39181	14	21
चौदहवां वित्त आयोग	405459	724768	342504	787723	16	16
योग	721820	912455	807371	826904	30	37

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 807371/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जलधारा यादव एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूलली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-18

ग्राम पंचायत-अमईपुरसण्डा, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	156865	279994	385565	5120194	17	30
चौदहवां वित्त आयोग	404579	1130442	1245710	289311	24	24
योग	561444	1410436	1631275	340605	41	54

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1631275/- की वसूली ग्राम प्रधान श्री भीकम सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-19

ग्राम पंचायत-कलुआबोझ, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	171253	20196911	342722	125442	14	15
चौदहवां वित्त आयोग	419756	1171176	1256346	334586	20	32
योग	591009	1468087	1599068	460028	34	47

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1599068/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-20

ग्राम पंचायत-सरसवां, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रियासॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	224	196740	169250	27714	10	07
चौदहवां वित्त आयोग	46201958	781523	609388	635093	31	24
योग	463182	978263	778638	662807	41	31

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 778638/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार है।

आपत्ति सं0-21

ग्राम पंचायत-भुड़िया, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	244591	214915	434506	25000	16	21
चौदहवां वित्त आयोग	183705	870255	1003114	50846	22	26
योग	42820196	1085170	1437620	75846	38	47

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1437620/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान प्रेमपाल सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है।

आपत्ति सं0-22

ग्राम पंचायत-गौहावर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	134893	221243	220450	135686	14	09
चौदहवां वित्त आयोग	434239	897169	952553	378855	21	38
योग	569132	1118412	1173003	514541	35	47

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1173003/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है।

आपत्ति सं0-23

ग्राम पंचायत-करकौर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	199440.75	326714	482842	43312.75	17	17
चौदहवां वित्त आयोग	32019035	1313144	1353809	288370	28	46
योग	528475.75	1639858	1836651	331682.75	45	63

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1836651/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र पाल एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है।

आपत्ति सं0-24

ग्राम पंचायत—अली अकबरपुर नबादा, विकास खण्ड—जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0- 5424 /पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	1499	313360	403906	59355	13	13
चौदहवां वित्त आयोग	133957	1181728	1272573	43112	48	45
योग	283858	1495088	1676479	102467	61	58

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1676479/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से ब्याज सहित करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है। (ग्राम पंचायत—अली अकबरपुर नबादा, विकास खण्ड—)

आपत्ति सं0-25

ग्राम पंचायत—सुरजपुर, विकास खण्ड—जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0- 5424 /पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	89458	383135	425068	47525	17	14
चौदहवां वित्त आयोग	94336	155562019	1430323	219642	32	40
योग	183794	1938764	1855391	267167	49	54

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1855391/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुषा सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है।

आपत्ति सं0-26

ग्राम पंचायत-आलमपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20/09/2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0-5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	131186	303812	386683	48315	16	14
चौदहवां वित्त आयोग	324818	1227425	1263620	288623	27	37
योग	456004	1531237	1650303	336938	43	51

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1650303/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार है।

आपत्ति सं०-27

ग्राम पंचायत-डभौरासिमरा , विकास खण्ड-जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि- खाते से धन का आहरण किया गया है।

दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1235206- की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भावना सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.19 से 31.03.20 तक उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार के पास रहा है। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

आपत्ति सं०-28

ग्राम पंचायत-बंडिया कला, विकास खण्ड-जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि- खाते से धन का आहरण किया गया है।

दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 652134- की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.19 से 31.03.19 तक उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार के पास रहा है। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

आपत्ति सं०-29

ग्राम पंचायत-बंडिया खुर्द, विकास खण्ड-जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि- खाते से धन का आहरण किया गया है।

दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 5254- की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामकुमारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं०-30

ग्राम पंचायत-मकरन्दपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि— खाते से धन का आहरण किया गया है। दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 305679— की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भगवती देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.20 से 31.03.20 तक उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार के पास रहा है। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

आपत्ति सं0—31

ग्राम पंचायत—मुड़िया खेड़ा आजमाबाद, विकास खण्ड—जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि—01 खाते से धन का आहरण किया गया है। दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 733787— की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री सुरजीत कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.20 से 31.03.20 तक उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार के पास रहा है। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

आपत्ति सं0—32

ग्राम पंचायत—रूद्रपुर, विकास खण्ड—जैतीपुर

वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत में श्री महेशकान्त पाण्डे ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 03.01.2019 तक उनके द्वारा ग्राम निधि— खाते से धन का आहरण किया गया है। दिनांक 04.01.19 से उक्त ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को आवंटित कर दी गयी परन्तु श्री महेशकान्त पांडे द्वारा आहरित धन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं किये। इतना समय बीतने के बाद भी व्यय प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों को प्रतिस्थानी को चार्ज में नहीं देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सपेक्ष व्यय प्रमाणक है ही नहीं अस्तु प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः सिद्ध है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 670274— की वसूली ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री राजीव सिंह देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.20 से 31.03.20 तक उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार के पास रहा है। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

आपत्ति सं0—33

ग्राम पंचायत—जैतीपुर, विकास खण्ड—जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	506581	350337	801957	54961	21	24
चौदहवां वित्त आयोग	303502	1408368	1418987	20192883	2019	44
योग	810083	1758705	2220744	347844	50	68

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 2220944/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे है।

आपत्ति सं0-34

ग्राम पंचायत-पलिहुरा, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	प्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	205	364063	234820	149258	15	10
चौदहवां वित्त आयोग	520843	1597795	1810935.50	307702.50	2019	59
योग	540858	1961858	2045755.50	456960.50	44	69

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 2045755.50/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ग्रीशचन्द एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे है।

आपत्ति सं०-35

ग्राम पंचायत-बिनौरा बिनौरिया, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	प्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	20198686	235232	395714	138204	15	14
चौदहवां वित्त आयोग	380469	955065	976386	359148	17	27
योग	679155	1190297	1372100	497352	32	41

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1372100/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे है।

आपत्ति सं०-36

ग्राम पंचायत-गोविन्दपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	16319	188684	176614	28389	16	21
चौदहवां वित्त आयोग	117706	771262	795866	93102	26	25
योग	134025	959946	972480	121491	42	46

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 972480/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे है।

आपत्ति सं0-37

ग्राम पंचायत-बरी प्रसिद्धपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	64866.50	263468	208530	119804.5	21	11
चौदहवां वित्त आयोग	423417	1062239	309000	1176656	21	20
योग	488283.50	1325707	517530	120196460.50	42	31

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 517530/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-38

(ग्राम पंचायत-नगला देहात माली, विकास खण्ड-जैतीपुर)

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	113972	151138	18201923	82187	11	12
चौदहवां वित्त आयोग	249878	614566	835084	2019360	19	26
योग	363850	765704	1018007	111547	30	38

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 18007/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आभा यादव एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-39

ग्राम पंचायत-गौटिया अन्तु, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	118137	2062	122615	2534	17	08
चौदहवां वित्त आयोग	102443	839765	688214	253994	25	30
योग	220580	1045777	810829	455528	42	38

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 81082019/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य से करते हुए वसूलीअपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-40

ग्राम पंचायत-खूबपुर अंचितपुर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को लिखे।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए	व्यय के सापेक्ष कुल

					कुल कार्य	वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	50255	216930	220973	46182	18	13
चौदहवां वित्त आयोग	189390	877446	814827	252009	21	26
योग	239615	1094376	1035800	298191	39	39

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1035800/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-41

ग्राम पंचायत-घसा कल्याणपुर, विकास खण्ड- जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	205532	361416	263200	303748	18	22
चौदहवां वित्त आयोग	2470318.25	1460755	16726	201914347.25	28	2019
योग	2675850.25	1822171	1279926	3218095.25	46	51

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1279926/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नेत्रपाल सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-42

ग्राम पंचायत-गोरा बकेनिया, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020,

30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रियासॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	250735	411694	420884	241545	28	27
चौदहवां वित्त आयोग	493073	1675743	1709353	459463	44	83
योग	743808	2087437	2130237	701008	72	110

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 2130237/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेकान्त पाण्डे से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डे है।

आपत्ति सं0-43

ग्राम पंचायत-मरेना, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर

चतुर्थ राज्य वित्त योग	103568	453372	448900	108040	23	15
चौदहवां वित्त आयोग	246045	1710596	950788	1005853	35	26
योग	349613	2163968	1399688	1113893	58	41

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1399688/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती करन सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री महेकान्त पाण्डे से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

आपत्ति सं०-44

ग्राम पंचायत-शाहबाद , विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	672	398426	383472	15626	14	19
चौदहवां वित्त आयोग	658179	1631884	1770483	519580	40	62
योग	658851	2030310	2153955	535206	54	81

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 2153955/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसागर एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार है।

आपत्ति सं०-45

ग्राम पंचायत-धुबला करीमनगर, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020,

30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	497206	411789	737426	171569	22	37
चौदहवां वित्त आयोग	5648	1667466	851375	821739	37	25
योग	502854	2079255	1588801	993308	59	62

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1588801/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोनी गुप्ता एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-46

ग्राम पंचायत-रपड़िया, विकास खण्ड-जैतीपुर

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20/02/2020, 30/01/2020, 24/01/2020, एवं 17/12/2019, 09/12/2019, 20/11/2019, 20.09.2019 एवं 13/09/2019 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर

चतुर्थ राज्य वित्त योग	152104	241780	256386	137498	16	20
चौदहवां वित्त आयोग	413076	982742	954530	441288	28	32
योग	565180	1224522	1210916	578786	44	52

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1210916/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह है।

आपत्ति सं0-47

ग्राम पंचायत-रसवा कलां, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	20195781	279005	503383	71403	19	36
चौदहवां वित्त आयोग	23782	1140250	937547	226485	32	41
योग	319563	1419255	1440930	297888	51	77

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1440930/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह है।

आपत्ति सं0-48

ग्राम पंचायत-बिजौरा बिजौरिया, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	206738	205798	311260	1276	17	17
चौदहवां वित्त आयोग	254241	785757	728361	311637	21	32
योग	460979	991555	1039621	412913	38	49

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की गयी धनराशि वर्ष 2018-19 में व्यय की गयी धनराशि रु0 1039621.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह है।

आपत्ति सं0-49

ग्राम पंचायत-महोलिया वीरान, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	82823	175904	221424	37303	19	26
चौदहवां वित्त	70333	7926	763508	751	28	39

आयोग						
योग	153156	877830	984932	46054	47	65

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 984932/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दलवीर सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह है।

आपत्ति सं०-50

ग्राम पंचायत-छापाबोझी, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	168053	289023	200906	256170	22	20
चौदहवां वित्त आयोग	43331	1181187	1141412	473096	30	24
योग	6374	1470210	1342318	72019266	52	44

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1342318/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिवा शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिवा शुक्ला है।

आपत्ति सं०-51

ग्राम पंचायत-मलिका, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी०

5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	314242	143976	273519	184699	18	10
चौदहवां वित्त आयोग	280248	1276174	1484368	72054	42	28
योग	594490	1420150	1757887	256753	60	38

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1757887/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं0-52

ग्राम पंचायत-हरनई, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 19.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	530519	386890	855346	62063	24	55
चौदहवां वित्त आयोग	751088	1447717	984703	1214102	50	51
योग	1281607	1834607	1840049	1276165	74	106

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1840049/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं०-53

ग्राम पंचायत-नवदिया मानकंठ, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	192516	190584	73950	309150	13	04
चौदहवां वित्त आयोग	157082	1145285	1091503	210864	30	22
योग	349598	1335869	1165453	520014	43	26

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1165453/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रदीप शुक्ला एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं०-54

ग्राम पंचायत-नवदिया ओरीलाल, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु

प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	192356	235528	377526	50358	19	31
चौदहवां वित्त आयोग	463354	962558	696568	72019344	37	43
योग	655710	1198086	1074094	779702	56	74

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1074094/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं0-55

ग्राम पंचायत-गढ़िया सरेली, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	483372	491337	36201950	611759	16	15
चौदहवां वित्त आयोग	683876	1869361	11703	1383134	63	56
योग	1167248	2360698	1533053	1994893	79	71

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1533053/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं०-56

ग्राम पंचायत-ढकना लहिया, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	201999	139183	194068	235314	13	11
चौदहवां वित्त आयोग	309008	568811	553032	324787	24	28
योग	599207	707994	747100	560101	37	39

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 747100/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव शुक्ला है।

आपत्ति सं०-57

ग्राम पंचायत-अण्डहा, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु

प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	41290	242290	212394	71186	19	21
चौदहवां वित्त आयोग	148076	935561	822117	261520	29	31
योग	189366	1177851	1034511	332706	48	52

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1034511/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार वाजपेई एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

आपत्ति सं0-58

ग्राम पंचायत-बुझिया, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	171453	214555	228998	1570	13	12
चौदहवां वित्त आयोग	323733	876852	931516	269069	25	13
योग	495186	1091407	1160514	426079	38	25

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1160514/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव है।

आपत्ति सं०-59

ग्राम पंचायत-मोहनपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा० शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	145435	347533	141956	3512	14	11
चौदहवां वित्त आयोग	879956	1420307	760806	1539457	25	25
योग	1025391	1767840	902762	1890469	39	36

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 902762/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन वाजपेई एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव है।

आपत्ति सं०-60

ग्राम पंचायत-खमरिया गदियाना, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी० 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी० 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	180058	251163	92303	338918	12	10
चौदहवां वित्त आयोग	398491	1335991	774451	960031	24	21
योग	578549	1587154	866754	1298949	36	31

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 866754/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सतनाम सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव है।

आपत्ति सं0-61

ग्राम पंचायत-पिपरिया बीरसिंहपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	12019308	163320	191452	1176	14	21
चौदहवां वित्त आयोग	37864	667457	4634	245187	22	22
योग	167172	830777	651586	346363	36	43

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 651586/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोमपाल सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव है।

आपत्ति सं0-62

ग्राम पंचायत-सिल्हुआ, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	327666	643263	557140	413789	23	48
चौदहवां वित्त आयोग	332032	822503	421694	732841	41	24
योग	659698	1465766	978834	1146630	64	72

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 978834/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राशि देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री आदर्श यादव है।

आपत्ति सं0-63

ग्राम पंचायत-दिलीपपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	128359	177669	300544	5484	20	18
चौदहवां वित्त आयोग	24910	781785	736770	69925	24	50
योग	153269	959454	1037314	75409	44	68

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1037314/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान केवल सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-64

ग्राम पंचायत-रौतापुर कलां, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457 / पंचायत / लेखा / ऑडिट / 2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424 / पंचायत / लेखा / ऑडिट / 2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	69809	424818	483050	11577	19	37
चौदहवां वित्त आयोग	68560	1736157	748912	1055805	33	20
योग	138369	2160975	1231962	1067382	52	57

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1231962/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-65

ग्राम पंचायत-हंसपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम

पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	19997	283328	217724	856	12	19
चौदहवां वित्त आयोग	743746	1157909	1157730	743925	25	38
योग	763743	1441237	1375454	82526	37	57

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1375454/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बांकेलाल एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-66

ग्राम पंचायत-हरिहरपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर

चतुर्थ राज्य वित्त योग	40224	194875	146279	88820	09	16
चौदहवां वित्त आयोग	86492	796421	121669	761244	25	12
योग	126716	991296	267948	850064	34	28

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 267948/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-67

ग्राम पंचायत-प्रतापपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	124146	158718	99573	183291	08	11
चौदहवां वित्त आयोग	99687	648652	20192836	455503	20	21
योग	223833	807370	392409	638794	28	32

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 392409/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नवल सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-68

ग्राम पंचायत-नवदिया नवाजपुर, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	8983	1163719	480493	1581239	12	26
चौदहवां वित्त आयोग	622653	1571998	1493353	720198	42	76
योग	1520666	2735717	1973846	2282537	54	102

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1973846/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-69

ग्राम पंचायत-बेला, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	95878	327072	392503	30447	14	21
चौदहवां वित्त आयोग	306434	1336688	1119968	523154	2019	56
योग	402312	1663760	1512471	553601	43	77

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1512471/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार मिश्र एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है। (ग्राम पंचायत-बेला, विकास खण्ड-)

आपत्ति सं0-70

ग्राम पंचायत-कोल्हूगाड़ा, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (2018-19)

शीर्ष	ग्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	813	212425	113174	100064	09	17
चौदहवां वित्त आयोग	159814	868149	82767	945196	24	06
योग	160627	1080574	195941	1045260	33	23

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 195941/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द्र अग्निहोत्री व अन्य से करते हुए वसूली अपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र अग्निहोत्री है।

आपत्ति सं0-71

ग्राम पंचायत-राठ, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	309211	435270	606681	137800	22	38
चौदहवां वित्त आयोग	377608	1778874	1181439	975043	2019	66
योग	686819	2214144	1788120	1112843	51	104

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1788120/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवती एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त यादव व अन्य से करते हुए वसूलीअपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त यादव है।

आपत्ति सं0-72

ग्राम पंचायत-महुआ पिनई, विकास खण्ड-खुटार

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है। तदनुसार लेखा परीक्षा ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 31.01.20, 14.02.20, 2019.02.20 एवं 19.03.20 को पत्र लिखे गये।

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी0 5457/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 एवं सी0 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18/03/2020 के माध्यम से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से की जाएगी।

प्रिया सॉफ्ट में दर्शित विवरण जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।
(2018-19)

शीर्ष	प्रा0 शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष	कराए गए कुल कार्य	व्यय के सापेक्ष कुल वाउचर
चतुर्थ राज्य वित्त योग	108511	373696	365306	1169	21	39
चौदहवां वित्त आयोग	45070	1441950	1121177	365843	40	43
योग	153581	1815646	1486483	482744	61	82

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से कार्य कराना दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि 1486483/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार वर्मा व अन्य से करते हुए वसूलीअपेक्षित रही। अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी श्री शिव सिंह व प्रमोद वर्मा है।

आपत्ति सं०-73

ग्राम पंचायत- करनापुर, विकास खण्ड-पुवायां

ग्राम पंचायत में श्री प्रवीण कुमार शाही सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं। दिनांक 04.02.2020 तक उनकें द्वारा ग्राम निधि प्रथम के खाते से धन का आहरण किया गया है। स्थानांतरण के बाद श्री प्रवीण कुमार शाही द्वारा अपने प्रतिस्थानी को अभिलेखों को बाद में चार्ज हस्तगत नहीं किया गया। लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों को प्रतिस्थानी को चार्ज में न देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है।

प्रमाणक विहीन व्यय से स्वतः स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 2113185/की वसूली ब्याज सहित श्री प्रवीण कुमार शाही सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० व प्रधान श्रीमती खलीफन से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त में रु० 2832/ चेकों के रिजेक्शन व रु० 735/एस०जी०एस०टी० (2016) भी शामिल है। एस०जी०एस०टी० भुगतान का औचित्य अस्पष्ट रहा।

आपत्ति सं०-74

ग्राम पंचायत- भरतापुर, विकास खण्ड-पुवायां

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 3.12.2019, 03.03.2020, 21.03.2020

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	1343218	09	64
चौथा रा०वि०आ०	309382	04	16
योग	1652600	13	80

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1652600/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा०वि०अधि० व प्रधान श्री बलकार सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा०वि०वि०अधि० का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० है।

आपत्ति सं०-75

ग्राम पंचायत-ढखिया बुजुर्ग, विकास खण्ड-पुवायां

लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ वही व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किये गये। अन्य व्यय प्रमाणक स्टीमेट, एम०बी०, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, सृजित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यवाही पंजिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम के खाते से कुल रु० 1306525/- आहरित किये गये हैं। वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण का प्रकरण है।

अतः अपहरित धन रु० 1306525/- की वसूली ब्याज सहित श्रीकृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० व प्रधान श्री रामू सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं०-76

ग्राम पंचायत-सुजानपुर, विकास खण्ड-पुवायां

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— 03.12.2019, 03.03.2020, 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/ लेखा/ ऑडिट/ 239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	8264.00	08	30
चौथा रा०वि०आ०	218525.00	06	11
योग	1038689.00	14	41

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। अतः अपहरित धन रू० 1038689/- की वसूली ब्याज सहित श्री अनिल कुमार सचिव/ग्रा०वि०अधि० व प्रधान श्री कुलविंदर सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा०वि०वि०अधि० का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा०पं०वि०अधि० है।

आपत्ति सं०-77

ग्राम पंचायत- फत्तेपुर बुर्जुग, विकास खण्ड-पुवायां

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— 3.12.2019, 03.03.2020, 21.03.2020

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	570761.00	5	16
चौथा रा०वि०आ०	340947.00	5	16
योग	911708.00	10	32

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। अतः अपहरित धन रू० 911708/- की वसूली ब्याज सहित श्री अनिल

कुमार सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री आदित्य कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-78

ग्राम पंचायत- मजीदपुर, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	8610.00	7	21
चौथा रा0वि0आ0	419834.00	8	23
योग	1280844.00	15	44

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है। अतः अपहरित धन रू0 1280844/- की वसूली ब्याज सहित श्री रामवीर व राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री श्रीमती रामकिशोरी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-79

ग्राम पंचायत-सिरखिड़ी, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020, 3.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासॉफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	121201984.00	11	67
चौथा रा0वि0आ0	117671.00	02	8
योग	1330655.00	13	75

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1330655/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल व गंगा महेश पाण्डेय सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री निर्भय गुप्ता से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-80

ग्राम पंचायत-मुकीमपुर विकास खण्ड-पुवायां

ग्राम पंचायत में 01.04.2018 से 27.02.2019 तक श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 कार्यरत रहे हैं। श्री कृष्ण गोपाल को लिखित रूप से 03.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिये गये, किन्तु उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिस्थानी श्री हिमांशू कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि श्री कृष्ण गोपाल द्वारा उन्हें चार्ज में कोई अभिलेख नहीं दिये गये हैं। प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी का है। श्री कृष्ण गोपाल के कार्यकाल में रु0 1006123/- ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित किया गया है। आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन में पाया गया कि नगद आहरण के साथ-साथ कतिपय फर्मों के नाम चेक निर्गत किये गये हैं।

स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रु0 1006123/- की वसूली ब्याज सहित श्रीकृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती कंचन मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। चूंकि अभिलेखों के रख-रखाव का दायित्व सचिव का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी श्री कृष्ण गोपाल है।

आपत्ति सं0-81

ग्राम पंचायत-बद्रीपुर हदीना, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020, उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत /लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासॉफ्टसाइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	1161035.00	7	39
चौथा रा0वि0आ0	20195849.00	5	20
योग	1456884.00	12	59

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1456884/- की वसूली ब्याज सहित श्री रामवीर व श्री राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री राजीव से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-82

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये—03.12.2019, 03.03.2020, 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी। उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	864554	08	07
चौथा रा0वि0आ0	4764	07	17
योग	1266318.00	15	24

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1266318/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है। (ग्राम पंचायत— आर्यू, विकास खण्ड—)

आपत्ति सं0-83

ग्राम पंचायत—इटौली, विकास खण्ड—पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020, 3.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	1595411.00	8	39
चौथा रा0वि0आ0	587689.00	6	23
योग	2183100.00	14	62

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 2183100/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल व गंगा महेश पाण्डेय सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री सर्वेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्या उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-84

ग्राम पंचायत- गुधनी, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी। उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	1656238.00	16	86
चौथा रा0वि0आ0	341315.00	6	31
योग	1997553.00	22	117

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1997553/- की वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री राधेश्याम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-85

ग्राम पंचायत-अगौना बुजुर्ग, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020, 3.12. 2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	763951.00	6	36
चौथा रा0वि0आ0	462566.00	8	30
योग	1226517.00	14	66

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतःअपहरित धन रू0 1226517/- की वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ल व श्री अनिल कुमार सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री अरविंद कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-86

ग्राम पंचायत-बेलाछेदा, विकास खण्ड-पुवायां

ग्राम पंचायत में 01.04.28 से 27.02.2019 तक श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 कार्यरत रहे हैं। श्री कृष्ण गोपाल द्वारा अपने प्रतिस्थानी को अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया। श्री हिमांशू सिंह जो दिनांक 28.02.2019 से 31.03.2019 तक कार्यरत रहे हैं द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत किये गये हैं। श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपने कार्यकाल में कुल रू0 1495280.40/- का आहरण ग्राम निधि प्रथम के खाते से किया गया है। जिसमें बैंक चार्ज रू0 1628.40/- शामिल है। इस प्रकार रू0 1493652/- के उपभोग संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थे। श्री कृष्ण गोपाल को दिनांक 03.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 से अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। किन्तु उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न होना लेखा नियमों के अनुसार धन के अपहरण की पुष्टि करता है।

अतः अपहरित धन रू0 1493652/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं0-87

ग्राम पंचायत-बसखेडा बुजुर्ग, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 3.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी। उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया साफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	1313524.00	09	55
चौथा रा0वि0आ0	259990.00	07	24
योग	1573514.00	16	79

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1573514/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-88

ग्राम पंचायत-रहदेवा, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा

हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— 3.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/ लेखा/ ऑडिट/ 239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया साफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	1546111.00	09	67
चौथा रा०वि०आ०	60472019.00	07	39
योग	2150840.00	16	106

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 2150840/- की वसूली ब्याज सहित श्री अनिल कुमार सचिव/ग्रा०वि०अधि० व प्रधान श्री कुलविंदर सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा०वि०अधि० का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०पं०अधि० है।

आपत्ति सं०-89

ग्राम पंचायत-टेहरी टुकरी, विकास खण्ड-पुवायां

ग्राम पंचायत में 10.01.2019 तक श्रीमती पूनम सचिव/ग्रा०पं०अधि० के पद पर कार्यरत रही हैं। उनके द्वारा अपने प्रतिस्थानी को अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया। श्रीमती पूनम के कार्यकाल में कुल रू० 955569.40/- ग्राम निधि प्रथम के खाते से धन आहरण किया गया है, जिसमें रू० 212.10 बैंक चार्ज भी शामिल है। लेखा नियमों के अनुसार आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख न होना धन का अपहरण का प्रकरण है।

अतः अपहरित धन रू० 955357/- की वसूली ब्याज सहित श्रीमती पूनम सचिव/ग्रा०पं०अधि० व प्रधान श्री शशांक मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। चूंकि अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव है।

आपत्ति सं०-90

ग्राम पंचायत-घनश्यामपुर खुर्द, विकास खण्ड-पुवायां

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— 02.11.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी- 5424/पंचायत/ लेखा/ ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रिया साफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है—

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	1124665.00	08	66

चौथा रा0वि0आ0	344662.00	04	26
योग	1469327.00	12	92

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1469327/- की वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री शमसुल हसन से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-91

ग्राम पंचायत-हरदुआ, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं0	प्रमाणकों की सं0
चौदहवां वित्त आयोग	676591.00	7	24
चौथा रा0वि0आ0	80369.00	5	11
योग	756960.00	12	35

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है। अतः अपहरित धन रु0 756960/- की वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री राम सहाय से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा0वि0वि0अधि0 का होता है। अतः प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 है।

आपत्ति सं0-92

ग्राम पंचायत-समुलिया, विकास खण्ड-पुवायां

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	1379067.00	8	39
चौथा रा०वि०आ०	604849.00	6	36
योग	1983916.00	14	75

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतःअपहरित धन रु० 1983916/- की वसूली ब्याज सहित श्री रामवीर व श्री राकेश कुमार सचिव/ग्रा०वि०अधि० व प्रधान श्री मेवाराम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा०वि०वि०अधि० का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा०पं०वि०अधि० है।

आपत्ति सं०-93

ग्राम पंचायत-सतवां बुर्जुग, विकास खण्ड-पुवायां

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- 02.11.2019, 03.03.2020, व 21.03.2020, 3.12.2019, 03.03.2020 व 21.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.20 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/239-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा उक्त की अवहेलना की गयी।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण कर लिये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की जा रही है एवं आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख आदि नहीं है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट पर सचिव द्वारा निम्नवत व्यय करना फीड कराया है-

योजना का नाम	व्यय धनराशि	कृत कार्यों की सं०	प्रमाणकों की सं०
चौदहवां वित्त आयोग	1588020.00	12	92
चौथा रा०वि०आ०	591903.00	5	39
योग	2179923.00	17	131

आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर कर लिया गया है।

अतःअपहरित धन रु० 2179923/- की वसूली ब्याज सहित श्री कृष्ण गोपाल व श्री गंगा महेश पाण्डेय सचिव/ग्रा०वि०अधि० व प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव का दायित्व सचिव/ग्रा०वि०वि०अधि० का होता है। अतः प्रमुख्य उत्तरदायी सचिव/ग्रा०पं०वि०अधि० है।

आपत्ति सं०-94

ग्राम पंचायत-अहमदपुर नेवाजपुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये श्री सतीश कुमार .11.2019, 03.03.2020 श्री प्रवीण कुमार- 10.10.2019, 19.10.2019, .11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ ऑडिट/ 2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को

देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशो	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	108907.00	304563.00	284435.00	129035.00	14	18
चौदहवां वां वित्त आयोग	53072.00	813371.00	823989.00	42454.00	25	19
योग	161979.00	1117934.00	1108424.00	171489.00	39	37

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1108424/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री सतीश कुमार व श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-95

ग्राम पंचायत-वाजिदपुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये कु0 गरिमा सिंह 05.02.2020, 03.03.2020 व 16.03.2020 श्रीमती विरला देवी -3/12 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए। उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	258268.00	348811.00	443672.00	163407.00	13	18
चौदहवां वां वित्त आयोग	9320193.00	132142019.00	1414082.00	640.00	31	25
योग	351561.00	1670240.00	1857754.00	164047.00	44	43

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 1857754/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी व कु0 गरिमा सिंह व प्रधान श्रीमती फरमाइशां से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी व कु0 गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-96

ग्राम पंचायत-बादशाहनगर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए। उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	247302.00	485584.00	267331.00	465555.007	7	19
चौदहवां वां वित्त आयोग	446444.00	1819983.00	2208139.00	58288.00	64	35
योग	693746.00	2305567.00	2475470.00	523843.00	71	54

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 2475470/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी व प्रधान श्रीमती अनुपमा से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं0-97

ग्राम पंचायत-शहबाजपुर दनियापुर , विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा

परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0वि0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	7959.00	381843.00	388564.00	1238.00	20	17
चौदहवां वां वित्त आयोग	134693.00	773344.00	890434.00	17603.00	30	23
योग	142652.00	1155187.00	1278998.00	18841.00	50	40

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1278998/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी व प्रधान श्रीमती गिरजा से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं0-98

ग्राम पंचायत-रौसर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की

कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	17864.00	365582.00	346698.00	36748.00	18	12
चौदहवां व वित्त आयोग	85393.00	867021.00	763534.00	188880.00	14	10
योग	103257.00	1232603.00	1110232	225628.00	32	22

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 1110232/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्रीमती विरला देवी व प्रधान श्री दीपक मिश्र से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं०-99

ग्राम पंचायत-आटाखुर्द, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये श्री सतीश कुमार— .11.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, श्री प्रवीण कुमार— 10.10.2019, 19.10.2019, 01.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/ 2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं हैं। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0वि0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	250689.00	347017.00	100910.00	496796.00	05	22
चौदहवां वां वित्त आयोग	242228.00	1315947.00	1124082.00	434093.00	20	24
योग	492917.00	1662964.00	1224992.00	930889.00	25	46

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1224992/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार (कार्य0) व प्रधान श्रीमती अनीता से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख्या उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0—100

ग्राम पंचायत—ददरु विकास खण्ड—भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 10.10.2019, 19.10.2019, 11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी—5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी—5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018—19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/— तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/— से रु0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0वि0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	56674.00	443753.00	364534.00	135893.00	11	20
चौदहवां वां वित्त आयोग	244153.00	1788997.00	1784238.00	248912.00	49	33
योग	300827.00	2232750.00	2148772.00	384805.00	60	43

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 2148772.00/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व प्रधान श्री राजमाला से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख्या उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-101

ग्राम पंचायत-गौरीकलां, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये श्री सतीश कुमार-01.11.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, श्री प्रवीण कुमार- 10.10.2019, 19.10.2019, 01.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/ 2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रू0 250000/—तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रू0 250000/— से रू0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रिया साफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	156178.00	276316.00	357672.00	74822.00	13	19
चौदहवां वां वित्त आयोग	313779.00	13607.00	899076.00	428310.10	10	13
योग	469957.00	1289923.00	1256748.00	503132.00	23	32

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1256748/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार (कार्यकालानुसार) व प्रधान श्री अखण्ड प्रताप सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख्या उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-102

ग्राम पंचायत—नुसरतपुर उर्फ बाडीगांव विकास खण्ड—भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 10.10.2019, 19.10.2019, 11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रू0 250000/— तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रू0 250000/— से रू0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	625689.00	561065.00	728956.00	457798.00	26	24
चौदहवां वां वित्त आयोग	7654.00	2037791.00	2255762.00	542183.00	62	2019
योग	1385843.00	2598856.00	2984718.00	999981.00	68	53

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 2984718/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व प्रधान श्रीमती नसीना बानो से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-103

ग्राम पंचायत—मऊवासक, विकास खण्ड—भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 01.11.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रू0 250000/— तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रू0 250000/— से रू0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्य की संख्या	कुल कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	150.00	212112.00	166600.00	45662.00	15	16
चौदहवां वा वित्त आयोग	189705.00	540724.00	554753.00	175676.00	23	20
योग	189855.00	752836.00	721353.00	221338.00	38	36

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 721353/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री सतीश कुमार व प्रधान श्रीमती कामता देवी से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0—104

ग्राम पंचायत—कटिया रज्जव, विकास खण्ड—भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 23.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी—5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी—5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018—19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रू0 250000/— तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रू0 250000/— से रू0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	151382.00	310834.00	396672.00	65544.00	14	10
चौदहवां वॉ वित्त आयोग	160743.00	1435612.00	1591523.00	4832.00	58	26
योग	312125.00	1746446.00	1988195.00	70376.00	72	36

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1988195/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्री शशिबिंद पाल व कु0 गरिमा सिंह व प्रधान श्री बाबू से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 कु0 गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-105

ग्राम पंचायत—ऐंठा हुसैनपुर, विकास खण्ड—भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये— कु0 प्रज्ञा गुप्ता— 05.02.2020, श्रीमती विरला देवी— 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 व 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी—5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी—5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019—20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018—19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/— से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/— तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/— से रु0 500000/— तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। वर्तमान ग्रा0प0वि0अधि0/सचिव कु0प्रज्ञा गुप्ता द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया श्रीमती विरला देवी पूर्व सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेखों का चार्ज कई बार कहने के बाद

भी उन्हें नहीं दिया गया है। इतना अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अभिलेख चार्ज में न देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख तैयार ही नहीं किये गये हैं। श्रीमती विरला देवी द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते रु० 1130721/- धन का आहरण किया गया है। अभिलेख न होना चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपभोग शासकीय गाइड लाइन व वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से सुस्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर किया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1130721/- की वसूली ब्याज सहित श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० व प्रधान श्रीमती सुलेखा देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रख-रखाव व नियमानुसार धन के उपभोग का दायित्व सचिव का है। अतः प्रमुख उत्तरदायी श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० है।

आपत्ति सं०-106

ग्राम पंचायत-दिलावरपुर देवकली , विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये- श्री सतीश कुमार .11.2019 05.02.2020, 03.03.2020, श्री वीरसेन- 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है-

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	26962.00	337702.00	315361.00	49303.00	09	13
चौदहवां वां वित्त आयोग	75036.00	1362723.00	1403367.00	34392.00	42	36
योग	101998.00	1700425.00	1718728.00	83695.00	51	49

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1718728/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री सतीश कुमार व प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-107

ग्राम पंचायत-कनैग, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 10.10.2019, 19.10.2019, 11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है-

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	16188.00	457060.00	472889.00	359.00	10	21
चौदहवां वां वित्त आयोग	8175.00	1713984.00	1575083.00	147076.00	33	2019
योग	24363.00	2171044.00	2047972.00	147435.00	43	50

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 2047972/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्री प्रवीण कुमार व श्री संजीव कुमार सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० कु० गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-108

ग्राम पंचायत-अहमदनगर ता० बहादुरपुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये – श्री सतीश कुमार- .11.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, श्री प्रवीण कुमार 10.10.2019, 09.10.2019, .11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है-

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक की कार्य संख्या	कुल कार्य की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	673.00	523410.00	499766.00	83817.00	19	20
चौदहवां वां वित्त आयोग	506865.00	2056181.00	2311243.00	251803.00	50	34
योग	567038.00	2579591.00	2811009.00	335620.00	69	54

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 2811009/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार (कार्यकालानुसार) व प्रधान श्री रामसहाय से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं0-109

ग्राम पंचायत-चौदेरा, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 10.10.2019, 19.10.2019, 01.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0विय0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है-

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल करायें की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	1746880	1616606	2518866	844620	50	41
चौदहवां व वित्त आयोग	2620320	5892394	8421758	90956	156	106
योग	4367200	7509000	10940624	935576	206	147

प्रिया साफ्ट में फीड कराये गये विवरण से चतुर्थ वि०आ० तथा ०४ वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार ही धन के व्यय किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

प्रिया साफ्ट साइट पर फीड विवरण के अनुसार माह मार्च २०१९ में कुल व्यय धन ₹० ५०६८६१८/- है। माह फरवरी १९ में कुल ₹० १४९७६८५/- व्यय है। एक माह में किसी ग्राम पंचायत में सचिव द्वारा ₹० ५०६८६१८/- के कार्य करा पाना संभव नहीं है। वह भी तब जबकि उसके पास ६-७ अन्य ग्राम पंचायतों भी हैं।

ग्राम पंचायत चौड़ेरा शहर से जुड़ी ग्राम पंचायत है जहां अन्य अभिकरणों यथा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत ने भी कुछ कार्य करवाये हो सकते हैं। जिला पंचायत द्वारा कार्य कराये गये हैं। मनरेगा से भी कार्य होते हैं। डबलिंग संभव है।

प्रिया साफ्ट के अनुसार माह मार्च- १९ में समस्त आहरण ०३/०३, ०४/०४, ०५/०३, ०६/०६, व ०७.०३.२०१९ में ही किया गया है। कुल प्रमाणक ९० हैं।

माहवार व्यय विवरण निम्नवत् फीड कराया गया है-

क्र०सं०	माह	ग्रा० शेष	आय	व्यय
१	अप्रैल-१८	४३६७२००.००	१७५९९८३.००	५०८.००
२	मई-१८		-	४८५९७.००
३	जून-१८		-	१९४६३५.००
४	जुलाई-१८		२०३५९८२.००	५८२५.००
५	अगस्त-१८		-	३७१६७४.००
६	सितम्बर-१८		-	९८२५४५.००
७	अक्टूबर-१८		-	५६०५१०.००
८	नवम्बर-१८		८४३८४८.००	३३१५७.००
९	दिसम्बर-१८		-	७८७६०६.००
१०	जनवरी-१९		२०४४३९०.००	८४३७५४.००
११	फरवरी-१९		७१०४९५.००	१४९७६८५.००
१२	मार्च-१९		११४३०२.००	५०६८६१८.००

३१.०३.२०१९ को शेष- ९३५५७६.०० बैंक खाते में काफी अधिक धन जमा रहते माह दिसम्बर-१८ तक अति अल्प व्यय एवं मात्र २-३ माह में अधिकांश धन का व्यय स्पष्ट करता है कि धन का गबन किया गया है। आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹० १०९४०६२४/- की वसूली ब्याज सहित श्री प्रवीण कुमार सचिव/ग्रा०पं०अधि० व प्रधान श्रीमती विमला मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेखों के रख-रखाव व नियमों व निर्देशों के अनुपालन का दायित्व सचिव का है। अतः प्रमुख उत्तरदायी श्री प्रवीण कुमार सचिव/ग्रा०पं०वि०अधि० का है।

आपत्ति सं०-११०

ग्राम पंचायत-सिउरा, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम १९४७ की धारा ४० एवं नियम सं० १८६ के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये - श्री सतीश कुमार- ०१.११.२०१९, ०५.०२.२०२०, ०३.०३.२०२०, श्री वीर सेन- ०५.०२.२०२०, ०३.०३.२०२०, १६.०३.२०२०

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-५१५७/पंचायत/लेखा/ऑडिट/२०१९-२० दिनांक १९.०२.२०२० तथा सी-५४२४/पंचायत/लेखा/ऑडिट/२०१९-२० दिनांक १८.०३.२०२० से वर्ष २०१८-१९ के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक १६.०३.२०२० को लेखा परीक्षा कराने

के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए। उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है। विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा० विय० आ० एवं चौदहवें वि० आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा० वि० आ०	457279.00	501768.00	463357.00	495690.00	15	28
चौदहवां वां वित्त आयोग	322554.00	2367340.00	2686661.00	3233.00	57	39
योग	779833.00	2869108.00	3150018.00	498923.00	72	67

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 3150018/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री सतीश कुमार व प्रधान श्रीमती गायत्री से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं, क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-111

ग्राम पंचायत-बिलंदपुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि० अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये — 10.10.2019, 19.10.2019, 11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह

अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा० विय० आ० एवं चौदहवें वि० आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा० वि० आ०	318785.00	475726.00	182814.00	611697.00	09	19
चौदहवां वां वित्त आयोग	704542.00	1696244.00	806357.00	159442019.00	14	19
योग	1023327.00	2171970.00	989171.00	2206126.00	23	38

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 989171/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार व प्रधान श्री सफदर अली से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-112

ग्राम पंचायत-डींगुरपुर अर्सलानी विकास खण्ड-भावलखेडा

उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि० अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये — कु० गरिमा सिंह 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 श्रीमती विरला देवी 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा

परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्य। की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा० वि० आ० एवं चौदहवें वि० आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्य की संख्या	कुल कराये की कार्य की संख्या
चौथा रा० वि० आ०	1355.00	213037.00	71000.00	143392.00	04	15
चौदहवां वां वित्त आयोग	179907.00	869040.00	989363.00	59584.00	18	16
योग	181262.00	1082077.00	1060363.00	202976.00	22	31

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1060363/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्रीमती विरला देवी व कु० गरिमा सिंह व प्रधान श्री तरसेम सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्रीमती विरला देवी व कु० गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-113

ग्राम पंचायत-बल्लिया विकास खण्ड-भावलखेडा

उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि० अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये — 10.10.2019, 19.10.2019, 11.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा

परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	582288.00	850274.00	973795.00	458767.00	63	36
चौदहवां वां वित्त आयोग	873430.00	3189181.00	4062272.00	339.00	81	61
योग	1455718.00	4039455.00	5036067.00	459106.00	144	97

उक्त फीड कराये विवरण की प्रामाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 5036067/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्री प्रवीन कुमार व प्रधान श्रीमती रेनु देवी से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्री प्रवीन कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-114

ग्राम पंचायत—उदियापुर, विकास खण्ड—भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये — कु० गरिमा सिंह 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 श्रीमती विरला देवी 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है—

	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	249910.00	441199.00	68201998.00	8111.00	16	19
चौदहवां वां वित्त आयोग	508387.00	1234733.00	1567905.00	175215.00	50	22
योग	758297.00	1675932.00	2250903.00	183326.00	66	41

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 2250903/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्रीमती विरला देवी व कु० गरिमा सिंह व प्रधान श्री शिवशंकर से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्रीमती विरला देवी व कु० गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-115

ग्राम पंचायत-सिद्धरा, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये — श्री सतीश कुमार— 01.11.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, श्री प्रवीण कुमार — 10.10.2019, 19.10.2019, 11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का

कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा० विय० आ० एवं चौदहवें वि० आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की संख्या
चौथा रा० वि० आ०	30622.00	259665.00	252669.00	37618.00	12	12
चौदहवां वां वित्त आयोग	397517.00	1062677.00	1374489.00	85705.00	33	13
योग	428139.00	1322342.00	1627158.00	123323.00	45	13

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1627158/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार (कार्यकालानुसार) प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-116

ग्राम पंचायत-गुवारी, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि० अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2020, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की

अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा० विय० आ० एवं चौदहवें वि० आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा० वि० आ०	106069.00	573852.00	350000.00	32019921.00	11	18
चौदहवां वां वित्त आयोग	159104.00	2304230.00	2217992.00	245342.00	53	41
योग	265173.00	2878082.00	2567992.00	575263.00	64	59

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 2567992/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्रीमती विरला देवी व प्रधान श्रीमती रामवती से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा० प० वि० अधि० श्रीमती विरला देवी उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

आपत्ति सं०-117

ग्राम पंचायत-जलालपुर ता० गुरी विकास खण्ड-भावलखेडा

उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि० अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 23.12.2019, 15.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की

कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में ₹0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार ₹0 250000/- से ₹0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०वि०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	193223.00	649725.00	840283.00	2665.00	19	42
चौदहवां वार्षिक वित्त आयोग	1045128.00	2342031.00	2173869.00	121320190.00	64	30
योग	1238351.00	2991756.00	3014152.00	1215955.00	83	72

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 3014152/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्री शशिबिंद पाल व कु० गरिमा सिंह प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० कु० गरिमा सिंह उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्हीं का है।

आपत्ति सं०-118

ग्राम पंचायत-सुजातपुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी- 5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के

नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु० 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि० श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु० 250000/- से रु० 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा०विय०आ० एवं चौदहवें वि०आ०) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों की संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा०वि०आ०	267857.00	328779.00	383595.00	213041.00	13	18
चौदहवां वां वित्त आयोग	454889.00	1228848.	1136973.00	546764.00	23	22
योग	722746.00	1557627.00	1520568.00	759805.00	36	40

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1520568/- की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्रीमती विरला देवी प्रधान श्री अशोक कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० श्री प्रवीण कुमार व श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्हीं का है।

आपत्ति सं०-119

ग्राम पंचायत-पसगंवा, विकास खण्ड-भावलखेडा

श्री राकेश कुमार ग्रा०प०वि०अधि० के स्थानांतरण के बाद श्री प्रवीण कुमार ग्राम पंचायत का प्रभार प्राप्त हुआ। श्री प्रवीण कुमार सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत दिनांक 10.10.2019, 19.10.2019, 01.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 को लिखकर ग्राम पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। किन्तु उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि अभिलेख हैं ही नहीं श्री प्रवीण कुमार द्वारा ग्राम पंचायत में अपने कार्यकाल में कुल रु० 106786 ग्राम निधि प्रथम के खाते से निकासी की गयी है। लेखा नियमों के अनुसार प्रमाणकविहीन व्यय धन अपहरण का प्रकरण है। अभिलेख न होने व धन का अपहरण करने के कारण ही श्री प्रवीण कुमार द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है।

अतः अपहरित धन रु० 106786/- की वसूली ब्याज सहित श्री प्रवीण कुमार सचिव/ग्रा०प०वि०अधि० व प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

आपत्ति सं०-120

ग्राम पंचायत-शाहगंज, विकास खण्ड-भावलखेडा

उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं० 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि०अधि० को सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक

सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

वर्तमान ग्रा0पं0वि0अधि0/सचिव कु0 प्रज्ञा गुप्ता द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया श्रीमती विरला देवी पूर्व सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपने कार्यकाल से सम्बन्धित अभिलेखों का चार्ज कई बार कहने के बाद भी उन्हें नहीं दिया गया है। इतना अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अभिलेख चार्ज में न देने से स्वतः स्पष्ट है कि आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख तैयार ही नहीं किये गये हैं। श्रीमती विरला देवी द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते रु0 205732019/- धन का अपहरण किया गया है। अभिलेख न होना चतुर्थ रा0वि0आ0 एव चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपयोग शासकीय गाइड लाइन व वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने से सुस्पष्ट है कि धन का अपहरण विभिन्न फर्मों से मिलकर किया गया है। धन के अपहरण किये जाने के कारण ही प्रतिस्थानी को चार्ज नहीं दिया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 205732019/- की वसूली ब्याज श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती सदावती से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिलेखों के रख-रखाव व नियमानुसार धन के उपयोग का दायित्व सचिव का है। अतः प्रमुख उत्तरदायी श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 हैं।

आपत्ति सं0-121

ग्राम पंचायत-नागरपाल, विकास खण्ड-भावलखेडा

ग्राम पंचायत में श्री राकेश कुमार सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 के बाद श्रीमती विरला देवी को ग्राम पंचायत का सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 बनाया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख ले0प में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 आदि को उन्हें सहायक विकास अधि0 (पं0)/नोडल अधिकारी (ऑडिट) की मार्फत दिये गये किन्तु उनके द्वारा ग्राम पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उनके मोबाइल नम्बर (जो विकास खण्ड में फीड है) पर सदैव उनके पति से ही बात हुई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती विरला देवी की जगह उनके पति श्री रनवीर कार्य करते हैं। जो कि स्वयं में गंभीर आपत्तिजनक है। जिस पर भी कार्यवाही अपेक्षित है। लेखा नियमों के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय धन अपहरण का प्रकरण है। श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 के कार्यकाल में विभिन्न चेकों से कुल रु0 1257950.00/- आहरित किया गया है। कई चेक विभिन्न फर्मों के नाम जारी हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1257950.00/- की वसूली ब्याज सहित श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्राम0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्री अमित कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-122

ग्राम पंचायत-ऐंठापुर, विकास खण्ड-भावलखेडा

ग्राम पंचायत में श्री राकेश कुमार सचिव/ग्राम0पं0वि0अधि0 के बाद श्रीमती विरला देवी को ग्राम पंचायत का सचिव/ग्राम0पं0वि0अधि0 बनाया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख ले0प में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020 आदि को उन्हें सहायक विकास अधि0 (पं0)/नोडल अधिकारी (ऑडिट) की मार्फत दिये गये किन्तु उनके द्वारा ग्राम पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उनके मोबाइल नम्बर (जो विकास खण्ड में फीड है) पर सदैव उनके पति से ही बात हुई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती विरला देवी की जगह उनके पति श्री रनवीर कार्य करते हैं। जो कि स्वयं में गंभीर आपत्तिजनक है। जिस पर भी कार्यवाही अपेक्षित है। लेखा नियमों के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय धन अपहरण का प्रकरण है। श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्राम0पं0वि0अधि0 के कार्यकाल में विभिन्न चेकों से कुल रु0 592990.00/- आहरित किया गया है। कई चेक विभिन्न फर्मों के नाम जारी है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 592990.00/-की वसूली ब्याज सहित श्रीमती विरला देवी सचिव/ग्राम0पं0वि0अधि0 व प्रधान श्री अमित कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-123

ग्राम पंचायत-जपनापुर विकास खण्ड-भावलखेडा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम सं0 186 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में अनिवार्यता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए सचिव/ग्राम पंचायत वि0अधि0 को सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) की मार्फत निम्नानुसार लिखित रूप से कार्यक्रम दिये गये 03.12.2019, 05.02.2020, 03.03.2020, 16.03.2020 उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-5157/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 19.02.2020 तथा सी-5424/पंचायत/लेखा/ऑडिट/2019-20 दिनांक 18.03.2020 से वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप में कराने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मौखिक व लिखित मांग पर प्रस्तुत न करने एवं नियमों तथा विभागीय उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को देखकर दिनांक 16.03.2020 को लेखा परीक्षा कराने के नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को लिखकर यह अपेक्षा की गयी कि वह अलेखा परीक्षित समस्त ग्राम पंचायतों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा विकास खण्ड कार्यालय में स्वयं कराना सुनिश्चित करें तथा नि ग्राम पंचायतों के अभिलेख अभिरक्षा में लिये गये हों, उनकी सूची दिनांक 21.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 23.03.2020 से लेखा परीक्षा की जा सके एवं राजकीय दिवसों की अनावश्यक क्षति न हों। किन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी जिससे भी स्पष्ट है कि अभिलेख नहीं है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की कतिपय ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 250000/- से ऊपर के एक ही कार्य के नियमानुसार एक स्टीमेंट न बनाकर टुकड़ों में रु0 250000/- तक के स्टीमेंट अवर अभि0 श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। नियमानुसार रु0 250000/- से रु0 500000/- तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाती है। उक्त के कारण अवर अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी भ्रमण पंजिका देखी जानी चाहिए।

उपरोक्त अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किये जाने के कारण ही नियमों एवं उचाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन सुनियोजित रूप से जानबूझकर किया गया है।

विभागीय प्रियासाफ्ट साइट के अनुसार आय व्यय (चतुर्थ रा0वि0आ0 एवं चौदहवें वि0आ0) का विवरण निम्नवत सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा फीड कराया है—

योजना का नाम	1.04.18 को कुल प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त धन	वर्ष में उपयोग धनराशि	31.3.19 को कुल अवशेष	कुल प्रमाणक कार्यों संख्या	कुल कराये कार्य की संख्या
चौथा रा0वि0आ0	531382.00	413254.00	57112019.00	373507.00	20	15
चौदहवां वित्त आयोग	11408.00	1599126.00	1031134.00	579400.00	23	15
योग	542790.00	2012380.00	1602263.00	952907.00	43	30

उक्त फीड कराये विवरण की प्रमाणिकता अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। बैंक खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। इसी कारण नियमों, निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों का सतत उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1602263/— की वसूली ब्याज सहित सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी प्रधान श्री दिनेश कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

अभिलेख न बनाने/छिपाने के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0वि0अधि0 श्रीमती विरला देवी उत्तरदायी हैं क्योंकि नियमों/निर्देशों का पालन करने एवं अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव करने एवं नियमानुसार शासकीय धन के गाइड लाइन के अनुसार उपभोग करने का दायित्व उन्ही का है।

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(ग्राम पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद-बस्ती संभाग-बस्ती

प्रस्तर 01- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत चननी सियारोबास के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते की कैशबुक में दर्शित परियोजना- आंगनवाडी केन्द्र भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है—

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
1	15.12.18	64400.00	मजदूरी
2	10.01.19	20425.00	दरवाजा
3	24.01.19	89940.00	सामग्री
4	25.01.19	30458.00	ईंट
5	04.02.19	42655.00	सामग्री
	योग-	247878.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल आदि, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रु0 247878.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं किय जा सकी। उल्लेखनीय है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्तर पर स्वीकृति रजिस्टर में उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दर्शित नहीं है। इस प्रकार दर्शित व्यय रु0 247878.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों आदि से न करारकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8(क)के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती गीता चक्रवर्ती, ग्राम प्रधान तथा श्री सिराज अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 02- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत सुपेलवा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते की कैशबुक में परियोजना- ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर रोडा राबिश कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है—

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
1	28.08.18	44100.00	सामग्री (रोडा राबिश)

	योग—	44100.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रु0 44100.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त क्रय सामग्री के सापेक्ष कैशबुक में मजदूरी पर भी कोई व्यय नहीं किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय रु0 44100.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8(क)के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अवनीश सिंह, ग्राम प्रधान तथा श्री सिराज अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 03—विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत पचीसा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि—। खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित किया गया है—

(1)– परियोजना— प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय छरौछा में वाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	14.05.18	43139.00	सामग्री
02	15.05.18	49875.00	मजदूरी
03	16.05.18	68600.00	ईट
04	06.08.18	14525.00	मजदूरी
05	24.08.18	38529.00	सामग्री
06	24.08.18	40910.00	ईट
07	16.10.18	37000.00	मिटटी
08	16.10.18	43000.00	मिटटी
	योग—	335568.00	

(2)– परियोजना— प्राथमिक विद्यालय पचीसा का फर्श मरम्मत कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	29.12.18	36000.00	सामग्री
02	16.01.19	3961.00	ईट
03	22.01.19	17528.00	सामग्री
04	22.01.19	11044.00	सामग्री
	योग	68533.00	

(3)– परियोजना— प्राथमिक विद्यालय पचीसा का शौचालय मरम्मत कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	07.01.19	15509.00	सामग्री
02	07.01.19	14000.00	मजदूरी
03	16.01.19	6894.00	ईट
	योग	36403.00	

(4)– परियोजना— प्राथमिक विद्यालय छरौछा में शौचालय मरम्मत एवं विस्तारीकरण कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	14.01.19	9975.00	मजदूरी
02	14.01.19	34060.00	सामग्री
03	28.01.19	22329.00	ईट
04	29.01.19	217892.00	सामग्री
05	05.02.19	23450.00	मजदूरी
06	06.02.19	18292.00	सामग्री
07	16.02.19	3087.00	ईट
08	21.02.19	9157.00	सामग्री
	योग	142142.00	

(5)– परियोजना— प्राथमिक विद्यालय छरौछा निपनियां प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	05.03.19	4704.00	मिटटी
02	05.03.19	32200.00	मजदूरी
03	05.03.19	123217.00	सामग्री
04	07.03.19	29050.00	मजदूरी
05	07.03.19	152043.00	सामग्री
06	15.03.19	10449.00	ईट
07	19.03.19	23557.00	सामग्री
	योग	365875.00	

उपरोक्त परियोजनाओं में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव एवं कार्ययोजना, निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 948521.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही उल्लेखनीय है कि कैशबुक अनुसार परियोजना संख्या-2 में केवल सामग्री क्रय पर ही व्यय दर्शित है, मजदूरी पर नहीं। अतः कुल दर्शित व्यय रु0 948521.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माधुरी देवी, ग्राम प्रधान तथा श्री अरिमर्दन प्रताप मणि, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 04— विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत दुधौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित किया गया है—

(1)– परियोजना– उदयरज के घर से लालजी के घर तक नाली निर्माण कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	07.04.18	82526.00	सामग्री
02	07.04.18	39654.00	सामग्री
03	07.04.18	67388.00	सामग्री
	योग	189568.00	

(2)– परियोजना– उदयरज के घर से लालजी के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	07.04.18	68532.00	सामग्री
02	13.04.18	32375.00	मजदूरी
03	13.04.18	14707.00	मिटटी
	योग	115614.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव एवं कार्ययोजना, निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 305182.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल दर्शित व्यय रु0 305182.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हरेन्द्र प्रसाद, ग्राम प्रधान तथा श्रीमती मंजूबाला त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 05— विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कवलसिया के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित किया गया है—

(1)– परियोजना– संजीवन के चक से रामफेर के चक तक खण्डजा निर्माण कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	31.10.18	9975.00	मजदूरी
02	02.11.18	25900.00	मजदूरी
03	02.11.18	89523.00	ईट

04	02.11.18	86436.00	ईट
05	05.11.18	15.09.25	मजदूरी
	योग—	227759.00	

(2)– परियोजना– ट्रांसफार्मर से दिनेश के चक तक खण्डजा निर्माण कार्य।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	शीर्ष
01	07.01.19	38872.00	मजदूरी
02	17.01.19	86436.00	ईट
03	25.02.19	19950.00	मजदूरी
04	26.02.19	86436.00	ईट
05	12.03.19	29925.00	मजदूरी
06	12.03.19	86436.00	ईट
07	06.03.19	11900.00	मजदूरी
08	16.03.19	55566.00	ईट
	योग—	415521.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव एवं कार्ययोजना, निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 643280.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल दर्शित व्यय रु0 643280.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अली अहमद, ग्राम प्रधान तथा श्री रमेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 06— विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत दुबौला के वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक में कूप मरम्मत मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है—

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	19.01.19	34650.00	मजदूरी
02	19.01.19	79127.00	ईट एवं गिट्टी
03	19.01.19	76174.00	सामग्री
	योग—	189951.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु0 189951.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री उमेश कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री श्रीप्रकाश तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 07— विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत आमा भुईलपार के वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में मात्र निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत रही, अन्य अभिलेख चार्ज में अप्राप्त बताया गया। निधि—। खाते से आलोच्य वर्ष में कुल रु0 838346.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जिससे संबंधित विज्ञापन पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्ययोजना, निर्माण कार्य की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, प्रिया साफ्ट पर रखे गये आठ प्रारूपों पर रखी गयी सूचनाओं का पिन्ट्रआउट आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में निधि—। खाते से व्यय की गयी धनराशियां कुल रु0 838346.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय रु0 838346.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हरिवंश कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री रामरोहित तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 08— विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगडा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि-। प्रथम खाते की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में बैंक से धन आहरित कर कैशबुक में नकद रोकड शेष दर्शाया गया है—

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेण्ट अनुसार ट्रान्सफर/ विज्ञाल
01	03.11.18	215597	117855.00	ट्रांसफर 35092023271
02	14.01.19	215596	116800.00	ट्रांसफर 37372349170
		योग—	234655.00	

उल्लेखनीय है कि कैशबुक में उपरोक्त निकासी उपरान्त दिनांक 03.11.18 से 31.03.19 तक नकद रोकड शेष रु0 234655.00 दर्शित किया गया है, जबकि स्टेटमेण्ट अनुसार यह धन अन्य खातों को अन्तरित है जिससे स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के नियम 4 के अनुसार वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त “ जब धन के तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता हो तभी निधि से धन का आहरण किया जाए” एवं शासनादेश 03/2016/3038/33-1/2016, दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 02(द) के अनुसार बिना आवश्यकता के धन निकासी एवं निर्धारित मानक से अधिक धन नकद रोकड शेष रखकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती इसलावती देवी, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवशंकर यादव उत्तरदायी है।

उपरोक्त की जांच में पाया गया कि उक्त निकासी धनराशि के संदर्भ में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवशंकर यादव द्वारा दिनांक 17.07.19 को अपने पत्र द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं०) एवं खण्ड विकास अधिकारी, गौर को यह अवगत कराया गया कि धनराशि की निकासी में प्रयुक्त चेक न तो उन्हें चार्ज में प्राप्त थे और नही उनके द्वारा हस्ताक्षरित है, के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पं०) गौर द्वारा थाना कप्तानगंज, बस्ती में संबंधित प्रधान के विरुद्ध अवैध ढंग से गलत हस्ताक्षर कर धन निकासी की एफ0 आई0 आर0 (संख्या-229, दिनांक-28.12.2019) दर्ज करायी गयी, जो कि विचाराधीन है। अतः उपरोक्त अनियमितता के संदर्भ में न्यायिक निर्णयानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रस्तर 09— विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत अहिरौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मात्र निधि-। खाते का बैंक स्टेटमेण्ट आडिट में प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार आलोच्य वर्ष में कुल रु0 925711.00 की निकासी खाते से की गयी है। उपरोक्त निकासी/व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/ कार्ययोजना, जनरेट आई0डी0, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, मस्टरोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्यपंजी आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में निकासी/व्यय की गयी धनराशियां कुल रु0 925711.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल निकासी/व्यय धनराशि रु0 925711.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री पल्लूराम, ग्राम प्रधान तथा श्री सत्यराम चौधरी, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 10— विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत बेहिल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-। खाते की कैशबुक में पोल स्ट्रीट लाइट स्थापना मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०म०	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता
01	24.11.18	191786.00	अजीत ट्रेडर्स
02	24.11.18	191786.00	अजीत ट्रेडर्स
	योग—	383572.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेट आई0डी0, मस्टरोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशियां कुल रु0 383572.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल दर्शित

व्यय ₹0 383572.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती नयनलता, ग्राम प्रधान तथा श्री घनश्याम यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 11— विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत धौरहरा गोचना के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में स्ट्रीट लाइट स्थापना मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता
01	06.09.18	101136.00	—
02	06.09.18	193844.00	—
	योग—	294980.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेट आई०डी०, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी० बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय ₹0 294980.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री कुवंरपाल, ग्राम प्रधान तथा श्री हरिप्रकाश, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 12— विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत भानपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कैशबुक अनुसार कुल ₹0 1852416.00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त इससे संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यपत्रावली, मस्टररोल, आई०डी०, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणको एवं अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार ₹0 1852416.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 1852416.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सीतापती, ग्राम प्रधान एवं श्री हीरा सिंह तथा श्री अनिल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 13— विकास खण्ड रुधौली की ग्राम पंचायत डडवा तिवारी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक कुल ₹0 930142.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम०बी० रजिस्टर, स्टेटमेण्ट तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि ₹0 930142.00 की उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री माधोश्याम, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 14— विकास खण्ड रुधौली की ग्राम पंचायत मल्हवार के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक कुल ₹0 1639819.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम०बी० रजिस्टर, स्टेटमेण्ट तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि ₹0 1639819.00 की उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान तथा श्री रितुराज पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 15— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत भेलवल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि-। खाते की कैशबुक में मां दुर्गा जी के मंदिर में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य एवं गेट निर्माण कार्य परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद	धनराशि
01	22.02.19	मजदूरी	26600.00
02	22.02.19	सामग्री	122601.00
03	26.02.19	सामग्री	70000.00
04	07.03.19	मजदूरी	32725.00
		योग-	251926.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0 251926.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मुन्ना, ग्राम प्रधान तथा श्री पंकज सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 16— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कोडर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि-। खाते की कैशबुक में इफ्तेखार के घर से इस्लाम के चक तक भूमिगत नाली निर्माण मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद	धनराशि
01	18.07.18	सामग्री	78262.00
02	05.09.18	सामग्री	64573.00
03	05.09.18	मजदूरी	20825.00
04	12.09.18	सामग्री	8469.00
05	12.09.18	सामग्री	5170.00
		योग-	177299.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0 177299.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री तनवीर अशरफ, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 17— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत सिल्लो के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि-। खाते की कैशबुक में कूप मरम्मत मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद	धनराशि
01	02.08.18	सामग्री	50000.00
02	02.08.18	सामग्री	7000.00
03	02.08.18	मजदूरी	13650.00
04	06.09.18	सामग्री	5700.00
05	22.10.18	सामग्री	12000.00
		योग-	88350.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्योजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में

दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय ₹0 88350.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली श्रीमती गायत्री, ग्राम प्रधान तथा श्री गोरखनाथ यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 18— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत खडौवाजाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का वाउण्ड्रीवाल निर्माण मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	26.02.19	सामग्री	47004.00
02	01.03.19	सामग्री	55566.00
		योग—	102570.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय ₹0 102570.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर एवं मजदूरी का भुगतान न कर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 19— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत मल्हवारा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में सोख्ता गडढा निर्माण मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
01	27.08.18	सामग्री	113200.00
02	25.01.19	मजदूरी	22000.00
		योग—	135200.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय ₹0 135200.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री रवि प्रकाश, ग्राम प्रधान तथा श्री पंकज सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 20— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत नौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में तुलसीराम के घर से मिश्रीलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	06.02.19	19950.00	मजदूरी
02	27.02.19	8925.00	मजदूरी
03	06.02.19	20395.00	सामग्री
04	06.02.19	52392.00	सामग्री
05	06.02.19	22680.00	सामग्री
06	27.02.19	21315.00	सामग्री
07	28.02.19	21162.00	सामग्री
08	19.03.19	7712.00	सामग्री

09	28.02.19	21420.00	सामग्री
	योग—	195951.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रू0 195951.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सीताराम, ग्राम प्रधान तथा श्री तनवीर असरफ, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 21— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कोठवा भरतपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि—। खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में 03 स्थानों पर मिटटी/खण्डजा कार्य में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद
01	30.01.19	112700.00	मजदूरी
02	30.01.19	427200.00	सामग्री
	योग—	539900.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, निमार्ण पत्रावली, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रू0 539900.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री इन्द्रजीत, ग्राम प्रधान तथा श्री पंकज सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 22— विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कोठवा भरतपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निधि—। खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि बक्सर सम्पर्क मार्ग से मोहम्मद अली के घर तक खण्डजा कार्य में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद
01	13.08.18	240315.00	सामग्री
02	14.08.18	54950.00	मजदूरी
	योग—	295265.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, निमार्ण पत्रावली, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रू0 295265.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री इन्द्रजीत, ग्राम प्रधान तथा श्री पंकज सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 23— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बैडारी मुस्तहकम के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय बैडारी मुस्तहकम के भवन के फर्श पर टाइल्स निमार्ण कार्य परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद
01	24.09.18	100006.00	सामग्री
02	26.09.18	50006.00	सामग्री
03	29.09.18	98542.00	सामग्री

04	12.10.18	30006.00	सामग्री
05	27.11.18	19950.00	मजदूरी
06	27.11.18	80006.00	सामग्री
07	17.01.19	64006.00	सामग्री
08	17.01.19	90006.00	सामग्री
09	23.01.19	29750.00	मजदूरी
10	02.02.19	150000.00	सामग्री
11	20.02.19	30400.00	मजदूरी
12	20.02.19	40006.00	सामग्री
13	20.02.19	150018.00	सामग्री
14	05.03.19	50006.00	सामग्री
		योग—	982708.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0 982708.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती जरीना, ग्राम प्रधान तथा श्री अवधेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 24— विकास खण्ड कूदरहा की ग्राम पंचायत कचनी के वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय कचनी का भवन मरम्मत कार्य परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद
01	27.08.18	20125.00	मजदूरी
02	14.09.18	36050.00	मजदूरी
03	14.09.18	114944.00	सामग्री
04	14.09.18	95873.00	सामग्री
05	27.02.19	19950.00	मजदूरी
		योग—	286942.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0 286942.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूर्यनारायण यादव, ग्राम प्रधान तथा श्री अवधेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 25— विकास खण्ड कूदरहा की ग्राम पंचायत कचनी के वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय का वाउण्ट्रीवाल निर्माण कार्य परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद
01	24.09.18	46025.00	मजदूरी
02	24.09.18	152426.00	सामग्री
03	12.12.18	39000.00	सामग्री
04	19.03.19	73718.00	सामग्री
05	25.03.19	19950.00	मजदूरी
		योग—	331119.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक

आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0 331119.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूर्यनारायण यादव, ग्राम प्रधान तथा श्री अवधेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 26— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में जू0हा0स्कूल/प्राथमिक विद्यालय का वाउण्ड्रीवाल मरम्मत परियोजना पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	14.08.18	9975.00	मजदूरी
02	14.08.18	100000.00	सामग्री
03	14.08.18	130000.00	सामग्री ईट
04	30.08.18	9975.00	मजदूरी
05	12.09.18	9800.00	मजदूरी
06	04.10.18	10150.00	मजदूरी
07	04.10.18	40000.00	सामग्री
08	03.11.18	9975.00	मजदूरी
09	22.11.18	18400.00	पेन्ट क्रय
	योग—	338275.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु0 338275.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सर्वजीत, ग्राम प्रधान तथा श्री धनप्रकाश शुक्ला, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 27— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत पाउ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	08.05.18	26500.00	सामग्री
02	12.09.18	101510.00	सामग्री
	योग—	128010.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु0 128010.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती ममता पाण्डेय, ग्राम प्रधान तथा श्री धनप्रकाश शुक्ला, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 28— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत पाउ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में बरसाती के घर से अंगद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	31.07.18	130500.00	समाग्री
02	31.07.18	9975.00	मजदूरी
03	07.09.18	40000.00	सामग्री
04	07.09.18	29925.00	मजदूरी
	योग—	210400.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु० 210400.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती ममता पाण्डेय, ग्राम प्रधान तथा श्री धनप्रकाश शुक्ला, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 29— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत डेल्हवा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में हृदयराम के घर से राजेश्वर प्रसाद के खेत तक नाली निर्माण कार्य में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	01.11.18	130000.00	समाग्री
02	17.11.18	75000.00	सामग्री
03	30.11.18	41300.00	मजदूरी
	योग—	246300.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु० 246300.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री निर्मल, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 30— विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत डेल्हवा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में रामजीयावन उर्फ तमौली के घर से राधेश्याम के घर तक नाली निर्माण कार्य में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है:—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	01.11.18	130000.00	समाग्री
02	17.11.18	75000.00	सामग्री
03	15.12.18	41300.00	मजदूरी
	योग—	246300.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई0डी0, मास्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु० 246300.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री निर्मल, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 31— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत बेहरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मात्र निधि—। खाते की कैशबुक एवं पासबुक ही प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार निधि—। खाते से आलोच्य वर्ष में कुल ₹0 1718107.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें ₹0 578.00 बैंक चार्ज/कटौती को छोड़कर शेष ₹0 1717529.00 के व्यय से संबंधित विज्ञापन पत्रावली, स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, निर्माण कार्य की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, प्रियासॉफ्ट के आठ प्रारूपों पर रखी गयी सूचनाओं का प्रिन्टआउट आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में निधि—। खाते से व्यय की गयी धनराशि कुल ₹0 1717529.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल ₹0 1717529.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री पंकज कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पूर्णिमा सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 32— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत धमौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार रामकरन के घर से राजकपूर के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य कुल व्यय ₹0 487487.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष मांगोपरान्त स्वीकृति प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे, जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल ₹0 487487.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रजवन्तपाल, ग्राम प्रधान तथा श्री फूलचन्द्र, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 33— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत धमौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है—

क्र० सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	11.06.18	110000.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
02	29.06.18	78000.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
03	28.11.18	99960.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
04	28.11.18	5200.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
05	28.11.18	10000.00	नकद
	योग—	303160.00	

उक्त व्यय से संबंधित लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त लाभार्थी द्वारा दिया गया हैण्डपम्प खराब होने का प्रार्थनापत्र, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, हैण्डपम्प ठीक होने के उपरान्त का सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे, जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल ₹0 303160.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 303160.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रजवन्तपाल, ग्राम प्रधान तथा श्री फूलचन्द्र, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 34— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत धमौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक के अर्जुन के खेत से मुक्तिनाथ के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है—

क्र० सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	22.07.18	24222.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
02	22.07.18	100636.00	बस्ती बिक फिल्ड
	योग—	124858.00	

उक्तानुसार अर्जुन के खेत से मुक्तिनाथ के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 124858.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष मांगोपरान्त स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकीनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना पर कैश बुक अनुसार मजदूरी मद में भुगतान भी दर्शित नहीं है तो कार्य कैसे पूर्ण हुआ। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल ₹0 124858.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 124858.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रजवन्तपाल, ग्राम प्रधान तथा श्री फूलचन्द्र, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 35— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत धमौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार हास्पिटल भरतपुर से डीह के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य पर निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है—

क्र० सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	28.08.18	98309.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
02	28.07.18	30077.00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
	योग—	128980.00	

उक्तानुसार हास्पिटल भरतपुर से डीह के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य पर कुल व्यय ₹0 128980.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष मांगोपरान्त स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकीनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना पर कैश बुक अनुसार मजदूरी मद में भुगतान भी दर्शित नहीं है तो कार्य कैसे पूर्ण हुआ। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल ₹0 128980.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 128980.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रजवन्तपाल, ग्राम प्रधान तथा श्री फूलचन्द्र, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 36— विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत सोनौरा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 09.05.18 एवं 25.07.18 को सोलर लाइट स्थापना 33 अदद पर कुल व्यय ₹0 759990.00 विभिन्न तिथियों निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है—

क्र० सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	09.05.18	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
02	09.05.18	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
03	09.05.18	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
04	09.05.18	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
05	09.05.18	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
06	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
07	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर

08	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
09	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
10	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
11	25.07.08	69090.00	पटेल कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
	योग—	759990.00	

जिसके सापेक्ष मांगोपरान्त स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, लगाये गये स्थानों के लाभार्थी का नाम एवं फोटोग्राफ, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल रु0 759990.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पावती, ग्राम प्रधान तथा श्री चन्द्रशेखर, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 37— विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत घुरहुपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाता की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है—

क्र0 सं0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल योग
1	नाली कार्य—रामनाथ के घर से रामऔतार के घर तक	28994.00	8400.00	37394.00
2	खण्डजा कार्य—सहदेव के घर से पक्की सड़क तक	199802.00	36575.00	236377.00
3	इ0ला0कार्य— मेवालाल के घर से रामउजागिर के घर तक	185841.00	27825.00	213666.00
4	नाली कार्य— नन्हें सिंह के घर से सोमनाथ के घर तक	56120.00	14000.00	70120.00
5	सोलर लाइट स्थापना कार्य	177496.00	—	177496.00
6	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	58500.00	—	58500.00
7	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	64500.00	—	64500.00
8	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	96831.00	—	96831.00
	योग—	868084.00	86800.00	954884.00

उपरोक्त व्यय विवरण से संबंधित मांगोपरान्त स्वीकृति प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, लगाये गये स्थानों के लाभार्थी का नाम व फोटोग्राफ, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे, जिनके अभाव में उक्त धनराशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल रु0 954884.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अरविन्द कुमार, ग्राम प्रधान एवं श्री राजन चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 38— विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत अजगैबा जंगल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मात्र निधि—। खाते की कैशबुक एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार निधि—। खाते से आलोच्य वर्ष में कुल रु0 1785810.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रु0 266.00 बैंक चार्ज/कटौती को छोड़कर शेष रु0 1785544.00 के व्यय से संबंधित विज्ञापन पत्रावली, स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक बुक, प्रियासॉफ्ट के आठ प्रारूपों पर रखी गयी सूचनाओं का प्रिन्टआउट आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिनके अभाव में निधि—। खाते से व्यय की गयी धनराशि कुल रु0 1785544.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय कुल रु0 1785544.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है,

प्रस्तर 39—विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत अमौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल निकासी रु0 984972.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चित्थूराम, ग्राम प्रधान तथा श्री रंजीत चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 41— विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत दुफेडी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल निकासी रु0 1044295.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री प्रतीक शक्ल, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 43— विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत दुफेडी के वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल निकासी रु0 906612.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपुर्ति प्रमाण

पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम लौटन वर्मा, ग्राम प्रधान तथा श्री कमलेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 44— विकास विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत धर्मसिंहपुर उर्फ महाराजगंज के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल रु0 2100217.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु0 2100217.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 45— विकास विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत बरसांव के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल निकासी रु0 2529321.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मीरा यादव, ग्राम प्रधान तथा श्री मदनगोपाल पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 46— विकास विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत खतमसराय के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल रु 1694605.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु0 1694605.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनुसुइया सिंह, ग्राम प्रधान तथा 1—श्री हीरा सिंह, 2—श्री श्याम बिहारी, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 47— विकास विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सितकहा पाण्डेय के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में खण्डजा निर्माण मद में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया गया दर्शित है:—

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि
01	25.04.18	89523.00
02	28.04.18	4200.00
03	30.04.18	8750.00
04	30.04.18	5775.00
	योग—	108248.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित पारित प्रस्ताव, आई0डी0, वित्तीय स्वीकृति, प्रमाणक, डिलेवरी चालान, मस्टररोल, कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, स्टीमेट, एम0बी0 बुक, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा, जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु0

108248.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मंजू देवी, ग्राम प्रधान तथा श्री हीरा सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी चाहिए।

प्रारूप-4 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों)

जनपद-संत कबीर नगर संभाग-बस्ती

प्रस्तर-01 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत करौंदा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक की अवधि में कुल रु0 1069807.00 की निकासी की गयी है, जो निम्नवत् है :-

दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
23.05.18	60582.00	29.05.18	4000.00
01.08.18	6539.00	16.08.18	7565.00
25.09.18	50000.00	26.09.18	40000.00
27.09.18	35000.00	29.09.18	75000.00
09.10.18	100000.00	09.10.18	150000.00
10.10.18	100000.00	11.10.18	20000.00
25.10.18	15000.00	25.10.18	50000.00
12.12.18	10000.00	13.12.18	30000.00
17.12.18	8000.00	16.01.19	40000.00
31.01.19	55000.00	31.01.19	25000.00
01.02.19	1200.00	01.02.19	7221.00
05.02.19	25000.00	12.02.19	75000.00
25.02.19	40000.00	25.02.19	1700.00
01.03.19	3000.00	27.03.19	35000.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधी कैशबुक, पारित प्रस्ताव, योजनाओं की सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती निर्मला देवी, प्रधान तथा श्रीमती कुसमावती देवी, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1069807.00	-	-	1069807.00

प्रस्तर-02 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत सर्इबुजुर्ग, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 की कैशबुक में दिनांक 04.06.18 को ग्राम प्रधान का मानदेय (दिसम्बर 2017 से मई 2018 तक रु0 3500.00) मद में भुगतान रु0 21000.00 दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय-प्रमाणक तथा ग्राम प्रधान का मानदेय रजिस्टर लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित मद की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती किताबी, प्रधान तथा श्री क्षितिज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	21000.00	21000.00

प्रस्तर-03 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत बिहारे, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाता सं0-59001492482 की कैशबुक में दिनांक 16.01.19 को पोखरे में पानी भरवायी मद में नकद भुगतान रू0 20000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधी जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय-प्रमाणक एवं स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्य की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सत्यनरायन, प्रधान एवं श्री चन्द्र प्रकाश, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

प्रस्तर-04 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत चांदीडीहा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाता सं0-59001492302 खाते की कैशबुक में दिनांक 11.10.18 को हैण्डपम्प मरम्मत मद में नकद भुगतान रू0 48000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधी जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्य की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 नियम-8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुभावती देवी प्रधान तथा श्री दीप श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48000.00	—	—	48000.00

प्रस्तर-05 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत अमरडोभा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाता सं0-59001491546 की कैशबुक में दिनांक 14.02.19 को फर्नीचर क्रय हेतु सुनील कांसट्रक्शन को भुगतान रू0 141000.00 दर्शित है। उक्त दर्शित क्रय से संबन्धित कोटेशन/टेंडर पत्रावली तथा डेडस्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0-ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार किसी भी सामग्री को क्रय के क्रम में कोटेशन (रू0 बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर रू0 एक लाख से अधिक की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उक्त प्रक्रिया का पालन न कर मनमाने ढंग से निजीहित में क्रय कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री फैजान अहमद प्रधान तथा श्री सतीश चन्द्र मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	141000.00	141000.00

प्रस्तर-06 विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत उनखास, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाता सं0-59001482859 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि पारस के घर से खेल के मैदान तक नाली निर्माण कार्य परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं :-

दिनांक	बा0सं0	चेक सं0		शीर्ष	धनराशि
11.05.18	04	084025	हेमन्त कुमार सिंह	(सीमेंट, बालू, सरिया, आदि)	रू0 100000.00
12.05.18	05	084026	मणि ब्रिकफील्ड	(ईट 10002 दर 6000.00)	रू0 100000.00
16.05.18	06	नकद	मजदूरी	(9× 360+26× 225)	रू0 9090.00
				योग	रू0 209090.00

उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि जेनरेटेड आई0डी0कार्य प्रस्ताव/स्वीकृत कार्य योजना की छायाप्रति संलग्न नहीं है और न ही कार्यवाही रजिस्टर ही लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत रहा। पत्रावली में व्यय-प्रमाणक अनुपलब्ध पाये गये। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधी व्यय-प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0बुक, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक बुक, तथा परिसंपत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न करने से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8(क) के अनुसार कुल रू0 209090.00 का अपहरण किया गया है, जो वसूली योग्य है। अतः रू0 209090.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार प्रधान तथा कुसमावती ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
209090.00	—	—	209090.00

प्रस्तर-07 विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत धौरहरा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाता सं0-66454 खाते से दिनांक 01.04.18 से 31.03.19 तक कुल रू01158336.80 आहरित कर व्यय दर्शित है। कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट आडिट में सुलभ कराया गया। बार-बार मांगोपरान्त साक्ष्य/व्यय प्रमाणक आडिट में सम्बन्धित सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसकी व्यय प्रमाणक एम0बी0 रजि0 कोष वही का भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त भी लेखापरीक्षा में अग्रस्तुत रहे, जिससे उक्त व्यय धनराशि की भी उपयोगिता की पुष्टि नहीं किया जा सका, कुल व्यय रू0 1158336.80 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामजी व सचिव कमलेश पति त्रिपाठी से अपेक्षित है। दोनो लोग संयुक्त रूप से उत्तरादायी है। महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

राज्य वित्त/चौदहवों वित्त वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत-धौरहरा, वि0ख0-पौली, संतकबीरनगर

क्र0सं0	दिनांक	परियोजना का नाम	व्यय धनराशि	अभियुक्ति
1	24.04.2018	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
2	12.07.2018	एस0एम0एम0 चार्ज	17.70	
3	07.07.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 भवन का मरम्मत कार्य।	121573	
4	07.08.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 भवन का मरम्मत कार्य।	40500	
5	07.08.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 भवन का मरम्मत कार्य।	39825	
6	13.08.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 भवन का मरम्मत कार्य।	36900	
7	15.09.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 रंगाई पुताई कार्य।	9765	
8	01.09.2018	ग्रा0पं0 धौरहरा में प्रा0वि0 रंगाई पुताई कार्य।	66150	
9	06.09.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	77450	
10	25.09.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	24915	
11	26.09.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	53055	
12	04.10.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	67410	
13	17.10.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	7650	
14	25.10.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	4765	
15	29.10.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	19276	
16	06.11.2018	काशीनाथ के घर से इजहार के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	28182	
17	25.09.2018	ग्राम प्रधान मानदेय मार्च 2018 से अगस्त 2018 तक	21000	
18	26.09.2018	चेक कलेक्शन चार्ज	354	

19	13.10.2018	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
20	05.11.2018	ग्राम पंचायत इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प रिबोर।	104400	
21	28.12.2018	बाढ़ू के घर से वसीम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	32042	
22	28.12.2018	बाढ़ू के घर से वसीम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	42052	
23	29.12.2018	बाढ़ू के घर से वसीम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	8750	
24	09.01.2019	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
25	14.02.2019	डिजिटल हस्ताक्षर पर	1750	
26	14.02.2019	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य।	179702	
27	14.02.2019	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य।	14700	
28	15.02.2019	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य।	29400	
29	26.02.2019	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य।	23450	
30	28.03.2019	प्रशासनिक मद	20000	
31	28.03.2019	ग्राम प्रधान मानदेय, सितम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक	21000	
32	30.02.2019	गोपाल के घर से चिरंजीव के घर तक एच0पी0 नाली निर्माण कार्य	6905	
33	30.03.2019	गोपाल के घर से चिरंजीव के घर तक एच0पी0 नाली निर्माण	49467	
34	30.03.2019	गोपाल के घर से चिरंजीव के घर तक एच0पी0 नाली निर्माण	5878	
		योग	1158336.80	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान/सचिव द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक कुल रूपया 1158336.80 खाते से आहरण किया गया है। जिसके साक्ष्य/व्यय प्रमाणन आडिट तिथि तक अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा, जिसके ब्याज सहित वसूली सचिव/प्रधान से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1158336.80	-		1158336.80

प्रस्तर-08 विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत बरगदवा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 खाते की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल रू0 1962362.00 खाता सं0-66621 से आहरण किया गया। आडिट में बार-बार मांगोपरान्त साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा जैसे व्यय प्रमाणन, एम0बी0 रजि0, कोष वही का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त आहरित धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि 1962362.00 ग्राम पंचायत/वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 नियम-8 के अनुसार अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कैलाश देवी व सचिव श्री कमलेश पति त्रिपाठी दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। 1/2 भाग बराबर-बराबर जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय उच्चाधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत-बरगदवा, वि0ख0-पौली, संतकबीरनगर

क्र0सं0	दिनांक	एस0एम0एस0 चार्ज	व्यय धनराशि	अभियुक्ति
1	24.04.2018	कैलाश के घर से बाग तक एच0पी0 नाली निर्माण	17.70	
2	15.06.2018	कैलाश के घर से बाग तक एच0पी0 नाली निर्माण	100000	
3	07.07.2018	कैलाश के घर से बाग तक एच0पी0 नाली निर्माण	3000	
4	07.07.2018	कैलाश के घर से बाग तक एच0पी0 नाली निर्माण	10000	
5	15.06.2018	मंदिर से रामचन्द्र के खेत तक एच0पी0 नाली	188500	

		निर्माण		
6	05.07.2018	मंदिर से रामचन्द्र के खेत तक एच0पी0 नाली निर्माण	10000	
7	07.07.2018	मंदिर से रामचन्द्र के खेत तक एच0पी0 नाली निर्माण	10000	
8	10.07.2018	मंदिर से रामचन्द्र के खेत तक एच0पी0 नाली निर्माण	4500	
9	15.06.2018	रामचन्द्र के खेत से राम जतन के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	83600	
10	07.07.2018	रामचन्द्र के खेत से राम जतन के खेत तक एच0पी0 नाली, चेम्बर निर्माण कार्य।	10000	
11	12.07.2018	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
12	31.08.2018	ग्राम प्रधान मानदेय सितम्बर 2017 से जुलाई 2018 तक	38500	
13	31.08.2018	प्रा0वि0 बरगदवा का मरम्मत कार्य	28000	
14	31.08.2018	प्रा0वि0 बरगदवा का मरम्मत कार्य	100000	
15	05.10.2018	प्रा0वि0 बरगदवा का मरम्मत कार्य	73000	
16	11.10.2018	प्रा0वि0 बरगदवा का मरम्मत कार्य	48000	
17	05.10.2018	प्रा0वि0 ककरहा का भवन मरम्मत कार्य	69000	
18	06.10.2018	प्रा0वि0 ककरहा का भवन मरम्मत कार्य	175000	
19	13.10.2018	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
20	01.01.2019	टुन्नु के घर से रत्नेश के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	28700	
21	15.01.2019	टुन्नु के घर से रत्नेश के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	68786	
22	09.01.2019	एस0एम0एस0 चार्ज	17.70	
23	19.01.2019	अर्जून के घर से पोखरे तक एच0पी0 नाली निर्माण कार्य।	20600	
24	19.01.2019	अर्जून के घर से पोखरे तक एच0पी0 नाली निर्माण कार्य।	153080	
25	31.01.2019	अर्जून के घर से पोखरे तक एच0पी0 नाली निर्माण कार्य।	22617	
26	13.02.2019	ग्राम पंचायत में सोख्ता गड़ढा निर्माण 12 अदद	15260	
27	13.02.2019	ग्राम पंचायत में सोख्ता गड़ढा निर्माण 12 अदद	37657	
28	27.02.2019	ग्राम पंचायत में सोख्ता गड़ढा निर्माण 12 अदद	46704	
29	13.03.2019	ग्राम पंचायत में ए0एन0एम0 सेण्टर पर टाइल्स निर्माण कार्य।	33495	
30	13.03.2019	ग्राम पंचायत में ए0एन0एम0 सेण्टर पर टाइल्स निर्माण कार्य।	205667	
31	28.03.2019	बन्धे से लेकर चन्द्रप्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	157053	
32	28.03.2019	बन्धे से लेकर चन्द्रप्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	22260	
33	28.03.2019	महादेव के घर से गणेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	22260	
34	28.03.2019	महादेव के घर से गणेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	157053	
35	30.03.2019	प्रशासनिक मद	20000	
		योग	1962362.80	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान/सचिव द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक रूपया 1962362.80 का आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। साक्ष्य/व्यय प्रमाणन आडिट तिथि तक अप्रस्तुत रहने से व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका जिसकी ब्याज सहित वसूली के लिए प्रधान/सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अभीष्ट है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1962362.80	—		1962362.80

प्रस्तर-09 विकास खण्ड हैसर बाजार की ग्राम पंचायत भैंसाखूट, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 में चेक सं0-754374 दिनांक 27.12.2018 रू0 29805.00 व चेक सं0-754389 दिनांक 08.03.19 रू0 7830.00 कुल रू0 37635.00 का खाता नं0-4101000100066223 से पंजाब नेशनल बैंक संतकबीरनगर से आहरित कर कैशबुक में दर्शित न कर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि रू0 37635.00 का अपहरण किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज के ग्राम पंचायत के वित्तीय मैनुअल की धारा 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की गयी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक कुमार गुप्ता व ग्राम प्रधान श्रीमती भागवानी देवी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
37635.00	—		37635.00

प्रस्तर-10 विकास खण्ड हैसर बाजार की ग्राम पंचायत रामपुर मध्य, के वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.07.2018 को चेक सं0- 233133 से रू0 10000.00 व दिनांक 30.11.2018 चेक सं0- 233158 से रू0 10000.00 कुल रू0 20000.00 प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उ0प्र0 पंचायती राज के ग्राम पंचायत के वित्तीय मैनुअल की धारा 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की दशा में दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानी जायेगी। दर्शित व्यय धनराशि रू0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक कुमार गुप्ता व ग्राम प्रधान श्री विद्यासागर से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—		20000.00

प्रस्तर-11 विकास खण्ड हैसर बाजार की ग्राम पंचायत बण्डा बाजार, के वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक सं0- 145720 दिनांक 25.05.2018 रू0 14000.00 माह जनवरी 18 से अप्रैल 18 तक के मानदेय में विगत वर्ष 17-18 के कैशबुक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे माह जनवरी 18 से मार्च 18 के मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रुपया 10500.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0 पंचायती राज के ग्राम पंचायत के वित्तीय मैनुअल की धारा-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विश्राम यादव व ग्राम प्रधान श्री अहमद हुसेन से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	—		10500.00

प्रस्तर-12 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत सरफरा, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्ति के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। चेक सं0- 083291 दिनांक 10.04.2018 रुपया 35000.00 वर्ष 2017-18 का खाता सं0- 591102010004528 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से एक मुश्त मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती पानमती देवी को किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी एवं विगत वर्ष 2017-18 का कैश बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दिये गये बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0 पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी उक्त नियम के सन्दर्भ में ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पानमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोइनुद्दीन सिद्दीकी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

35000.00	—	35000.00

प्रस्तर-13 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत औरही, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्ति के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। चेक नं०- 12036326 दिनांक 09.10.2018 द्वारा वर्ष 2017-18 रुपया 31500.00 खाता सं०- 591102010004496 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से रुपया 31500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी को मानदेय के रूप में एक मुश्त किया गया। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी एवं विगत वर्ष 2017-18 की कैशबुक प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे दिये गये बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
31500.00	—		31500.00

प्रस्तर-14 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत बाराखाल, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक नं०- 12046323 दिनांक 09.08.2018 रुपया 35000.00 माह जून 17 से मार्च 2018 तक खाता सं० 591102010004506 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से एक मुश्त भुगतान ग्राम प्रधान का मानदेय के रूप में किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी एवं विगत वर्ष 2017-18 का कैश बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दिये गये बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाब चन्द से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
35000.00	—		35000.00

प्रस्तर-15 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत नरायनपुर, के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक नं०- 031269 दिनांक 03.04.2018 द्वारा रुपया 20000.00 वर्ष 2017-18 का खाता सं० 6524000100069522 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खलीलाबाद से प्रशासनिक व्यय मद में नगद भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायती के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पुष्टि पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानी जायेगी। तथा दर्शित व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में वसूली ब्याज सहित श्रीमती मैना देवी ग्राम प्रधान व कु० नेहा सिंह ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	—		20000.00

प्रस्तर-16 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत दुर्गजोत के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्ति के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। दिनांक 28.02.2019 को खाता सं०- 591102010004487 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से नगद रुपया 25280.00 का प्रशासनिक मद/स्टेशनरी मद में व्यय किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पुष्टि पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानी जायेगी। तथा दर्शित व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ब्याज सहित वसूली श्री अब्दुल लतीफ ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती अमीना खातून ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
25280.00	—		25280.00

प्रस्तर-17 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत करमैनी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक नं०- 1241 दिनांक 22.07.2018 रूपया 45500.00 खाता सं०-591102010004513 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से रूपया 45500.00 का भुगतान मानदेय प्रधान श्री अनूप सिंह को किया गया। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी एवं विगत वर्ष 2017-18 एवं पूर्व वर्ष का कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दिए गए बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ग्राम प्रधान ब्याज सहित वसूली श्री अनूप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोइनुद्दीन सिद्दीकी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
45500.00	—		45500.00

प्रस्तर-18 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत भरवलिया चौबे के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक नं०- 2014501 दिनांक 20.02.2019 रूपया 49000.00 ग्राम प्रधान का मानदेय फरवरी 2017 से मार्च 2018 तक का वर्ष 2017-18 का खाता सं०-591102010004523 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद से एक मुश्त मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्री अशोक चौबे को किया गया। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी एवं विगत वर्ष 2017-18 एवं पूर्व वर्ष का कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ग्राम प्रधान ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार चौबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेश यादव से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
49000.00	—		49000.00

प्रस्तर-19 विकास खण्ड मेहदावल की ग्राम पंचायत बीमापार के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्ति के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। दिनांक 11.05.2018 को चेक नं०- 033131 रू० 25000 दिनांक 27.03.2019 को चेक नं०-033146 रूपया 24000 कुल रूपया 49000.00 का खाता संख्या 6524000100069586 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खलीलाबाद से प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है। सकी। उ०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत न होने पर दर्शित व्यय गबन माना जायेगा तथा व्यय की धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी। उक्त नियम के सन्दर्भ में ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोइनुद्दीन सिद्दीकी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
49000.00	—		49000.00

प्रस्तर-20 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत भगौतीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया ग्राम पंचायत-भगौतीपुर के वर्ष 2018-19 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू० 2814514.00 (प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण प्रियासॉफ्ट के आधार पर आडिट किए जाने के कारण निम्न है -